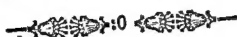
मजमूआ जाब्ता दीवानी.

(एक्ट नं० ५ सन १९०८ ई०).



जिस्की.

...न बजरिये एक्ट नं० १ सन १९१४ ई० के की गई है.



मय

वो नजायर हाई कोर्ट हिन्द वो जुडिशियल कमिश्नर मध्य प्रदेश अखीर सन १९१६ ई० तक.

जिस्को.

राय साहेब मथुरा प्रसाद, वकील

जिला—छिन्दवाड़ा

ने

सरल हिन्दी भाषा में

तैयार किया.

बाबू मोती लाल वर्मा मेनेजर के प्रबंध से

सेन्ट्रल ला. प्रेस छिन्दवाड़ा में

छापा गया.

सन १९१७ ई०

Printed at the "Central Law press,"
Chhindwara C P.

दीवाचा.



हम खुशी के साथ अपने पाठकों वो ग्राहकों वो आम लोगों को प्रगट करते हैं कि मजमूआ जाप्ता दीवानी हमारे सेन्ट्रल ला. प्रेस छिन्दवाड़ा में सरल हिन्दी भाषा में मय तशरीह वो नजायर सन १९१६ ई० तक की नजीरों के साथ छप कर बिक्री के लिये तईयार है—जाब्ता दीवानी हिन्दुस्थान में पहिले पहल सन १८५९ ई० में जारी हुआ था, वह सन १८७७ ई० में मनसुख हुआ था—और सन १८७७ ई० के जाब्ता के बदले जाब्ता दीवानी एक्ट नं० १४ सन १८८२ ई० जारी हुआ था—यह जाब्ता २६ साल तक जारी रहा—और सन १९०८ ई०में उस की जगह एक्ट न. ५ सन १९०८ ई० जारी हुआ जो १ जनवरी सन १९०९ ई० से अमल में आया और आज तक अमल में है.

हमने पहले इस एक्ट का तरजुमा १ जनवरी सन १९०९ ई० को करके प्रकाशित किया था, मगर उस वक्त यह कानून नया ही जारी हुआ था, और उस का अमल दरामद अनुभव में नहीं आया इस लिये पहिली आवृत्ति में सिर्फ दफा वो आर्डर का तरजुमा मय थोड़ी सी नजीरों के छापा गया था, जो नये एक्ट को लागू थी अब यह नया जाब्ता दीवानी ८ साल से जारी है और इस अरसा में इस नये एक्ट का तजुरबा अच्छी तरह से हो गया है-इस लिये हमने इस की दूसरी आवृत्ति अब निकाली है और इस आवृत्ति में दफाओं वो आर्डर की तशरीह बड़ी तफसील के साथ और हाई कोर्ट अलाहाबाद, कलकत्ता, बम्बई मदरास वो चीफ कोर्ट पंजाब, बरमा वो अदालत जुडशिल कमिश्नर मध्य प्रदेश की वो कहीं २ इंग्लिस्तान की नई नजीरों के साथ की गई है जिस से हर दफा वो आर्डर के कायदा का मतलब बहुत सरल वो साफ हो गया है.

यह कानून जाब्ता दीवानी ऐसा कानून है कि जिस के रू से हर अदालत दीवानी को दीवानी किस्म के मुकदमात का फैसला करना लाजिम पड़ता है-इस कानून में कुल कायदे ऐसे दर्ज हैं जिन की तामील तारीख दायरी नालिश से तारीख फैसला तक, बल्कि बाद में हकरसी वो इजराय डिक्री में भी

अदालत पर जरूर है.

पस ऐसे कानून का जानना, पढ़ना वो समझना हर शख्स के लिये वाजिब है कि जिसे अदालती कार्रवाई से कुछ वास्ता हो.

यह तरजुमा मय तशरीह वो नजीरों के हमने बड़ी मिहनत वो खर्चा के साथ हिन्दी जानने वाले महाशयों, वकील, मुख्त्यार, सेठ, महाजन, साहूकारों, मालगुजार, काश्तकार, वो अरजीनवीस के उपकारार्थ तैयार किया है.

यह मजमूआ भी ताजीरात हिन्द के मुआफिक बड़ा भारी ग्रंथ है—इस में कुल सफा करीब १००० से जियादा है

छपाई बढ़िया कागज पर वो बम्बई के उमदा नये टाईप में हुई है जिस को पढ़ने से दिल को खुशी होगी—ऐसा मजमुआ जाब्ता दीवानी मय तशरीह वो नजीरों के साथ बोल चाल की हिन्दी भाषा में अभी तक कहीं नहीं छपा है—हम आशा करते हैं कि हिन्दी जाने वाले महाशय, वकील, मुखत्यार, पटेल, मालगुजार, सेठ, माहाजन साहूकार अरजीनवीस वो आम लोग जिन को कचहरी में काम रहता हैं, इस किताब की एक जिल्द अपने पास जरूर रखेंगे और उस से फायदा उठावेंगे.

तारीख १नवम्बर सन १९१७ ई० } द मथुरा प्रसाद वकील.
छिन्दवाड़ा, सी. पी.

हिस्सा—२.



इजराय के बारे में.



तनाजे काबिल तजवीज अदालत इजराय कुनन्दा डिक्री.

मियाद इजराय डिक्री.

मुन्तकिल अलैहिम याने जिन के हक में मुन्तकिल की गई वो कायम मुकाम जायज.

जाब्ता इजराय.

गिरफ्तारी वो कैद

दफा		सफा

हिस्सा—३.



कार्रवाई समबंधी.

हिस्सा—४



खास सूरतों में नालशात.

हिस्सा—५

कार्रवाई खास सालसी याने पंचायत

हिस्सा—६.



तितम्मा कार्रवाई

हिस्सा—७.

अपीलें.

अपील डिक्री इब्तदाई की नाराजी से.

हुक्मों की नाराजी से अपील

अपील के मुताल्लुक के अहकाम आम.

अपील बहूजूर मालिक मोअज्जम (बादशाह) बइजलास कौंसिल.

हिस्सा—८.



इस्तस्वाब तजवीज सानी वो नजरसानी.

हिस्सा—९.



अहकाम खास मुतालुक उन हाई कोर्ट जो बादशाही सनद के बमूजिब मुकर्रर की गई हैं.

हिस्सा-१०



कायदे.

हिस्सा-११.

मुतफ़रक़ात.

जमीमजात.



जमीमा-१०.

आरडर नम्बर—१,

फरीकैन के मुकदमा के बारे में.

आरडर २.

नालिश की तरतीब.

आरडर ३.

एजंटान याने मुखत्यारान मकबूला और वकला (वकील)

आर्डर ४.

दायरी नालशात

आर्डर ५.

इजराय व तामील समन

इजराय समन



हिस्सा—२.

आर्डर—६.

प्लीडिंग यानी बयानात आम तौर से.

आर्डर—७.

अर्जीदावा.

दफा | सफा

दस्तावेजात कि जिन पर अरजी दावी में भरोसा किया गया है.



आरडर—८.

बयान तहरीरी और मूजराई दावा.

आरडर—९.



फरीकैन की हाजरी और गैर हाजरी का नतीजा.

आर्डर १०

फरीकैन का इजहार अदालत की मारफत

आर्डर ११.

दरयाफ्त हाल और मुलाहजा.

दफा		सफा
३	खरचा बंद सवालात.	४६०
४,	बंद सवालात का फार्म.	४६०
५.	कारपेरेशन याने जमाअत सनदयाफ्ता.	४६१
६.	उजर निस्बत देने जवाब किसी सवाल के ...	४६२
७	सवालात को मनसूख या खारिज करना. ..	४६२
८.	जवाब में बयान हलफी और उसका दाखिल होना.	४६२
९.	जवाब में बयान हलफी का नमूना. ...	४६२
१०.	ऐतराज नहीं किया जायगा.	४६२
११.	हुक्म निस्बत देने जवाब या जवाब मजीद के.	४६२
१२.	दरख्वास्त वास्ते तलाशी दस्तावेजात के.	४६३
१३.	दस्तावेजात के निसबत बयान हलफी.	४६६
१४.	दस्तावेजात की सबूती.	४६६
१५.	उन दस्तावेजात का मुलाहजा जिनका जिकर प्लीडिंग या बयानात हलफी में किया गया है.	४६७
१६.	इत्तला निसबत पेश करने के ...	४६८
१७.	वक्त वास्ते मुलाहजा के जब इत्तला दी जाय.	४६९
१८.	हुक्म निसबत मुलाहजा के.	४६९
१९.	तसदीक की हुई नकलें. ...	४७०
२०.	वक्त के पहले दरयाफ्त हाल.	४७१
२१.	अदम तामील हुक्म दरयाफ्त हाल. ...	४७१
२२.	बन्द सवालात के जबाबात, व वक्त तजवीज, मुकदमा इस्तेमाल होंगे.	४७२
२३.	हुक्म नाबालगों से मुताल्लुक हों.	४७३

आर्डर—१२.



इकबाल.

आर्डर—१३.

पेशी, जब्ती और वापसी दस्तावेजात.



आर्डर–१४.

निकाला जाना तनकीह का और तसफिया मुकदमात तनकीह कानूनी पे या उन तनकीहात पर जो करार पाय.

आर्डर-१५.



मुकदमे की अव्वल पेशी पर फैसला किया जाना.

आर्डर-१६



गवाहों की तलबी और हाजरी.



आर्डर १७.

इलतवा.

आर्डर—१८.

सुनाई मुकदमा और लेने इजहार गवाहान.

आर्डर १९.

तहरीरी बयान हल्फी.

आरडर २०

तजवीज और डिकरी

आर्डर—२२.



मौत, शादी और दीवाला निकालना फरीक मुकदमा का.

आरडर—२३.

उठा लेना और तसफिया मुकदमा,

आरडर—२४.

अदालत में रूपया दाखिल करना.

आर्डर—२५.



खर्चे की जमानत.

आर्डर—२६.



कमीशन.

कमीशन वास्ते लेने इजहार गवाहों के.

आर्डर २७.



नालिशें अज तरफ या बनाम सरकार या ओहदेदारान सरकार बहैसियत ओहदेदारी के.

आर्डर-२८



नालिश मिनजानिब और बनाम मुलाजिम फौज.

आर्डर—२९.



नालिश तरफ से और बनाम कारपोरेशन यानें जमायत सनदयाफ्ता.

आरडर ३०



नालिश अजतरफ या बनाम फर्म के और उन शख्सों के जो अपने नाम के सिवाय किसी और नाम से कारबार करते हों.

आर्डर—३१.

नालिशें बनाम या मिनजानिब अमीन, वसी और मोहतमिम तरका.

दफ़ा — सफ़ा

आरडर—३२.

नालशात मिनजानिब या बनाम नाबालिग और फातिरूल-अक्ल (याने पागल) के.



आरडर—३३.

नालशात मुफलिसी,

आर्डर—३४.

नालिश बाबत रहन जायदाद गैर मनकूला.

आर्डर-३५.



इनटर-प्लीडर, याने नालिश वास्ते तसफिया ऐसे अमर के जिस में दो शख्स मुख्तालिफ तौर से एक चीज के लिये एकही आदमी से दावीदार हों.

आर्डर–३४.

नालिश बाबत रहन जायदाद गैर मनकूला.

आर्डर—३५.



इनटर-प्लीडर, याने नालिश वास्ते तसफिया ऐसे अमर के जिस में दो शख्स मुख्तालिफ तौर से एक चीज के लिये एकही आदमी से दावीदार हों.

आर्डर-३६.

खास केस [याने] मुकदमा.



आर्डर-३७.

जाब्ता सरसरी निसबत दस्तावेजात काबिल खरीद व फरोख्त के.

आर्डर ३८.

गिरफतारी वो कुरकी फैसला के पहिले

फैसला के पहिले गिरफतारी.

आरडर ३९



हुक्म इम्तनाई चंदरोजा और हुक्म दरमियानी

हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा.

आरडर—४०.

मुकर्ररी रिसीवर (याने मोहतमिम).

आर्डर-४१.

अपील बनाराजगी डिकरी इब्तदाई

आर्डर-४२



अपील बनाराजगी डिकरी अपील.

आर्डर—४३.



अपील बनाराजगी अहकाम.

दफा सफा

आर्डर-४४.



मुफलसी में अपील.

आर्डर ४५.



अपील बहजूर आला हजरत मलिक मोअज्जम बइजलास कौंसिल,

आर्डर–४६.

इस्तसवाब.

दफा सफा

आर्डर-४७.



तजवीजसानी.

आरडर-४८.



मुतफरकात.

आर्डर—४९.

अदालत हाई कोर्ट जो सनद शाही के रूसे मुकर्रर की गई है.

आरडर—५०.

अदालत मतालबजात खफीफा मुफारसिल.

आर्डर—५१.



अदालत मतालबेजात खफीफा वाके शहर प्रेसीडेन्सी



जमीमा दूसरा.



सालसी (पंचायत).

मुकद्मा की सालसी याने पंचायत.



दफा सफा

जमीमा तीसरा.

इजराय डिकरी मारफत कलेक्टर.

जमीमा-चौथा.



(देखो दफा १५५).

एक्ट हाय तरमीम शुदा—८४१.



जमीमा पांचवा.



(देखो दफा १५६).

एक्ट हाय मनसूख शुदा—८४२.

जमीमें.

नमूनेजात ८४५.

मजमूआ जाब्ता दीवानी

एक्ट नं. ५ सन १९०८ ई०.

एक्ट बग़रज़ इकट्ठा करने वो तरमीम करने क़ानून जो अदालत हाय दीवानी के जाब्ता से ताल्लुक रखते हैं

यह अमर करीन मस्लेहत है कि क़ानून मुताल-लुक जाब्ता अदालतहाय दीवानी का इकट्ठा वो तरमीम किया जावे, इस लिये नीचे लिखे मुताबिक हुक्म होता है:—

शुरू कार्रवाई.

छोटा सिरनामा, शुरू वो फैलाव

दफा १ -(१) यह एक्ट मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १९०८ ई० के नाम से कहा जावे

(२) यह एक्ट तारीख पहली जनवरी सन १९०९ ई० को अमल मे आवेगा.

(३) यह दफा और दफा १५५ से १५८ तक तमाम ब्रिटिश इनडिया से ताल्लुक रखेगी, और बाकी का मजमूआ, अजलाए (शिडूल) मुन्दरजा फेहरिस्त को छोड कर, तमाम ब्रिटिश इनडिया से ताल्लुक रखेगा.

तशरीह—यह मजमूआ कई बरसों की मेहनत के बाद जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर की कानून बनाने वाली कौंसिल की तरफ से सन १९०८ ई० में मजूर हुआ—और यह मजमूआ एक दम इस वजह से जारी नहीं किया गया कि आम लोगों को वो कानून पेशा वालों को मजमूआ मजकूर के पढ़ने वो समझने के लिये काफी मोहलत और वक्त मिले—हिन्दुस्थान की दीवानी अदालतों के लिय कार्रवाई का जाब्ता मुकर्रर करने की गरज से सब के पहिले सन १८७७ ई० में कानून बनाया गया, बाद में एक्ट न १४ सन १८८२ ई० का पुराना कानून को मन्सूख करके जारी हुआ—और छब्बीस साल के तजुरबा के बाद यह नया कानून गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया और तारीख पहली जनवरी सन १९०९ से उस का अमल दर आमद शुरू हुआ

अजलाय मुन्दरजा फेहरिस्त—से वे जिले मुराद है कि जिन की तारीफ एक्ट न० १४ सन १८७४ ई० में की गई है.

"ब्रिटिश इंडिया" से वे सब मुल्क वो मुकामात वाके अन्दर कलमरू सरकार मुराद है जो इस वक्त जेर हुकूमत मलिक मोअज्जम बजरिये नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर हिन्द या बजरिये किसी गवर्नर या दीगर अफसर मातेहत गवर्नर जनरल हिन्द के हैं—(देखो एक्ट आम जिमन नबर १० सन १८९७ ई० दफा ३ फिकरा ७)

छावनी वाधवान अन्दर ब्रिटिश इंडिया है (इ ला रि बम्बई जिल्द ९ सफा २४४)

"ब्रिटिश इंडिया" में ब्रिटिश ब्रम्हा भी शामिल है (इ ला रि कलकत्ता जि १३ सफा २११)

उड़ीसा के ट्रिब्यूटरी महाल ब्रिटिश इंडिया के हिस्से में दाखल नहीं है—(इ ला. रि कलकत्ता जि. २९ सफा ४००)

इस मजमूआ के अहकामात एजन्सी इलाकों में लागू न होंगे—(मद्रास ला जरनल जि १३ सफा १५) लेकिन वे सवाल प्रगना में एक हजार रूपय से ज्यादा की मालियत की नालिश में लागू होंगे—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द १८ सफा १३१).

"अजलाय शिड्यूल" से वे जिले मुराद हैं कि जिन की तारीफ एक्ट नं १४ सन १८७४ ई० में की गई है—एक्ट आम जिमन न १० सन १८९७ ई० दफा ३ फिकरा ४९]

इस नया मजमूआ जाब्ता दीवानी में दफात वो कायदे छपे हैं—दफात में आम उसूल का जिक्र है और कायदों में वह जरिया बतलया गया है जिस से वे उसूल लागू किये जा सकेंगे—उसूल दीगर तौर पर लागू नहीं हो सकेंगे—नतीजा यह हुआ कि कायदे, अहकामात दफात को महदूद करेंगे—[इंडियन केस जिल्द २० सफा ३९]

अगर दफों और जमीमों में इखतिलाफ होवे तो दफात मजमूआ को तरजीह दी जावेगी (इंडियन केस जिल्द २२ सफा ६६०)

अगर किसी डिक्री के इजरा का हक पुराने एक्ट सन १८८२ की रू से बेरू मियाद हो गया हो तो वह हक सन १९०८ के मजमूआ से कायम नहीं हो सक्ता—देखो मद १८० एक्ट मियाद समाअत—(इंडियन केस जिल्द २३ सफा ६४६).

दफा २ तारीफें इस एक्ट मे तावक्ते कि इबारत या मजमून से दूसरा कोई मतलब खिलाफ इसके न पाया जावेः—

(१) लफ्ज " मजमूआ" में कवायद शामिल हैं

(२) "डिकरी" से मुराद है बाजाब्ता जाहिर करना फैसले का जिस्से, जहां तक फैसला सादिर करने वाली अदालत मुतालुक है हुकूक फरीकैन निस्बत कुल या चंद अमूरात जिन का झगड़ा मुकदमा मे था कतई तौर से तै हो जाएं, और यह डिक्री इब्तदाई या कतई दोनों हो सकती है—और इसमें नामंजूरी अरजीदावी और तसफिया हर ऐसे अमर का दाखिल समझा जावेगा, जिस्का जिक्र दफा ४७ या दफा १४० में है, मगर उसमें दाखल नहीं हैः—

(क) कोई ऐसा फैसला जिस्की अपील मिस्ल अपील हुक्म के दायर की जा सकती है, या

(ख) हुक्म खारिजी मुकदमा बवजह अदम पैरवी के.

समझावनाः—डिकरी इब्तदाई उस वक्त समझी जावेगी कि जब मुकदमा का पूरे तौर पर तसफिया किये जाने के पेश्तर ज्यादा कार्रवाई करनी पड़ती हो, और वह डिकरी अखीर या कतई उस वक्त समझी जावेगी जब कि उस मे मुकदमा पूरे तौर पर फैसल हो जावे-यह हो सक्ता है कि डिकरी का कुछ हिस्सा इब्तदाई हो और कुछ हिस्सा कतई होवे—

तशरीहः—इस जिमन में लफ्ज "डिक्री" की तारीफ पुराने मजमूआ में लिखी हुई तारीफ का तबदील करके दर्ज है-डिक्री में अकसर फैसला मुकदमा का नतीजा खुलासा के साथ लिखा जाता है और जीतने वाले फरीक को डिक्री जारी कराने पर दादरसी मिल सक्ती है न कि दूसरे तौर पर

बमूजिब तारीफ लफ्ज 'डिक्री' मुन्दरजा मजमूआ जाब्ता दीवानी उसमें अदालत माल की डिक्री शामिल नहीं है-(इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १६ सफा ४६६)—

वह हुक्म कि जिसके रू से किसी मुकदमा में कोई अर्जी दावी अदालत मजाज में पेश करने के वास्ते मुद्दई को वापिस दी जावे डिक्री में दाखल नहीं है (इ. ला. रि अलाहाबाद जि० २ सफा ३५७)—इसी तौर पर हुक्म वापसी याददाश्त अपील वास्ते पेश करने अदालत मजाज में बतौर डिक्री के न कहा जावेगा—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १३ सफा ३२०)—

हुक्म नामजूरी याददाश्त अपील इस बिना पर कि वह मियाद के बाहर पेश की गई, बतौर डिक्री के है—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा ४२)—

हुक्म खारजी अपील बवजह अदम पैरवी बतौर डिकरी के न समझा जावेगा इस लिये ऐसे हुक्म की अपील न हो सकेगी-(इ ला रि कलकत्ता जिल्द २३ सफा ८२७).

हुक्म निसबत मंजूरी या ना मजूरी दरखास्त वास्ते मिलने हुक्म कतई बतौर डिकरी हस्ब मनशा दफा २ (२) समझा जावेगा—मगर हुक्म दरमियानी वास्ते जाच हिसाब निसबत रिसीवर बतौर फैसला हक या दावा या पैरवी नहीं समझा जावेगा

और न वह बतौर अपील तसौव्वर होगा — (कलकत्ता ला जरनल जिल्द १३ सफा ४५६)

लफ्ज डिकरी की तारीफ में तसफिया दरमियानी दाखल नहीं है जो मामूली नालशों में दरमियान फरीकैन निसबत हर झगडे वाले अम्र के किया गया हो, गो ऐसा फैसला बजरिये अलेहदा हुक्म के दौरान मुलतवी कार्रवाई में दर्ज किया गया हो —(इडियन केस जिल्द ६ सफा १०१६)

आया हुक्म बतौर डिकरी के है या नहीं इस का दारमदार उस हुक्म की किस्म वो मजमून पर होगा—जिस हुक्म से हुकूक फरीकैन का फैसला कतई होता हो वह बतौर डिकरी के समझा जावेगा—(कलकत्ता ला जरनल जिल्द १४ सफा ३९).

अगर किसी हुक्म के जरिये मुद्दायलेह का नाम नालिश से खारिज किया जाना मजूर किया गया हो और उस को खर्चा भी दिलाया गया हो, तो वैसा हुक्म बतौर डिकरी कतई या इब्तदाई न समझा जावेगा और न वह काबिल अपील होगा—(इडियन केस जिल्द ११ सफा ८३०).

हुक्म निसबत वापसी अरजी दावा वास्ते तरमीम अन्दर मियाद मुकर्ररा बतौर डिकरी इब्तदाई या दीगर किस्म हस्ब मनशा दफा २ (२) नहीं समझा जावेगा और न वह काबिल अपील होगा, न काबिल नजरसानी—(इडियन केस जिल्द ११ सफा २३१)

मुद्दायलेह ने उजर "रेस जुडीकेटा" पेश किया, अदालत ने ना मजूर किया इब्तदाई डिकरी सादिर नहीं की गई—तजवीज करार पाई कि अपील न हो सकेगी क्योंकि ऐसी तनकीह का तसफिया बतौर डिकरी हस्ब मनशा दफा २ (२) नहीं समझा जावेगा—(अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १० सफा ७८)

हुक्म अदालत अपील निसबत खारिजी अपील कब्ल मजूरी इस बिना पर कि वह मियाद के बाहर पेश हुई बतौर डिकरी हस्ब मनशा दफा २ समझा जावेगा और ऐसे हुक्म की दूसरी अपील हो सकेगी—(कलकत्ता वी नोट जिल्द १७ सफा ८०७)

हुक्म निसबत ना मजूरी दरख्वास्त बमूजिब

दफा २५६ एक्ट जानशीनी बतौर डिकरी समझा जावेगा और वह काबिल अपील तसौव्वर किया जायगा—(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३५ सफा ४४८)

जब किसी मुकदमा में कई तनकीहें कायम की गई हों और अदालत इब्तदाई ने पहले दो तनकीहों का तसफिया बहक मुद्दई किया हो और बाकी तनकीहों का तसफिया आगे की तारीख में करने के लिये मुतलवी किया गया हो और अपील निस्बत उन दो इब्तदाई तनकीहों के की गई हो तो ऐसी अपील न चल सकेगी, क्योंकि कोई डिक्री सादिर नहीं की गई जिसकी नाराजगी से अपील दायर की जा सके–(कलकत्ता ला जनरल जिल्द १८ सफा ७८)—

हुक्म निस्बत साकित नालिश बतौर डिक्री न समझा जावेगा और न वह काबिल अपील होगा (अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १२ सफा १११३)—

(३) "डिकरीदार" से हर शख्स मुराद है जिसके हक में कोई डिकरी या कोई हुक्म लायक तामील सादिर हुआ हो

तशरीह:—आम तौर से हर मुकदमा का मुद्दई यानी दावी करने वाला शख्स बतौर डिक्रीदार के समझा जाता है, मगर जिस मुकदमा में दावी मुद्दई तो खारिज हो गया हो और उलटकर मुद्दायलेह के हक में मुद्दई के ऊपर खर्चा की डिक्री सादिर की गई हो तो ऐसी सूरत में मुद्दायलेह बहैसियत डिक्रीदार के डिक्री जारी करा कर खर्चा वसूल करने का मुस्तहक होगा—

अलफाज "डिक्री दार में ऐसा शख्स भी शामिल है जिसके नाम ऐसी डिक्री या हुक्म मुन्तकिल हुआ हो" नये एक्ट से निकाल दिये गये हैं—

जो शख्स बजरिये डिक्रीदार दावा करता हो वह डिक्री की इजरा करा सक्ता है–देखो दफा १४६—

(४) "जिला" के लफ्ज से अदालत दीवानी दरजा आला मजाज सुनाई इब्तदाई के इलाका अख्त्यार की हुदूद अरजी मुराद है (जो बाद में "अदालत जिला" के नाम से कही जावेगी)–और उस लफ्ज में अदालत हाई कोर्ट के मामूली अख्त्यार समाअत इब्तदाई व सीगा दीवानी की हुदूद अरजी भी शामिल है—

तशरीहः—पुराने मजमूआ में जो तारीफ लफ्ज "जिला" की दर्ज थी उस के मुताबिक हर एक अदालत खफीफा मातहत अदालत जिला के समझी जाती थी मगर इन जिमन से वे अलफाज खारिज कर दिये गये हैं

(५) "अदालत रियासत गैर' से वह अदालत मुराद है कि जो ब्रिटिश इंडिया के हद के बाहर हो, और जो ब्रिटिश इंडिया के अन्दर अख्त्यार न रखती हो, और जो जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर के हुक्म से नए सिरे से कायम न की गई हो और न जारी रखी गई हो

प्रिवी कौंसिल बतौर "अदालत रियासत गैर" नसौवर न होगी क्योंकि ब्रिटिश इंडिया उसके इलाके हुकूमत में वाके है—मगर मुल्क इंग्लिस्तान की दीगर अदालतें बतौर अदालत रियासत गैर समझी जावेंगी (इ. ला रि बम्बई जिल्द ८ सफा ५७१ वोल्स—बनाम—वोल्स)—

(६) "तजवीज रियासत गैर" से अदालत रियासत गैर की तजवीज मुराद है.

तजवीज रियासत गैर ब्रिटिश इंडिया में नालिश दायर करने के लिये कब रुकावट करेगी इसके लिये देखो दफा १३—तजवीज रियासत गैर के क्याम के लिये यानी मान्ने के लिये देखो दफा १४—

(७) "गवर्नमेंट प्लीडर" (वकील सरकार) में वह उहदेदार दाखिल है जिसे लोकल गवर्नमेंट ने उन तमाम खिदमतों या उन मे से किसी को करने के लिये मुकर्रर किया हो, जो साफ तौर पर इस मजमूआ की रू से गवर्नमेंट प्लीडर से मुताल्लुक की गई है, और वह वकील भी उसमें शामिल होगा, जो सरकारी वकील की हिदायतो के मुताबिक कारवाई करे.

यह जरूर नहीं है कि जो अफसर लोकल गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर किया जावे वह वकील ही होवे जिसकी तारीफ फिकरा १५ में की गई है—वकील सरकारी क कामों की निस्बत देखो आर्डर २७ कायदा ४ वो आर्डर ३३ कायदा ६—

(८) 'जज" से अदालत दीवानी का उहदेदार इजलास

दफा २५६ एक्ट जानशीनी बतौर डिकरी समझा जावेगा और वह काबिल अपील तसौव्वर किया जायगा—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३५ सफा ४४८)

जब किसी मुकदमा में कई तनकीहें कायम की गई हों और अदालत इब्तदाई ने पहले दो तनकीहों का तसफिया बहक मुद्दई किया हो और बाकी तनकीहों का तसफिया आगे की तारीख में करने के लिये मुलतवी किया गया हो और अपील निस्बत उन दो इब्तदाई तनकीहों के की गई हो तो ऐसी अपील न चल सकेगी, क्योंकि कोई डिक्री सादिर नहीं की गई जिसकी नाराजगी से अपील दायर की जा सके—(कलकत्ता ला जर्नल जिल्द १८ सफा ७८)—

हुक्म निस्बत साकित नालिश बतौर डिक्री न समझा जावेगा और न वह काबिल अपील होगा (अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १२ सफा ११११)—

(३) "डिकरीदार" से हर शख्स मुराद है जिसके हक में कोई डिकरी या कोई हुक्म लायक तामील सादिर हुआ हो

तशरीह:—आम तौर से हर मुकदमा का मुद्दई यानी दावी करने वाला शख्स बतौर डिक्रीदार के समझा जाता है, मगर जिस मुकदमा में दावी मुद्दई तो खारिज हो गया हो और उलटकर मुदायलेह के हक में मुद्दई के ऊपर खर्चा की डिक्री सादिर की गई हो तो ऐसी सूरत में मुदायलेह बहैसियत डिक्रीदार के डिक्री जारी करा कर खर्चा वसूल करने का मुस्तहक होगा—

अलफाज "डिक्री दार में ऐसा शख्स भी शामिल है जिसके नाम ऐसी डिक्री या हुक्म मुन्तकिल हुआ हो" नये एक्ट से निकाल दिये गये हैं—

जो शख्स बजरिये डिक्रीदार दावा करता हो वह डिक्री की इजरा करा सक्ता है—देखो दफा १४६—

(४) "जिला" के लफ्ज से अदालत दीवानी दरजा आला मजाज सुनाई इब्तदाई के इलाका अख्त्यार की हुदूद अरजी मुराद है (जो बाद में "अदालत जिला" के नाम से कही जावेगी)—और उस लफ्ज में अदालत हाईकोर्ट के मामूली अख्त्यार समाअत इब्तदाई व सीगा दीवानी की हुदूद अरजी भी शामिल है—

दफा २५६ एक्ट जानशीनी बतौर डिकरी समझा जावेगा और वह काबिल अपील तसौव्वर किया जायगा—(इ ला॰ रि अलाहाबाद जिल्द ३५ सफा ४४८)

जब किसी मुकदमा में कई तनकीहें कायम की गई हों और अदालत इबतदाई ने पहले दो तनकीहों का तसफिया बहक मुद्दई किया हो और बाकी तनकीहों का तसफिया आगे की तारीख में करने के लिये मुलतवी किया गया हो और अपील निस्बत उन दो इबतदाई तनकीहों के की गई हो तो ऐसी अपील न चल सकेगी, क्योंकि कोई डिक्री सादिर नहीं की गई जिसकी नाराजगी से अपील दायर की जा सके-(कलकत्ता ला जनरल जिल्द १८ सफा ७८)—

हुक्म निस्बत साकित नालिश बतौर डिक्री न समझा जावेगा और न वह काबिल अपील होगा (अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १२ सफा १११३)—

(३) "डिकरीदार" से हर शख्स मुराद है जिसके हक में कोई डिकरी या कोई हुक्म लायक तामील सादिर हुवा हो

तशरीह:—आम तौर से हर मुकदमा का मुद्दई यानी दावी करने वाला शख्स बतौर डिक्रीदार के समझा जाता है, मगर जिस मुकदमा में दावी मुद्दई तो खारिज हो गया हो और उलटकर मुद्दायलेह के हक में मुद्दई के ऊपर खर्चा की डिक्री सादिर की गई हो तो ऐसी सूरत में मुद्दायलेह बहैसियत डिक्रीदार के डिक्री जारी करा कर खर्चा वसूल करने का मुस्तहक होगा—

अलफाज "डिक्री दार में ऐसा शख्स भी शामिल है जिसके नाम ऐसी डिक्री या हुक्म मुन्तकिल हुआ हो" नये एक्ट से निकाल दिये गये हैं—

जो शख्स बजरिये डिक्रीदार दावा करता हो वह डिक्री की इजरा करा सक्ता है—देखो दफा १४६—

(४) "जिला" के लफ्ज से अदालत दीवानी दरजा आला मजाज सुनाई इब्तदाई के इलाका अख्त्यार की हुदूद अरजी मुराद है (जो बाद में "अदालत जिला" के नाम से कही जावेगी)—और उस लफ्ज मे अदालत हाई कोर्ट के मामूली अख्त्यार समाअत इब्तदाई व सीगा दीवानी की हुदूद अरजी भी शामिल है—

तशरीह:—पुराने मजमूआ में जो तारीफ लफ्ज "जिला" की दर्ज थी उस के मुताबिक हर एक अदालत खफीफा मातहत अदालत जिला के समझी जाती थी मगर इस जिमन से वे अलफाज खारिज कर दिये गये है

(५) "अदालत रियासत गैर' से वह अदालत मुराद है कि जो ब्रिटिश इंडिया के हद के बाहर हो, और जो ब्रिटिश इंडिया के अन्दर अख्त्यार न रखती हो, और जो जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर के हुक्म से नए सिरे से कायम न की गई हो और न जारी रखी गई हो

प्रिवी कौंसिल बतौर "अदालत रियासत गैर" नसौवर न होगी क्योंकि ब्रिटिश इंडिया उसके इलाके हुकूमत में वाके है-मगर मुल्क इंग्लिस्तान की दीगर अदालतें बतौर अदालत रियासत गैर समझी जावेंगी (इ ला रि बम्बई जिल्द ८ सफा ५७१ बोल्स-बनाम-बोल्स)—

(६) "तजवीज रियासत गैर" से अदालत रियासत गैर की तजवीज मुराद है

तजवीज रियासत गैर ब्रिटिश इंडिया में नालिश दायर करने के लिये कब रूकावट करेगी इसके लिये देखो दफा १३-तजवीज रियासत गैर के क्याम के लिये यानी मान्ने के लिये देखो दफा १४—

(७) "गवर्नमेंट प्लीडर" (वकील सरकार) में वह उहदेदार दाखिल है जिसे लोकल गवर्नमेंट ने उन तमाम खिदमतो या उन मे से किसी को करने के लिये मुकर्रर किया हो, जो साफ तौर पर इस मजमूआ की रू से गवर्नमेंट प्लीडर से मुताल्लुक की गई है, और वह वकील भी उसमें शामिल होगा, जो सरकारी वकील की हिदायतो के मुताबिक कारवाई करे.

यह जरूर नहीं है कि जो अफसर लोकल गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर किया जावे वह वकील ही हाव जिसकी तारीफ फिकरा १५ में की गई है-वकील सरकारी के कामों की निस्बत देखो आर्डर २७ कायदा ४ वो आर्डर ३३ कायदा ६—

(८) 'जज" से अदालत दीवानी का उहदेदार इजलास

करने वाला मुराद है

तशरीह —हर एक अदालत मातहत को हाई कोर्ट की नजीरों पर लिहाज करना चाहिये (इं ला रि कलकत्ता जि० ३ सफा ६९६ वो ७०१)—

हर एक जज यानी हाकिम को अखत्यार है कि अपनी अदालत के हाते के अन्दर जैसा चाहे वैसा इन्तजाम वगरज सहूलियत आम वो उन शख्सों के करे कि जो वहा कार्रवाई करते हों (इं ला रि कलकत्ता जि० १५ सफा ६३८)—

जज बतौर ओहदेदार सरकारी हस्ब मनशा फिकरा १७ समझा जावेगा और नालिश बाबत हरजाना खिलाफ जज निस्बत ऐसे फैल के जो वह नेक नियती के साथ अपने अदालती मनसब के बजा लाने में करे न चल सकेगी (मद्रास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द २ सफा ३२६ वो इं ला. रि. अलाहबाद जि १२ सफा ११५ —लेकिन अगर वह कार्रवाई नाजायज बगैर मुनासिब होशयारी वो खबरदारी के करे और अपने अखत्यार के बाहर कार्रवाई करे तो उस पर नालिश हरजाना चल सकेगी—(इं. ला रि कलकत्ता जि. ९ सफा ३४१)

(९) "तजवीज" से वह बयान हाकिम अदालत का मुराद है जिस्में किसी डिक्री या हुक्म के वजूहात दर्ज हों.

तशरीह:—लफ्ज तजवीज और फैसला में कुछ फरक नहीं है.

तजवीज में किन बातों का जिक्र होना चाहिये इस के लिये देखो आर्डर २० कायदा ४-तरमाम तजवीज के लिये देखो दफा १५२).

तहरीरी हुक्म जिस के जरिये मिनजुमले कई तनकिहों के १, तनकीह का फैसला हुआ हो बतौर तजवीज हस्ब मनशा दफा २ [९] समझा जावेगा और जिस जज ने वैसा हुक्म सादिर किया हो उस का जानशीन उसे सुना सक्ता है.

मुद्दायलेह ने अपना जवाब दावा उस तारीख को पेश नहीं किया जिस तारीख पर पेश करने का उस को हुक्म दिया गया था और न उस ने तारीख पशी पर पेश किया—मुनसिफ ने दावा मुद्दई की डिक्री बहक मुद्दई हस्ब आर्डर न ८ कायदा १० बगैर लिहाज रूईदाद नालिश सादिर किया और अपने हुक्म निस्बत सदूर डिक्री में कोई वजूहात नहीं दर्ज किये—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि हुक्म मुनसिफ बतौर तजवीज करार नहीं दिया जा सक्ता—वह सिर्फ बतौर ऐसे

हुक्म के समझा जावेगा कि जिस से मुद्दई के दावे की डिक्री दी गई और यह भी तजवीज करार पाई कि मुनसिफ ने भारी बेजाब्तगी अमल में लाई इस लिये उस का फैसला मन्सूख किया गया—(इं केस जि १५ सफा २१२).

डिक्री हस्ब कायदा ८ आर्डर ९ बतौर हुक्म खारजी बइल्लत अदम पैरवी हस्ब मनशा दफा २ नहीं समझी जावेगी इस लिये ऐसी डिक्री काबिल अपील होगी -(कलकत्ता ला जरनल जि १६ सफा ५५६).

अगर कोई अपील बइल्लत अदम पैरवी हस्ब आर्डर ४१ कायदा १७ खारिज की गई हो तो वैसे हुक्म खारजी की अपील न होगी और न वह हुक्म बतौर डिक्री समझा जावेगा और न बतौर हुक्म काबिल अपील—(कलकत्ता ला जरनल जि १५ सफा ३३४).

(१०) " मदयून डिकरी" से हर शख्स मुराद है जिस पर कोई डिकरी या हुक्म लायक तामील सादिर हुवा हो.

"मदयून डिक्री" की तारीफ में मदयून डिक्री का हवालेदार शामिल नहीं है—हस्ब आर्डर २१ कायदा ५३ मदयून डिक्री के हवालेदार की हैसियत वास्ते गरज इजराय वैसी नहीं है जो कि डिक्रीदार की है इस कायदे की रू से सिर्फ दो शख्स इजरा करा सक्ते हैं (१) डिक्रीदार मकरूका डिक्री का (२) कुर्क कराने वाला साहूकार न कि मकरूका डिक्री के रखने वाले का हवालेदार (मद्रास ला टाईम्स सफा १४४)

(११) "कायम मुक़ाम कानूनी" से वह शख्स मुराद है जो कानून में किसी मरे हुए शख्स की जायदाद का कायम मुकाम हो और इस लफ्ज में वह शख्स भी दाखिल है जो मरे हुए की जायदाद में दस्तन्दाजी करे, और जिस सूरत में कोई फरीक बहैसियत कायम मुकाम मुद्दई या मुद्दायलेह के नालिश करे या अपने पर नालिश करावे तो वह शख्स भी दाखिल होगा जिस को बाद मरने मुद्दई या मुद्दायलेह मजकूर के जायदाद पहुंचती हो

तशरीह—यह तारीफ पुराने जाब्ता दीवानी में दर्ज न थी—जब दौरान

मुकदमा या बाद फैसला हो जाने मुकदमा के, कोई फरीक मर जावे तो बहस यह पैदा होती है कि मरे हुए फरीक की जाय पर कौनसा शख्स बहैसियत कायम मुकामी के अपना नाम दर्ज कराने का हकदार होता है, अगर मरा हुआ शख्स मुद्दई है तो कायम मुकाम उस के कुल हुकूक पावेगा, और अगर वह शख्स मुद्दायलेह रहा हो तो कायम मुकाम के सिर पर डिक्री के रुपे कुल जिम्मेदारी डाली जावेगी—पस देखना इस अमर का जरूर है कि जिस कानून के पाबन्द मरा हुआ शख्स हो उस की रू से उस की जायदाद का वारिस कौन होगा—मसलन, अगर मरा हुआ फरीक हिन्दू हो, तो, उस के वारिसों की दरयाफ्ती धर्म शास्त्र के मुताबिक की जावेगी—और अगर फरीक मजकूर मुसल्मान हो तो शरह मोहम्मदी लागू होगी

एक हिन्दू वारसन ने—(औरत जो वारिस थी) नालिश वास्ते दखल याबी कब्जा जायदाद जो अखीर मालिक नरीना की थी दायर किया—बाद दायरी नालिश उस औरत के मरने पर जैसे मालिक नरीने के वारसान, न कि औरत वारिस, "कायम मुकाम कानूनी" उस वारसन के हस्ब तारीफ दफा २ (११) के वास्ते पैरवी नालिश होंगे (अ ला. ज. जि ७ सफा ६६०)

हुक्म बमूजिब कायदा ५ आरडर २२ निस्बत तस्फिया ऐसे सवाल के कि फरीक़ मुतवफ्फी का कायम मुकाम कानूनी कौन है बतौर डिक्री के नये जाब्ता दीवानी के मुवाफिक न समझा जावेगा और न वह काबिल अपील होगा, गो वह पुराने जाब्ता दीवानी के मुवाफिक काबिल अपील था—एक फरीक नालिश सन १९०८ में मरा मगर हुक्म बमूजिब आरडर २२ कायदा ५ सन १९०९ में सादिर हुआ—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि हुक्म मजकूर ऐसा समझा जावे कि मानो वह नये जाब्ता दीवानी के मुवाफिक जारी हुआ और वह काबिल अपील न समझा जावेगा (इ के. जि १३ सफा ७०)

जो शख्स मुतवफ्फी के स्टेट के हिस्से में अपना दखल जमाता हो वह हस्ब मनशा दफा २ (११) उस मुतवफ्फी का कायम मुकाम कानूनी समझा जावेगा और वह जायदाद के उस कदर हिस्से का जवाबदार समझा जावेगा जितने हिस्से का वह काबिज हो—(ई. के जि० १२ सफा २४२)—

गाव के रिवाज के मुवाफिक अमराई मालिक के मरने के बाद और उस का कोई वारिस न होने के सबब गाव के जमींदार की हो गई—डिकरीदार ने अपनी डिकरी इजरा करते वक्त जो डिकरी कि असली मालिक अमराई पर हुई थी, जमींदार को मुतवफ्फी मालिक अमराई का कायम मुकाम कानूनी गरदाना—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि जमीदार मजकूर वैसा कानूनी कायम मुकाम नहीं गरदाना जा सक्ता (इ केस जिल्द २१ सफा ६६६).

(१२) "वासिलात जायदाद" से वह मुनाफा मुराद है जो जायदाद के काबिज नाजायज ने असल जायदाद से वसूल पाया हो या मामूली कोशिस से उससे वसूल कर सक्ता था, मय सूद ऊपर वैसे मुनाफा के—लेकिन इस में वह मुनाफा दाखिल नहीं है, जो उस तरक्की के सबब हुवा कि जिसे नाजायज कब्जा करने वाले शख्स ने किया हो.

तशरीह.—लफ्ज "वासिलात" की तारीफ पुराने मजमूआ की दफा २११ में दर्ज थी—इस नई तारीफ में अखीर के अलफाज बढ़ाये गये हैं.

वासिलात में जायदाद की वह आमदनी या मुनाफा शामिल होगा, जो बाद वजा करने खर्चा वगैरा के बच रहता है—उस में हरजा वगैरा शामिल नहीं है—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ८ सफा ३३२).

अजरूय कानून मियाद वासिलात की रकम सिर्फ तीन पिछले सालों के बाबत कब्ल दायरी नालिश के वसूल की जा सकेगी—(इ. ला रि कलकत्ता जि० १० सफा ७८९ प्रिवी कौंसिल).

बमूजिब मद १०९ जमीमा २ एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई० के मुद्दायलेह सिर्फ उसी कदर जर वासिलात का देनदार होगा जो उसने दायरी नालिश के पेश्तर तीन साल तक पाया हो या साथ कोशिस के पाता—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द २४ सफा ४१३)

दावा जर वासिलात का नही चल सकेगा जब कि कब्जा मुद्दायलेह बिलकुल नाजायज न रहा हो बलिके किसी हक के रू से रहा हो—(मदरास ला. जरनल जिल्द ६ सफा १९१).

हरजा पहुचाने वाला सिर्फ उस कदर हरजा का देनदार होगा कि जितना हरजा उसने पहुचाया है–(इ ला. रि कलकत्ता जिल्द २४ सफा ४१३)

जर वासिलात की रकम ठहराने के लिये अदालत को इस बात पर लिहाज न करना चाहिये कि नाजायज कबजा रखने वाल फरीक ने कितना मुनाफा वसूल किया था या उमदा इन्तजाम के साथ कितना वसूल कर सक्ता था बलिके इस बात का लिहाज करना चाहिये कि डिक्रीदार कितना मुनाफा वसूल कर सक्ता, अगर वह नाजायज तार पर बेदखल न किया जाता—(इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ४ सफा ८८२).

अगर किसी जमीन में काबिल फरोख्तगी इमारती लकड़ी बोई जाती है तो जो मुनाफा काबिज जमीन ने लकड़ी को काटकर और बेचकर हासिल किया हो वह बतौर जर वासिलात समझा जायगा—(मदरास ला जरनल जिल्द ८ सफा २७३).

लफ्ज "सूद" से वह सूद मुराद नहीं है जो बाद ठहराने रकम मुनाफा जो किसी डिक्री के रू से वाजबुल वसूल हो निकलता हो—सूद की रकम मुनाफा की रकम ठहराते वक्त अलहदा कायम की जाय—(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ३० सफा ५०७)

अगर किसी डिकरी में मुनाफा का जिक्र हो, मगर सूद का कुछ जिक्र न हो तो डिकरीदार मुनाफा पर सूद पाने का हकदार होगा उस वक्त तक जब तक कि वसा मुनाफा वह मदयून डिक्री से न पा ले (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ३३ सफा ३२६).

सूद का दिलाना या न दिलाना अदालत की मरजी पर है—(इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १० सफा ७८५)

सूद दर ६) रू० सैकड़ा सालाना दिलाया जाय—(इ ला रि. मदरास जिल्द १५ सफा २०३) और तारीख डिकरी से ३ साल जियादा का या अगर इस अरसा में कबजा हो गया हो तो कबजा के बाद न दिलाया जायगा (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द २७ सफा ६५१ प्रिवी कौंसिल).

जब अरजी दावी में मुनाफा की रकम अन्दाजन दर्ज की गई हो मगर उस से बड़ी रकम वाजिब पाई जावे तो डिकरी बड़ी रकम की जो वाजिब पाई जावे सादिर की जावेगी—(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ८ सफा २६५)

(१३) "जायदाद मनकूला" के लफ्जों में खड़ी फसल दाखिल है

इस लफ्ज की तारीफ नई है और काश्तकारी के फसल की कुरकी वो नीलाम के खास अहकामात के सबब से कायम की गई है—(देखो आर्डर २१ कायदा ४४-७४).

(१४) "हुक्म" से याजाब्ता जाहिर करना किसी फैसला अदालत दीवानी का मुराद है, जो डिकरी की किस्म से न होवे.

फर्क दरमियान हुक्म वो डिकरी—डिकरी से मुराद ऐसा फैसला है जिस से फरीकैन के हकूक निसबत कुल या चन्द अमूरात जिन का झगड़ा नालिश में था कतई तौर से तै हो जावे—इस से मतलब यह निकलता है कि डिकरी में तीन बातों का होना जरूर है, यानें :—

१ फैसला नालिश में दिया गया हो.

२ फैसला में फरीकैन के **हकूक** निसबत कुल या चन्द **अमूरात मुतनाजिया** मुकदमा तै किये गये हों

३ और वैसे हकूक उस फैसले से **कतई तौर पर** तै किये गये हों

जिस फैसला में ऊपर लिखी तीनों बातें मौजूद हों वह बतौर "डिकरी" के समझा जायगा और अगर यह तीनों बातें मौजूद न हों तो वह बतौर "हुक्म" के समझा जायगा, क्यों कि जितने फैसले बतौर डिकरी न होंगे वे बतौर हुक्म समझे जावेंगे—देखो तारीफ हुक्म—मुसम्मी (अ) ने बतौर मुफलसी नालिश दायर करने की इजाजत मिलने की दरखास्त दिया—दरखास्त इजाजत इस बिना पर नामञ्जूर की गई कि दरखास्त से मालूम हुआ कि मुसम्मी (अ) गरीब नहीं है, तो ऐसा फैसला बतौर डिकरी न समझा जायगा क्योंकि वह नालिश में फैसला नहीं दिया गया और क्योंकि दरखास्त सिर्फ नालिश करने की इजाजत के बारे में थी, न कि नालिश दायर की गई थी—[इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २१

सफा १२३).

जो दरख़्वास्त अजरूये एक्ट खैराती वक्फ (बत्तीस) जैसे मंदिर या मसजिद में कोई जमीन या खैरात लगा देना, इस मजमून की दी जावे कि उस वक्फ के अमानतदारों की कमेटी में जो जगह एक मेम्बर की खाली है उस पर कोई शख्स मुकर्रर किया जावे तो ऐसी दरखास्त का फैसला बतौर डिकरी न समझा जावेगा—(इं ला रि मदरास जिल्द ११ सफा २६).

(अ) ने (ब) पर नालिश की और (क) ने दरखास्त दी कि वह बतौर मुद्दई इस बिना पर बनाया जावे कि नालिश की झगड़े वाली चीज पर उस का हक है-(क) की दरखास्त ना मजूर की गई तो ऐसी दरखास्त का फैसला बतौर डिकरी न समझा जावेगा क्योंकि वह किसी ऐसे हक्क के बारे में नहीं है जिस का दावा (क) न करता अगर वह ऐसा मुद्दई करार दिया जाता—[इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १३ सफा १००]

मुद्दई को जब मालूम हुआ कि किसी जाब्ते के नुक्स से मै मुकदमा हार जाऊगा तो उसने मुकदमा उठाने की दरखास्त दिया और यह इजाजत मागी कि मै दूसरी नालिश दायर करूगा—उस को मुकदमा उठाने की और दूसरी नालिश दायर करने की इजाजत दी गई—ऐसा फैसला बतौर डिकरी न समझा जावेगा क्योंकि उस में हकूक फरीकैन का तसफिया निसबत अमूर मुतनाजा नालिश नहीं हुआ—इन का तसफिया दूसरी नई नालिश में होने के लिये छोड़ दिया गया—[इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द १७ सफा २७]. ख्याल रहे कि जो फैसले ऊपर दर्ज किये गये हैं मे काबिल अपील नहीं ठहराये गये

आया हुक्म खारजी बइल्लत अदम पैरवी बतौर डिकरी समझा जावे या न समझा जावे इस सवाल के निसबत बमूजिब मजमूआ सन १८८२ हाई कोर्टो की राय में इख्तिलाफ था, मगर नये एक्ट सन १६०८ की रू से ऐसा हुक्म खारजा बइल्लत अदम पैरवी लफ्ज "डिकरी" की तारीफ में दाखल नहीं होता—पस ऐसे हुक्म की अपील न होगी—अहकामात खिलाफ जमीनदारान (देखो दफा १४१) वो अहकामात निसबत कोर्ट फीस नालशात मुफलसी (देखो आर्डर ३३ कायदा १२) बतौर डिकरी के वो काबिल अपील समझे जायेंगे.

डिकरी इसदाई वो कतई की तशरीह:—(अ) ने (ब) पर नालिश वास्ते मसूखी दस्तावेज दायर किया— डिकरी सादिर की गई—ऐसी डिकरी बतौर कतई समझी जावेगी क्योंकि उस से नालिश का पूरा तसफिया हो गया

एक शरीकदार ने दूसरे शरीकदार पर नालिश वास्ते होने फिस्ख साझेदारी और वास्ते समझने हिसाब साझेदारी दायर किया—ऐसी नालिश में अदालत को अख्त्यार है कि पहले इसदाई डिक्री सादिर करे और फरीकैन के हिस्सा रसदी शेयर करार दे और हिदायत दे कि हिसाब इस तौर पर लिया जावे जैसा कि वह मुनासिब समझे, और हिसाब लेन के बाद अदालत कतई डिक्री भी सादिर कर सक्ती है जिस की रू से करजा साझेदारी की अदाई की निस्बत वो खरचा नालिश वो हिसाब समझने पर किस फरीक को कितना दिया जाना वाजिब है यह सब हुक्म दिये जा सके हैं-पस ऐसी नालिश में दोनों किस्म की डिक्री यानी पहले इसदाई और फिर पीछे से कतई जारी हो सक्ती है—(देखो आर्डर २० कायदा १५)

(अ) ने (ब) पर वास्ते दखलयाबी कुछ जायदाद गैर मनकूला वो मुनाफा की नालिश दायर किया—अदालत डिक्री वास्ते कब्जा जायदाद सादिर कर सक्ता है और मुनाफा की निस्बत तहकीकात होने का हुक्म दे सक्ता है—पस ऐसी नालिश में डिक्री कुछ तो कतई और कुछ इसदाई सादिर की जा सक्ती है—जहां तक डिकरी का ताल्लुक कब्जा दिलाने से है वह इसदाई समझी जायगी-बाद खतम होने तहकीकात अदालत निस्बत मुनाफा कतई डिकरी मुताबिक नतीजा तहकीकात के सादिर करेगी—(देखो आर्डर २० कायदा १२).

नीचे लिखी हुई नालिशों में इसदाई डिकरी जारी की जा सक्ती है:—

(१) नालशात वास्ते दिला पाने कब्जा जायदाद गैर मनकूला वो जर लगान या मुनाफा—(आर्डर २०, कायदा १२)

(२) नालशात मोहतमिमी—(आर्डर २०, कायदा १३)

(३) नालशात हकशफा (आर्डर २०, कायदा १४)

(४) नालशात वास्ते कराने फिस्ख साझेदारी (आर्डर २०, कायदा १५)

(५) नालशात वास्ते समझने हिसाब दरम्यान मालिक वो मुख्त्यार (आर्डर २०, कायदा १६)

(६) नालशात निस्बत बटवाड़ा जायदाद या उस के हिस्से पर अलेहदा कब्जा पाने की निस्बत (आर्डर २०, कायदा १८).

(७) नालशात निस्बत बैवाद रहन (आर्डर ३४, कायदा २ वो ३)

(८) नालशात निस्बत नीलाम जायदाद मरहूना (आर्डर ३४, कायदा ४ वो ५)

(९) नालशात निस्बत इनफिकाक रहन (आर्डर ३४, कायदा ७ वो ८)

इस नये जाब्ता दीवानी की दफा ९६ में यह हुक्म है कि कुल डिकरियां बकैद मुसतसनियात जो उस में दर्ज हैं काबिल अपील समझी जावेंगी—पस इब्तदाई डिकरी उसी तरह काबिल अपील होगी जैसे कि कतई डिकरी—दफा ९७ में यह भी हुक्म है कि अगर कोई फरीक, जिस को इब्तदाई डिकरी से रंज पहुंचा हो, वैसे डिकरी की नाराजगी से अपील न करेगा तो वह पीछे से कतई डिकरी की नाराजगी से जो अपील की जाय उस में इब्तदाई डिकरी की सचावट की निस्बत उजर करने से रोका जावेगा।

खारजी अर्जीदावा—हुक्म निस्बत खारजी दावा बतौर डिकरी समझा जावेगा और वह मिस्ल डिकरी काबिल अपील होगा—सिर्फ अपील ही करना उस फरीक को जिस का अर्जी दावा खारिज किया गया इलाज नहीं है बलकि वह उस नुक्स की दुरूस्तगी जिस के सबब से अर्जीदावा खारिज किया गया नया अर्जीदावा पेश करके कर सक्ता है—(देखो आर्डर ७, कायदा १३)—मगर जिन सूरतों में अर्जीदावे का खारिज करना लाजमी करार दिया गया है उन के लिये (देखो आर्डर ७, कायदा ११)

हुक्म निसबत वापसी अर्जीदावा:—अर्जीदावा वास्ते तरमीम वापिस दिया जा सक्ता है इस गर्ज से कि अदालत मजाज के रूबरू पेश किया जाय (आर्डर ७, कायदा १०)—हर हालत में ऐसा हुक्म बतौर डिकरी न समझा

जावेगा—हुक्म वापसी अर्जीदावा वास्ते पेश करने अदालत मजाज के पुराने एक्ट मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ की रू से काबिल अपील था—(देखो दफा ५८८ फिकरा ६) और वह इस नये मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १९०८ की रू से अब भी काबिल अपील है— देखो आर्डर ४३ कायदा १ फिकरा (अ)—मगर हुक्म वापसी अर्जीदावा वास्ते तरमीम अब हाल के जाब्ता दीवानी की रू से काबिल अपील नहीं है गो यह पुराने जाब्ता दीवानी की रू से काबिल अपील था—(देखो पुरानी दफा ५८८ फिकरा ६)

खारजी याददाश्त अपील—फैसला निस्बत खारजी याददाश्त अपील इस बिना पर कि यह बेरू मियाद है—(इ ला रि अलाहबाद जि. ७ सफा ४२) या उस पर काफी स्टाम्प नहीं लगाया है—(इ ला. रि अ जि ७ सन १८८७) या वह बाजाब्ता पेश नहीं किया गया (इ ला रि. मद्रास जि. १६ सफा २५८) बतौर डिक्री काबिल अपील होगा

हुक्म निस्बत वापसी याददाश्त अपील—हुक्म जिसके जरिये याददाश्त अपील वास्ते पेश करने अदालत मजाज वापस किया जावे काबिल अपील न होगा (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३१ सफा ३००)—और न हुक्म वापसी याददाश्त अपील वास्ते तरमीम काबिल अपील होगा

हुक्म खारिजी बइल्लत अदम पैरवी—आर्डर ९ कायदा ८ में यह हुक्म है कि जब तारीख पेशी पर मुदायलेह हाजिर होवे और मुद्दई हाजिर न होवे तो अदालत नालिश के खारिज किये जाने का हुक्म देगी—ऐसा हुक्म बतौर डिक्री न समझा जायगा और न वह काबिल अपील होगा—सन १८८२ के मजमूआ जाब्ता दीवानी के बमूजिब हाई कोर्ट मद्रास की यह राय थी कि वह फैसला बतौर हुक्म न कि बतौर डिक्री समझा जावेगा और इस लिये उसकी पहली या दूसरी अपील न होगी (इ ला रि मद्रास जिल्द २२ सफा२२१)—मगर दीगर हाई कोर्ट की राय यह थी कि वैसा फैसला बतौर डिक्री के काबिल अपील है (कलकत्ता वी नोट जिल्द ८ सफा ३१३, इ ला रि. बम्बई जिल्द १९ सफा २३, इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ९ सफा ४७७)—

इसी तरह आर्डर ४१ कायदा ११ (२) में यह हुक्म है कि अपील की तारीख पेशी पर अगर अपीलान्ट हाजिर न होवे तो अदालत अपील के खारजी

का हुक्म दे सक्ती है—ऐसा हुक्म डिक्री की तारीफ में दाखल नहीं होगा इस लिये वह काबिल अपील न होगा—मगर सन १८८२ ई० के मजमूआ जाब्ता दीवानी के बमूजिब कलकत्ता वो बम्बई हाई कोर्ट की राय थी कि वैसा हुक्म खारजी अपील (हस्ब दफा ५५१) बतौर डिक्री वो काबिल अपील के समझा जावेगा —(इ. ला रि. कलकत्ता जि० ३० सफा ६६०. इ ला. रि बम्बई जि० १६ सफा २३)—मगर हाई कोर्ट अलाहआद की राय थी कि वैसा हुक्म बतौर डिक्री के नहीं समझा जा सक्ता (इ ला. रि अलाहबाद जि० १४ सफा ३११)—

आर्डर ६ कायदा ३ में यह हुक्म है कि मुकदमा की पुकार के वक्त अगर कोई फरीक हाजिर न हो, यानी न मुद्दई और न मुद्दायलेह, आवे तो अदालत नालिश की खारजी का हुक्म देगी—ऐसा हुक्म बतौर डिक्री न समझा जावेगा और न वह काबिल अपील होगा—

हुक्म खारजी अर्जीदावा इस बिना पर कि नालिश नाबालिग के वली ने वली के फायदा के वास्ते दायर नहीं किया बतौर डिक्री समझा जावेगा और काबिल अपील होगा (ला. वी जि०१ सफा ८७५)—

हुक्म बमूजिब आर्डर ७ कायदा ११ (ब) निस्बत खारजी अर्जीदावा इस बिना पर कि रसूम अदालत पूरा नहीं लगाया गया बतौर डिक्री वो काबिल अपील तसव्वर होगा—(इ के जि० २५ सफा ५६५)—

(१५) "प्लीडर" (वकील) से वह शख्स मुराद है जो किसी दूसरे शख्स की तरफ से अदालत में हाजिर होने और सवाल जवाब करने का मुस्तेहक होवे और उसमें हाई कोर्ट का एडवोकेट, और वकील वो अटरनी भी शामिल है

तशरीह:—मुख्तार मजाज वो दीगर लोग बजरिये वकालतनामा वकीलों को वास्ते पैरवी मुकदमा के मुकर्रर कर सक्ते हैं —(वी रि. जि० ७ सफा ४८१)—दरखास्तें इजराय डिक्री की बतौर जुज कार्रवाई मुकदमा के समझी जावेंगी इस लिये जब तक मुकदमा की कुल कार्रवाई आखीर तक खतम न हो जावे तब तक वकालतनामा का असर कायम रहता है(इ ला रि बम्बई जि० २० सफा १९८)—

एक वकील अपनी तरफ से दूसरे वकील को वास्ते पैरवी मुकदमा के मुकर्रर कर सकता है (इ. ला रि अलाहबाद जि० ६ सफा ६१३ वो बम्बई जि० २२ सफा ६५४)—

अजरूये मजमूआ जाब्ता दीवानी जो अखत्यार किसी वकील को वास्ते हाजरी या कार्रवाई मुकद्मा रूबरू अदालत दीवानी के दिया जावे वह तहरीरी होना चाहिये (इ ला रि अलाहबाद जि० १६ सफा २४०)—

जब कोई वकील किसी अमर वाकेआ के निस्बत कोई बयान या इकबाल अदालत में पेश करे तो उसके मवक्किल पर ऐसे बयान की पाबन्दी लाजमी होगी (बी रि जि० ६ सफा ४८५)—मगर मुकदमा फौजदारी में ऐसी पाबन्दी जायज न होगी (बी. रि जि. १७ सफा ४६ फौजदारी)—

लेकिन किसी अमर कानूनी के निस्बत जो बयान वकील लिखावें उसकी पाबन्दी उसके मवक्किल पर न होगी (कलकत्ता वी नोट जि० ३ सफा २२२)—

राजीनामा देने का अखत्यार—अटरनी या सालीसिटर अपने मवक्किल की तरफ से राजीनामा कर सक्ता है बशर्ते कि उसका वैसा करना नेक नियती के साथ होवे (जगन्नाथ—बनाम—रामदास बंगाल हाई कोर्ट जि० ७ सन १८७०)—कौंसिल (वकील, मुशीर) भी राजीनामा कर सकता है (केम्पशल बनाम—हालेन्ड सन १८६५, १४ आर एम ३३६)—मगर प्लीडर (वकील) अपने मवक्किल की तरफ से राजीनामा बगैर मंजूरी सरीह (साफ तौर पर) मवक्किल के नहीं कर सक्ता (इ. ला रि मद्रास जि० २१ सफा २७४)—

जिस वकील का जाती मुकदमा हो यानी जिसने नालिश खुद दायर की हो या जो नालिश उस पर उसकी निजी हैसियत से चली हो तो वह अदालत में एडवोकेट की मेज पर से या अपना लिबास वकीली पहने हुए बहस करने का मजाज न होगा—(इ ला रि अलाहबाद जि० ६ सफा १८०)—

वकील की मुकर्ररी के लिये देखो आर्डर ३ कायदा ४—वकील से खर्चा वसूल होने का हुक्म कब हो सक्ता है इसके लिये देखो आर्डर ३२ कायदा ५ (२)—बेरिस्टर अपनी फीस पाने की नालिश नहीं दायर कर सक्ता न बेरिस्टर पर वास्ते दिलाने वापिस फीस के नालिश मवक्किल की तरफ से चल सक्ती है

(इ. ला. रि अलाहबाद जि० २५ सफा ५६ इजलास कामिल)—

वकील अपनी तरफ से दूसरा वकील मुकर्रर कर सक्ता है—(इ. ला. रि. अलाहबाद जि० ६ सफा ६१३)—

वकील अपनी जिम्मेदारी से लिखा पढ़ी का काम अपने मुन्शी को सिपुर्द कर सक्ता है—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि० १५ सफा ६३८)—

अदालत वकील को अपने मवक्किल की तरफ से ऐसे मामला की निस्बत शहादत देने की इजाजत नहीं देगी जो उसको उसके मवक्किल ने वकील मुकर्रर करने के पहले बतलाया हो (बम्बई ला. रि. जि० ६ सफा १०४४)—

अगर वकील बिला इजाजत अपने मवक्किल के दावा के कुछ हिस्सा को छोड़ दे तो ऐसा छोड़ना मवक्किल को पाबन्द न करेगा—(बंगाल ला. रि अपील जि० ३ सफा १५)—वकील को यह भी अखत्यार नहीं है कि फरीक सानी की कसम खाने पर मुकदमा को तसफिया करे—(इ. ला. रि. बम्बई जि० १४ सफा ४५५)—

जो खुफिया (राजदारी भेद) की बातें मवक्किल ने अपने वकील को उसकी हैसियत वकालत से बतलाई हों उनको वकील जाहर नहीं कर सक्ता जब कि वह दूसरे की तरफ से वकील न हुआ हो —(इ. ला. रि. बम्बई जि० १२ सफा ८५-६१)—

जब वकील ने कोई मुकदमा लिया हो तो वह अपने मवक्किल पर अपनी फीस की निस्बत नालिश नहीं कर सक्ता जब तक कि मुकदमा खतम न हो जावे बशर्ते कि माहदा इस के खिलाफ न हुआ हो—(मद्रास हाई कोर्ट रि. जि० ६ सफा २६५)—

अगर कोई माहदा तहरीरी न भी हुआ हो तो भी वकील अपनी फीस मवक्किल से पाने का मुस्तहक है—(इ. ला. रि. अलाहबाद जि० १२ सफा ११६)—माहदा फीस जो कायदा से ज्यादा हो नाजायज होगा—(इ. ला. रि. मद्रास जि० १६ सफा २६८)—

जो वकील अपने मुखत्यार को कमीशन देवे वह बद अमालगी का कसूरवार होगा (बंगाल ला. रि. जि० ११ सफा ३१२)—

अगर किसी वकील को जुर्म फौजदारी में सजा हो गई हो तो इससे यह

जरूर नहीं है कि वह वकालत करने के लायक नहीं रहा–(इ ला रि. अलाहबाद जि० ७ सफा २९०)—जो वकील बगैर सलाह अपने मवक्किल के अपनी तरफ से बयान करे वह बद अमालगी का कसूरवार होगा–(वी रि. जि० २९ सफा ३६०)—

अगर वकील ऐसे कागजात का इस्तेमाल करे जो मवक्किल ने उसको हवाले किये, हों बद अमालगी का कसूरवार न होगा गो वैसे कागजों को मवक्किल ने गैर वाजिब जरियों से हासिल किये हों–(इ ला रि कलकत्ता जि० १० सफा २५६)—अगर वकील मुकदमा में बहेस करने से इस बिना पर इकार करे कि वह तईय्यार नहीं है तो वह अपने काम में गफलत करने का जवाबदार ठहराय जाने के लायक होगा (वी रि जि० १५)—

(१६) "मुकर्रर" से मुकर्रर अजरूय कवायद मुराद है

"कवायद" की तारीफ के लिये देखो फिकरा (२, १८)—

(१७) "उहदेदार सरकारी" से मुराद है हर वैसा शख्स जो नीचे लिखे हुए किस्मों मे से किसी किस्म मे दाखिल हो, यानीः—

(क) हर जज्ज

(ख) हर मेम्बर इंडियन सिविल सरविस का,

(ग) हर कमीशन पाया हुआ या गजट किया हुआ उहदेदार आला जो बादशाह मुअज्जम की फौज दरयाई या जमीन की नौकरी में होवे, जिसमें शाही इनडियन मरीन सरविस दाखिल है, जब कि वह गवनमेंट के हुकूमत के मातेहत में खिदमत करता हो

(घ) अदालत इन्साफ का हर एक अहेलकार जिस को बहैसियत अपने उहदा के किसी अमर कानूनी या अमर वाकेआती की तहकीकात करना या किसी दस्तावेज का तैयार या तसदीक करना या अपने पास रखना या किसी जायदाद का इहतेमाम लेना या कबजा से अलाहिदा करना या किसी हुकमनामा अदालत की तामील करना या किसी को हलफ देना या एक

(इ ला. रि अलाहबाद जि० २५ सफा ५६ इजलास कामिल

वकील अपनी तरफ से दूसरा वकील मुकर्रर कर स—
अलाहबाद जि० ६ सफा ६१२)—

वकील अपनी जिम्मेदारी से लिखा पढ़ी का काम
कर सक्ता है–(इ ला रि. कलकत्ता जि० १५ सफा ६३८)

अदालत वकील को अपने मवक्किल की तरफ से ऐसे
शहादत देने की इजाजत नहीं देगी जो उसको उसके मवक्किल
करने के पहले बतलाया हो (बम्बई ला. रि जि० ६ सफा १०४

अगर वकील बिला इजाजत अपने मवक्किल के दावा को
छोड़ दे तो ऐसा छोड़ना मवक्किल को पाबन्द न करेगा—(ब
अपील जि० ३ सफा १५)—वकील को यह भी अख्त्यार नहीं है कि
की कसम खाने पर मुकदमा का तसफिया करे—(इ. ला रि
१४ सफा ४५५)—

जो सुफिया राजदारी भेद) की बातें मवक्किल ने अपने वकील
हमियत वकालत से बतलाई हों उनको वकील जाहर नहीं कर सक्ता जब
दूसरे की तरफ से वकालत हुआ हो —(इ ला रि बम्बई जि० १२ सफा ८५

जब वकील ने कोई मुकदमा लिया हो तो वह अपने मवक्किल पर
फीस की निस्बत नालिश नहीं कर सक्ता जब तक कि मुकदमा खतम न हो
बशर्ते कि माहदा इस के खिलाफ न हुआ हो—(मद्रास हाई कोर्ट रि
६ सफा २६५)—

अगर कोई माहदा तहरीरी न भी हुआ हो तो भी वकील अपनी
मवक्किल से पाने का मुस्तहक है–(इ ला रि अलाहबाद जि० १२ स
१६६)—माहदा फीस जो कायदा से ज्यादा हो नाजायज होगा–(इ ला
मद्रास जि० १६ सफा २६८)—

जो वकील अपने मुख्त्यार को कमीशन देवे वह बद अमाली का कसूरवार
होगा (बंगाल ला. रि जि० ११ सफा ३१२)—

अगर किसी वकील को जुर्म फौजदारी में सजा हो गई हो तो इससे यह

जरूर नहीं है कि वह वकालत करने के लायक नहीं रहा—(इ ला रि. इलाहाबाद जि० ७ सफा २६०)—जो वकील बगैर सलाह अपने मवक्किल के अपनी तरफ से बयान करे वह बद अमालगी का कसूरवार होगा—(वी रि. जि० २९ सफा ३६०)—

अगर वकील ऐसे कागजात का इस्तेमाल करे जो मवक्किल ने उसको हवाले किये, हों बद अमालगी का कसूरवार न होगा गो वैसे कागजों को मवक्किल ने गैर वाजिब जरियों से हासिल किये हों—(इ ला रि. कलकत्ता जि० १० सफा २५६)—अगर वकील मुकदमा में बहेस करने से इस बिना पर इन्कार करे कि वह तईय्यार नहीं है तो वह अपने काम में गफलत करने का जवाबदार ठहराये जाने के लायक होगा (वी. रि जि० १५)—

(१६) "मुकर्रर" से मुकर्रर अजरूय कवायद मुराद है.

"कवायद" की तारीफ के लिये देखो फिकरा (२, १८)—

(१७) "उहदेदार सरकारी" से मुराद है हर वैसा शख्स जो नीचे लिखे हुए किस्मों में से किसी किस्म में दाखिल हो, यानीः—

(क) हर जज्ज

(ख) हर मेम्बर इंडियन सिविल सरविस का;

(ग) हर कमीशन पाया हुआ या गजट किया हुआ उहदेदार आया जो बादशाह मुअज्जम की फोज दरयाई या जमीन की मातहती में होवे, जिसमें शाही इनडियन मरीन सरविस दाखिल है, जब कि वह गवर्नमेंट के हुकूमत के मातेहत में खिदमत करता हो

(घ) अदालत इन्साफ का हर एक अहेलकार जिस का बहैसियत अपने उहदा के किसी अमर कानूनी या अमर अहेवाली की तहकीकात करना या किसी दस्तावेज का तैयार या दरजदीक करना या अपने पास रखना या किसी जायदाद का दखल लेना या कबजा से अलाहिदा करना या किसी अदालत की तामील करना या किसी को हलफ देना

जबान से दूसरे जबान में तर्जुमा कर बताना या अदालत के आदाब का इन्तजाम रखना जरूर है, और हर शख्स जिस को ऊपर लिखी खिदमतों में से किसी खिदमत के करने का अख्त्यार खास करके अदालत इन्साफ की तरफ से दिया गया हो

(ड) हर शख्स, जो ऐसा उहदा रखता हो जिस के एतबार से किसी को कैद करने या कैद में रखने का अख्त्यार उस को हासिल हो

(च) हर उहदेदार सरकारी जिस पर उस के उहदे के एतबार से वाजिब है कि वह जुरमों की रुकावट करे या जुरमों की इत्तला देवे या मुजरिमों को सजा दिलवाय या आम लोगों की तनदुरुस्ती या सलामती या आराम की हिफाजत करे

(छ) हर उहदेदार जिस पर उस के उहदे के एतबार से वाजिब है कि सरकार की तरफ से कोई माल ले, या हासिल करे, या रखे, या खर्च करे या सरकार की तरफ से कोई पैमायश या तशखीस, या कोई मोहदा यानी ठहराव करे, या सीगा माल के किसी हुक्मनामे की तामील करे या जर यानी रूप्या पैसा के ताल्लुक सरकारी गरजों की तहकीकात करे या कैफियत लिखे या कोई दस्तावेज जो सरकारी गरज मुताल्लुक जर से इलाका रखती हो तैयार या तसदीक करे या अपने पास रखे या जो कानून सरकारी इगराज मुताल्लुक जर की हिफाजत के लिये जारी है उस से वरखिलाफी न होने दे

(ज) और हर उहदेदार जो सरकार की नौकरी करता या सरकार से तनखाह पाता हो या जो सरकारी नौकरी करने के बदले में उजरत बजरिये फीस या कमीशन के पाता हो

तशरीह —सरकारी अमानतदार इस दफा की मनशा के मुताबिक उहदेदार सरकारी में दाखिल है—(इ ला रि मदरास जिल्द १२ सफा २५०, वो जिल्द ७ कलकत्ता सफा ४९९)

साहेब कलेक्टर कि जो किसी नाबालिग या शख्स नालायक की जायदाद

का इतजाम बहैसियत कोर्ट आफ वार्डस के करते हों, उहदेदार सरकारी तसौव्वर किये जावेंगे—(इ. ला रि अलहाबाद जि. १ सफा २० वो बम्बई जि. १ सफा ३१८)

कोर्ट आफ वार्डस की तरफ से जो मेनेजर या मोहितमिम मुकर्रर किया जाव वह सरकारी मुलाजिम होगा—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २१ सफा १२७).

पैमायश करने वाला अमीन, जो मोहकमा खास महेल में साहेब कलेक्टर की तरफ से मुकर्रर किया जावे, सरकारी मुलाजिम समझा जावेगा—(इ. ला. रि कलकत्ता जि, २६ सफा १५८).

जो पियादा यानी मजकूरी या चपरासी नाजिर के हुक्म से गिरफ्तारी वारट की तामील करता हो, वह सरकारी नौकर कहा जावेगा—(इ ला रि कलकत्ता जि० २२ सफा ७५६)—

जो शख्स तनखाह से या बिला तनखाह अपने ऊपर सरकारी उहदेदा की खिदमत अंजाम देने का काम मजूर करे वह बतौर सरकारी उहदेदार समझा जावेगा—(इ ला रि कलकत्ता जि० ३ सफा ४१७)—

कोर्ट आफ वार्डस का चपरासी सरकारी उहदेदार तसौव्वर नहीं किया जावेगा-(इ ला रि मद्रास जि० ७ सफा १७)—

फिकरा १७ (क) में जो अलफाज "जब कि वह गवर्नमेंट की हुकूमत, के मातेहत में खिदमत करता हो" आये हैं इनसे यह मुराद है कि वह अफसर जिससे वैसे लफ्ज ताल्लुक रखते हैं अभी तक सरकारी नौकरी में तैनात होवे यानी वह पिनशन पर न बैठाल दिया गया हो—उससे यह मुराद नहीं है कि अफसर सिर्फ गवर्नमेंट के किसी सीगा सिविल में सीगा जगी (मिलेटरी) को छोड़ कर मुलाजिम है—मतलब यह है कि जगी अफसरान भी शामिल हैं—जो अफसरान वसीगा मातहती डाकटरी हिन्द में कमीशन पाये हुए हैं वे भी हस्ब मनशा दफा २ (१७) उहदेदार सरकारी हैं और लफ्ज "गवर्नमेंट" में गवर्नमेंट आफ इन्डिया वो लोकल गवर्नमेंट दोनों दाखल हैं (अवध केस जि० १७ सफा ६६)—

(१८) 'कवायद' के लफ्ज से वे कायदे और नमूने मुराद हैं जो जमीमा अव्वल में दर्ज हैं या जो बमूजिब दफा १२२ या दफा १२५ के बनाए गये हों।

(१९) "सनद पाई हुई जमाअत का हिस्सा" इन लफ्जों मे स्टाक और डिबेंचर स्टाक, वो डिबेंचर या बांड शामिल समझे जावेगे, और—

(२०) लफ्ज "दस्तखती" में, सिवाए दर सूरत फैसला या डिकरी के, ठप्पे से किया हुवा दस्तखत भी शामिल है—

लफ्ज दस्तखती के लिये देखो दफा ३ (५२) एक्ट आम जिमन नं. १० सन १८९७ ई०

दस्तखत में छोटे दस्तखत शामिल नहीं है—(इ ला. रि कलकत्ता जि० २३ सफा ८१६) मगर बमुकदमा (इ ला रि अलाहबाद जि० ८ सफा २९३ हाई कोर्ट अलाहबाद ने यह तजवजि करार दी कि दस्तखत में छोटे दस्तखत शामिल है—हस्ब मनशा दफा ५० एक्ट जानशीनी न १० सन १८६५ दस्तखत में निशानी दाखल न होगी मगर बर्गज दफा ५९ एक्ट इन्तकाल जायदाद न. ४ सन १८८२ वो दफा ६८ एक्ट शहादत न १ सन १८७२ दस्तखत में निशानी करना दाखल है—(कलकत्ता वी नोट जि० २ सफा ६०३ वो ६०५)—

दफा ३. इस मजमूआ की गरजों के लिये अदालत जिला मातेहती अदालत. अदालत हाई कोर्ट की मातेहत है, और हर एक अदालत दीवानी जिस्का दरजा अदालत जिला से कम होवे और हर एक अदालत खफीफा, अदालत हाई कोर्ट और अदालत जिला दोनो के मातेहत होगी—

तशरीह:—हर एक मुल्क यानी प्रान्त के वास्ते गवर्नमेंट की तरफ से एक हाई कोर्ट, और जहा हाई कोर्ट नहीं है वहा चीफ कोर्ट या जुडिशियल कमिश्नर की अदालत कायम की गई है—ऐसे हर प्रान्त में कुल अदालतें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला की सब से बड दरजा की अदालत के मातहत रहेगी—

पुराने एक्ट की दफा २ "अदालत जिला" से मिलान करो—

छोटा नागपूर में अदालत जुडिशियल कमिश्नर, न कि अदालत डिपटी कमिश्नर, अदालत जिला समझी जावेगी—(इ ला. रि. कलकत्ता जि० १६ सफा १३)—

दफा ४. (१) दरसूरत न मौजूद रहने कोई खास हुक्म बचत **खिलाफ इस्के, इस मजमूआ की कोई इबारत, किसी खास या मुकामी कानून को जो अभी जारी है, या किसी खास अख्त्यार के निसबत जो अता किया गया हो, या किसी जाब्ता खास मुकर्रर किया हुवा अजरूय किसी दूसरे कानून चालू को, रूकावट नहीं करेगी या और तरह पर असर नहीं पहुंचावेगी**

(२) खास कर और बगैर इसके कि जिमन (१) मे लिखा हुवा मजमून की उमूमियत मे किसी तरह का फर्क आए, कोई चारा जोई जो जिमींदार या मालिक जमीन किसी कानून रायजुलवक्त के बमूजिब निसबत वसूली जर लगान जमीन जोत के जमीन मजकूर की पैदावार से रखता हो, उस में (यानी चाराजोई में) इस मजभूआ की कोई इबारत न रुकावट करेगी, और न असर रखेगी.

तशरीह—यह पूरी दफा इस मजमूआ में नए सिरे से कायम की गई है

इस दफा के मायनी यह है कि अगर इस मजमूआ जाब्ता दीवानी की कोई इबारत किसी कानून खास या मुकामी की इबारत के खिलाफ पाई जाय तो वैसे खास या मुकामी कानून के खिलाफ अहकामात को रद्द करार देने के लिये इस जाब्ता दीवानी को तरजीह न दी जावेगी जहा तक कि वे अहकामात खिलाफ पाये जावें—(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द १३ सफा २२१)

अगर निस्बत नालिश जिसका जिक्र इस दफा की मातहती दफा (२) में है कोई खास कार्रवाई किसी कानून की रू से मुकर्रर की गई है तो वैसे कानून पर इस मजमूआ के अहकाम का कुछ असर न पड़ेगा मगर यह नहीं कहा जा सक्ता है कि ऐसी नालिशात में यह मजमूआ लागू नहीं होता—(मद्रास

दफा ७ नीचे अहकामात उन अदालतों से ताल्लुक नहीं
अदालत खफीफा मुल्की. रखेंगे जो एक्ट अदालतहाय खफीफा मुल्की सन १८८७ ई० (न. ६ सन १८८७ ई०) की रू से कायम की गई हो या उन अदालतों से जो अदालत खफीफा के अख्त्यारात अजरूय एक्ट मजकूर अमल में लाती हो, यानी

(क) इस मजमूआ का उस कदर हिस्सा, जो
(१) उन नालिशात से ताल्लुक रखता हो कि जो अदालत खफीफा के अख्त्यार से माफ कर दी गई है
(२) ऐसी नालिशात में कार्रवाई इजराय डिगरी
(३) कार्रवाई इजराय डिगरी निस्बत जायदाद गैर मनकूला और

(ख) नीचे लिखी दफाए यानी —
दफा ९
दफा ९१ वो ९२
दफा ९४ वो ९५ जहा तक कि वे हुक्म इस्तनाई वो अहकाम दर मियानी से ताल्लुक हो वो
दफा ९६ से ११२ तक और दफा ११५

तशरीह:—यह दफा सन १८८२ की पुरानी दफा ५ के मुआफिक है.

ऐसा करजा जिस्की निस्बत रहननामा लिखवाया गया हो बगर्ज अहकामात मुताल्लिक कुरकी जायदाद गैर मनकूला बतौर जायदाद गैर मनकूला नहीं समझा जावेगा—(इ केस जिल्द १६ सफा ६१६)—

दफा ८ सिवाय उस के कि जैसा दफा २४, ३८ से ४१
अदालत खफीफा वाके तक, वो दफा ७५ जिमन (क)(ख)(ग) वो दफा
शहर प्रेसीडन्सी ७६, ७७ वो १५५ से १५८ में वो बजरिये एक्ट अदालत प्रेसीडन्सी सन १८८२ (नं. १५ सन १८८२ ई०) के हुक्म है, इस मजमूआ के अहकामात किसी अदालत खफीफा वाके शहर कलकत्ता वो मदरास वो बम्बई के किसी मुकदमा या कार्रवाई से मुताल्लुक न होंगे

तशरीह:—यह दफा मुताबिक पुरानी दफा ८ के हैं—

हिस्सा--१.

नालिशात आम तौर के बारे में अख्त्यार समाअत अदालत हाय वो रेस जुडी केटा यानी निजा फैसल शुदा

नालिशात जिन के सुने जाने की मुमानियत है उन को छोड़कर नालिशात दीवानी काबिल तजवीज अदालत है.

दफा ६. बपाबन्दी उन अहकामात के जो इस मजमूआ में दर्ज हैं अदालतों को सिवाय उन नालिशात के जिन के सुनाई की साफ तौर पर या मानवी (यानी मतलब से) तरह से मनाई है तमाम नालिशात किस्म दीवानी की तजवीज का अख्त्यार हासिल है.

समझावना—जिन नालिशात में झगड़ा बाबत हक्क जायदाद या हक्क किसी उहदा के हो वह नालिश दीवानी के किसम में है चाहे वह हक्क बिलकुल तजवीज अमूरात निसबत रसम या रिवाज मजहबी पर मुनहसर होवे.

तशरीह:—पुराने एक्ट की दफा १० इस नये मजमूआ के रू से मसूख की गई है यह दफा पुरानी दफा ११ के मुआफिक है—

नालिश बाबत हरजा यानी नुकसानी इस बिना पर कि मुदई के विधवा वियाह करने की वजह से मुदायलेह ने उसे मंदिर यो जात से खारिज कर दिया काबिल सुनाई के होगी—ऐसी नालिश में मुदई दादरसी बाबत हुक्म इम्तनाई इस मजमूआ का भी शामिल कर सक्ता है कि मुदायलेह मुदई के साथ मंदर में जाने से रोक टोक न करे—(इं. ला. रि. मद्रास जि० १३ सफा २६३ इं. ला. रि बम्बई जि० २३ सफा १२२)—

मगर कोई नालिश बाबत हर्जा इस बिना पर कि जात बिरादरी के कायेदा की तामील न करने की वजह में मुद्दई जात से खारिज किया गया सुनाइ के लायक न होगी—(इ ला. रि बम्बई जि० १५ सफा ५९९)—

मुसलमानों में खासिब यानी-वाज करने वाला के उहदा पर कायम रहने का हक ऐसा है जो जात बिरादरी के सवाल से कुछ ताल्लुक नहीं रखता है- इस लिये ऐसे उहदा पर हक कायम कराने की बाबत नालिश अदालत दीवानी में दायर हो सकेगी—(इ.ला रि. बम्बई जिल्द १३ सफा ४२९)—

नालिश दीवानी वास्ते तसफिया कराने इस अमर के दायर हो सकेगी कि आया मुद्दई का जात बिरादरी के कवायद की तामील न करने की वजह से बिरादरी से खारिज किया जाना जायज है या नहीं–(इ ला. रि मद्रास जि० १० सफा ११३)–

नालिश इस मजमून की कि शादी के माहदा यानी ठहराव की जबान तामील कराई जावे, दीवानी अदालतों में सुनाई के लायक न होगी–(वं. रि. जि० २४ सफा ३८०)

नालिश दिला पाने हरजा बवजह तोड़ने माहदा सगाई वो वापस मिलने रूपया जो उसके रू से किया गया हो काबिल सुनाई के होगी (इ. ला. रि बम्बई जि० ११ सफा ४१२)—

नालिश किस तरह दायर करना चाहिये (देखो दफा २६)

कार्रवाई हस्ब दफा ४७ इस दफा की गरज के लिये बतौर नालिश नहीं समझी जावेगी—(इ ला रि मद्रास जिल्द २२ सफा २५६)–

किस्म दीवानी:—समझावना के पढ़ने से यह मालूम होगा कि लफ्ज "दीवानी" बमुकाबले रसम या रिवाज, " मजहबी " (धर्म) इस्तेमाल किया गया है मगर यह मतलब नहीं है–असल में लफ्ज "दीवानी" बमुकाबले" फौजदारी " इस्तेमाल किया गया है—

अदालत दीवानी को ऐसी नालशात सुनने का अख्तयार नहीं है जो सिर्फ मजहबी रसम या रिवाज से ताल्लुक रखती है लेकिन अगर दरमियान फरीकैन

दीवानी किस्म के हकूक का तसफिया करने के लिये वैसे मजहबी रसूम या रिवाज की तहकीकात करना जरूर होवे तो अदालत वैसी तहकीकात करेगी-(इ. ला. रि मदरास जि० ३० सफा १५)-

नालिश वास्ते दखलयाबी जयदाद अदालत दीवानी में चल सकेगी गो उसके तसफिया करने में जात बिरादरी के सवालात पैदा हों-(इ ला रि बम्बई जि० ११ सफा ५३४)

नालिश निस्बत उहदा:—यह जरूर नहीं है कि उहदा के साथ उस की कुछ उजरत या तनखाह हो (इ ला. रि कलकत्ता जि० १५ सफा १६२)-

दावा निस्बत उहदा जात (जैसे मुखिया जात) और निसवत करने दावा कि वैसे उहदा का काम बिला तनखाह अजाम देने का मुद्दई मुस्तहक है अदालत दीवानी में न चल सकेगा—(इ. ला. रि बम्बई जि० ६ सफा ७२५)

नालिश निसबत उहदा मजहबी जिसके साथ कोई तनखाह मुकर्रर नहीं है चल सकेगी-(इ. ला रि. बम्बई जि० १३ सफा ४२९)-मगर ऐसी नालिश नहीं चल सकेगी जिसमें मुद्दई इस अमर के इस्तकरार हक की नालिश दायर करे कि वह ऐसे मौरूसी प्रोहिती के उहदा पाने का हकदार करार दिया जावे जो किसी मंदिर के ताल्लुक न हो और उस उहदा के साथ कोई रकम नगदी न लगी हो—(इ ला रि. मदरास जि० १९ सफा ६२)

खानदान का एक मेम्बर दूसरे मेम्बर पर इस अमर के इस्तकरार हक वो वसे हक की तामील के वास्ते नालिश दायर कर सक्ता है कि दरख्त के नीचे जो लोग पूजा करते हैं उनकी पूजा के वक्त उसको प्रोहती करने का मौरूसी हक हासिल है [इ ला रि कलकत्ता जि० २७ सफा ३०] नालिश इस बात की चल सकेगी कि जो लोग रामेश्वर जी तीर्थ को जावें उनकी प्रोहती करने का पूरा हक बिला दखल दूसरे के मुद्दई को हासिल है [मूर्स इ अपील जि० ९ सफा ३४८]

अगर जात का मौरूसी प्रोहित अपनी तरफ से किसी दूसरे शख्स को जात के मजहबी रसूम अदा कराने के लिये मुकर्रर करे मगर जात वाले वैसे मुकर्रर किये हुए शख्स से अपने रसूम कराने से इंकार करे तो वैसा मुकर्रर किया हुआ शख्स हुक्म इमतिनाई वो हरजाना की नालिश दायर नहीं कर सकेगा [इ.

ला. रि. बम्बई जि० २० सफा ७८४]—

मुद्दई इस बात के इस्तकरार हक की नालिश नहीं दायर कर सक्ता कि वह मुद्दायलेह की प्रोहिती करने का हकदार करार दिया जावे और न वह ऐसे हर्जा का दावा कर सक्ता है जो मुद्दायलेह के दूसरा शख्स प्रोहित मुकर्रर करने के सबब से मुद्दई को पहुंचा (इ. ला. रि मद्रास जि० ७ सफा ४२४)—

जिस नालिश में दावा किसी उहदा के महेनताना पाने का न हो मगर दावा सिर्फ वेद के मन्त्र उच्चार करने का हो वह नहीं चल सकेगी—(इ. ला. रि. बम्बई जि० ४ सफा २५४) —

गांव के जोशी की नालिश चल सकेगी जो अपने मौरूसी हक की रूसे अपने जजमान के मकान पर धर्म सम्बन्धी [मजहबी] रसूम अदा करने का हक रखता है (इ ला. रि बम्बई जि० १४ सफा १६७)—

वतनदार का हक करार दिये जाने की नालिश नहीं चल सकेगी —(इ. ला. रि बम्बई जि० ४ सफा २५४)—

इस अमर के इस्तकरार हक की नालिश नहीं चल सक्ती कि मुद्दई चंद गांव का "चौधरी" है और यह कि मुद्दायलेह चौधराहट यानी चौधरी की महेनताना लेने का हकदार नहीं है (इ. ला रि अलाहाबाद जि० २९ सफा ६८३)—

इस बात की नालिश कि एक फलाना खास प्रोहित लगाया जावे और उसके सिवाय दूसरे से काम न लिया जावे नहीं चल सकेगी—(कलकत्ता वी नोट जि० ११ सफा १४७)—

नालशात निस्बत शादी — नालिश इस बात की कि हिन्दू शादी नाजायज करार दी जावे दीवानी के किस्म की समझी जावेगी—(बंगाल ला. रि जि० ६ सफा २४३)—इसी तरह इस अम्र की नालिश दीवानी के किस्म की समझी जावेगी कि मुद्दायलेह मुद्दई की जौजा (औरत) नहीं है और यह कि जो बच्चा उसके पेट से पैदा हुआ और जिसको औरत अपने खाविन्द का बतलाती है वह दरअसल उसके खाविन्द का नहीं है -(इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द.२० सफा १६)—

सगाई की नालिश नहीं चल सक्ती—(वी रि जिल्द २४ सफा ३८०)–मगर सगाई के खरचा की नालिश चल सक्ती है-(इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १० सफा १०५४).

लाश की दफनाई वो ले जाने का हक —हक दफनाई बतौर हक दीवानी है और अगर दफनाई लाश के वक्त फातेहा पढ़ने के हक में दस्तनदाजी की जावे तो वैसी दस्तनदाजी दीवानी हक की दस्तनदाजी तसव्वुर की जावेगी–(इ ला रि मदरास जिल्द ३० सफा १५)–इस अमर के इस्तकरार की नालिश नहीं चल सकेगी कि मुद्दई का यह हक करार दिया जावे कि मुदायलेह का काम था कि मुदायलेह मुद्दई के खानदान का कोई शख्स मरने पर उस की लाश उठाने में मुद्दई को मदद देता–(इ ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा ११५)

मरने के बाद का दान पुन्य —ऐसे दान पुन्य पाने का हक कानून की रू से नहीं चल सक्ता–जिस किसी के घराने में कोई शख्स मरा हो उसे अखत्यार है कि वह मरने के बाद का दान पुन्य अपनी जात के दूसरे शख्सों को देवे–कोई खास शख्स उन के पाने का क़ानूनन हकदार नहीं बन सक्ता—(इ ला. रि बम्बई जिल्द १० सफा ६६१)

हक चढ़ोत्री —चढ़ाये हुए बकरे का गोश्त पाने क हक की निस्बत नालिश चल सक्ती है—(कलकत्ता ला. जरनल जि० ४ सफा ४६९)—

इसी तरह दावा निस्बत मिलने चढ़ोत्री जो बड़ी कीमत की है और जो मंदर के (फन्ड) सरमाया में जमा होती है, चल सक्ती है (इ ला रि कलकत्ता जि० २७ सफा ३०)—

नालिश निस्बत इस्तकरार हक इस अमर के कि मुद्दई वो भबूत, चन्दन पान सुपारी फूल बमुकाबले दूसरे शख्स के पहले पाने का हक हासिल है नहीं चल सकेगी—(इ ला रि. मद्रास जि० ७ सफा ६१)—

ऐसी नालिश भी वास्ते हरजाना नहीं चल सकेगी कि मुद्दावलेह ने देवता के सामने चढ़ोत्री नहीं चढ़ाई इससे मुद्दई को हरजा पहुचा—(इ ला रि बम्बई जि० ६ सफा १२२)—

अगर किसी नाचने गाने वाली रंडी की चढ़ोत्री इस बिना पर मजूर न की जावे कि रंडी मजकूर वद चलन है तो वह दादरसी की हकदार होगी अगर वह नाजायज तौर से मजहबी पूजा में शरीक होने से रोकी जावे (इ. ला. रि. मद्रास जि० ६ सफा १५१)—

झंडे निशान निकालने का हक:—नालिश निस्बत इस्तकरार हक कि मजहबी झन्डा निशान सवारी के साथ गाव की सड़क में से निकालने का हक मुद्दई को है चल सकेगी (इ. ला रि कलकत्ता जि० २४ सफा ५२४)

पवित्र निशान को निकालना:—मदर में के पवित्र निशन या चिन्ह को निकालना या बदलना बतौर दस्तनदाजी जायदाद समझा जावेगा और उसकी अदालत दीवानी में चारा जोई हो सक्ती है-[इ ला रि मद्रास जिल्द ३० सफा १९८]--

पवित्र स्थान में दाखल होने का हक:—पवित्र स्थान [मसलन मदिर मसजिद] में दाखल होने के हक की निस्वत चारा जोई अदालत दीवानी में चल सकेगी—(इ ला. रि. कलकत्ता जि० २१ सफा ४६३)—

इसी तरह मुद्दायलेह किसी पूजा की जगह (इबादत गाह) में दाखल होने से रोका जा सक्ता है-(इ. ला. रि. बम्बई जि० २३ सफा १२२)

नालशात निस्वत मूरती—हिन्दू मूर्तीया बतौर जायदाद के समझी जाती है इस लिये उनकी निस्बत हक अदालत दीवानी में मानने के लायक है-(इ ला. रि. मद्रास जि० ४ सफा २१५)—

मूरती की हवालगी इकार करने से जो हरजाना होवे उसकी नालिश चल सक्ती है-(इ ला रि. कलकत्ता जि० ३ सफा ३६०)—

कोई खास पूजा करने वाला यह दावा नहीं कर सक्ता कि मूरती का विमान उसकी गली में से निकाला जाये (मद्रास ला. जरनल जि० ११ सफा २१५).

मदिर का पुजारी [illegible] जा सक्ता है कि वह फला जेवर निकालकर मूरती [illegible] बम्बई जि० ५ सफा ८०)—

जब मुद्दई वो मुद्दायलेह दोनों मूरती की चढ़ोत्री (मुनाफा) पाने के हकदार होवे तो इस अमर के इस्तकरार हक की नालिश चल सकेगी कि मुद्दई उस अरसे तक मूरती को अपने मकान पर लेजाने का हकदार है जिस अरसे की चढ़ोत्री पाने का वह मुस्तेहक है—(वी। रि। जि० ४ सफा ७९)—

पूजा करने वाला जब तक कि वह पूजा करने से न रोका जावे यह नालिश नहीं कर सक्ता कि मूरती एक मंदिर से हटाकर दूसरे खास मंदिर में रखी जावे—(इ. ला। रि। कलकत्ता जि० ३२ सफा १०७२)—

जात बिरादरी के मामलात—मामलात निस्बत रसूम जात जिनका तै करना जात के पुरोहित के जिम्में व अखत्यार में है और जिनको वह साथ होशियारी के और जात के रसूम के मुताबिक तै करता है ऐसे समझे जावेंगे कि जिन में अदालत दीवानी दस्तनदाजी न करेगी—(इ. ला. रि। मद्रास जि० १७ सफा २२२)—

जात बिरादरी के पचों की कसरत राय से जो बात तै हो उसको अमल में लाने के लिये नालिश चल सकेगी—(इ. ला. रि। मद्रास जि० १० सफा १३३)—

नालिश वास्ते मिलाने जात बिरादरी में वो वास्ते दिलाने हर्जा चल सक्ती है—(बंगाल ला। रि। अपील जि० ३ सफा ६१)—

लेकिन अगर जात के कायदे तोड़ने के सबब से कोई शख्स बिरादरी से निकाला गया हो तो हरजा की नालिश नहीं चल सकेगी—(इ. ला। रि। बम्बई जि० १५ सफा ५६६)—

नालशात निस्बत फैसला वो डिक्री—गलत डिक्री को सही करने के लिये नालिश नहीं चलेगी—(इ. ला. रि। अलाहाबाद जि० २७ सफा १७४)—

डिक्री में गलती दुरुस्त करने की नालिश चलेगी—(कलकत्ता वी। नो. जि० ८ सफा ४७३)—

अदालत इन्सालवेन्सी (नादारिया दिवालीया) का हुक्म बतौर फैसला के

समझा जाता है और ऐसे फैसले की निस्बत नालिश चल सकेगी—(इ ला. रि. कलकत्ता जि० ३२ सफा ५६०)—

फैसला के मन्सूख कराने की नालिश इस बिना पर चल सकेगी कि मुद्दायलेह ने वैसा फैसला अदालत को धोका देकर और जानबूझकर झूट बोल कर और शहादत दबाकर हासिल किया—(इ. ला रि. मद्रास जि० २६ सफा १७६)—

इस बात के इस्तकरार की नालिश नहीं चल सकेगी कि डिक्री अदालत फरेबन सादिर की गई और जज को मुद्दायलेह ने रूशवत दी—(इ. ला. रि. मद्रास जि० १४ सफा १६७)—

ब्रिटिश इंडिया के किसी अदालत के फैसले के निस्बत नालिश न चल सकेगी—(इ ला. रि बम्बई जि० ६ सफा २९२)—

इसी तरह देशी रियासत के किसी अदालत के फैसले की निस्बत नहीं चल सकेगी—(इ ला रि. बम्बई जि० ८ सफा ५१३)—

खाना कपड़ा के इस्तकरारी डिक्री को अमल में लाये जाने के लिये नालिश नहीं चल सकेगी—(इ ला रि. मद्रास जि० १२ सफा १८३)—

नालशात खिलाफ म्युनिसिपालटी:—नालिश वास्ते हरजा म्युनिसिपालटी पर इस बिना पर चल सकेगी कि उसके ठेकेदारों ने नाली खोदने में गफलत की—(इ ला. रि बम्बई जि० १ सफा ३०७)—

अगर मुलाजिमान म्युनिसिपल के गफलत से किसी बच्चे की जान गई हो तो उसके मा बाप की नालिश वास्ते मिलने हरजा म्युनिसिपालटी पर चल सकेगी—(इ. ला रि. जि० १६ सफा २५४)—

अदालत दीवानी म्युनिसिपालटी को अपना काम अजाम देने के लिये या ऐसा काम करने से रोकने के लिये जो उनके अख्त्यार में नहीं है मजबूर नहीं कर सक्ती—(इ ला रि कलकत्ता जि० १७ सफा ३२६)—

इस अमर के इस्तकरार की नालिश चल सकेगी कि मुद्दई को राय देने का

को म्युनिसिपल चुनाव में बतौर उम्मेदवार खड़े होने का हक है—(इ. ला रि कलकत्ता जि० २४ सफा १०७)—

म्युनिसिपालटी को अख्त्यार है कि किसी मकान के निस्बत जो नया बनाने वाला हो हुक्म मुनासिब जारी करे–अदालत दीवानी म्युनिसिपल के वैसे अख्त्यार में कोई दस्तनदाजी नहीं करेगी जब तक कि वैसा हुक्म म्युनिसिपालटी का तंग करने की नियत से मालूम न पड़े—(इ. ला रि. बम्बई जि० १२ सफा ४६०)—

म्युनिसिपालटी टेक्स अदा करने की जिम्मेदारी के सवाल की जाच के लिये नालिश चल सकेगी—(इ ला रि मद्रास जि० १३ सफा ७८)—

मगर तशखीस के हुक्म को रद्द करने के लिये या टेक्स घटाने के लिये नालिश नहीं चल सकेगी—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द १ सफा ४०६)—

नालशात गवाहों की तरफ से या गवाहों पर:—गवाह पर कोई नालिश ऐसे हतक मिले बयानात की निस्बत नहीं चल सकेगी जो उसने अपने इजहार में किये हों—(इ ला रि. मद्रास जि० ३० सफा २२१)—

गवाह अपना ऐसा खर्चा पाने की नालिश कर सक्ता है जो उसकी कार्रवाई बमूजिब मजमूआ जाप्ता फौजदारी दफा १४५ में शहादत देने के लिये हाजिर आने में पड़ा हो—(कलकता वी नो. जि० ८ सफा १७८)—

गवाह ऐसे रूपया पाने की नालिश नहीं कर सक्ता जो उसको अपनी शहादत देने के बदले में ठहरा हो—मद्रास हाई कोर्ट जि० ४ सफा ७)—

नालिश हरजा गवाह पर इस बिना पर नहीं चल सकेगी कि उसने अपनी शहादत में झूट बयान किया—(इ ला रि मद्रास जि० १० सफा ८७)—

नालशात खिलाफ हाकिम अदालत:—नालिश हरजा खिलाफ हाकिम अदालत निस्बत ऐसे फैल के नहीं चल सकेगी जो उस ने अपनी अदालती कार्रवाई के अंजाम देने में नेक नियती के साथ किये हों—(मद्रास हाई कोर्ट जिल्द २ सफा ३९६)—लेकिन अगर वह नाजायज तौर से और बगैर होशियारी और खबरदारी के कार्रवाई करे या अपने अख्त्यार के

अदा रूपया कबूल करने के लिये मजबूर किया जाय—(इ. ला रि. मद्रास जि० ६ सफा ५५)-

नालिश निस्बत खरचा जो न दिलाया गया हो नहीं चलेगी-(इ. ला रि अलाहबाद जि० ६ सफा ४७४)—

नालिश इस बात की नही चल सकेगी कि कोई शख्स मजबूर किया जावे कि वह मुद्दई को अपने मकान पर दावत (भोज) के लिये बुलावे—(बी रि जि० ६ सफा ३२३)—

नालिश वास्ते रोकने मुद्दायलेह नही चलेगी कि वह मसजिद में जो उस ने नई बनाई है कुतबा पढ़े—(इ. ला. रि मद्रास जि० १५ सफा ३५५)—

मुकदमा फौजदारी दवा देने के माहदे की तामील कराने की नालिश नहीं चल सकेगी—(इ ला रि कलकत्ता जि० ८ सफा २४)-

ऐसे टेक्स अदा करने के माहदा की तामील की निस्बत नालिश नही चलेगी जिसका लगान सरकार के हुक्म से मना किया गया हो (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ८ सफा ३१८)

नालिश मसूखी सराटिफिकेट जो एक्ट जानशीनी सराटिफिकेट की रू से दिया गया हो नहीं चल सकेगी [इ ला. रि मद्रास जिल्द १६ सफा ४०५]

इसी तरह प्रोबेट की मंसूखी की नालिश नहीं चल सकेगी (इ ला रि कलकत्ता जि० ४ सफा ३६०)

जो महदा नाबालिग की तरफ मे उस्के वली ने किया हो उस्की खास तामील कराने की नालिश नाबालिग नहीं कर सक्ता-(इ ला रि. कलकत्ता जि० २० सफा ५०८)—

नालिश वास्ते जबरन करापाने रजिस्ट्री नहीं चल सकेगी जब तक कि अहकामात दफा ७७ एक्ट रजिस्ट्री की तामील न हुई हो-(इ ला. रि मद्रास जि १६ सफा ३४१)—

मुकदमा बाजी यानी लड़ाने के माहदे की रू से जो रूपिया पाना वाजिब हो उसकी नालिश नहीं चल सकेगी (इ. ला रि मदरास जि० १२ सफा ११८).

नालिश मन्सूखी हुक्म मजिस्ट्रेट निस्बत अमर बायस तकलीफ आम नहीं चलेगी (बंगाल ला रि. जि० ४ सफा २४)—

किसी आम सड़क का खोलना या बंद करना अदालत फौजदारी के अखत्यार में है—अदालत दीवानी सिर्फ इस बात का तसफिया करेगी कि वैसे खोलने या बन्द करने से मुद्दई को कुछ हरजा पहुचा या नहीं—(बंगाल ला रि जि० ३ सफा ३५१)—

जब मजिस्ट्रेट ने निस्बत हटाने झोपड़ी हुक्म दिया हो जो झोपड़ी आम सड़क को रुकावट करती थी तो नालिश दीवानी वैसे मजिस्ट्रेट पर वास्ते कब्जा झोपड़ी वो हरजा नहीं चलेगी—(बंगाल ला रि जि० ११ सफा ९)—

नालिश हरजा निस्बत तोहमत अदालत दीवानी में नहीं चलेगी जब कि अलफाज जिन पर उजर किया गया हो हतक इज्जत वाले न हों या उनसे मुद्दई को कोई नुकसान न पहुचा हो—(इ ला रि कलकत्ता जि० ३२ सफा १०६०)—

मुद्दई इस बात के इस्तकरार की नालिश नहीं कर सक्ता कि वह बहैसियत चौधरी बजार महसूल वसूल करने का हकदार करार दिया जावे जब कि वैसा महसूल देना बजार वालों के राजा खुशी पर हो—

नीचे लिखी हुई नालशात चल सकेंगी:—जो मुर्तहिन मौरूसी खेत की फसल अपने फायदा मे लेता है वह जायदाद मरहूना के कब्जा की नालिश कर सक्ता है—(इ ला. रि अलाहाबाद जि० २६ सफा ५६१)—

नालिश निस्बत परवरिश बच्चा हराम चल सकेगी गो मजिस्ट्रेट ने बमूजिब दफा ४८८ मजमूआ जाब्ता फौजदारी वैसी परवरिश का खर्च न दिलाया हो—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफा ४७६)—

इसी तरह नालिश इस बात की भी चल सक्ती है कि जिस शख्स को परवरिश के लिये मजिस्ट्रेट ने खरचा दिलाया है वह वैसा खरचा पाने का मुस्तहक नहीं है (इ ला रि मदरास जि० ३० सफा ४००)—

नालिश वास्ते रोकन मोहितमिम ममजिद चलेगी कि वह मसजिद को उन कामों के सिवाय दूसरे कामों में न लावे जिसके लिये वह मकसूद है (इ ला रि. अलाहाबाद जि० २ सफा ६२६)—

नालिश निस्वत दस्तनदाजी हक इबादत मसजिद चलेगी (इ ला. रि. अलाहाबाद जि० ७ सफा १७८)—

नालिश जबरन करापाने तकमील दूसरा बैनामा चलेगी जब कि पहिला बैनामा रजिस्ट्री होने के पहिले तलफ (नष्ट) हो गया हो (मदरास हाई कार्ट जि० ५ सफा १२३)—

अगर किसी हिन्दू बाप की लड़की भगा लेगई हो तो नालिश हरजाना बापकी तरफ से चल सकेगी—(इ. ला. रि. अलहाबाद जि० ४ सफा १७)—

नालिश वास्ते जबरन करा पाने रजिस्ट्री ऐसे दस्तावेज की चलेगी जिसकी रजिस्ट्री लाजमी न हो—(इ ला रि. कलकत्ता जि० ११ सफा ५०६)—

अगर किसी की मवेशी नाजायज तौर पर पकड़ी गई हो तो नालिश मावजा चलेगी (इ ला. रि. कलकत्ता जि० १६ सफा १५६)—

अगर किसी गवाह को भत्ता वो खरचा सफर दिया गया हो और वह हाजिर न आवे तो उससे वैसा खरचा दिलापाने की नालिश चल सकेगी -(मद्रास ला. जरनल जि० १७ सफा १४३)—

जजमानों को अखत्यार है कि जो मजहबी रसूम वे अपने फायदे के लिये कराना चाहें वह किसी भी प्रोहित से जिस को वे चाहे करा सक्ते हैं—पस मुद्दईयान इस अमर के इस्तकरार हक के मुस्तहक नहीं है कि वे मुद्दालेहूम के साथ अकेले बिला दखल दूसरे के पुरोहिती का काम करने के हकदार हैं जब कि यात्री लोग गयाजी जाते वक्त पपजी (नदी) पर अपने पित्रों की श्राद्ध करें—

मुद्दई इस बात के इस्तकरार हक की नालिश कर सक्ते हैं कि वे ऐसे यात्रियों की पुरोहिताई का काम कर सक्ते हैं जो उनसे वैसा काम लेना चाहें और यह कि मुद्दायलेह मुद्दई को उनके पेशा का काम करने से नहीं रोक सक्ते— कुटुम्ब के लोग आपस में यह ठहराव कर सक्ते हैं कि उनमें से कोई भी शख्स पुरोहिती से जो आमदनी कमा कर लावें वह सब एक आम फन्ड में जमा की जावे और फिर पीछे से वह हिस्सा रसदी के साथ कुटुम्ब में बांटी जावे मगर

ऐसी ठहराव की पाबन्दी फरीकैन और उनके जानशीनों (वारिसों) के लिये हमेशा के वास्ते और ऐसे हिस्सेदारान की मरजी के खिलाफ जो वैसा ठहराव बन्द करना चाहे लाजमी न होगी—(कलकत्ता ला. जरनल जि० १३ सफा ४४९)—

अदालत दीवानी को यह अखत्यार है कि वह मदर में जो प्रसाद वो तीर्थ (पचामृत) पुरपांजली बाटी जाती है उसके बाटने का दरजा मुकर्रर करे यानी पहिले किसको और पीछे किसको बटेगा—जो लोग पहिले नबर में पाने के हकदार है वे इस बात का हुक्म इम्तनाई ले सक्ते हैं कि प्रसाद और तीर्थ (पचामृत) पुरपाजली दूसरों को जो उनके बाद पाने का हक रखते हैं, पहिले न दिया जाय (इ. केस जि० १५ सफा ४०६)

मुद्दईयान ने एक नालिश में यह दावा किया कि वे अकेले रिफाई और कादरी हक अमल में लाने के और उन हक्कों की निस्बत जो आमदनी हो उसके पाने के मुस्तहक हैं—मुद्दईयान ने यह भी बयान किया कि वे अकेले उरूस फुक्रा (फकीर शाह साहेब) का जलसा करने के और उससे जो आमदनी हो पाने के हकदार हैं और यह हक दूसरों को नहीं है—तजबीज हाई कोर्ट करार पाई कि अदालत दीवानी को ऐसी नालिश सुन्ने का अखत्यार नहीं है क्योंकि यह नालिश सिर्फ निस्बत इज्जत या रूतबा के हैं न कि उहदा हैसियत जायदाद या हक दीवानी के—(बम्बई ला रि जि १४ सफा ५७३)—

मुद्दई वो मुद्दायलेह दोनों महा ब्राम्हण के कुटूम्ब के थे और इस कुटूम्ब वालों ने झगडा बचाने के वास्ते वो कट्टयादान को बाटने के लिये यह ठहरान कर लिया था कि जो कट्टया दान महिना के फला २ तारीख को मिले उस के पाने के हकदार कुटूम्ब के चन्द मेंबरान होंगें और जो दान बाकी और दिन मिलें उस के पाने के हकदार दीगर मेम्बरान होंगे—एक दिन जो मुद्दईया के हिस्से में था उस रोज एक बडा आदमी मरा—मुद्दईया बेवा थी--दान करने वाले की यह राय हुई कि दान औरत को नहीं मिलना चाहिये बलकि वह बटना चाहिये इस से ज्यादा पुन्य होगा इस लिये उस रोज का दान औरत को न देकर मुदायलेह को दिया गया—तजवीज हाई कोर्ट (राय चीफ जसटिस खिलाफ थी) करार पाई कि जब दान करने के वक्त यह साफ कहा गया था कि दान उस कुटूम्ब के मेम्बरान को नहीं बाटा जायगा—और औरत को नहीं दिया जायगा इस लिये यह ऐसा दान समझा जावे कि जो मुद्दायलेह को

उस की निजी (शख्सी) हैसियत से न कि बहैसियत मेम्बर कायम मुकाम कुटूम्ब दिया गया—मगर जनाब रिचर्ड साहब चीफ जस्टीस की यह राय हुई कि जब दान मुद्दईया के मुकर्ररा दिन को किया गया तो उस दिन का दान मुद्दईया को मिलना चाहिये, न कि मुद्दायलेह को (सोना देवी—बनाम—फकीर चंद अलाहबाद ला. जरनल जि० ११ सफा ५८३)—

एक नालिश ओहदा मौरूसी के कब्जा पाने की निस्बत दायर की गई—इस ओहदे के काम यह थे कि गड्ढा खोदकर एक नाद गाड़ना, शरबत बांटना, रूपया वसुल करना, और उस वसूली का कुछ हिस्सा तकसीम करना और कुरान पढ़ना और यह सब काम मुहर्रम के दिनों में मसजिद में बहुत अरसे से होते थे और फरीकैन शरहमहम्मदी पर चलते थे—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ओहदा मजकूर बतौर मजहबी ओहदा के नहीं समझा जावेगा और दावा उस के पाने का इस किस्म का नहीं समझा जावेगा कि जिस की नालिश अदालत दीवानी में चल सके—(मद्रास ला टाईम्स जि० १७ सफा २५६)—

मुकदमात का मुलतवी रखा जाना.

दफा १०. कोई अदालत ऐसे मुकदमें की तजवीज की कार्रवाई शुरू न करेगी जिसमें अमर तसफिया तलब सराहतन और दर असल वही हो जो किसी और पहिले से रूजू किये हुए ऐसे मुकदमें में जो उन्हीं फरीकैन के दरमियान मे या दरमियान ऐसे शख्सों के तनकीह तलब हो जिन के जरिये से वे शख्स या उन में से कोई दावेदार हैं, और उसी इस्तेहकाक पर अपना हक कायम करते है और जो ब्रिटिश इंडिया के अन्दर उसी अदालत या किसी और अदालत में जिसे दादरसी मांगी हुई के अता करने का अख्त्यार हो या ब्रिटिश इंडिया की हदूद के बाहर किसी ऐसी अदालत में दायर हो जो नव्वाब गवर्नर जनरेल व इजलास कौंसिल के हुक्म से कायम की गई हो या कायम रखी गई हो और उसी तरह का अख्त्यार रखती हो या जो मलिक मौज्जम इजलास कौंसिल के हुजुर में दायर और जेर तजवीज हो—

समझावना—अगर कोई मुकदमा किसी रियासत गैर की अदालत में दायर हो तो इस बात की मुमानियत नहीं है कि दूसरा मुकदमा जिस की वही बिनाय दावी है ब्रिटिश इंडिया की किसी अदालत में रूजु किया जाय.

तशरीह.—यह दफा पुराने मजमूआ की दफा १२ की जगह पर थोड़ी सी तबदीलियों के साथ कायम की गई है—इस दफा में सिर्फ यह हुक्म है कि किसी नालिश की तजवीज उस हालत में शुरू न की जावेगी कि जब वैसी ही तनकीह किसी पहिले के दायर किये हुए मुकदमा में कायम की गई हो—दफा मजकूर से किसी नालिश की दायरी अन्दर उस मुद्दत के मनाई नहीं है कि जो कानून की रू से मुकर्रर है—(इ ला रि बम्बई जि० २२ सफा ६४०).

इस दफा का कायदा रेसजुडिकेटा के कायदे का कोई हिस्सा नहीं है—दोनों में बहुत बड़ा फर्क है—रेसजुडिकेटा की रू से नालिश नहीं हो सक्ती, मगर इस कायदे के रू से नालिश की तनकीह की तजवीज में रूकावट की गई है—[इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ११ सफा १४८, १५४—इजलास कामिल]

-कार्रवाई हस्ब दफा ४७ मजमूआ जाब्ता दीवानी इस दफा की मनशा के लिये बतौर नालिश नहीं समझी जावेगी—(इ ला रि मदरास जिल्द २२ सफा २५६)—

अगर दरखास्त वास्ते मिलने इजाजत निसबत दायरी अपील बहुजूर प्रिवी कौंसिल मुलतवी हो तो ऐसे मुलतवी होने से नालिश की रूकावट न होगी—(इ ला. रि. मदरास जिल्द २१ सफा १८)—

मालिक ने मुख्त्यार पर नालिश बैमे रूपया का हिसाब समझाने के किया जो उस को बहैसियत मुखतारी दिया गया था—मुखत्यार ने मालिक पर अलेहदा नालिश ऐसा रूपिया पाने की किया जिस को वह कहता था कि उस को मालिक से पाना है अलावा उस रुपया के जिस का हिसाब उस से मांगा गया—तजवीज हुई कोर्ट करार पाई कि फैसला नालिश मालिक, मुखत्यार की नालिश की तजवीज में कोई रूकावट रेसजुडिकेटा के उसूल पर नहीं डाल सक्ता—और यह भी तजवीज करार पाई कि गो दोनों नालिशों की तजवीज इकजाई करना

मुनासिब था ताहम उन की अलेहदा २ तजवीज करने में कोई कानूनी रूकावट नहीं हो सक्ती गो ऐसा करने में कोई कोई तनकीहों को दुबारा सुन्ना पड़े—(कलकत्ता वी नोट जिल्द १५ सफा ६३०).

जबकि किसी नालिश को मुलतवी रखने से यह गरज हो कि जब तक तनकीह तलब अमर का तसफिया दूसरी नालिश में न हो जाय तब तक पहिली नालिश मुलतवी रहे तो ऐसी सूरत में पीछे से दायर की हुई नालिश को जिस को मुलतवी कराना चाहा गया खारिज करने में कोई गलती न होगी—(कलकत्ता वी नोट जिल्द १६ सफा ८९७)

दफा १० मजमूआ जाब्ता दीवानी ऐसी सूरत में लागू न होगी जब कि पहिली दायर की हुई नालिश ऐसी अदालत में मुलतवी होवें जो उस के सुन्ने की मजाज नहीं है—(पंजाब ला. रि न. २८३ सन १९१४ ई०)

न दफा १० न दफा ११ दूसरी नालिश की दायरी को रोक सक्ती है—यह दफायें सिर्फ उस की तजवीज को रोकती हैं—(मदरास ला जरनल जिल्द २७ सफा ४०५).

अपील नालिश के सिलसिले में समझी जाती हैं इस लिये अगर कोई अपील मुलतवी होवे तो दफा १० उसी अमर के निसबत पीछे के दायर की हुई नालिश में लागू होगी—(मदरास वी नोट सन १९१५ सफा ८४४)

दफा १० मजमूआ जाब्ता दीवानी लागू करने के लिये यह जरूर है कि नालिशात उन्ही फरीकैन के दरमियान हुई हों जिन्हों ने एक ही हक की रू से दावा किया हो—(इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ४२ सफा ९२९)

दफा ११ रेसजुडी केटा — **कोई अदालत किसी ऐसे मुकदमे या बहस की तजवीज न करेगी जिसमें वह अमर जो सरीहन और दर असल तनकीह तलब हो किसी दूसरे मुकदमें मे दरमियान फरीकैन हाल या ऐसे फरीकैन के दरमियान जिन के जरिये से फरीकैन हाल या उन में से कोई दावेदार है और उसी इस्तेहकाक पर अपना हक कायम, करते हैं ऐसी**

अदालत में सरीहन और दर असल तनकीह पाकर उस की मारफत सुनाई होकर कतई तौर पर तै हो चुका हो जो बाद के दायर किये हुए मुकदमा की या ऐसे मुकदमे की तजवीज करने की मजाज हो जिस में बहस मजकूर दूसरे वक्त याने दुबारा पेश की जाय

समझावना १—लफ्ज "मुकदमा साबिक" से वह मुकदमा मुराद है जो मुकदमा हाल के पेश्तर फैसल हो चुका हो चाहे वह उस के पहले दायर हुवा हो या नहीं

२ इस दफा की मनशा के लिये यह अमर कि आया फलां अदालत फलां मुकदमे की तजवीज करने की मजाज है बिला लिहाज किसी सवाल निसबत हक दायरी अपील बनाराजी फैसला अदालत मजकूर के तै किया जायगा

३. जरूर है कि मुकदमा साबिक में वह अमर जिस का ऊपर जिक्र हो चुका है एक फरीक ने बयान किया हो और दूसरे फरीक ने सराहतन या मानवी तौर पर उस से इन्कार या इकबाल किया हो

४—हर अमर की निसबत जो वैसे मुकदमा साबिक में जवाब या दावे की बिना करार दिया जा सक्ता था और करार देना चाहिये था, यह समझा जायगा कि वह मुकदमे में एक अमर सरीहन और दर असल तनकीह तलब था

५. जिस दादरसी का दावा अरजी दावी में किया गया हो और वह डिक्री में साफ तौर से मंजूर न की गई हो वह इस दफा की मन्शा के लिये समझी जायगी कि मंजूर नहीं हुई

६ जिस हाल में कि अशखास बाबत किसी हक आम या किसी जाती हक के जिस का दावा वह वास्ते खुद अपने और दीगर शख्सो के मिल कर करते हों, नेक नियती

के साथ अदालत में झगडा दायर करे तो तमाम अशखास जो उस एक में गरज रखते हों वास्ते गरज इस दफा के दावेदार बजरिये उन शख्सों के समझे जायेंगे जिन्हों ने ऐसा झगडा दायर किया

तशरीह.—इस दफा के बमूजिब उजर कायम करने के वास्ते यह बहुत ही लाजमी अमर है कि दोनों मुकदमों में फरीकैन, वो झगडे की चीज वो बिनाय मुखस्मत एक ही होवे—(वी रि. सन १८६४ ई० सफा ३२०)—यह साबित करना भी बहुत जरूर है कि मांगी हुई दादरसी दिलाने या न दिलाने के बारे में फरीकैन के दरम्यान कतई फैसला हो चुका है—(इ. ला कलकत्ता जि० २४ सफा ६१६)—

डिक्री बाबत कब्जा जो अदालत ने बमूजिब दफा ९ एक्ट न. १ सन १८७७ ई० (एक्ट दादरसी) के सादिर की हो किसी ऐसी नालिश में जो अदालत मजकूर के हद अखत्यार मालियत के बाहर होवे बतौर शहादत कब्जा मुद्दायलेह बाद की ऐसी नालिश में तसव्विर की जावेगी जो बाबत वसूली वासिलात यानी मुनाफा बरखिलाफ उन्हीं मुद्दायलेहुम के दायर की गई हो वो ऐसी डिक्री में पहिली नालिश का फैसला कतई न होगा—(इ ला रि. कलकत्ता जि० २३ सफा ६६३)—

दर सूरत न होने कोई फरेब या बेजाब्तगी एकतरफा डिक्री की पाबन्दी फरीकैन के दरम्यान कुल गरजों के लिये उसी तरह की जावेगी कि मानों वह डिक्री किसी तकरारी मुकदमा में सादिर हुई है—(इ. ला रि कलकत्ता जि० ३ सफा ३८३, वो कलकत्ता जि० २० सफा ५०५)—

जब कोई फरीक किसी डिक्री की मसूखी बरबिनाए फरेब वो साजिश के मांगता हो तो ऐसी नालिश में दफा ११ (पुरानी मजमूआ की दफा १३) की किसी किस्म की रूकावट न होगी—(इ ला. रि मद्रास जि० १६ सफा १६८)

फैसला किसी नालिश लगान जो मुद्दई की तरफ से उस के कारतकार पर बकाया जरलगान के बारे में दायर की गई है किसी ऐसे बाद की नालिश की रूकावट न करेगा जो उसी जमीन के इस्तेहकाक के बाबत दायर की गई हो, सिर्फ उसी कास्तकार के बरखिलाफ नहीं बलकि उस शख्स के मुकाबले में

कि जिस का हक मुद्दायलेह काश्तकार ने बहैसियत मालिक जमीन के बयान किया हो—(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द २६ सफा ४२८ इजलास कामिल).

जब किसी फैसला पचायती की शर्तों के मुताबिक मजमूआ जाबता दीवानी सन १८८२ ई० की दफा ५२२ (दफा १६ जमीमा २) के बमूजिब फैसला और डिकरी सादिर की जावे तो ऐसे फैसले के असर मे दुबारा नालिश की रुकावट होगी (इ ला रि. बम्बई जिल्द २१ सफा ४६५).

फैसला किसी अदालत फौजदारी का नालिश दीवानी को जो उसी बिनाय दावी पर कायम की जावे मनाई न करेगा —(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ४ सफा ६७)

फरीकैन की गैरहाजरी में जो मुकदमा खारिज किया जावे उस के जोर पर मुद्दई ऐसी नई नालिश के दायर करने से रोका न जावेगा जो उसी बिनाय मुखासमत पर और बरखिलाफ उसी मुद्दायलेह के होवे—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा ६८)

सारटिफिकेट विरासत का पेश न करने की वजह से जो नालिश खारिज की जावे उस की रू से किसी दूसरी नालिश की मनाई न होगी जो उसी बुनियाद पर पीछे से दायर की जावे—(इ ला रि मदरास जिल्द १८ सफा ४६६)

यह दफा दो किस्मों की नालशों में लागू होगी: —(१) वे मुकदमे जिन में पीछे दायर किया हुआ मुकदमा पहिले मुकदमे के फैसले के सबब से बिलकुल चल नहीं सका क्योंकि दोनों मुकदमों में झगड़े की चीज एकही थी–(२) वे मुकदमे जिन में बाद के दायर की हुई नालिश की तनकीह का फैसला पहली नालिश में यही तनकीह कायम होकर हो चुका है और इस लिये उस की दूसरी तजवीज नहीं हो सकी गो दोनों नालशों में झगड़े की चीज अलहदा २ हों—(इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २६ सफा ५७१, ५७६)

मुद्दई इस दफा के अहकाम को उसी मुद्दायलेह के खिलाफ कई बिनाय मुखासमत पीछे की नालिश में इकट्ठी करके और नालिश को बड़े दरजे की अदालत में दायर करके बचा नहीं सका—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द २८ सफा ७८)

जो फैसला कि बेअसर वो रद्दी हो वह रेसजुडिकेटा का काम नहीं देगा. (इ. ला. रि. बम्बई जि ७ सफा ४००)

जब कि पहिली नालिश की डिक्री का असर अब तक कायम हो तो बाद की नालिश में वह डिक्री नाजायज करार नहीं दी जा सक्ती गो फरीक को यह अखत्यार था कि उस डिक्री को दूसरी नालिश के जरिये मंसूख कराता—(इ ला. रि. अलाहबाद जि. २० सफा ३७०)

नालिश की पैरवी में गफलत, चाहे कितनी बड़ी हो, डिक्री से बचने के लिये कोई बिना न होगी बशर्ते कि वह गफलत फरेब या साजिश के दरजे को न पहुचती हो—(मदरास ला. जरनल जिल्द १३ सफा ६८)

डिक्री जो फरेब से हासिल की गई हो बतौर रद्दी के समझी जावेगी—(इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द २६ सफा २७९)

यह वाकेआ कि जिस बहेस पर पहिला फैसला कायम है वही दूसरे मुकदमे में बराबर लागू होती है रेसजुडिकेटा का काम न देगा—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २३ सफा ५) अम्र कानूनी का गलत फैसला दरमियान फरीकैन नालिश रेस-जुडी-केटा का काम देगा—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १५ सफा ३२७).

फैसला खिलाफ बेनामीदार (यानी फरजी मालिक) बमुकाबले असली खरीदार के रेसजुडीकेटा का काम देगा—(इ ला रि मदरास जिल्द १९ सफा २६७)

यह दफा दरखास्त हस्ब दफा ९० एक्ट इन्तकाल जायदाद को लागू न होगी (आर्डर ३४ कायदा ६ वो अलाहाबाद ला जरनल जिल्द २ सफा ३७९)

इस दफा की रू से नालिश खिलाफ ऐसे शख्स के चलने में नहीं रुकेगी जो बवक्त नालिश नाबालिग था या उस के तरफ से कोई वली नहीं था—(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द २८ सफा १ प्रिव्ही कौंसिल).

जिस शख्स ने डिकरी हासिल की हो अगर वह उस को इजरा न करावे और उस की इजरा को बेरूं मियाद कर देवे तो वह उस बिनाय मुखासमत पर फिर नालिश दायर नहीं कर सकेगा (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३३ सफा ६७९)

हुक्म इम्तनाई के लिये दूसरी नालिश नहीं हो सक्ती--(इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द २३ सफा ४६५)

दफा ८५ एक्ट इतकाल जायदाद (आर्डर ३४ कायदा १) रेसजुडिकेटा के कायदे को नहीं बदलती (इ. ला. रि. अलाहाबाद जि २९ सफा ६५)

जब तक कि विनायमुखासमत जुदी हो तो जितनी जुदी २ बिनाय मुखासमत होंगी उतनी नालशें हो सकेंगी—(इ ला रिपोर्ट अलाहाबाद जिल्द २७ सफा ३२).

जब नालिश किसी मरे हुए शख्स पर दायर की जाय और फैसला हासिल हो जाय तो वैसी तजवीज रेसजुडिकेटा का काम न देगी—(बम्बई ला रि. जि. ९ सफा २७४)

उसूल रेसजुडिकेटा का इजराय डिक्री में लागू होना—उसूल रेसजुडिकेटा कार्रवाई इजराय डिक्री में भी लागू होगा—पस जबकि मदयूनडिक्री के कायम मुकाम ने इजराय एक साल तक अपने ऊपर चलने दी हो और कुछ उजर न किया हो और दो दफे नीलाम मुलतबी किया गया हो तो पीछे से वह यह नहीं कह सक्ता कि डिक्री की इजराय उस पर नहीं हो सक्ती—[इ ला रि कलकत्ता जि. ३१ सफा २२].

जब नालिश बटवाड़ा का राजीनामा हो गया हो और अमीन हस्ब अहकाम डिक्री बटवाड़ा करने के लिये मुकर्रर किया गया हो और इजराय डिक्री अदमपैरवी में खारिज हुई हो तो बटवाड़ा की नई नालिश चल सकेगी (कलकत्ता वी नो जिल्द १० सफा ८३९),

नालिश—तरीका दायरी नालिश के लिये देखो दफा २६-लफ्ज "नालिश" में अपील शामिल नहीं है—(इ ला रि. कलकत्ता जि २३ सफा १४५).

दरम्यान वही फरीकैन:—जब फरीकैन नालिश के झगड़े की चीज से वास्ता वो गर्ज रखते हों तो समझा जायगा कि वे वही फरीकैन है—(मद्रास ला जरनल जिल्द १४ सफा २८१)

जब पहिले मुकदमें में कोई मुद्दायलेह हाजिर न हुए हो और मुद्दई के दावे से बरी किये गये हों तो फैसला रेसजुडिकेटा का काम न देगा—(अलाहाबाद ला.

जरनल जि १ सफा ३१३).

वारिस मावाद (यानी मरने के बाद जिस्का हक पहुचता हो) दूसरे वारिस माबाद के जरिये दावा नहीं करता, इस लिये ऐसे वारिस माबाद की नालिश का फैसला खिलाफ दूसरे वारिस माबाद के रेसज्जुडिकेटा का काम न देगा—(मद्रास ला. जरनल जिल्द १३ सफा ३५९)

वारिस माबाद डिक्री खिलाफ बेवा के पाबन्द होगा अगर डिक्री मजकूर पूरी तौर पर वो इन्साफ के साथ तजवीज हो कर सादिर हुई हो—(अलाहाबाद वी नो. सन १९०५ सफा २७०).

फैसला खिलाफ एक शैवत (पुजारी) मुतीं उस के जानशीन शैवत को लागू होगा—(कलकत्ता वी. नो जिल्द ६ सफा १७८)

शामिल शरीक खानदान का हिन्दू बेटा अपने बाप के जरिये दावा नहीं कर सक्ता (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १० सफा ४११)

एक ही हक के जरिये नालिश करना:—जो शख्स पाहिले मुकदमा में मुतवफी मुद्दायलेह के कायम मुकाम की हैसियत से हाजिर हो और वह पीछे से अपने निजी हक के जरिये निस्बत उसी झगड़े की चीज के नालिश दायर करे तो पीछे की नालिश में उस की हैसियत दूसरी समझी जावेगी—[इ. ला रि. कलकत्ता जि. १७ सफा ५७ वो ६२]

जब नालिश में एक मुद्दायलेह हाजिर न हुआ हो और दूसरा मुद्दायलेह हाजिर हुआ तो यह न समझा जावेगा कि उन दोनों के दरमियान कोई तकरारी मामला था—[इ. ला. रि मद्रास जि १४ सफा ३२४, ३२७]

जब बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों किसी शख्स पर दखलयाबी जमीन की नालिश करें और नालिश इस बिना पर खारिज हो कि उस जमीन पर बेचने वाले को कुछ हक हासिल नहीं है तो ऐसा फैसला बाद की नालिश में बतौर रेसजुडिकेटा के काम देगा जो नालिश कि खरीदार बेंचने वाले पर जर समन की वापसी की निस्बत दायर करे—(इ. ला. रि मद्रास जि. २१ सफा ८).

तजवीज करने वाली अदालत का अख्त्यार:—यह दफा सिर्फ उस सूरत में लागू होगी जब कि अदालत जिस्का फैसला बतौर रेसजुडीकेटा बतलाया जाता है दूसरे मुकदमें की तजवीज करने का अख्त्यार रखती हो (अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १ सफा ५०३),

देशी रियासत की अदालत वैसी दूसरी नालिश की तजवीज करने की मजाज नहीं समझी जावेगी जिस्की तजवीज सिर्फ अदालत अंग्रेजी से होना चाहिये (बंगाल ला रि. जिल्द ६ सफा ९८)

समझावना:—(१) यह नया है.—

समझावना:—(२) यह भी नया है:—

इस दफा की इबारत से यह न समझा जावेगा कि दोनों नालिशों के फैसलों की अपील एक ही तौर पर होना चाहिये (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २५ सफा ५७१, ५७६)

समझावना—(४) यह समझावना मुद्दई वो मुद्दायलेह दोनों को लागू होता है (बंगाल ला. रि जिल्द ६ सफा ५६४)

समझावना—(५) जिस दादरसी का दावा अर्जीदावी में किया गया हो उस से यह दादरसी मुराद है जिस के पाने का मुद्दई बतौर हक्क के मुस्तहक है—आयन्दा मुनाफे का देना जिस्का दिलाना या न दिलाना अदालत के अख्त्यार में है ऐसी दादरसी में नहीं समझा जावेगा (मद्रास ला. जरनल जिल्द १५ सफा ४६२)

असर अपील—जब गोद लेना हाई कोर्ट से जायज करार दिया गया हो वो उस की अपील बहुजूर प्रिवी कौंसिल पेश की गई हो और दौरान मुलतवी अपील राजीनामा हो गया हो और अपील वापिस लेली गई हो तो डिक्री हाई कोर्ट निस्बत जायज करार देने गोद कतई समझी जावेगी (इ ला रि. मद्रास जिल्द ६ सफा ४३).

समझावना—(६) इस समझावना की रू से पहली नालिश का मुद्दई दूसरी नालिश के मुद्दई का कायम मुकाम हो सक्ता है अगर वैसी दूसरी नालिश का मुद्दई किसी ऐसी दादरसी पाने का हक्क रखता है जिस का दावा

पहली नालिश में किया गया हो (इ. ला. र. मदरास जिल्द २८ सफा ४९७)

डिग्री बमूजिब दफा ९० एक्ट इंतकाल जायदाद कातूरी जाई, लड़की [illegible], पर जारी की गई—कानूनी उजरदारी करने वालों की ना थी—इजराय डिग्री में [illegible] डिग्री अदाई करने के लिये मोहलत मांगी गई और मोहलत मंजूर की गई—डिग्रीदार ने दूसरी दफा डिग्री जारी कराई और दूसरी बार जारी कराने में यह उजरदारी की गई कि जायदाद मकफूला मदयूनडिग्री को बजरिये अपने नानी [illegible] के, न कि मां के, मिली थी—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी उजरदारी में कोई रुकावट न कायदा रेसजुडिकेटा से और न 'स्टापिल' से है (इलाहाबाद ला जरनल जिल्द ८ सफा ८४५).

एक जायदाद दो शख्सों के यहां रहन की गई, पीछे वाले मुर्तहिन की नालिश में पहिले रहन का जिक्र था डिस्ट्रिक्ट मुन्सिफ ने पीछे वाले मुर्तहिन की नालिश डिग्री की मगर पहिले रहन का रुपया राहिन के जिम्मे देना वाजिब पाया—दूसरे रहन ने अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहां दायर की मगर वजूहात अपील में पहिले रहन के रुपये की निस्बत कोई जिक्र नहीं किया—डिस्ट्रिक्ट जज के डिग्री में भी इस मामले के बारे में कोई जिक्र न था—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि डिग्री डिस्ट्रिक्ट जज बतौर रेसजुडिकेटा खिलाफ पहिले मुर्तहिन के असर न होगी—(इंडियन ला, मदरास जिल्द २९ सफा ६२५).

[illegible] जायदाद मरहूना में अगर पहिले रहन का जिक्र हो मगर [illegible] हो तो डिग्री [illegible] पहिले रहन का जिक्र भी न हो, लेकिन अगर कुछ पहिले रहन का जिक्र [illegible], लेकिन अगर कुछ पहिले रहन के निस्बत [illegible] हो और [illegible] पहिले रहन का [illegible] (इ. [illegible] जिल्द [illegible])

[illegible]

(ज) की नालिश में लगा दी गई—(म) की नालिश में डिक्री दी गई मगर (ज) की नालिश खारिज की गई—(ज) ने अपनी नालिश की खारजी के नाराजगी से, न कि (म) की नालिश की नाराजगी से, अपील किया—(म) की डिक्री (ज) के अपील के फैसला होने के पेश्तर कतई हो गई थी—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि उसूल रेसजुडिकेटा का लागू होगा और (ज) की अपील नहीं चल सकेगी (इ० ला रि अलाहबाद जिल्द ३३ सफा ९१)

नालिश इनफिकाक में अदालत ने एक तिहाई जायदाद की निस्बत डिक्री सादिर किया और दो तिहाई की निस्बत दावा मुद्दई खारिज किया मुद्दई और इस अदालत ने दोनों अपीलों की एक तजवीज किया—अपील का नतीजा यह हुआ कि मुद्दई की अपील खारिज और मुदायलेह की बहाल की गई—मुद्दई ने फिर अपील हाई कोर्ट में किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि रेसजुडेकेटा का फायदा पूरी अपील पर लागू न होगा, क्योंकि अदालत मातेहत अपील ने जो मुद्दई की अपील खारिज की थी उस में यह बात तै की गई थी कि मुद्दई अपने दो तिहाई जायदाद के इनफिकाक कराने का हकदार नहीं है—(अलहाबाद ला जरनल जि ८ सफा १०५).

मुसम्मात कौसल्याबाई एक हिन्दू बेवा ने बहैसियत वारिस अपने खाविन्द के खाविन्द के भाई यानी [मुदायलेह न १ पर सन १८८४ ई० में बाबत पान हिस्सा अपने खाविन्द का बजरिये बटवारा कुछ जमीन में जो दोनों भाईयों के शराकत में थी नालिश दायर किया मगर खारिज हुई—सन १९०८ मे मुद्दई ने बजरिये खाविन्द कौसल्याबाई के दावा करके मुदायलह न १ पर नालिश वास्ते दिलापाने कब्जा मकान जिस में कौसल्या अपने जीते जी रहती थी दायर किया—दोनों नालिशों में यह बयान किया गया था कि मकान दोनों भाईयों ने आपस में बांट लिये और जिस मकान का झगडा है वह कौसल्या के खाविन्द के हिस्से में आया था—मुदायेलह ने उजर किया कि दूसरी नालिश बवजह रेसजुडिकेटा नहीं चल सकी—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि उसूल रेसजुडिकेटा नहीं चल सका—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि उसूल रेसजुडिकेटा दूसरी नालिश में लागू न होगा क्योंकि जो अमर तनकीह तलब दूसरी नालिश में दरम्यान फरीकैन है उस का फैसला पहली नालिश में नहीं हुआ था—(बंगाल ला. रि जि. १३

सफा १० ३४).

जब किसी इस्तकरारी हक की नालिश में डिक्री चन्द मुद्दायलेहों पर हुई हो और उन मुद्दायलेहों ने अपने झगड़े का राजीनामा मुद्दई के साथ कर लिया हो और बाकी मुद्दायलेहूम पर बिनाय मुखासमत उनके खिलाफ कुछ बाकी नहीं रहा और फैसले में यह बात भी दर्ज है कि मुद्दई को अख्त्यार है कि ऐसे मुद्दायलेहूम पर जिन पर डिक्री नहीं हुई दूसरी नालिश दायर करें तो ऐसी सूरत में मुद्दई उन्हीं मुद्दायलेहूम पर दूसरी नालिश करने में रेसजुडिकेटा के कायदे से रोका न जायगा (इ. केस जि. १५ सफा ६३०)—

बाद के मुर्तहन की नालिश में यह जरूर नहीं है कि पहले मुर्तहन फरीक बनाये जावें और न यह जरूर है कि पुराने रहन के सवाल का तसफिया किया जावे—जब बाद का मुर्तहन पहले रहन को कबूल करे तो पहिला मुर्तहन अपने रहन की नालिश दायर कर सक्ता है गो बाद के मुर्तहन की नालिश में जो डिक्री सादिर हुई हो उस में पहिले मुर्तहन के हक का बचाव खास तौर पर न किया गया हो—(इ. केस जिल्द १३ सफा १ ८२).

मुसम्मी (अ) ने नालिश वाली जमीन का कबजा अपनी लड़की (ब) के नाम लिख दिया—वह जमीन बइजराय डिकरी जो (ब) के बेटों पर हुई थी कुर्क की गई—लड़की (ब) ने दावा किया मगर उस का दावा खारिज हुआ—(ब) ने फिर नालिश बमूजिब दफा २८३ जाब्ता दीवानी सन १८८२ यानी आर्डर २१ कायदा ६३ की रू से दायर किया और उस में डिकरीदार और उस के बेटों को मुद्दायलेह गरदाना—उस की नालिश खारिज हुई—इन के बाद वह जायदाद नीलाम की गई और (ड) ने उस को खरीद किया—चूंकि (ड) को कबजा नहीं मिला इस लिये उसने कबजा दिला पाने की नालिश दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि (ड) डिकरी पाने का हकदार है—[इ केस जिल्द २० सफा २५०]

दरखास्त नजरसानी बतौर नालिश हस्ब मनशा दफा ११ जाबता दीवानी के नहीं समझी जावेगी इस लिये इस की नालिश में रेसजुडीकेटा का कायदा लागू न होगा इस बिना पर कि पहली नालिश के फैसले की नजरसानी की दरखास्त

खारिज हुई थी और दरखास्त नजरसानी में वही वजूहात दर्ज थे जो दूसरी नालिश में दर्ज हैं—(इ. केस. जिल्द १८ सफा ४४४)

एक बेवा ने कुछ मौरूसी खेत बेची—उस के खाविन्द के वारसों ने नालिश खरीदार व बेवा पर दायर की—नालिश में एक तनकीह इस सवाल की निकाली गई थी कि आया बदल का रूप्या दिया गया या नहीं—बेवा ने वे वो रूप्या पाने से इकार किया—यह तनकीह खरीदार के खिलाफ पाई गई—खरीदार ने दूसरी नालिश बेवा पर वास्ते दिला पाने कबजा बची हुई जायदाद के दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि सवाल निसबत अदाई जर बदल बतौर रेसजुडीकेटा के दूसरी नालिश में काम देगा—(इ केस जिल्द १६ सफा ८०)

तीन राहनों में से एक राहन ने नालिश इनफिकाक सन १६०४ में दायर किया—उसने दो राहनों को मुद्दायलेह गरदाना और उस को डिकरी इनफिकाक की इस शर्त पर मिली कि वह जर रहन ६ माह के अन्दर पटावे और न पटाने की सूरत में उस को हक इनफिकाक न रहेगा—उस ने ६ माह के अन्दर रूप्या नहीं पटाया और डिकरी उस के खिलाफ कतई हो गई—सन १९१० में बाकी दो रहेनदारों ने दूसरी नालिश इनफिकाक की दायर की और उस पहिले रहनदार (राहन) को मुद्दायलेह गरदाना—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि दूसरी नालिश में रेसजुडीकेटा का कायदा लागू होगा—(इ. केस जिल्द २० सफा ३७२).

जब दो नालशों में एकही सवाल हो और एक डिकरी की नाराजगी से अपील दायर की गई हो और दूसरी डिकरी के खिलाफ नहीं, तो एक नालिश का फैसला दूसरी नालिश के फैसला में रेसजुडीकेटा का काम न देगा (मदरास वी नो सन १९१४ ई० सफा ६१६)

डिक्री बहक या खिलाफ बेनामीदार यानी फर्जी मालिक बतौर रेसजुडिकेटा खिलाफ असली मालिक के काम देगी जब कि असली मालिक ने झगड़ा दरमियान बिनामीदार व तीसरे शख्स के चलने दिया हो और खुद खड़ा न हुआ हो—उसूल यह है कि अगर नालिश असली मालिक के इल्म और इजाजत से हुई हो और वह खुद सामने नहीं आने चाहता तो वह डिक्री का पाबन्द समझा जायेगा—जब किसी नालिश में बिनामीदार इकबाल करे कि मैं सिर्फ दूसरों की तरफ से बिनामीदार हू और जायदाद नालिश में मेरा कोई हक नहीं

है, इस लिये असली मालकान फ़रीक़ नालिश बनाये जावें और इतना होने पर भी मुद्दई ने यह जिद किया कि मुद्दायलेह ही नाम असली मालिक है तो ऐसी सूरत में डिक्री बतौर रेसजुडिकेटा खिलाफ़ असली मालकान काम न देगी और असली मालकान की तरफ से दूसरी नालिश चल सकेगी (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३६ सफा ४४६)

उसूल रेसजुडिकेटा लागू न होगा जब कि दोनों नालशों में मुद्दायलेहुम वही न होवें, गो मुद्दई वही होवे, और नालिशों के झगड़े की चीज भी वही होवे (इ. के जिल्द २५ सफा ४३४).

नाबालिग ऐसे डिक्री का पाबन्द न होगा जो उस के खिलाफ़ सादिर की गई हो जब कि वह यह साबित करे कि उसका वली भारी गफ़लत का कसूरवार था—एक हिन्दू नाबालिग की मा वो वली ने नाबालिग की जायदाद का रहननामा लिखा—मुर्तहन ने नालिश रहन मा पर दायर की वो डिक्री हासिल करके उस की इजराय में नाबालिग का हक़, जो जायदाद में था नीलाम कराना चाहा—नाबालिग ने उजरदारी पेश किया कि उस का हक़ मा की डिक्री के इजराय में नीलाम नहीं होना चाहिये—उस की उजरदारी मंजूर हुई—मुर्तहन ने नाबालिग पर इस बात के इस्तक़रार हक़ की नालिश दायर किया कि नाबालिग की जायदाद उस के मा की डिक्री के इजराय में काबिल नीलाम करार दी जावे—यह नालिश इस बिना पर खारिज की गई कि जो डिक्री मा पर हुई थी वह ऐसे बिनाय मुखासमत की रू से हुई जो सिर्फ मा की जात पर लागू थी—इस लिये मा की डिक्री में नाबालिग की जायदाद नीलाम नहीं की जा सक्ती है—नाबालिग के बालिग होने पर मुर्तहन ने उस पर नई नालिश दायर किया—इस नालिश में यह बहेस की गई कि रेसजुडिकेटा के सबब से यह नालिश नहीं चल सक्ती—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि नालिश चल सक्ती है (इ के. जिल्द २७ सफा १०३)

एक वेश्या ने, जिस ने एक लड़के को गोद में लिया था, इस अमर के इस्तकरार-हक की [illegible] दायर किया कि लड़के का गोद लिया जाना इस बिना पर ना[illegible] को (वेश्या को) गोद लेने की इजाजत नहीं [illegible] हाई कोर्ट ने फैसला खिलाफ़ मुद्दई

इस बिना पर दिया कि जब उस ने खुद गोद में लिया तो वह अपने चलन से गोद में इतराज करने से रोका जा सकी है और सवाल इजाजत की निस्बत अदालत मातहत ने जबानी शहादत लेना नामजूर किया—प्रिवी कौंसिल में अपील होने पर बोर्ड ने अपील बरबिनाय उसूल स्टापिल (दफा ११५ एवड शहादत) जो बरबिनाय मुद्दई अपील खारिज किया—इस के बाद वारिस मावाद ने (यानी बेवा के मरने के बाद जिस का हक पहुंचता था उस ने) नालिश इस्तकरार निस्बत नाजायज करार देने गोद इस बिना पर दायर किया कि इजाजत नहीं थी—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई (जिस में साहबान जसटिस बनरजी वो रेमियर की राय एक थी वो चीफ जसटिस साहब रिचर्डस की राय खिलाफ थी) कि पहली नालिश का फैसला बतौर रेसजुडिकेटा के काम देगा और नालिश न चल सकेगी (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द ३७ सफा ४९६)

दफा १२ जब कोई मुद्दई किसी कायदे की रू से कोई मुकदमा नया का काबिल समाअत न होना — नया मुकदमा निसबत किसी खास बिनाय मुखासमत के दायर करने से रोका गया हो तो वह कोई मुकदमा निसबत बिनाय मुखासमत मजकूर के किसी अदालत दीवानी में जिस से यह मजमूआ मुताल्लुक है दायर नहीं कर सकेगा

तशरीह.—यह दफा नई है पुराने मजमूआ में दर्ज न थी

इस एक्ट के तमहीद के मुताबिक यह मजमूआ अदालत हाय दीवानी को लागू होता है—मगर हस्ब दफा ५ इस मजमूआ के अहकामात अदालत हाय माल को लागू किये जा सक्ते हैं

दफा १३. फैसला रियासत गैर ऐसे अमर की निसबत तजवीज रियासत गैर किन सूरतों में कतई न होगी — कतई होगा, जो सरीहन उस की रू से दरमियान उनही फरीकैन के या दरमियान उन के जिन के जरिये से फरीकैन हाल या बाज उन में से दावीदार हो, और उसी इस्तेहकाक पर दावा करते हों फैसला हो चुका हो—सिवाय नीचे लिखी हुइ सूरतों के —

(क) जब कि अदालत अखत्यार मजाज ने उस को न सुनाया हो

(ख) जब कि वह हस्ब रूयेदाद मुकदमा न किया गया हो.

(ग) जब कि मुकदमे की कार्रवाई से जाहरा में यह मालूम होता हो कि वह फैसला व२ बिना गलत समझी किसी ऐसे कानून के है जो दरमियान मुख्तलिफ कौमों में तामील के लिये वाजिब हो या उन सूरतों में कि जहां कानून रायज ब्रिटिश इंडिया का ताअल्लुक हो तो फैसले से कानून मजकूर का तसलीम किया जाना न पाया जाता हो

(घ) अगर वह कार्रवाई जिस में तजवीज हासिल की गई हो खिलाफ इंसाफ कुदरती के हो

(ङ) अगर वह तजवीज फरेब से हासिल की गई हो

(च) अगर वह ऐसे दावे को कायम रखता हो जो किसी कानून मजारिया ब्रिटिश इंडिया की उदूल हुक्मी के बिना पर हो.

तशरीह:—इस दफा में लिखी हुई छे सूरतों के सिवाय फैसला रियासत गैर के रू से किसी मुकदमा की सुनाई की मनाई न होगी जो अन्दर हद ब्रिटिश इंडिया के दायर किया जावे

इस मुकदमा में मुद्दई ने अदालत मुल्क फरासीस में एक फैसला बर खिलाफ बाप मुद्दायलेह के हासिल किया—मुद्दई ने मुद्दायलेह पर उसी फैसला की रू से उसी अदालत में ब हैसियत कायम मुकाम उसके बाप के नालिश दायर करके डिकरी हासिल किया—अब नालिश हाल उस ने उसी फैसला की बिना पर दायर किया—तजवीज अदालत हाई कोर्ट यह करार पाई कि मुद्दायलेह पर फरासीसी अदालत के फैसला की पाबन्दी कि जो उस के ऊपर ब हैसियत कायम मुकाम उस के बाप के सादिर हुआ था लाजमी होगी—(इ० ला० रि० मदरास जिल्द २ सफा ३३७).

यह दफा पुराने जाब्ता दीवानी सन १८८२ की दफा १४ के मुताबिक है.

"तजवीज़ रियासत गैर" की तारीफ के लिये देखो दफा २ (१).

हिन्दूस्थान में तजवीज रियासत गैर रेसजुडीकेटा का असर पैदा करती है—(इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १३ सफा २२४)—तजवीज रियासत गैर जमीन वाके ब्रिटिश इंडिया पर बाला २ असर नहीं डाल सक्ती—(इ० ला० रि० मदरास जिल्द १९ सफा ५२७)—नालिश नालिश में फर्क है—एक तो वह नालिश

जिस में मुद्दायलेह यह उजर करे कि मुद्दई की नालिश बवजह तजवीज रियासत गैर हस्ब दफा ११ नहीं चल सक्ती—और दूसरी वह जिस में मुद्दई तजवीज रियासत गैर को अमल में लाना चाहता है (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २६ सफा ६३१)

तजवीज रियासत गैर जो डिकरी अदालत वाके ब्रिटिश इंडिया के आधार पर हासिल की गई हो असली डिकरी के इजराय में कोई रूकावट न करेगी—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ७ सफा ८२).

जब तक तजवीज रियासत गैर में कोई खास मुकर्रर रकम दर्ज न हो तो उस का अमल दरआमद नहीं हो सक्ता—(इ. ला. रि मदरास जिल्द २२ सफा ३८२)

अदालत देशी रियासत की तजवीज के आधार पर नालिश चल सकेगी—(इ ला. रि बम्बई जिल्द १४ सफा ८६७ इ ला रि कलकता जिल्द २२२ प्रिव्ही कौंसिल)

फिकरा (अ) —अदालत रियासत गैर की हुकूमत ऐसे शख्स पर न होगी जो रईयत ब्रिटानिया है और जो ब्रिटिश इंडिया में परवरिश पाया है और रहता है और जो अन्दर हद इलाका हुकूमत अदालत मजकूर उस वक्त न था जब कि नालिश उस पर दायर हुई और न उस के पेश्तर था और जिसने अपने फैल से मसलन पेशी पर हाजर होकर या मुकदमा की पैरवी करके अपने को जेर हुकूमत अदालत मजकूर नहीं ठहराया था—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ९३१)

जिस शख्स ने अपने को जेर हुकूमत अदालत रियासत गैर ठहराया है वह पीछे से अपने को तजवीज अदालत मजकूर से बरी नहीं कर सक्ता—(इ ला रि मदरास जिल्द ३० सफा २१२).

मुकदमा की पैरवी के लिये सिर्फ वकील लगाने से यह न समझा जायगा कि फरीक ने अपने को जेर हुकूमत अदालत गैर के ठहराया (इ ला रि. मदास जिल्द १८ सफा ३५७).

अगर उजर निस्बत न रहने जेर हुकूमत के अदालत इब्तदाई में किया

(ख) जब कि वह हस्ब रूयेदाद मुकदमा न किया गया हो.

(ग) जब कि मुकद्दम की कार्रवाई से जाहरा म यह मालूम होता हो कि वह फसला यर बिना गलत समझी किसी ऐसे कानून के है जो दरमियान मुत्तालिक कौमों में तामील के लिये वाजिब हो या उन सूरतों में कि जहां कानून रायज ब्रिटिश इंडिया का ताअल्लुक हो तो फैसले से कानून मजकूर का तसलीम किया जाना न पाया जाता हो

(घ) अगर वह कार्रवाई जिस में तजवीज हासिल की गई हो खिलाफ इंसाफ कुदरती के हो

(ङ) अगर वह तजवीज फरेब से हासिल की गई हो.

(च) अगर वह ऐसे दावे को कायम रखता हो जो किसी कानून मजारिया ब्रिटिश इंडिया की उदूल हुक्मी के बिना पर हो

तशरीह:—इस दफा में लिखी हुई छै सूरतों के सिवाय फैसला रियासत गैर के रू से किसी मुकदमा की सुनाई की मनाई न होगी जो अन्दर हद ब्रिटिश इंडिया के दायर किया जावे.

इस मुकदमा में मुद्दई ने अदालत मुल्क फरासीस में एक फैसला बर खिलाफ बाप मुद्दायलेह के हासिल किया—मुद्दई ने मुद्दायलेह पर उसी फैसला की रू से उसी अदालत में ब हैसियत कायम मुकाम उसके बाप के नालिश दायर करके डिकरी हासिल किया—अब नालिश हाल उस ने उसी फैसला की बिना पर दायर किया—तजवीज अदालत हाई कोर्ट यह करार पाई कि मुद्दायलेह पर फरासीसी अदालत के फैसला की पाबन्दी कि जो उस के ऊपर ब हैसियत कायम मुकाम उस के बाप के सादिर हुआ था लाजमी होगी—(इ ला रि मदरास जिल्द २ सफा ३३७).

यह दफा पुराने जाब्ता दीवानी सन १८८२ की दफा १४ के मुताबिक है.

"तजवीज रियासत गैर" की तारीफ के लिये देखो दफा २ (६).

हिन्दूस्थान में तजवीज रियासत गैर रेसजुडीकेटा का असर पैदा करती है—(इ ला. रि बम्बई जिल्द १३ सफा २२४)--तजवीज रियासत गैर जमीन वाके ब्रिटिश इंडिया पर बाला २ असर नहीं डाल सक्ती—(इ. ला. रि मदरास जिल्द १६ सफा ५२७)—नालिश नालिश में फर्क है—एक तो वह नालिश

जिस में मुद्दायलेह यह उजर करे कि मुद्दई की नालिश बवजह तजवीज रियासत गैर हस्ब दफा ११ नहीं चल सक्ती—और दूसरी वह जिस में मुद्दई तजवीज रियासत गैर को अमल में लाना चाहता है (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ९३१)

तजवीज रियासत गैर जो डिकरी अदालत वाके ब्रिटिश इंडिया के आधार पर हासिल की गई हो असली डिकरी के इजराय में कोई रूकावट न करेगी—(इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ७ सफा ८२).

जब तक तजवीज रियासत गैर में कोई खास मुकर्रर रकम दर्ज न हो तो उस का अमल दरआमद नहीं हो सक्ता—(इ ला. रि मदरास जिल्द २२ सफा ३८२)

अदालत देशी रियासत की तजवीज के आधार पर नालिश चल सकेगी—(इ ला. रि बम्बई जिल्द १४ सफा ८६७ इ ला. रि कलकता जिल्द २२ प्रिव्ही कौंसिल)

फिकरा (अ)—अदालत रियासत गैर की हुकूमत ऐसे शख्स पर न होगी जो रईयत ब्रिटानिया है और जो ब्रिटिश इंडिया में परवरिश पाया है और रहता है और जो अन्दर हद इलाका हुकूमत अदालत मजकूर उस वक्त न था जब कि नालिश उस पर दायर हुई और न उस के पेश्तर था और जिसने अपने फैल से मसलन पेशी पर हाजर होकर या मुकदमा की पैरवी करके अपने को जेर हुकूमत अदालत मजकूर नहीं ठहराया था—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ९३१)

जिस शख्स ने अपने को जेर हुकूमत अदालत रियासत गैर ठहराया है वह पीछे से अपने को तजवीज अदालत मजकूर से बरी नहीं कर सक्ता—(इ ला रि मदरास जिल्द ३० सफा २९२).

मुकदमा की पैरवी के लिये सिर्फ वकील लगाने से यह न समझा जायगा कि फरीक ने अपने को जेर हुकूमत अदालत गैर के ठहराया (इ ला रि, मदरास जिल्द १८ सफा ३५७)

अगर उजर निस्बत न रहने जेर हुकूमत के अदालत इब्तदाई में किया

गया हो मगर अपील में न किया गया हो तो उस से यह मतलब न निकाला जायगा कि फरीक जेर हुकूमत था (इ, ला. रि, मदरास जिल्द २ सफा ४०७),

आम कायदा यह है कि मुद्दई को अपनी नालिश ऐसी अदालत में दायर करना चाहिये कि जिस के इलाका हुकूमत के अन्दर मुद्दायलेह उस वक्त रहता हो और सिर्फ यह वाकेआ कि मुद्दायलेह अपना कारबार साझेदारी अन्दर इलाका हुकूमत अदालत रियासत गैर के करता है और साझेदारान उस इलाका के अन्दर रहते हैं यह करार देने के लिये काफी वजह न होगा कि वैसी अदालत रियासत गैर की हुकूमत सकूनत न रखने वाले मुद्दायलेह पर हैं (इ ला रि मदरास जिल्द २० सफा ११२).

फिकरा (ब) —मुद्दायलेह जिस पर इकतरफा डिक्री अदालत रियासत गैर की सादिर हुई हो और जो उस अदालत के इलाका हुकूमत में नहीं रहता था जर डिक्री का देनदार नहीं ठहराया जा सकेगा (इ ला रि मद्रास जि ४ सफा० ३५९)—

तजवीज अदालत रियासत गैर की सादिर होने के पेश्तर अगर मुद्दायलेह को नोटिस यानी हुक्मनामा न दिया गया हो तो वैसी तजवीज रद्द समझी जावेगी (इ ला रि मद्रास जिल्द १३ सफा ४९६)

फिकरा (क) —जब मियाद जाराजोई की रूकावट करे मगर हक को तलफ (नष्ट) न करे तो तजवीज अदालत रियासत गैर की निस्बत यह उजर नहीं किया जा सक्ता कि नालिश वैसे एक्ट मियाद समाअत की रू से बेरू मियाद है जो उस मुल्क को लागू था जहा माहदा किया गया (इ ला रि. मदरास जिल्द २ सफा ४००)

इजराय डिक्री अदालत रियासत गैर —अदालत रियासत गैर की डिक्री की इजराय इस मजमूआ जाब्ता दीवानी के कायदों के मुताबिक होगी (इ ला रि. मद्रास जि. २ सफा ३३७)—

जब नालिस अदालत रियासत गैर में मुद्दायलेह का उजर दावा खारिज किया गया हो और फैसला ब हक मुद्दई हुआ हो और ऐसे फैसला के आधार पर नालिस दायर की गई हो तो वैसी तजवीज अदालत रियासत गैर ऐसी

नहीं समझी जावेगी कि जो बलिहाज रूइदाद मुकदमा सादिर की गई और न वह कतई समझी जावेगी-पस उस के आधार पर दूसरी नालिश दायर न हो सकेगी (मदरास ला जरनल जिल्द २७ सफा ६७०)

फैसला अदालत अंग्रेजी निस्बत चंद तनकीहात, जो बिनाय अरजी दावा किसी ऐसी नालिश की हो जो ब्रिटिश इंडिया के बाहर देशी रियासत में चली हो, वैसी देशी रियासत की नालिश में बतौर रेसजुडिकेटा काम न देगा और न वह हस्ब दफा १३ जाब्ता दीवानी कतई समझा जावेगा (इ. केस जिल्द २५ सफा १६२).

दफा १४. क्यास अदालत निस्बत तजवीज रियासत गैर. **जब कोई दस्तावेज पेश किया जाय जिस से जाहिर होता हो कि वह नकल तसदीक की हुई किसी तजवीज रियासत गैर की है, तो अदालत क्यास कर लेगी कि तजवीज जिस की वह नकल है एक अदालत मजाज की तरफ से सुनाई गई तावक्ते कि मिसल से उस के खिलाफ कोई बात न पाई जावे— लेकिन अदालत मजकूर को मजाज न होने का सुबूत देने से ऐसा क्यास दूर हो सका है.**

तशरीह —यह दफा पुरानी दफा १३ मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ समझावना ६ के मुताबिक है

इस दफा की मनशा यह है कि तजवीज अदालत रियासत गैर के बतौर रेसजुडिकेटा पेश होने से अदालत जिस को यह मजमूआ लागू है क्या क्यास निकालेगी—मतलब यह है कि तजवीज अदालत रियासत गैर पर अदालत हाय जहा यह मजमूआ लागू है भरोसा कर सक्ती है और वैसी तजवीज लायक कबूली के होगी (इ ला रि बम्बई जिल्द १३ सफा २२७)

मुकाम नालिश

दफा १५ किस अदालत में नालिश दायर होना चाहिये **हर नालिश सब से छोटे दर्जे की अदालत में जो उस की तजवीज करने की मजाज हो, दायर की जायगी**

तशरीह.—इस दफा से सबजज को मुनसिफ के अख्त्यार समाअत के नालिश की तहकीकात करने की मुमानियत नहीं है—(इ. ला रि. कलकत्ता जि. १७ सफा ११५ वो इ ला रि. अलाहबाद जि ९ सफा १९१ वो इ. ला. रि. मद्रास जि १५ सफा २४१ वो इं ला. रि. अलाहबाद जिल्द ७ सफा २३०)

१३१७॥-) के नकदी की डिक्री के इजरा में कुछ जायदाद गैर मनकुला कुर्क की गई और एक शख्स ने यह दावा किया कि वह जायदाद १०३६८) में उस के पास रहन है और उस का हक रहन रख कर नीलाम किया जावे तो यह करार दिया गया कि सबजज को उस के तहकीकात का अख्त्यार है—(इ. ला रि. बम्बई जि ६ सफा ९८२).

५०००) रू० की एक डिक्री अदालत सबजज से सादिर हुई और बाद को सूद शामिल होकर ५०००) से बढ़ गई तो इजरा डिक्री के लिये सबजज को अख्त्यार है—(इ ला रि. बम्बई जि. १० सफा २००)

जब कि अदालत को अख्त्यार नहीं है तो फरीकैन की रजामन्दी से अख्त्यार नहीं हो सक्ता है (इ ला रि कलकत्ता जि. ५ सफा ४८६ वो वी. रि जि २४ सफा २०५ वो इ ला रि बम्बई जि ९ सफा २६६).

अगर कोई फरीक तातील के रोज हाजिर होकर कोई कार्रवई होने दे तो वह बाद को अदालत के अख्त्यार के निस्बत उजर नहीं कर सक्ता—(इ ला रि अलाहबाद जि ९ सफा ३६६).

जब कि मुकदमा किसी गलत अदालत में दायर किया गया तो अख्त्यार समाअत का नुक्स मुकदमे के उस अदालत में मुन्तकिल होने से, जिस में वह दायर होना चाहिये था दूर नहीं होता है—(इ ला रि अलाहबाद जिल्द ४ सफा ४७८)

उजर निस्बत अख्त्यार समाअत अदालत् को फरीकैन अपनी मरजी से दर गुजर नहीं कर सक्ते—(इ ला. रि. मद्रास जि. १२ सफा २७३ वो इ. ला रि मद्रास जिल्द १२ सफा २११)

एक मुकदमा वास्ते इस्तकरार हक-इस अमर के कि जायदाद कीमती ४४०) रू० इजराय डिक्री कीमती १५००) रू० में काबिल नीलाम है- तो यह करार

दिया गया कि उस मुक़द्में की तहक़ीक़ात का अख्त्यार मुनसिफ को है और यह बात गैर जरूरी है कि जर डिग्री उस के अख्त्यार समाअत से ज़ियादा है—[इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ९ सफा १४०].

उजर निस्बत अख्त्यार समाअत अव्वल मर्तबा अपील दोयम में किया जा सक्ता है—(इ. ला रि. मदरास जि. १३ सफा २७३).

यह दफा पुरानी दफा के मुताबिक़ है.

यह दफा ऐसी नालिश में लागू न होगी कि जिस में दो मुद्दईयान होवें वो उन में से एक अपनी नालिश सब से छोटे दरजे की अदालत में दायर कर सक्ता है—(इ. ला रि मदरास जि. २३ सफा ५१९)

यह दफा सिर्फ जाब्ता से ताल्लुक रखती है—इस का यह मतलब नहीं है कि बड़े दरजे की अदालत नालिश के सुन्ने की मजाज नहीं है—[इ ला रि अलाहबाद जिल्द ७ सफा २३० इजलास कामिल]

सब-जज ऐसी नालिश सुन्ने का मजाज है कि जिस में कई बिनाय मुखासमत शामिल की गई हों और उन सब की मजमूई मालियत मुनसिफ के माली अख्त्यार से बढ़ गई हो गो अगर जुदी २ नालिश अलहदा २ बिनाय मुखासमत पर दायर की जाती तो वैसी नालिशें मुनसिफ की अदालत में दायर होती—(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ६).

छोटे दरजे की अदालत बड़े दरजे की अदालत के डिग्री को फरेब की बिना पर नाजायज करार देने की मजाज है—[कलकत्ता वी नोट जिल्द ११ सफा ९७६]

जब कोई नालिश मिनजुमले कई अदालतों के एक अदालत में दायर हो सके तो यह कानून का आम उसूल है कि मुद्दई अपनी नालिश वैसी अदालत में दायर कर सक्ता है कि जहा वह पसन्द करे—[इ. ला. रि. मदरास जिल्द १९ सफा ४७७].

दफा १३१ यानी आर्डर २१ कायदा ९८ में जो खास अख्त्यार बतलाया गया है वह इस दफा के आम कायदे का मुस्तसना समझा जायगा—(इ ला. रिपोर्ट मदरास जिल्द ८ सफा ५४८ प्रिवी कौंसिल, देखो दफा ६).

अख़्त्यार अदालत:—आया अदालत नालिश मुत्रे की मजाज है या नहीं इस का दारमदार नालिश की मालियत पर होगा तावक्ते कि कानून में ऐसा हुक्म न हो कि चंद किस्म की नालिशें बाज २ अदालतों में दायर की जावें-(मुर इंडियन अपील जिल्द ५ सफा ४२८)

अदालत को अख़्त्यार समाअत है या नहीं ऐसे सवाल की जाच में क्यास यह होगा कि वैसा अख़्त्यार सब से बड़े दरजे की अदालत की है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ८ सफा ४३८, ४४५).

अगर अर्जी दावा इस तरह पर तरमीम किया जावे कि उस से नालिश की मालियत अदालत के माली अख़्त्यार से बढ़ जावे तो वह नालिश बड़े दरजे की अदालत में दायर की जावेगी (इ. ला मदरास जिल्द ६ सफा २०८)

अदालत के माली अख़्त्यार की जाच असली नालिश की मालियत पर से होगी न कि उस रकम को जोड़ कर जो मुद्दई ने छोड़ दी हो (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १३ सफा ३२०)

नालिश निस्बत कायम कराने हक (इजदवाज) हमबिस्तरी अदालत मुनसिफ में चल सकेगी"(इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २८ सफा ५४५ प्रिवी कौंसिल)

दफा १६—बकैद तादाद मालियत या और कैदों के जो किसी कानून की रू से मुकर्रर हुई है नीचे लिखी हुई किस्मों में से नालिश नालिश वहां दायर होगी जहा झगड़ा वाली जायदाद वाके हो. **यानी:—**

(क) वास्ते हासिल करने जायदाद गैर मनकूला साथ या बगैर जरलगान या मुनाफा के,

(ख) वास्ते बटवाड़ा जायदाद गैर मनकूला के,

(ग) वास्ते कराने बैबाद या नीलाम या इनफिकाक रहन या कोई और बार यानी बोझा दर सूरत

जायदाद गैर मनकूला के,

(घ) वास्ते तसफिया कराने किसी और हक या गरज के जो जायदाद गैर मनकूला में या उससे मुतालिक हो,

(ङ) वास्ते पाने मावजा किसी नुकसानी के जो जायदाद गैर मनकूला को पहुंचता हो,

(च) वास्ते पाने जायदाद मनकूला के जो दर असल हिरासत या कुरकी में हो.

उस अदालत में दायर की जावेगी जिस के अखत्यार समाअत के हदूद अर्जी के अन्दर जायदाद मजकूर वाके हो—

मगर शर्त यह है कि जो नालिश वास्ते दादरसी निस्बत ऐसी जायदाद गैर मनकूला के या मावजा नुकसानी ऐसी जायदाद गैर मनकूला के हो जो मुद्दायलेह के कब्जे में हो या मुद्दायलेह की तरफ से किसी और के कब्जे में हो और खुद मुद्दायलेह की तामील हुक्म से उस तमाम दादरसी का हुसूल मुमकिन हो, तो जायज है कि वह उस अदालत में रूजू की जाय जिस के इलाके की हुदूद अरजी के अन्दर जायदाद वाके हो या उस अदालत मे जिस के इलाके की हदूद अर्जी के अन्दर मुद्दायलेह दर असल और इरादा करके अपनी खुशी से सकूनत रखता हो या कारोबार करता हो या बजात खास वास्ते फायदा के काम करता हो—

समझावना.—इस दफा मे "जायदाद" के लफ्ज से वह जायदाद मुराद है कि जो ब्रिटिश इंडिया में वाके हो—

नजीरें —हक रास्ता जायदाद गैर मनकूला में दाखल नहीं है (इ. ला रि बम्बई जिल्द २३ सफा ६७६)

दरख्त जो जमीन पर खड़ा है वह गैर मनकूला है (इ. ला. रि बम्बई

जिल्द १६ सफा २०७)

हक जलकर हक जायदाद गैर मनकूला है (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ३ सफा २७६).

मुकदमा बैवाद मुकदमा वास्ते जमीन के है (इ. ला. रि बम्बई जिल्द २२ सफा ७०१).

जब कि जायदाद गैर मनकूला अलेहदा जिलों में वाके है तो मुद्दई को अलेहदा अलेहदा नालिश बटवाड़ा करना चाहिये (इ ला. रि बम्बई जिल्द २२ सफा ६२२)

मुकदमा खिलाफ गुमाश्ता वास्ते हिसाब वो रूप्या जो बेजा तौर पर तसर्रूफ कर लिया गया हो उस अदालत में दायर होना चाहिये, जिस की हद समाअत के अन्दर वह जमीन वाके हो जिस के निसबत गुमाश्तागिरी कायम हुई हो—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २० सफा ४२५)

बयान निसबत अखत्यार समाअत मुकदमो के किसी नौबत पर किया जा सक्ता है—(इ ला रि बम्बई जिल्द २३ सफा २२; वो इ ला. रि. बगाल जिल्द १२ सफा १५५)

"जायदाद गैर मनकूला" में दाखल है जमीन वो जमीन से हासिल होने वाले फायदे वो जमीन से लगी हुई चीजें या ऐसी चीजें जो जमीन से लगी हुई चीजों से मुस्तकिल तौर पर लगी हों—(एक्ट १० सन १८९७ दफा ३ फिकरा २५).

इस मजमूआ की गर्ज के लिये ऊगती हुई फसल बतौर जायदाद मनकूला समझी जावेगी—देखो दफा २ (१३).

जो चीज अपनी मौजूदा हालत में स्थिर है यानी हरकत के लायक नहीं है वह बतौर जायदाद गैर मनकूला तसौव्वर की जावेगी—(बम्बई हाई कोर्ट रि जिल्द ६ सफा २१७).

नालिश वास्ते दिलाय जाने हक निसबत मारने मछली ऐसी झील मे जिस की जमीन का मालिक मुद्दई न हो बतौर नालिश निसबत जायदाद गैर मनकूला नहीं समझी जावेगी—(इ ला रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा ५४४

इजलास कामिल).

हक घाट मीर बहरी जायदाद गैर मनकूला में दाखल है—(इ ला रि मदरास जिल्द १३ सफा ५४)

नालिश निसबत दिला पाने हकियतनामें बतौर नालिश निसबत जमीन नहीं समझी जावेगी—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ४ सफा ३२२)

नालिश निसबत दखलयाबी जायदाद गैर मनकूला इस बिना पर कि रूप्या पहली डिकरी और उस की जरा फरोखी थी ऐसी अदालत में दायर की जाय जिस के इलाके हुकूमत में वैसी जायदाद वाके हो गो वह डिकरी किसी अदालत से सादिर हुई हो (कलकत्ता वी नो जिल्द ५ सफा ५५९)

फिकरा (अ)—लफज "साथ या बगैर जरलगान या मुनाफा के" ऐसी मुशकिल दूर करने के गरज से बढ़ाये गये हैं जो उस सूरत में होती जब कि मुदायलेह अदालत की हुकूमत के अन्दर सकूनत नहीं रखता मगर जायदाद नालिश अदालत हुकूमत के अन्दर वाके है—मतलब यह है कि अगर जायदाद अदालत की हुकूमत के अन्दर वाके है और मुदायलेह इलाका अदालत हुकूमत के बाहर सकूनत रखता हो तो भी नालिश उस अदालत में चल सकेगी जिस के इलाके हुकूमत में वैसी जायदाद वाके हो

फिकरा (य):—जब किसी नालिश निसबत बटवारा जायदाद मनकूला वो गैर मनकूला में जायदाद गैर मनकूला अदालत के इलाके हुकूमत के बाहर वाके हो तो नालिश का उस कदर हिस्सा वापिस लेने की इजाजत दी जा सक्ती है जिस कदर कि जायदाद गैर मनकूला से ताल्लुक है—(इ ला रि मदरास जिल्द २८ सफा २१६)

फिकरा (क)—इस फिकरा में लफज "नीलाम" नजीर इ ला. रि बम्बई जिल्द १७ सफा ५७० को अमल में लाने की गरज से बढ़ाया गया है.

फिकरा (ड)—नालिश निसबत दिला पाने जर समन यानी बिकरी का रूप्या जो पूरा न दिया गया हो, और कुछ बाकी रह गया हो, बतौर नालिश हस्ब मनशा दफा १६ समझी जावेगी— (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफा १०६५)

हक निसबत घाट मीर बहरी बतौर हक जायदाद गैर मनकूला समझा जावेगा—(इ. ला रि. मद्रास जिल्द १३ सफा ५४).

हक मछली मारने का बतौर हक जायदाद गैर मनकूला के समझा जावेगा (इ ला. रि कलकत्ता जि २४ सफा ४४६ -४५४)

इसी तरह पानी की नाली खुलाने का हक भी बतौर हक जायदाद गैर मनकूला के समझा जावेगा—(बी रि. जि. ४ सफा १०७).

पट्टा देने के इकरार से यह नहीं समझा जावेगा कि उस से जायदाद गैर मनकूला में कुछ हक पैदा हुआ—(बी रि. जि. २२ सफा २८७)

दफा १६ (फ) मजमूआ जाब्ता.दीवानी सन १९०८ ऐसी सूरतों में लागू न होगी जब कि जायदाद मनकूला, जिसके दिला पाने की नालिश दायर की गई हो अदालत रियासत गैर के हुक्म से कुर्क की गई हो—दफा १६ (क) का एवं ल न करके भी अगर जायदाद मनकूला रिआसत गैर में अदालत रियासत गैर के हुक्म से कुर्क की गई हो तो अदालत हाय ब्रिटिश इंडिया वैसी जायदाद के दिलापाने की नालिश के सुनने की मजाज न होगी, लेकिन अगर मुद्दायलेह ब्रिटिश इंडिया का रहने वाला हो और अदालत रियासत गैर की कुर्की उस के कहने पर की गई हो तो भी अदालत ब्रिटिश इंडिया की हुकूमत दूर न होगी क्यों कि जायदाद मनकूला मुद्दायलेह के साथ २ जाती है जहा वह जावें—(इं. केस जिल्द १४ सफा २७९).

नालिश वास्ते इस्तकरार हक कि रहन बहक चन्द मुद्दायलेहूम बमुकाबले मुद्दई नाजायज करार दिया जावे बतौर नालिश हस्ब मनशा दफा १६ (ड) की समझी जावेगी और अदालत जिसके इलाके हुकूमत के अन्दर जायदाद मारहूना वाके न होवे वैसी नालिश के सुन्ने की मजाज न होगी—(मद्रास ला: जरनल जि २३ सफा ६७६).

एक हिन्दू लड़का अपनी मा मुसम्मात अहिल्याबाई वो चार भाई मुसम्मी वेनीसिंग, फन्टूसिंग, डालचन्द वो ईश्वरी प्रसाद को बतौर अपने वारिसों के छोड़ कर मरा—मुतवफी की जायदाद जिलें नदिया, बड़दवान, गया, वो पटना में वाके थी—अहिल्याबाई ने नालिश इस्तकरार हक इस अमर की अपने

चार बेटों व एक पांचवे शख्स फदाली जो गया में रहता था नदिया में दायर किया और यह दादरसी मांगा कि उस का हक मुतवफी के जायदाद का एक का पांच वें हिस्से पर करार दिया जावे—अर्जी दावी में यह बयान किया गया था कि चारों भाईयों ने जायदाद पट्टे में देदी है और उस पट्टे में मा का कुछ जिकर नहीं किया गया इस लिये मा के हक को नुकसान पहुचा—सिर्फ एक पट्टा का जो गया वाली जमीन का बेनीसिंग ने फदाली को दिया था जिकर किया गया है, और यह तशखीस नहीं की गई कि और कौन २ सी जायदाद पट्टे में दी गई और किन २ को दी गई—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई, जिस में साहब जसटिस ...न की यह राय थी और वही राय मानी गई क्योंकि वह अदालत मातहत की ...य से मिलती थी, कि (१) अहिल्याबाई के हक पर जो दस्तनदाजी गया ...ं की गई वह वाजिब तौर से बतौर दस्तनदाजी कुल जायदाद में समझी ...सक्ती है—(२) बिनाय मुखासमत की गलत शमूली नहीं समझी ...ती है—(३) कि हस्ब दफा १७ मजमूआ जाब्ता दीवानी अदालत नदिया ...सी नालिश सुन्ने की मजाज है—मगर जसटिस काक्स साहब की राय खिलाफ ...ी—उन की यह राय हुई कि (अ) नालिश बवजह गल्त शमूली बिनाय ...ुखासमत खिलाफ कानून हैं (ब) कि नालिश निस्बत जायदाद वाके गया कि ...जवीज गया में हस्ब दफा १६ (ड) होना चाहिये, (क) दफा १७ ...जमूआ जाब्ता दीवानी सिर्फ उस हालत में लागू होगी जब कि निस्बत जायदाद ...ो कई जिलों में वाके हो एकही बिनाय मुखासमत होवें, नकि ऐसे सूरतों ... जबकि बिनाय मुखासमत खुद जुदी २ होवें—(ड) आर्डर (१) कायदा ...२) सिर्फ फरीकैन से लागू होता है न कि बिनाय मुखासमत से और इस ...ो रू से जुदी २ बिनायें मुखासमत इकट्ठी शामिल नहीं की जा सक्ती हैं— ...ई) कि आर्डर ११ कायदा (३) अहिल्या को काम न देगा—(फ) कि ...फा १६ मजमूआ जाब्ता दीवानी लागू नहीं हो सक्ती क्योंकि उजर निस्बत ...लत शमूली की सुनाई अदालत कर सक्ती थी—नालिश करने वाले को सिर्फ ...त,ही से उस को बिनाय मुखासमत हासिल नहीं हो सक्ती—उस का सिर्फ हक नहीं होना चाहिये बल्कि उस के हक में दस्तनदाजी होना चाहिये और तब ...स को बिनाय मुखासमत हासिल होगी (इ के जिल्द २१ सफा ४३८)

दफा १७. अगर नालिश वास्ते दादरसी निस्बत ऐसी

नालिश निसबत ऐसी जायदाद गैर मनकूला के जो कई अदालतों के इलाका अख्त्यार में वाके हो

जायदाद गैर मनकूला के या मावजा नुकसानी ऐसी जायदाद गैर मनकूला के हो जो कई अदालतों के इलाका अख्त्यार में वाके हो तो जायज है कि वह नालिश उस अदालत में रुजू की जाय जिस के इलाका अख्त्यार के अन्दर उस जायदाद का कोई हिस्सा वाके हो

मगर शर्त यह है कि दावी बलेहाज मालीयत से मुतदाविया काबिल समाअत अदालत मजकूर के हों

तशरीह:—हाई कोर्ट को अख्त्यार बहैसियत अदालत अपील किसी अदालत जिला को अख्त्यार समाअत देने का नहीं है—(इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १२ सफा २२५).

एक मुकदमा जरिये रहन एक अदालत में दायर किया गया उस की जायदाद मुख्तलिफ जिलों में वाके है, और डिक्री नीलाम दोनों जिलों की जायदाद के लिये हासिल की गई—यह करार दिया गया कि अदालत को मजाज था गो जुज जायदाद दूसरे जिलों में वाके थी—(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ८ सफा ७०३ वो जिल्द १२ सफा ३०७).

यह दफा मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० के दफा १९ के मुवाफिक है–इस दफा का उसूल कार्रवाई इजराय डिक्री में भी लागू होगा–(इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६६१, ६७३)

जायदाद गैर मनकूला के पाने के लिये देखो दफा १६–इस दफा में एक या जियादा बिनाय मुखासमत का जिक्र नहीं है—(इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ११ सफा ३६३)—और न इस दफा की रू से मुद्दई अलहदा २ नालिश वैसी अदालत में दायर करने से रोका गया है जिस के इलाके हुकूमत के अन्दर जायदाद वाकै हो–(इ. ल. रि मदरास जिल्द १४ सफा ३२४).

जब दावा मुद्दई वही होवे और मदाखलत करने वाला मुद्दायलेह भी दोनों नालशों में वही मुद्दायलेह होवे तो इस सवाल का तसफिया, कि आया दूसरी नालिश पहली नालिश की वजह से नहीं चल सक्ती, ऐसे सवाल के जवाब पर स्थिर होगा कि क्या दोनों मदाखलतें एक ही वक्त के करीब करीब की गई और

क्या ये मदाखलतें एकही मामला के सिलसिले में समझी जा सक्ती है ताकि दोनों मदाखलतों से एकही बिनाय मुखासमात पैदा होती हो—(इ. के. जिल्द २५ सफा ५७६)

दफा १८ (१) जब कि यह अमर कि दो या जियादा मुकाम दायरी नालिश अदालतों मे से किस अदालत के अख्त्यारात जब कि अख्त्यारात की हद्दूद अर्जी में फलां जायदाद गैर मनकूला की हद्दूद अर्जी ठीक वाके है मशकूक जाहिर किया जाय तो मालूम न हो ऐसी अदालतों मे से हर एक, बशर्ते कि बयान किये हुये शक के वजूहात के निसबत उस को इतमीनान हो जाय उस मजमून का बयान तहरीर करके नालिश का फैसला कर सक्ती है—और जो डिकरी ऐसी नालिश में सादिर होगी उस का वही असर होगा मानों कि जायदाद उसी अदालत के हद्दूद अख्त्यार के अन्दर वाके है

मगर जरूर है कि यह नालिश ब ऐतबार किस्म और मालियत के ऐसी हो कि अदालत उस की सुनाई करने की मजाज हो.

(२) अगर कोई बयान जिमन (१) के बमूजिब तहरीर न किया जाय, और रूबरू अदालत अपिल या नजरसानी के यह उजर किया जाय कि नालिश जायदाद मजकूर मे जो डिकरी या हुक्म सादिर हुवा वह ऐसी अदालत की तरफ से सादिर हुवा जिस के इलाके मे जायदाद वाके न थी तो वह अदालत जिस मे अपील या नजरसानी पेश हो, इस उजर को न सुनेगी अगर उस की राय में दायरी नालिश के वक्त कोई माकूल वजह शक की न हो निसबत इस के कि अदालत जायदाद के निसबत अख्त्यार समाअत रखती थी, और तावक्ते कि उस सबब से बेइन्साफी न हुई हो

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा १६ (अ) के बदले कायम की गई है.

ने देशी रजवाड़े में अपनी सकूनत अख्त्यार की हो (इ. ला. रि. मद्रास जिल्द २६ सफा ६६).

(अ) ने एक चिक मिदनापूर से कलकत्ता की दूकान पर (क) के नाम जारी किया और (ब) को दिया—(ब) ने उसे पुरलिया लेजाकर (क) को दिया और रूप्या लिया—नालिश पुरलिया में (क) ने (अ) पर दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि नालिश पुरलिया में चल सकी है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफा ८८४).

दायजे की नालिश उस अदालत में होगी जिस के इलाके हुकूमत के अन्दर शादी या छोड़ छुट्टी हुई (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ३२ सफा १४६).

नालिश निस्बत हतक इज्जत वैसे मुकाम पर की जा सकी है कि जहा हतक वाली बात मुस्तहर की गई (इ. ला. रि बम्बई जिल्द १३ सफा १७८)

समझावना (१):—किसी शख्स की औरत और कुटुम्ब का मुकर्रर व मुस्तकिल मकान जहा कि वह शख्स वापिस आने का इरादा हमेशा रखता है ऐसा मकान समझा जावेगा कि मानो वह शख्स उसी में अपनी सकूनत रखता है (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १ सफा ५१).

इसी तरह अगर वह शख्स किसी मुकाम पर बतौर सैर के चन्द रोजा सकूनत रखे तो वह मुकाम भी बतौर उस के सकूनती जगह के समझा जावेगा (पश्चिमोत्तर देश हाई कोर्ट रि. जिल्द ४ सफा २५)

अगर कोई दस्तावेज काबिल फरोख्तगी जोहरी इबारत लिखकर किसी अदालत के इलाके हुकूमत के अन्दर किसी शख्स के हवाले कर दिया जावे तो ऐसी इबारत जोहरी और हवालगी से नालिश उस दस्तावेज की निसबत वैसे अदालत में चल सकेगी गो वह दस्तावेज अदालत के इलाके के हुकूमत के बाहर लिखा गया हो—सरकारी मुलाजिम कई जगह तबदील किया जा सका है और मुमकिन है कि वह एकही जगह पर कई साल तक बना रहे तो जिस जगह में वह तैनात है वहा उस की [illegible] यह [illegible] जा सका कि वह उस मुकाम पर चंद रोजा [illegible] (इ के जिल्द ११ सफा ८५१)

मुद्दईयान मुकाम हातरस में गल्ले का रोजगार करते थे उन्होने मुद्दायलेह को, जो कराची में अढ़तिया का काम करता था, अपने लिये कुछ गल्ला खरीदने का हुक्म दिया—मुद्दायलेह ने हुक्म की तामील की और मुद्दईयान ने उस को कुछ रूपिया भेजा—हस्ब हिदायत मुद्दईयान रेल की रसीद बजरिये व्हेलु पेबिल भेजी गई—किसी सबब से वह रसीद नहीं पहुची—मुद्दायलेह ने रेल के मोहकमा वालों को माल हवाला करने से रोका कि जब तक रूपिया वसूल न हो जावे—मुद्दई ने मुद्दायलेह के मुख्त्यार को जो दिल्ली में रहता था बाकी रूपिया दे दिये मगर हातरस के रेलवे वालों ने माल की हवालगी बगैर मुद्दायलेह के मजूरी के नहीं दिया—इस में देर हो गई इतने में माल का भाव बदल गया और मुद्दई को नुकसान हुआ—मुद्दई ने नालिश हरजाना की अलीगढ़ में दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि यह नालिश हरजाना बमूजिब दफा २११ एक्ट माहदा मुद्दायलेह की गफलत और बुरे बरतावा के सबब से दायर की गई इसलिये बिनाय दावा कराची में पैदा हुई और नालिश अलीगढ़ में नहीं चल सक्ती—(अ ला जरनल जि. ८ सफा ११९०)

हात चिट्ठी की निस्बत नालिश उसी अदालत में चल सक्ती है जिस के इलाके हुकूमत के अन्दर फरीकैन चिट्ठी लिखने के वक्त रहते थे और जहा उस चिट्ठी का रूपिया दिया गया गो उस चिट्ठी का रूपिया अदालत के इलाके हुकूमत के बाहर तलब किया गया—ऐसे मामले में दफा ४९,५० एक्ट माहदा लागू न होगी—(कलकत्ता ला. जरनल जि १६ सफा २७६)

नालिश ऐसी अदालत में दायर हो सक्ती है जिसके इलाका हुकूमत के अन्दर दायरी के वक्त मुद्दायलेह दर असल और खुशी से रहता है गो उस की वैसी सकूनत चद रोजा हो—(इ के जि १४ सफा ५७३).

जब रूपिया अदा करने का मुकाम माहदे में साफ तौर से या मतलब से दर्ज न हो तो आम कायदा यह है कि कर्जदार अपने साहूकार को रूपिया जहा पर देवे जहा कि साहूकार रहता है—दफा ४९ एक्ट माहदा इस आम कायदा के मुवाफिक बनाई गई है और साहूकार को अख्त्यार है कि अदाई का माकूल मुकाम मुकर्रर करदे—(इ. के. जि. २० सफा ९८३)

नालिश वास्ते दवामी हुक्म इम्तनाई ऐसी अदालत में दायर की जाय जिस के

इलाके अखत्यारात के अन्दर मुद्दई के हक़ की छेड़ छाड़ की गई गो मुद्दायलेह वैसे इलाका अखत्यार के अन्दर रहता न हो—[इं. के. जि २९ सफा १०४]

कलकत्ता में डिक्री सादिर हुई और उस की इजराय में मैनपुरी में कुछ जायदाद कुर्क की गई—मदयून डिक्री ने मैनपुरी में डिक्री को रद्द कराने की नालिश इस बिना पर दायर किया कि वह डिक्री फरेब से हासिल की गई थी—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि अदालत मैनपुरी वैसी नालिश सुनने की मजाज नहीं है क्योंकि बिनाय मुखासमत कलकत्ता में पैदा हुई और उस का कुछ हिस्सा मैनपुरी में नहीं पैदा हुआ—मैनपुरी में जायदाद की कुर्की से बिनाय मुखासमत पैदा नहीं हो सक्ती—(अलाहाबाद ला जरनल जि १२ सफा ९५५).

जब कोई माल मन के हिसाब से न कि वैगन (रेल डब्बा) के हिसाब से जो कि सस्ता है ऐसे मुकाम पर भेजा जावे जहा दो जुदी रेल गाड़ी चलती हो तो अदालत खफीफा उस मुकाम की जहा माल भेजा गया वैसी नालिश सुनने की मजाज होगी जो वास्ते वसूली फर्क दरम्यान दोनों निरखों के दायर की जाय क्योंकि बिनाय मुखासमत का कुछ हिस्सा वहा पैदा हुआ —(अलाहबाद ला जरनल जि. १३ सफा ६६)

उजर निस्बत अखत्यार अदालत

दफा २१. कोई उजर निसबत मुकाम दायरी नालिश अदालत अपील या अदालत नजरसानी से मनजूर न होगा जब तक कि ऐसा उजर अदालत इब्तदाई में सब से पहले मौके पर न किया गया हो, और हर हालत मे जब कि तनकीह निकाल दी गई है तो तनकीह करार दिये जाने के वक्त या उस के पहले, उजर मजकूर पेश न किया गया हो, और तावक्ते कि उस से बेइनसाफी न हुई हो

तशरीह:—इस दफा में अदालत अपील से वह अदालत मुराद है जिस की इजलास में नीचे की अदालतों की डिक्री की नाराजी से अपील हुआ करती हो, और अदालत नजरसानी से वह अदालत समझी जावेगी जिसके पास दरख्वास्तें नजरसानी के ... मातहत पेश हो सक्ती हों.

पुरानी दफा के लिये देखो दफा १६ [अ] [२] व दफा ३४ एक्ट सन १८८२ आरडर १ कायदा १३ जब नालिश बजरिये रहन ऐसी अदालत में दायर की जावे जिस्के इलाका अखत्यार के अन्दर जायदाद मरहूना वाके न हो और डिक्री नीलाम बिला उजर सादिर हो तो मदयून डिक्री इजरा डिक्री के वक्त यह उजर पेश नहीं कर सकेगा कि वह डिक्री रद्द समझी जावे—(इ ला. रि मद्रास जि० २७ सफा ११८)—

जब कि उजर निस्बत अखत्यार अदालत मातहत में न किया गया हो तो अदालत अपील वैसे उजर को नहीं सुनेगी—[इ ला. रि बम्बई जि० १६ सफा ११६]—

इस दफा में यह हुक्म है कि उजर सिर्फ उस वक्त किया जाय जब कि तनकीहें कायम न की गई हो, यानी तनकीहों के कायम होने के पेश्तर उजर करना चाहिये लेकिन अगर तनकीहें कायम न की गई हो या तनकीह कायम करने के बाद उजर करने का मौका आवे तो क्या कार्रवाई करना चाहिये इसका जिक्र इस दफा में कुछ नहीं है—(इ. ला. रि बम्बई जि० ५ सफा ६०६) यो (इ ला. रि कलकत्ता जि० ७ सफा ६०३)—

यह दफा सिर्फ ऐसी सूरत में लागू होगी जब कि अदालत इब्तदाई उजर निस्बत अखत्यार अदालत सुनकर यह फैसला करे कि अदालत को वैसा अखत्यार है और उस नालिश का तसफिया रूयदाद पर करे और अदालत अपील या नजरसानी वैसी अदालत के उस सवाल के निस्बत उजर अखत्यार के फैसला से ना इत्तफाकी करे—यह दफा सिर्फ अदालत हाय अपील की हिदायत (रहनुमाई) की गरज से बनाई गई है और इससे अदालत इब्तदाई को कोई अखत्यार नहीं दिया गया है—इस दफा की रू से सिर्फ बड़े दरजे की अदालत को बाज कार्रवाई जायज करने के लिये, जो दीगर तौर पर जायज न हो सक्ती, अखत्यार दिया गया है—(इ केस. जि० २६ सफा ५४३)—

ऐसे मुकदमों को मुन्तकिल करने का अखत्यार जो एक से जियादा अदालतों में दायर हो सके

दफा २२ अगर कोई नालिश जो दो या जियादा अदालतों में से किसी एक अदालत में दायर हो सक्ती हो और उन में से किसी एक में दायर की जाय तो कोई मुद्दायलेह दूसरे फरीकों को नोटिस देकर, और

इलाके अखत्यारात के अन्दर मुद्दई के हक्क की छेड़ छाड़ की गई गो मुदायलेह वैसे इलाका अखत्यार के अन्दर रहता न हो—[इं. के. जि २९ सफा १०४]

कलकत्ता में डिक्री सादिर हुई और उस की इजराय में मेनपुरी में कुछ जायदाद कुर्क की गई—मदयून डिक्री ने मेनपुरी में डिक्री को रद्द कराने की नालिश इस बिना पर दायर किया कि वह डिक्री फरेब से हासिल की गई थी—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि अदालत मेनपुरी वैसी नालिश सुनने की मजाज नहीं है क्योंकि बिनाय मुखासमत कलकत्ता में पैदा हुई और उस का कुछ हिस्सा मेनपुरी में नहीं पैदा हुआ—मेनपुरी में जायदाद की कुर्की से बिनाय मुखासमत पैदा नहीं हो सकी—(अलाहबाद ला जरनल जि १२ सफा ६५५).

जब कोई माल मन के हिसाब से न कि वैगन (रेल डब्बा) के हिसाब से जो कि सस्ता है ऐसे मुकाम पर भेजा जावे जहा दो जुदी रेल गाडी चलती हो तो अदालत दफाकि उस मुकाम की जहा माल भेजा गया वैसी नालिश सुनने की मजाज होगी जो वास्ते वसूली फर्क दरम्यान दोनों निरखों के दायर की जाय क्योंकि बिनाय मुखासमत का कुछ हिस्सा वहा पैदा हुआ —(अलाहबाद ला. जरनल जि. १३ सफा ६६)

दफा २१ उजर निसबत अखत्यार अदालत — **कोई उजर निसबत मुकाम दायरी नालिश अदालत अपील या अदालत नजरसानी से मनजूर न होगा जब तक कि ऐसा उजर अदालत इब्तदाई में सब से पहले मौके पर न किया गया हो, और हर हालत में जब कि तनकीह निकाल दी गई है तो तनकीह करार दिये जाने के वक्त या उस के पहले, उजर मजकूर पेश न किया गया हो, और तावक्ते कि उस से बेइनसाफी न हुई हो**

तशरीह:—इस दफा में अदालत अपील से वह अदालत मुराद है जिस की इजलास में नीचे की अदालतों की डिक्री की नाराजी से अपील हुआ करती हो, और अदालत नजरसानी से वह अदालत समझी जावेगी जिसके पास दरख्वास्तें नजरसानी फैसला अदालत मातहत पेश हो सकी हों.

सुन्ने का अखत्यार हो—ऐसी सूरत में हाई कोर्ट दरखास्त गुजरने पर यह तै करेगी कि उन दो अदालतों में से किस अदालत में नालिश की कार्रवाई की जावे—दरखास्त हस्ब दफा २२ व २३ न चल सकेगी जब कि दो अदालतों में से एक अदालत का अखत्यार वैसी नालिश सुन्ने का न हो (अलाहाबाद ला, जरनल जि० १२ सफा ८१६)—

जब दो अदालतें एक नालिश सुने की मजाज हों और वह उन में से नालिश एक अदालत में दायर की जावे तो यह वाक़ेआ कि मुद्दायलेह अपनी शहादत दूसरी अदालत में रखता है मुक़द्दमा दूसरी अदालत में तबदील करने के लिये काफी वजह न हो (इ केस जिल्द २५ सफा ८७४)

दरखास्त किस अदालत में गुजरानी जायगी,

दफा २३. (१) अगर ऐसी कई अदालतें अखत्यार समाअत एक ही अदालत अपील की मातहत हों, तो दरखास्त बमूजिब दफा २२ अदालत अपील मे गुजरानी जायगी,

(२) अगर ऐसी अदालतें मुख्तलिफ अदालत हाय अपील की मातहत हो लेकिन एक ही हाई कोर्ट की मातहत हो तो दरखास्त हाई कोर्ट में गुजरेगी

(३) अगर ऐसी अदालतें मुख्तलिफ हाई कोर्ट की मातहत हो तो दरखास्त उस हाई कोर्ट मे गुजरेगी जिस के अखत्यारात समाअत में वह अदालत वाकै हो जहां कि मुकद्दमा दायर किया जाय

तशरीह—यह दफा पुरान एक्ट की दफा २३ वो २४ के बदले में कुछ थोड़ी तरमीम के साथ कायम की गई है

इस दफा से हाई कोर्ट को यह अखत्यार नहीं है कि मुकद्दमा जो उस के हद के अन्दर दायर है, किसी दूसरी हाई कोर्ट के हद के अन्दर मुन्तक़िल करदे, मगर सिर्फ यह करार दे सक्ती है कि किस अदालत में मुकद्दमा चलना चाहिये (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ५ सफा १०)

एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट को अपने फैसला के पाबन्द नहीं कर

सब से पहले मौके पर और कुल सूरतों में तनकीह करार दिये जाने के वक्त, या पहिले, किसी दूसरी अदालत में नालिश मुन्तकिल करने की दरखास्त दे सक्ता है—और वह अदालत कि जिसमे यह दरखास्त गुजरे वाद गौर करने उजरात दीगर फरीकैन के [अगर कोई हो] यह तसफिया कर देगी कि मुकदमें की सुनाई उन कई अदालत हाय मजाज में से किस अदालत में की जाय.

तशरीहः—पुरानी दफा के लिये देखो दफा २२—दरखास्त किस, अदालत में की जाय इसके लिये देखो दफा २३—यह दफा सिर्फ इस गरज से बनाई गई है कि जब अदालत खर्चा या सहुलियत या दीगर माकूल सबब की बिना पर यह देखे कि मुकदमा मुन्तकिल किया जाय तो इस दफा की रू से कार्रवाई की जा सक्ती है (इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ९ सफा ९८०)—

जब हाई कोर्ट को यह मालूम हो कि कोई नालिश उसके मातेहत अदालत में मुलतबी है औ वह दूसरे हाई कोर्ट की अदालत मातेहत में भी दायर हो सक्ती है और वैसे दूसरे हाई कोर्ट की अदालत मातहत में उसका चलाना बगर्ज इन्साफ या सहुलियत मुनासिब है तो ऐसी सूरत में वह सिर्फ इस वाकेआ को दर्ज करेगी और अरजीदावा को अदालत मातहत में पेश करने के लिये वापिस किये जाने का हुक्म देगी—वह खुद वैसी नालिश को दूसरे हाई कोर्ट की अदालत मातेहत में मुन्ताकिल (तबदील) नहीं कर सकेगी (इ केस जि० २० सफा ७५८)

मजबूत वजूहात बतलाना होगा कि मुद्दई अपनी नालिश ऐसी अदालत में जहां कि कानून इजाजत देता है दायर करने को क्यों रोका जावे—मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० की दफा २० को निकालने से अदालत के अखत्यार में अब कोई रोक टोक नहीं है—अदालत को यह बात तै करने का अखत्यार दिया गया है कि नालिश की सुनाई किस अदालत में की जाय—जिस जगह मुद्दई ने नालिश दायर की है वह जगह तबदील न की जावेगी जब तक कि यह जाहिर न किया जावे कि उस नालिश की तजवीज दूसरी जगह करने से बहुत सहुलियत होगी (बरमा ला टाईम्स जि० सफा १)

इस दफा की कार्रवाई सिर्फ उस सूरत में हो सकेगी जब कि नालिश एक या दूसरी अदालत में दायर की जाय और उन दोनों अदालतों को वैसी नालिश

सुन्ने का अखत्यार हो–ऐसी सूरत में हाई कोर्ट दरखास्त गुजरने पर यह तै करेगी कि उन दो अदालतों में से किस अदालत में नालिश की कार्रवाई की जावे–दरखास्त हस्ब दफा २२ व २३ न चल सकेगी जब कि दो अदालतों में से एक अदालत का अखत्यार वैसी नालिश सुन्ने का न हो (अलाहाबाद ला. जरनल जि० १२ सफा ८९६)—

जब दो अदालतें एक नालिश सुने की मजाज हों और वह उन में से नालिश एक अदालत में दायर की जावे तो यह वाकिआ कि मुद्दायलेह अपनी शहादत दूसरी अदालत में रखता है मुकदमा दूसरी अदालत में तबदील करने के लिये काफी वजह न हो (इ. केस जिल्द २५ सफा ८७४)

दरखास्त किस अदालत में गुजरानी जायगी.

दफा २३. (१) अगर ऐसी कई अदालतें अखत्यार समाअत एक ही अदालत अपील की मातहत हों, तो दरखास्त बमूजिब दफा २२ अदालत अपील में गुजरानी जायगी.

(२) अगर ऐसी अदालतें मुखतलिफ अदालत हाय अपील की मातहत हों लेकिन एक ही हाई कोर्ट की मातहत हों तो दरखास्त हाई कोर्ट में गुजरेगी

(३) अगर ऐसी अदालतें मुखतलिफ हाइ कोर्ट की मातहत हों तो दरखास्त उस हाई कोर्ट में गुजरेगी जिस के अखत्यारात समाअत में वह अदालत वाके हो जहां कि मुकदमा दायर किया जाय

तशरीह—यह दफा पुरान एक्ट की दफा २३ वो २४ के बदले में कुछ थोड़ी तरमीम के साथ कायम की गई है

इस दफा से हाई कोर्ट को यह अखत्यार नहीं है कि मुकदमा जो उस के हद के अन्दर दायर है, किसी दूसरी हाई कोर्ट के हद के अन्दर मुन्तकिल करदे, मगर सिर्फ यह करार दे सकी है कि किस अदालत में मुकदमा चलना चाहिये (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ५ सफा ६०)

एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट को अपने फैसला के पाबन्द नहीं कर

सक्ती है (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द २ सफा २४१, २४६, वो २४७).

जब मुकद्दमा शुरू होने को तैयार हो तो असली पहिली पेशी है जो दफा २३ से मुराद है—जब मिसल से यह जाहर न हो सके कि सकूनत की जगह कौन है तो नालिश की तजवीज वैसे मुकाम पर होगी जहा कि बिनाये मुखासमत पैदा हुई, और उस नालिश की झगड़े की जायदाद का कुछ हिस्सा वाके हो, और मुद्दायलेह के दरम्यान आपस में नालिश मुहतमी की चलती हो, वो दीगर मुकदमें बड़े २ मालियत के मुतवफा की जायदाद की निस्बत चल रहे हों (पंजाब ला रि. नम्बर १५० सफा ६९).

दरखास्त वास्ते तबदीली मुकदमा बतौर कार्रवाई गैर मामूली समझी जाती है और ऐसी गैर मामूली कार्रवाई कराने के लिये माकूल वजह बतलाना चाहिये (इ. केस जिल्द २४ सफा ७०७).

दफा २४ (१) हाई कोर्ट या अदालत जिला मजाज है कि फरीक मुकदमा में से किसी की दरखास्त पर फरीक हाय मुकदमा को इत्तला देकर और जिन फरीकों को अरज़ मारूज करना हो उन का बयान सुन कर या खुद अपनी मरजी से बगैर देने ऐसी इत्तला के मुकदमें की किसी नौबत पर

अख्त्यार आम मुकदमें को मुन्तकिल करने और वापिस लेने का

(क) किसी नालिश इब्तदाई या अपील या कोई दूसरी कार्रवाई को जो उस के रूबरू दायर हो तजवीज या फैसला के लिये किसी अदालत मातहत अपने के पास मुन्तकिल करदे जो उस के तजवीज या फैसला करने की मजाज हो—या

(ख) किसी नालिश या अपील या कोई दूसरी कार्रवाई को जो किसी उस के अदालत मातहत में दायर हो तलब करके

(१) उस की तजवीज या फैसला करे या

(२) उसको तजवीज या फैसला के लिये किसी अदालत मातहत अपने के पास मुन्तकिल करदे जो उस की तजवीज या फैसला करने की मजाज हो, या

(३) तजवीज या फैसले के लिये उसी अदालत में वापिस

भेजदे जहा से वह तलब की गई हो

(२) अगर कोई नालिश या कार्वाइ जिमन [१] के बमूजिब मुन्तकिल की या वापिस ली जाय तो हुक्म मुन्तकिल में जो हिदायत हो उन की पाबन्दी के साथ वह अदालत जो बाद को उस की तजवीज करे चाहे उस की तजवीज नये सिरे से करेगी या उस मुकाम से शुरू करेगी जहां से वह मुन्तकिल किया या वापिस लिया गया हो

(३) वास्ते मतलब इस दफा के अडीशनल जज्ज और असिस्टेंट जज्ज की अदालतें अदालत जिला की मातहत समझी जायगी

(४) अगर कोई मुकद्मा इस दफा के बमूजिब किसी अदालत मतालबेजात खफीफा से मुन्तकिल किया या वापिस लिया जाये तो वह अदालत जो उस मुकदमे की तहकीकात करेगी, मुकदमा मजकूर के वास्ते बतौर अदालत मतालबेजात खफीफा के समझी जायगी

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा २५ के मुताबिक है, सिर्फ थोड़ी सी तरमीम के साथ कायम की गई है

मुश्किल और पेचीदा अमर कानूनी का होना माकूल वजह मुन्तकिल होने मुकदमा के नहीं है (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द २४ सफा १८२)

रजामन्दी वो सहूलियत फरीकैन माकूल वजह है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा ७१६ वो जिल्द १६ सफा ७७१)

यह दफा उन मुकदमात से मुताल्लुक नहीं है जो अपील से वापिस वास्ते तजवीज सानी के भेजे जावें (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द २१ सफा २३० वो पी रि जिल्द १९ सफा २७४ वो इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १४ सफा ५३१)

अदालत डिस्ट्रिक्ट जज को कार्वाई इजराय डिक्री किसी मातहत अदालत में मुन्तकिल करने का अख्तयार नहीं है (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द

१५ सफा १७७)

दावा जो बतौर नालिश के दर्ज रजिस्टर हुआ हो इस दफा की रू से मुन्तकिल किया जासक्ता है (इ. ला. रि मद्रास जिल्द ८ सफा ५४६)

जब कोई अपील इस दफा की रू से मुन्तकिल की जावे तो उस में वे सब उजरात सुने जावेंगे जो कि वह अदालत सुनती जहा से कि वह अपील मुन्तकिल की गई (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द २५ सफा ३९)

डिस्ट्रिक्ट जज को यह अखत्यार नहीं है कि वह दरखास्तें या अपील जो कानून खास की रू से गुजरानी जावें उन को असिस्टेंट जज के पास भेजें (इ ला. रि बम्बई जिल्द १६ सफा २७७).

जब कोई नालिश गलत अदालत में दायर की गई हो तो यह नुक्स उस नालिश के मुन्तकिल करने से दूर न होगा (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ४२६ सफा ४७८)

जब दरखास्त वास्ते इजाजत नालिश मुफलसी मुन्तकिल की जाय तो नालिश मुफलसी भी मुन्तकिल हो सकेगी (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द २४ सफा ३५६)

यह दफा ऐसी नालिश में भी लागू हो सकेगी जो बमूजिब आर्डर ४१ कायदा २३ तजवीज सानी के लिये वापिस किया जाय क्योंकि इस दफा में यह हुक्म है कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुकदमा को किसी तौर पर मुन्तकिल कर सक्ती है (कलकत्ता ला जरनल जिल्द ९ सफा ६११).

फरीकैनः—साहूकार जिस को दरखास्त दिवालिया की इत्तला मिली है बतौर फरीक समझा जावेगा (इ ला. रि. बम्बई जिल्द २२ सफा ७७८).

इत्तला—जब नालिश, मुद्दई की दरखास्त पर और बिना इत्तला दिये मुद्दयलेह को मुन्तकिल की गई हो और मुद्दायलेह वैसी मुन्तकिल की हुई अदालत के अखत्यार को मानले और वहा हाजिर होकर अपने मुकदमा की पैरवी करे तो फिर पीछे से वह उस डिक्री के जायज होने की निस्बत उजर नहीं करने पावेगा (इ. ला. रि मद्रास जिल्द १३ सफा २१३)

लफ्ज "अदालत खफीफा" से ऐसी अदालत मुराद हैं जो वाजिब वो

खास तौर पर वैसी अदालत क़रार दी गई हो उस से ऐसी अदालत मुराद नहीं है जिस को अदालत खफ़ीफ़ा के अख्त्यार दिये गये हों (इं ला. रि. बम्बई जिल्द २३ सफा ३८२)

मुक़दमा मुन्तकिल करने से वह अदालत अदालत खफ़ीफ़ा नहीं बन जाती मगर सिर्फ़ वह उस नालिश की तजवीज बतौर अदालत खफ़ीफ़ा करेगी (इं ला रि. बम्बई जिल्द १८ सफा ६१)

जब डिस्ट्रिक्ट मुनसिफ जिस को खफ़ीफ़ा के अख्त्यारात हासिल थे तबदील हो और उस की जगह पर दूसरा मुनसिफ आवे जिस को वैसे अख्त्यारात न हो तो इस दफा की रू से उस को खफ़ीफ़ा के उन मुकदमों की तजवीज करने के लिये, जो उस के चार्ज लेते वक्त मुलतवी थे, कोई हुक्म की जरूरत न होगी क्योंकि हस्ब दफा ३५ एक्ट अदालत खफ़ीफ़ा वह उन की तजवीज बतौर नम्बरी नालिश कर सक्ता है (इं ला. रि कलकत्ता जिल्द ३१ सफा १०५७)

वजूहात मुन्त किली:— मुन्तकिल के लिये नीचे लिखे वजूहात हो सक्ते हैं.—

१ जज ने मुकदमे की निस्बत अपनी राय पहिले से कायम करली है और जाहर की है (इं ला. रि कलकत्ता जिल्द १० सफा ६१५).

२ रजामन्दी व सहूलियत फरीकैन (इं ला रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा ७७१)

३. चलन जज व किस्म ख्यालात वास्ते तसफिया (बंगाल ला रि. जि० १० सफा १६८)—

नजरसानी:—नजरसानी न होगी (इं ला रि. अलाहाबाद जि० ६ सफा २३३)—

मुन्तकिली नालिश बगैर देने नोटिस फरीकैन जब कि मुन्तकिली फरीकैन के कहने पर की गई हो भारी बेजाब्तगी समझी जावेगी मगर हाई कोर्ट दस्तनदाजी नहीं करेगी क्यों कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बगैर नोटिस दिये मुन्तकिली कर सक्ती

है (मद्रास ला. जरनल जि० २१ सफा ८२९)—

डिस्ट्रिक्ट जज को नालिश सब जज के अदालत से बमूजिब दफा २४ सिर्फ इस वजह से वापिस नहीं लेना चाहिये कि एक दूसरे मुकदमा में जो इसी किस्म का था सब-जज ने कानून की गल्त समझी की थी अगर डिस्ट्रिक्ट जज की मनशा किसी नालिश की कतई तजबीज करने की न हो तो नालिश को सिर्फ इस गरज के लिये मुन्तकिल नहीं करना चाहिये कि वह उसका तसफिया सिर्फ इब्तदाई बिना पर कर सके (इ. के जि० १५ सफा ५९९)—

नालिश को बगैर देने नोटिस फरीक मुखालिफ के मुन्तकिल करना मुश्किल से बतौर एक ऐसी गलती के समझा जावेगा कि जिससे हुक्म मुन्तकिली की नजरसानी हो सके.

जब दरखास्त मुन्तकिली अदालत के कायदे के बमूजिब न होवे यानी वह बगैर बयान हलफी के दी गई हो और वह ले ली गई हो और उसका तसफिया किया गया हो तो उसकी नजरसानी पर हाई कोर्ट की यह राय करार पाई कि जज को जिसने उस दरखास्त का तसफिया किया अखत्यार था कि बयान हलफी न लेवे जब अदालत नालिश को एक अदालत से दूसरे अदालत में मुन्तकिल करे तो मुन्तकिली के वजूहात दर्ज करने की पाबन्दी अदालत को न होगी (इ. केस जि० १४ सफा ५६१)—

डिस्ट्रिक्ट जज को हस्ब दफा २४ (क) अखत्यार है कि वह ऐसी नालिश को जो उसके इजलास में मुलतवी है अदालत एडिशनल जज में मुन्तकिल करे (इ केस जि० १३ सफा ६)—

जब अदालत अपील किसी नालिश को वास्ते तजवीज सानी रूइदाद पर उस अदालत में वापिस करे जिसने उसकी पहले सुनाई की थी तो डिस्ट्रिक्ट जज को हस्ब दफा २४ यह अखत्यार है कि उस नालिश को वह अपने ही फाइल पर लेकर उसका तसफिया करे (इ केस जि० १९ सफा ५५२)

नये जाब्ता दीवानी के इबारत पर लिहाज करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अखत्यारात निस्बत मुन्तकिली मुकदमा उससे ज्यादा है जो कि पुराने मजमूआ जाब्ता दीवानी के रू से थे देखो आरडर ४१ कायदा २३ दफा, ९९ और

मदरास वी. नो. सन १९१४ ई० सफा ३१७)—

दफा २४ की रू से डिस्ट्रिक्ट जज को मुन्तकिली के अखत्यारात बहुत दिये गये हैं इसकी रू से डिस्ट्रिक्ट जज को अखत्यार है कि वह किसी मुकदमें को जो हाई कोर्ट की तरफ से वास्ते तजवीजसानी के वापिस आया हो उसे वह सब जज के अदालत में तबदील करे (अलाहाबाद ला जरनल जि० १२ सफा १०१४)—और इसी मजमून की नजीर देखो (इ. के. जि० २३ सफा ६९)

अखत्यारात जनाब नव्वाब गवरनर जनरेल बहादुर बइजलास कौंसिल निसबत मुन्तकिल करने मुकदमा

दफा २५ (१) कोई फरीक जब किसी मुकदमा अपील या दीगर कार्रवाई का जो किसी हाई कोर्ट में जहां कि सिरफ अकेला एक ही जज्ज इजलास करता हो उजर करे कि उस की समाअत वह जज न करे और साहब जज को ऐसे उजर के माकूल होने का इतमीनान हो जाय तो वह ब खिदमत जनाब नव्वाब गवर्नर जनरेल बहादुर बइजलास कौन्सिल रिपोर्ट करेंगे—और साहब ममदूह बजरिये इश्तहार मुन्दरजे गजट आफ इंडिया, ऐसे मुकदमा या अपील या दीगर कार्रवाई को किसी दीगर हाई कोर्ट में मुन्तकिल करेंगे

(२) इस तरह से मुन्तकिल किये हुये मुकदमा अपील या दीगर कार्रवाई मे वह कानून लागू होगा जो उस अदालत में, जहां कि मुकद्मा अपील या दीगर कार्रवाई शुरू में दायर हुई थी, होना चाहिये था.

तशरीह:—इस दफा के बमूजिब जनाब नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुकदमा मुन्तकिल करने का अखत्यार दिया गया है—

यह दफा नई है दफा ५२७ मजमूआ जाब्ता फौजदारी सन १८९८ से मिलान करो—

दायरी नालशात

दफा २६ मुकदमें की दायरी जरिये पेश करने अर्जी दावा

दायरी नालशात. या ऐसी दीगर तौर पर होगी जो मुकर्रर किया जावे

तशरीह—हर नालिश में अर्जी दावी का मौजूद होना बहुत जरूरी है और जब यह अरजी दावा अदालत के या किसी ऐसे उहदेदार को हवाला कर दिया जावे कि जो इस काम के वास्ते मुकर्रर किया गया है तो कहा जावेगा कि नालिश दायर हुई.

अब हिन्दुस्थान की सब हाई कोर्टों की यह राय पक्के तौर पर कायम हो चुकी है कि गैर काफी स्टाम्प पर लिखी हुई अरजी दावी का दायर होना उस तारीख को समझा जावेगा कि जिस तारीख को वह शुरू में पेश की गई हो, हालाकि कमी स्टाम्प उस मुद्दत के भीतर दाखल हुआ हो कि जो अदालत ने मुकर्रर किया हो और गो ऐसी मुद्दत से नालिश अन्दर मियाद या मियाद मुकर्रर के बाहर हो जाती हो

(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द १९ सफा ७८०
,, कलकत्ता ,, २० ,, ४०
,, कलकत्ता ,, २७ ,, १०४४
,, मद्रास ,, २२ ,, ४६४
,, बम्बई ,, १७ ,, ३५०
अलाहाबाद ला जरनल जिल्द ४ सफा ६३६).

पुराने दफा के लिये देखो दफा ४८ आर्डर ४ में दायरी नालशात का जिक्र है लफ्ज "या ऐसे दीगर तौर पर जो मुकर्रर किया जावे" नये हैं—नालिश में नीचे लिखी बातें जरूर है.

(१) फरीक मुखालिफ (२) झगड़े वाला मामला (३) विनाय मुखासमत, (४) मतलब (५) चाराजोई (इ ला. रि बम्बई जिल्द ३१ सफा ३९३)

समन वो इनकिशाफ याने दरयाफ्त हलाता मुकदमा

समन बनाम मुद्दायलेह. **दफा २७.** जब नालिश बाजाब्ता तौर पर दायर हो जाये तो जायज है कि समन मुद्दायलेह के

नाम इस हुक्म से जारी किया जाय कि वह अदालत मे हाजिर होकर दावे की जवाब देही करे, और तामील इस समन की मुकर्रर किये हुए तरीके से की जाय.

तशरीहः—इस दफा की रू से बाद दायरी नालिश के समन बनाम मुद्दायलेह के जारी करना जायज करार दिया गया है—मगर अदालत पर हर मुकदमा में मुद्दायलेह के नाम समन जारी करना लाजमी नहीं हैं, मसलन, जब कि अरजी दावी तरमीम के वास्ते या अदालत मजाज में पेश करने के लिये वापिस दिया जावे या जब कि इस मजमूआ की किसी दफा की रू से अरजी दावी नामन्जूर कर दिया गया हो तो ऐसी हालतों में समन का मुद्दायलेह के नाम जारी किया जाना जरूरी नहीं है (देखो इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा २०४)

जब मुद्दायलेह खुद आप होकर अदालत में हाजिर हो जावे तो उस के नाम समन जारी करना जरूर नहीं है (बंगाल ला रि जिल्द ३ सफा ४०३)

किसी मुकदमें में जो असल कर्जदार वो जामिनदार पर दायर किया गया हो अगर मुद्दई असल कर्जदार पर समन तामील न करा सके तो जामिनदार अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सक्ता है (इ ला रि बम्बई जिल्द १४ सफा २१७ वो इ ला रि कलकत्ता जिल्द १२ सफा ३३०)

पुराने दफा के लिये देखो दफा ६४ आर्डर ५ में समन के जारी व तामील करने का जिक्र है।

तामील समन जब कि मुद्दायलेह किसी दूसरे सूबे में रहता हो.

दफा २८ (१) कोई समन किसी दूसरे सूबे मे तामील के वास्ते ऐसे अदालत के पास ऐसे तरीके पर भेजा जासक्ता है कि जो [अदालत वो तरीका] उस सूबे के रायज किये हुऐ कायदों के बमूजिब मुकर्रर किया गया हो, वो बनाये गये हों—

(२) जिस अदालत में समन भेजा जाय उस को लाजिम है कि समन के पहुंचने पर उसी तरह कार्रवाई करे, गोया कि समन खुद वैसे ही अदालत ने जारी किया था, और बाद को

वह समन उस अदालत में जहां से जारी हुआ हो मय इस बयान के कि उस के मुताबिक क्या कार्रवाई की गई (अगर कोई कार्रवाई की गई हो) वापिस करदे

तशरीहः—जब कोई समन इस दफा के पाहिले जिमन के बमूजिब तामील के वास्ते किसी दूसरे सूबा यानी मुल्क में भेजा जावे तो वैसे समन का तामील उन्ही कायदों के मुताबिक की जावेगी जो उस सूबा में निस्बत तामील समन के जारी हों—समन भेजने वाली अदालत को इस मजमून की रिपोर्ट कबूल करना चाहिये कि तामील समन की बाजाब्ता की गई सिवाय उस सूरत में कि जब उस दूसरी अदालत की कार्रवाई की मिसल से कोई ऐसी बात पाई जावे जो खिलाफ में हो (इ. ला. रि बम्बई जिल्द १० सफा २०२).

लेकिन अदालत इस अमर का तसफिया कर सक्ती है कि आया तामील समन की काफी है या नहीं (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २२ सफा ८८९).

पुराने दफा के लिये देखो दफा ८५—देखो आर्डर ५ कायदे २१—२३.

अदालत हाय गैर के जारी किये हुए समन की तामील

दफा २९ जो समन कोई अदालत दीवानी या माल जो ब्रिटिश इनडिया के हद के बाहर वाके हो जारी करे वह ब्रिटिश इनडिया की अदालत में भेजे जा सक्ते है, और उस की तामील इसी तरह हो सक्ती है मानो कि उस को खुद अदालत हाय ब्रिटिश इनडिया मे जारी किया

मगर शर्त यह है कि वह अदालते कि जहां से ऐसे समन जारी हुऐ हो नव्वाब गवर्नर जनरेल बहादुर ब इजलास कौंसिल के हुक्म से कायम हुई हों, या कायम रखी गई हों, या कि नव्वाब गवर्नर जनरेल बहादुर बइजलास कौंसिल ने गजट आफ इनडिया में मुश्तहर कर दिया हो, कि इस दफा के अहकामात वैसी अदालतों से लागू होंगे.

पुराने दफा के लिये देखो दफा ६९० (अ)

दफा ३० बपाबन्दी ऐसी शरायत वो कैदों के जो मुकर्रर

अख्त्यार मुताल्लुक जाहिर करने हालात वगैरा

करदी जाय, अदालत किसी वक्त, चाहे अपनी तजवीज से या किसी फरीक की दरख्वास्त पर,

(क) हुक्म जरूरी या मुनासिब निसबत जुमला अमूरात मुताल्लुक हवालगी वो जवाब देही चन्द सवालात, वो इकबाल दस्तावेजात वो वाकेआत, वो इनकिशाफ वो मुलाहजा करने, वो पेशी वो जब्ती, वो वापसी दस्तावेजात या दूसरी जरूरी चीजों के जो सबूत मे पेश हो सके, सादिर करे.

(ख) समन बनाम ऐसे शख्सों के जिन की हाजरी चाहें वास्ते देने शहादत के या दस्तावेजात या जरूरी चीज मजकूर पेश करने के लिये मतलूब हो, जारी करे.

(ग) हुक्म निसबत इस के कि कोई वाकेआ बजरिये अफीडेविट याने बयान हलफी के साबित किया जाय, सादिर करे.

तशरीह:—यह दफा नई कायम की गई है—

आरडर ११. १२ और १३ में उन बातों का जिक्र है जो इस दफा के फिकरा (अ) में दर्ज है—

आरडर १६ में समन के जारी होने का जिक्र है—

आरडर १९ में बयान हलफी का जिक्र है दफा ३२ में समन के हुकूम अदुली की सजा दर्ज है—

आम रास्ता व गांव की रास्ता में फर्क है और नालिश चल सक्ती है जब कि गांव के रास्ते के हक की निस्बत झगड़ा हो गो कोई खास हरजा न पहुचा हो (कलकत्ता वी. नो जि० १७ सफा ७२)—

दफा ३१ दफा २७ वो २८ वो २९ मे लिखे हुए अहकामात

समन बनाम गवाह

वैसे सम्मनो से भी मुताल्लुक होंगे जो शहादत देने या पेश करने दस्तावेजात या दीगर जरूर चीजों

के वास्ते जारी किये जाएगे—

तशरीह:—यह दफा नई कायम की गई है—

दफा ३२. अदालत को किसी ऐसे शख्स की हाजरी मजबूर करने का अख्त्यार हासिल है कि जिस के नाम समन बमूजिब दफा ३० के जारी किया गया हो और इस गरज से अदालत,

तामील न करने की हालत में सजा.

(क) उस शख्स की गिरफतारी का वारन्ट जारी कर सक्ती है.

(ख) उस की जायदाद कुर्क वो नीलाम कर सक्ती है

(ग) उस पर जुरमाना जो ५०० रू० से ज्यादा न हो कर सकती है.

(घ) उस से वास्ते हाजरी जमानत तलब कर सक्ती है और जमानत न देने की हालत में उस को जहलखाना दीवानी में बन्द कर सक्ती है—

तशरीह—यह दफा नई कायम की गई है—देखो आरडर १६ कायदा १०.

तजवीज वो डिक्री.

दफा ३३ बाद सुन्ने मुकदमे के अदालत तजवीज सुनायेगी और इस तजवीज की बिना पर डिकरी सादिर होगी.

तजवीज वो डिक्री.

तशरीह—अगर कोई फरीक बाद खतम सुनाई मुकदमा और कब्ल सुनाये जाने फैसला के मर जावे तो उससे फैसला वो डिक्री नाजायज नहीं होती है (इ ला. रि. बम्बई जि० १६ सफा ८०७ वो इ ला. रि. अलाहाबाद जि० २१ सफा ३१४)—पुराने दफा के लिये देखो दफा १९८ आरडर २० में तजवीज का जिक्र है जज बाद सुन्ने मुकदमा फौरन अपनी ऐसी तजवीज जबानी सुना सक्ता है जिसे तहरीर करने और सुनाने का उसका इरादा है (मद्रास हाई कोर्ट रिपोर्ट अपील जिमन ५ सफा ८)—

सूद.

दफा ३४ (१) जिस हालत में और जहां तक कि कोई डिकरी निसबत अदाई नक्दी रूप्या के सादिर की जावे, अदालत को बजरिये ऐसी डिकरी के यह हुक्म देने का अख्त्यार है कि सूद उस निर्ख के मुताबिक जो अदालत के नजदीक मुनासिब जान पड़े असल रकम तसफिया की हुई पर तारीख नालिश से तारीख डिकरी तक अदा किया जावे, अलावा किसी ऐसे सूद के जो असल रकम पर निसबत किसी मुद्दत पेश्तर दायरी नालिश के तजवीज किया गया हो मय सूद आयन्दा उस निर्ख के मुताबिक जो अदालत ऐसी तसफिया की हुई एक जाई रकम पर मुनासिब समझे तारीख डिकरी से तारीख अदाई तक, या उस नजदीक की तारीख तक, जो अदालत की राय में ठीक जान पड़े—

सूद

(२) जिस सूरत मे कि डिकरी में निसबत अदाई सूद आयन्दा ऐसी एकजाई तसफिया की हुई रकम पर कि जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है, तारीख डिकरी से तारीख अदाई तक या किसी नजदीक तारीख तक कुछ जिकर न हो तो ऐसा समझा जावेगा कि अदालत ने सूद मजकूर के दिलाने से इंकार किया, और अलेहदा नालिश सूद मजकूर की वसूली के बाबत दायर न हो सकेगी.

तशरीह:—इस दफा में यह हुक्म है कि अदालत तारीख नालिश के बाद मुनासिब सूद दिला सक्ती है—मतलब यह है कि ऐसा मुनासिब सूद दिलाना अदालत की मरजी पर है चाहे वह उस निर्ख के मुताबिक दिलावे कि जो फरीकैन के दरम्यान में ठहरा हो, या किसी दूसरे निर्ख के मुवाफिक मगर तारीख दायरी नालिश के पहिले का सूद दिलाने के वास्ते अदालत उस मुआहदा के मुताबिक अमल करेगी जो फरीकैन के दरम्यान ठहरा हो (इ ला रि कलकत्ता जि० १२ सफा ५८२)—बाद दायरी नालिश के सूद दिलापाने के बाबत जो

दादरसी मांगी जावे उसके निस्बत अलहदा कोर्ट फीस यानी रसूम अदालत का दाखिल करना जरूर नहीं है (इ. ला. रि. बम्बई जि० १७ सफा ४१)—

अदालत तारीख वाजबुलअदा तक ठहराई हुई शर्त के मुवाफिक सूद दिलाने की पावन्द है, मगर बाद डिक्री सूद का दिलाना अदालत के अख्त्यारी है (२३ बी रि ३०९) बमूजिब शर्त अगर तारीख वाजबुलअदा तक किसी निरख से सूद देने का करार है तो अदालत बाद का सूद कम निरख से दिला सक्ती है (१८ बी नो १२२)—

अगर डिक्री में सूद नहीं है तो डिक्री जारी करने वाली अदालत सूद शामिल नहीं कर सक्ती-(इ ला. रि मदरास जि० ३ सफा ४२१ वो १५ वी रि. ३५१, ५ वी रि. ४१५ वो १७ बी. रि १९ वो. २० वी. रि ४७७ वो २२ बी रि ५३३ वो ५३४)—

सूद जो फैसले से नहीं दिलाया गया वह तरमीम डिक्री से नहीं दिलाया जा सक्ता-(इ ला रि अलाहबाद जि १५ सफा १२१).

जब पंचो ने सूद नहीं दिलाया तो अदालत खिलाफ फैसला पंचायती सूद नहीं दिला सक्ती—(वी रि. जि. २३ सफा १०५).

जब कि मदयून डिक्री ने सूद देने का करार करके नीलाम मुल्तवी करा दिया तो वह सूद इजरा डिक्री में दिलाया जा सक्ता है-(इ ला रि मदरास जि ७ सफा ४००)

मुकदमा बजरिये रहननामा में मुद्दई उस निर्ख से सूद पाने का हकदार है जो करार किया गया है बिला किसी कमी के-(इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ९ सफा ३०९)

अदालत को मुकदमात रहन की डिक्री में तारीख डिक्री और तारीख मुकर्री अदाई के बाद सूद ता अदाई दिलाने का अख्तयार है-(इ ला रि कलकत्ता जि २४ सफा ७६९ वो इ ला रि अलाहबाद जिल्द २१ सफा ३६१ वो इ. ला. रि कलकत्ता जि २९ सफा ४३ वो इ. ला रि मदरास जि. २३ सफा ६३७ वो इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २६ सफा ४९)

एक रहननामा में शर्त है कि कर्जे का सूद किसी निर्ख से दिया जायगा

और दर सूरत अदम अदाई आइन्दा सूद तारीख वादा खिलाफी से जियादा निर्ख से दिया जावेगा तो यह क़रार दिया गया कि जियादा निर्ख की शरह सूद तावानी नहीं है, और अमल में लाई जा सक्ती है—(इ. ला. रि. बम्बई जि. १४ सफा २००)—सूद मामूली न देने की हालत में सूद पर सूद देने की शर्त तावानी नहीं है—(इ. ला. रि. अलाहबाद जि. २५ सफा २६ वो इ. ला. रि. अलाहबाद जि. २५ सफा १९९)

पुराने दफा के वास्ते देखो दफा २०९—डिक्री वास्ते नीलाम अजरूये रहन या बोझा बतौर डिक्री जर नकदी की नहीं समझी जावेगी—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि. २४ सफा ७६६)—

जब मदयून-डिक्री डिक्री का रुपिया अदालत में अदा कर दे तो डिक्रीदार सूद तारीख अदाई से नोटिस पाने की तारीख तक का पाने का हकदार न होगा [मदरास ला जरनल जि. १ सफा ५३४].

नालिश करने में देरी, सूद घटाने के लिये काफी वजह न होगी—वी. रि. जि. १२ सफा १९२)

इसी तरह कर्ज का कुछ हिस्सा साहूकार ने लेने से इकार किया यह अमर कमी सूद के लिये काफी वजह न होगा—(वी. रि. जि. ७ सफा २०)—

जर लगान के डिक्री में भी सूद दिलाया जा सक्ता है—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि. ४ सफा ९६४)—

अगर मुकदमा के फैसला करने में देरी मुद्दई के सबब से हुई हो तो अदालत को अख्त्यार है कि सूद नालिश की दायरी के बाद का न दिलावे—(इ. के. जि. २५ सफा ६५८)—

मुद्दई ठहराव के सूद को दायरी नालिश से तारीख डिक्री तक दिला पाने का बतौर हक मुस्तेहक नहीं है—सूद दिलाना या न दिलाना अदालत की मरजी पर है—(इ. के. जि. २८ सफा ४१९).

खर्चा—

दफा ३५. (१) बपाबन्दी उन शरायत और कैदों के जो खर्चा. मुकर्रर की जाये और बपाबन्दी किसी ऐसे कानून के जो उस वक्त जारी हों जो खर्चा मुकदमा में या नतीजे

के मुताबिक हुवा हो वह अदालत के अख्त्यार पर मौकूफ है और अदालत को इस अम्र के तै करने का पूरा अख्त्यार हासिल है कि खर्चा कौन देगा और किस जायदाद से और किस हद तक दिलाया जायेगा-और अदालत कुल जरूरी हिदायतें ऊपर लिखी गरजों के वास्ते दे सकती है—इस बात से, कि अदालत को नालिश की तजवीज करने का अख्त्यार नहीं है, ऐसे अख्त्यार के अमल में लाने के बारे में कोई रुकावट न होगी

(२) अगर अदालत हुक्म दे कि कोई खर्चा बमूजिब नतीजा मुकदमा नहीं दिलाया जायगा तो अदालत अपने वजूहात तहरीरी बयान करेगी

(३) अदालत को अख्त्यार है कि खर्चा पर सूद किसी ऐसे निरख के हिसाब से दिलाय जो सालाना छे रू० सैकड़ा से ज्यादा न हो और यह सूद खरचे में जोड़ दिया जायगा और मिस्ल खर्चा के वसूल हो सकेगा

तशरीह:—इस दफा के जिमन (१) और (२) दफा ५ एक्ट जुडीके चर सन १८१० ई० से कायम किये गये हैं जो जिमन (३) दफा २२२ पुराने जाब्ता दीवानी की है

अदालत को इजराय डिक्री में जब कि डिक्री में कोई हुक्म नहीं है खर्चे पर सूद दिलाने का अख्त्यार नहीं है—(इंडियन ला. रिपोर्ट जिल्द १६ सफा ३०२)

अगर मुद्दई को डिक्री मय खर्चा के मिली और खर्चा पर सूद दिलाया गया हो और मुद्दायलेह का खर्चा जिम्मे मुद्दई रहा हो तो मुद्दई बाद मुजराई जो बाकी रहे उस पर सूद पाने का मुस्तहक है—(वी रि. जि. १३ सफा १३८).

पुराने दफा के लिये देखो दफा २२०, २२२

एक फरीक का खर्चा दूसरे फरीक के खर्चे में मुजरा देने के लिये देखो आर्डर २० कायदा ६ (२)—खर्चा दिलाने की निस्बत आम कायदा यह है कि खर्चा मुकदमा के नतीजे के मुवाफिक दिलाया जावे, यानी खर्चा जीतने वाले फरीक को

दिलाया जावे–यह जरूर नहीं है कि वह पूरा २ तौर पर मुकदमा को जीते–अगर उस की जीत का बड़ा हिस्सा होवे तो काफी होगा—(इ ला. रि बम्बई जिल्द १८ सफा ४७४)

मगर इस आम कायदे के मुसतसनियात यानी छूटें भी है और ऐसी सूरतें भी निकल सक्ती हैं कि जिन में अदालत जीतने वाले फरीक न दूसरे फरीक का पूरा खर्चा दिलवा सक्ती है (कलोन्स बेंच डिवेजन जि ४ सफा ६११).

मुद्दई को खर्चा न दिलाने की यह वजह काफी न होगी कि मुकदमा की लड़ाई से मुदायलेह पर बड़ा खर्चा पड़ा और ऐसा बोझा डाला गया कि वह उठा नहीं सक्ता, (अपील केसेज जि. १४ सफा ३२ वो इ. ला रि मद्रास जिल्द १६ सफा १२८)

जज खर्चा दिलाते वक्त सिर्फ चलन फरीक पर लिहाज न करेगी बलकि ऐसे मामलात पर गौर करेगी कि जिन से मुकदमा शुरू हुवा (क्वीन्स बेंच डिविजन जि २ सफा ६१६ वी रि. जि १९ सफा ३४०)

जीतने वाले फरीक की ज्यादती या बदचलनी उस को खर्चा दिलाने में रुकावट कर सक्ती है—(क्वीन्स बेंच डिविजन जि. १३ सफा २६२).

जब मुद्दई ने जाली दस्तावेजात पेश किये हों तो वह खर्चा नहीं पा सक्ता है—(इ के. अपील जि १३ सफा २०)

जब मामला तावानी किस्म का होवे तो खर्चा नहीं दिलाया जा सक्ता [इ ला रि. बम्बई जि ३ सफा २०२].

अगर सायल के तरफ से देरी हुई हो तो खर्चा नहीं दिलाया जा सक्ता है—[इ ला रि. अलाहबाद जि ११ सफा ३७२]

हिसाब समझने की नालिश में जो मालिक ने अपने मुख्त्यार पर दायर की हो अगर मुख्त्यार अपनी मुख्त्यारगिरी की हैसियत से इकार करे तो उस से नालिश का पूरा खर्चा दिलाया जा सक्ता है, गो हिसाब करने पर कितनी ही रकम उस के जिम्मे निकले—(इ ला रि कलकत्ता जि. १४ सफा १४७ प्रिवी कौंसिल).

जीतने वाले अपीलांट को खर्चा नहीं दिलाया जा सक्ता क्योंकि उस ने अपना पूरा हक, जिस में दूसरे किसी का दखल न हो पेश किया और उस के साबित करने में वह नाकामयाब हुआ—(इ. ला रि कलकत्ता जि १४ सफा

बम्बई जि २ सफा ३६०]

मगर कमीशनदार अपने खर्चा की मालिश कर सक्ता है–(इ ला. रि. मदरास जि ४ सफा ३९९)—

मातहती दफा (३):—जब डिक्री में खर्चा पर सूद न दिलाया गया हो तो सूद इजराय डिक्री में नहीं दिलाया जा सक्ता–(बगाल ला रि अपील जि. ६ सफा ३२)—

खरचा की मुजराई:—देखो आर्डर २० कायदा ६ (३)—

अपील:—जब खर्चा का दिलाना अदालत मातेहत की मरजी पर हो तो निसबत खर्चा अपील न होगी मगर जब कोई उसूल का सवाल होवे तो अपील चल सकेगी–(इ ला रि कलकत्ता जि. १२ सफा १७६)—

खर्चा की निसबत अपील बनाराजगी डिक्री अदालत अपील जब कि अदालत अपील ने अपने अख्त्यार को मन माने इस्तेमाल किया हो और न कि आम उसूल के मुवाफिक–(इ ला रि अलाहबाद जि. १९ सफा ३३३)—

अगर किसी शख्स का नाम मुतवफ्फी के कायम मुकाम जायज की हैसियत से दर्ज किया गया हो और उस का नाम पीछे से यह साबित होने पर खारिज हुआ हो कि वह कायम मुकाम नहीं है तो वह इस बिना पर अपील कर सक्ता है कि अदालत ने उस को खर्चा नहीं दिलाया–(इ. ला. रि. अलाहबाद जिल्द १३ सफा २६०)—

हुक्म निसबत खर्चा बतौर डिक्री नहीं समझा जावेगा न वह काबिल अपील है–[इ. ला. रि. मदरास जिल्द २१ सफा ४२१]—

अदालत अपील दस्तनदाजी करेगी जब कि अदालत मातेहत ने खर्चा दिलाने के निसबत अपने अख्त्यारात को खिलाफ रिवाज इस्तेमाल किया हो और उस सबब से बेइन्साफी हुई हो–[मदरास हाई कोर्ट जिल्द १ सफा ७४]—

अदालत [illegible] करेगी जब कि अदालत इब्तदाई ने खर्चा की [illegible] यो वाकेआती को गलत समझ कर दिया हो– [illegible] ६)—

दूसरी [illegible] नहीं कर सक्ती

ला. रि. अलाहाबाद जि० ११ सफा २६७ वो कलकत्ता जि० २२ सफा ४६७)

अगर अदालत मातहत अपील में डिकरी बहाल किये जाने के बाद उस तरमीम करे तो ऐसी तरमीम की हुई डिकरी काबिल इजरा न होगी—(इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ११ सफा ३१४)

आर्डर ४१ में डिकरी वो हुक्म की इजरा का जिक्र है–डिकरी वो हुक्म की तारीफ के लिये देखो दफा २ (२) वो २ (१४)

दफा ३७ डिकरी सादिर करने वाली अदालत की तारीफ

इजराय डिकरी के ताल्लुक में "डिकरी सादिर करने वाली अदालत" या उसी मजमून के दीगर लफ्जों में, जब तक खिलाफ इस के मजमून या इबारत में कुछ हुक्म न हो, हस्ब जैल शामिल है.—

(क) जब डिकरी इजराय तलब अखत्यारात अपील के अमल में लाकर सादिर की गई हो तो अदालत इब्तदाई मुराद है—और,

(ख) अगर अदालत इब्तदाई मौजूद न रहे या उस के जारी करने का अखत्यार उस से निकल गया हो, तो वह अदालत मुराद है जो दर सूरत दायर होने उस नालिश के, जिस में डिकरी सादिर हुई हो, उस वक्त जब कि दरख्वास्त इजराय डिकरी दाखिल हुई थी उस नालिश की मजाज होती

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट के दफा ६४९ की तशरीह से कायम की गई है

एक मुनसिफ के अखत्यारात अदालत खफीफा, जो उसे गवर्नमेंट की तरफ से अता हुए थे, बजरिये नोटिफिकेशन याने इश्तहार बाद सादिर होने डिकरी मगर उस के इजराय किये जाने के पेश्तर गवर्नमेंट की तरफ से वापिस लिये गये–ऐसी हालत में तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि दरख्वास्त वास्ते इजराय डिकरी

हिस्सा—२.

इजराय के बारे में

आम—अहकामात

दफा ३६ अहकाम से ताल्लुक. **इस मजमूआ के अहकाम जो इजराय डिगरी से मुताल्लुक है इजराय अहकामात से भी जहां तक वे मुताल्लुक हो सकें मुताल्लुक समझे जावेंगे**

तशरीहः—यह दफा इस मजमूआ में नई कायम की गई है—इजराय के बारे में जो बाब इस मजमूआ में दर्ज हैं वह ऐसी डिकरी और हुक्मों से ताल्लुक रखता है जो जारी किये जाने के लायक हों, न कि किसी दुसरे किस्म की डिकरी और हुक्म से, मसलन, डिकरी इस्तकरार हक, इजराय के लायक नहीं है सिवाय निस्बत खर्चा के-जब किसी नालिश या कार्रवाई में, जो मुनासिब तौर से दायर की गई हो, किसी डिकरी के निसबत यह करार दिया गया हो कि वह डिकरी साथ फरेब या साजिश के हासिल की गई है तो ऐसी हालत में डिकरी मजकूर का इजराय न किया जायगा—इस मुकदमा में (अ) ने (ब) वो (क) पर एक डिकरी हासिल किया और उस नालिश में कि जो (क) ने दायर किया था डिकरी मजकूर निसबत उस के फरेबी करार दी गई तो ऐसी हालत में वह डिकरी दरम्यान (अ) वो (ब) के बहाल समझी जायेगी और उस का इजरा भी किया जावेगा—(इ. ला रि कलकत्ता जि० ३० सफा ७२८)

जब कोई अमर अदालत अपील या नजरसानी से तै हुआ हो तो ऐसी अदालत की डिकरी मुकदमें में कतई समझी जावेगी चाहे उस की रू से पहिले अदालत की डिक्री बहाल रखी गई हो, या तरमीम या मसूख की गई हो-(इ

ला. रि. अलाहाबाद जि० ११ सफा २६७ वो कलकत्ता जि० २२ सफा ४६७)

अगर अदालत मातहत अपील में डिक्री बहाल किये जाने के बाद उस तरमीम करे तो ऐसी तरमीम की हुई डिकरी काबिल इजरा न होगी—(इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द ११ सफा ३१४)

आर्डर ४१ में डिक्री वो हुक्म की इजरा का जिक्र है—डिकरी वो हुक्म की तारीफ के लिये देखो दफा २ (२) वो २ (१४)

डिक्री सादिर करने वाली अदालत की तारीफ

दफा ३७ **इजराय डिकरी के ताल्लुक में "डिकरी सादिर करने वाली अदालत" या उसी मजमून के दीगर लफ्जों में, जब तक खिलाफ इस के मजमून या इबारत में कुछ हुक्म न हो, हस्ब जैल शामिल हैः—**

(क) जब डिकरी इजराय तलब अख्त्यारात अपील के अमल में लाकर सादिर की गई हो तो अदालत इब्तदाई मुराद है—और,

(ख) अगर अदालत इब्तदाई मौजूद न रहे या उस के जारी करने का अख्त्यार उस से निकल गया हो, तो वह अदालत मुराद है जो दर सूरत दायर होने उस नालिश के, जिस में डिकरी सादिर हुई हो, उस वक्त जब कि दरख्वास्त इजराय डिकरी दाखिल हुई थी उस नालिश की मजाज होती

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट के दफा ६४९ की तशरीह से कायम की गई है

एक मुनसिफ के अखत्यारात अदालत खफीफा, जो उसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलता हुए थे, बजरिये नोटिफिकेशन याने इश्तहार बाद सादिर होने डिकरी मगर उस के इजराय किये जाने के पेश्तर गवर्नमेंट की तरफ से वापिस लिये गये—ऐसी हालत में तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि दरखास्त वास्ते इजराय डिकरी

उस अदालत में पेश होनी चाहिये, कि जिसे दरखास्त मजकूर के पेश होने के वक्त अदालत खफीफा के अखत्यार हासिल थे (इ ला रि मद्रास जिल्द १९ सफा ४४९).

एक मुकदमा में डिकरी रहन की मुकाम (क) के मुनसिफ की अदालत से सादिर हुई–इजराय डिकरी के पेश्तर वह रकबा जहा जायदाद वाके थी, बजरिये हुक्म गवर्नमेंट मुकाम (ख) के मुनसिफ के इलाके के अन्दर शामिल किया गया–कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह तजवीज की कि यह दफा इजाजती है, और इस लिये दरखास्त इजराय डिकरी बअदालत मुकाम (क) या (ख) के पेश हो सक्ती है (इ ला. रि जिल्द २८ सफा २३८)

अदालत, जिसने डिकरी सादिर किया, वैसी अदालत बनी रहेगी गो उस का सदर मुकाम दूसरी जगह उठ गया हो या उस के इलाका अखत्यार की मुकामी हद में कुछ तबदीली हुई हो (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा ५१३).

यह वाकेआ, कि हाई कोर्ट वसीगा अपील बतौर आम कायदा के अपनी खास डिकरी इजरा नहीं करती, उस के इलाका अखत्यार में कुछ फर्क न डालेगा (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा २०१).

यह दफा बराबर लागू होगी चाहे अदालत के इलाका अखत्यार में रद्द बदल हुआ हो या कि फरीकैन की हैसियत में तबदीली होवे और इन वजूहात के सबब से अदालत को अखत्यार न रहा हो (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १७ सफा १६२)

जब एक अदालत का काम दूसरी अदालत में तबदील किया जावे तो देखो दफा १५०

जब नालिश की झगड़े वाली जायदाद दूसरी अदालत में डिकरी के बाद तबदील हो जावे तो डिकरी सादिर करने वाली अदालत को उस डिकरी के इजराय का अखत्यार न रहेगा बल्कि ऐसी इजराय का अखत्यार उस अदालत को रहेगा जिस के पास जायदाद मजकूर मुन्तकिल हुई (मदरास वी. नो. सन १९१४ सफा ८९६).

जब डिकरी निस्बत नीलाम जायदाद गैर मनकूला सादिर होने के बाद मगर दरखास्त नीलाम गुजरने के पेश्तर, जायदाद मजकूर लोकल गवर्नमेंट के इश्तिहार के रु से डिकरी सादिर करने वाली अदालत के इलाका अखत्यार से दूसरी अदालत के इलाका अख्त्यार में तबदील की जावे तो डिकरी सादिर करने वाली अदालत, दरखास्त इजरा डिकरी नहीं ले सक्ती औ न उस जायदाद के नीलाम का हुक्म दे सक्ती—ऐसी दरखास्त वो नीलाम का हुक्म वैसी नई अदालत लेगी वो देगी जिस के इलाका अखत्यार में जायदाद मजकूर तबदील की गई—बाजाब्ता हुक्म मुन्तकिली पहली अदालत से दूसरी अदालत के नाम जारी करना जरूर न होगा (इ ला रि मदरास जिल्द ३७ सफा ४६२)

जब डिकरी सब-जज ने सादिर की हो जिस को अखत्यार १०००) रू० से ज्यादा से २०००) रू० तक के थे और पीछे से उस की जगह पर मुनसिफ २०००) रू० तक के अखत्यार वाला आया हो तो सब-जज के वैसी मालियत के मुकदमों के अखत्यारात आप से आप मुनसिफ को हासिल हुए समझे जावेंगे और गो डिकरी सब-जज की अदालत से सादिर हुई ताहम उस की इजरा मुनसिफ की अदालत में होगी (इ. के जिल्द ३० सफा २०५).

दफा ३८. अदालतहाय जिन से डिकरी इजराय हो सक्ती है—डिकरी का इजराय चाहे उस अदालत के जरिये से होगा जिस ने डिकरी सादिर की हो या उस अदालत के जरिये से जिस में वह इजराय के वास्ते भेजी जाय.

डिकरी किस अदालत से इजराय हो सक्ती है

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा २२३ के फिकरा अव्वल से ली गई है जिस अदालत ने डिकरी सादिर की उस का मौजूद न रहना उस वक्त शुमार नहीं हो सक्ता जब कि उस का सदर मुकाम एक जगह से दूसरी जगह या हदूद अरजी तबदील कर दिया गया हो—(इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ५१३, वो इ ला रि कलकत्ता जिल्द २८ सफा २३८, वो इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २५ सफा ३१५)

अगर किसी हक के सबब जो डिकरी के बाद हासिल हुआ रकम वाजिबुल-

अदा बढ़ जावे तो इससे यह न समझा जावेगा कि डिकरी सादिर करने वाली अदालत का अखत्यार इजराय डिकरी में नहीं रहा—(इ ला. रि बम्बई जिल्द १० सफा २००)

इसी तरह अदालत के अखत्यार में कोई कमी न समझी जावेगी जब कि दायरी नालिश के बाद के दिनों का जर लगान वो मुनाफा शामिल करने से डिकरी की रकम अदालत के माली अखत्यार से बढ़ जावे—(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द २१ सफा ५५०).

आया अदालत जहा डिकरी इजराय के वास्ते भेजी जावे वैसे मुकदमा का लिहाज कर सक्ती है या नहीं जिस में डिकरी सादिर हुई इस सवाल के निसबत हाई कोर्ट हाय में इख्तिलाफ है—मदरास हाई कोर्ट की राय यह है कि लिहाज करना कुछ जरूर नहीं है (इ. ला. रि. मदरास जिल्द १५ सफा ३०६).

मगर कलकत्ता वो बम्बई हाई कोर्ट की राय है कि इजरा करने वाली अदालत लिहाज कर सक्ती है-(इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा ४५७, ४६५ वो इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १२ सफा १५५).

देखो दफा ६ वो ३६-(२)

डिकरी दूसरी अदालत को इजरा के लिये कब भेजी जावे इस के लिये देखो दफा ३६.

यह वाकैआ, कि जिस अदालत ने हुक्म मुन्तकिली का दिया उस को वैसा हुक्म देने के लिये धोका दिया गया, वैसे हुक्म के जायज होने में कुछ फर्क न डालेगा—(मदरास ला. जरनल जिल्द ८ सफा १).

दफा ३६ डिकरी का मुन्तकिल होना. **(१) वह अदालत जिसने डिकरी सादिर की हो, डिकरीदार की दरखास्त गुजरने पर डिकरी को दूसरी अदालत में जारी होने के लिये भेज दे सक्ती है.**

(क) अगर वह शख्स जिस के खिलाफ डिकरी सादिर हुई हो उस दूसरी अदालत के इलाके की हदूद अरजी के अन्दर दर असल और इरादे के साथ

रहता हो या कोई कारोबार करता हो या मुनाफे के लिये बजात खास कोई पेशा करता हो, या,

(ख) अगर उस शख्स के पास उस अदालत के इलाके की हदूद अरजी के अन्दर जिसने डिकरी सादिर की हो उस कदर जायदाद न हो जो वास्ते वसूल करने जर डिकरी के काफी हो, बलकि उस दूसरी अदालत के इलाके की हदूद अरजी के अन्दर जायदाद रखता हो, या,

(ग) अगर डिकरी में हुक्म नीलाम या हवालगी ऐसी जायदाद गैर मनकूला का हो जो अदालत सादिर करने वाली डिकरी के अख्त्यार हुकूमत की हदूद अरजी के बाहर वाकै हो, या,

(घ) अगर अदालत, जिसने डिकरी सादिर की हो किसी और वजह से जो उसे लिखनी चाहिये यह मुनासिब समझे कि डिकरी उस दूसरी अदालत से जारी की जाय

(२) डिकरी सादिर करने वाली अदालत को अख्त्यार है कि अपनी मरजी से डिकरी को वास्ते इजरा के अपनी किसी अदालत मातहत में भेज दे

तशरीह:—यह दफा पुराने मजमुआ की दफा २२३ जिमन (१) व (३) से कायम की गई है—उस में सिर्फ लफ्ज "हवालगी" मुन्दरजा फिकरा (ग) बढ़ाया गया है

इस दफा का मतलब यह है कि अदालत को अपनी डिक्री दूसरी अदालत में मुन्तकिल करने का अख्त्यार हासिल है, लेकिन मुन्तकिल करना लाजमी नहीं है—(देखो इ ला रि कलकत्ता जि ११ स १३)—

मुकाम (क) की अदालत मुकाम (ख) के दफतर से मदयून डिकरी की तनख्वाह कुर्क नहीं कर सक्ती है, क्योंकि मुदायलेह न तो मुकाम (क) में

रहता है और न उस की तनख्वाह बाटने वाला दफतर उस मुकाम में है--(इ. ला रि जिल्द १२ बम्बई सफा ४४).

जिस अदालत में डिकरी इजराय के लिये भेजी जावे वह ऐसी अदालत होनी चाहिये कि जो अन्दर हद ब्रिटिश इंडिया के वाके होवे--(इ. ला रि. बम्बई जिल्द १२ सफा २३०)

सिवाय उस सूरत में कि जिस के बाबत हुक्म दफा ४५ में दर्ज है और नोटिफिकेशन यानी इश्तहार मोजूद न होने की हालत में उस दफा की मनशा के मुताबिक अखत्यार नहीं मिलता है—(इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ४००)

जो हुक्म बमूजिब दफा ३६ निसबत इकारी मुन्तकिल करने डिकरी के सादिर किया जावे वह दफा ४७ की रू से समझा जावेगा इस लिये वह काबिल अपील होगा—(कलकत्ता वी. नो. जिल्द ८ सफा ५७५)

मुन्तकिल करने के तरीका के वास्ते देखो आर्डर २१ कायदे ५ से ६ तक

इस दफा के लागू करने के लिये यह जरूर है कि दोनों अदालतों की कार्रवाई इस मजमूआ के अहकामात के मुवाफिक होवे—(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ३४ सफा ५७६).

अदालत माल जिसने डिकरी जर लगान सादिर किया, इस दफा की रू से डिकरी मजकूर अदालत दीवानी को वास्ते इजराय मुन्तकिल कर सक्ती है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा २६५ प्रि. कौंसिल).

जिस अदालत में डिकरी वास्ते इजराय भेजी जावे वह हुक्म के वाजिब या गैर वाजिब होने की निसबत सवाल नहीं कर सक्ती—(इ ला. रि. बम्बई जिल्द २१ सफा ४५६)

हुक्म मुन्तकिली जो इकतरफा दिया जावे वापिस लिया जा सक्ता है [वि. रि जि० १३ सफा २३२]—

जिस अदालत में डिक्री वास्ते इजराय भेजी जावे उससे इजराय वापिस ली जा सक्ती है (इ ला. रि. अलाहबाद जि० २० सफा १२६, १३१)

डिक्रीदार की दरखास्त—"लफ्ज डिक्रीदार" के लिये देखो दफा ७ (३) — डिक्री का मुन्तकिल अलेह यानी जिस शख्स को डिक्री मुन्तकिल की गई, इस दफा की रू से दरखास्त दे सक्ता है —(इ ला रि मदरास जि० २६ सफा २५८)—

दूसरी अदालत को—इससे वैसी अदालत मुराद है जो डिक्री को इजराय करने की मजाज है और जिसे बलिहाज रकम वो मालियात डिक्री अखत्यार है (इ. ला रि. कलकत्ता जि० १६ सफा ४५७)—

फिकरा [अ] —दरअसल वो अपनी खुशी से रहता है रोज गार करता है फायदा के लिये बजात खास काम करता है इसके मायनी के लिये देखो दफा २०—

- **फिकरा (ब)** :—यह जरूर नहीं है कि मदयून डिक्री की बिलकुल कुछ भी जायदाद डिक्री सादिर करने वाली अदालत के इलाके हुकूमत में न होवे —(बी. रि जि० १६ सफा ३०७)—

और न यह जरूर है कि मदयून डिक्री ऐसी दूसरी अदालत के इलाके अखत्यार के अन्दर इतनी जायदाद रखे कि जिससे डिक्री की पूरी अदाई हो सके

फिकरा (क):—इस फिकरा में ऐसी सूरत का जिक्र है कि जब पूरी जायदाद, न कि उसका कुछ हिस्सा, डिक्री सादिर करने वाली अदालत के इलाका हुकूमत के बाहर वाके होवे —दफा १७ के अखत्यार में अखत्यार निस्बत देने हुक्म नीलाम जुज जायदाद शामिल है —(इ ला रि. कलकत्ता जि० १४ सफा ६६१, ६७३)—

अगर अदालत डिक्री वास्ते नीलाम जायदाद मरहूना सादिर करे और डिक्री सादिर होने के बाद वह जिला जहां जायदाद मजकूर वाके है दूसरी अदालत के इलाका में तबदील कर दिया जाय, तो डिक्री सादिर करने वाली अदालत तब भी जायदाद मजकूर नीलाम कर सक्ती है —(इ ला रि कलकत्ता जि० १५ सफा ६६७)—

फिकरा (ड)—अगर डिक्री अदालत खफीफा से सादिर की गई हो तो वह उसी अदालत के दूसरी ब्रेंच (Branch) सीगा में मुन्तकिल हो सक्ती है और दोनों सीगे वतौर अलेहदा २ अदालतों के समझी जावेगी –(इ. ला. रि. बम्बई जि० ८ सफा २३०, २३४)—

मातहती दफा [२]:—अदालतों के मातहती के लिये देखो दफा ३

अदालत को अपनी डिक्री वास्ते इजरा कई जगह भेजने का अख्त्यार है (मूर्स इंडिया अपील जि० ४ सफा ९२६)—

डिक्री एकही वक्त दो या ज्यादा जिलों में इजरा हो सक्ती है—(इ ला. रि कलकत्ता जि० ८ सफा ६८७)—

अपील—अपील बनाराजगी हुक्म जिस्से दरखास्त मुन्तकिली खारिज की गई हो चल सकेगी–(कलकत्ता वी नो जि० ८ सफा ५७५)—

डिक्री सादिर करने वाली अदालत खुद अपनी राय से डिक्री मजकूर को वास्ते इजराय अपने मातहत अदालत में नहीं भेज सक्ती जब कि मालियत नालिश की, जिस्में डिक्री दी गई, उस मातेहत अदालत के माली अख्त्यार से बढ़ कर होवे–(वरक्षा ला. टा जि० ४ सफा २२४)--

दफा ३९ (२) में जो यह हुक्म है कि डिक्री वास्ते इजराय अदालत मजाज को भेजी जा सक्ती है वह सिर्फ ऐसी सूरत में लागू होगी जब कि डिक्री सादिर करने वाली अदालत उस डिक्री को खुद अपनी तजवीज (राय) से भेजे मगर जब डिक्री दूसरी अदालत को वास्ते इजराय डिक्रीदार की दरखास्त पर भेजी जावे तो इस दफा का पहला फिकरा लागू होगा और फिर वह अदालत जिसमें डिक्री भेजी जावे मजाज है या नहीं इसका सवाल पैदा न होगा-(इ. के जि० २२ सफा २७५).

मुन्तकिल होना डिक्री का किसी दूसरे सूबे की अदालत में.

दफा ४०—अगर कोई डिक्री इजारा के वास्ते किसी दूसरे सूबे में भेजी जाय, तो वह उस अदालत में भेजी जायगी और उस तरीके पर जारी की जायगी जैसा कि उस सूबे के

जारी किये कायदों में हुक्म हो

तशरीह —यह दफा नई है

जब जुदे जुदे जिलों में डिक्री इजराय करने के जुदे २ कायदे हों और जब एक जिले की डिक्री का दूसरे जिले में इजराय करना चाहा जावे तो इजराय करने वाली अदालत अपने जिले के कायदों के मुवाफिक इजरा करेगी—[इ ला. रि. बम्बई जि० ३१ सफा ५].

दफा ४१ कारवाई इजरा के नतीजे की तसदीक — वह अदालत कि जिस में डिक्री इजरा के लिये भेजी जाय, उस के इजरा किये जाने का हाल अदालत सादिर करने वाली डिक्री को लिख भेजेगी, या अगर अदालत जिस का जिक्र अव्वल किया गया है उस का इजरा न कर सके तो उस के न जारी हो सकने के हालात लिख कर भेजेगी,

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट के दफा २२३ के फिकरा ४ से कायम की गई है

सिर्फ दरखास्त इजराय डिक्री मुकम्मिल न होने से दरखास्त खारिज कर दिये जाने की वजह से उस अदालत के अखत्यार खतम नहीं होते हैं, जिस में डिक्री इजरा के लिये भेजी गई और ऐसी हालत में अदालत को उस अदालत में जहा से डिक्री मुन्तकिल हो कर आई है सारटिफिकेट भेजने के जरूरत नहीं है–(इ. ला. रि अलाहाबाद जि २० सफा १२६)—

जब कि डिक्री एक अदालत से दूसरी अदालत में गुजरना चाहिये जिस ने शुरू में डिक्री सादिर की—(कलकत्ता वी रिपोर्ट जि. ६ सफा ४७)

अदालत जिला से अदालत सब–जज में वास्ते इजरा डिक्री भेजे जाने के हुक्म पर खुद डिस्ट्रिक्ट जज के दस्तखत की जरूरत नहीं है उन के दस्तखत न होने से कारवाई नाजायज नहीं होती है—(इ. ला रि. कलकत्ता जि. २३ सफा ४८०)

दफा ४२ जिस अदालत के पास कोई डिकरी इजराय के

अखत्यारात अदालत निस्त इजराय डिक्री जो मुन्तकिल हुई

लिये भेजी जाये तो उस को डिकरी मजकूर के इजराय करने में वही अखत्यारात हासिल होंगे कि मानो खुद उसी ने वह डिकरी सादिर की थी—और वह सब लोग जो डिकरि के इजरा में हुक्म की तामील न करें या इजरा मे रोक टोक करें उसी तरह अदालत मजकूर की तजवीज से सजा पाने के लायक होंगे कि मानों उसी अदालत ने डिकरी सादिर की थी—और अदालत मजकूर से जो अहकाम उस डिकरी के इजराय में सादिर होंवे उन्हीं कवायद के बमूजिब काबिल अपील होंगे कि गोया उसी अदालत ने डिकरी सादिर की थी—

तशरीह—यह दफा पुराने मजमूआ जाब्ता दीवानी की दफा २२८ की नकल है—उस का मतलब यह है कि जिस अदालत के पास कोई डिक्री इजराय के लिये मुन्तकिल की जावे उसे सिर्फ इजराय के डिक्री के बाबत न कि खुद डिक्री के निस्बत वही अखत्यारात हासिल होंगे जो डिक्री सादिर करने वाली अदालत को है—यह अमर तै हो चुका है कि डिक्री जारी करने वाली अदालत डिक्री की निस्बत तहकीकात नहीं कर सक्ती है बल्कि उसे डिक्री का इजराय उसी हैसियत से कि जैसी वह कायम है और उस की शर्तों के मुताबिक करना चाहिये—(इं. ला. रि. कलकत्ता जि ८ सफा ३५३)

जिस अदालत के जिम्मे डिक्री के जारी करने का काम है वह नीचे लिखी बातें नहीं कर सक्ती है—

(१) प्रिवी कौंसिल की डिक्री में खर्चा का बढ़ाना जब कि वैसा खर्चा प्रिवी कौंसिल ने न दिलाया हो—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि. ३ सफा १६१)

(२) जर वासिलात, यानी, मुनाफा की रकम पर साल ब साल सूदपर सूद दिलाना जब कि डिक्री की रू से तारीख तहकीक होने रकम मुनाफा से सूद दिलाया गया हो—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ८ सफा १३२).

(३) [illegible] को बढ़ाना—(इ. ला. रि बम्बई

जिल्द १३ सफा १०६ वो जिल्द १५ सफा ६४४).

(४) या, डिक्री की रकम बजरिये किस्तों के अदा करने का हुक्म देना [प. उतर देश रिपोर्ट जि २ सफा २९]—

(५) या, जायदाद के नीलाम का हुक्म उस मुद्दत के पेश्तर सादिर करना कि जो एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ८८ के रू से मुकर्रर की गई है—(इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ७ स १९४)

(६) या, डिक्री में शामिल किये हुए खर्चो के सिवाय और ज्यादा खर्चा का दिलवाना—(वी रि जि १३ सफा ३३०)

(७) या, उन खर्चों की तरमीम या तबदीली करना —(वी रि. जिल्द ९ सफा ३८७).

डिक्री जारी करने वाली अदालत इस अमर का तसफिया कर सक्ती है कि आया दरखास्त इजराय डिक्री अन्दर मियाद है या बेरू मियाद—(इ. ला रि अलाहाबाद जि० १६ सफा ३९०)—

मगर जिस अदालत के पास डिक्री बमूजिब दफा ३९ मुन्तकिल की जावे वह ऐसे हुक्म इजराय के निस्बत बहेस नहीं कर सक्ती है, जो बाद तसफिया तनाजा मियाद के सादिर हुवा हो, और यह हुक्म उस वक्त तक सही समझा जावेगा कि जब तक वह अपील से मन्सूख न हो जावे—पस अदालत मजकूर इस बिना पर डिक्री जारी करने से इकार नहीं कर सक्ती है कि दरखास्त इजराय की जिस की बिना पर हुक्म मुन्तकिली का सादिर किया गया बेरू मियाद है [इ. ला रि बम्बई जिल्द १५ सफा २८].

वह अदालत जिस में डिक्री मुन्तकिल की गई दूसरी अदालत में मुन्तकिल करने का सार्टिफिकेट नहीं दे सक्ती (इ ला रि कलकत्ता जि. ३ सफा ५१२ वो जि १ सफा ५३९)

जिस अदालत में डिक्री इजराय के लिये भेजी गई वह उस के सही होने में एतराज करने का मजाज नहीं रखती—[इ. ला रि. कलकत्ता जि. ५ सफा ७३६ वो इ ला रि ब जि २१ सफा ४५६]—इ. ला रि अलाहाबाद जि. ७ सफा ९३० में यह भी करार दिया गया है कि ऐसी अदालत को वजुज

चन्द रोज के लिये डिक्री का इजराय मुलतवी करने का भी अखत्यार नहीं है.

खरीददार डिक्री की तरफ से दरखास्त में उस का नाम दर्ज होकर वह दरखास्त इजरा के लिये डिक्री सादिर करने वाली अदालत में गुजरानी जा सक्ती है मगर जिस अदालत में डिक्री मुन्तकिल की गई है उस को वैसी दरखास्त के लेने का अखत्यार नहीं है—[इ. ला. रि. कलकत्ता जि. २७ सफा ४८८]—

अदालत, जिसमें डिक्री इजरा के लिये मुन्तकिल की गई जायदाद मकरूका पर हक रहन की निस्बत तहकीकात कर सक्ती है—(इ. ला. रि बम्बई जिल्द ६ सफा ५८४)—

अदालत जिस में डिक्री इजरा के लिये भेजी गई डिक्री को इस वजह पर इजरा करने से नामजूर नहीं कर सक्ती कि फरीकैन में से किसी की तरफ से ऐसे उजरात बयान किये गये हैं जिन का तसफिया इजराय में नहीं हो सक्ती—(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ५२८)—

अपील—जब अदालत खफीफा की डिक्री दूसरी अदालत को वास्ते इजराय भेजी जाये जिसे अखत्यारात इप्तदाई हासिल है तो ऐसी दूसरी अदालत के हुक्म की नाराजगी से दूसरी अपील न हो सकेगी—[कलकत्ता ला. जरनल जिल्द २० सफा १२६]

दफा ४२ या आर्डर २१ कायदा २८ में ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि जिससे वह अदालत जहा डिक्री इजरा के लिये भेजी गई ऐसे सवाल का तसफिया न कर सके जो उसी डिक्री को किसी खास तौर पर जारी कराने से पैदा हो—जिस अदालत को डिक्री वास्ते इजराय भेजी जाय वह इस सवाल का तसफिया करने की मजाज है कि आया डिक्रीदार डिक्री में दर्ज हुई जायदाद के सिवाय दूसरी जायदाद को कुर्क या नीलाम करा सक्ता है या नहीं [इ. केस जिल्द २७ सफा ५९७]

इजराय डिक्री जो ऐसी अदालत अंग्रेजी से सादिर हो जो ऐसे मुकाम में वाके हो

दफा ४३. अगर किसी ऐसी अदालत दीवानी ने डिक्री सादिर की हो जो किसी ऐसे हिस्सा ब्रिटिश इनडिया में कायम हो जहां अहकाम मुताल्लुक इजराय डिक्री ताल्लुक न रखते हों या किसी ऐसी अदालत ने सादिर की हो जो

जहां अहकाम इस हिस्से में लिखे हुए ताल्लुक न रखते हों या अदालत रियासत गैर से सादिर हो

बमूजिब हुक्म जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल की किसी वाली या रईस मुल्क गैर के हुकूमत के अन्दर मुकर्रर हो या जारी रखी गई हो और अगर उस का इजरा उस अदालत के इलाके के अन्दर नहो सके जहां से वह डिक्री सादिर हुई हो तो उस का इजरा मुताबिक उस तरीके के जो इस मजमुआ में दर्ज है ब्रिटिश इनडिया की किसी अदालत के इलाके के अन्दर हो सकेगा।

तशरीह.—इस दफा में कुछ लफ्ज और इबारत बढ़ाई गई है जिन से यह साफ तौर से तै हो गया है कि चन्द सूरतों में मुल्क गैर के अदालतों की डिक्री सरकारी हिन्दुस्तान की अदालतों के इलाका के अन्दर जारी की जा सक्ती है—इस दफा में तरमीम के जरिये जो ज्यादा इबारत बढ़ाई गई वह मुताबिक राय नजीर हाई कोर्ट कलकत्ता जिल्द १५ सफा ३६५ के है—इस दफा के बमूजिब अमल करने के वास्ते दो शर्तों का मौजूद होना लाजमी है:—[१] डिक्री का इजरा उस अदालत के इलाका के अन्दर नहीं हो सक्ता था कि जिस ने उसे सादिर की;—[२] वैसी अदालत उस तरह की होनी चाहिये कि जिस का जिक्र दफा मजकूर में दर्ज है—[वी रि. जि. १३ सफा १५४]

पुराने दफा के लिये देखो दफा २२६ "ब्रिटिश इंडिया" की तारीफ के लिये देखो दफा १.

अदालत पोलिटिकल ऐजेंट शिकम ऐसी अदालत समझी जावेगी जो नव्वाब गवर्नर जनरल साहब बहादुर बइजलास कौंसिल के हुक्म से मुकर्रर की गई या जारी रखी गई—(इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ३८ सफा ८५६)

दफा ४४

इजराय उस डिकरी का जो किसी अदालत रियासत हिन्दुस्थानी से सादिर हुई हो

नव्वाब गवर्नर जनरेल बहादुर बइजलास कौंसिल मजाज हैं कि गजट आफ इंडिया में बजरिये इश्तहार यह जाहिर कर दें कि डिकरीयां किसी अदालत हाय दीवानी या माल की जो किसी ऐसे रियासत हिन्दुस्थानी के हुकूमत में वाके हो जो मालिक मोअज्जम

से अहद वो पैमान रखती हों और नव्वाब गवर्नर जनरेल बहादुर बइजलास कौंसिल के हुक्म से मुकर्रर न हुई हो या जारी न रखी गई हों या ऐसी डिक्रियों की कोई किसम खास ब्रिटिश इन्डिया में इसी तरह जारी हो सकेगी, गोया कि वह खुद अदालतहाय ब्रिटिश इन्डिया की तरफ से सादिर हुई.

तजवीज अदालत रियासत गैर की जो अदालत वाके ब्रिटिश इंडिया के डिक्री पर हासिल की गई हो इप्तदाई डिक्री के इजराय को मने करने वाली नहीं होगी (इ. ला. रि कलकत्ता जि. ७ सफा ८२).

ब्रिटिश इंडिया की कोई अदालत रियासत गैर के किसी ऐसी डिक्री के इजराय की पाबन्द नहीं होगी जो फरेब से हासिल की गई हो—(इं. ला. रि बम्बई जि १५ सफा २१६)—

इस दफा में अहद वो पैमान के लफ्जों से मुराद है सलाह रखना न कि बरखिलाफी

पुराने दफा के लिये देखो दफा २२९ (ब) कानून म्याद जो ऐसे इजराय डिक्री में लागू होगा वह कानून म्याद होगा जो, उस सूरत में लागू होता अगर डिक्री ब्रिटिश इडिया में सादिर होती (इ ला. रि कलकत्ता जि. १४ स. ५७१).

अगर रियासत गैर की डिक्री फरेब से हासिल की गई है तो, अदालत अंग्रेजी उस को इजरा करने की पाबन्द न होगी— इस दफा की रू से; देशी रियासत की डिक्री तजवीज रियासत गैर की फेहरिस्त में शामिल समझी जावेगी--(ई. ला बम्बई जिल्द १५ सफा २१९).

जब नक्द रूपया की डिक्री किसी सरकार अंग्रेजी की रैयत पर देशी रजवाड़ा की अदालत में सादिर हो और रैयत उस रजवाड़े का रहने वाला न हो और वह डिक्री बजरिये नोटिफिकेशन जो नव्वाब गवर्नर जनरल साहब बहादुर बइजलास कौंसिल ने हस्ब दफा ४४ जारी किया हो, अंग्रेजी अदालत में काबिल इजरा हो और मदयून डिक्री यह उज्र करे कि अदालत रियासत उस पर डिक्री सादिर करने की मजाज नहीं थी और वह यह अर्ज करे कि ऐसी डिक्री की इजराय नहीं होना चाहिये, तो ऐसी सूरत में जसटिस सदाशिव ऐयर

साहब की यह तजवीज करार पाई कि इजराय करने वाली अंग्रेजी अदालत देशी रियासत के मजाज होने या न होने के सवाल की जाच नहीं कर सक्ती और न वह इजराय करने से इन्कार कर सक्ती मगर जसटिस सुन्दर ऐयर साहब की यह तजवीज करार पाई कि अदालत अंग्रेजी इस बिना पर इजरा करने से इन्कार कर सक्ती है कि अदालत रियासत डिक्री सादिर करने की मजाज न थी अंग्रेजी अदालत हस्ब दफा १३ मजमूआ जाब्ता दीवानी उन उजरात का भी लिहाज कर सक्ती है कि जिन से तजवीज रियासत नाजायज होती है और इस बात का भी तसफिया कर सक्ती है कि जिन से तजवीज रियासत अदालत अंग्रेजी में काबिल तामील है या नहीं आरडर नम्बर २१ कायदा ७ निस्बत डिक्री रियासत गैर जो अंग्रेजी अदालत को भेजी जावे लागू न होगा और दफा ४४ में ऐसी कोई इबारत नहीं है कि जिससे वह दफा ऐसी डिक्री को लागू हो सके दफा ४४ का यह मतलब नहीं है कि डिक्री रियासत गैर बतौर डिक्री अदालत अंग्रेजी समझी जावे उसमें सिर्फ वैसी डिक्री के जारी करने का कायदा बतलाया गया है—दफा ४७ भी डिक्री रियासत गैर को लागू न होगा दफा ४४ की रूसे अदालत अंग्रेजी देशी रियासत की डिक्री के इजराय करने के लिये पाबन्द नहीं है यह दफा सिर्फ इजाजती है नाकि लाजमी (मदरास ला, टा जि० १४ सफा ६६)

इसी मजमून की नजीर देखो (मदरास ला ज जि० २७ सफा ५३५) इसमें यह राय करार पाई कि इजराय करने वाली अंग्रेजी अदालत रियासत की डिक्री इजराय करने से इस बिना पर इन्कार कर सक्ती है कि डिक्री सादिर करने वाली अदालत मजाज न थी

रियासत गैर डिकरी का इजराय

दफा ४५—इस हिस्सा की पिछली दफों का उस कदर हिस्सा जिस की रू से एक अदालत डिकरी वास्ते इजराय के किसी दूसरी अदालत में भेजने की मजाज होवे किसी अदालत ब्रिटिश इन्डिया को अख्त्यार देगी कि कोई डिकरी वास्ते इजराय के किसी ऐसी अदालत में भेजे जो बहुक्म नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइज-लास कौंसिल किसी वाली या रईस मुल्क गैर के हुकूमत में

मुकर्रर हो या जारी रखी गई हो जिस से नव्वाब गवर्नर जनरेल बहादुर ने बजरिये इश्तहार मुन्दरजे गजट आफ इन्डिया, इस दफा के मजमून को मुताल्लुक कर दिया हो.

यह दफा पुराने एक्ट की दफा २२९ (क) से कायम की गई है.

अंग्रेजी अदालत की डिक्री ब्रिटिश इन्डिया के बाहर वास्ते इजराय नहीं भेजी जा सकेगी जब तक कि नव्वाब गवर्नर जनरल साहब बइजलास कौंसिल के तरफ से नोटिफिकेशन पहले जारी न हो जाये (कलकत्ता वी. नो. जि० ६ सफा ५७२).

दफा ४६ (१) डिक्रीदार की दरखास्त पर वह अदालत जिस ने डिक्री सादिर की है अगर मुनासिब समझे तो एक प्रिसिप्ट किसी दूसरी अदालत के नाम जारी करेगी जो डिक्री मजकूर इजरा करने की मजाज हो, निसबत इस के कि वह अदालत जायदाद मदयून डिकरी को जिसकी तशरीह प्रिसिप्ट में हो कुर्क करले.

प्रिसिप्ट.

(२) वह अदालत जिस के नाम प्रिसिप्ट भेजा जाय कुरकी की कारवाई उस तरीके पर करेगी जो इजराय डिकरी के कुरकी के वास्ते मुकर्रर है, मगर शर्त यह है कि प्रिसिप्ट की रू से कुरकी दो महीना से जियादा मुद्दत तक के लिये कायम न रहेगी, तावक्ते कि मियाद कुरकी उस अदालत के हुक्म से बढ़ाई न जाय जिसने डिकरी सादिर की हो या तावक्ते कि कबल खतम होने ऐसी कुरकी के डिकरी उस अदालत में जिसने कुरकी की हो मुन्तकिल न करदी जाय और डिकरीदार ने वास्ते नीलाम ऐसी जायदाद के हुक्म हासिल करने की दरखास्त देदी हो

तशरीह—यह दफा नई कायम की गई है इस के जरिये से डिकरीदार को अखत्यार दिया गया है कि वह चाहे तो दूसरे अदालत के हद के अन्दर की जायदाद कब्ल मुन्तकिल कराने डिक्री कुर्क करा सक्ता है और डिक्रीदार के बड़े मतलब की है क्योंकि मदयून डिक्री ऐसी कार्रवाई करने से बाज रहेगा

कि जिस से डिक्री का रूपया अदा न हो सके न करने पाने के कि अदा न हो

यह क्यास किया जाता है कि डिक्रीदार का मुतकिल अलेह यानी जिसको डिक्री मुन्तकिल की गई हो वह इस दफा की रू से दरखास्त दे सक्ता है—(इन्डियन ला रिपोर्ट मदरास जि० २६ सफा २५८)—

इस दफा की रू से दरखास्त उस अदालत को करना चाहिये जिस ने डिकरी जारी की प्रीसेप्ट ऐसी अदालत को भेजा जावे जो डिकरी इजरा करने की मजाज हो—दो महिने की मियाद खतम होने पर बढाई जा सक्ती है—(देखो दफा १४८).

कुरकी कब बन्द होगी इस के लिये देखो आर्डर न २१ कायदा ५७ व दफा ६४)

गो हस्ब हुक्म आर्डर न. ३८ कायदा ५ फिकरा (ब) जायदाद अदालत के इलाके अखत्यार के अन्दर वाके होना चाहिये, ताहम उन जायदाद की निसबत जिस का जिक्र फिकरा (अ) में है, ऐसी कोई कैद नहीं रखी गई है—इस कायदे के रू से कच्ची कुरकी ऐसी जायदाद की हो सक्ती जो अदालत के इलाके अखत्यार के अन्दर या बाहर वाके हो—(बरमा ला. टाईम्स जिल्द ४ सफा ८९)

तनाजे काबिल तजवीज अदालत इजराय कुनन्दा डिकरी

दफा ४७ (तनाजे काबिल तजवीज अदालत इजरा कुनन्दा डिकरी) **(१) कुल अमूरात झगडे के दरमियान फरीकैन उस मुकदमे के जिस में डिकरी सादिर हुई हो, या दरमियान उन के कायम मुकामों के, और जो डिकरी के इजरा या उस के अदाई या बेबाकी से ताल्लुक रखते हों उस अदालत के हुक्म से फैसल होंगे जो डिकरी का इजरा करती हो न कि बजरिये नालिश अलेहदा के,**

(२) बशर्ते उजरदारी निसबत मियाद या अखत्यार समाअत के अदालत मजाज है कि इस दफा के बमूजिब की

मुकर्रर हो या जारी रखी गई हो जिस से नव्वाब गवर्नर जनरेल वहादूर ने वजरिये इश्तहार मुन्दरजे गजट आफ इन्डिया, इस दफा के मजमून को मुताल्लुक कर दिया हो

यह दफा पुराने एक्ट की दफा २२९ (क) से कायम की गई है.

अंग्रेजी अदालत की डिक्री ब्रिटिश इन्डिया के बाहर वास्ते इजराय नहीं भेजी जा सकेगी जब तक कि नव्वाब गवर्नर जनरल साहब बइजलास कौंसिल के तरफ से नोटिफिकेशन पहले जारी न हो जावे (कलकत्ता वी. नो. जि० ६ सफा ५७२).

दफा ४६ (१) डिक्रीदार की दरखास्त पर वह अदालत
प्रिसिप्ट
जिस ने डिक्री सादिर की है अगर मुनासिब समझे तो एक प्रिसिप्ट किसी दूसरी अदालत के नाम जारी करेगी जो डिक्री मजकूर इजरा करने की मजाज हो, निसबत इस के कि वह अदालत जायदाद मदयून डिकरी को जिसकी तशरीह प्रिसिप्ट में हो कुर्क करले.

(२) वह अदालत जिस के नाम प्रिसिप्ट भेजा जाय कुरकी की कारवाई उस तरीके पर करेगी जो इजराय डिकरी के कुरकी के वास्ते मुकर्रर है, मगर शर्त यह है कि प्रिसिप्ट की रू से कुरकी दो महीना से जियादा मुद्दत तक के लिये कायम न रहेगी, तावक्ते कि मियाद कुरकी उस अदालत के हुक्म से बढ़ाई न जाय जिसने डिकरी सादिर की हो या तावक्ते कि कबल खतम होने ऐसी कुरकी के डिकरी उस अदालत में जिसने कुरकी की हो मुन्तकिल न करदी जाय और डिकरीदार ने वास्ते नीलाम ऐसी जायदाद के हुक्म हासिल करने की दरखास्त देदी हो.

तशरीह—यह दफा नई कायम की गई है इस के जरिये से डिकरीदार को अखत्यार दिया गया है कि वह चाहे तो दूसरे अदालत के हद के अन्दर की जायदाद कब्ल मुन्तकिल कराने डिक्री कुर्क करा सक्ता है और डिक्रीदार के बड़े मतलब की है क्योंकि मदयून डिक्री ऐसी कार्रवाई करने से बाज रहेगा

कि जिस से डिक्री का रूपया अदा न हो सके न करने पाने के कि अदा न हो.

यह क्यास किया जाता है कि डिक्रीदार का मुन्तकिल अलेह यानी जिसको डिक्री मुन्तकिल की गई हो वह इस दफा की रू से दरखास्त दे सक्ता है—(इन्डियन ला रिपोर्ट मदरास जि० २६ सफा २५८)—

इस दफा की रू से दरखास्त उस अदालत को करना चाहिये जिस ने डिकरी जारी की प्रौसेस्द ऐसी अदालत को भेजा जाने जो डिकरी इजरा करने की मजाज हो—दो महिने की मियाद खतम होने पर बढाई जा सक्ती है—(देखो दफा १४८).

कुरकी कब बन्द होगी इस के लिये देखो आर्डर न २१ कायदा ५७ व दफा ६४)

गो हस्ब हुक्म आर्डर न ३८ कायदा ५ फिकरा (ब) जायदाद अदालत के इलाके अख्त्यार के अन्दर वाके होना चाहिये, ताहम उन जायदाद की निसबत जिस का जिक्र फिकरा (अ) में है, ऐसी कोई कैद नहीं रखी गई है—इस कायदे के रू से कच्ची कुरकी ऐसी जायदाद की हो सक्ती जो अदालत के इलाके अख्त्यार के अन्दर या बाहर वाके हो—(बरमा ला. टाईम्स जिल्द ४ सफा ८६)

तनाजे काबिल तजवीज अदालत
इजराय कुनन्दा डिकरी

तनाजे काबिल तजवीज अदालत इजरा कुनन्दा डिकरी

दफा ४७ (१) कुल अमूरात झगडे के दरमियान फरीकैन उस मुकदमे के जिस मे डिकरी सादिर हुई हो, या दरमियान उन के कायम मुकामों के, और जो डिकरी के इजरा या उस के अदाई या बेबाकी से ताल्लुक रखते हों उस अदालत के हुक्म से फैसल होंगे जो डिकरी का इजरा करती हो न कि बजरिये नालिश अलेहदा के,

(२) बशर्ते उजरदारी निसबत मियाद या अख्त्यार समाअत के अदालत मजाज है कि इस दफा के बमूजिब की

कार्रवाई को बतौर एक मुकदमा के कायम करे या किसी मुकदमें को बतौर कार्रवाई के खियाल करे और अगर जरूरत हो जायद कोर्ट फीस दाखिल करने का हुक्म दे

(३) अगर यह सवाल पैदा हो कि कोई शख्स किसी फरीक का कायम मुकाम है या नहीं तो ऐसे अमर का तसफिया इस दफा की गरजों के लिये अदालत कर देगी.

समझावनाः—इस दफा की मनशा के वास्ते वह मुद्दई जिस की नालिश खारिज कर दी गई है, और वह मुद्दायलेह जिस के खिलाफ में नालिश खारिज कर दी गई हो, फरीकैन मुकदमा में दाखिल है.

तशरीहः—इस दफा का जिमन (२) बिल कुल नया है और बाकी दफा का जियादा हिस्सा पुराने मजमूश्रा जाब्ता दीवानी की-दफा २४४ से मिलता है—"फरीकैन" से वे लोग मुराद है कि जिन का नाम किसी मुकदमा की मिसल में बतौर मुद्दई या मुद्दायलेह के दर्ज किया गया हो.

जब किसी डिकरी के इजराय की कार्रवाई में तनाजा दरमियान दो मदयून डिकरी के पैदा होवे तो यह दफा लागू न होगी—[देखो इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द २९ सफा २०७]—ऊपर के मुकदमा में खरीदार ने यह हुक्म दिया कि हवालगी माल की दो मुद्दायलेह में से किसी एक को की जावे लेकिन दूसरे मुद्दायलेह ने उजर किया इस बयान के साथ कि जायदाद उसी के रूप्या से खरीद की गई है,

एक डिकरी (अ) वो (ब) दोनों पर सादिर की गई और डिकरी का कुल रूप्या सिर्फ (अ) अकेले से वसूल किया गया—तो ऐसी हालत में (अ) को (ब) पर हिस्सा रसदी के मुताबिक उस के हिस्से का रूप्या दिलाने की नालिश नम्बरी अलेहदा दायर करना चाहिये (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १८ सफा १०६)—जब कोई डिकरी बरखिलाफ (अ) ब हैसियत कायम मुकाम असली राहिन के सादिर की जावे तो वह डिकरी मजकूर के इजराय में जायदाद के नीलाम की निसबत इस बिना पर उजरदारी नहीं कर सक्ता है कि जायदाद

राहिन की मिलकियत नहीं थी—(इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफा २६५)

एक डिकरीदार ने अपने कारिन्दे के मारफत जायदाद नीलाम में खरीद की और पीछे से उसी नीलाम के मनसूखी की दरखास्त किया उस पर यह नीलाम मनसूख होकर दुबारा नीलाम हुवा, जिससे नुक्सान पहुचा—मदयून डिकरी ने दरखास्त वास्ते वसूली नुक्सान बमूजिब दफा २९३ पुराना मजमूआ (आर्डर न. २१ कायदा ७१) पेश की–तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी दरखास्त दरमियान फरीकैन मुकदमा है–(इ ला रि. मदरास जिल्द १२ सफा ४५४)

हिन्दू बेवा अपने खाविन्द के जायदाद की कायम मुकाम है, इस लिये उस के मरने पर अगर वारसान का नाम मिसल में दर्ज किया जावे तो वे इस दफा के मनशा के मुताबिक "फरीकैन" में दाखिल है (इ ला रि मदरास जिल्द २० सफा १११, वो अलाहबाद ला जरनल जिल्द ४ सफा ११७, वो कलकत्ता जिल्द १६ सफा ६०२).

लेकिन अगर डिकरी खुद बेवा की जात पर हों तो बेवा मजकूर के खाविन्द के वारसान उस के (बेवा के) कायम मुकाम न समझे जावेंगे (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १२ सफा ४५८ नजीर प्रीव्हीं कौंसिल).

जो डिकरी फरीकैन के रजामन्दी के साथ सादिर की जावे उस का ऐसा असर नहीं रहता और वारसान बतौर फरीकैन या उन के कायम मुकामान के नहीं समझे जा सके (इ. ला. रि. मदरास जिल्द ३० सफा ४०२)—और जो डिकरी अजरूए राजीनामा सादिर की जावे उस में भी यही कायदा लागू होगा (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द २९ सफा ४८७)

जो शख्स खुद होकर फरीक मुकदमा बने और फिर पैरवी से हट जावे मगर मिसल में बतौर फरीक बना रहे तो भी वह इस दफा की मनशा में दाखल होगा (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २७ सफा २४२).

जब कोई उजरदारी किसी कायम मुकाम जायज की तरफ से इस बयान के साथ की जाय कि वह जायदाद पर बतौर अमानत दार के काबिज है तो ऐसी उजरदारी इस दफा की मनशा में नहीं आवेगी (अलाहाबाद वीकली नोट जिल्द

हुक्म निसबत मुकर्ररी कमीशनदार वास्ते करने बटवाड़ा वगैर हुक्म मुताल्लिक इजरा डिकरी न समझा जावेगा—(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २४ सफा ७२५ इजलास कामिल)

दरखास्त निसबत अलग करने रिसीवर जो किसी इस्टेट के इन्तजाम करने के लिये मुकर्रर किया जाय बतौर सवाल मुताल्लिक इजरा डिकरी है (इ ला. रि. बम्बई जिल्द ५ सफा ४५)

इजरा डिकरी को मुलतवी कराने के लिये मुद्दायलेह से किस कदर जमानत लेना चाहिये, ऐसा सवाल बतौर सवाल मुताल्लिक इजरा डिकरी है (इ ला. रि बम्बई जिल्द १२ सफा ३०)—इसी तरह कुल हुक्म निसबत करने मुलतवी इजराय डिकरी भी (इ. ला रि अलाहबाद जिल्द ७ सफा ७३)—अगर मुद्दई किसी ठहराव की निसबत यह इकरार करे कि जो खर्चा दिलाया जावेगा वह मैं किसी एक मुद्दायलेह से वसूल न करूगा तो ऐसे मादा का जायज होना बतौर सवाल मुताल्लिक इजराय डिकरी है—(इ. ला रि. बम्बई जिल्द २२ सफा ४६४ इजलास कामिल)

हुक्म इन्कारी निसबत मजूरी नीलाम बतौर हुक्म मुताल्लिक इजराय डिक्री है (इ. ला रि कलकत्ता जि० २५ सफा १७५)—

हुक्म निसबत मुलतवी इजराय डिकरी जब तक सर्टिफिकट पेश न किया जावे बतौर सवाल मुताल्लिक इजराय डिकरी है (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ५ सफा २११).

सवाल निसबत मनसूखी नीलाम बमूजिब आरडर २१ कायदा ८६ बतौर सवाल मुताल्लिक इजराय डिकरी है (इ. ला रि. मद्रास जिल्द ३० सफा ५०७)

यह सवाल कि डिकरीदार—खरीददार ने खरीदी का रूप्या अदालत में अन्दर म्याद दाखल किया या नहीं बतौर सवाल मुताल्लिक इजराय डिकरी है (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ४ सफा ४२०)

यह सवाल कि आया डिकरीदार बिनामीदार है या ऐसा शख्स है जो डिकरी से फायदा उठाने का हकदार है, बतौर सवाल मुताल्लिक इजराय डिकरी

न समझा जावेगा (मदरास ला जरनल जिल्द ३ सफा २२०)

जब मुर्तहन ऐसी डिकरी पावे कि जिस के रू से वह जायदाद मरहूना पर कब्जा रखे रहे जब तक कि करजा रहन जायदाद मरहूना के मुनाफा से वसूल न हो जाय, और राहिन उस जायदाद पर कब्जा पाने के लिये इस बिना पर दरखास्त दे कि करजा रहन वसूल हो चुका है, तो ऐसी दरखास्त बतौर सवाल मुताल्लिक इजराय डिकरी नहीं समझी जावेगी (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २० सफा ५०६).

जब डिकरी की मुन्तकिल की निस्बत तकरार हो तो सवाल बाबत जायज होने या नाजायज होने मुन्तकिली बतौर सवाल मुताल्लिक इजराय डिकरी होगा (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २६ सफा २५०)

यह सवाल कि आया जो कर्ज हिन्दू बाप ने लिया और जिस की डिकरी उस पर हुई वह बद फैली के लिये लिया गया था बतौर सवाल मुताल्लिक इजराय डिकरी समझा जावेगा [इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३३ सफा ६७६]

डिकरी इजराय करने वाली अदालतः—डिकरी की इजरा उस अदालत से हो सक्ती है जिस ने उसे सादिर किया था या उस अदालत से भी जहां वह वास्ते इजराय भेजी गई देखो दफा ३८.

सूरते जिन मे अलेहदा नालिश नहीं चल सक्ती है'—

(१) जब कलेक्टर ने एक दफे बटवाड़ा कर दिया हो तो वह (कलेक्टर) कतई हुक्म जारी करने और दीवानी अदालत में वापिस करने के पेश्तर बटवाडे को किसी गलती या दीगर सबब से तरमीम कर सक्ता है और उस की कार्रवाई में नुक्स निकालने के लिये कोई अलेहदा नालिश न हो सकेगी (इ ला रि बम्बई जिल्द ५ सफा ६४८).

(२) जब डिकरी की रू से कब्जा बगैर मदद अदालत मिल जाय और वह डिकरी अपील में मनसूख हो जाय तो मुद्दायलेह कब्जा के लिये अलहेदा नालिश दायर नहीं कर सकेगा (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द २१ सफा ३४८).

(३) जब इजरा डिकरी में रूप्या नाजायज तौर से वसूल कर लिया गया हो तो वैसा रूप्या की वापसी की अलहेदा नालिश उस डिकरी के किसी दुसरे फरीक पर न चल सकेगी (अलाहाबाद वी. नो. सन १९०४ सफा ५५)-

(४) अगर डिकरी की शर्तों से ज्यादा डिकरीदार ने जमीन ले ली हो तो उस की वापसी की अलहेदा नालिश न चल सकेगी [इ ला. रि कलकत्ता जिल्द २२ सफा ४८३]

(५) जब नीलाम बमूजिब आरडर २१ कायदा ९० मन्सूख हो जावे और खरीददार अपना खरीदी का रूप्या वापिस ले लेवे और अपील में वह नीलाम मजूर होने पर खरीदार अदालत में कीमत न दाखल करे तो वैसे कीमत वसूली की अलहेदा नालिश न चल सकेगी [इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द २७ सफा १५५].

(६) डिक्रीदार-खरीदार मदयून डिक्री पर कब्जा की नालिश नहीं कर सक्ता —[अलाहबाद ला. जरनल जिल्द ३ सफा २३४]

(७) मनसूखी नीलाम की दरखास्त दी गई और जब उस की कार्रवाई चल रही थी तब डिक्रीदार और मदयून डिक्री के लडके के दरम्यान इस मजमून का राजीनामा हुवा कि अगर मदयून डिक्री अपनी उजरदारी वापिस लेले तो डिक्रीदार अपनी पूरी डिक्री को बतौर अदा के समझेगा—मदयून डिक्री ने अपनी उजरदारी वापिस लेली—इस के बाद मदयून डिक्री ने नालिश वास्ते मन्सूखी नीलाम और राजीनामा इस बिना पर दायर किया कि ये सब कार्रवाई मेल से की गई—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि अलैहदा नालिश नहीं चल सकेगी (इ ला रि अलाहबाद जि. २४ सफा २०९).

सूरतें । सक्ती हैः (१)—अगर

डिक्रीदार की डिक्री ...लिग था और जिस की

तरफ से अदालत ... था तो ऐसे डिक्रीदार से

... [अलाहबाद वी. नो.

सन १९०५ सफा १२२).

(२) जब किसी डिक्री के रू से मुद्दई को यह हक हासिल हो के वह किसी जमीन पर इमारत बनावे और मुद्दायलेह मुद्दई के वैसे हक में दस्तनदाजी करने से रोका गया हो और अगर डिक्रीदार इमारत खिलाफ डिक्री के बनावे तो मदयून डिक्री नालिश कर सक्ता है (अलाहबाद वी. नो. सन १९०५ सफा १८०) वो (इ ला रि. कलकत्ता जि. २८ सफा ७२)

(३) जब दखलयाबी की नालिश का राजी नामा हो जावे और वह इस शर्त पर खारिज हो जावे कि मुद्दायलेह पट्टा लिखने के लिये राजी है मगर डिक्री में पट्टा लिखवाने के लिये कोई हिदायत न हो तो वैसे पट्टा लिखवाये जाने के लिये अलेहदा नालिश हो सक्ती है (इ ला रि कलकत्ता जि २२ सफा २०३)

(४) जब कब्जा की डिक्री की इजराय में सिर्फ बाजाब्ता कब्जा मुद्दई को दिया गया हो मगर मुद्दायलेह का कब्जा बना रहा हो तो दखलयाबी की नई नालिश चल सकेगी —(इ. ला. रि कलकत्ता जि ११ सफा ९३)

(५) जायदाद मरहूना पहले रहन के डिक्री में नीलाम की गई और दूसरा मुर्तहन उस में फरीक था, पहले मुर्तहन की, जिस के पास तीसरा रहन था, दूसरी डिक्री हुई इस म दूसरा मुर्तहन फरीक नहीं था बिक्री का फाजल रुपया पहले–मुर्तहन को दिया गया–तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि दूसरा मुर्तहन फाजल रुपया पाने की अलेहदा नालिश कर सक्ता है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ३३ सफा ९२)

(६) जब नीलाम की डिक्री और कतई हुक्म नीलाम खिलाफ राहिन सादिर हो और राहिन उसी डिक्री की जमीन और दिगर मकान को फिर रहन रख कर और ज्यादा रूपया कर्ज लेवे तो मुर्तहन इस दूसरे रहन की रू से अपना पूरा रूपया जो उसका निकलता है

पाने की नालिश कर सकेगा यह जरूर नहीं है कि वह अपनी पहली डिक्री को इजरा करे और नालिश सिर्फ बाकी रूपया की करे (इ ला. रि अलाहबाद जि० २७ सफा ४००)—

(७) अगर मदयून डिक्री ने कुरकी के पहले अपनी जायदाद अमानत दार के पास बतौर अमानत रखदी हो तो ऐसा अमानतदार कुरकी मन्सूखी की नालिश कर सक्ता है (मदरास ला. ज. जि० १३ सफा ३७२)—

[८] डिक्री जारी न कराने के माहदा के तोडने से जो हरजा हुवा उसके वसूल करने की नालिश चल सकेगी [इ. ला. रि. बम्बई जि० २३ सफा ३९४]

[९] इस अमर के करार दिये जाने की नालिश चल सक्ती है कि खरीददार डिक्री सिर्फ बिनामीदार था यानी फरजी था [इ. ला रि. कलकत्ता जि० २५ सफा ४९]

[१०] खरीदी का रूपया वापिस पाने की नालिश इस बिना पर चल सक्ती है कि नीलाम वाली जायदाद मे मदयून डिक्री का कोई हक नहीं था [कलकत्ता. वी नो. जि० ५ सफा १४२]—

[११] अगर कुर्क की हुई जायदाद को कोई तीसरा शख्स उठा ले जावे तो उस शख्स के पास से वह जायदाद वापिस दिलाये जाने की नालिश मदयून डिक्री कर सक्ता है (इ ला रि मदरास जि० ३० सफा ४१३)

[१२] अगर कोई जायदाद अदालत से नीलाम हुई हो और खरीदार नीलाम को उस पर कब्जा न मिला हो और कब्जा के पहले डिक्रीदार और मदयून डिक्री ने, उस जायदाद पर मदाखलत की हो तो ऐसी मदाखलत करने से जो हरजाना हुवा है उसको दिला पाने की नालिश खरीदार नीलाम कर सक्ता है (मदरास ला ज जि० १७ सफा ५४३)—

जिमन २—यह मातहत दफा नई है और नजीर इ. ला. रि. अलाहबाद जि०२९ सफा ३४८ पर कायम हुई है—

जिमन ३—इजरा करने वाली अदालत इस बात का तसफिया नहीं कर सक्ती कि कायम मुकाम कोन है इस सवाल का तसफिया डिक्री सादिर करने वाली अदालत करेगी देखो दफा ५० [इ ला. रि. कलकत्ता जि० १७ सफा ४३१, ४३३]

जब मुतवफ्फी मुद्दई के कायम मुकाम का नाम मिसल में दौरान अपील दर्ज हुवा हो तो डिक्री इजरा करने वाली अदालत उस सवाल को फिर नहीं निकाल सक्ती—इस दफा के अहकामात दफा ५० से मिलते हैं.

अपील:—इस दफा के रू से किसी सवाल के तसफिया करने का हुक्म बतौर डिक्री के समझा जावेगा—देखो दफा २ [२] हस्ब दफा ६६ अपील बनाराजगी डिक्री अदालत हाय जो इब्तदाई अखत्यार अमल में लाते होंगे

अगर डिक्री के शर्त के मुवाफिक बटवारा करने के लिये कमिशनदार मुकर्रर करने की दरखास्त दी गई हो और वह दरखास्त इस बिना पर खारिज की गई हो कि वह बेरू मियद है तो वैसे खारजी के हुक्म की अपील हो सकेगी (मद्रास ला ज. जि० १४ सफा ४३६)—

डिक्रीदार की एक डिक्री मुसम्मी (अ) पर सिर्फ नक्द रूपया की थी—उस के इजराय में उस ने (अ) की रहन डिक्री जो मुसम्मी (ब) पर थी कुर्क कराया—(ब) ने उजरदारी की कि डिक्री की अदाई हो चुकी है—मगर उस की उजरदारी ना मजूर की गई—तो (ब) ऐसे उजरदारी के हुक्म की अपील नहीं कर सकेगा (इ ला रि अलाहबाद जि २६ सफा १३६)

जब दरखास्त वास्ते मन्सूखी नीलाम फरेब की बिना पर की जावे तो दूसरी अपील बनाराजगी हुक्म अदालत इब्तदाई जिस ने नीलाम मन्सूख किया, होगी गो अदालत अपील मातहत ने कोई फरेब न पाया हो (इ ला रि. कलकत्ता जि ३१ सफा ३८५)

आया इजराय करने वाला फरीक डिक्रीदार का कायम मुकाम है या नहीं इस सवाल की निसबत जो हुक्म हुवा हो वह काबिल अपील होगा (मद्रास ला ज

जि. १२ सफा २८०)—मगर वैसे हुक्म की नजरसानी न हो सकेगी (इ. ला. रि. कलकत्ता जि ३२ सफा ५७२)

दरखास्त बमुजिब आरडर न. ३९ कायदा ८ इनफिकाक की मोहलत मागने के लिये जो दी जावे और उस पर जो हुक्म सादिर हो वैसा हुक्म काबिल अपील होगा [बंबई ला रि जि. ३ सफा ५९४].

डिक्रीदार फरीक नालिश उस सूरत में भी बना रहेगा जब कि उस ने इजराय डिक्री में नीलाम के वक्त जायदाद को खुद खरीदा हो (इं. ला. रि. बंबई जिल्द ३५ सफा ४९२).

मुसम्मी (अ) की डिक्री मुसम्मी (ब) की जात पर हुई थी—उसने ऐसी जायदाद कुर्क वो नीलाम कराई जिस को मुसम्मी (ब) कहता था कि उस के कब्जे में बहैसियत पुजारी मन्दर है न कि खुद उस की है और वह सब जायदाद देवता के नाम से थी— मुसम्मी [ब] ने उस जायदाद का दावी किया, तो हुक्म वैसे दावी पर दफा २७८ पुराने मजमूआ [आरडर २१ कायदा ५८] में दाखल होगा, न कि दफा २४४ पुराने मजमूआ (दफा ४७) क्योंकि उस का दावी बहैसियत पुजारी मन्दर के है जो कि फरीक नालिश नहीं था—दफा २४४ पुराने मजमूआ यानी दफा ४७ नया मजमूआ के रू से सवाल उन्ही फरीकैन के दरम्यान होना चाहिये जो उस नालिश में फरीक थे जिस में डिक्री सादिर हुई (कलकत्ता वी नोट जिल्द १६ सफा २६० इजलास कामिल).

अगर जरलगान की डिक्री के इजराय में रजिस्टर्ड शराकतदार का खेत नीलाम हुआ हो तो बिला दर्ज रजिस्टर शराकतदार उस दर्ज रजिस्टर शराकतदार का कायम मुकाम न समझा जावेगा [कलकत्ता वी. नोट जिल्द १५ सफा ५१२]

नक्द रूपया की डिक्री में मदयून डिक्री ने अपनी कुछ जायदाद बेंच डाली उसी रोज डिक्रीदार ने इजराय डिक्री की दरख्वास्त दिया और उस के बाद उस जायदाद को कुर्क कराके खुद खरीद लिया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि पहला खरीदार जिस ने आपसी में खरीदा था मदयून डिक्री का कायम मुकाम नहीं समझा जावेगा, क्योंकि जो जायदाद उस ने खरीदी उस का ताल्लुक डिक्री से कुछ न था डिक्री सिर्फ नकद रूपया की था और यह भी तजवीज करार पाई कि उस का हक ब मुकाबले डिक्रीदार

खरीददार के बढ़िया था [इ. के. जि. ६ सफा ३०७]

इजरा करने वाली अदालत इस किस्म की उजरदारी नहीं सुनेगी कि डिक्री कानूनन बेअसर है (इ के जिल्द १० सफा ५३२)

जब मदयून डिक्री यह उजर करे कि खरीददार नीलाम ने ऐसी जायदाद पर कब्जा कर लिया जो उस के सर्टिफिकेट नीलाम में दर्ज नहीं है, तो ऐसे सवाल का तसफिया अलेहदा नालिश के जरिये होना चाहिये न कि दफा ४७ की रू से (अवध केस जिल्द १४ सफा ७०).

राहिन पर डिक्री रहन हुई थी—जब वह मर गया तो उस के जगह पर उस के बेटे का नाम दर्ज किया गया—बेवा ने उजरदारी किया कि यह जायदाद उस को उस के बाप वो चचा यानी—(औरत के बाप वो चचा) के जरिये मिली न कि खाविन्द के जरिये और उसने अर्ज किया कि जायदाद इजराय डिक्री से छोड़ दी जाय—तजबीज हाई कोर्ट करार पाई कि उस की उजरदारी दफा ४७ में नहीं दाखल होगी (इ. के. जि १४ सफा ७)

मदयून डिक्री के जायदाद का मुन्तकिल—अलेह मदयून डिक्री का कायम मुकाम नहीं है, इस लिये ऐसे मुन्ताकिल—अलेह की उजरदारी निसबत कुर्की जायदाद दफा ४७ में दाखल न होगी और अगर उस की उजरदारी मजूर की गई हो तो डिक्रीदार अलेहदा नालिश कर सक्ता है (पजाब वि रि. न ११३ सन १९१२)

आया कार्रवाई इजराय डिक्री का कोई हुक्म दफा ४७ में दाखल होता है या नहीं उस का दारमदार उस हुक्म की किसम वो मजमून पर होगा अगर उस हुक्म से किसी सवाल निस्बत इजराय या अदाई डिक्री का फैसला होता हो और वैसा फैसला दरमियान फरीकैन नालिश या उनके हाकियत रखने वाले कायम मुकाम होता हो तो वैसा हुक्म दफा ४७ में दाखल होगा और बतौर डिक्री हस्ब मनशा दफा २ समझा जावेगा (कलकत्ता ला जर. जि० १५ सफा ८९)—

यह सवाल कि आया नीलाम जो इजराय डिक्री में किया गया इस बिना पर जायज है या नाजायज कि खुद डिक्री में उसका जिक्र नहीं था बतौर सवाल मुताल्लिक इजरा डिक्री समझा जावेगा और दफा ४७ में दाखल होगा

इसी तरह यह सवाल कि डिक्री की इजराय खुद डिक्री से ज्या'। की गई बतौर सवाल मुताल्लिक इजराय डिक्री होगा (मदरास ला टाईम्स जि० १० सफा ५२७)—

मुतवफ्फी मद्यून डिक्री का वारिस कार्रवाई इजराय डिक्री में इस किस्म का उजर कर सक्ता है कि खानदानी जायदाद जो उसके हाथ में है नक्द रूपया की डिक्री में कुर्क या नीलाम नहीं हो सक्ती क्यों कि वह डिक्री सिर्फ नक्द रूपया की मुतवफ्फी पर हुई थी और वह कर्जा जरूरत के लिये नहीं लिया गया था ऐसा उजर बतौर उजर मुताल्लिक इजराय डिक्री समझा जावेगा और उसके तसफिया के लिये अलेहदा नालिश नहीं चल सकेगी (इ० के० जि० १३ सफा ६७०)—

जब मद्यून डिक्री जायदाद पर अपना दावा बहैसियत पुजारी मूरती के, न कि अपने जाती हैसियत से करे और पुजारी मूरती फरीक नालिश नहीं था तो मामला दफा ४७ में दाखल नहीं होगा और उस की अपील न होगी मगर जब मद्यून डिक्री फरीक नालिश बहैसियत जाती वो बहैसियत कायम मुकामी यानी दोनों हैसियत से होवे तो मामला दफा मजकूर में दाखल होगा और उसकी अपील हो सकेगी—जब असली इजराय डिक्री में नालिश इस तकरार हक्क इस अमर की दायर होने से खलल पड जावे कि जायदाद नीलाम नहीं हो सक्ती, और वैसे इस तकरार हक्क की डिक्री हो जावे तो वैसी डिक्री से असली इजराय या बाद की इजराय नहीं चल सकेगी (इ के जि० २० सफा ७६०)—

नालिश वास्ते खास तामील माहदा बै के दायर की गई उसकी डिक्री सादिर हुई और इजराय डिक्री का यह नतीजा हुवा कि बैनामा तहरीर कराया गया डिक्रीदार ने अलेहदा नालिश वास्ते कब्जा जायदाद बैनामा की रूसे करने के एवज उस डिक्री की इजरा में कब्जा चाहा तजबीज हाई कोर्ट करार पाई कि हस्ब फिकरा २ दफा ४७ मजमूआ जाब्ता दीवानी सायल को यह इजाजत दी जा सक्ती है कि वह दरखास्त इजराय डिक्री को बतौर अरजी दावा कोर्ट फी देकर तसौव्वर करे इजराय डिक्री में असल चीज जो देखने की है वह डिक्री खुद है (पंजाब ला रिकार्ड न ४० सन १९१३ ई०).

दो हिन्दू बेवाओं ने अपने मकान के नीलाम में यह उजरदारी किया कि उन के रहने के लिये कुछ कमरे उस मकान में छोड़ दिये जावें और बाकी मकान नीलाम किया जावे—उन की ऐसी उजरदारी नामंजूर हुई—इस के बाद उन्हों ने अपने हक कायम कराने के लिये नालिश इस्तकरारहक दायर किया—उन में से एक बेवा उस डिकरी की फरीक थी जिस की इजराय में मकान नीलाम किया जाता था—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि बेवा मजकूर जो फरीक डिकरी थी अलहेदा नालिश दायर करने की मजाज नहीं हो सक्ती क्योंकि बमूजिब दफा ४७ इजराय करने वाली अदालत वैसे दावों का तसफिया कर सक्ती है (इ के जिल्द १८ सफा ८२१).

नालिश बटवारामें फरीकैन के राजीनामा की रू से डिकरी सादिर की गई और उस के जरिये कुछ कर्जा जो वसूल होने को था जिम्मे मुद्दई लगाया गया और कुछ कर्जा जिम्मे मुद्दायलेह, और इस के अलावा मुद्दई को कुछ रूप्या भी दिलाया गया—वैसे डिकरी की इजराय की दरखास्त पर मुद्दायलेह ने यह उजर किया कि डिकरीदार ने कुछ ऐसा कर्जा वसूल कर लिया है जो उस के हिस्सा में नहीं दिया गया था—हाई कोर्ट की यह राय करार पाई कि मुद्दायलेह की ऐसी उजरदारी सीगा इजराय डिकरी में नहीं चल सक्ती क्योंकि वैसा मामला दफा ४७ में नहीं आता—मद्यून डिकरी को चाहिये कि डिकरीदार पर अलहेदा नालिश करे और उस की उजरदारी बतौर अरजी दावा हस्व दफा ४७ (२) नहीं तसौवर की जावेगी, गो अदालत को वैसी तसौवर करने का अख्त्यार है—क्योंकि उजरदारी में कोई खास रकम का दावा नहीं किया गया (इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३५ सफा २४३)

जब इजराय डिकरी की दरखास्त से यह मालूम हो कि डिकरी मजकूर काबिल इजराय नहीं है तो दरखास्त बतौर अरजी दावा के तसौवर न की जावेगी—क्योंकि अरजी दावी में बमुकाबले दरखास्त इजराय डिकरी के बहुतसी बातें दर्ज करने को रहती है और सवाल नोटिस वगैरह देने को भी पैदा होता है (अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १२ सफा ३१)

कार्रवाई इजराय डिकरी में सवाल निस्बत म्याद ऐसा सवाल समझा जावेगा कि जो दफा ४७ में दाखल होता है, और उस का तसफिया बतौर

डिकरी के काम देगा (इ के जिल्द २२ सफा ८५१)

जो डिकरीदार अपने डिकरी की इजरा में मदयून डिकरी की जायदाद को खुद खरीदे तो उस का हैसियत बतौर डिकरीदार के चालू न रहेगी–खरीदने के बाद जो झगड़े दरम्यान खरीददार वो मदयून डिकरी पैदा हों उन की निस्बत यह न समझा जावेगा कि वे ऐसे हैं कि मानो असली डिकरीदार और मदयून डिकरी के दरम्यान पैदा हुए (इ के. जिल्द २४ सफा ६३)

डिकरीदार ने जायदाद नीलाम में खरीदा मगर वह नीलाम पीछे से मंसूख किया गया, दूसरे इश्तहार नीलाम में मदयून डिकरी ने मुनाफा मुजरा पाने की उजरदारी किया जो खरीदार ने वसूल किया था—ऐसी उजरदारी की सुनाई कार्रवाई इजराय डिकरी में हो सक्ती है, न कि अलेहदा नालिश से—न दफा ४७ और न आर्डर न २१ कायदा २ मजमूआ जाब्ता दीवानी ऐसे नालिश में रूकावट करेगा कि जो डिकरी मुद्दायलेह ने मुद्दई पर हासिल की थी उस की अदाई हो चुकी और वह अब काबिल इजराय नहीं है—(इ. के जिल्द २५ सफा ६४२)

खरीदार नीलाम बतौर कायम मुकाम फरीक नालिश हस्ब दफा ४७ नहीं समझा जावेगा—(इ के जिल्द २७ सफा ५७०).

मियाद इजराय डिकरी.

चंद सूरतों में डिकरी के इजराय की मुमानियत

दफा ४८. (१) अगर दरखास्त वास्ते इजराय किसी ऐसे डिकरी के गुजरे जो सदूर हुक्म इस्तनाई की डिकरी न हो तो उस के बाद कोई हुक्म निसबत इजराय उसी डिकरी के किसी नई दरखास्त पर सादिर नहीं किया जावेगा जो बाद गुजर जाने मुद्दत बारा साल के नीचे लिखी हुई तारीखों से गुजरानी जाय-याने –

(क) तारीख डिकरी से जिस का इजराय कराया जाना मंजूर हो; या,

(ख) जब कि डिकरी या बाद के हुक्म में यह हिदायत हो कि रूप्या किसी खास तारीख पर या

आयन्दा तारीख मुकर्रर पर अदा किया जाय या कोई माल हवाला किया जावे तो उस के न अदा होने और माल के न हवाला करने की तारीख से जिस की बाबत सायल वह डिकरी जारी कराना चाहता हो.

(२) इस दफा की किसी इबारत से

(क) यह नहीं कियास किया जायगा कि अदालत को इजराय डिकरी का हुक्म देने से मनाई की गई है किसी ऐसी दरखास्त पर जो बाद गुजरने मियाद बारा साल मजकूर के गुजरानी जाये जिस हाल में कि मदयून ने किसी फरेब या जबर से डिकरी के इजराय को किसी अरसे में जो दरखास्त की तारीख से पहले बारा साल के अन्दर ही रोका हो,

(ख) मद १८० (अब १८३) जमीमा २ कानून मियाद समाअत हिंद सन १८७७ ई० का असर किसी तरह से महदूद या तबदील न होगा

तशरीह—इस दफा की इबारत पुराने मजमूआ की दफा २३० के तीसरे वो चौथे फिकरे से कायम की गई है–इस दफा के मजमून से साफ यह मतलब निकलता है कि वह अब सब डिकरियों से ताल्लुक रखती है सिवाय उन डिकरियों के जिन से हुक्म इम्तनाई का सादिर हुवा है

दरखास्त इजराय डिकरी से बिलाशक वह दरखास्त मुराद है कि जिस के जरिये से कोई हुक्म नामा इजराय का हासिल किया जावे—(देखो इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा ७४४ वो अलाहाबाद जिल्द १५ सफा १९८)

इस दफा की मनशा के मुताबिक नई दरखास्त में वह दरखास्त शामिल है जो बिल कुल नये सिरे से मुकर्रर किये हुये नमूने के मुवाफिक पेश की जावे—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १८ सफा ४८२)—न कि वह दरखास्त जो ऐसी

पेश्तर की दरखास्त के सिलसिले में दी गई हो कि जो बारा साल की मुद्दत गुजरने के पेश्तर पेश की गई थी--पस अगर कोई दरखास्त ऊपर लिखी दरखास्त के कायम कराने या जारी रखने की गरज से पेश की जाय तो वह बेरू मियाद न समझी जावेगी, मसलन, दरखास्त बाबत नीलाम सिलसिले किसी ऐसे दरखास्त के जो उसी मजमून के बाबत मुद्दत मुकर्रर गुजरने के पहले पेश की गई हो बेरू मियाद न समझी जावेगी—(इ. ला. रि. मदरास जिल्द ६ सफा ५३९).

इस दफा की तरमीम की हुई इबारत से यह मतलब पाया जाता है कि १२ साल की मुद्दत तारीख पेश करने या दायर करने दरखास्त से, न कि तारीख मजूरी दरखास्त से शुमार की जावेगी- नजीर व मुकदमें इ ला. रि मदरास जिल्द ६ सफा ३५६ की बिना पर ऊपर लिखी दफा कायम की गई है.

जब किसी मुकदमे में अपील दायर की गई या दरखास्त नजर सानी या तजवीज सानी की पेश की गई हो तो तारीख आखिर डिक्री की ला जावेगी मगर जब जुज डिकरी के नाराजी से अपील हुई हो तो तारीख डिक्री अदालत अपील निसबत उस जुज डिक्री के कि जिस्के बारे में अपील नहीं हुई थी निसबत उस जुज डिकरी के भी कि जिसके बारे में अपील में फैसला हुवा हिसाब में ली जावेगी (इ ला. रि. मद्रास जि २६ सफा ९१ नजीर इजलास कामिल)

जब दरखास्त इजराय डिकरी बाद गुजरने मुद्दत १२ साल के पेश की जावे तो अदालत को अपनी समझ के मुवाफिक इस अमर का फैसला करना चाहिये कि आया कार्रवाई इजराय शुरू की जाय या नहीं, और इसके बारे में दोनों फरीकैन की ख्वाहिश याने मतलब पर भी लेहाज करना चाहिये (कलकत्ता वीकली नोट जिल्द ११ सफा ४४०)

पहले दरखास्त गिरफतारी मदयून डिकरी के लिये की गई उस को तरमीम करके कुरकी जायदाद की अर्ज और भी दर्ज की गई तो ऐसी दरखास्त बतौर नई दरखास्त के समझी जावेगी जो तरमीम की तारीख को पेश की गई (मदरास ला. ज. जिल्द १५ सफा २४३).

पहली दरखास्त कुछ जायदाद कुर्क कराने के लिये पेश की गई, दूसरी दरखास्त इस मजमून की दी गई कि पहली दरखास्त में जो जायदाद दर्ज है उस

के एवज दूसरी जायदाद कुर्क की जाय और वह छोड़ दी जाय—ऐसी दूसरी दरखास्त बतौर नई दरखास्त के समझी जावेगी—(इ. ला रि कल्कत्ता जिल्द ७ सफा ५५६)

दरखास्त कुरकी जायदाद डिकरी रहन के रू से बेकाम होगी—पस जो दरखास्त बारा साल के बाद उसी जायदाद के नीलाम के लिये दी जाय वह बतौर असली दरखास्त के समझी जावेगी और वह बेरू मियाद होगी—(इ ला. रि. मदरास जिल्द २८ सफा २२४).

इसी तरह गैर तसदीकी दरखास्त याने जिस में तसदीकी इबारत तहरीर न हो और वह मियाद के अखीर दिन पेश की जाय और पीछे से वह वाजिब तसदीक के साथ तरमीम की जावे तो वह बेरू मियाद समझी जावेगी—(इ ला. रि. मदरास जिल्द २६ सफा १०१).

जब दरखास्त वास्ते गिरफतारी मदयून के की जावे मगर वह गिरफतार होकर न आवे और गिरफतारी के बाद भाग गया हो और उस के गिरफतारी के लिये पीछे से और दरखास्त की गई हो तो ऐसी पीछे की दरखास्त पहली दरखास्त के सिल सिले में समझी जावेगी—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २१ सफा १५५)

जब फरीकैन दरखास्त पेश करें और इस बात पर राजी हो कि डिक्री का रूपया किस्त से पटाया जाय और अदालत वैसी दरखास्त को दाखल दफ्तर करने का हुक्म दे तो ऐसे हुक्म से यह नहीं समझा जायगा कि अदाई के लिये कोई खास तारीख मुकर्रर की गई (इ ला. रि अलाहबाद जि० ४ सफा १५५)—

जब कर्जदार गिरफ्तार हो कर हाजिर आवे और पद्राह रोज की माहेलत मागे और डिक्री दार राजी होवे और अदालत दरखास्त पर यह हुक्म दे कि दरखास्त दाखल दफ्तर की जाय तो ऐसे हुक्म से अदाई की कोई खास तारीख मुकर्रर नहीं समझी जावेगी (इ ला रि कलकत्ता जि० १६ सफा १६)—

जब मदयून यह जानकर कि वारन्ट कुरकी उसकी जायदाद मनकूला का

जारी हुवा है अपने मकान में ताला लगा देवे और इस तरह अपनी जायदाद मनकूला को कुरकी से बचाये तो वह इस दफा के मनशा के मुवाफिक फरेब करने का कसूर वार समझा जावेगा (इ. ला रि मदरास जि० २२ सफा १२२).

अगर मदयून डिक्री बारा साल तक अदाई रूपया की वारटों की तामील अपने ऊपर बरकाता जाय तो वह फरेब का दोशी समझा जावेगा (इ. ला. मदरास जि० ६ सफा ३६५)—

जब मदयून नाजिर के मजकूरी को अपने मकान की तरफ उस की जायदाद कुर्क करने के लिये आता हुवा देख कर मकान के अन्दर घुस जाय और अन्दर से दरवाजा बन्द करदे और कहने पर भी दरवाजा खोलने से इन्कार करे तो उसकी हरकत फरेब के हद को पहुचेगी (इ ला रि. बम्बई जि० ६ सफा ३१८)--

मामला को इस दफा की मनशा के अन्दर दाखल करने के लिये नीचे लिखी हुई बातें साबित करना चाहिये:—

(१) कि मदयून ने डिकरी की इजरा रोकने की गरज से कुछ छल या चालाकी किया या चाल चला

(२) कि डिकरी की इजरा वैसे छल चालाकी या चाल से रोकी गई— यह साबित करना काफी न होगा कि बारा साल के अन्दर फरेब किया गया, बल्कि यह साबित करना चाहिये कि किसी खास फरेब से जिसकी शिकायत है डिकरी की इजरा न हो सकी (मदरास ला. जरनल जिल्द ८ सफा २०३).

डिकरी की इजरा में बाधा यानी खलल डालने के लिये अगर जायदाद फरजी तौर पर या फरेब से दूसरे के नाम मुन्तकिल की जाय तो ऐसी मुन्तकिली फरेब के हद को पहुचेगी (इ ला रि. मदरास जिल्द ४ सफा २६२).

डिक्री वास्ते नीलाम खेत कतई मौरूसी बजरिये रहन सन १८९८ में सादिर हुई—दरखास्त इजराय डिक्री सन १९११ में दी गई यह दरखास्त मय पहली दरखास्तों के जो इस अरसे के अन्दर दी गई बतौर इमदादी इजराय डिकरी

के सिलसिले में समझी गई सन १८९८ वो सन १९११ के दरम्यान यह जायदाद कलेक्टर के हाथ में बमूजिब दफा ६८ मजमूआ जाब्ता दीवानी छै साल तक रही तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि म्याद दफा ४८ नये मजमूआ जाब्ता दीवानी के रू से लगाई जायगी न कि पुराने एक्ट की दफा २३० के मुवाफिक (नागपुर ला. रि जिल्द ११ सफा २५)

अहकामात दफा ६ एक्ट म्याद लागू न होंगे और न उनकी रू से नाबालिग डिक्री दारान दफा ४८ मजमूआ जाब्ता दीवानी के अहकामात से माफ हो सकेंगे (अलाहबाद ला. ज जि० १३ सफा ८२६)

बारासाल की म्याद शुमार करने में वह अरसा कि जब तक इस्टेट कोर्ट आफ वार्ड के चार्ज में रही खारिज न किया जायगा अगर डिक्री वास्ते इजराय कलेक्टर के पास मुन्तकिल नहीं हुई थी (इ. के जि० २९ सफा ५५६)

जब हुक्म इम्तनाई सादिर हुवा हो और उसके रू से कार्रवाई नीलाम जायदाद मनकूला बन्द की गई हो तो जब तक वैसा हुक्म इम्तनाई जारी न रहा वह अरसा बहक डिक्रीदार शुमार किया जायगा गो उस अरसे के अन्दर डिक्रीदार को यह अखत्यार था कि वह मदयून की किसी और जायदाद को कुर्क कराके नीलाम की कार्रवाई कर सक्ता था (इ के. जि० २७ सफा ५६८)—

फरेब या जबरदस्ती या जोर जुल्म जो दो शामिल शरीक मुद्दायलेहों में से एक की तरफ से किया गया हो और जिसके सबब से इजराय डिक्री में रूकावट हुई हो म्याद को बमुकाबले दूसरे मुद्दायलेह के बचाने में मदद न देगा (इ ला रि. मदरास जि० ३८ सफा ४१९)

डिक्रीदार को हस्ब दफा ४८ अपनी इप्तदाई डिक्री को मुकम्मिल करने के लिये बारासाल मिलेंगे और अगर अदालत से पहले बारासाल के अन्दर कतई हुक्म मिल जावे तो उसे उसी दफा की रू से दूसरे बारासाल की म्याद मिलेगी एक डिक्री रहन में यह हुक्म था कि जायदाद मरहूना नीलाम की जावे और अगर जर नीलाम काफी न हो तो डिक्री का बाकी रूपया मदयून की दीगर जायदाद से व उसकी जात से वसूल किया जावे दरखास्त

वास्ते कुरकी व नीलाम दीगर जायदाद की तारीख डिक्री से बारासाल के बद पेश की गई, मगर वह जायदाद मरहूना के नीलाम होने की तारीख से बारासाल के अन्दर थी--तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि दरखास्त मजकूर हाब दफा ४८ मजमूआ जाब्ता दीवानी बेरू म्याद समझी जावेगी (कलकत्ता वी नो. जि० १८ सफा ४९२).

मुन्तकिल अलैहिम याने जिन के हक में मुन्तकिल की गई वो कायम मुकामान जायज

दफा ४९ मुन्तकिल अलेह **हर शख्स जिस के नाम डिकरी मुन्तकिल की जाय बपाबन्दी उन हुकूक के (अगर कोई हो) डिकरी का मालिक होगा, जिन को मदयून असल डिकरीदार के मुकाबले मे तामील करा सक्ता था.**

तशरीह:—यह दफा पुराने मजमुआ की दफा २३२ वो आर्डर नं. २१ कायदा १८ से मिलती है.

सुन्दरलाल ने एक डिकरी शकरलाल वो बेनी प्रसाद पर हासिल की थी, बाद जुज अदाई डिकरी के, सुन्दरलाल ने डिकरी द्वारकाप्रसाद को मुन्तकिल कर दी—मुन्तकिल करने की तारीख के पहले शकरलाल वो बेनीप्रसाद ने एक नालिश सुन्दरलाल, वो द्वारकाप्रसाद पर दायर की थी और दोनों पर डिकरी हासिल की—यह करार दिया गया कि शकरलाल नो बेनीप्रसाद अपनी डिकरी उस डिकरी के उस हिस्से में से जो बिला इजराय रह गई थी, और द्वारकाप्रसाद को मुन्तकिल करदी गई थी, मुजरा पाने का मुस्तहक है (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा ६१६)-डिकरी का मुन्तकिल अलेह बशर्ते महफ़ूज उसूल इनसाफ जो मदयून डिकरी को असली डिकरीदार के मुकाबले में हासिल हो जारी करा सक्ता है (इ ला रि मदरास जिल्द २६ सफा ४२८)

मदयून डिकरी को फरेब की बिना पर मन्सूख किये जाने की दरख्वास्त दे सक्ता है, या कुछ रकम जो उस की डिकरीदार पर हो मुजरा पाने की दरख्वास्त दे सक्ता है—(वी. रि जिल्द १० सफा ३२ इजलास कामिल)

अगर मुर्तेहन राहिन की जायदाद पर काबिज हो और उस से फायदा

उठाता हो और अगर उस की डिकरी राहिन पर एक मामूली रूप्या की दस्तावेज की रू से हो जावे और वह उस डिकरी को किसी तीसरे शख्स को मुन्तकिल कर देवे और वैसा तीसरा शख्स जायदाद को कुर्क कराके नीलाम कराने तो मदयून दफा ९९ एक्ट इन्तकाल जायदाद का फायदा न पा सकेगा (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २७ सफा ४५०)

दफा ५० (१) अगर मदयून डिकरी डिकरी की पूरी तामील होने से पहले मर जावे तो डिकरी-दार को अख्त्यार है कि मदयून मुतवफ्फी के कायम मुकाम जायज पर डिकरी जारी होने की दरखास्त अदालत सादिर करने वाली डिकरी के पास पेश करे

कायम मुकाम जायज.

(२) अगर डिकरी की इजराय ऐसे कायम मुकाम जायज पर की जाय, तो उस की जिम्मेदारी सिर्फ उसी कदर होगी जिस कदर जायदाद शख्स मुतवफ्फी की उस के हाथ मे आई हो, और वाजिब तौर से खर्च न हुई हो, और वास्ते दरयाफ्त ऐसी जिम्मेदारी के अदालत इजराय करने वाली डिकरी मजाज होगी कि अपनी मरजी से या डिकरीदार की दरखास्त गुजरने पर कायम मुकाम मजकूर से ऐसे कागजात हिसाब, जबरन दाखिल कराये जो अदालत को मुनासिब मालुम हो

तशरीह —इस दफा की रू से कोई दूसरी अदालत सिवाय उस अदालत के कि जिस ने डिक्री सादिर की हो कार्रवाई करने की मजाज नहीं है [इ ला रि म जिल्द २८ दफा ४६६] मसलन, वह अदालत कि जिसके पास कोई डिक्री वास्ते इजरा के मुन्तकिल की गई है, इस दफा के बमुजिब कार्रवाई न कर सकेगी (देखो मदरास ला जरनल जिल्द १७ सफा ३०० वो इ ला रि. व जि १८ सफा २२४) मगर कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह राय कायम की है कि जब कोई मदयून किसी दूसरी अदालत में डिक्री मुन्तकिल होने के बाद मर जाय तो वह अदालत पुराने मजमूआ के दफा २४८ (आरडर न २१ कायदा २२) के बमुजिब नोटिस याने इत्तलानामा जारी कर सकी है —(देखो इंडियन ला रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द २२ सफा ५५८).

अगर कोई कायम मुकाम जायज डिक्री के इजरा के पेश्तर मर जाय तो दरख़ास्त इजराय डिक्री की बमुक़ाबले उस के कायम मुकाम के पेश हो सक्ती है (इं. ला रि. अ. जि. २२ सफा ३६७)

कोई हुक्म इम्तनाई जो किसी बाप के नाम सादिर हुआ हो उस की तामील उस के लड़कों से जबरन कराई जा सक्ती है—[इ. ला. रि. बंबई जिल्द २६ सफा २८३].

इस दफा के फिकरा २ के बमूजिब कोई कायम मुकाम जायज सिर्फ उसी कदर मालियत मुतवफ़्फ़ी का जवाबदार होगा कि जो उस ने पाया है, और जो वाजबी तौर पर खर्च में नहीं आई—पस जब कोई वारिस जायदाद बेजा तौर से खर्च करे तो वह अजरूय डिक्री जिम्मेदार होगा, और डिक्रीदार उस जायदाद को ऐसे शख्स के कबजे से कुर्क करा सक्ता है कि जिसे करजे की अदम अदाई का हाल मालुम हो, और जो यह भी जानता हो कि इंतकाल करने वाले की मनशा जर डिक्री के अदाई में बिकरी का रुपया लगाने की न थी (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ४ सफा ८९७)

बोझा सबूत इस अमर का कि मुतवफ्फी की कुछ जायदाद उस के कायम मुकाम जायज के कबजे में आई, डिक्रीदार पर डाला जायगा, और यही कायदा उस वक्त भी लागू होगा कि जब कोई खास जायदाद बतौर मिलकियत मुतवफ्फी के कुर्क कराई जाय (देखो कलकत्ता वीकली नो. जिल्द ४ सफा १५१) ऐसा सबूत गुजरने पर यह सबूत करना कायम मुकाम के जिम्मे रहेगा कि जो कुछ जायदाद मुतवफ्फी की उस के कबजे में आई, वह उस ने वाजबी तौर पर खर्च किया, और यह कि अब उस के पास कुछ बाकी न रही या बाकी रही तो किस कदर (देखो वी. रि जि. ८ सफा १९५)

इस दफा की मनशा यह है कि जब तक कार्रवाई नालिश मुलतवी रही हो तब तक मुद्दायलेह जिन्दा बना रहा—जब कोई मुद्दायलेह दायरी नालिश के पहले मर जाय और डिक्री उस के ऊपर सादिर की जाय तो ऐसी डिक्री का इजरा उस के कायम मुकाम पर न किया जायगा (बंगाल ला. रिपोर्ट जिल्द १४ बमुकदमें दरखास्त गिरेंद्रनाथ टगोर) लेकिन हाई कोर्ट की यह तजवीज करार पाई है कि

जब कोई मुद्दायलेह नालिश की सुनाई खतम होने के बाद, लेकिन फैसला सुनाय जाने के पेश्तर, मर जाय तो ऐसी सूरत में जो डिक्री अदालत से सादिर हो वह नाजायज न होगी (इ ला रि बंबई, जिल्द २१ सफा ३१४)

यह दफा पुराने जाब्ता दीवानी सन १८८२ की दफा २३४ के मुताबिक है.

कायम मुकाम जायज के नाम पहले नोटिस जारी करना चाहिये यह वजह बतलाने के लिये कि डिक्री की इजराय उस पर क्यों न की जाय (देखो आर्डर २१ कायदा २२)

यह दफा ऐसे मामला में लागू होगी जब कि कायम मुकाम जायज, जिस पर इजराय कराना चाहा जाता है, उस से कुछ वसूली होने के पेश्तर मर जावे [इ ला रि अलाहबाद जि २२ सफा ३६७]

यह दफा ऐसी सूरत में लागू न होगा जब मुद्दायलेह, इजराय डिक्री में कोई हुक्म होने के बाद, मगर वैसे हुक्म की तामीली होने के पेश्तर, मरजावे (इ ला रि मद्रास जि १२ स २११)

जब सादे नक्द रूपया की डिक्री की इजराय में जायदाद गैरे मनकूला की कुरकी होने के बाद मुद्दायलेह मरजाय और जायदाद, बगैर उसके वारिस का नाम उसकी जगह पर बतौर कायम मुकाम दर्ज करने के नीलाम हो जाय तो ऐसा नीलाम बाजाब्ता वो जायज समझा जावेगा (इ ला रि अलाहबाद जि० १२ स० ४४० इजलास कामिल)—

लेकिन अगर मुद्दायलेह के जीते जी कुरकी न होवे तो वैसा नीलाम नाजायज वो गैर जाब्ता समझा जावेगा (इ ला रि अलाहबाद जि० १९ सफा ३३७)

डिक्री इस वजह से नाजायज न होगी कि नालिश खतम होने के बाद मुद्दायलेह मर गया, यानी जब मुद्दई मुद्दायलेह दोनों की तरफ से गवाह वगैरा सब गुजर चुकी मगर फैसला बगैर दर्ज करने मुद्दायलेह के *वारिस का नाम* बतौर उस के कायम मुकाम को सुनाया गया—(इ. ला रि अलाहबाद जि २१ सफा आरडर न २२ कायदा ६).

इस दफा की रू से डिकरीदार मुतवफ्फी कर्जदार की सिर्फ ऐसी जायदाद पर अपनी डिकरी जारी करा सकेगा जो कर्जदार के कायम मुकाम के हाथ में आई

हो; डिकरी की इजराय उस के कायम मुकाम की खास (निजी) जायदाद पर न हो सकेगी। (इ ला रि मदरास जिल्द १७ सफा १२२, १२७)

डिकरीदार—जिस शख्स का नाम डिकरी में बतौर डिकरीदार दर्ज हो वह डिकरी जारी कराने का हकदार होगा, तावक्ते कि हस्ब आरडर न. २१ कायदा १६ दूसरा शख्स यह जाहिर न करे कि वह डिकरीदार की जगह पर मुकर्रर हुवा है (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द १८ सफा ६२१)

डिकरी सादिर करने वाली अदालतः—इस की तारीफ के लिये दे ो दफा ३७ इस अमर का तसफिया करना डिकरी सादिर करने वाली अदालत के अख्त्यार में होगा कि आया कोई खास शख्स मदयून डिकरी का कायम मुकाम जायज है या नहीं, और इस अमर का तसफिया करना इजराय करने वाली अदालत के अख्त्यार में होगा कि उस कायम मुकाम जायज की जिम्मेदारी किस हद तक है (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १७ सफा ४३१)

अगर इजराय करने वाली अदालत, यानी, ऐसी अदालत जिस के यहां डिकरी वास्ते इजराय भेजी गई, इस दफा के रू से कोई हुक्म जारी करे तो वैसा हुक्म नाजायज न होगा (इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द १२ सफा ५५८)

कयास यह होगा कि कायम मुकाम का नाम मिसल में डिक्री सादिर करने वाली अदालत के हुक्म से चढ़ाया गया है— (मद्रास ला जर. जि० १९ सफा ३३)—

कायम मुकाम जायज — तारीफ के लिये देखो दफा २, (११)–यह जरूर नहीं है कि कायम मुकाम जायज का नाम मिसल में दर्ज हुवा हो (इं. ला. रि. बम्बई जिल्द २१ सफा ३१४)—

जब हिन्दू बेवा दस्तबरदारी नामा अपने वारसान मा बाद के हक में लिखदे और वे वारसान उस बेवा के कर्जों की अदाई का जिम्मा अपने ऊपर लेलवें तो उन वारसों का न [illegible] बेवा के मरने [illegible] बतौर कायम मुकामान बेवा के मिसल में दर्ज हो [illegible] ला रि [illegible] ल्द २३ सफा ४५४)—

बेटा [illegible] मुकाम [illegible] (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २४ सफा [illegible])—

अगर डिक्री किसी लिमिटेड कम्पनी पर सादिर हुई हो और वह कम्पनी अपनी कुल जायदाद किसी तीसरे शख्स को बेच दे और वैसा तीसरा शख्स फिर उसी जायदाद को किसी दूसरी लिमिटेड कम्पनी को बेचे तो डिक्री की इजराय वैसी दूसरी कम्पनी पर न होगी—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३० सफा ६६१)—

अपीलः—ऐसे हुक्म की अपील न होगी जिसके रू से मुतवफ्फी मदयून डिक्री के कायम मुकाम जायज का नाम मिसल में दर्ज हुवा है—(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ३ सफा ७०८)—

जिस फरीक का नाम बतौर कायम मुकाम जायज मिसल में गैर वाजिबी दर्ज हुवा है वह खर्चा की निस्बत अपील दायर कर सक्ता हैं (इ. ला रि. अलाहबाद जि १३ स. २६०)

साहूकार को अपने मुतवफ्फी कर्जदार के कायम मुकाम पर नालिश दायर करने और उस पर डिकरी करने का अख्त्यार हासिल है जब कि वह यह साबित कर सक्ता है कि मुतवफ्फी कर्जदार की कुछ ऐसी जायदाद है जो उस के कायम मुकाम के कब्जा में आसक्ती है गो यह साबित न हुवा हो कि वह जायदाद उस के हाथ में अभी तक नहीं आई (अलाहाबाद ला. जरनल जिल्द ८ स० १६६)

अगर कभी एक वक्त भी यह साबित हो गया हो या कबूल किया गया हो कि कायम मुकाम के कब्जा में मुतवफ्फी मदयून डिकरी की जायदाद आई है तो इस बात की सबूती का बोझा उसी कायम मुकाम पर होगा कि जायदाद का कितना हिस्सा उस को मिला और उस ने किस तरह खर्च किया (मदरास ला. जरनल जिल्द २१ सफा १०६६)

अगर मदयून, डिक्री सादिर होने के पहले ही नहीं, बल्कि तारीख पेशी के मर जावे तो वैसी डिक्री की इजराय उस के कायम मुकाम पर न हो सकेगी (कलकत्ता ला जरनल जि. १७ सफा ६३४).

अगर किसी रईय्यतवारी काश्तकार पर, जिसे दफा ६७ (ई) एक्ट मालगुजारी मध्य प्रदेश लागू होती है डिक्री हुई हो और वह मर जावे तो उस डिक्री की इजरा वैसी फसल पर न होगी जो उस की बेवा ने उगाई हो—वैसी फसल काबिल

कुरकी नहीं है, क्योंकि दफा ५० (२) मजमूआ जाब्ता दीवानी में सिर्फ जिम्मेदारी की हद बतलाई गई है और जिम्मेदारी कायम करने के लिये यह साबित करना जरूर नहीं है कि कायम मुकाम को मुतवफ्फी की ऐसी जायदाद मिली जो उस के कर्जा की अदाई में खर्च हो सक्ती है—(नागपूर ला. रि. जि ६ सफा १३०).

जब बाप पर डिक्री हुई हो और बाप की जायदाद उस के बेटा के हाथ में आई हो और उस डिक्री की इजराय वैसी जायदाद पर हो सक्ती हो, तो लड़के के मरने के बाद डिक्री की इजराय लड़के के कायम मुकाम वो वारिस पर भी हो सकेगी जब कि बाप मदयून की जायदाद उस लड़के के वारिश या कायम मुकाम के हाथ में पहुंची हो—(मद्रास वी नो सन १९१४ सफा ३५४).

जाब्ता इजराय

दफा ५१ (अखत्यार अदालत इजराय डिकरी) ऐसी शरायतों वो कैदों की पाबन्दी के साथ जो मुकर्रर करदी जायें, अदालत डिकरीदार की दरख्वास्त पर डिकरी का इजराय नीचे लिखे हुऐ तरीकों पर होने के लिये हुक्म दे सक्ती है, यानेः—

(क) बजरिये हवालगी किसी ऐसे जायदाद के जिस के निसबत खास करके डिकरी सादिर की गई हो; या,

(ख) बजरिये कुरकी और नीलाम या बजरिये नीलाम बिला कुरकी किसी जायदाद के; या,

(ग) बजरिये गिरफतारी वो बंद रखने किसी जेहलखाने मे, या,

(घ) बजरिये मुकर्रर करने किसी रिसीवर या,

(ङ) किसी ऐसे दूसरे तरीके पर, जिस की जरूरत बलिहाज किस्म दादरसी जो अता की गई हो, समझी जाय

तशरीहः—यह दफा नई कायम की गई है और इसमें कई तरीके इजरा के बतलाय गये हैं जिमन (ङ) बिलकुल आम है और इस में वह कुल सूरतें आजाती है जिनका जिक्र (क) से (घ) तक के फिकरों में नहीं है.

इजरा डिक्री के हर तरीके की तफसील के लिये देखो आर्डर न २१

दफा ५१ आर्डर न २१ कायदा ११ वो आर्डर न ४० कायदा १ के साथ पढ़ी जावे जब अदालत डिक्री की इजराय के गरज के लिये कोई रिसीवर मुकर्रर करे तो वैसी मुकर्ररी हस्ब हुक्म आर्डर न ४० कायदा १ बमूजब दफा ५१ समझी जावेगी अगर रिसीवर बिला कोई कैद निस्बत जमानत मुकर्रर किया जाय तो वैसी मुकर्ररी फौरन अमल में आवेगी और रिसीवर का कब्जा जायज समझा जावेगा गो उससे कोई जमानत न ली गई हो अगर रिसीवर की मुकर्ररी जमानत की शर्त पर हुई हो तो जब तक जमानत न दी जाय तब तक मुकर्ररी अमरदार (पक्की) न समझी जावेगी (कलकत्ता ला जर. जि० १४ सफा ४८९)—

एक मुरतेहन डिक्रीदार ने दरखास्त दिया कि उसकी डिग्री की अदाई मरहुना गावों में से एक गाव की जमा वो मुनाफा से रिसीवर हस्ब दफा ५१ (घ) वो आर्डर न. ४० कायदा १ मुकर्रर करके, कराई जावे क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ने गाव मजकूर का नीलाम इस बिना पर नामजूर किया कि जायदाद गैर काबिल मुन्तकिल है—ऐसा मालूम हुवा कि गाव के सिवाय और दिगर जायदाद मरहुना भी थी जिसको डिक्रीदार नीलाम करा सक्ता है तजवीज हुई कोर्ट करार पाई कि ऐसी सूरत में रिसीवर मुकर्रर हो सक्ता है आर्डर न ४० कायदा १ में हुक्म है कि जब अदालत को रिसीवर का मुकर्रर करना मुनासिब वो सहूलीयत के लायक मालूम पड़े तो रिसीवर मुकर्रर किया जा सक्ता है—डिक्रीदार का सहूलीयत के लिये रिसीवर की मुकर्ररी जरूर नहीं है क्योंकि मुमकिन है कि जो बात डिक्रीदार के सुभीता की हो वह मदयून डिक्री के सुभीता वो इसाफ की न हो (अवध केसेस जि० १६ सफा २३८)—

दफा ५२ (१) अगर किसी फरीक पर व हैसियत होने इजराय डिकरी बनाम कायम मुकाम जायज. **कायम मुकाम जायज किसी मरे हुऐ शख्स के डिकरी हुई हो, और डिकरी मजकूर वास्ते दिलाने जर नक्द जायदाद, शख्स मुतवफ्फी से हो तो इजरा डिकरी बजरिये कुरकी और नीलाम किसी ऐसी जायदाद के हो सक्ती है**

(२) अगर ऐसी कोई जायदाद मदयून डिकरी के कब्जे में बाकी न रहे, और वह हस्ब इतमीनान अदालत यह साबित न कर सके कि उसने उस जायदाद शख्स मुतवफ्फी को, जिस का उस के कब्जे में आना साबित हो चुका है, वाजबी तौर से खर्च किया है, तो मदयून डिकरी पर डिकरी बाबत उस कदर जायदाद के जिस की निसबत वह अदालत का इतमीनान न कर सके उसी तरीके से जारी हो सक्ती है, जैसे कि डिकरी मजकूर खुद उसी की जात खास पर हुई हो।

तशरीह :—यह दफा पुराने एक्ट की दफा २५२ से मिलती है और यह दफा कुल नकदी रूपयों की डिक्री में और उस सूरत में, जब कि डिक्री सादिर होने के पहिले कायम मुकामान जायज का नाम दर्ज मिसल हो गया है लागू होगी, लफ्ज कायम मुकाम जायज की तारीफ इस मजमूआ के दफा २ शिकमी दफा (११) में की गई है—और वह शख्स जिसपर डिकरी सादिर की गई है उन शख्सों में से होना चाहिये जिनकी तारीफ दफा मजकूर में की गई है, तवक्ते कि कायम मुकाम जायज ने दूसरा शख्स बतौर कायम मुकाम पेश न किया है, और इस तरह से डिक्री पर एतराज करने से उस को मनाई हो वे (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ६ सफा ८६), मसलन अगर डिक्री करजदार की मा पर सादिर की गई हो और उस का गोद में लिया हुआ लड़का जिन्दा है तो उस की (लड़का की) जायदाद इजराय डिक्री में कुर्क नीलाम नहीं हो सक्ती है (इ ला. रि मदरास जिल्द ११ सफा ४०८)

किसी मुतवफ्फी की कुल जायदाद जिम्मेदार करार देने के लिये कुल शख्स जो उस के कुल वारसान वो कायम मुकाम जायज पर नालिश होना चाहिये, मसलन किसी मुसलमान के मामले में कुल वारसान शामिल किये जावें, क्योंकि एक वारिस पर डिक्री सादिर होने से दीगर वारिस उस डिक्री के जिम्मेदार नहीं होंगे—(कलकत्ता ला. रि जि ११ सफा २६८ वो इ. ला. रि. अलाहबाद जि ७ सफा ८२२).

किसी कर्जदार मुतवफ्फी का साहूकार उस के वारिस जायज पर बिला साबित करने इस अमर के कि उस के कब्जे में कितनी जायदाद मुतवफ्फी की आई है

डिक्री जारी करा पाने का हकदार है सिर्फ इतना साबित करना काफी है कि जायदाद है जो उस के कब्जे में आई होगी (इ. ला रिपोर्ट जिल्द ८ बम्बई सफा ३०९)

यह कायदा उस हालत में भी लागू होगा जब कि मुतवफ्फी का कोई जायदाद छोड़ जाना साबित न हो सके (इ. ला. रि बम्बई जि १३ सफा ६४५), और उस हालत में भी यह कायदा लागू होगा जब कि मुद्दायलेह के कब्जे में कोई जायदाद मुतवफ्फी की विरासतन नहीं आई है (८ बम्बई हाई कोर्ट अपील दीवानी २४५), और जब यह साबित हो कि मुद्दायलेह के कब्जे में इस कदर जायदाद आई है जो वास्ते अदाई करजा काफी है तो जाती डिक्री सादिर हो सक्ती है (इ. ला रि मद्रास जि. २० सफा ४४६)— बेभा सबूत इस अमर का कि कुछ जायदाद मुतवफ्फी की मुद्दायलेह कायम मुकाम के कब्जे में आई है, जिम्मे मुद्दई साहूककार के है—(१८ वी रि १८५ प्रिवी कौंसिल)

जब कि किसी कायम मुकाम जायज ने अपने घर से जायदाद की पूरी कीमत के बराबर रूपया दे दिया है यानी अगर उस ने इनफिकाक करा लिया है तो डिक्रीदार उस के कब्जे की जायदाद पर इजरा नहीं करा सक्ता (इ. ला रि. म जिल्द २६ सफा ७१९)

अगर यह साबित हो कि कायम मुकाम जायज के कब्जे में जायदाद आई है, या वह साफ तौर से या मानवी तौर से कबूल करता है और उस का हिसाब नहीं दे सक्ता है तो वह बजात खास जिम्मेदार होगा—(१२ वीकली रिपोर्ट सफा ५१७)

जब किसी गलत शख्स पर बतौर कायम मुकाम नालिश होकर जायदाद नीलाम हुई हो तो सही वो असली कायम मुकाम वैसी जायदाद वापिस दिला पाने की नालिश दायर कर सक्ता है—(इ. ला रि. ब जि ९ सफा ८६)

डिक्री खिलाफ एक कायम मुकाम के दूसरे कायम मुकामों को पाबन्द न करेगी—(इ. ला. रि. अलाहबाद जि ८ सफा ८२२ इजलास कामिल).

हिन्दू के कायम मुकाम जायज का यह फर्ज नहीं है कि वह अपने बाप की जायदाद खर्च करते वक्त बाप के हर साहूकार को कर्जा का रूपया हिस्सा रसीद देवे अगर उसने कर्जा इस तरह हिस्सा रसदी से हर साहूकार को न अदा किया हो

तो उस की निसबत यह न समझा जावेगा कि उस ने बाप की जायदाद वाजिब तौर पर खर्च करने में चूकी किया—[इ. ला. रि. मद्रास जि. २६ सफा ७१२].

जो मुनाफा जायदाद का जर लगान या सूद से कायम जायज को मिला हो उस का हिसाब उस से लिया जा सक्ता है (वी रि. जि १५ सफा २८९).

अगर उस ने मुतवफ्फी की जायदाद बेंच दी हो तो बिक्री के रूपया का हिसाब भी उस से लिया जा सक्ता है, मगर बेची हुई जायदाद खरीदार के पास से वापिस नहीं दिलाई जा सक्ती (वी रि जि. १२ सफा १७७)

अपीलः—इस दफा की रू से जो अपील होगी वह ऐसी समझी जावेगी कि मानो दफा ४७ के रू से हुई.

दफा ५३ जिम्मेदारी जायदाद खानदानी **दफा ५० वो ५२ की गरजों के लिये जायदाद ब कब्जे लडका या दीगर औलाद जो बमूजिब हिन्दू शास्त्र, बाप दादा मुतवफ्फी के करजे का देनदार है वो जिस की निसबत डिकरी सादिर हो गई हो तो समझा जायगा कि जायदाद मजकूर मुतवफ्फी की है, जो बेटे या दीगर औलाद के कब्जे में बहैसियत उस के कायम मुकाम जायज के आई है**

तशरीह—यह दफा इस मजमूआ में नये सिरे से कायम की गई है—उस के पढने से यह मतलब निकलता है कि जिस मुकद्दमे में यह सवाल पैदा हो कि आया कर्जा इस किस्म का है कि जिस की अदाई किसी हिन्दू बेटे पर लाजिमी है या नहीं याने अगर बहेस इस अमर की हो कि कर्जा नाजायज या बुरे कामों के वास्ते लिया गया था, तो ऐसी हालत में अदालत इस अमर की निस्बत तहकीकात बमूजिब दफा ५० वो ५२ बशमूल दफा ४७ के कर सक्ती है:—

लेकिन इस दफा की रू से ऐसे शख्सों पर कुछ असर न पडेगा। जो मरे हुए कर्जदार की अवलाद में से न हो, मसलन शामलाती भाई, भतीजे, वगैरा.

अगर किसी मुकद्दमे में जायदाद खानदानी कि जो कर्जदार के जीते जी कुरक की हो नीलाम पर चढ़ाई जाय, और ऐसे नीलाम के निसबत कोई उजरदारी इस बयान के साथ पेश की जाय, कि वह कर्जा, जिसकी निसबत डिक्री

हासिल की गई है, इस किस्म का नहीं था, कि जिस के अदाई के जिम्मेदार कानून धर्म शास्त्र के बमूजिब हिन्दू घराने के दूसरे शरीकदार लोग हो सकें तो ऐसी उजरदारी का फैसला बमूजिब दफा ४७ किया जायगा—(इ ला रि. कलकत्ता जि ३३ सफा ६७६)

इस दफा की रू से कानून में बड़ी तब्दीली की गई—अब नये जाब्ता दीवानी की रू से हिन्दू की अवलाद यह उजरदारी नहीं कर सक्ती है कि चूंकि खानदानी जायदाद की कुरकी कर्जदार के जीते जी नहीं हुई थी, इस लिये वह जायदाद उस को बहैसियत पस जिन्दगी यानी दूसरे के मरने के बाद जीते रहने से मिली और इजराय डिक्री में कुर्क नहीं हो सक्ती—पुराने जाब्ता दीवानी के मुताबिक पहिले ऐसी उजरदारी करने से नई नालिश दायर करने का हुक्म दिया जाता था मगर ऐसा हुक्म अब नहीं दिया जा सका है (देखो दफा ४७ म जा दी.).

अगर उजरदारी इस किस्म की हो कि कर्जदार के जीते जी कुरकी नहीं हुई थी इस लिये कुल जायदाद उजरदार को बहैसियत पस जिन्दगी हासिल हुई तो ऐसी उजरदारी दफा ४७ में दाखल न होगी—(अलाहबाद वी नोट जिल्द २१ सफा २८१)

अगर उजरदारी इस किस्म की हो कि उजरदारी करने वाले शख्स, फरीकैन नालिश नहीं थे इस लिये डिकरी का असर उन के हिस्सा जायदाद पर नहीं पड़ सक्ता है तो ऐसी उजरदारी दफा ४७ में दाखल होगी (इ ला रि. मदरास जिल्द १६ सफा २६३)

अगर उजरदारी इस किस्म की हो कि उजरदारी करने वालों को कर्जदार की कोई जायदाद तरका में नहीं मिली बल्कि जो जायदाद उजरदारों की है वह उन की खुद पैदा की हुई है तो ऐसी उजरदारी भी दफा ४७ में दाखल होगी (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा १)

अगर डिकरी हस्ब दफा ६० एक्ट इन्तकाल जायदाद मुतवफ्फी के कायम मुकाम जायज पर सादिर हुई थी और उस में यह हुक्म हो कि जर डिकरी सिर्फ ऐसी जायदाद से वसूल किया जावे जो मुतवफ्फी की है तो डिकरीदार दफा ५३ जाब्ता दीवानी का फायदा नहीं उठा सकेगा और न खानदानी जायदाद, जो लड़के को मुतवफ्फी बाप से मिली, कुर्क हो सकेगी (इ के जिल्द ६ सफा ६३१)

नालिश बटवाड़ा में खर्चा की डिक्री मुद्दायलेह पर हुई थी–डिक्री सादिर होने के बाद मुद्दायलेह मर गया–डिक्रीदार ने उस खर्चा की डिक्री की इजराय में वैसा हिस्सा कुर्क कराया जो बटवाड़ा में मुद्दायलेह के हिस्से में आया था और जो उस के मरने के बाद उस के लड़के के हाथ में गया–तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि लड़का खर्चा देने का जिम्मेदार है और जो जायदाद उस के हाथ में आई वह बमूजिब दफा ५३ काबिल कुर्की है (इ. के. जिल्द १९ सफा २५२)

यह दफा ऐसे सूरत में लागू न होगी जब कि बाप जिन्दा हो–पस जो डिक्री बाप पर ऐसे वक्त सादिर हुई हो जब कि खानदान शामिल शरीक था तो उस की इजराय वैसी जायदाद पर न होगी जो बटवाड़ा के बाद उस के लड़के के हाथ में आई (मदरास ला जरनल जिल्द २७ सफा ११२)

दफा ५४—अगर डिकरी बाबत तकसीम किसी बिना तकसीम जायदाद या **बटे हुए जायदाद की निस्बत हो जिस की** हिस्सों का अलेहदा करना. **मालगुजारी का दिया जाना सरकार में तशखीस हुवा हो या निस्बत अलहेदा कब्जा हिस्सा ऐसे जायदाद के हो तो तकसीम जायदाद या अलहेदगी हिस्सा मारफत साहेब कलेक्टर या किसी गजट शुदा मातहत साहेब कलेक्टर के जिन को उन्हों ने इस काम पर मुकर्रर किया हो, मुताबिक उस कानून के (अगर कोई कानून हो) वास्ते बटवाड़ा या अलहेदा करने ऐसे हिस्सा ऐसी जायदाद के हो, अमल में आवेगा**

तशरीह—इस दफा की रू से इजराय डिकरी का अखत्यार सिर्फ कलेक्टर को है और जिस जायदाद पर देन सरकार वाजबुल वसूल नहीं है, उस में यह दफा लागू नहीं होगी

इस दफा के मुताबिक अदालत दीवानी को उस जमीन के बटवाडा करने का अखत्यार नहीं है, जिस की मालगुजारी सरकार में तशखीश हो सिर्फ अखत्यार कलेक्टर [illegible] रि. [illegible] १६ सफा ५२८)

जब कि साहब कलेक्टर इस दफा के बमूजिब बटवाड़ा करें तो अदालत दीवानी को उन के काम के जाचने का या उन को नये सिरे से बटवाडा करने का हुक्म देने का अख्त्यार नहीं है (इ ला. रि. बम्बई जिल्द १५ सफा ५२७).

मगर इ. ला रि. बम्बई जिल्द २८ सफा २३८ में यह करार दिया गया है कि साहब कलेक्टर की कार्रवाई बनिगरानी वो दुरूस्तगी उस अदालत के होगी जिस ने डिकरी सादिर की, और कलेक्टरी में इजराय के लिये भेजी

जमीन जो सरकार ने कई बरसों के लिये ठेके पर दिया हो उस का बटवाड़ा अदालत दीवानी से हो सक्ता है (इ ला रि बम्बई जिल्द १६ सफा ५२८)

अगर कलेक्टर डिकरी की शर्तों के बरखिलाफ कार्रवाई करे तो अदालत दीवानी कि जिस ने वह डिकरी सादिर की कलेक्टर मजकूर के कार्रवाई पर निगरानी करके दुरुस्त कर सक्ती है (इ. ला रि. बम्बई जिल्द २८ सफा २३८).

यह दफा पुराने मज ला दी की दफा २६५ से मिलती है.

इस दफा की असली मनशा यह है कि सरकारी जमा की अदाई के लिये जो जिम्मेदारी शामलाती होती है उस जिम्मेदारी में बटवाड़ा करने से कोई कमी या खामी न आने पावे (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा २०५)

यह दफा रईयत वारी जमीन को लागू न होगी (इ ला रि मदरास जिल्द ७ सफा ३८२ इजलास कामिल).

अदालत दीवानी इस दफा के रू से बटवाड़ा करने के लिये अमीन मुकर्रर नहीं कर सक्ती (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द २३ सफा ६७६).

जब नालिश इस्टेट के बटवाड़ा के लिये न हो बल्कि हिस्सा के अलहेदा करने के लिये हों तो यह दफा लागू न होगी (इ ला. रि बम्बई जिल्द ८ सफा ५३६)

साहब कलेक्टर बटवाड़ा करने से इन्कार नहीं कर सक्ते (इ ला. रि. बम्बई जि. १४ सफा ४५०).

साहब कलेक्टर का काम सिर्फ बटवाड़ा करने का ही न होगा बल्कि उन का यह भी काम होगा कि बटवाड़ा में जो २ हिस्सा जिस जिस हिस्सेदार की

पाती में आया हो वह उस के हवाले किया जाय (इ ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ६६२)

जब फरीकैन नालिश के दरमियान राजीनामा की रू से यह ठहराव हुवा हो कि जायदाद का बटवाडा यानी हिस्सा इस्टेट का बटवाडा मारफत अमीन किया जावे तो अदालत वैसी डिकरी रजामन्दी की रू से वैसे अमीन की मारफत हुक्म बटवाडा देने की मजाज न होगी—(इ के जिल्द २० सफा २०६)—

गिरफतारी व कैद

दफा ५५. (१) कोई मदयून डिकरी किसी डिकरी के इजरा मे किसी रोज और किसी वक्त गिरफ तार किया जा सक्ता है और जिस कदर जल्द मुमकिन हो वह अदालत में हाजिर किया जाय, और वह उस जिला के जहल खाना दिवानी में कैद रखा जाय, जहां कैद का हुक्म देने वाली अदालत वाके हो, या अगर उस जहलखाना दिवानी में गुन जाइश मुनासिब न हो तो वह किसी और जगह कैद किया जाय, जिसे लोकल गवर्नमेंट वास्ते कैद रखने उन शख्सो के मुकर्रर करे, जिन के निसबत ऐसे जिले की अदालतों से कैद रखने का हुक्म हो

गिरफतारी वो कैद.

मगर शर्त अव्वल यह है, कि इस दफा के बमूजिब गिरफतारी करने की गरज से सूरज डूबने के बाद, और सूरज निकलने के पहले, किसी रहने के मकान मे कोई दाखिल नहीं हो सकता

दूसरी शर्त यह है कि किसी रहने के मकान का बाहरी दरवाजा उस वक्त तक न तोड़ा जायगा, जब तक कि ऐसा रहने का मकान मदयून डिकरी के कब्जे मे न हो, और वह उस के अन्दर दाखिल होने देने से इंकार करता है, या किसी तरह से मना करता है, मगर जब उहदेदार मजाज गिरफतारी किसी रहने के मकान के अन्दर बाजाब्ता पहुंच गया हो तो उसे

अख्त्यार है कि किसी कमरे का दरवाजा तोड डाले, जिस में किसी वजह से उस को यकीन हो कि मदयून डिकरी उस के अन्दर मिल जायगा

तीसरी शर्त यह है कि अगर वह कमरा सचमुच में किसी ऐसी औरत के दखल में हो जो मदयून डिकरी न हो और जो हस्ब रिवाज मुल्क आम तौर पर बाहर न निकलती हो तो उहदेदार मजाज गिरफतारी औरत मजकूर को जता देगा कि उस को कमरे से चले जाने का अख्त्यार है और बाद देने मोहलत काफी वास्ते चले जाने औरत मजकूर के, और निकलने के लिये उस को हर तरह की सहूलियत मुनासिब देकर उहदेदार मजकूर को मजाज होगा कि गिरफतारी के लिये कमरे के अन्दर घुसे

चौथी शर्त यह है कि अगर वह डिकरी जिस के इजरा में कोई मदयून डिकरी गिरफतार हुआ हो, बाब्त अदाई जर नक्द के हो और मदयून डिकरी उस तादाद और खर्चा गिरफतारी का उहदेदार गिरफतार करने वाले को अदा करदे तो उहदेदार मजकूर उस को फौरन रिहा कर देगा

(२) लोकल गवर्नमेंट मुकामी गजट सरकारी में इश्तहार के जरिये यह जाहिर कर सकी है कि कोई शख्स या किस्म अशखास जिन की गिरफतारी खौफनाक या आम को तकलीफ देने वाली हो, इजराय डिकरी में गिरफतार नहीं किये जायेंगे सिवाय उस जाब्ता के मुताबिक जो लोकल गवर्नमेंट इस बारे में मुकर्रर करे

(३) जब कोई मदयून डिकरी नक्द रूप्या की डिकरी के इजराय में गिरफतार होकर अदालत के रूबरू हाजिर किया जावे, तो अदालत उस को बतला देगी कि उस को अख्त्यार है कि दीवालिया करार पाने के लिये दरख्वास्त दे, और अगर उस ने कोई फेल बदनियती का निसबत मजमून अपनी दरखास्त के न किया हो, और अगर वह कानून दीवालिया

के जो उस वक्त जारी हो, हुक्म की नामील करे तो वह रिहा कर दिया जावेगा.

(४) जब मदयून डिकरी दीवालिया करार दिये जाने की दरख्वास्त देने का इरादा जाहिर करे और जमानत अदालत के इतमीनान के लायक इस बात की दाखिल करदे कि वह एक महीने के अन्दर ऐसी दरख्वास्त गुजरानेगा, और यह कि दरखास्त मजकूर की, या उस डिकरी की, किसी कार्रवाई में कि जिस के इजराय मे वह गिरफतार हुआ हो, जिस वक्त अदालत उसे तलब करेगी हाजिर होगा तो अदालत उस को गिरफतारी से रिहा कर देगी, और अगर वह ऐसी दरखास्त न दे और अदालत मे हाजिर न हो तो अदालत हुक्म दे सक्ती है कि जमानत का रुपया वसूल किया जाये या डिकरी के इजराय में वह जहलखाना दीवानी में कैद किया जाये

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३३६ के मुवाफिक है—लफ्ज "मदयून डिकरी" से वह शख्स मुराद है जिस के ऊपर कोई जाती डिकरी सादिर की गई हो, याने ऐसी डिकरी जिस की वसूली उस की जायदाद से हो सक्ती है—आम कायदा यह है कि कोई कायम मुकाम याने वारिश डिकरी के इजरा में गिरफतार नहीं हो सक्ता, सिवाय उन सूरतों के जिन का जिक्र दफा ५० वो ५२ में दर्ज है.

अगर कर्जदार मुकर्रर किये हुये वक्त पर हाजिर नहीं हो तो जमानतदार पर कोई कार्रवाई नहीं की जायगी, जब तक उस को नोटिस पहले न दिया जाय (इ ला. रि मदरास जिल्द २६ सफा ३६६).

किस्तबन्दी डिकरी के इजरा में मदयून डिकरी हर किस्त के अदाई के लिये अलेहदा २ गिरफतार वो कैद नहीं हो सक्ता है (इ ला. रि. बम्बई जिल्द ७ सफा १०६)

जब मदयून डिकरी किसी वक्त हाजिर होने की जमानत देने पर रिहा कर दिया जावे और वह [illegible] पहले [illegible] तो जामिनदार अपनी जिम्मेदारी से बरी [illegible] मद्रास [illegible] सफा ६३७)

जब जामिन्दार इस बात की जमानत ले कि मदयून दरखास्त करार दिये जाने दीवालिया की देगा और अगर उसने दरखास्त दे दी तो जामिन्दार अपने जिम्मेदारी से बरी हो गया और दरखास्त दीवालीया खारिज होने की सूरत में वो मदयुन के हाजिर न आने से डिकरी जामिन्दार पर जारी नहीं हो सक्ती (इ ला रि मदरास जिल्द २४ सफा ५६० वो इ ला रि कलकत्ता जिल्द १५ सफा १७१ वो इ ला रि अलाहवाद जि० १३ सफा १०० वो इ ला. रि. बम्बई जि० १९ सफा २१० वो इ. ला रि मदरास जि० २६ सफा ३६१)

वारन्ट गिरफ्तारी उस हालत में भी जारी हो सक्ता है जब कि उसके पहले हुक्म कुरकी जारी हो चुका है (इ ला. रि बम्बई जिल्द ७ सफा ३०१).

किसी रोज—अगर गिरफ्तारी इतवार के रोज की जावे तो वह जायज होगी (मदरास हाई कोर्ट रि जि० ४ सफा १२)—

जिस कद्र जल्द मुमकिन हो:—जब गिरफ्तारी किसी ऐसे रोज की गई हो जिस दिन अदालत बन्द है और गिरफ्तारी करने वाला अफसर कर्जदार को डिक्रीदार के मकान पर रक्खे और उसको अदालत में अदालत के खुलने के रोज पेश करे तो अफसर मजकूर हब्स बेजा का कसूवार न होगा (इ० ला. रि मदरास जि० ३० सफा १७१)

दीवानी जहलखाना—जब वारन्ट में किसी खास जहलखाना दीवानी में बन्द करने का हुक्म हो तो किसी दूसरे जहलखाने में बन्द करना नाजायज होगा (इ. ला रि कलकत्ता जि० ११ सफा ५२७)

नाजायज गिरफ्तारी:—गिरफतारी नाजायज समझी जावेगी जब कि गिरफ्तार करने वाला अफसर गिरफतारी के वक्त अपने पास वारन्ट न रखता हो (इ ला. रि. अलाहाबाद जि० २७ सफा २५८).

शर्त तीसरी—यह जरूर नहीं है कि जनाने में दाखल होने के लिये अदालत का खास हुक्म होवे (इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ७ सफा १९)

शर्त चौथी—यह शर्त सिर्फ उस सूरत में लागू होगी जब कि गिरफतारी ऐसी डिक्री की इजराय में की जाय जो नक्द रूपया की अदाई की बावत जो डिक्री रहन बतौर डिक्री जर नक्द न समझी जावेगी (इ ला रि कलकत्ता

जि० २४ सफा ७६६)--

शिकमी दफा ३·—यह हुक्म सिर्फ वैसे मदयून डिक्री को लागू होगा जो गिरफतार हुवा हो मगर जो जेहल न भेजा गया हो (इ. ला. रि मदरास जि० ८ सफा ५०३)

शिकमी दफा ४:—अगर मदयून डिक्री गिरफतार हो कर मुत्र हाई कोर्ट के रूबरू पेश हो और वह दीवालिया करार दिये जाने की दरखास्त देने का इरादा जाहिर करे तो वह रिहाई का हकदार होगा (इ ला रि मदरास जि० ८ सफा २७६) यह शिकमी दफा मतालबा खफीफा को भी लागू होगी [इ ला. रि. मदरास जि० २ सफा ६]—

जमानतदार:—इसके बारे में देखो दफा १४५ मज० जा० दी०— अगर डिक्री किसी के नाम मुन्ताकिल हुई तो जमानतदार मुन्तकिल अलेह का भी जिम्मेदार होगा [इ. ला. रि मदरास जि० २६ सफा २५८]

अगर मदयून डिक्री मर जाये तो जमानतदार अपनी जमानत से बरी होगा (इ. ला. रि अलाहाबाद जि० २१ सफा ४६६ व ई. के जि० १६ सफा ६०१).

जमानतदार अपनी जमानत से बरी होने के लिये दरखास्त दे सक्ता है अगर उसकी दरखास्त निस्बत बरीयत -जमानत नामजूर हो तो ऐसे हुक्म नामजूर की अपील न होगी मगर नजरसानी हो सक्ती है (इ. ला रि. अलाहाबाद जि० १५ सफा १८३)—

जब दरखास्त मदयून डिक्री की निस्बत करार दिये जाने दिवालिया के एक वक्त खारिज हो चुकी , इजराय डिक्री [illegible] गिरफ्तार हो कर पेश होवे तो वह दिवा[illegible] जाने की [illegible] देने का इरादा जाहिर करके हस्ब दफा [illegible] (४) का हकदार न [illegible] कि [illegible] हस्ब क [illegible] कानून दिवालिया [illegible] जावे (इ के [illegible] १२१ [illegible] [illegible] ार ने [illegible] के [illegible] के [illegible]

कर देगा और इतने में मदयून डिक्री दरखास्त देने की मुकर्रर म्याद के पेश्तर मर जावे तो जमानतदार अपनी जमानत से माफ किया जायगा (इ. ला. रि कलकत्ता जि० ४१ सफा ५०)—

जब जमानत में यह दो शर्तें हों, यानी

(१) कि मदयून डिक्री एक महिने के अन्दर दिवालिया होने की दरखास्त देगा

(२) कि तलब होने पर वह हाजिर अदालत होगा

तो दोनों शर्तें पूरी होने पर जमानतदार अपनी जमानत से बरी होगा अगर उनमें से एक शर्त की भी टूट होगी तो जमानतदार बमुजिब जमानतनामा जिम्मेदार समझा जावेगा (इ के जि० २२ सफा ९५३)—

दफा ५६. बावजुद किसी मजमून मुन्दरजे हिस्सा हाजा के कोई अदालत किसी औरत की गिरफतारी या दीवानी जहल में कैद का हुक्म किसी नक्दी रूपया के डिक्री के इजराय में सादिर नहीं करेगी.

इजराय डिक्री जर नक्द में औरत को गिरफतार या कैद की मुमानियत

तशरीह —यह दफा पुराने मजमूआ की दफा २४५ से ली गई है उसका मतलब यह है कि कोई औरत की गिरफतारी का वारन्ट या दीवानी जहल खाने में उसके कैद का हुक्म किसी डिक्री नक्दी रूपया के इजराय में जारी न किया जायगा मगर इस मजमुआ में आगे जो हुक्म दर्ज है उसकी रू से अगर किसी औरत की तलबी बतौर गवाह के की जाय, और वह औरत समन मो खुराक पाकर हाजिर अदालत न आवे तो उसके गिरफतारी का वारन्ट जारी किये जाने की निस्वत कोई मनाई न होगी

दफा ५७. लोकल गवर्नमेंट को अख्त्यार है कि दरजेवार शरह खूराक माहवारी कि जो मदयूनान डिक्री को (बहालत कैद) दी जायगी, बलेहाज उन के दरजा और कौम और मुल्क के मुकर्रर करे

जर खुराक

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३३८ से कायम की गई है

जि० २४ सफा ७६६)--

शिकमी दफा ३:—यह हुक्म सिर्फ वैसे मदयून डिक्री को लागू होगा जो गिरफतार हुआ हो मगर जो जहल न भेजा गया हो (इ ला. रि. मदरास जि० ८ सफा ५०३)

शिकमी दफा ४:—अगर मदयून डिक्री गिरफतार हो कर जब हाई कोर्ट के रूबरू पेश हो और वह दीवालिया करार दिये जाने की दरखास्त देने का इरादा जाहिर करे तो वह रिहाई का हकदार होगा (इ ला रि मदरास जि० ८ सफा २७६) यह शिकमी दफा मतालबा खफीफा को भी लागू होगी [इ ला. रि. मदरास जि० २ सफा ६]—

जमानतदार:—इसके बारे में देखो दफा १४५ मज० जा० दी०— अगर डिक्री किसी के नाम मुन्तकिल हुई तो जमानतदार मुन्तकिल अलेह का भी जिम्मेदार होगा [इ. ला. रि मदरास जि० २६ सफा २५८].

अगर मदयून डिक्री मर जाये तो जमानतदार अपनी जमानत से बरी होगा (इ. ला. रि अलाहाबाद जि० २१ सफा ४६६ व ई के जि० १६ सफा ६०१).

जमानतदार अपनी जमानत से बरी होने के लिये दरखास्त दे सक्ता है अगर उसकी दरखास्त निस्बत बरीयत जमानत नामजूर हो तो ऐसे हुक्म नामजूर की अपील न होगी मगर नजरसानी हो सक्ती है (इ. ला रि. अलाहाबाद जि० १५ सफा १८३)—

जब दरखास्त मदयून डिक्री की निस्बत करार दिये जाने दिवालिया के एक वक्त खारिज हो चुकी हो और वह इजराय डिक्री में दुबारा गिरफ्तार हो कर पेश होवे तो वह दिवालिया करार दिये जाने की दरखास्त देने का इरादा जाहिर करके हस्ब दफा ५५ (३) व (४) रिहाई पाने का हकदार न होगा जब तक कि अदालत की मन्जूरी हस्ब कायदा ११ कानून दिवालिया हासिल न की जाने (इ के जि० ६ सफा १२१)

अगर जमानतदार ने यह शर्त की हो कि मदयून डिक्री मुकर्रर म्याद के अन्दर दिवालिया होने के लिये दरखास्त देगा और तलब होने पर उसको हाजिर

छोड़ दिया गया तो वह फिर दुबारा गिरफतार किया जा सक्ता है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २६ सफा ३१७).

इस दफा के बमूजिब कैद से रिहा होने के सूरत में मदयून डिकरी की जायदाद जिम्मेदार बरजा बनी रहेगी.

डिक्री किस्तबन्दी के इजराय में कर्जदार हर किस्त की चूक में अलेहदा कैद न किया जायगा—(इ ला रि बम्बई जि ७ सफा १०६)

जब कर्जदार जहल भेजा गया हो तो उस की रिहाई सिर्फ इसी दफा की रू से होगी–कर्जदार जमानत देने पर जहल से रिहाई नहीं पा सकेगा—(इ ला रि, मद्रास जिल्द ८ सफा ५०४)

जो मियाद कैद की इस दफा की रू से मुकर्रर है उस से कम मियाद मुकर्रर करना अदालत के अख्त्यार में नहीं है –(इ ला रिपोर्ट मद्रास जिल्द १३ सफा १४१)

दफा ५८ [१] मदयून डिक्री के गिरफतारी का वारंट जारी होने के बाद किसी वक्त अदालत उस को बवजह उस के सख्त बीमारी के मनसूख कर सक्ती है.

रिहाई बवजह बीमारी

[२] जब मदयून डिक्री गिरफतार हो गया है, और अदालत की राय मे उस की तनदुरस्ती इस लायक नहीं है कि वह जहलखाना दीवानी मे रखा जाय तो उस को छोड़ सक्ती है.

[३] जब कोई मदयून डिक्री किसी जहलखाना दीवानी में भेजा जाय तो वह जहल से रिहाई पा सक्ता है.

(क) बहुक्म लोकल गवर्नमेंट इस वजह पर कि वहां कोई फैलाव या उडके लगने वाली बीमारी मौजूद है या,

(ख) बहुक्म उस अदालत के जिस ने उस को जैल में भेजा हो या किसी और अदालत के जिस की अदालत मजकूर मातहत हो इस वजह पर कि वह किसी सख्त बीमारी में फसा है

दफ़ा ५८ (१) हर शख्स जो वसीगा इजराय डिक्री
कैद वो रिहाई. जहलखाना दीवानी में कैद किया जाय, इस तरह से कैद में रखा जायगा

(क) जब कि डिक्री वास्ते अदाई जर नक्दी पचास रूपया से ज्यादा की हो तो छे महीने तक, और,

(ख) किसी और सूरत में छे हफते तक

मगर शर्त यह है कि जैसी कि सूरत हो छे महीना या छे हफते की मियाद मजकूर गुजरने के पाहिले वह कैद से रिहा किया जायगा

(१) तादाद मुन्दरजा वारन्ट कैद उस के अफसर मोहतमिम जहलखाना को अदा कर देने पर; या,

(२) उस के ऊपर की डिकरी की अदाई पूरी तरह से और तौर पर किये जाने पर, या,

(३) उस शख्स की अरज पर जिस की दरखास्त पर वह इस तौर पर कैद किया हो; या,

(४) जब कि वह शख्स जिस ने उस को कैद कराया हो जर खूराक दाखिल न करे.

मगर शर्त यह भी है कि उन सूरतों में जो फिकरा (२) या (३) में दरज है वह बिला हुक्म अदालत रिहा न किया जायगा.

(२) मदयून डिक्री जो इस दफा के बमूजिब कैद से रिहाई पाय सिर्फ अपनी रिहाई की वजह से करजे के जिम्मेदारी के बरी नहीं समझा जायगा--लेकिन उसी डिक्री के रूसे वह फिरसे गिरफतार नहीं हो सक्ता है, जिस्के इजरा मे वह जहलखाना दीवानी में कैद रखा गया था,

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३४१ वो ३४२ से कायम की गई है

अगर एक शख्स गिरफतार हुआ और खूराक न दाखिल होने के हालत में

छोड़ दिया गया तो वह फिर दुबारा गिरफतार किया जा सक्ता है (इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २६ सफा ३१७)

इस दफा के बमूजिब कैद से रिहा होने के सूरत में मदयून डिक्री की जायदाद जिम्मेदार करजा बनी रहेगी.

डिक्री किश्तबन्दी के इजराय में कर्जदार हर किस्त की चूक में अलेहदा कैद न किया जायगा—(इ ला रि बम्बई जि ७ सफा १०६)

जब कर्जदार जहल भेजा गया हो तो उस की रिहाई सिर्फ इसी दफा की रू से होगी–कर्जदार जमानत देने पर जहल से रिहाई नहीं पा सकेगा—(इ ला. रि मद्रास जिल्द ८ सफा ५०४)

जो मियाद कैद की इस दफा की रू से मुकर्रर है उस से कम मियाद मुकर्रर करना अदालत के अखत्यार में नहीं है —(इ ला रिपोर्ट मद्रास जिल्द १२ सफा १४१)

दफा ५६ [१] मदयून डिक्री के गिरफतारी का वारंट जारी होने के बाद किसी वक्त अदालत उस को बवजह उस के सख्त बीमारी के मनसूख कर सक्ती है.

रिहाई बवजह बीमारी

[२] जब मदयून डिक्री गिरफतार हो गया है, और अदालत की राय में उस की तनदुरस्ती इस लायक नहीं है कि वह जहलखाना दीवानी मे रखा जाय तो उस को छोड़ सक्ती है.

[३] जब कोई मदयून डिक्री किसी जहलखाना दीवानी में भेजा जाय तो वह जहल से रिहाई पा सक्ता है.

(क) बहुक्म लोकल गवर्नमेंट इस वजह पर कि वहां कोई फैलाव या उड़के लगने वाली बीमारी मौजूद है या,

(ख) बहुक्म उस अदालत के जिस ने उस को जैल में भेजा हो या किसी और अदालत के जिस की अदालत मजकूर मातहत हो इस वजह पर कि वह किसी सख्त बीमारी मे फसा है

दफा ५८ (१) हर शख्स जो वर
कैद वो रिहाई. जहलखाना दीवानी में वै
तरह से कैद में रखा जायगा

(क) जब कि डिक्री वास्ते अदाई
रूपया से ज्यादा की हो तो

(ख) किसी और सूरत में छे हफ्ते

मगर शर्त यह है कि जैसी कि सूरत हो
की मियाद मजकूर गुजरने के पाहिले वह
जायगा

(१) तादाद मुन्दरजा वारन्ट कैद
मिम जहलखाना को अदा कर

(२) उस के ऊपर की डिकरी व
और तौर पर किये जाने पर;

(३) उस शख्स की अरज पर
इस तौर पर कैद किया हो;

(४) जब कि वह शख्स जिस
जर खूराक दाखिल न करे;

मगर शर्त यह भी है कि उन सूरतें
(३) में दरज है वह बिला हुक्म अदा

(२) मदयून डिक्री जो इस
रिहाई पाय सिर्फ अपनी रिहाई की वज
के बरी नहीं समझा जायगा--लेकिन
फिरसे गिरफ्तार नहीं हो सक्ता है, जिस
दीवानी में कैद रखा गया था,

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफ
की गई है.

अगर एक शख्स गिरफ्तार हुआ और खूरा-

मजहबी के अलग न कर सकी हो.

(ख) कारीगिरी के हथयार, और अगर मद्यून डिकरी कास्तकार पेशा हो तो कास्तकारी के आलात, और ऐसे मवेशी, और बीज गल्ला, जो अदालत की राये में मद्यून डिकरी को कमाई करनेके लिये जरूरी हो, और उस कदर हिस्सा पैदावार कास्तकारी या किसी किस्म खास की पैदावार कास्तकारी का जो आगे की दफों के अहकाम की रू से कुरकी वो नीलाम से मुस्तसना कर दिया गया है-

(ग) मकानात वो दीगर इमारत (मय उन के मलमा, और जगह के, और वह जमीन कि जो उन से बिलकुल लगी हुई हो, और उन के इस्तेमाल के लिये जरूरी हो,) जो कास्तकार की मिलकियत हो, और उसके कबजा मे हो

(घ) हिसाब की वहियां.

(ङ) सिरफ हक निसबत दायर करने नालिश हरजा

(च) कोई हक जाती खिदमत का

(छ) वजीफा, और अतीयात पिनशनदारान सरकारी या जो मिनजुमला फेमली पेनशन फंड नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल इस के निसबत गजट आफ इनडिया मे मुश्तहर करादे, और पेनशन सीगा पोलिटिकल

(ज) अलाउंस (जो तनखाह से कम हो) किसी ओहदेदार सरकारी का या किसी रेलवे कम्पनी, या हाकिम मुकामी के मुलाजिम का जब कि अपने काम से गैर हाजिर हो.

(झ) तनखाह या अलाउंस बराबर तनखाह के

(४) जो मदयून इस दफा के बमूजिब रिहाई पावे वह फिर गिरफतार हो सक्ता है, मगर दीवानी जहलखाना में उसके बंद किये जाने की एकजाई मुद्दत उस तादाद न से होगी, जो दफा ५८, की रू से मुकर्रर की गई ह—

तशरीह —यह दफा पुराने एकट की दफा ३५३ जिमन (३) वो (४) से कायम की गई है

कुरका.

दफा ६०. (१) नीचे लिखी जायदाद इजराय डिकरी में काबिल कुरकी और नीलाम के है, याने जमीन मकानात, या दीगर इमारतें, और असबाब, और जर नक्द, और बैंक नोट, और चिक याने रुक्का, और बिल आप इक्सचेंज, और हुन्डीयात और प्रामेसरी नोट, और नोट सरकारी, और तमस्सुक, या दीगर किफालत नामजात जर नकद, और जर करजा और हिस्सा किसी जमाअत सनद याफ्ता का, और सिवाय उन चीजों के जिन का जिकर आगे है, तमाम दीगर जायदाद मनकूला, या गैर मनकूला, काबिल बिकरी जो मदयून डिकरी की हो, या जिस पर या जिस्के मुनाफेपर उस को ऐसा अखत्यार करने का पहुंचता हो कि वह उस को अपने फायदे के लिये अमल में ला सके, चाहे वह उस के नाम से हो या बतौर उस की अमानत के या उस की तरफ से किसी दूसरे शख्स के पास हो

जायदाद काबिल कुरकी की वो नीलाम इजराय डिकरी

मगर शर्त यह है कि नीचे लिखी हुई चीजे काबिल ऐसी कुरकी या नीलाम के न होगी—याने

(क) जरूरी पहनने ओढ़न के कपडे और पकाने के बरतन, और पलंग, और बिसतर, मदयून डिकरी और, उस की औरत और लडकें बच्चोंके, और ऐसे जेवरात जाती, जिन को कोई औरत मुताबिक अपने रसूम

मजहबी के अलग न कर सकी हो.

(ख) कारीगिरी के हथयार, और अगर मदयून डिकरी कारतकार पेशा हो तो कारतकारी के आलात, और ऐसे मवेशी, और बीज गल्ला, जो अदालत की राये मे मदयून डिकरी को कमाई करनेके लिये जरूरी हो, और उस कदर हिस्सा पैदावार कारतकारी या किसी किस्म खास की पैदावार कारतकारी का जो आगे की दफों के अहकाम की रू से कुरकी वो नीलाम से मुसतसना कर दिया गया है-

(ग) मकानात वो दीगर इमारत (मय उन के मलमा, और जगह के, और वह जमीन कि जो उन से बिलकुल लगी हुई हो, और उन के इस्तेमाल के लिये जरूरी हो,) जो कारतकार की मिलकियत हों, और उसके कबजा मे हो

(घ) हिसाब की बहियां

(ङ) सिरफ हक निसबत दायर करने नालिश हरजा

(च) कोई हक जाती खिदमत का

(छ) वजीफा, और अतीयात पिनशनदारान सरकारी या जो मिनजुमला फैमली पेनशन फंड नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल इस के निसबत गजट आफ इनडिया में मुशतहर करादे, और पेनशन सीगा पोलिटिकल

(ज) अलाउंस (जो तनखाह से कम हो) किसी ओहदेदार सरकारी का या किसी रेलवे कम्पनी, या हाकिम मुकामी के मुलाजिम का जब कि अपने काम से गैर हाजिर हो

(झ) तनखाह या अलाउंस बराबर तनखाह के किसी

ऐसे ओहदेदार सरकारी या मुलाजिम का जिसका जिकर फिकरा (ज) में है जब कि वह काम पर हो नीचे लिखे हद तकः—

(१) कुल तनखाह अगर बीस रूपया माहवार से ज्यादा न हो,

(२) बीस रूपया माहवार जब कि तनख्वाह बीस रूपया माहवार से जियादा हो अगर चालीस रूपया से जियादा न हो, और,

(३) किसी दूसरी सूरत में आधी तनखाह

(ञ) तनखाह और अलाउंस उन लोगों के जिन से कानून लशकरी हिन्दूस्थान मुतालिक है

(ट) जुमला जरूरी रकम अमानती वो दीगर रकमें जो किसी ऐसे मद में हो या ऐसे मद से हासिल की जाय जिस्से एक्ट मुतालिके प्रावीडन्ड फन्ड मजारिया सन १८९७ ई० बर वक्त मुतालिक हो, जहां तक कि रकम मजकूर एक्ट मजकूर के जरिये से गैर काबिल कुरकी करार दी गई हो।

(ठ) उजरत मजदूरान, और मुलाजमान रवानगी की चाहे वह नक्द मे या किस्म मे दी जाती हो

(ड) उम्मेद विरासत व हालत पसमांदगी या कोई दूसरा हक या इस्तेहकाक जिस का मिलना मुमकिन हो या सिर्फ किसी शर्त पर कायम हो।

(ढ) आइन्दा परवरिश का हक़

(ण) वह अलाउंस जो किसी कानून मजारिया बमूजिब एक्ट कौंसिल हाय हिन्द सन १८६१ ई० वो सन १८९२ ई० की रू से कुरकी वो नीलाम

वइल्लत इजराय डिक्री से मुसतसना कर दिया गया हो—और.

(त) जब कि मद्यून डिक्री जिम्मेदार मालगुजारी सरकारी अदाई का हो तो कोई जायदाद मनकूला, जो किसी कानून की रू से जो उस वक्त जारी हो, और शख्स मजकूर से ताल्लुक रखता हो बगरज वसूली बकाया ऐसी मालगुजारी नीलाम से माफ रखी गई हो.

समझावना—वजीफा वगैरा जिन का जिक्र फिकरा (छ) व (ज) व (झ) व (ञ) व (ठ) व (ण) में है, वाजबुलअदा होने के पहले या बाद कुरकी नीलाम से माफ समझे जायेंगे.

[२] इस दफा की किसी इबारत से यह न समझा जायेगा कि,

(क) मकानात वो दीगर इमारात [मै उन के मलमा और जमीन मौका और उस जमीन के जो उन मे बिलकुल लगी हो, और उन के इस्तेमाल के लिये जरूरी हो] डिकरी जर लगान के इजरा मे जो उसी मकान या इमारत या डीह या जमीन के निसबत हो कुरकी वो नीलाम से बरी है,

(ख) न इबारत मजकूर एक्ट मुतालिक फौज, या उस किस्म के और कानून में जो किसी वक्त जारी हो हरज डालेगी

लफ्जों के मायने—आलात—हथ्यार, औजार, वजीफा वो अतीआत—तनखाह वो बख्शीस, मुत्तसिल—नजदीक, पसमादगी—वह हक जो एक आदमी के मरने के बाद दूसरे आदमी को ब हालत शामिल शरीक के मिलता है

तशरीहः—यह दफा पुराने एक्ट की दफा २६६ से कायम की गई है, और उस में कुछ बेशी की गई है

अगर कानून के मुताबिक कोई जायदाद बिक नहीं सक्ती तो वह काबिल कुरकी वो नीलाम के भी न होगी, जैसे हक मौरूसी (इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द २६ सफा ७२७

किसी इमारत के दरवाजे वो खिड़की अलेहदा नीलाम के लायक नहीं है (इं ला. रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा १६४)—सिर्फ बाया, याने बेंचने वाले का हक जिस ने कुल मावजा पा लिया, और जायदाद पर कबजा दे दिया है और बैनामा तहरीर नहीं किया है, काबिल कुरकी नहीं है—(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ३४ सफा ४००)

पेनशन अगर वाजिबुलअदा हो गई है और दी नहीं गई है, तो उस से उस की खासीयत बदल नहीं जाती है इ ला रि मद्रास जि २६ सफा ६९) मगर ज्योंही कि वह दी गई वह काबिल कुरकी हो जायगी—(बम्बई १० बी ऐच सी. ४००).

आधी तनखाह अफसर फौज की कुरक हो सक्ती है (इ ला. रि मद्रास जिल्द २५ सफा ४०२)—जब कोई जमीन किसी हिन्दू औरत को वास्ते परवारिश के बगैर हक इन्तकाल दी जावे तो वह उस के करजे में कुरकी के लायक नहीं है.

इस दफा के जिमन (क) के बमूजिब किसी औरत के जेवरात काबिल कुरकी न होंगे (देखो इ. ला रि बम्बई जिल्द ९ सफा १०६); लेकिन यह कायदा सिर्फ ऐसे जेवरात में लागू होगा जिन को कोई औरत रिवाज मजहबी के मुताबिक अपने बदन से अलग नहीं कर सक्ती

मगर किसी औरत का स्त्रीधन उस के खाविन्द के करजे की अदाई में कुर्क न किया जायेगा (बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट सीगा अपील दीवानी जिल्द ८ सफा १२९), लेकिन जब किसी मदयून डिकरी की मालियत जनाना कमरे में पाई जाये तो वह कुरक की जायेगी (देखो वी. रि जिल्द १७ सफा ८६)

जिमन (ख) के बमूजिब उजरदारी का फैसला करने के वास्ते अदालत को अपनी राये निसबत इस अमर के जाहिर करना लाजमी होगा कि आया जिन मवेशियों के बाबत उजरदारी की गई है वे कर्जदार के परवारिश (गुजर) के वास्ते जरूरी है या नहीं (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १० सफा ३९).

कुरकी रद्दी वो बेकाम समझी जावेगी अगर कुरकी के वक्त डिकरी मनसूख हुई हो या मौजूद न होगा—नई डिकरी गो उस का मजमून वही हो, कुरकी को जायज न करेगी जो रद्द किये हुए डिकरी की रू से अमल में आई हो—(इ. ला. रि मदरास जिल्द २१ सफा १७५).

नकद रुप्या की डिकरी बतौर कर्ज के न समझी जावेगी—(इ ला. रि मदरास जिल्द ६ सफा ४१८)

मगर डिकरी अदालत माल की बतौर कर्जा समझी जावेगी—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २१ सफा ४०६)

जो रुप्या मुलाजिम रेल का रेलवे कम्पनी के पास बतौर अमानत रहता है ताकि मुलाजिम अपना काम वाजिबी करे, वह काबिल कुरकी है (इ ला. रि मदरास जिल्द ९ सफा २०२)

एक जमीन हिन्दू औरत को वास्ते परवरिश इस शर्त पर दी गई कि वह उस की आमदनी मे अपनी गुजर चलावे मगर उस को वह जमीन बजरिये बै या रहन मुन्तकिल करने का अखत्यार न होगा, ऐसी जमीन काबिल कुरकी समझी गई—(मदरास ला जर. रि जिल्द १५ सफा ७)

हक नालिश बतौर जायदाद नहीं समझा जावेगा—(बंगाल ला रि जिल्द ७ सफा १९५)

नकद रुप्या की डिकरी को छोड़ कर बाकी कुल किस्म डिक्रिया बतौर जायदाद काबिल कुरकी न काबिल नीलाम समझी जावेगी—(इ ला रि बम्बई जिल्द १६ सफा ५२२)

साझेदारी (शराकती) रोजगार में साझेदार का हिस्सा काबिल नीलाम है—(इ ला. रि बम्बई जिल्द २० सफा ६६३)

जब जमीन से फायदा उठाने का हक किसी हिन्दू बेवा को उस के परवरिश के लिये दिया गया हो और यह शर्त ठहरी हो वह जमीन को बजरिये रहन बै या बख्सिस किसी दूसरे शख्स को मुन्तकिल न करे तो उस का ऐसा हक काबिल कुरकी वो नीलाम न होगा—(इ ला रि बम्बई जिल्द १० सफा ३४२,) ला रि अलाहबाद जिल्द १५ सफा ३७१)

हक इनफिकाक राहिन बतौर जायदाद काबिल नीलाम समझा जावेगा- (ई ला रि. जिल्द २१ सफा २२६)

पक्के मकान के दरवाजे वो खिड़किया अलेहदा नीलाम वो कुर्क नहीं हो सकीं (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ११ सफा १६४)

चड़ोतरी जो हिन्दू देवता कोआइन्दा चड़ा जाने को हो, काबिल न समझा जावेंगी। (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २१ सफा४७०)

अगर हुडी या चिक रूपया पाने वाले को हवाला कर दिया गया हो तो बाद हवालगा वह चिक या हुडी देने वाले को नोटिस देकर, कुर्क न हो सकेगा—(इ ला रि बम्बई जिल्द ३ सफा ४६).

आमदनी चड़ोतरी जो यात्री लोग चढ़ाते हैं काबिल नीलाम नहीं है—(इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा ७३०)

जो रूप्या हस्ब दफा ८३ एक्ट इन्तकाल जायदाद बतौर अमानत जमा किया जाय वह मुर्तहन का न समझा जावेगा जब तक कि वह उस दफा की अहकाम तामील न करे—(इ ला रि. मदरास जिल्द २१ सफा २३२)

जायदाद जो बतौर अमानत किसी मन्दर या मस्जिद में या कार खैर (पुन्य) में लगाई गई हो काबिल कुरकी न होगी, गो वैसा पुन्य का खर्चा करने के बाद जिस के लिये वह लगाई गई, उस की आमदनी में कुछ बचत होती हो और वह बचत अमानतदार को मिलती हो—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द १५ सफा ३२६ प्रिवी कौंसिल)

डाक खाने में मदयून डिकरी के नाम की जो चिट्ठिया हों उन की निसबत यह समझा जायगा कि वे पोष्ट मास्टर के पास बतौर अमानत मदयून डिकरी की तरफ से हैं—(इ ला रि मदरास जिल्द १३ सफा २४२).

कारतकारी माल:—कारतकार का सकूनती मकान जिस में वह या उस मरने के बाद उस का कायम मुकाम रहता है व उस के खेत का कोठा काबिल कुरकी वो नीलाम नहीं है—(इ ला. रि. बम्बई जिल्द ७ सफा ५३०).

मगर ऐसी माफी कारतकार के सिर्फ सकूनती मकान को लागू होगी, न कि उस के शहर के मकान को—[बम्बई ला रि. जिल्द ७ सफा ६८५].

फिकरा (ङ):– हक नालिश वास्ते दिला पाने मुनाफा काबिल कुरकी नहीं है—(इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ६०५)–इसी तरह हक अपील काबिल कुरकी नहीं है

फिकरा (च):—क्रिया काज कराने हक काबिल कुरकी नहीं है (बं. रि. जिल्द १६ सफा १७१)—इसी तरह हक पुजारी वास्ते पुजने मूरती काबिल नीलाम नहीं है—(ब. ला रि जिल्द ५ सफा ६१७).

फिकरा (छ):—इनाम जो रेलवे कम्पनी के तरफ से किसी मुलाजिम रेलवे के लिये मजूर हुवा हो, मगर दिया न गया हो काबिल कुरकी न होगा—(इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ६३४)

पुलिटिकल पिनसन जो गवर्नमेंट हिन्द से बाला दी जाती है कुरकी से माफ है—अगर किसी शख्स को जमींदारी माफी में अच्छा काम करने के इनाम में अता की गई हो तो वेह बतौर पुलिटिकल पिनसन समझी जावेगी—(इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द २६ सफा ६१७)

फिकरा (झ)—खानगी मुलाजिम की तनखाह या उजरत वाजबूल अदा होने के पेश्तर काबिल कुरकी नहीं है–(इ. ला रि मदरास जिल्द २१ सफा २१३).

पुतलीघर में सूत कातने वाले बतौर मजदूर समझे जायेंगे और उन की उजरत बतौर मजदूरी समझी जावेगी—(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ५ सफा १३२).

तनख्वाह अफसर फौजी जो अंग्रेजी सरकार की फौज में नौकर है काबिल कुरकी न होगी (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ३३ सफा ५२९)

डिकरी रहन के इजराय में काश्तकार का मकान नीलाम कराना नाजायज न होगा—(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३२ सफा १३६)

एक मैरूसी काश्तकार ने अपना खेत वो मकान रहन किया–अदालत ने मकान के नीलाम की डिक्री सादिर किया–तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि मकान नीलाम नहीं हो सका, क्योंकि काश्तकार का रहने का मकान मुताल्लिक खेत समझा जायेगा (इ ला रि अलाहाबाद जि ३२ सफा १३६.)

डिक्रीदार को मदयून डिक्री की जायदाद कुर्क करने का अख्त्यार है और दफा ६० मज. जा. दी. या किसी दूसरे कायदा में यह कैद नहीं है कि डिक्रीदार मदयून डिक्री की किस कदर जायदाद की कुरकी करावे—ऐसा कोई कायदा नहीं है कि वह सिर्फ उस कदर जायदाद कुर्क करावे जो उसी डिक्री की अदाई के लिये जरूर हो—गैर तशखीस हुऐ मुनाफा की डिक्री में जिस का तशखीस होना बाकी है, मदयून डिक्री की जायदाद कुर्क हो सक्ती है (इ के जि. १६ सफा ७०८).

जब कोई शख्स अपने मकान को हस्ब दफा ६० (ग) नीलाम से बचाने का दावा करे और ऐसा मालूम हो कि वह जिमींदार वो काश्तकार दोनों है तो इस दफा का फायदा पाने के लिये उसे यह साबित करना होगा कि उस की आमदनी का असली जरिया काश्तकारी है और वह पक्का काश्तकार है जैसे कि काश्तकार होता है—[इ ला. रि. अलाहाबाद जि. ३५ सफा ३०७]

तनखाह अफसर फौजी इडियन आरमी [हिन्दुस्थानी फौज] की काबिल कुरकी नहीं है, लेकिन अगर वह कुर्क होकर डिक्रीदारान को बाट दी गई हो तो वह फिर डिक्रीदारान से वापिस नहीं ली जा सक्ती है [इ ला. रि बम्बई जिल्द ३८ सफा ६६७].

दफा ६० में जो यह हुक्म है कि काश्तकार का बीज वो मवेशी कुरकी से माफ है सो वह सिर्फ ऐसे काश्तकारों से मुराद है जो गरीब हैं—अगर काश्तकार मातबर है और वह अपना काश्तकारी का काम बिला तक्लीफ दूसरा बीज और मवेशी लेकर चला सक्ता है तो उस का बीज वो मवेशी कुर्क करना नाजायज न होगा (इ. के. जिल्द २५ सफा ११७).

आबकारी यानी शराब खींचने का कारखाना इजराय डिक्री में काबिल कुरकी है—[नागपूर ला. रि. जिल्द ११ सफा ६७]

एक मालगुजार का मालगुजारी हक जाता रहा और उस को काश्तकारी हक मिला—उस के मरने के बाद उस के लड़के उसी मकान में रहते थे जिस में बाप रहता था—लड़कों ने वह मकान रहन किया—पस ऐसा मकान काबिल नीलाम डिक्री रहन के इजराय में समझा जावेगा क्योंकि काश्तकार था वो सिर्फ इस बात से, कि मुर्तहन उस मकान में रहता था, यह क्यास न होगा कि मकान मजकूर मुताल्लिक खेत था—[अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १३ सफा ८४६].

लफ्ज "काबिल नीलाम" के यह मायनी है कि अदालत के हुक्म से आम नीलाम होवे न कि फरीकैन की आपसी बात चीत या ठहराव से—एक पट्टादार को खेत ठेका में दिया गया और यह शर्त ठहरी कि वह पट्टादार खेत मजकूर को बेंच न सकेगा मगर ऐसी कोई शर्त न थी कि अदालती नीलाम में वह खेत न बिक सकेगा, तो ऐसी सूरत में हक़ पट्टादार काबिल नीलाम समझा जावेगा —(कवी नोट जिल्द १६ सफा ११८२)

पैदावार काश्तकारी का कुरकी से मुसतसना

दफा ६१ नव्वाब गवर्नर जरनल बहादुर बइजलास कौंसिल की इजाजत पहले से हासिल करके लोकल गवर्नमेंट को अख्त्यार है कि बजरिये हुक्म आम या खास गजट सरकारी मुकामी में छाप कर, यह जाहिर करे कि उस कदर हिस्सा पैदावार काश्तकारी, या किसी खास किस्म की पैदावार काश्तकारी का, जो लोकल गवर्नमेंट के नजदीक बगरज काश्त आराजी ता आने फसल आईंदा और वास्ते परवरिश मदयून और उस के खानदान के जरूरी हो, दर सूरत कुल काश्तकारान या किसी खास किस्म के काश्तकार के लिये कुरकी वो नीलाम से किसी डिक्री के इजरा मे मुसतसना रहे.

तशरीहः—यह दफा नई कायम की गई है इस के रू से लोकल गवर्नमेंट को अख्त्यार दिया गया है, कि पैदावार काश्तकारी जो वास्ते काश्त जमीन और वास्ते परवरिश काश्तकार के मुनासिब समझे, जनाब नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर व इजलास कौंसिल की मन्जूरी लेकर कुरकी से माफ करदे.

जब्ती उस जायदाद की जो किसी रहने के मकान में हो.

दफा ६२ [१] कोई शख्स जो इस मजमूआ के बमूजिब किसी ऐसे हुक्मनामे की तामील कर रहा हो जिस मे माल मनकूला के जब्ती की या अख्त्यार हिदायतें दरज हो किसी रहने के मकान में सूरज डूबने के बाद, और सूरज निकलने के पहले, दाखिल न हो सकेगा

(२) किसी रहने के मकान का बाहरी दरवाजा तोड़ा

न जायगा जब तक कि ऐसा रहने का मकान मदयून डिकरी के कबजा में न हो, और वह उसके अन्दर जाने देने से इंकार करता हो या किसी तरह से मना करता हो, मगर जब वह शख्स जो ऐसे हुक्म नामे की तामील करता हो, किसी रहने के मकान में बाजाब्ता पहुंच जाय तो उस को अखत्यार होगा कि किसी कमरे का दरवाजा जिसमें माल मजकूर के मौजूद होने का यकीन करने की वजह हो तोड़ डाले.

(३) जब किसी रहने के मकान का कोई कमरा किसी ऐसी औरत के दर असली दखल में हो, जो मुल्क के रिवाज के मुवाफिक परदा करती हो तो हुक्मनामा तामील करने वाला शख्स उसको इत्तला करेगा कि उसको वहां से निकल जाने का अखत्यार है और उस के निकल जाने के लिये उसे कुछ अरसा माकूल देकर और उस को निकल ने के लिये हर तरह की सहूलियत मुनासिब देकर शख्स मजकूर मजाज होगा के माल को जब्त करने के लिये कमरे के अन्दर जाय मगर इन अहकाम के मुताबिक इस बात की भी हर तरह से अहेतियात करे कि माल कमरे से खुफिया तौर पर न उठ जाय.

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट की दफा २७१ से कायम की गई है मगर इस दफा की रू से जब अफसर हुक्म नामा तामील करने वाले को मकान का बाहरी दरवाजा जब कि मकान मदयून डिक्री के कब्जे में हो और उस में वह जाने देने से रोके तोड़ कर दाखिल होने का अखत्यार दिया गया है यह अखत्यार पुराने मजमूआ के रू से हासिल न था

मजकूरा दूकान का बाहरी दरवाजा हुक्म कुरकी के तामील करने के लिये तोड़ कर दाखल हो सक्ता है (इं ला. रि बम्बई जि० ३ सफा ८६).

जब किसी कुरकी की निस्बत इस बिना पर उजर किया जाय कि मदयून डिक्री के मकान में दाखली खिलाफ अहकाम दफा ६२ की गई थी क्योंकि उसका मकान अन्दर से बन्द था और उसे ऐसे लोगों ने खोला जो छत पर चढ़ गये थे—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि कुरकी नाजायज न थी, क्योंकि

सेल अमीन खुद छत पर नहीं चढ़ा था, वह मकान में सिर्फ उस वक्त दाखल हुवा जब कि दरवजा छत पर चढ़ने वाले शख्सों ने खोला (इ. के. जि० २५ सफा ११७)—

दफा ६३ [१] जब कि कोई ऐसी जायदाद जो किसी अदालत की हिरासत मेन हो कई अदालतों के डिक्री के इजरा मे कुरकी मे लाई जाय तो उस जायदाद को लेना या वसूल करना और उस की निस्बत हर दावा और उस कुरकी पर हर उजरदारी के बाबत तजवीज करना उस अदालत से ताल्लुक रखेगा जो उन अदालतों में सब से बड़े दरजे की हो और अगर उन के दरजे मे कुछ फर्क न हो तो उस अदालत से मुताल्लिक होगा जिस की डिक्री के इजरा मे जायदाद सब के पहले कुर्क हुई हो

कई अदालतों की डिक्रीयों के इजरा में कुर्की जायदाद.

(२) इस दफा के किसी मजमून से वह कारवाई रद नहीं समझी जायगी जो किसी ऐसी अदालत ने की हो जिस ने उन में से किसी एक डिकरी का इजरा किया हो.

तशरीह—इस दफा की रूसे आला दरजे की अदालत को या अगर दरजे में फर्क नहीं है तो वह अदालत जिसने पहले कुरकी किया उसको अखत्यार दिया गया है मगर जब कोई अदालत जो एक डिक्री की इजराय करती हो इस दफा की रू से कार्रवाई करे तो वैसी कार्रवाई नाजायज नहीं होगी

यह दफा पुराने मजमुआ की दफा २८५ से मिलती है

जब जायदाद किसी अदालत की हिरासत में न हो तो आर्डर न २१ कायदा ५२ लागू होगा

इस दफा में जो जायदाद का लफ्ज आया है उससे मुराद ज्यादा तर जायदाद मनकूला है न कि गैर मनकूला (इ ला रि कलकत्ता जि० ७ सफा ४२०, ४१३).

यह दफा सिर्फ उस वक्त लागू होगी जब कि कई अदालतों की डिक्रियों की

इजराय में जायदाद की कुरकी हुई हो (इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा २५५, २५७)—

फर्क दरमियान दफा ६३, वो ७३:—दफा ६३ में सब से बड़े दरजे की अदालत का जिक्र है मगर दफा ७३ की रू से दरखास्त वास्ते तकसीम हिस्सा रसदी वैसी अदालत में पेश करना चाहिये जिसके पास मौजूदात (माल रूपया पैसा) होवें—हाई कोर्ट बम्बई वो मदरास की यह राय है कि एक अदालत का डिक्रीदार दूसरी अदालत में तकसीम हिस्सा रसदी का दावा नहीं कर सक्ता जब तक कि वह अपनी डिक्री वैसी दूसरी अदालत में मुन्तकिल न करावे (इ ला रि. बम्बइ जि० १९ सफा ५३९, इ ला. रि मदरास जि० ६ सफा २५७)—मगर हाई कोर्ट कलकत्ता की राय इसके खिलाफ है बल्कि उसकी यह राय है कि अगर नीलाम छोटे दरजा की अदालत से किया गया हो तो बड़े दरजा की अदालत वैसे नीलाम को मान कर मौजूदात वसूल शुदा को तकसीम करेगी (इ. ला. रि कलकत्ता जि० २१ सफा २०० वो जि० २९ सफा २७३)—

यह जरूर नहीं है कि किसी ऐसे नीलाम की मन्सूखी के लिये नालिश दायर की जाय जो हस्ब अहकाम दफा, ६३ नाजायज था (इ के. जि० २५ सफा १०६).

मुसम्मी (प) की डिक्री मुसम्मी (इ) पर मुनसफ की अदालत से हुई उसने अपनी डिक्री इजराय करा कर अपने मदयून डिक्री की कुछ जायदाद कुर्क कराई—इसके बाद मुसम्मी (ब) ने उसी शख्स मुसम्मी (इ) पर नालिस अदालत सब-जज में दायर किया और उसी जायदाद के कुछ हिस्से की कब्ची कुरकी कराया मुसम्मी (ब) की नालिश में (इ) पर एकतरफा डिक्री सादिर हुई—(ब) ने अपनी डिक्री इजराय कराने के बाद कार्रवाई हस्ब दफा ६३ किये जाने की दरखास्त दिया और इस बात पर राजी हुआ कि नीलाम (प) की डिक्री की इजराय में अदालत मुनसिफ से किया जावे और मौजूदात अदालत सब-जज ने वास्ते तकसीम हिस्सा रसदी भेजे जावें ऐसा किया गया—इस के बाद मुसम्मी (इ) ने इक तरफा डिक्री की मन्सूखी के लिये दरखास्त दिया डिक्री मन्सूख की गई मगर मौजूदात का कुछ हिस्सा बतौर "जमानत" वैसी

डिक्री के करार दिया गया जो डिक्री कि नालिश की ।फिर सुनाई होने के बाद सर्कार में सादिर हो (इ) ने तब दिवालिया करार दिये जाने की दरखास्त दिया और डिस्ट्रिक्ट-जज साहब ने (प) को तकसीम हिस्सा रसदी मुल्तवी कर दिया (प) वो (ब) ने अदालत सीगा दिवालिया में अपना रूपया पाने की दरखास्त दिया उनकी दरखास्तें नामन्जूर हुई तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि–(१) (प) तकसीम हिस्सा रसदी का हकदार था क्योंकि जो नीलाम उसकी डिक्री की इजराय में किया गया वह बलेहाज दफा ६३ (२) नाजायज वो गैर जाब्ता न था–(२) कि मुसम्मी (ब) हस्ब मनशा दफा ३१ वो ३४ एक्ट दिवालिया बतौर साहूकार समझा जावेगा क्योंकि जो हिस्सा उसकी डिक्री के अदाई के लिये बतौर जमानत रखा गया वह वाजवी रखा गया (अलाहाबाद ला. जर जि० १३ सफा ५९३).

दफा ६४. जब कोई कुरकी हो गई है, तो इन्तकाल खानगी इन्तकाल आपसी तौर **या हवालगी जायदाद मकरूका का या उस** जायदाद का बाद कुरकी **के किसी हक का और अदा करना मद्यून** नाजायज है **डिकरी को करजा या मुनाफा या किसी रूप्या का खिलाफ ऐसी कुरकी के बमुकाबले उन तमाम दावा के जिन की अदाई उस कुरकी की रू से हो सक्ती हो नाजायज होगा**

समझावना —इस दफा की गरजों के लिये जो दावी अजरूय कुरकी जायज हो उस में मालियत की तामील हिस्सा रसदी का दावा भी शामिल है.

तशरीह:—यह दफा रहन की डिकरी से मुताल्लुक होगी क्योंकि ऐसी डिकरी के इजराय के वास्ते रहन की जायदाद की कुरकी जरूर नहीं है, पस जो कोई बाद दायर किये जाने नालिश रहन जायदाद मरहूना को खरीद करे तो उसे रहन का बोझा उठाना पड़ेगा.

इस दफा के बमूजिब कुरकी से जायज कुरकी मुराद है–जिस हालत में नाजायज कुरकी अमल में आवे तो इस दफा की रू से कुर्क करने वाला फरीक कुछ फायदा न उठावेगा (देखो इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा ७११

से ७३३ तक)

यह सबूत करने बोझ कि कोई कुरकी बाद सादिर किये जाने हुक्म वाजिब तौर पर, नाजायज तरह से की गई उस फरीक पर डाला जायगा जो ऐसा उजर पेश करता है (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा १२९).

जो कुरकी कबल फैसला की जाय वह बे असर समझी जायगी, सिवाय उस सूरत में कि जब मुकदमे में डिकरी बहक मुद्दई सादिर की जाय (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २६ सफा ५३१).

असर कुरकी.—

अलावा उस हक के जो इस दफा की रू से दिया गया है कुर्क करने वाला डिकरीदार दीगर हुकूक भी हासिल कर सक्ता है, मसलन एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ९१ की रू से रहन साबिक का इनफिकाक करना या करजदार के वासियत नामे की निसबत दरखास्त प्रोबेट के बारे में उजरदारी पेश करना, जब कि प्रोबेट साहूकारों के फरेब के जरिये से हासिल किया गया हो (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १० सफा १९ वो २८ सफा ४४१); लेकिन ऐसी कुरकी के जरिये से कुर्क कराने वाले फरीक को यह अखत्यार नहीं है कि किसी डिकरी को नाजायज करार दे, जो बाद में सादिर हुई (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द २५ सफा ३४७)

अगर कुरकी की इत्तला वाजिब तौर पर न दी गई हो तो इन्तकाल दौरान कुरकी नाजायज न होगा -(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ६६८ वो जिल्द १३ सफा ११९)

"इन्तकाल खानगी" से ऐसा इन्तकाल मुराद है जो खिलाफ हुक्म कुरकी किया जाय जैसे इरादा करके बै, बखशीस या रहन, मगर उससे वैसा बैनामा या रहननामा मुराद नहीं है जो अदालत मजाज की डिक्री से तकमील कराया गया हो—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ४ सफा २२५ इजलास कामिल.)

जायदाद का [illegible] देना बतौर इन्तकाल करने के होगा (इ. ला रि [illegible] १२३)—

अगर कुरकी के पहले जायदाद रहन हो, और रहननामा पलटाया जाय, यानी नया रहन पुराने रहन के बदले कर दिया जाय, और उस से जायदाद पर कोई ज्यादा या नया बोझ न पड़ता हो तो ऐसी रहन पलटना बतौर ऐन्य इन्तकाल न होगा (इ. ला. रि. मद्रास जि० ४ सफा ४१७).

मुसलमान का, वारसान की रजामन्दी से अपने जायदाद के एक का तीसरा हिस्सा की वसियत करना इन्तकाल के हद को न पहुंचेगा (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द. २६ सफा ४९६)

कुरकी कब खतम होगी, इसके लिये देखो आर्डर नं = २१ कायदा ५७—

जब इजराय करने वाला फरीक दूसरी इजराय करने के लिये मजबूर किया जाय तो उसका हक दूसरी इजराय से शुरू होगा–(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २२ सफा ११४)—

जब दरखास्त इजराय खारिज हो गई हो तो कुरकी जो उसके रू से की गई, कायम न समझी जावेगी (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १८ सफा ४९)

जब जायदाद इजराय डिक्री में कुर्क हो और इनफाउ खानगी किया जाय मगर दरखास्त इजराय अदालत के मुलतवी फाइल दफ्तर में दाखिल हो जाय और वह जायदाद फिर कुर्क की जावे तो इनफाउ खानगी मजरूर रद न होगा, क्योंकि पहली कुरकी से जायदाद पर कुछ असर नहीं पहुंचता था. (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ३३)

अगर जायदाद कुर्क हो और दरखास्त इजराय डिकरी खारिज की गई हो और हुक्म खारजी में कोई ऐसी इबारत न हो जिस से यह पाया जाय कि कुरकी उठा ली गई, और वैसा हुक्म खारजी अपील में मनसूख हो जाय तो डिकरीदार की हैसियत वैसी बनी रहेगी जैसे कि पहले थी, और वह कुरकी से पूरा फायदा का हकदार होगा (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २३ सफा ८२९, ८३२)

यह जरूर नहीं है कि डिकरी का मुन्तकिल-अलेह यानी जिस को डिकरी मुन्तकिल की गई, नई कुरकी के लिये फिर से दरखास्त देवे (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १६ सफा १२३)

मदयून डिकरी के मरने से यह न समझा जायगा कि कुरकी ...

(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १२ सफा ४४०).

अदालती नीलाम से पेश्तर की कुल कुरकियों का असर बन्द हो जाय (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १२ सफा ३१७)

बमुकाबले उन तमाम दावा के जिन की अदाई "उस कुरकी की रू से हो सक्ती हो, इस इबारत का यह मतलब है कि अगर डिकरीदार अपना द अजल्य डिकरी पाता है तो उस को शिकायत करने का कोई मौका न होगा या इन्तकाल खानगी से अगर उस के हक में कोई असर न पड़ता हो तो इन्तकाल में कोई रुकावट न होगी (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द सफा ४२१)

जब जायदाद इजराय डिक्री में कुर्क हो व दीगर डिक्रीदारान ने तकर हिस्सा रसदी की दरखास्त दी हो इतने में अगर मदयून डिक्री जायदाद मकरू को रहन करके कुर्क कराने वाले साहूकार का करजा अदा करदे तो कुरकी ब हो जायगी (इ. ला रि मद्रास जिल्द २३ सफा ४७८)—

कुरकी बमुकाबले कुल दुनिया नाजायज न होगी और न वह बमुकाबले द दीगर डिक्रीदारान के (मूर्न इ अपील जिल्द १४ सफा ५४३, वो समझावना)

यह दफा वैसे कुरकी पे भी लागू होगी जो तजवीज के पहले की गई यानी कच्ची कुरकी (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ५३१)—

इस दफा से वे कुल मामलात रद्द न होंगे जिनसे डिक्रीदार को कोई नुकस न पहुंचता हो (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २९ सफा ११६ प्रि कौंसिल)—

यह दफा गैर अहकाम आर्डर नंबर २१ कायदा ८३ समझी जावेगी (मद्रास हाई कोर्ट रिपोट जिल्द ६ सफा ६५)—

अगर इन्तकाल खानगी डिक्रीदार की रजामन्दी से किया जाय और रू स डिक्रीदार का कर्ज अदा किया जाय तो ऐसा इन्तकाल रद्द न होगा (वी रि जिल्द ७ सफा ४३०)—

बमूजिब दफा ७३ तक़सीम हिस्सा रसदी पाने का हकदार होगा, क्योंकि तनखाह मालियत में दाखल है—दफा ६४ के समझावना वो आर्डर न २१ कायदा ४८ में कोई फरक नहीं है [बम्बई ला. रि. जिल्द १४ सफा ६३३]

अगर डिक्री की जुज अदाई की तस्दीक अदालत को की गई हो और वैसी अदाई कुर्क किये हुए रूपया से की गई हो तो इस से यह न समझा जायगा कि कुरकी उठा ली गई [अलाहाबाद ला जर० जि० १० सफा १६५]--

अगर जायदाद मरहूना किसी डिक्री की इजराय में जेर कुरकी होवे जब कि रहन किया गया तो रहन हस्ब दफा ६४ बे असर होगा बमुकाबले हक खरीदार के जिसने इजराय डिक्री के नीलाम में खरीदा-गो वैसे रहन से डिक्रीदार को कोई नुकसान न पहुचा हो (इ के जि० २० सफा २४१)—

यह दफा सिर्फ वैसे इन्तकाल को लागू होगी जो मदयून डिक्री ने किया हो न कि वैसे उजरदार के किये हुऐ इन्तकाल से जिसकी उजरदारी मन्जूर हुई हो— अगर कामयाब उजरदार ने उजरदारी मन्जूर होने की तारीख के बाद और नालिश हस्ब दफा आर्डर न २१ कायदा ६३ दायर होने के पेश्तर इन्तकाल जायदाद किया हो तो दफा ६४ लागू न होगी और वैसा इन्तकाल नाजायज न होगा—[मदरास ला जर जि० २६ सफा ४४१]—

कच्ची कुरकी की सूरत में दुबारा कुरकी की जरूरत न होगी-दफा ६४ की गरज यह है कि कुरकी चालू रहना चाहिये [ला वीं जि० १ सफा १३२]—

कुछ जायदाद इजराय डिक्री में कुर्क की गई और मदयून डिक्री ने उस जायदाद को किसी के यहा रहन करके और रूपया उठा कर वह रूपया अदालत में दाखल किया मगर अदालत में दाखल करने के पेश्तर दूसरे डिक्रीदार ने उसी जायदाद की कुरकी की दरख्वास्त दिया तो ऐसी सूरत में रहन मजकूर बमुकाबले दावा दूसरे डिक्रीदार के [जो कि तक़सीम हिस्सा रसदी का हकदार था] नाजायज समझा जायगा (बरमा ला टा जि० ८ सफा १४)—

(इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द १२ सफा ४४०).

अदालती नीलाम से पेश्तर की कुल कुरकियों का असर बन्द हो जायगा (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १२ सफा २१७).

बमुकाबले उन तमाम दावा के जिन की अदाई **"उस कुर्की की रू से"** हो सक्ती हो, इस इबारत का यह मतलब है कि अगर डिकरीदार अपना दावा अजरूय डिकरी पाता है तो उस को शिकायत करने का कोई मौका न होगा यानी इन्तकाल खानगी से अगर उस के हक में कोई असर न पड़ता हो तो वैसे इन्तकाल में कोई रुकावट न होगी (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द २० सफा ४२१)

जब जायदाद इजराय डिक्री में कुर्क हो व दीगर डिक्रीदारान ने तकसीम हिस्सा रसदी की दरखास्त दी हो इतने में अगर मदयून डिक्री जायदाद मकफूका को रहन करके कुर्क कराने वाले साहूकार का करजा अदा करदे तो कुरकी बंद हो जायगी (इ. ला रि मद्रास जिल्द २३ सफा ४७८)—

कुरकी बमुकाबले कुल दुनिया नाजायज न होगी और न वह बमुकाबले दावा दीगर डिक्रीदारान के (मूर्स इ अपील जिल्द १४ सफा ५४३; वो समझावना).

यह दफा वैसे कुरकी को भी लागू होगी जो तजवीज के पहले की गई हो यानी कच्ची कुरकी (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ५३१)—

इस दफा से वे कुल मामलात रद्द न होंगे जिनसे डिक्रीदार को कोई नुकसान न पहुंचता हो (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ११६ प्रिवी कौंसिल)—

यह दफा गैर अहकाम आर्डर नंबर २१ कायदा ८३ समझी जावेगी (मद्रास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ६५)—

अगर इन्तकाल खानगी डिक्रीदार की रजामन्दी से किया जाय और रूपया से डिक्रीदार का कर्ज अदा किया जाय तो वैसा इन्तकाल रद्द न होगा (वी रिपोर्ट जिल्द ७ सफा ४३०)—

जब किसी उहदेदार सरकारी की तनखाह एक दफे कुर्क होवे और उस की तनखाह की कुरकी दुबारा कुर्क की जाय तो दुबारा कुर्क कराने वाला डिकरीदार

बमूजिब दफा ७३ तक़सीम हिस्सा रसदी पाने का हकदार होगा, क्योंकि तनखाह मालियत में दाखल है—दफा ६४ के समझावना वो आर्डर न २१ कायदा ४८ में कोई फरक नहीं है [बम्बई ला रि. जिल्द १४ सफा ६३३]

अगर डिक्री की जुज अदाई की तसदीक अदालत को की गई हो और वैसी अदाई कुर्क किये हुए रूपया से की गई हो तो इस से यह न समझा जायगा कि कुरकी उठा ली गई [अलाहाबाद ला जर० जि० १० सफा १६५]--

अगर जायदाद मरहूना किसी डिक्री की इजराय में जेर कुरकी होवे जब कि रहन किया गया तो रहन हस्ब दफा ६४ बे असर होगा बमुकाबले हक खरीदार के जिसने इजराय डिक्री के नीलाम में खरीदा–गो वैसे रहन से डिक्रीदार को कोई नुकसान न पहुचा हो (इ के जि० २० सफा २४१)—

यह दफा सिर्फ वैसे इन्तकाल को लागू होगी जो मदयून डिक्री ने किया हो न कि वैसे उजरदार के किये हुऐ इन्तकाल से जिसकी उजरदारी मन्जूर हुई हो—अगर कामयाब उजरदार ने उजरदारी मन्जूर होने की तारीख के बाद और नालिश हस्ब दफा आर्डर न. २१ कायदा ६३ दायर होने के पेश्तर इन्तकाल जायदाद किया हो तो दफा ६४ लागू न होगी और वैसा इन्तकाल नाजायज न होगा—[मदरास ला जर जि० २६ सफा ४४१]—

कच्ची कुरकी की सूरत में दुबारा कुरकी की जरूरत न होगी–दफा ६४ की गरज यह है कि कुरकी चालू रहना चाहिये [ला वी जि० १ सफा १३२]—

कुछ जायदाद इजराय डिक्री में कुर्क की गई और मदयून डिक्री ने उस जायदाद को किसी के यहा रहन करके और रूपया उठा कर वह रूपया अदालत में दाखल किया मगर अदालत में दाखल करने के पेश्तर दूसरे डिक्रीदार ने उसी जायदाद की कुरकी की दरखास्त दिया तो ऐसी सूरत में रहन मजकूर बमुकाबले दावा दूसरे डिक्रीदार के [जो कि तक़सिम हिस्सा रसदी का हकदार था] नाजायज समझा जायगा (बरमा ला टा जि० ८ सफा १४)—

नीलाम.

दफा ६५ अगर कोई जायदाद गैर मनकूला इजराय
खरीदार का हक. डिकरी में नीलाम की जाय और ऐसा नीलाम कतई हो जाय, तो खरीदार का हक जायदाद में उस वक्त से मौजूद होना समझा जायगा जब कि जायदाद नीलाम हुई न कि उस वक्त से जब कि नीलाम कतई हुवा

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३१६ से बहुतमा तरमीमों के साथ कायम की गई है.

जायदाद गैरमनकूला का नीलाम कब कतई होता है इसके लिये देखो आर्डर नं २१ कायदा ९२—जब तक खड़ी फसल के हक की निस्बत इश्तिहार नीलाम में कोई खास जिकर दीगर तौर का न हो तो आम कायदा यह है कि वैसा हक जमीन के साथ २ खरीदार को पहुंचगा [इ ला रि मदरास जि० १३ सफा १५]—

खरीदार का हक निस्बत मुनाफा उस वक्त तक नहीं पहुंचेगा जब तक कि नीलाम मन्जूर न होवे (इ ला. रि अलाहाबाद जि० ३३ सफा ६३)—

अगर खरीदार ने सार्टिफिकट नीलाम लेने में चूकी किया है तो ऐसी चूकी से उस के हक में कोई नुकसान न पहुंचेगा (इ. । के जि० २५ सफा ८)—

खरीदार नीलाम का हक तारीख नीलाम से शुरू होता है और वैसा हक तारीख मन्जूरी नीलाम से मुकम्मिल हो जाता है (मदरास वी. नो सन १९१५ सफा १५)—

दफा ६६. (१) कोई नालिश किसी ऐसे शख्स के बरखिलाफ सुनाई के लायक न होगी जो अदालत से इस तरह तसदीक शुदा खरीद के जारिये जो मुकर्रर की गई हो, इस बिना पर कि वह खरीदी मुद्दई के तरफ से या किसी ऐसे शख्स की तरफ से, जिस के जरिये से मुद्दई दावा

नालिश बनाम खरीदार इस बिना पर कि खरीद मुद्दई की तरफ से हुई है काबिल समाअत न होगी

वारना है, की गई थी.

(२) इस दफा की कोई इबारत ऐसी नालिश की रुकावट न करेगी जो बाबत इस्तकरार इस अमर के दायर की जाय कि नाम किसी खरीदार का जिस की निसबत ऊपर लिखे मुताबिक तसदीक हो चुकी है, साथ फरेब या बिला रजामन्दी असल खरीदार के दर्ज किया गया है-और न इस दफा की कोई इबारत किसी तीसरे शख्स के ऐसे हक में दस्तनदाजी करेगी जिस के रूसे उसे जायदाद मजकूर के निसबत कार्रवाई करने का हक हासिल है, गो वह जायदाद खरीदार सरटिफिकट पाने वाले के हाथ जाहिरा में बेची गई हो, इस बिना पर कि जायदाद मजकूर तीसरे शख्स मजकूर के दावे अदा करने की बरखिलाफ मालिक असली के जिम्मेदार है

तशरीह:—इस दफा का बहुतसा हिस्सा नया कायम किया गया है, और बाकी का हिस्सा पुराने मजमूआ की दफा से लिया गया है, इस की इबारत से यह मतलब निकलता है कि सरटिफिकट पाया हुवा खरीदार वो उस के वारसान और कायम मुकामान के बरखिलाफ इस बिना पर कोई नालिश दायर न हो सकेगी कि नीलाम बेनामी था

मगर यह दफा ऐसी सूरतों में लागू न होगी कि जिन में किसी हिन्दू शामिल शरीक खानदान का शरीकदार अपने ही नाम कोई जायदाद खरीद करे दीगर शरीकदार लोग भी वैसी जायदाद को बतौर जायदाद शामलाती तसौव्वर करके इस बिना पर दावा कर सक्ते हैं कि यह जायदाद शामलाती खान दान के लिये खरीद की गई है (देखो वी रि जिल्द १६ सफा ३५६ वो इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द २६ सफा ५५७ वो मदरास जिल्द २० सफा ३४६)

इस दफा की गरज के लिये यह जरूर नहीं है कि सरटिफिकट दरअसल अता किया गया हो, बलकि सिर्फ यह काफी समझा जायगा कि अदालत ने सरटिफिकट देने का हुक्म सादिर किया (वी रि. जिल्द २५ सफा ४६३) जो सरटिफिकट दौरान कार्रवाई किसी नालिश के हासिल किया जाय वह इस दफा की मनशा के बमूजिब काफी समझा जायगा (देखो इ ला रि अलाहाबाद

जिल्द ५ सफा ४७८)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह राय करार दी है कि जब कोई सच्चा मालिक तारीख खरीदी से बराबर काबिज बना रहे तो वह सरटिफिकट पाये हुये खरीदार या उस के कायम मुक़ाम के बरखिलाफ नालिश इसतक़रार हक की दायर कर सक्ता है (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा १६६ वो कलकत्ता जिल्द २३ सफा ६६६)

जब किसी शख्स बेनामीदारका नाम असली खरीदार की मनशा के खिलाफ सरटिफिकट में दर्ज नहीं किया गया है तो ऐसे असली खरीदार की तरफ से नालिश बाबत इसतकरार उस के हक के सुनाई के लायक न होगी (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २३ सफा १७५)

पुरानी दफा के लिये देखो दफा ३१७ यह करार देने के लिये नालिश इस दफा के रू से चल सकेगी कि जो खरीदी मुद्दई के वकील ने दूसरे शख्स के नाम से की है वह दर असल मुद्दई के फायदे के लिये है (इ ला. रि. कलकत्ता जि० २३ सफा ८०५)

बेनामी तस्दीक शुदा खरीदार अपने नाम से नालिश कर सकेगा गो असली मालिक का नाम जाहर हो गया हो (इ. ला रि बम्बई जिल्द २२ सफा ६७६)

जब शामलाती डिकरीदार बोली बोलने की मन्जूरी हासिल करके जायदाद मरहूना को उस ने रुपया में खरीद ले जितने रुपया की डिकरी की है, तो दूसरा शामलाती डिकरीदार इस बात की नालिश दायर कर सक्ता है कि खरीदी हुई जायदाद उस की वो खरीदार की शामलाती जायदाद करार दी जावे—(इ. ला रि अलाहाबाद जि० २१ सफा ५५७)

जब बेनामीदार का नाम खिलाफ मर्जी असली मालिक के दर्ज न किया गया हो तो असली मालिक अपने हक की नालिश न कर सकेगा [इ ला. रि अलाहाबाद जि० २३ सफा १७५]—और न वह ऐसे इकरार पर भरोसा कर सकेगा जो बेनामी दार ने किया हो कि खरीदने के बाद जायदाद मैं तुम को दे दूगा —(अलाहाबाद वी नो जि)

अगर जायदाद मुख्त्यार ने अपने रूपया से यह समझ कर खरीदी हो कि मालिक मेरा रूपया मुझे दे देगा और सरटिफिकट भी उसी के नाम से यानी, मुख्त्यार के नाम से मिला हो तो ऐसी सूरत में मालिक की तरफ से नालिश चल सकेगा—(इ ला रि मदरास जि० १७ सफा ८८२)

अगर मुख्त्यार यह इकरार करे कि खरीदी के बाद जायदाद मै मालिक को दे दूगा तो भी नालिश मालिक की वास्ते दिला पाने कब्जा चल सकेगी (इ. ला रि मदरास जि० १८ सफा ४३६)

अगर खरीदार खरीदी के बाद कबूल करे कि मैं सिर्फ बेनामीदार हू, और मैंने जायदाद दूसरे शख्स के लिये खरीदा है और अपना कब्जा छोड़ दे, या कोई ऐसा फैल करे जिस से जाहर हो कि उस ने अपना हक छोड दिया या उस का इरादा जायदाद असली मालिक को वापिस करने का है तो ऐसा फैल बतौर इन्तकाल जायज के समझा जावेगा—और असली मालिक जिस के लिये जायदाद खरीदी गई नालिश दायर करने का हकदार होगा—(इ. ला रि मदरास जि० ११ सफा २३४)

इसी किस्म की राय हाई कोर्ट कलकत्ता वो बम्बई की है—(इ ला रि. कलकत्ता जि० १४ सफा ५८३) बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट जि० १० सफा ३४४)

मगर हाई कोर्ट अलाहाबाद की राय इस के खिलाफ है— इ. ला रि अलाहबाद जि० २२ सफा १७५)

असली मालिक का साहूकार ऐसी नालिश में जो वह सरटिफिकट वाले खरीदार पर दायर करे यह साबित कर सक्ता है कि खरीदी असली मालिक के लिये बतौर बेनामी थी-(इ ला रि अलाहाबाद जि० २१ सफा २६)

एक जायदाद पर दो रहन का बोझ था, यानी एक सन १८८१ ई० का दूसरा सन १८८२ ई० का—हक इनाफिकाक नकद रूपया की डिकरी की इजराय में मुसम्मी (अ) को बेचा गया— सन १८८२ ई० के रहन की नालिश दायर की गई, मगर (अ) फरीक नालिश नहीं बनाया गया —जायदाद; (ब) ने खरीदी (ब) ने सन १८८१ ई० के रहन के इनाफिकाक की नालिश इस बयान के साथ दायर किया कि (अ) की खरीदी राहिन के लिये बतौर बेनामी थी—

तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि (ब) अपने वैसे बयान की सबूती दे सक्ता है, और उस की नालिश चल सक्ती है (इ ला रि. । मदरास । जि० २० सफा ३६२)

यह दफा वैसी सूरत में लागू न होगी जब कि कई डिक्रीदारान में से एक ने बोली बोलने की इजाजत हासिल करके सब के तरफ से खरीदा हो (अलाहाबाद ला. जर जि० ८ सफा ६१६)

अगर मुर्तहन का हक बजरिये राहिन पहुचा हो तो वह मुर्तहन इस बात के करार दिये जाने की नालिश नहीं कर सकेगा कि जायदाद मरहूना का खरीदार राहिन का बेनामी दार था, और उस ने निज के लिये नहीं खरीदा (इ. ला. रि अलाहाबाद जि० ३३ सफा ३८२)

यह दफा खरीदार के कायम मुकाम वो हवालेदार को भी लागू होगी- (मदरास ला. जर. जि० २३ सफा ३०१)

न चल सकेगी (इ. के. जि. ३८ सफा १२६)—

ऐसी सूरत में भी लागू होगी जब कि कब्जा रखने वाला शख्स यह बयान करता हो कि खरीदी दर असल उसी के लिये की गई थी और वह अपना हक करार दिये जाने के लिये नालिश करे—(इ. के. जि० २९ सफा ७८७)—

दफा ६७ नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल की मंजूरी पेश्तर से लेकर लोकल गवर्नमेंट को अख्त्यार है कि बजरिये इश्तहार मुन्दरजे मुकामी गजट सरकारी के कायदे किसी रकवा मुकामी के निसबत बनावे, और ऐसी शरायत मुकर्रर करे कि जो जर नक्द की डिक्रीयों के इजरा में जमीन के किसी किसम के हक को नीलाम करने की निसबत हो जब कि वे हकूक ऐसे गैर मुकर्रा और गैर तहकीक हों कि लोकल गवर्नमेंट की राय में उन की मालीयत का मुकर्रर करना गैर मुमकिन हो

अख्त्यार लोकल गवर्नमेंट निस्बत बनाने कायदे मुताल्लिक नीलाम जमीन बइल्लत इजराय डिक्री जर नक्द

(२) जब उस तारीख को कि जब यह मजमूआ किसी मुकामी रकवा में अमल में आया, कोई खास कायदे मुताल्लिक नीलाम जमीन बइल्लत इजराय डिक्री रकवा मजकूर में जारी हों तो लोकल गवर्नमेंट को यह अख्त्यार है कि बजरिये इश्तहार मुन्दरजे मुकामी गजट सरकारी के करार दे कि वैसे कायदे जारी हैं, या नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल की मन्जूरी पेश्तर से लेकर बजरिये वैसे इश्तहार कायदे मजकूर को तरमीम करे

इस तहेती दफा के रू से जो अख्त्यारात बख्शे गये हैं उनके अमल से जो इश्तहार जारी हो उसमें कायम शुदा या तरमीम शुदा कायदे दर्ज रहेंगे

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२७ से कायम की गई है—

इस दफा में फिकरा (२), एक्ट न १ सन १९१४ ई० (यानी मज० जा० दी० का तरमिम करने वाला एक्ट)—के रू से बढ़ाया गया है.

जो कायदे इस दफा के रू से बनाये जायें उनका असर पीछे की तारीख से न होगा—(इ. ला. रि बम्बई जि० १५ सफा ३२२)—

दिया जाना अख्त्यार इजराय डिकरी निसबत जायदाद गैर मनकूला का साहेब कलक्टर को.

दफा ६८. साहब कलेक्टर के पास डिक्रा मुन्तकिल करने के कायदे बनाने का अखत्यार **लोकल गवर्नमेंट को अख्त्यार है कि नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल की मंजूरी पेश्तर से हासिल करके बजरिये इश्तहार मुन्दर्जे गजट मुकामी सरकारी के जाहिर करे कि फलां इलाका अरजी मे इजरा डिक्रियों का उन मुकदमात मे, जिन मे अदालत के हुक्म से कोई जायदाद गैर मनकूला नीलाम होने वाली हो, या इजरा किसी खास किस्म की डिकरी का मिन जुमला ऐसी डिक्रियों के, या इजरा डिक्रियों का जिन मे हुक्म नीलाम किसी खास किस्म की जायदाद गैर मन कूला या हक वाके जायदाद गैर मनकूला का दिया गया हो, कलेक्टर के पास मुन्तकिल किया जाय.**

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२० के फिकरा अव्वल से कायम की गई है.

इस दफा की असली गरज यह है कि पहले अकसर पुराने रईस जमीदार वो माल्गुजारों के गाव वो जमीन कर्जा में नीलाम होकर साहूकारों के यहा पहुच जाती थी, वह कार्रवाई काबिल मसलहत नहीं पाई गई, इस लिये अब नये मजमूआ के रू से साहब कलेक्टर को कुछ ऐसे अख्त्यारात बख्शे गये हैं कि जिन से मालगुजारों वो रईसों के कर्जा की अदाई होकर उन की जायदाद गैर मनकूला उन के खानदान में कायम रह सके—देखो दफा ६८, ७०, ७१, ७२ वो जमीमा ३.

जब डिकरी साहब कलेक्टर के पास वास्ते इजराय अदालत दीवानी से मुन्तकिल हो तो साहब कलेक्टर उस की इजराय हस्ब अहकाम दफा १, ४, ५, ६, जमीमा ३ वो दफा ७०, ७१, ७२, मजमूआ जाब्ता दीवानी के करेंगे—(इ.

ला. रि अलाहाबाद जिल्द ११ सफा ६५; इजलास कामिल).

अदालत को अपनी मिसल वापिस बुलाने का अख्त्यार है जो साहब कलेक्टर को वास्ते कार्रवाई इजराय भेजी गई–(इ ला. रि बम्बई जिल्द ७ सफा ३२६)

अदालत को कलेक्टर की कार्रवाई पर निगरानी करने का अख्त्यार है–(इ ला. रि. बम्बई जिल्द ८ सफा ३०१)

अगर साहब कलेक्टर नीलाम होने के बाद खरीदार को सार्टिफिकट नीलाम देवे, और खरीदार अदालत दीवानी को वास्ते कब्जा पाने की दरखास्त देवे तो अदालत को यह देखने का अख्त्यार है कि नीलाम में दर असल क्या कार्रवाई हुई थी–(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा ४०७)

अदालत दीवानी में नालिश निसबत मंजूरी नीलाम जो कलेक्टर साहब ने किया है चल सकेगी, इसी तरह नालिश वास्ते कराने मनसूख ऐसे हुक्म के जिस से नीलाम रद किया गया है, चल सकेगी–(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द २९ सफा ३५५).

अपील—हाई कोर्ट में अपील बनाराजगी ऐसे हुक्म कलेक्टर न हो सकेगी जो साहब कलेक्टर ने कार्रवाई इजराय डिकरी में जो उस के पास मुन्तकिल हुई, सादिर किया हो–(इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ५ सफा २४४ इजलास कामिल)

जमीमा ३ के अहकाम का ताल्लुक

दफा ६९. अहकाम मुन्दर्जे जमीमा ३ कुल सूरतों से मुताल्लिक होंगे जिन में इजरा किसी डिक्री का पिछली दफा के बमूजिब मुन्तकिल किया जावे

तशरीह:—यह दफा नई कायम की गई है

कवायद जाब्ता

दफा ७०. (१) लोकल गवर्नमेंट को अख्त्यार है कि मुताबिक अहकामात जो पहले दर्ज हो चुके हैं, कवायद बनावें.

(क) निसबत भेजने डिकरी अदालत से बइजलास साहेब कलेकटर को, और मुकर्रर करने तरीक जाब्ता

के जिस की पाबन्दी इजराय डिकरी के वक्त कलेकटर और उस के मातहतों पर वाजिब होगी—और निसबत इस के कि डिकरी कलेक्टर के पास से अदालत में वापिस की जाय.

(ख) निसबत इस के कि साहब कलेक्टर या किसी गजट शुदा मातहत साहेब कलेक्टर को वह कुल या बाज अखत्यारात दिये जाये जिन को अदालत इजरा डिकरी में अमल में ला सक्ती, अगर डिकरी कलेक्टर के पास मुन्तकिल न हुई होती.

(ग) निसबत इस के कि जो अहकाम कलेक्टर की तरफ से या किसी गजट शुदा मातहत साहब कलेक्टर के सादिर किये जायें, या जो अहकाम बसीगा अपील अहकाम मजकूर पर सादिर किये जायें, उन की अपील और नजरसानी बड़े हाकिम माल के पास जहां तक मुमकिन हो उसी तरीके पर होगी, जिस तरह उन हुक्म की अपील और नजरसानी, जिन को अदालत सादिर करे, या उन को जो बसीगे अपील अहकाम मजकूर के निसबत सादिर हो मजमूआ हाजा या किसी दूसरे कानून के जो उस वक्त जारी हों, उस के बमूजिब अदालत अपील या नजरसानी में दायर होती, अगर डिकरी साहेब कलेक्टर के पास मुन्तकिल न हुई होती.

अखत्यार समाअत अदालत दीवानी की रोक.

(२) जो अखत्यारात शिकमी दफा [१] के बमूजिब बनाय हुए कायदों के रूसे साहेब कलेकटर या किसी गजट शुदा मातहत साहेब कलेकटर को दिये गये हैं, या किसी हाकिम अपील या नजरसानी को अता हुये हैं, उन की तामील कोई अदालत, या कोई अदालत जो हुक्म या डिकरी के अपील के निसबत अखत्यारात अपील या

नजरसानी का अमल में लाती हो, नहीं कर सकेगी.

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२० के फिकरा (२) (३) वो (४) से कायम की गई है.

इस दफा में कायदा बनाने का अख्त्यार दिया गया है—अगर कोई मामला इश्तहार के रू से साहब कलेक्टर के पास वास्ते कार्रवाई भेजा जाने तो फिर उस में दस्तनदाजी करने का अखत्यार अदालत दीवानी को न होगा—पस अगर बजरिये इश्तहार यह करार दिया जाय कि डिकरी नीलाम जायदाद खानदानी वास्ते इजराय साहब कलेक्टर को मुतकिल की जाय तो वैसी जायदाद का नीलाम बजरिये अदालत दीवानी काबिल रद होगा, क्योंकि इश्तहार के रू से अखत्यार इजराय डिकरी अदालत दीवानी को नहीं रहता, और वैसा अखत्यार साहब कलेक्टर को पहुच जाता है—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ४ सफा ३८२.)

इसी तरह अगर इजराय डिकरी का अख्त्यार साहब कलेक्टर को मुन्तकिल किया जाय तो मुन्तकिल करने वाली अदालत को नीलाम मुल्तवी करने का अखत्यार न होगा, वैसा अखत्यार साहब कलेक्टर को होगा—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २२ सफा १०८, १११)

इसी तरह अगर डिक्री वास्ते इजराय साहब कलेक्टर को मुन्तकिल की गई हो और उस डिकरी का तसफिया हुआ हो तो दरखास्त आर्डर न २१ कायदा १ वास्ते दर्ज कराने तस्फिया साहब कलेक्टर को होगी, न कि अदालत दीवानी को—(इ ला रि. बम्बई जिल्द ३५ सफा ५१६)

अगर साहब कलेक्टर मुन्तकिल हुई डिकरी की इजराय में कोई रूपया वसूल करें तो वह उस रूपया को खिलाफ हुक्म अदालत वो खिलाफ तरीका जो अदालत ने बतलाया हो, तकसीम न कर सकेंगे—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १६ सफा १)

नालिश निस्बत मन्सूखी ऐसे हुक्म के चल सकेगी जो साहब कलेक्टर ने अपने अखत्यारात से बाहर या जियादा सादिर किया हो—(इ ला रि. बम्बई जि० १९ सफा २१६)

साहब कलेक्टर के हुक्म की अपील हाई कोर्ट में न होगी बलकि ऐसे हाकमान माल के पास होगी जो लोकल गवर्नमेंट ने कायदे के रू से मुकर्रर किये हों—[बम्बई ला. रि. जि० ७ सफा ६८२]

कलकटर की कार्रवाई मिसल कार्रवाई अदालत दीवानी के समझी जायगी.

दफा ७१. किसी ऐसे डिकरी के इजरा में, जो कलेक्टर के पास दफा ६८ के बमूजिब मुन्तकिल की जाय साहब कलेकटर और उन के मातहत कार्रवाई अदालती (दीवानी) करते हुये समझे जायेंगे

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२०, के फिकरा [५] से कायम की गई है.

यह दफा इस गरज से बनाई गई है ताकि साहब कलेक्टर वो उन के मातहत उहदेदार एक्ट हिफाजत हाकमान अदालत न. १८ सन १८५० ई० से फायदा पाने के हकदार समझे जावें, यानी, साहब कलेक्टर वो उन के मातहत उहदेदारों पर नालिश दीवानी किसी ऐसे फेल के सबब से न चल सकेगी, जो उन्हों ने अपने कार मनसबी के अनजाम में किया हो, या करवाया हो।

किस हालत में कलकटर को अदालत नीलाम मुलतवी करने की इजाजत दे सक्ती है.

दफा ७२ (१) जब किसी रकबा मुकामी में, जिस के लिये दफा ६८ की मनशा के मुताबिक कोई इश्तहार जारी न हो कुरक की हुई जायदाद, जमीन या हिस्सा जमीन के किस्म से हो, और अगर कलकटर अदालत को यह राय लिख भेजे कि आराजी या हिस्सा आराजी का नीलाम करना मुनासिब नहीं है, और वसूली जर डिकरी एक मुनासिब मियाद के अन्दर इस तरह मुमकिन है कि आराजी या हिस्सा मजकूर थोडे रोज के लिये मुन्तकिल की जाय, तो अदालत, साहब कलकटर को इजाजत दे सक्ती है कि नीलाम आराजी या हिस्सा मजकूर के एवज में अपने सिफारिश किये हुये तरीके से डिकरी के वसूल करने का बन्दोबस्त करें.

(२) हर ऐसी सूरत में अहकाम दफा ६९ से ७१ तक

और इन दफाओं के मुताबिक बनाय हुये कायदे, जहां तक मुताल्लिक हो सके, लागू किये जायंगे

तसरीह --यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२६ से कायम की गई है, और इस दफा की रू से जो अख्तयारात अदालत को दिये गये हैं वे बाद सुने उजरात फरीकैन के अमल में लाये जा सके हैं—[इ० ला रि कलकत्ता जिल्द ९ सफा २९०]—जो इस दफा की रूस शर्तें डिक्री की तबदील नहीं हो सक्ती जिस से डिक्री के रूप्या की अदाई जरिये किस्तबदी कर दी जावे, बल्कि बजरिये इन्तकाल चन्द रोजा जायदाद को बचाने की मनशा है (इ ला रि० बम्बई जिल्द ३१ सफा १२०)—इजराय डिक्री के बाखिलाफ मियाद का दौर शुरू न होगा, जब तक कि जायदाद कलकटर के इन्तजाम में बनी रहे (इ० ला रि० अलाहाबाद जिल्द २० सफा ३८३.)

यह दफा सिर्फ इजाजती है—मतलब यह है कि अगर डिक्रीदार शहादत से या बहेस से अदालत दीवानी को यह इतमीनान दिलाने के लिये तैयार है कि साहब कलेक्टर की सिफारिश गैर मुमकिन है तो अदालत डिक्रीदार की वैसी शहादत या बहेस सुन्ने से इन्कार न करेगी—(इ ला रि कलकत्ता जि० ९ सफा २९०)—

इस दफा से सिर्फ "इन्तकाल चन्द रोजा" मुराद है—इस का यह मतलब नहीं है कि कब्जा मदयून डिक्री का बना रहे और कर्जा की अदाई बजरिये किस्तबदी की जाय (अलाहाबाद हाई कोर्ट जि० सफा ३०)—

तकसीम मौजूदात.

दफा ७३. (१) अगर नीलाम से आया हुवा रुप्या अदालत में जमा हो, और एक से ज्यादा शख्सों ने वैसी रकम के वसूल करने के लिये, अदालत में पेश की हैं, जो एक ही मदयून डिक्री के ऊपर सादिर हुई हैं, और उन डिक्रीयों की वसूली न पा चुके हों, तो वसूल हुवा रुप्या

हिस्सा तकसीम रसदी मौजूदात इजरा दरम्यान डिक्रीदारान

डिक्री अदा किया, मगर पहले, दरख्वास्त वास्ते जारी नहीं है, फिर अपनी डिक्रीयां जर नकद अदालत में पेश की रुप्या कुर्क शुदा और फिर कलक्टर

इजराय की दरखास्त दर असल आर्डर न. २१ कायदा ११ में बतलाये हुए नमूने पर वैसी अदालत में गुजरानी है जिस के पास मौजूदात जमा है (इ. ला रि. बम्बई जिल्द ५ सफा १६८, २०१)

(अ) कि डिकरी (ब) पर अदालत सब-जज दरजा अव्वल से हुई और (ब) की कुछ जायदाद उसी अदालत से कुर्क की गई–(क) ने भी अपनी डिकरी (ब) पर अदालत सब-जज दरजा दोयम से हासिल करके उस अदालत यानी अदालत सब-जज दरजा दोयम में दरखास्त इजराय वास्ते कुरकी वो नीलाम उसी जायदाद के दिया जिस जायदाद की कुरकी अदालत सब जज दरजा अव्वल ने (अ) डिकरी में की थी–वह जायदाद अदालत सब-जज दरजा अव्वल से (अ) की डिकरी में नीलाम होकर उस का रूप्या वसूल होकर उसी अदालत में जमा हो गया- (क) को चाहिये था कि अपनी दरखास्त इजराय डिकरी अदालत सब जज दरजा अव्वल में देता न कि अदालत सब-जज दरजा दोयम में-चूंकि उस ने ऐसा नहीं किया इस लिये वह (अ) के साथ तकसीम हिस्सा रसदी पाने का हकदार न होगा और नतीजा यह होगा कि नीलाम का कुल रूप्या (अ) की डिकरी की अदाई में खर्च किया जावेगा और (क) को कुछ न मिलेगा (इ ला रि. बम्बई जिल्द १८ सफा ४५६).

ऊपर की नजीर में अगर यह मान लिया जाय कि (क) ने इजराय डिकरी की दरखास्त अदालत सब-जज, दरजा अव्वल में दिया तो भी वह हस्ब राय हाई कोर्ट बम्बई तकसीम हिस्सा रसदी का हकदार न होगा जब तक कि वह अपनी डिकरी पेश्तर से सब-जज दरजा दोयम की अदालत से सब-जज दरजा अव्वल की अदालत में मुन्तकिल न कराता (इ ला. रि. बम्बई जिल्द १६ सफा ६८३) -मगर हाई कोर्ट कलकत्ता वो बम्बई की यह राय है कि डिकरी को इजराय के लिये वैसा मुन्तकिल कराना कुछ जरूर नहीं है (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २१ सफा २००, इ. ला. रि. मदरास जिल्द ३५ सफा ५६८, ५८९, ५९०)

दरखास्त इजराय डिक्री कब दी जावे:—दरखास्त इजराय डिक्री अदालत में माल जमा होने के **पेश्तर** देना चाहिये, अगर **बाद** में दी जावेगी तो तकसीम हिस्सा रसदी पाने का हक न पहुचेगा (इ ला रि मद्रास.

जि. ११ स० ७२).

डिक्री या नीलाम का कुछ रुपया मसलन २५) रूपया सैकड़ा अदालत में दाखल करने से यह न समझा जायगा कि पूरा रूपया दाखल किया गया—इस लिये अगर डिक्रीदार पूरा रूपया दाखल होने के पेश्तर दरखास्त इजराय डिक्री देवे तो यह हिस्सा रसदी पाने का हकदार होगा. गो उसकी दरखास्त २५) रू० सैकड़ा जमा होने के बाद पेश हुई हो [इ. ला रि कलकत्ता जिल्द १८ सफा २४२]

अगर दरखास्त इजराय डिकरी पूरा रूप्या जमा होने के बाद मगर नीलाम मन्जूर होने के पेश्तर दी जावे तो डिकरीदार हिस्सा रसदी पाने का हकदार न होगा क्योंकि सवाल माल जमा होने के बाद या पेश्तर का है न कि नीलाम मन्जूर या बर्तई होने के बाद या पेश्तर का है [इ ला रि. बम्बई जिल्द ६ सफा १६],

इसी तरह अगर जायदाद कई टुकड़ों में नीलाम की जावे तो जब सब टुकड़ों का रूप्या अदालत में जमा हो जावे तब समझा जावेगा कि माल या मौजूदात अदालत में जमा हुई—एक या दो टुकड़े के नीलाम का रूप्या जमा होने से यह न समझा जावेगा कि कुल टुकड़ों का रूप्या जमा हुवा [इ ला रि जिल्द २१ सफा ७३]— लेकिन अगर जायदाद लाट से नीलाम की जाय और चंद लाट नीलाम हुऐ हो और चद लाट नीलाम को बाकी हों तो जिन लाटों का रूपया वसूल हो गया है वह काबिल तकसीम हिस्सा रसदी होगा (इ. ला रि मदरास जिल्द २६ सफा १८९)

यह जरूर नहीं है कि तकसीम हिस्सा रसदी की दरखास्त का नोटिस (यानी इतला) दीगर डिक्रीदारों को दिया जावे (इ ला. रि अलाहाबाद जि० २७ सफा १३२)—

माल जो अदालत के पास जमा है—इस दफा की रू से मदयून का कुल माल या मौजूदात जो अदालत के पास जमा है काबिल तकसीम हिस्सा रसदी होगा चाहे वह नीलाम मुताबिक इजराय डिक्री या दीगर तौर से वसूल हुवा हो या न हुवा हो (अ) की डिक्री (ब) पर थी (ब) की कुछ जायदाद (अ) ने कुर्क कराई—(क) की भी डिक्री (ब) पर है

उस ने (क) ने दरखास्त इजराय डिक्री दिया, और उसी जायदाद की कुरकी वो नीलाम कराना चाहा—(ब)ने अपनी जायदाद (प) को आपसी में बेच कर (अ) की डिक्री का रूपया अदालत में बमूजिब आर्डर नं. २१ कायदा ५५ दाखल किया—(अ) ने वह रूपया जो (ब) ने जमा किया था—पाने की दरखास्त दिया—(क) ने भी हिस्सा रसदी पाने का दावा किया—तो ऐसी सूरत में हाल की दफा के मुताबिक (क) को हिस्सा रसदी मिल सकेगा गो पुरानी दफा के मुताबिक उसको न मिलता—सबब यह है कि हाल की दफा में अदालती नीलाम या आपसी नीलाम की कोई कैद नहीं है—(इ. ला. रि. मदरास जि० २८ सफा ३८०)—

जायदाद मकरूका नीलाम होने के पेश्तर अगर मदयून डिक्रीदार का रूपया राजी खुसी से अदालत में जमा करदे तो वैसा रूपया पुरानी दफा के मुताबिक काबिल तकसीम हिस्सा रसदी न था, मगर अब हाल की दफा के वह काबिल तकसीम हिस्सा रसदी है—(अ) की डिक्री (ब) पर २००० रूपये की है, (ब) की जायदाद इजराय में कुर्क की गई और (ब) ने डिक्री का रूपया यानी २००० रूपया अदालत में जमा कर दिया दीगर डिक्री दारान वैसे रूपया में से हिस्सा पाने के हकदार होंगे अगर उन्होंने दरखास्त इजराय डिक्री अदालत में रूपया जमा होने के पेश्तर कर दी थी (इ. ला. रि अलाहाबाद जि० ८ सफा ६७)—

अगर मदयून इजराय डिक्री में गिरफ्तार हुवा हो और वह डिक्रीदार का रूपया राजी खुसी से जमा करदे तो ऐसा रूपया हाल की दफा के मुताबिक काबिल तकसीम हिस्सा रसदी होगा, गो पुरानी दफा के मुताबिक वह वैसा काबिल तकसीम न था—(इ. ला. रि बम्बई जि० ६ सफा ५८८)—

हाल के एक मुकदमा में हाई कोर्ट बम्बई की यह तजवीज करार पाई है कि जो रूपया मदयून बमूजिब आर्डर न. २१ कायदा ५५ राजी खुशी से अदालत में जा[illegible] करदे वह काबिल त[illegible] हिस्सा रसदी न होगा—(इ. ला. रि. बम्ब[illegible] ज० [illegible] ५६ [illegible]

इसी तरह की [illegible] (इ[illegible] ला रि. मदरास

जि० ३८ सफा २२१,२२४)— मगर हाई कोर्ट कलकत्ता की राय इसके खिलाफ है (इ ला. रि कलकत्ता जि० ४० सफा ६१६, ६२२).

नक्द रूपया की डिक्री—सिर्फ नक्द रुपया के डिक्रीदारान तकसीम हिस्सा रसदी के हकदार होंगे–मुनाफा की डिक्री बतौर नक्द रूपया के डिक्री के समझी जायेगी गो मुनाफा की रकम तहकीक (मालूम) न हुई हो–ऐसा डिक्रीदार दूसरे डिक्रीदारों के साथ हिस्सा रसदी पाने का हकदार होगा–(इ ला. रि मदरास जि० ५ सफा १२३)—

डिक्री रहन भी बतौर नक्द रूपया के डिक्री के समझी जावेगी अगर उस रहन के रू से मुर्तहन को जर रहन "जायदाद मरहुना से वो मुराहलेह की जात से" वसूल करने का हक है–(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ११ सफा ७१८ इ. ला रि मद्रास जिल्द २० सफा १०७)—

अगर पूरा जर रहन जायदाद मरहूना के नीलाम से वसुल न हो सके तो बाकी जर रहन की डिक्री बमूजिब दफा ६० एक्ट इन्तकाल जायदाद (आर्डर नम्बर ३४ कायदा ६)बतौर डिक्री नकद रूपया के समझी जावेगी (इ. ला. रि. मदरास जि० २५ सफा २४४, २८६, २८७)—

अगर डिक्री इकजाई तीन शख्सों पर हुई हो और उसके रू से दो शख्सों की जायदाद मरहूना के नीलाम का हुक्म हो मगर तीसरे शख्स की कोई खास जायदाद नीलाम होने का हुक्म न हो तो वह डिक्री खिलाफ वैसे तीसरे शख्स के बतौर नकद रूपया के डिक्री के समझी जावेगी (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १० सफा ३७)—

तजवीज हस्ब दफा दफा ८६ एक्ट दिवालिया बतौर डिकरी नक्द रूप्या के होगी (इ ला. रि बम्बई जिल्द ८ सफा ५११)

मदयून वही हो—इस दफा के अहकाम लागू न होंगे अगर मदयून वही न हो–अगर (अ) की डिकरी (ब) पर हो और (क) की डिकरी (ब) और (म) पर हो तो (क) हिस्सा रसदी पाने का हकदार हो सकेगा इस से कुछ मतलब नहीं कि [क] की डिकरी (म) पर भी है (इ.

ला रि इलाहाबाद जिल्द १० सफा ३५).

(अ) कि डिकरी तीन शख्सों पर इकजाई थी और उस ने उन तीनों की शामलाती जायदाद कुर्क कराया (ब) की डिकरी उन तीनों शख्सों में से एक पर थी तो (ब) बकदार हिस्सा जो उस एक शख्स का शामलाती जायदाद में था, हिस्सा रसदी पाने का हकदार होगा—इसी तरह अगर (ब) की डिकरी उन तीन शख्सों में से दो पर हो तो वह बक़दर हिस्सा जो उन दो शख्सों का जायदाद शामलाती में था हिस्सा रसदी पाने का हकदार होगा (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ३० सफा ५८३).

मदयून का कायम मुकाम जायजः— अगर शख्स की डिकरी खुद मदयून पर हो और दूसरे शख्स की डिकरी मदयून के मरने के बाद मदयून के कायम मुकाम जायज पर हो तो मदयून जुदे २ शख्स समझे जावेंगे (इ. ला. रि बम्बई जिल्द २५ सफा ४१४, इ ला. रि मद्रास जिल्द ३१ सफा ४६५)—मगर हाई कोर्ट कलकत्ता की राय इस के खिलाफ है (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ११ सफा ७२८).

कच्ची कुरकीः— डिकरीदार जिसने तजवीज के पहले कुरकी कराया है तकसीम हिस्सा रसदी का हकदार न होगा जब तक कि वह तजवीज के बाद दूसरी दरखास्त वास्ते इजराय बमूजिब आर्डर न २१ कायदा ११ न देवे आर्डर न ३८ कायदा ११ लागू न होगा (इ ला. रि. बम्बई जिल्द १२ सफा ४००).

नालिश बमूजिब दफा ७३ (२)— ऐसी नालिश बतौर नालिश मामूली लेन देन की होगी और उस की मियाद ३ साल की होगी और मियाद उस वक्त से शुरू होगी जब कि रूप्या मुद्दायलेह को दर असल दिया गया हो न कि देने का सिर्फ हुक्म सादिर हुवा हो (इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा ७१८)

एक शख्स (अ) ने अपनी जायदाद दूसरे शख्स के पास रहन रखी फिर उसने वही जायदाद तीसरे (क) के पास रहन रखी इस के बाद उसने फिर [illegible] (ब) के पास रहन रखी, (यानी

जिसके पास पहले रहन थी) (ब) ने अपने पहले रहन के रू से राहिन पर नालिश दायर किया—और बीच वाले मुर्तहन यानी (क) को भी मुद्दायलेह बनाया और डिक्री हासिल करके (अ)की जायदाद नीलाम कराया (ब) की डिक्री का रूपया अदा होकर बाकी १२०००) रूपया बचा जो अदालत में अमानत रखा गया इस के बाद उसी (ब) ने अपने दूसरे बार रहन के रू से नालिश दायर करके डिक्री हासिल किया और इजराय डिक्री में जो रूपया अमानत जमा था, लिया—इस दूसरी नालिश में (क) मुद्दायलेह नहीं बनाया गया न उस को नोटिस दिया गया कि (ब) अदालत से १२०००) रू० बरामद करता है—(क) ने (ब) पर वह रूप्या दिला पाने की नालिश दायर किया—पस ऐसी नालिश बतौर नालिश बमूजिब दफा ७३ (२) नसमझी जावेगी और ऐसी नालिश की मियाद बारा साल की बमूजिब मद न १३२ एक्ट मियाद समझी जावेगी न कि तीन साल की (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ४१ सफा ६६४)

जब दावी दारों में से कोई दावीदार यह बयान करे कि दूसरे दावीदार की डिक्री फरेबी है तो अदालत सरसरी तहकीकात कर सक्ती है (कलकत्ता वी० नो० जि० ११ सफा ६०३)

सरकार को अपना दावा वसूल करने का हक सब डिक्री दारों क पहले होगा (बम्बई हाई कोर्ट जि० ५ सफा २३)

अपील—इस दफा के रू मे जो हुक्म सादिर किया जाय वह बतौर डिकरी न समझा जावेगा—इस लिये वह काबिल अपील न होगा जब तक कि वैसा हुक्म दफा ४७ में दाखल न होवे, यानी अगर सवाल दरमियान फरीकैन, डिकरीदार वो मदयून होवे तो काबिल अपील होगा लेकिन अगर सवाल आपस में सिर्फ दरमियान डिकरीदारान होवे तो काबिल अपील न होगा (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ४२ सफा १)

कची कुरकी का रूप्या दूसरे डिकरीदारों की इजराय में काबिल तकसीम हिस्सा रसदी होगा अगर उन की डिकरिया उसी मुद्दायलेह पर होवे (इ. के. जिल्द २६ सफा ६४१)

जब तजवीज के पहले मुद्दायलेह की गिरफ्तारी पर अदालत में कुछ रूपया

हिस्सा—३.

कार्रवाई समबन्धी.

कमीशन

दफा ७५. बपाबन्दी ऐसी शरायत वो कैदों के जो इस बारे में मुकर्रर की जावे अदालत कमीशन जारी कर सक्ती है,

अदालत को कमीशन जारी करने का अख्त्यार

वास्तेः—

(क) लेने इजहार किसी शख्स के,

(ख) करने तहकीकात मौका के,

(ग) जाचने या तसफिया करने हिसाब के,

(घ) करने बटवाडा के,

तशरीह —यह दफा नई कायम की गई है.

कमीशन की तफसील के लिये देखो आर्डर न २६.

दफा ७६. (१) कमीशन ब गरज लेने इजहार किसी शख्स के, नाम किसी ऐसी अदालत के (जो सिवाय उस सूबे के जहां अदालत कमीशन जारी करने वाली मौजूद हो, किसी और सूबा मे वाके हो, और जो उस मुकाम में कि जहां वह शख्स कि जिस का इजहार लिया जाने वाला हो सकूनत रखता हो, अख्त्यार रखती हो.

कमीशन का दूसरी अदालत में भेजना

(२) ... जिमन (१) की रू से

कमीशन वास्ते लेने इजहार किसी शख्स के जारी किया जाय उस के मुताबिक उस का इजहार वह खुद लेगी, या किसी और से लिखायगी, और जब उस की तामील पूरे तौर पर हो जावे तो वह मय उस शहादत के, कि जो उस की रू से ली गई हो, उस अदालत मे वापिस भेजा जायगा, जहां से कि वह कमीशन जारी हुवा था, तावक्ते कि हुक्म इजराय कमीशन में और कुछ हुक्म न हो, उस सूरत में वह उसी हुक्म के मुताबिक वापिस किया जायगा

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३८६ के रू से नई कायम की गई है, और इस दफा की मनशा से कमीशन उस अदालत के नाम जारी होना चाहिये जिस के अखत्यार के अन्दर वह शख्स जिस का इजहार लिया जाना है रहता हो, यह जरूर नहीं है कि उसकी सकूनत वहा मुस्तकिल तौर पर हो सिर्फ चद रोजा सकूनत काफी हैं, और यह भी जरूर नहीं है कि वह अदालत कि जिस के नाम कमीशन जारी हुवा है खुद अपनी जात से उस का इजहार ले, बलकि किसी से इजहार लिवा सकी है, और कमीशन का जारी करना अदालत पर फर्ज नहीं है बलकि अखत्यारी है—लिहाजा कमीशन की दरख्वास्त मन्जूर कराने के वास्ते सायल को काफी वजूहात बयान करना चाहिये

कमीशन ऐसे गवाह के इजहार के लिये जारी हो सक्ता है जिस की शहादत जरूरी वो बड़े काम की है.

मगर खुद फरीक नालिश के इजहार के लिये जारी न होगा जब तक कि माकूल यो मजबूत सबब न बतलाय जावें—(इ ज्यूरिष्ट जि० १ सफा ३५७)

दफा ७७ बजाय जारी करने कमीशन के अदालत मजाज कमीशन जरिये चिट्ठी है कि एक चिट्ठी बतौर दरखास्त निसबत लेने इजहार ऐसे गवाह के, जो ब्रिटिश इनडिया के बाहर सकूनत रखता हो जारी करे.

तशरीह:—यह दफा नई कायम की गई है और इस की रू से उन

लोगों के इजहार लेने के लिये चिट्ठी लिखी जा सकी है, जो अन्दर हद ब्रिटिश इनाडिया के नहीं रहते हैं

मुल्क गैर के अदालत का जारी किया हुआ कमीशन.

दफा ७८ अहकामात निसबत तामील, और वापसी कमीशन, बाबत लेने इजहार गवाहों के, उन कमीशनों से भी ताल्लुक रखेंगे, जो नीचे लिखे अदालतों की तरफ से जारी किये गये हो—

(क) वे अदालतें जो ब्रिटिश इनाडिया की हद के बाहर हों, और बमूजिब हुक्म आला हजरत-मलिक-मौअज्जम, या नव्वब गवर्नर जनरल बहादुर, बइजलास कौंसिल के मुकर्रर हुई हो, या कायम रखी गई हों—या,

(ख) वे अदालतें जो सिवाय मुल्क ब्रिटिश इनाडिया के ब्रिटिश इमपायर, सलतनत ब्रिटानिया के किसी और हिस्से में वाके हों, या,

(ग,) वे अदालतें जो किसी ऐसे मुल्क गैर में हो, जो उस वक्त आला हजरत-मलिक-मौअज्जम, के साथ अहद वो पैमान रखते हो.

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३९१ से कायम की गई हैं—



हिस्सा—४.

खास सूरतों में नालशात.

नालशात अज तरफ या बनाम सरकार या अफसरान सरकारी बहैसियत उन की अफसरी के.

दफा ७९ (१) नालशात जो सरकार की तरफ से या खिलाफ सरकार हों, "सेक्रेटरी आफ स्टेट" बहादुर हिन्द ब इजलास कौंसिल की तरफ से, या बनाम उन के दायर की जायेगी

नालिश अज तरफ या बनाम सरकार

(२) इस दफा की कोई इबारत किसी इत्तला, जो एडवोकेट जनरल ने बतामील अख्त्यारात दफा १११ ईस्टइन्डीया कम्पनी एक्ट सन १८१३ ई० के रू से जाहिर की हो उस पर असर न पहुंचायगी और न उस को किसी तरह मरदूद करेगी

तशरीहः—कोई नालिश बनाम सेक्रेटरी आफ स्टेट दायर नहीं हो सक्ती—लेकिन हर नालिश बनाम सेक्रेटरी आफ स्टेट हिन्द बइजलास कौंसिल दायर होनी चाहिये (इ ला रि कलकत्ता जि० १ सफा १४) इस लिये लेहाजा कुल ऐसी नालशों मे, जो सरकार के बरखिलाफ दायर की जाय, अदालत को यह देखना लाजमी है कि मुद्दायलेह का नाम बराबर तफसील के साथ दरज किया गया है, या नहीं (इ ला रि मदरास जि० ७ सफा ४७८)

इस दफा की रूसे कोई नई बिनाय मुखासमत दावी की कायम नहीं होती बलकी दफा मजकूर में जाब्ता वो तरीका दायरी नालिश का दर्ज है उस हालत में कि जब बिनाय मुखासमत किसी दावी के लिये पैदा हो चुकी हो, (बम्बई ला रि. जि० ६ सफा १३२)

पुरानी दफा के लिये देखो दफा ४१६ जिमन (२) नया है—कार्रवाई

नालिश के लिये देखो आर्डर न. २७—

नालिश बनाम सेक्रटरी आफ स्टेट हिन्द सिर्फ उस अदालत में दायर हो सकेगी जिसके इलाका अखत्यार के अन्दर बिनाय मुखासमत पैदा हुई है—लफ्ज रहना या सकूनत रखना, या कारोबार करना या बजात खास वास्ते फायदा के काम करना, जो दफा १६, १९, २० मज० जा० दी० में आये हैं सेक्रटरी आफ स्टेट बइजलास कौंसिल को लागू न होंगे—(इ. ला रि. कलकत्ता जि० ४० सफा ३०८)—

दफा ८० कोई नालिश बनाम सेकरेटरी आफ स्टेट बहादुर हिन्द बइजलास कौंसिल या बनाम किसी ओहदेदार सरकारी बाबत किसी काम के, जो ओहदेदार मजकूर ने अपने अखत्यार ओहदे से किया हो, रूजू न की जायेगी, उस वक्त तक कि जिस तारीख को इत्तलानामा तहरीरी जिसमें बिनाय दावा और नाम और पता और सकूनत मुद्दई और दादरसी जो वह मांगता हो दर्ज है, जिस हाल में नालिश बनाम सेकरेटरी आफ स्टेट बहादुर बइजलास कौंसिल के होने वाली, हो तो लोकल गवर्नमेंट के किसी सेक्रेटरी के पास, या जिले के साहब कलेक्टर के पास, या उसके दफतर में, और जिस हाल में कि नालिश बनाम किसी उहदेदार सरकार के होने वाली हो, तो उहदेदार मजकूर के पास या उस के दफ्तर में पहुंचा दिया गया हो उस से दो महीने न गुजर जावे—और अर्जीदावी में यह बयान दर्ज होना चाहिये कि ऐसा इत्तलानामा इस तौर पर हवाला किया गया या पहुंचा दिया गया

इत्तलानामा

तशरीहः—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ४२४ से कायम की गई है

जब किसी ओहदेदार सरकारी पर बाबत किसी ऐसे फेल के नालिश दायर की जाये जो उस ने बददियानती के साथ न किसी कानून की तामील में किया हो तो ओहदेदार मजकूर ऐसी हालत में नोटिस याने इत्तलानामा, तहरीरी पाने का हकदार न होगा (इ. ला रि. अलाहाबाद जि० २६ सफा २२०).

अगर अरजीदावी में तरमीम इस बिना पर करने की जरूरत पड़े कि नये वाकेआत जिन का हाल मुद्दई को पेश्तर मालुम न था दरयाफ्त से जाहिर हुवा तो ऐसी सुरत में दूसरा नोटिस दरकार न होगा (इ ला रि. कलकत्ता जि० ३० सफा ३६)

लेकिन जब एक मरतबा नोटिश में बिनाये दावी के बाबत तफसीलवार हालात दरज कर दिये गये हैं तो कोई ऐसी तरमीम की इजाजत न देना चाहिये, जिस से एक नई बिनाये मुखासमत कायम होती हो, और उस का जिक्र पहले नोटिस में न किया गया हो (इ. ला. रि कलकत्ता जि० ३४ सफा २५७ वो २८१)

मुद्दायलेह को नोटिश की निसबत उजर छोड़ देने का अखत्यार है या उस के रविश से अदालत यह नतीजा निकाल सक्ती है कि उस ने बरवक्त तजवीज मुकदमा नोटिश न मिलने का उजर छोड़ दिया (इ ला रि. कलकत्ता जि० ३४ सफा २५७)

जब कोई कलकटर बहैसियत ऐजन्ट याने कारिन्दा किसी कोर्ट आफ वार्डस की कार्रवाई कर रहा है, तो वह सरकारी ओहदेदार की तारीफ में दाखिल होगा (इ. ला रि अलाहाबाद जि० ३ सफा २०).

इस दफा के अहकाम की तामील लाजमी रखी गई है, यानी, अगर किसी नालिश में यह मालूम पड़े कि इस दफा के माफीक तामील नहीं हुई तो अदालत हस्ब आर्डर नंबर ७ कायदा ११ (घ) नालिश खारिज करेगी—(इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द २५ सफा १८७)—

नोटिस देने की गरज यह है कि मुद्दाइलेह यानी सेक्रेटरी आफ स्टेट या अफसर सरकारी को मुद्दई से मेल करने का मौका मिले और नालिश दायर होने की जरूरत न पड़े—(इ ला रि. मद्रास जिल्द २४ सफा २७६)—

नोटिस में मुद्दई या मुद्दईयान का नाम वो तफसील वो सकूनत की जगह दर्ज करना जरूर है—एक नालिश ६३ मुद्दईयान ने दायर की मगर नोटिस में सिर्फ दो मुद्दई के नाम वो तफसील वो सकूनत दर्ज थी. पस ऐसा नोटिश गैर काफी करार दिया गया—(इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ४० सफा

नालिश के लिये देखो आर्डर न २७—

नालिश बनाम सेक्रटरी आफ स्टेट हिन्द सिर्फ उस अदालत में दायर हो सकेगी जिसके इलाका अख्त्यार के अन्दर बिनाय मुखासमत पैदा हुई है—लफ्ज रहना या सकूनत रखना, या कारोबार करना या बजात खास वास्ते फायदा के काम करना, जो दफा १६, १९, २० मज० जा० दी० में आये हैं सेक्रटरी आफ स्टेट बइजलास कौंसिल को लागू न होंगे—(इ. ला रि. कलकत्ता जि० ४० सफा ३०८)—

दफा ८० कोई नालिश बनाम सेकरेटरी आफ स्टेट बहादुर हिन्द बइजलास कौंसिल या बनाम किसी ओहदेदार सरकारी बाबत किसी काम के, जो ओहदेदार मजकूर ने अपने अख्त्यार ओहदे से किया हो, रुजू न की जायेगी, उस वक्त तक कि जिस तारीख को इत्तलानामा तहरीरी, जिसमें बिनाय दावा और नाम और पता और सकूनत मुद्दई और दादरसी जो वह मांगता हो दर्ज है, जिस हाल में नालिश बनाम सेकरेटरी आफ स्टेट बहादुर बइजलास कौंसिल के होने वाली, हो तो लोकल गवर्नमेंट के किसी सेक्रेटरी के पास, या जिले के साहब कलेक्टर के पास, या उसके दफ्तर मे, और जिस हाल मे कि नालिश बनाम किसी उहदेदार सरकार के होने वाली हो, तो उहदेदार मजकूर के पास या उस के दफ्तर मे पहुंचा दिया गया हो उस से दो महीने न गुजर जावे—और अर्जीदावी मे यह बयान दर्ज होना चाहिये कि ऐसा इत्तलानामा इस तौर पर हवाला किया गया या पहुंचा दिया गया

इत्तलानामा

तशरीह.—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ४२४ से कायम की गई है

जब किसी ओहदेदार सरकारी पर बाबत किसी ऐसे फेल के नालिश दायर की जाये जो उस ने बददियानती के साथ न किसी कानून की तामील में किया हो तो ओहदेदार मजकूर ऐसी हालत में नोटिस याने इत्तलानामा तहरीरी पाने का हकदार न होगा (इ ला रि. अलाहाबाद जि० २६ सफा २२०).

निस्बत हुक्म इमतिनाई के हो—(इ ला रि मद्रास जि ३७ सफा ११३)

अगर नोटिस देने से और दो महिने तक ठहरने से मुद्दई को भारी नुक़सान पहुंचता हो तो नालिश हुक्म इमतिनाई सेक्रेटरी आफ स्टेट पर बिला नोटिस रुजू हो सकेगी—(इ ला रि बम्बई जि ३५ सफा ३८२)

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर नालिश हरजाना निस्बत नाजायज गिरफ्तारी मुद्दई इस बयान के साथ दायर की गई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुद्दई को वास्ते तजवीज सेसन सिपुर्द किया और जमानत पर छोड़ा, मगर पीछे से जब मुद्दई बीमार था, और डाक्टरी इलाज करा रहा था तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसे बगैर इत्तला दिये हुक्म जमानत मनसूख करके उस पर वारन्ट गिरफ्तारी जारी किया और उस को नाजायज तौर से और अदावत से गिरफ्तार करवाया—ऐसी सूरत मे नालिश बतौर देने नोटिस रुजू नहीं हो सकेगी—(इ. ला रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द २४ सफा ५८४).

नालिश बर बियान माहदा में नोटिस देना जरूर न होगा—(इ ला रि बम्बई जिल्द २० सफा ६६७)—

अगर मुद्दई नोटिस देने के बाद मगर नालिश दायर करने के पेश्तर मर जावे तो मुद्दई के कायम मुकाम जायज को दुबारा नोटिस देना होगा—(इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द २५ सफा १८७)—

कन्टेन्मेन्ट (छावनी) कमेटी बतौर "अफसर सरकारी" इस दफा की मनशा के लिये समझी जावेगी—(इ ला. रि. बम्बई जिल्द ३४ सफा ५८३)—

मियाद शुमार करने में नोटिस के दिन खारिज किये जावेंगे (देखो दफा १५ एक्ट मियाद)

इजराय डिक्री — दफा ८१. (१) जब कि डिक्री "सेक्रेटरी आफ स्टेट" बहादुर हिंद बइजलास कौंसिल पर, या किसी ओहदेदार सरकारी पर, बाबत किसी ऐसे फेल के हो, जिसका जिक्र उपर किया गया है, तो डिक्री में एक मियाद उस के अदाई के लिये दरज होगी, और अगर डिकरी की अदाई

९०३)—

लफ्ज "फेल" का ताल्लुक सिर्फ अफसर सरकारी से है न कि सेक्रटरी आफ स्टेट हिन्द क अफसर सरकारी की सूरत में

नोटिस देना सिर्फ उस वक्त जरूर होगा जब कि उसने काम, जिसकी निस्बत शिकायत है बहैसियत उहदा सरकारी किया हो—अगर वैसी हैसियत से काम न किया हो तो नोटिस देना जरूर न होगा—अगर पुलिस अफसर ने नेक नियती से काम न किया हो बल्कि अपने पुलिस अफसरी का फायदा उठा कर कोई नाजायज वो तकलीफ दायक कार्रवाई अदालत से बिला सबब किया हो तो ऐसी सूरत में नोटिश देना जरूर न होगा—(इ ला. रि अलाहाबाद जि० २६ सफा २२०)—

लेकिन अगर पुलिस अफसर ने मुद्दई के मकान की तलाशी करते वक्त मुद्दई के खाता वही जब्त किये हों और तलाशी वो जब्ती बद नियती से या नाजायज तौर से न की गई हो तो यह समझा जायगा कि खाते वही की जब्ती पुलिस अफसर ने बहैसियत उहदा सरकारी किया-पस ऐसी सूरत में मुद्दई को नालिश रूजू करने के पेश्तर पुलिस अफसर को नोटिस देना जरूर होगा —(इ ला. रि अलाहाबाद जि २९ सफा ५६७)

मगर सेक्रेटरी आफ स्टेट हिन्द बइजलास कौंसिल की सूरत में नोटिस देना हर हालत में जरूर होगा, चाहे वह फैल, जिस की शिकायत है, उस ने बहैसियत सरकारी किया हो या न किया हो —(इ ला रि कलकत्ता जिल्द २५ सफा २३९, २४२).

अगर नालिश सरकारी अफसर पर वास्ते हुक्म इम्तिनाई इस अमर के दायर की जाय कि वह ऐसा फैल करने से रोका जाय जिस के करने की वह धमकी देता है तो नोटिस देना जरूर न होगा-सबब यह है कि यह दफा वैसे फैल की निस्बत लागू होती है जो सरकारी अफसर कर चुका है न कि ऐसे फैल से जो अभी नहीं किया गया है या जिस के करने की धमकी दी गई है—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३६ सफा ३८, ३९)

लेकिन सेक्रटरी आफ स्टेट को देना जरूर होगा गो नालिश बनाम, उस के

हरजा काम गैर हाजिर नहीं रह सक्ता है, तो अदालत को हाजिरी से माफ करना लाजमी अमर है

नालिशात अज़ तरफ रिआया मुल्क गैर और अज़ तरफ या बनाम वालीयान मुल्क गैर और वालीयान रियासत हिंदुस्थानी

दफा ८३ (१) दुशमन के मुल्क की रिआया जो ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल की इजाजत से रहती हो, और दोस्त के मुल्क की रिआया उसी तरह ब्रिटिश इनडिया की अदालतो मे नालिश कर सकेगी, मानो कि वह आला हजरत-मलिक-मोअज्जम, की रिआया है

कब रिआया मुमालिक गैर नालिश कर सकेगी.

(२) दुशमन के मुल्क की कोई रईयत जो बिला ऐसी इजाजत ब्रिटिश इनडिया की हद के अन्दर रहती हो, या किसी गैर मुल्क मे रहती हो, ब्रिटिश इनडिया की किसी अदालत में नालिश न कर सकेगी

समझावनाः—हर शख्स जो किसी मुल्क गैर में रहता हो, जब कि दरम्यान सरकार उस मुल्क गैर, और ममलिकत सरकार, मिली हुई ग्रेट ब्रीटन, और आईरलैंड के लड़ाई हो रही हो, और उस मुल्क में बिला हासिल करने लैसन्स दस्तखती किसी सेक्रेटरी आफ स्टेट, मिनजुमला सेक्रेटरी हाय आला हजरत-मलिक-मोअज्जम, या दस्तखती किसी सेक्रेटरी गवर्नमेंट हिन्द के कारोबार करता हो, जिमन (२) की मनशा के लिये दुशमन के मुल्क की रिआया साकिन मुल्क गैर तसव्वार होगा—

तशरीह — पुरानी दफा ४३०—जो जमाअत किसी दीगर मुल्क में कायम हुई हो, वह अपनी जमाअत के नाम मे नालिश कर सक्ती है, या उस पर नालिश हो सक्ती है, (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ३० सफा १०३)

उस मियाद मुकर्रर के अन्दर नहो, तो अदालत मुकदमा की रपोर्ट वास्ते सदूर हुक्म लोकल गवर्नमेंट के हजूर में भेजेगी

(२) किसी ऐसी डिक्री के बाबत हुक्म नामा इजराय का जारी न किया जायगा, ताबक्ते कि वह डिक्री तीन माह तक, जिसका शुमार ऐसी रपोर्ट के तारीख से किया जायगा, बिला अदा रहे

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ४२६ से कायम की गई है, इस दफा के रूसे अदालत को डिक्री में वास्ते अदाई एक मियाद मुकर्रर करना होगा, और बाद गुजरने मियाद के एक रिपोर्ट लोकल गवर्नमेंट को करना होगा, और इस रिपोर्ट की तारीख से तीन माह तक डिक्री इजरा न होगी.

लफ्ज 'फेल" का ताल्लुक सिर्फ अफसर सरकारी से है न कि सेक्रेटरी आफ स्टेट हिन्द से—

दफा ८२ उस मुकदमे में कि जो बनाम किसी उहदेदार सरकारी के, बाबत किसी ऐसे फेल के दायर किया जाय जो उस ने अपने उहदे के अख्त्यार से किया हो:—

गिरफतारी और बजात खुद हाजरी अदालत से माफी

(क) मुद्दायलेह न तो काबिल गिरफतारी होगा, और न उस की जायदाद काबिल कुरकी होगी, सिवाय बजारिये इजराय डिकरी के, और,

(ख) अगर अदालत का इतमीनान इस बात में हो जाय की मुद्दायलेह बिला हरज कार सरकार अपने उहदे से हाजिर नहीं रह सका, तो अदालत मुद्दायलेह को असालतन हाजिर होने से माफ कर देगी.

तशरीह:—देखो आर्डर न० २७ कायदा ८—इस दफा का फिकरा (क) पुराने एक्ट की दफा ४२५ की रूसे कायम किया गया है, वो जिमन (ख) दफा ४२८ से, और अगर अदालत को इतमीनान हो जावे कि बिला

हरजा काम गैर हाजिर नहीं रह सक्ता है, तो अदालत को हाज़िरी से माफ करना लाजमी अमर है

नालिशात अज़ तरफ रिआया मुल्क गैर और अज़ तरफ या बनाम वालीयान मुल्क गैर और वालीयान रियासत हिंदुस्थानी

कब रिआया मुमालिक गैर नालिश कर सकेगी

दफा ८३ (१) दुशमन के मुल्क की रिआया जो ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल की इजाजत से रहती हो, और दोस्त के मुल्क की रिआया उसी तरह ब्रिटिश इनडिया की अदालतों में नालिश कर सकेगी, मानो कि वह आला हजरत-मलिक-मोअज्जम, की रिआया हैं

(२) दुशमन के मुल्क की कोई रईयत जो बिला ऐसी इजाजत ब्रिटिश इनडिया की हद के अन्दर रहती हो, या किसी गैर मुल्क मे रहती हो, ब्रिटिश इनडिया की किसी अदालत में नालिश न कर सकेगी

समझावनाः—हर शख्स जो किसी मुल्क गैर मे रहता हो, जब कि दरम्यान सरकार उस मुल्क गैर, और ममलिकत सरकार, मिली हुई ग्रेट ब्रीटन, और आईरलैंड के लड़ाई हो रही हो, और उस मुल्क में बिला हासिल करने लैसन्स दस्तखती किसी सेक्रेटरी आफ स्टेट, मिनजुमला सेक्रेटरी हाय आला हजरत-मलिक-मोअज्जम, या दस्तखती किसी सेक्रेटरी गवर्नमेंट हिन्द के कारोबार करता हो,,जिमन (२) की मनशा के लिये दुशमन के मुल्क की रिआया साकिन मुल्क गैर तसव्वार होगा—

तशरीह — पुरानी दफा ४३०—जो जमाअत किसी दीगर मुल्क में कायम हुई हो, वह अपनी जमाअत के नाम से नालिश कर सक्ती है, या उस पर नालिश हो सक्ती है, (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ३० सफा १०३)

इस दफा के रूसे दुश्मन के मुल्की रिआया अदालत ब्रिटिश इंडिया में नालिश न कर सकेगी इस दफा में ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि वैसी रिआया पर नालिश अदालत ब्रिटिश इंडिया में न हो सके, मतलब यह है, कि दुश्मन के मुल्क की रिआया मुद्दई नहीं बन सकी, मुदयलेह बन सकी है (सिंध ला रि० जिल्द ८ सफा ३२६)—

दफा ८४. (१) कोई रियासत मुल्क गैर की ब्रिटिश इनडिया की किसी अदालत में नालिश कर सकी है.

कब रियासत हाय मुल्क गैर, नालिश कर सकेगी.

मगर शर्त यह है कि आला हजरत मलिक-मोअज्जम, या नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल ने उस रियासत को तसलीम किया हो.

और शर्त यह भी है कि नालिश की यह मनशा हो कि कोई हक खानगी, जो उस रियासत गैर के वाली, या रियासत मजकूर के किसी अफसर को बहैसियत अफसरी हासिल हो, दिलाया जाय

(२) हर अदालत को इस बात पर अदालताना लिहाज करना होगा कि रियासत गैर को, आला हजरत-मलिक-मोअज्जम या नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल ने तसलीम किया है, या नहीं किया है

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ४३१ से कायम की गई है

दफा ८५ (१) वे अशखास जो हस्व दरख्वास्त किसी वाली खुद मुखत्यार या रईस हुक्मरां, चाहे वह बताबे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट मौसूफ से अहद वो पैमान रखता हो, या नहीं रखता हो, और चाहे वह ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर रहता हो, या उस से बाहर रहता हो, या हस्व दरख्वास्त उस शख्स के जो गवर्नमेंट के नजदीक उस वाली या रईस की तरफ

शख्स जिन्हें गवर्नमेंट वास्ते दायर करने या जवाबदेही करने नालिशात अज तरफ वालीयान या रईस मुकर्रर करें

से कार्रवाई करने का मजाज हो, वाली या रईस मजकूर की तरफ से नालिश, या नालिश की जवाब देही करने के लिये गवर्नमेंट के हुक्म खास के जरिये से मुकर्रर हों, ऐसे ऐजनटान मकबूला समझे जायेंगे कि जिन की मारफत हाजरी अदालत, और कार्रवाई, और दाखिल करने दरख्वास्त मिन जानिब वाली या रईस मजकूर के इस मजमूआ के मुताबिक अमल में आ सक्ता है

(२) इस दफा के बमूजिब मुकर्ररी किसी एक नालिश खास, या कई नालशात खास के लिये, या कुल ऐसी नालशों के लिये हो सक्ती है, जैसा कि मिनजानिब वाली या रईस मजकूर नालिश में पैरवी, या जवाब देही करना, वक्तन फवक्तन जरूरी हो.

(३) जो शख्स इस दफा की रू से मुकर्रर किया जाय वह दूसरे शख्सों को नालिश, या उन नालशात में हाजिर होने और दरख्वास्त देने और कार्रवाई करने का मजाज कर सक्ता है, उसी तरह से कि मानो शख्स मजकूर खुद फरीक नालिस है

तशरीह—इस दफा के रू से अगर पालीटिकल एजन्ट को अख्त्यार नहीं दिया गया है, तो वह नालिश करने के मजाज नहीं है—(इ ला रि बम्बई जिल्द ११ सफा ५३)

यह दफा मुकदमात माल से भी तअल्लुक रखती है, और जब कि मुकर्ररी इस दफा की रू से बाद दायरी नालिश के, तो अर्जीदावा का पेश करना, और उस पर दस्तखत करना, मिनजानिब रईस मुकर्ररा जायज है—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २५ सफा ६३५)

यह दफा पुरानी दफा ४३२ के मुताबिक है यह दफा इम्दादी है (मदद देने वाली)—इस की रू से वाली खुद मुख्त्यार या रईस मुकर्ररा को यह अख्त्यार दिया गया है कि वे नालशात की पैरवी, या जवाब देही मुख्त्यार मकबूला की मारफत, जो उस काम के लिये मुकर्रर किया गया हो, करा सके हैं—इस दफा में ऐसी कोई मनाई नहीं है कि वाली खुद मुख्त्यार अपने नाम से न, ऐसे मुख्त्यार मकबूला के मारफत, जो बमूजिब आर्डर न० ३ कायदा २ मुकर्रर किया गया हो,

नालिश दायर न कर सके—[इं ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १९ सफा ५१०]

दफा ८६ (१) नालिश बनाम किसी वाली या रईस मजकूर, और बनाम सफीर या ऐलची किसी रियासत गैर के, बाद हासिल करने इजाजत नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल जिस की तसदीक बजरिये सरटिफिकट दस्तखती किसी सेक्रेटरी गवरनमेंट हिंद के हुई हो, किसी अदालत मजाज में दायर की जाय, मगर बिला हासिल करने इजाजत मजकूर के दायर न होगी

नालिश बनाम वाली या रईस हुक्मरां या सफीर या एलची के

(२) ऐसी इजाजत किसी एक खास नालिश या कई नालशात खास की निसबत, या किसी किस्म या किस्मों खास की कुल नालशात के निसबत दी जा सक्ती है, और उस में किसी एक नालिश, या किस्म नालशात के निसबत तफसील अदालत की दरज होगी, जिस में वाली, या रईस, या सफीर या ऐलची मजकूर के नाम नालिश दायर की जाये

मगर ऐसी इजाजत नहीं दी जायेगी जब तक कि गवर्नमेंट को यह न मलूम हो कि वाली, या सफीर, या येलची में

(क) अदालत में उस शख्स के नाम नालिश दायर की है जो उस पर नालिश करना चाहता है—या

(ख) उस अदालत के इलाके की हदूद अरजी के अन्दर खुद या मारफत और शख्स के तिजारत करता है, या

(ग) कोई जायदाद गैर मनकूला जो उस हद के अन्दर [illegible] कबजे में है और उस पर [illegible] या उस रूपया के [illegible] मजकूर पर लगाया गया है

(३) कोई ऐसे वाली, या रईस, या सफ़ीर, या ऐलची, इस मजमूआ के हुक्म की रूसे गिरफ़तार नहीं हो सकेगा, और जब तक कि नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल की तसदीक की हुई इजाजत ऊपर लिखे मुताबिक हासिल न करली जाये जब तक कोई डिकरी ऐसे वाली, या रईस, या सफ़ीर, या ऐलची, मजकूर की जायदाद पर जारी नहीं की जायगी.

(४) नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल गजट आफ इंडिया में इश्तहार देकर किसी लोकल गवर्नमेंट को और किसी सेकरेटरी गवर्नमेंट मौसूफ को अखत्यार दे सक्ते हैं कि निसबत किसी वाली, या रईस, या सफ़ीर, या ऐलची, जिन का जिकर इश्तहार मजकूर में है वह अखत्यारात अमल में लायें, जो नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल और सेकरेटरी गवरनमेंट हिंद को इस दफा की पिछली शिकमी दफाओं की रूसे हासिल है

(५) कोई शख्स बतौर असामी (याने कारतकार या किरायादार) जायदाद गैर मनकूला की नालिश बगैर ऐसी इजाजत हासिल किये, जिस का जिकर इस दफा में है उस वाली, या रईस, या सफीर, या ऐलची, पर दायर कर सक्ता है, जिस की तरफ से जायदाद मजकूर उस के कबजे में हो या वह काबिज होने का दावा करता हो.

तशरीह —पुरानी दफा ४३३-इजाजत कब्ल दायरी नालिश होना चाहिये बाद दायरी नालिश के इजाजत लेना बेअमर है, मुद्दायलेह गो उजर से दर गुजर कर सक्ता है, लेकिन अगर उस ने ऐसा नहीं किया है तो अदालत फिर से दूसरी नालिश दायर करने की इजाजत देकर नालिश से दस्तबरदार होने की परवानगी दे सक्ती है-(इ ला रि बम्बई जिल्द २१ सफा ३५१)- इजाजत तीन सूरत मुन्दरजा इस दफा के ही मिल सक्ती है, इसलिये नालिश बकाया तनखाह के लिये इजाजत नहीं दी जा सक्ती-(इ ला. रि. अलाहाबाद

जिल्द २९ सफा ३७९).

जब कोई दावा बाबत बकाया नान नफका, यानें परवरिश के दायर किया जाय, तो उस के निस्बत यह न कहा जायगा कि इस दफा की जिमन (ग) के मनशा के मुताबिक दावा मजकूर का गवाखजा यानें बोझा जायदाद गैर मनकूला पर कायम है, गो यह मुमकिन है कि दादरसी का बोझा उस जमीन पर डाला जाय, कि जो ब्रिटिश इन्डिया में वाके हो—(इं ला रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा १२)

इस दफा के अहकाम लागू होंगे चाहे नालिश रईस हुक्मरां पर उस की राजा की हेसियत मे या उस की निजी हैसियत से दायर की जाय—(इ. ला. रि, मदरास जिल्द ३८ सफा ६३५).

एक राजा पर नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर की मजूरी लेकर नालिश निसवत इस्तकरार हक दायर की गई मगर पीछे से मुद्दई ने अरजीदावा तरमीम किया और कब्जा का दादरसी का दावा जोड़ा मुद्दायलेह ने उजर किया और कहा कि वैसे तरमीम से नालिश की शकल बदल गई—मुद्दायलेह का उजर इस बिना पर नहीं सुना गया कि कब्जा का दावा असली दावा इस्तकरार हक से ताल्लुक रखता है—लेकिन हाई कोर्ट करार पाई कि तरमीम करने से नालिश की शकल बदल गई और दुबारा मजूरी लेना चाहिये—(कलकत्ता वि. नो. जिल्द १७ सफा १२४२).

वाली या रईस पर किस नाम से नालिश दायर की जायगी.

दफा ८७—कोई वाली खुद मुख्तार या रईस हुक्मरां अपनी रियासत के नाम से नालिश कर सक्ता है, और उसी नाम से उस पर नालिश की जायगी

मगर शर्त यह है कि ऊपर की दफाओं मे जिकर की हुई इजाजत देने में नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर, बइजलास कौंसिल या लोकल गवर्नमेंट, जैसी सूरत हो, यह हुक्म दे सक्ती है कि वाली या रईस मजकूर पर, किसी एजन्ट के नाम से या किसी और नाम से नालिश की जाय.

तशरीह — यह दफा पुराने एक्ट की दफा ४३४ मे कायम की गई है.

इन्टरप्लीडरी याने उस किस्म की नालशात जब दो शख्स मुखतलिफ तौर से एक चीज के लिये एक ही आदमी से दावीदार हों.

दफा ८८. जब दो या कई शख्स मुखतलिफ दावा एक
कब इन्टरप्लीडरी ना- दूसरे पर एक ही जर कर्जा, या जर नक्द,
लिश दायर हो सक्ती या दूसरी जायदाद मनकूला, या गैर
है. मनकूला, के मिलने का दूसरे शख्स से रखते हों, और वह दूसरा शख्स सिवाय बार या खर्चों के और किसी हक का दावा न करता हो और वह उस को जायज दावीदार को देने या हवाला करने को तैयार हो, तो ऐसा दूसरा शख्स खुद इन्टरप्लीडरी नालिश बनाम उन कुल दावीदारों, को वास्ते तजवीज इस अमर के दायर कर सक्ता है कि किस शख्स को अदाइ या हवालगी की जाय, और उस की बरीयत हासिल हो.

मगर शर्त यह है कि अगर कोई ऐसी नालिश मुलतवी हो जिस मे सब फरीकों के हक कीमा तौर से तसफिया पासक्ते हैं, तो ऐसी इन्टरप्लीडरी नालिश दायर न होगी.

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ४७० से कायम की गई है; इस दफा के लिये दो या ज्यादा शख्सों को दावीदार होना चाहिये, और जायदाद एक ही होना चाहिये, और नालिश उस शख्स की तरफ से दायर होनी चाहिये, जो उस जायदाद के देने या हवाला करने के लिये तैयार हो.

जब किसी नालिश लगान में, मुद्दायलेह रूपया अदालत के सामने दाखिल करे, कि रकम मजकूर हकदार फरीक को दिलाई जाय तो ऐसी नालिश बतौर

कार्रवाई इन्टरप्लीडर के तसव्वर की जायगी (इ. ला. रि. मदरास जिल्द १७ सफा ८५)

इन्टरप्लीडरी नालिश किसे कहते हैं—इन्टर प्लीडरी वह कहलाती है जिसमें असली झगडा सिर्फ मुदायलेहों के दरमियान होवे और वे एक दूसरे से आपस में झगडा करते हों न कि मुद्दई वा मुदायलेह के दरमियान जैसा कि मामूली मुकदमा में होता है—हर इन्टर प्लीडरी नालिश में कोई कर्जा या नक्दी रूपय अगर जायदाद होना चाहिये जिसके बारे में मुदायलेह आपस में झगडते हों और मुद्दई वैसे कर्जा या नक्दी रूपया या जायदाद में अपना हक कुछ न रखता हो; सिवाय खर्चा या बोझा के और मुद्दई वैसा कर्जा या रूपया या जायदाद किसी ऐसे मुदायलेह या मुदायलेहों को देने या हवाला करने के लिये तैयार हों। जिसे अदालत लेने के लिये हकदार करार दे—मसलन, किसी जायदाद पर दो शख्स दावा करते हैं और वह जायदाद तीसरे शख्स के कब्जा में है—कब्जा रखने वाला यह कहता है कि मुझे जायदाद से कुछ गरज नहीं है और मै जायदाद को वापिस करने के लिये राजी हूं, मगर जायदाद सिर्फ ऐसे शख्स को देने को राजी हूं जिसको अदालत हकदार जायदाद पाने की करार देवे—पस ऐसी सूरत में कब्जा रखने वाला शख्स नालिश इन्टर प्लीडरी अपने को मुद्दई और उन दो झगडा करने वालों को मुदायलेह बना कर दायर कर सकता है, ऐसी नालिश में मुद्दई अपना खर्चा पाकर बरी कर दिया जायगा और मुदायलेह अपने २ झगडा और दावा की सबूती पहुंचायगे और उनमें से जो हकदार पाया जावेगा उसे जायदाद दिलाई जावेगी (देखो आर्डर न. ३५ कायदा ३ मगर मुद्दई को बरी होने के पेश्तर यह चाहिये कि वह झगडे वाली जायदाद को अदालत में जमा करदे (देखो आर्डर न. ३५ कायदा २)—

माल रेल से भेजा जाता है और रेलवे कम्पनी को उस माल में कुछ हक नहीं रहता है सिवाय महसूल या डामरेज के—पस रेलवे कम्पनी ऐसे माल की निस्बत इन्टर प्लीडरी नालिश दायर कर सकती है जिसके लेने देने के लिये दो शख्स आपस में झगडते हों—(इ. ला. रि. बम्बई जि० १८ सफा २३१)—

(अ) के हाथ में ५००० रूपया है और उस रूपये का दावा (ब) और (क) आपस में करते हैं—(अ) कहता है कि रूपया पर मेरा हक है और (ब) अपना हक बतलाता है—(अ) ने (ब) व (क) पर इन्टरप्लीडरी नालिश दायर किया—पेशी पर, मालुम हुवा कि (अ) ने नालिश दायर होने के पेश्तर (ग) के साथ यह ठहराव कर लिया था कि अगर तुम मुकदमा जीतोगे तो तुम हमसे ४००० रूपया लेकर अपने पूरे दावा (५०००) की रसीद दे देवगे—पस ऐसी सूरत में यह इन्टरप्लीडरी नालिश खारिज की जायगी क्योंकि ठहराव के रू से (अ) का नालिश के झगडे की चीज में गरज था वास्ता था (ला० जर कुईस बेंच जि० ६२ सफा ३९६).

कार्रवाई इन्टरप्लीडर के तसव्वर की जायगी (इ. ला. रि, मदरास जि० १७ सफा ८५)

इन्टरप्लीडरी नालिश किसे कहते हैं:—इन्टर प्लीडरी वह कहलाती है जिसमें असली झगडा सिर्फ मुद्दायलेहों के दरमियान होवे और वे एक दूसरे से आपस में झगडा करते हों न कि मुद्दई व मुद्दायलेह के दरमियान जैसा कि मामूली मुकदमा में होता है—हर इंटर प्लीडरी नालिश में कोई कर्जा या नक्दी रूपय अगर जायदाद होना चाहिये जिसके बारे में मुद्दायलेह आपस में झगडते हों और मुद्दई वैसे कर्जा या नक्दी रूपया या जायदाद में अपना हक कुछ न रखता हो सिवाय खर्चा या बोझा के और मुद्दई वैसा कर्जा या रूपया या जायदाद किसी ऐसे मुद्दायलेह या मुद्दायलेहों को देने या हवाला करने के लिये तैयार हो जिसे अदालत लेने के लिये हकदार करार दे—मसलन, किसी जायदाद पर दो शख्स दावा करते हैं और वह जायदाद तीसरे शख्स के कब्जा में है—कब्जा रखने वाला यह कहता है कि मुझे जायदाद से कुछ गरज नहीं है और मैं जायदाद को वापिस करने को लिये राजी हूं, मगर जायदाद सिर्फ ऐसे शख्स को देने को राजी हूं जिसको अदालत हकदार जायदाद पाने को करार देवे—पस ऐसी सूरत में कब्जा रखने वाला शख्स नालिश इन्टर प्लीडरी अपने को मुद्दई और उन दो झगडा करने वालों को मुद्दायलेह बना कर दायर कर सकता है, ऐसी नालिश में मुद्दई अपना खर्चा पाकर बरी कर दिया जायगा और मुद्दायलेह अपने २ झगडा और दावा की सबूती पहुंचायगे और उनमें से जो हकदार पाया जावेगा, उसे जायदाद दिलाई जावेगी (देखो आर्डर न. ३५ कायदा ३ मगर मुद्दई को बरी होने के पेश्तर यह चाहिये कि वह झगडे वाली जायदाद को अदालत में जमा करदे (देखो आर्डर न. ३५ कायदा २)—

माल रेल से भेजा जाता है और रेलवे कम्पनी को उस माल में कुछ हक नहीं रहता है सिवाय महसूल या डामरेज के—पस रेलवे कम्पनी ऐसे माल की निस्बत इन्टर प्लीडरी नालिश दायर कर सकती है जिसके लेने देने के लिये दो शख्स आपस में झगडते हों—(इ. ला. रि. बम्बई जि० १८ सफा २३१)—

(अ) के हाथ में ५,००० रूपया है और उस रूपये का दावा (ब) और (क) आपस में करते हैं —(अ) कहता है कि रूपया पर मेरा हक है और (ब) अपना हक बतलाता है—(अ) ने (ब) व (क) पर इन्टरप्लीडरी नालिश दायर किया—पेशी पर मालुम हुवा कि (अ) ने नालिश दायर होने के पेश्तर (ग) के साथ यह ठहराव कर लिया था कि अगर तुम मुकदमा जीतोगे तो तुम हमसे ४००० रूपया लेकर अपने पूरे दावा (५०००) की रसीद दे देवगे—पस ऐसी सूरत में यह इन्टरप्लीडरी नालिश खारिज की जायगी, क्योंकि ठहराव के रू से (अ) का नालिश के झगडे की चीज में गरज या वास्ता था (ला० जर कुईंस बेंच जि० ६२ सफा ३९६).

हिस्सा—५.

कार्रवाई खास.

सालसी यानें पंचायत.

दफा ८९. सालसी. अहकाम एक्ट सालसी हिन्द सन १८९९ ई० या किसी कानून मजारिया वक्त को छोड़ कर कुल हुक्म सुपुरदगी पंचायत जो किसी मुकदमा में बजरिये हुक्म या किसी और तरह से हो, और कुल कार्रवाई बमूजिब उस के इस एक्ट के जमीमा २ में दर्ज किये हुये हुक्मों के ताबे होंगी

(२) अहकाम मुन्दर्जा जमीमा २ किसी ऐसी पंचायत पर असर न करेगी, जो इस एक्ट के जारी होने के वक्त मुलतवी हो, मगर उस पंचायत से ताल्लुक रखेगा कि जो बाद तारीख मजकूर किसी ऐसे इकरार या सुपुर्दगी के रू से, अमल में आय जो इस एक्ट के जारी होने के पहले किया गया हो.

तशरीह.—यह दफा एक्ट न. ९ सन १८९९ ईस्वी से नई कायम की गई है—एक्ट पचायत हिन्द न. ९ सन १८९९ तारीख १ जुलाई सन १८९९ ई० से अमल में आया—वह ऐसी पचायत को लागू होता है, जो फरीक आपस में करार करके अपने मामला की पचायत बगैर मदद अदालत कराना चाहे और एक्ट मजकूर के रू से पचायत सिर्फ दो सूरतों में हो सकेगी, यानी (१) जिस मामला की पचायत कराना है उसकी निस्बत कोई नालिश अदालत में मुलतवी न होवे (२) अगर उस मामला की निस्बत कोई फरीक दायर करना चाहे तो वैसी नालिश सिर्फ शहर प्रेसिडन्सी में दायर हो सके और दीगर मुकाम में नहीं—(इ. ला, रि. कलकत्ता जिल्द ३५ सफा १९९, २००)—

सूरत खास.

दफा ९०. जब कोई अशखास यह इकरार तहरीरी करे कि वे कोई मुकदमा वास्ते राय अदालत के पेश करेंगे तो अदालत उस मुकदमे की तजवीज और तसफिया मुकर्रर किये हुए तरीके के मुताबिक करेगी

वास्ते राय अदालत के सूरत मुकदमा बयान करने का अख्तयार

तशरीहः—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५२७ से कायम की गई है.

देखो आर्डर न० ३६ जिसमें तरीका बतलाया गया है कि खास सूरतों में तजबीज किस तरह की जायगी

नालिशात मुताल्लुक मामलात आम

दफा ९१ कोई अमर जो बायस तकलीफ आम के हो, उस की सूरत में साहेब ऐडवोकेट जनरल या दो या जियादा शख्स बाद हासिल करने मनजूरी तहरीर ऐडवोकेट जनरल के, नालिश वास्ते सादिर होने हुक्म इस्तकरार हक या हुक्म इम्तनाई या किसी और दादरसी के जो मुकदमे के हालात से मुनासिब हो दायर कर सके हैं, गो कि कोई हरजा खास न हुआ होवे

अमर बायस तकलीफ आम

(२) इस दफा के किसी मजमून से कोई ऐसा हक नालिश जो अलावा मजमून दफा हाजा के हासिल हो, महदूद न होगा और न उस पर किसी तरह का कुछ असर पहुंचेगा

तशरीहः— यह दफा नई कायम की गई है, और इस के जरिये से इजाजत लेने वाले शख्स कम से कम दो आदमी होना चाहिये, अगर एक शख्स ने इजाजत लेकर नालिश कर दी तो बाद को एक शख्स और ऐडवोकेट जनरल की मजूरी लेकर शामिल किये जाने से, उस का ऐब दूर नहीं होता है

आम-लोगों को तकलीफ दायक कामः—अमर बायस तकलीफ दो किस्म के होते हैं—(१) आम (२) खास—आम तकलीफ दायक काम

हिस्सा—५.

कार्रवाई खास.

सालसी यानें पंचायत.

दफा ८९. अहकाम एक्ट सालसी हिन्द सन १८९९ ई० या किसी कानून मजारिया वक्त छोड़ कर कुल हुक्म सुपुरदगी पंचायत जो किसी मे बजरिये हुक्म या किसी और तरह से हो, और कार्रवाई बमूजिब उस के इस एक्ट के जमीमा २ मे दर्ज हुये हुक्मों के ताबे होंगी.

(२) अहकाम मुन्दर्जा जमीमा २ किसी ऐसी पंचायत पर असर न करेगी, जो इस एक्ट के जारी होने के वक्त मुलतवी हो, मगर उस पंचायत से ताल्लुक रखेगा कि जो बाद तारीख मजकूर किसी ऐसे इकरार या सुपुर्दगी के रू से, अमल में आय जो इस एक्ट के जारी होने के पहले किया गया हो.

तशरीह—यह दफा एक्ट न. ९ सन १८९९ ईस्वी से नई काय की गई है—एक्ट पचायत हिन्द न ९ सन १८९९ तारीख १ जुलाई स १८९९ ई० से अमल में आया—वह ऐसी पचायत को लागू होता है, फरीक आपस में इकरार करके अपने मामला की पचायत बगैर मदद अदाल कराना चाहे और एक्ट मजकूर के रू से पचायत सिर्फ दो सूरतों में ह सकेगी, यानी (१) जिस मामला की पचायत कराना है उसक निस्बत कोई नालिश अदालत में मुलतवी न होवे (२) अगर उस मामल की निस्बत कोई फरीक दायर करना चाहे तो वैसी नालिश सिर्फ शहर प्रेसिडन्सं में दायर हो सके और दीगर मुकाम में नहीं—(इ, ला, रि कलकत्ता जि ३५ सफा १९९, २००)—

ऐडवोकेट जनरल की मंजूरी तहरीरी लेकर उस पर नालिश दीवानी हस्ब दफा ६१ रुजू कर सक्ते हैं गो उन को कोई खास नुकसान न पहुंचा हो, और नालिश में यह दादरसी चाही जासक्ती है कि वह घोड़ा गाड़ी खड़ा न रखे और उस के नाम हुक्म इम्तनाई जारी किया जावे कि आइंदा वह वैसा तकलीफ दायक काम करने से रोका जावे—अगर वैसा हुक्म इम्तनाई पाने का भी वह घोड़ा गाड़ी आम सड़क पर खड़ा रखे या खड़ा रखना जारी रखे तो वह अदालत के अपमान का दोषी होगा अगर हुक्म इम्तनाई हाई कोर्ट ने जारी किया है—(इ ला रि मद्रास जिल्द २६ सफा ४१४)—या उस के साथ कार्रवाई हस्ब आर्डर न २१ कायदा ३२ अमल में लाई जावेगी, यानी, वह जहर खाना दीवानी में बन्द किया जायगा या उस की जायदाद कुर्क की जायगी—या उस को जुर्म दफा २९१ ताजीरात हिन्द में सजा कैद या जुरमाना या दोनों की दी जावेगी

अगर घोड़ा वो गाड़ी किसी शख्स के मकान के सामने खड़े रखे जावें, ताकि मकान वाले के मुलाकातियों को आने जाने में तकलीफ हो और मकान में घोड़ा गाड़ी से अंधेरा पड़ जाय और मकान में रहने वालों को घोड़ा की लीद वो पेशाब की बदबूह से तकलीफ पहुंचे, तो मकान के रहने वाले गाडी घोड़ा रखने वाले पर हरजाना की नालिश चला सक्ते हैं क्योंकि उन को खास नुकसान पहुंचा—(वी रि, जिल्द २१ सफा ४०८)

यह वाकेआ, ऐडवोकेट जनरल ने मकान के रहने वालों के इत्तला देने पर नालिश दायर की है या मकान के रहने वालों ने ऐडवोकेट जनरल की तहरीरी मन्जूरी लेकर वो खुद मुद्दई बन कर नालिश दायर की है, इस बात को न रोकेगा कि मकान के रहने वाले अपनी खासगी नालिश, खास हरजाना के लिये जो उन्हें पहुंचा हो, दायर न कर सकें

अगर बायस तकलीफ आम की नालिश तीन तरह से चल सक्ती है:—

(१) खुद ऐडवोकेट जनरल की तरफ से बहैसियत सरकारी,

(२) ऐडवोकेट जनरल की तरफ से लोगों की दरखास्त पर,

(३) दो या ज्यादा शख्सों की तरफ से जब कि उन्होंने ऐडवोकेट जनरल की तहरीरी मन्जूरी हासिल की हो,

वैसा फेल या तर्क फेल, यानी, ऐसा काम करना या न करना, होता है जिस से आम लोगों को नुकसान, खतरा, या तकलीफ वो रंज पहुंचता है, जो मोहल्ले में रहते हैं या जायदाद रखते हैं; या जिस काम के करने से या न करने से उन लोगों को नुकसान या मुज़ाहमत या खतरा या रंज जरूर करके पहुंचेगा जिन्हें किसी इस्तहक़ाक़ आम के काम में लाने की जरूरत है (देखो दफा २६८ ताजीरात हिन्द)

आम तकलीफ दायक काम करने वाले शख्स को वैसा काम करने से रोकने के तीन इलाज हैं—

(१) उस पर मुकद्दमा फौजदारी ताजीरात हिन्द के रू से लाना,

(२) उस पर नालिश दीवानी हस्ब दफा ९१ मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी दायर करना

(३) अगर वैसे तकलीफ दायक काम से किसी खास शख्स को कोई खास नुकसान पहुंचा हो, तो वैसे शख्स की नालिश करने पर तकलीफ पहुंचाने वाले शख्स से तकलीफ पाने वाले शख्स को हरजाना दिलाना, बशर्ते कि तकलीफ जो पहुंची उस तकलीफ से ज्यादा न हो जो आम लोगों को पहुंचे—(इ० ला रि० इलाहाबाद जिल्द २१ सफा ४४४).

— यह तीनों इलाज एक साथ काम में लाये जासक्ते हैं—यानी, फौजदारी मुकद्दमा चलाने से नालिश दीवानी की दायरी में कोई रुकावट न होगी और न नालिश दीवानी दायर करने से मुकद्दमा फौजदारी चलाने में कोई रुकावट होगी गो किसी सूरत में यह मुमकिन है कि शायद ऐडवोकेट जनरल अपनी मजूरी देने से इंकार करें जब कि उसी फेल या तरक फेल के निस्बत मुकद्दमा फौजदारी चल रहा हो (देखो रिसाला जौस Goyce सा का दरबारे हुक्म इम्तनाई सफा १३०)

एक शख्स अपना घोड़ा वो गाड़ी आम सड़क पर गैर मामूल वक्त तक खड़ा रखता है, तो ऐसी सूरत में उस पर मुकद्दमा फौजदारी चल सक्ता है और इस के सिवाय ऐडवोकेट जनरल खुद या दो या दो से ज्यादा शख्स

ऐडवोकेट जनरल की मन्जूरी तहरीरी लेकर उस पर नालिश दीवानी हस्ब दफा ९१ रूजू कर सक्ते हैं गो उन को कोई खास नुकसान न पहुचा हो, और नालिश में यह दादरसी चाही जासक्ती है कि वह घोड़ा गाड़ी खड़ा न रखे और उस के नाम हुक्म इम्तनाई जारी किया जावे कि आइंदा वह वैसा तकलीफ दायक काम करने से रोका जावे—अगर वैसा हुक्म इम्तनाई पाने का भी वह घोड़ा गाड़ी आम सड़क पर खड़ा रखे या खड़ा रखना जारी रखे तो वह अदालत के अपमान का दोषी होगा अगर हुक्म इम्तनाई हाई कोर्ट ने जारी किया है— इ ला रि मद्रास जिल्द २६ सफा ४६४)—या उस के साथ कार्रवाई हस्ब आर्डर न २१ कायदा ३२ अमल में लाई जावेगी, यानी, वह जहल खाना दीवानी में बन्द किया जायगा या उस की जायदाद कुर्क की जायगी—या उस को जुर्म दफा २६१ ताजीरात हिन्द में सजा कैद या जुरमाना या दोनों की दी जावेगी

अगर घोड़ा वो गाड़ी किसी शख्स के मकान के सामने खड़े रखे जावें, ताकि मकान वाले के मुलाकातियों को आने जाने में तकलीफ हो और मकान में घोड़ा गाड़ी से अंधेरा पड जाय और मकान में रहने वालों को घोड़े की लीद वो पेशाब की बदबूह से तकलीफ पहुचे, तो मकान के रहने वाले गाडी घोडा रखने वाले पर हरजाना की नालिश चला सक्ते हैं क्योंकि उन को खास नुकसान पहुचा—(वी रि जिल्द २१ सफा ४०८)

यह वाकैआ, ऐडवोकेट जनरल ने मकान के रहने वालों के इत्तला देने पर नालिश दायर की है या मकान के रहने वालों ने ऐडवोकेट जनरल की तहरीरी मन्जूरी लेकर वो खुद मुद्दई बन कर नालिश दायर की है, इस बात को न रोकेगा कि मकान के रहने वाले अपनी खासगी नालिश, खास हरजाना के लिये जो उन्हें पहुचा हो, दायर न कर सकें

अगर बायस तकलीफ आम की नालिश तीन तरह में चल सक्ती है:—

(१) खुद ऐडवोकेट जनरल की तरफ से बहेसियत सरकारी,

(२) ऐडवोकेट जनरल की तरफ से लोगों की दरखास्त पर,

(३) दो या ज्यादा शख्सों की तरफ से जब कि उन्होंने ऐडवोकेट जनरल की तहरीरी मन्जूरी हासिल की हो,

यह जरूर नहीं है कि मन्जूरी लेने वालों को खुद तकलीफ पहुची हो:—

हुक्म इम्तनाई:—हुक्म इम्तनाई नीचे लिखे हुए उसूलों पर जारी होगा

(१) जब कि नुकसान भारी वो लाइलाज हो और बराबर जारी रखा गया हो

(२) अगर दर असल कोई नुकसान न पहुचाया गया हो तो यह साबित करना चाहिये कि भारी खतरा पहुचने वाला था और वैसे खतरा पहुचने से भारी नुकसान होता;

(३) या कोई भारी नुकसान साबित न हुवा हो तो भी अदालत हुक्म इम्तनाई जारी कर सकी है अगर मुदायलेह वैसा काम, जारी रखने के लिये अपना हक बतलाते हैं जिस के करने के लिये अदालत ने उस को हकदार नहीं करार दिया

(४) जब कोई नाजायज काम किया गया हो और उस की किस्म से यह मालूम होता हो कि उस से आम लोगों को नुकसान पहुचता है तो हुक्म इम्तनाई वैसा काम, रोकने के लिये जारी हो सकेगा, और आम लोगों को दर असल नुकसान पहुचा या नहीं पहुचा इस सबूती की जरूरत न होगी,

(५) हुक्म इम्तनाई जारी होने पर मुदायलेह का काम है कि उस की तामील करे चाहे तामील करने में उस को कितनाही खर्चा और गैर सहूलियत पड़े,

(६) तकलीफ दायक काम चाहे कितने ही अरसा से होता चला आ रहा हो कानूनन जायज न होगा—गो १२ साल तक करते रहने से किसी खास शख्स को बोलने का या उजर करने का हक न रहा हो तो भी आम लोगों का वैसा काम बन्द कराने के लिये हक हासिल है- [बंगाल ला रि जि ७ सफा ४९९]

(७) तकलीफ दायक काम की माफी इस बिना पर न होगी कि उस से कुछ सहूलियत या फायदा पहुचता है.

के इस्तकरार हक्क की नालिश दायर कर सकें हैं कि वे आम सड़क से ताजिया निकालने के हकदार करार दिये जावें और जो लोग उन को रोक टोक करते हैं वे बजरिये हुक्म इम्तनाई रोक टोक करने से बचा रखें जावें—(इ ला रि बम्बई जिल्द २ सफा ४५७, इ ला. रि बम्बई जिल्द ३२ सफा ४७८)

फिकरा—(२) मजिस्ट्रेट को हस्ब मजमूआ जाब्ता फौजदारी तकलीफ दायक काम के रोक ने के लिये अख्त्यार हासिल हैं—[देखो दफा १३३ से १४४ तक मजमूआ जाब्ता फौजदारी)

गो मजिस्ट्रेट ने मजमूआ जा फौ के मुताबिक अमल किया हो ताहम जिस खास शख्स को कोई खास नुकसान पहुचा हो वह अदालत दीवानी में अलेहदा नालिश दायर कर सक्ता है और वैसे तकलीफ दायक काम को हटवा सक्ता है–[इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३ सफा २०]

आम सड़क के हिस्से को रोकना अमर बायस तकलीफ में दाखल होगा क्योंकि उस से आम लोगों के आने जाने में तकलीफ होती है–सड़क दबाने या रोकने वाला यह नहीं कह सक्ता कि सड़क बहुत चौड़ी है और उस का सिर्फ एक थोड़ा हिस्सा दबाया गया है और दबाने पर भी सड़क इतनी चौड़ी है कि आमद रफ्त में कोई हरज नहीं हो सक्ता, उस का ऐसा उजर सुनने के लायक न होगा क्योंकि आम लोगों का हक्क उस दबाये हुये हिस्से पर भी जाने आने का उसी तरह है कि जैसी पूरी सड़क पर—(इ ला रि. मद्रास जि २० सफा ४३२) इसी तरह यह उजर काबिल समाअत न होगा, कि दबाये हुये हिस्सा पर लोगों कि आमद रफ्त कम है

लोगों के किसी फिरका के दिलको दुखाना अमर बायस तकलीफ आम में दाखल न होगा— हिन्दूस्थान में एक फिरका के लोग अकसर ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरे फिरका के लोगों का दिल दुखता है अगर हिन्दू मंदर के पास कोई मुसलमान अपना मुसलमानी निशान रखे तो यह अमर बायस तकलीफ आम की हद को न पहुचेगा—गो वैसा करने से हिन्दूओं का दिल दुखे (इ० ला रि मद्रास जि० ७ सफा ५६०).

इसी तरह मकान के बाड़े में खाने के लिये गोश्त खुला रखना तकलीफ

दायक काम न होगा—गो वैसा खुला रखने से जैनी धर्म वालों का दिल दुखे जो उस मकान के पास वाले मन्दर में दरशनों को जाते हैं. (इ ला रि बम्बई जि० १२ सफा ४३७).

मगर आम सडक पर जान बूझ कर मवेशी जिवह करना (मारना) इस तरह कि उसके चिल्लाने की आवाज सब को सुनाई पडे और उसका खून सब को दिखाई पड़े जो उस रास्ते से आते जाते हों, अमर बायस तकलीफ आम होगा—(इ ला. रि अलाहाबाद जि० १० सफा ४)—

ऐसे कुत्ते का रखना जो रात को खूब जोर से भोंकता हो अमर बायस तकलीफ आम दाखल होगा (नोट क्रिमिनल ला. जि० १ सफा ६४७).

दफा ९२. (१) जो अमानत साफ तौर से या मानवी तौर से खैराती या मजहबी किस्म के आम गरजों के लिये करार दी गई हो, अगर उस की खिलाफ वरजी वयान की जाय, या ऐसी अमानत के इन्तजाम के लिये अदालत की हिदायत जरूरी समझी जाय तो ऐडवोकेट जनरल या दो या कई शख्स, जो उस अमानत में गरज रखते हों, और ऐडवोकेट जनरल की रजामन्दी तहरीरी हासिल कर चुके हों, असल अदालत इब्तदाई दीवानी या किसी ऐसी अदालत में, जिस को इस के निसबत लोकल गवर्नमेंट ने अखत्यार दिये हों, और जिस के अखत्यार समाअत की हदूद अरजी के अन्दर कुल या कोई जुज चीज अमानत का वाके हो, वास्ते हासिल करने नीचे लिखी हुई बातों के नालिश चाहे वह तकरारी हो या न हो दायर कर सके हैं:—

खैरात आम.

(क) मौकूफ किसी अमानतदार के,

(ख) मुकर्ररी नये अमीन या अमानतदार के;

(ग) [illegible] याने [illegible] जाने [illegible] को, [illegible] का अमीन

[illegible] और तहकी-

कात का,

(ङ) करार दिये जाने इस बात के कि जायदाद अमानती का किस कदर हिस्सा या हक किसी खास गरज अमानत के वास्ते अलेहदा किया जायगा,

(च) दिये जाने इजाजत इस बात की कि कुल या कोई हिस्सा जायदाद अमानती किराये या पट्टे पर दिया जाय, या बै, किया जाये या रहन, रखा जाये, या बदल लिया जाय,

(छ) करार देना जाब्ता का—या,

(ज) दादरसी मजीद [अधिक] या और किसी तरह की ऐसी दूसरी दादरसी जो मुकदमे की किस्म से जरूरी हो.

[२] सिवाये उस के जैसा कि एक्ट वक्फ मजहबी सन १८६३ ई० (की दफा १४) में हुक्म है, कोई नालिश वास्ते हासिल करने किसी दादरसी मुन्दरजे शिकमी दफा (१) दफा हाजा के किसी अमानत मुन्दरजे जिमन मजकूर की निस्बत दायर नहीं की जायगी, सिवाय मुताबिक हुक्म शिकमी दफा मजकूर के

तशरीह.—पुरानी दफा के लिये देखो दफा ५३९—इस दफा के लिये जायदाद मुकदमा वास्ते काम आम के होना चाहिये, याने किसी मदर मसजिद वगैरा में लगी हो, और जिस से आम को फायदा पहुचता हो

जायदाद जो किसी मदर में लगी है, और उस की जायद आमदनी के लिये यह हुक्म है कि मुसाफरों को खाना दिया जावे, और सदाबर्त दिया जावे, तो वह अमानत वास्ते आम के है—(इ ला. रि बम्बई जिल्द २३ सफा ६५९, वो इ ला रि कलकत्ता जिल्द २३ सफा १४५)

जायदाद अमानत वास्ते किसी मूरती, और मन्दर के खैरात आम की गरज से समझी जावेगी—(इ ला. रि बम्बई जिल्द १२ सफा २४७ वो इ. ला

रि. बम्बई जिल्द २४ सफा ५०).

कोई शख्स जिस को अमानत की तामील से फायदा पहुंचे नालिश कर सक्ता है—(इ. ला रि मदरास जिल्द २१ सफा १०).

जब तक कि कोई नालिश, खिलाफ वरजी अमानत या वास्ते हुक्म अदालत निसबत इन्तजाम अमानत के न हो तो मुकदमा इस दफा में नहीं आता है—(इ ला रि बम्बई जिल्द २२ सफा ४१६)

नालिश वास्ते मुकर्ररी नये अमानतदार के इस वजह पर कि मुद्दायलेहुम जायज अमानतदार नहीं है, इस दफा के मुताबिक है—(इ. ला. रि मदरास जिल्द २६ सफा ४५०).

यह दफा उन मामलात में भी लागू है जिस में जायदाद चंदे से खरीदी गई, और मसजिद को देदी गई, और निसबत उस शख्स के भी जो जायज तौर से अमानतदार मुकर्रर नहीं हुआ है, और बतौर अमानतदार अपने को जायदाद पर काबिज रहना बयान करता है—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १९ सफा १०६)

मुकदमा किसी मूरती के नाम से दायर नहीं किया जा सक्ता, बल्कि उस के मेनेजर, के नाम से होना चाहिये—(इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १९ सफा ३३०).

नालिश बमूजिब दफा हाजा में मद १७ जमीमा २ एक्ट कोर्ट फीस लागू होगा—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १९ सफा ६०)

कौन शख्स नालिश कर सके हैं:—नीचे लिखे शख्स इस दफा की रू से नालिश दायर कर सके हैं

(१) ऐडवोकेट जनरल, प्रेसीडेन्सी शहर के बाहर कलेक्टर या ऐसा दूसरा अफसर जिसे लोकल गवर्नमेंट इस काम के लिये मुकर्रर करे (देखो दफा ९३).

(२) दो या दो से ज्यादा शख्स जो जायदाद जमाअत में हक रखते हैं और जिन्होंने ऐडवोकेट जनरल की तहरीरी मंजूरी हासिल की है—मंजूरी नाम से दी जाना चाहिये एक को मंजूरी नाम से देना और दूसरे को बगैर नाम के देना काफी न होगा

(इ. ला रि अलाहाबाद जि० २५ सफा १६२)

नालिश एक के नाम से करना जिसको मजूरी मिली है और फिर अर्जी-दावी को दूसरे का नाम जोड कर तरमीम कराना, गो वैसी तरमीम ऐडवोकेट जनरल से दफा के खिलाफ होगा—(इ ला रि. बम्बई जि० ३० सफा ६०३).

जायदाद अमानती में हक—मन्दर में पूजा करने के लिये जिनको हक है वे ऐडवोकेट जनरल की मजूरी मे नालिश दायर कर सके हैं–(इ ला रि. कलकत्ता जि० २४ सफा ४१८)

इसी तरह पड़ा लोग जो यात्रीयों को ले जाते हैं और उनकी तरफ से पूजा करते हैं नालिश दायर कर सक्ते हैं—(इ ला रि. बम्बई जि० २४ सफा ५०)

आम कामः—मठ जो दीगर तौर से खासगी है आम मठ सिर्फ इस वजह से नहीं समझा जावेगा कि गुरू पूजा के दिन वहा चद लोगों को भोजन दिया जाता हैं और गरमी के दिनों में उसमें प्याऊ बिठलाई जाती है–(इ ला रि मद्रास जि० १४ सफा १, ६, ७,)

दादरसी—दादरसी सिर्फ उन्ही सात बातों की होगी जिसका जिक्र इस दफा में है वो जिसका मजूरी ऐटवोकेट जनरल ने दी है इनके सिवाय दीगर दादरसी अदालत मजूर न करेगी (इ ला रि बम्बई जि० २१ सफा २५७)

अमानतदार के निकालने के निस्बत ऐसा कोई मुकर्र कायदा नहीं है कि जो अमानतदार अपने को बतौर मालिक के समझाता है वह निकाले जाने के काबिल है—(इ ला. रि. बम्बई जि २२ सफा ४६३)—अगर मन्दर के मेनेजर का इन्तजाम ढीला वो फजूल खर्च हो और वह अपने दिल में यह ख्याल करता हो कि वही मन्दर की जायदाद का पूरा मालिक है और उस के इन्तजाम में कोई देख देख नहीं कर सक्ता तो यह उसको मन्दर के चारज से निकालने के लिये काफी सबब न होगा (इ ला रि बम्बई जि० २१ सफा ५५६)—

अमानतदारः—अदालत का मुकर्रर किया हुआ अमानतदार इस दफा की मनशा में बतौर अमानतदार दाखल है गो उसकी मुकर्री नाजायज कही

जाती है—(इ. ला. रि अलाहाबाद जि० ३५ सफा ८८)—

इसी तरह ऐसा अमानतदार बतौर अमानतदार समझा जावेगा जिसकी मुकर्रिरी नहीं हुई है मगर जो जायदाद अमानती के चारज में है और जो उनका इन्तजाम बतौर अमानती जायदाद के करता है (इ ला. रि. बम्बई जि० २३ सफा ६५६).

अगर नालिश वास्ते मुकर्ररी नये अमानतदार मन्दर इस बिना पर दायर की जाय कि मुद्दायलेहूम जायज जमानतदार नहीं है और अमानतदार की जगह खाली है तो ऐसी नालिश फिकरा (ख) दफा ९२ में दाखल होगी—(इ ला रि मदरास जि० २६ सफा ४५०)—

इन्तजाम के लिये जाब्ता कारवाई फिकरा (छ)—अदालत का बनाया हुवा जाब्ता कार्रवाई बदला जा सक्ता है अगर वैसे बदलने के लिये कोई माकूल सबब होवे—(इ ला रि मद्रास जि २६ सफा २६४)

लेकिन अगर जाब्ता कार्रवाई एक दफे बन गया हो तो नालिश वास्ते इन्तजाम करने जायदाद बतौर हक्क खानगी, मसलन, कायम कराने हक पुसतैनी अमानतदारी की न चल सकेगी क्योंकि ऐसा हक कायम होने से जाब्ता कार्रवाई में दस्तनदाजी होगी—(इ ला. रि मद्रास जि २६ सफा २६४)

इस फिकरा के बमूजिब जाब्ता कार्रवाई बनाते वक्त एक फिकरा निस्बत निकालने पुराने अमानतदार वो मुकर्ररी नये अमानतदार के हो सक्ता है और डिक्री की इजराय में वैसी मौकूफी वो मुकर्ररी अमल में आ सक्ती है—ऐसा करने से अलेहदा नालिश दायर करने की तकलीफ वो खर्चा बच जावेगा—(इ ला रि बम्बई जि. २४ सफा ४५; इ ला रि. मद्रास जि २८ सफा ३१९).

फिकरा [ज] दीगर दादरसी—"दीगर दादरसी" से सिर्फ वैसी या उसी किस्म की दादरसी मुराद है जो ऊपर लिखे ७ किस्मों में दाखल हो सके और उसी जायदाद अमानती से ताल्लुक रखे जिस की निस्बत नालिश दायर की गई—अगर दादरसी सिर्फ यह होवे कि कोई जायदाद बतौर वक्फ करार दी जावे तो ऐसी दादरसी इस दफा में दाखल न होगी और न उस की निस्बत नालिश चल सकेगी—(इ ला. रि. अलाहाबाद जि २५ सफा ६३१ ६३५)—इसी तरह नालिश [illegible] की कि मुद्दईयान मन्दर वो मन्दर की जायदाद

के अमानतदार करार दिये जावें, इस दफा में दाखिल न होगी—(इं॰ ला रि कलकत्ता जि॰ ३३ सफा ७८६, ८१०).

यह दफा सिर्फ तीन सूरतों में लागू होगी —

(१) जब कि अमानत साफ तौर से या मानवी तौर से (मतलब से समझ कर) खैराती या मजहबी किस्म के आम गरजों के लिये करार दी गई हो —

(२) जब कि वैसी अमानत में तुर्ज यानी उल्लंघन हुई हो या वैसी अमानत के ठीक इन्तजाम के लिये अदालत की मदद जरूरी समझी जावे; —

(३) जब कि दादरसी इस दफा के फिकरा (क) से (ज) तक जितने फिकरे हैं उन में से किसी एक या दूसरे की निस्बत होवे.

जब यह तीनों शर्तें पूरी हों, तो फिर यह देखना चाहिये कि नालिश खुद ऐडवोकेट जनरल ने दायर की है या उस की मंजूरी से ऐसे दो या ज्यादा शख्सों ने दायर की है जिन का उस अमानत में हक है—अगर ऊपर लिखी बातों में से किसी एक बात की खामी (कच्चा पन) हो, तो नालिश न चल सकेगी.

नालशात निस्बत हक खानगी —इस किस्म की नालिशें मामूली तौर से चलेंगी न कि इस दफा की रू से (इं॰ ला रि बम्बई जिल्द ३३ सफा ५१० ५२८, ५३०)—मसलन —

(१) अगर कोई शख्स किसी दरगाह का शामलाती अमानतदारी का दावा करे और उस हैसियत से मुद्दायलेह के साथ दरगाह के इन्तजाम वो आमदनी में हिस्सा लेने के लिये अपना हक बतलावे तो उस की नालिश इस दफा के मुताबिक न चल सकेगी—(इं॰ ला रि बम्बई जिल्द २२ सफा ४९६)

(२) एक आतिश कदा यानी अग्नि मन्दर के हक पर जो उन्हें हासिल था, और जिस को वे अमल में ला रहे थे, मुद्दायलेहुम ने दस्तन्दाजी किया तो वैसे हक के बरकरार रखने की नालिश इस दफा में दाखिल न होगी (इं॰ ला रि बम्बई जिल्द २८ सफा २०५४).

जाती है—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० ३५ सफा ९८)—

इसी तरह ऐसा अमानतदार बतौर अमानतदार समझा जावेगा जिसकी मुकर्ररी नहीं हुई है मगर जो जायदाद अमानती के चारज में है और जो उनका इन्तजाम बतौर अमानती जायदाद के करता है (इ. ला. रि. बम्बई जि० २३ सफा ६५६)

अगर नालिश वास्ते मुकर्ररी नये अमानतदार मन्दर इस बिना पर दायर की जाय कि मुद्दायलेहुम जायज अमानतदार नहीं है और अमानतदार की जगह खाली है तो ऐसी नालिश फिकरा (ख) दफा ९२ में दाखल होगी—(इ. ला. रि. मदरास जि० २६ सफा ४५०)—

इन्तजाम के लिये जाब्ता कारवाई फिकरा (छ):—अदालत का बनाया हुवा जाब्ता कार्रवाई बदला जा सक्ता है अगर वैसे बदलने के लिये कोई माकूल सबब होवे—(इ. ला. रि. मद्रास जि. ३६ सफा ३६४)

लेकिन अगर जाब्ता कार्रवाई एक दफे बन गया हो तो नालिश वास्ते इन्तजाम करने जायदाद बतौर हक्क खानगी, मसलन, कायम कराने हक पुसतैनी अमानतदारी की न चल सकेगी क्योंकि ऐसा हक्क कायम होने से जाब्ता कार्रवाई में दस्तनदाजी होगी—(इ. ला. रि. मद्रास जि. ३६ सफा ३६४)

इस फिकरा के बमूजिब जाब्ता कार्रवाई बनाते वक्त एक फिकरा निस्बत निकालने पुराने अमानतदार वो मुकर्ररी नये अमानतदार के हो सक्ता है और डिक्री की इजराय में वैसी मौकूफी वो मुकर्ररी अमल में आ सक्ती है—ऐसा करने से अलेहदा नालिश दायर करने की तकलीफ वो खर्चा बच जावेगा—(इ. ला. रि. बम्बई जि. २४ सफा ४५; इ. ला. रि. मद्रास जि. २८ सफा ३१९)

फिकरा [ज] दीगर दादरसी—"दीगर दादरसी" से सिर्फ वैसी या उसी क़िस्म की दादरसी मुराद है जो ऊपर लिखे ७ क़िस्मों में दाखल हो सके और उसी जायदाद अमानती से ताल्लुक रखे जिस की निस्बत नालिश दायर की गई—अगर दादरसी सिर्फ यह होवे कि कोई जायदाद बतौर वक्फ करार दी जावे तो ऐसी दादरसी इस दफा में दाखल न होगी और न उस की निस्बत नालिश चल सकेगी—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जि. २५ सफा ६३१ ६३५)—इसी तरह नालिश इस्तकरार हक्क इस अमर की कि मुद्दईयान मन्दर वो मन्दर की जायदाद

के अमानतदार करार दिये जावें, इस दफा में दाखल न होगी—(इ. ला. रि कलकत्ता जि. ३२ सफा ७८६, ८१०).

यह दफा सिर्फ तीन सूरतों में लागू होगी —

(१) जब कि अमानत साफ तौर से या मानवी तौर से (मतलब से समझ कर) खैराती या मजहबी किस्म के आम गरजों के लिये करार दी गई हो —

(२) जब कि वैसी अमानत में टूट यानी उल्लंघन हुई हो या वैसी अमानत के ठीक इन्तजाम के लिये अदालत की मदद जरूरी समझी जावे;—

(३) जब कि दादरसी इस दफा के फिकरा (क) से (ज) तक जितने फिकरे हैं उन में से किसी एक या दूसरे की निस्बत होवे.

जब यह तीनों शर्तें पूरी हों, तो फिर यह देखना चाहिये कि नालिश खुद ऐडवोकेट जनरल ने दायर की है या उस की मंजूरी से ऐसे दो या ज्यादा शख्सों ने दायर की है जिन का उस अमानत में हक़ है—अगर ऊपर लिखी बातों में से किसी एक बात की खामी (कच्चा पन) हो, तो नालिश न चल सकेगी

नालशात निस्बत हक खासगी—इस किस्म की नालिशें मामूली तौर से चलेंगी न कि इस दफा की रू से (इ. ला रि बम्बई जिल्द ३३ सफा ५१० ५२६, ५३०)—मसलन —

(१) अगर कोई शख्स किसी दरगाह का शामलाती अमानतदारी का दावा करे और उस हैसियत से मुद्दायलेह के साथ दरगाह के इन्तजाम वो आमदनी में हिस्सा लेने के लिये अपना हक़ बतलावे तो उस की नालिश इस दफा के मुताबिक न चल सकेगी—(इ ला रि. बम्बई जिल्द २७ सफा ४६६)

(२) एक आतिश कदा यानी अग्नि मन्दर के हक पर जो उन्हें हासिल था, और जिस को वे अमल में ला रहे थे, मुद्दायलेहुम ने दस्तनदाजी किया तो वैसे हक के बरकरार रखने की नालिश इस दफा में दाखल न होगी (इ ला रि बम्बई जिल्द २८ सफा २०५४).

जाती है—(इ. ला. रि अलाहाबाद जि० ३५ सफा ९८)—

इसी तरह ऐसा अमानतदार बतौर अमानतदार समझा जावेगा जिसकी मुकर्ररी नहीं हुई है मगर जो जायदाद अमानती के चारज में है और जो उनका इन्तजाम बतौर अमानती जायदाद के करता है (इ ला. रि. बम्बई जि० २३ सफा ६५९).

अगर नालिश वास्ते मुकर्ररी नये अमानतदार मन्दर इस बिना पर दायर की जाय कि मुदायलेहुम जायज अमानतदार नहीं है और अमानतदार की जगह खाली है तो ऐसी नालिश फिकरा (ख) दफा ९२ में दाखल होगी—(इ ला रि मदरास जि० २६ सफा ४५०)—

इन्तजाम के लिये जाब्ता कारवाई फिकरा (छ)—अदालत का बनाया हुवा जाब्ता कार्रवाई बदला जा सक्ता है अगर वैसे बदलने के लिये कोई माकूल सबब होवे—(इ ला रि मद्रास जि ३६ सफा ३६४).

लेकिन अगर जाब्ता कार्रवाई एक दफे बन गया हो तो नालिश वास्ते इन्तजाम करने जायदाद बतौर हक खानगी, मसलन, कायम करने हक पुस्तैनी अमानतदारी की न चल सकेगी क्योंकि ऐसा हक कायम होने से जाब्ता कार्रवाई में दस्तनदाजी होगी—(इं ला. रि मद्रास जि ३६ सफा ३६४)

इस फिकरा के बमूजिब जाब्ता कार्रवाई बनाते वक्त एक फिकरा निस्बत निकालने पुराने अमानतदार वो मुकर्ररी नये अमानतदार के हो सक्ता है और डिक्री की इजराय में वैसी मौकूफी वो मुकर्ररी अमल में आ सक्ती है—ऐसा करने से अलेहदा नालिश दायर करने की तकलीफ वो खर्चा बच जावेगा—(इं ला रि बम्बई जि. २४ सफा ४५; इ ला रि मद्रास जि. २८ सफा ३१९)

फिकरा [ज] दीगर दादरसी—"दीगर दादरसी" से सिर्फ वैसी या उसी किस्म की दादरसी मुराद है जो ऊपर लिखे ७ किस्मों में दाखल हो सके और उसी जायदाद अमानती से ताल्लुक रखे जिस की निस्बत नालिश दायर की गई—अगर दादरसी सिर्फ यह होवे कि कोई जायदाद बतौर वक्फ करार दी जावे तो ऐसी दादरसी इस दफा में दाखल न होगी और न उस की निस्बत नालिश चल सकेगी—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जि २५ सफा ६३१ ; ६३५)—इसी तरह नालिश इस्तकरार हक इस अमर की कि मुद्दईयान मन्दर वो मन्दर की जायदाद

के अमानतदार करार दिये जावें, इस दफा में दाखल न होगी—(इ. ला रि कलकत्ता जि. ३३ सफा ७८६, ८१०).

यह दफा सिर्फ तीन सूरतों में लागू होगी —

(१) जब कि अमानत साफ तौर से या मानवी तौर से (मतलब से समझ कर) खैराती या मजहबी किस्म के आम गरजों के लिये करार दी गई हो —

(२) जब कि वैसी अमानत में टूट यानी उल्लंघन हुई हो या वैसी अमानत के ठीक इन्तजाम के लिये अदालत की मदद जरूरी समझी जावे: —

(३) जब कि दादरसी इस दफा के फिकरा (क) से (ज) तक जितने फिकरे हैं उन में से किसी एक या दूसरे की निस्बत होवे.

जब यह तीनों शर्तें पूरी हों, तो फिर यह देखना चाहिये कि नालिश खुद ऐडवोकेट जनरल ने दायर की है या उस की मंजूरी से ऐसे दो या ज्यादा शख्सों ने दायर की है जिन का उस अमानत में हक है—अगर ऊपर लिखी बातों में से किसी एक बात की खामी (कच्चा पन) हो, तो नालिश न चल सकेगी.

नालशात निस्बत हक खासगी —इस किस्म की नालिशें मामूली तौर से चलेंगी न कि इस दफा की रू से (इ ला रि बम्बई जिल्द ३३ सफा ५१० ५२६, ५३०)—मसलन —

(१) अगर कोई शख्स किसी दरगाह का शामलाती अमानतदारी का दावा करे और उस हैसियत से मुद्दायलेह के साथ दरगाह के इन्तजाम की आमदनी में हिस्सा लेने के लिये अपना हक बतलावे तो उस की नालिश इस दफा के मुताबिक न चल सकेगी—(इ. ला रि. बम्बई जिल्द २२ सफा ४९६)

(२) एक आतिश कदा यानी अग्नि मन्दर के हक पर जो उन्हें हासिल था, और जिस को वे अमल में ला रहे थे, मुद्दायलेहुम ने दस्तनदाजी किया तो वैसे हक के बरकरार रखने की नालिश इस दफा में दाखल न होगी (इ ला रि बम्बई जिल्द २८ सफा २०५४).

(३) दो शख्स आपस में लड़ते हैं एक दावा करता है कि उसे जायदाद वक्फ पर मुतवल्ली के हक हकूक हासिल हैं और दूसरा दावा करता है कि उसे वैसे अखत्यारात हासिल हैं तो उन की नालिश इस दफा में दाखल न होगी (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफा २७३)

(४) नालिश दरमियान दो शख्स निस्बत इस अमर के कि खैराती जायदाद का जायज अमानतदार उन में से कौन है, इस दफा में दाखल न होगी (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ३३ सफा ७८९, ८०८)

(५) हाई कोर्ट अलाहाबाद की यह राय करार पाई है कि मुसलमान को जो हक मसजिद के इस्तेमाल करने का है वह खासगी हक है, न कि आम—यह हक मिस्ल वैसे हक के है कि जो खासगी सड़क के इस्तेमाल करने का होता है—जिस को वैसा हक होगा वही नालिश करने का मजाज होगा (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा १७८, १८२ १८३)—ऐसी नालिश में अहकामात दफा ९२ लागू न होंगे मगर ऐसी नालिश मामूली तौर से चल सकेगी अगर मसजिद की जायदाद मसजिद के इन्तजाम [illegible] ने [illegible] जो उस वक्त मसजिद के चार्ज में था, बेंच दी हो और [illegible] से अपना निजी करजा अदा किया [illegible] जाने का हक रखता है नालिश इस [illegible] कर सक्ता है कि जायदाद मजकूर [illegible] जावे और बैनामा मनसूख किया जा [illegible] किया जावे—(इ. ला रि. अलाह [illegible]

इसी तरह अगर मसजिद की जमीन दबा [illegible] मसजिद के इस्तेमाल करने का हक रखता है, [illegible] जमीन निकालने की नालिश रुजू कर सक्ता है [illegible] हालत में हो और कोई मुसल्मान जो मसजिद [illegible] मुसलमान उस की हालत देख कर उस [illegible]

और कोई तीसरा शख्स मरम्मत करने में उस की रोक टोक करे तो वह इस अमर की नालिश दायर कर सका है कि उस को मसजिद की मरम्मत का हक हासिल है और वैसा हक अदालत से करार दिया जावे—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा १७८).

नोट—मगर ख्याल रहे कि इस किस्म की नालिशें दफा ९१ की रू से न होगी, बलकि मामूली तौर से—लेकिन हाई कोर्ट कलकत्ता की राय इस के खिलाफ है–उस की राय है कि ऐसा हक **खासगी** हक नहीं है बलकि **आम** और नालिश वैसे हक को अमल में लाने के लिये और वैसा हक करार दिये जाने के लिये सिर्फ दफा ९२ के रू से चल सकेंगी न कि मामूली तौर से–[इ ला रि कलकत्ता जिल्द ८ सफा ३२—वो जिल्द ११ सफा ३३]

मगर इस के बाद एक मुकदमा जो उसी हाई कोर्ट [यानी हाई कोर्ट कलकत्ता] में फैसला हुवा उस में हाई कोर्ट की यह तजवीज करार पाई कि राय हाई कोर्ट अलाहाबाद सही और माकूल थी, कि मसजिद में इबादत करने का जो हक मुसलमान को हासिल है वह उस का खास आजादाना [स्वतन्त्र] हक है बगैर लिहाज हक दूसरे इबादत करने वालों का—(इ ला रिपोर्ट, कलकत्ता जिल्द २० सफा ८१०).

नालशात निस्बत दखलयाबी जायदाद अमानती जब कि वैसी जायदाद अमानतदारों ने मुन्तकिल की हो दफा ९२ में दाखल न होगी–वैसी नालशात मामूली तरीके से दायर होंगी—(इ ला रिपोर्ट, कलकत्ता जिल्द ३३ सफा ७८०, ८५०)

मौत मुद्दई:—जब कोई नालिश इस दफा की रू से दायर की गई हो और दौरान नालिश में से एक शख्स मर जाय तो नालिश जारी न रह सकेगी जब तक कि मुतवफ्फी की जगह पर दूसरे शख्स का नाम दर्ज न किया जाय और वह दूसरा शख्स वैसा होना चाहिये जो जायदाद अमानत में हक रखता है और उस ने ऐडवोकेट जनरल की मन्जूरी ली है—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ३७ सफा २९६)

मौत मुद्दायलेह—अगर नालिश, मुद्दायलेह के निकालने और जाब्ता कार्रवाई चलाने के लिये होवे, और मुद्दायलेह मर जावे तो मुद्दायलेह का जानशीन

यानी जो उस की जगह पर अमानतदार मुकर्रर हो, मुद्दायलेह बनाया जा सक्ता है और नालिश जारी रह सक्ती है लेकिन अगर नालिश सिर्फ मुद्दायलेह के निकालने की निस्बत हो तो नालिश साकित होगी यानी जारी न रहेगी—(मद्रास ला. जरनल जिल्द २८ सफा १७४).

अख्त्यारात ऐडवोकेट जनरल का प्रेसीडन्सी टाउन के बहार अमल के लाना

दफ़ा ९३ . अख्त्यारात जो दफा ९१ वो ९२ की रू से ऐडवोकेट जनरल को दिये गये हैं, जायज है कि प्रेसीडेन्सी शहर के बाहर बाद हासिल करने मंजूरी लोकल गवर्नमेंट के साहब कलेक्टर या वह उहदेदार जिसे लोकल गवर्नमेंट इस काम के लिये मुकर्रर करें, अमल मे ला सके हैं

तशरीह:— यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५३९ के आखरी फिकरे से कायम की गई है.

असिस्टेन्ट कलेक्टर को इस दफा की रू से ऐसी नालिश की दायरी के निसबत अपनी मजूरी कलेक्टर साहब की गैरहाजरी में देने का अख्त्यार नहीं है जिस का जिकर दफा ९२ या दफा ९१ में है जब ऐसी नालिश असिस्टेन्ट कलेक्टर की मजूरी से, न कि कलेक्टर साहब की मजूरी से दायर की जावे, तो अरजीदावा, बमूजिब आर्डर नं. ७ कायदा ११ खारिज किया जायगा—(इ ला. रि. बम्बई जिल्द ३५ सफा २४३).

हिस्सा—६.

तितम्मा कार्रवाई.

दफा ९४ इनसाफ में किसी तरह का हरज वो नुकसान
तितम्मा कार्रवाई.
न आने की गरज से अदालत, अगर ऐसी कार्रवाई मुकर्रर की गई है, नीचे लिखी हुई कार्रवाई कर सकी है —

(क) जारी करना वारंट गिरफ्तारी मुद्दालेह का, और उस को अदालत के रूबरू हाजिर कराना कि वह वजह बतलावे कि उस से जमानत वास्ते उस की हाजरी क्यों न ली जाय, और अगर वह किसी हुक्म जमानत की तामील न करे तो उस को जहलखाना दीवानी में भेजे,

(ख) हुक्म देना मुद्दायलेह को बाबत जमानत निसबत इस के कि वह कोई जायदाद जिस का मालिक वह खुद है, अदालत में पेश करे, और उस को अदालत की राय पर छोड़दे, या हुक्म कुरकी निसबत जायदाद के सादिर करे,

(ग) सदूर हुक्म इम्तनाई चंद रोजा और दर सूरत न मानने हुक्म मजकूर के, उस शख्स को जो हुक्म न माने जहलखाना दीवानी में भेजे, और हुक्म दे कि उस की जायदाद कुर्क और नीलाम की जावे,

(घ) किसी जायदाद का रिसीवर मुकर्रर करे और यह हुक्म दे कि अगर वह अपना काम अच्छी

तरह न करे तो उस की जायदाद कुर्क और नीलाम की जाय,

(च) ऐसे दीगर हुक्म दरम्यानी सादिर करे जो अदालत को ठीक और आसान मालूम हो

तशरीह —यह दफा नई काय की गई है

गिरफ्तारी वो कुरकी तजवीज के पहले—देखो आर्डर नं १८

हुक्म इम्तनाई चंद रोजा वो हुक्म दरमियानी - देखो आर्डर न. ३९

मुकर्ररी रिसीवर— देखो आर्डर न ४०

मावजा बसबब हासिल करने गिरफ्तारी या कुरकी या हुक्म इम्तनाई वजूह गैर काफी पर.

दफा ९५ (१) अगर किसी मुकदमा मे पिछली दफा के मुताबिक गिरफ्तारी या कुरकी हुई हो,या कोई हुक्म इम्तनाई चंद रोजा सादिर हुआ हो

(क) अगर अदालत को मालूम हो कि दरखास्त गिरफतारी या कुरकी या हुक्म इम्तनाई मजकूर की गैर काफी वजूहात पर की गई थी, या

(ख) अगर मुद्दई की नालिश साबित न हो, और अदालत को मालूम हो कि नालिश दायर करने की कोई वजह माकूल या मुनासिब न थी,

तो मुदायलेह अदालत मे दरखास्त दे सक्ता है और अदालत मजाज होगी कि दरखास्त मजकूर पर अपने हुक्म से मुद्दई के जिम्मे उस कदर रूपया जो एक हजार से जियादा न हो और जो मुदायलेह के लिये उस खर्चे या नुकसान के जो उस को [illegible] हो दिलावे—

शर्त [illegible] के बमूजिब उस

कदर रुपया नहीं दिला सकी है जो उस के अखत्यारत नक्दी से बढ़ कर हो.

(२) अगर किसी हुक्म की रू से तसफिया किसी ऐसी दरख्वास्त का कर दिया जाय तो बाबत उसी कुरकी या गिरफ्तारी या हुक्म इम्तनाई के फिर नालिश हरजा की नहीं हो सक्ती है

तशरीह:— इस दफा की रूसे मुद्दायलेह को दरख्वास्त देना लाजमी नहीं है —अगर उसने दरख्वास्त नहीं दी है तो वह दुबारा नालिश करने से रोका न जायगा

एक मुद्दायलेह जिस पर गो समन जारी नहीं हुआ मगर गिरफ्तार हुआ है तो दरख्वास्त देने का मुस्तहक है—[इ ला रि बम्बई जि० १५ सफा १६०] और दफा के बमूजिब यह जरूर नहीं है कि हुक्म सिर्फ डिक्री में होवे और बाद को न होवे बाद को अलेहदा हुक्म हो सक्ता है

दरख्वास्त उसी अदालत में होना चाहिये जिसने गिरफ्तारी कुरकी या हुक्म इम्तनाई जारी होने का हुक्म दिया हो दूसरी अदालत में नहीं हो सक्ती (इ ला रि. बम्बई जि०२२ सफा ४२).

इस दफा के हुक्म की नाराजी से अपील नहीं हो सक्ती है—(इ. ला रि मदरास जि० २४ सफा ६२)

लेकिन अब इस नये मजमुऐ के रू से ऐसा हुक्म बतौर हुक्म न कि बतौर डिक्री काबिल अपील होगा—(देखो दफा १०४ छ) नोट इस नई दफा के रू से मदरास की ऊपर लिखी हुई नजीर मनसूख की गई

मावजा मुद्दायलेह को सिर्फ दो सूरत में दिलाया जायगा:—यानी

(१) जब कि गिरफ्तारी या कुरकी तजवीज के पेश्तर अमल में लाई गई हो या हुक्म इम्तनाई चंद रोजा मंजूर किया गया हो और ऐसी गिरफ्तारी, या कुरकी या हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त गैर काफी वजूहात पर दी गई हो,

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

हिस्सा ७.

अपीलें.

अपील डिकरी इब्तदाई की नाराजी से—

दफा ९६. [१] उस सुरत को छोड़कर कि जिसके बाबत इस मजमूआ में या किसी और कानून मजारिया वक्त में कोई और हुक्म साफ दर्ज हो, दीगर सूरतों में अपील डिकरी की नाराजी से, जो अखत्यार रखने वाली इब्तदाई अदालत ने सादिर की हो, उस अदालत में हो सकेगी, जो ऐसी अदालत के फैसलों की नाराजी से अपील सुनने का अखत्यार रखती हो

अपील बनाराजगी डिकरी इब्तदाई.

[२] बनाराजी डिकरी इब्तदाई एक तरफा, अपील हो सकेगी.

[३] कोई अपील उस डिकरी की नाराजी से दायर न होगी जिसको अदालत ने बरजामन्दी फरीकैन सादिर की हो

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५४० से कायम की गई है.

अपील बनाराजी डिकरी न कि बनाराजी फैसला अदालत मातहत दायर की जाती है इस लिये अगर कोई फरीक किसी खास तनकीह के फैसले की निसबत अपील करना चाहे तो उस को सब के पहले डिकरी तरमीम की दरखास्त पेश करना चाहिये ताकि डिकरी का मजमून फैसले के मुताबिक कायम किया जाये [इ. ला. रि, कलकत्ता जि० ६ सफा ९१९]

जिस मुद्दायलेह के बरखिलाफ कोई डिकरी एक तरफा सादिर की गई हो, और उस ने कार्वाई बमूजिब आर्डर नबर ९ रूल १३ के अमल में न लाई हो तिस पर भी वह मुद्दायलेह इस दफा के आम हुक्मों के रू से ऐसी डिकरी के नाराजी से अपील कर सक्ता है-[इ. ला. रि. मदरास जि० ९

सफा ४९५] और अदालत अपील डिकरी को इस बिना पर मनसूख कर सक्ती है, के अदालत मातहत ने मुद्दायलेह के बरखिलाफ मुकदमें की एक तरफा कार्रवाई करने में गलती की-(इ. ला. रि. मदरास जि० ३० सफा ५४).

फिकरा ३ नया है.

अगर फरीकैन ने यह ठहराव किया हो कि डिकरी की नाराजी से अपील न करेंगे तो वैसा ठहराव फरीकैन पर लागू होगा बशर्ते कि वह ठहराव जायज बदल के साथ किया गया हो वो दीगर तौर पर नाजायज न हो-[इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ८ सफा ४५५].

मगर नाबालिग को वली का ऐसा इकरार कि अपील न करेंगे वली पर पाबन्द न होगा-(कुईन्स बेंच डिवीजन जि० २२ सफा ५७७).

कुल डिकरीयों की अपील हो सक्ती है मगर कुल हुकमों की नहीं-सिर्फ वैसे हुकमों की अपील होगी जिनका जिक्र दफा १०४ में किया गया है—फरक दरमियान "डिकरी" वो "हुकम" देखो दफा २ [२], [१४].

अपील कौन कर सक्ता है:—अपील नीचे लिखे शख्स कर सकेंगे.

(१) वह फरीक नालिश, जिस के खिलाफ डिकरी का असर हो. [कलकत्ता वी. नोट जि० ९ सफा ५८४]—या अगर वैसा फरीक मरगया हो, तो उसका कायम मुकाम जायज—(बं. ला. रि. जि० ७ सफा १४६).

(२) वह शख्स जिसको वैसे फरीक का हक मुंतकिल हुवा हो और वह डिकरी का पाबन्द हो और उसका नाम मिसल में दर्ज हो-[इ ला. रि. बम्बई जि० २ सफा २५०].

(३) खरीदार नीलाम जिसने अदालती नीलाम में खरीदा है ऐसे हुक्म की अपील कर सक्ता है जो सीगा इजराय डिकरी में बाबत मनसूखी नीलाम फरेब की बिना पर, सादिर हुवा हो—

आम कायदा यह है कि हारने वाला फरीक, न कि जीतने वाला, अपील करता है, मगर कभी ऐसी सूरतें होती हैं कि जीतने वाला फरीक भी अपील करता है-मसलन, एक कर्जदार, साहूकार का २०००) रूपया चाहता है-साहूकार

ने यह करजा पहले दूसरे शख्स को मुन्तकिल किया फिर तीसरे शख्स को—अखीर वाले ने उस करजा की निस्बत साहूकार और दूसरे शख्स पर जिस को उसने पहले मुन्तकिल किया था, नालिश इस बिना पर किया कि जिन शर्तों पर करजा पहले शख्स को मुन्तकिल हुवा था उनकी तामील नहीं हुई और इन्तकाल रद्दी है साहूकार पर डिकरी हुई—मगर दूसरे मुद्दायलेह के खिलाफ नालिश खारिज हुई—ऐसी सूरत में न सिर्फ साहूकार अपील करने का हकदार है क्योंकि वह हारने वाला शरीक है, बलकि दूसरा मुद्दायलेह जिस पर डिक्री नहीं हुई, वह भी अपील करने का हकदार है (इं ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २१ सफा ११७)

इसी तरह अगर दो मुद्दायलेहों में से एक पर डिक्री हुई हो और दूसरे पर न हुई हो, तो वह मुद्दायलेह जिस पर डिक्री नहीं हुई है डिक्री की नाराजगी से उस मुद्दायलेह पर अपील कर सक्ता है जिस पर डिक्री हुई—हिन्दू खानदान के दो शख्स भाई २ हैं—बडे भाई ने हाथ चिट्ठी लिख कर कुछ कर्ज लिया—साहूकार ने दोनों भाईयों पर नालिश अपना कर्जा वसूल करने के लिये दायर किया और यह बयान किया कि बड़ा भाई खानदान का कर्ता धरता है और उस ने वह कर्जा खानदान के खर्च के लिये लिया था और दोनों भाई शामिल शरीक हैं—बड़ा भाई पेशी पर हाजिर नहीं हुवा, छोटा भाई हाजिर हुवा, और उसने कबूल किया कि हम दोनों शामिल शरीक हैं, मगर इस बात से इंकार किया कि कर्जा खानदान के खर्च के लिये लिया गया था—तनकीह इस अमर की निकाली गई कि आया कर्जा खानदान के खर्च के लिये लिया गया या नहीं—तनकीह का यह निकाल हुवा कि करजा खानदान के खर्च के लिये लिया गया था—डिक्री दोनों पर सादिर की गई—ऐसी सूरत में छोटा भाई बड़े भाई के खिलाफ अपील दायर करने का हकदार हो सकेगा—(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १८ सफा ५२०).

डिक्री रजामन्दी फरीकैन—इसकी अपील न होगी डिक्री रजामन्दी मसूख न होगी जब तक कि यह सबूत न हो कि किसी फरीक की रजामन्दी फरेब या गलत समझाने से या गलती से ली गई [इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ६. सफा ६८७, ७०६]—मगर नई नालिश करना होगा—[इ. ला. रि बम्बई जिल्द १५ सफा ५२४]—चंद सूरतों में दरखास्त तजवीज सानी से मंसूख हो सकेगी—[इ ला. रि. कलकत्ता जि० १० सफा ६१२, ६१५].

अपील बनाराजी डिक्री कतई जब कि डिक्री इब्तदाई की कोई अपील न हुई हो.

दफा ९७. अगर कोई फरीक किसी डिकरी इब्तदाई से जो बाद जारी होने इस मजमूआ के सादिर की जाय अपनी हक तलफी समझे और वह उसकी अपील न करे तो किसी ऐसी अपील में जो कतई डिक्री की नाराजी से दायर की जाये, वह फरीक उस के सही होने में कुछ ऐतराज न कर सकेगा.

तशरीह:—यह दफा नई कायम की गई है.

डिक्री इब्तदाई वो डिक्री कतई के लिये देखो दफा २, [२] [१४]—

अगर डिक्री इब्तदाई की अपील डिक्री कतई के पहले या बाद की गई हो और डिक्री कतई की अपील न की गई हो, तो यह डिक्री इब्तदाई की अपील न सुनने के लिये काफी वजह न होगी अगर डिक्री इब्तदाई मनसूख होगी, तो उस के साथ डिक्री कतई भी मनसूख समझी जावेगी—[इं. ला रि. मदरास जि० ३७ सफा ४५५, इं. ला. रि. इलाहाबाद जि० ३६ सफा ५३२ इजलास कामिल]—

तजवीज जब कि अपील की सुनाई दो या जियादा जज करें,

दफा ९८. [१] जब कोई अपील दो या जियादा जजों के जलसे में सुनी जाये तो अपील की तजवीज मुताबिक राय उन जजों के या मुताबिक कसरत राय उन जजों के (अगर कसरत राय हो) सादिर की जावेगी.

[२] अगर तजवीज में कसरत राय का इत्तफाक वास्ते तब्दीली या मनसूखी उस डिकरी के न हो, जिसकी नाराजी से अपील दायर हुई हो तो वह डिकरी बहाल रखी जावेगी.

मगर शर्त यह है कि अगर अपील उस अदालत के दो जजों के इजलास में सुनी जाय जिस में दो से जियादा जज हों, और जजों मजकूर के दरमियान जो जलसे में शरीक हों किसी अमर कानूनी के बाबत राय में इख्तिलाफ हो तो जायज है कि जिस अमर कानूनी के बाबत इख्तिलाफ राय

हो, वह उस को तहरीर करे, और बाद को उस अपील पर सिर्फ उसी अमर कानूनी के बाबत उस अदालत के दीगर जजों में से एक या जियादा जज सुनेंगे, और फैसला वैसे अमर कानूनी का मुताबिक कसरत राये उन सब जजों के होगा [अगर कसरत राये हो] जिन्होंने अपील की सुनाई की हो, मय उन जजों के जिन्होंने उस की सुनाई पहले की थी—

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५७५ से कायम की गई है अगर जजों की नाइत्तफाकी निस्बत किसी अमर वाकैआती के हो, तो इस दफा के बमूजिब कार्रवाई करने का कोई अख्तयार नहीं है—(इ. ला. रि, कलकत्ता जि० १७ सफा ११०).

(अ) की डिक्री (ब) पर अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुई (ब) ने अपील हाई कोर्ट में दायर किया अपील की सुनाई दो जजों की बेंच ने किया जजों की राय अमर कानूनी पर एक दूसरे के खिलाफ थी—मगर उन्होंने यह अमर कानूनी तहरीर नहीं किया और उन्होंने अपनी २ तजवीज अलेहदा २ दिया—एक की यह राय थी कि अपील मय खरचा मनजूर की जाय—और दूसरे की यह राय थी की अपील मय खरचा खारिज की जाय—ऐसी सूरत में वे जज पीछे से अमर कानूनी तहरीर करने के मजाज न होंगे (इ. ला रि, अलाहाबाद जि० २ सफा ६२५)—उनकी इख्तलाफ राय का नतीजा यह होगा कि डिक्री अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बहाल समझी जावेगी [इ. ला. रि. बम्बई जि० १३ सफा ४४९, ४५९]—मगर (ब) लेटर्स पेटेंट के रू से अपील दायर कर सक्ता है— [इ. ला. रि. बम्बई जि० १८ सफा २५५]—अगर बेंच में दो से जियादा जज हो और उन दो जजों की राय, जिन्होंने पहले अपील की सुनाई किया, किसी अमर कानूनी पर एक दूसरे के खिलाफ हो और उन्होंने वैसा अमर कानूनी तहरीर किया हो तो सिर्फ उस अमर की सुनाई दूसरे अमर की नहीं उस बेंच के दीगर जज करेंगे और वैसे अमर का फैसला कसरत राय उन सब जजों से होगा, मय उन जजों के जिन्होंने उन की पहले सुनाई की थी—मतलब यह है कि वैसे अमर कानूनी की सुनाई सिर्फ दीगर जज करेंगे यानी उन जजों को छोड़ कर जिन्हों ने उस की पहले

नहीं सक्ता है, अगर नहीं सक्ता है तो वैसी बेजाब्तगी इस दफा के रू से माफ है–[इ. ला. रि. बंबई जि० ८ सफा ४०८].

बेजाब्तगी निसबत अख्त्यार अदालत—देखो दफा २१ मजमूआ जाब्ता दीवानी.

अपील बनाराजगी डिकरी अदालत अपील.

दफा १००. [१] सिवाय उस सूरत में कि जब इस अपील दोयम, मजमूआ के मजमून में या किसी दूसरे कानून के रू से, जो उस वक्त जारी हो, और तौर पर साफ तरह से हुक्म हो, हर डिकरी जो अपील में किसी अदालत मातहत हाई कोर्ट से सादिर हो उसकी अपील अदालत आलिया हाई कोर्ट में नीचे लिखे हुए वजूहात में से किसी वजह पर हो सक्ती है; याने,

[क] तजवीज बरखिलाफ किसी कानून या ऐसे रिवाज के है जो असर कानून का रखता है,

[ख] तजवीज में तसफिया किसी जरूरी, अमर तनकीह तलब कानूनी या रिवाज का जो हुक्म कानून का रखता है, नहीं हुआ,

[ग] यह कि कोई बड़ी भारी गलती या नुक्स जाब्ता में जो इस मजमूआ या दीगर कानून के रू से जो वक्त पर जारी हो, मुकर्रर किया गया था, हुई है, जिस की वजह से [illegible] कि कोई गलती, या नुक्स, मुकद्दमें की त[illegible] [illegible]दी [illegible] हो,

[illegible]] इस दफा [illegible] डि[illegible] [illegible] एकतरफा, की [illegible]ायर [illegible]

[illegible]ह [illegible] की [illegible] कायम की गई है.

[illegible] उस की

नाराजी से इस बिना पर अपील नहीं कर सक्ता, कि अदालत मातहत अपील की चद तजवीजों से वह ना खुश है—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा २०६).

जब कोई अदालत अपील किसी मुकदमे का फैसला करते वक्त कुल वाकेआत पर गौर न करे, तो यह भारी गलती जाब्ता की समझी जायगी—(कलकत्ता वीकली नोट जिल्द ८ सफा ३५७).

इस दफा में दूसरी अपील का जिकर है—दूसरी अपील सिर्फ हाई कोर्ट में होगी—पहिली अदालत अपील अमर वाकेआती का लिहाज कर सक्ती है, और यह देख सक्ती है कि अदालत इब्तदाई ने वाकेआती अमर का तसफिया वाजिब तौर पर किया या गैर वाजिब तौर पर, मगर दूसरी अदालत अपील वाकेआती अमर पर गौर न करेगी—(इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २० सफा ६३).

दूसरी अपील सिर्फ उन्हीं वजूहात पर होगी जिनका जिकर इस दफा में किया गया है—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा ७५२).

दूसरी अपील पेश होते वक्त जज को अख्तयार है कि वह इस बात की जाच करले कि अपील इस दफा की रू से काबिल दाखली है या नहीं और अगर काबिल दाखली न पाई जाने तो वह सरसरी खारिज की जा सक्ती है—(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १५ सफा ३६७)

अमर वाकेआती पर अदालत इब्तदाई का फैसला चाहे कितनाही गलत वो लायक गैर माफी हो, ताहम उस की निस्बत दूसरी अपील न हो सकेगी—अलबत्ता दूसरी अपील उस वक्त हो सकेगी जब कि जाब्ता में कोई भारी गलती या नुक्स हो (देखो फिकरा (ज) मगर जाब्ता की गलती या नुक्स एक बात है और अमर वाकेआती का गलत तसफिया करना दूसरी बात है, जाब्ता मे गलती या नुक्स होने पर भी पहिली अदालत अपील का तसफिया अमर वाकेआती पर कतई समझा जासक्ता है बशर्ते कि वैसी अदालत के रूबरू शहादत वैसे तसफिया के पुष्टी के लिये मौजूद थी—(इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १८ सफा २३)—लेकिन अगर वैसी पुष्टी के लिये शहादत मौजूद न हो या गैर मुताल्लिक बातों का लिहाज किया गया हो या यह समझ में न आया हो कि पक्की शहादत किसे कहते हैं तो यह सब बातें

जाब्ता की भारी गलती या नुक्स में दाखल होगी—और दूसरी अपील हो सकेगी—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा ७४०, ७४७).

अगर वाकेआती अमर पर गलत कानूनी नतीजा निकाला जाय तो दूसरी अपील हो सकेगी—अदालत इब्तदाई ने वाकेआती अमर पर यह कानूनी नतीजा निकाला कि मुद्दायलेह का कब्जा मुखालफाना था ऐसा कानूनी नतीजा सही निकाला गया या गलत इस का तसफिया दूसरी अपील में अदालत हाई कोर्ट कर सक्ती है—(इं. ला. रि. बम्बई जिल्द २१ सफा ६१).

कानून के खिलाफः—दस्तावेज के मजमून का क्या मतलब है यह सवाल अमर कानूनी है और इस पर दूसरी अपील हो सकेगी—(इं. ला. रि अलाहाबाद जिल्द २४ सफा ५२१).

एक नालिश में सवाल गोद लेने का था, और उस की शहादत में कई दस्तावेज पेश किये गये तो यह सवाल कि आया उन दस्तावेजों से गोद लेना साबित होता है या नहीं, अमर वाकेआती का सवाल होगा, न कि अमर कानूनी का, और दूसरी अपील न हो सकेगी—(इ. ला. रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द २२ सफा ६०१).

गलती या नुक्स जाब्ताः—खिलाफ अहकाम एक्ट शहादत दफा ६६ मनकूली शहादत का मन्जूर करना भारी नुक्स जाब्ता समझा जावेगा और दूसरी अपील हो सकेगी—(इ. ला. रि कलकत्ता जि. १६ सफा ७५२).

बिला रजिस्ट्री दस्तावेज को मन्जूर करना बडी गलती में शामिल होगा, और दूसरी अपील हो सकेगी—(इ ला रि. बम्बई जिल्द ७ सफा १२३).

नालिश का ऐसे सवाल पर फैसला करना जो फरीकैन ने पेश नहीं किया है या जो शहादत से नहीं निकलता है बडी गलती में शामिल होगा और दूसरी अपील होगी—(इ. ला रि बम्बई जि २१ सफा १)

इसी तरह भारी वो बहुत काम वाली तनकीह का फैसला न करना (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १६ सफा ५४५)—या जितने गवाह तलब किये गये या फरीकैन ने पेश किये उन की [illegible] रि कलकत्ता जि. २० सफा ७४०)—या दस्तावेजी [illegible] —[कलकत्ता वी. नोट

जि. १२ सफा २१२]—या मुद्दई को अदालत अपील मातहत ने अपनी नालिश की किस्म बदलने की इजाजत देना—(इ ला कलकत्ता जिल्द ४ सफा ४५)—इन सब सूरतों में दूसरी अपील हो सकेगी

दफा ५ एक्ट मियाद सन १९०८ में यह हुक्म है कि अगर अपील मियाद गुजर ने के बाद पेश की जाय और अपीलाट देरी का काफी सबब बतलाता है तो अदालत अपील वैसे अपील को मजूर कर सक्ती है—अगर अदालत अपील वैसी अपील को, देरी के सबब पर माकूल लिहाज वो गौर करके मजूर न करे तो दूसरी अपील न होगी, लेकिन अगर देरी के सबब पर बिल कुल लिहाज न किया गया हो या अपनी खुशी खाह (मनमाना) लिहाज किया गया हो तो दूसरी अपील हो सकेगी—[इं. ला रि बम्बई जि २३ सफा ५१३].

गो डिक्री अपील इक तरफा की दूसरी अपील हो सक्ती है मगर हुक्म खारजी अपील ब सबब अदम पैरवी की दूसरी अपील न हो सकेगी क्योंकि ऐसा हुक्म बतौर डिक्री नहीं है—[इं. ला रि कलकत्ता जिल्द २३ सफा ८३७, आर्डर न ४१ कायदा ११ [२] वो दफा २ (२)

दूसरी अपील में अपीलाट नालिश की किस्म या शकल नहीं बदल सकेगा—[इ. ला रि. मदरास जिल्द १५ सफा ५०]

गो यह हुक्म है कि अपीलाट दूसरी अपील में ऐसा उजर पेश नही कर सक्ता है जो उस ने अदालत मातहत में पेश नहीं किया था, ताहम अगर वैसे उजर नालिश की जड़ बुनयाद से ताल्लुक रखता हो तो वैसा उजर पहिली बार दूसरी अपील में पेश हो सकेगा—(इ. ला रि. मदरास जि- ६ सफा ७६)—मसलन, सवाल निस्वत अखत्यार अदालत—(इ. ला रि बम्बई जिल्द १३ सफा ४२४) वो सवाल रेसजुडीकेटा अगर वह मिसल से साबित हो सके—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १२ सफा ४४६)—वो सवाल नोटिस नालिश बेदखली में (इ ला रि. बम्बई जिल्द १८ सफा ११०)—वो सवाल मियाद—(इ. ला रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ११४, आर्डर नं ४१ कायदा २)—यह सब सवाल ऐसे हैं कि जो पहिली बार दूसरे अपील में पेश हो सके हैं.

दफा १०१. कोई अपील दोयम सिवाय उन वजूहात

अपील दोयम किसी और वजह की बिना-पर दायर न होगी

के जिनका जिकर दफा १०० में किया गया है और किसी वजह की बिनापर दायर न होगी.

तशरीहः—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५८५ से कायम की गई है.

दफा १०२ किसी मुकदमा में जो अदालत हाय मतालबे खफीफा के समाअत के किस्मों मे से हो अपील दोयम नहीं होगी जब कि तदाद मालियत शै मुतदाविया नालिश इब्तदाई की पान सौ रूपया से जियादा न हो

बाज मुकदमात में अपील दोयम न होगी

तशरीहः—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५८६ से कायम की गई है.

नालिश बाबत वसूली लगान, न कि किराया मकान, इस किस्म की नालिश है कि जिस की सुनाई अदालत खफीफा कर सकती है (इ० ला० रि० मदरास जि ४ सफा ४१६).

किसी नालिश बाबत जर वासलात याने मुनाफा में कि जिस में मालियत दावी की ५००) रू. से कम हो फैसले के बरखिलाफ अपील दोयम दायर न हो सकेगी (इ. ला. रि मदरास जि० २४ सफा ११८).

जब कोई नालिश बरखिलाफ किसी हिन्दू बाप, और उस के लडकों के ऐसे दस्तावेज के बिना पर दायर की जाय जिसे अकेले बापने तहरीर किया तो ऐसी सूरत में नालिश मजकूर मुकाबले लडकों के बतौर नालिश अदालत खफीफा तसव्वर न की जायगी (इ. ला रि. मदरास जि० १२ सफा १३६)

अपील दोयम दो सूरतों में न हो सकेगी यानी (१) जब कि नालिश इस किस्म की हो कि जो अदालत खफीफा में दायर होने के लायक हो चाहे वह अदालत खफीफा में दायर की गई हो या न की गई हो, (२) जब कि इब्तदाई नालिश की मालियत पाच सौ रूपया से ज्यादा न हो. किस्म नालिश काबिल समाअत अदालत खफीफा देखो दफा १५, १६, २७ एक्ट अदालत खफीफा न ९ सन १८८७.

नालिश वासलातः—हाई कोर्ट, कलकत्ता इजलास कामिल, कमरत

राय की तजवीज है कि नालिश मुनाफा काबिल समाअत अदालत खफ़ीफा है (इ. ला रि. कलकत्ता जि० २३ सफा ८८४– हाई कोर्ट मदरास (इजलास कामिल) की राय है कि वैसी नालिश काबिल समाअत अदालत खफीफा बिलकुल नहीं है—(इ ला रि मदरास जि० २५ सफा १०३)— हाई कोर्ट बम्बई की राय है कि ऐसी नालिश काबिल समायत अदालत खफीफा नहीं है—(इ ला रि बम्बई जि०२५ सफा):—लेकिन अगर मुनाफा की रकम तहकीक हो गई हो और उसका हिसाब मागने की जरूरत न हो तो वैसी नालिश काबिल समाअत अदालत खफ़ीफा होगी (इ ला रि बम्बई जि० ३० सफा १४७)

नालिश हक:—नालिश हक निस्बत जायदाद गैर मनकूला काबिल समाअत अदालत खफीफा नहीं है—जो नालिश दीगर तौर पर काबिल समायत अदालत खफीफा होवे वह सिर्फ इस सबब से गैर काबिल समायत न होगी कि उसमें हक का सवाल अकस्मात पेश आगया है [इ ला रि बम्बई जि० ३२ सफा ५६०]

नालिश इस्तकरार हक:—नालिश निस्बत इस्तक़रार हक काबिल समाअत अदालत खफीफा नहीं है, लेकिन अगर मिन जुमले कई दादरसीयों के एक दादरसी इस्तकरार हक की भी होवे और वे सब दादरसी बगैर मागने इस्तकरार के अदालत खफ़ीफा से मिल सक्ती हो तो अदालत खफीफा वैसी नालिश समायत करने की मजाज होगी [इ. ला रि मदरास जि० ३० सफा १०१]

इजराय डिक्री.—जब कि नालिश इस किस्म की हो कि जो काबिल समायत अदालत खफीफा हो, और उसकी दूसरी अपील न होवे तो उसकी डिक्री की इजराय में जो हुक्म सादिर हो उसकी दूसरी अपील न हो सकेगी चाहे वैसा हुक्म बतौर इजराय डिक्री अदालत खफीफा के सिवाय दूसरी अदालत ने जारी किया हो असली जाच यह है कि किस्म नालिश को देखना चाहिये कि जिसमें डिक्री सादिर की गई हो न कि किस्म कार्रवाई इजराय डिक्री (इ. ला रि. बम्बई जि० ३० सफा ११३).

दफा १०३ किसी अपील दोयम में हाई कोर्ट मजाज

अख्तयारात हाई कोर्ट निसबत तजवीज तनकीह वाकेआती.

है कि अगर शहादत मौजूदा मिसल काफी हो तो किसी ऐसी तनकीह वाकेआती की तजवीज करदे, जो अपील के फैसले के लिये जरूरी हो मगर अदालत अपील मातहत ने उसे बगैर तसफिया के छोड़ दिया हो.

तशरीह.—यह दफा नई कायम की गई है इस से हाई कोर्ट को दूसरी अपील में वाकेआती तनकीह के तजवीज करने का अख्तयार तीन सूरतों में दिया गया है (१) जब कि दूसरी अपील के फैसले के लिये वैसी तनकीह की तजवीज करना जरूर है, (२) जब कि वैसी तनकीह अदालत अपील मातहत ने बगैर तसफिया किया छोड़ दिया है, (३) जब कि शहादत मौजूदा मिसल वैसी तनकीह की तजवीज के लिये काफी हो, अगर शहादत न हो तो हाई कोर्ट वैसी तनकीह की तजवीज के लिये हस्ब आर्डर नं. ४१ कायदा २५ मुकदमा वापिस कर सक्ती है.

हुक्मों की नाराजी से अपील.

अपील बनाराजी अहकाम.

दफा १०४ (१) सिर्फ नीचे लिखे हुऐ हुक्मों की अपील हो सक्ती है—और सिवाय उस सूरत के कि जिस के बाबत इस मजमूआ या किसी कानून की रू से जो उस वक्त जारी हो साफ तौर पर हुक्म दर्ज है, किसी और हुक्म की अपील दायर नहीं होगी:—

(क) हुक्म मंसूख करने कारवाई पंचायती जब कि फैसला उस मियाद में पूरा न हो जो अदालत की तरफ से मुकर्रर हो.

(ख) हुक्म जो फैसला पंचायती पर हो, जिस का जिक्र ... में किया गया है,

दुरुस्तगी फैसला पंचायती,

दाखिल होने इकरार-

(ङ) हुक्म मंजूरी या नामंजूरी मुलतवी किये जाने नालिश, जब कि कोई इकरारनामा हवालगी पंचायत का हुआ हो.

(च) हुक्म बाबत दाखल करने या न करने फैसला, ऐसे पंचायत का जो बगैर तवस्सुत अदालत के

(छ) हुक्म बमूजिब दफा ६५,

(ज) हुक्म इस मजमूआ के निसबत करने जुर्माना या बाबत गिरफतारी, या कैद, किसी शख्स को दीवानी जहेल में, सिवाय उस सूरत के कि जब वह गिरफतार या कैद किसी डिक्री के इजराय में हुआ है,

(झ) कोई ऐसा हुक्म, जो कायदो के बमूजिब सादिर हुआ हो, और जिस के अपील के निसबत उस कायदे मे साफ तौर से इजाजत हो,

(२) कोई अपील किसी ऐसे हुक्म की दायर नहीं होगी जो इस दफा के बमूजिब अपील में सादिर हो.

लफ्जों के मायने:—तवसुत=मारफत, हवालगी=सुपर्द करना

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५८८ से कायम की गई है, मगर इस में चंद शिकमी दफायें नई शामिल की गई हैं, और पुराने एक्ट की दफा में से १६ बदल की गई हैं

अगर कोई जज एक्ट स्टाम्प के मुताबिक तावान वसूल होने के लिये हुक्म दे, वह इस दफा के लिये जुरमाना नहीं है—(इं ला. रि ५ कलकत्ता २११), और न तौहीन अदालत के जुर्म में हुक्म कुरकी इस दफा में आता है—(इं ला रि. ७ बम्बई ५)

हुक्म काबिल अपील की पूरी फेहरिस्त इस दफा वो आर्डर न. ४३ कायदा १ में दी गई है

फिकरा (क)— देखो दफा ८ जमीमा २

फिकरा (ख)—देखो दफा ११ जमीमा २

फिकरा (ग)—देखो दफा १२ जमीमा २

फिकरा (घ) - देखो दफा १७ जमीमा २

फिकरा (ङ)—देखो दफा १८ जमीमा २

फिकरा (च)—देखो दफा २१ जमीमा २

फिकरा (ज)—देखो आर्डर न १६ कायदा १०, १२, १७, २१, वो आर्डर न. २६ कायदा १७ वो आर्डर न ३८ कायदा ४ वो आर्डर न. ३९ कायदा २, (३)

फिकरा (झ)—देखो आर्डर न ४३ कायदा १

दफा १०५ (१) उस सूरत को छोड़ कर जिस में कि दीगर अहकाम कोई हुक्म साफ खिलाफ इस के पाया जाय, कोई अपील बनाराजगी ऐसे हुक्म के दायर न होगी, जो किसी अदालत ने अपने अख्त्यार समाअत इब्तदाई या अपील के तामील में सादिर किया हो, लेकिन जिस हाल में कि डिक्री की अपील हुई हो, तो जायज है कि जो गलती या नुक्स या बेजाब्तगी किसी हुक्म की ऐसी हो कि मुकद्मे की तजवीज पर असर पहुंचाती हो तो, वह याददाश्त अपील में बतौर एक उजर के ब्यान की जाय.

(२) बावजूद मजमून मुन्दरजा जिमन [१] अगर कोई फरीक जो किसी ऐसे हुक्म वापसी मुकदमा से नाराज हो जो बाद जारी [illegible] एक्ट के सादिर किया जाय और जिस की अपील [illegible] हो [illegible] कि मजकूर अपील दायर न करे तो [illegible] होने में ऐतराज न कर सकेगी

[illegible] [illegible] की गई है.

यह दफा [illegible] डिक्री की अपील

की गई हो, (२) जब कि गलती या नुक्स या बेजाब्तगी हुक्म की याददाश्त अपील में बतौर उजर के बयान की गई है—गलती या नुक्स से मुराद गलती कानून या जाब्ता है न कि वाकेआती अमर की—(इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द १२ सफा २००)

दफा १०६. अपील किस अदालत में सुनी जायगी — **अगर किसी हुक्म की अपील हो सकी हो तो वह उस अदालत में सुनी जायगी जिस में अपील बनाराजगी डिक्री सादिर की हुई उस मुकदमे में सुनी जाती, जिस मुकदमे के बाबत वह हुक्म सादिर हुआ हो, या अगर ऐसा हुक्म किसी अदालत ने (जो हाई कोर्ट न हो) बतामील अखत्यार समाअत अपील के सादिर किया हो तो अपील हाई कोर्ट में दायर होगी**

तशरीह — यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५८९ से कायम की गई है—देखो आर्डर न. ४३ कायदा १

अपील के मुताल्लुक के अहकाम आम—

दफा १०७ अदालत अपील के अखत्यारात — **(१) बपाबंदी ऐसी शरायत, वो कैद के जो मुकर्रर किये जांय, अदालत अपील को अखत्यार होगा कि—**

(क) किसी मुकदमे का फैसला कतई तौर से करे,

(ख) मुकदमा वापिस करे,

(ग) तनकीह कायम करके, उन को तहकीकात के लिये भेजे

(घ) जायद शहादत ले, या ऐसी शहादत लिवाय,

(२) उन्हीं पाबन्दीयों के साथ, अदालत अपील को वही अखत्यारात हासिल होंगे, और जहां तक हो सके अदालत अपील वही कार्रवाई करेगी, जो इस मजमूआ के रू से अदालत हाय समाअत इब्तदाई को उन मुकदमात में हासिल हैं, जो उन में दायर हों.

(क) अपील बनाराजगी डिकरी अपील, और,

(ख) उन हुक्मों की अपील से जो इस मजमूआ की रू से सादिर हों, या किसी ऐसे क़ानून खास या मुकामी की रू से सादिर हों, जिस में कोई मुख़तलिफ जाब्ता मुकर्रर न हुआ हो,

तशरीह --यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५८७ वो ५९० से कायम की गई है आरडर न ४२ कायदा १, वो आरडर न ४३ कायदा २ से मिलान करो इस दफा को एक्ट मियाद के मद १७५ जिमन (ग) के साथ पढ़ना चाहिये देखो [इ ला रि कलकत्ता जि० ३४ सफा १०२३]

अपील दोयम होने पर, हाई कोर्ट का अख़त्यार है कि ऐसे शख्सों का नाम मिसल में बतौर फरीक दरज करे, जो शुरू में कार्रवाई नालिश में शामिल किये गये थे, मगर जिनका नाम अदालत अपील मातहत में दरज नहीं किया गया (इ. ला रि मदरास जि० १९ सफा १५१)

इस मजमुआ की रू से यह जरूर नहीं है कि अपेलांट अपील में पहली अदालत की डिक्री की नकल पश करे—(इ ला रि मदरास जि० ४ सफा ४१९)

अपील बहज़ूर मलिक-मोअज्जम (बादशाह) बइजलास कौंसिल

दफा १०९ बपाबन्दी उन कवायद के, जो वक़्तन फवक़्तन आला हजरत-मलिक मोअज्जम बइजलास कौंसिल से दरबाब अपील अज अदालात हाय ब्रिटिश-इनडिया के मुकर्रर हों, और बपाबन्दी उन हुक्मों के भी जो बाद में दरज है, अपील बहज़ूर मलिक-मोअज्जम, बइजलास कौंसिल के, नीचे लिखी हुई डिक्रीयों के नाराजी से होगी —

कब अपील मलिक मोअज्जम बइजलास कौंसिल में दायर हो सकेगी.

(क) बनाराजगी हर डिकरी या हुक्म आखीर के, जो बसीगा अपील अदालत हाई कोर्ट, या और ऐसी अदालत से सादिर हो, जिसे अख़त्यार अखीर

अपील के सुनने का है.

(ख) बनाराजगी हर डिकरी या हुक्म आखीर के जो अदालत हाई कोर्ट से बतामलि अखत्यार समाअत इप्तदाई सीगा दीवानी के सादिर हो; और.

(ग) बनाराजगी हर डिकरी, या हुक्म के उस हाल मे कि जब मुकदमा कि निस्बत जैसा कि बाद में बयान किया गया है इस किस्म का सार्टिफिकट (तसदीक) दिया जावे कि उस की अपील लायक समाअत आला हजरत-मलिक मौअज्जम, बइजलास कौंसिल के है.

लफ्जो के मायने:—मलिक मोअज्जम से, मुराद बादशाह से है

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५९५ मे कायम की गई है जब प्रिवी कौंसिल की इजलास में अपील दायर होने पर कोई मुकदमा हाई कोर्ट के पास इस हिदायत के साथ वापीस भेजा जाय, कि चद हिसाब लिये जाय, और अदालत डिवीजन बेंच मुकदमा मजकूर में हिसाब किताब करके अखीर डिक्री सादिर करे, तो ऐसी हालत में बइजलास प्रीवी कौंसिल फिर एक अपील बनाराजगी ऐसे डिक्री के दायर हो सकेगी (,इ ला. रि. कलकत्ता जि० ३२ सफा ९६३).

इजाजत वास्ते करने अपील बमूजिब इस दफा के सिर्फ उसी हालत में दी जायगी कि जब वह डिक्री कि जिस की नाराजी से अपील दायर करना मन्जूर है, कतई डिक्री के तौर पर सादिर हुई हो [इ 'ला' रि. मदरास जि० १२ सफा ३४९]

यह दफा, दफा ११० के साथ पढी जावे.

अपील हुक्म बसीगा दिवालिया—तजवीज हाई कोर्ट की अपील प्रिवी कौंसिल में बमूजिब दफा ३९ लेटर्स पेटन्ट वो दफा १०९, ११० जमूआ जाब्ता दीवानी होती है हुक्म हाई कोर्ट बसीगा कार्रवाई दिवालिया एक्ट न. ३ सन १[illegible] काबिल अपील प्रिवी कौंसिल होगा गो एक्ट दिवालिया में [illegible] हुक्म नहीं है—(इ. ला रि.

कलकत्ता जि० ४० सफा ६८५)

हुक्म शाही:— हुक्म शाही बतौर डिक्री नहीं समझा जावेगा अगर नव्वाब वाईसराय व गवरनर जनरल बइजलास कौंसिल के हुक्म से कोई राजा या महाराजा रियासत की गद्दी से उतारा जावे तो ऐसे हुक्म की अपील बहजूर प्रिवी कौंसिल न होगी क्योंकि ऐसा हुक्म बतौर हुक्म शाही है —[इ ला रि कलकत्ता जि० ३२ सफा १]—

हुक्म अखीर'— हुक्म नामजूरी मुकर्ररी रिसीवर हुक्म अखीर न समझा जावेगा इस लिये वह काबिल अपील प्रिवी कौंसिल न होगा—(इ ला रि कलकत्ता जि० २२ सफा ६२८)— इसी तरह जो हुक्म दफा ११५ मज० जा० दी० बसीगा नजरसानी इस मजमून का किया जावे कि सायल को इजाजत मुफलसी में नालिश करने की दी जावे, वह बतौर हुक्म अखीर न समझा जावेगा (कलकत्ता ई ला रि जि० ८ सफा २९६)—

इसी तरह हुक्म नामजूरी दरखास्त निस्बत दर्ज करने मिसल में नाम मुलतवी अपील के मुतवफ्फी फरीक के कायम मुकाम जायज का बतौर हुक्म अखीर न समझा जावेगा— (इ. ला. रि बम्बई जिल्द ३८ सफा ४२१ ,— चूंकि ऊपर लिखे हुये हुक्म, अखीर नहीं है इस लिये वे काबिल अपील प्रिवी कौंसिल नहीं हैं

लेकिन अगर कोई हुक्म निस्बत लेने हिसाब मुद्दायलेह से इस मजमून का सादिर हो कि अगर हिसाब लेने पर कुछ रकम उस के जिम्मे निकले तो वह देनदार होगा, और मुद्दायलेह उजर करता हो कि हिसाब उस से मिन कुल नहीं लेना चाहिये तो ऐसा हुक्म बतौर हुक्म अखीर वो काबिल अपील प्रिवी कौंसिल समझा जावेगा— (इ ला रि बम्बई जिल्द १५ सफा १५५ —इसी तरह हुक्म हस्ब आर्डर न. २१ कायदा ९०, ९२ निस्बत मजूरी या नामजूरी नीलाम काबिल अपील प्रिवी कौंसिल हैं क्योंकि वैसे हुक्म से हक फरीकैन का अखीर फैसला होता है–दफा १०४, (२) ऐसी अपील में रुकावट न करेगी --(इ ला. रि क जिल्द ४० सफा ६२५, ६४७, ६४८)

हुक्म निस्बत वापसी मुकद्दमा काबिल अपील प्रिवी कौंसिल न होगा, क्योंकि वह हुक्म दरमियानी, न कि हुक्म अखीर है लेकिन अगर उस में नालिश की

असली बुनियाद का फैसला होता हो तो वह बतौर हुक्म अखीर वो काबिल अपील प्रिवी कौंसिल समझा जावेगा-(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २५ सफा ६२९).

हुक्म जो अपील में सादिर किया गया हो—हुक्म हाई कोर्ट निस्बत खारजी दरख्वास्त बिना पर तरमीम डिक्री ऐसा हुक्म न समझा जावेगा; कि जो अपील में सादिर किया गया, इसलिये वह काबिल अपील प्रिवी कौंसिल न होगा, और न वह हुक्म अखीर है, क्योंकि उस से हक फरीकैन का आखरी फैसला नहीं होता है—(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ३० सफा ६८९)—इसी तरह हुक्म हाई कोर्ट, अपील लेने से इंकार करने का, जब कि अपील मियाद मुकर्रर गुजर जाने के बाद पेश की गई हो, काबिल अपील प्रिवी कौंसिल न समझा जावेगा—(इ ला रि. बम्बई जिल्द ३२ सफा १०८)

जो हुक्म अखीर डिस्ट्रिक्ट जज ने हस्ब दफा १०४ सादिर किया हो, वह काबिल अपील प्रिवी कौंसिल है गो उसकी अपील हस्ब दफा १०४, [२] हाई कोर्ट में नहीं हो सक्ती है—[इ ला रि. अलाहाबाद जि० २० सफा ४१२]

मियाद—दरखास्त इजाजत वास्ते दायर करने अपील बहुजूर प्रिवी कौंसिल अखीर डिक्री की तारीख से ६ महीने के अन्दर पेश करना चाहिये (देखो मद न. १८२ एक्ट मियाद सन १९०८)—नये एक्ट मियाद सन १९०८ की दफा ५, वो १२ अपील प्रिवी कौंसिल को अब लागू होती है, गो पुराने एक्ट मियाद सन १८७७ के मुवाफिक वे लागू नहीं होती थी, यानी डिक्री की नकल लेने के दिन पहले खारिज नहीं होते थे अब मियाद शुमार करने में खारिज होंगे (दफा १२ एक्ट मियाद)-इसी तरह अब अगर अपील ६ महीने के बाद प्रिवी कौंसिल में दायर की जाव और देरी का माकूल वो काफी सबब बतलाया जावे तो वैसी अपील दाखल हो सकेगी—पहले माकूल वो काफी सबब बतलाने पर भी दाखल नहीं हो सक्ती थी--(दफा ५ एक्ट मियाद) इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ४२ सफा ३५

इस्तहकाक शाही—इस मजमूआ की रू से इस्तहकाक शाही में कोई फर्क न पड़ेगा जब हाई कोर्ट ने इजाजत देने से इकार किया हो तो खास इजाजत वास्ते द... ...सिल दी जा सक्ती है—(इ. ला

रि कलकत्ता जि० ३३ सफा ८९३) — मगर ऐसी खास इजाजत न दी जावेगी जब तक कि कोई भारी कानून का सवाल पेश न हो—(इ ला रि अलाहाबाद जि० २४ सफा १७४ देखो दफा १२२).

फिकरा [ग]—लायक समाअत का सारटीफिकट—प्रिवी कौंसिल में अपील दायर करने की इजाजत सिर्फ दो सूरतों में दी जा सकेगी —

(१) हस्व अहकाम दफा ११० यानी जब कि दफा ११० के अहकाम पूरे २ लागू होते हों

(२) जब कि मामला दीगर तौर पर इस किस्म का करार दिया जाय कि उसकी अपील लायक समाअत प्रिवी कौंसिल है

लायक समाअत का सारटीफिकट [यानी तसदीक] हाई कोर्ट ने दोनों सूरतों में देना होगा, पहली सूरत में इस अमर का कि दफा ११० के अहकाम लागू होते हैं और दूसरी सूरत में इस अमर का कि मामला बवजूहात दीगर काबिल अपील बहुजूर प्रिवी कौंसिल है–[देखो आर्डर न ४५ कायदा २, ३] दफा १०९ का फिकरा [ग] दूसरी सूरत से ताल्लुक रखता है–इस सूरत के मुकदमा में यह जरूर नहीं है कि हुक्म, हुक्म अखीर हो, और न यह जरूर है कि नालिश की मालियत दस हजार रूपया या दस हजार से ज्यादा की हो–[इ. ला रि बम्बई जिल्द १४ सफा ४२८]–सिर्फ यह शर्त होना चाहिये कि अपील लायक समाअत प्रिवी कौंसिल है--एक कम्पनी ने हाई कोर्ट से सारटीफिकट वास्ते दायरी अपील बहुजूर प्रिवी कौंसिल इस बिना पर चाहा कि कम्पनी की हालत माली वो तिजारती पर तनकीही सवालात का बड़ा असर पड़ेगा और वैसे सवालात का ताल्लुक आम तौर पर हिन्दुस्तानी कम्पनियों से है–हाई कोर्ट बम्बई ने वैसा सारटीफिकट अता किया गो जिस हुक्म की नाराजी से अपील की जाती थी–यह सिर्फ हुक्म निस्बत खारजी ऐसी दरख्वास्त के था कि जो कम्पनी ने वास्ते मजूरी अपने एक खास रेगूलेशन के पेश की थी और जिस रेगूलेशन से कम्पनी के मेमोरेन्डम आफ ऐसोसिऐशन [यानी कायदा कार्रवाई] में तबदीली होती थी–[इ ला रि. बम्बई जिल्द २७ सफा ४१५]–इसी तरह एक मामला में मालियत

नालिश कम थी या कुछ न थी मगर भारी कानूनी बहेस का सवाल था हाई कोर्ट बम्बई ने इजाजत अपील प्रिवी कौंसिल दिया—[बम्बई ला रि जिल्द ६ सफा २८६]

दफा ११० दर सूरत मे जिसका जिकर फिकरा [क] मालियत शै मुतनाजिया, वो [ख] दफा १०६ में है, तादाद या मालियत शै मुतनाजिया मुकदमा की अदालत इब्तदाई में दस रूप्या, या उस से जियादा हो, और तादाद या मालियत शै मुतनाजिया की उस अपील में जो बहुजूर आला हजरत-मलिक-मोअज़्ज़म, बइजलास कौंसिल, दायर की जाय, उसी तादाद की उस से जियादा हो.

या डिक्री या हुक्म अखीर मे साफ तौर पर, या और तरह से, कोई दावा या बहेस मुताल्लुक या बाबत जायदाद उसी तादाद या मालियत के हो.

और जिस हाल मे कि डिक्री या हुक्म अखीर अपील शुदा उस तजवीज को बहाल करता हो, जो उस अदालत की हो जो खास मातहत अदालत सादिर करने वाली डिक्री, या हुक्म अखीर मजकूर के है, तो जरूर है कि अपील किसी भारी बहेस कानूनी पर हो.

लफ्जों के मायनेः— शै मुतनाजिया=झगड़े की चीज मालियत=कीमत अपील शुदा=जिनकी अपील हुई हो.

तशरीहः—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५९६ से कायम की गई है

दावा की जायदाद की असली बाजारी कीमत पर लेहाज किया जायगा—(इ ला रि मदरास जि० १५ सफा २३७)—

नालिश हुक्म इम्तनाई में जो सायल अपील बइजलास प्रिवी कौंसिल दायर करने की इजाजत मांगता हो, वह शै मुत[illegible] [illegible] जाहिर कर सक्ता है

चाहे बगरज कोर्ट फीस मालियत मुकदमा की उस तादाद से कम मुकर्रर की गई जिसके नीचे अपील नहीं हो सक्ती—(इ ला रि कलकत्ता जि० ३१ सफा ३०१)

इस दफा के साथ आर्डर न ४५ कायदा ४,५ पढो—

इस दफा में यह हुक्म है कि नालिश की झगड़े वाली चीज की मालियत दस हजार या उससे ज्यादा सिर्फ अदालत इब्तदाई में ही नहीं रहना चाहिये, बल्कि प्रिवी कौंसिल में अपील करते वक्त तादाद मालियत में कमी न होना चाहिये, यानी, वही रहना चाहिये—(इ ला रि अलाहाबाद जि० २४ सफा १७४)

यह बात जाहर है कि नालिश बड़ी रकम की दायर की जाती है, मगर कभी २ डिक्री पूरी रकम की नहीं सादिर होती है दावा में पूरी सबूती न पहुचने के सबब कुछ कमी हो जाती है, मसलन, नालिश बारा हजार रूपये की दायर की गई, मगर डिक्री नौ हजार रूपया की हुई तो ऐसी सूरत में मालियत नालिश अदालत इब्तदाई गो बारा हजार रूपया, थी अपील प्रिवी कौंसिल की गरज के लिये नौ हजार रूपया की समझी जावेगी, क्योंकि अपील बनाराजगी डिक्री तादादी नौ हजार के की जाती है—इस लिये ऐसी अपील बहुजूर प्रिवी कौंसिल दायर न हो सकेगी—फर्ज करो कि डिक्री नौ हजार रूपये की और उसके अलावा सूद और खर्चा की सादिर हुई तो सवाल यह है कि आया सूद वो खर्चा का रकम जोड़ कर मालियत डिक्री इस कदर बड़ी समझी जा सक्ती है कि दस हजार तक या इस से ज्यादा पहुच कर वह डिक्री को काबिल अपील प्रिवी कौंसिल करदे—ऐसी सूरत में सूद की रकम तारीख डिक्री तक असल रकम में जोड़ी जा सक्ती है और अगर ऐसा जोड़ने से रकम डिक्री दस हजार रूपया से ज्यादा हो जावे तो डिक्री काबिल प्रिवी कौंसिल होगी—(इ ला रि अलाहाबाद जि० २४ सफा १७४)—मगर तारीख डिकरी के बाद का सूद नहीं जोड़ा जा सकेगा—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ३६ सफा १०३७)—और खरचा की रकम तो बिलकुल नहीं जोड़ी जा सकेगी—(पूर्न इंडियन अपील जि० ८ सफा २६२)—

इसी तरह नालिश दखलयाबी जमीन में मुनाफा तारीख डिकरी तक का,

न कि तारीख डिकरी के बाद का कीमत जमीन में जोड़ा जायगा—(इ. ला. रि कलकत्ता जि० ३३ सफा १२८९)—

फर्ज करो कि डिकरी ग्यारा हजार रूपया की सादिर हुई और प्रिवी कौंसिल में अपील दायर करने की इजाजत बालिहाज रकम डिक्री दी गई—बाद को अपीलांट ने छपी याददाश्त अपील में वो अपील की पेशी के वक्त दावी मे दो हजार रूपया छोड़ दिया तो ऐसा दावा छोड़ने से अपील कमी रकम की वजह से गैर काबिल समाअत प्रिवी कौंसिल न होगी, यानी, दो हजार रूपया छोड़ देने पर भी अपील काबिल समाअत होगी, मगर शर्त यह है कि अपीलांट का सच्चा ईरादा इजाजत लेते वक्त डिक्री की पूरी रकम, यानी, ग्यारा हजार की निस्बत अपील दायर करने का था—(इ ला रि कलकत्ता जि० २२ सफा ४३४)—

जब मामला की मालियत मुकर्रर रकम से कम हो या उसका अंदाजा कीमत से न हो सके, और फरीक प्रिवी कौंसिल में अपील करना चाहता है तो वह सिर्फ उस सूरत में अपील कर सकेगा जब कि हाई कोर्ट उस के मामले को लायक समाअत प्रिवी कौंसिल का सारटिफिकट हस्ब दफा १०९ (ग) अता करे—(इ ला रि अलाहाबाद जि० ३४ सफा १७४).

जब कि डिक्री में जायदाद कीमती दस हजार या ज्यादा का ताल्लुक हो—जब कि नालिश में झगड़े वाली चीज की कीमत दस हजार से कम हो मगर वसीयतनामा जिसका असली मतलब या मजमून समझने का झगड़ा है लाखों रूपये की जायदाद की निस्बत हो तो ऐसी सूरत में अपील करने की इजाजत दी जा सकी है—(कलकत्ता वी. नोट जि० १ सफा ९३) —

[अ] ने [ब] पर जायदाद कीमती दस हजार या ज्यादा के बटवारे की नालिश दायर किया, और अपने हिस्से का दावा किया जो दस हजार से कम था, ऐसी सूरत में डिक्री की निस्बत क्या यह समझा जा सका है कि वह जायदाद कीमती दस हजार या उस से कम के ताल्लुक है—हाई कोर्ट कलकत्ते की राय है कि डिक्री मजकूर का ताल्लुक जायदाद कीमती दस हजार या ज्यादा से जिस का

बटवाड़ा चाहा गया, समझा जावेगा और वह डिक्री काबिल अपील प्रिवी कौंसिल होगी–(कलकत्ता वी नो. जिल्द १० सफा ५६४)–मगर हाई कोर्ट बम्बई की राय है कि डिक्री मजकूर का ताल्लुक सिर्फ हिस्सा से समझा जावेगा जो दस हजार रूपये से कम का था, और उस की अपील प्रिवी कौंसिल में न हो सकेगी, बशर्ते कि डिक्री का असर झगड़े वाली जायदाद के सिवाय दूसरी जायदाद पर न पड़ता हो–(बम्बई ला. रि जिल्द ६ सफा ४०३).

कानूनी बहेस—प्रिवी कौंसिल में अपील न हो सकेगी जब कि अदालत अपील वो अदालत मातहत की राय सवालत वाकैआतों की निस्बत एक हों–[इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १६ सफा २७४]

खारजी दरख्वास्त हस्ब आर्डर न. ४१ कायदा ४१ वास्ते लेने शहादत मजीद (अधिक कोई भारी कानूनी बहेस मे दाखल न होगी–(इ ला रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा ४८४).

अदालत अपील का अपनी तजवीज में वजूहात मुताबिक आर्डर न ४१ कायदा ३१ दर्ज न करना भारी कानूनी बहेस में दाखल न होगा—(इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ८ सफा ९३)—और न खारजी अपील व सबब न देने जमानत खर्चा हस्ब आर्डर न. ४१ कायदा १० भारी कानूनी बहेस में दाखल होगी—(इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ३१ सफा ३२५)

तजवीज सानी वो अपील:—प्रिवी कौंसिल में अपील करने की इजाजत देने के हुक्म की तजवीज सानी हो सक्ती है—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा २९२ नोट)–मगर ऐसे हुक्म की अपील न हो सकेगी–(इ ला रि. कलकत्ता जि १७ सफा ४५५)–और न हुक्म नामजूरी इजाजत की अपील हो सकेगी जब कि इजाजत इस बिना पर न दी गई हो कि दफा ११० की तामीली नहीं हुई–(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ७ सफा ३२९).

कौनसी अपील दायर नहीं हो सक्ती

दफा १११ बवजूद किसी इबारत मुन्दरजा दफा १०९ के कोई अपील बहजूर आला हजरत मालिक-मोअज्जम, बइजलास कौंसिल के, दायर न होगी.

(क) बनाराजगी ऐसे डिक्री, या हुक्म के, जो अदालत

हाई कोर्ट, जो एक्ट अदालत हाई कोर्ट हिन्द सन १८६१ ई० के रू से मुकर्रर की गई हो उस के एक जज की तजवीज से या किसी डिवीजन कोर्ट के एक जज की तजवीज से सादिर हुवा हो, या हाई कोर्ट मजकूर के दो या कई जजों की तजवीज से या ऐसे डिवीजन कोर्ट के तजवीज से सादिर हुआ हो, जो हाई कोर्ट के दो या कई जजों से कायम की गई हो, अगर उन जजों की राय आपस में बराबर तकसीम हो और इतनी हो कि कुल हाकमान वक्त अदालत हाई कोर्ट में से कसरत उन की तरफ न होता हो; या

(ख) और बनाराजगी ऐसी डिक्री के जिस की अपील दोयम दफा १०२ की रू से न हो सक्ती हो..

तशरीहः—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५९७ से मिलती है

सबब अपील प्रिवी कौंसिल में न होने का, यह है कि अपीलांट को बमूजिब फिकरा १२ लेटर्स पेटेन्ट के दीगर जज्ज साहबान हाई कोर्ट के पास अपील पहले पहले करने का अख्त्यार रहता है—[इ. ला रिपोर्ट, मद्रास जिल्द २५ सफा ५५५, ५५८].

दफा ११२. (१) इस मजमूआ की कोई इबारत ऐसी न समझी जायगी, कि,

मुस्तसना

(क) वह ऐसे अख्त्यार को पूरे तौर पर और बिला कैद के साथ अमल में लाने को रोकती है जो आला-हजरत-मलिक मोअज्जम, को दरबाब मन्जूरी या न मंजूरी अपील मरजूआ हुजूर-मालिक-मोअज्जम, बइजलास कौंसिल, के हासिल है या किसी और तरह पर, या,

(ख) वह किसी ऐसे कवायद बनाये हुये जुडीशल कमेटी प्रिवी कौंसिल में दस्तनन्दाजी करती है बहजूर मालिक-मोअज्जम बइजलास कौंसिल, अपीलों के पेश होने के बाब में, या जुडीशल कमेटी मजकूर के मज-

कूर के हजूर उन अपीलों की कारवाई के बारे मे उस वक्त जारी हो

(२) इस मजमूआ की कोई इबारत किसी मामला फौजदारी, या अडमिरलटी या वाईस अडमिरलटी के मुताल्लुक न होगी, और न उन अपीलो से मुताल्लुक होगी, जो बनाराजगी अहकाम और डिक्री प्राईज कोर्ट के दायर हो

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६१६ से कायम की गई ह.

जब कि अदालत हाई कोर्ट स अपील करने की इजाजत नामजूर कर दी गई है तो मजमूआ जाब्ता दीवानी से बादशाह, के अपील मजुर करने के खास अखत्यारात महदूद नहीं है—(इ ला रि बम्बई जिल्द १५ सफा १५५).

जब कि कोई एक बात आम के फायदा के लिये पैदा होती है तो इजाजत वास्ते करने अपील की दी जायगी-चाहे कीमत शै मुतनाजीया उस कीमत से कम हो जो वास्ते मिलने इजाजत अपील के मुकर्रर है(मूर्स इडियन अपील जिल्द ८ सफा १) इसी तरह से अगर कोई बड़ा अमर कानूनी हो तो भी इजाजत दी जायगी [मूर्स इडियन अपील जिल्द ८ सफा २०३]

हिन्दुस्तानी अदालतों की डिकरी की नाराजी से जो अपीलें प्रिवी कौंसिल में होती हैं उन की तजवीज में प्रिवी कौंसिल नीचे लिखे हुए कायदों की तामील करती है —

(१) जो सवाल अरजीदावा में हूबहू डिस्ट्रिक्ट-जज या हाई कोर्ट पेश न हुवा हो वह प्रिवी कौंसिल के हुजूर में पेश न होगा-(इ ला कलकत्ता जिल्द २५ सफा १८७)

(२) प्रिवी कौंसिल अदालत मातहत के फैसला निस्बत वाकेआती तनकीहों के कोई दस्तनदाजी न करेगी जब तक कि उसे इतमीनान न हो जाये कि शहादत लेने में या समझने में कुछ गलती हुई है-(पं रि पजाब जिल्द १ सफा ४७)

(३) दूसरी अपील की अपील में, वाकेआती सवाल का जो फैसला

हाई कोर्ट, जो एक्ट अदालत हाई कोर्ट हिन्द सन १८६१ ई० के रू से मुकर्रर की गई हो उस के एक जज की तजवीज से या किसी डिवीजन कोर्ट के एक जज की तजवीज से सादिर हुवा हो, या हाई कोर्ट मजकूर के दो या कई जजों की तजवीज से या ऐसे डिवीजन कोर्ट के तजवीज से सादिर हुआ हो, जो हाई कोर्ट के दो या कई जजो से कायम की गई हो, अगर उन जजों की राय आपस में बराबर तक्सीम हो और इतनी हो कि कुल हाकमान वक्त अदालत हाई कोर्ट में से कसरत उन की तरफ न होता हो; या

(ख) और बनाराजगी ऐसी डिक्री के जिस की अपील दोयम दफा १०२ की रू से न हो सक्ती हो।

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५९७ से मिलती है.

सबब अपील प्रिवी कौंसिल में न होने का, यह है कि अपीलाट को बमूजिब फिकरा १२ लेटर्स पेटेन्ट के दीगर जज्ज साहबान हाई कोर्ट के पास अपील पहले पहल करने का अख्त्यार रहता है—[इं. ला रिपोर्ट, मद्रास जिल्द २५ सफा ५५५, ५५८].

दफा ११२. (१) इस मजमूआ की कोई इबारत ऐसी न समझी जायगी, कि,

मुसतसना

(क) वह ऐसे अख्त्यार को पूरे तौर पर और बिला कैद के साथ अमल मे लाने को रोकती है जो आला-हजरत-मलिक मोअज्जम, को दरबाब मन्जूरी या न मंजूरी अपील मरजूआ हुजूर-मलिक-मोअज्जम, बइजलास कौंसिल, के हासिल है या किसी और तरह पर, या,

(ख) वह किसी ऐसे कवायद बनाये हुये जुडीशल कमेटी प्रिवी कौंसिल में दस्तनदाजी करती है बहजूर मालिक-मोअज्जम बइजलास कौंसिल, अपीलों के पेश होने के बाब में, या जुडीशल कमेटी मजकूर के मज-

हिस्सा—८.

इस्तस्वाब, तजवीज सानी, वो नजर सानी—

दफा ११३ ऐसी शरतों वो कैदों के साथ, कि जो मुकर्रर की जाये, कोई अदालत मुकदमा, की कैफियत लिख कर मुकदमा को हाई कोर्ट की राय के वास्ते बजरिये इस्तस्वाब भेज सक्ती है, और उस पर हाई कोर्ट ऐसा हुक्म सादिर करेगी, जो उस को मुनासिब मालूम पड़े—

इस्तस्वाब हाई कोर्ट से

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६१७ से कायम की गई है. कायदा कार्रवाई के लिये देखो आर्डर न ४६—

इस्तस्वाब:— छोटी अदालत बड़ी अदालत को वास्ते राय करेगी—

तजवीज सानी:— की दरखास्त सायल सिर्फ उसी अदालत में करेगा जिस अदालत में डिकरी या हुक्म सादिर किया—

नजरसानी —की दरखास्त सायल हाई कोर्ट में पेश कर सक्ता है—

दफा ११४. ऊपर लिखी हुई शरतों को बचाकर कोई शख्स जो अपनी हकतलफी समझेः—

तजवीज सानी

(क) किसी डिकरी, या हुक्म से, जिस की अपील इस मजमूआ की रू से हो सक्ती है, मगर उस की अपील दायर न हुई हो,

(ख) किसी डिकरी या हुक्म से जिस की अपील इस मजमूआ की रू से नहीं हो सक्ती है, या,

(ग) किसी फैसले से जो अदालत मतालबा खफीफा के इस्तस्वाब पर सादिर हुवा हो,

पहीली अदालत ने किया है वह प्रिवी कौंसिल को पाबन्द होगा, तावक्ते कि पहीली अदालत के फैसले की नाराजी से अपील करने की खास इजाजत न दी गई हो—(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा ७५४).

(४) प्रिवी कौंसिल शख्ती के साथ राय निस्बत मातबरी गवाहान में नुक्ता चीनी न करेगी, यह काम असल में अदालत हाय हिन्द का है—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २६ सफा ५८१)



कोई जज अगर ऐसी डिकरी सादिर करे, जिस के लिये मिसल में शहादत नहीं है तो उस ने वह अखत्यारात अमल में लाय हैं जो कानून की रू से उस को नहीं दिये गये (१० कलकत्ता वी. नो सफा १४)—जब हाई कोर्ट को यह मालूम हो कि किसी अदालत इब्तदाई ने, वह अख्त्यारात अमल में लाया जो कानून के बमूजिब उस को नहीं दिये गये हैं, तो अदालत हाई कोर्ट दस्तनदाजी कर सक्ती है (इ ला रि मदरास जिल्द २६ सफा १७६)—अगर अदालत को अखत्यार है तो सिर्फ इस अमर पर कि उस ने गलत कार्रवाई की, कोई वजह नजरसानी की नहीं है—(इ ला. रि मदरास जिल्द २७ सफा ५०४ वो इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ३० सफा ३९७)

जब कोई जज अरजीदावा लेने से इंकार करे तो उस ने अपने उस अखत्यार को अमल में नहीं लाया, जो उसे कानून के रू से हासिल है—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ३२ सफा १४६)

जब कि अदालत ने एक तनकीह का फैसला किया, जिस से झगड़ा दरम्यान फरीकैन का पूरे तौर से तसफिया नहीं होता है तो समझा जावेगा कि अदालत ने बड़ी बेजाब्तगी की—(७ बम्बई ला रि सफा १२—१६).

जब कि अदालत मातहत ने गलती कानून की की है तो, हाई कोर्ट दस्तनदाजी नहीं कर सक्ती है, वह सिर्फ उसी हालत में दस्तनदाजी कर सक्ती है कि जब अदालत मातहत ने नाजायज कार्रवाई की है—(इ ला रि. ३० कलकत्ता सफा ३९७).

कोई डिकरी जो किसी अमानतदार की जात पर हो उस के इजरा में जायदाद अमानती का कुर्क किया जाना बेजाब्तगी है—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द २८ सफा ५७४).

नाजायज हुक्म, जो बमूजिब आर्डर नंबर ११ कायदा ९३ के दिया जावे, उस की नजरसानी हो सक्ती है (इ ला रि ९ मदरास सफा ४३७), मगर याददाश्त अपील को नामन्जूर करने के हुक्म से नहीं (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा ४२).

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस हुक्म से नजरसानी नहीं हो सक्ती, जिस के जरिये से

तो उस को अखत्यार होगा कि उस अदालत में जिस ने डिकरी, या हुक्म सादिर किया हो, तजवीज सानी की दरखास्त पेश करे, और अदालत इस दरखास्त पर जो हुक्म मुनासिब समझे, सादिर करेगी

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६२३ से कायम की गई है कायदा कारवाई के लिये देखो आर्डर न ४७—

नजर सानी

दफा ११५. हाई कोर्ट मजाज है कि मिसल किसी मुकदमे की जिस की अपील हाई कोर्ट में नहीं हो सक्ती है, और जिस को उस हाई कोर्ट के किसी अदालत मातहत ने फैसला किया हो अपने पास तलब करे, और अगर यह मालूम हो कि उस अदालत मातहत ने.

(क) वह अखत्यार अमल में लाया, जो उस को कानून की रू से हासिल न था—या,

(ख) जो अखत्यार उस को हासिल था उसे अमल में नहीं लाया—या,

(ग) अपने अखत्यारात की तामील में खिलाफ कानून कारवाई किया या कोई बड़ी भारी बेजाब्तगी के साथ अमल किया तो,

हाई कोर्ट मुकदमे में ऐसा हुक्म सादिर करेगी, जो वह मुनासिब समझे

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६२२ से कायम की गई है

मामूली कायदा यह है कि जब कोई फरीक मुकदमा अपील कर सक्ता है, तो हाई कोर्ट नजरसानी में दस्तनदाजी नहीं करेगी—मगर इस कायदा का कभी कभी मुसतसना भी हो सक्ता है, और हर मुकदमे में, उस की खास हालत पर गौर होना चाहिये—(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द २८ सफा ७२ वो १५ अलाहाबाद सफा ४०५)—याददाश्त अपील इस दफा के मुताबिक बतौर दरखास्त नजरसानी तसव्वर हो सक्ती है—(१७ मदरास ला जरनल रि. ११९)

कोई जज अगर ऐसी डिकरी सादिर करे, जिस के लिये मिसल में शहादत नहीं है तो उस ने वह अखत्यारात अमल में लाये हैं जो कानून की रू से उस को नहीं दिये गये (१० कलकत्ता वी. नो सफा १४)–जब हाई कोर्ट को यह मालूम हो कि किसी अदालत इब्तदाई ने, वह अख्त्यारात अमल में लाया जो कानून के बमूजिब उस को नहीं दिये गये हैं, तो अदालत हाई कोर्ट दस्तनदाजी कर सक्ती है (इ ला रि मदरास जिल्द २६ सफा १७१)–अगर अदालत को अखत्यार है तो सिर्फ इस अमर पर कि उस ने गलत कार्रवाई की, कोई वजह नजरसानी की नहीं है–(इ ला. रि मदरास जिल्द २७ सफा ५०४ वो इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ३० सफा ३६७)

जब कोई जज अरजीदावा लेने से इंकार करे तो उस ने अपने उस अखत्यार को अमल में नहीं लाया, जो उसे कानून के रू से हासिल है–(इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफा १४६)

जब कि अदालत ने एक तनकीह का फैसला किया, जिस से झगड़ा दरम्यान फरीकैन का पूरे तौर से तसफिया नहीं होता है तो समझा जावेगा कि अदालत ने बड़ी बेजाब्तगी की–(७ बम्बई ला रि सफा १२–१६)

जब कि अदालत मातहत ने गलती कानून की की है तो, हाई कोर्ट दस्तनदाजी नहीं कर सक्ती है, वह सिर्फ उसी हालत में दस्तनदाजी कर सक्ती है कि जब अदालत मातहत ने नाजायज कार्रवाई की है–(इ ला रि. ३० कलकत्ता सफा ३६७).

कोई डिकरी जो किसी अमानतदार की जात पर हो उस के इजरा में जायदाद अमानती का कुर्क किया जाना बेजाब्तगी है–(इ ला रि कलकत्ता जिल्द २८ सफा ५७४)

नाजायज हुक्म, जो बमूजिब आर्डर नम्बर ११ कायदा १३ के दिया जाये, उस की नजरसानी हो सक्ती है (इ ला रि ९ मदरास सफा ४३७), मगर याददाश्त अपील को नामजूर करने के हुक्म से नहीं (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा ४२).

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस हुक्म से नजरसानी नहीं हो सक्ती, जिस के जरिये से

अदालत मातहत का हुक्म नामजूरी निस्बत मसूख कराने डिकरी एकतरफा रद किया गया हो (इ ला. रि ८ कलकत्ता सफा ८३२)—आर्डर नं २१ के कायदा ९९— १०१ के मुताबिक जो हुक्म दिया जाय उस की नजरसानी हो सक्ती है (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ६ सफा १७२)—और बमूजिब आर्डर नंबर २३ कायदा १ के जो हुक्म दिया जाय वह भी काबिल नजरसानी के है (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १५ सफा १६८).

जब कि डिकरी रहन के डिकरीदार तफसील जायदाद मरहूना, जो डिकरी में दर्ज है उस के तरमीम की, दरखास्त दफा १५२ के रू से पेश करे, और अदालत उस की दरखास्त मंजूर करले तो हाई कोर्ट इस दफा की रू से कोई दस्तनदाजी नहीं करेगी (इ ला रि. मदरास जिल्द १६ सफा ४२४)

किसी शख्स को तौहीन अदालत में सजा दी जावे तो वह हुक्म सजा काबिल नजरसानी के है (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द २७ सफा ३८०)— और बमूजिब दफा १९५ जाब्ता फौजदारी इजाजत दिये जाने का हुक्म भी काबिल नजरसानी के है (इ ला रि. मदरास ला जरनल जिल्द १७ सफा १२३)

हाई कोर्ट नजरसानी इस दफा की रू से सिर्फ उन तीन सूरतों में कर सकेगी जिन का जिक्र इस दफा के फिकरा (क) (ख) (ग) में दिया गया है

जब किसी हुक्म की अपील न हो सक्ती हो, मगर उस की निस्बत नम्बरी नालिश हो सक्ती हो तो नजरसानी न हो सकेगी [देखो आर्डर न, २१ कायदा ६०, ६१, ६२, ६३]—[इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १० सफा ११९] — इसी तरह नालिश कब्जा बमूजिब दफा ९ एक्ट दादरसी सन १८७७ की डिकरी की नजरसानी न हो सकेगी, क्योंकि गो ऐसी डिकरी की अपील नहीं हो सक्ती है ताहम हारने वाला फरीक कब्जा की निस्बत अपना हक कायम करने के लिये नम्बरी नालिश रूजू कर सक्ता है (इ ला. रि बम्बई जिल्द १२ सफा २२१)— आम कायदा [illegible] अगर [illegible] बजरिये अपील या नम्बरी नालिश दादरसी पाने [illegible] ५५ [illegible] वह नजरसानी की दरखास्त दे सक्ता [illegible] द [illegible] ४०५)—मगर खास सूरत में

दूसरा उपाय न होने पर भी, हाई कोर्ट नजरसानी कर सक्ती है, मसलन, अदालत मातहत ने डिकरीदार की दरख्वास्त वास्ते पाने हिस्सा तकसीम रसदी इस बिना पर नामंजूर किया, कि मदयून की दूसरी जायदाद मौजूद है जिस से डिकरीदार अपना दावा वसूल कर सक्ता है—तो ऐसी सूरत में हाई कोर्ट बसीगा नजरसानी दस्तनदाजी कर सकेगी [इ. ला. रि मदरास जिल्द ३२ सफा ३१४]

अपील —हाई कोर्ट इस दफा की रू से दस्तनदाजी न करेगी जब कि अपील हो सक्ती है—"अपील" से सिर्फ पहीली अपील मुराद नहीं है बल्कि दूसरी अपील भी—(इ ला रि मदरास जिल्द २० सफा १५५)

दरमियानी हुक्म —ऐसे दरमियानी हुक्मों की नजरसानी न हो सकेगी, जिन की अपील बमूजिब दफा १०४ मज० जा० दी० हो सक्ती है, मगर जिन की अपील नहीं हो सक्ती उन की नजरसानी हो सकेगी-(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ४२ सफा ९२६, ६३२)—मगर दीगर हाई कोर्टों की यह राय है कि दरमियानी हुक्म की नजरसानी बिलकल नहीं हो सक्ती, क्योंकि वैसा हुक्म लफ्ज "मुकदमा" में दाखल नहीं होता है, जो दफा ११५ में इस्तेमाल किया गया है और दूसरी वजह यह है कि सायल दफा १०५ के मुवाफिक कार्रवाई कर सक्ता है-(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ६ सफा २३३, इ ला रि. मदरास जिल्द ६ सफा २३६, वो बम्बई जिल्द २६ सफा ५६१)

मुफलसी में नालिश दायर करने की दरख्वास्त अगर खारिज हुई हो तो हुक्म खार्जी की नजरसानी हो सकेगी, और अगर दरख्वास्त मजूर हुई हो, तो हुक्म मजूरी की नजरसानी न हो सकेगी- (इ ला. रि अलाहाबाद जि० ३२ सफा ६३३)

मिसल तलब करने का अख्त्यार:—हाई कोर्ट कलकत्ता वो मदरास वो अलाहाबाद की यह राय है कि हाई कोर्ट इस दफा की रू से मिसल अपनी मर्जी से बिला दरख्वास्त सायल तलब कर सक्ती है—(इ ला रि कलकत्ता जि० २८ सफा ६८०)—(इ ला रि मदरास जि० [illegible] सफा २१७, इ. ला रि अलाहाबाद जि० २८ सफा ७२)—मगर हाई कोर्ट बम्बई की यह राय है कि हाई कोर्ट बिला दरख्वास्त सायल नजरसानी नहीं कर सक्ती है (इ ला रि बम्बई जि० २१ सफा ८०६)—

अदालत मातहत:—कलेक्टर जो बमूजिब दफा ११. एक्ट इस्तहसाल आराजी कार्रवाई करता है "अदालत मातहत" में दाखल न होगा—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ३८ सफा २३०)—और न डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार—(इ. ला. रि. मदरास जि० ३० सफा ३२६)—इस लिये कलेक्टर व रजिस्ट्रार की कार्रवाई काबिल नजरसानी न होगी.

फिकरा (क) ऐसा अखत्यार अमल में लाना जो कानून की रू से हासिल नहीं है:—अदालत के अखत्यार की जाच तीन तरह से होती है (१) माली अखत्यार, यानी, कितने रूपये या मालियत की नालिश अदालत सुनने की मजाज है, (२) अखत्यार हुदूद अरजी, यानी, किस मुकाम की नालिश सुनने की अदालत मजाज है (३) नालिश में झगड़े की चीज की निस्बत अदालत का अखत्यार—अगर अदालत यह समझ ले कि उसे कोई अखत्यार हासिल है जो दर असल उसको कानून के रू से हासिल नहीं है और वैसा समझ कर कार्रवाई करे तो हाई कोर्ट बसीगा नजरसानी दस्तनदाजी करेगी (देखो दफा २१ मज० जा० दी०)

फिकरा [ख] ऐसा अखत्यार अमल में न लाना जो कानून की रू से हासिल है:—जब अदालत को अखत्यार है और वह अमल में न लावे तो यह दफा [११५] लागू होगी, मसलन:—

(१) अरजीदावा न लेना (इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ३२ सफा १४६).

(२) इजराय डिक्री न करना (इ. ला. रि. बम्बई जि० १० सफा २००)

(३) अपने फैसला की तजबीज सानी न करना—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० २१ सफा ६१०).

(४) नीलाम मञ्जूर करने से इंकार करना बमूजिब आर्डर न. २१ कायदा १२—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि० २० सफा ८)

फिकरा (ग) [illegible] **या बड़ी भारी बेजाब्तगी**—इसमें [illegible] या, [illegible] शामिल नहीं है,

यानी, ऐसा अख़्तयार अमल में लाना जो कानून के रू से हासिल नहीं है, या ऐसा अख़्तयार के अमल में न लाना जो हासिल हैं यह फ़िक़रा [ग] उस सूरत में लागू होगा, जब कि अदालत ने अपने अख़्तयार की तामील में खिलाफ़ कानून कार्रवाई किया या कोई बड़ी भारी बेजाब्तगी के साथ अमल किया यह कानून का माना हुवा उसूल है, कि जब अदालत को किसी सवाल के फैसला करने का अख़्तयार हासिल है और अदालत वैसे सवाल का फैसला करना चाहे गलत या सही, तो यह नहीं समझा जायगा, कि अदालत ने खिलाफ़ कानून कार्रवाई किया या बड़ी भारी बेजाब्तगी के साथ अमल किया ऐसी सूरत में हाई कोर्ट दस्तनदाज़ी न करेगी —[इ ला रि कलकत्ता जि० ११ सफ़ा ६]— प्रिवी कौंसिल—इसी तरह हाई कोर्ट नीचे लिखी सूरतों में इस दफ़ा की रू से दस्तनदाज़ी न करेगी,

(१) जब कि अदालत ने गलत फैसला किया हो, कि नालिश बेरू मियाद है—(इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द २० सफ़ा ७८)

(२) जब कि अदालत ने गलत फैसला किया हो कि नालिश रेश जुडिकेटा के सबब से नहीं चल सकी—(इ ला रि. बम्बई जिल्द ११ सफ़ा ४८८).

(३) जब कि अदालत ने किसी दफ़ा का मतलब गलत समझा—(इ. ला. रि कलकत्ता जि ३२ सफ़ा ५७२).

(४) जब कि किसी दस्तावेज का असर, जो शहादत में पेश किया गया, गलत समझा—(इ ला रि. अलाहाबाद जि. १६ सफ़ा ३१)

(५) जब कि ऐसी शहादत को खारिज किया जो कि मंजूर करना चाहिये था—(इ ला रि बम्बई जिल्द २३ सफ़ा १७७)

कार्रवाई खिलाफ़ कानून या बड़ी भारी बेजाब्तगी —नीचे लिखी सूरतों में समझी जावेगी और हाई कोर्ट ब सीगा नज़रसानी दस्तनदाज़ी कर सकेगी:—

(१) ऐसे सवाल वाक़ेआती की तनक़ीह क़ायम करना जिस को मुद्दायलेह ने कबूल किया और नालिश को इस बिना पर खारिज करना

अदालत मातहत—कलेक्टर जो बमुजिब दफा ११, एक्ट इस्तहसाल आराजी कार्रवाई करता है "अदालत मातहत" में दाखल न होगा—(इ. ला रि. कलकत्ता जि० ३८ सफा २३०)—और न डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार—(इ. ला रि मदरास जि० ३० सफा ३२६)—इस लिये कलेक्टर व रजिस्ट्रार की कार्रवाई काबिल नजरसानी न होगी.

फिकरा (क) ऐसा अखत्यार अमल में लाना जो कानून की रू से हासिल नहीं है:—अदालत के अख्त्यार की जांच तीन तरह से होती है (१) माली अखत्यार, यानी, कितने रूपये या मालियत की नालिश अदालत सुनने की मजाज है, (२) अखत्यार हुदूद अर्जी, यानी, किस मुकाम की नालिश सुनने की अदालत मजाज है (३) नालिश में झगड़े की चीज की निस्बत अदालत का अखत्यार—अगर अदालत यह समझ ले कि उसे कोई अखत्यार हासिल है जो दर असल उसको कानून के रू से हासिल नहीं है और ऐसा समझ कर कार्रवाई करे तो हाई कोर्ट बसीगा नजरसानी दस्तनदाजी करेगी (देखो दफा २१ मज० जा० दी०).

फिकरा [ख] ऐसा अखत्यार अमल में न लाना जो कानून की रू से हासिल है:—जब अदालत को अखत्यार है और वह अमल में न लावे तो यह दफा [११५] लागू होगी, मसलन:—

(१) अर्जीदावा न लेना (इ. ला रि. कलकत्ता जि० ३१ सफा १४६).

(२) इजराय डिक्री न करना (इ. ला. रि. बम्बई जि० १० सफा २००)

(३) अपने फैसला की तजवीज सानी न करना—(इ ला. रि अलाहाबाद जि० ३१ सफा ६१०).

(४) नीलाम मंजूर करने से इंकार करना बमुजिब आर्डर न, २१ कायदा ९२—(इ ला. रि कलकत्ता जि० २० सफा ८)

फिकरा (ग) कार्रवाई खिलाफ कानून या बड़ी भारी बेजाब्तगी:—इसमें फिकरा [क] या, [ख] की कार्रवाई शामिल नहीं है,

यानी, ऐसा अख्त्यार अमल में लाना जो कानून के रू से हासिल नहीं है, या ऐसा अख्त्यार के अमल में न लाना जो हासिल हैं यह फिक़रा [ग] उस सूरत में लागू होगा, जब कि अदालत ने अपने अख्त्यार की तामील में खिलाफ कानून कार्रवाई किया या कोई बड़ी भारी बेजाब्तगी के साथ अमल किया यह कानून का माना हुवा उसूल है, कि जब अदालत को किसी सवाल के फैसला करने का अख्त्यार हासिल है और अदालत ऐसे सवाल का फैसला करना चाहे गलत या सही, तो यह नहीं समझा जायगा, कि अदालत ने खिलाफ कानून कार्रवाई किया या बड़ी भारी बेजाब्तगी के साथ अमल किया ऐसी सूरत में हाई कोर्ट दस्तनदाजी न करेगी —[इ. ला रि कलकत्ता जि० ११ सफा ६]— प्रिवी कौंसिल–इसी तरह हाई कोर्ट नीचे लिखी सूरतों में इस दफा की रू से दस्तनदाजी न करेगी.

(१) जब कि अदालत ने गलत फैसला किया हो, कि नालिश बेरू मियाद है–(इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द २० सफा ७८)

(२) जब कि अदालत ने गलत फैसला किया हो कि नालिश रेस जुडिकेटा के सबब से नहीं चल सकी—(इ ला रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ४८८)

(३) जब कि अदालत ने किसी दफा का मतलब गलत समझा–(इ ला. रि कलकत्ता जि. ३२ सफा ५७२).

(४) जब कि किसी दस्तावेज का असर, जो शहादत में पेश किया गया, गलत समझा–(इ ला रि. अलाहाबाद जि. १६ सफा ३१)

(५) जब कि ऐसी शहादत को खारिज किया जो ब मंजूर करना चाहिये था–(इ ला रि. बम्बई जिल्द २३ सफा १७७)

कार्रवाई खिलाफ कानून या बड़ी भारी बेजाब्तगी:—नीचे लिखी सूरतों में समझी जावेगी और हाई कोर्ट ब सागा नज़रसानी दस्तनदाजी कर सकेगी:—

(१) ऐसे सवाल वाकैयाती की तनकीह कायम करना जिस को मुद्दायलेह ने कबूल किया और नालिश को इस बिना पर खारिज करना

कि वह तनक़ीह व हक़ मुद्दई साबित नहीं पाई गई—(इ. ला. रि. बम्बई जि. १२ सफा ६१७).

(२) बिला स्टाप वाली हुंडी के जरिये नालिश होने और डिक्री सादिर होना (दफा ३५ एक्ट स्टाप नं २ सन १८९९, इ. ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा ३६९).

(३) अदालत अपील ने बिला स्टाप वाले दस्तावेज को काबिल मन्जूरी शहादत न समझना जब कि वैसा दस्तावेज अदालत इब्तदाई में मन्जूर हो चुका हो दफा ३५ एक्ट स्टाप नं २ सन १८८९, (इं ला रि. बम्बई जिल्द १८ सफा ७३७)

(४) तनक़ीह तलब सवालों को गलत समझ कर अपनी नई तनक़ीह गैर मुताल्लिक नालिश कायम करना और उस तनक़ीह के फैसला पर नालिश की तजवीज करना—[इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ४२ सफा ९२६, ९३१].

(५) ऐसे शख्स पर जो मुद्दायलेह नहीं था समन की तामीली बजरिये डाक करना और वैसी तामीली को समझना कि तामीली बाजाब्ता हुई है और वैसा समझ कर मुद्दायलेह पर एक तरफा डिक्री सादिर करना—(इ. ला रि. मदरास जिल्द २९ सफा ३२४).

(६) मुद्दायलेह पर जाती डिक्री की इजराय में मुद्दायलेह की ऐसी जायदाद कुर्क करना जो उस के पास बहैसियत अमानतदार के है—(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २८ सफा ५७४)

(७) किसी शख्स के खिलाफ हुक्म सादिर करना बगैर सुनने उस के उजर के या उस को बगैर देने मौका अपने जवाब देही करने के लिये—(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ३४ सफा ९२९, ९३२)

(८) डिक्री, चाहे इब्तदाई या कतई तहरीर न करना—(इं. ला. रि. बम्बई जि. ३७ सफा ६०)

गफलत (सुस्ती)—दरख्वास्त नजरसानी न ली जायगी, अगर वह बिला गैर माकूल देरी के न पेश की गई हो—[इ ला रि अलाहाबाद जि. ६ सफा १२५]

हिस्सा—६.

अहकाम खास मुताल्लुक उन हाई कोर्टों के जो बादशाही सनद के बमूजिब मुकर्रर की गई हैं.

इस हिस्सा का ताल्लुक चन्द हाई कोर्टों से

दफा ११६. यह हिस्सा सिर्फ उन अदालतहाय, हाई कोर्ट से ताल्लुक रखेगा, जो बमूजिब एक्ट हाई कोर्ट हाय हिन्द सन १८६१ ई० के कायम की गई हों, या आइन्दा की जाय

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६३१ से कायम की गई है.

इस मजमूआ का ताल्लुक हाई कोर्टों से

दफा ११७. सिवाय उस के जिस का इस हिस्सा में या हिस्सा १० या कायदों में बयान है, इस मजमूआ के अहकाम, वैसे अदालत हाई कोर्टों से मुताल्लुक होंगे

तशरीह.—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६३२ से कायम की गई है.

इस हिस्सा के सिवायः—देखो दफा १२०.

हिस्सा १० के सिवाय.—देखो दफा १२९

कायदे:—"कायदों" से वे कायदे मुराद हैं जो पहले जमीमा में दर्ज हैं या जो हस्ब दफा १२२, १२५ बनाये गये हैं—देखो दफा २, (१८) वो आर्डर न ४९ कायदा ३.

यह मजमूआ हाई कोर्ट के अखत्यार निस्बत वाईस-ऐड मेरिलटी लागू होगा (इ ला रि. कलकत्ता जि १७ सफा ६६, वो ३३७).

इजराय डिक्री कबल मालूम होने खर्चा के.

दफा ११८ अगर किसी अदालत हाई कोर्ट की समझ में, यह जरूरी हो कि डिकरी जो उस के मामूली इसदाई अखत्यार समाअत सीगा दीवानी की

तामील में सादिर की गई हो, तादाद उस खर्चे की, जो मुकदमें में हुआ हो बजरिये तशखीस मालूम होने के पहले जारी होने के पहले जारी होना चाहिये, तो अदालत मौसूफ यह हुक्म दे सकेगी कि वह डिकरी फौरन जारी की जाय, सिवाय उस कदर के जो कि खर्चा से ताल्लुक रखती हो.

और यह कि जिस कदर डिक्री खर्चे से ताल्लुक रखती हो, उस की इजराय ज्योंही तादाद खर्चा तशखीस के जरिये मालूम हो जावे, की जावेगी

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६३४ से कायम की गई है.

दफा ११६ इस मजमूआ की किसी इबारत से यह तसव्वर न होगा, कि किसी शख्स को दूसरे की तरफ से यह इजाजत है कि अदालत में जब वह अपने अख्त्यार समाअत इब्तदाई सीगा दीवानी की रू से अमल कर रही हो, तकरीर करे, या गवाहों से सवाल जवाब करे, सिवाय उस सूरत के कि अदालत उन अख्त्यार के तामील में जो हस्ब सनद मुकर्ररी अपने के, उस शख्स को इजाजत इस अमर की दे—और न यह तसव्वर होगा कि हाई कोर्ट को जो अख्त्यार ऐडवोकेट, वकीलों, और अटरनी के बाब में कायदे बनाने का हासिल है, उस में किसी तरह से वह इबारत हरज डालेगी

वह शख्स जिन को मजाज नहीं हैं अदालत में तकरीर न कर सकेगा

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६३५ से कायम की गई है—अदालत का यह कायदा कि कोई कानून पेशा अपनी तरफ से दूसरे को मुकर्रर करे जायज है—(ई ला रि अलाहाबाद जिल्द ९ सफा ६१३).

जो काम वकील कर सकें हैं वह ऐडवोकेट भी कर सकें हैं—(ई ला. रि. अलाहाबाद जि ९ सफा ६१७)

कलकत्ता हाई कोर्ट के इब्तदाई सीगा के इजलास में, कोई वकील मुकदमा दीवानी की पैरवी नहीं कर सक्ता है —(इ. ला. रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द ३० सफा १८६).

दफा १२० (१) नीचे लिखी हुई दफायें, अदालत हाई कोर्ट से जब कि वह अपने अखत्यारात समाअत इब्तदाई सीगा दीवानी अमल में लाती हो, मुताल्लूक न होगी, यानी दफात १६ वो १७ वो २०.

जब हाई कोर्ट अखत्यरात सीगा दीवानी समाअत इब्तदाई या दीवालीया अमल में लाती हो अहकामात मुताल्लुक नहीं हैं.

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६३८, ६३६ से कायम की गई है

पुरानी दफा का फिकरा (२) मन्सूख हो गया है—(देखो दफा १२७ एक्ट दीवालीया प्रेसिडेन्सी टाऊन न ३ सन १६०६)



हिस्सा—१०.

कायदे.

दफा १२१ जो कायदे जमीमा १ में दर्ज हैं वह उसी तरह
जमीमा १ में लिखे हुये कायदों का असर — असर रक्खेंगे कि गोया इस मजमूआ में दाखिल है, जब कि वे इसी हिस्से के अहकाम के बमूजिब मंसूख न हो जांय, या बदल न दिये जांय.

तशरीह:—यह दफा नई कायम की गई है.

यह पूरा हिस्सा नया है सिवाय दफा १२६, १३० वो, १३१ के

निस्बत मन्सूखी वो बदलने कायदों के देखो दफा १२४)

दफा १२२. हाई कोर्ट जो एक्ट हाई कोर्ट हिन्द सन १८६१
चन्द हाई कोर्टों को कायदे बनाने का अखत्यार — ई० की रू से कायम हुई है, और चीफ कोर्ट पंजाब, वो लोअर बरमा, वक्तन फक्तन पहले से मुश्तहर करने के बाद कवायद निसबत जाब्ता खुद अपने लिये वो अदालतहाय दीवानी के लिये जो उन की निगरानी में हो बना सक्ती है, और उन ही कायदों के बमूजिब कुल या बाज कवायद मुन्दर्जे जमीमा (१) को मंसूख कर सक्ती है, या बदल सक्ती है, या उस में बढ़ती कर सक्ती है

लफ्जों के मायने—(१) वक्तन फक्तन=वक्त वक्त पर,

यह दफा पुराने दफा ६२५ फिकरा १ मे कायम की गई है जो कायदे इस दफा की रू से वो दफा १२५ के रू मे बनाये जायें वे खिलाफ अहकाम मजमूआ जाब्ता दीवानी के न होंगे—(देखो दफा १२८ वो १२६)

दफा १२३ (१) एक कमेटी जिस का नाम "रूल कमेटी"

रूल कमेटियों की बाज सूबों में मुकर्ररी.

(कायदा बनाने वाली कमेटी) होगी शहर कलकत्ता वो मद्रास वो बम्बई वो इलाहाबाद वो लाहौर वो रंगून में कायम की जायगी.

(२) हर ऐसी कमेटी मे, नीचे लिखे हुये शख्स शामिल होंगे, यानी.

(क) तीन जज उस शहर की हाई कोर्ट के जहां कि कमेटी कायम हो, जिन में से कम से कम एक ऐसा हो,जिस ने ओहदा डिस्ट्रीक्ट जजी पर, या (पंजाब या बरमा मे) ओहदा डिविजनल जजी पर, तीन साल तक काम किया हो

(ख) एक बारिस्टर जो उसी अदालत मे बारिस्ट्री करता हो –

(ग) एक एडवोकेट (जो बारिस्टर न हो) या, वकील या प्लीडर उसी अदालत का, दर्ज रजिस्टर.

(घ) एक जज अदालत दीवानी का, जो उसी हाई कोर्ट के मातहत हो, और,

(ङ) दरसूरत शहर कलकत्ता वो मद्रास वो बम्बई एक अटरनी

(३) हर ऐसी कमेटी के मेमबरों को साहेब चीफ जसटिस या चीफ जज, मुकर्रर करेंगे–और वही उन में से एक शख्स को प्रेसडिंट बनायगें

मगर शर्त यह है कि जिस सूरत में खुद साहिब चीफ जसटिस, या, चीफ जज, कमेटी के मेमबर होना चाहे, तो सिर्फ दो और जज मुकर्रर किये जायगे, और साहेब चीफ जसटिस या चीफ जज कमेटी के प्रेसीडेंट होंगे.

(४) हर मेमबर ऐसी कमेटी का बहैसियत मेमबरी उतने अरसे तक रहेगा, जो चीफ जसटिस, या चीफ जज की

...से इस बारे में मुकर्रर कर दिया जाय, और जब कभी ... मेमबर अपनी मुलाजमत, या खिदमत से, अलेहदा हो, ...तीफा दे, या मर जाय, या उस सूबे से कि जहां कमेटी ...यम हो चला जाय, या, कमेटी के मेमबरी का काम करने ... लायक न हो, तो साहेब चीफ जसटिस, या चीफ जज मजकूर ...स की जगह पर किसी दूसरे शख्स को मेमबर मुकर्रर कर ...क्ते हैं

(५) हर ऐसी कमेटी के वास्ते एक सेक्रेटरी मुकर्रर किया जायगा, और उस की मुकर्ररी साहेब चीफ जसटिस, या चीफ जज करेंगे, और उसकी तनख्वाह नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल, या लोकल गवर्नमेंट की तरफ से याने जैसी सूरत हो, मुकर्रर की जायगी.

तशरीह—यह दफा नई कायम की गई है

जो रूल कमेटी इस दफा के मुतअल्लुक न बनी हो वह कायदों में दस्तन-दाजी न कर सकेगी.

रिपोर्ट कमेटी बाबि-दमत हाई कोर्ट

दफा १२४. हर रूल कमेटी एक रिपोर्ट अपनी उस हाई कोर्ट के पास, कि जो उस शहर में मुकर्रर हो कि जहां वह कमेटी कायम की गई है, निसबत तजवीज मनसूखी या तबदीली या इजाफात (बढ़ाव) कायदे मुनदर्जे जमीमा (१) या निसबत बनाने नये कायदों के पेश करेगी और बमूजिब दफा १२२ के कायदे बनाने के पहले हाई कोर्ट ऐसी रिपोर्ट पर गौर करेगी

तशरीह.—यह दफा नई कायम की गई है.

अहकाम निसबत रूल कमेटी सिर्फ सनद वाली हाई कोर्ट व चीफ कोर्ट पंजाब व लोअर बरमा को लागू होंगे-सनद वाली हाई कोर्ट व चीफ कोर्टों के कायदे सिर्फ उस वक्त बनाये जा सकेंगे जब कि हाई कोर्ट या चीफ कोर्ट ने अपनी रूल कमेटी की राय ली हो, यानी, बगैर राय रूल कमेटी

कायदे न बन सकेंगे दीगर हाई कोर्टों की निस्बत रूल कमेटी उस तरह बनाने का अखत्यार दिया गया है जैसा कि नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल हुक्म दे (देखो दफा १२५)

दफा १२५ हाई कोर्टें सिवाय उन के जिन का जिक्र दफा १२२ मे है वे अख्त्यारात जो उस दफा की रू से दिये गये है, अमल मे ला सक्ती हैं, मगर जो तरीका वो शरते नव्वाब बहादुर बइजलास कौंसिल मुकर्रर करे उन की पाबन्दी उन को करना लाजिम होगा

दीगर हाई कोर्टों के अखत्यारात निस्बत बनाने कायदे

मगर यह हो सक्ता है कि कोई ऐसी हाई कोर्ट इश्तहार देने के बाद, अपने अखत्यारात हदूद के अन्दर उन कायदों को जारी करे, जो किसी दूसरी हाई कोर्ट ने बनाय हैं.

तशरीह:— यह दफा नई कायम की गई है

दफा १२६ जो कायदे ऊपर लिखी हुई दफा की रू से बनाये जावें, उन के वास्ते नीचे लिखे हुये हाकमान की पहले से मंजूरी लेना जरूर होगा.

कायदों के वास्ते मनजूरी लाजमी है.

(क) अगर कायदे किसी ऐसे हाई कोर्ट के तरफ से बनाये जावे, जो एक्ट हाई कोर्ट हिन्द सन १८६१ ई० की रू से कायम की गई हो तो मंजूरी उस हाकिम की जिस का जिक्र दफा १५ एक्ट मजकूर मे उन कवायद के निसबत है, जो उसी दफा के बमूजिब बनाय जांय

(ख) अगर कायदे किसी दूसरी हाई कोर्ट की तरफ से बनाये जांय तो लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी से

तशरीह —यह दफा नई कायम की गई है

एक्ट हाई कोर्ट हिन्द सन १८६१ की दफा १५ में जिस हाकिम का

जिक्र है उस मे मुराद नव्वाब गवरनर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल हाता बंगाल के लिये हैं और हाता बम्बई वो मद्रास के लिये नव्वाब गवरनर बइजलास कौंसिल बम्बई वो मद्रास से है

दफा १२७. जो कायदे ऊपर लिखी हुई दफाओं के बमूजिब बनाये जावें, और मनजूर किये जावें, वह गजट आफ इन्डिया या गजट सरकारी मुकामी में मुश्तहर होंगे, याने जैसी सूरत हो—और मुश्तहरी की तारीख मे या किसी ऐसी दूसरी तारीख से जो मुकर्रर की जाय उनका असर उन हाई कोरटों के इलाके के अन्दर कि जिस ने उन्हें बनाया हो, ऐसा ही होगा कि मानों वे जमीमा (१) में दाखिल है.

कायदों की मुश्तहरी

तशरीह:—यह दफा नई कायम की गई है.

दफा १२८ (१) जो कायदे ऊपर लिखी हुई दफों की रू से बनाये जायें वह मजमूआ में दरज किये हुये हुक्मो के खिलाफ न होंगे, बलकि उन्हीं अहकाम की पाबन्दी के साथ उन बातों के निसबत होंगे, जो जाब्ता अदालत दीवानी से मुताल्लुक हैं

किन मामलों की निसबत कायदे बनाये जा सक्ते हैं

(२) खास करके तो बगैर इस के कि उन अख्त्यारात की अमूमीयत में कुछ फर्क आवे, जो जिमन (१) की रू से दिये गये हैं, ऐसे कायदे कुल या किसी नीचे लिखे हुये अमूरात की निसबत होंगे —याने.

(क) तामील समन वो नोटिस वो दीगर हुक्मनामों की बजरिये डाक, या किसी दूसरे तरीके पर, चाहे आम तौर पर हो, या किसी खास रकबे के लिये हो—और सबूत ऐसे तामील का,

([illegible] हिफाजत जानवरों की जो मे [illegible] माल मनकूला की हिफाजत [illegible] और ऐसी [illegible]

पिलाई के और जानवरों और जायदाद के नीलाम मजकूर के बारे में

(ग) निसबत उन कार्रवाईयों के जो नालिसें मुकाबले में की जाये और अन्दाजा मालियत नालशात मजकूर के वास्ते गरज अख्त्यारात अदालत के

(घ) जाब्ता निसबत सुपुर्दगी और तामील हुक्म के जो अलावा या बऐवज कुरकी वो नीलाम जरहाये करजा के हो

(ङ) निसबत उस जाब्ता के जब कि मुद्दायलेह हकदार हिस्सा रसदी का हो या मावजा नुकसान का बराखिलाफ किसी शख्स के, चाहे वह शख्स फरीक मुकदमा हो या न हो,

(च) निसबत जाब्ता सरसरी

(१) उन नालिशात में जिन में मुद्दई सिर्फ दिला पाने जर करजा या जर मतालबा मुकर्ररा का मुद्दालेह से साथ या बिना सूद के चाहता हो, जब कि नालिश नीचे लिखे हुए अमूरात पर हो, किसी मोहदा सरीह या मानवी की बिना पर; या

एक इकरारनामे की बिना पर जब कि रकम जो वसूल होने वाली हो एक रकम मुकर्रर हो या ऐसा करजा हो जो तावान की किसमों में से न हो, या,

जमानत की बिना पर जब कि दावा असल मालिक पर निस्बत जर करजा, या सिर्फ जर मतालबा मुकर्ररा के हो, या,

अमानत की बिना पर, या,

(२) उन नालशात में जिन को जामिनदार बाबत दिला पाने जायदाद गैर मनकूला साथ या बगैर दावा जर लगान (या किराया) या मुनाफा के उस आसामी पर दायर करे, जिस की मुद्दत कब्जा की गुजर गई हो, या बजरिये नोटिस बेदखली खतम हो गई हो, या बसबब न अदा करने लगान (या किराया) के लायक जब्ती हो गई हो, या उन शख्सों पर दायर करे, जो आसामी मजकूर के जरिये से दावीदार हों,

(छ) निसबत जाब्ता इजराय समन के,

(ज) निसबत नालशात वो अपील वो दीगर कार्रवाईयों के एकजा करने के,

(झ) निसबत देने काम जुडीशल वो हम शक्ल जुडीशल वो गैर जुडीशल के किसी रजिस्ट्रार, या प्रोथोनोटरी या मास्टर या दीगर अफसर अदालत को; और,

(ञ) निसबत कुल फार्म वो रजिस्टर, वो किताबें, वो दाखलेजात वो हिसाबात के जो वास्ते कार्रवाई अदालत हाय दीवानी के जरूर या मुनासिब हो.

तशरीह:—यह दफा नई कायम की गई है.

अदालत हाई कोर्ट मुकर्ररा हस्ब सनद शाही के अखत्यार ... बनाने कायदे ... जा० ... इ०

दफा १२६. बावजूद किसी मजमून इस मजमूआ के किसी हाई कोर्ट को जो एक्ट हाई कोर्ट हाय हिन्द सन १८६१ ई० की रू से ... हो अखत्यार है, कि वह मु... दे जैसा वाजिब समझे वो ... के हुक्म के मुताबिक हों ... से वह कायम हुई हों, समाअत इब्तदाई

सीगा दीवानी के तामील में बनावें—और इस मजमूआ का कोई मजमून उन क़ायदों के जायज होने पर असर नहीं करेगा, जो बरवक्त जारी होने इस मजमूआ के पेश्तर से जारी हों

तशरीहः—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६५२ के फिकरा ३ से कायम की गई है-हाई कोर्ट के बनाये हुए कायदे अगर लेटर पेटेन्ट के मुताबिक हैं तो जायज हैं-[इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ३४ सफा ६१९-२४]

दफा १२२ वो १२५ के कायदों की निस्वत यह हुक्म है कि वे खिलाफ अहकाम मजमूआ जाब्ता दीवानी न हों मगर दफा १२९ के कायदों की निस्वत यह हुक्म है कि वे लेटर्स पेटेन्ट के खिलाफ न हो गो मज० जा० दी० के खिलाफ हों बशर्ते कि ये कायदे निस्वत जाब्ता कार्रवाई मुतअल्लिक अख्त्यार इब्तदाई दीवानी के हों

दफा १३० दीगर हाई कोर्ट के अख्त्यार निस्वत बनाने कायदा मुताल्लुके अमूर दीगर अलावा जाब्ता के

जो हाई कोर्ट बजरिये एक्ट हाई कोर्ट हिन्द सन १८६१ ई० के कायम न हुई हो, उस को अख्त्यार है कि मंजूरी लोकल गवर्नमेंट की हासिल करने के बाद कोई कायदा निस्बत किसी मामला दीगर जाब्ता को छोड़कर बनाय, जिस को कोई हाई कोर्ट मुकर्रर हस्ब एक्ट मजकूर की दफा १५ की रू से निस्बत उसी मामले के अपने इलाका अख्त्यार किसी हिस्सा के लिये जो प्रेसीडेंसी के हद से बाहर हो, बना सक्ती है

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६५२ के फिकरा २ से कायम की गई है

दफा १३१ क़ायदों की मुश्तहरी

दफा १२९ या दफा १३० के मुताबिक जो क़ायदे बनाये जायें गजट आफ इनडिया, या गजट सरकारी मुकामी में, यानी जैसी सूरत हो मुश्तहर होंगे और तारीख मुश्तहरी से या ऐसी कोई दूसरी तारीख से कि जिस का खास तौर पर जिक्र होवे, असर कानून रखेंगे.

तशरीह – यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६५२ के फिकरा ४ से कायम की गई है

(२) उन नालशात में जिन को जामिनदार बाबत दिला पाने जायदाद गैर मनकूला साथ या बगैर दावा जर लगान (या किराया) या मुनाफा के उस आसामी पर दायर करे, जिस की मुद्दत कब्जा की गुजर गई हो, या बजरिये नोटिस बेदखली खतम हो गई हो, या बसबब न अदा करने लगान (या किराया) के लायक जब्ती हो गई हो, या उन शख्सों पर दायर करे, जो आसामी मजकूर के जरिये से दावीदार हों,

(छ) निसबत जाब्ता इजराय समन के,

(ज) निसबत नालशात वो अपील वो दीगर कार्रवाईयों के एकजा करने के,

(झ) निसबत देने काम जुडीशल वो हम शक्ल जुडीशल वो गैर जुडीशल के किसी रजिस्ट्रार, या प्रोथोनोटरी या मास्टर या दीगर अफसर अदालत को; और,

(ञ) निसबत कुल फार्म वो रजिस्टर, वो किताबें, वो दाखलेजात वो हिसाबात के जो वास्ते कार्रवाई अदालत हाय दीवानी के जरूर या मुनासिब हों.

तशरीहः—यह दफा नई कायम की गई है.

अदालत हाई कोर्ट मुकर्रा हस्ब सनद शाही के अखत्यारात निस्बत बनाने कायदे मुताल्लुक अपने जाब्ता दीवानी समाअत इब्तदाई के

दफा १२९. बावजूद किसी मजमून इस मजमूआ के किसी हाई कोर्ट को जो एक्ट हाई कोर्ट हाय हिन्द सन १८६१ ई० की रू से कायम हुई हो अखत्यार है, कि वह मुनासिब कायदे जैसा वाजिब समझे वो जो लेटर्स पेटेन्ट के हुक्म के मुताबिक हों जिन के जरिये से वह कायम हुई हों, वास्ते इन्तजाम जाब्ता अपने अपने अखत्यार समाअत इब्तदाई

सींगा दीवानी के तामील मे बनावें—और इस मजमूआ का कोई मजमून उन कायदों के जायज होने पर असर नहीं करेगा, जो वरवक्त जारी होने इस मजमूआ के पेश्तर से जारी हो

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६५२ के फिकरा ३ से कायम की गई है-हाई कोर्ट के बनाये हुए कायदे अगर लेटर पेटेन्ट के मुताबिक हैं तो जायज हैं-[इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ३४ सफा ६१९-२४]

दफा १२२ वो १२५ के कायदों की निस्बत यह हुक्म है कि वे खिलाफ अहकाम मजमूआ जाब्ता दीवानी न हों मगर दफा १२९ के कायदों की निस्बत यह हुक्म है कि ये लेटस पेटेन्ट के खिलाफ न हो गो मज० जा० दी० के खिलाफ हों बशर्ते कि ये कायदे निस्बत जाब्ता कार्रवाई मुतअल्लिक अखत्यार इब्तदाई दीवानी के हों.

दफा १३० जो हाई कोर्ट बजरिये एक्ट हाई कोर्ट हिन्द सन १८६१ ई० के कायम न हुई हो, उस को अख्त्यार है कि मजूरी लोकल गवर्नमेंट की हासिल करने के बाद कोई कायदा निस्बत किसी मामला दीगर जाब्ता को छोड़कर बनाय, जिस को कोई हाई कोर्ट मुकर्रर हस्ब एक्ट मजकूर की दफा १५ की रू से निस्बत उसी मामले के अपने इलाका अख्त्यार किसी हिस्सा के लिये जो प्रेसीडेंसी के हद से बाहर हो, बना सक्ती है

दीगर हाई कोर्ट के अखत्यार निस्बत बनाने कायदा मुताल्लुके अमूर दीगर अलावा जाब्ता के

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६५२ के फिकरा २ से कायम की गई है

दफा १३१ दफा १२९ या दफा १३० के मुताबिक जो कायदे बनाय जायें गजट आफ इन्डिया, या गजट सरकारी मुकामी मे, यानी जैसी सूरत हो मुश्तहर होंगे और तारीख मुश्तहरी से या ऐसी कोई दूसरी तारीख से कि जिस का खास तौर पर जिकर होवे, असर कानून रखेंगे.

कायदों की मुश्तहरी

तशरीह — यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६५२ के फिकरा ४ से कायम की गई है

हिस्सा—११.

मुतफरकात.

दफा १३२. (१) वे औरतें जो दस्तूर वो रिवाज मुल्क के मुवाफिक लोगों के सामने होने पर मजबूर नहीं की जा सक्ती, असालतन हाजरी अदालत से माफ है

बाज औरतों का असालतन हाजरी से माफ होना

(२) लेकिन इस दफा की किसी इबारत से यह न समझना चाहिये कि वह औरत हुक्मनामा दीवानी के इजरा में गिरफ्तारी से माफ है, उस सूरत में जब कि उन की गिरफ्तारी की इस मजमूआ के रू से मनाई नहीं है.

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६४० से कायम हुई है—कोई परदानशीन औरत जो पहले मरतबा आम लोगों में आई हो, और उस का इजहार अदालत में पालकी पर लिया गया हो तो भी वह अपना इजहार बजरिये कमीशन लिये जाने की मुस्तहक है—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २१ सफा ६९०)

कोई १२ बरस की कुवारी लड़की उस फिरके की, जिस की औरतें आम लोगों में नहीं आती हैं, और परदा करती हैं इस दफा की रियाअत का फायदा उठाने की मुस्तहक है (वीकली रिपोर्टर जिल्द २४ सफा ३७१)

कोई औरत जो सूदक में थी, और अपने रिवाज के मुताबिक २ या ३ साल तक अपना घर नहीं छोड़ सक्ती, उस का इजहार लेने के लिये कमीशन जारी करने से इनकारी की गई बमुकदमे इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १४ सफा ५८४, हर एक परदानशीन औरत का इजहार बजरिये कमीशन लिये जाने की इजाजत देना चाहिये, गो उस पर बद चलनी का इलजाम लगाया गया हो (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १२ सफा ६१)

देखो आर्डर न २६ कायदा १—

दफा १३३ [१] लोकल गवर्नमेंट को अख्त्यार है कि इश्तहार मुन्दरजे गजट सरकारी मुकामी के जरिये से किसी शख्स को जो अपने मरतबा के लेहाज से गवर्नमेंट मजकूर की राय में अदालत में असालतन हाजिर होने से माफी का मुस्तहक हो हाजरी से माफ करदे.

दीगर लोगों का मुसतसना

[२] लोकल गवर्नमेंट उन आदमियों के नाम और सकूनत जो इस तरह से माफ हुऐ हों वक्तन फवक्तन हाई कोर्ट में भेजा करेगी और एक फेहरिस्त ऐसे शख्सों की अदालत मजकूर में रहेगी, और एक फेहरिस्त ऐसे शख्सों की जो हाई कोर्ट की हर अदालत मातहत के इलाके में रहते हों, हर ऐसी अदालत मातहत में रखी जायगी

[३] जब कोई शख्स जो ऊपर लिखे मुताबिक माफ किया गया हो वैसा माफी का इस्तेहकाक पेश करे, और इस वजह से उस का इजहार बजरिये कमीशन लेना जरूर हो, तो उसे लाजिम है कि कमीशन का खर्चा अदा करें, सिवाय उस सूरत के कि जब वह फरीक जो उस की शहादत चाहता है, खुद खर्चा मजकूर अदा करदे

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६४१ से कायम की गई है जब कोई शख्स इस दफा की रू से माफ हुआ है तो फिर वह हाजरी अदालत के लिये मजबूर नहीं किया जा सकेगा

दफा १३४ कुल शख्स जो इस मजमूआ की रूसे गिरफतार किये जायेंगे उन को दफा ५५–५७ वो ५६ के अहकामात जहां तक हो सके लागू होंगे.

इजराय डिक्री के अलावा और हालत म गिरफतारी

तशरीह:—यह दफा नई कायम की गई है

दफा ५५ में गिरफतारी मदयून डिकरी का जिक्र है—दफा ५७ में उस की

खुराक का ज़िक्र है—दफ़ा ५६ में उस को रिहाई बवजह बीमारी का ज़िक्र है

दफ़ा १३५ (१) कोई जज या मजिस्ट्रेट या और ओहदे-

हुक्मनामा दीवानी में गिरफ्तारी से मुसतसना.

दार अदालत किसी हुक्मनामा दीवानी से, उस हालत में गिरफ्तार न हो सकेगा, जब कि वह अपनी अदालत को जाता हो या उस में इजलास करता हो या वहां से वापिस आता हो,

(२) जब कोई मामला किसी ऐसी अदालत के रूबरू पेश हो, जो उस पर अख्त्यार समाअत रखती हो या जो नेकनियती से समझती हो कि उस को अख्त्यार समाअत हासिल है, तो उस मामले के फरीकैन और उन के वकील और मुख्त्यार और रेविनियू ऐजन्ट वो ऐजन्ट मकबूला और उन के गवाह जो समन के मुताबिक तलब होकर हाजिर हों उस दरम्यान में हुक्मनामा दीवानी के बमूजिब सिवाय उस हुक्मनामे के जिसे अदालत मजकूर ने निस्बत तौहीन अदालत के जारी किया हो, गिरफ्तार होने से बचे रहेंगे, जब वह शख्स अदालत मजकूर में वैसे मामले की गरज के लिये आता हो, या वहां हाजिर हो और जब उस अदालत से वापिस आता हो.

(३) इस दफ़ा की जिमन (२) के रू से मदयून डिकरी उस गिरफ्तारी से मुसतसना न हो सकेगा, जो किसी हुक्म फौरन इजरा के बमूजिब जारी किया जाय—या जब कि मदयून डिकरी मजकूर इस बात की वजह जाहिर करने के लिये हाजिर हो कि वह इजराय डिकरी में जहल क्यों नहीं भेजा जा सका है

तशरीह —यह दफ़ा पुराने एक्ट की दफ़ा ६४२ से कायम की गई है—और जिमनी दफ़ा ३ नई है और इस दफ़ा की रू से जो रिआयत की गई है वह सिर्फ एक शख्स के फायदे के वास्ते नहीं की गई है बलकि वास्ते फायदा आम और ब नजर इनसाफ के की गई है

अगर कोई शख्स पटना का रहने वाला, कलकत्ता से मदरास को, वास्ते एक मुकदमा के जो मुलतवी था और जिस में वह मुद्दई था, आया और मुकदमा ७

हफ्ते के लिये मुलतवी कर दिये जाने के सबब से वह मदरास में रहा तो यह दफा लागू होगी, (इ ला. रि मदरास जिल्द ४ सफा ३१७)—मगर हाई कोर्ट अलाहाबाद की राय इन नजीर से खिलाफ है क्योंकि गिरफ्तारी के वक्त यह नहीं समझा जा सका कि मुद्दई अदालत को जा रहा था या वहां पर हाजिर थ या वहां से आ रहा था क्योंकि वह उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब कि उस के मुकदमा की पेशी बढ़ गई थी—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ३२ सफा ३–६)

अदालत से जो पंच मुकर्रर हों उन के रूबरू की हाजरी भी इस दफा में आती है—(५ कलकत्ता ला. रिपोर्ट सफा १७०)

इंडीयन ला रिपोर्ट मदरास जिल्द १३ सफा १५० में यह तजवीज हुई है कि कोई दीवालीया जो गलती से कैद किया गया और बाद रिहाई के फिर गिरफ्तार किया गया तो वह इस दफा के बमूजिब फायदा उठाने का दावा नहीं कर सक्ता है

अगर कोई शख्स जिस को किसी मजिस्ट्रेट के अदालत से जुरमाना की सजा हुई, और उस अदालत में जुरमाना देने के लिये ठहरा हुआ है तो वह किसी दिवानी वारन्ट के इजरा में गिरफ्तार किया जा सक्ता है—(इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द ४ सफा २७)

अगर कोई नालिश दायर हो कर मुलतवी नही है तो इस दफा के बमूजिब इसतहकाक का दावा नहीं किया जायेगा—(इ. ला रिपोर्ट मदरास जिल्द १३ सफा १५०).

एक शख्स बम्बई का रहने वाला बनारस गया, वास्ते मन्सूख कराने इकतरफा डिक्री जो उस पर अदालत बनारस से सादिर हुई थी, और वह बनारस में जाकर डाक बगला में रहा—उसने दरखास्त वास्ते होने मन्सुख यकतरफा डिक्री दिया, दरखास्त की पेशी पर वह हाजिर अदालत हुवा—उसकी दरखास्त सुनी गई वो खारिज हुई—तब वह अदालत से वापिस डाक बगले को गया और वहा से रेलवे स्टेशन को गया, और अलाहाबाद का टिकट लिया बल्कि गाड़ी में भी बैठ गया, इतने में वह उस इकतरफा डिक्री की इजराय में गिरफ्तार किया गया—तजवीज हाई कोर्ट अलाहाबाद करार पाई कि उस की गिरफ्तारी जायज थी, क्योंकि गिरफ्तारी के वक्त वह न तो अदालत में था और न अपने डाक बगले में और

ज़त मातहत की न — होने के वक्त किसी अदालत मातहत हाई कोर्ट में जारी हो वही उस अदालत की न उस वक्त तक रहेगी जब तक कि लोकल गवर्नमेंट दूसरी का हुक्म न दे

(२) लोकल गवरनमेंट यह करार दे सक्ती है कि कौनसी ान किसी ऐसे अदालत की जबान समझी जायेगी, और वास्तें जो अदालत मजकूर मे गुजरे, और कार्रवाई अदालत स जबान में होगी

[३] जब कि इस मजमूआ के हुक्मों की रू से यह रूरी हो या इस की इजाजत हो कि सिवाय लिखे जाने शहा- त के और कोई चीज अदालत मजकूर में तहरीरी हो तो यह हरीर अंगरेजी जबान में होगी-लेकिन अगर कोई फरीक मुक़- ्मा या उस का वकील अंगरेजी न जानता हो तो उस की रखास्त करने पर उस का तरजुमा अदालत की जबान में उस को दिया जायगा; और अदालत निसबत दाखिल करने खर्चा तरजुमा मजकूर के हुक्म मुनासिब देगी.

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६४५ से कायम की गई है मगर शिकमा दफा (३) नई है

दफा १३८. (१) लोकल गवरनमेंट को अख्त्यार है कि गजट सरकारी मुकामी में इश्तहार दे, कि कोई जज, जिस की तशरीह इश्तहार मज- कूर में हो या जो उस तशरीह मे आता हो, उन मुकादमात मे, जिन मे अपील हो सक्ती हो, शहादत अंगरेजी जबान में खुद मुकर्रर किये हुये तरीकों से तहरीर करे

लो.ल गवर्नमेंट शहा- दत अंगरेजी में लिखे जाने का हुक्म दे सक्ती है

(२) ... जज ... काफी वजह से जिमन (१) की तामील ... हो ... चाहिये कि वह सबब लिखे, और ... लिखवा

तशरीह'—यह दफा पुराने एक्ट की दफा १८५ (अ) से कायम हुई है.

दफा १३९. हर बयान हलफी की सूरत मे जो इस मजमूआ के बमूजिब हो,

बयान हलफी में हलफ कौन शख्स दे सके हैं

(क) हर एक अदालत या मजिस्टेट—या

(ख) वह ओहदेदार या कोई दूसरा शख्स जिसे हाई कोर्ट इस काम के लिये मुकर्रर करे; या,

(ग) कोई ओहदेदार, जो किसी और अदालत से मुकर्रर हुआ हो, जिस अदालत को लोकल गवर्नमेंट ने इस गरज से अख्त्यार आम या खास दिया हो मजाज है कि बयान हलफी लिख दने वाले को हलफ दे.

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा १९७ मे कायम हुई है

दफा १४० (१) जब कोई मुकदमा बाबत हक बचाने माल डूबे हुए जहाज, या उजरत पहुंच ने जहाज क समुनदर मे या बाबत नुकसान के जो जहाज के टक्कर खाने से पहुंचा हो किसी अदालत ऐडमिरलटी या वाइस ऐडमिरलटी में पेश हो, वह अदालत चाहे वह अपने अख्त्यार इब्तदाई या अख्त्यरात अपील अमल में लाती हो, मजाज होगी कि अगर मुनासिब समझे, तो खुद, और अगर कोई फरीक दरख्वास्त करे तो अपनी मदद के वास्ते, दो लायक असेसर ऐसे तरीके के मुताबिक तलब करे जो वह हिदायत करे या जो मुकर्रर हो और ऐसे असेसर को लाजिम होगा कि हाजिर होकर इस तरह मदद दे.

असेसर बमुकदमात मालवेज वगैरा

(२) ऐसे हर असेसर को उस कदर फीस हाजरी के बदले, और फरीकैन में से उस फरीक की तरफ से दिया जायगा जिस के निसबत अदालत हिदायत करे या जो मुकर्रर

कर दिया जाय

तशरीहः—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६४५ (क) से कायम की गई है.

दफा १४१. मुतफर्कात कार्रवाई. अदालत दीवानी की तमाम कार्रवाइयों में वह जाब्ता कि जो इस मजमूआ में नालशात की निस्बत मुकर्रर हुआ है, जहां तक मुमकिन हो, अमल में लाया जायगा.

तशरीहः—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ६४७ से कायम की गई है- इस मजमूआ की रू से जो जाब्ता मुकर्रर हुआ है कार्रवाई मुतफर्कात से लागू है (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २१ सफा ४७९)-यह दफा, दरखास्त मुकर्ररी वली, वो हिफाजत बच्चे, वो कार्रवाई बमूजिब एक्ट तिलाक, यानी छोड़ छुट्टी औरत वो मुकदमात प्रोबेट, वो इस किस्म की दीगर कार्रवाईयों में सिवाय नालशात वो अपीलों के इजहार लेते वक्त लागू हैं-(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ३६--४१ वो इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १८ सफा ६३८).

यह दफा आर्डर नम्बर २३ के कायदा १ के दरखास्त इजराय डिकरी में लागू नहीं है-(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १८ सफा ६१५).

इस जाब्ता के हुक्म कार्रवाई बमूजिब दफा १९५ जब्ता फौजदारी में लागू नहीं है (इ. ला. रि. मदरास जिल्द ३० सफा २११).

एक्ट मजहबी वक्फ की दफा ५ की रू से अदालत जिला, अगर कोई हुक्म सादिर करे उस की अपील इस दफा के मुताबिक हो सक्ती है (इ. ला. रि. मदरास जि० ४ सफा २१५) अगर कोई दरखास्त बमूजिब आरडर नं. २१ रूल ५८ अदम पैरवी में खारिज कर दी जाय तो दावीदार इस दफा के रू से बमूजिब आरडर ६ रूल ९ के दरखास्त कर सक्ता है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० १० सफा ११९)

यह दफा दरखास्त इजराय डिक्री में लागू न होगी, क्योंकि दरखास्त इजराय डिक्री बतौर कार्रवाई मुतफर्कात नहीं समझी जाती, बल्कि नालिश के सिलसिले में समझी जाती है—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० १२ सफा १७९)— मतलब

यह है कि जो कार्रवाई इस मजमुआ में निस्बत नालशात मुकर्रर है वह दरखास्त इजराय डिक्री में लागू न होगी, मसलन, कायदा रेसजुडिकेटा नालशों को लागू होता है, मगर दरखास्त इजराय डिक्री को लागू नहीं होता, गो वैसी दरखास्त इजराय डिक्री का फैसला उसूल रेस जूडिकेटा के मुवाफिक किया जा सक्ता है, (दफा ११)—

अहकाम आर्डर न २ कायदा २ दरखास्त इजराय डिक्री को लागू नहीं होंगे, अगर एक डिक्री में दो दादरसी दी गई हो, तो पहले एक दादरसी पाने की दरखास्त दूसरी दादरसी के पीछे पाने में कुछ फर्क नहीं डालेगी और न रूकावट करेगी—(इं ला. रि. कलकत्ता जि० १८ सफा ५१५)—

अहकाम आर्डर न. ९ दरखास्त इजराय डिक्री को लागू न होंगे, पस अगर डिक्रीदार दरखास्त इजराय डिक्री की तारीख पेशी पर हाजिर न हो तो अदालत दरखास्त इजराय हस्ब आर्डर न. ९ कायदा ८ खारिज न कर सकेगी, यानी, दरखास्त इजराय डिक्री अदम पैरवी में खारिज नहीं हो सक्ती, गो अदालत अपने अखत्यार असली से खारिज कर सक्ती है (इ ला. रि अलाहाबाद जि० १५ सफा ८४)— और जब अदालत अपने अखत्यार असली से खारिज करे तो फिर वह उसे नम्बर पर हस्ब आर्डर न. ९ कायदा ९ कायम नहीं कर सक्ती है क्योंकि यह कायदा नालिश को लागू होगा, न कि इजराय डिक्री को—(इ ला. रि बम्बई जि० १८ सफा ४२६)—मगर गो अदालत नम्बर पर कायम नहीं कर सक्ती ताहम ऐसी खारजी से दूसरी दरखास्त इजराय डिक्री पेश करने में रूकावट न होगी—(इ. ला रि अलाहाबाद जि १७ सफा १०६-११२)

अहाकाम आर्डर न. १७ कायदा २, ३ दरखास्त न इजराय डिक्री को लागू न होंगे—पस अगर दरखास्त इजराय डिक्री बढ़ाई हुई पेशी पर हाजिर न होने से खारिज हो जाय, तो वैसी खारजी से नई दरखास्त इजराय डिक्री पेश करने में कोई रूकावट न होगी—(इ ला. रि मदरास जि० १८ सफा १३१)

अहकाम आर्डर न २३ कायदा १ दरखास्त इजराय डिक्री को लागू न होंगे—दरखास्त इजराय डिक्री को वापिस लेने से अदालत की इजाजत से या बगर इजाजत से दूसरी दरखास्त इजराय डिक्री पेश करने में कोई रूकावट

, वो इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द १८ सफा २१२ वो इंडियन ला.
ाबाद जिल्द २० सफा ४३० वो इ. ला रि मद्रास जिल्द ९ सफा

ाई शख्स जिस को कब्जा जायदाद गैर मनकूला का वापिस दिलाया गया
फा पाने का मुस्तहक है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २१ सफा १)

जब अदालत अपील की डिक्री अपील में तरमीम हो जावे तो अदालत अपील
डेकरी का यह असर है कि वह रूपया जो अदालत इब्तदाई के डिकरी से दिया
और अपील से नामजूर हुआ वापिस दिलाया जावे (इ ला. रि. अलाहाबाद
ल्द ७ सफा ४३२).

जब किसी मनदर के मुन्तजिमने डिकरी वसूली रूपया हासिल की और इजराय
डकरी में रूपया वसूल करके मनदर कमेटी को दे दिया मगर इब्तदाई डिकरी अपील
में मनसूख हो गई तो खिलाफ उस के वापसी की कार्रवाई बजरिये गिरफतारी के
नहीं हो सक्ती है—(मदरास ला. जरनल जिल्द १४ सफा ३७७)

इस दफा के रू से जो हुक्म सादिर किया जाये वह डिकरी है और उस
की अपील हो सक्ती है —(मदरास ला जरनल जिल्द ८ सफा २७६)

लफ्ज "वापसी" का, मतलब यह है कि जो नुकसान फरीक को डिकरी के
इजराय करने से हुआ है वह उस डिकरी के बदलने या मंसूख होने से उस को
भर दिया जावे या पूरा कर दिया जावे—(इं. ला. रि. मदरास जि. २३ सफा
३०६-३११)—

मुद्दई की डिकरी मुद्दायलेह पर हुई, मुद्दई ने इजराय डिकरी में मुद्दायलेह की
जायदाद पर कब्जा पाया, मुद्दाय [illegible] डिकरी की अपील दायर किया अपील
में वह डिकरी मनसूख की गई [illegible] त में मुद्दा [illegible] दफा के रू से
सिर्फ [illegible] न कि [illegible] स पाने [illegible] के जो डिकरी
[illegible] डिकरी में [illegible] उस को वैसी
[illegible] वापिस [illegible] दी जायगी जिस
[illegible] थी [illegible] जायदाद
में [illegible]

करते वक्त वापसी का हुक्म दिया हो या न दिया हो—(इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३२ सफा ८९)

ऐसी वापसी का हुक्म देते वक्त अदालत इब्तदाई खर्चा को दिला सक्ती है (कलकत्ता वी नोट जिल्द १ सफा १९७)—सूद भी दिला सक्ती है-(इ ला रि. बम्बई जिल्द ३५ सफा २५५)—तावान दिला सक्ती है—(इ ला रि बम्बई जिल्द १३ सफा ४८५)—मावजा वो मुनाफा दिला सक्ती है—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ३२ सफा ७९)—मतलब यह है कि फ़रीकैन की वही हैसियत कर दी जाय, जो डिकरी सादिर होने के पेश्तर थी—(कलकत्ता वी नोट जि १२ सफा ६४२)

जायदाद गैर मनकूला की डिकरी की इजराय में डिकरीदार ने कब्जा जायदाद मजकूर का पाकर उस जायदाद को दुसरे कास्तकार को ठेका में दे दिया, या दूसरे को बेच दिया, तो ऐसी सूरत में मदयून डिकरी, उस डिकरी के अपील में मन्सूख होने पर न सिर्फ जायदाद वापिस पाने का हकदार होगा, बल्कि जायदाद के साथ मुनाफा पाने का, भी जो बेदखली के अरसा में डिक्रीदार को हुआ हो, हक़दार होगा-(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २० सफा ४३०) और वह-ठेकेदार को भी जिसको ठेका दिया गया था, निकालने का हक्दार होगा—(ई. ला रि. कलकत्ता जिल्द २१ सफा ३४०)—और वह खरीदार से भी अपनी जायदाद का कब्जा वापिस पाने का हक्दार होगा, (इ ला रि. मद्रास जिल्द २३ सफा ३०६)—

(अ) की डिक्री (ब) व (क) पर शामलाती बिनाय के रू से हुई-अपील सिर्फ (ब) ने दायर किया-डिक्री मन्सूख की गई तो ऐसी सूरत में (क) भी इस दफा का फायदा उठाने का हकदार होगा-गो उसने अपील नहीं की थी (कलकत्ता वी नो जि० १२ स० ६४२).

(अ) की डिकरी (ब) पर पाच हजार रूप्या की हुई-(ब) ने अपील दायर किया ताफ़ैसला अपील (अ) ने (ब) से पांच हजार रूप्या वसूल किया डिकरी अपील में मन्सूख हुई-(ब) ने डिकरी अपील, जो उस के हक में हुई थी, [क] को बेच डाला, तो ऐसी सूरत में [क] वैसी डिकरी अपील से फायदा उठाने का हकदार होगा, और वह (अ) से पांच हजार रूप्या मय सूद

सफा २६२ वो इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द १८ सफा २१२ वो इंडियन ला रि. अलाहाबाद जिल्द २० सफा ४३० वो इ. ला रि मद्रास जिल्द ६ सफा ५०६)

कोई शख्स जिस को कब्जा जायदाद गैर मनकूला का वापिस दिलाया गया है मुनाफा पाने का मुस्तहक है (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द २१ सफा १)

जब अदालत अपील की डिक्री अपील में तरमीम हो जावे तो अदालत अपील की डिकरी का यह असर है कि वह रुपया जो अदालत इब्तदाई के डिकरी से दिया गया और अपील से नामजूर हुआ वापिस दिलाया जावे (इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ७ सफा ४३२).

जब किसी मनदर के मुन्तजिमने डिकरी वसूली रूपया हासिल की और इजराय डिकरी में रूपया वसूल करके मनदर कमेटी को दे दिया मगर इब्तदाई डिकरी अपील में मनसूख हो गई तो खिलाफ उस के वापसी की कार्रवाई बजरिये गिरफतारी के नहीं हो सक्ती है—(मदरास ला. जरनल जिल्द १४ सफा ३७७).

इस दफा के रू से जो हुक्म सादिर किया जाये वह डिकरी है और उस की अपील हो सक्ती है —(मदरास ला जरनल जिल्द ८ सफा २७६).

लफ्ज "वापसी" का, मतलब यह है कि जो नुकसान फरीक को डिकरी के इजराय करने से हुआ है वह उस डिकरी के बदलने या मसूख होने से उस को भर दिया जावे या पूरा कर दिया जावे—(इं. ला रि. मदरास जि. २३ सफा ३०६-३११)—

मुद्दई की डिकरी मुद्दायलेह पर हुई, मुद्दई ने इजराय डिकरी में मुद्दायलेह की जायदाद पर कब्जा पाया, मुद्दायलेह ने उस डिकरी की अपील दायर किया अपील में वह डिकरी मनसूख की गई, तो ऐसी सूरत में मुद्दायलेह इस दफा के रू से सिर्फ दरखास्त, न कि नालिश, निस्बत वापिस पाने अपनी जायदाद, के जो डिकरी दार को इजराय डिकरी में दिलाई गई थी पेश करेगा और अदालत उस को वैसी जायदाद मुद्दई से वापिस दिलायगी—दरखास्त अदालत इब्तदाई में दी जायगी जिस ने डिकरी सादिर की थी —(इ. ला. रि. बंबई जिल्द १३ सफा ४५)—जायदाद की वापसी हर सूरत में मिलेगी चाहे अदालत अपील ने अपील डिकरी मन्सूख

की दरखास्त, या अपील, या दौरान कार्रवाई इजराय डिक्री में तहरीर किये जावें पुराने एक्ट की दफा २५३ ऐसी सूरत में लागू न थी

नोटिस उस अदालत से दिया जाना चाहिये, जिस ने डिक्री सादिर की, या जिस में डिकरी इजरा के लिये भेजी गई—(इ ला रि. बम्बई जिल्द २१ सफा २९—३४).

जब किसी मुकदमा में कोई डिक्री एकतरफा सादिर हो, और मुद्दायलेह की दरखास्त पर यह डिकरी इस शर्त पर मन्सूख की जाय कि मुद्दा यलेह जमानत वास्ते अदाई उस जर डिकरी के देवे, जो बाद को उस पर सादिर की जाय, तो ऐसी डिक्री जो सादिर हो उस की इजरा जामिनदार पर हो सक्ती है—(इ ला. रि २६ कलकत्ता सफा २२२).

जमानतनामे से जामिनदार अदालत को रूपया देने का जिम्मेदार है न कि डिकरीदार को, जब के अदालत में जामिनदार से रूपया तलब किया जावे, और वह दाखिल अदालत कर देवे, और मदयून डिक्री भी अदालत में वह माल दाखिल करदे जिस की डिक्री हुई है तो वह माल पेश्तर डिक्री की अदाई में खर्च किया जावेगा, और उस में अदाई डिकरी की न हो तो जामिनदार के दाखिल किये हुए रूपया से अदाई होगी-(इ ला. रि बम्बई जिल्द १९ सफा ५७८)

कोई डिक्री जो बमूजिब आर्डर नम्बर २० रूल ११ तबदील की जाय, और उस की अदाई किस्तबन्दी के जरिये से कर दी जाय, और ऐसे तबदीली के वक्त जामिनदार फरीक न किया जाय तो इस दफा के रूसे वह डिक्री उस पर जारी नहीं होसक्ती (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ८०६)

अपील के मतलब के लिये जामिनदार फरीक मुकद्दमा बमूजिब दफा ४७ के है, और बमूजिब दफा २ जिमन २ हुक्म बमूजिब दफा ४७ के बतौर एक डिक्री के होगा.

(अ) की डिक्री (ब) पर हुई, (अ) ने डिक्री इजराय कराया, (ब) ने डिक्री की अपील किया और ताफैसला अपील इजराय डिक्री को मुल्तवी कराने के लिये दरखास्त दिया, (क) ने (ब) की तरफ से इस बात की

पाने का हकदार होगा, उसी तरह जैसे कि (ब) होता अगर वह न बेचता—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ३२ सफा ८५७).

यह दफा पहीली अपील, दूसरी अपील, अपील प्रिवी कौंसिल या तजवीज सानी में लागू होगी, मतलब यह है कि डिक्री मन्सूख होना चाहिये, चाहे वह किसी अपील में हो या नजरसानी में हो—अगर तावान की रकम अदालत के मालो अख्त्यार से बढ़ जावे तो भी अदालत वैसा तावान दिलाने की मजाज होगी—(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १३ सफा ४८५).

इजराय बनाम जामिनदार.

दफा १४५ जब कोई शख्स जामिन हुआ हो,

(क) किसी डिक्री या उस के किसी हिस्से की तामील के लिये; या,

(ख) वास्ते वापसी किसी जायदाद के जो इजराय डिकरी में ली गई हो, या,

(ग) वास्ते अदा करने किसी रकम, या तामील किसी शर्त के, जो किसी शख्स पर रखी गई हो मुताबिक हुक्म अदालत जो किसी मुकदमा, या बाद की कार्रवाई में सादिर हुआ हो,

तो जायज है कि डिकरी या हुक्म उस की जात पर उस हद तक कि जिस कदर वह उस का जिम्मेदार हो गया है उस तरीके पर जारी किया जाय जो इस मजमूआ में इजराय डिकरी के बारे में मुकर्रर है—और शख्स मजकूर अपील के मतलब के लिये हस्ब दफा ४७ एक फरीक समझा जायगा

मगर शर्त यह है कि इत्तला याने नोटिस जो अदालत हर सूरत में काफी समझे, जामिन को पहुंचाई जाय.

पुराने एक्ट की दफा २५३ से मिलती है

से भी लागू होगी जो किसी तजवीज सानी

की दरख्वास्त, या अपील, या दौरान कार्रवाई इजराय डिक्री में तहरीर किये जायें पुराने एक्ट की दफा २५३ ऐसी सूरत में लागू न थी

नोटिस उस अदालत से दिया जाना चाहिये, जिस ने डिक्री सादिर की, या जिस में डिक्री इजरा के लिये भेजी गई—(इ. ला रि बम्बई जिल्द २९ सफा २९—३४).

जब किसी मुकदमा में कोई डिक्री एकतरफा सादिर हो, और मुद्दायलेह की दरख्वास्त पर यह डिक्री इस शर्त पर मन्सूख की जाय कि मुद्दा यलेह जमानत वास्ते अदाई उस जर डिक्री के देवे, जो बाद को उस पर सादिर की जाय, तो ऐसी डिक्री जो सादिर हो उस की इजरा जामिनदार पर हो सक्ती है—(इ ला रि २६ कलकत्ता सफा २२२)

जमानतनामे से जामिनदार अदालत को रूपया देने का जिम्मेदार है न कि डिक्रीदार को, जब के अदालत में जामिनदार से रूपया तलब किया जावे, और वह दाखिल अदालत कर देवे, और मदयून डिक्री भी अदालत में वह माल दाखिल करदे जिस की डिक्री हुई है तो वह माल पेश्तर डिक्री की अदाई में खर्च किया जावेगा, और उस में अदाई डिक्री की न हो तो जामिनदार के दाखिल किये हुए रूपया से अदाई होगी- (इ ला. रि बम्बई जिल्द १६ सफा ५७८)

कोई डिक्री जो बमूजिब आर्डर नम्बर २० रूल ११ तबदील की जाय, और उस की अदाई किश्तबन्दी के जरिये से कर दी जाय, और ऐसे तबदीली के वक्त जामिनदार फरीक न किया जाय तो इस दफा के रूसे वह डिक्री उस पर जारी नहीं होसक्ती (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ८०६)

अपील के मतलब के लिये जामिनदार फरीक मुकद्दमा बमूजिब दफा ४७ के है, और बमूजिब दफा २ जिमन २ हुक्म बमूजिब दफा ४७ के बतौर एक डिक्री के होगा।

(अ) की डिक्री (ब) पर हुई, (अ) ने डिक्री इजराय कराया, (ब) ने डिक्री की अपील किया और तफसिला अपील इजराय डिक्री को मुलतवी कराने के लिये दरख्वास्त दिया, (क) ने (ब) की तरफ से इस बात की

जमानत लिया, कि अगर डिक्री अपील में बहाल रही, यानी मन्सूख हुई, तो वह डिक्री अपील की अदाई का जिम्मेदार होगा—(क) की जमानत लेने पर इजराय डिक्री मुलतवी की गई—अपील में डिक्री मन्सूख नहीं हुई तो ऐसी सूरत में (अ) (क) पर डिक्री अपील की इजराय करा सकेगा, मानो (क) खुद फरीक अपील था—मतलब यह है यह दफा सिर्फ डिक्री अदालत इब्तदाई को लागू न होगा, बल्कि डिक्री अदालत अपील को भी होगी—

(अ) की डिक्री (ब) पर निस्बत कब्जा जमीन हुई (ब) ने अपील दायर किया, ताफैसला अपील (अ) ने इजराय डिक्री की दरखास्त दिया (क) ने (अ) की तरफ से इस बात की जमानत लिया कि अगर डिक्री अपील में मन्सूख होगी तो वह (ब) को जमीन की कीमत देने का जिम्मेदार होगी ऐसी जमानत लेने पर अदालत ने डिक्री को इजराय की इजाजत दिया—डिक्री अपील में मन्सूख की गई, तो ऐसी सूरत में (ब) (क) पर डिक्री अपील की इजराय करा सक्ता है

नीचे लिखी हुई सूरतों में रुपया की अदाई के लिये जमानत दी जा सक्ती है

(१) जमानत मदयून की तरफ से जब कि वह इजराय डिक्री में गिरफ्तार हुवा हो और वह दिवालिया करार दिये जाने के लिये दरखास्त करने का इरादा जाहर करे देखो दफा ५५—(४)—

(२) जमानत निस्बत खर्चा आर्डर न २५ कायदा (१).

[३] जमानत जब कि फैसला के पहले गिरफ्तारी की जाय [देखो आर्डर न ३८ कायदा २].

[४] जमान[illegible] न. ३८ कायदा ५].

[५] जमा[illegible] अपील पहिली में [आर्डर न ४[illegible]]

[illegible] प्रिवी कौंसिल

[

एक मदयून इजराय डिक्री में जहल में कैद किया गया उसने दिवालिया करार दिये जाने के लिये दरखास्त दिय, और उसकी तरफ से दूसरे शख्स ने यह जमानत लिया कि वह मदयून को कोई खास तारीख पर हाजिर कर देगा और उसकी वैसी जमानत लेने पर वह मदयून जहल से छोड़ा गया जहल से छोड़े जाने पर उसने दरखास्त दिवालिया करार दिये जाने की दिया उसकी दरखास्त नामन्जूर हुई और जामिनदार ने उसको तारीख मुकर्ररी पर हाजिर अदालत नहीं किया, तो ऐसी सूरत में जामिनदार से जमानत का रुपया वसूल पाने का हकदार डिक्रीदार होगा, न कि सरकार—[इ ला रि कलकत्ता जि० ३१ सफा १०४८]—

जामिनदार पर इस दफा की कार्रवाई के सिवाय नालिश नम्बरी भी हो सक्ती है (इ. ला. रि बम्बई जि० ३६ सफा ४२).

दफा १४६. कार्रवाई तरफ से या खिलाफ कायममुकाम **सिवाय उस के जैसा कि इस मजमूआ या किसी दूसरे कानून मे जो वक्त पर जारी हो, उस में खिलाफ इस के हुक्म हो, अगर कोई कार्रवाई किसी शख्स के तरफ से की जाय, या कोई दरखास्त किसी शख्स की तरफ से या उस पर दी जाय, तो वह कार्रवाई शख्स मजकूर के किसी कायम मुकाम की तरफ से या उस पर की जा सक्ती है, और वह दरखास्त कायम मुकाम मजकूर की तरफ से या उस पर गुजरानी जा सक्ती है;**

तशरीह: —यह दफा इस मजमूआ में नई कायम की गई है

[देखो दफा २—(११)]

दफा १४७. नाकाबिल शख्सों के तरफ से रजामन्दी या इकरारनामा. **कुल मुकदमात में जिन में कोई शख्स नाकाबिल फरीक हो कोई रजामन्दी या इकरार निस्बत किसी कार्रवाई के अगर अदालत की इजाजत सरीह से, रफीक, या वली दौरान मुकदमा की तरफ से हुआ हो उसी तरह असर रखेगा, मानो कि शख्स मजकूर में कोई नाकाबलियत न थी, और उस ने खुद रजामन्दी मजकूर दी, या इकरार मजकूर किया.**

तशरीह — यह दफा इस मजमूआ में नई कायम की गई है.

यह दफा वैसी रजामन्दी को भी लागू होगी—जो नाबालगों वो पागलों की तरफ से दी गई हो (देखो आर्डर न. ३२)

अगर रफीक या वली अपील न करने की रजामन्दी बगैर इजाजत अदालत के दे तो वैसी रजामन्दी शख्स नाकाबिल को पाबन्द न करेगी (कुईस बेंच डिवीजन जिल्द २२ सफा ५७७).

दफा १४८ मुद्दत का बढ़ाना **अगर कोई मुद्दत अदालत के तरफ से वास्ते करने किसी काम के, जो इस मजमूआ की रू से मुकर्रर हुआ हो, या जायज रखा गया हो, कायम की जाय, या दी जाय तो, अदालत मजकूर अपने अखत्यार से वक्तन फवक्तन मुद्दत मजकूर को बढ़ा सक्ती है. गो असल वक्त जो शुरू में मुकर्रर हुआ हो, या दिया गया हो गुजर चुका**

तशरीहः—यह दफा इस मजमूआ में नई कायम की गई है

मुद्दत नीचे लिखे हुए कामों के लिये दी जाती है वो बढ़ सक्ती है:—

[१] तरमीम प्लीडिंग के लिये—(आर्डर न. ६ कायदा १८).

[२] नालिश की मालियत दुरुस्त करने के लिये [आर्डर न. ७ कायदा ११—(व)

[३] पूरा स्टाम्प लगाने के लिये (आर्डर न ७ कायदा ११].

[४]. तहरीर बयान पेश करने के लिये (आर्डर न ८ कायदा ९)

[५] तरमीम दरखास्त इजराय के लिये—(आर्डर न. २१ कायदा १७)

नालिश हक सफा की डिक्री हस्ब आर्डर न २० कायदा १४ में जर समन यानी बिक्री का रुपया अदा करने के लिये जो मोहलत मुकर्रर की गई हो वह इस दफा की रू से बढ़ाई न जा सकेगी—(इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द १५ सफा ५८२)

नालिश इनफिकाक रहन की डिक्री में जो मोहलत जर रहन की अदाई के [illegible] की रू से न बढ़ाई जायगी, बलोकि आर्डर नं. ३४

कायदा ८ के रू से—(इ ला रि अलाहाबाद जि. ३४ सफा ५८८).

जब इकतरफा डिक्री इस शर्त पर मन्सूख की जाय, कि मुद्दायलेह मुद्दई को वक्त मुकर्ररी पर कुछ रूपया अदा करेगा और अगर मुद्दायलेह वैसे वक्त मुकर्ररी पर अदा न कर सके तो अदालत अदाई की मोहलत इस दफा की रू से बढ़ा सकी है—[इ. ला. रि अलाहाबाद जि ३६ सफा ७७]

जब मोहलत बरजामन्दी फरीकैन मुकर्रर हुई हो तो उस का बढ़ाव सिर्फ फरीकैन की रजामन्दी से होगा—(वी नो सन १८११ सफा १७०)

इस दफा की रू से जो हुक्म हो जाय वह काबिल अपील नहीं है—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ३५ सफा ५८२).

दफा-१४६. कोर्ट फीस के कमी का पूरा किया जाना—अगर कुल फीस, जो उस कानून की रू से मुकर्रर हुई हो, जो मुताल्लुके कोर्ट फीस उस वक्त जारी हो, या, उस का कोई हिस्सा अदा न हुआ हो तो अदालत अपने अख्त्यार से मुकदमे के किसी नौबत पर उस शख्स को, जिस को फीस मजकूर देना वाजिब हो, इजाजत दे सकी है, कि वह कुल या जुज कोर्ट फीस मजकूर दाखिल करे; जैसा मौका हो—और जब कोर्ट फीस दाखिल करदी जाय, तो वह दस्तावेज जिस के निसबत वह वाजिब हो, उसी तरह असर रेखगा, गोया कि फीस मजकूर शुरू ही दाखिल की गई थी

तशरीह.—यह दफा इस मजमूआ में इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २१ सफा ७४९ के मनशा के मुवाफिक कायम की गई है, और इस से वह मुशकिले जो बमूजिब इ ला रि. मदरास जिल्द २० सफा ३१९ वो इ ला. रि' कलकत्ता जिल्द २८ सफा ३१० के थी, दूर कर दी गई है

यह दफा नई कायम की गई है—और वह इमदादी, है-इस से अदालत को अख्त्यार दिया गया है कि अर्जीदावा, अपील, दरख्वास्त तजवीज सानी जवाब दावा निस्बत मुजरा पाने रकम या बाम दावा में कमी कोर्ट फीस को पूरा कराने

अगर अपीलाट के पास अपील में पूरा कोर्ट फीस स्टाम्प लगाने को पैसा नहीं है तो अदालत अपील अपील ले सकी है, वह मियाद के आखिर रोज पेश की

गई हो, और अदालत कमी कोर्ट फीस को पूरा करने के लिये मोहलत दे सक्ती है—(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ३८ सफा ४१)—मगर ऐसी मोहलत देना या न देना अदालत की मरजी पर है हाई कोर्ट बम्बई की राय है कि मोहलत देना फर्ज है—(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ३८ सफा ४१)—मगर हाई कोर्ट मदरास की राय है कि मोहलत देना मरजी पर है—(मदरास ला. जरनल जिल्द २७ सफा ६७७).

कार्रवाई का इन्तकाल.

दफा १५०. सिवाय इस के कि जब दीगर तौर पर हुक्म है, अगर एक अदालत के मुकदमात किसी दूसरी अदालत में मुन्तकिल किये जांय, तो उस अदालत को, जिस में मुकदमें मुन्तकिल किये जावें, वही अख्त्यार हासिल होगा, और वही काम करेगी जो इस एक्ट की रू से उस अदालत को हासिल हो, या दिये गये हों जहां से मुकदमात मुन्तकिल हुये हैं

तशरीहः—यह दफा इस मजमूआ में नई कायम की गई है।

देखो दफा ३७—मजमूआ जा. दी.

अदालत के असली अख्त्यार का बचाव

दफा १५१. इस मजमूआ के किसी मजमून से वह अख्त्यार असली किसी तरह महदूद या असर न रखने वाला न होगा, जो अदालत को निसबत सादिर करने ऐसे अहकाम के हासिल हैं, जो वास्ते मतलब इन्साफ, या रोकने खराबी जाब्ता अदालत के जरूरी हों।

तशरीहः—यह दफा नई कायम की गई है—और जब कि अदालत ने एक हुक्म दिया जिस के देने का उस को अख्त्यार था तो उस को उस हुक्म के अमल में लाने का भी अख्त्यार हासिल है—[इ. ला. रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द ३४ सफा ८६०).

गो ब नजर इनसाफ अदालत नीचे लिखे अख्त्यारात अमल में ला सक्ती है, वैसे अख्त्यार का जिकर मजमूआ जाब्ता दीवानी में नहीं है:—

(१) मामूली नालश से अपील—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ३३ सफा ६३२).

(२) नालिश की सुनाई को ता फैसला कोई दीगर नालिश मुताल्लिक के मुलतवी रखना (नजीर ऐजन)

(३) ख़ास नालिश को सहूलियत की बिना पर मुलतवी रखना (नजीर ऐंजन).

(४) दरियाफ्त करना कि अदालत के रूबरू वाजबी वो मुनासिब फरीकैन है या नहीं --[ऐजन].

(५) तहकीकात करना कि आया मुद्दई बहैसियत बालिग नालिश दायर करने का हकदार है या नहीं—(ऐजन).

(६) तीसरे शख्स की दरखास्त वास्ते बनाए जाने फरीक लेना (ऐजन)

(७) नालिश की जवाब देही मुद्दायलेह की तरफ से मुकलसी में लेना (ऐजन)

(८) एक सवाल का फैसला करना और दूसरे सवाल को तसफिया के लिये रख छोड़ना (ऐजन).

(९) मुकद्दमा को वापिस भेजना जब कि आर्डर न ४१ कायदा २३ या २५ लागू न होता हो—(ऐजन)

(१०) अदालत मातहत की कार्रवाई को ताफैसला अपील मुलतवी करना (ऐजन)

(११) नया फरीक जोड़ना—[बम्बई ला रि. जि. १३ सफा ५१७]

(१२) तौहीन अदालत में कैद की सजा सरसरी में देना गो तौहीन अदालत के बाहर सुरतहर की गई हो, मगर यह अख्तयार सिर्फ अदालत हाई कोर्ट को है—(इं ला रि' कलकत्ता जि० १० सफा १०६)

(१३) अख्तयार समाअत अदालत की निस्बत तहकीकात करना, गो वैसी तहकीकात से यह नतीजा निकले कि अदालत को अख्तयार समाअत नहीं है— [रिसाला मारसल सन १८६२ सफा ६६]

(१४) इस बिना पर कि अपील होने वाली है अपने हुक्म की तामील को बंद रखना—[कलकत्ता वी नो० जि० ५ सफा ७८१]

गई हो, और अदालत कमी कोर्ट फीस को पूरा करने के लिये मोहलत दे सक्ती है–(इं. ला रि. बम्बई जिल्द ३८ सफा ४१)—मगर ऐसी मोहलत देना या न देना अदालत की मरजी पर है हाई कोर्ट बम्बई की राय है कि मोहलत देना फर्ज है—(इं. ला. रि बम्बई जिल्द ३८ सफा ४१)—मगर हाई कोर्ट मदरास की राय है कि मोहलत देना मरजी पर है—(मदरास ला. जरनल जिल्द २७ सफा ६७७).

दफा १५० कार्रवाई का इन्तकाल **सिवाय इस के कि जब दीगर तौर पर हुक्म है, अगर एक अदालत के मुकदमात किसी दूसरी अदालत में मुन्तकिल किये जांय, तो उस अदालत को, जिस में मुकदमें मुन्तकिल किये जावें, वही अख्त्यार हासिल होगा, और वही काम करेगी जो इस एक्ट की रू से उस अदालत को हासिल हो, या दिये गये हों जहां से मुकदमात मुन्तकिल हुये हैं.**

तशरीहः—यह दफा इस मजमूआ में नई कायम की गई है.

देखो दफा ३७—मजमूआ जा. दी.

दफा १५१. अदालत के असली अख्त्यार का बचाव. **इस मजमूआ के किसी मजमून से वह अख्त्यार असली किसी तरह महदूद या असर न रखने वाला न होगा, जो अदालत को निसबत सादिर करने ऐसे अहकाम के हासिल हैं, जो बारने मतलब इन्साफ, या रोकने खराबी जाब्ता अदालत के जरूरी हों.**

तशरीहः—यह दफा नई कायम की गई है–और जब कि अदालत ने एक हुक्म दिया जिस के देने का उस को अख्त्यार था तो उस को उस हुक्म के अमल में लाने का भी अख्त्यार हासिल है—[इं. ला. रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द ३४ सफा ८६०).

ब नजर इनसाफ अदालत नीचे लिखे अख्त्यारात अमल में ला सक्ती है, गो वैसे अख्त्यार का जिकर मजमूआ जाब्ता दीवानी में नहीं है:—

(१) शमूली नालशात वो अपील–(इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ३३ सफा ६३२).

जायदाद मरहूना की तफसील जो डिक्री में दर्ज है दस्तावेज में लिखी हुई तफसील से नहीं मिलती है तो उस के लिये चाराजाई बजरिये दरखास्त तजवीज सानी के हैं (अलाहाबाद वीकली नोट बाबत सन १९०६ सफा २२०)

जब कि फैसला में यह लिखा है कि डिकरी बमूजिब दादरसी और खरचा के दी जाये और डिकरी में जो रकम लिखी है वह दावा से नहीं मिलती है तो डिकरी इस दफा के रू से दुरुस्त हो सक्ती है (इ. ला. रि. बम्बई जि० २२ सफा ३७०)

जब अदालत अपने फैसले में एक रकम के लिये डिकरी दे, और हुक्म दे कि बाकी दावा खारिज किया जाय तो डिकरी इस तरह से तरमीम नहीं की जा सक्ती कि जिस से जर डिकरी पर तारीख डिकरी से ता अादाई सूद दिलाया जावे. (इ ला रि अलाहाबाद जि० १५ सफा १२१)

कोई तरमीम की हुई डिकरी जिस की अपील नहीं की गई उस पर इजरा में ऐतराज नहीं किया जा सक्ता (कलकत्ता वीकली नोट जि० ९ सफा ६०५)

फरीकैन की हाजरी में या उन को नोटिस देने के बाद डिकरी तरमीम हो सक्ती है [इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० ८ सफा ३७७]

तरमीम डिकरी मन्जूर करने के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती मगर तरमीम शुदा डिकरी से अपील हो सक्ती है [२ कलकत्ता ला जनरल सफा १८८ वो इ. ला. रि. मदरास जि० २२ सफा ६४६]

इस दफा के रू से जो हुक्म दिया जावे उस की नजर सानी हो सक्ती है [इ ला रि कलकत्ता जि० २८ सफा १७७ वो इ ला. रि बम्बई जि० ३१ सफा ४४७]

इस दफा के मुवाफिक जो दरखास्त दी जावे उस में एक्ट मियाद लागू नहीं है (इ ला रि. मदरास जि० १० सफा ५१ वो इ. ला. रि. कलकत्ता जि० २१ सफा २५९)

सिर्फ दो सूरतें है जब कि अदालत अपनी डिकरी या हुक्म को लिखे जाने व दस्तखत होने के बाद तरमीम या तबदील कर सकती है

(१) अपन अख्त्यार असली के रू से बमजिब पिछली दफा १५१

(१५) ऐसे फरीक को खर्चा अदा करने का हुक्म देना जिस ने अपील प्रिवी कौंसिल में दायर करने की दरख्वास्त दी है और वह नामन्ज़ूर हुई हो—[इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ३४ सफा ८९०]

(१६) ऐसे सवाल को देखना जिस के झगड़े की चीज की जड़ कटती है मसलन, रहन नामा में हाश्या की गवाही हस्ब दफा ५९ एक्ट इन्तक़ाल जायदाद है या नहीं —(इ ला. रि. मदरास जि० ३५ सफा ६०७)

(१७) डिकरी वो हुक्म को तरमीम करना—[कलकत्ता वी. नो० जि० १९ सफा १०२१]

(१८) ऐसे हुक्म को मन्सूख करना जो अदालत को धोखा देकर हासिल किया गया है मसलन, वकील जिस को मुद्दायलेह ने न लगाया हो मुद्दायलेह के तरफ से डिकरी होना मन्ज़ूर करले—[इ. ला. रि बम्बई जि० ३४ सफा ४०८]

(१९) ऐसी नालिश को फिर से नंबर पर लेना जो अदम पैरवी में खारिज हुई है—[इ. ला रि अलाहाबाद जि० ३५ सफा ३३१]

इसी तरह अदालत को असली अख्त्यार और भी हासिल है

दफा १५२. लफजों, या हिंदसों की गलतियां जो तजवीज या डिक्री या हुक्म मे हों, या ऐसी गलतियां जो किसी इत्तफाकी गलतियां छुट जाने की वजह से हो गई हों, अदालत से अदालत की खुद तहरीक पर या फरीकैन की दरखस्त पर हर वक्त दुरुस्त हो सक्ती है

तजबीज वो डिक्री वो हुक्म की तरमीम.

तशरीह:—यह दफा नई कायम की गई है.

(३०)

अदालत को अपनी डिकरी सिवाय बमूजिब इस म[illegible] दफा के तरमीम न करना चाहिये (इ ला. रि अलाहाबाद जि० ८ सफा ३[illegible] [illegible] डिकरी में लफ्जों की लगती इस दफा के बमूजिब दरखास्त के जरिये दुरुस्त हो सक्ती है और न कि बजरिये दरखास्त तजवीज सानी (इ ला रि. कलकत्ता जि० ६ सफा २२)

इ. ला रि मदरास जि० १६ सफा २४ में यह [illegible] करार पाई है कि जब

को छूट गया हो तो दर्ज की जा सकी है डिक्री की तरमीम किसी वक्त भी की जा सकी है, गो अपील की मियाद गुजर गई हो—क़ानून इंग्लिस्थान के रूपे जो इसी कायदा के मुआफ़िक है एक डिक्री ३६ साल के बाद तरमीम की गई थी—और एक दूसरी डिक्री १६ साल के बाद, और एक बम्बई के मुक़दमा में डिक्री दस साल के बाद तरमीम की गई थी—(इं ला रि बम्बई जि १२ सफ़ा १८३)—

डिक्री तरमीम होने से मियाद इजराय डिक्री में कोई मदद न मिलेगी—(इं ला रि. इलाहाबाद जिल्द ८ सफ़ा ४६२)—

डिक्री की तरमीम उसी अदालत से होगी—जिसने उसे सादिर किया हो—पस डिक्री अपील की भी तरमीम अदालत अपील से होगी—(इं. ला रि कलकत्ता जिल्द २४ सफ़ा ७५१)—और हाई कोर्ट इलाहाबाद वो मदरास की भी यही राय है—मगर हाई कोर्ट बम्बई की राय है कि जब अदालत अपील ने अपील (हस्ब आर्डर नंबर ४१ कायदा ११)—बिला देने नोटिस रिस्पन्डेन्ट खारिज की हो, तो वैसी डिक्री अपील की तरमीम अदालत इब्तदाई करेगी, न कि अदालत अपील—(इं ला. रि बम्बई जिल्द २१ सफ़ा ५४८)—

पहिली अपील का उसूल दूसरी अपील को भी लागू होगा,

दफ़ा १५३ निसबत तरमीम अख्त्यार आम — **अदालत को हर वक्त अख्त्यार है कि कोई नुक्स या गलती, जो किसी कार्रवाई मुक़दमा में रह गई हो, दुरस्त करे और इस के मुताल्लिक शरायत खर्चा अदालत की राय पर है—और कुल जरूरी तरमीम इस गरज से की जायगी कि वह असली अमर या तनकीह, जो कार्रवाई मजकूर से पैदा हो या कार्रवाई मजकूर पर मुनहसर हो, तै पा जाय**

तशरीह:—यह दफ़ा इस मजमूआ में नई कायम की गई है

आर्डर न ६ कायदा १७ में तरमीम प्लीडिंग का जिक्र है—पिछली दफ़ा १५२ में तजवीज डिक्री या हुक्म की गलती दुरुस्त करने का जिक्र है, मगर इस दफ़ा में अदालत को आम अख्त्यार दिया गया है कि कार्रवाई अदालत के नुक्स या गलती को दुरुस्त करे और खर्चा की निसबत ऐसा हुक्म दे जो वह मुनासिब

के जब कि डिक्री या हुक्म में सही तौर पर वह बात दर्ज न हो जिस का फैसला अदालत ने किया या जो अदालत का मनशा था

(२) इस दफा (१५२) की रू से जब कि लफ्जी या हिसाबकी या इत्तफाकी गलती हो या कोई बात छूट गई हो.

दीगर तौर से तरमीम सिर्फ नजरसानी [हस्ब आर्डर न. ४७ कायदा १] अपील (हस्ब दफा ९६) से हो सकती है ला. रि अलाहाबाद जि० २ सफा ९

तैयार किये गये हों, और मुकर्ररी जो की गई हो और जो अखत्यारात दिये गये हों, जहां तक इस मजमूये के मजमून से मुआफिक हों, उस तरह असर रखेंगे मानो कि वे इस मजमूये के रू से और उस हाकिम की तरफ से जिसे इस मजमूये की रू से उन के वास्ते अखत्यार दिया गया हो मुश्तहर और मुरत्तब और मुकर्रर और दाखिल और मोअइयन और तैयार किये गये थे, और बखशे गये थे

तशरीह — यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३ के दूसरे फिकरा से कायम की गई है

मजमूआ जाब्ता दीवानी या किसी दूसरे मसूख किये हुऐ एक्टों की तरफ हवाला

दफा १५८. जहां किसी एक्ट या इश्तहार मे जो इस मजमूआ के जारी होने की तारीख से पहले जारी या सादिर हुआ हो, एक्ट ८ सन १८५९ ई० या किसी मजमूआ जाब्ता दीवानी या किसी एक्ट तरमीम करने वाला मजमूआ मजकूर या किसी एक्ट मंसूख शुदा का या उस के किसी बाब या दफा का हवाला दिया गया हो तो वह हवाला जहां तक मुमकिन हो इस मजमूआ या इस के मुनासिब हिस्से या दफा या कायदे की तरफ समझा जायगा.

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३ के दूसरे फिकरे से कायम की गई है.

समझे.

दफा १५४. इस मजमूआ का कोई मजमून किसी मौजुदा हक अपील में जो किसी फरीक को इस मजमूआ के जारी होने के शुरू के वक्त हासिल होगा असर नहीं पहुंचायगा

मौजुदा हक अपील का बचाव.

तशरीह.—यह दफा पुराने एक्ट के दफा ३ की फिकरा ३ से कायम की गई है.

देखो दफा ९६ (३) वो ९७-१०४

दफा १५५ वे एक्ट जिन का जिक्र इस मजमूआ के चौथे जमीमा में है, उस हद तक तरमीम किये गये हैं जिस की तशरीह उस जमीमा के चौथे खाने में की गई है.

बाज एक्टों की तरमीम.

तशरीह —यह दफा नई कायम की गई है.

दफा १५६. वे एक्ट, जिन का जिक्र इस मजमूआ के पांचवे जमीमा में है, उस हद तक मंसूख किये गये है जिस की तशरीह जमीमा मजकूर के चौथे खाने मे की गई है

मसूख

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३ के फिकरा अव्वल से कायम की गई है

यह दफा वो जमीमा पाच, दूसरे एक्ट तरमीम नं १७ सन १९१४ की दफा ३ के रू से मंसुख किया गया है

दफा १५७. वे तमाम इश्तहारात जो एक्ट ८ सन १८५९ ई० की रू से या किसी मजमूआ जाब्ता दीवानी या किसी एक्ट तरमीम करने वाले मजमूआ मजकूर की रू से या किसी और एक्ट की रू से जो उस के जरिये से मन्सूख हुआ हो, मुश्तहर और कुल इश्तहार और कवायद जो उस की रू से मुश्तहर और मुरत्तब और मुकामात जो कायम किये गये हों और इकरारनामे, और शरहनामे और नमूने जो उस की रू से मुकर्रर और दाखिल और मुकर्रर और

जारी रहना उन अहकाम का जो ऐसे एक्टों की रूसे जारी हुए हों जो अब मन्सूख हो गये है.

हो सक्ते हैं (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ४ सफा २६१—कुल ऐसे श
जिन को एक ही विनाय दावी हासिल है, एक नालिश में बतौर मुद्दई शामिल
सक्ते है (इ ला. रि. बम्बई जिल्द १५ सफा ३०६)

जब कि कोई मुद्दई किसी दीगर शख्स को जो मुद्दई में शामिल होना चा
था, मुद्दायलेह बन कर नालिश करे, और यह साबित न कर सके कि उस
मुद्दई में शामिल होने से इकार किया तो मुकदमा खारिज नहीं होना चाहिये (
ला. रि. अलाहाबाद जि २४ सफा २२६)

अगर (क), (ख) पर हमला करे, और (ग), (घ) पर, तो (ख
और (घ), (क) और (ग) पर, एक ही नालिश में हरजा का दावा न
कर सक्ते—(इ ला रि. बम्बई जिल्द २६ सफा २५६).

जब किसी एक टुकड़ा जमीन में, दो शख्स हकदार हैं, और एक तीस
शख्स नाजायज कार्रवाई करके उन के हक को नुकसान पहुंचाता है तो वे दो
एक में नालिश कर सक्ते हैं—(इ ला रि. मदरास जिल्द १६ सफा ३३६)

अगर एक करजदार के कई साहूकारों के पास दस्तावेज हैं तो वे एक
नालिश में ऐसे बख्शिसनामा के मसूखी का दावा शामलात में नहीं कर सक्ते,
जो करजदार ने लिख दिया हो—[इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १८ सफ
४३२] दो शख्स जिन को दो अलग अलग विनाय दावी पैदा हुई है, ए
नालिश नहीं कर सक्ते, जैसे एक गोद लिया हुआ लड़का, और एक लड़की अप
हक की एक नालिश नहीं कर सक्ते (इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २
२१८)

खानदान का इन्तजाम करने वाला मेम्बर याने मसूली कर
से नालिश नहीं कर सक्ता है—(इ ला. रि अलाहाबा
१)

की दफा ५३ के मुताबिक इसतकरार हक
हक इस अमर के कि फलां बैनामा रद है, कुल साह
होना चाहिये (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ३

जमीमेजात.

जमीमा—१.

आडर नं. १.

फरीकैन मुकदमात के बारे में

१ जायज है कि ऐसे सब लोग एक मुकदमे मे ब जुमरा मुद्दईयान शामिल किये जाय, जिन को किसी दादरसी के इस्तह काक का होना जो एक ही मामला या सिलसिला मुआमिलात की बाबत हो, या उस में पैदा होता हो, शामलात में या अलग अलग या बाज को बजाय बाज के बयान किया जाय, उस हालत में कि जब अगर ऐसे लोग अलाहदा अलाहदा मुकदमा दायर करते तो कोई शामलाती अमर कानूनी या वाकेआती पैदा होता

कौन कौन लोग ब जुमला मुद्दईयान, शामिल किये जा सके हैं

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २६ से कायम किया गया है, यह कायदा सिर्फ मुद्दईयों के शामील किये जाने के बाबत है, बिनाये दावी के शामील किये जाने के बाबत इस से कुछ ताल्लुक नहीं है—उस के लिये जिकर आरडर नम्बर २ में है, इस कायदे को आरडर नंबर २ के कायदा नम्बर ३ के साथ पढ़ना चाहिये.

जब कि दो मुद्दईयों के हक एक मे हैं, और एक दूसरे के मुख्तलिफ नहीं हैं तो वे एक में मिल कर नालिश कर सके हैं (इ. ला रि. बम्बई जिल्द १६ सफा ११६)

किसी बिनाय नालिश में जिन मुद्दईयों के अलेहदा २ हक हैं तो वे शामिल

हो सके हैं (इ० ला रि अलाहाबाद जिल्द ४ सफा २६१—कुल ऐसे शख्स जिन को एक ही बिनाय दावी हासिल है, एक नालिश में बतौर मुद्दई शामिल हो सके है (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १५ सफा ३०६)

जब कि कोई मुद्दई किसी दीगर शख्स को जो मुद्दई में शामिल होना चाहिये था, मुद्दायलेह बन कर नालिश करे, और यह साबित न कर सके कि उस ने मुद्दई में शामिल होने से इकार किया तो मुकदमा खारिज नहीं होना चाहिये (इ. ला. रि अलाहाबाद जि २४ सफा २२६)

अगर (क), (ख) पर हमला करे, और (ग), (घ) पर, तो (ख) और (घ), (क) और (ग) पर, एक ही नालिश में हरजा का दावा नहीं कर सके—(इ ला रि. बम्बई जिल्द २६ सफा २५८).

जब किसी एक टुकड़ा जमीन में, दो शख्स हकदार हैं, और एक तीसरा शख्स नाजायज कार्रवाई करके उन के हक को नुकसान पहुंचता है तो वे दोनों एक में नालिश कर सके हैं—(इ ला. रि मदरास जिल्द १२ सफा ३३६)

अगर एक करजदार के कई साहूकारों के पास दस्तावेज हैं तो वे एक ही नालिश में ऐसे बख्शिसनामा के मसूखी का दावा शामलात में नहीं कर सके, कि जो करजदार ने लिख दिया हो—[इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १८ सफा ४३२] दो शख्स जिन को दो अलग अलग बिनाय दावी पैदा हुई है, एक नालिश नहीं कर सके, जैसे एक गोद लिया हुआ लड़का, और एक लड़की अपने अपने हक की एक नालिश नहीं कर सके (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २६ सफा ११८)

किसी हिन्दु खानदान का इन्तजाम करने वाला मेम्बर वास्ते वसूली करजा खानदानी, अपने नाम से नालिश नहीं कर सका है—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २२ सफा ३११)

एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ५३ के मुताबिक इसतकरार हक की नालिश, बाबत इसतकरार हक इस अमर के कि फला बैनामा रद है, कुल साहूकारान के तरफ से दायर होना चाहिये (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ३४ सफा ६६६)

एक हिन्दू बेवा, और उस की दो लड़कियां खाने कपड़े और लड़कियों के शादी के खर्चे की नालिश एक जाई कर सक्ती है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ६३२)

जब किसी वक्फ के जायदाद के मिलने की नालिश एक तीसरे शख्स पर की जाती है, जो बयान करता है कि वह खुद उस जायदाद का मालिक है, तो वक्फ के कुल मुतवल्लीओं को फरीक बनाना चाहिये—(इं. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा ३३८).

किसी मदर के जायदाद की नालिश मूरती, के नाम से नहीं हो सक्ती [इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द १९ सफा ३३०].

एक हिस्सादार ने किसी दूकान को जिस का वह मेम्बर है, रूपया करज दिया तो वह उस रूपया की नालिश नहीं कर सक्ता [इ. ला रि. बम्बई जिल्द २५ सफा ६०६ वो इं ला रि बम्बई जिल्द २६ सफा ७२९)

किसी दूकान के ऐजन्ट के तौर पर कोई दो शराकतदार में से एक शराकतदार अपने नाम से माहदे के टट की नालिश नहीं कर सक्ता है [इं ला. रि. मदरास जिल्द २७ सफा ८०]

किसी रियासत का पोलीटिकल ऐजन्ट वो सुपरनटेन्डेन्ट, इस्टेट की जायदाद मिलने की नालिश अपने नाम से नहीं कर सक्ते (इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २ सफा ११०)

कोई शख्स अपनी बहन के बदनाम किये जाने के हरजे की नालिश नहीं कर सक्ता है [इं ला रि. मदरास जिल्द १ सफा ३८३) और न बाप अपनी लड़की के हतक इज्जत की नालिश कर सक्ता है (इं. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ११ सफा १०४)

एक मुद्दई ने किसी मुद्दायलेह पर नालिश इस बयान पर की कि उस के गुमारता से मुद्दायलेह ने रूपया करज लिया तो जब मुद्दायलेह करज लेने से इंकार करे तब मुद्दई उस गुमारता को मुद्दायलेह करने का हकदार है, या दादरसी मांग सक्ता है कि ... से ... किसी पर डिक्री दी जावे—(इ ला. रि. मदरास जिल्द ... ला रि. मदरास जिल्द २६ सफा ६४७).

इस कायदे की रू से कई मुद्दईयान एक ही नालिश दायर कर सक्ते हैं गो ऐसे कई मुद्दईयान के बिनाय दाविया अलग २ हों बशर्ते कि वह मामला कि जिस से उन के दावी अलग २ पैदा होते हों, एक ही हो और कोई कानूनी या वाके-आती अमर जो सब मुद्दईयों से ताल्लुक रखता हो उन अलग २ दावियों के बारे में मौजूद है—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि जब कोई नालिश किसी रंडी और उस के बेटे के तरफ से वास्ते परवरिश बरखिलाफ शरीकदारान खानदान उस के यार के दायर की जाय तो अजरूये कानून ऐसी नालिश में कई मुद्दईयान को शामिल करने की वजह से इतराज न हो सकेगा—[मद्रास ला जरनल जिल्द २६ सफा ३४१].

२ जब अदालत को मालूम हो कि मुद्दईयों के शामील किये जाने से मुकदमे की तजवीज में हरज या देरी वाके हो सक्ती है तो अदालत मजकूर मुद्दईयों की मरजी पर यह बात छोड़ सक्ती है कि उनमें से कौनसा मुद्दई कायम रहे या अलहदा तजवीज मुकदमे का हुक्म दे सक्ती है, या और ऐसा कोई दूसरा हुक्म सादिर कर सक्ती है कि जो उसके नजदीक मुनासिब जान पड़े

अख्तयार अदालत निसबत देने हुक्म अलहदा अलहदा तजवीज मुकदमा के

तशरीह:—यह कायदा नया है—अदालत इस कायदे के बमूजिब कार्रवाई कर सक्ती है, चाहे मुद्दायलेह कोई दरखास्त पेश करे या नहीं—तजवीज मुकदमा में देरी करना या दिक्कत डालना ऐसा अमर है कि उस पर इस कायदा के बमूजिब कार्रवाई करते वक्त लिहाज करना चाहिये

किसी अदालत को यह अख्तयार नहीं है कि कोई नालिश इस बिना पर खारिज करे कि फरीकेन गलत तौर पर शामिल किये गये या वे लोग फरीक नहीं बनाये गये कि जो बनाये जाना चाहिये था, बल्कि अदालत ऐसी सूरत में बमूजिब आर्डर १ रूल २ और अजरूये आर्डर २ रूल ६ मजमूआ जाब्ता दीवानी के अमल कर सक्ती है—जब कोई अदालत मातहत अपील किसी मुद्दई की नालिश को इस बिना पर खारिज करे कि उसमें फरीकेन और बिनाय दावीया दोनों भी गलत तौर पर शामिल की गई है—तो ऐसे फैसले की नाराजी से अपील दोयम दायर न हो सकेगी—(कलकत्ता ला. जरनल जि० १९ सफा ३१६)—

३ जायज है कि वे सब लोग बतौर मुद्दायलेहुम शामिल किये जांय

कौन कौन लोग बतुमरा मुदायलेहुम शामिल किये जा सकते हैं

जिन के मुकाबल में किसी दादरसी के इस्तेहकाक का होना शामलात में या अलग अलग या बाज पर बजाय बाज के होना बयान किया जाय उस हालत में कि जब अगर ऐसे लोगों पर अलग अलग नालिश दायर की जाती तो कोई शामलाती अमर कानूनी या वाकेआती पैदा होता

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २८ से कायम हुआ है मुद्दायलेहुम को शामिल करने के निसबत आम उसूल यह मालूम होता है कि बिनाय दावी ऐसी होना चाहिये जिस में मुद्दायलेहुम का थोड़ा या बहुत ताल्लुक हो, चाहे दादरसी उन के ऊपर अलग २ हो-और अलग २ बिनाय दावी, अलग २ मुद्दालेह पर एक नालिश में शामिल नहीं की जा सक्ती है—(इ. ला. रि. बम्बई जि० ३१ सफा ५१६).

एक ही शख्स दो हैसियत से बतौर मुद्दई और मुद्दायलेह शामिल नहीं किया जा सक्ता है—(इ ला. रि. बम्बई जि० २५ सफा ६०६)

हकशफा की नालिश में बेचने वाले को फरीक मुकदमा करने की जरूरत नहीं है—(इ. ला रि अलाहाबाद जि० २६ सफा ५४९).

झूठा मुकदमा फौजदारी चलाने के नालिश में सिर्फ वह शख्स जिम्मेदार है जिस ने मुद्दई पर मुकदमा चलाया है—(मदरास ला जरनल जि० १२ सफा ३८९)—आर्डर न. २१ के कायदा ६३ के रू से जो नालिश की जावे उस में कुर्क की हुई जायदाद के मुस्तलिफ खरीदार मुद्दायलेहुम में शामिल किये जा सक्ते हैं—(मदरास ला जरनल जि० १३ सफा ४७९).

अगर किसी कुरकी की हुई जायदाद का दवा किया जावे, और दावीदार कामयाब हो जावे और डिक्रीदार इस बात की नालिश करे कि कुर्क की हुई जायदाद मदयून डिक्री की है, तो उस में मदयून डिक्री का फरीक मुकदमा किया जाना जरूरी नहीं है—(इ. ला रि. अलाहाबाद जि० २८ सफा ४२).

जब कि कई आदमियों की डिक्री एक मुद्दालेह पर है, और उन्होंने एक ही जायदाद कुरक कराई, [illegible] जायदाद का जो दावा किया वह खारिज हो गया [illegible] कराने वाले साहूकारों

को फरीक बनाकर कर सक्ता है—(इ ला. रि. कलकत्ता जि० २७ सफा ४९३ वो ४९७)

रहन की तामील कराने की नालिश में वह लोग जो राहिन और मुर्तहन के हक के खिलाफ दावीदार हैं ठीक फरीक नहीं हैं—(इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ३३ सफा ४२५).

बकाया मालगुजारी के इल्लत में जो नीलाम हो उस के मसूख की नालिश में "सेक्रेटरी आफ स्टेट" को फरीक करना जरूर नहीं है—(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ९ सफा २७१).

सरकारी कार्रवाई के निस्वत ऐतराज ऐसी नालिश में लिया जा सक्ता है कि जिस में सरकार फरीक हो—(मूर्स इंडियन अपील जिल्द ११ सफा ५१७)

किसी दस्तावेज के जबरन रजिस्ट्री कराने के मुकदमे में रजिस्ट्रार को फरीक मुकदमा बनाना जरूरी नहीं है—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ५ सफा ४४१ वो इंडियन ला रिपोर्ट बम्बई जिल्द ८ सफा २६६)

दफा ७३ की शिकमी दफा [२] के रू से नालिश उन कुल डिक्रीदारों पर होना चाहिये जिन को रूप्या गलत तौर से दिया गया है—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द १३ सफा १५६).

शामिल शरीक खानदान की जायदाद तकसीम करा पाने की नालिश में मुद्दई के मुर्तहिन जरूरी फरीक नहीं है—(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ५ सफा ५८२)

जब किसी मुकदमा में मुद्दायलेह किसी मुद्दई के शामिल किये जाने के बारे में उजर न करे तो अदालत को ऐसी बुनियाद पर बिला कायम करने तनकीह और मुद्दई को अपनी तरफ से बहेश पेश करने का मोका देने के बगैर दावा को खारिज नहीं करना चाहिये—(इ के जिल्द २१ सफा १८२).

४ जायज है कि फैसला बगैर किसी तरमीम के सादिर किया जाय,

अदालत फैसला सादिर कर सक्ती है बहक या बनाम एक या कई शामलाती फरीकों के

[क] उन मुद्दईयों में से एक या कई के हक में जो कि मुस्तहक पाने

दादरसी के समझे जाय बाबत उस दादरसी के जिस का इद्द हकाक मुदई या मुदईयान मजकूर को पहुंचता हो

[घ] उन मुदायलेहुम में से एक या ज्यादा पर जिन की जिम्मदारी साबित हो बकदर जिम्मेदारी हर एक के

तशरीहः—यह कायदा दफा २६ वो २८ पुराने मजमूआ का है

इस कायदे का यह मतलब है कि जब किसी नालिश में कई मुदई कायम किये जावें तो अदालत को अखत्यार होगा कि वह उन में से ऐसे मुदई या मुदईयान के हक में फैसला सादिर करे कि जो उस की राय में किसी दादरसी के पाने का हकदार समझे जावें, और इसी तरह जब किसी नालिश में कई शख्स मुदायलेह बनाए जाय तो अदालत को अखत्यार होगा कि मुदायलेहुम की जिम्मेदारी के ख्याल से मुदायलेह या मुदायलेहम पर डिकरी सादिर करे कि जो दावी मुदई के जिम्मेदार समझे जावें.

यह जरूर नहीं है कि हर एक मुदायलेह कुल दादरसी मुतदाविया में गरज रखे

५. यह जरूर नहीं है कि हर एक मुदायलेह कुल दादरसी दायर की हुई की बाबत या या न हर विना दावी के गरज रखे जो किसी मुकद्दमे में दाखिल हो कि जिस में वह मुदायलेह गर्दाना गया हो.

तशरीहः—यह कायदा नया कायम किया गया है

किसी मुकदमा में मुदायलेहुम के शामिल किये जाने के बारे में आम कायदा यह मालूम होता है कि बिनाय दावी इस तौर की पैदा हुई हो, कि उस में सब मुदायलेह थोड़ी या बहुत गरज रखते हों गो उन के बरखिलाफ दादरसी के निस्बत कुछ तबदीली हो—(देखो इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ३१ सफा ५२१ वो ५२२)

शामिल किया जाना चंद लोगों को जो एकही ठहराव की बाबत जिम्मेदार हो

६ मुदई को अखत्यार है कि अगर उस की मरजी हो तो एकही ... में उन शख्सो में से सब को या किसी को बनावे ... ह माहदा की बाबत अलग ... अलग अलग जिम्मेदार हों और ... जो बिल आफ इक्सचेंज

उन शख्सों में वे ...

...हः ... ने ... २६ ने कायम किया गया

आ ... रखने ... करे तो उस में

उस का लिखने वाले को और कबूल करने वाला दोनों मुद्दायलेह किये जा सके हैं इं ला रि कलकत्ता जिल्द ३ सफा ५४१)

अगर कोई आदमी जो किसी दुकान के शराकतदार से लेन देन रखता हो और दुकान पर उस का रूपया हो तो उस रूपया के दिला पाने की नालिश में उस पर यह फर्ज नहीं है कि वह कुल शराकतदारों को मुद्दायलेह बनावे (इं ला रि मद्रास जिल्द २१ सफा २५६)

इस कायदे में लिखा हुआ हुक्म नालशात बाबिना ठहराव यानी माहदा से लागू होगा—हर एक माहदा की जिम्मेदारी (१) अलहदा हो सक्ती है या (२) शामलात और अलेहदा या (३) सिर्फ शामलात —मसलन, **रामदत्त** और **शिवदत्त** हर एक ने अपनी तरफसे ५०००) रू० **शिवरतन** को अदा करने का इकरार किया—यहा रामदत्त और शिवदत्त दोनों शामलात में माहदे के रू से जिम्मेदार हैं, इस लिये शिवरतन को अखत्यार हैं वह या तो रामदत्त और शिवदत पर एकही नालिश दायर करे या वह रामदत पर अलेहदा नालिश करे और शिवदत्त पर भी अलग नालिश करे—रामदत्त और शिवदत्त पर अलग अलग नालशें एक दूसरे के बाद दायर हो सक्ती हैं, मगर यह बात साफ है कि अगर नालिश सिर्फ अकेले रामदत्त परही की जाय और उस के खिलाफ डिकरी भी हासिल की जावे और अगर डिकरी की अदाई भी हो जावे तो शिवरतन पीछे से उसी दस्तावेज के जोर से शिवदत्त पर अलग नालिश नहीं कर सक्ता—मगर दर सूरत न होने अदाई डिकरी शिवरतन को अखत्यार है कि बाद में वह शिवदत्त पर भी नालिश करे

जब मुद्दई को शक हो कि किस शख्स से वह दादरसी पाने का हकदार है

७ जब मुद्दई का शक हो कि किस शख्स से दादरसी पाने का हकदार है तो उस को अखत्यार है कि दो या कई मुद्दायलेहुम को शामिल करे ता कि इस बात का फैसला दरमियान कुल फरीकों के हो जाय कि कौन मुद्दायलेह जिम्मेदार है, और किस कद्र अदाई का

तशरीह —यह कायदा नया कायम किया गया है.

एक शख्स जुमला अशखास हकदार की तरफ से नालिश या जवाब देही करसक्ता है

८ (१) जब बहुत से लोग एकही मुकदमे में एकही हक रखते हों जायज है कि उन में से एक या चन्द फरीक बइजाजत अदालत जुमला अशखास हकदार की तरफ से नालिश करें या उन पर नालिश की जाय या ऐसी नालिश में जवाब देही करें लेकिन अदालत ऐसी सूरत में मुद्दई के खर्चे से इतला आमरी

नालिश की उन तमाम शख्सों को उन की जात पर इत्तला नामे की तामील करने से या अगर बसबब जियादा होने अशखास के या और किसी वजह से ऐसी तामील वाजबी तौर से मुमकिन न हो तो बजरिये इश्तहार आम के पहुंचाय, याने जैसा कि अदालत हर सूरत में हुक्म दे अमल किया जायगा

[२] जिस शख्स की तरफ से या जिस के फायदे के लिये हस्ब जिमन (१) नालिश दायर की जाय या जबाब देही की जाय वह अदालत से दरखास्त कर सक्ता है कि उस नालिश में वह फरीक मुकदमा बनाया जाय.

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३० वो ३२ से कायम किया गया है.

जब इजाजत दे दी गई है तो यह एतराज, कि पहले नालिश करने की इजाजत मिलने की दरखास्त नामंजूर हो गई, फजूल है (इ. ला. रि मदरास जिल्द २९ सफा ३९६)

इस कायदे के मुवाफिक यह जरूरी नहीं है कि साफ तौर से इजाजत का देना अदालत तहरीर करे—कार्रवाई से इजाजत दे दिये जाने का मतलब निकाला जा सक्ता है (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २१ सफा १८०—१८८)

नोटिस में उन शख्सों के नाम शामिल होना चाहिये जिन को दूसरे के तरफ से पैरवी करने की इजाजत दी गई है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १७ सफा ६९१०)

यह कायदा उन मुकदमात से लागू है जिन में बहुत से शख्स दादरसी हासिल करने में शामलाती तौर से हकदार है और जिस में सिरफ एक ही आदमी के हक के निस्बत हमला हुआ है कायदा मजकूर लागू नहीं है [इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ७ सफा १७८].

जब कि कई अशखास जिन्हें हक शामलाती हासिल है उन के तरफ से एक शख्स नालिश करे और उन का नाम मुद्दई में शामिल न करे तो यह कायदा लागू होगा [इ ला रि. कलकत्ता जिल्द १७ सफा ५८३].

मेरठ के मुसलमानो की जमाअत अपने सेक्रेटरी के नाम से नालिश दायर नहीं कर सक्ती—इस कायदा की तामील करना चाहिये (इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा २८४).

किसी मुतवल्ली के तरफ से नालिश वास्ते मिलने कब्जा किसी हिस्सा जमीन के इस वजह पर कि वह वक्फ है, और उस का मुनाफा मुसाफरों के खिलाने में खर्च किया जाता है इस कायदे के मुताबिक बगैर हासिल करने मजूरी के नहीं दायर हो सकी है (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा ३३)

अगर कोई शख्स किसी मदर की कमेटी के तजवीज के जरि से मदर बनाने के लिये चदा जमा करे तो वह उस के पास बतौर अमानत के है और उस के लिये जो नालिश हो वह इस कायदे के रू से होना चाहिये (इ ला. रि बम्बई जिल्द २२ सफा ७२६).

किसी मसजिद में नमाज पढ़ने वाला शख्स मसजिद की जायदाद की नालिश करने का मुसतहक नहीं है (इ ला. रि. मदरास जिल्द २३ सफा ६६).

इस कायदा की गरज:—यह कायदा उस आम कायदे का मुसतसना है कि जिसके रूसे वे कुल शख्स कि जो किसी नालिश में गरज रखते हैं फरीक मुकदमा बनाये जाना चाहिये—(इ. ला रि बम्बई जि० २८ सफा २१४)—बनजर सहुलियत यह अमर जरूर है कि जिन नालशात में बहुत से शख्सों के हकूक एकही किस्म के हो तो उन सब की तरफ से सिर्फ चंद लोगों को नालिश की पैरवी करने की इजाजत देना चाहिये—(मदरास हाई कोर्ट रि जि० ३ सफा २२६)—ताकि तकलीफ और खर्चे की बचत हो—(देखो इ ला रि अलाहाबाद जि ५ सफा १०२ वो इ ला. रि मदरास जि० २३ सफा २८) इस कायदे के अहकामात सिर्फ नीचे लिखी तीन सूरतों में लागू होंगे—यानी:—

(१) जब फरीकेन बहुत से हो (२) जब उनके हकूक एकसा हों (३) और जब बाद नोटिस इजाजत अदालत से मिल चुकी हो—

एक मुकदमें में मुद्दायलेहुम की तादाद ३० थी ऐसी हालत में हाई कोर्ट की यह राय करार पाई कि यह तादाद बहुत ज्यादा है—(वी नो बाबत सन १८८८ ई० सफा १०२)

नोटिस और तामील नोटिस के बारे में:—इस कायदे की इबारत

से यह पाया जाता है कि नोटिश देने का काम अदालत का है मगर अदालत में इस अमर के बारे में दरखास्त करना मुद्दई का काम है—ताहम अगर मुद्दई ऐसी दरखास्त करने में भूल करे तो उसकी नालिश इस वजह से खारिज न की जावेगी कि अदालत ने ऐसी कार्रवाई करने में गलती की, कि जो इस कायदे की रू से उसके जिम्मे सिपुर्द की गई है—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ३५ सफा १०२१)—

९ किसी मुकदमे को व सबब बेजा शमूली या गैर शमूली फरीकैन के कुछ नुकसान न पहुंचेगा और अदालत को जायज है कि हर मुकदमे में जो फरीकैन मुकदमा दर असल हाजिर हों उन के हुकूक व मुनाफिक से जिस कदर मुकदमे को ताल्लुक हो सिर्फ उसी कदर तकरारी अमूरात का तसफिया करे

बेजा शमूली गैर शमूली फरीकैन

तशरीह:—इस कायदे के जरिये से अदालत को यह हिदायत है कि वह किसी फरीक को शामिल न करने की वजह से मुकदमा को खारिज न करे (इ ला. रि. मदरास जि० २१ सफा २७३, ८२)

जब किसी शख्स की लड़की या बहेन की हतक की गई, तो वह हरजाना की नालिश नहीं कर सक्ता और बमूजिब कायदा १० बहेन या लड़की के शामिल होने से मुकदमे के खारिज किये जाने की मुमानियत न होगी (—इ. ला रि अलाहाबाद जि० ११ सफा १०४).

वसूली रूपया के मुकदमा में अगर दो शख्स शामिल हो जावे और रूपया उन दो में से किसी एक को बिला शक मिलने वाला हो, और वे दोनों यह आपस में करार कर लेवें कि कोई भी उस रूपया को ले लेवे, तो गलत मुद्दई शामिल होने की वजह से मुकदमा [illegible] नाजायज न समझा जावेगी—(इ. ला. रि मदरास जि० २१ सफा [illegible]

[illegible] स मर ज [illegible] लड़की को
गोद लि[illegible] उस [illegible] करे, और
लड़की [illegible] कि वह [illegible]
है, तो [illegible]
न होगी [illegible]

बेजा शमूली या गैर शमूली फरीकैन से नालिश को कोई धक्का न पहुंचेगा यानी नालिश खारिज न हो सकेगी (इ ला रि कलकत्ता जि० ४ सफा ६४६)

अगर कोई शख्स बेजा तौर से बतौर फरीक नालिश बनाया गया है यानी मुद्दई या मुद्दायलेह बनाया गया है तो उसका नाम मुद्दई या मुद्दायलेह की फेहरिस्त से बमूजिब कायदा १० (२) खारिज किया जा सक्ता है इसी तरह अगर कोई शख्स जिसका मुद्दई या मुद्दायलेह बनाना जरूर था न बनाया गया हो तो उसका नाम पीछे से बतौर फरीक नालिश दर्ज किया जा सक्ता है (देखो आर्डर न १ कायदा १० (२)—

बेजा शमूली या गैर शमूली का उजर नालिश की पहिली पेशी में या या तनकीह के फैसला के पेशतर होना चाहिये (देखो आर्डर न १ कायदा १३)—

अदालत बजाय मुद्दई गलत के कोई और शख्स बतौर मुद्दई कायम या जियादा कर सक्ती है

१० [१] जब नालिश किसी ऐसे शख्स के नाम से, जो मुद्दई सही न हो, रुजू की जाय या शक इस बात में हो कि आया नालिश मुद्दई सही के नाम से रुजू हुई है या नहीं तो अगर अदालत को इतमीनान हो जाय कि नालिश सच मुच में गलती से इस तौर पर शुरू की गई है और असल अम्र तकरारी के तसफिया के लिये यह जरूर है कि बजाय मुद्दई गलत के कोई और शख्स बतौर मुद्दई के कायम या जियादा किये जाय तो अदालत इस एक हुक्म दे सकती है कि पाबन्दी उन शरता के जो उस के नजदीक वाजिब जान पड़े ऐसा किया जाय

अदालत फरीकैन को खारिज कर सक्ती है या शामिल कर सकता है

[२] अदालत को अख्त्यार है कि कार्रवाई की किसी नौबत पर किसी फरीक की दरख्वास्त पर या बगैर उस के और ऐसी शरतों से, जो अदालत के नजदीक वाजिब जान पड़े, यह हुक्म दे कि नाम किसी फरीक का जो बतौर बेजा मुद्दई या मुद्दायलेह के जुमरे में दाखिल हुआ हो खारिज किया जाय और नाम किसी शख्स का, जिस को बतौर मुद्दई या मुद्दायलेह शरीक करना चाहिये था या जिस का अदालत में हाजिर होना इस वजह से जरूर है कि अदालत जुमला तकरारी अमूरात मुताल्लुक नालिश का बखूबी तकमील के साथ फैसला और तै कर सके, शामिल किया जाय

[३] कोई शख्स बगैर अपनी रजामन्दी के बतौर मुद्दई जिस का मुकदमें

में कोई दोस्त न हो या बतौर दोस्त मुद्दई के जो ना काबिल हो शामिल ना किया जायगा-

[४] जब कोई मुदायलेह शामिल किया जाय तो अरजी दावी में जिस तौर पर कि जरूरी हो तरमीम की जायगी, सिवाय उस सूरत में कि जब अदालत और तरह पर हिदायत करे और सम्मन और अरजी दावी की तरमीम शुदा नक्लों की तामील नये मुदायलेह पर, और अगर अदालत के नजदीक मुनासिब हो तो असली मुदायलेह पर, की जायगी

जब कोई मुदायलेह शामिल किया जाय तो अर्जी दावे में तरमीम की जायगी

[५] बपाबन्दी अहकाम दफा २२ कानून मियाद सन १८७७ इस्वी के किसी शख्स के मुकाबले में जो बतौर मुदायलेह शामिल किया जाय मुकदमा की कार्रवाई का शुरू होना सिर्फ उसी तारीख से समझा जायगा कि जब सम्मन की उस पर तामील हुई हो

इस कायदा के मुताबिक जो अखत्यारात दिये गये हैं, वे मुकदमे के पहली पेशी पर अमल में लाये जाना चाहिये (इ ला रि. कलकत्ता जि० ६ सफा ३७०) कोई शख्स इजराय डिक्री में भी बतौर फरीक शामिल किया जा सक्ता है (इ. ला रि मदरास जि० ६ सफा २२७) किसी शख्स को फरीक मुकदमा बनाने का हुक्म मुकदमा खतम होने के पेश्तर होना चाहिये (इ ला. रि कलकत्ता जि० ३२ सफा ४८३)

जब कोई शख्स, जिस को कोई बिनाय दावी हासिल नहीं है, नालिश कर दे तो वह बाद को उन शख्सों को, जिन्हें बिनाय दावी की निस्बत हक्क हासिल है, शामिल करके उस का ऐब दूर नहीं कर सक्ता है—(इं. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ३७० वो इ ला रि. बम्बई जिल्द २० सफा ५३७ तो ६७७).

जब कोई शख्स किसी दूकान के मालिक की हैसियत से वसूली करजा की नालिश दायर करे और मुदायलेह यह बयान करे कि मुद्दई अपने बाप और भाई के शामिल है, जो उस के शराकतदार थे और उसे मुद्दईयों में शामिल होना चाहिये तो अपील में दीगर हिस्सेदार बाद तरमीम अर्जीदावा शामिल किये जा सक्ते हैं (इं. ला रि बम्बई जिल्द २७ सफा १५७)

इस कायदा का शिकमी कायदा (२) फरीकैन के शामिल होने के निसबत है और शिकमी कायदा (१) उस सूरत में लागू होगा जब कि एक फरीक दूसरे

के बदले में कायम किया जाय —(इं. ला रि बम्बई जिल्द २५ सफा ४३३ वो ४६३)

कोई फरीक अपनी दरखास्त पर शामिल किया जा सक्ता है—(इ ला रि. कलकत्ता जिल्द १३ सफा ९०).

जब अदालत किसी आदमी का नाम मिसल से खारिज कर देने का हुक्म दे तो यह अमर नुकसान पहुचाने वाला नहीं होगा कि आया उस का नाम दरअसल मिसल से खारिज किया गया या नहीं —(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफा ३१५ प्रिवी कौंसिल).

मुद्दायलेह को मिसल से खारिज करने का हुक्म पहली पेशी के बाद नहीं दिया जा सक्ता (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १८ सफा ५३ वो इ ला रि मदरास जिल्द २० सफा ३६०-६२)

कुल अमर जो पैदा हों मुद्दई और मुद्दायलेह के दरमियान होना चाहिये न कि ऐसे अमर जो एक दूसरे मुद्दायलेहुम के दरमियान या जो एक दूसरे मुद्दईयान के दरमियान पैदा हों —(इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ९ सफा ४४७-४९).

रिसीवर उस अदालत की इजाजत के बगैर, जिस ने उसे मुकर्रर किया है, फरीक नहीं किया जा सक्ता है (इं ला. रि कलकत्ता जिल्द ३० सफा ७२४).

जब किसी बटवाड़ा के मुकद्दमा की दौरान तहकीकात में मुद्दई को काले पानी की सजा हो गई तो उस के लड़के इस कायदे के मुताबिक फरीक बनाये जा सके हैं—(इ. ला रि मदरास जिल्द ६ सफा ३३१)

दफा १०७ के रू से यह कायदा अपील में भी लागू है, मगर इस जाब्ते में मुकद्दमे के किसी फरीक को अपीलांट में शामिल करने का अख्त्यार नहीं दिया गया है, अदालत अपील किसी फरीक का नाम खारिज कर सक्ती है या मुकद्दमे में किसी को फरीक शामिल किये जाने का हुक्म दे सक्ती है चाहे बहैसियत मुद्दई या मुद्दायलेह के—(इ ला. रि बम्बई जिल्द १० सफा २२७)

जब कि किसी अदालत अपील की यह राय हो कि कोई शख्स, जो फरीक मुकद्दमा नहीं है, फरीक बनाया जावे तो मुकद्दमा अदालत इब्तदाई में वापिस भेजना चाहिये और यह हुक्म देना चाहिये कि वह फरीक मुकद्दमा बनाया जावे और उस

का इजहार लेकर तनकीह निकाली जावे और शहादत ली जावे—[इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १८ सफा ३३२].

अगर कोई शख्स मुद्दई में शामिल होने के लिये राजी न हो तो वह मुद्दयलेह में शामिल हो सक्ता है—(इ ला रि कलकत्ता जि. ७ सफा २४२).

शिकमी कायदा (४) में जिस तरमीम का जिक्र है उस का मतलब ऐसी तरमीम से है जो नये मुद्दायलेह के शामिल किये जाने से जरूर हो और ऐसी तरमीम नहीं की जायगी जिस से शुरू में जो नालिश दायर की गई है उस की खासियत बदल जावे और इस कायदा से ऐसा नहीं पाया जाता है कि किसी मुद्दायलेह के शामिल किये जाने से कोई नई बिनाय दावी शामिल कर दी जावे (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द २४ सफा ५५५)

अदालत के अख्तयार बाबत देने हुक्म शामिल करने मुद्दायलेह, के निसबत कोई बहस निसबत मियाद पैदा नहीं हो सक्ती है—(इं. ला रि. १२ कलकत्ता सफा ६४२—९१ वो २४ कलकत्ता सफा ६४० वो २७ कलकत्ता ५४०).

फरीक मुकदमा बनाये जाने की दरखास्त की ना मन्जूरी के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती है—(इ ला रि. कलकत्ता जिल्द १३ सफा १०० वो १२ मद्रास सफा ४८६)

नया फरीक कार्रवाई के किसी नौबत पर जोड़ा या खारिज किया जा सक्ता है एक मुकदमा में नये फरीक, डिक्री सादिर होने के बाद और, हिसाब लेने वो जायदाद बेचने की निस्बत हुक्म जारी होने के बाद जोड़े गये थे, (बम्बई हाई कोर्ट रि. जि० सफा २५)

फरीक सिर्फ दो सूरतों में जोड़ा जा सक्ता है:—

(१) जब कि उसे बतौर मुद्दई या मुद्दायलेह होना चाहिये था, और वह नहीं हुआ.

(२) जब कि बगैर उसकी हाजरी के नालिश का फैसला, पूरे तौर पर न हो सके—

दीगर सूरत में नया फरीक नहीं जोड़ा जा सकेगा—(इ ला रि. कलकत्ता जि० ४ सफा ३५)

नालिश बटवारा में कुल शामलाती हिस्सेदारान को फरीक बनाना चाहिये नालिश निस्बत माल अमानती में कुल अमानतदारों का फरीक बनाना चाहिये बैनामा या इनफिकाक की नालिश में कुल हक रखने वाले शख्सों को फरीक बनाना चाहिये (इ ला रि इलाहाबाद जि० २७ सफा ७१)

पैरवी मुकद्दमा

११ अदालत को अख्तयार है कि पैरवी मुकद्दमा की उस मुद्दई के हवाले करे जिसे वह मुनासिब समझे

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३२ से कायम हुवा है पैरवी का अख्तयार देना अदालत की मरजी पर है और अदालत अपील आम तौर पर इस में दस्तनदाजी नहीं करेगी (वीकली रिपोर्ट जि० २० सफा १०२४) मगर वह काफी वो माकूल वजह दिखलाये जाने पर दस्तनदाजी कर सक्ती है.

कई मुद्दईया या मुदायलेहों में से किसी एक को हाजरी दूसरों की तरफ से

१२ (१) जब मुकद्दमे में एक से जियादा मुद्दई हों, तो जायज है कि उन में से एक या जियादा मुद्दईयों को उन में से किसी दूसरे मुद्दई की तरफ से इजाजत दी जाय कि वह किसी कार्रवाई में उस की तरफ से हाजिर हो कर सवाल जवाब या पैरवी करे और इसी तरह जब मुकद्दमे में एक से जियादा मुदायलेह हों तो जायज है कि उन में से एक या जियादा मुदायलेहों को उन में से किसी दूसरे मुदायलेह की तरफ से इजाजत दी जाय कि किस्म मजकूर की किसी कार्रवाई में उस की तरफ से हाजिर हो कर सवाल व जवाब या कार्रवाई करे

(२) ऐसी इजाजत तहरीरी होगी और उस पर इजाजत देने वाले के दस्तखत होंगे और वह अदालत में दाखिल की जायगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३५ से कायम हुआ है इस कायदा के बमूजिब कार्रवाई करने के लिये आम मुख्तारनामा का लिखा जाना जरूर नहीं है—कोई अख्तयार तहरीरी जो अदालत में दाखिल किया जाये उस में भी पैरवी और जवाब देही के लिये काफी होगा (बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट जि० २ सफा १०३)

उजरदारी बाबिना गैर शमूली व बेजा शमूली फरीकन

१३ तमाम उजरात इस बात के कि मुकद्दमे में जो फरीक होना चाहिये था वह नहीं है या कि उसमें ऐसे लोग शामिल हुये हैं जिन को मुकद्दमे से कुछ गरज नहीं है जिस कदर जल्द मुमकिन हो और हमेशा अमूर तनकीह तलब के करार दिये जाने से पहिले पेश किये जायगे सिवाय उस सूरत में कि जब उजरदारी की बिना

अदालत के समाअत के लायक करने की गरज से अपने दावी में से जिस कदर हिस्सा चाहे छोड़ दे

(२) अगर मुद्दइ अपने दावी में से किसी हिस्से की बाबत नालिश न करे या जान बूझकर उस को नालिश से छोड़ देवे तो वह आइन्दा उस हिस्से की बाबत, जो इस तौर पर छुट रहा हो या जिस का दावा करने से मुद्दई बाज रहा हो, नालिश न कर सकेगा

जुज दावी की नालिश करने से बाज आता

(३) जिस शख्स को एक ही बिनाय दावी की निसबत कई चारा जोईयों का इस्तेहकाक हो उसे अख्त्यार है कि उन तमाम चाराजोईयों की या उन में से किसी क, निसबत नालिश दायर करे लेकिन जिस हाल में कि वह बगैर इजाजत अदालत के उन तमाम चाराजोईयों की नालिश तर्क करे तो फिर बाद में वह बाबत किसी चाराजोई के जो तर्क की गई हो, मजाज नालिश का न होगा

चन्द चाराजोईयों में से किसी एक की नालिश तर्क रखना

समझावना'—इस दफा की गरजों के लिये दस्तावेज माहदा और किफालत नामा जो उस की तामील के इतमीनान के लिये लिखा जाय, और मुतवातिर दावा जो दस्तावेज मजकूर की रू से पैदा हों यह सब बतौर एकही बिनाय दावी के तसौव्वर किये जावेंगे

तमसील.

रामलाल ने एक मकान शिवलाल को बारा सौ रुपया सालाना के किराया पर दिया किराया बाबत सन १९०५ ई० १९०६ ई० वो १९०७ का वाजिबुल वसूल और बिना पटा हुआ रहा-रामलाल ने शिवलाल पर सन १९०८ में सिर्फ १९०६ के किराया की निसबत नालिश दायर किया तो ऐसी सूरत में रामलाल शिवलाल पर आइन्दा नालिश बाबत किराया सन १९०५ १९०७ की न कर सकेगा,

तशरीह'—यह रूल यानी कायदा पुराने एक्ट की दफा ४३ से कायम किया गया है

"बिनाय मुखासमत" के लफ्जों से वे वजुहात मुराद है जिन की बुनियाद पर अरजी दावी कायम की जावे—ऐसी बिनाय मुखासमत कायम करने के लिये मुद्दायलेह के उजरात पर लिहाज करना जरूर नहीं है जो बिनाय मुखासमत एक शख्स के बरखिलाफ हो वह दूसरे शख्स के भी बर खिलाफ नहीं हो सक्ती बशरते कि ऐसे दोनों शख्सों के बरखिलाफ एक ही वजुहात पर मुद्दई एक ही किस्म का दावा न करता हो (इ. ला. रि मदरास जिल्द २५ सफा ७३६). बिनाय मुखासमत में हर ऐसा वाके शामिल [illegible] का स[illegible] दर सूरत इन्कारी

अदालत से अपने हक के बाबत डिकरी पाने की गरज से मुदई पर लाजिम आवे, उस में हर किस्म की शहादत जो हर वाकेआ के साबित करने के लिये जरूरी हो शामिल नहीं है बलकि हर ऐसा वाकेआ शामिल समझा जायेगा जिस का साबित करना लाजमी है (इ ला रि इलाहबाद जिल्द १६ सफा ६५, ७०-७१)

जब कोई मुद्दई अपनी नालिश किसी बिनाय दावी को झूट जानकर दायर करदे, तो यह समझा जाना चाहिये कि उस ने अपने असली बिनाय दावी की नालिश को छोड़ दिया (मदरास ला जरनल जिल्द ६ सफा ५)

दावी का छोड़ना इत्तिफाकीया या बेअखत्यारी या जान बूझ कर हो सक्ता है--(प्रुसै इन्डीयन अपील जि० ११ सफा ५५१).

जब कि मुद्दायलेह ने दो अलेहदा २ नालिश अलग २ साल के लगान के करे, और मुद्दई का इरादा किसी साल के लगान को छोड़ने का नहीं था तो उस की इजाजत वास्ते उठाने दोनों मुकदमा भी दायर करने एक मुकदमा के दी जाना चाहिये—(इ ला रि मदरास ज्द ८ सफा १४७).

पुराने एक्ट के रू से पहली पेशी के पेश्तर अदालत की इजाजत लेना जरूरी था—मगर अब यह बात इस कायदे में नहीं है

मुद्दई दो टुकड़े जमीन से बेदखल किया गया—उस ने एक टुकड़ा के लिये नालिश किया और उस को उस मुकदमा के उठाने के लिये इस शर्त पर इजाजत दी गई कि वह खर्चा एक महीना के अन्दर दे देवे—खर्चा अन्दर एक माह के भीतर नहीं दिया गया तो बाद को जो नालिश दोनों टुकड़े के लिये दायर की गई उस के लिये यह राय करार दी गई कि वह काबिल समाअत नहीं है—, १० कलकत्ता वीकली नोट सफा ८).

जब कोई मुकदमा कुल मुद्दायलेहुम पर इस वजह से खारिज कर दिया जावे कि उन के निस्बत अदालत को अखत्यार सुनाई का नहीं है, तो उन मुद्दायलेहुम पर दूसरी नालिश जो अदालत मजाज में दायर की जाय गैर काबिल समाअत न होगी—(इ ला रि बम्बई जि० १७ सफा ५६२)—किसी मुकदमों में दावा मुजरा दिला पाने में भी कायदा लागू होगा—(इ. ला. रि कलकत्ता जि० ३२ सफा ६५४)

अगर किसी बेवा ने कोई जायदाद मुन्तकिल कर दी है तो मुद्दई अगर चाहे तो एक नालिश करे या अलेहदा २ करे—(इ. ला रि. अलाहाबाद जि० १६ सफा २७१).

जब कि मुकद्मा दखलयाबी जमीन का दायर किया जावे और अर्जी दावा दायर होने के पेशतर का मुनाफा उसमें शामिल नहीं किया गया तो दूसरी नालिश ऐसे मुनाफा के लिये काबिल समाअत नहीं है–(इ. ला. रि. मद्रास जि० ११ सफा १५१)

लेकिन अगर मुनाफा की नालिश नाजायज कब्जा कर लेने की सूरत में दायर की गई तो बाद को दखलयाबी जमीन की नालिश हो सक्ती है [इ. ला रि. मद्रास जि० ११ सफा २१०]

जब किसी मुरतेहन ने जायदाद मरहूना अपने नकदी रूपया की डिक्री के इजरा में नीलाम कराया और नीलाम बमूजिब दफा ९९ ऐक्ट इतकाल जायदाद मनसूख हो गया तो वह अपने रहन के जरीये से जायदाद मरहूना के नीलाम करा पाने की नालिश करने से रोका न जायगा– –(इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० २९ सफा २२३)

इस दफा की मनशा यह है कि नालिश फरयाद दरमियान फरीकैन बढ़ने न पावे—मतलब यह है कि मुद्दई को यह अखत्यार नहीं है कि वह अपनी नालिश के दो तीन टुकड़े कर सके, और हर टुकड़े की नालिश अलेहदा २ कर सके, अगर वह किसी टुकड़ा को छोड़दे तो वह उस छोड़े हुये टुकड़ा की नालिश पीछे से न कर सकेगा बशर्ते कि उस टुकड़े की बिनायदावा एकही हो अगर मुद्दई अपनी अर्जीदावा में यह तहरार करे कि वह छोड़े हुये टुकड़े की दूसरी नालिश अलेहदा दायर करेगा, तो भी उसको दूसरी नालिश करने की इजाजत न दी जा सकेगी—(ई ला रि कलकत्ता जिल्द २० सफा ३२२)—लेकिन अगर एक टुकड़ा की नालिश करते वक्त उसको अपने दूसरे टुकड़े के दावा या वाकैया की निस्बत इल्म या इत्तला न हो तो ऐसी सूरत में वह दूसरी नालिश करने से रोका न जायगा—(इ. ला रि मद्रास जि० १९ सफा १४५)—

साहूकार का किसी एक शख्स पर २२०० रूपया है—मुनासिफ की

सिर्फ अख्त्यार २००० तक का है—साहूकार अपनी नालिश २००० रूपये की, यानी, २०० रूपये छोड़ कर मुनासिफ की अदालत में दायर करता है—मगर २०० रू. जो उसने जान बूझ कर छोड़ दिया है उसकी नालिश वह आइन्दा न कर सकेगा—लेकिन अगर वह नालिश २००० हजार रू. की मुद्दायलेह की दरखास्त पर अदालत सब-जज में मुन्तकिल की जाय, और अदालत सब-जज को २००० दो हजार से ज्यादा का अख्त्यार है, तो साहूकार यानी मुद्दई अपने अरजी दावा में २०० रूपया और बढ़ा सका है—(कलकत्ता वि नो जि १ सफा ३१).

एक मुसलमान औरत ने अपने खाविन्द पर नालिश वास्ते दिला पाने अपनी जायदाद व दस हजार के प्रामीसरी नोट दायर किया उसको डिक्री अपने पूरे दावा की मिली—पीछे से उसने अपने खाविन्द पर दूसरी नालिश ५०० रूपया के प्रामीसरी नोट के निस्बत दायर किया- और अरजीदावा में यह बयान किया कि पहिली नालिश में यह रकम भूल से रह गई थी—ऐसी सूरत में उसकी दूसरी नालिश न चल सकेगी—क्योंकि उसको अपने दावा का इल्म था और भूल का उजर न सुना जायगा—(मूर्स इंडियन अपील जि० ११ सफा ५५१)

एक डाक्टर, वकील के साथ वकील का इलाज मामला करने के लिये [illegible] गया और इस काम के लिये डाक्टर की १३०० रू० [illegible] १३०० सौ रूपये में से वकील ने ७०० रुपया की [illegible] ([illegible] प्रो नोट) दिया, और बाकी ६०० रूपया के लिये वकील ने इकरार [illegible] कि हम तुम्हारा फलाना कानूनी काम कर देवेंगे [illegible]—वकील ने वैसा काम नहीं किया—डाक्टर ने पहले नालिश ७०० [illegible] की [illegible] की रू से दायर की उसको डिक्री मिल गई [illegible] ६०० रुपया की नालिश इस बिना पर दायर किया कि वकील ने [illegible] कानूनी काम नहीं किया, यानी उसके [illegible] पस ऐसी सूरत में डाक्टर की दूसरी [illegible] ६०० रु [illegible] (इ ला रि अलाहाबाद जि० [illegible] सफा [illegible])—[illegible] मदरास की राय इस नजीर के खिलाफ है [illegible] है कि

कर के टुकड़ा की निस्बत कई प्रो नोट हो तो हर प्रोनोट से बिनाय मुखासमत अलेहदा पैदा होगी और अलेहदा नालिश चल सकेगी-(इ. ला रि. मदरास जि० ३६ सफा १५८)

एक मकान दो शख्सों को बारा सौ रू० सालयाना किराया से दिया गया—तीन साल का किराया नहीं दिया गया—मालिक मकान ने नालिश एक साल के किराया की एक किरायादार पर दायर किया—तो ऐसी सूरत में वह बाकी दो साल के किराया की नालिश उसी किरायादार पर न कर सकेगा, मगर दूसरे किरायादार पर कर सकेगा—[इ. ला रि. मदरास जि. ३३ सफा ३१०].

अगर दूसरी नालिश का बिनाय दावा पहिली नालिश के बिनाय दावे से मुतफरीक यानी जुदा हो तो दूसरी नालिश की दायरी में कोई रुकावट न होगी—(इ ला. रि कलकत्ता जिल्द २३ सफा ८२१)—मतलब यह है कि हर नालिश में **कुल दावा जो एक वो उसी बिनाय मुखासमत** पर पैदा हो, शामिल होगा न कि हर नालिश में हर दावा या हर बिनाय मुखसमत जो मुद्दई को मुदायलेह पर हो, शामिल होगा-(इं. ला रि. कलकत्ता जि. १९ सफा १२३).

अगर मुद्दई बहैसियत वारिस अपने बाप के पहले एक नालिश किसी शख्स पर कुछ जमीन पर कब्जा पाने की दायर करे और बाद को वह दूसरे शख्स पर दूसरी जमीन पर कब्जा पाने की नालिश उसी हैसियत से दायर करें तो ऐसे दूसरे शख्स पर दूसरी नालिश की रुकावट न होगी क्योंकि बिनाय मुखासमत अलेहदा २ है और मुदायलेह भी दूसरा है—[इ ला. रि. बम्बई जिल्द २७ सफा ३७९).

शामलाती खानदानी जायदाद के बटवाड़ा की पहली नालिश, जब कि जायदाद खानदान वालों के पास थी, वैसी दुसरी नालिश बटवाड़ा में कोई रुकावट न डालेगी जब कि जायदाद दुसरी होवे और वह खानदान वालों वो दीगर अजनबी शख्सों के शामलाती कब्जा में हो—(इ. ला रि. बम्बई जिल्द २३ सफा ५९७).

काश्तकार को बेदखल करने की नालिश अलेहदा चल सकी है और उस से लगान वसूल करने की नालिश अलेहदा चल सकी है—(इ. ला. रि. मदास

जिल्द ३२ सफा ३३०)

मुनाफा की पहिली नालिश कब्जा की दुसरी नालिश में रुकावट न करेगी; (इं. ला रि मद्रास जि. ११ सफा २१०)—मगर कब्जा की पहली नालिश मुनाफा की दुसरी नालिश में रुकावट करेगी, जब कि मुनाफा दायरी नालिश कब्जा के पहले हुवा हो—(इ ला. कलकत्ता जिल्द १७ सफा ५३३) —लेकिन अगर मुनाफा दायरी नालिश कब्जा के बाद हुवा है तो कोई रुकावट न होगी [इ ला रि अलाहाबाद जि २४ सफा ५०१).

सिर्फ सूद रहन की पहिले नालिश असल जर रहन की दूसरी नालिश में रुकावट करेगी जब कि असल जर रहन वाजबुल वसूल हो गया हो, (इ. ला रि. अलाहबाद जि १२ सफा २०३)—लेकिन अगर सूद की निस्बत अलेहदा नालिश कर के वसूल करने की शर्त हो, तो रुकावट न होगी—[इ. ला रि. बम्बई जिल्द २१ सफा २१७]

(अ) की गाड़ी (ब) की गाड़ा से लड़ गई—लड़ने से (अ) की गाड़ी टुट गई और (अ) के बदन में चोट पहुची (अ) ने (ब) पर पहले गाड़ी के नुकसानी की नालिश दायर किया—बाद को उस ने अपने चोट का नुकसानी की नालिश दायर किया—पस दोनों नालशें चल सक्ती हैं, यानी पहिली नालिश दुसरी नालिश में रुकावट न डालेगी—लेकिन अगर (अ) पहले अपनी गाड़ी के एक चका का टूट ने की नालिश करे, और फिर बाद को दुसरे चका या धुरा टूटने की, तो ऐसी दुसरी नालिश न चल सकेगी—इसी तरह अगर वह पहले नालिश अपने पैर टूटने की करे, और फिर अपना हाथ या सिर टूटने की करे, तो ऐसी नालिश न चल सकेगी—इस तमसील से पाया जायगा कि **मामला** एक था, यानी, **गाड़ी का लड़ना मगर बिनाय मुखास्मत**, यानी गाड़ी को नुकसान वो बदन को नुकसान यह दो अलेहदा २ हैं, इस लिये जितनी **बिनाय मुखास्मात** हों, उतनी नालिशें चल सक्ती हैं, या कुल **बिनाय मुखास्मातों** की एक नालिश चल सक्ती है मगर एक ही **बिनाय मुखास्मात** के टुकडे नहीं हो सक्ते हैं और न हर टुकडे की अलेहदा नालिश चल सक्ती है

अगर एक ही बिनाय मुखास्मत से कई दादरसी पाने का हक पहुचता हो तो कुल दादरसी पाने की एक नालिश चल सक्ती है, या अगर मुद्दई चाहे तो एक

या दो दादरसी को एक नालिश में शामिल करे, और बाकी दादरसी को **अदालत की इजाजत लेकर** आईन्दा नालिश करने के लिये रख छोडे--अगर इजाजत न लेगा तो नालिश न कर सकेगा, लेकिन अगर दादरसी जिस की निसबत दूसरी नालिश रूजू की गई है पहिली नालिश की दायरी के वक्त मौजूद न हो तो बाद की नालिश चल सकेगी—(इ ला रि अलाहाबाद जि ३ सफा ८५७).

एक शख्स ने अपना खेत दूसरे शख्स को पांच साल के लिये ठेके में इस शर्त पर दिया कि अगर वह, यानी, जिस को ठेका में दिया गया लगान का रूपया हर साल न देगा, तो ठेका नामा मन्सूख समझा जावेगा--उस ने पहले साल का वायदा दिया मगर दूसरे साल का नहीं दिया--ऐसी सूरत में वायदा न देने के सबब से, यानी एक बिनाय मुखासमत पर असली मालिक खेत को, जिस ने ठेका दिया दो दादरसी पाने का हक़दार है, यानी (१) वायदा पाने का और (२) खेत वापिस पाने का, क्योंकि ठेका नामा मन्सूख हो गया, यह दोनों दादरसी वह एक ही नालिश में माग सक्ता है--लेकिन अगर वह ऐसा न करके सिर्फ एक दादरसी, यानी, वायदा की नालिश करे और दूसरी दादरसी, यानी, खेत वापिस पाने का हक आईन्दा नालिश में अदालत की **इजाजत** से न रख छोडे तो पीछे से कब्जा की नालिश न चल सकेगी--(इ ला. रि मदरास जिल्द ६ सफा १९६)—इसी तरह अगर वह पहले कब्जा की नालिश करे और वायदा की नालिश का हक अदालत की **इजाजत** से न रख छोडे तो पीछे से वायदा की नालिश न चल सकेगी—(इ ला रि बम्बई जिल्द ३८ सफा ४४४)—

यह कायदा आर्डर न ३४ कायदा ९ वो कायदा १४ में लागू न होगा.

३ [१] सिवाय इस के कि जिस की निसबत और तरह पर हुक्म है मुद्दई को अखत्यार होगा कि एकही मुकद्मा में चन्द बिनाय दावी को बमुकाबले एक ही मुदायलेह या चन्द मुदायलेहुम शामलाती के शामल करे. और जिन मुद्दईयों को उसी एक मुदायलेह या मुदायलेहुम शामलाती पर चन्द बिनाय दावी की रू से, जिन में उन का हक शामलाती हो, दावा पहुंचता हो तो उन को अखत्यार है कि ऐसे बिना हाय दावी को एक ही नालिश में शामिल करें

बिना हाय दावा का शामिल करना

[२] जब चन्द बिना हाय दावी शामिल की जाए तो अखत्यार समाअत अदालत का निसबत उस मुकदमें के बे मुतदाविया की उस तादाद या

मालियत यकजाई पर मुनहस्सर होगा, जो तारीख रुजू नालिश को हो

तशरीह.—यह कायदा उन मुकदमों में लागू होगा कि जिन में एक ही मुद्दई और एक ही मुद्दायलेह हो, मगर कई बिनाय दावी हों और कायदा मजकूर उन सूरतों में भी लागू समझा जायगा कि जिन में तादाद मुद्दई या मुद्दायलेहुम की दो या दो से जियादा हो मगर कुल मुख्तलिफ बिनाय दावी के निस्बत वे सब एक ही समझ जा सक्ते हों (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा १०६)

आर्डर न १ कायदा १ में शमूली मुद्दईयान का जिकर है—आर्डर न. १ कायदा ३ में शमूली मुद्दायलेहों का जिकर है—इस तीसरे कायदा में शमूली बिनाहाय दावा का जिकर है—यह कायदा न ४, ५, ६, ७, के साथ पढा जाये.

जब एक मुद्दई हो और एक मुद्दायलेह हो और बिना हाय दावा उसी मुद्दायलेह पर कई हों तो मुद्दई उन बिन हाय दावों को एक नालिश में शामिल कर सक्ता है बशर्ते कि वे खिलाफ अहकाम कायदा न. ४-५ न हों और उन का ताल्लुक एक दूसरे से इस तरह का हो कि अदालत उन सब की तजवीज सहूलियत के साथ इकट्ठी कर सक्ती हो—(इ. ला रि. बम्बई जिल्द ८ सफा ६१६)

इसी तरह अगर कई मुद्दई हों और कई बिन हाय दावा हो और मुद्दायलेह एक हो तो मुद्दईयान उन बिन हाय दावों को एक नालिश में शामिल कर सक्ते हैं बशर्ते कि वे सब मुद्दईयान उन बिन हाय दावों में एक ही शामलाती गरज या वास्ता रखते हों—

जब अर्जी दावा में बेजा शमूली मुद्दईयान वो बेजा शमूली बिन हाय दावा का नुक्स हो तो अदालत उसे खारिज कर सक्ती है या वास्ते तरमीम वापिस कर सक्ती है (देखो आर्डर न ६ कायदा १७)—जब ऐसी बेजा शमूली का नुक्स अर्जीदावा पेश होने के वक्त नजर न आया हो और अदालत की ध्यान उस पर बाद को दिलाया गया हो तो अदालत मुद्दईयान को इजाजत वास्ते तरमीम देगी, और मोहलत मुकर्रर करेगी कि जिस के अन्दर ऐसी तरमीम की जाय—अगर तरमीम वैसी तरमीम वैसी मोहलत मुकर्ररा के अन्दर न की जायगी तो अर्जीदावा खारिज किया जायगा—अगर तरमीम होने के बाद यह मालुम हो कि एक मुद्दई उस नालिश को सहूलियत के साथ नहीं जारी रख सक्ता है और उस नालिश में सिवाय अर्जीदावा पेश होने के और दूसरी कार्रवाई न हुई हो तो अदालत नालिश उठा लेने

या दो दादरसी को एक नालिश में शामिल करे, और बाकी दादरसी को **अदालत की इजाजत लेकर** आईन्दा नालिश करने के लिये रख छोड़े—अगर इजाजत न लेगा तो नालिश न कर सकेगा, लेकिन अगर दादरसी जिस की निसबत दूसरी नालिश रुजू की गई है पहिली नालिश की दायरी के वक्त मौजूद न हो तो बाद की नालिश चल सकेगी—(इ ला रि अलाहाबाद जि. ३ सफा ८५७).

एक शख्स ने अपना खेत दूसरे शख्स को पाच साल के लिये ठेके में इस शर्त पर दिया कि अगर वह, यानी, जिस का ठेका में दिया गया लगान का रूपया हर साल न देगा, तो ठेका नामा मन्सूख समझा जावेगा—उस ने पहले साल का वायदा दिया मगर दूसरे साल का नहीं दिया—ऐसी सूरत में वायदा न देने के सबब से, यानी एक बिनाय मुखासमत पर असली मालिक खेत को, जिस ने ठेका दिया दो दादरसी पाने का हकदार है, यानी (१) वायदा पाने का और (२) खेत वापिस पाने का, क्योंकि ठेका नामा मन्सूख हो गया, यह दोनों दादरसी वह एक ही नालिश में माग सक्ता है—लेकिन अगर वह ऐसा न करके सिर्फ एक दादरसी, यानी, वायदा की नालिश करे और दूसरी दादरसी, यानी, खेत वापिस पाने का हक आईन्दा नालिश में अदालत की **इजाजत** से न रख छोडे तो पीछे से कब्जा की नालिश न चल सकेगी—(इ ला. रि मदरास जिल्द ६ सफा १९६)—इसी तरह अगर वह पहले कब्जा की नालिश करे और वायदा की नालिश का हक अदालत की **इजाजत** से न रख छोड़े तो पीछे से वायदा की नालिश न चल सकेगी—(इ. ला रि बम्बई जिल्द ३८ सफा ४४४)—

यह कायदा आर्डर न ३४ कायदा ६ वो कायदा १४ में लागू न होगा

बिना हाय दावा का शामिल करना -

३ [१] सिवाय इस के कि जिस की निसबत और तरह पर हुक्म है मुदई को अख्त्यार होगा कि एकही मुकद्दमा में चन्द विनाय दावी को बमुकाबले एक ही मुदायलेह या चन्द मुदायलेहुम शामलाती के शामल करे और जिन मुदईयों को उसी एक मुदायलेह या मुदायलेहुम शामलाती पर चन्द विनाय दावी की रू से, जिन में उन का हक शामलाती हो, दावा पहुंच ा हो तो उन को अखत्यार है कि ऐसे विना हाय दावी को एक ही नालिश में शामिल करें

~]

मत

५ विना हाय दावी शामिल की जाय तो अखत्यार समा उस मुकदमें के श्री मुतदाविया की उस तादाद या

नहीं है पस शमूलों मुद्दायलेहुम वो बिनहाय दावा बेजा होगी—(इ ला रि. मदरास जि० १८ सफा ४१५)—

सात शख्सों ने एक शख्स के साथ नमक बेचने और उस के कारखान में हवाला का अलेहदा २ माहदा किया—उन सातों शख्सों ने अपना माहदा पूरा नहीं किया—मुद्दई ने उन सब पर एकजाई नालिश किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि शमूलों मुद्दायलेहुम बेजा थी—(इ ला रि मदरास जिल्द १७ सफा १६८).

नीचे लिखे हुये मुकदमों में शमूली बेजा नहीं समझी गई (अ) ने नालिश (ब) व (क) पर इस बयान के साथ दायर किया कि भाई (ब) ने मेरा (अ) का हिस्सा, जो मेरे—बाप की जायदाद में था, बगैर मेरे इल्म वो रजामन्दी के (क) के यहा रहन रखा—और (क) उस जायदाद पर काबिज है—उसने दो दादरसी मागा (१) [ब] अपना हक करार दिये जाने का (२) अपने हिस्सा पर कब्जा पाने का (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द २० सफा ९६०).

(अ) ने अपनी तीन जायदाद (ब) को आपसी में बेचा—बेचने के बाद वे तीनों जायदाद (क) की डिकरी में, जो (अ) पर थी, कुर्क हुई और नीलाम होकर (ख) (ग) (घ) को दी गई—(ब) ने नालिश निसबत मनसूखी नीलाम पाच मुद्दायलेहों पर इकजाई किया, यानी (अ) बेचने वाले पर (क) डिकरीदार पर (ख, ग, घ,) नीलाम में खरीदने वालों पर—[इ ला रि कलकत्ता जिल्द ९ सफा ७६३]

बेदखली की नालिश में सब लोग जिन का कब्जा जमीन पर नाजायज तौर पर हो मुद्दायलेहुम बनाये जा सक्ते हैं, गो, उन का दावा अलेहदा हक पर हो—(अ) को जमीन (ब) ने ठेका में दिया—इस के बाद उसी जमीन को (ब) ने तीन शख्स (क, ख, ग,) को तीन टुकडों में बाट कर अलेहदा २ ठेका में दिया, पस पहला ठेकेदार, यानी (अ) नालिश वास्ते कबजा जमीन [ब] [क] [ख] [ग] चारों पर इकजाई कर सक्ता है (इ ला. रि बम्बई जिल्द २३ सफा २९३)

अगर दो या जियादा शख्स बुराई करने के लिये या माहदा को तोडने के

की इजाजत देगी—[इ ला रि. कलकत्ता जि ११ सफा ६२४)

नालिश बवजह बेजा शमूली मुद्दईयान वो बिनहाय दावा खारिज न होगी जब तक कि मुद्दई को मौका तरमीम का न दिया जावे (इ ला रि. अलाहाबाद जि० १५ सफा ३८०)—अगर नालिश खारिज की जाय और मुद्दई अपील करे तो अदालत अपील अदालत मातहत की डिक्री को मसूख करके मुकदमा को उसी अदालत में इस हिदायत के साथ वापिस भेजेगी कि अदालत मातहत अरजीदावा की तरमीम करावे (इ. ला. रि मदरास जि ८ सफा ३६१).

अगर मुद्दायलेह बेजा शमूली मुद्दईयान वो बिनहाय दावा का उजर करे और वह उजर अदालत सुनाई करके नामन्जूर करे और डिक्री मुद्दईयान के हक में सादिर करे और मुद्दायलेह वैसी डिक्री की अपील बेजा शमूली मुद्दईयान वो बिनहाय दावा की बिना पर दायर करे, तो अदालत अपील डिक्री में दस्तनदाजी न करेगी गो उसे यह मालूम हो कि नालिश में बेजा शमूली का नुक्स है बशर्ते कि वैसी बेजा शमूली से रूईदाद मुकदमा में कोई असर न पड़ता हो (देखो दफा ६६ मज० जा० दी०).

जब दो या दो से ज्यादा मुद्दायलेह हों, और दो या दो से ज्यादा बिनहाय दावा हों तो मुद्दई एकही नालिश में उन बिनहाय दावों को उन्हीं मुद्दायलेह के खिलाफ शामिल कर सकता है बशर्ते कि मुद्दईयों का हक शामलाती उन शामलाती मुद्दायलेहों पर पहुंचता हो—मतलब यह है अगर मुद्दायलेहों का ताल्लुक बिनहाय दावा से **शामलाती** न हो तो शमूली न होगी और वैसी शमूली मुद्दायलेहुम की बेजा समझी जावेगी, मसलन, (ब) पर व तीसरे शख्स (क) पर इस बयान के साथ दायर किया कि (ब) बैनामा लिखने को राजी था, मगर वह इस सबब से नहीं लिख सका कि जमीन पर कब्जा (क) का बजरिये झूट दावा के था, और (क) जमीन नहीं छोड़ता था, इस सूरत में दो मुद्दायलेह हैं और दो बिनहाय दावा है (ब) पर यह दावा है कि उससे माहदा की तकमील खास कराई जावे, और (क) पर यह दावा है कि उसकी निस्बत यह करार दिया जावे कि जमीन पर उसका हक

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४४ से मिलता है

जब कि इजाजत हासिल करली जाये और मुकदमा फैसला होने के पहले दूसरी नालिश करने की इजाजत से उठा लिया जावे तो दूसरी नालिश दायर होने के पेश्तर इजाजत लेना चाहिये [इ ला रि मदरास जि० २४ सफा २९३]—

जब तक कि मुकद्दमा वास्ते हासिल करने जायदाद गैर मुनकूला के न हो तब तक यह कायदा लागू नहीं होगा (७ कलकत्ता वीकली नोट सफा ३५३)

मुकदमा वास्ते हासिल करने जर रहन इस दादरसी के साथ कि अगर करजा की अदाई न हो तो जायदाद मरहूना नालाम पर चढ़ाई जाय बतौर नालिश दखलयाबी जायदाद गैर मनकूला के न समझी जायगी (इ ला रि मदरास जि० १४ सफा २८४)

मुकदमा वास्ते तामील माहदा वो कब्जा जायदाद गैर मनकूला के है जिस में एक तीसरा शख्स शामिल किया गया है जो बयान करता है कि वह मालिक उस जायदाद का है जिस के निसबत माहदा हुआ है, और कहता है कि वह दीगर मुदायलेह का बेनामीदार है, तो ऐसी नालिश के निसबत यह न कहा जायगा कि उस में इस कायदा के अहकामात की तामील नहीं की गई (इ ला रि. कलकत्ता जि० १० सफा १०६१)

मुकदमा वास्ते कबजा जायदाद गैर मनकूला में लगान की दादरसी शामिल हो सक्ती है (११ वीकली रपार्ट सफा ८४२)

इस दफा का मतलब यह है कि नालिश दखलयाबी जायदाद गैर मनकूला में एक दादरसी दखल याबी जमीन की जो रहती है उसके साथ दावा मुनाफा वो जर लगान वो हरजाना बिला मंजूरी अदालत शामिल हो सके हैं, दीगर दावे शामिल न हो सकेंगे जब तक कि अदालत की मंजूरी न ली जाय

(अ) के पास २६ खेत हैं (ब) ने उसको कुल २९ खेतों में से बेदखल कर दिया—(अ), (ब) पर उन २९ खेतों का कब्जा पाने की नालिश बगैर इजाजत अदालत कर सक्ता है गो, दावा तादाद में २६ हैं, मगर

के लिये, जो उन्हों ने मुद्दई से अलेहदा २ किया हो इकट्ठे साजिश करे, और मेल करलें तो मुद्दई उन सब को मुद्दायलेह गरदान कर नालिश कर सक्ता है [अ] की डिकरी [ब] पर निसबत ऐसी जमीन के हुई जो ८६ शख्सों के अलेहदा २ क़बजा में थी—वे सब ८६ लोग आपुस में मिल गये, औ उन्हो ने सलाह किये कि मुद्दई का न तो कबजा मिलने पावे और न उस को लगान दिया जावे—ऐसी सूरत में मुद्दई उन ८६ आदमियों पर इकजाई नालिश कर सक्ता है निसबत इस्तकरार हक के (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १३ सफा १४७).

जब दो या ज्यादा मुद्दई हों वो दो या ज्यादा मुद्दायलेह हों वो दो या ज्यादा बिन हाय दावा हों, तो ऐसी सूरत में उन बिन हाय दावों से ताल्लुक मुद्दईयान वो मुद्दायलेहों का **शामलाती** होना चाहिये—अगर ताल्लुक **शामलाती** न हो तो शमूली बेजा समझी जावेगी, मसलन, (अ) ने (ब) के साथ नमक बेचने वो हवाला करने का माहदा किया, और (क) ने, (ख) के साथ किया, तो (ब) वो [ख] दोनों मिल कर [अ] वो [क] पर नालिश इकजाई नहीं कर सके, लेकिन अगर (अ) वो (क) ने **शामलाती** में (ब) वो (ख) के साथ माहदा किया है और (ब) वो (ख) शामिल शरीक हैं तो [ब] **वो** [ख], [अ] **वो** (क) पर इकजाई नालिश कर सकें हैं—चाहे माहदा दो होवे.

नालिश हासिल करने जायदाद गैर मनकूला में सिर्फ चंद दावा शामिल किये जा सक्ते हैं

४ जो नालिश वस्ते हासिल करने जायदाद गैर मनकूला के हो, उस में बगैर इजाजत अदालत के कोई बिनाय दावा शामिल न की जायगी सिवाय

(क) दावा वासलात या बकाया जरलगान या किराया जायदाद मुतदावीया या उस के किसी हिस्से का.

(ख) दावा हरजा बाबत खिलाफवर्जी (टूट) किसी माहदा के जिस के रू से जायदाद या उस के किसी हिस्से पर कब्जा हो, और

(ग) वह दावा कि जिन में चाही हुई दादरसी उसी बिनाय दावा पर कायम हो

मगर शर्त यह है कि इस कायदे के किसी मजमून से इस बात की मुमानियत नहीं होगी कि कोई फरीक मुकदमा बैबात या इनफीकाक रहन में जायदाद मरहूना पर कब्जा पाने से रोका जाय

सक्ती है (देखो आर्डर नं २ कायदा ७)

जब कोई दावा बगैर इजाजत अदालत इस दफा की रू से शामिल न हो सक्ता हो तो मुद्दई को अख्त्यार है कि वैसी इजाजत लेकर शामिल करे या अलेहदा नालिश करे—यह जरूर नहीं है कि वह सिर्फ इजाजत ही हासिल करे—(इ ला. रि कलकत्ता जि० ११ सफा ६१५).

अगर इजाजत लेने की दरख्वास्त नामजूर हुइ हो तो हुक्म नामजूरी की अपील न हो सकेगी–(इ ला रि अलाहाबाद जि० ८ सफा १९१)

दावा वसी या मोहतमिम या वारिस की तरफ से या उन पर

५—कोई दावा जो किसी वसी या मोहतमिम तरका या वारिस को या, उस पर उस के उस काम से पहुचता हो, उस दावा में शामिल नहीं किया जायेगा जो उस की जात खास पर पहुचता हो, जब तक कि अर्जी में जिक्र किये हुए दावा की निसबत यह बयान न किया जावे कि वह उसी जायदाद से पेदा होता है जिस की बाबत मुद्दई या मुदायलेह मजकूर वसी या मोहतमिम तरका या वारिस होने की हैसियत से नालिश करता है, या उस पर नालिश की गई है या यह कि वह दावा ऐसा है जिस को वह मुतवफी शख्स के शराकत में जिस का वह कायम मुकाम है दिला पाने का मुस्तहक या अदा करने के लायक है

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४४ [ब] से मिलता है

किसी मुसलमान बेवा के मुन्तकिल अलेह की तरफ से नालिश वास्ते उस के जुज मह्र वो जुज उस बेवा के खाविन्द की जायदाद के इस कायदा के खिलाफ नहीं है (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १८ सफा २५६)

इस दफा का मतलब यह है कि दोनों हैसियतें, यानी, हैसियत जाती वो कायम मुकामी शामिल न की जाय, जब तक कि दावा उसी इस्टेट से पैदा न होता हो, या मुद्दई का दावा या उस पर दावा शख्स मुतवफी की शामलाती से न चलता हो.

एक हिन्दू बेवा ने नालिश, अपने खाविन्द के वसी पर दो दादरसी पाने की दायर किया, (१) कुछ जेवर जो उस का स्त्री धन था, पाने के लिये, (२) अपने खाविन्द की इस्टेट में हिस्सा पाने के लिये–तजबीज हाई कोर्ट करार पाई कि नालिश में दोनों दावे शामिल हो सके हैं—(इ ला रि बम्बई जिल्द ३८ सफा १२०)

जब दोनों दावे शामिल न हो सके हों, तो एक दावा को निकाल कर अर्जी

वे सब दावे ताल्लुक दखलयाबी जायदाद गैर मनकूला से रखते हैं—(इ. ला रि. मदरास जि० ५ सफा १६१)—

(अ) के पास दो टुकडे जमीन के हैं (ब) को उन दोनों टुकड़ों पर हक शफा हासिल है (अ) ने दोनों टुकड़े (क) को एकही रोज बजरिये अलेहदा २ दो बैनामा के बेच दिये [ब] हक शफा की नालिश दोनों टुकड़ों पर बगैर इजाजत अदालत कर सक्ता है (इ ला रि अलाहाबाद जि० १७ सफा २७४)—इसी तरह अगर मुर्तहन के पास एकही शख्स की जुदी २ जायदाद के दो रहननामा हों तो वह नालिश नीलाम या बैबाद बिला इजाजत अदालत कर सक्ता है—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० २५ सफा २२६)—

अगर जायदाद गैर मनकूला पर सिर्फ हक करार दिये जाने की नालिश हो और कब्जा हासिल करने की न हो, तो वह नालिश दखलयाबी जमीन न समझी जावेगी इसी तरह जमीन पर बेजा मदाखलत रोकने की नालिश बतौर नालिश दखलयाबी जमीन न समझी जावेगी.

दावा दखलयाबी जायदाद गैर मनकुला में दावा कब्जा जायदाद मनकुला का शामिल हो सक्ता है अगर दोनों दावों की निस्बत बिनाय दावा एकही हो——अगर ऐसा शामिल न किया जाय तो दूसरे दावा की नालिश जो शामिल नहीं किया गया, पीछे से न चल सकेगी—(देखो आर्डर न २ कायदा २)

एक मुसलमान दो वारिस (अ) वो (ब) को छोड़ कर मरा (अ) को जायदाद गैर मनकूला मिली और (ब) को जायदाद मनकूला, मगर यह दोनों किस्म की जायदाद पर कब्जा [क] का नाजायज तौर पर था—(ख) ने दोनों जायदाद (अ) वो (ब) से खरीदा (ख) दोनों जायदाद पर कब्जा पाने की नालिश (क) पर कर सक्ता है अगर दो दावों में से किसी एक को छोड़े तो फिर पीछे से छोड़े हुऐ दावा की नालिश न चल सकेगी—(इ. ला रि कलकत्ता जि० ३१ सफा २६२)

अदालत की इजाजत अरजीदावा पेश करने के पेश्तर हासिल करना चाहिये, मगर काफी वजह बतलाने पर इजाजत बाद दायरी नालिश भी मिल

जब नालिश मुख्तार की तरफ से पेश हो तो अदालत ऐसे मुख्तार के अख्त्यार के निस्बत दरयाफ्त करने की मजाज है—(इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा ६७८)

मुफलसी नालिश की दरखास्त मुख्तार मकबूला के जरिये पेश नहीं हो सक्ती (बम्बई हाई कोर्ट अपील जिल्द ४ दफा ६२)—(देखो आर्डर न ३३ कायदा १)

ऐजन्टान मकबूला

२ ऐजन्टान मकबूला जो फरीक मुकदमा की तरफ से अदालत में हाजिर हो सक्ते हैं, और दरखास्त दे सके हैं, और कार्रवाई कर सके हैं, यह है —

[क] शख्स जो फरीक मुकदमा के तरफ से अपने नाम के मुखत्यार नामे आम रखते हों, और मुखत्यारनामा में उन की तरफ से हाजिर होने और दरखास्त देने और कार्रवाई करने का अख्त्यार दिया गया हो

[ख] शख्स जो उन फरीक मुकदमा की तरफ से या उन के नाम से कुछ बेपार या कारबार करते हों, जो उस अदालत के इलाके की हुदूद अरजी के अन्दर न रहते हों, जिस की हद के अन्दर हाजिर होना या दरखास्त देना या कार्रवाई करना सिर्फ मामलात बेपार के तात्लुक या कारोबार की बाबत हो, और कोई और ऐजन्ट, को हाजरी अदालत और दरख्वास्त देने और कार्रवाई करने की इजाजत स फ तौर से न दी गई हो

तशरीह.—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३७ से कायम की गई है.

किसी दूकान का गुमाश्ता, जब कारबार दूकान बद हो जावे, ऐजन्ट मकबूला नही रहता (५ बगाल ला रि अपेनडीक्स २), लेकिन अगर वह दूकान का रुपया वसूल करने के लिये रख लिया गया है तो वह ऐजन्ट मकबूला है—(६ बम्बई हाई कोर्ट रि. ४२७)

कोई ऐजन्ट मकबूला अपने नाम से किसी मुकद्दमे की पैरवी यो जवाब देही नहीं कर सक्ता है—अगर उस ने अपने मालिक की तरफ से हाई कोर्ट तक कार्रवाई की और बिला किसी उजर के डिकरी हासिल की तो मदयून उस के डिकरी इजरा कराने में उजर नहीं कर सक्ता—(इ ला रि बम्बई जिल्द १२ सफा ६८)

आर्डर--३

ऐजन्टान याने मुखत्यारान मकबूला और वकला (वकील).

हाजिर वगैरा असालतन या मारफत ऐजन्ट मकबूला या वकील के हो सक्ती है

१ जब कानून या हुक्म हो, या अख्त्यार दिया गया हो, कि कोई फरीक अदालत में हाजिर हो या दरखास्त दे या कोई और कार्रवाई करे, तो सिवाय उस सूरत के कि किसी कानून में जो उस वक्त जारी हो, कुछ और हुक्म साफ दरज हुआ हो, जायज है कि वह फरीक असालतन या मारफत अपने ऐजन्ट मकबूला, या वकील के जो जाब्ते के मुताबिक उस की तरफ से कार्रवाई करने के लिये मुकर्रर हुआ हो, हाजिर हो या दरख्वास्त दे या कार्रवाई करे

मगर शर्त यह है कि अगर अदालत असालतन हाजिर होने का हुक्म दे तो उस फरीक को असालतन हाजिर होना पड़ेगा

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३६ से कायम किया गया है.

कोई ऐडवोकेट अपने मवक्कल के तरफ से कार्रवाई कर सक्ता है और वह कुल काम वकील का भी कर सक्ता है (इ ला रिपोर्ट. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ११७).

वकील अपने जिम्मेदारी पर मुनशीगिरी का काम अपने मोहर्रिर के मारफत करा सक्ता है [इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १५ सफा ६१८]

जब कोई अपील अदम पैरवी में खारिज कर दी गई और वकील उस अपील को फिर सुने जाने के लिये दरखास्त करे तो उस के साथ दूसरे नये वकालतनामा की जरूरत नहीं है [इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द १५ सफा ५५]

अगर मुखत्यार मकबूला अपने मौकिल की तरफ से मुकद्दमा की पैरवी करना मुनासिब न समझता हो, गो, वह पैरवी करने के लायक हो, तो उस की सिर्फ हाजरी अदालत बतौर हाजरी, आर्डर नं. ९ कायदा ६, ८ की मनशा के लिये, न समझी जावेगी (इ ला रि. बम्बई जि २३ सफा ४१४)

जब नालिश मुखत्यार की तरफ से पेश हो तो अदालत वैसे मुख्त्यार के अखत्यार के निस्बत दरयाफ्त करने की मजाज है—(इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा ६७८)

मुफलसी नालिश की दरखास्त मुख्त्यार मकबूला के जरिये पेश नहीं हो सक्ती (बम्बई हाई कोर्ट अपील जिल्द ४ दफा ६२)—(देखो आर्डर न ३३ कायदा १)

२ ऐजन्टान मकबूला जो फरीक मुकदमा की तरफ से अदालत में हाजिर हो सके हैं, और दरखास्त दे सके हैं, और कार्रवाई कर सके हैं, यह है —

ऐजन्टान मकबूला

[क] शख्स जो फरीक मुकदमा के तरफ से अपने नाम के मुखत्यार नामे आम रखते हों, और मुखत्यारनामा में उन की तरफ से हाजिर होने और दरखास्त देने और कार्रवाई करने का अख्त्यार दिया गया हो

[ख] शख्स जो उन फरीक मुकदमा की तरफ से या उन के नाम से कुछ बेपार या कारबार करते हों, जो उस अदालत के इलाके की हदूद अरजी के अन्दर न रहते हों, जिस की हद के अन्दर हाजिर होना या दरखास्त देना या कार्रवाई करना सिर्फ मामलात बेपार के ताल्लुक या कारोबार की बाबत हो, और कोई और ऐजन्ट, को हाजरी अदालत और दरखास्त देने और कार्रवाई करने की इजाजत खास तौर से न दी गई हो

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३७ से कायम की गई है.

किसी दूकान का गुमाश्ता, जब कारबार दूकान बंद हो जावे, ऐजन्ट मकबूला नहीं रहता (५ बंगाल ला रि अपेनडीक्स २), लेकिन अगर वह दूकान का रुप्या वसूल करने के लिये रख लिया गया है तो वह ऐजन्ट मकबूला है—(६ बम्बई हाई कोर्ट रि. ४२७)

कोई ऐजन्ट मकबूला अपने नाम से किसी मुकदमे की पैरवी वो जवाब देही नहीं कर सक्ता है—अगर उस ने अपने मालिक की तरफ से हाई कोर्ट तक कार्रवाई की और बिला किसी उजर के डिकरी हासिल की तो मदयून उस के डिकरी इजरा कराने में उजर नहीं कर सक्ता—(इ ला रि बम्बई जिल्द १२ सफा ६८).

लफ्ज "नहीं रहते हों" में वह शख्स भी शामिल है जो कुछ रोज के लिये भी गैर हाजिर है—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २८ सफा १३५).

ऐजन्ट के अख्त्यार वे हैं जो उस के मालिक ने उस को साफ तौर से या मनवी तौर से दिये हैं, अगर कोई ऐजन्ट जिस को मुकदमा की पैरवी का अख्त्यार दिया गया है तो उसे मुकदमा पंचो के सुपुर्द करने का अख्त्यार नहीं है—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १२ सफा १७८)—और मुकदमे का तसफिया जरिये हल्फ फरीकसानी के भी नहीं करा सक्ता है—(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १४ सफा ४५५)

अगर कोई शख्स यह पेशा अख्त्यार करले कि वह फरीकैन की तरफ से मुख्त्यारनामा लेकर हाजिर हुआ करे और उन के मुकदमों की पैरवी किया करे ताकि वकील वो बारिस्टर लगाने की जरूरत न पड़े, तो उस शख्स की कार्रवाई इस दफा के अहकाम के खिलाफ समझी जावेगी—(बर्मा ला. टाईम्स जिल्द ७ सफा २०६).

ऐजन्ट मकबूला पर तामील हुक्मनामा

३ (१) वह हुक्मनामे जिन की तामील किसी फरीक मुकदमा के एजन्ट मकबूला पर की जाय, उसी कदर असर रखेंगे मानो कि वह खुद फरीक मुकदमा पर तामील किये गये थे, सिवाय उस सूरत के कि जब अदालत से कोई और हुक्म हो

(२) वह अहकाम जो फरीक मुकदमा पर हुक्मनामे की तामील के बारे में है, उस सूरत में भी लागू होंगे जब उस के ऐजन्ट मकबूला पर हुक्मनामा की तामील की जाय

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३८ से कायम किया गया है.

इस कायदा से फरीक मुकदमा पर हुक्मनामा के तामील की मनाई नहीं है मगर लाजमी भी नहीं है—और कोई शख्स जिस को मुख्त्यारनामा आम दिया गया है उस पर अमल करने से वो सम्मन लेने से इनकार कर सक्ता है—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ८ सफा ३२६)

वकील की मुकर्ररी

४ (१ ... अदालत में हाजिर होने, या ... करने के लिये, वकील की मुकर्ररी ... उस शख्स के या उस के ... नामा के जरिये से इस

बारे में कार्रवाई करने के लिये बाजाब्ता अख्त्यार रखता हो, दस्तखत होंगे

(२) जब वकील ऐसी मुकर्ररी मंजूर करले तो वह तहरीरी अदालत में दाखिल की जायगी, और जब तक वह बजरिये कोई तहरीर दस्तखती मवक्कल या वकील, याने जैसा कि मौका हो, अदालत में दाखिल करके अदालत की इजाजत से रद्द न कर दी जावे, या जब तक कि वह मवक्कल या वकील मरना जाय, या जब तक कि मुकदमा जहां तक के उस मवक्कल से ताल्लुक रखता हो खतम न हो जाय, जारी समझी जायगी

(३) किसी हाई कोर्ट मुकर्ररी हस्ब एक्ट हाई कोर्ट हिन्द सन १८६१ ई० के ऐडवोकेट या किसी चीफ कोर्ट या किसी दीगर हाई कोर्ट के ऐडवोकेट जो बारिस्टर है, उन के लिये जरूर नहीं है, कि किसी तरह की तहरीर अपने पैरवी मुकदमा के अख्त्यार के बाबत अदालत में दाखिल करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३९ से कायम किया गया है—जब किसी औरत ने किसी वकील को अपने तरफ से अपील पेश करने के लिये मुकर्रर किया, और उस ने अपील पेश करदी तो यह अमर कि उस औरत ने जो वकालतनामा दिया है उस पर उस की निशानी नहीं है बेअसर होगा (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द २६ सफा १७).

वकालतनामा पर तारीख की जरूरत नहीं है—[इ ला रि मदरास जिल्द २६ सफा १९७—१९८].

वकालतनामा मुकदमे की कुल कार्रवाई बंद होते तक असर में रहता है, और दरखास्त इजराय डिकरी कार्रवाई मुकदमा है—[इ ला रि बम्बई जिल्द २० सफा १८०].

वकालतनामा पर खुद असल मालिक या ऐजन्ट मकबूला या किसी दूसरे शख्स के, जिसे अख्त्यार दिया गया हो, दस्तखत होना चाहिये—(इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द १६ सफा २३०)

हाई कोर्ट के बनाये हुये कायदों के रियायत के साथ कोई ऐडवोकेट बिला वकालतनामा कुल काम वकील का कर सक्ता है—(इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ९ सफा ६१७)

जब वकील हाजिर न हो सक्ता हो तो वह अपना अख्त्यार दूसरे वकील के सुपुर्द करने का मजाज नहीं है—(इ ला रि बम्बई जिल्द २०

सफा २९३)

वकील का वकालतनामा, मवक्कल की सिर्फ चिट्ठी से रद नहीं हो सकेगा–रद सिर्फ अदालत की मंजूरी से अदालत में मवक्कल की दस्तखती दरखास्त पेश करने से होगा–(इं ला रि. कलकत्ता जिल्द ३६ सफा ६०९)

"दस्तखत" के मायने–देखो दफा २ (२०)—एकही वकालतनामा से वकील मुकदमा की पूरी कार्रवाई कर सक्ता है, यानी, अगर मुकदमा अदम पैरवी में खारिज हो तो उस को नबर पर कायम करा सक्ता है—(इं. ला. रि अलाहाबाद जिल्द १९ सफा ५५).

नई तजवीज के लिये दरखास्त दे सक्ता है—(वी रि. जिल्द १२ सफा ४६५)—या इजराय डिकरी की दरखास्त दे सक्ता है या जायदाद मकरूका के दावे का जवाब दे सक्ता है–(इं. ला रि बम्बई जिल्द २० सफा १९८)—या अपील बहुजूर प्रिवी कौंसिल पेश करने की इजाजत मांग सक्ता है—[वी रि जिल्द ८ सफा ९२].

हुक्मनामे की तामील वकील पर

५. कोई हुक्मनामा, जो किसी फरीक के वकील पर तामील किया जाय या वकील के दफ्तर या मामूली रहने की जगह पर छोड़ दिया जाय, और चाहे उस हुक्मनामा में फरीक के असालतन हाजिर होने का हुक्म हो या न हो, ऐसा समझा जायगा कि मानो खुद मवक्कल को पहुंचा दिया गया, और मवक्कल को उस की इत्तला हो गई, और सिवाय उस सूरत के कि जब अदालत और तरह का हुक्म दे, कुल गरजों के लिये वैसा ही तासीर रखेगा कि मानो वह उस फरीक को असालतन दिया गया या खुद उस पर उस की तामील की गई

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४० से कायम किया है.

इस कायदा के रू से वकील पर तामील मिस्ल तामील मवक्कल पर समझी जावेगी, मगर मवक्कल यह जाहर कर सक्ता है, कि उस को इत्तला नहीं दी गई.

ऐजन्ट का तामील हुक्मनामा कबूल करना

६. अलावा [illegible] जिन [illegible] कायदा २ में हुवा है, [illegible] के अंदर रहता हो [illegible] कबूल करने के लिये एजन्ट मुकर्रर हो

(२) ऐसी मुकर्ररी खास हो या आम हो, मगर वह बज़रिये तहरीर के होगी और उस पर मुकर्रर करने वाले के दस्तख़त होंगे, और वह तहरीर, या अगर मुकर्ररी आम हो तो उस की तसदीक़ की हुई नकल अदालत में दाख़िल की जायगी

मुकर्ररी तहरीरी होगी और अदालत में दाखिल की जायगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४१ से कायम हुआ है

एजन्ट पर हुक्मनामा की तामील के निस्बत देखो आर्डर नं ९ कायदा १२.



आर्डर ४.

दायरी नालशात.

१. (१) हर नालिश इस तरह दायर की जायगी कि अरजीदावा अदालत में या उस ओहदेदार के पास, जो अदालत से उस काम के लिये मुकर्रर हो दाखिल, किया जाय

नालिश अरजीदावे से शुरू होगी

(२) हर अरजीदावा, आर्डर नंबर ६ वो ७ में दर्ज किये हुए कायदे के मुताबिक होगा जहा तक के वे लागू हो सकें

तशरीह — लफ्ज "दाखिल किये जाने" में डाक से भेजना शामिल नहीं है, उस का मतलब यह है कि अदालत में या उस के किसी अफसर को मारफत खुद या जरिये वकील अरजीदावी हवाला की जाय—(इ. ला. रि. मदरास जिल्द १५ सफा १३७)

अफसर की गैर हाजरी में उस के मेज पर अरजी रख आना उस के रूबरू पेश करना नहीं है—(३ येन-डबलीयू-पी. हाई कोर्ट रिपोर्ट सफा ३४१).

मुनसिफ के रहने के खासगी मकान पर अरजी का पेश करना ठीक नहीं है (७ येन-डबलीयू-पी हाई कोर्ट रिपोर्ट सफा ५)

जब कोई अरजी किसी अदालत जिला में पेश की जाय और वह किसी अदालत मातहत में जो बद थी पेश होना चाहिये था तो अदालत जिला को ऐसी अरजी लेने का अखत्यार नहीं है—(१० बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट सफा ४९५).

अरजीदावा का इतवार को या किसी दूसरे तातील के दिन कबूल करना नाजायज न[illegible] (वीकली रिपोर्ट जि० ११ सफा ५३७ वो जि० १६ सफा २३ [illegible]

के [illegible] तक लगाई जायगी जब

मियाद के अखीर दिन अदालत बंद हो तो अदालत खुलने के दूसरे रोज अरजीदावा पेश हो सक्ता है और मियाद में कुछ फर्क न आयगा—(देखो दफा ५ एक्ट मियाद)—

अगर अरजीदावा में पूरी कोर्ट फीस लगी हो, तो इस सबब से उसकी दाखली में कोई फर्क न पड़ेगा अगर वह दीगर तौर पर बाजाब्ता पेश किया गया हो- (देखो दफा १४९)

जब अरजीदावा अदालत के हुक्म से तरमीम किया जाय तो नालिश की दायरी की तारीख वही समझी जायगी जिस रोज अरजीदावा दाखल किया गया —(इ. ला. रि. बम्बई जि० १९ सफा ३२०)—

रजिस्टर नालशात २ हर नालिश की तफसील को अदालत एक किताब में, जो उसी मतलब से रखी जायगी और जिस्का नाम दीवानी मुकदमात का रजिस्टर होगा दरज करायगी—और जो मुकदमात उस रजिस्टर में दरज हों उन पर हर साल तारीख मनजूरी अरजीदावा के सिलसिले से नम्बर दिये जायँगे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५८ के फिकरा अखीर से मिलता है

आर्डर-५.

इजराय वो तामील समन.

इजराय समन.

१ (१) जब नालिश बाजाब्ता दायर हो जाय, तो समन मुदायलेह समन के नाम इस हुक्म से जारी किया जाय कि वह उस तारीख पर जो समन में दर्ज है, हाजिर अदालत होकर दावा की जबाव देही करे.

मगर शर्त यह है कि अगर अरजीदावा के दाखिल होने के वक्त मुदा-लेह अदालत में हाजिर होकर मुद्दई के दावा से इकबाल कर चुका हो तो समन उस के नाम जारी नहीं किया जायगा.

(२) जिस मुदायलेह के नाम समन मजमून जिमन (१) के बमूजिब जारी किया जाय, वह हाजिर हो सका है

(क) असालतन या,

(ख) मारफत किसी वकील के जिस को पूरी तौर से हिदायत कर दी गई हो, और जो कुछ सवालात जरूरी मुताल्लुके मुकदमा का जवाब दे सके

(ग) मारफत किसी वकील के जिस के साथ ऐसा कोई शख्स हो जो कुल सवालात मजकूर का जवाब दे सके

[३] ऐसे हर समन पर जज्ज या उस उहदेदार के दस्तखत होंगे जिस को जज्ज उस काम . करे, और उस अदालत की मोहर लगाई जायगी

—यह की कायम किया गया है

के काम है कि मुदाय-

लेह के नाम समन जारी करे चाहे वह मुद्दायलेह नाबालिग हो--[इ. ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा २१७].

जब समन की तामील न हो तो दूसरा समन जारी करना चाहिये--अगर मुद्दायलेहुम में से कोई एक शुरू नालिश के दायरी के पहले मर जावे तो उस के नाम न तो समन जारी होगा और न उस के मुक़ाबले मुकद्दमा की कार्रवाई शुरू की जायगी (वीकली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा ४५).

समन के साथ नकल अरजीदावा या मुख्तसिर बयान

२ हर समन के साथ अर्जीदावी की एक नकल या बशर्ते इजाजत, एक बयान मुख्तसिर भेजा जायगा

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६९ से कायम किया गया है--अदालत को अख्त्यार है कि समन के साथ अरजीदावी की नक़ल भेजने के बदले खुलासा बयान अरजीदावी का भेजा.

अदालत मुद्दायलेह या मुद्दई का असालतन हाजिर होने का हुक्म दे सक्ती है

३ [१] अगर अदालत के नजदीक मुद्दायलेह का असालतन हाजिर होना जरूर हो, तो समन में उस के निसबत यह हुक्म होगा, कि मुद्दालेह अदालत में उस तारीख पर, जिस की तशरीह समन में दरज है, असालतन हाजिर आवे

[२] अगर अदालत के नजदीक मुद्दई का भी उसी रोज असालतन हाजिर होना जरूर हो तो अदालत मजाज होगा कि मुद्दई को उस रोज असालतन हाजिर होने का हुक्म दे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६६ से कायम किया गया है इस कायदे को दफा १३२ के साथ पढ़ना चाहिये.

असालतन हाजिर न होने के नतीजे के लिये--[देखो आर्डर न. ९ कायदा १२].

किसी फरीक की असालतन हाजिर होने का हुक्म न दिया जायगा जब तक उस की सकूनत अन्दर कुछ हद के नहीं

४ किसी फरीक के असालतन हाजिर होने का हुक्म उस वक्त तक न दिया जायगा जब तक कि उस की सकूनत

(क) अदालत के मामूली अख्त्यार समाअत इब्तदाई की हुदूद अरजी के अन्दर न हो, या,

(ख) हुदूद मजकूर के बाहर हो मगर अदालत से पचास मील से

कम फासले पर न हो या [अगर रेल या इस्टीमर या कोई और मुकर्रर आम सवारी उस की जाय सकूनत से मुकाम अदालत तक के छटवें हिस्से के पांच गुना फासले पर चलती हो] तो इमारत अदालत से दो सौ मील से कम फासले पर न हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६७ से कायम किया गया है.

मुकर्रर आम सवारी में टांगा या मोटर दाखल है जो डाक या सवारी के लिये किराया पर चलती हो

५ समन जारी करने के वक्त अदालत यह अमर तै करेगी कि आया समन सिर्फ वास्ते करार दिये जाने अमूर तनकीह तलब के होगा या वास्ते फैसला कतई मुकदमे के और समन में उस के मुताबिक हिदायत लिखी जायगी

समन वास्ते करार दिये जाने अमर तनकीह तलब के होगा या वास्ते फैसला कतई के

मगर शर्त यह है कि हर मुकदमा समाअत अदालत मतालबेजा खफीफा म समन वास्ते तसफिया कतई मुकदमा के जारी किया जायगा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६८ से कायम किया गया है.

आम कायदा यह है कि सादे मुकदमों में यानी जिन में कोई झगड़ा या पेंच न हो, समन कतई फैसला के लिये जारी करना चाहिये —(इ ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा ३८०)

६ मुदायलेह के हाजरी के लिये तारीख मुकर्रर करते वक्त अदालत नीचे लिखे हुये अमूरात का ख्याल रखेगी, याने अदालत के काम की कमी और जियादती का, और मुदायलेह के सकूनत के मुकाम का, और उस मुद्दत का जो समन के तामील के लिये जरूरी है-और वह तारीख ऐसी मुकर्रर की जायगी कि मुदायलेह को तारीख मुकर्ररा तक हाजिर होकर मुकदमें की जवाब देही करने की मोहलत काफी मिले

मुकर्ररी तारीख वास्ते हाजरी मुदायलेह

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६९ से कायम किया गया है.

जब कि मुद्दत दी हुई काफी नहीं है तो अदालत अपील दस्तनदाजी कर कर सक्ती है—[७ बम्बई, [illegible] रिपोर्ट सफा १[illegible]

अगर इतनी नजदी[illegible] [illegible]र की [illegible] मुदायलेह हाजिर न [illegible] अदालत [illegible] बम्बई, [illegible] ७ सफा १३८) [illegible] न में [illegible] [illegible] देही करने का हुक्म

समन में हुक्म होगा कि मुदायलेह कुल दस्तावेजात पेश करे कि जिन पर वह भरोसा करना चाहता हो

ो मुदायलेह के नाम यह हुक्म दरज होगा कि कुल दस्तावेजात, जो उस के कब्जे या अखत्यार में हो, जिन पर मुदायलेह को अपनी जवाब देही के ताईद के लिये भरोसा करना मन्जूर हो, पेश करे"

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ७० से कायम किया गया है.

इस दफा में मुदायलेह को अपने दस्तावेजात पेश करने का हुक्म है.

जब समन वास्ते कतई फैसला के हो उस में मुदायलेह को हिदायत होगी कि वह अपने गवाह पेश करे

८ जब समन वास्ते कतई फैसला मुकदमा के हो तो उस में मुदायलेह को हिदायत की जायगी कि जो तारीख उस के हाजरी के लिये मुकर्रर हुई हो उस पर कुल गवाह जिन की शहादत पर, उसे अपनी जवाब देही की ताईद में उस को भरोसा करना मन्जूर हो, पेश करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ७१ से कायम किया गया है.

इस दफा में मुदायलेह को अपने गवाह पेश करने का हुक्म है

तामील समन.

समन वास्ते तामील के भेजना या हवाला करना.

९—(१) अगर मुदायलेह उस अदालत के इलाके के अन्दर रहता हो जहां नालिश दायर हुई हो या उस हद के अन्दर उस का कोई एजेंट रहता हो जो समन लेने का मजाज हो और अगर अदालत कोई हुक्म खास न दे तो समन अहलकार मजाज को इस मतलब से हवाला किया जायेगा या उस के नाम भेजा जायगा कि वह खुद या मारफत अपने किसी मातहत के उस की तामील करे

(२) अहलकार मजकूर किसी अदालत का कोई उहदेदार हो सका है और वह अदालत ऐसी न हो कि जहां नालिश दायर हुई हो—और अगर वह ऐसा अफसर हो तो समन डाक के जरिये या और तरह जिस की निस्बत अदालत हिदायत करे उस के पास भेजा जा सक्ता है

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ७२ से कायम किया गया है.

मुफस्सिल अदालत में ओहदेदार मजाज नाजिर है—(इ. ला. रि. बम्बई ० १२ सफा ५००)

१० तामील समन की इस तरह होगी कि उस की एक परत दस्तखती या उस उहदेदार के जिस को जज उस मतलब से मुकर्रर करे और उस मोहर अदालत लगी हो, हवाले या पेश की जायगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ७३ से कायम किया गया है

तामील समन की गरज सिर्फ इतनी है कि मुद्दायलेह को इस बात की इत्तला तारीख पेशी के पहले हो जाय, कि उस पर नालिश दायर की गई है—(इ. ला. रि. बम्बई जि० २१ सफा २२५).

११. दूसरी तरह जैसा मुकर्रर हो उस को छोड़ कर, जब एक से जियादा मुद्दायलेहुम हों तो लाजिम है कि हर एक मुद्दायलेह पर समन की जाय

तामील कई मुद्दायलेहुम पर

तशरीह:—यह कायदा पुरा एक्ट की दफा ७३ से कायम किया गया है.

जब कई मुद्दायलेहुम में से एक मुद्दायलेह नाबालिग है तो समन उस के वली पर तामील होना चाहिये—(इ. ला रि. कलकत्ता जि० २६ सफा २७३).

साझेदारों पर समन की तामिली के लिये (देखो आर्डर न. ३० कायदा ३)

१२ जब मुमकिन हो, समन की तामील मुद्दायलेह की जात पर की जायगी, तायके कि उस का कोई कारिन्दा समन लेने का मजाज हो उस वक्त कारिन्दा को समन देना काफी होगा

जहां तक हो सके तामील मुद्दायले की जात पर होगी या उस के कारिंदा पर

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ७५ से कायम किया गया है

कोई शख्स जो मुद्दायलेह का कारोबार सिर्फ देखता है तामील समन मनजूर करने के लिये एजन्ट मजाज नहीं है—(१७ वीकली रिपोर्ट सफा ३३)—आर्डर न. ३ के कायदा ६ में वह कायदे दिये हैं जिस तरह से ऐसे एजन्ट मुकर्रर हो सके हैं

१३ (१) अगर नालिश किसी कारबार या काम के बाबत ऐसे शख्स के नाम से हो, जो समन जारी करने वाली अदालत के इलाके की हद्द अरजी के अन्दर सकूनत नहीं रखता हो, तो तामील समन को किसी सरबराहकार

तामील उस कारिंदे पर कि जिस के जरिये से मुद्दायलेह कारोबार करता हो

या कारिन्दे पर जो तामील के वक्त बजात खुद उस कारबार या काम को उस शख्स की तरफ से हुदूद मजकूर के अन्दर करता हो, काफी समझा जायगा

(२) इस कायदे के मतलब के लिये किसी जहाज का मास्टर जहाज के मालिक या किराया करने वाले का कारिन्दा समझा जायगा

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ७६ से कायम किया गया है–इस कायदा के बमूजिब अमल करने के वास्ते यह जरूर है कि असल मालिक अदालत के इलाका अख्त्यार समाअत के बाहर रहता हो, और नालिश ऐसे कारबार या रोजगार से ताल्लुक रखती हो, जो अदालत मजकूर के इलाका अख्त्यार के अन्दर किया जाता हो (इ ला रि बम्बई जि०४ सफा ४१६)

जायदाद गैर मनकूला की नालिशों में ऐजेन्ट मोहतामिम जायदाद मजकूर पर तामील

१४ उस नालिश में जो कि वास्ते दादरसी निस्बत जायदाद गैर मनकूला, या मावजा नुकसान जायदाद गैर मनकूला से हो, अगर समन की तामील मुद्दायलेह की जात पर न हो सके और मुद्दायलेह का कोई ऐसा ऐजेन्ट न हो जिस को समन के लेने का अख्त्यार हो, तो जायज है कि समन की तामील मुद्दायलेह के किसी ऐजेन्ट मोहतामिम जायदाद मजकूर पर की जाय

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ७७ से कायम किया गया है–जायदाद गैर मनकूला क्या कहलाती है दफा १६ में दरज है–मुकदमा बैबात या नीलाम जायदाद गैर मनकूला बतौर नालिश हासिल करने दादरसी निस्बत जायदाद गैर मनकूला के है–(इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ७३३)

कब तामील मुद्दायलेह के खानदान के मर्द मेम्बर पर होगी

१५ अगर किसी मुकदमा में मुद्दायलेह न मिलता हो, और न कोई ऐजेन्ट भी रखता हो जो उस की तरफ से समन लेने का मजाज हो, तो जायज है कि ऐसे समन की तामील मुद्दायलेह के खानदान के किसी बालिग मर्द पर जो उस के साथ रहते हों की जाय

समझावना—इस कायदे के मतलब के लिये मेम्बर खानदान में नौकर दाखिल नहीं है

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ७८ से कायम किया गया है.

लफ्ज "बालिग" से वह शख्स मुराद है, जो बमूजिब एक्ट बलूगीयत, बालिग हो चुका है, बल्कि ऐसी उमर का शख्स मुराद है, जो नोटिस को

खानदान के उस मेम्बर को जिस के नाम वह हो, बतला देने का जिम्मेदार वो काबिल हो—(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ३४ सफा ७८७)

खानदान की औरतों पर समन की तामील करना इस कायदा के रू से मुराद नहीं है—(इ ला. रि. बम्बई जिल्द २१ सफा २२३).

जिस शख्स पर तामील की जाय उस को समन पर दस्तखत करना होंगे

१६ जब समन ले जाने वाला समन की नकल मुदायलेह को असालतन या मुदायलेह के लिये उस के किसी एजन्ट या और शख्स को हवाले या उस के पास हाजिर करे, तो समन ले जाने वाले को जरूर है कि उस शख्स से जिस को नकल समन हवाला हो या जिस के रूबरू नकल मजकूर पेश की जाय, समन के तामील की रसीद के तौर पर असल समन की पुश्त पर दस्तखत कराले

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ७६ से कायम किया गया है

इस वजह पर कि मुदायलेह लिखना नहीं जानता है असली परत समन पर उस के दस्तखत या निशानी के न होने से तामील ठीक नहीं है—[८ बम्बई ला, रिपोर्ट सफा ५८४]

अगर समन की रसीद पर दस्तखत करने से इन्कार किया जाय, तो सिर्फ वैसी इन्कारी से जुर्म दफा १७३ या दफा १८० ताजीरात हिन्द न होगा—[इ ला. रि कलकत्ता जिल्द २० सफा ३५८).

जाब्ता जब कि मुदायलेह समन लेने से इन्कार करे या मिलता न हो.

१७ अगर मुदायलेह या उस का एजन्ट या ऊपर लिखे हुए दीगर शख्स दस्तखत करने से इंकार करे, या अगर तामील करने वाले अहलकार को पूरी कोशिश करने के बाद मुदायलेह न मिल सके और कोई एजन्ट उस का न हो जो उस की तरफ से समन लेने का मजाज हो, और कोई दूसरा ऐसा शख्स भी न हो जिस पर समन की तामील हो सके, तो तामील करने वाला अहलकार समन की एक नकल उस मकान के सदर दरवाजा या किसी और नजरगाह आम पर चिपका देगा, जिस में मुदायलेह मामूली तौर से रहता हो या कारबार करता हो, या मुनाफा के लिये बजात खास कोई काम करता हो, और बाद को असल समन जारी करने वाली अदालत को वापिस कर देगा, और उस की पुश्त पर या किसी परचा मुनसलका पर लिखेगा कि इस तौर पर नकल चिपका दी गई और चिपकाने के हालात और नाम और पता उस शख्स का (अगर कोई शख्स हो) कि जिस के जरिये से मकान मजकूर की शनाख्त हुई हो, और जिस के सामने नकल चिपकाई गई हो, उस तहरीर में दर्ज करेगा

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ८० से कायम किया गया है

इस अमर का तसफिया कि तामील करने वाले अफसर को मुद्दायलेह नहीं मिला हर मुकदमे के हालात से होना चाहिये—अगर तामील करने वाले अफसर को ऐसी इत्तला मिले जिस से मुद्दायलेह की गैर हाजरी थोड़ी देर की पाई जाय तो तामील करने वाले को उस की इन्तजारी करके कोशिश असालतन तामील की करना चाहिये (इ. ला रि मदरास जि० २१ सफा ३२४)

इस बात के लिये कि मुद्दायलेह नहीं मिला यह साबित होना चाहिये कि उस के मिलने के लिये पूरी कोशिश की गई, मतलब तामील करने वाला उस के रहने के मुकाम पर ऐसे वक्त पर जिस वक्त कि उस का मौजूद होना मुमकिन था (इ ला रि कलकत्ता जि० २६ सफा १०२)

तामील समन के ताईद में जो बयान हलफी दिया जाये उस से जाहिर होना चाहिये कि मुद्दायलेह के दरयाफ्त करने के लिये कोशिश की गई (इ ला रि कलकत्ता जि० १९ सफा २०१)

अगर समन चस्पा नहीं हुआ है तो ठीक तामील नहीं है (इ ला रि. बम्बई जि० १६ सफा ११७)

जब वह शख्स जो थोड़ी देर के लिये गैर हाजिर है तो मजकूरी का समन उस के दरवाजा पर चस्पा कर देना ठीक नहीं है, उस का काम है कि वह उस को तलाश करे ताकि तामील उस के जात पर हो (इ ला रि मदरास जि० २१ सफा ४२१)

जब कि मुद्दायलेह मकान से थोड़े दिन के लिये गैर हाजिर है और उस के मकान में कोई मुख्तार या घराने का शरीकदार मौजूद नहीं है तो उस के मकान पर समन के चस्पा होने को तामील तसव्वुर करना दुरुस्त नहीं है (इ ला रि बम्बई जि० २१ सफा २२३

सिर्फ समन पाने के दस्तखत करने से इनकार करना बमूजिब दफा १७३ वो १८० ताजीरात हिन्द का जुर्म नहीं है (इ ला रि. कलकत्ता जि० २० सफा ३५८)

समन की तामील नीचे लिखे तीन तरीकों से होगी —

खानदान के उस मेम्बर को जिस के नाम वह हो, बतला दने का जिम्मेदार वो काबिल हो–(इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ३४ सफा ७८७).

खानदान की औरतों पर समन की तामील करना इस कायदा के रू से मुराद नहीं है–(इ ला. रि. बम्बई जिल्द २१ सफा २२३).

१६ जब समन ले जाने वाला समन की नकल मुदायलेह को असालतन या मुदायलेह के लिये उस के किसी एजन्ट या और शख्स को हवाले या उस के पास हाजिर करे, तो समन ले जाने वाले को जरूर है कि उस शख्स से जिस को नकल समन हवाला हो या जिस के रूबरू नकल मजकूर पेश की जाय, समन के तामील की रसीद के तौर पर असल समन की पुश्त पर दस्तखत कराले

जिस शख्स पर तामील की जाय उस को समन पर दस्तखत करना होंगे

तशरीह'—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ७६ से कायम किया गया है

इस वजह पर कि मुदायलेह लिखना नहीं जानता है असली परत समन पर उस के दस्तखत या निशानी के न होने से तामील ठीक नहीं है—[८ बम्बई ला रिपोर्ट सफा ५८४]

अगर समन की रसीद पर दस्तखत करने मे इंकार किया जाय, तो सिर्फ वैसी इंकारी से जुर्म दफा १७३ या दफा १८० ताजीरात हिन्द न होगा — [इ ला रि कलकत्ता जिल्द २० सफा ३५८).

१७ अगर मुदायलेह या उस का एजन्ट या ऊपर लिखे हुए दीगर शख्स दस्तखत करने से इंकार करें, या अगर तामील करने वाले अहलकार को पूरी कोशिश करने के बाद मुदायलेह न मिल सके और कोई एजन्ट उस का न हो जो उस की तरफ से समन लेने का मजाज हो, और कोई दूसरा ऐसा शख्स भी न हो जिस पर समन की तामील हो सके, तो तामील करने वाला अहलकार समन की एक नकल उस मकान के सदर दरवाजा या किसी और नजरगाह आम पर चिपका देगा, जिस में मुदायलेह मामूली तौर से रहता हो या कारबार करता हो, या मुनाफा के लिये बजात खास कोई काम करता हो, और बाद को असल समन जारी करने वाली अदालत को वापिस कर देगा, और उस की पुश्त पर या किसी परचा मुनसलका पर लिखेगा कि इस तौर पर नकल चिपका दी गई और चिपकाने के हालात और नाम और पता उस शख्स का (अगर कोई शख्स हो) कि जिस के जरिये से मकान मजकूर की शनाख्त हुई हो, और जिस के सामने नकल चिपकाई गई हो, उस तहरीर में दर्ज करेगा

जाब्ता जब कि मुदायलेह समन लेने से इंकार करे या मिलता न हो.

समन की पुश्त पर वक्त और तामील का तरीका लिखना चाहिये

तो तामील करने वाले अहलकार को लाजिम है कि असल समन की पुश्त पर या किसी परचा मुनसलका पर यह हाल खुद लिखे या किसी और से लिखवाय कि समन की तामील किस वक्त और किस तौर पर की गई, और नाम और पता उन शख्स का भी दरज करना चाहिये (अगर कोई शख्स हो) जिस ने उस शख्स की शनाख्त की हो जिस समन की तामील हुई और जिस ने यह भी देखा हो कि समन उस के हवाले या उस को दिया गया या किया गया

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ८१ से कायम की गई है—रपोर्ट तामील करने वाले अहलकार की होना चाहिये न कि नाजिर की (वीकली रपोर्ट जिल्द १२ सफा ३६५)

१९ जब कोई समन कायदा १७ के बमूजिब वापिस आये तो अदालत

तामील करने वाले का इजहार

को अगर वापसी मुताबिक कायदा मजकूर की तसदीक तामील करने वाले अहलकार के हलफ नामे से न हुई हो, लाजिम होगा, और अगर वापसी की तसदीक हस्ब मजकूर हुई हो तो अदालत का अख्त्यार होगा कि तामील करने वाले अहलकार को हलफ देकर हाल कार्रवाई का, जो उस ने किया हो, दरयाफ्त करे या हाल कार्रवाई मजकूर का दूसरी अदालत की मारफत दरयाफ्त कराये, और जायज है कि उस के बाबत तहकीकात मजीद जो उस की दानिस्त में मुनासिब हो अमल में लाये, और चाहे यह करार देगी कि सनम की तामील हस्ब जाब्ता हो गई या जिस तौर पर कि उस की दानिस्त में मुनासिब हो उस के तामील करने का हुक्म देगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ८२ के फिकरा एक से कायम किया गया है

जब वापसी बमूजिब कायदा १७ हुई हो, तो अदालत को यह करार देना लाजिम है कि आया समन की बाजाब्ता तामील हुई या नहीं—अगर अदालत यह करार दे कि तामील बाजाब्ता नहीं हुई, तो दूसरा समन जारी होने का हुक्म देगी और अगर अदालत की यह राय हो तो समन की तामील हुई, तो वैसा करार देगी—(इ ला रि बम्बई जिल्द १० सफा २०२)

समन की तामीली करार देने के पहिले अदालत को इस बात का इतमिनान होना चाहिये, कि मुद्दायलेह छिपता फिरता है, और समन की तामीली को बरकाता है—(कलकत्ता ला रि जि ८ सफा ३९७)—और अदालत को इस बात का भी इतमिनान होना चाहिये, कि मुद्दायलेह को इल्म है कि उस के नाम समन जारी

१. समन की नकल मुद्दायलेह या उसके मुख्तार या दीगर शख्स मजाज के हवाला करने से और पावती के दस्तखत लेने से (देखो कायदा १० से १६ तक वो १८),

२. समन की नकल मकान पर चिपकाने से—(देखो कायदा १७) मगर यह ख्याल रहे, कि पहले ऐसा चिपकाना **बगैर हुक्म अदालत होता** है, अदालत पीछे से तामील करने वाले अफसर का इजहार लेकर यह करार देती है, कि समन की तामीली बाजाब्ता हुई—(देखो कायदा १९).

३. **अदालत का हुक्म हासिल करने के बाद नकल**—नकल समन अदालत में चिपकाने से और मुद्दायलेह के मकान पर भी चिपकाने से या दीगर तौर से जैसा अदालत मुनासिब समझे (देखो कायदा २०).

अगर तामील करने वाला अफसर मुद्दायलेह के मकान पर जाकर मुद्दायलेह को न पावे मगर उसे उस का बालिग लड़का मिले, और लड़का मकान में हो, और बाप की तरफ से समन लेने से इंकार करता हो, तो ऐसी हालत में समन का मकान पर चिपकाना वाजिब न होगा—समन तामील करने वाले अफसर को चाहिये कि लड़के से दरयाफ्त करे, कि मुद्दायलेह कहां है, और मुद्दायलेह के तलाश करने के लिये, उसे मुनासिब वो माकूल कोशिश करना चाहिये—(इं ला रि बम्बई जिल्द ३० सफा ६२३)

अगर मुद्दायलेह पेशी के बाद हाजिर हो जाय, तो समन की बाजाब्ता तामील या गैर तामील का सवाल पैदा न होगा—ऐसा सवाल सिर्फ उस वक्त पैदा होता है, जब कि मुद्दायलेह हाजिर न हो; क्योंकि अदालत इकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकी जब तक यह साबित न हो, कि समन बाजाब्ता तामील हुवा था—(देखो आर्डर न ९ कायदा ६ (१)—अगर इकतरफा डिक्री में मुद्दायलेह अदालत का इतमीनान करदे, कि समन की तामील बाजाब्ता उस पर नहीं की गई, तो वैसी डिक्री मसूख की जायगी—(देखो आर्डर न ९ कायदा १३).

१८ कुल सूरतों में जब समन की तामील बमूजिब कायदा १६ के की जाय,

जब मुद्दायलेह बड़े घराने की वो इज्जतदार औरत हो, और समन की तामीली खुद उस की जात पर न हो सकी हो, तो ऐसी सूरत में समन की तामीली बजरिये तबदीली इस कायदा के माफिक उस के दीवान पर की जावे—(मूर्स इ अपील जिल्द २ सफा ६८)

२१ जब समन किसी अदालत की तरफ से जारी हो,तो जायज है कि जारी करने वाली अदालत उस को बजरिये डाक या अपने किसी अहलकार के हाथ किसी अदालत में [सिवाय हाई कोर्ट के] जिस के इलाके में मुद्दायलेह रहता हो भेजे, चाहे वह अदालत उस सूबे में वाके हो जहां जारी करने वाली अदालत हो या किसी दूसरे सूबे में

तामील जब मुद्दायलेह किसी दूसरे अदालत के इलाके में सकूनत रखता हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ८५ (१) से कायम किया गया है

देखो दफा २८ मजमूआ जाब्ता दीवानी—इस कायदा के रू से अदालत अपने अहलकार को बगरज तामील समन अपने इलाके के बाहर वो दीगर प्रांत में भेज सकती है, या डाक के जरिये समन भेजा जासकता है.

समन अदालत के नाम डाक से भेजा जावे, अगर मुद्दायलेह के नाम भेजा जावे, और वह लेने से इंकार करे, और लिफाफा "इंकारी" का लफ्ज लिख कर वापिस आजावे, तो, जब तक यह साबित न किया जाय, कि जिस को डाक वाले ने लिफाफा दिया, वह खुद मुद्दायलेह था, वैसी तामील बतौर जायज तामील न समझी जावेगी—(इ ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा ६०६).

अगर लिफाफा वापिस न आवे तो यह साबित करना चाहिये, कि वह लिफाफा मुद्दायलेह को मिला या वह उस वक्त उस मुकाम पर सकूनत रखता था, जहां समन भेजा गया—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २३ सफा ६६)

२२ जब कोई समन ऐसी अदालत से जारी हुआ हो जो शहर कलकत्ता और मदरास और बम्बई और रंगून के हद के बाहर मुकर्रर हो, और उस की तामील हदूद मजकूर के अन्दर करानी मंजूर हो, तो समन मजकूर उस अदालत मतालबेजात खफीफा में भेजा जायगा जिस के इलाके में समन मजकूर की तामील कराना मंजूर हो

शहर प्रेसीडेन्सी और रंगून के अंदर ऐसे समन की तामील जिन को बाहर की अदालत जारी करे

तशरीह:— यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ८६ से कायम किया

हुआ है—(अलाहाबाद वी. नो. जि ६ सफा ३५)—या यह कि खूब कोशिश वो तलाश करने पर मुद्दायलेह नहीं मिला—(इं. ला रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा ६०८).

जब मुद्दायलेह पर्दा नशीन औरत हो, यह मुल्क, के रिवाज के मुताबिक बाहर न निकलती हो और समन तामील करने वाले अहलकार की पहुंच उस तक न होती हो, और अहलकार समन को उस के मकान पर चिपका देवे, तो, गो ऐसी तामील हस्ब कायदा १७ वाजिब समझी जायेगी, ताहम अदालत हस्ब कायदा १९ यह हिदायत कर सकी है, कि समन की तामील बज़रिये रजिस्ट्री नोटिस की जावे, क्योंकि जब रजिस्ट्री उस पर्दा नशीन औरत के पास जायेगी, तो ज़रूर है कि वह उसे खोल कर देखेगी, और लिफाफा खुद उस के पास पहुचेगा—(कलकत्ता वी नो, जि. १९ सफा १२३१)—

तामील समन बज़रिये तबदीली,

२०. (१) जब कि अदालत को किसी वजह से यकीन हो जाय कि मुद्दायलेह इस गरज़ से कि समन की तामील उस पर न होने पाये, छिपता है, या किसी और वजह से समन की तामील मामूली तौर से नहीं हो सकी है, तो अदालत यह हुक्म देगी कि बज़रिये चिपकाने एक परत समन के किसी ऐसी जगह पर जहां सब कोई देख सके और नीज़ मुद्दायलेह के उस मकान के आम नजरगाह पर (अगर कोई ऐसा मकान हो) जिस में आखीर मरतबा उस का रहना या कारोबार करना या मुनाफा हासिल करने के लिये बज़ात खास काम करना मालुम हुआ हो या किसी और तौर से जो अदालत को मुनासिब मालुम हो, समन की तामील की जाय

बदली हुई तामील का असर,

(२) समन की तामील उस तरीके पर जो बजाय तरीका मामूली के अदालत के हुक्म से की जाय उसी तरह असर रखेगी कि मानो समन की तामील मुद्दायलेह पर असालतन की गई थी

जब तामील बज़रिये तबदील के हो तो मुकर्ररी मियाद हाज़री मुद्दायलेह

(३) समन की तामील किसी और तरीके से बमूजिब हुक्म अदालत के की जाय तो अदालत मुद्दायलेह की हाजरी के लिये उस कदर मियाद मुकर्रर करेगी जो उस सूरत के हालत के नज़र से मुनासिब मालूम हो

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ८२ के फिकरा २ वो दफा ८३ वो ८४ से क़ायम किया गया है

जहल में मुदायलेह पर तामील — और किसी तरीके से अफसर इनचार्ज जहल खाना के पास मुदायलेह पर तामील कराने के लिये भेजा जाय

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ८७ वो ८८ से कायम किया गया है

२५ अगर मुदायलेह ब्रिटिश इंडिया के बाहर रहता हो और ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कोई एजन्ट न रखता हो जो समन लेने का मजाज हो, तो समन मुदायलेह के पास उस मुकाम के पते से जहा वह सकूनत रखता है बजरिये डाक भेजा जायगा, अगर उस के मुकाम से उस मुकाम तक जहां अदालत वाके हो डाक जारी हो

तामील जब मुदायलेह ब्रिटिश इंडिया के बाहर रहता हो और ब्रिटिश इंडिया में कोई एजन्ट न रखता हो

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ८९ से कायम किया गया है

समन जरिये डाक उस मुकाम पर नहीं भेजा जा सक्ता जहा के लिये मोहकमा डाक में खत रजिस्ट्री नहीं भेजा जाता (२ बंगाल ला रिपोर्ट अपील दीवानी सफा ५९ समन जरिये डाक रजिस्ट्री करके भेजना चाहिये (१५ वीक्ली रिपोर्ट सफा २१).

कोई शख्स जिस ने रजिस्टरी शुदा खत लेने से इन्कार किया तो वह बाद को इस बात की ला इलमी नही बयान कर सक्ता कि उस में क्या था (१६ वीक्ली रिपोर्ट २२३).

जब कि कोई समन इस मुद्दायलेह के पास जो ब्रिटिश इंडिया के बाहर रहता है, जरिये डाक भेजा जावे, और दर सूरत न मौजूद होने कोई शहादत इस अमर के कि वह शख्स जिस पर तामील समन होना थी उस मुकाम पर रहता था जहा समन भेजा गया, तो वह शहादत काफी तामील, यह बतलाने के लिये कि समन भेजा गया, नहीं है मगर कुछ शहादत इस अमर की होना चाहिये कि उसको मुद्दायलेह ने पा लिया (३ ला रि. अलाहाबाद जि० २१ सफा ९९).

यह कायदा दफा ३७ एक्ट जिमन आम नम्बर १० सन १८९७ ई० के साथ पढ़ा जावे डाक से भेजना उस वक्त समझा जावेगा, जब कि लिफाफे में पूरा २ पता लिखा जावे, और पहले से टिकट लगा कर भेजा

गया है.

२३. जिस अदालत में समन कायदा २१ या कायदा २२ के रू से भेजा जाय वह उस के पहुंचने पर उसी तरह कार्रवाई करेगी मानो खुद उस ने समन जारी किया था, बाद को उस समन को उस कार्रवाई के साथ जो उस के ताल्लुक में की गई हो (अगर कुछ कार्रवाई हुई हो) जारी करने वाली अदालत के पास भेज देगी.

जिस अदालत में समन भेजा जाय उस का काम

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ८५ (२) से कायम किया गया है.

जब कि समन एक अदालत से जारी किया जाय और दूसरे अदालत में तामील के लिये भेजा जाय तो उस में जारी करने वाली अदालत का यह तसफिया करना काम है, कि तामील उस की बखूबी हुई या नहीं, (इ. ला. रि. कलकत्ता जि० २२ सफा ८८९).

जब तामील करने वाली अदालत समन को जारी करने वाली अदालत के पास इस रिपोर्ट के साथ वापिस करे, कि समन की बाजाब्ता तामील की गई, तो कयास यह किया जायगा कि तामील जायज थी (इ. ला. रि बम्बई जि० १० सफा २०२)—इसी तरह अगर तामील करने वाली अदालत समन को इस रिपोर्ट के साथ जारी करने वाली अदालत के पास वापिस करे, कि समन की तामील बाजाब्ता नहीं की गई, तो यह कयास किया जायगा, कि तामील बाजाब्ता नहीं की गई—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३२ सफा ६४९)—मगर हाई कोर्ट कलकत्ता की यह राय है कि जारी करने वाली अदालत ऐसे जायज या गैर जायज तामील के कयास पर नहीं चलेगी उस को खुद इस बात का तसफिया करना चाहिये कि तामील जायज थी या गैर जायज—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि० २२ सफा ८८९)—लेकिन इस राय से हाई कोर्ट अलाहाबाद ने इख्तलाफ किया—हाई कोर्ट अलाहाबाद की यह राय है कि बलिहाज कायदा १९ जारी करने वाली अदालत तामील करने वाली अदालत की रिपोर्ट को मान कर समन की तामील बाजाब्ता या गैर जाब्ता जैसी रिपोर्ट हो, कयास करेगी—(इ. ला रि. अलाहाबाद जि० ३२ सफा ६४९)

२४. अगर मुदायलेह जहल में कैद हो तो समन डाक के जरिये से या

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ९० से कायम हुआ है.

तामील सिविल अफसर सरकारी या मुलाजिम रेलवे या मुलाजिम हुक्काम मुकामी पर

२७ अगर मुदायलेह अफसर सरकारी हो (मगर मलिक मोअज्जम की फौज खुश्की या समुन्दरी या इन्डिया मरीन सरविस से ताल्लुक न रखता हो) या किसी रेलवे कम्पनी या हुक्काम मुकामी का मुलाजिम हो तो अदालत मुदायलेह पर समन तामील होने के लिये उस दफ्तर के अफसर के पास भेजेगी जिस में कि मुदायलेह मुलाजिम हो, अगर अदालत ऐसा करने में सहूलियत मालूम हो और समन की एक नकल मुदायलेह के रख लेने के वास्ते उस के साथ भेजी जायगी

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४२२ से कायम हुआ है

तामील सिपाही पर

२८ जब मुदायलेह फौजी सिपाही हो तो अदालत समन मय एक नकल वास्ते रख लेने मुदायलेह के उस के कमान अफसर के पास भेजेगी

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४६८ से कायम हुआ है

उस शख्स का काम जिस के हवाले समन तामील के लिये किया जाय

२९ (१) जब समन कायदा २४ कायदा २७ या कायदा २८ के रू से तामील के लिये किसी शख्स के हवाले किया जाय या उस के पास डाक के जरिये से भेजा जाय तो उस को लाजिम होगा कि, अगर मुमकिन हो, उस को तामील कराय, और अपने दस्तखत करने के बाद और मुदायलेह की रसीद लिखवा के उस को वापिस करे और उस का दस्तखत, ठीक तामील का सबूत समझा जायगा

(२) अगर किसी वजह से तामील मुमकिन न हो तो समन अदालत में मय पूरी कैफियत वजह अदम तामील और उन तदबीर के जो उस की तामील करने के लिये की गई, वापस भेजा जायगा—और यह कैफियत समन की अदम तामील का सबूत तसव्वुर होगी

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा, ८७, ८८, वो ४६८ से से कायम हुआ है

तामील समन की कमान अफसर को करना चाहिये (इ ला. रि १० मदरास सफा ३१९)—गो मुदायलेह एक्ट आरमी सन १८८२ के दफा १४४ के रिआयत का मुस्तहक है (इ ला. रि मदरास जिल्द ११ सफा ४७५)

समन के बदले खत

३० (१) अदालत को अख्त्यार है कि बवजूद किसी इबारत जिस का जिकर पहले की दफाओं में किया गया है, समन के

जावे (बैरंग न भेजा जावे) और रजिस्ट्री करके भेजा जावे—एक समन इसी तरह बजरिये रजिस्टरी पूरा पता लिख कर और टिकट लगा कर मुद्दायलेह के नाम डाक मे भेजा गया, मगर लिफाफा इंकार हो कर वापिस आया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि तामील समन काफी थी—(देखो दफा २७ एक्ट आम जिमन न १० सन १८९७ ई० वो इ. ला रि. बम्बई जि० ३५ सफा २१२)

पहले यानी ११ मार्च सन १८९७ के पहले इकारी रजिस्टरी वापिस आने से यह समझा जाता था, कि समन की तामील काफी नहीं हुई मगर अब तारीख ११ मार्च सन १८९७ ई के बाद वैसे इकार का कुछ असर नहीं होता, क्योंकि एक्ट आम जिमन तारीख ११ मार्च सन १८९७ ई. को अमल में आया —

२९ जब —
तामील रियासतों में मारफत पोलिटिकल ऐजन्ट या अदालत के

(क) अखत्यारात मुल्क गैर की तामील में, जो मालिक मोअज्जम या नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल को हासिल है, कोई पोलिटिकल ऐजन्ट मुकर्रर हुआ हो या कोई अदालत मुकर्रर हुई या कायम रखी गई हो, और उसे अखत्यार ऐसे समन के तामील के हों, जिस को किसी अदालत ने इस मजमूआ के रू से किसी रियासत गैर में जहां मुद्दायलेह रहता हो जारी किया हो, या,

(ख) जब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल ने गजट आफ इंडिया में यह करार दे दिया हो कि समन मजकूर की तामील बतौर जायज तामील के समझी जावे जो ऐसी अदालत वाक रियासत मजकूर के जरिये से की जाय, जो मुल्क गैर के अखत्यार के रू से मुकर्रर न हुई हो और न कायम रखी गई हो

तो समन मुद्दायलेह पर तामील होने की गरज से पोलिटिकल ऐजन्ट के पास, या अदालत में डाक के जरिये, या और तरह पर भेजा जाय—और अगर पोलिटिकल ऐजन्ट या अदालत समन को उस के पीठ पर इबारत दस्तखती पोलिटिकल ऐजन्ट मजकूर या जज या दीगर अफसर अदालत के वापिस करे कि समन की तामील मुकर्ररा तरीका से मुद्दायलेह पर कर दी गई तो वह इबारत, जो पीठ पर लिखी गई है, समन की तामील की शहादत समझी जायगी,

आर्डर—६.

प्लीडिंग याने बयानात आम तौर से.

१ प्लीडिंग से अरजीदावा या बयान तहरीरी मुराद है

प्लीडिंग

तशरीहः— यह कायदा नया है—आर्डर ७ वो कायदा न. १ वो आर्डर ८ के कायदा दो में वे बातें बतलाई गई हैं, जो अरजीदावी, और बयान तहरीरी में होना चाहिये.

मुद्दई का अरजीदावा मुद्दई का प्लीडिंग कहलाता है, [आर्डर न. ७]—मुद्दायलेह का जवाबदावा मुद्दायलेह का प्लीडिंग कहलाता है (आर्डर न ८)—चंद सूरतों में मुद्दई अदालत की इजाजत लेकर बयान तहरीरी पेश करता है, या अदालत उस से बयान तहरीरी पेश करा सक्ती है—ऐसी सूरतों में मुद्दायलेह भी अदालत की इजाजत लेकर अपना दूसरा जवाबदावा पहले जवाबदावे के सिवायें पेश कर सक्ता है—(आर्डर न ८ कायदा ९)

२ हर। प्लीडिंग में सिर्फ एक मुख्तसिर बयान उन वाकेआत जरूरी का दरज होना चाहिये जिन पर फरीक अपने दावा या जवाब देही के वास्ते जैसी सूरत होवे, भरोसा करना चाहता हो, लेकिन उस में वह शहादत दर्ज न होगी जिस्के जरिये से वे वाकेआत साबित किये जावें और अगर जरूरत होवे तो प्लीडिंग मजकूर फिकरों में तकसीम किया जावेगा जिन पर सिलसिलेवार नम्बर पडना चाहिये और तारीख और रकम और नम्बर हिंदसों लिखना चाहिये

प्लीडिंग में वाकेआत जरूरी मुकदमा जाहिर होना चाहिये और उन में सबूत दाखिल नहीं है

तशरीह—यह कायदा नया कायम किया गया है

प्लीडिंग में वाकेआत दरज होना चाहिये न कि कानून और ऐसे वाकेआत लिखे जावें जो मुकदमा के लिये जरूरी समझे जावें, कानूनी बहेस और वजूहात कामयाबी मुकदमा तहरीरी बयान में लिखना मुनासिब नहीं है.

जरूरी वाकेआत—इस बात का तसफिया कि जरूरी वाकेआत कौन

बदले एक खत, जिस पर जज के या किसी और ओहदेदार के दस्तखत हो जिस को जज ने उस काम के लिये मुकर्रर किया हो, मुदायलेह के नाम भेजे जब उस का रुतबा अदालत की समझ में ऐसे मरतबे के लायक हो.

(२) उस खत में, जो जिमन [१] की रू से समन के बदले भेजा जाय, वह तमाम अमूरात दरज होंगे जो समन में दरज होना चाहिये, और जिमन [३] में दरज किये हुए अहकाम को बचाकर वह कुल सूरतों में बतौर समन समझा जायगा

(३) जो खत समन के बदले भेजा जाय, चाहे डाक के जरिये से या मारफत कासिद (खबर ले जाने वाले) खास जिसे अदालत मुन्तखिब करे [चुने] या और किसी तरीके से जो अदालत के नजदीक मुनासिब हो, मुदायलेह के पास भेजा जायगा—और जब कि मुदायलेह ऐसा कोई एजन्ट रखता हो जो समन लेने का मजाज हो तो वह खत उस एजन्ट के हवाले किया जाय या बजरिये डाक उस के पास भेजा जाय

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ९१ वो ९२ से कायम हुआ है

खास दूत हुक्मनामा दीवानी की तामील रियासत गैर में करने के लिये, नहीं भेजा जा सक्ता—(बी. रि जिल्द १० सफा ३४९)

४ कुल सूरतों में जिन में प्लीडिंग पेश करने वाला फरीक किसी गलत बयानी या फरेब या धोका देना या जान बूझ कर चूकी करना या दबाव नाजायज के उजरात पर भरोसा करे और कुल दीगर सूरतों में जिन में नमूने मजकूर में दरज की हुई बातों के सिवाय और बातों का भी लिखना जरूरी हो तो ऐसी दूसरी बातें भी (मय तारीख और रकम के अगर जरूरत हो) प्लीडिंग में दरज होना चाहिये

दूसरी जरूरी बातें भी जहां जरूर हो दरज का जा सक्ती है

तशरीह:—यह कायदा नया है और इस गरज से यह कायदा कायम किया गया है कि अदालत को साफ तौर पर इस अमर की इत्तला मिल जावे कि फरीक का मुकदमा किस किस्म का है और फरीक सानी को भी मालूम हो जावे कि उसे कौन से मुकदमा की जवाब देही करना पडेगा

जब कि एक आम हिसाब को दावा किया गया है तो उन रकमों की तफसील जिन को मुद्दई कहता है कि मुद्दायलेह ने अपने काम में ले आया बतलाना जरूर नहीं है (इ. ला रि कलकत्ता जि० ७ सफा १६६).

नालिश हरजाना निसबत पहुचाने जरर में किस्म जरर यानी नुकसानी चाहिये (१३ वीक्ली रिपोर्ट सफा २४८).

प्लीडिंग जिस में फरेब का इलजाम लगाया जाय उस में आम बयान होना चाहिये, अलफाज कितने ही सख्त हों उस पर लेहाज नहीं हो सक्ता (इ ला रि कलकत्ता जिल्द १५ सफा ५३३ प्रीवी कौंसिल).

गलत बयानी:—सच्चे हालात और वाकेआत का फरीक सानी को न जाहिर करना, बयान फरीक में यह लिखा जाना चाहिये कि किस ने व कब व किस जगह वो किस को ऐसा गलत बयान किया और यह भी कि आया वैसी गलत बयानी तहरीरी थी, या जबानी

फरेब—यह एक आम लफ्ज है जिस का मतलब हर कोई समझ सक्ता है—उस लफ्ज की कानूनी तारीफ के वास्ते एक्ट माहदा की दफा १७ को देखो—धोखा यानी जब कोई शख्स किसी दूसरे आदमी की इमान्दारी पर एतबार वो भरोसा रखता हो और यह आदमी किसी मामले में धोका देदेवे जिस से भरोसा रखने वाले शख्स को नुकसान पहुंचे

चूकी करना.—यानी जब कोई शख्स किसी काम के करने का बोझा अपने सिर पर लेवे या मुकर्रर वक्त पर कोई काम करने या रुपया की अदाई करने

कौन से समझे जावें, हर एक मुकदमें के हालत पर लेहाज करके होना चाहिये-- कोई आम कायदा इस बारे में मुकर्रर नहीं किया जा सक्ता है--लेहाज इस अमर पर रखना चाहिये कि हर एक वाकेआत जो किसी फरीक के मुकदमा जीतने के वास्ते जरूरी मालूम पड़े वह साफ तौर पर बयान करना चाहिये---अर्जी दावी से दावी की बुनयाद अच्छी तरह जाहिर होना चाहिये, और बयान तहरीरी से मुद्दायलेह के उजरात साफ तौर पर समझ में आना चाहिये--जब कोई फरीक किसी माहदा यानी ठहराव के मौजूद होने से इंकार करना चाहे और कानून की रू से उसका नाजायज होना भी बयान करता है तो उसे अपने बयान में यह लिखना लाजमी होगा कि वह माहदा किस सबब से नाजायज है

फरीक का मुख्तसिर बयान साफ और खुलासावार होना चाहिये, बहुत लम्बा चौड़ा न होना चाहिये, वरना अदालत उसकी वापसी या नामंजूरी का हुक्म दे सक्ती है

आर्डर न. ६ में प्लीडिंग का जिकर है, आर्डर न. ७ में अरजीदावा का वो आर्डर न ८ में बयान तहरीरी वो जवाबदावा का---

इस कायदा में प्लीडिंग की निस्बत बताया गया है कि नीचे लिखी चार बातें जरूरी है---

(१) हर प्लीडिंग में वाकेआत का न कि कानून का जिक्र होना चाहिये,

(२) उसमें जरूरी वाकेआत को सिर्फ जरूरी वाकेआत का जिक्र होना चाहिये

(३) उसमें सिर्फ ऐसे वाकेआत का जिक्र होना चाहिये जिन पर फरीक अपने दावा या जवाब देही का भरोसा रखता है सबूती की शहादत का जिकर नहीं होना चाहिये.

(४) वाकेआत का बयान मुख्तसिर होना चाहिये,

२ यह नमूना जो जमीमा (क) में दरज है अगर लागू हो, और अगर लागू न हो तो दूसरे नमूने करीब २ उसी तरह के प्लीडिंग के वास्ते काम में लाये जाना चाहिये

प्लीडिंग के नमूने

तशरीह---यह कायदा नया है--बयान तहरीरी या अरजीदावी का मजमून लिखते वक्त वे कुल नमूने देखना चाहिये जो इस दफा में लिखे हुऐ जमीमा में दर्ज है.

४ कुल सूरतों में जिन में प्लीडिंग पेश करने वाला फरीक किसी गलत बयानी या फरेब या धोका देना या जान बूझ कर चूकी करना या दबाव नाजायज के उजरात पर भरोसा करे और कुल दीगर सूरतों में जिन में नमूने मजकूर में दरज की हुई बातों के सिवाय और बातों का भी लिखना जरूरी हो तो ऐसी दूसरी बातें भी (मय तारीख और रकम के अगर जरूरत हो) प्लीडिंग में दरज होना चाहिये

दूसरी जरूरी बातें भी जहां जरूर हो दरज का जा सकी हैं

तशरीह:—यह कायदा नया है और इस गरज से यह कायदा कायम किया गया है कि अदालत को साफ तौर पर इस अमर की इत्तला मिल जावे कि फरीक का मुकदमा किस किस्म का है और फरीक सानी को भी मालूम हो जावे कि उसे कौन से मुकदमा की जवाब देही करना पड़ेगा.

जब कि एक आम हिसाब को दावा किया गया है तो उन रकमों की तफसील जिन को मुद्दई कहता है कि मुद्दायलेह ने अपने काम में ले आया बतलाना जरूर नहीं है (इ ला रि कलकत्ता जि० ७ सफा १९९).

नालिश हरजाना निसबत पहुचाने जरर में किस्म जरर यानी नुकसानी चाहिये (१३ वीक्ली रिपोर्ट सफा २४८).

प्लीडिंग जिस में फरेब का इलजाम लगाया जाय उस में आम बयान होना चाहिये, अलफाज कितने ही सख्त हों उस पर लेहाज नहीं हो सक्ता (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १५ सफा ५२३ प्रीवी कौंसिल).

गलत बयानी.—सचे हालात और वाकेआत का फरीक सानी को न जाहिर करना, बयान फरीक में यह लिखा जाना चाहिये कि किस ने व कब व किस जगह पे किस को ऐसा गलत बयान किया और यह भी कि आया वैसी गलत बयानी तहरीरी थी, या जबानी.

फरेब—यह एक आम लफ्ज है जिस का मतलब हर कोई समझ सक्ता है—उस लफ्ज की कानूनी तारीफ के वास्ते एक्ट माहदा की दफा १७ को देखो—धोखा यानी जब कोई शख्स किसी दूसरे आदमी की इमानदारी पर एतबार वो भरोसा रखता हो और वह आदमी किसी मामले में धोका देदेवे जिस से भरोसा रखने वाले शख्स को नुकसान पहुचे

चूकी करना—यानी जब कोई शख्स किसी काम के करने का बोझा अपने सिर पर लेवे या मुकर्रर वक्त पर कोई काम करने या रूपया की अदाई करने

उस के लाजिम होगा कि कुल शरायत मुकदम की तामील और वकू का एक बयान, जो मुद्दई या मुद्दायलेह के मुकदमा में जरूरी हों, उस की प्लीडिंग से समझा जाय

तशरीह.—यह कायदा नया कायम किया गया है

(अ) ठेके दार ने (ब) का मकान बनाने का ठेका लिया, और इकरारनामा लिखा इकरारनामा में एक शर्त यह थी, कि ठेकेदार को दाम (ब) के ओवर-सियर के तसदीक पर मिलेगा, यानी, जब ओवर सीयर यह तसदीक कर दे कि ठेकेदार ने इतना काम किया, वो इतना पैसा मिलना वाजिब है, तब उतने काम का पैसा मिलेगा ठेकेदार ने मकान पूरा बनाने पर पैसा मागा—(ब) ने पैसा देने से इकार किया—ठेकेदार ने (ब) पर ५०००) रूपये की नालिश दायर किया—ऐसी नालिश में ओवर सियर की तसदीक बतौर शर्त मुकदम की समझी जावेगी, और उस शर्त को साफ तौर पर अरजीदावा में बतलाना जरूर नहीं है, वैसी शर्त का मतलब प्लीडिंग से निकलेगा अगर मुद्दायलेह वैसी शर्त की तामील पर अपनी जवाब देही करना चाहता है तो उसे चाहिये कि वह वैसी शर्त का उजर अपने जवाबदावा में तहरीर करे, और यह लिखे कि ओवर सियर ने तसदीक नहीं किया है अगर मुद्दायलेह वैसा उजर अपने जवाबदावा में न करे, तो यह क्यास किया जायगा, कि शर्त की तामील हो चुकी है—अगर मुद्दायलेह यह उजर करे कि शर्त की तामील नहीं हुई तो तामील शर्त की सबूती का बोझा जिम्मे ठेकेदार, यानी, मुद्दई होगा

७ सिवाय बतौर तरमीम के, किसी प्लीडिंग में कोई नया बिनाय फर्क करना दावी दर्ज नहीं किया जायगा, और न उस में कोई अमर वाकेआ, जो फरीक प्लीडिंग के साबिक प्लीडिंग के खिलाफ हो, बयान किया जायगा

तशरीह —यह कायदा नया है—इस कायदा के रू से किसी फरीक मुकदमा को अपने पहले बयान के बरखिलाफ कोई नया उजर पेश करने की इजाजत न दी जावेगी सिवाय उस सूरत में कि जब फरीक मजकूर अदालत की इजाजत से अपने पहले बयान को तरमीम करावे

मुद्दई पहले अपना अरजीदावा पेश करता है, उस पर मुद्दायलेह अपना जवाबदावा पेश करता है, इस के बाद मुद्दई या मुद्दायलेह बहुत कम अपने

तहरीरी बयान पेश करते हैं—अगर अदालत की इजाजत से वह ऐसा बयान दुबारा पेश करे (देखो आर्डर न. ८ कायदा ९) —तो ऐसे बयान में कोई बात खिलाफ पहले अरजीदावा या जवाबदावा के न होना चाहिये.

माहदे के इंकारी

८ जब किसी प्लीडिंग में किसी माहदा का बयान दर्ज हो, और फरीक सानी की तरफ से उस के निस्वत सिर्फ इंकार किया जाय, तो वैसी इंकारी दरअसल बयान किये हुए साफ माहदा या उन अमूरात वाकेआती के निस्वत समझी जायगी जिन से वह माहदा जाहिर होता है, और न कि माहदा मजकूर के जायज या नुक्स कानूनी के बारे में

तशरीह:—यह कायदा नया कायम किया गया है—अगर कोई फरीक यह उजर पेश करे कि कानून की मनशा के मुताबिक माहदा यानी ठहराव जिस पर फरीकसानी जोर देता है नाजायज वो गैर काफी है तो ऐसा उजर सफाई के साथ अदालत में पेश करना चाहिये. किसी माहदा का सिर्फ इंकार करना एक वाकेआती समझा जायगा।

अगर माहदा खिलाफ कानून या रद्दी होवे, तो उस की निस्बत उजर प्लीडिंग में साफ तौर से करना चाहिये, सिर्फ माहदे से इकार करना काफी न होगा—अगर वैसा उजर साफ तौर पर न किया जाय, तो तजवीज के वक्त उस के निस्वत शहादत नली जायगी—मसलन, (अ) ने (ब) पर एक माहदा के रू से नालिश किया—(ब) ने, अपने जवाबदावा में उस माहदा से सिर्फ इंकार किया, तो ऐसी इंकारी से यह मतलब समझा जायगा, कि दरअसल कोई ठहराव नहीं हुवा था—उस इकारी से यह मतलब न निकाला जायगा, कि वैसा ठहराव नाजायज था —नतीजा यह होगा, कि अगर [अ] ने वैसा माहदा साबित किया, तो फिर [ब] को पेशी के वक्त यह उजर करने की इजाजत न मिल सकेगी, कि वह उस माहदे को बतौर सट्टा या फाटका बतला कर उसे रद्दी करार देवे—उसे चाहिये था, कि वह उस की निस्बत पहिले पहल अपने जवाबदावा में यह उजर साफ तौर पर करता, कि वह फाटका है—लेकिन अगर कोई माहदा खिलाफ कानुन या नाजायज हो, और गो मुदायलेह उस की निस्बत उजर करे, या न करे, ताहम अदालत की तरफ से वैसे माहदा की तामील नहीं कराई जा सकेगी (कुईंस बेंच जिल्द २ ५ ...

९ जब किसी दस्ता ... जरूरी मुकदमा

अमर दस्तावेज का बयान किया जायगा

के हो, तो यह काफी होगा कि किसी प्लीडिंग में, जहां तक मुमकिन हो, मुख्तसिर तौर पर बगैर बयान करने कुल या मजमून मजकूर के, सिर्फ उस मजमून का असर बयान किया जाय [illegible] उस सूरत में कि जब दस्तावेज या उस के किसी जुज के [illegible] अमर मुकदमा हो

तशरीह —यह कायदा नया कायम किया गया है.

इस कायदा का मतलब यह है, कि दस्तावेज [illegible] प्लीडिंग में बयान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस [illegible] किया जावे—हतक इज्जत की नालिश में वह ठीक [illegible] जाहर होती हो बयान करना चाहिये.

अदालत इल्म वगैरा

१० जब किसी शख्स की अदावत या फरेब [illegible] या उस के दिल की [illegible] तो सिर्फ अदावत या फरेब मिला हुआ [illegible] के बयान कर देना काफी होगा बगैर बयान करने [illegible] मतलब निकल सकता हो

तशरीह —यह कायदा नया [illegible] है

यह कायदा और कायदा ११ [illegible] से, निस्बत इस अमर के, कि [illegible] किये जायगे प्लीडिंग में नहीं [illegible]

अदावत—जब [illegible] दावीदार हो जायगा यानी [illegible] होने की वजह से [illegible] जब मुद्दायलेह का [illegible] एक तीसरे शख्स [illegible] में अदावत [illegible] नजीर जिल्द [illegible]

इल्म—[illegible] उसे [illegible] करने [illegible]

[illegible] में [illegible] से

करना चाहिये, कि मालिक को जोखम का इल्म था और नौकर को वैसा इल्म न था—(कुईंस बेंच डिवीजन जिल्द १३ सफा २९६).

इसी तरह कुत्ते के काटने से हरजाना की नालिश में मुद्दई को यह बयान वो सबूत करना चाहिये, कि मुद्दायलेह को यह इल्म था, कि उस के कुत्ते ने मुद्दई को काटने के पहले किसी दूसरे शख्स को भी काटा था या काटने का इकदाम (प्रयत्न) किया था—(कुईंस बेंच जिल्द २ सफा १०१)

११ जब यह जाहिर करना जरूरी हो कि किसी अमर वाकेआ या चीज के निसबत किसी शख्स को नोटिस दिया गया, तो उस नोटिस को बतौर यह अमर वाकेआ के बयान करना काफी होगा, तावक्ते कि उस नोटिस का फार्म या उस की ठीक शरायत या वे हालात जिन में वह नोटिस समझा जा सक्ता हो अमूर जरूरी मुकदमा न हों

नोटिस

तशरीह:—यह कायदा नया कायम किया गया है

नोटिस यानी इत्तला के बारे में अहकामात एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ३ में वो एक्ट अमानत की दफा ३ में और कानून माहदा की दफा २२१ में दर्ज हैं.

अदालत किसी फरीक को बयान करने का हुक्म दे सक्ती है कि नोटिस किस तरह कब किसी शख्स को मिला था; माहदा यानी ठहराव की खास तामील का पाने की नालिश में नोटिस दिये जाने का बयान दर्ज करना जरूर है उस हालत में कि जब कोई एक दूसरा मुन्तकिल अलेह जायदाद का मुद्दायलेह बनाया गया हो

जब नोटिस बिनाय मुखासमत का जुज होवे, तो वह बतौर वाकेआ के बयान किया जावे, मसलन, सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया नालिश रुजू करने का नोटिस (दफा ८०), या रेलवे कम्पनी पर या म्यूनेसिपालटी पर नालिश चलाने का नोटिस या हुन्डी न सिकारने का नोटिस या काश्तकार को जमीन छोड़ने का नोटिस, वगैरा—नोटिस का पूरा मजमून लफ्ज व लफ्ज अरजीदावा में लिखना जरूर नहीं है.

१२ जब कोई माहदा या कोई ताल्लुक दरम्यान किसी शख्सों के खतों के सिलसिले, या बात चीत या कई हालतों से दीगर तौर से समझे जाने का मतलब हो, तो ऐसे माहदा या ताल्लुक मजकूर को बतौर एक वाकेआ के बयान करना, और ऐसे खतों या बात चीत या हालतों का, बगैर तफसील देने के, आम तौर से जिकर करना काफी होगा—और

मानवी महादा या ताल्लुक

अगर ऐसी सूरत में उस शख्स को जो बयान करे, बजाय माहदा या ताल्लुक के जियादा माहदों और ताल्लुकों पर भरोसा करना मन्जूर हो, जो हालात मजकूर से समझा जाये तो उस को अख्त्यार होगा कि उन्हें ऐवजन (बदले में) बयान करे

तशरीह —यह कायदा नया कायम किया गया है

माहदा दस्तावेज के रू से जाहर हो सक्ता है, ऐसा माहदा सरीह (साफ) माहदा कहलायगा, सो कायदा ६ के माफिक उस का असर बयान करना चाहिये, अगर माहदा सरीह न हो, बलकि उस का मतलब चिट्ठी पत्री से या बात चीत से या दीगर हालतों से निकले तो इस यानी कायदा १२ के माफिक वैसे माहदा को बतौर अमर वाकेआ के चिट्ठी पत्री या बात चीत या दीगर हालतों का सिर्फ हवाला देकर, तफसील न देकर, बयान करना चाहिये कभी २ माहदा का मसौदा बन कर तैयार हो जाता है, मगर, पक्के कागज पर वह लिखा नहीं जाता है, और फरीकैन उस माहदा के रू से आपस में बरताव करते हैं, तो ऐसी हालत में फरीकैन वैसे माहदा के पावन्द हो सक्ते हैं–(अपील केसेस जि. २ सफा ६६६)

१३ यह जरूर नहीं है कि कोई फरीक किसी प्लीडिंग में वह अमर वाकेआ जाहिर करे जिस्का कियास कानून के रू से उस के हक में हो सकता है, या जिस्का बार सबूत फरीक सानी पर हो—सिवाय उस सूरत में कि जब उस की तरफ से पहलेही खास तौर से इन्कार किया गया हो (मसलन, मावजा बाबत बिल आफ एक्सचेंज के जब कि मुद्दई सिर्फ ऐसे बिल आफ एक्सचेंज की बिना पर नालिश करे और न कि वास्ते मावजा बतौर बिनाय दावी असली के)

कानून का कियास

तशरीह.—यह कायदा नया कायम किया गया है.

जब मुद्दई हुन्डी की निस्बत नालिश करे, तो अरजीदावा में हुन्डी के बदल का लिखना जरूर नहीं है, क्योंकि हुन्डी का बदल अदालत उसके हक में कयास करेगी (देखो दफा ११८ एक्ट दस्तावेजात काबिल मुन्तकिली न २६ सन १८८१)—हुन्डी बिला बदल की थी, यह साबित करना जिम्मे मुदायलेह होगा—

१४ हर प्लीडिंग पर फरीक और उस्का वकील (अगर कोई वकील हो) दस्तखत करेगा मगर शर्त यह है कि जब प्लीडिंग करने वाला फरीक गैर हाजरी की वजह से या और किसी माकूल सबब से

प्लीडिंग पर दस्तखत होंगे

प्लीडिंग पर दस्तखत नहीं कर सके, तो वह शख्स उस पर दस्तखत करेगा जो उसकी तरफ से प्लीडिंग मजकूर पर दस्तखत करने या नालिश या जवाब देही करने के वास्ते बाजाप्ता मजाज करार दिया गया हो

तशरीहः—यह कायदा उन मामलात से लागू नहीं है जो आर्डर २६ के कायदा १ में आते हैं (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २१ सफा ६० प्रीवी कौंसिल)

इस कायदे के बमूजिब यह बात जरूरी है कि दस्तखत होने के पेश्तर अरजीदावा मौजूद रहना चाहिये (इ. ला. रि. अलाहाबाद जि १५ सफा ६०).

सिर्फ इस अमर से, कि अरजीदावा पर उस मुद्दई के दस्तखत नहीं है जिसका नाम उस में दरज है या उस शख्स के जिस को उसने इस बारे में अखत्यार दिया हो, अरजीदावा पूर तौर से नाजायज नहीं है, यह उजर मुद्दायलेह छोड़ सक्ता है या अगर जरूरत हो तो मुकदमें के किसी नौबत पर जरिये तरमीम अरजीदावी दुरुस्त करा लिया जा सक्ता है (इ ला. रि अलाहाबाद जि० २२ सफा ५५)

ऐसा कोई क़ायदा नहीं है जिसमें यह हुक्म हो कि वह शख्स जिसका नाम मुद्दईयों में दर्ज न हो जब तक कि वह अरजीदावा पर दस्तखत न करे, मुद्दई तसव्वर नहीं हो सक्ता है (इ. ला. रि कलकत्ता जि० १७ सफा ५८२ प्रीवी कौंसिल)

अरजीदावा न लिखना ऐसा नुक्स नहीं समझा जावेगा, कि जिस से रूईदाद मुकदमा या अखत्यार अदालत पर असर पड़े—अदालत अपील अदालत मातहत की डिक्री पर सिर्फ वैसे नुक्स की वजह से दस्तनदाजी न करेगी (इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० २२ सफा ५५)—देखो दफा ६६.

तसदीक प्लीडिंग की

१५ [१] खास सूरतों को छोड़ कर हर प्लीडिंग के नीचे फरीक, या मिनजुमला फरीकैन प्लीडिंग करने वाले के एक फरीक या कोई और शख्स जिस का मुकदमे के वाकेआत से वाकिफ होना अदालत के इतमीनान के मुवाफिक साबित हुआ हो, उस को तसदीक करेगा।

[२] तस[illegible] में दिये हुये फिकरों का हवाला

दे कर इस बात को ठीक तोर से बयान करेगा, कि किस बात की तसदीक वह अपने इल्म से करता है और किस की तसदीक और लोगों के बयान और अपने यकीन से करता है

[३] इबारत तसदीक पर तसदीक करने वाले के दस्तखत होंगे, और दस्तखत की तारीख और मुकाम लिखा जायगा

तशरीह—इस कायदा की रू से प्लीडिंग पर तसदीक वह शख्स करेगा जो फरीक मुकदमा हो या जो फरीकैन में से एक होवे या जो मुकदमा के हालात से वकाफियत रखता हो.

बम्बई हाई कोर्ट ने ऐसे वकील को, कि जो नाबालिग मुद्दई के वली (यानी मा) की तरफ से मुकर्रर किया गया था अरजी दावी पर दस्तखत मो तसदीक करने का मजाज समझा (इ ला रि बम्बई जिल्द ६ २४ सफा २३८)

तसदीक उस शख्स को करना चाहिये जो वाकेआत मुकदमा से वाकिफ हो (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा १८८)

जब अरजी दावा में कई बयान निसबत फरेब के हैं और उस में से कुछ सही या कुछ गलत मुद्दई के इल्म में हों तो मुद्दायलेह खुद मुद्दई से अरजी की तसदीक करा सक्ता है (इ ल. रि अलाहाबाद जिल्द ९ सफा ५०५)

जब तसदीक में नुक्स है तो वह तरमीम नहीं की जा सक्ती है (इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २० सफा ४४२)

अरजीदावा जिस पर तसदीक नहीं है रद्दी कागज नहीं समझा जा सक्ता (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द २२ सफा ५५) और इसी तरह से बयान तहरीरी भी (११ कलकत्ता वीक्ली नोट सफा ८७१)

अगर तसदीक झूट पाई जाय तो मुकदमा खारिज नहीं किया जा सक्ता (२४ वीक्ली रिपोर्ट सफा ७१).

तसदीक नुक्स वाली समझी जावेगी, अगर उससे यह जाहर न हो कि कौन २ सी बातें तसदीक करने वाले के खुद इल्म से सही हैं, और कौन २ सी बातें उसका दूसरे शख्सों के बयान करने से और उस पर यकीन करने से मालूम हुईं—(इ ला. रि अलाहाबाद जि० १८ सफा ३ ८६)—

१६ अदालत कार्रवाई की किसी नोबत पर हुक्म दे सक्ती है कि फलानी बात जो प्लीडिंग में दर्ज है जो गैर जरूरी या

प्लीडिंग का खारिज करना

तोहमत मिली हुई हो, या जिस से मुकदमा के इंसाफ के साथ तजवीज में नुकसान या खलल या ढील पहुच सकी है, खारिज या तरमीम की जाय

तशरीह:—यह कायदा नया है-इस कायदा के मुताबिक हुक्म किसी वक्त हो सक्ता है मगर दरखास्त जल्द और प्लीडिंग बंद होने के पेश्तर देना चाहिये.

अगर प्लीडिंग अदालत के नजदीक बेअदब जान पड़े तो वह खारिज कर दी जा सक्ती है—(इ. ला. रि मदरास जिल्द २२ सफा १९५)—

इस कायदा में फरीकसानी के प्लीडिंग का जिक्र है, यानी वह खारिज या तरमीम कराई जा सक्ती है, मगर कायदा १७ में खुद अपने प्लीडिंग में तरमीम करने का जिक्र है— —

गैर जरूरी:—प्लीडिंग सिर्फ गैर जरूरी होने से खारिज न होगा-उसके साथ २ वह तोहमत मिला हुवा हो, और उसमे मुकदमा के इसाफ के साथ तजवीज में नुकसान या खलल या ढील पहुंच सक्ती हो, तो वह खारिज किया जावेगा—लोकल बोर्ड पर एक नालिश की गई-मुद्दई ने अरजीदावा में यह तहरीर किया, कि बोर्ड के एक मेम्बर ने बोर्ड पर अपना दबाव **अपने निज गरज के लिये,** डाला और उसके दबाव डालने से बोर्ड ने मुद्दई के दावा की सुनाई नही किया ऐसी सूरत में मुद्दई का वैसा बयान निस्बत मेम्बर बोर्ड अरजीदावा से खारिज करने का हुक्म दिया गया (चेनसरी जि० १ सफा ३९)—

तोहमत मिला हुवा—हाई कोर्ट में जमानत लेने के लिये, एक दरखास्त दी गई, उस दरखास्त में तजवीज करने वाले मजिस्ट्रेट के निस्बत कुछ हतक इज्जत वो तोहमत मिले बयान किये गये, और वे बयान मुकदमा मे कोई ताल्लुक नहीं रखते थे--हाई कोर्ट बम्बई ने वैसी दरखास्त लेने से इंकार किया, और वह सायल को वापिस करदी गई, क्योंकि उसमें हतक मिली हुई इबारत थी [इ. ला. रि. बम्बई जि० १४ सफा ४८८]

इसी तरह एक याददास्त अपील में जज की निस्बत तरफदारी करने का दोश बयान किया गया था और उस जज की डिक्री की नाराजगी से अपील की गई थी हाई कोर्ट मदरास ने याददास्त अपील से तरफदारी करने की इबारत

खारिज कराने का हुक्म दिया—(इ. ला मदरास जि० २२ सफा १५५).

मगर इस बात का ख्याल रहे, कि अगर तोहमत मिली हुई इबारत मुकदमा से ताल्लुक रखती है, तो वह खारिज न की जा सकेगी

१७ अदालत कार्रवाई मुकदमा के किसी नौबत पर इजाजत दे सक्ती है, कि कोई फरीक मुनासिब तौर पर और शरायत पर अपनी प्लीडिंग को बदले या उस को तरमीम करे—और वे सब तरमीमें अमल में आयेंगी जो वास्ते तसफीय। असली अमर झगडा दरमियान फरीकैन के जरूरी हो

तरमीम प्लीडिंग

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५३ से कायम किया गया है.

फ़ैसले के बाद कोई तरमीम नहीं हो सक्ती (इ ला रि. कलकत्ता जि० ३० सफा ५११) और बाद निकाले जाने तनकीह तरमीम करने का अख्त्यार अदालत की मरजी पर है (इ ला रि अलाहाबाद जि० २६ सफा २१८)

बाद गुजर जाने मियाद समाअत के अरजीदावा तरमीम के लिये वापिस दिया जा सक्ता है (इ. ला. रि अलाहाबाद जि० १७ सफा २८८)

अरजीदावा का तरमीम करना जज के अख्त्यारी है और हर सूरत में फरीक मुकदमा का हक नहीं है, मुद्दई के लिये सिर्फ यह बतलाना काफी नहीं है कि तरमीम से खासियत मुकदमा की तबदील नहीं होती है (इ ला रि बम्बई जि० २१ सफा ५७१)

मुद्दई जो इसतकरारहक की नालिश करे और बाद दायरी मुकदमा बेदखल कर दिया जावे, तो वह अरजीदावा तरमीम करके दादरसी कब्जा की भी शामिल कर सक्ता है (इ ला रि. अलाहाबाद जि० २६ सफा २१५).

जब अरजीदावा में बयान है कि किसी माहदे के जरिये से कोई चीज किसी तारीख को देने का करार था, और यह भी जिकर हो कि खिलाफ मरजी माहदा की किसी खास तारीख पर हुई और शहादत से यह मालूम हो कि तारीख देने की बढ़ा दी गई थी तो अरजीदावा तरमीम हो सक्ता है—(मदरास

हाई कोर्ट रिपोर्ट जि० ७ सफा ३६४)—

मुकद्मा निसबत कबजा जायदाद नालिश बेबात में तबदील किया जा सक्ता है [इं. ला रि कलकत्ता जिल्द १२ सफा ४१४]

मुकदमा इनफिकाक रहन मुकदमा बेदखली में तबदील कर दिया जा सक्ता है [इं. ला. रि. बम्बई जिल्द २८ सफा १६१].

कोई मुकद्मा जरिये रहन जिस में डिक्री नीलाम मांगी गई है उस में जरिये तरमीम सिर्फ डिक्री नकदी रूपया की दादरसी का दावा शामिल किया जा सक्ता है (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द २४ सफा ४५६)

कोई मुकदमा जो वास्ते कबजा हिस्सा जायदाद शामलातीं खानदान हिन्दू का हो तो वह मुकदमा बटवाड़ा में तबदील किया जा सकता है—(इं. ला. रि. बम्बई जिल्द ५ सफा ४९६)

जब मुद्दई बजरिये इकरार जबानी किराया की नालिश करे, और उस में यह मालूम हो कि मुकदमा इस वजह से काबिल समाअत के नहीं है कि इकरार सिर्फ जरिये दस्तावेज रजिस्ट्री शुदा के हो सक्ता है तो उस को अरजीदावा इस तरह तरमीम करने की इजाजत नहीं दी जा सक्ती, ताके वह यह दावा करे कि किराया न दिलाये जाने के हालत में, इस्तेमाल वो कबजा का हरजाना दिलाया जावे (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २२ सफा ७५२).

एक रहन के इनफिकाक करने का दावा दूसरे रहन के इनफिकाक करने के दावे में तबदील नहीं किया जा सक्ता (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ८ सफा ५४३).

किसी बेवा के किये हुए इन्तकाल के मनसूखी का मुकदमा कबजे के मुकदमे में तबदील नहीं किया जा सक्ता (इ ला. रि. मदरास जिल्द १२ सफा १३९

जब कि अरजी में एक किस्म के फरेब का इलजाम लगाया गया है तो तरमीम के जरिये से बजाय उस के दूसरे किस्म का फरेब कायम नहीं किया जा सक्ता (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ६२०).

जब कि दो शख्स मिल कर तहरीर हतक इज्जत पर नालिश करें, तो अदालत उस में से एक शख्स को मुकदमे की कार्रवाई करने और अरजीदावा इस तरह तरमीम करने की इजाजत दे सक्ती है—(इ. ला. रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द

३४ सफा ६६२).

कुल तरमीमें पाच किस्म की हैं:—

(१) तहरीर या हिन्दसा की गलती की तरमीम जो तजवीज या डिक्री या हुक्म में हुई हो—(दफा १२२)—

(२) तरमीम कार्रवाई नालिश, अदालत की तरफ से, गो, फरीकैन ने दरखास्त न दी हो, वास्ते तसफिया असली अमर झगड़ा दरमियान फरीकैन (दफा १२३)

(३) फरीकैन को खारिज करना या जोड़ना (आर्डर नम्बर १ कायदा १०)

(४) फरीकसानी के प्लीडिंग को तरमीम करना (आर्डर नम्बर ६ कायदा १६)

(५) खुद अपने प्लीडिंग को तरमीम करना (आर्डर नम्बर ६ कायदा १७).

तरमीम करने की इजाजत हर वक्त दी जा सकेगी, जब कि वैसी तरमीम वास्ते तसफिया असली अमर झगड़ा दरमियान फरीकैन के जरूरी हो और वैसे तरमीम से फरीकसानी के साथ कोई बेइन्साफी न होती हो, और तरमीम नेक नियती के साथ चाही गई हो—(इ ला रि बम्बई जिल्द ३३ सफा ६५५)

तरमीम करने की इजाजत नीचे लिखी हुई पाच सूरतों में न दी जायगी

(१) जब कि तरमीम असली अमर झगड़ा दरमियान फरीकैन के तसफिया के लिये न हो, बलकि सिर्फ इस्तलाही हो, मसलन, दो शख्सों ने, यानी, (ब) वो (क) ने (अ) का सामान नाजायज तौर पर उठा लिया —(अ) ने सिर्फ (ब) पर नालिश हरजाना किया, और डिक्री हासिल किया—कानून इंग्लिस्तान की रू से (अ) (क) पर उसी हरजाने की नालिश नहीं कर सका—(अ) ने पीछे से (क) पर उसी हरजाने की निस्बत नालिश दायर किया, (क) ने अपने जवाब दावे में कोई उजर उस बिना का नहीं किया मगर (अ) की तरफ से शहादत गुजरने के बाद उस ने अपने

हाई कोर्ट रिपोर्ट जि० ७ सफा ३६४)—

मुकद्मा निसबत कबजा जायदाद नालिश बैनात में तबदील किया जा सक्ता है [इ. ला रि कलकत्ता जिल्द १२ सफा ४१४]

मुकदमा इनफिकाक रहन मुकदमा बेदखली में तबदील कर दिया जा सक्ता है [इ. ला. रि. बम्बई जिल्द २८ सफा १६१].

कोई मुकदमा जरिये रहन जिस में डिक्री नीलाम मांगी गई है उस में जरिये तरमीम सिर्फ डिक्री नकदी रूपया की दादरसी का दावा शामिल किया जा सक्ता है (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द २४ सफा ४५६)

कोई मुकदमा जो वास्ते कबजा हिस्सा जायदाद शामलाती खानदान हिन्दू का हो तो वह मुकदमा बटवाड़ा में तबदील किया जा सकता है—(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ५ सफा ४९६)

जब मुद्दई बजरिये इकरार जबानी किराया की नालिश करे, और उस में यह मालूम हो कि मुकदमा इस वजह से काबिल समाअत के नहीं है कि इकरार सिर्फ जरिये दस्तावेज रजिस्ट्री शुदा के हो सक्ता है तो उस को अरजीदावा इस तरह तरमीम करने की इजाजत नहीं दी जा सक्ती, ताके वह यह दावा करे कि किराया न दिलाये जाने के हालत में, इस्तेमाल वो कबजा का हरजाना दिलाया जावे (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २२ सफा ७५२)

एक रहन के इनफिकाक करने का दावा दूसरे रहन के इनफिकाक करने के दावे में तबदील नहीं किया जा सक्ता (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ८ सफा ५४३).

किसी बेवा के किये हुए इन्तकाल के मनसूखी का मुकदमा कबजे के मुकदमे में तबदील नहीं किया जा सक्ता (इ ला. रि. मदरास जिल्द १२ सफा १३९

जब कि अरजी में एक किस्म के फरेब का इलजाम लगाया गया है तो तरमीम के जरिये से बजाय उस के दूसरे किस्म का फरेब कायम नहीं किया जा सक्ता (इ ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ६२०).

जब कि दो शख्स मिल कर तहरीर हतक इज्जत पर नालिश करें, तो अदालत उस में से एक शख्स को मुकदमे की कार्रवाई करने और अरजीदावा इस तरह तरमीम करने की इजाजत दे सक्ती है—(इ. ला. रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द

(४) तरमीम की इजाजत न दी जावेगी, जब कि तरमीम से मुकदमा की सूरत वो शक्ल बदलती हो, और मुकदमा अरजीदावा तरमीम करने से दूसरे किस्म का हो जाता हो, मसलन, (अ) ने इस बयान के साथ [ब] पर २०००) हजार रूपये की नालिश किया, कि (ब) ने उस से कुछ माल लादने की किश्तियां (नाव) किराया पर ली थी–और किराया का २०००) रूपया बाकी है, पेशी पर यह साबित हुवा कि (ब) ने खुद किश्तियां किराया पर नहीं ली थीं, बलकि (ब), (अ) का मुख्तार था–(अ) ने उसे भाड़ा तलाश करने के लिए कहा था–(अ) ने अरजीदावा इस बिना पर तरमीम करने की दरखास्त दिया कि (ब), (अ) का मुख्तार था–ऐसी तरमीम मंजूर नहीं की गई क्योंकि असली अरजीदावा में फरीकैन की हैसियत किराया पर देने वाले वो किराया पर लेने वाले की थी, और तरमीम से उन की हैसियत बतौर मालिक वो मुख्तार के हो जाती थी–(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ५ सफा ६०२)

(अ) ने (ब) पर नालिश किराया मकान इस बयान के साथ दायर किया–कि मकान [अ] ने [ब] को किराया पर दिया था–(ब) ने उजर किया कि मकान किराया से नहीं दिया गया, बलकि वह खुद, यानी (ब), मालिक मकान है, (अ) को इस किस्म से तरमीम अरजीदावा करने की इजाजत न मिलेगी क्योंकि उस से उस की नालिश बतौर नालिश इस्तकरार हक मालकियत की हो जाती थी–(इ ला. रि बम्बई जिल्द १६ सफा २०३).

(अ) ने (ब) पर नालिश वास्ते दिला पाने जायदाद बहैसियत वारिस (क) के जिस को (ड) [illegible] में लिया था, दायर किया अदालत से मालूम हुवा [illegible] ने जो (ड) ने गोद में लिया था, वह नाज[illegible] ने पहिले वक्त अपील प्रिवी कौंसिल में यह उ[illegible] अगर गोद लेना नाजायज भी था, ताहम वह बहैसियत वारिस [ड] के जायदाद

जवाब दावा को यह उजर बढ़ा कर तरमीम करने की इजाजत मागा कि [अ] की नालिश नहीं चल सक्ती है--इजाजत [क] को नहीं दी गई, क्योंकि तरमीम इस्तलाही थी—

(२) जब कि तरमीम फजूल और बे काम हो, मसलन, [अ] ने [ब] पर नालिश किया, और जब उसे मालूम हुवा कि नालिश खारिज हो जायगी, तो उसने (क) को भी मुदायलेह गरदान ने की दरखास्त दिया--दरखास्त इस बिना पर खारिज की गई, कि अगर (क) भी बतौर मुदायलेह, शामिल होगा, तो (अ) को उस के खिलाफ कोई दादरसी न मिल सकेगी, ऐसी तरमीम बे मतलब वो फजूल पाई गई—

(३) जब तरमीम से फरीक को बेइन्साफी वो नुकसान पहुचता हो और वैसे नुकसान का मावजा खर्चा से न होता हो, मसलन, (अ) ने ट्राम कम्पनी पर हरजाने की नालिश किया, इस बिना पर कि कम्पनी ने ट्राम की सडक अच्छी हालत में रखने में गफलत किया--कम्पनी ने अपने जवाबदावे में गफलत से इन्कार किया--६ महिने के बाद कम्पनी ने अपने जवाबदावे में यह उजर बढ़ा कर तरमीम करने की इजाजत मागा, कि बजरिये माहदा दरमियान कम्पनी वो मुकामी हुकूमत जिला के, ट्राम की सड़क अच्छी हालत में रखने की जिम्मेदारी मुकामी हुकूमत जिला ने अपने ऊपर ली थी--ऐसी तरमीम की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि उस से (अ) को नुकसान वो बेइन्साफी पहूचती थी--सबब यह है कि अगर (अ) मुकामी हुकूमत पर नालिश करेगा तो उस की नालिश बेरू मियाद हो जायगी--मतलब यह है कि जब तरमीम से मियाद में असर पहुंचता हो, तो तरमीम नामन्जूर की जायगी--मगर दो मुकद्दमों में, यानी--(इ ला. रि. बम्बई जिल्द ३३ सफा ६४४ वो इं लॉ रि. मदरास जिल्द ३६ सफा ३७८)--इस कायदा से इख्तलाफ किया गया--और तरमीम मजूर की गई, गो, वैसी तरमीम करने की तारीख को मुद्दई का दावा बेरू मियाद होता था.

तरमीम की इजाजत कार्रवाई की हर नौबत पर दी जा सक्ती है— इजाजत अपील में दी जा सक्ती है–(दफा १०७ (२) दूसरी अपील में दी जा सक्ती है (दफा १०८)–अपील प्रिवीं कौंसिल में दी जा सक्ती है–(मूर्स इंडियन अपील जिल्द ११ सफा ४८६)

बाद सादिर होने हुक्म के तरमीम न करना

१८ अगर वह फरीक जिस ने हुक्म इजाजत तरमीम हासिल किया हो हुक्म मजकूर में मुकर्रर की हुई मुद्दत के अन्दर, या अगर कोई मुद्दत उस हुक्म में मुकर्रर न हो तो तारीख दिये जाने हुक्म से चौदा रोज के अन्दर मुताबिक हुक्म मजकूर तरमीम न करे तो हुक्म तरमीम का बाद गुजरने मुद्दत मजकूर या मुद्दत चौदा रोज मजकूर के, यानि जैसा मौका हो, नाजायज हो जायगा—सिवाय उस हालत में कि जब उस मुद्दत को अदालत बढ़ा दे

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५३ से कायम किया गया है।

अगर मियाद तरमीम की गुजर जावे तो बमूजिब दफा १४८ मियाद बढ़ाई जा सक्ती है अगर मियाद गुजरने के अखीर दिन कचहेरी बन्द हो तो बमूजिब दफा १० एक्ट १० सन १८९७ जिस रोज कचहेरी खुले उस रोज तरमीम की जा सक्ती है।

पाने का हकदार है–इस किस्म का उज्र वो तरमीम करने की इजाजत (अ) को नहीं दी गई क्योंकि उस से असली नालिश की शक्ल बिलकुल बदलती थी–(वीं रिपोर्ट जिल्द १९ सफा १२)

(अ) की डिकरी एक हिन्दू बाप पर हुई थी—बाप के मरने पर उस ने अपने इजराय डिकरी में जायदाद गैर मनकूला कुर्क कराई—बाप के दो लड़कों ने डिकरीदार पर नालिश इस अमर के इस्तकरार हक की दायर किया, कि जायदाद मजकूर शामिल शराकती खानदानी है, और वह बाप पर जो डिकरी हुई थी उस की इजराय में काबिल नीलाम नहीं है, क्योंकि बाप ने कर्जा बद फैली यानी बुरे कामों के लिये लिया था—इस लिये जायदाद कुर्क नहीं हो सक्ती—यह साबित हुवा कि कर्ज बद फैली के लिये नहीं किया गया था—इस के बाद उन लड़कों ने अपना अरजीदावा इस तरह तरमीम कराना चाहा कि डिकरी बाप पर सादिर होने के पेश्तर हम दोनों बेटे बाप से अलहेदा हो गये थे–इस लिये डिकरी हमारे हिस्सों पर इजराय नहीं हो सक्ती–ऐसी तरमीम मंजूर नहीं की गई, क्योंकि पहिले अरजीदावा में ऐसा मालूम होता था, कि बटावडा नहीं हुवा, और तरमीम से बटवाडा हो गया मालूम होता था—(इ॰ ला॰ रि॰ बम्बई जिल्द १२ सफा ४३१).

मुर्तहन ने जायदाद मरहूना के नीलाम की नालिश दायर किया, उसे अख्त्यार है कि वह अपने अरजीदावा को तरमीम करके यह चाहे कि नीलाम के बदले उस को सादे जर नक्द की डिकरी दी जावे—ऐसी तरमीम से मुकदमा की सूरत नहीं बदलती—[इ ला रि॰ अलाहाबाद जिल्द २४ सफा ४५६]—इसी तरह तामील खास माहदा की नालिश में अगर मुद्दई यह तरमीम करना चाहे कि तामील खास के बदले उसे बेयाना का रूपया वापिस दिला जावे, तो ऐसी तरमीम की इजाजत दी जा सक्ती है–(इ॰ ला॰ रि॰ बम्बई जिल्द २१ सफा ८२७).

को मु५

वह नाजायज है (६ बम्बई ला. रिपोर्ट सफा २७४ वो इंडियन ला रिपोर्ट मद्रास जिल्द १६ सफा ३१९).

अरजीदावा में सिर्फ मुदायलेह के सकूनत में गलती होने की वजह से मुकदमा खारिज नहीं किया जा सक्ता (१४ वीकली रिपोर्ट सफा ४७४).

उस बिनाय दावी पर जो अरजी में बयान की गई है मुद्दई सिर्फ कामयाब होने का मुस्तहक है—अगर कोई मुद्दई उस रहन को, जिस पर उस ने नालिश की है, साबित न कर सके तो उस को किसी दूसरे रहन पर अपना दावा कायम करने की इजाजत नहीं दी जा सक्ती है (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १८ सफा ४०३).

जैसा कि मुकदमा मुद्दई ने अपने अरजीदावा में बयान किया है उस से बढ़ कर उस को आगे कदम रखने के लिये, जब तक कि वह अपनी अरजी तरमीम न करे, इजाजत नहीं दी जा सक्ती (इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ८ सफा २७४).

जब मुद्दई उस रहन को साबित न कर सके कि जिस के रू से उस ने नालिश दायर की है और मुकदमे में दूसरा रहन राय अदालत में साबित हो जाय तो डिक्री नहीं दी जा सक्ती है (१३ मदरास ला जरनल रिपोर्ट सफा ८७१)

औरत की तरफ से खाविन्द के ऊपर खाने कपड़े की नालिश, जब तक कि अरजीदावा में यह न बयान किया जाय कि खाविन्द ने खाना कपड़ा देना बंद कर दिया है, या देने से इंकार करता है, कायम नहीं रखी जा सक्ती (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा ४७६).

जब कि मुद्दई किसी बेदखली की नालिश में यह बयान करे कि वह किसी इमारत का मालिक है और उस ने मुदायलेह को दिया और मुद्दई के हक के बाबत कोई खास तनकीह नहीं कायम हुई, मगर उस अम्र की तहकीकात की गई तो मुद्दई अपने हक के जरिये से डिकरी पाने का हकदार है, गो देना साबित न हुआ (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २५ सफा ४९८ जलसा कामिल)

इस वजह पर गोद देने के मसूखी की नालिश, कि गोद कभी नहीं लिया गया, उस दावी के साथ शामिल नहीं किया जा सक्ता, कि अगर गोद लिया भी गया तो शर्तिया थी—(इ. ला. रि. मदरास जिल्द १४ सफा १७२)

आर्डर—७.

अरजी दावी.

१ अरजीदावी में नीचे लिखी हुई बातें दरज होंगेः—

अमूरात जो अरजीदावा में दरज होंगे

(क) नाम उस अदालत का जिस में नालिश दायर की जाय.

(ख) मुद्दई का नाम और बाप का नाम और जात और पेशा वगैरा और रहने की जगह,

(ग) मुदायलेह का नाम और बाप का नाम और जात और पेशा और रहने की जगह जहां तक मालूम हो सके,

(घ) जब कि मुद्दई या मुदायलेह नाबालिग या फातिरुलअकल, [याने पागल] हो तो बयान उस मजमून का,

(ङ) वे वाकेआत जो मुकदमा की बिनाय दावा हों और यह कि बिनाय दावा कब पैदा हुआ,

(च) वे वाकेआत जिन से मालूम हो कि अदालत को अखत्यार समाअत का हासिल है,

(छ) वह दादरसी जो मुद्दई चाहता हो;

(ज) अगर मुद्दई ने दावा में कुछ मुजरा दिया हो या दावा के किसी हिस्से को छोड़ दिया हो, तो मुजरा दिये हुये या छोड़ दिये हुवे हिस्से की तादाद, और,

(झ) एक बयान मालियत शै मुत्तदाविया नालिश का वास्ते अखत्यार समाअत वो रसूम अदालत कि जहां तक कि मुकदमा के ताल्लुक हो

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५० से कायम किया गया है कुछ तब्दीलियों के साथ

किसी मरे हुए शख्स के नाम नालिश दायर नहीं हो सक्ती (१७ मदरास ला जरनल रिपोर्ट सफा ५५१)—और अगर दायर होकर डिकरी सादिर हुई तो

किया गया है -नालिश चदा में साफ तौर से यह बतलाना चाहिये कि हर फरीक के तरफ कितना बाकी है (१४ वीकली रिपोर्ट ३७३),

मुद्दई सिर्फ उतनी रकम के पाने का मुस्तहक है जो अरजी दावा में दरज है गो शहादत से वह जियादा पाने का हकदार होवे (मूर्प इनडिया अपील जिल्द जिल्द २ सफा ११२)

अगर जिस रकम का दावा किया गया है वह गलत है तो अदालत जियादा रकम की डिकरी नहीं दे सकी तावक्ते कि मुद्दई कबल फैसला अरजी दावा को तरमीम करके ज्यादा कोर्ट फीस न दाखिल कर दे (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ३० सफा ५०६).

जर याफ्तनी.—से वह रकम मुराद है जो वाजिबी तौर पर और कानून की रू से एक फरीक को दूसरे फरीक से पाना हो.

इस दफा का मतलब यह है कि जब नकद रुपया की नालिश हो तो मुद्दई को चाहिये कि वह अपने अरजीदावा में ठीक वो सही रकम जो उस को पाना है दर्ज करे, अन्दाजी रकम दर्ज न करे.

अन्दाजी रकम सिर्फ उस सूरत में दर्ज की जाय, जब नालिश मुनाफा की निस्बत हो, या ऐसी रकम की निस्बत हो जिस का मुद्दई को मुद्दायलेह की तरफ से पाना उनके दरमियान हिसाब होने पर वाजिब निकले

जब की मुतदाविया नालिश जायदाद गैर मनकूला हो

३ जब कि शै मुतदाविया नालिश जायदाद गैर मनकूला हो, तो अरजीदावा में तफसील जायदाद की दरज रहेगी कि जिस्से उस की पूरे तौर से पहचान हो सके—और अगर उस जायदाद की पहचान च हद्दि (याने हुलिया) या कागजात बन्दोबस्त या पैमायश में दरज किये हुये नम्बरां पैमायश से हो सकी हो तो अरजीदावा में ऐसी चौहद्दी या नम्बरों की तफसील दरज रहेगी

तशरीह. —इस कायदे की रू से जो नालिश जायदाद गैर मनकूला के बारे में दायर की जाय उस के अरजीदावा में जायदाद मजकूर की पूरी तफसील पहचान के वास्ते दरज करना जरूर है और चारों तरफ की हुलिया या नम्बर पैमायशी या बन्दोबस्ती का लिखना इस कायदे में बतलाया गया है, अगर कोई मुद्दई चौहद्दी हुलिया लिखने में भूल करे तो इस वजह से उसका दावा खारजी के लायक न होगा [कलकत्ता वीकली नोट जि० १ सफा ५७४]

जो शख्स कि किसी दस्तावेज का फरीक नहीं है वह यह बयान कर सक्ता है कि दस्तावेज जाली है, और अगर जाली नहीं है तो बिला मावजा है (१६ मदरास ला जरनल रिपोर्ट सफा १३).

जब कि मुद्दई कोई ऐसी दादरसी मागता है जिस के पाने का वह मुस्तेहक नहीं है तो उस से वह उस दादरसी के हासिल करने से महरूम नहीं है, जिस के पाने का वह जायज तोर से मुस्तहक है—(इं ला. रिपोर्ट बम्बई जिल्द २७ सफा ६०३)

आम कायदा यह है कि कुल मुकद्दमात हिसाब में कीमत वास्ते कोर्ट फीस से अखत्यार समाअत का तसफिया होता है—[इं. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २२ दफा ६६०]

कोई मुखत्यार या कारिन्दा अपने ही नाम से नालिश नहीं दायर कर सक्ता है मुकदमा में उस के मालिक का नाम बतौर मुद्दई के दर्ज होना जरूर है [इं. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ७ सफा १६६]

नालिश निसबत किसी जायदाद के, जो किसी मदर की मिलकियत होवे, मदर मजकूर की मूरतों के नाम दायर नहीं की जा सकी —(इ ला. रि अलाहा बाद जिल्द १९ सफा ३३०)

बिनाय दावा के लिये देखो दफा २० वो आर्डर न. ६ कायदा—

अखत्यार अदालत के लिये देखो दफा १६, १६, २०,—

दादरसी मुद्दई के लिये देखो आर्डर नं. ७ कायदा ७—

"अपने दावी का कुछ हिस्सा छोड़ दिया है" इस के लिये देखो आर्डर न. २ कायदा २ [२].

नालशात जर नक्द २ अगर मुद्दई नकदी रुपया के दिला पाने का दावेदार हो तो अरजी दावा में, दावा की हुई रकम की ठीक तादाद लिखी जायगी

मगर जब कि मुद्दई की नालिश, जर वासलात (मुनाफा की हो या इस तरह की हो कि जरयाफ्तानी मुद्दई उस के और मुदालह के दरम्यान बगैर ते किये हुये हिसाब करने पर मालुम होगा तो उस अरजी दावी के अनदर जर मुस्तदाविया कि अनदाजी तादाद लिखना होगा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५० (२) (३) से कायम

किया गया है -नालिश चदा में साफ तौर से यह बतलाना चाहिये कि हर फरीक के तरफ कितना बाकी है (१४ वीकली रिपोर्ट ३७३),

मुद्दई सिर्फ उतनी रकम के पाने का मुस्तेहक है जो अरजी दावा में दरज है गो शहादत से वह जियादा पाने का हकदार होवे (मूर्स इनडिया अपील जिल्द जिल्द २ सफा ११३)

अगर जिस रकम का दावा किया गया है वह गलत है तो अदालत जियादा रकम की डिकरी नहीं दे सकी तावक्ते कि मुद्दई कबल फैसला अरजी दावा की तरमीम करके ज्यादा कोर्ट फीस न दाखिल कर दे (इं ला रि कलकत्ता जिल्द ३० सफा ५०६).

जर याफ्तनी:—से वह रकम मुराद है जो वाजिबी तौर पर और कानून की रू से एक फरीक को दूसरे फरीक से पाना हो.

इस दफा का मतलब यह है कि जब नकद रुपया की नालिश हो तो मुद्दई को चाहिये कि वह अपने अरजीदावा में ठीक वो सही रकम जो उस को पाना है दर्ज करे, अन्दाजी रकम दर्ज न करे.

अन्दाजी रकम सिर्फ उस सूरत में दर्ज की जाय, जब नालिश मुनाफा की निस्वत हो, या ऐसी रकम की निस्वत हो जिस का मुद्दई को मुद्दायलेह की तरफ से पाना उनके दरमियान हिसाब होने पर वाजिब निकले,

जब की मुतदाविया नालिश जायदाद गैर मनकूला हो

३. जब कि शै मुतदाविया नालिश जायदाद गैर मनकूला हो, तो अरजीदावा में तफसील जायदाद की दरज रहेगी कि जिस्से उस की पूरे तौर से पहचान हो सके—और अगर उस जायदाद की पहचान च हदी (याने हुलिया) या कागजात बन्दोवस्त या पैमायश में दरज किये हुये नम्बरों पैमायश से हो सकी हो तो अर्जीदावी में ऐसी चौहद्दी या नम्बरों की तफसील दरज रहेगी

तशरीह:—इस कायदे के रू से जो नालिश जायदाद गैर मनकूला के बारे में दायर की जाय उस के अरजीदावा में जायदाद मजकूर की पूरी तफसील पहचान के वास्ते दरज करना जरूर है और चारों तरफ की हुलिया या नम्बर पैमायशी या बन्दोबस्ती का लिखना इस कायदे में बतलाया गया है, अगर कोई मुद्दई चौहद्दी हुलिया लिखने में भूल करे तो इस वजह से उसका दावा खारजा के लायक न होगा [कलकत्ता वीकली नोट जि० १ सफा ५७४]

यह कायदा नया कायम किया गया है—

४ मुद्दई जब कि बहैसियत कायम मुकामी के नालिश करे तो अरजी-दावा में सिर्फ यही नहीं जाहिर किया जायगा कि मुद्दई शै मुतदावीया में एक वाकई मौजूदा गरज रखता है बलकि यह भी लिखा जायगा कि उस के दिलापाने की नालिश कर सकने के लिये जो जो कार्रवाई (अगर कोई कार्रवाई हो) जरूरी थी उस को मुद्दई अमल में ला चुका है

मुद्दई जब बहैसियत कायम मुकामी के नालिश

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५० [४] से कायम किया गया है.

जब कि असली मुद्दई मर जावे तो उस के कायम मुकाम जायज की तरफ से मुकदमा चालू रह सक्ता है गो उसने चिट्ठी अहतमाम तरका न लिया हो (इ. ला. रि बम्बई जि० १६ सफा ५१९).

किसी मुकदमा के दायरी के वास्ते सारटिफिकट विरासत की जरूरत नहीं है [इ. ला. रि १३ कलकत्ता सफा ४७ वो १० बम्बई सफा १०७ वो ११ मदरास सफा ४५४]—और न सारफिकट मजकूर किसी डिक्री के इजराय की दरखास्त पेश करने के वास्ते लाजमी होगा [इ. ला. रि १६ अलाहाबाद सफा २६]—लेकिन वह सारटिफिकट डिक्री सादिर किये जाने के पहले अदालत में पेश किया जाना चाहिये, [इ. ला रि. ११ बम्बई सफा ५१९]—या हुक्म इजराय का सादिर किये जाने के पहले अदालत में पेश होना जरूर है (इ ला. रि. १५ अलाहाबाद सफा ३४)—अदालात को चाहिये कि सारटिफिकट हासिल करने लिये मोहलत दे (अलाहाबाद वीकली नोट जि० १९ सफा २१७ वो इ. ला रि. मदरास जि० १७ सफा १४)—सारटिफिकट विरासत मरे हुऐ शख्स की अलेहदा जायदाद के बाबत दरकार होगा, और न उस हालत में कि जब मुद्दई बजरिये हक पसमान्दगी बहैसियत साझेदार शामिल शरीक हिन्दू घराना के साथ मुतवफ्फी के दावीदार हो (इ ला. रि. बम्बई जि० १६ सफा २४०)—डिक्री रहन के लिये भी सारटिफिकट विरासत दरकार नहीं है, जब कि मुदायलेह की जात खास पर कोई दादरसी न मांगी जाय (इ ला. रि. १६ मदरास सफा ६४)—

जब कोई शख्स मर जावे वो मृत्यूपत्र लिख जावे तो जिस शख्स का

नाम उस मृत्युपत्र में दर्ज है कि वह उसकी जायदाद का बन्दोबस्त वसियतनामा के मुआफिक करेगा, तो वैसा शख्स वसी कहलायगा और ऐसे वसी को प्रोबेट वसीयतनामा का लेना होगा —

अगर कोई शख्स बिला मृत्युपत्र लिखे मर जावे तो उसके वारसों को चिट्ठी मोहतमिमी लेना होगा, यानी प्रोबेट वसियतनामा में लेना पड़ता है और वसियतनामा न हो तो चिट्ठी मोहतमिमी लेना पड़ती है-ऐसा वसी या मोहतमिम मुतवफ्फी का कायम मुकाम जायज समझा जाता है और मुतवफ्फी की जायदाद पर उस का हक बहैसियत कायम मुकाम जायज पहुंचता है, और उस की नालिश उसी हैसियत की समझी जावेगी—

प्रोबेट या चिट्ठी मोहतमिमी नीचे लिखी सूरतों में लेना जरूर होता है:—

(१ अगर मुतवफ्फी यूरोपियन, या पारसी या ईस्ट इन्डियन या यहूदी हो, जिस को एक्ट जानशिनी हिन्द न १० सन १८६५ ईस्वी लागू होता है तो प्रोबेट या चिट्ठी मोहतमिमी हासिल करना जरूर होगा नहीं तो वैसे मुतवफ्फी की जायदाद की निसबत जो नालिश उस का कायम मुकाम जायज यानी, उस का वसी या वारिश दायर करेगा, उस में उस को डिक्री न मिलेगी जब तक कि वह प्रोबेट या चिट्ठी मोहतमिमी पेश न करे (देखो दफा १८७ १९० एक्ट जानशिनी हिन्द न. १० सन १८६५ ई०)।

(२) यह एक्ट जानशिनी हिन्द हिन्दू, वो मुसलमान, वो बौध मत वालों को लागू नहीं होता है (देखो दफा ३३१ एक्ट जानशिनी)

(३) जब कोई हिन्दू, या जैन, या सिक्ख, या बौध मतवाला बंगाल प्रांत के किसी जिले में या मद्रास वो बम्बई के शहर में अपना मृत्यू पत्र लिखे या अगर मृत्यू पत्र इन मुकामों के बाहर लिखा गया हो मगर जिस जायदाद का उस मृत्यू पत्र में जिकर है वह इन मुकामों में वाके हो तो ऐसी सूरत में अहकाम एक्ट हिन्दू वसियत नामा नंबर २१ सन १८७० लागू होंगे, और इस सूरत में भी वसी को बगैर प्रोबेट पेश किये डिक्री न मिल सकेगी (देखो दफा २ एक्ट, वसियत नामा व दफा १८७ एक्ट जानशिनी)—लेकिन अगर मुतवफ्फी

यह कायदा नया कायम किया गया है—

४ मुद्दई जब कि बहैसियत कायम मुकामी के नालिश करे तो अरजीदावा में सिर्फ यही नहीं जाहिर किया जायगा कि मुद्दई शै मुतदावीया में एक वाकई मौजूदा गरज रखता है बलकि यह भी लिखा जायगा कि उस के दिलापाने की नालिश कर सकने के लिये जो जो कार्रवाई (अगर कोई कार्रवाई हो) जरूरी थी उस को मुद्दई अमल में ला चुका है.

मुद्दई जब बहैसियत कायम मुकामी के नालिश

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५० [४] से कायम किया गया है.

जब कि असली मुद्दई मर जावे तो उस के कायम मुकाम जायज की तरफ से मुकदमा चालू रह सक्ता है गो उसने चिट्ठी अहतमाम तरका न लिया हो (इ ला. रि बम्बई जि० १६ सफा ५१९).

किसी मुकदमा के दायरी के वास्ते सारटीफिकट विरासत की जरूरत नहीं है [इ. ला. रि १३ कलकत्ता सफा ४७ वो १० बम्बई सफा १०७ वो ११ मदरास सफा ४५४]—और न सारफिकट मजकूर किसी डिक्री के इजराय की दरखास्त पेश करने के वास्ते लाजमी होगा [इ. ला. रि १६ अलाहाबाद सफा २६]—लेकिन वह सारटीफिकट डिक्री सादिर किये जाने के पहले अदालत में पेश किया जाना चाहिये, [इ. ला रि. १६ बम्बई सफा ५१९]—या हुक्म इजराय का सादिर किये जाने के पहले अदालत में पेश होना जरूर है (इ ला रि. १५ अलाहाबाद सफा ३४)—अदालत को चाहिये कि सारटिफिकट हासिल करने लिये मोहलत दे (अलाहाबाद वीकली नोट जि० १९ सफा २१७ वो इ. ला रि. मदरास जि० १७ सफा १४)—सारटिफिकट विरासत मरे हुए शख्स की अलेहदा जायदाद के बाबत दरकार होगा, और न उस हालत में कि जब मुद्दई बजरिये हक्क पसमान्दगी बहैसियत साझेदार शामिल शरीक हिन्दू घराना के साथ मुतवफ्फी के दावीदार हो (इ ला. रि. बम्बई जि० १६ सफा २४०)—डिक्री रहन के लिये भी सारटीफिकट विरासत दरकार नहीं है, जब कि मुदायलेह की जात खास पर कोई दादरसी न मांगी जाय (इ ला. रि १६ मदरास सफा ६४)—

जब कोई शख्स मर जावे वो मृत्यूपत्र लिख जावे तो जिस शख्स का

नाम उस मृत्यूपत्र में दर्ज है कि वह उसकी जायदाद का बन्दोवस्त वसियतनामा के मुआफिक करेगा, तो वैसा शख्स वसी कहलायगा और ऐसे वसी को प्रोवेट वसीयतनामा का लेना होगा —

अगर कोई शख्स बिला मृत्यूपत्र लिखे मर जावे तो उसके वारसों को चिट्ठी मोहतमिमी लेना होगा, यानी प्रोवेट वसियतनामा में लेना पड़ता है और वसियतनामा न हो तो चिट्ठी मोहतमिमी लेना पड़ती है-ऐसा वसी या मोहतमिम मुतवफ्फी का कायम मुकाम जायज समझा जाता है और मुतवफ्फी की जायदाद पर उस का हक बहैसियत कायम मुकाम जायज पहुचना है, और उस की नालिश उसी हैसियत की समझी जावेगी—

प्रोवेट या चिट्ठी मोहतमिमी नीचे लिखी सूरतों में लेना जरूर होता है:—

(१ अगर मुतवफ्फी यूरोपियन, या पारसी या ईस्ट इंडियन या यहूदी हो, जिस को एक्ट जानशिनी हिन्द न १० सन १८६५ ईस्वी लागू होता है तो प्रोवेट या चिट्ठी मोहतमिमी हासिल करना जरूर होगा नहीं तो वैसे मुतवफ्फी की जायदाद की निसबत जो नालिश उस का कायम मुकाम जायज यानी, उस का वसी या वारिश दायर करेगा, उस में उस को डिक्री न मिलेगी जब तक कि वह प्रोवेट या चिट्ठी मोहतमिमी पेश न करे (देखो दफा १८७ १६० एक्ट जानशिनी हिन्द न १० सन १८६५ ई०).

(२) यह एक्ट जानशिनी हिन्द हिन्दू, वो मुसलमान, वो बौद्ध मत वालों को लागू नहीं होता है (देखो दफा ३३१ एक्ट जानशिनी)

(३) जब कोई हिन्दू, या जैन, या सिक्ख, या बौध मतवाला बंगाल प्रांत के किसी जिले में या मद्रास वो बम्बई के शहर में अपना मृत्यू पत्र लिखे या अगर मृत्यू पत्र इन मुकामों के बाहर लिखा गया हो मगर जिस जायदाद का उस मृत्यू पत्र में जिकर है वह इन मुकामों में वाके हो तो ऐसी सूरत में अहकाम एक्ट हिन्दू वसियत नामा नंबर २१ सन १८७० लागू होंगे, और इस सूरत में भी वसी को बगैर प्रोवेट पेश किये डिक्री न मिल सकेगी (देखो दफा २ एक्ट वसियत नामा व दफा १८७ एक्ट जानशिनी)—लेकिन अगर मुतवफ्फी

बगैर वसियत नामा लिखे मर गया हो तो नालिश निस्बत जायदाद मुतवफ्फी उस के वारिस की तरफ से बगैर चिट्ठी मोहतमिमी के चल सकेगी—बशर्ते कि नालिश मुतवफ्फी के कर्जा वसूली की न हो, यानी ऐसा कर्जा की निस्बत न हो जिस का पाना मुतवफ्फी को वाजिब था—अगर ऐसी नालिश कर्जा की होगी तो चिट्ठी मोहतमिमी या सार्टीफिकिट जानशिनी के बगैर डिक्री वारसों को न मिल सकेगी (देखो एक्ट सारटीफिकेट जानशिनी नं ७ सन १८८९ ई० दफा १ वो ४)—

(४) जिन हिन्दूवों को अहकाम एक्ट वसियत नं २१ सन १८७० ई० लागू नहीं होते उन को अहकाम एक्ट प्रोबेट वो मोहतमिमी नं ५ सन १८८१ लागू होंगे—इस पिछले एक्ट की रू से प्रोबेट या चिट्ठी मोहतमिमी हासिल करना दरकार नहीं है और ऐसा हिन्दू जिस को एक्ट वसियत लागू नहीं है वह बगैर प्रोबेट या चिट्ठी मोहतमिमी नालिश कर सक्ता है, मगर जब नालिश निस्बत कर्जा जो मुतवफ्फी को वाजबुल अदा था, होवे तो प्रोबेट या चिट्ठी मोहतमिमी या सारटीफिकिट जानशिनी पेश करना होगा और तब डिक्री मिल सकेगी—(देखो एक्ट सारटीफिकिट जानशिनी न ७ सन १८८९ ई० दफा ४).

(५) एक्ट प्रोबेट वो मोहतमिमी नबर ५ सन १८८१ ई० उन सब लोगों को लागू होता है जिन को एक्ट जानशिनी न १० सन १८६५ ई० लागू नहीं होता पस यह एक्ट प्रोबेट वो मोहतमिमी मुसलमानों को लागू होता है और हिन्दुओं को भी बकैद अहकाम एक्ट वसियत—

(६) **मुसलमान**.—मुसलमानो को एक्ट प्रोबेट वो इडमिनिस्ट्रेशन न. ५ सन १८८१ ई० लागू होगा—[और कार्रवाई फिकरा न. ४ लागू होगी

(७) **देसी ईसाई**:—इन को एक्ट नं ७ सन १९०१ ई० लागू होगा—[और कार्रवाई फिकरा न ४ लागू होगी—

(८) नोट'—यह जरूर नहीं है कि प्रोबेट, नालिश दायर करने के पेश्तर हासिल किया जाय, नालिश बगैर प्रोबेट के दायर हो सकी है और डिक्री सादिर होने के पेश्तर प्रोबेट पेश हो सक्ता है अगर पेश न होगा तो डिक्री न दी जायगी—(इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ३८ सफा ३२७)

मगर चिट्ठी मोहतमिमी, दायरी नालिश के पेश्तर हासिल करना होगी, और अरजीदावी में यह दर्ज करना चाहिये कि चिट्ठी मोहतमिमी हासिल की गई है, अगर ऐसा न होगा तो अरजीदावा खारिज किया जायगा–अगर अरजीदावा खारिज न किया गया हो, और मुकदमा की सुनाई शुरू कर दी गई है और पेशी के बाद चिट्ठी मोहतमिमी पेश की गई हो, तो मुद्दई को डिक्री देने में कोई रुकावट न—होगी (इ. ला. रि बम्बई जिल्द ३८ सफा ६१८—

देखो एक्ट जानशिनी हिन्द न. १० सन १८६५, दफा १८७, १९०).

कम्पनी की तरफ से या कम्पनी पर नालिश:—अगर कम्पनी की रजिस्ट्री हुई है तो नालिश कम्पनी के नाम से हो सकेगी—अगर रजिस्ट्री नहीं है तो कम्पनी के कुल मेम्बरान फरीक नालिश बनाय जावें—(इ. ला रि. अलाहाबाद जि० २१ सफा २४६)

किलब की तरफ से या किलब पर नालिश:—अगर कोई मेम्बर किलब का कर्जदार है तो अकेला सेक्रेटरी जैसे मेम्बर पर नालिश नहीं कर सक्ता है, कुल मेम्बरान मुद्दई होना चाहिये—(इ. ला रि. मदरास जि० १४ सफा ३६२)—

अगर मेम्बरों की तादाद ज्यादा है तो कोई एक मेम्बर अपनी तरफ से व अदालत की इजाजत लेकर दूसरे मेम्बरों की तरफ से नालिश दायर कर सक्ता है—(देखो आर्डर न १ कायदा ८) इसी तरह अकेले सेक्रेटरी पर नालिश न हो सकेगी, कुल मेम्बरों को मुद्दायलेह बनाना चाहिये—(इ ला. रि. अलाहाबाद जि० २० सफा ४१७)

मुद्दालेह की गरज वो जिम्मेदारी जाहिर करना चाहिये

४ अरजीदावी में यह जाहिर करना चाहिये कि मुद्दायलेह शै मुतदाविया में गरज रखता है, या गरज रखने का दावा करता है और जिम्मेदार इस बात का है कि मुद्दई के मतालबे

की जवाब देही उस से कराई जावे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५० (५) से कायम किया गया है.

मुद्दायलेह के बाखिलाफ बिनाय मुखासमत साफ तौर पर बयान करना चाहिये जब कि मुद्दायलेह पर नालिश बहैसियत कायम मुकाम के दायर की जाय, तो यह हाल अरजीदावी में लिखना चाहिये (इ ला रि जि० ८ बम्बई सफा ३०९)— सिवाय उस सूरत में कि जब मुद्दायलेह मेनेजर याने मुन्तजिम हो, और खानदानी करजे के बाबत उस पर नालिश दायर की जाय (इ ला रि. १४ बम्बई सफा ५९७).

६ अगर नालिश उस मुद्दत के गुजर जाने के बाद दायर की जाय जो कानून मियाद में मुकर्रर है, तो अरजीदावा में यह लिखा जायगा कि मुद्दई किस वजह से कानून मजकूर से माफी का दावा करता है

वजूहात मुसतसना कानून मियाद से

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५० (६) के से कायम किया गया है–मियाद का उजर बरकाने की गरज से मुद्दई को खिलाफ अरजी दावा मुकदमा की नई शकल बनाकर अदालत के रूबरू पेश करने की इजाजत नहीं देना चाहिये (इ. ला रि कलकत्ता जि० ३० सफा ७०६).

अगर मियाद के उजर को रद्द करने के गरज से कोई खास कबूली के निसबत बयान किया जाय तो मुद्दई को किसी दूसरे कबूली के साबित करने की इजाजत नहीं देना चाहिये, जिसका जिकर उसके अरजीदावा में नहीं दर्ज है–(इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ३१ सफा १९५)

एक्ट मियाद से माफी के उजरात:—यह उजरात एक्ट मियाद सन १९०८ ई० की दफा १२ से २० तक में दर्ज है–अगर अरजीदावी में माफी का कोई उजर नहीं बतलाया गया है, और नालिश बेमियाद मालूम होती हो, तो अरजीदावा खारिज किया जायगा देखो कायदा ११ (घ) मगर अरजीदावा को सिर्फ इस बिना पर खारिज नहीं करना चाहिये, कि उसमें माफी का खास दावा नहीं किया गया है हुक्म सिर्फ यह है कि अरजीदावा में उजर माफी मियाद दर्ज होना चाहिये कलकत्ता वी. नोट जि० १२ सफा

६१७)—

अगर अरजीदावा में कोई एक उजर निस्बत माफी मियाद दर्ज किया गया है, और वह लागू न होता हो, तो मुद्दई दूसरी सच से माकूल उजर पेश करने से रोका न जायगा—ऐसी राय हाई कोर्ट बम्बई ने दी है–(बम्बई ला रि, जि० १० सफा ३४६) – इसी तरह की राय कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी दी है–कलकत्ता वी. नोट, जि० १४ सफा १८८)

७ हर अरजीदावा में वह दादरसी खास तौर से बयान की जायगी जिस का मुद्दई दावा करता है, या बयाय उस के किसी और दादरसी और उस आम या दीगर दादरसी का दावा करना जरूर न होगा, जो हमेशा दी जा सक्ती है, सिर्फ उस कदर कि मानों उस का दावा किया गया ह जैसा अदालत के नजदीक मुनासिब हो, और यही कायदा मुदायलेह की दादरसी मुतदाविया मुन्दर्जे बयान तहरीरी उस के मुताल्लुक होगा

दादरसी खास तौर से बयान करना चाहिये

तशरीह —यह कायदा नया है.

इस कायदा के रू से हर किस्म की दादरसी जिस का मुद्दई अपने को हकदार समझे अरजीदावा में दर्ज की जाना चाहिये, वरना आर्डर न २ के रू से उस के निसबत अलेहदा दावा की मनाई की जायगी

अगर कोई दादरसी किसी एक खास बिनाय पर मांगी गई हो, और वह इस बिना पर न मिल सक्ती हो बलकि किसी दूसरी बिना पर, तो अदालत वैसी दादरसी देगी बशर्ते कि वैसी दीगर बिना उसी अरजीदावा व उसी मुकदमा की शहादत से जाहर हो [इ ला रि कलकत्ता जिल्द २२ सफा ५३९]

हक आसायशी इस बिना पर मांगा गया था कि मुद्दई का कब्जा बहुत दिनों से है और मुद्दई का मिस्तार व इस्तेमाल रहा है–प्रिवी कौंसिल ने वैसा हक उस को इस बिना पर दिलाया कि उस का हक बजरिये अतीया (बखशीस) पहुचता है (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा ३६४)

जब मुद्दई जितनी दादरसीयों का हकदार है उस से ज्यादा अपने अरजी दावा में मांगे तो अदालत उस को सिर्फ उतनी दादरसी या दादरसिया दिलायगी जितनी का वह हकदार पाया जावे; नालिश खारिज न होगी—अगर वह अरजी-दावे में कम मांगे तो अदालत उसे अरजीदावा से ज्यादा दादरसिया न दिलायगी

तावक्ते कि अरज़ीदावा तरमीम न किया जावे गो वह ज्यादा का हकदार पाया जावे

हिसाब समझने की नालिश में अगर अरजीदावा में यह दर्ज हो कि हिसाब होने पर जा वाजिब निकले दिलाया जावे, तो जो वाजिब निकलेगा उतने की डिकरी दी जायगी [आर्डर नं. ७ क़ायदा २]

लेकिन अगर अरजीदावा में ऐसा न लिख कर कोई एक खास रकम दर्ज की जावे, मगर हिसाब से ज्यादा रकम निकलती हो तो मुद्दई अरजीदावा में लिखी हुई रकम से ज्यादा की डिकरी न पा सकेगा, जब तक कि अरजीदावा तरमीम न किया जावे (आर्डर न ६ कायदा १७)

हिन्दुस्तान में आम या दीगर दादरसी जो अदालत मुनासिब समझे मांगने का रिवाज है—ऐसी दादरसी को अरजीदावा में दर्ज करना इस कायदा की रू से जरूर नहीं है क्योंकि वह बगैर लिखे भी उसी तरह मिल सकेगी मानों वह मांगी गई है

नालिश नीलाम जायदाद मरहूना में मुरतेहन नीलाम का दावा छोड़ सक्ता है और उस के बदले सिर्फ सादा रुपया की डिकरी मांग सक्ता है, गो पिछली दादरसी उस ने अपने अरजीदावा में दर्ज न की हो ऐसी दादरसी उस को इस कायदा के रू से मिल सकेगी—बशर्ते कि रहननामा में यह शर्त दर्ज हो, कि राहिन जर रहन की अदाई का जाती तौर पर भी जिम्मेदार है (इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २४ सफा ४५६)

मगर ऐसी दादरसी सिर्फ असली मुद्दई को मिलेगी न कि ऐसे मुद्दई को जो बराय नाम या जाब्ता की कार्रवाई से मुद्दई बनाया गया हो—मसलन," (ब) का हक किसी जायदाद में है और वह जायदाद (क) के कब्जा में है, (ब) ने अपना हक (अ) को बेच दिया—(अ) वो (ब) दोनों ने (क) पर नालिश वास्ते दिला पाने कब्जा जायदाद मजकूर की दायर किया—असल में (ब) का कुछ दावा नहीं है वह सिर्फ जाब्ता की कार्रवाई के लिये बतौर मुद्दई बनाया गया है—अदालत यानी है कि वैसे हक का बेचना बमूजिब दफा २३ एक्ट मियाद नाजायज है, ऐसी हालत में (अ) को कब्जा की डिकरी नहीं मिलेगी, और न (ब) को गो मालूम हो कि (क)

का कब्जा नाजायज तौर पर है और असल में जायदाद का हकदार (ब) है—पस (ब) को कब्जा पाने की अलेहदा नालिश (क) पर दायर करना होगा (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ३१ सफा ४३३)—मुद्दई को अखत्यार है कि वह कई अलेहदा २ हक के जरिये एक के बदले दूसरी दादरसी माग सक्ता है—मुद्दई एकही नालिश में शिराकतनामा मन्सूख करा सक्ता है इस बिना पर कि मुद्दायलेह ने उसे धोखा देकर शराकत में शामिल किया, या इस दादरसी के ऐवज वह उसी नालिश में यह माग सक्ता है कि शराकत फिस्क की जावे वो हिसाब किया जावे (सी डी जिल्द ७ सफा १).

इसी तरह मुद्दई मन्सूखी दस्तावेज की नालिश में यह दादरसी माग सक्ता है कि दस्तावेज मजकूर जाली है इस लिये वह मन्सूख किया जावे—और अगर दस्तावेज मन्सूख न हो तो उस के बदले वह यह दादरसी माग सक्ता है कि दस्तावेज बजह न होने बदल के रद्द समझा जावे (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द १८ सफा १२९).

मुद्दई जमीन पर दावा अपने माल की के हक के जरिये या उस के बदले हक आसायशी के जरिये कर सक्ता है—ऐसे मुकद्दमा में मुद्दई की यह बहेस हो सक्ती है "कि मैं यकीन करता हू कि जमीन मेरी है मगर शायद मैं यह सबूत न कर सकू—अगर सबूत न कर सकू तो मैं यह तो जरूर हर सूरत में साबित कर सक्ता हू कि इस जमीन पर मेरा निस्तार हमेशा से होता रहा है और यह जमीन मेरे इस्तेमाल में बहुत दिनों से है"—(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २४ सफा ५१)

दादरसी जो अलेहदा वजह पर कायम है

८ जब मुद्दई कई मुख्तलिफ दावों या विनस्बत दावों के दादरसी का मागता हो, जो अलेहदा वो मुख्तलिफ वजूहात पर कायम हो, तो जहां तक मुमकिन होवे अलेहदा अलहदा और साफ साफ बयान की जायगी

तशरीहः—यह कायदा नया है

(देखो आर्डर न ६ कायदा २)

बार मजूरी अरजीदावा के कार्रवाई

९ (१) मुद्दई को लाजिम है कि एक फेहरिस्त उन कुल दस्तावेजात की (अगर हों) जो मुद्दई ने अरजीदावा के साथ पेश की हो अरजीदावे के पुश्त पर लिख दे या अरजीदावा के

साथ लगादे, और अगर अरजीदावा मंजूर हो तो अरजीदावे की उतनी नकलें सादे कागज पर पेश करे जितने मुदायलेह हों, सिवाय उस सूरत में कि जब अदालत ब वजह तवालत अरजीदावों या मुदायलेहुम की तादाद के लेहाज से या और किसी दूसरे काफी सबब से मुदई को इजाजत दे कि उसी तादाद के मुख्तसिर बयानात बाबत दावा या दादरसी मुत्तदाविया के, जिस की नालिश की जाय, दाखिल करे इस सूरत में वह उतने मुख्तसिर बयानात दाखल करेगा

मुख्तसिर बयानात

(२) अगर मुदई बहैसियत कायम मुकामी के नालिश करे, या मुदायलेह पर या मुदायलेहुम में से किसी पर बहैसियत कायम मुकामी के नालिश की जाय, तो बयानात मजकूर से जाहिर होना चाहिये कि मुदई किस हैसियत से नालिश करता है, या मुदायलेह पर उस की किस हैसियत से नालिश हुई है

[३] मुदई को अख्त्यार है कि अदालत की इजाजत से बयानात मजकूर को इस गरज से दुरुस्त करे कि वह अरजी के मजमून के मुताबिक हो जाय

(४) अदालत का बड़ा अहेलकार हुक्मों की तामील करने वाला ऐसी फिहरिस्त और नकलों या बयानात पर, उस सूरत में दस्तखत करेगा, जब वह उन को मुलाहजा करने के वक्त सही पाये

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की जुज दफा ५८ से कायम किया गया है

अरजी दावी का वापिस किया जाना

१० (१) मुकदमे की किसी नौबत पर अरजी दावा उस अदालत में दाखिल होने के लिये वापिस किया जायगा जिस में वह मुकदमा दायर होना चाहिये था

अरजी दावी के वापसी पर जाब्ता

(२) अरजी दावा वापिस करने के वक्त जज्ज अरजी दावी की पीठ पर उस के दाखिल होने की तारीख और वापसी की तारीख और पेश करने वाले शख्स का नाम और मुख्तसिर हाल इस बात का कि किस वजह से वापिस किया, लिख देगा

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५७ से कायम किया गया है.

इस कायदे की किसी इबारत से ऐसी मुमानियत नहीं है कि जिस से अरजी दावा मुकदमे की कई पेशी के बाद वापिस न किया जावे—(इ. ला रि. बम्बई जिल्द ८ सफा ३१३)

बाद सादिर होने डिक्री अरजी दावा वापिस नहीं दिया जा सक्ता—[इ ला

रि बम्बई जिल्द ८ सफा ३८०]

जब कोई अरजी दावा जो अदालत माल में पेश होना चाहिये था, अदालत दीवानी में पेश हो तो अदालत दीवानी को अरजी दावा वापिस कर देना चाहिये (इ. ला. रि मदरास जिल्द १६ सफा २११)

कोई अरजी दावा जिससे बिनाय दावी नहीं मालूम होती है बलकि उस से यह मालूम होता है कि मुकदमा काबिल समाअत अदालत माल के है तो वह वापिस न होना चाहिये बलके ना मजूर होना चाहिये (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ७६६).

जब कि किसी अदालत के हद्द के अन्दर बिनाय दावा पैदा हो तो इसी वजह से कि मुद्दायलेह अन्दर हद्द अदालत नहीं रहता है अरजी दावा वापिस नहीं दिया जा सक्ता [इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफा १४६].

इस कायदा के मुताबिक जो हुक्म दिया जावे उस के नाराजी से अपील हो सक्ती है (इ. ला. रि मदरास जिल्द १४ सफा ४६२)—लेकिन जब अरजी दावा लेकर उस अदालत में पेश कर दिया गया जहा के लिये हुक्म हुवा था तो अपील नहीं हो सक्ती [५ कलकत्ता ला. जरनल सफा ९८०]—देखो आरडर न ४३ कायदा १ [क] वो दफा १०७

जब अरजी दावी अदालत मजाज में पेश करने के लिये वापस की जाये तो दुबारा कोर्ट फीस लगाना जरूर नहीं है—पुराना कोर्ट फी काम आवेगा—(इ ला रि मदरास जिल्द ३९ सफा ५१७ इजलास कामिल) —

अरजीदावा की नामन्जूरी

११ नीचे लिखी हुई सूरतों मे अरजीदावा नामन्जूर किया जायगा

(क) जब अरजीदावा से कोई बिनाय दावा जाहिर न होता हो

(ख) जब दादरसी मुतदाबिया की मालियत कम लगाई गई हो और मुद्दई उस मियाद के अन्दर जो अदालत मुकर्रर करे, अदालत के हुक्म के बमूजिब ऐसी दुरूस्तगी करने में कसूर करे

(ग) जब दादरसी मुतदाबीया की कीमत वाजबी लगाई गई हो, लेकिन अरजीदावा कम कीमत के स्टाप पर लिखा गया हो, और जब मुद्दई को अदालत हुक्म दे कि वह अन्दर मियाद, जो अदालत वास्ते पूरा करने स्टाप के मुकर्रर करे, उसे पूरा न करे,

अगर बिनाय मुखासमत की तारीख गलत बतलाई गई है और बिनाय दावा बेरू मियाद नहीं है तो अरजीदावा नामजूर नहीं किया जा सक्ता—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा ३५४).

अरजीदावा के नामजूरी का हुक्म बमूजिब दफा २ (२) डिक्री है और इस लिये उस हुक्म की नाराजगी से अपील हो सक्ती है और ऐसा हुक्म काबिल नजरसानी न होगा (इ ला रि बम्बई जिल्द १० सफा ६१०).

जब कमी स्टाम्प पर अरजी दावा लिखा गया हो—इस की खारजी की निस्बत दो सूरतें हैं —

(१) *अगर मुद्दई को कमी स्टाम्प पूरा करने के लिये मुहलत दी गई हो, और वह मुहलत के अन्दर वैसी कमी पूरा न करे तो अरजी दावा खारिज होगा, गो वह बतौर नालिश दर्ज रजिस्टर हो गया हो और उस पर नम्बर भी पड़ गया हो—*

(२) फर्ज करो कि एक नालिश मियाद के अखीर रोज पेश हुई—उस पर पूरा स्टाम्प नहीं है अदालत ने मुद्दई को एक हफ्ता की मोहलत कमी स्टाम्प पूरा करने के लिये दिया—मुद्दई ने चौथे रोज ही पूरा स्टाम्प भर दिया—इतने में मियाद जाती रही, क्योंकि नालिश मियाद के अखीर रोज पेश हुई थी—क्या अरजी दावा मजूर होगा या खारिज होगा—इस नये मजमूआ जाब्ता दीवानी की रू से मजूर होगा—देखो दफा १४६ हाई कोर्ट कलकत्ता मदरास वो बम्बई की भी यही राय है अदालत के ऊपर लिखे हालात में अरजी दावा मजूर करने का अखत्यार है.

इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २० सफा ४४,

इ. ला रि, मदरास जिल्द ३२ सफा ३०९,

इ. ला रि बम्बई जिल्द २७ सफा ३३०

मगर हाई कोर्ट अलाहाबाद की राय पुराने मजमूआ जाब्ता दीवानी के रू से यह हुई थी कि अदालत को वैसा अखत्यार नहीं है—क्योंकि मुहलत जो अदालत कमी स्टांम्प के पूरा कराने को देगी वह बलिहाज मियाद समझी जायेगी न कि बगैर लिहाज मियाद—(इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २४ सफा २१८)—यह

(घ) जब अरजीदावा के बयान से नालिश किसी कानून की रू से काबिल समाअत न पाई जावे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५३ वो ५४ से कायम किया गया है

अदालत को मजाल है कि किसी अरजीदावा को बाद मनजूरी वो दर्ज किये जाने रजिस्टर के नामनजूर करे (इ. ला. रि कलकत्ता जि० ३४ सफा २० इजलास कामिल)

मुकदमा के किसी पेशी पर अरजीदावा नामनजूर किया जा सकता है (इ. ला. रि. मदरास जि० १८ सफा ३३८ से ३४१ तक).

अरजीदावा सिर्फ इस वजह पर न मन्जूर नहीं किया जा सक्ता कि जिन दस्तवेजात पर नालिश की गई है वह मुद्दई ने अरजीदावा के साथ पेश नहीं किया है (२ बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट सफा ३६१)

कोई अरजीदावा टुकड़े २ करके नामन्जूर नहीं किया जा सकता [इ. ला रि अलाहाबाद जि० २९ सफा ३२५]

अगर अरजीदावा से कोई बिनाय दावी मालूम नहीं होती है तो वह नामन्जूर होना चाहिये और वापिस नहीं की जाना चाहिये [इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० ३ सफा ७६६]

जब कि अरजीदावा जिस में फरेब का इलजाम लगाया गया है, उस से उस के निसबत अच्छी बिनाय दावी मालुम नहीं होती है तो अदालत को मुकदमा खारिज नहीं करना चाहिये, बलकि अरजीदावा नामन्जूर करना चाहिये (इ. ला रि कलकत्ता जि० १५ सफा ५३३ प्रीवी कौंसिल)—

एक डिक्रीदार ने अपने जर नक्द की डिक्री में अपने मदयून की कुछ जायदाद गैर मनकूला कुरक कराई थी, उस ने दूसरे डिक्रीदार पर, 'जिस ने वही जायदाद कुर्क कराली थी, इस बात के इसतकरार हक की नालिश दायर किया कि जायदाद मकरूका दूसरे डिक्रीदार के डिक्री के इजरा में काबिल नीलाम नहीं है तो ऐसे बयानात से कोई बिनाय दावी जाहिर नहीं होती है (इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २५ सफा ३४७).

अगर बिनाय मुखासमत की तारीख गलत बतलाई गई है और बिनाय दावा बेरू मियाद नहीं है तो अरजीदावा नामजूर नहीं किया जा सक्ता —(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा ३५४)

अरजीदावा के नामजूरी का हुक्म बमूजिब दफा २ (२) डिक्री है और इस लिये उस हुक्म की नाराजगी से अपील हो सक्ती है और ऐसा हुक्म काबिल नजरसानी न होगा (इ ला रि बम्बई जिल्द १० सफा ६१०)

जब कमी स्टाम्प पर अरजी दावा लिखा गया हो:—इस की खारजी की निस्बत दो सूरतें हैं —

(१) अगर मुद्दई को कमी स्टाम्प पूरा करने के लिये मुहलत दी गई हो, और वह मुहलत के अन्दर वैसी कमी पूरा न करे तो अरजी दावा खारिज होगा, गो वह बतौर नालिश दर्ज रजिस्टर हो गया हो और उस पर नम्बर भी पड़ गया हो—

(२) फर्ज करो कि एक नालिश मियाद के अखीर रोज पेश हुई—उस पर पूरा स्टाम्प नहीं है अदालत ने मुद्दई को एक हफ्ता की मोहलत कमी स्टाम्प पूरा करने के लिये दिया—मुद्दई ने चौथे रोज ही पूरा स्टाम्प भर दिया—इतने में मियाद जाती रही, क्योंकि नालिश मियाद के अखीर रोज पेश हुई थी—क्या अरजी दावा मजूर होगा या खारिज होगा—इस नये मजमूआ जाब्ता दीवानी की रू से मजूर होगा—देखो दफा १४६ हाई कोर्ट कलकत्ता मदरास वो बम्बई की भी यही राय है अदालत के ऊपर लिखे हालात में अरजी दावा मजूर करने का अखत्यार है

इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २० सफा ४४,

इ. ला रि. मदरास जिल्द २२ सफा ३०९,

इ ला रि. बम्बई जिल्द २७ सफा ३३०

मगर हाई कोर्ट अलाहाबाद की राय पुराने मजमूआ जाब्ता दीवानी के रू से यह हुई थी कि अदालत को वैसा अखत्यार नहीं है—क्योंकि मुहलत जो अदालत कमी स्टाम्प के पूरा कराने की देगी वह बलिहाज मियाद समझी जावेगी न कि बगैर लिहाज मियाद—(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द २४ सफा २१८)—यह

राय अलाहाबाद हाई कोर्ट की अब दफा १४६ मे रद्द हो गई है—देखो आर्डर नंबर २१ कायदा १७ (२)—

इसी तरह का कायदा निस्बत अपील समझा जावे, जो कमी स्टाम्प पर पेश की जावे—[देखो दफा १४९]

अगर सेक्रेटरी आफ स्टेट पर नालिश बगैर देने नोटिस बमूजिब दफा ८० रूजू हो तो अर्जी दावा इस कायदा की रू से खारिज होगा—(इ. ला रि. अलाहाबाद जि २५ सफा १८७)—

अदालत को मुहलत जिस का जिक्र इस कायदा के फिकरा [ख] [ग] में है बढ़ाने का अख्त्यार है—[देखो दफा १४८].

अर्जी दावी के ना मंजूरी पर कार्रवाई

१२ जब अरजी दावा ना मंजूर किया जाय तो जज्ज को लाजिम है कि हुक्म ना मंजूरी का मै वजूहात हुक्म मजकूर के तहरीर करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५५ से कायम किया गया है

यही कायदा अपील की खारजी को लागू होगा—(इं ला. रि. अलाहाबाद १५ सफा ३६७).

जब कि ना मंजूरी अरजी दावा से नये अरजी दावा का पेश करना माने नहीं

१३ अरजी दावा का ऊपर लिखे हुये वजूहात में से किसी वजह पर ना मंजूर होने से, इस बात की मुमानियत न होगी कि मुद्दई उसी विनाय दावा के बाबत नया अरजी दावा पेश करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५६ से कायम किया गया है.

अगर मुकदमा बेरूं मियाद नहीं है, तो नई नालिश हो सक्ती है—(वी. रिपोर्टर जिल्द १४ सफा २८९).

दस्तावेजात कि जिन पर अरजीदावी में भरोसा किया गया है.

जिन दस्तावेजात की बिनापर मुद्दई नालिश करे उन की पेशी

१४ (१) जब मुद्दई किसी दस्तावेज के जरिये से नालिश करे, जो उस के पास या उस के अख्त्यार में हो, तो उस को चाहिये कि दस्तावेज को, अरजीदावा दाखिल करने के वक्त अदालत में पेश करे, और दस्तावेज या उस की एक नकल अरजीदावा

के साथ नत्थी होने के लिये उसी वक्त अदालत में देदे

[२] जब मुद्दई किसी और दस्तावेज पर, अपने दावे के ताईद में
दूसर दस्तावेजात की फेहरिस्त
बतौर सबूत के भरोसा करे [चाहे वह उस के पास या उस के अख्तयार मे हो या न हो] तो उस को चाहिये कि उन दस्तावेजों को एक फेहरिस्त मे दरज करे जो अरजीदावा म शामिल या उस साथ नत्थी की जायगी

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५९ से कायम किया गया है.

अदालत मातहत ने अगर कोई दस्तावेज शहादत में मन्जूर कर लिया है तो अदालत अपील को उस पर खियाल करना चाहिये, और उस को इस वजह पर नामन्जूर नहीं कर सक्ती कि वह अरजीदावा के साथ पेश नहीं किया गया (इ ला रि मदरास जिल्द ८ सफा ३७३)

इस कायदे के अहकामात उस दस्तावेजात से मुताल्लुक नहीं है जो सिर्फ वास्ते मुकाबले हरफ के दाखिल किये गये हों (इ ला रि मदरास जिल्द ८ सफा ३७३)

इस कायदा के दस्तावेजात पेश न करने की सजा कायदा १८ आर्डर नं. ७ में है यानी यह दस्तावेज फिर पीछे से शहादत में न लिया जा सकेगा अरजीदावा खारिज न होगा (इ ला. रि बम्बई जिल्द २२ सफा ९७१)

१५ जब कोई ऐसी दस्तावेज मुद्दई के पास या उस के अख्तयार मे
दस्तावेज उस के कब्जे या अख्तयार में न होने के हालत में बयान
न हो, तो जहा तक मुमकिन हो मुद्दई यह जाहिर करेगा कि वह किस के कब्जे या अख्तयार में है

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६० से कायम हुआ है

१६ जब कोई मुकदमा किसी दस्तावेज काबिल खरीद वो फरोख्त पर
दस्तावेजात काबिल खरीद वो फरोख्त गुम हुए के बिनाय पर नालिशात
हो, और यह साबित हो जाय कि वह कागज गुम हो गया है, और मुद्दई इस बात का इकरारनामा अदालत के इतमीनान के लायक लिख दे, कि अगर कोई और शख्स आइन्दा उस कागज की रू से दावा करेगा तो उस की जवाबदारी मुद्दई के जिम्मे रहेगी, तो अदालत उसी तरह डिकरी सादिर कर सकेगी जिस तरह उस सूरत म सादिर करती जब कि मुद्दई कागज मजकूर को अपने अरजीदावा के साथ अदालत में पेश करता, और दस्तावेज की एक नकल अरजीदावा के

साथ नत्थी होने के लिये दाखिल करता

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६१ से मिलती है यो देखो दफा ८१ एक्ट दस्तावेजात काबिल खरीद फरोख्त.

१७ (१) खास सूरत जिस का जिकर एक्ट शहादत यही खाते महाजनान सन १८६१ ई० में है उन को छोड़ कर, अगर दस्तावेज जिस के रू से मुद्दई नालिश करता हो तहरीर किसी यही खाता या किसी दूसरी यही की तहरीर हो, जो उस के पास या अख्त्यार में हो तो मुद्दई को लाजिम है कि अरजीदावा दाखिल करने के वक्त वह असल यही और नकल उस तहरीर की जिस पर उस को भरोसा है, पेश करे

बही खाते का पेश करना

(२) अदालत या वह अहलकार जिस को अदालत उस काम के लिये मुकर्रर करे, फौरन उस दस्तावेज पर पहचान के लिये कुछ निशान करेगा, और नकल की जांच और असल के साथ मुकाबला करके और अगर नकल सही पाई जाय तो उस के दुरुस्त होने की तसदीक लिख कर वही मुद्दई को वापिस करेगा, और उस नकल को शामिल मिसल करायगा.

असल पर निशान होकर वापिस की जायगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६२ से कायम हुआ है.

एक्ट शहादत बही खाते महाजनान न. १८ सन १८६१ ई० में खाते बही के दाखलों की सबूती का एक खास तरीका बतलाया गया है—ताकि असली खाते बही के पेश करने की जरूरत न पड़े—एक्ट मजकूर की दफा ४ में यह हुक्म है कि खाते बही के दाखलों की तसदीक की हुई नकल बतौर शहादत इस बात के काबिल मन्जूरी होगी कि वैसी नकल मिसल असल के काबिल मन्जूरी शहादत होगी

१८ (१) जो दस्तावेज की मुद्दई को अरजीदावा पेश करने के वक्त अदालत में पेश करना, या जो फेहरिस्त मुन्दरजा या मुनसलका अरजीदावा में दाखिल करना जरूर हो, और अगर वह इस तौर पर पेश या दाखिल न की जाय तो मुकदमा के समाअत के वक्त वगैर इजाजत अदालत के उस की तरफ से शहादत में न लिया जायगा

दस्तावेज जो अरजीदावा के पेश होने के वक्त पेश न किया जाय वह न लिया जा सकेगा

[२] इस कायदे [illegible] उन [illegible] से मुताल्लुक नहीं है, जो मुदायलेह के गवाहों [illegible] के लिये या किसी मुकदमा के जवाब में जो [illegible] में पेश हों, या

जो किसी गवाह को सिर्फ उस को याद दिलाने के लिये दिया गया

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६३ से कायम हुआ है

जब किसी दस्तावेज के तारीख नालिश पर मौजूद होने का शक मुमकिन न हो तो उस को शहादत में लेने से इस वजह पर इन्कार करना कि वह अर्जी के साथ पेश नहीं किया गया दुरुस्त नहीं है (इ, ला बम्बई जि० ८ सफा ३७७).

जब कि मुद्दई अरजीदावा के साथ नकल हिसाब की पेश करे, और असली बही मांगने पर न दाखिल करे तो जज अर्जीदावा नामन्जूर नहीं कर सक्ता, सिर्फ उस की यही सजा है जो इस दफा में दरज है याने बगैर इजाजत अदालत शहादत में नहीं किया जा सक्ता [इ ला रि. बम्बई २२ सफा ९७१)

दस्तावेज को ले लेने से अदालत की मन्जूरी से उस के अरजीदावों के साथ पेश न होने का ऐब दूर हो जाता है (१३ मुर्स इ अपील सफा ७७).

उन दस्तावेजों को शहादत में ले लेना जो वक्त पर पेश नहीं हुये, अपील के लिये वजह नहीं है (इ ला रि मदरास जि० ८ सफा २७१, ७४).

इस कायदा की गरज सिर्फ यह है कि बाद दायरी नालिश झूट दस्तावेजात पेश न किये जा सकें—अगर दर असल दस्तावेज मौजूद है और वह अरजीदावा के साथ पेश न हो सका हो तो वह अदालत की इजाजत से पीछे से भी पेश हो सक्ता है—(इ ला रि बम्बई जि० ८ सफा २७७)—

आर्डर—८.

बयान तहरीरी और मुजराई दावा—

१ मुदायलेह खुद या अगर अदालत हुक्म दे तो मुकदमें की अव्वल पेशी के वक्त या उस से पहले या उस मियाद के अन्दर जो अदालत मुकर्रर करे, अपनी जवाब देही का एक बयान तहरीरी पेश करेगा।

बयान तहरीरी

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ११० से कायम किया गया है

कोई बयान तहरीरी जो पहली पेशी पर या उस के पहले पेश किया जावे उस पर कोर्ट फीस की जरूरत नहीं है (इ. ला रि. बम्बई जि० ५ सफा ४००).

पहली पेशी के बाद जो बयान तहरीरी अदालत से तलब किया जावे वह बमूजिब दफा १६ एक्ट कोर्ट फीस, रसूम अदालत से माफ है।

बयान तहरीरी में क्या लिखना चाहिये उस के निसबत कायदा २ से ६ तक में वो आरडर न. ६ में जिकर है और बयान तहरीरी पर तसदीक करने का जिकर कायदा १४ वो १५ आर्डर न. ६ में जिकर है.

बजरिये बयान तहरीरी मुदायलेह को अखत्यार है कि अरजीदावा के बयानात को कबूल करे, या उन से इन्कार करे, या बयानात अरजीदावा को कबूल करके ऐसे वाकेआत पेश करे, जिन से दावी मुद्दई बरबार हो, या मुदायलेह को अखत्यार है कि दावा मुद्दई से इकबाल करे—याद रखना चाहिये कि सिवाय फरीक मुकदमा के दूसरा शख्स बयान तहरीरी पेश करने का मजाज नहीं होता है.

२ मुदायलेह अपनी प्लीडिंग के जरिये से वह कुल बातें बयान करे, जिन से यह जाहिर होता हो कि नालिश चल नहीं सकती है, या यह कि मामला कानून के जरिये से रद्द है, या करार दिये जाने के काबिल है, और कुल ऐसी वजूहात

नये वाकआत की निस्बत खास तौर पर बयान होना चाहिये

अपने जवाब देही के बयान करे कि जिन को बयान न करने से शायद मुखालिफ फरीक को परेशानी होगी या जिन से ऐसे अमूर तनकीह तलब मुताल्लुक वाकेआ पैदा हों कि जिन का अरजीदावा में जिकर न हो, जैसे फरेब या गुजर जाने मियाद समाअत, या इनफिकाक रहन, या किसी शै की अदाई, या किसी माहदा की तामील, या ऐसे वाकेआत जिन से बेजाब्तगी जाहिर हो

तशरीह—यह कायदा नया है.

मुकदमा बेदखली में कोई मुद्दायलेह जो मुद्दई के हक वो काश्तकारी से इन्कार करता है, और तीसरे शख्स के तरफ से कबजा बयान करता है, तो वह छोड़ देने के बाबत नोटिस न दिये जाने का उजर नहीं पेश कर सकता (१७ मदारास ला जरनल सफा २८७)

जब कोई मामला बिला बदल हो तो इस बात का उजर साफ तौर से करना चाहिये (इ ला. रि अलाहाबाद जि० २७ सफा २८६)

जो फरीक दस्तावेज को तहरीर करता है उसे यह साबित करना लाजिम होगा कि उस ने मावजा याने बदल दस्तावेज का नहीं पाया (इ ला रि कलकत्ता जि० २३ सफा ६५०)—सिवाय उस सूरत में कि जब मजमून दस्तावेज निसबत पाने मावजा झूठा साबित कर दिया जाय (कलकत्ता वीकली नोट जि० ४ सफा ८२)—लेकिन बमुकाबले गैर शख्सों के जो फरीक दस्तावेज न हो मावजे का दिया जाना वह शख्स साबित करेगा कि जिस के हक में दस्तावेज लिखा गया (इ. ला- रि अलाहाबाद जि० १७ सफा ४२८)

कोई अजनबी शख्स ऐसे बैनामे के निसबत कि जो जायदाद के सच्चे मालिक ने लिख दिया, इस बिना पर एतराज नहीं कर सकता, कि बै का मावजा नहीं दिया गया (इ ला रि अलाहाबाद जि० २७ सफा २७१ वो कलकत्ता वीकली नोट जि० ६ सफा ४७७)

फरेब—देखो आर्डर न, ६ कायदा ४

बेजाब्तगी—देखो आर्डर न ६ कायदा ८.

३ मुद्दायलेह के लिये सिर्फ यह काफी नहीं होगा कि अपने बयान तहरीरी में आम तौर से उन वजूहात नालिश से इन्कार करे, जो मुद्दई की तरफ से बयान की जाय बलकि मुद्दायलेह को चाहिये कि हर बयान वाकेआ के निस्बत जिन की सचाई वह कबूल न करता

इन्कार खास तौर पर करना चाहिये

में नहीं आया, और इकबाल न करना उस वक्त कहा जायगा कि जब उस की जानिबकारी में कोई वाकेआ वकूअ में नहीं आया—पस ऐसी सूरत में हर एक फरीक को यह बात साफ कह देना चाहिये कि वह कितनी बातों के निस्बत ऐतराज करता है, और कितनी बातों को कबूल करता है.

इस कायदा का मतलब यह है कि:—

(१) अगर मुद्दायलेह अपने जवाब दावे में अरजीदावा के वाकेआ को कबूल करता है तो उस के बार में सबूती देना मुद्दई को जरूर न होगा और न उस की तनकीह निकाली जावेगी

(२) अगर उस ने साफ तौर पर इंकार किया, या उस की इकारी मतलब से निकलती है तो मुद्दई को सबूती देना जरूर होगा—और उस की तनकीह निकाली जावेगी.

(३) अगर मुद्दायलेह सिर्फ यह कहे कि वह किसी वाकेआ को तसलीम नहीं करता है तो उस की निस्बत यह समझा जावेगा कि मुद्दायलेह ने कबूल किया, और उस की सबूती करना या तनकीह निकालना दरकार न होगा—मगर इस तरह के बतौर कबूल समझे, वाकेआ की निस्बत अदालत को अखत्यार है कि उस की सबूती इकबाल के सिवाय दीगर तौर पर लेवे.

(देखो अखीर फिकरा शर्त का)

यह शर्त का फिकरा दफा ५८ एक्ट शहादत के अखीर फिकरा से लिया गया है—पेशी के वक्त मुद्दई को अखत्यार नहीं है कि वह कोई ऐसा बयान करे जो उस के अरजीदावा के मजमून के मुताबिक न हो और न मुद्दायलेह को अखत्यार है कि वह कोई ऐसा बयान करे जो उस के जवाबदावा के मजमून के मुताबिक न हो (इ ला रि बम्बई जिल्द ४ सफा ३७३)—मगर खास हालतों में मुद्दायलेह को अखत्यार है कि अगर वह अरजीदावा के किसी वाकेआ जवाब अपने जवाबदावे में लिखने को भूल गया है तो पेशी के वक्त वह वैसा जवाब दे सक्ता है—(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा २५).

६ (१) जब किसी मुकदमा में, जो वास्ते दिलाने जर नकदी के हो,

मुजरा तलब की तफसील बयान तहरीरी में दर्ज होना चाहिये

मुदायलेह को यह दावा हो कि उस का कोई मतालवा मुकर्ररा जर नक्द का जो उसे जायज तौर पर मुद्दई से पाना है, और जो अदालत के अख्त्यारात नक्दी से बढ़ कर न हो, और दोनों फरीक की वही हेसियत हो जो मुदई के दावा में उन को हासिल है, तो मुदायलेह मुकदमे के अव्वल पेशी के वक्त एक बयान तहरीरी जिस में उस के मतालवा मुजरा तलव की तफसील हो, दाखिल करे लेकिन पेशी मजकूर के बाद किसी और वक्त पर दाखिल न कर सकेगा सिवाय उस सूरत के कि जब अदालत से उस के लिये इजाजत मिले

[२] ऐसा बयान तहरीरी वेसी ही असर रखेगा कि मानो मुदायलेह के तरफ से अरजीदावा दायर हुआ था, ताकि अदालत को अख्त्यार होगा कि असल दावा और उस के मुकाबले के मुजरा दिलाने के दावा दोनो के निसबत एक ही मुकदमा में फेसला कतई सादिर करे, लेकिन डिकरी पाई हुई रकम पर जो हक किसी वकील का, बावत उस खर्चा के हो जो डिकरी के वमूजिब उस को पाना हो, उस पर वह फैसला असर न डालेगा

[३] मुदायलेह के बयान तहरीरी के मुताल्लुक के कायदे उस बयान तहरीरी से भी मुताल्लुक होंगे जो मुजरा दिलाने के दावा के जवाब में हो.

तमसीलें.

(क) (क) ने (ख) को दोहजार रूप्या वसीयत किये, और (ग) को अपना वसी और मुसालहु बाकीमादा का यानी बाकी बची जायदाद का लेने वाला करार दिया (ख) फोत हुआ, और (घ) ने चिट्ठी अहतेमाम तरका (ख) की हासिल की, और (ग) ने १०००) रु० (घ) को बावत जमानत अदा किये वाद को (घ) ने (ग) पर वसीयती रु० बावत के नालिश की [ग] वसीयती रु० में से एक हजार रु० बावत कर्जा के मुजरा नहीं पा सका है, क्योंकि (ग) और [घ] की जो हेसियत निसबत अदा करने मुबलिग एक हजार रु० के है, वही माल वसीयत के निसबत नहीं है

(ख) (क) बिला करने वसीयत और (ख) का करजदार मर गया (ग) ने चिट्ठी अहतेमाम तरका की हासिल की, और (ख) ने उस जायदाद का कुछ हिस्सा (ग) से खरीद किया, पस जो नालिश मिनजानिब (ग) बनाम (ख) बावत जर समन के हो उस में (ख) उस कीमत में से, अपना कर्जा मुजरा नहीं पा सका है, क्योंकि यहां (ग) की दो हेसियत अलग अलग है एक हैसियत बेचने वाला होने की बमुकाबले [ख] के जिस में कि वह (ख) पर नालिश करता है और दूसरी हैसियत कायम

मुकाम (क) की है

(ग) (क) ने (ख) पर बिल आफ इक्सचेंज के जरिये से नालिस की (ख) बयान करता है कि (क) ने (ख) के माल के बीमा कराने में नाजायज गफलत की, और वह जिम्मेदार मावजा का है जो मुजरा होने चाहिये-जो कि इस मामले में मुजराई की रकम ठीक मालूम नहीं है इस लिये मुजरा नहीं दिलाई जा सक्ती

(घ) (क) ने (ख) पर बिल आफ इक्सचेंज के जरिये से पांच सौ रू० की नालिश की और (ख) के पास एक डिकरी बनाम (क) १०००) रू० के बाबत है-जो कि यह दोनों दावी बाबत रकम तहकीक नक्दी रू० की है इस लिये एक दूसरे के मुकाबले में मुजरा दिलाया जा सक्ता है,

(ङ) (क) ने (ख) पर मदाखलत बेजा के हरजा की नालिश की-[ख] के पास एक प्रामेसरी नोट एक हजार रू० का [क] का लिखा हुआ है और वह यह दावा करता है कि जो रु० (क) को इस नालिश में दिलाया जाय उस में से यह रकम मुजरा की जाय-(ख) ऐसा कर सक्ता है इस वास्ते कि जब (क) का रू० दिलाया जायगा तब दोनों रकमें जर नक्द की मुकर्रर हो जायगी

(च) (क) और (ख) ने मिल कर एक हजार रू० की नालिश [ग] पर की—(ग) ऐसा कर्जा जो अकेले उस का [क] के जिम्मे है मुजरा नहीं पा सक्ता है

(छ) [क] ने [ख] और (ग) पर एक हजार रू० की नालिश की (ख) ऐसा कर्जा जो अकेले उस को (क) से मिलना है मुजरा नहीं पासक्ता है

(ज) (क), [ख] और [ग] की कोठी शराकती का एक हजार रू० का देनदार है-(ख), (ग) को छोड़ कर मर गया-[क] ने (ख) पर बाबत कर्जा तादादी पदरा सो रू० कि, जिस का [ग] बजात खास देनदार था नालिश की—[ग] को अख्त्यार है कि कर्जा एक हजार रू० मुजरा ले

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १११ मे कायम किया गया है• कोई हक मुजराई जो इस कायदे के रू से काबिल मनजूरी नहीं है वह दूसरे तरह से काबिल मनजूरी [illegible] रि अलाहाबाद जिल्द १५ सफा ६]

कोई करजा या रकम मुजरा तलब कानून के मुताबिक दोनों एक ही हैं—जब कि करजा कायम है तो मुजरा तलब भी कायम है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा ४१६) कोई रकम जो अजरूए डिक्री वाजबुलअदा है मुजरा हो सक्ती है—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३० सफा १०६६)

जब किसी रहन जिल कबज में अदाई रूपया का करार हो और उस की अदाई होने के बाद फाजिल रूपया मुरतहन के पास जमा होने लगा तो वह इस बात का मुस्तहक होगा कि वह रूपया दावी लगान किसी जमीन में मुजरा करले जिस का मालिक राहिन है और रहन में शामिल है और रूपया बाद को वाजबुल अदा हुआ हो गो वह दावा बेरू मियाद हो—(इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ३२ सफा ५७६)

उन मुकदमात में जिन में मुजराई मनजूर हो सक्ती है बयान तहरीरी अरजी दावा तसव्वर होता है और उस पर इसी मताबिक कोर्ट फीस लगाया जाना चाहिये—मगर जब उस रकम के मुजराई का दावा किया जावे जो जायज तौर से वसूल होने के लायक नहीं है तो बतौर अरजीदावा बयान तहरीर पर स्टाप लगाने की जरूरत नहीं है—(१७ मदरास ला जरनल रिपोर्ट सफा ४८१)

इस कायदा के रू से मुजराई दावा का उजर बजरिये बयान तहरीरी पेश करने के लिये यह अमर लाजमी है कि जो रकम मुजरा मांगी जाय वह तहकीक की हुई रकम हो—कोई दावा वासलात का नालिश लगान में मुजरा न दिया जावेगा क्योंकि वह तहकीक रकम नहीं है (वीकली रि जि २२ सफा १) इसी तरह पर जब कोई मुरतहन रहननामे की रू से किसी जर रहन का दावी करे तो उस में ऐसा दावा मुजरा न किया जायगा जो जायदाद माहूना के बरबादी के निस्बत राहिन की तरफ से मुरतहन के बरखिलाफ पेश किया जाय—(इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २ सफा २५२) इस के बरखिलाफ देखो नजीर व मुकदमें (इ. ला रि. मदरास जिल्द १५ सफा २९०)

मुद्दायलेह नीचे लिखी छे सूरतों में मुजराई पाने का दावा कर सक्ता है, यानी:—

(१) जब कि नालिश वास्ते दिलाने जर नकदी के हो—

(२) जब कि मुजरा दिलाये जाने की रकम तहकीक होवे—न कि गैर

तहकीक—देखो तमसील (ग), (घ), (ङ)—

(३) जब कि मुद्दायलेह को या कुल मुद्दायलेहुम को मुजराई की रकम पाना हो (देखो मिसाल (छ)—

(४) जब कि मुद्दायलेह को मुद्दई से या कुल मुद्दईयान से मुजराई की रकम पाना हो—देखो मिसाल (च)—

(५) जब कि रकम मुजराई उस अदालत के अख्त्यार माली से ज्यादा न हो जिस अदालत में कि नालिश दायर हुई है.

(६) जब कि मुद्दायलेह के रकम मुजराई के दावा में दोनों फरीकैन की वही हैसियत हो जो मुद्दई की नालिश में है—(देखो मिसाल (क), (ख), (ज)—

नालिश जर नकदीः—नालिश निस्बत समझाने हिसाब बतौर नालिश जर नकदी नहीं समझी गई (देखो इं. ला रि. कलकत्ता जिल्द १३ सफा १२४ प्रिवी कौंसिल)—मगर अलाहाबाद हाई कोर्ट ने नालिश निस्बत तोड़ने साझेदारी को, जिस में यह दादरसी मागी गई थी, कि साझेदारी का हिसाब होने पर जो रुपया मुद्दई को वाजिबुलअदा निकले दिलाया जावे, बतौर नालिश जर नकदी करार दिया—[इं. ला. रि. अलाहाबाद जि. १० सफा ५८७].

रकम मुजराई गैर तहकीक—अगर मुद्दायलेह का दावा वास्ते मुजराई उसी मामला से पैदा हुआ है तो इस सूरत में गैर तहकीक रकम भी मुजरा दिलाई जा सक्ती है—(मदरास हाई कोर्ट जि २ सफा २१६)—मसलनः—

[१] [अ] ने [ब] पर ६०००) रुपया की नालिश बजरिये माहदा दायर किया—[ब] को इकबाल है—मगर वह बहुतसी ऐसी रकमें के बतौर [illegible] मुजरा पाने [illegible] करता है जिस की नुकसानी उसे [illegible] वजह से सहना पड़ी—यह मुद्द[illegible] के [illegible] हो सक्ता है क्योंकि उस का द[illegible] ५५ [illegible] हुआ—(मदरास हाई कोर्ट [illegible]

[illegible] अ [illegible] (ब) ने

खरीदने का इकरार किया —(ब) ने सिर्फ १७० मियाल की हवालगी कबूल किया, और बाकी ३० की हवालगी लेने को तईयार वो रजामन्द है मगर (अ) ने उन बाकी ३० मियालों को नहीं दिया—(अ) ने (ब) पर १७० मियालों की कीमत की नालिश दायर किया—(ब) ने अपना दावा बाबते पाने मुजरा नुकसानी का पेश किया, जो उसे ३० मियालों के न देने से हुआ—पस (ब) ऐसा दावा मुजराई पाने का हकदार है क्योंकि दावा उसी एक मामला से पैदा हुआ—(इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द २७ सफा १४५)

३. (अ) मुखत्यार ने अपने मालिक (ब) पर नालिश ८००) रूपया निस्बत बकाया तनखाह की दायर किया—(ब) ने ६२५) रूपया मुजरा पाने का दावा इस बिना पर किया कि इतने रूपया की नुकसानी उसको मुखत्यार के अपना काम बराबर न करने या गफलत से करने की वजह से हुई—(ब) को ऐसी मुजराई दिलाई जा सक्ती है क्योंकि दावा मुजराई उसी एक मामला से पैदा हुआ यानी ताल्लुक दर्मियान मालिक वो नौकर—(इ ला रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा ७११)—

४ (अ) मुर्तेहन ने (ब) राहिन पर नालिश बाबते असल व सूद जर रहन की दायर किया—रहन कब्जा के साथ था

५ (ब) ने ऐसी नुकसानी मुजरा पाने का दावा किया जो उसे मुर्तेहन के जायदाद मरहूना के मरम्मत न करने की वजह से हुई जब कि जायदाद उस के कब्जा में थी ऐसी पाने का हकदार हो सक्ता है (इ ला रि मदरास जिल्द १५ सफा २६०)

दावा मुजराई बतौर अरजीदावा समझा जावेगा, और उस पर कोर्ट फी स्टाम्प बकदर रकम मुजराई लगाना होगा (इ. ला. रि मदरास जिल्द १५ सफा २९)

दफा ७. जब मुद्दायलेह कोई मुखतलिफ वजूहात जवाब देही या मुजराई

जवाब देही या मुजराई जो अलेहदा उज्र पर हों

पर अलेहदा और मुख्तलिफ वाक़ेआत पर भरोसा करता है तो जहां तक हो वे मुख्तलिफ और अलेहदा तौर से बयान किये जांयगे

तशरीह:—यह कायदा नया है

देखो कायदा १ आर्डर नं ८, आर्डर न ७ क़ायदा ८ से मिलान करो.

८ जवाब देही या नालिश की कोई वजह जो बाद दायरी नालिश, या दाखिल होने बयान तहरीरी के जिस में मुजरा दिलाने का दावा किया जाय, पेश हुई हो तो वह मुद्दायलेह या मुद्दई के बयान तहरीरी में याने जैसी सूरत हो पेश की जा सक्ती है

जवाब देही की नई वजह

तशरीह:—यह कायदा नया है.

देखो दूसरा कायदा ६.

६ कोई प्लीडिंग सिवाय उस के जो मुजरा दिलाने के दावा की जवाब देही में हों, मुदायलेह का बयान तहरीरी दाखिल हो जाने के बाद नहीं की जायगी, बजुज अदालत की इजाजत से, और ऐसी शरायत पर जो अदालत मुनासिब समझे, लेकिन अदालत को अख्त्यार है कि जिस वक्त चाहे किसी फरीक से बयान तहरीरी या जायद बयान तहरीरी तलब करे और उस के दाखिल होने के लिये एक मियाद मुकर्रर करे

प्लीडिंग बाद की

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट दफा ११२ से कायम हुआ है,

किसी नाबालिग को बयान तहरीरी दाखिल करने का हुक्म दिया जा सक्ता है [इ ला. रि बम्बई जिल्द २२ सफा १००].

अगर बयान तहरीरी उस मियाद के गुजरने के बाद दाखिल किया जाय जो अदालत से मुकर्रर हुई है तो वह उस वक्त तक मिसल से अलेहदा नहीं कर दिया जायगा जब तक कि दूसरा फरीक फौरन उस के मिसल से अलेहदा कर दिये जाने के बाबत दरख्वास्त न दे (इ. ला रि बम्बई जिल्द ६ सफा ३७८)

जायद बयान का यह मतलब है कि जो बात पहले बयान में छूट गई हो वह लिख दी जाने न कि ऐसा बयान जो पहले के बयान के बरखिलाफ हो (५ मूर्त इंडियन अपील सफा २७१—६०)

देखो आर्डर न ६ कायदा ७

१० अगर कोई फरीक जिस से बयान तहरीरी तलब हुआ हो, उस

अगर कोई फरीक जिस से बयान तहरीरी तलब हुआ हो दाखिल न करे तो कार्रवाई

मियाद के अन्दर जो अदालत से मुकर्रर हुई हो, बयान तहरीरी दाखिल न करे, तो अदालत को मजाज होगा कि उस फरीक के खिलाफ तजवीज सादिर करे या मुकदमा के निस्बत कोई ऐसा हुक्म दे जो मुनासिब मालूम हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ११३ से कायम किया गया है

कायदा ९ के हुक्म की तामील में बयान तहरीरी पेश करने के लिये वह तफसील बतलाने की नाकाबलियत जो अदालत से दरयाफ्त की गई है, बयान तहरीरी के पेश न करने के बराबर नहीं है—इस कायदे के रू से मुकदमे के खारिज करने का हुक्म डिक्री है—सिर्फ मुकदमे में फैसला लफ्ज डिक्री मुन्दर्जा दफा २ में आता है [१६ मदरास ला जरनल सफा ३०]

इस कायदा के रू से जो हुक्म सादिर हो वह काबिल अपील होगा, यानी उस की अपील हो सकेगी (देखो आर्डर न. ४३ कायदा १ (ख)

आर्डर—९.

फरीकैन की हाजरी और गैर हाजरी का नतीजा

फरीकैन को उस वक्त हाजिर होना चाहिये जो समन में वास्ते हाजरी और जवाब देही मुदायलेह के मुकर्रर हो

१ जो तारीख समन में मुदायलेह की हाजरी और जवाब देही के लिये मुकर्रर हो, उस तारीख को फरीकैन असालतन या मारफत अपने अपने वकीलों के अदालत में हाजिर होंगे और तब मुकद्मा सुना जायगा, ता वक्ते कि मुकद्दम की सुनाई किसी आने वाली तारीख पर जो अदालत मुकर्रर करे, मुलतवी न की जाय.

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ९६ से कायम किया गया है.

गो मुदायलेह पर तामील समन की न हुई हो तो भी उस को मुकदमें के पेशी पर हाजिर होने का हक है—(इ. ला. रि बम्बई जिल्द १५ सफा ११०).

जब समन की तामील मुद्दई के खरचा दाखिल न करने के वजह से न हो तो मुकदमा का खारिज किया जाना

२ जब इस तौर पर मुकर्रर की हुई तारीख को यह बात मालूम हो कि मुदायलेह के नाम के समन की तामील इस वजह से नहीं की गई, कि मुद्दई ने उस के तामील का कोर्ट फीस या महसूल डाक (अगर कुछ हो) जो वास्ते तामील वाजबुल वसूल था नहीं दिया तो अदालत यह हुक्म दे सक्ती है कि मुकद्मा खारिज किया जाय

मगर शर्त यह है कि समन की तामील मुदायलेह पर न हुई हो तो वह हुक्म जिस का जिकर ऊपर किया गया है उस सूरत में सादिर न किया जायगा जब कि मुदायलेह उस तारीख को, जो उस के हाजरी और जवाब देही के लिये मुकर्रर हो, अदालत में असालतन या मारफत किसी येजन्ट के, जब उसे येजन्ट के मारफत हाजिर होने की इजाजत दी गई हो, हाजिर हो जाय.

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ९७ से कायम किया गया है

यह कायदा इजराय डिक्री से वो उन मुकदमात से जिस में उस मुदायलेह के लिये जो बजाय मुदायलेह मुतवफ्फी मुदायलेह बनाया गया है तलवाना न दिया जावे लागू है—(इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ९ सफा १९२)

अदालत उस तारीख के पहले जो मुकदमें के पेशी के लिये मुकर्रर की गई है

स को खारिज नहीं कर सकी—(इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २ सफा ३१८)

इस कायदे के रू से जो हुक्म दिया जावे उस की अपील नहीं हो सकी है इ ला रि कलकत्ता जिल्द ९ सफा ६२७)

अगर फरीकैन में से कोई हाजिर न हो तो अदालत यह हुक्म दे सकती है कि मुकदमा खारिज किया जायगा

३ जब मुकदमा के पुकारे के वक्त फरीकैन में से कोई भी अदालत में हाजिर न आय तो अदालत हुक्म देगी कि मुकदमा खारिज किया जाय

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ९८ से कायम किया गया है

गैर हाजरी उस तारीख पर होना चाहिये जो मुकदमें के सुनाई के लिये मुकर्रर ी गई है या जिस तारीख को सुनाई मुकदमा मुलतवी की गई है (इ ला रि लाहाबाद जिल्द २ सफा ६७ प्रावी कौंसिल)

अदालत को इजलास से उठते वक्त तक इन्तजार करना लाजमी नहीं है (इ ा रि मदरास जि. ७ सफा १५६).

यह कायदा दरखास्त हकरसी से भी मुताल्लुक है [इ. ला रि बम्बई जि ० सफा ५४१]

इस कायदे के रू से जो हुक्म सादिर किया जाय उस की अपील नहीं हो की है (इ. ला रि मदरास जिल्द १० सफा २७०)

दई दूसरी नालिश कर सकता है अदालत उस को नम्बर साबक कायम कर सकती है

४ जब कोई मुकदमा कायदा २ या ३ के बमूजिब खारिज किया जाय तो मुदई को अखत्यार होगा (कानून मियाद समाअत को बचाकर) कि नई नालिश करे, या हुक्म खारजी के मनसूखी की दरखास्त करे और अगर वह अदालत इस बात से इतमीनान करदे, कि कोर्टफीस और महसूल डाक वाजिबुल नूल (अगर कुल महसूल हो) अदालत से मुकर्रर की हुई मियाद के अन्दर मन जारी होने के पहिले दाखिल न करने, या उस के न हाजिर होने की फी वजह थी, याने जैसी सूरत हो तो अदालत उस हुक्म डिसमिसी को सूख करके एक तारीख वास्ते कार्रवाई मुकदमा के मुकर्रर करेगी

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ९९ से कायम किया ा है

कोई गलती साथ नेकनियती के जो बेजान हो वजह काफी है—[बम्बई

हाई कोर्ट जि० ३ रिपोर्ट सफा ६०]

कोई जज जो इस कायदे के रू से मुकदमा को नम्बर साबिक पर कायम करे मुकदमे के श्राम खर्चा के लिये हुक्म सादिर नहीं कर सकता [इ ला. रि बम्बई जि० २६ सफा २०१]

नबर पर मुकदमा कायम किये जाने के हुक्म की अपील नहीं हो सकती (इं ला रि मदरास जि० १० सफा २७०).

नबर पर कायम करने स इनकार करने के हुक्म की भी बमूजिब आरडर ४३ कायदा १ अपील नहीं होगी

अगर मुद्दई समन अदम तामील वापिस आने के बाद एक बरस तक नया समन जारी कराने की दरखास्त न दे तो मुकदमा डिसमिस किया जायेगा

५. जब समन बनाम मुदायलेह या बनाम एक मुदायलेह मिनजुमला कई मुदायलेहों के जारी होने के बाद और समन में उस की कैफियत अदम तामील के वापस आने के बाद मुद्दई एक साल के अन्दर तारीख वापसी से जब समन अदालत में बजरिये उस ओहदार के वापिस किया जाये जो मामूली तोर स अदालत में वापसी की तसदीक करता है नया समन जारी कराने की दरखास्त न दे, और अदालत के इतमीनान के लायक यह साबित न करदे कि उस ने अपने मकदूर भर मदायलेह की सकूनत मालूम करने में कोशिश की है जिस पर समन तामील नहीं हुआ या यह कि मदायले मजकूर समन की तामिल को बरकाता है तो अदालत मजाज होगी कि बमुकाबले के दावा को डिसमिस करने का हुक्म सादिर करे—

[२] ऐसी सूरत में मुद्दई को अखत्यार होगा कि [कानून मियाद समाअत को बचाकर] नई नालिश दायर करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६६ (अ) से कायम किया गया है

बाद गुजर जाने एक साल के समन जारी होने का हुक्म न देना चाहिये तावक्ते कि मुद्दई यह न जाहिर करे कि उस की तरफ से कोई गफलत नहीं हुई (इ. ला रि. बम्बई जि० ३ सफा ४०२)

अगर कोई नालिश बाबत मुनाफा १३०१–१३०२ वो १३०३ फसली के दायर की जावे—और एक मुदायलेह पर समन तामील न होने से मुकदमा खारिज कर दिया जाये तो दूसरी नालिश बाबत मुनाफा सन १३०२–१३०३

वो १३०४ फस्लों के लिये यह राय करार पाई कि गैर काबिल समायत नहीं है (इ. ला रि. इलाहाबाद जि० २८ सफा ७४६)

एक साल की मियादः—एक साल की मियाद उस तारीख वापसी समन से शुमार किया जायेगा जब समन अदालत में बजरिये उस उहदेदार के वापिस किया जाय जो मामूली तौर से अदालत में वापसी की तसदीक करता है.

यह ख्याल रहे कि **तामील करने वाले उहदेदार** की वापिस करने की ता. से मियाद शुमार न की जायगी बल्कि ऐसे उहदेदार वापस करने की ता. से जो मामूली तौर से अदालत में वापसी की तसदीक करता है इ ला. रि. बम्बई जि० ३२ सफा ५०)—

तरीका तामीली समन का यह है कि जब समन जारी होने का हुक्म सादिर होता है तो समन तईयार हो कर नाजिर के पास भेजा जाता है—नाजिर तामील के लिये मजकूरी तामील करके नाजिर के पास वापस करता है—नाजिर फिर अदालत को भेजता है—पस नाजिर की तसदीक की ता से एक साल की मियाद ली जायगी न कि मजकूरी की रिपोर्ट की तारीख से—

इस कायदा के रू से जो हुक्म खारजी का होगा वह बतौर डिक्री न समझा जायगा बल्कि बतौर हुक्म और उसकी अपील न हो सकेगी— (देखो दफा २ (२) मज. जा दीवानी)—

कार्रवाई जब सिर्फ मुद्दई हाजिर

६ (१) जब मुकदमा पेशी के वक्त पुकारा जाय तो अगर उस वक्त मुद्दई हाजिर हो और मुदायलेह हाजिर न हो तो

अगर समन तामील हुआ हो

(क) अगर यह साबित हो जाय कि समन की तामील जाब्ता के मुताबिक की गई थी तो अदालत मुकदमा की कार्रवाई एक तरफा कर सकती है

अगर समन की तामील न हुई हो

(ख) अगर समन का जाब्ते के मुताबिक तामील होना साबित किया जाय तो अदालत यह हुक्म देगी कि एक दूसरा समन जारी किया जाय और मुदायलेह पर उस की तामील की जाय

अगर समन की तामील हुई हो मगर मुद्दत काफी के अन्दर न हुई हो

(ग) अगर समन की तामील मुदायलेह पर होना साबित हो जाय, मगर उतनी मुद्दत पहले से न हुई हो कि वह समन में लिखी हुई तारीख तक हाजिर हो कर मुकदमा की जवाब देही कर सके, तो अदालत मुकदमा की सुनाई

किसी और आने वाली तारीख पर जो अदालत की तजवीज से मुकर्रर हो, मुलतवी की जायगी, और यह हिदायत करेगी कि ऐसे तारीख की इत्तला मुदायलेह को दी जाय

(२) जब मुदई के कसूर से समन बाजाब्ता तौर पर या काफी मुद्दत के अन्दर न तामील हुआ हो तो अदालत मुदई को हुक्म देगी कि मुकदमे के मुलतवी करने से जो खर्चा हुआ हो अदा करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १०० से कायम किया गया है.

जब कि वकील ऐसे अखत्यार के जरिये हाजिर हो जो मुदायलेह ने तहरीर नहीं किया है और एक तीसरे शख्स ने उस के तरफ से तहरीर किया है तो वह हाजरी नहीं है—(इ ला रि. २२ कलकत्ता ६६१ वो ३४ कलकत्ता सफा ४०२)—

बयान तहरीरी पेश न करने से अदालत का कार्रवाई करना दुरूस्त नहीं है (२ मदरास हाई कोर्ट सफा ३११)

जब मुदई मुदायलेह की निशान्देही न दे सके तो दरखास्त खारिज नहीं हो सक्ती (इ. ला. रि बम्बई जि० १८ सफा ६९).

जो डिक्री एक तरफा सादिर की जाय उस की नाराजी से अपील हो सक्ता है (देखो दफा ६६) ऐसे अपील में अपीलांट को यह साबित करना जरूर है कि कायदे की शर्तों के मुताबिक अदालत ने कार्रवाई का जाब्ता अमल में नहीं लाया— अपीलांट के वास्ते यह जाहिर करना काफी है कि मुदई ने समन की तामील साबित नहीं किया (इ ला रि २३ अलाहाबाद सफा ६६).

अगर मुदायलेह समन पाकर तारीख पेशी पर हाजिर न हो, और मुकदमा की सुनाई होकर मुदायलेह पर डिक्री सादिर हो तो ऐसी डिक्री इक तरफा डिक्री कहलाती है—सिर्फ मुदायलेह के न आने से यह क्यास न किया जावे, कि मुदई की नालिश सच्ची है— (वी रि. जि० १५ सफा ५०२)—

इक तरफा डिक्री में मुदायलेह को क्या इलाज है इस के लिये—देखो कायदा १३ इसी आर्डर का—

७ जब अदालत ने किसी आने वाली तारीख पर मुकदमा की सुनाई एक तरफा मुलतवी रखी हो और मुदायलेह उस तारीख को या उस से पहले हाजिर हो कर अपनी गैर हाजिरी साबिक की वजह काफी बतलावे तो मुदायलेह का जवाब ऐसी शर्त पर लिया जा सक्ता है जिन को अदालत खर्चा देने के बाबत या दीगर तौर से हिदायत करे और वह जवाब देही उसी तरफ समझी जावेगी कि मानों वह उस तारीख को हाजिर हुआ जो उस के हाजरी के लिये मुकर्रर हुई थी—

कार्रवाई जब कि मुदायलेह उस रोज हाजिर हो जिस पर मुकद्दमा की सुनाई मुलतवी रखी गई हो और पहले के गैर हाजरी की काफी वजह बयान करे

तशरीह — यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १०१ से कायम किया गया

अगर मुदायलेह पहले की गैर हाजरी की काफी वजह नहीं बतला सके तो मुदायलेह को हाजिर होकर मुकदमे के जवाब देही की इजाजत नहीं दी जावेगी और उस पर कार्रवाई मुकदमा एक तरफा चालू रहेगी (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १ सफा २१७)—अगर इस कायदे के मुताबिक अदालत दरखास्त नामजूर करे तो मुदायलेह डिकरी के नाराजी से अपील कर सक्ता है और वह इस कायदा के मुताबिक दरखास्त देने के बगैर भी डिकरी के बरखिलाफ अपील कर सक्ता है (इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ८ सफा २७२)

८ जब मुकदमा की पेशी के वक्त मुदायलेह हाजिर हो और मुदई हाजिर न हो, तो अदालत हुक्म देगी कि मुकदमा खारिज किया जाय, मगर उस सूरत में कि जब मुदायलेह दावा या दावा के किसी हिस्सा को कबूल करे, तो अदालत मुदायलेह के इकबाल के बमूजिब उस पर डिकरी सादिर करेगी, और जब उस सिर्फ जुज दावा इकबाल हो तो उतना दावा खारिज करेगी जितना बाकी से ताल्लुक रखता हो

कार्रवाई जब सिर्फ मुदई हाजिर ह

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १०२ से कायम किया है

जब मुकदमा कुछ सुनाई के बाद मुलतवी कर दिया गया और मुलतवी की हुई तारीख पर मुदई या उस का वकील हाजिर हो तो उस के लिये कार्रवाई आर्डर २ के कायदा १७ में बतलाई गई है (१२ मदरास ला जरनल रि सफा ४७३).

जब अपीलान्ट हाजिर न हो और रिस्पान्डेंट हाजिर हो तो अदालत को अपील खारिज करना चाहिये और रूयदाद पर फैसला नहीं करना चाहिये (७ बम्बई ला रि सफा १३३)—जब कुल शहादत पेश हो चुकी है मगर बाद के

पेशी पर मुद्दई या उस का वकील हाजिर न हो तो मुकदमा डिसमिस नहीं किया जा सक्ता (बम्बई ला रिपोर्ट जिल्द ७ सफा २०१)

इस कायदा के रू से जो हुक्म दिया जाय उस की अपील नहीं हो सक्ती (इ ला रि. मदरास जिल्द २२ सफा २२१)

अगर कोई फरीक हाजिर न हो तो कार्रवाई हस्ब कायदा ३ के की जायगी–अगर मुद्दई हाजिर हो और मुद्दायलेह हाजिर न हो तो कार्रवाई हस्ब कायदा ६ के की जायगी–अगर मुद्दायलेह हाजिर हो और मुद्दई हाजिर न हो तो कार्रवाई इस कायदा [याना कायदा ८] के मुआफिक की जावेगी–मुद्दायलेह को इस कायदा के रू से जो हक है वह सिर्फ इतना है कि मुकदमा खारिज कराये उस को हक नहीं है कि शहादत तलब करे गो मुद्दई ने अरजीदावी में उस पर फरेब का इलजाम लगाया हो (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ४० सफा ११६).

अगर मुद्दई मर गया है और उस सबब से वह हाजिर न हो सके, और अदालत को यह हाल मालूम न हो और मुकदमा खारिज किया जाय तो अदालत अपने जाती अखत्यार के रू से जो उसे बमूजिब दफा १५१ मजमूआ जाब्ता दीवानी हासिल है हुक्म खारजी रद्द करेगी और गलती की दुरुस्तगी करेगी–और तब मुद्दई का कायम मुकाम जायज अपना नाम बजाय मुद्दई दर्ज कराने की दरख्वास्त देगा (आर्डर नंबर २२ कायदा ३ इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३५ सफा ३३१)

मुकदमा खारिज होने पर मुद्दई को क्या इलाज है–देखो कायदा ९.

९ (१) जब कायदा ८ के बमूजिब कोई मुकद्दमा पूरा या उस का कोई हिस्सा डिसमिस किया जाय, तो मुद्दई को अखत्यार नहीं होगा, कि उसी बिनाये दावे पर नई नालिश करे–लेकिन उस को अखत्यार रहेगा कि हुक्म डिसमिसी के मनसूखी के लिये दरख्वास्त दे और अगर अदालत की यह राय हो कि मुकदमा की पेशी के वक्त उस की गैर हाजरी की कोई माकूल वजह थी, तो अदालत हुक्म डिसमिसी को उन शरतों पर जो निस्बत दिलाने खरचा या दीगर तौर के, जो मुनासिब समझे, मसूख कर सक्ती है, और मुकदमे में कार्रवाई होने के लिये एक तारीख मुकर्रर करेगी

डिकरी खिलाफ मुद्दई बसबब अदम पैरवी नई नालिश के मानै है

(२) ऐसे दरख्वास्त की तहरीरी इत्तला फरीकसानी पर तामील न हुई हो तो कोई हुक्म इस कायदे के बमूजिब नहीं दिया जायगा

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १०३ से कायम किया है.

, जब मुकद्दमा बमूजिब दफा ९ एक्ट दादरसी मुद्दई के गैर हाजरी में खारिज कर दिया गया तो इस कायदे के बमूजिब दरखास्त दी जा सक्ती है (इ ला रि जिल्द ४ २१७)

जब मुकदमा मुद्दायलेह के दरखास्त पर मुलतवी किया गया और मुलतवी की हुई तारीख पर मुद्दई गैर हाजरी हो, और मुकदमा खारिज कर दिया गया तो यह कायदा लागू होगा [इ ला रि. मदरास जि ७ सफा ४१]. अगर उस तारीख पर जिस के लिये मुकद्दमा मुलतवी किया गया है, मुद्दई के गवाह गैर हाजिर हैं, और मुद्दई वारट जारी होने के लिये दरखास्त करे और उस के नामजूर हो जाने पर उस का वकील कहे कि उस को कोई हिदायत न होने के वजह से वह मुकदमें को उठा लेता है और मुकदमा खारिज कर दिया गया तो यह राय करार पाई के इस कायदे के मुताबिक डिसमिसी मुकदमा के हुक्म के मनसूखी की दरखास्त दी जा सक्ती है (इ ला. रि कलकत्ता जि ३४ सफा २३५)

तरीका दादरसी में फरक होने से बिनाये दावी एक ही किस्म की होने के अमर की बहस में कुछ असर नहीं पहुचता है (इ ला रि कलकत्ता जि. १५ सफा ४२२ प्रिवी कौंसिल)

तारीख पेशी पर मुद्दई हाजिर हो और यह मालुम करके कि मुकदमा फेहरिस्त में आखीर में है, चला जावे और थोड़ी देर के बाद वापिस आवे तो उस के गैर हाजरी में पुकारा मुकदमा हो जाने का वह जिम्मेदार है, और हुक्म खारजी मुकदमा के मन्सूख कराने का वह मुस्तहक नहीं है (इ ला रि बम्बई जिल्द १३ सफा १२)

दरखास्त के नामन्जूर किये जाने के हुक्म से अपील हो सक्ती है [देखो आरडर ४३ कायदा १ [ग]

आरडर नम्बर २१ के कायदा ८९ के मुताबिक जो दरखास्त दी जावे और मद्यून के गैर हाजरी में डिसमिस कर दी जावे उस के हुक्म की तनवीजसानी करने की दरखास्त के नामन्जूरी के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती (इ. ला रि कलकत्ता जि ३१ सफा २०७)

इस कायदे के बमूजिब दरखास्त पेश करने के लिये बमूजिब मद १६९ एक्ट

मियाद ३० दिन की मुद्दत है, और अगर अदालत आखीर दिन को बन्द हो तो अदालत खुलने के अव्वल दिन को दरखास्त पेश होनी चाहिये (इ. ला. रि. कलकत्ता जि ३१ सफा १५०).

मुद्दई के लिये इलाजः—अगर मुद्दई की नालिश अदम पैरवी में बमूजिब कायदा ८ खारिज हो तो मुद्दई वैसे हुक्म खारजी की अपील न कर सकेगा, लेकिन वह—

(१) हस्ब दफा ११४ तजवीज सानी की दरखास्त दे सक्ता है (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ५६८) या,

(२) तारीख खारजी से ३० दिन के अन्दर हुक्म खारजी मनसूखी के लिये इस कायदा के मुवाफिक दरखास्त दे सक्ता है—(इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ३१ सफा १५०, वो मद्द न १६३ एक्ट मियाद सन १६०८).

पहिला इलाज मुद्दई को हर सूरत में हासिल है चाहे उस का मुकदमा अदम पैरवी में खारिज हुआ हो या और किसी सबब से, मगर दूसरा इलाज सिर्फ उस सूरत में लागू होगा जब कि मुद्दई का मुकद्दमा अदम पैरवी में खारिज हुआ हो—मतलब यह है कि अगर मुद्दई का मुकद्दमा अदम पैरवी के सिवाय किसी दूसरे सबब से खारिज हो, मसलन उस के गवाहों की गैर हाजरी से या शहादत पेश न करने से खारिज हो, तो मुद्दई दरखास्त निस्बत मन्सूखी हुक्म खारजी न दे सकेगा-मगर तजवीज सानी की दरखास्त दे सकेगा-(अलहाबाद हाई कोर्ट जि. ५ सफा ७४ वो इ. ला. रि. कलकत्ता जि १२ सफा ५६३)

हाजरी अदालत के मानेः—मुद्दई या मुद्दायलेह तारीख पेशी पर हाजिरः—समझा जायगा,

(१) असालतन

(२) मारफत [illegible] को [illegible] हिदायत कर दी गई हो [illegible] का

जवाब दे स[illegible]

अमालतन हाजरी:—अदालत में फरीक की सिर्फ मौजूदगी बतौर हाजरी समझी जा सकेगी—यह जरूर नहीं है कि वह किस गरज से हाजिर हुआ या होकर हाजिर उसने क्या काम किया—अगर उसने हाजिर होकर पेशी बढ़ाने की दरखास्त इस बिना पर दिया कि उस के गवाह हाजिर नहीं हैं तो मुद्दई की **हाजरी** समझी जावेगी अगर पेशी बढ़ाने की दरखास्त नामन्जूर हो और न लिश इस बिना पर खारिज हो कि मुद्दई अपने मुकद्दमे को साबित नहीं कर सका तो ऐसी खारजी अदम पैरवी की खारजी न समझी जावेगी, क्योंकि मुद्दई तो खुद हाजिर हुआ था, इस लिये यह कायदा यानी कायदा न १ उस को लागू न होगा—[इ ला रि बम्बई जि २३ सफा ४१४).

इसी तरह अगर मुद्दायलेह हाजिर होकर पेशी इस बिना पर बढ़ाने की दरखास्त दे कि जवाब देही करने के लिये उसे वक्त नहीं मिला तो मुद्दायलेह की **हाजरी** समझी जायेगी और अगर उस की दरखास्त पेशी बढाने की नामन्जूर हो और उस पर डिक्री हो जाये तो वैसी डिक्री एक तरफा न समझी जावेगी, क्योंकि मुद्दायलेह खुद हाजिर था और उसे कायदा १३ आर्डर न ९ लागू न होगा (वी रि. जि १७ सफा ३७०).

हाजरी मारफत वकील:—इस का कायदा कुछ दूसरा है, यानी, अदालत में सिर्फ वकील की मौजूदगी बतौर हाजरी न समझी जावेगी—कायदा यह है कि हाजरी मारफत ऐसे वकील के होना चाहिये जिसे मवक्कल की तरफ से पूरी हिदायत मिली हो व जो कुछ सवालात मुताल्लिक मुकदमा का जवाब दे सके या जिस के साथ ऐसा कोई शख्स हो जो वैसे सवालात का जवाब दे सके—(आर्डर नबर ५ कायदा १)—अगर वकील पेशी पर हाजिर होकर यह कहे कि गो उस का वकालतनामा पेश हो गया है मगर उस को मवक्कल की तरफ से मुकदमे की निस्बत कुछ हिदायत नहीं मिली है इस लिये वह मुकदमे की पैरवी या जवाब देही नहीं कर सका है तो वकील की ऐसी हाजरी बतौर **हाजरी निस्बत वकील** न समझी जावेगी (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २० सफा १९५)—इसी तरह अगर वकील यह कहे कि सिवाय पेशी बढ़ाने की दरखास्त देने के मवक्कल से और कोई हिदायत उसे नहीं मिली है और अगर पेशी बढ़ाने की दरख्वास्त नामन्जूर होकर वह मुकदमा

से अपना हाथ खींच ले और यह कहे कि उसे और कुछ हिदायत नहीं मिली है तो ऐसी हाजरी बतौर **हाजरी मारफत वकील** न समझी जावेगी (इं ला. रि बम्बई जिल्द २३ सफा ४१४)

लेकिन अगर वकील के साथ खुद फरीक हाजिर अदालत हो तो क्या समझा जायगा—हाई कोर्ट मदरास की यह राय है कि ऐसी हाजरी न समझी जावेगी (इं ला रि मदरास जिल्द ३० सफा २७४)—मगर हाई कोर्ट बम्बई की राय से वैसी हाजरी फरीक बतौर हाजरी समझी जावेगी क्योंकि अदालत बमूजिब आर्डर नंबर १० कायदा १ फरीक से सवालात मुताल्लिक मुकदमा पूछ सक्ती है या उस के गवाहों का इजहार ले सक्ती है या उस को दूसरा वकील लगाने की हिदायत कर सक्ती है (इ. ला रि बम्बई जिल्द ३३ सफा ४७५).

एक वकील मुद्दई की तरफ से पेशी पर हाजिर हुआ और उस ने पेशी बढ़ाने की दरखास्त इस बिना पर दिया कि वह मुकद्दमा की तैयारी इस सबब से नहीं कर सका कि कागजात मुताल्लिक मुकदमा बड़े वकील के पास है—उस की दरखास्त नामन्जूर हुई, वकील मुकदमा की पैरवी नहीं कर सका, मुकदमा खारिज हुआ तो ऐसी सूरत में हाजरी वकील बतौर हाजरी मारफत वकील करार दी गई- और मुद्दई वैसे हुक्म खारजी को रद्द कराने का हकदार नहीं समझा गया (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३४ सफा ४०३, ४११, ४१४).

दूसरी नालिश करना:—अगर तारीख पेशी पर मुद्दई के हाजिर न होने से उस का मुकदमा खारिज हो जाय तो मुद्दई उसी बिनाय दावा पर दूसरी नालिश नहीं दायर कर सक्ता—उस को चाहिये कि तजवीजसानी की दरखास्त दे या नम्बर पर कायम कराने की दरखास्त दे—लेकिन अगर बिनाय दावा दूसरी नालिश में पहिली नालिश से अलेहदा है तो दूसरी नालिश चल सकेगी- (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा ९८)—मसलन, (अ) ने (ब) पर पहिले लगान की नालिश किया, नालिश अदम पैरवी में खारिज हुई मुद्दई दूसरी नालिश लगान की नहीं कर सक्ता, मगर कब्जा पाने की कर सक्ता है—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ८ सफा ४२६)—दूसरी नालिश नाबालिग मुद्दई की तरफ से उसी बिनाय दावा [illegible] सकेगी [illegible] कि पहिली नालिश में

उस का वली तारीख पेशी पर अपनी सुस्ती या गफलत के सबब हाजिर न हुआ हो और मुकदमा अदम पैरवी में खारिज हुआ हो (इ ला रि बम्बई जिल्द २४ सफा ५४७, ६२२)

गैर हाजरी का काफी सबब.—काफी सबब का सवाल बतौर सवाल वाकिआती समझा जावगा—न कि सवाल कानूनी—मुद्दई अदालत से यह ख्याल करके चला गया कि अभी तो अदालत के रूबरू दूसरा मुकदमा पेश है और उस की सुनाई हो रही है, कुछ हो चुकी है, और कुछ बाकी है, मुकदमा खतम होने के लिये कुछ वक्त लगेगा इतने में वह आधे घंटे में लौट आयगा—चले जाने के बाद उस के मुकदमे का पुकारा हुआ, मुद्दई गैर हाजिर था—अदम पैरवी में उस का मुकदमा खारिज कर दिया गया, आध घंटे में वह लौटा और उस को सब हाल मालुम हुआ—उस ने नंबर पर कायम करने की दरखास्त दिया, दरखास्त नामन्जूर हुई और ऊपर लिखे हालात उस की गैर हाजरी के लिये, बतौर **काफी वजह** के नहीं करार दिये गये (इ. ला रि. बम्बई जिल्द १३ सफा १२)

वकील के मुन्शी का यह काम था कि हर रोज शाम के वक्त वह काजलिस्ट देखे और वकील को इत्तला दे कि दूसरे रोज कितने मुकदमें हैं, जिस में वकील साहब को पेश होना है एक रोज वह मुन्शी ऐसा करना व इत्तला देना भूल गया, नतीजा यह हुआ कि दूसरे रोज पेशी पर न मुद्दई, न मुद्दई का वकील हाजिर हुआ और मुकदमा अदम पैरवी में खारिज हो गया तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी गैर हाजरी नेक नियती की गलती से हुई, और मुकदमा नम्बर पर कायम किया गया, मुन्शी से खर्चा पेशी का दिलाया गया—(बम्बई हाई कोर्ट जि० २ सफा २६७)

एक मुकदमे में मुद्दई के वकील को यह ख्याल था कि पुकारा २ बजे होगा—इस लिये वह दूसरी अदालत में दूसरे मुकदमें की पैरवी करने के लिये चला गया—मुद्दई वकीलों के कमरे में बैठा था इतने में पुकारा १२ बजेही हो गया पुकारा के वक्त न मुद्दई न मुद्दई का वकील हाजिर हुआ मुकदमा अदम पैरवी में खारिज किया गया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि गो गैर हाजरी का कोई काफी सबब न था ताहम अदालत अपने असली अख्तयारात हस्ब दफा

१५.१ मज० जा० दीवानी के रू से मुकदमें को नंबर पर कायम कर सक्ती है— (इं. ला रि अलाहबाद जि० ३४ सफा ४२६)

कार्रवाई जब कि कई मुदइयों में से एक या जियादा गैर हाजिर हो

१० अगर एक से जियादा मुद्दई हों, और उन में से एक या जियादा हाजिर हों, और बाकी गैर हाजिर हों, तो अदालत को अख्तयार है कि बमूजिब दरख़ास्त उस मुद्दई या मुद्दई याने हाजिर के, मुकद्दमा में उसी तरह पैरवी होने की इजाजत दे कि मानों सब मुद्दईयान हाजिर हुये थे, या जो हुक्म मुनासिब समझे सादिर करे'

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १०५ से कायम किया गया है

कार्रवाई जब कि कई मुदायलेहुम में से एक या जियादा गैर हाजिर हों

११ अगर एक से जियादा मुदायलेह हों और उन में से एक या कई हाजिर हों और बाकी हाजिर न हों तो मुकदमे में कार्रवाई जारी रहेगी और फैसला सुनाने के वक्त अदालत उन मुदायलेहों के निसबत जो जाहिर न हों ऐसा हुक्म सादिर करेगी जो उसे मुनासिब मालूम हो

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १०६ से कायम किया गया है.

नतीजा गैर हाजरी का अगर कोई फरीक जिस को असालतन हाजिर होने का हुक्म हो बिला वजह काफी गैर हाजिर हो

१२ जब कोई मुद्दई या मुदायलेह जिस को असालतन हाजिर होने का हुक्म दिया गया हो असालतन हाजिर न होने की काफी वजह अदालत के इतमीनान के लायक जाहिर न करे तो पिछली दफों के मुताबिक वह कुल अहकाम का पाबन्द रहेगा, जो उन मुद्दईयान और मुदायलेहुम से मुताल्लुक हैं, जो हाजिर न हों—

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १०७ से कायम किया गया है–इण्डियन ला रिपोर्ट कलकत्ता जि० २ सफा २२२ में यह करार दिया गया है कि जब मुदायलेह तामील समन में हाजिर हो कर शहादत न दे तो अदालत का बहक मुद्दई डिक्री सादिर करना दुरूस्त है

मनसूख करना डिकरी एकतरफा का.

डिकरी एक तरफा की मनसूखी जो बरखिलाफ मुदायले सादिर हुई हो

१३. हर सूरत में जब डिकरी एकतरफा मुदायलेह पर सादिर की जाय तो मुदायलेह को मजाज है कि जिस अदालत से डिकरी सादिर हुई हो उस में इस गरज से दरख्वास्त दे कि डिकरी के मनसूखी का हुक्म सादिर हो, और

अगर वह अदालत का इतमीनान कर दे कि समन की तामील जाब्ता के मुताबिक नहीं की गई है, या वह किसी काफी वजह से अदालत में उस वक्त हाजिर नहीं हो सका जब कि मुकदमा सुनाई के लिये पेश हुआ था, तो अदालत हुक्म मनसूखी डिकरी जो उस के ऊपर हो, ऐसा शरायत खर्चा के, या दाखिल करने रु० अदालत के, या दीगर तोर पर जो मुनासिब समझे सादिर करे, और मुकदमें में कार्रवाई होने के लिये एक तारीख मुकर्रर करेगी

मगर शर्त यह है कि जब डिकरी इस किस्म की है कि वह सिर्फ ऐसे मुद्दायलेह के खिलाफ मनसूख नहीं हो सकी है, तो वह खिलाफ कुल या दीगर मुदायलेहुम में से किसी के खिलाफ मनसूख हो सकी है

तशरीह:—यह कायदा हर उन मुकदमें से लागू है जिसमें मुद्दायलेह पर डिक्री एकतरफा पहले पेशी पर या बाद की मुलतवी की हुई पेशी पर उस के हाजिर न होने के वजह से सादिर की जाय (इ ला रि, कलकत्ता जिल्द २३ सफा ७३८)

सिर्फ इस अमर से कि मुद्दायलेह ने डिक्री एकतरफा की अदाई कर दी है, इस कायदे के मुताबिक उस के मन्सूख करा पाने का हक उस का जायल नहीं होता है (इ. ला रि, बम्बई जि २३ सफा ७१६)

यह अमर कि कायदा ७ के मुताबिक हुक्म दिया गया, और उस की अपील नहीं हुई, इस कायदे के मुताबिक दरखास्त के लिये कोई ऐतराज नहीं है (इ ला. रि मदरास जि २१ सफा ३२४).

जब डिक्री के नाराजी से अपील पेश कर दी गई है तो डिक्री इब्तदाई का मन्सूख करना अदालत अपील के अखत्यार में है [इ. ला रि मदरास जि २० सफा ५३५]

यह कायदा उन शख्सों से लागू नहीं है जो हाजिर नहीं हुये हैं न उन पर डिक्री है [१ अलहाबाद ला जरनल सफा ४७०] यह कार्रवाई इजराय डिक्री से लागू है (३ कलकत्ता ला. जरनल सफा २७६)

डिक्री एकतरफा जब एक मरतबा मन्सूख कर दी गई तो अदालत को उस के बहाल करने का अखत्यार नहीं है (१७ मदरास ला जरनल रिपोर्ट सफा ८१)

डिक्री एकतरफा का यह मतलब हो सका है कि जब डिक्री मुद्दायलेह पर उस

वक्त सादिर की जाय जब उस के तरफ से कोई हाजिर न हुआ हो और जब मुद्दायलेह तामील समन में हाजिर आवे तो उस पर डिक्री एकतरफा सादिर नहीं हो सक्ती—और जब वह बजात खुद हाजिर न हो और जरिये वकील के हाजिर हो तब वह अमर इस बात पर मुनहसिर होगा कि वकील को काफी हिदायत थी कि नहीं (इ. ला रि. इलाहाबाद जि २० सफा १९५ वो इं ला रि बम्बई जि २३ सफा १४४)

दरखास्त मन्जूर किये जाने के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती [इं ला. रि अलहाबाद जि. १९ सफा ३५५]

*इलाज.—जब मुद्दायलह पर इकतरफा डिक्री पेशी पर हाजिर न होने के सबब से सादिर हो तो उस के लिये नीचे लिखे ३ इलाज है—

(१) मुद्दायलेह इक तरफा डिक्री की अपील बमूजिब दफा ९६ कर सक्ता है—

(२) वह बमूजिब दफा ११४—तजवीज सानी की दरखास्त दे सक्ता है—[इ. ला. रि. अलहाबाद जि. ६ सफा १५]—

(३) वह तारीख डिक्री से ३० दिन के अन्दर, या अगर समन की तामील उस पर नहीं हुई थी तो डिक्री के इल्म से ३० दिन के अन्दर इकतरफा डिक्री को रद्द कराने की दरखास्त इस कायदा के मुआफिक दे सक्ता है—(मद न. १६४ एक्ट मियाद सन १९०८)

पहिले दो इलाज हर डिक्री को लागू होंगे, चाहे वह डिक्री इकतरफा हो या न हो मगर तीसरा इलाज सिर्फ इकतरफा डिक्री को लागू होगा।

मुद्दायलेह को अख्त्यार है कि इकतरफा डिक्री मसूख कराने के बदले उस की अपील करे—(इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द ८ सफा २७२)—या तजवीज सानी की दरखास्त करे—(इ. ला. रि कलकत्ता जि. २६ सफा ५१८)

जवाब दावा पेश होने पर भी [illegible] वास्ते मसूखी इकतरफा डिक्री दी जा सक्ती है—(इ. ला. रि मद[illegible] [illegible]).

'इक तरफा डिक्री की अपील वो मसूखी की दरख्वास्त' —अगर मुद्दायलेह इक तरफा डिक्री को रद्द कराने की दरख्वास्त दे और उसके साथ २ डिक्री की अपील भी दायर करे तो ऐसी सूरत में क्या अदालत इब्तदाई को वैसी दरख्वास्त सुनने का अख्त्यार है या क्या वैसी दरख्वास्त की सुनाई अदालत अपील करेगी हाई कोर्ट मदरास की राय है कि अपील दायर हो जाने पर अदालत इब्तदाई को दरख्वास्त सुनने का कोई अख्त्यार नहीं रहता है वैसा अख्त्यार अदालत अपील को बमूजिब दफा १०७ हासिल हो जाता है—(इ ला रि मदरास जि ३० सफा ५२१)—मगर हाई कोर्ट कलकत्ता की यह राय है कि अदालत इब्तदाई को वैसी दरख्वास्त सुनने का अख्त्यार अपील दायर हो जाने पर भी रहता है सबब यह है कि अपील में रूईदाद मुकदमा का तसफिया होता है और दरख्वास्त में इस बात का तस्फिया होगा कि समन की बाजाब्ता तामील हुई या नहीं (कलकत्ता वी नो जि १२ सफा (८८५) लेकिन अगर डिक्री अदालत अपील से बहाल हो जाय तो फिर अदालत इब्तदाई को दरख्वास्त निस्बत मसूखी इक तरफा डिक्री सुनने का अख्त्यार न रहेगा (इ ला रि. अलाहाबाद जि ३७ सफा २०८)

फर्ज करो कि मुद्दई ने दो मुद्दायलेहों पर नालिश दायर किया एक मुद्दायलेह पेशी पर हाजिर हुआ और दूसरा नहीं हुआ जो गैर हाजिर था उस पर इक तरफा डिक्री हुई और जो हाजिर था उस पर बाद सुनने उसके उजरात डिक्री हुई गैर हाजिर मुद्दायलेह ने उस डिक्री के मसूख कराने की दरख्वास्त दिया, और हाजिर मुद्दायलेह ने उसकी अपील किया तो इस सूरत में वही कायदा लागू होगा—जो ऊपर दर्ज है

एक तरफा डिक्री जो फरेब से हासिल की गई है —ऐसे डिक्री को मसूख कराने के लिये मुद्दायलेह को ऊपर लिखे इलाज के सिवाय, नई नालिश करने का भी अख्त्यार है—(इ ला रि. कलकत्ता जि. २१ सफा ६०५)—मुद्दायलेह की वैसी नालिश चल सकेगी, गो उसकी दरख्वास्त निस्बत मन्सूखी नामजूर हुई हो—(इ. ला रि. कलकत्ता जि २६ सफा ३९५)—लेकिन अगर फरेब का सवाल नयी नालिश में वही हो जो दरख्वास्त में था—और जिसका तसफिया दरख्वास्त में हो चुका—तो उसूल रेसजुडीकेटा लागू होगा

वक्त सादिर की जाय जब उस के तरफ से कोई हाजिर न हुआ हो और जब मुद्दायलेह तामील समन में हाजिर आवे तो उस पर डिक्री एकतरफा सादिर नहीं हो सक्ती–और जब वह बजात खुद हाजिर न हो और जरिये वकील के हाजिर हो तब वह अमर इस बात पर मुनहसिर होगा कि वकील को काफी हिदायत थी कि नहीं (इ. ला. रि इलाहाबाद जि. २० सफा १९५ वो इ ला. रि बम्बई जि २३ सफा १४४)

दरखास्त मन्जूर किये जाने के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती [इ ला. रि इलाहाबाद जि. १९ सफा ३५५]

इलाज.—जब मुद्दयलेह पर इक तरफा डिक्री पेशी पर हाजिर न होने के सबब से सादिर हो तो उस के लिये नीचे लिखे ३ इलाज है—

(१) मुद्दायलेह इक तरफा डिक्री की अपील बमूजिब दफा ९६ कर सक्ता है—

(२) वह बमूजिब दफा ११४—तजवीज सानी की दरखास्त दे सक्ता है—[इ. ला. रि. इलाहाबाद जि. ६ सफा १५]—

(३) वह तारीख डिक्री से ३० दिन के अन्दर, या अगर समन की तामील उस पर नहीं हुई थी तो डिक्री के इल्म से ३० दिन के अन्दर इकतरफा डिक्री को रद्द कराने की दरखास्त इस कायदा के मुआफिक दे सक्ता है—(मद न. १६४ एक्ट मियाद सन १९०८)

पहिले दो इलाज हर डिक्री को लागू होंगे, चाहे वह डिक्री इकतरफा हो या न हो मगर तीसरा इलाज सिर्फ इकतरफा डिक्री को लागू होगा।

मुद्दायलेह को अख्तयार है कि इकतरफा डिक्री मसूख कराने के बदले उस की अपील करे—(इ. ला रि इलाहाबाद जिल्द ८ सफा २७२)—या तजवीज सानी की दरखास्त करे—(इ. ला. रि कलकत्ता जि. २६ सफा ५९८)

जवाब दावा पेश होने पर भी दरखास्त वास्ते मसूखी इकतरफा डिक्री दी जा सक्ती है—(इ. ला. रि मदरास जिल्द ३१ सफा ५०५).

इक तरफा डिक्री की अपील वो मसूखी की दरखास्त—अगर मुद्दायलेह इक तरफा डिक्री को रद्द कराने की दरखास्त दे और उसके साथ २ डिक्री की अपील भी दायर करे तो ऐसी सूरत में क्या अदालत इब्तदाई को वैसी दरखास्त सुनने का अख्त्यार है या क्या वैसी दरखास्त की सुनाई अदालत अपील करेगी हाई कोर्ट मदरास की राय है कि अपील दायर हो जाने पर अदालत इब्तदाई को दरखास्त सुनने का कोई अख्त्यार नहीं रहता है वैसा अख्त्यार अदालत अपील को बमूजिब दफा १०७ हासिल हो जाता है—(इ. ला. रि. मदरास जि. ३० सफा ५२९)—मगर हाई कोर्ट कलकत्ता की यह राय है कि अदालत इब्तदाई को वैसी दरखास्त सुनने का अख्त्यार अपील दायर हो जाने पर भी रहता है सबब यह है कि अपील में रूईदाद मुकदमा का तसफ़िया होता है और दरखास्त में इस बात का तस्फिया होगा कि समन की बाजाब्ता तामील हुई या नहीं (कलकत्ता वी. नो. जि. १२ सफा (८८५) लेकिन अगर डिक्री अदालत अपील से बहाल हो जाय तो फिर अदालत इब्तदाई को दरखास्त निस्बत मसूखी इक तरफा डिक्री सुनने का अख्त्यार न रहेगा (इ. ला. रि. अलाहाबाद जि. २७ सफा २०८)

फर्ज करो कि मुद्दई ने दो मुद्दायलेहों पर नालिश दायर किया एक मुद्दायलेह पेशी पर हाजिर हुआ और दूसरा नहीं हुआ जो गैर हाजिर था उस पर इक तरफा डिक्री हुई और जो हाजिर था उस पर बाद सुनने उसके उजरात डिक्री हुई गैर हाजिर मुद्दायलेह ने उस डिक्री के मसूख कराने की दरखास्त दिया, और हाजिर मुद्दायलेह ने उसकी अपील किया तो इस सूरत में वही कायदा लागू होगा—जो ऊपर दर्ज है.

एक तरफा डिक्री जो फरेब से हासिल की गई है—ऐसे डिक्री को मसूख कराने के लिये मुद्दायलेह को ऊपर लिखे इलाज के सिवाय, नई नालिश करने का भी अख्त्यार है—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि. २१ सफा ६०५)—मुद्दायलेह की वैसी नालिश चल सकेगी, गो उसकी दरख्वास्त निस्बत मन्सूखी नामंजूर हुई हो—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि. २८ सफा ३९५)—लेकिन अगर फरेब का सवाल नबरी नालिश में वही हो जो दरखास्त में था—और जिसका तसफिया दरखास्त में हो चुका—तो उसूल रेसजुडीकेटा लागू होगा

वक्त सादिर की जाय जब उस के तरफ से कोई हाजिर न हुआ हो और जब मुद्दायलेह तामील समन में हाजिर आवे तो उस पर डिक्री एकतरफा सादिर नहीं हो सक्ती— और जब वह बजात खुद हाजिर न हो और जरिये वकील के हाजिर हो तब वह अमर इस बात पर मुनहसिर होगा कि वकील को काफी हिदायत थी कि नहीं (इ. ला रि इलाहाबाद जि २० सफा १६५ वो इ ला. रि बम्बई जि २३ सफा १४४)

दरखास्त मन्जूर किये जाने के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती [इ. ला. रि इलाहाबाद जि १९ सफा ३५५]

इलाज.—जब मुद्दायलह पर इकतरफा डिक्री पेशी पर हाजिर न होने के सबब से सादिर हो तो उस के लिये नीचे लिखे ३ इलाज है—

(१) मुद्दायलेह इक तरफा डिक्री की अपील बमूजिब दफा ९६ कर सक्ता है—

(२) वह बमूजिब दफा ११४—तजवीज सानी की दरखास्त दे सक्ता है—[इ. ला. रि. इलहाबाद जि. ६ सफा १५]—

(३) वह तारीख डिक्री से ३० दिन के अन्दर, या अगर समन की तामील उस पर नहीं हुई थी तो डिक्री के इल्म से ३० दिन के अन्दर इकतरफा डिक्री को रद्द कराने की दरखास्त इस कायदा के मुआफिक दे सक्ता है—(मद न. १६४ एक्ट मियाद सन १९०८)

पहिले दो इलाज हर डिक्री को लागू होंगे, चाहे वह डिक्री इकतरफा हो या न हो मगर तीसरा इलाज सिर्फ इकतरफा डिक्री को लागू होगा।

मुद्दायलेह को अख्त्यार है कि इकतरफा डिक्री मंसूख कराने के बदले उस की अपील करे—(इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द ८ सफा २७२)—या तजवीज सानी की दरखास्त करे—(इ. ला. रि कलकत्ता जि २६ सफा ५९८)

जवाब दावा पेश होने पर भी दरखास्त वास्ते मंसूखी इकतरफा डिक्री दी जा सक्ती है—(इ. ला. रि मदरास जिल्द ३१ सफा ५०५)

इक तरफा डिक्री की अपील वो मसूखी की दरखास्त —अगर मुद्दायलेह इक तरफा डिक्री को रद्द कराने की दरखास्त दे और उसके साथ २ डिक्री की अपील भी दायर करे तो ऐसी सूरत में क्या अदालत इब्तदाई को वैसी दरखास्त सुनने का अख्त्यार है या क्या वैसी दरखास्त की सुनाई अदालत अपील करेगी हाई कोर्ट मदरास की राय है कि अपील दायर हो जाने पर अदालत इब्तदाई को दरखास्त सुनने का कोई अखत्यार नहीं रहता है वैसा अख्त्यार अदालत अपील को बमूजिब दफा १०७ हासिल हो जाता है—(इ ला रि मदरास जि ३० सफा ५२९)—मगर हाई कोर्ट कलकत्ता की यह राय है कि अदालत इब्तदाई को वैसी दरखास्त सुनने का अखत्यार अपील दायर हो जाने पर भी रहता है सबब यह है कि अपील में रूईदाद मुकदमा का तसफिया होता है और दरखास्त में इस बात का तसफिया होगा कि समन की बाजाब्ता तामील हुई या नहीं (कलकत्ता वी नो जि १२ सफा (८८५) लेकिन अगर डिक्री अदालत अपील से बहाल हो जाय तो फिर अदालत इब्तदाई को दरखास्त निसबत मसूखी इक तरफा डिक्री सुनने का अखत्यार न रहेगा (इ ला रि. इलाहाबाद जि ३७ सफा २०८)

फर्ज करो कि मुद्दई ने दो मुद्दायलेहों पर नालिश दायर किया एक मुद्दायलेह पेशी पर हाजिर हुआ और दूसरा नहीं हुआ जो गैर हाजिर था उस पर इक तरफा डिक्री हुई और जो हाजिर था उस पर बाद सुनने उसके उजरात डिक्री हुई गैर हाजिर मुद्दायलेह ने उस डिक्री के मसूख कराने की दरखास्त दिया, और हाजिर मुद्दायलेह ने उसकी अपील किया तो इस सूरत में वही कायदा लागू होगा—जो ऊपर दर्ज है

एक तरफा डिक्री जो फरेब से हासिल की गई है —ऐसे डिक्री को मसूख कराने के लिये मुद्दायलेह को ऊपर लिखे इलाज के सिवाय, नई नालिश करने का भी अखत्यार है—(इ ला रि. कलकत्ता जि २१ सफा ६०५)—मुद्दायलेह की वैसी नालिश चल सकेगी, गो उसकी दरखास्त निसबत मन्सूखी नामंजूर हुई हो—(इ ला. रि कलकत्ता जि. २८ सफा ३९५)—लेकिन अगर फरेब का सवाल नई नालिश में वही हो जो दरखास्त में था—और जिसका तसफिया दरखास्त में हो चुका—तो उसूल रेसजुडीकेटा लागू होगा

यानी नालिश न चल सकेगी—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जि २९ सफा ६०८)--

मुतवफी मुद्दायलेह का कायम मुकाम जायजः—ऐसा कायम मुकाम जायज दरख्वास्त निसबत मन्सूखी इक तरफा डिक्री दे सक्ता है—(इ ला रि. मद्रास जि ३८ सफा ४४२ वो दफा १४६ – जाब्ता दीवानी)—

वजूहात जिन पर इक तरफा डिक्री मसूख हो सक्ती हैः—इक तरफा डिक्री की मसूखी दो वजूहात पर होगी.

(१) कि मुद्दायलेह पर समन की तामीली बाजाब्ता नहीं हुई (इं ला रि. अलाहाबाद जि २४ सफा ३८३)—

(२) कि मुद्दायलेह पेशी के वक्त काफी सबब से हाजिर न हो सका [इ. ला. रि मद्रास जि. २६ सफा ९११].

पर्दा नशीन औरत के मकान पर समन चिपकाया गया, क्योंकि मजकूरी तामील समन उसकी जात खास पर बसबब पर्दा नहीं कर सक्ता था औरत बाहर नहीं निकलती थी, और उसको इल्म नहीं हुआ कि उस पर मुकदमा दायर हुआ–वह तारीख पेशी पर हाजिर न हो सकी और उस पर इक तरफा डिक्री हुई, डिक्री इस वजह पर मसूख की गई, कि वह बसबब काफी वजह के पेशी पर हाजिर नहीं हो सकी थी–[कलकत्ता वी नो जि. १९ सफा १२३१]--**काफी वजह.**—के लिये, देखो कायदा ९ की तशरीह वा नोट.

शर्त का अखीर फिकराः--एक सूरत तो यह है कि जब इक तरफा डिक्री कुल मुद्दायलेहुम पर सादिर हो मगर उसके मसूख कराने की दरख्वास्त उनमें से चंद मुद्दायलेहुम ने दी हो और चंद ने न दी हो, और दूसरी सूरत यह है कि जब डिक्री चंद मुद्दायलेहुम पर इक तरफा सादिर हुई हो. और चंद मुद्दायलेहुम पर उनके उजरात वो जवाब देही सुनने के बाद दी हो और मन्सूखी की दरख्वास्त इक तरफा डिक्री वाले मुद्दायलेहों में से एक या ज्यादा ने की हो तो इन दोनों सूरतों में आम कायदा यह है, कि डिक्री मसूख की जायगी.

(१) अगर बगरज इंसाफ मसूख करना मुनासिब है–[इ ला रि.

अलाहाबाद जि २४ सफ़ा ३८३, ४००].

(२) अगर डिक्री एक वो गैर काबिल तकसीम हो यानी उसके टुकड़े न हो सके हो —[इ ला रि. कलकत्ता जि. २८ सफ़ा १५५, १६०]

(३) अगर डिक्री मसूख न होने से उस मुक़दमे में कई डिक्रिया ऐसी होगी जो एक दूसरे के खिलाफ़ होगी—[इं. ला रि. अलाहाबाद जि० २४ सफ़ा ३८३, ३८८, ४००]—

(४) जब कि डिक्री को मसूख किये बगैर सायल को पूरी दादरसी नहीं दी जा सकी—(इ ला रि अलाहाबाद जि० २४ सफ़ा ४०१)

(५) जब कि डिक्री एक ऐसी बुन्याद पर दी गई हो, जो सब मुद्दायलेहों को लागू होती हो —[इ. ला रि मद्रास जि १६ सफ़ा ६०४]

इसका खुलासा नीचे लिखी हुई नजीरों से साफ़ मालुम होगा.

(१) (ख) (ग) (घ) शामिल शरीक हिन्दू खानदान के मेम्बरान हैं इन्हों ने अपनी शामिल शराकती जायदाद का रहननामा (क) को लिख दिया, (क) ने उन तीनों पर नालिश दायर किया समन की तामील (ख) व (ग) पर नहीं हुई, मगर (घ) पर हुई, पेशी पर तीनों नहीं आये, और उन तीनों पर एक तरफ़ा डिकरी सादिर हुई—[ख] व [ग] ने डिक्री मसूखी की दरखास्त इस बिना पर दी कि समन की तामील उन पर नहीं हुई थी—चूंकि डिकरी एक वो गैर काबिल तक़सीम है, यानी उस के टुकड़े नहीं हो सके, इस लिये अदालत डिकरी मजकूर न सिर्फ खिलाफ (ख) वो (ग) मसूख करेगी, बल्कि खिलाफ (घ) भी मसूख करेगी, गो (घ) पर समन की तामीली हुई थी, और उस के गैर हाजरी के लिये कोई **काफी वजह** न थी—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २३ सफ़ा २६४).

(२) (अ) ने (ब) पर व उस के दो नाबालिग बेटों [क] [ख] पर १०००) रूपये की नालिश दायर किया, इस बिना पर कि बाप वो बेटे शामिल शरीक हैं, और बाप ने यह रूपया बहैसियत मेनेजर खानदान कर्ज लिया था—पेशी के रोज तीनों नहीं आये—और तीनों पर एक तरफा डिकरी सादिर हुई, तीनो ने डिकरी मनसूखी की दरखास्त दिया, बेटों के निस्वत यह साबित हुआ, कि उन पर समन की तामीली नहीं हुई मगर बाप के निस्वत समन की तामीली साबित पाई गई—चूंकि डिक्री एक नौ गैर काबिल तकसीम है, इस लिये अदालत डिक्री मजकूर न सिर्फ खिलाफ बेटों के मनसूख करेगी, बल्कि खिलाफ बाप भी मन्सूख करेगी, गो बाप पर समन की तामील हुई थी, और उसकी गैर हाजरी के लिये, कोई काफी सबब न था—डिक्री इस वजह से और भी तीनों के खिलाफ मन्सूख होगी, क्योंकि बेटों को पूरी दादरसी नहीं मिल सक्ती, जब तक कि बाप पर जो डिक्री हुई वह भी मन्सूख न की जाय—अगर बाप पर डिकरी कायम रहेगी, तो जायदाद में जो हिस्सा बाप का है, वह कुर्क होकर नीलाम हो जायगा—गो मुकदमा की दुबारा तजवीज के वक्त बेटे यह साबित करदें, कि कर्जा नहीं लिया गया था—या कर्जा चुका दिया गया, या उस कर्जे की अदाई का बोझ खानदानी जायदाद पर नहीं हो सक्ता—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २४ सफा ३८३, ४००, ४०१).

(३) [अ] [ब] वो [क] तीनों शामिल शरीक हैं और तीनों का शामलाती कब्जा जायदाद गैर मनकूला पर है [क] ने [अ] वो [ब] पर इस अमर के इस्तकरार हक की नालिश दायर किया, कि उसका शामलाती कब्जा, (अ) वो (ब) के साथ करार दिया जावे, समन की तामील (अ) पर हुई, मगर (ब) पर नहीं हुई—पेशी पर दोनों नहीं आये, और दोनों पर इक तरफा डिक्री सादिर हुई—(ब) ने डिक्री मन्सूखी की दरखास्त दिया, डिक्री उसके खिलाफ मन्सूख हुई, मगर (अ) के खिलाफ कायम रही—

पेशी के वक्त (ब) ने यह साबित कर दिया, कि (क) का हक जायदाद पर कुछ नहीं है, पस ऐसी सूरत में अगर पूरी डिक्री खिलाफ (अ) वो (ब) मन्सूख न होगी, तो नतीजा यह होगा, कि एकही नालिश में दो किस्म की डिक्री एक दूसरे के खिलाफ सादिर होगी, क्योंकि जो इक तरफा डिक्री (क) को (अ) पर मिली है, उससे यह पाया जायगा, कि (क) का कब्जा शामलाती (अ) वो (ब) के साथ हैं और दुबारा तजबीज के वक्त जो डिक्री खिलाफ (क) सादिर होगी, उस से यह पाया जायगा, कि (क) का कब्जा शामलाती (अ) वो (ब) के साथ नहीं है–यह दोनों डिक्रिया एक दूसरे के खिलाफ होंगी–पस पूरी डिक्री दोनों मुद्दायलेह के खिलाफ मसूख होगी, ताकि मुकदमा की जाच नये सिरे से की जाय–[इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १३ सफा ३८३, ३८८]

अपील.—जो दरखास्त इस कायदे के मुआफिक दी जावे और वह मजूर न हो, तो नामन्जूरी की अपील हो सकेगी–[देखो आर्डर न ४३ कायदा १ घ]–लेकिन अगर दरखास्त मंजूर हो तो मजूरी की अपील न होगी–[इ ला रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा ४२६].

डिक्री बगैर इत्तला तरफसानी के मनसूख न की जायगी

१४ कोई डिक्री बवजह गुजरने दरखास्त किस्म के मनसूख न की जायगी, जब तक के उस दरख्वास्त के गुजरने की इत्तला तरफसानी पर तामील न हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १०९ से कायम किया गया है–बमूजिब दफा १४६ नोटिस डिक्रीदार मुतनफ्फी के कायम मुकामान जायज को जाना चाहिये

(२) (अ) ने (ब) पर व उस के दो नाबालिग बेटों [फ] [ख] पर १०००) रूपये की नालिश दायर किया, इस बिना पर कि बाप वो बेटे शामिल शरीक हैं, और बाप ने यह रुपया बहैसियत मैनेजर खानदान कर्ज लिया था—पेशी के रोज तीनों नहीं आये—और तीनों पर एक तरफा डिक्री सादिर हुई, तीनो ने डिकरी मसूखी की दरखास्त किया, बेटों के निस्बत यह साबित हुआ, कि उन पर समन की तामीली नहीं हुई मगर बाप के निस्बत समन की तामीली साबित पाई गई—चूंकि डिक्री एक नो गैर काबिल तकसीम है, इस लिये अदालत डिक्री मजकूर न सिर्फ खिलाफ बेटों के मनसूख करेगी, बल्कि खिलाफ बाप भी मन्सूख करेगी, गो बाप पर समन की तामील हुई थी, और उसकी गैर हाजरी के लिये, कोई काफी सबब न था—डिक्री इस वजह से और भी तीनों के खिलाफ मन्सूख होगी, क्योंकि बेटों को पूरी दादरसी नहीं मिल सक्ती, जब तक कि बाप पर जो डिक्री हुई वह भी मन्सूख न की जाय—अगर बाप पर डिकरी कायम रहेगी, तो जायदाद में जो हिस्सा बाप का है, वह कुर्क होकर नीलाम हो जायगा—गो मुकदमा की दुबारा तजवीज के वक्त बेटे यह साबित करदें, कि कर्ज नहीं लिया गया था—या कर्ज चुका दिया गया, या उस कर्जे की अदाई का बोझ खानदानी जायदाद पर नहीं हो सक्ता—(इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द २४ सफा ३८३, ४००, ४०१).

(३) [अ] [ब] वो [क] तीनों शामिल शरीक हैं और तीनों का शामलाती कब्जा जायदाद गैर मनकूला पर है [क] ने [अ] वो [ब] पर इस अमर के इस्तकरार हक की नालिश दायर किया, कि उसका शामलाती कब्जा, (अ) वो (ब) के साथ करार दिया जावे, समन की तामील (अ) पर हुई, मगर (ब) पर नहीं हुई—पेशी पर दोनों नहीं आये, और दोनों पर इक तरफा डिक्री सादिर हुई—(ब) ने डिक्री मन्सूखी की दरखास्त दिया, डिक्री उसके खिलाफ मन्सूख हुई, मगर (अ) के खिलाफ कायम रही—

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ११८ से कायम किया गया है.

जबानी इजहार का मनशा शहादत लेने का नहीं है मगर यह देखने का है कि र मुतनाजिया क्या है (५ बम्बई ला रिपोर्ट सफा ६८७)

कोई फरीक जिस का इजहार इस कायदा के रू से लिया जाय सिर्फ वह का पाबंद होगा [२ अलाहाबाद ला जरनल सफा ७७७]

३ जबानी इजहार का खुलासा जज के हाथ से लिखा जायगा-और शामिल मिसल रहेगा

नी इजहार का खुलासा | जायगा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ११६ से कायम किया गया है.

४ (१) अगर वकील किसी फरीक का जो बजरिये वकील हाजिर हो या कोई शख्स जो वकील के साथ हो जैसा कि कायदा २ में बयान किया गया है, मुकदमें के मुताल्लुक के जरूरी अमर के जवाब देने से इनकार करे, या जवाब न दे सके, और त के नजदीक उस फरीक पर जिस का वह कायम मुकाम है, उस का देना वाजिब हो, और अदालत के दानिस्त में मुमकिन हो कि अगर उस सालतन दरयाफ्त किया जाय तो वह उस का जवाब दे सकेगा, तो त मजाज होगी कि मुकदमें को किसी आने वाली तारीख तक मुलतवी हुक्म दे कि वह फरीक उस तारीख पर असालतन हाजिर हो

वकील जवाब देने से | करे या जवाब न दे सके

(२) अगर फरीक मजकूर तारीख मुकर्ररा पर बिला उजर जायज तन हाजिर न हो, तो अदालत को अख्तयार होगा, कि उस के खिलाफ ज, या ऐसा हुक्म मुकदमें के निसबत जो उस के नजदीक मुनासिब हो, करे

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १२० से कायम किया गया है.

जब कोई मुद्दई जरिये वकील के हाजिर होवे तो जब तक किसी जरूरी अमर का जवाब देने से वकील इन्कार न करे तो अदालत को इस कायदा के हुक्म देने का अख्तयार नहीं है (६ ला. रिपोर्ट बम्बई जिल्द २४ १८).

स कायदा के शिकमी फिकरा (२) के रू से जो हुक्म खिलाफ फरीक य उस की अपील हो सकेगी—(देखो आर्डर न ४ कायदा १३ दूसा)

आर्डर—१०.

फरीकेन का इजहार अदालत की मारफत.

दरयाफ्त हाल निसबत इस के कि बयानात मुन्दरज प्लीडिंग से इकबाल है या इन्कार है

१. मुकदमे की अव्वल सुनाई के वक्त अदालत हर फरीक या उस के वकील से, निसबत उन बयान वाकेआ के जो अरजी दावा या फरीकसानी के बयान तहरीरी में (अगर कोई बयान तहरीरी हो) लिखे गये हों, और जिन को साफ तौर से या इस तरह से जिस्से उस का मतलब जरूरी निकलता हो, उस फरीक ने जिस के मुकाबले में वह लिखे गये थे, तसलीम नहीं किया, या उन से इकार नहीं किया हो, दरयाफ्त करेगी कि आया वह कबूल करता है या इकार करता है और अदालत ऐसा इकबाल या इन्कार तहरीर करेगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ११७ से कायम किया गया है. किसी अमर वाकेआती पर कोई वकील इकबाल करे तो उस का मवक्कल उस का पाबन्द रहेगा (६ वीकली रिपोर्टर सफा ४८५).

कानून के गलत मतलब पर वकील अपनी अगर रजामन्दी देदे तो उस से उस का मवक्कल पाबंद नहीं हो सक्ता [१६ वीकली रिपोर्टर सफा २४६].

कोई वकील विना साफ रजामंदी के अपने मवक्कल के दावी का कोई हिस्सा छोड़ नहीं सक्ता (वीकली रिपोर्टर जिल्द १२ सफा २७९).

जबानी इजहार फरीक का या फरीक के साथी का

२ मुकदमे की अव्वल सुनाई या बाद की किसी सुनाई के वक्त, अदालत को अखत्यार है कि जबानी इजहार किसी फरीक का, जो अदालत में हाजिर आय, या मौजूद हो, या किसी शख्स का जो मुकदमा के जरूरी बातों का जवाब दे सके, और जिस को फरीक मजकूर या उस का वकील अपने साथ अदालत में लाया हो कलमबद करले, और अदालत मजाज है कि अगर मुनासिब समझे जबानी इजहार लिखे जाने के दरमियान उस से जो कुछ सवालात कोई फरीक सुझाये दरयाफ्त करे

त्या—पम (अ) को दो बात साबित करना होगी

(१) माहदा

(२) माहदा की टूट

(ब) को अखत्यार है कि (अ) का बजरिये बन्द सवालात निस्वत माहदा वो टूट माहदा के पूछे मगर यह अखत्यार नहीं है कि वह उससे बजरिये बन्द सवालात यह पूछ सके कि वह अपने मुकदमा को किस शहादत से साबित करेगा

(ब) इस किस्म के बन्द सवालात नहीं पूछ सक्ता कि माहदा करते वक्त कौन २ शख्स हाजिर थे या टूट के वक्त कौन २ हाजिर थे– क्योंकि गवाहों के नाम या शहादत मालूम हो जाने से यह अहतमाल है कि शायद (ब) (अ) के गवाहों को अपनी तरफ मिला लेवे—

एक फरीक दूसरे फरीक से बजरिये बन्द सवालात कबूल कराकर अपना मामला जोरदार और दूसरे का कम जोर कर सक्ता है, मसलन एक मिस्त्री ने महाजन के लिये कुछ सामान कीमती ५०० प्रदर्शनी में रखने के वास्ते बनाया मिस्त्री ने महाजन पर नालिश रकम मजकूर की किया मुद्दायलेह ने अपने जवाब दावा में उजर किया कि सामान में कुछ नुक्स था और वह बेकाम था मुद्दई मुद्दायलेह से बजरिये बन्द सवालात यह पूछ सक्ता है कि क्या प्रदर्शनी में उस सामान पर कुछ इनाम मिला था अगर इनाम मिला था तो मुद्दई का मुकद्दमा जोर दार हो जायगा और मुद्दयलेह की जवाब दही कम जोर होगी, और मुद्दयलेह का इकबाल हो जायगा कि सामान जो मिस्त्री ने बनाया और जिसकी नालिश है नुक्स का था या बेकाम न था इस तरह के बंद सवालात पूछे जा सक्ते हैं—(सी. डी. जि० २० सफा ५१६, ५२०)

मगर बेदखली जमीन के मामला में इस किस्म के कबूल कराने में फरीक का कुछ फायदा न होगा—बेदखली जमीन के मामला में मुद्दई जब तक अपना हक अपनी शहादत से साबित न करेगा तब तक वह डिक्री पाने का हकदार न होगा —चाहे वह मुद्दायलेह से फेर फार कर बंद सवालात से कैसा ही कबूल क्यों न करा लेवे—(अपील केसेज जि० १९ सफा ३०६)

आर्डर—११.

दरयाफ्त हाल और मुलाहज़ा.

दरख्वास्त हाल बज़रीये वद सवालात के

१ किसी मुकदमा में मुदई या मुदायलेह को अख्त्यार है कि अदालत की इजाजत हासिल करके, तहरीरी वद सवालात का जिन के जवाबात तरफ सानी या उन में से एक या ज़ियादा से लेना मन्जूर हो अदालत की मारफत हवाला करे और हवाला किये हुये सवालात के नीचे यह लिख दिया जायेगा कि हर शख्स से किस २ सवाल का जवाब तलब है मगर शर्त यह है कि बिला इजाजत उस गरज के लिये किसी फरीक को अख्त्यार न होगा कि एक ही फरीक के लिये एक से ज़ियादा फेहरिस्त वन्द सवालात की हवाले करे, और शर्त यह भी है कि जिन सवालात में अमूर मुतनाज़िया न लिखे न हों वह गैर मुताल्लुक समझे जावेंगे बावजूद इस बात के कि वे सवालात किसी गवाह ज़बानी सवालात जिरह करते वक्त काबिल मंज़ूरी होवे

की दे सका है कि शख्स मजकूर के नाम हुक्म जारी किया जाय कि वह सवाल का जवाब या जवाब मजीद दे जैसी सूरत हो—और उस के नाम हुक्म सादिर हो सका है कि वह बजरिये तहरीर हलफी या बयान जबानी के जिस तौर पर अदालत हिदायत करे सवाल का जवाब या जवाब मजीद दे

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १२७ से कायम किया गया है

जब अदालत ने चन्द सवाल भेजने की इजाजत मनजूर की है तो वह हुक्म इस कायदा के मुवाफिक नहीं है (इ ला रि कलकत्ता जि० १८ सफा ४२०)

दरखास्त में यह बतलाना चाहिये कि किस सवाल में या सवाल के किस हिस्सा में ज्यादा जवाब लेने की जरूरत है—जवाब में सिर्फ यह देखना चाहिये कि वह काफी है या गैर काफी–जवाब सच है या झूट इस से कुछ मतलब नहीं,

जवाब न देने का नतीजा देखो कायदा २१ आर्डर न ११

दरखास्त वास्ते तलाशी दस्तावेजात के

१२. कोई फरीक बगैर दाखिल करने किसी तहरीरी बयान हलफी के अदालत में दरख्वास्त इस मजमून की दे सक्ता है, कि किसी और फरीक मुकदमा को हुक्म दिया जाय, कि उन दस्तावेजात को बजरूय हलफ जाहिर करे जो उस के कबजे या अखत्यार में हो, और जो मुकदमे के किसी अमर मुतनाजिया से मुताल्लुक हो दरखास्त मजकूर की सुनाई के वक्त अदालत को अखत्यार है कि उस दरखास्त को नामन्जूर या मुलतवी करे अगर उस का इतमीनान हो कि ऐसे तलाशी की जरूरत नहीं है या मुकदमें की उस नावत पर उस की जरूरत नहीं है, या निसबत चन्द किस्म दस्तावेजात के आम या खास हुक्म सादिर करे जो उस के नजदीक मुनासिब मालूम पड़े—मगर शर्त यह है कि ऐसी तलाशी का हुक्म सादिर नहीं किया जायगा जब और जहां तक अदालत की राय हो कि मुकदमा के वाजवी तौर से तनफिया करने के या खरचा बचाने के गरज से हुक्म मजकूर जरूरी नहीं है

तशरीह:—इंडियन ला रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द २२ सफा ८२१ में यह करार दिया गया है कि वली, फरीक मुकदमा नहीं है

जब कि कई मुद्दई हैं तो बयान हलफी के देने में सब को शामिल होना चाहिये–(इ. ला. रि बम्बई जिल्द १५ सफा ७)

७ कोई सवालात इस वजह से मनसूख किये जा सके हैं, कि वह बिला वजह या दुख पहुंचाने के लिये पूछे गये हैं, या इस वजह से खारिज किये जा सके हैं, कि वह लंबे चौडे, या तकलीफ देने वाले या गैर जरूरी या तोहमत मिले हुये हैं—और जो दरखास्त इस मतलब के लिये दी जाय, जायज है कि सवालात हवाला होने से सात दिन के अन्दर पेश की जाय

सवालात को मनसूख या खारिज करना

तशरीह.—यह कायदा नया है.

मुद्दायलेह से पूछना कि वह अपने खाते बही पिछले बहुत सालों का देख कर जवाब देवे दुख दायक को तकलीफ दायक सवाल समझा जावेगा और ऐसा सवाल इस कायदा के रू से मनसूख वो खारिज किया जायगा (चेनसरी जि० १ सफा ३३४)—

८ बन्द सवालात को जवाबात बजरिये तहरीर हलफी बयानात के दिये जायेंगे, जो दस रोज के अन्दर, या किसी और मियाद के अन्दर, जिस की इजाजत अदालत से हासिल हो दाखिल किये जायेंगे

जवाब में बयान हलफी और उस का दाखिल होना

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १२६ से कायम हुआ है.

अगर मुद्दायलेह अदालत के अख्तयार से बाहर है तो वक्त मुनासिब दिया जायगा (२४ वीकली रिपोर्टर ५८७)

९ बन्द सवाल के जवाब में बयान हलफी नमूना नम्बर ३ मुन्दर्जा आपेनडिक्स [१] के होगा और उस में जरूरत के मुवाफिक रद्दबदल किया जायगा—

जवाबों में बयान हलफी का नमूना

तशरीह:—यह कायदा नया है

१० जवाब में किसी तहरीर हलफी के निस्बत एतराज नहीं किया जायगा मगर किसी तहरीर हलफी मजकूर का जिस के गैर काफी होने पर एतराज किया गया हो, काफी या गैर काफी होना अदालत तजवीज कर देगी

ऐतराज नहीं किया जायगा

तशरीह:—यह कायदा नया है

११ अगर कोई शख्स जिस के पास बन्द सवाल पहुंचा हो जवाब न दे, या गैर काफी तौर पर जवाब दे तो सवाल करने वाला फरीक अदालत में दरखास्त, इस मजमून

हुक्म निसबत देने जवाब या जवाब मजीद के

(१) कि पेश करने से पेश करने वाले फरीक की शहादत का हाल खुल जायगा.

(२) कि दस्तावेज बलिहाज ऐतबार दरमियान वकील वो मवक्कल नहीं पेश किया जा सक्ता है.

(३) कि दस्तावेज बलिहाज कार सरकार या गरज पबलिक के पेश नहीं किया जा सक्ता

पहला उजर—अगर पेश करने वाले फरीक की कुल शहादत का दार मदार सिर्फ उसी दस्तावेज पर है और पेश कराने वाले फरीक की शहादत को उस से कुछ मदद नहीं मिलती तो वह पेश किये जाने से माफ होगा—लेकिन अगर दस्तावेज मजकूर से पेश करने वाले वो कराने वाले दोनों फरीक का मतलब निकलता हो, तो पेश करना पड़ेगा, गो वैसे पेश करने से पेश करने वाले फरीक की शहादत खुल जाती हो.

दूसरा उजर—ऐतबारी दस्तावेज दरमियान वकील व मवक्कल पेश किये जाने से इस बिना पर माफ हैं ताकि लोगों को वकीलों से आजादी और असर के साथ सलाह मशवरा मिल सके—नीचे लिखे हुए कागज बतौर राजदारी समझे जायगेः—

(१) वाकेआत का हाल जो मवक्कल लिख कर या छाप कर वकील के पास ले गया हो.

(२) वकील ने जो सलाह उसे दी हो और उस ने टीप करली हो

(३) वकील की डायरी जिस में वकील ने मवक्कल की बात चीत और अपनी सलाह देने का हाल लिखा हो

(४) इसी तरह मवक्कल की डायरी या शहादत पर जरूर नहीं है कि सलाह वकील से सिर्फ उस वक्त की गई हो, जब कि मुकदमा चल रहा है या चलाने की तजवीज है ऐसी राजदारी की सलाह हमेशा माफ है चाहे सलाह लेकर मुकदमा चले या न चले—देखो एक्ट शहादत—(देखो एक्ट शहादत दफा १२६, १२९).

तीसरा उजर—यह उस वक्त लागू होगा जब कि कोई सरकारी उहदेदार फरीक मुकदमा हो—(देखो एक्ट शहादत दफा १२३ १२४)

फरीकैन मुकदमा के पास अक्सर दस्तावेजात मुताल्लिक मुकदमा रहते हैं यह दो किस्म के दस्तावेजात होते हैं.—

(१) वे जिन के मुलाहजा करने का हक फरीकसानी को है.

(२) वे जिन के मुलाहजा करने का हक फरीकसानी को नहीं है

जिन दस्तावेजात के देखने का हक नहीं है उन की तफसील आगे दी गई है उन को छोड़ कर हर दस्तावेज का मुलाहजा हो सक्ता है—मगर दस्तावेज का मुलाहजा किस तरह हो सक्ता है जब तक कि यह मालूम न हो कि फरीकसानी के पास कौन २ दस्तावेज हैं और जब तक कि वह उन्हें पेश न करे—इस लिये इस कायदा की रू से फरीकसानी से हल्फ पर यह पूछ सक्ते हैं, कि वह जाहिर करे कि उस के कब्जा में कौन २ दस्तावेज हैं या रहे थे—अगर फरीकसानी जाहिर करे कि उस के पास कौन २ दस्तावेज हैं तो फिर पूछने वाला फरीक उस से वे दस्तावेज पेश करने को कहेगा, और पेश होने पर उन का मुलाहजा करेगा, बशर्ते कि वह दस्तावेज किस्म (२) के नहीं है—अगर वह दस्तावेज जाहिर करने में चूकी करे तो वह कायदा २१ की सजा का भागी होगा.

जिस फरीक से दस्तावेज जाहिर करने के लिये कहा जावे, उस को चाहिये कि वह ऐसे कुल दस्तावेजात मुताल्लिक मुकदमा का पता देवे जो उस के कब्जा या काबू में है या कभी थे, जो दस्तावेज उस के पास इस वक्त नहीं है, मगर जो कभी उस के पास था उस की निस्बत उसे यह बतलाना होगा कि उस दस्तावेज का क्या हुआ, कहा है और किस के पास है ताकि वह वहां से मगवाया जावे, अगर दस्तावेज उस के शरीकदार के पास है तो शरीकदार का नाम बतलाना चाहिये—अगर दस्तावेज के पेश करने में उस को उजर है तो उजर भी पेश करना चाहिये—अदालत उजर पर लिहाज करके मुनासिब हुक्म देगी कि दस्तावेज पेश किया जाय, या न किया जाय.

उजरात निस्बत न पेश करने दस्तावेजः—दस्तावेज पेश करने में नीचे लिखे २ उजर हो सक्ते हैं यानी उन उजरात पर फरीकसानी को दस्तावेज मुलाहजा करने का हक नहीं है:—

सफा २५६)

इस कायदा के रू से अदालत दस्तावेज के पेश कराने से इंकार न कर सकेगी यानी पेश कराना लाजमी है तावक्ते कि वैसा दस्तावेज उन तीन किस्मों से न हो जो पेश करने से माफ हो—(देखो कायदा १२ के नोट).

एक्ट शहादत की दफा १६३—अगर (अ) ऐसा दस्तावेज पेश कराये जिस के पेश करने का उस ने नोटिस (ब) को दिया है और वह अदालत में पेश होकर उस का मुलाहजा (अ) करे तो (ब) (अ) को उसे शहादत में रखने के लिये मजबूर करेगा.

दफा १६४—अगर फरीक किसी दस्तावेज के पेश करने से इंकार करे तो फिर वह उस दस्तावेज को शहादत के काम में बगैर रजामन्दी फरीकसानी य बगैर हुक्म अदालत के नहीं ला सक्ता

अगर कोई दस्तावेज पेश होने से माफ है और उस का एक हिस्सा मुद्दई के वकील ने मुद्दायलेह के वकील को पढ़ कर सुनाया हो तो ऐसे पढ़ कर सुनाने से यह न समझा जायगा कि मुद्दई ने अपना हक माफी जो उसे दस्तावेज पेश न करने का हासिल था दर गुजर किया—[इ ला रि. बम्बई जि ४ सफा ६३१].

मुलाहजा करने वाले फरीक को दस्तावेज की नकल लेने का अख्त्यार है—[चौंसरी जि. १ सफा ५०५]

अगर दस्तावेज जाली कहा जाता है तो उस का फोटो भी लिया जा सक्ता है [कलकत्ता वीकली नोट्स जि २ सफा १६१]

१५ हर फरीक मुकद्दमा को अख्त्यार है, कि किसी एक इत्तलानामा के जरिये से किसी दूसरे फरीक को जिस की प्लीडिंग या तहरीरी बयानात हलफी में किसी दस्तावेज का जिकर हो, इस मजमून की इत्तला दे कि वह दस्तावेज मजकूर को वास्ते मुलाहजा फरीक इत्तला देने वाले के, या उस के वकील के, पेश करे और उस को या उन को उन दस्तावेजात की नकल लेने दे; और कोई फरीक जो ऐसे इत्तला की तामील न करे दस्तावेजात मजकूर को उस मुकद्दमा में आइन्दा अपनी तरफ से बतौर सबूत के दाखिल न कर सकेगा, तावक्ते कि उस सूरत में कि वह अदालत का इतमीनान करदे कि दस्तावेज मजकूर सिर्फ उसी के हक के मुताल्लुक थी, और वह उस

उन दस्तावेजात का मुलाहजा जिन का जिकर प्लीडिंग या बयानात हलफी में किया गया है

क्या फरीक ऐसे दस्तावेज़ को ज़ाहिर कर सक्ता है जिस से वह खुद फसता है, या जिस से उस पर जुरमाना या जब्ती होती हो.

कानून इंगिलस्तान की रू से नहीं—मगर कानून हिन्दुस्तान से हां—देखो एक्ट शहादत दफा १३२ जहां लफ्ज "गवाह" में "फरीक मुकदमा" भी दाखिल है.

जब दस्तावेज का एक हिस्सा मुताल्लिक मुकदमा है और दूसरा हिस्सा नहीं है तो गैर मुताल्लिक हिस्से पर मोहर लगा कर मुलहाजा होने से बचा सक्ते हैं (इं. ला रि. कलकत्ता जि. २८ सफा ४२४)

१३ जिस फरीक के नाम वह हुक्म जिस का जिकर कायदा ११ में किया गया है सादिर किया जाय तो उस के तहरीरी बयान हलफी में इस बात की तफसील रहेगी कि किस २ दस्तावेज के पेश करने में, (अगर कोई ऐसे हों) उस को उजर है, और वह नमूना नम्बर ५ मुन्दर्जे अपेनडिक्स (ग) के होगा, ऐसी तबदीलियों के साथ जो हालात से जरूरी मालूम हो

दस्तावेजात के निसबत ब्यान हलफी

यह कायदा पुरानी दफा १२६ से कायम हुआ है.

देखो तशरीह कायदा १२ फिकरा "दस्तावेज पेश न करने के उजरात" के नीचे—

१४ दौरान मुकदमा में हर वक्त अदालत को लाज़िम होगा कि किसी फरीक को उन दस्तावेजात में से कोई दस्तावेज जो नालिश के किसी अमर झगड़ा से मुताल्लुक हो, और उस के कब्जा या अखत्यार में हों, जिस कदर दस्तावेजात का पेश करना अदालत के दानिस्त में मुनासिब हो, उन के पेश करने का हुक्म दे, और जब वह दस्तावेजात पेश हो जाय तो अदालत उन के निसबत उस तरह अमल करेगी, जो वाजिब मालूम हो

दस्तावेज की सबूती

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १३० से कायम किया गया है.

१-अदालत को उन दस्तावेजात के पेश करने का हुक्म देने का अखत्यार नहीं है, जो अमर मुतनाज़िया से ताल्लुक नहीं रखता है—(इं. ला. रि. कलकत्ता जि. २३ सफा ६२५).

इस कायदे के मुवाफिक जब कोई हुक्म सादिर किया जाय, उस की नज़रसानी बमूजिब दफा ११५ नहीं हो सक्ती—(इं. ला. रिपोर्ट मदरास जिल्द ९

१७ जिस फरीक को ऐसी इत्तला दी जाय, उस को लाजिम है कि

वक्त वास्ते मुलाहजा के जब इत्तला दी जाय

इत्तला पाने से दस रोज के अन्दर उस फरीक को जिस ने इत्तला दी हो अपनी तरफ से इस मजमून की इत्तला दे कि फलां वक्त पर जो उस इत्तला देने की तारीख से तीन रोज के अंदर हो, दस्तावेज मतलूबा या उन में से उस कदर दस्तावेजात जिन के पेश करने में उस को उजर न हो, उस के वकील के दफ्तर में, उसे या वही खाते महाजनी, या और वही खाता, या और किताब की सूरत में जिन का हमेशा इस्तेमाल या कारबार में काम पड़ता है, उन के मामूली मुकाम हिफाजत पर मुलाहजा हो सकेगा, और इत्तला में यह भी लिखा जायगा कि किस किस दस्तावेज के पेश करने में, अगर कोई ऐसे हों, उस को उजर है और किस वजह से उजर है—यह इत्तला नमूना नम्बर ८ मुन्दरजे अपेनडिक्स (ग) के होगी और उस में हस्ब जरूरत मौका रद्दोबदल किया जायगा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १३२ से कायम किया गया है

जब कि माहदा एक मुकाम पर किया गया, और उस की तामील दूसरे मुकाम पर होना है और दस्तावेजात उस मुकाम पर हैं, जहां पर तामील माहदा की होना है, तो जहां तामील माहदा की होने को है, वही मुकाम दस्तावेज के मुलाहिजा के लिये ठीक है (इं ला रि बाम्बई जिल्द ५ सफा ४६७)

दस्तावेजात—यह कायदा कुल दस्तावेजात से मुताल्लिक है जिन का जिक्र कायदा १५ में आया है—बिला कैद हलफी बयान कायदा १२ या १३ के

खाते वही महाजनी:—देखो आर्डर नं० ७ कायदा १७ बो एक्ट खाता वही महाजनी सन १८९१ ई०—

१८ (१) अगर वह फरीक जिस पर कायदा १५ के बमूजिब इत्तला-

हुक्म निसबत मुलाहजा के

नामा की तामील हो, इत्तला इस बात की कि दस्तावेजात किस वक्त मुलाहजा हो सकेंगे, न भेजे, या मुलाहजा कराने से इन्कार करे, या मुलाहजा के लिये कोई और मुकाम, सिवाय दफ्तर अपने वकील के मुकर्रर करे तो अदालत उस फरीक की दरख्वास्त पर जिस को मुलाहजा करना मन्जूर है, हुक्म सादिर कर सकेगी कि मुलाहजा किसी मुनासिब मुकाम और तरीके पर कराया जाय—मगर शर्त यह है कि हुक्म सादिर नहीं किया जायगा, जब और जहां तक अदालत के दानिस्त में मुकदमें के वाजबी [illegible] या वास्ते बचत खर्चा के मुलाहजा की जरूरत न हो

मुकद्दमा में मुदायलेह था, या यह कि उस को इत्तला की तामील न करने की कोई और वजह या हीला अदालत के इतमिनान में काफी हासिल था तो उस सूरत में अदालत इजाजत दे सकेगी कि बकैद शरायत खरचा वगैरा के जो अदालत के नजदीक मुनासिब हो, दस्तावेज मजकूर बतौर सबूत के पेश की जाय.

तशरीह:—जज को इस बात का अख्त्यार नहीं है कि कोई दस्तावेज जो मुताल्लुके अमर मुतनाजिया मुकदमा हो, उस के मुलाहिजा करने की इजाजत देने से इन्कार करे, बशरते कि वे दस्तावेजात ऐसे नहीं हैं कि जिन के निस्बत किसी को उन के न बतलाने का हक हासिल है (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द २ सफा ४५३)· दर-खास्त देने वाले को यह बतलाना चाहिये कि जिस दस्तावेज के मुलाहिजा का वह दावा करता है, अमर मुतनाजिया मुकदमा के मुताल्लुक है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द २३ सफा १२५)

अदालत को उस शख्स को इजाजत नहीं देना चाहिये, जो पेश्तर मुदायलेह की नौकरी में था, और अब बतौर मुख्त्यार मुद्दई, मुदायलेह की वह किताबें मुलाहिजा करना चाहता है जो उस के सिपुर्दगी में थी (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २३ सफा २६४)

मुकदमा बेदखली में जब मुदायलेह, हक मुद्दई, निसबत जमीन से, इनकार करे तो उस पर मुद्दई के मुलाहिजा के लिये अपने हक के दस्तावेजात को पेश करना लाजिम नहीं है (इ ला रि. बम्बई जिल्द १७ सफा ५८१).

कायदा १२ जो ऊपर लिखा है उस से मिलान करो- कायदा १२ के रू से दस्तावेज पेश कराया जा सक्ता है—मगर मुदायलेह को मुलाहजा करने का अख्त्यार नहीं है, जब तक कि उस का जवाब दावा पेश न हुआ हो, और इस कायदा १५ के रू से मुदायलेह हर ऐसे दस्तावेज के मुलाहजा करने का हकदार है जिस का जिक्र मुद्दई के अरजी दावी में आया है, गो उस ने अपना जवाब पेश न किया है.

इत्तला निसबत पेश करने के

१६. जो इत्तला किसी फरीक को निसबत पेश करने किसी दस्तावेज, जिस का जिक्र पिलीडिंग, या बयानात फरीक मजकूर में है, दी जाय, वह मुताबिक नमूना नम्बर ७ मुन्दजा अपेनडिक्स (ग) के होगी, और उस में हस्ब जरूरत रद्द बदल किया जायगा

तशरीह:—यह कायदा नया है.

मगर शर्त यह है कि बावजूद देने नकल मजकूर के अदालत को अखत्यार है कि जिस दस्तावेज की यह नकल हो उस के मुलहजा कराने का हुक्म दे

(२) अगर उस दरख्वास्त में जो वास्ते सादिर कराने हुक्म मुलहाजा के दी जाय, किसी दस्तावेज के न पेश करने के इस्तेहकाक का दावा हो तो अदालत को लाजिम है कि वास्ते तै करने जायज दावा इस्तेहकाक के उस दस्तावेज का मुलाहजा करे

(३) अदालत को अखत्यार है कि किसी फरीक मुकदमा की दरख्वास्त पर किसी वक्त और आम इससे कि हुक्म तहरीरी बयान हलफी मुताल्लुके दस्तावेजात का सादिर किया गया हो या नहीं इस मजमून का हुक्म सादिर करे कि कोई और फरीक अपने बयान हल्फी में लिखे कि एक या एक से जियादा दस्तावेजात जो तादाद के साथ दरख्वास्त मजकूर में लिखी जायगी उस के कब्जा या अखत्यार में है या नहीं और अगर उस के कब्जा में उस वक्त नहीं है तो कब दस्तावेज मजकूर उस के कब्जा या अखत्यार से निकल गई और क्या हुई—दरख्वास्त मजकूर बजरूय तहरीरी बयान हलफी इस मजमून से गुजरानी जायगी कि ताहद यकीन इजहार करने वाले के उस फरीक के कब्जा या अखत्यार में जिस के खिलाफ दरख्वास्त मजकूर गुजरानी गई हो दस्तावेजात या दस्तावेजात मुन्दर्जे दरख्वास्त है या किसी वक्त थे और अमूर मुतनाजिया मुकदमा से या उन में से कुछ से मुताल्लुक है

तशरीह —यह कायदा नया है

इस कायदा के रू से तसदीक की हुई नकलें बजाय असली खाता बही के पेश की जा सकती हैं

२. अगर दस्तावेज के पेश न करने का इस्तेहकाक है यानी वह बतलाने लायक नहीं है तो अदालत उस का मुलाहजा करके तै करेगी कि वह बतलाने लायक है या न बतलाने लायक

३. फरीक के हलफी बयान पर दूसरे फरीक से दस्तावेजात मुताल्लिक मुकदमा की निस्बत पूछ सकते हैं कि दस्तावेजात किस के पास है या थे और उन का क्या हुआ

२. अगर वह फरीक, जिन से किसी किस्म का दरयाफ्त हाल या
वक्त के पहले दरयाफ्त हाल
किसी शै का मुलाहजा कराना हो, उस के या उस के किसी हिस्से के दरयाफ्त या मुलाहजा कराने से इन्कार करे, और अदालत को इतमीनान हो कि इस्तेहकाक ऐसे दरयाफ्त या मुलाहजा कराने का मुकदमा के किसी अमर तनकीही या बहस तलब की तजवीज पर मुनहस्सर है, या

(२) जब दस्तावेजात जिन का मुलाहजा करना हो उन दस्तावेज में से न हो जिन का हवाला प्लीडिंग या मरतबा तफसीली, या उस फरीक के तहरीरी बयान हलफी में हो, जिस पर दस्तावेजात मुलाहजा तलब की दरख्वास्त गुजरी हो, या जो उस के तहरीरी बयान हलफी मुताल्लुक दस्तावेज से जाहिर हो, तो दरखास्त मजकूर की ताईद मे तहरीरी बयान हलफी बतफसील इन बातों के दाखिल किया जायगा, कि किस किस दस्तावेज का मुलाहजा मन्जूर है, यह कि फरीक दरखास्त देने वाला मुलाहजा करने का मुस्तहक है, और यह कि वह दस्तावेजात फरीकसानी के कबजे या अखत्यार में है अदालत ऐसा हुक्म दस्तावेजात मजकूर के मुलाहजा के निसबत सादिर नहीं करेगी जब और जहां तक उस अदालत के दानिस्त में वास्ते वाजबी फैसला मुकदमा या बचत खरचा के उस को जरूरत न हो

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १३३ वो १३४ से कायम किया गया है.

जब तक कि वह अमर जो कायदा ६ के मुताबिक पेश हो, तै न हो जाय तो इस कायदे के मुताबिक कोई हुक्म नहीं दिया जा सक्ता (इं ला रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा ७७६).

अदालत के इस कायदे के मुताबिक हुक्म देने के पहले इबतदाई कारवाई, जिस का जिक्र कायदा १५ में किया गया है, उस फरीक को करना चाहिये जिस ने दरखास्त वास्ते सादिर होने हुक्म के दी है [इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द १० सफा ५६]

दरखास्त देने वाले को यह बतलाना चाहिये कि दस्तावेज मुताल्लके अमर जरूरी मुकदमा है (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २२ सफा १२५).

हुक्म निस्बत मुलाहजा की कोई अपील नहीं हो सकेगी—(बम्बई ला. रि. जिल्द ११ सफा २४८).

१६ (१) अगर दरखास्त वास्ते मुलाहजा किसी वही खाता के गुजरानी जाय तो अदालत, अगर मुनासिब समझे बएवज हुक्म देने मुलाहजा असल वही खाता के हुक्म दे सकेगी कि उस वही खाते की दाखलों की एक नकल उस शख्स के तहरीरी बयान हलफी से तसदीक होकर दी जाय, जिस ने असल दाखलों से नकल मजकूर को मुकाबला कर लिया हो और उस बयान हलफी में लिखा जायगा कि आया असल किताब में काट कूट या सतरों के बीच में कुछ लिखा है, या रद बदल है या नहीं अगर है तो क्या-

तसदीक की हुई नकलें

इस कायदा का हुक्म काबिल अपील है—

(आर्डर न ४३ कायदा १ (च) ६).

बन्द सवालात के जवाबात व वक्त तजवीज मुकदमा इस्तेमाल होंगे

२२ किसी फरीक को अख्त्यार है कि बवक्त तजवीज मुकदमा फरीक सानी के एक या एक से जियादा जवाबात या हिस्सा जवाब के जो बन्द सवाल के निसबत हो, बगैर दाखिल होने बकाया या कुल जवाब मजकूर के, बतौर वजह सबूत के इस्तेमाल करे—मगर शर्त यह है कि सूरत मजकूर में अदालत को अख्त्यार है कि कुल जवाब को मुलाहाजा करे और अगर उस के दानिस्त में उस के बकाया जवाब मजकूर जवाब दाखिल किये हुये के साथ इस क़दर ताल्लुक रखते हों कि जवाब जिनका जिक्र अखीर में किया गया है बगैर उनके इस्तेमाल नहीं हो सके हों तो अदालत मजाज है कि उनके दाखिल होने का हुक्म सादिर करे

तशरीह —यह कायदा नया है

हुक्म नाबालगों से मुताल्लुक हो

२३ यह आडर नाबालिग मुद्दईयान और मुदायलेहुम से और अशखास नाकाबिल के शफीक और वली मुकदमा से ताल्लुक रखेगा.

तशरीहः—यह कायदा नया है—

किसी और वजह से ऐसे दरयाफ्त या मुलाहजा कराने का इस्तेहकाक तै करने से पहले उस अमर तनकीही या वहस तलब की तनकीह करनी जरूर है, तो अदालत यह हुक्म सादिर कर सकेगी कि उस अमर तनकीही या वहस तलब की तजवीज पहले हो जाय, और दरयाफ्त या मुलाहजा कराने का अमर पीछे से तै किया जाय

तशरीह:— यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १३५ से कायम किया गया है— यो कुछ इबारत नई है.

इस कायदा के अहकामात का उस वक्त तक अमल में आने का मनशा नहीं है जब तक कि कायदा १८ के मुताबिक दरखास्त न गुजर जाय [इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा ७७६]

अदम तामील हुक्म दरयाफ्त हाल

२१ अगर कोई हुक्म किसी फरीक पर जारी किया जाय, इस मजमून से कि वह किसी चन्द सवालात का जवाब दे, या दस्तावेजात का हाल दरयाफ्त करे, या उन का मुलाहिजा कराये और बावजुद इस के वह उस हुक्म की तामील न करे, तो वह जिम्मेदार होगा, कि अगर मुद्दई हो तो उस की नालिश अदम पैरवी में डिसमिस की जाये, और अगर मुदायलेह हो तो उस का जवाब अगर गुजरा हो तो खारिज किया जावे और उस के निस्वत वैसा अमल किया जाय कि मानो उस ने जवाब देही नहीं की, और वह फरीक जिस ने चन्द सवाल दाखिल किया हो मजाज होगा कि उस मजमून का हुक्म सादिर कराने के लिये अदालत में दरखास्त दे, और अदालत मुताबिक उस के उस मजमून का हुक्म सादिर करने की मजाज होगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १३६ से कायम किया गया है यो कुछ इबारत नई है

इस कायदे के मुताबिक जो अखत्यारात अदालत को दिये गये हैं सिवाय बड़ी जरूरत के वक्त उन पर अमल नहीं किया जाना चाहिये (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ५ सफा ७०७)

पर्दानशीन औरत के सूरत में उस सजा को अमल में लाना जो इस कायदा में दी गई है मुनासिब नहीं है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ८ सफा २६४)

जब तक कायदा न. १८ के हुक्मों की तामील सख्ती के साथ हो ले, अदालत को इस कायदे के बमजिब हुक्म सादिर करने का अखत्यार नहीं है [इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा ७६८]

इस कायदा का हुक्म काबिल अपील है—

(आर्डर नं ४३ कायदा १ (च) ६).

बन्द सवालात के जवाबात व वक्त तजवीज मुकदमा इस्तेमाल होंगे

२२ किसी फरीक को अख्त्यार है कि वरवक्त तजवीज मुकदमा फरीक सानी के एक या एक से जियादा जवाबात या हिस्सा जवाब के जो वन्द सवाल के निसबत हो, बगैर दाखिल होने बकाया या कुल जवाब मजकूर के, बतौर वजह सबूत के इस्तेमाल करे—मगर शर्त यह है कि सूरत मजकूर में अदालत को अख्त्यार है कि कुल जवाब को मुलाहाजा करे और अगर उस के दानिस्त में उस के बकाया जवाब मजकूर जवाब दाखिल किये हुये के साथ इस कदर ताल्लुक रखते हों कि जवाब जिनका जिक्र अखीर में किया गया है बगैर उनके इस्तेमाल नहीं हो सके हों तो अदालत मजाज है कि उनके दाखिल होने का हुक्म सादिर करे.

तशरीह —यह कायदा नया है

हुक्म नाबालगों से मुताल्लुक

२३ यह आडर नाबालिग मुदईयान और मुद्दायलेहुम से और अशखास नाकाबिल के शफीक और वली मुकदमा से ताल्लूक रखेगा

तशरीह:—यह कायदा नया है—

किसी और वजह से ऐसे दरयाफ्त या मुलाहजा कराने का इस्तेहकाक तै करने से पहले उस अमर तनकीही या बहस तलब की तनकीह करनी जरूर है, तो अदालत यह हुक्म सादिर कर सकेगी कि उस अमर तनकीही या बहस तलब की तजवीज पहले हो जाय, और दरयाफ्त या मुलाहजा कराने का अमर पीछे से तै किया जाय

तशरीह:— यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १३५ से कायम किया गया है— वो कुछ इबारत नई है

इस कायदा के अहकामात का उस वक्त तक अमल में आने का मनशा नहीं है जब तक कि कायदा १८ के मुताबिक दरखास्त न गुजर जाय [इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा ७७६]

अदम तामील हुक्म दरयाफ्त हाल

२१ अगर कोई हुक्म किसी फरीक पर जारी किया जाय, इस मजमून से कि वह किसी वद सवालात का जवाब दे, या दस्तावेजात का हाल दरयाफ्त करे, या उन का मुलाहिजा कराये और बावजुद इस के वह उस हुक्म की तामील न करे, तो वह जिम्मेदार होगा, कि अगर मुद्दई हो तो उस की नालिश अदम पैरवी में डिसमिस की जाये, और अगर मुदायलेह हो तो उस का जवाब अगर गुजरा हो तो खारिज किया जावे और उस के निस्बत ऐसा अमल किया जाय कि मानो उस ने जवाब देही नहीं की, और वह फरीक जिस ने वन्द सवाल दाखिल किया हो मजाज होगा कि उस मजमून का हुक्म सादिर कराने के लिये अदालत में दरख्वास्त दे, और अदालत मुताबिक उस के उस मजमून का हुक्म सादिर करने की मजाज होगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १३६ से कायम किया गया है. वो कुछ इबारत नई है

इस कायदे के मुताबिक जो अखत्यारात अदालत को दिये गये हैं सिवय बड़ी जरूरत के वक्त उन पर अमल नहीं किया जाना चाहिये (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ५ सफा ७०७)

पर्दानशीन औरत के सूरत में उस सजा को अमल में लाना जो इस कायदा में दी गई है मुनासिब नहीं है (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ८ सफा २६४)

जब तक कायदा न. १८ के हुक्मों की तामील सख्ती के साथ हो ले, अदालत को इस कायदे के बमूजिब हुक्म सादिर करने का अख्त्यार नहीं है [इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ७६८].

इस कायदा का हुक्म काबिल अपील है—

(आर्डर नं ४३ कायदा १ (च) ६).

बन्द सवालात के जवाबात व वक्त तजवीज मुकदमा इस्तेमाल होंगे

२२ किसी फरीक को अख्त्यार है कि बरवक्त तजवीज मुकदमा फरीक सानी के एक या एक से जियादा जवाबात या हिस्सा जवाब के जो बन्द सवाल के निसबत हो, बगैर दाखिल होने बकाया या कुल जवाब मजकूर के, बतौर वजह सबूत के इस्तेमाल करे—मगर शर्त यह है कि सूरत मजकूर में अदालत को अख्त्यार है कि कुल जवाब को मुलाहाजा करे और अगर उस के दानिस्त में उस के बकीया जवाब मजकूर जवाब दाखिल किये हुये के साथ इस कदर ताल्लुक रखते हों कि जवाब जिनका जिक्र अखीर में किया गया है बगैर उनके इस्तेमाल नहीं हो सके हों तो अदालत मजाज है कि उनके दाखिल होने का हुक्म सादिर करे.

तशरीह —यह कायदा नया है

हुक्म नाबालगों से मुताल्लुक हों

२३ यह आर्डर नाबालिग मुदईयान और मुदायलेहुम से और अशखास नाकाबिल के शफीक और वली मुकदमा से ताल्लुक रखेगा

तशरीह:—यह कायदा नया है—

आर्डर--१२.

इकबाल.

१ कोई फरीक बजरिये अपने पिलीडिंग के या और दूसरी तरह पर
इत्तला इकबाल मुकदमा तहरीरी इतला इस मजमून की दे सक्ता है कि उस को कुल या जुज मुकदमा फरीक सानी की सचाई से इकबाल है

इकबालः---इकबाल करने से मतलब यह है कि जिन बातों को किसी फरीक ने कबूल किया उनकी निस्बत सबूती देने की जरूरत न होगी---(देखो दफा ५४ एक्ट शहादत)--और अदालत मुकदमा की तजवीज सुना सकेगी--(आरडर १२ कायदा ६)--इकबाल चार तरह के होते हैं.

(१) इकबाल जो दर असल प्लिडिंग में (आरडर ७ कायदा ५)-या बन्द सवालात के जवाब (आरडर ११ कायदा २२)-में किये जावें.

(२) इकबाल जो मतलब में निकलता है (आर्डर ८ कायदा ३, ४, ५).

(३) इकबाल बजरिये इकरार.

(४) इकबाल बजरिये नोटिश इकबाल बजरिये नोटिश का इस कायदा में जिक्र है.

२ कोई फरीक किसी दस्तावेज के कबूली के निस्वत दूसरे फरीक
इत्तला इकबाल दस्तावेजात से कह सक्ता है कुल वाजबी मुस्तसनात को बचाकर--और अगर बाद ऐसी इत्तला के कबूली से इंकार या उस से गफलत की जाय तो जो खरचा किसी ऐसे दस्तावेज के साबित करने में पड़े वह फरीक गफलत या इंकार करने वाले के जिम्मे होगा गो मुकदमे का नतीजा कुछ ही हो तावक्ते कि अदालत और तरह पर हुक्म न दे--और किसी दस्तावेज के साबित करने का खरचा दिलाया नहीं जायगा तावक्ते कि इतला मजकूर न दी गई हो सिवाय उस सूरत के कि जब अदालत के दानिस्त में इत्तला न देने से खरचे का बचाव हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १२८ से मिलता है—कुल दस्तावेजात जिन को सबूत में इस्तेमाल करने की मन्शा हो शामिल करना चाहिये वरना साबित करने का खरचा नहीं दिलाया जायगा.

इतला का नमूना

३ इत्तला कबूली दस्तावेजात मुताबिक नमूना नम्बर ६ अपिनाडिक्स [ग] के होगा, और उस में वह तबदीलात की जायेंगी जो हालात से जरूरी मालूम हों

तशरीह:—यह कायदा नया है

इत्तला इकबाल वाकयात

४ कोई फरीक इत्तला तहरीरी के जरीये से तारीख सुनाई से किसी वक्त जो ६ रोज पेशतर हो किसी खास वाकेआ या वाकेआत इत्तला मजकूर के कबूल करने के लिये सिर्फ वास्ते मतलब मुकदमा के दूसरे फरीक से कह सक्ता है— और अगर तामील इत्तला मजकूर से छे रोज के अन्दर या अन्दर मुद्दत मजीद मुकर्रर अदालत के वाकेआ या वाकेआत मजकूर के कबूल करने से इनकार या उस में गफलत की जाये तो वाकेआ या वाकेआत मजकूर के साबित करने का खरचा फरीक गफलत या इनकार करने वाले के जिम्मे होगा, गो मुकद्दमे का नतीजा कुछ ही हो तावके कि अदालत और तरह पर हुक्म सादिर न करे- मगर शर्त यह है कि उस कबूली से जो मुताबिक इत्तला मजकूर के अमल में आये यह समझा जायेगा कि सिर्फ मुकदमा खास की निसबत अमल में आई है और कबूली मजकूर से वह कबुली नहीं समझी जायेगी जो बमुकाबल फरीक किसी और मौके पर या बहक किसी क जो फरीक नोटिस देने वाला नहीं है काम में लाई जाये और यह भी शर्त है कि अदालत को अखत्यार है कि किसी वक्त किसी फरीक को बशरायत मुनासिब किसी कबूली में जो इस तरह की गई हो उस में तरमीम करने या उस को वापिस लेने की इजाजत दे

तशरीह —यह कायदा नया है

लफ्ज "६ रोज पेशतर" यह अंगरेजी कायदा से लिया गया है, और इस का मतलब यह है कि ६ रोज पेशतर तारीख तामील और तारीख पेशी को छोड़ कर.

इकबाल का नमूना

५ इत्तला कबूली वाकेआत मुताबिक नमूना नम्बर १० अपेनाडिक्स [ग] के होगी, और कबूली वाकेआत मुताबिक नमूना नम्बर ११ अपेनाडिक्स (ग) के होगी, और उस में वैसी तबदीलियां होंगी जैसी अजरूय हालात जरूरी मालूम पड़े

तशरीह:—यह कायदा नया है

आर्डर--१२.

इकबाल.

१ कोई फरीक बजरिये अपने पिलीडिंग के या और दूसरी तरह पर तहरीरी इतला इस मजमून की दे सक्ता है कि उस को कुल या जुज मुकदमा फरीक सानी की सचाई से इकबाल है

इतला इकबाल मुकदमा

इकबालः—इकबाल करने से मतलब यह है कि जिन बातों को किसी फरीक ने कबूल किया उनकी निस्बत सबूती देने की जरूरत न होगी—(देखो दफा ५८ एक्ट शहादत)—और अदालत मुकदमा की तजवीज सुना सकेगी—(आरडर १२ कायदा ६)—इकबाल चार तरह के होते हैं.

(१) इकबाल जो दर असल प्लिडिंग में (आरडर ७ कायदा ५)—या बन्द सवालात के जवाब (आरडर ११ कायदा २२)—में किये जावें.

(२) इकबाल जो मतलब में निकलता है (आर्डर ८ कायदा ३, ४, ५).

(३) इकबाल बजरिये इकरार.

(४) इकबाल बजरिये नोटिश इकबाल बजरिये नोटिश का इस कायदा में जिक्र है

२ कोई फरीक किसी दस्तावेज के कबूली के निस्बत दूसरे फरीक से कह सक्ता है कुल वाजबी मुसतसनात को बचाकर—और अगर बाद ऐसी इत्तला के कबूली से इकार या उस से गफलत की जाय तो जो खरचा किसी ऐसे दस्तावेज के साबित करने में पड़े वह फरीक गफलत या इंकार करने वाले के जिम्मे होगा गो मुकदमे का नतीजा कुछ ही हो तावके कि अदालत और तरह पर हुकम न दे—और किसी दस्तावेज के साबित करने का खरचा दिलाया नहीं जायगा तावक्ते कि इतला मजकूर न दी गई हो सिवाय उस सूरत के कि जब अदालत के दानिस्त में इतला न देने से खरचे का बचाव हो

इतला इकबाल दस्तावेजात

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १२८ से मिलता है—कुल दस्तावेजात जिन को सबूत में इस्तेमाल करने की मन्शा हो शामिल करना चाहिये वरना साबित करने का खरचा नहीं दिलाया जायगा.

३ इत्तला कबूली दस्तावेजात मुताबिक नमूना नम्बर ९ अपिनाडिक्स [ग] के होगा, और उस में वह तबदीलात की जायेंगी जो हालात से जरूरी मालूम हों

इत्तला का नमूना

तशरीह:—यह कायदा नया है

४ कोई फरीक इत्तला तहरीरी के जरीये से तारीख सुनाई से किसी वक्त जो ९ रोज पेशतर हो किसी खास वाकेआ या वाकेआत इत्तला मजकूर के कबूल करने के लिये सिर्फ वास्ते मतलब मुकदमा के दूसरे फरीक से कह सक्ता है—और अगर तामील इत्तला मजकूर से छे रोज के अन्दर या अन्दर मुद्दत मजीद मुकर्रर अदालत के वाकेआ या वाकेआत मजकूर के कबूल करने से इनकार या उस में गफलत की जाये तो वाकेआ या वाकेआत मजकूर के साबित करने का खरचा फरीक गफलत या इनकार करने वाले के जिम्मे होगा, गो मुकदमे का नतीजा कुछ ही हो तावक्ते कि अदालत और तरह पर हुक्म सादिर न करे. मगर शर्त यह है कि उस कबूली से जो मुताबिक इत्तला मजकूर के अमल में आये यह समझा जायेगा कि सिर्फ मुकद्दमा खास की निसबत अमल में आई है और कबूली मजकूर से वह कबूली नहीं समझी जायेगी जो बमुकाबले फरीक किसी और मौके पर या बहक किसी के जो फरीक नोटिस देने वाला नहीं है काम में लाई जाये और यह भी शर्त है कि अदालत को अखत्यार है कि किसी वक्त किसी फरीक को बशरायत मुनासिब किसी कबूली में जो इस तरह की गई हो उस में तरमीम करने या उस को वापिस लेने की इजाजत दे

इत्तला इकबाल वाकयात

तशरीह:—यह कायदा नया है

लफ्ज "९ रोज पेश्तर" यह अंगरेजी कायदा से लिया गया है, और इस का मतलब यह है कि ९ रोज पेश्तर तारीख तामील और तारीख पेशी को छोड़ कर.

५ इत्तला कबूली वाकेआत मुताबिक नमूना नम्बर १० अपेनडिक्स [ग] के होगी, और कबूली वाकेआत मुताबिक नमूना नम्बर ११ अपेनाडिक्स (ग) के होगी, और उस में वैसी तबदीलियां होंगी जैसी अजरूय हालात जरूरी मालूम पड़े

इकबाल का नमूना

तशरीह:—यह कायदा नया है

आर्डर--१२.

इकबाल..

१ कोई फरीक बजरिये अपने पिलीडिंग के या और दूर
इतला इकबाल मुकदमा तहरीरी इतला इस मजमून की दे सक
को कुल या जुज मुकदमा फरीक सानी की सचाई से इकबाल है

इकबाल:---इकबाल करने से मतलब यह है कि जि
फरीक ने कबूल किया उसकी निस्बत सबूती देने की जरूरत
दफा ५४ एक्ट शहादत)—और अदालत मुकदमा की तज
(आरडर १२ कायदा ६)—इकबाल चार तरह के होते हैं.

(१) इकबाल जो दर असल प्लिडिंग में (अ
या बन्द सवालात के जवाब (आरडर ११

(२) इकबाल जो मतलब में निकलता
४, ५).

(३) इकबाल बजरिये इकरार.

(४) इकबाल बजरिये नोटिस
कायदा में जिक्र है

२ कोई फरीक किसी
इतला इकबाल दस्तावेजात से कह
और अगर बाद ऐसी इत्तला के
तो जो खरचा किसी ऐसे
गफलत या इंकार करने वाले के
ही हो तावक्ते कि अदालत और
साबित करने का खरचा दिलाया
दी गई हो सिवाय उस सूरत के
से खरचे का बचाव हो

तशरीह —यह कायदा नया है

(८) इत्तला निसबत पेश करने दस्तावेज मुताबिक नमूना नम्बर १२ अपेनडिक्स (ग) के होगा मय उन तबदीलियों के जिन को हस्ब मौका जरूरत हो—और तहरीरी बयान हलफी वकील या उस के मोहर्रिर का निसबत तामील इत्तला पेश करने, और निसबत वक्त तामील इत्तला मजकूर मय नकल इत्तला पेश करने, कुल सूरतों में तामील इत्तला और वक्त तामील इत्तला मजकूर का सबुत काफी होगा

इत्तला निसबत पेशी दस्तावेज

तशरीह —यह कायदा नया है

जब दस्तावेज फरीकसानी के कब्जा या अख्त्यार में हो तो मसलेहत है कि दस्तावेज मजकूर के पेश करने के लिये, उसे नोटिस दिया जाये, क्योंकि जब तक वैसा नोटिस न दिया जायगा, तब तक दस्तावेज मजकूर की मनकूली शहादत नहीं दी जा सकेगी—(देखो दफा ६५ (क) वो ६६ एक्ट शहादत)

९ अगर इत्तला कबूली या पेश करने दस्तावेज म तशरीह उन दस्तावेजात की हो जो जरूरी नहीं है, तो खर्चा जो उस सबब से हुआ हो फरीक इत्तला देने वाले के जिम्मे होगा

खर्चा

तशरीह:—यह कायदा नया है



६ कोई फरीक मुकदमा को किसी नौबत पर, अगर कबूली वाकेआत की प्लीडिंग में या और तरह पर हो, अदालत में वास्ते उस तजवीज या हुक्म के जिस का वह अजरूय कबूली मजकूर के मुस्तहक हो दरख्वास्त कर सक्ता है, बगैर इन्तजार तनकीह झगड़ा दीगर के जो दरम्यान फरीकैन के हो—और अदालत को अख्त्यार है कि ऐसी दरख्वास्त पर वह हुक्म या तजवीज सादिर करे जो उस के नजदीक मुनासिब हो।

इकबाल पर तजवीज

तशरीहः—यह कायदा नया है

(अ) का बयान है कि (अ) वो (ब) दोनों ने साझेदारी में कोई रोजगार करने का इकरार किया और मसौदा साझेदारी का तैयार किया गया—और (ब) ने मसौदा मंजूर किया—इस के बाद वे दोनों साझेदारी का रोजगार करने लगे—[अ] ने [ब] पर नालिश इस्तकरार हक इस अमर की दायर किया कि [अ] वो (ब) दोनों साझेदार करार दिये जावें, और साझेदारी फिस्क की जावे—(ब) ने अपने जवाब दावी में इकबाल किया कि साझेदारी रखने का उस ने इकरार किया था जैसा कि मुद्दई कहता है, मगर शर्तें साझेदारी की वाकै तौर पर ते नहीं हुई थीं— इस तरह का इकबाल बतौर टाल बटोल का इकबाल समझा जावेगा—[आर्डर ८ कायदा ४]

और उस से मतलब यह निकाला जावेगा, कि (ब) ने साझेदारी की निस्बत कबूल किया—पस (अ) साझेदारी मसुख कराने की डिकरी पाने का हकदार होगा, और उसे साझेदारी की सबूती में कोई शहादत देने की कोई जरूरत न होगी—मगर याद रहे कि [ब] का जवाब दावा बतौर इकबाल निस्बत **वाकेआ** साझेदारी समझा जावेगा, न कि बतौर इकबाल निस्बत **शरायत** साझेदारी और अगर मुद्दायलेह शर्तों की तहकीकात कराने का दावा करे तो अदालत को वैसी तहकीकात करने की हिदायत डिकरी में दर्ज करना होगी—[सी. डी. जिल्द २ सफा ६३७].

७ तहरीरी बयान हलफी वकील या उस के मोहर्रिर का निसबत दस्तखत बाजाब्ता उस कबूली के जो मुताबिक इत्तेला कबूली दस्तावेजात या वाकेआत के वक्त में आय कबूली मजकूर का, सबूत काफी समझा जायगा, अगर उस का सबूत दरकार हो.

बयान हलफी निसबत दस्तखत के

२ कोई दस्तावेजी सबूत जो किसी फरीक के कब्जा या अख्त्यार में हो और जिस को मुताबिक शरायत कायदा नं० १ के पेश करना जरूर था मगर जो पेश नहीं हुआ हो मुकदमे की कार्रवाई की किसी नौबत आइन्दा पर न लिया जायगा तावक्ते कि उस के पेश न करने की जायज वजह अदालत के इतमीनान के लायक जाहिर न की जाय और जो अदालत ऐसा शहादत लेले उस के लेलेने की वजह लिखना जरूर होगा

दस्तावेजात न पेश करने का असर

तशरीह'—इस कायदे के बमूजिब दस्तावेजात अव्वल पेशी के बाद भी अदालत मे पेश किये जा सके हैं लेकिन पहली पेशी पर दाखिल करने के लिये माकूल वजह बयान करना चाहिये—फिर इस के बाद अदालत को अख्त्यार है कि वैसे दस्तावेज को कबूल करे या नामन्जूर करके वापिस करे

यह कायदा इस गरज से बनाया गया है कि जो फरेब शकी दस्तावेजों के देरी से पेश करने से निकलता है उस की रुकावट की जाय, इस कायदे की गरज यह नहीं है कि कोई ऐसी मामूली बिला शक के कागजात मसलन, तसदीक की हुई नकलें दस्तावेजात सरकारी और उसी तरह के कागजात सरकारी [इ ला. रि बम्बई जि० २२ सफा १७३ वो ६ कलकत्ता ला जरनल सफा ५२१] पेश न हो सके—यह कायदा उन दस्तावेजात से लागू नहीं है जो गवाह को वास्ते ताजा करने अपनी याद के दिया जावे (१ मदरास हाई कोर्ट रिपोर्ट सफा १६८) या उन दस्तावेजात से जो वास्ते मुकाबला हरफ के पेश की जावे (इ. ला. रि. मदरास जि० ८ सफा ३७३) या उन दस्तावेजात से जो गवाह के सवाल जिरह के लिये पेश की जावे.

सिर्फ शहादत मजीद का कबूल करना अपील की वजह नहीं है—(१२ वीकली रिपोर्ट प्रीवी कौंसिल ३२) और अदालत अपील दस्तावेज को इस वजह पर नामन्जूर नहीं करेगी कि अदालत मातेहत ने उन को बाद पेशी अव्वल मन्जूर किये (इ ला रि मदरास जि० ८ सफा ३७१)

३ अदालत मुकदमा की किसी नौबत पर किसी दस्तावेज को नामन्जूर करे जो उसके दानिस्त में गैर मुताल्लुक हो, या और तरह पर मन्जूरी के लायक न हो, और अदालत उस के नामन्जूरी की वजह लिखेगी

नामन्जूरी दस्तावेजात गैर मुताल्लुक या दस्तावेजात जो काबिल मन्जूर होने के नहीं है

आर्डर—१३.

पेशी, जब्ती और वापसी दस्तावेजात.

दस्तावेज सबूत का पहले पेशी पर पेश होना

१ (१) फरीकैन मुकदमा या उन के वकील को लाजिम है कि मुकदमा की पहली पेशी के वक्त कुल दस्तावेजी सबूत हर किस्म को जो उन के कब्जा या अखत्यार में हो, जिन पर उन को भरोसा करना मनजूर हो, और जो उस के पेश्तर अदालत में दाखिल न हो चुकी हो, और ऐसी कुल दस्तावेजात जिन के निसबत अदालत ने पेश करने का हुक्म दिया हो, पेश करे

(२) जो दस्तावेजात इस तरह से पेश किये जावेंगे अदालत उन को लेलेगी-मगर शर्त यह है कि दस्तावेजात के साथ एक सही फेहरिस्त उस नमूने की रहेगी जिस को हाई कोर्ट मुकर्रर करे.

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १३८ वो १४० (१) से कुछ तबदीलियों के साथ कायम किया गया है—अब इस कायदा के मुताबिक कुल दस्तावेजी सबूत पहली पेशी पर पेश होना चाहिये.

यह कायदा इस गरज से बनाया गया है कि मुश्तबह दस्तावेजात के पेश करने से जो फरेब पैदा होना मुमकिन है वह रूक जावे. लेकिन सरकारी दस्तावेजों की तसदीक की हुई नकलों के पेश करने में कुछ शक नहीं पैदा हो सक्ता है, मसलन सरकारी कागजात वो दीवानी फौजदारी अदालतों की मिसलें—पस ऐसी नकलें शहादत में ली जा सक्ती है गो वह पहली पेशी को न पेश की गई हों (इ. ला. रि बम्बई जिल्द २२ सफा १७६ वो कलकत्ता वी. नो. जिल्द १२ सफा २१२)

पहली पेशी के बाद दस्तावेज का लिया जाना अपील के लिये काफी वजह नहीं है—(वी. रि प्रिवी कानसिल जिल्द १२ सफा ३२) अदालत अपील ऐसी शहादत को मिसल से खारिज नहीं कर सकती कि जो पहली अदालत नामजूर करती हो—(इ. ला रि मद्रास जिल्द ८ सफा ३७३).

किया गया और इबारत जोहरी पर जज अपने दस्तख़त या छोटे दस्तख़त करेगा

२. अगर दाखिल की हुई दस्तावेज किसी किताब या हिसाब या कागजात की इबारत हो और उस की एक नकल नीचे लिखे कायदे के मुताबिक असल की जगह दाखिल की गई हो तो ऊपर लिखी हुई तफसीलें नकल की पीठपर लिखे जायेंगी, और इबारत जोहरी पर जज अपने दस्तख़त या छोटे दस्तख़त करेगा.

तशरीह'—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १४१ से कायम किया गया है.

जिस दस्तावेज को फरीकसानी ने कबूल न किया हो उस को पेश करने वाला फरीक बाजाब्ता साबित करेगा

४ (१) सूरत खास जिस का जिकर एक्ट शहादत, बही खाते महाजनी सन १८९१ ई० के रियायत के साथ अगर कोई दस्तावेज जो मुकदमा में बतौर वजह सबूत दाखिल किया गया हो किसी किताब सबूत और बहीखाता या रोज मर्रा के दीगर हिसाब किताब की इबारत या रकम हो तो वह फरीक मुकदमा जिस की जानिब से किताब या बहीखाता मजकूर पेश किया गया हो, मजाज है कि एक नकल इबारत की दाखिल करे

तहरीर जोहरी नकल तहरीर किताब वो हिसाब वो कागज पर

(२) अगर दस्तावेज मजकूर किसी ऐसे सरकारी कागजात की इबारत हो जो किसी सरकारी दफ्तर से या बजरिये किसी सरकारी उहदेदार के पेश हुये हों या ऐसी किताब या हिसाब की इबारत हो जो उस शख्स की मिलकियत न हो जिस की जानिब से पेश हो, बलकि किसी शख्स गैर की हो तो अदालत मजाज है कि इबारत मजकूर की एक नकल तलब करे

(क) अगर कागजात या किताब या हिसाब किसी फरीक मुकदमा की तरफ से पेश किया जाय तो उस फरीक से; या

(ख) अगर कागजात या किताब या हिसाब उस अदालत के हुक्म के बमूजिब पेश किया गया हो जो नी राय से काम करता हो तो फरीकेन म से एक फरीक से या किसी फरीक से

(३) अगर किसी इबारत की नकल इस कायदा के ऊपर लिखे हुये अहकाम के रू से दाखिल की जाय तो अदालत को लाजिम है कि कायदा १७ आर्डर ७ में लिखे हुये तरीके बमूजिब नकल मजकूर की जांच और मुकाबला और तसदीक करने के बाद उस इबारत पर निशान करके किताब या हिसाब या कागजात मजकूर जिस में वह दरज हो शख्स पेश करने वाले को वापिस देवे

तशरीह:—यह कायदा पुरान ऐक्ट की दफा १४० से कायम किया गया है.

जब जज साहेब किसी दस्तावेज को मन्जूर करले, और कायदा ४ के मुताबिक उस की पीठ पर इबारत लिख दे, लेकिन कायदा ६ के मुताबिक उस पर इबारत नामन्जूरी की न लिखे तो यह समझा जायगा कि दस्तावेज शहादत में मन्जूर किया गया—यह अमर कि फसले में जज की मनशा उस को नामन्जूर करने को थी, गैर मुताल्लुक है (१२ मदरास ला जरनल रिपोर्ट ३५१).

अदालत मातहत ने जो दस्तावेज मन्जूर कर लिये हैं उस पर लेहाज करना अदालत अपील को फरज है (इं. ला. रि. मदरास जि० ८ सफा ३७३ वो ६ कलकता ला जरनल सफा ६२१)

अगर अदालत को शक हो तो उस को उन मुकदमात में जिस में अपील हो सक्ती है, दस्तावेजात मजकूर लेना चाहिये—(इं. ला. रि. कलकत्ता जि० १८ सफा २०१)—

किसी दस्तावेज को नामन्जूर करने के हुक्म से बमूजिब आर्डर ४२ कायदा १ अपील नहीं हो सक्ती—

जब अदालत के नजदीक यह शक पाया जावे कि आया कोई दस्तावेज काबिल मंजूरी शहादत है या नहीं और अगर उसका फैसला इस बारे में काबिल अपील न होवे तो बेहतर तरीका यह होगा कि दस्तावेज मजकूर को शहादत से खारिज करने के बदले मजूर किया जावे (इ. ला. रि. कलकत्ता जि० १८ सफा २६१).

तहरीर जुहरी उस दस्तावेज पर जो वजह सबूत में लीगई है

४ (१) नीचे लिखे हुये शिकमी कायदों की शरतों के मुवाफिक हर दस्तावेज के पीठ पर जो मुकदमा में बतौर वजह सबूत के ले ली गई हो नीचे लिखी हुई तफसील लिखी जायेगी—यानी —

(क) मुकदमें का नम्बर फरीकैन के नाम वगैरा,
(ख) दाखिल करने वाले शख्स का नाम,
(ग) दाखिल करने की तारीख और,
(घ) एक बयान इस मजमून का कि दस्तावेज इस तरह दाखिल

अदालत से किसी ओहदेदार की हिरासत में उस मुदत तक और उन शरतों के साथ रखी जाय जो अदालत को मुनासिब मालूम हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १४३ से कायम किया गया है,

९ (१) कोई शख्स जो फरीक मुकदमा हो या न हो किसी दस्तावेज को जो उस की तरफ से मुकद्मा में पेश और शामिल मिसल हुई हो वापिस लेना चाहता हो तो वह उस के वापिस पाने का मुस्तहक होगा तावक्ते के वह बमुजिब कायदा ८ जब्त न हुआ हो

दस्तावेजात मन्जूर शुदा का वापिस होना

(क) अगर मुकदमे की अपील नहीं हो सकी हो तो बाद तसफिया मुकदमा के और,

(ख) अगर अपील हो सकी है, तो जब अदालत को इतमीनान हो जाय कि दायरी अपील का वक्त गुजर गया, और अपील दायर नहीं हुई, और अगर अपील दायर हो गई है, तो बाद तसफिया अपील के,

मगर शर्त यह है कि दस्तावेज मजकूर इस कायदे से मुकर्रर किये हुए वक्त के पहले भी किसी वक्त वापिस हो सकता है, अगर वह शख्स जो उस की वापसी की दरखास्त करे, दस्तावेज मजकूर की एक नकल तसदीक की हुई असल के जगह पर रखे जाने के लिये अदालत के अहलकार मुनासिब के हवाले करदे, और असल के पेश करने का जिम्मेदार हो जाय, जब वैसे पेश करने का हुक्म दिया जाय,

और यह भी शर्त है कि कोई दस्तावेज जो डिकरी की रू से बिलकुल रद या वेकार हो गई हो वापिस न किया जायगा

जब कोई दस्तावेज जो वजह सबूत में लिया गया हो वापिस किया जाय तो दस्तावेज का लेने वाला उस के वापिस पाने की रसीद लिख देगा.

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १४४ से कायम किया गया है.

१० (१) अदालत अपनी खुशी से और अगर फरीकेन में से किसी फरीक की तरफ से दरखास्त गुजरे तो मुनासिब समझे पर किसी और मुकद्मा या कार्रवाई की मिसल को अपने या किसी और अदालत के दफ्तर से तलब कर के उस की मुलाहजा करे

अदालत कागजात अपने या और अदालतों के दफ्तरों से तलब कर सकी है

(२) हर ऐसी दरखास्त की ताईद में जो इस कायदे के बमूजिब गुजरे

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १४१ (क) से कायम किया गया है.

किसी वही खाता के तहरीर के इन्तखाब पर कोई स्टाप दरकार नहीं है— (इ ला रि. बम्बई जि० २६ सफा ५२२)

६ जब अदालत उस दस्तावेज को सबूत में दाखिल होने के लायक न समझे जिस पर एक फरीक ने बतौर वजह सबूत भरोसा किया हो तो उस की पुस्त पर कायदा ४ के शिकमी कायदा (१) के जिमन (क) (ख) या (ग) में लिखे हुये अमूरात में एक बयान के जो दस्तावेज मजकूर के ना मन्जूर होने के बाबत हो लिख दिये जायंगे, और जज उस तहरीर जोहरी पर अपने दस्तखत या छोटे दस्तखत करेगा

तहरीर जोहरी उन दस्तावेजात पर जो बवजह न होने काबिल मन्जूरी शहादत ना मन्जूर किये जाय

शतरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १४२ से कायम किया गया है

७ (१) हर दस्तावेज जो वजह सबूत में मन्जूर की गई हो, या उस की एक नकल हस्ब कायदा ५ कोई नकल बजाय असल के कायम की गई हो, मिसल मुकदमा का एक हिस्सा हो जायगी

दस्तावेज मन्जूर शुदा का शामिल मिसल किया जाना और दस्तावेजात ना मन्जूर शुदा का वापिस होना

(२) दस्तावेजात जो वजह सबुत में मनजूर न किये जांय वह जुज मिसल मुकदमा न होगी और पेश करने वाले शख्स को वापिस करदी जायगी—

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १४२ [क] से कायम किया गया है

दस्तावेज जो शहादत में मन्जूर नहीं किया गया है वह मिसल का जुज नहीं समझा जा सक्ता, गो वह मिसल के कागजात में शामिल हो गया हो— (इ ला. रि अलाहाबाद जि० १४ सफा ३६५).

जो दस्तावेज साबित नहीं हुआ है, उस को मिसल में नहीं रहने देना चाहिये—(इ. ला रि. कलकत्ता जि० ५ सफा २१७).

८ बावजूद किसी हुक्म कायदा ५ या कायदा ७ आर्डर हाजा या कायदा १७ आर्डर ७ के अदालत को अखत्यार है कि अगर वजह काफी देखे तो हिदायत करे कि कोई दस्तावेज या किताब जो उस के रुबरु मुकदमा में पेश की गई हो जब्त हो कर

अदालत किसी दस्तावेज के जब्त करने का हुक्म दे सक्ती है

अदालत से किसी ओहदेदार की हिरासत में उस मुद्दत तक और उन शर्तों के साथ रखी जाय जो अदालत को मुनासिब मालूम हो

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १४३ से कायम किया गया है,

९ (१) कोई शख्स जो फरीक मुकदमा हो या न हो किसी दस्तावेज को जो उस की तरफ से मुकदमा में पेश और शामिल मिसल हुई हो वापिस लेना चाहता हो तो वह उस के वापिस पाने का मुस्तहक होगा तावक्ते के वह बमुजिब कायदा ७ जब्त न हुआ हो

दस्तावेजात मन्जूर शुदा का वापिस होना

(क) अगर मुकदमे की अपील नहीं हो सकी हो तो बाद तसफिया मुकदमा के और,

(ख) अगर अपील हो सकी है, तो जब अदालत को इतमीनान हो जाय कि दायरी अपील का वक्त गुजर गया, और अपील दायर नहीं हुई, और अगर अपील दायर हो गई है, तो बाद तसफिया अपील के,

मगर शर्त यह है कि दस्तावेज मजकूर इस कायदे से मुकर्रर किये हुए वक्त के पहले भी किसी वक्त वापिस हो सकता है, अगर वह शख्स जो उस की वापसी की दरखास्त करे, दस्तावेज मजकूर की एक नकल तसदीक की हुई असल के जगह पर रखे जाने के लिये अदालत के अहलकार मुनासिब के हवाले करदे, और असल के पेश करने का जिम्मेदार हो जाय, जब वैसे पेश करने का हुक्म दिया जाय,

और यह भी शर्त है कि कोई दस्तावेज जो डिकरी की रू से बिलकुल रद या बेकार हो गई हो वापिस न किया जायगा

जब कोई दस्तावेज जो बतौर सबूत में लिया गया हो वापिस किया जाय तो दस्तावेज का लेने वाला उस के वापिस पाने की रसीद लिख देगा.

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १४४ से कायम किया गया है.

१० (१) अदालत अपनी खुशी से और अगर फरीकैन में से किसी फरीक की तरफ से दरखास्त गुजरे, तो मुनासिब समझने पर किसी और मुकदमा या कार्रवाई की मिसल को अपने या किसी और अदालत के दफ्तर से तलब कर उस का मुलाहजा करे

अदालत कागजात अपने या और अदालतों के दफ्तरों से तलब कर सकी है

(२) हर ऐसी दरखास्त की ताईद में जो इस कायदे के बमूजिब गुजरे

[अगर अदालत और तरह का हुक्म न दे,] दरखास्त का करने वाला या उस का वकील एक तहरीरी बयान हलफी दाखिल करेगा, जिस से यह मालूम हो कि मिसल मतलूबा उस मुकदमा में, जिस में दरखास्त गुजरी हो, कैसे असर रखती है, और तसदीक की हुई नकल जाब्ता के मुताबिक कागजात मसमूला मिसल को, या उस हिस्से की जो सायल को दरकार है बिला देरी या बिला सरफा ना मुनासिब के, नहीं मिल सक्ती है, या यह कि पेश होना असल कागजात का इनसाफ के मतलब के वास्ते जरूरी है

(३) इस कायदे के किसी इबारत से यह न समझा जायगा कि अदालत किसी ऐसे कागज को शहादत्त में इस्तेमाल कर सक्ती है, जो कानून शहादत्त के रूसे उस मुकदमा में दाखिल न हो सक्ती हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १३७ से कायम किया गया है.

किसी जज को किसी दूसरे मुकदमा की मिसल तलब करना फर्ज नहीं है (७ वीकली रिपोर्टर १०९) और इस कायदे के मुताबिक दरखास्त इस वजह पर नामनजूर नहीं की जा सक्ती कि अदालत की राय में वह दस्तावेज कबल तहकीकात पेश नहीं हो सक्ता था (इ. ला रि. कलकता जि ७ स. ५६०) उस को कुल मिसल बुलाना लाजिम नहीं है. सिर्फ उस कदर कागजात जितने दरखास्त में दर्ज हैं तलब कर सक्ता है (वीकली रिपोर्टर सन १८६४ सफा २७०).

११ इस मजमूआ में जो अहकाम दस्तावेज के निसबत दर्ज किये गये हैं, जहा तक हो सके, तमाम और अशयाय मादी से भी मुताल्लुक होंगे जो बतौर शहादत पेश हो सक्ती हैं

दस्तावेज के ताल्लुक के अहकामात दीगर अशया से भी मुताल्लुक होने

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १४५ से कायम किया गया है

आर्डर--१४.

निकाला जाना तनकीह का और तसफिया मुकदमात तनकीह कानूनी पर या उन तनकीहात पर जो करार पाय.

१ (१) अमर तनकीह तलब उस वक्त पैदा होती है जब कि कोई फरीक किसी अमर बयान मुकद्दमा मुताल्लुक वाकेआत या कानून को बयान करे, और फरीकसानी उस से इनकार करे

करार दिया जाना तनकीह का

(२) अमर जरूरी मुकदमा वह अमर कानूनी या वाकेआती है जो मुद्दई को वास्ते जाहिर करने हक नालिश के बयान करना लाजिम है, या जो मुदायलेह को वास्ते कायम करने अपने जवाब के बयान करना जरूर है

(३) हर अमर जरूरी मुकदमा जिसे एक फरीक बयान करे और दूसरा उसे इनकार करे एक अलेहदा अमर तनकीह तलब करार दिया जायगा

(४) तनकीहात दो किस्म की है—(क) तनकीहात वाकेआती, (ख) तनकीहात कानूनी

(५) मुकदमा की अव्वल पेशी पर अदालत बाद पढ़ने अर्जीदावा और बयान तहरीरी के, अगर कोई हों, और फरीकैन के उस इजहार के बाद जो जरूरी मालूम हो, यह दरयाफ्त करेगी कि किस अमर वाकेआती या कानूनी जरूरी मुकदमा के बाबत फरीकैन के दरमियान झगड़ा है, उस के बाद अदालत अमर तनकीह को जिन पर अदालत के दानिस्त में मुकदमा के सही तजवीज का दार मदार है, करार दे कर तहरीर करेगी

(६) इस कायदे की किसी इबारत से अदालत पर उस हालत में अमर तनकीह का करार देना और तहरीर करना लाजिम नहीं है, जब की मुकदमा की अव्वल सुनाई के वक्त मुदायलेह की तरफ से कुछ जवाब देही न हो

तशरीह:—मुकदमा दीवानी में अरजी दावी और बयान तहरीरी को "प्लीडिंग" कहते हैं (आर्डर ६ कायदा न. १) एक्ट शहादत की दफा ५८ में यह हुक्म है कि बर वक्त पेशी मुकदमा ऐसी अमूरात का साबित करना जरूर नहीं है

कि जिन को कोई फ़रीक़ अपने प्लीडिंग के जरिये यानी बयानात की रू से कबूल करता है सिवाय उस सुरत में कि जब अदालत साफ़ तौर पर सबूत तलब करे—तनकीहात सिर्फ़ ऐसे अमूरात के बारे में कायम की जावेगी कि जिन से फ़रीक़सानी को इंकार है न कि इकबाल—तनकीह उन्ही अमूरात के निस्बत कायम की जावेगी कि जिन का कायम करना मुकदमें के फैसले के लिये जरूर है—तनकीह दो किस्म की होती है—(१) निस्बत अमर वाकेआ (२) निस्बत अमर कानूनी; मसलन, अगर रामदत्त शिवदत्त पर किसी माहदा यानी ठहराव की टूट के हरजे के बारे में नालिश करे और शिवदत्त बजरिये अपने बयान तहरीरी के यह उजर करे (१) कि माहदा अजरूये कानून नाजायज है (२) कि मुद्दई को माहदे की टूट से कोई नुकसानी नहीं हुई—(३) अदालत को मुकदमा की सुनाई करने का अख्त्यार नहीं है (४) कि दावा मुद्दई बेरू मियाद है—ऊपर लिखी उजरात पर नीचे लिखी तनकीह कायम करना चाहिये.

(१) आया माहदा जायज है और उस की तामील फरीकैन पर लाजिम है.
(२) आया रामदत्त को बवजह टूट माहदा नुकसानी उठाना पड़ा.
(३) आया अदालत को नालिश की सुनाई का अख्त्यार है.
(४) आया दावा मुद्दई बेरू मियाद है

ऊपर लिखी तनकीहों में से तनकीह न. १ में कानूनी और वाकेआती तनकीहों का मिलाप है, न २ में सिर्फ तनकीह वाकेआती है, न. ३ वो ४ में तनकीहात कानूनी है–माहदा की टूट के बारे में कोई तनकीह कायम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुद्दायलेह को माहदा के टूट से इकार नहीं है

गरज कायम करने तनकीह:— तनकीह कायम करने की यह गरज है कि फरीक़ैन का बयान ऐसी खास २ सवालों के तरफ मिलाया जावे कि जिन के बारे में उन के बीच में इत्तफाक नहीं है और यह भी गरज है कि अदालत के रूबरू ऐसे सवालात पेश किये जावें जिन का फैसला करना लाजमी है—

ऐसी तनकीह नहीं निकाली जाना चाहिये जो एक दूसरे के बरखिलाफ हो (इ. ला. रि कलकत्ता जि० १५ सफा ६८४ प्रीवी कौंसिल)

किसी जज को जो किसी अमर कानूनी को साफ, समझता है उस पर

तनकीह निकलना फरज नहीं है (२ बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट सफा २७२) जब मुद्दायलेह हाजिर न हो तो अदालत को तनकीह निकालना जरूर नहीं है (१५ वीक्ली रिपोर्टर सफा १४५)

इस मजमुए के बमूजिब तनकीह कायम करने का काम अदालत के जिम्में है, और अगर कोई अदालत जरूरी तनकीह कायम करने में भूल करे तो उस से यह मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि मुद्दायलेह की मनशा ऐसे वाकेआत के कबूल करने की थी, जिन का साबित करना मुद्दई पर लाजिम था (इं. ला रि. बम्बई जि० २९ सफा ३६०).

जब वह अमर कि जिस के निसबत कोई साफ तनकीह कायम नहीं की गई फरीकैन के दिलों में मौजूद रहा हो तो वैसे अमर के निसबत किसी अदालत का फैसला इस बिना पर रद न किया जायगा कि उस के बारे में कोई तनकीह कायम नहीं की गई थी (इ. ला रि मदरास जि० २६ सफा ७२) तसफिया इस अमर का कि आया मालियत दावी की वाजबी तौर पर लगाई गई या नहीं, फैसला मुकदमा का होने के पेश्तर बजरिये तनकीह इबतदाई के किया जावेगा (इ. ला रि कलकत्ता जि०८ सफा ६७९)

२ जब तनकीह तलब कानूनी और वाकेआती दोनों एकही मुकदमा में पैदा हों, और अदालत की राय में अमर कानूनी की बिना पर मुकदमा या उस का कोई हिस्सा तै हो सकता है तो वह पहिले उन्ही उमूरात की तजवीज करेगी और उस गरज के लिये अगर मुनासिब जाने तो अमर वाकेआती का करार देना उस वक्त तक मुलतवी रखे कि जब तक अमर कानूनी तजवीज न हो जाये

मगर तनकीह तलब वाकेआती और कानूनी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १४६ के छटवें फिकरे से कायम किया गया है

इस कायदे के अहकामात निसबत तजवीज तनकीहात वाकेआती के मुकदमें की पहिली पेशी पर अमल में लाये जायेंगे (इ. ला रि. बम्बई जि० ४ सफा ५७८).

३ अदालत को अखत्यार है कि अमर तनकीह तलब कुल या जुज नीचे लिखे हुए बयान से निकाले

बयानात जिन से अमर तनकीह तलब निकाले जा सके है

(क) उन बयानात हलफी से जो फरीकैन ने या किसी शख्स ने जो उन की तरफ से हाजिर थे, किये हों, या उन फरीकैन के वकील ने किये हों

(ख) उन बयानात से जो प्लीडिंग में या उन चन्द सवालात के जवाबात में किये गये हों, जो मुकदमे में दाखिल किये जाये

(ग) उन दस्तावेजात के मजमून से जो फरीकैन में से किसी ने पेश की हों—

तशरीहः—तनकीह निकालते वक्त अदालत अरजीदावा वो प्लीडिंग के इबारत की पावन्द न रहेगी यानी तनकीह सिर्फ प्लीडिंग ही से नहीं निकाली जा सक्ती बलकि फरीकैन और उन के वकील के बयान से भी—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ११ सफा ४१०)

जब कि माहदा के मावजा का नाजायज होना बयान नहीं किया गया है बलकि उस के निसबत अदालत की तवज्जह दिलाई गई हो तो अदालत उस पर ख्याल करने और अमल में लाने की पावन्द है—(इ ला रि अलाहाबाद जि० २७ सफा २६६).

नालिश दखलयाबी कबजा में जो किसी बैनामा के बुनियाद पर कायम हो, अदालत को चाहिये कि तनकीह निसबत माल की जायदाद वो कबजा के कायम करे क्योंकि गो मुद्दई बैनामा साबित न कर सके, ताहम वह जायदाद के मिलकियत के बारे में अपना हक साबित कर सक्ता है (इ ला. रि बम्बई जि० २० सफा ७५८).

कार्रवाई जाप्ता यह है कि फैसला हर मुकदमे का ऐसे वाकेआत पर होना चाहिये कि जिनका बयान प्लिडिंग में किया गया है या जो रूईदाद मुकदमा से मिलान खाते हैं और तनकीहात भी उजरात फरीकैन पर लिहाज रखकर कायम करना चाहिये—जब तनकीहात बयान फरीकैन में से कायम की जाये तो वे उजरात के खिलाफ नहीं हो सक्ती—(इ ला. रि कलकत्ता जि० ८ सफा ९७५)—

मसलन अगर रामदत्त शिवदत्त पर मसूखी दस्तावेज की इस बिना पर नालिश करे कि वह दस्तावेज उसकी तरफ से तहरीर नहीं किया गया है बल्कि वह

जालसाजी से लिखा गया है तो अदालत इस मजमून की तनकीह कायम न करेगी कि आया दस्तावेज मजकूर बजरिये धमकी या दबाव नाजायज के लिखवाया गया क्योंकि इस किस्म की तनकीह कायम करने से यह क्यास किया जाता है कि दस्तावेज तो लिखा गया गो मुद्दई का बयान अरजीदावी में यह है कि उसने दस्तावेज बिलकुल तहरीर नहीं किया—(इ. ला अलाहाद जि० १० सफा ६२७)

जब कोई अदालत फरीकैन के सुझाने के मुताबिक कोई तनकीह कायम न करे तो ऐसे हुक्म के नाराजी से अपील दायर न हो सकेगी—(इ ला. रि. कलकत्ता जि ४ स ५३१, वो इ ला. रि कलकत्ता जि ३५ स १)—

अदालत तनकीह निकालने के पहले गवाहों का इजहार ले सकी है या दस्तावेजात का मुलाहजा कर सकी है

४ अगर अदालत की राय में बिला इजहार किसी शख्स के, जो अदालत में हाजिर न हो या बिला मुलाहजा किसी दस्तावेजात के जो मुकदमा में पेश न हुआ हो, अमर तनकीह तलब कायम नहीं हो सकी, तो उसे अखत्यार होगा कि कायम करना अमर तनकीह का किसी तारीख आइन्दा पर मुलतवी रखे और (उस कानून की रियायत से जो उस वक्त जारी हो) बजरिये समन या और हुक्मनामा के जबरन किसी शख्स को हाजिर कराय या कोई दस्तावेज किसी शख्स से, जिस के कब्जा या अखत्यार में हो, पेश कराय

तरमीम और खारिज करने अमर तनकीह तलब के बारे में अखत्यार

५ (१) अदालत को अखत्यार है कि डिक्री सादिर करने से पहले किसी वक्त अमर तनकीह को उन शर्तों से जो मुनासिब मालूम हो तरमीम करे, या उन में और अमर तनकीह शामिल करे, और इसी तरह वास्ते तसफिया अमर मुतनाजिया दरमियान फरीकैन के जो तरमीम या इजाफा अमर तनकीह का जरूरी हो, अमल में आयगा

[२] अदालत को यह भी अखत्यार है कि डिक्री सादिर करने से पहले किसी वक्त किसी अमर तनकीह को जो गलती से करार दिये या बढ़ाये हुये मालूम हों खारिज करदे

तशरीह —कोई तनकीह इस तरह से तरमीम नहीं हो सकी और न ऐसी नई तनकीह निकाली जा सकी है जिससे मुकदमा एक किस्म से बदल कर दूसरे और मुख्तलिफ किस्म का हो जाय (इ ला रि बम्बई जिल्द १३ सफा ६६४)

किसी औरत को बद चलनी का इलजाम, जिससे वह नाननफके, की मुस्तहक

न रहे, साफ तौर से प्लीडिंग में या तनकीह में होना चाहिये जब मुद्दई का मुकदमा बन्द हो जावे तो अदालत इस अमर की तनकीह नहीं निकालेगी (इ. ला. रि. बम्बई जि. २७ स ४८५ प्रीवी कौंसिल)

अगर किसी मुकदमा इसतक़रारहक में शहादत से मालूम हो कि कबजा मुद्दायलेह का है तो अदालत को इस अमर के निसबत तनकीह निकालना चाहिये (इ ला रि. मदरास जिल्द १५ सफा १५)

अमर वाकेआती या कानूनी बजरिये इकरार नामा के बतौर अमर तनकीह तलब बयान हो सके हैं

६ जब फरीकैन मुकदमा आपस में तसफिया करें कि फलां अमर वाकआती या कानूनी का तसफिया उन के दरम्यान होना चाहिये, तो वे अमर मजकूर को बतौर अमर तनकीह के लिये कर एक इकरार नामा तहरीरी लिख दे कि जब अदालत निसबत अमर तनकीह मजकूर के अपनी राय निसबत सबूत या अदम सबूत के कायम करे,

(क) तो उस वक्त इकरार नामा में दरज की हुई रकम जो अदालत तहकीक करे, या जिस तौर से अदालत हिदायत करे, एक फरीक दूसरे फरीक को अदा करे या कि कोई फरीक किसी वैसे हक का मुस्तेहक या ऐसी जिम्मेदारी का पाबन्द करार दिया जाय जिसकी तफसील इकरारनामा में दरज हो,

(ख) कोई जायदाद जो इकरारनामे में दरज और मुकदमा में झगड़े में हो, एक फरीक दूसरे फरीक के हवाला करे या जिस तरह दूसरा फरीक हिदायत करे उसी तरह अमल किया जाय, या,

(ग) फरीकैन में से एक या जियादा फरीक कोई खास काम जो इकरारनामा में दरज हो और अमर मुतनाजिया से मुतल्लुक हो अमल में लाय या उससे बाज रहे

तशरीह — यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १५० से कायम किया गया है.

इस कायदा वो कायदा ७ में दरज किये हुये उसूल उस वक्त लागू हैं जब अमर वाकेआती बतौर तनकीह के बयान किया जाय और अहल कमीशन की तजवीज के निस्वत हो, न कि अदालत के तजवीज के बारे में (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द २९ सफा ३०६)

अदालत फैसला सादिर कर सक्ती है अगर उस को इतमीनान हो जाय कि इकरारनामा नेकनियती से किया गया है

७ अगर बाद करने उस तहकीकात के जो मुनासिब मालूम हो अदालत को इस अमर का इतमीनान ो

(क) कि इकरारनामा फरीकैन की तरफ से बाजाब्ता लिखा गया

(ख) और उन को ऐसे अमर तसफिया तलब के फैसले में असली गरज है-और,

(ग) ऐसा अमर काबिल तजवीज वो फैसला के है, तो उस को लाजिम है कि अमर तनकीह को लिए करके उस का फैसला या तजवीज करे और अपना फैसला या तजवीज ब निसबत उस के उसी तरह से लिखे कि गोया अदालत ने खुद उस को अमर तनकीह तलब करार दिया था, औ अदालत मजकूर को लाजिम है कि उस फैसला, या तजवीज की बिना पर निसबत अमर मजकूर के बमूजिब शरायत इकरारनामा अपनी तजवीज सादिर करे, और बमूजिब तजवीज सादिर की हुई के डिक्री सादिर होगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १५१ से कायम किया गया है

न रहे, साफ तौर से प्लीडिंग में या तनकीह में होना चाहिये जब मुद्दई का मुकदमा बन्द हो जावे तो अदालत इस अमर की तनकीह नहीं निकालेगी (इ. ला. रि. बम्बई जि. २७ स ४८५ प्रीवी कौंसिल)

अगर किसी मुकदमा इसतकरारहक में शहादत से मालूम हो कि कबजा मुद्दायलेह का है तो अदालत को इस अमर के निसबत तनकीह निकालना चाहिये (इ ला रि. मदरास जिल्द १५ सफा १५)

अमर वाकेआती या कानूनी बजरिये इकरार नामा के बतौर अमर तनकीह तलब बयान हो सक्ते हैं

६ जब फरीकैन मुकदमा आपस में तसफिया करें कि फलां अमर वाकआती या कानूनी का तसफिया उन के दरम्यान होना चाहिये, तो वे अमर मजकूर को बतौर अमर तनकीह के लिख कर एक इकरार नामा तहरीरी लिख दे कि जब अदालत निसबत अमर तनकीह मजकूर के अपनी राय निसबत सबूत या अदम सबूत के कायम करे,

(क) तो उस वक्त इकरार नामा में दरज की हुई रकम जो अदालत तहकीक करे, या जिस तौर से अदालत हिदायत करे, एक फरीक दूसरे फरीक को अदा करे या कि कोई फरीक किसी वैसे हक का मुस्तेहक या ऐसी जिम्मेदारी का पाबन्द करार दिया जाय जिसकी तफसील इकरारनामा में दरज हो,

(ख) कोई जायदाद जो इकरारनामे में दरज और मुकदमा में झगड़े में हो, एक फरीक दूसरे फरीक के हवाला करे या जिस तरह दूसरा फरीक हिदायत करे उसी तरह अमल किया जाय, या,

(ग) फरीकैन में से एक या जियादा फरीक कोई खास काम जो इकरारनामा में दरज हो और अमर मुतनाजिया से मुतल्लुक हो अमल में लाय या उससे बाज रहे

तशरीह — यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १५० से कायम किया गया है

इस कायदा वो कायदा ७ में दरज किये हुये उसूल उस वक्त लागू हैं जब अमर वाकेआती बतौर तनकीह के बयान किया जाय और अहल कमीशन की तजवीज के निस्बत हो, न कि अदालत के तजवीज के बारे में (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द २६ सफा ३०६)

अदालत फैसला सादिर कर सक्ती है अगर उस को इतमीनान हो जाय कि इकरार नामा नेकनियती से किया गया है

७ अगर बाद करने उस तहकीकात के जो मुनासिब मालूम हो अदालत को इस अमर का इतमीनान हो

किसी अमर तनकीह के जो मुकदमें के फैसले के लिये काफी हों कोई और दलील या सबूत सिवाय उस के जो फरीकैन फौरन पेश कर सके हैं जरूर नहीं है और मुकदमा में फौरन कार्रवाई करन से कुछ बे इनसाफी न होगी तो अदालत को अखत्यार होगा कि उन अमर तनकीह की तजवीज शुरू करे और अगर तजवीज ऐसे अमर का वास्ते फैसला मुकदमा के काफी हो तो मुताबिक उस के मुकदमें का फैसला सुना दे, चाहे समन सिर्फ वास्ते करार देने अमर तनकीह या फैसला कतई मुकदमा के जारी हुआ हो, मगर शर्त यह है कि जब समन सिर्फ वास्ते करार देने अमर तनकाह के जारी हुआ हो तो फरीकैन मुकदमा या उन के वकील हाजिर हों और कोई इन में से एतराज न करे

(२) अगर यह तजवीज वास्ते फैसला मुकदमा के काफी न हो तो अदालत मुकदमे की सुनाई मजीद (अधिक) मुलतवी करके कोई तारीख वास्ते पेश करने ऐसे सबूत मजीद या और बहस के जैसा मोका हो करार देगी—

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १५४ से कायम हुआ है

अगर कोई फरीक हाजिर होकर कार्रवाई जाब्ता पर एतराज करे तो जज मुकदमे को पहली पेशी पर फैसला नहीं कर सक्ता (इ. ला. रि मदरास जिल्द १६ सफा १९८)

सबूत न पेश करना

४ अगर समन वास्ते फसला कतई मुकदमे के जारी हुआ हो और कोई फरीक बिला वजह काफी उस सबूत को जिस पर उस को भरोसा हो पेश न करे, तो अदालत को अखत्यार होगा कि फौरन मुकदमे का फैसला करदे, या अगर उस की दानिस्त में, मुनासिब हो तो तनकीहात करार देने और उन को तहरीर करने के बाद मुकदमे को वास्ते पेश होने उस शहादत के जो ऐसे तनकीहात के बिना पर उन को फैसला करने के लिये जरूरी हो मुलतवी रखे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १५५ से कायम किया गया है

आर्डर—१५.

मुकदमे का अव्वल पेशी पर फैसला किया जाना—

१ अगर मुकदमे की अव्वल सुनाई के वक्त मालुम हो कि फरीकैन में निसबत किसी अमर कानूनी या अमर वाकेआती के तकरार नहीं है तो अदालत फैसला उसी वक्त सादिर करे.

फरीकैन में बहस न हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १५२ से कायम किया गया है.

जब कि फरीकैन ने आपस में तसफीया कर लिया या जब मुद्दायलेह ने फैसला कबूल कर लिया तो अदालत को पहली पेशी मुकदमा का इन्तजार न कर के फैसला एक दम सुनाना चाहिये—मगर जब फरीकैन की नेक नियती या उन के पहचान के बारे में कोई शक हो तो अदालत को मुकदमा की पहली पेशी तक जो मुकर्रर की गई हो इन्तजार करना चाहिये [१२ वीकली रिपोर्ट सफा ४३२].

२. जब कि एक से जियादा मुद्दायलेह हों, और उन में से किसी एक को किसी अमर कानूनी या वाकेआती के निसबत मुद्दई के साथ तकरार है तो अदालत को अखत्यार है कि उस मुद्दायलेह के हक में या उस के खिलाफ फौरन फैसला सादिर करे और मुकदमे की कार्रवाई सिर्फ दूसरे मुदायलेहुम के मुकाबले में चालू रहेगी.

अगर कह मुदायलेहुम में से किसी एक को अखत्मारात न हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १५३ से कायम किया गया है.

जब किसी मुकदमा में जो कई शामलाती करजदारों पर शुरू किया गया एक करजदार दावी से कबूल करे तो उस से दीगर लोगों पर मुकदमा की पैरवी की मनाई नहीं है (इं. ला रि. बम्बई जिल्द २५ सफा ३७८).

३ (१) जब फरीकैन के दरमियान तकरार किसी अमर कानूनी या वाकेआती की हो, और अमर तनकीह ऊपर लिखे हुये तरीके के मुवाफिक अदालत ने कायम किये हों जैसा के पहले जिकर किया गया है और अदालत को इतमीनान हो जाय कि निसबत

अगर फरीकैन के दरमियान तकरार हो

से अपील नहीं दायर कर सक्ता है उसे मुकदमा के फैसला होने तक इन्तजारी करना पड़ेगा और अगर मुकदमा का फैसला उसके बर खिलाफ हो जावे तो वह डिक्री की नाराजी से अपील कर सक्ता है और याददाश्त अपील में उजर नामजूरी दरखास्त तलबी गवाहान के लिख सक्ता है. अगर अदालत अपील की राय में यह पाया जावे कि नामजूरी दरखास्त तलबी गवाहान की वजह से मुकदमा के फैसला में हरज पहुचा तो अदालत डिक्री मन्सूख कर सक्ती और मुकदमा को अदालत मातेहत में इस हिदायत के साथ वापस भेज सक्ती है कि गवाहों के नाम समन जारी किया जाये (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १६ सफा २१८).

दरखास्त जारी होने समन पर खर्चा गवाहान अदालत में दाखिल करना चाहिये

२ (१) जो शख्स जारी होने की दरख्वास्त करे उस को चाहिये कि समन के जरिये जाने से पहले और उस मियाद के अन्दर जो अदालत ने मुकर्रर की हो या तो राह खर्च वगैरा उस शख्स का जिस पर समन भेजा जाय, जिस कदर रूपया उस अदालत को आने जाने के लिये जिस में तलबी उस की की गई और एक रोज हाजरी अदालत के बाबत काफी समझे अदालत में दाखिल करे

इक्स पर्ट (वाकिफकार)

[२] उस रुप्या की तादाद तजवीज करने में जो इस कायदे के रू से दिया जाय अदालत को अख्तयार हासिल है कि दर-सूरत उन लोगों के जो किसी फन यानी हुनर खास के वाकिफकार हों और बहसियत वाकिफकार गवाहों के तलब हुये हों एक माकूल मावजा दिलाये निसवत उस वक्त के जो शहादत देने में और निसबत उस के जो किसी खास काम फन के करने में जो उस मुकदमे से मुताबिक हो खरच हुआ हो

खरचे की शरह

[३] अगर वह अदालत हाई कोर्ट के मातहत हो तो ऐसे खरचा की शरह मुकर्रर करने में उस कायदे की पाबन्दी होगी जो उस काम के लिये बनाये गये हों

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६० से कायम किया गया है और जिमनी कायदा (२) नया है

फेहरिस्त गवाहान के दाखिल होने व खुराक दाखिल किये जाने के बाद समन की तामील के जिम्मेदार उहदेदारान अदालत हैं न कि दरखास्त देने वाला फरीक (१९ वीकली रिपोर्टर सफा ८८)

खरचा सफर वो दीगर खरचा —इस कायदा के मुताबिक गवाह

आर्डर—१६.

गवाहों की तलबी और हाजरी.

१ दायरी नालिश के बाद किसी वक्त फरीक मुकदमा को अख्त्यार है कि अदालत में या उस उहदेदार के रूबरू, जो इस काम के लिये मुकर्रर हो, दरख्वास्त देकर समन उन लोगों के नाम हासिल करले जिन की हाजरी शहादत देने या दस्तावेज पेश करने के लिये जरूरी हो

समन हाजरी वास्ते देने शहादत या पेश करने दस्तावेज

तशरीह:—यह कयदा पुराने एक्ट की दफा १५६ से कायम किया गया है.

यह अमर कि किसी फरीक ने अपने गवाह के लाने का जिम्मा लिया है समन जारी करने से इनकार करने की कोई वजह नहीं है (इ. ला रि बम्बई जिल्द ६ सफा ४७२). कोई फरीक अपने गवाहों के लिये समन हासिल करने का, मुकदमा के फैसला होने के पहले किसी वक्त, बतौर हक के मुस्तहक है (इ. ला रि बम्बई जिल्द १५ सफा ८६ वो इ ला. रि. अलाहबाद जिल्द १६ सफा २१८)'

लेकिन अगर देरी की गई और कोशिश न हुई जिस के वजह से गवाहान पर अन्दर मोहलत काफी तामील समन की नहीं हुई और वे गैर हाजिर हैं तो अदालत ठीक तौर से मुकदमे की पेशी बढ़ाने से इनकार कर सक्ती है (इ ला. रि. बम्बई जिल्द ६ सफा ३०८)

समन सानी जारी करने के लिये अदालत को अख्त्यार है—उस पर उन हालात का दरयाफ्त करना जरूर है जिस से वैसी दरख्वास्त दी गई और जब बड़ी लापरवाही हो और वजह काफी न बतलाई जाय तो वह दरख्वास्त नामनजूर होना चाहिये (१५ बंगाल ला रि अपेनडिक्स १२).

जब कोई फरीक दरख्वास्त वास्ते जारी करने समन बनाम गवाहान के पेश करे और अगर यह दरख्वास्त नामन्जूर की जावे तो वह ऐसे नामन्जूरी के हुक्म

से अपील नहीं दायर कर सक्ता है उसे मुकदमा के फैसला होने तक इन्तज़ारी करना पड़ेगा और अगर मुकदमा का फैसला उसके बर खिलाफ हो जावे तो वह डिक्री की नाराज़ी से अपील कर सक्ता है और याददाश्त अपील में उजर नामन्ज़ूरी दरखास्त तलबी गवाहान के लिख सक्ता है अगर अदालत अपील की राय में यह पाया जावे कि नामन्ज़ूरी दरखास्त तलबी गवाहान की वजह से मुकदमा के फैसला में हरज पहुचा तो अदालत डिक्री मन्सूख कर सक्ती और मुकदमा को अदालत मातेहत में इस हिदायत के साथ वापस भेज सक्ती है कि गवाहों के नाम समन जारी किया जावे (इं ला. रि अलाहाबाद जिल्द १६ सफा २१८)

दरखास्त जारी होने समन पर खरचा गवाहान अदालत में दाखिल करना चाहिये

२ (१) जो शख्स जारी होने की दरखास्त करे उस को चाहिये कि समन के दिये जाने से पहले और उस मियाद के अन्दर जो अदालत ने मुकर्रर की हो या त राह खर्च वगैरा उस शख्स का जिस पर समन भेजा जाय, जिस कदर रूपया उस अदालत को आने जाने के लिये जिस में तलबी उस की की गई और एक रोज हाजरी अदालत के बाबत काफी समझे अदालत में दाखिल करे

हरस पट (वाकिफकार)

[२] उस रुप्या की तादाद तजवीज करने में जो इस कायदे के रू से दिया जाय अदालत को अख्तयार हासिल है कि दरसूरत उन लोगों के जो किसी फन यानी हुनर खास के वाकिफकार हों और बहैसियत वाकिफकार गवाहों में तलब हुये हों एक माकूल मावजा दिलाये निसबत उस वक्त के जो शहादत देन में और निसबत उस के जो किसी खास काम फन के करने में जो उस मुकदमे से मुताल्लिक हो खरच हुआ हो

खरचे की शरह

[३] अगर वह अदालत हाई कोर्ट के मातहत हो तो ऐसे खरचा की शरह मुकर्रर करने म उस कायदे की पाबन्दी होगी जो उस काम के लिये बनाये गये हों

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६० से कायम किया गया है और ज़िमना कायदा (२) नया है

फेहरिस्त गवाहान के दाखिल होने वो खूराक दाखिल किये जाने के बाद समन की तामील के ज़िम्मेदार उहदेदारान अदालत हैं न कि दरखास्त देने वाला फरीक (१९ वाकनी रिपोर्टर सफा ८८)

खरचा सफर वो दीगर खरचा —इस कायदा के मुताबिक गवाह

सरफा सफर वो इसी किस्म का दीगर खरचा पाने का हकदार है लेकिन वह किसी किस्म के हरजाना के पाने का हकदार न होगा खरचा सफर के मागने का हक किसी गवाह का सिर्फ इस बिना पर नष्ट न हो जावेगा कि उस ने अपनी शहादत्त देने के पेश्तर दरखास्त नहीं की बल्कि शहादत्त दे देने के बाद की किसी वक्त गवाह अपनी सफर का खरचा मागने का हकदार होवेगा (इ. ला बम्बई जि० ४ सफा ६१९) अगर कोई गवाह मुद्दई की तरफ से तलब किया जावे तो वह मुद्दई से सरफा सफर तलब करने का हकदार होगा गो उसका इजहार मुद्दई ने न लिया हो बल्कि मुद्दायलेह ने बतौर अपने गवाह के उसका इजहार लिया हो—(इ ला. रि. बम्बई जि० २८ सफा ६४७).

३ रूपया जो ऐसे खरचा के बाबत अदालत में जमा किया जाय वक्त तामील होने समन के उस शख्स के पास हाजिर किया जायगा जिसके नाम का वह समन हो अगर उसकी तामील उस के जात पर हो सक्ती हो

खरचा गवाह को दिया जाना

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६१ से कायम किया गया है

कोई गवाह जो समन की तामील में हाजिर हो किसी वक्त अपना खरचा उस फरीक से मागने का हकदार है जिसने उस को तलब किया गो वह शहादत्त उस फरीक के तरफ से दे जिसने उस को तलब नहीं किया था (इ ला. रि बम्बई जि० २८ सफा ६४७)—अगर वह हाजिर न हो तो उस पर उस रकम की नालिश की जा सक्ती है, जो उस को दिया गया था—(१७ मदरास ला. जरनल रिपोर्ट सफा १४३)

४ (१) अगर अदालत को या उस ओहदेदार को जो इस काम के लिये अदालत से मुकर्रर हुआ हो यह मालूम पड़े कि जो रूपया अदालत में दाखिल किया गया वह ऐसे खरचा या मावजा माकूल के अदाई के लिये काफी नहीं है, तो अदालत यह हिदायत कर सक्ती है कि रूपया मजकूर के अलावा और उस कदर रूपया जो जरूरी मालूम हो तलब किये हुये शख्स को दिया जाय, और अगर जर मजकूर अदा न किया जाय तो अदालत यह हुक्म दे सक्ती है कि वह रकम उस शख्स की जायदाद मनकूला की कुर्की और नीलाम से वसूल किया जाय जिसने समन जारी कराया है, या अदालत तलब किये हुये शख्स को बगैर

अगर काफी रकम दाखिल न की जाय तो कार्रवाई

लेने उस के इजहार के रुखसत करे, या जर मजकूर के वसूल करने और उस शख्स को रुखसत करने याने दोनों बातों का जैसा कि ऊपर बयान किया गया है हुक्म दे

(२) अगर वह शख्स जो तलब किया गया है, उस को एक रोज से जियादा अरसे तक ठहराना जरूरी हो, तो अदालत मजाज होगी कि वकत फवक्तन वास्ते दाखिल करने के अदालत मे उस कदर रूपया कि जो वास्ते अदाई खरचा उस के जियादा ठहरने को काफी हो तलब कराने वाले को हुक्म दे, और अगर जर मजकूर दाखिल न किया जाय, तो यह हुक्म सादिर करे कि रूपया मजकूर ऐसे शख्स के माल मनकूला की कुरकी और नीलाम से वसूल किया जाय, या अदालत बगैर लेने इजहार के उस शख्स को रुखसत करे, या रूपया मजकूर के वसूल करने और उस शख्स को रुखसत करने याने दोनों बातों का जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, हुक्म दे

खरचा गवाहान जो एक दिन से जियादा रोके जावें

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६२ से कायम किया गया है.

इस कायदे के पढ़ने से यह मतलब निकलता है कि गवाह को रसता खरच के सिवाय एक दिन के ठहरने का खरचा मिलना चाहिये (वीक्ली रिपोर्ट जि० ५ इस्तसवाब दीवानी नम्बर ६)

इस कायदे के फिकरा नम्बर २ से यह जाहिर होता है कि अगर कोई मुकदमा अदालत तारीख पेशी पर न ले सके या उस गवाह के इजहार की बारी उस रोज न आय कि जिस तारीख के लिये वह समन किया गया है तो ऐसी हालत में बढ़ाई हुई पेशी के लिये नया समन जारी करने की जरूरत नहीं है— सिर्फ गवाह को इत्तला करना काफी है कि वह बढ़ाई हुई पेशी पर हाजिर आवे (देखो इ ला रि २४ मदरास सफा २००)

५ हर समन में, जो किसी शख्स की हाजरी वास्ते देने शहादत या पेश करने दस्तावेज के बाबत हो साफ तौर से वक्त और मुकाम जहां उस को हाजिर होना है लिखा जायगा और उस में वह भी लिखा जायगा कि हाजरी वास्ते देने शहादत के है या वास्ते पेश करने दस्तावेज के या दोनों बातों के लिये है, और अगर उस शख्स को, जो तलब किया गया है, किसी दस्तावेज खास के पेश करने का हुक्म हुआ हो तो कैफियत उस दस्तावेज की जहां तक मुनासिब हो ठीक तौर से समन में लिखी जायगी

हाजरी का वक्त और मुकाम और गरज समन में दरज होगी,

सरफा सफर वो इसी किस्म का दीगर खरचा पाने का हकदार है लेकिन वह किसी किस्म के हरजाना के पाने का हक़दार न होगा खरचा सफर के मागने का हक्क किसी गवाह का सिर्फ इस बिना पर नष्ट न हो जावेगा कि उस ने अपनी शहादत्त देने के पेश्तर दरखास्त नहीं की बल्कि शहादत्त दे देने के बाद की किसी वक्त गवाह अपनी सफर का खरचा मागने का हकदार होवेगा (इ. ला बम्बई जि० ४ सफा ६१६) अगर कोई गवाह मुद्दई की तरफ से तलब किया जावे तो वह मुद्दई से सरफा सफर तलब करने का हकदार होगा गो उस्का इजहार मुद्दई ने न लिया हो बल्कि मुद्दायलेह ने बतौर अपने गवाह के उस्का इजहार लिया हो—(इ ला. रि. बम्बई जि० २८ सफा ६४७).

३ रूपया जो ऐसे खरचा के बाबत अदालत में जमा किया जाय २ वक्त तामील होने समन के उस शख्स के पास हाजिर किया जायगा जिस्के नाम का वह समन हो अगर उसकी तामील उस के जात पर हो सकी हो

खरचा गवाह को दिया जाना

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६१ से कायम किया गया है

कोई गवाह जो समन की तामील में हाजिर हो किसी वक्त अपना खरचा उस फरीक से मागने का हकदार है जिसने उस को तलब किया गो वह शहादत उस फरीक के तरफ से दे जिसने उस को तलब नहीं किया था (इ ला. रि बम्बई जि० २८ सफा ६४७)—अगर वह हाजिर न हो तो उस पर उस रकम की नालिश की जा सकी है, जो उस को दिया गया था—(१७ मदराम ला. जरनल रिपोर्ट सफा १४२)

४ (१ अगर अदालत को या उस ओहदेदार को जो इस काम के लिये अदालत से मुकर्रर हुआ हो यह मालूम पड़े कि जो रूपया अदालत में दाखिल किया गया वह ऐसे खरचा या मावजा माकूल के अदाई के लिये काफी नहीं है, तो अदालत यह हिदायत कर सकी है कि रूपया मजकूर के अलावा और उस कदर रूपया जो जरूरी मालूम हो तलब किये हुये शख्स को दिया जाय, और अगर जर मजकूर अदा न किया जाय तो अदालत यह हुक्म दे सकी है कि वह रकम उस शख्स की जायदाद मनकूला की कुरकी और नीलाम से वसूल किया जाय जिसने समन जारी कराया है, या अदालत तलब किये हुये शख्स को बगैर

अगर काफी रकम दाखिल न की जाय तो कारँवाई

ने उस के इजहार के रुखसत करे, या जर मजकूर के वसूल करने और त शख्स को रुखसत करने याने दोनों बातों का जैसा कि ऊपर बयान किया गा है हुक्म दे

(२) अगर वह शख्स जो तलब किया गया है, उस को एक रोज से जियादा अरसे तक ठहराना जरूरी हो, तो अदालत मजाज होगी कि वकतन फवक्तन वास्ते दाखिल करने के अदालत उस का १र रुपया कि जो वास्ते अदाई खर्चा उस के जियादा ठहरने को फी हो तलब कराने वाले को हुक्म दे, और अगर जर मजकूर दाखिल न किया य, तो यह हुक्म सादिर करे कि रुपया मजकूर ऐसे शख्स के माल मनकूला कुरकी और नीलाम से वसूल किया जाय, या अदालत बगैर लेने इजहार उस शख्स को रुखसत करे, या रुपया मजकूर के वसूल करने और उस स को रुखसत करने याने दोनों बातों का जैसा कि ऊपर बयान ा गया है, हुक्म दे

रखा गवाहान जो एक न से जियादा रोके जायें

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६२ से कायम किया ा है.

इस कायदे के पढ़ने से यह मतलब निकलता है कि गवाह को रस्ता र के सिवाय एक दिन के ठहरने का खरचा मिलना चाहिये (वीक्ली रिपोर्ट ५. इस्तसवाब दीवानी नम्बर ६).

इस कायदे के फिकरा नम्बर २ से यह जाहिर होता है कि अगर कोई मा अदालत तारीख पेशी पर न ले सके या उस गवाह के इजहार की बारी रोज न आय कि जिस तारीख के लिये वह समन किया गया है तो ऐसी में बढ़ाई हुई पेशी के लिये नया समन जारी करने की जरूरत नहीं है— गवाह को इत्तला करना काफी है कि वह बढ़ाई हुई पेशी पर हाजिर आवे ों इ ला रि २४ मदरास सफा २००)

५ हर समन में, जो किसी शख्स की हाजरी वास्ते देने शहादत या पेश करने दस्तावेज के बाबत हो साफ तौर से वक्त और मुकाम जहा उस को हाजिर होना है लिखा जायगा और उस में यह भी लिखा जायगा कि हाजरी वास्ते देने त के है या वास्ते पेश करने दस्तावेज के या दोनों बातों के लिये है, और उस शख्स को, जो तलब किया गया है, किसी दस्तावेज खास के पेश का हुक्म हुआ हो तो कैफियत उस दस्तावेज की जहा तक मुनासिब क तौर से समन में लिखी जायगी

ा का वक्त और मुकाम रज समन में दरज

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६३ से कायम किया गया है.

समन में मुकाम हाजरी का दरज होना चाहिये (७ मदरास हाई कोर्ट अपेनडिक्स १४ सफा ४३).

समन में साफ तौर से अदालत का नाम और मुकाम और दिन और वक्त जब कि हाजरी की जरूरत है लिखा जाना चाहिये (इं. ला. रि. अलाहाबाद जि० ५ सफा ७).

जब कोई गवाह बतामील समन उस तारीख पेशी पर अदालत में हाजिर आवे कि जो समन में लिखी है लेकिन मुकदमा की सुनाई उस दिन न हुई हो तो ऐसी हालत में उस गवाह के नाम नया समन जारी करना जरूर नहीं है— उसे सिर्फ इत्तला इस अमर की दी जावे कि बढ़ाई हुई पेशी पर उस की हाजरी दरकार होगी—(इ. ला. रि. मदरास जि० २४ सफा २००)

समन निसबत पेश करने दस्तावेज के

६ हर शख्स वास्ते पेश करने दस्तावेज के, बिला देने शहादत के तलब हो सक्ता है, और अगर कोई शख्स जो सिर्फ वास्ते पेश करने दस्तावेज के तलब हुआ हो दस्तावेज पेश करने के लिये असालतन हाजिर न हो बलकि किसी और शख्स से दस्तावेज को पेश कराय तो उस के निसबत यह समझा जायगा कि उसने समन की तामील की

शतरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६४ से कायम किया गया है.

हुक्म देना अशखास हाजिर अदालत की निसबत अदाय शहादत या पेशी दस्तावेज के

७ अदालत को अख्तयार है किसी शख्स हाजिर अदालत, को हुक्म दे कि वह शहादत अदा करे, या ऐसा कोई दस्तावेज पेश करे, जो उस वक्त वहीं उस के कबजा या अख्तयार में हो

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६५ से कायम किया गया है.

समन की तामील किस तरह की

८ इस आरडर के बमूजिब जो समन जारी किया जाय उस की तामील जहां तक हो सके करीब २ उसी तौर से की जायगी कि जिस तरह मुदायलेह पर समन की तामील करने का हुक्म है, ... ह ... ८५ में दरबाब सुबूत तामील समन

के दरज है हर समन से मुताल्लुक होंगे जिस की तामील इस कायदे के बमूजिब की जाय

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६६ से कायम किया गया है

किसी अफसर सरकारी के बतौर गवाह हाजिर आने का वक्त मुकर्रर करने में उस अफसर के काम सरकारी का लेहाज करना चाहिये—(६ मदरास हाई कोर्ट रिपोर्ट अपेनडिक्स सफा ६)—

९ हर सूरत में समन की तामील उस वक्त के इतनी मुद्दत पहले की जायगी जो शख्स मतलूबा की हाजरी के लिये समन में दरज हो, जो उस को उस मुकाम तक जहां उस का हाजिर होना जरूर हो, रास्ता चलने और तईयारी करने के लिये काफी हो

समन के तामील का वक्त

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६७ से कायम किया गया है.

१० (१) अगर वह शख्स जिस के नाम समन वास्ते देने शहादत या वास्ते पेशी किसी दस्तावेज के जारी हुआ हो ऐसे समन के मुताबिक हाजिर न हो या दस्तावेज पेश न करे और अगर तामील करने वाले अफसर ने तामील की कैफियत हलफ से तहरीर न की हो, या अगर तामील की तसदीक बजरूये हलफ हो गई हो, तो अदालत तामील करने वाले का इजहार निसबत तामील या अदम तामील समन के खुद ले, या किसी और अदालत से लिवावे

कार्रवाई अगर गवाह समन की तामील न करे

(२) अगर अदालत को इस बात के इतमीनान करने की वजह हो कि ऐसी शहादत का अदा किया जाना या दस्तावेज का पेश होना जरूरी है और ऐसा शख्स बगैर जायज उजर के मुताबिक समन मजकूर हाजिर नहीं हुआ या उस ने दस्तावेज पेश नहीं किया, या जानबूझकर तामील समन की नहीं किया तो अदालत को अख्त्यार होगा कि इश्तहार इस हुक्म के साथ जारी करे कि वह उस वक्त वो उस मुकाम पर जो इश्तहार में दरज हो हाजिर होकर शहादत दे, या दस्तावेज पेश करे, और एक परत उस इश्तहार की उस मकान के बाहरी दरवाजा पर या उस के किसी ऐसे मुकाम पर जहां हर शख्स की नजर पड़े चस्पा की जायेगी जिस में शख्स मजकूर मामूली तौर से रहता हो

(३) बवक्त या बर वक्त जारी करने इश्तहार या उस के बाद किसी वक्त अदालत अगर मुनासिब समझे एक किता वारन्ट जमानती या बिला

जमानती वास्ते गिरफतारी ऐसे शख्स के जारी करे और यह हुक्म दे कि उस शख्स की उतनी जायदाद जो अदालत मुनासिब समझे और जो कुरकी के कुल खर्चा और उस जुरमाने की तादाद से जियादा न हो जो कायदा १२ के बमूजिब उस पर किया जा सक्ता है कुर्क की जाये मगर शर्त यह है कि कोई अदालत खफीफा जायदाद गैर मनकूला की कुरकी का हुक्म न दे सकेगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६८ से कायम किया गया है

जब मुकदमे के बहुत जियादा कार्रवाई हो जाने के बाद किसी पेशी पर इस कायदे के अहकाम को अमल में लाने के लिये दरखास्त दी गई हो तो अदालत को मुकदमा मुलतवी न करना दुरुस्त है (१५ वीकली रपोर्ट सफा १७६).

जब कि अदालत को मालूम हो कि गवाह को खुराक नहीं दी गई है तो वारन्ट गिरफतारी जारी करना फरज नहीं है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १७ सफा २७७).

इस कायदा के बमूजिब कार्रवाई करने के वास्ते अदालत का इतमीनान इस बात में होना जरूर है कि गवाह बगैर मुनासिब उजर के हाजिर नहीं होता है [९ मदरास हाई कोर्ट रपोर्ट सफा १७४) या यह कि वह जान बूझ कर समन की तामील को बरका रहा है (६ वीकली रपोर्ट सफा २३५).

जो हुक्म निसबत कुरकी माल बमूजिब इस कायदा के सादिर किया जाय वह बमूजिब आर्डर नंबर ४३ कायदा १ काबिल अपील होगा.

अगर गवाह हाजिर हो तो कुरकी उठाली जा सकी है

११ अगर ऐसा शख्स उस की जायदाद की कुरकी के बाद किसी वक्त हाजिर होकर अदालत को इस बात का इतमीनान करदे कि,

(क) उस ने बगैर जायज उजर के समन की तामील नहीं की और न जान बूझकर समन की तामील को बरकाया, और,

(ख) जब वह उस वक्त और उस मुकाम पर जो उस इश्तहार में दरज है, जो ऊपर लिखे हुये पिछले कायदा के मुताबिक जारी हुआ, हाजिर न हो और उस को इतनी मुद्दत पहिले से इश्तहार की इत्तला नहीं हुई थी कि वह हाजिर हो सक्ता

तो अदालत यह हुक्म देगी कि जायदाद कुरकी से छोड़ दी जावे, और

कुरकी के खरचा निसवत जो हुक्म मुनासिव समझे सादिर करेगी

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६६ से कायम किया गया है

१२ जब ऐसा शख्स हाजिर न हो या हाजिर आय, मगर अदालत का इस तौर से इतमीनान न करे, तो अदालत मजाज होगी कि उस पर उस की हैसियत के मुताबिक और कुल हालात मुकदमा पर लिहाज करके अपनी राय से किसी कदर जुरमाना करे जो पाच सौ रूपया से जियादा न हो, और यह हुक्म दे, कि उस की जायदाद या जायदाद का कोई हिस्सा कुर्क होकर नीलाम किया जाय, या अगर कायदा १० के बमूजिब कुर्क हो गया हो तो वास्ते अदाई कुल खरचा, ऐसी कुरकी और ऊपर जिक्र किये हुये रूपया जुरमाना के—अगर कुछ जुरमाना हो, नीलाम की जाय

कार्रवाई अगर गवाह हाजिर न हो

मगर शर्त यह है कि अगर वह शख्स जिस की हाजरी जरूर है खरचा और जुरमाना जिस का जिक्र ऊपर किया गया है, अदालत में अदा करदे तो अदालत जायदाद को कुरकी से छोड़ने का हुक्म देगी.

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १७० से कायम किया गया है.

कोई गवाह जो भाग जाये और उस की जायदाद नीलाम कर दी जाये तो उस के लिये नालिश सरकार के खिलाफ दायर नहीं होगी (८ वीकली रपोर्ट सफा२०७)

किसी गवाह पर इतवार या किसी मनजूर की हुई तातील के रोज हाजिर न आने के वजह से जुरमाना नहीं किया जायेगा (८ बंगाल ला रि. अपेनडिक्स १२).

१३ अहकाम कुरकी और नीलाम जायदाद वतामील इजराय डिक्री जहां तक मुताल्लुक हो सकें कुरकी और नीलाम बमूजिब इस आरडर के मुताल्लुक समझे जायेंगे-गोया कि वह शख्स जिस की जायदाद इस तरह से कुरकी हुई एक मदयून डिक्री है

कुरकी का तरीका

तशरीह—यह कायदा नया है

१४ इस मजमूआ के वैसे अहकाम की पावन्दी के साथ, जो अदालत में हाजिर होने या हाजिर रहने के बाब में हैं, या किसी कानून की पावन्दी से, जो उस वक्त जारी हो, अगर अदालत को किसी वक्त ऐसे शख्स का इजहार लेना जरूरी

अदालत अपनी मरजी से गैर शख्स को बतौर गवाह तलब कर सकी है

जमानती वास्ते गिरफतारी ऐसे शख्स के जारी करे और यह हुक्म दे कि उस शख्स की उतनी जायदाद जो अदालत मुनासिब समझे और जो कुरकी के कुल खरचा और उस जुरमाने की तादाद से जियादा न हो जो कायदा १२ के बमूजिब उस पर किया जा सक्ता है कुर्क की जाये मगर शर्त यह है कि कोई अदालत खफीफा जायदाद गैर मनकूला की कुरकी का हुक्म न दे सकेगी.

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६८ से कायम किया गया है

जब मुकदमे के बहुत जियादा कार्रवाई हो जाने के बाद किसी पेशी पर इस कायदे के अहकामें को अमल में लाने के लिये दरखास्त दी गई हो तो अदालत को मुकदमा मुलतवी न करना दुरुस्त है (१५ वीकली रपोर्ट सफा १७६).

जब कि अदालत को मालूम हो कि गवाह को खुराक नहीं दी गई है तो वारन्ट गिरफतारी जारी करना फरज नहीं है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १७ सफा २७७).

इस कायदा के बमूजिब कार्रवाई करने के वास्ते अदालत का इतमीनान इस बात में होना जरूर है कि गवाह बगैर मुनासिब उजर के हाजिर नहीं होता है [५ मदरास हाई कोर्ट रपोर्ट सफा १७४) या यह कि वह जान बूझ कर समन की तामील को बरका रहा है (६ वीकली रपोर्ट सफा २२५).

जो हुक्म निसबत कुरकी माल बमूजिब इस कायदा के सादिर किया जाय वह बमूजिब आरडर नंबर ४२ कायदा १ काबिल अपील होगा.

अगर गवाह हाजिर हो तो कुरकी उठाली जा सक्ती है

११. अगर ऐसा शख्स उस की जायदाद की कुरकी के बाद किसी वक्त हाजिर होकर अदालत को इस बात का इतमीनान करदे कि,

(क) उस ने बगैर जायज उजर के समन की तामील नहीं की और न जान बूझकर समन की तामील को बरकाया, और,

(ख) जब वह उस वक्त और उस मुकाम पर जो उस इश्तहार में दरज है, जो ऊपर लिखे हुये पिछले कायदा के मुताबिक जारी हुआ हाजिर न हो और उस को इतनी मुद्दत पहिले से इश्तहार इत्तला नहीं हुई थी कि वह हाजिर हो सका

तो अदालत यह हुक्म देगी कि जायदाद कुरकी से छोड़ दी जा

कोई गवाह जो किसी मुकदमा में गवाही देने के लिये तलब किया गया और मुकदमा नहीं हुआ तो उस पर नया समन जारी करना जरूर नहीं है—सिर्फ उस का इस बात की ताकीद करना चाहिये कि उस की हाजरी उस तारीख को जरूर होगी जिस तारीख के लिये मुकदमा मुलतवी किया गया है—(इ ला रि मदरास जि० २४ सफा २००)

कायदा १० से १३ तक का मुताल्लुक

१७ कायदे १० से १३ तक के अहकाम जहां तक मुताल्लुक हो सके उस शख्स से मुताल्लुक समझे जयेंगे जो समन के हुक्म के बमूजिब तहरीर होकर बिला वजह जायज खिलाफ अहकाम कायदा १६ के अदालत से चला जाय

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १७४ (फिकरा १) या दफा १७९ से कायम किया गया है

यह कायदा उन मुकदमात में लागू नहीं है जिस में गवाह दस्तावेजात पेश करने के लिये तलब किया गया और वह अदालत में हाजिर हो कर बयान करे कि दस्तावेज उस के पास नहीं है (इ. ला. रि बम्बई जिल्द १२ सफा ६३).

कार्रवाई जब कि गवाह गिरफतार शुदा शहादत अदा या दस्तावेज पेश न कर सके

१८ अगर कोई शख्स जो वारन्ट के बमूजिब गिरफतार होकर अदालत के रूबरू हिरासत में हाजिर किया जाय, तो फरीकैन मुकदमा या उन में से किसी की गैर हाजरी के सबब से वह शहादत अदा न कर सके, या वह दस्तावेज पेश न कर सके, जिस के अदा या पेश करने के लिये उस की तलबी हुई थी, तो अदालत उस से माकूल हाजिर जामनी या और जमानत उस वक्त और मुकाम पर हाजिर होने के लिये जो मुनासिब मालूम हो तलब करे, और बाद दाखिल होने ऐसी हाजिर जामनी या जमानत के उस को छोड़ दे, और अगर वह हाजिर जामनी या ऐसी जमानत दाखिल न करे तो अदालत उस के निसबत यह हुक्म दे सकी है, कि वह दीवानी जहल में रखा जाय

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १७४ से कायम किया गया है

किसी गवाह को जो किसी एक हद के अन्दर का रहने वाला न हो ब जात खास हाजरी का हुक्म न दिया जायगा

१९ किसी शख्स को शहादत या इजहार देने के लिये असालतन-हाजिर होने के लिये अदालत हुक्म न देगी जब तक कि उस की सकूनत —

[क] अदालत के अख्त्यार समाअत इब्तदाई मामूली की हदूद अर्जी के अन्दर न हो, या,

(ख) ऐसे हदूद के बाहर मगर ऐसी जगह पर हो जो अदालत के

मालूम हो जो फरीक मुकदमा न हो और जिस को किसी फरीक ने वतौर गवाह के न तलव किया हो तो अदालत मजाज होगी कि खुद अपनी मरजी से ऐसे शख्स के नाम समन इस हुक्म के साथ जारी कराये, कि वह तारीख मुकर्ररा पर वतौर गवाह के शहादत दे या कोई दस्तावेज जो उस के कबजे में हो पेश करे, और अदालत मजाज होगी कि उस का इजहार वतौर गवाह के ले या उस से दस्तावेज मतलूवा पेश कराये

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १७१ से कायम किया गया है—कोई गवाह जो अदालत से तलब किया जावे किसी फरीक से सवाल जिरह किये जाने के लायक है (११ वीकली रिपोर्टर सफा ४६८).

जिन शख्सों के नाम समन जारी हुये हों उन को चाहिये कि शहादत दें या दस्तावेज पेश करें

१५ ऐसे कायदे के पावन्दी के साथ जिनका जिकर पहले ऊपर किया गया है जिस शख्स के नाम समन किसी मुकदमा में हाजिर होकर शहादत देने के लिये जारी हुआ हो, उस को चाहिये कि उस वक्त और मौके पर हाजिर हो जो समन में इस गरज से मुकर्रर हुआ हो और जिस शख्स के नाम समन दस्तावेज पेश करने के लिये जारी हो, उस को लाजिम है कि उस वक्त और मौके पर खुद हाजिर होकर दस्तावेज पेश करे या दूसरे से पेश कराय

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १७२ से कायम किया गया है.

गवाह अदालत से कब रुखसत हो सकते हैं

१६. (१) जो शख्स समन के हुक्म के वमूजिव हाजिर हो उस को चाहिये कि हर पेशी मुकदमा पर जब तक कि मुकदमा फैसला न हो जाये हाजिर रहे तावके कि अदालत और तरह का हुक्म न दे

(२) अगर कोई फरीक दरखास्त दे, और अदालत में कुल खरचा जरूरी (अगर कुछ हो) दाखिल करे तो अदालत हुक्म सादिर कर सकेगी कि वह शख्स जो समन के हुक्म के वमूजिव हाजिर हो मुकदमा की किसी दूसरी या किसी और सुनाई के वक्त या जब तक कि मुकदमा फैसला न हो जाय हाजिर रहने के लिये हाजिर जामनी दाखिल करे, और अगर वह ऐसी हाजिर जामनी दाखिल न करे तो अदालत उस के निसवत हुक्म दे सकी है कि वह दीवानी जहल में रखा जाये

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १७३ से मिलता है लेकिन दूसरा फिकरा नया है.

आर्डर—१७.

इलतवा.

१ (१) अदालत मुकदमें की किसी पेशी पर काफी वजह बतलाय जाने पर फरीकैन को या उन में से किसी को मोहलत दे और मुकदमे की समाअत को वक्तन फवक्तन मुलतवी करती रहे

अदालत मोहलत दे सकी है और समाअत मुकदमा मुलतवी कर सकी है

(२) हर ऐसी सूरत में अदालत और कोई दिन वास्ते आइन्दा सुनाई मुकदमा के मुकर्रर करेगी, और निसबत खर्चों के जो मुलतवी किये जाने के सबब से हो जो हुक्म मुनासिब समझे सादिर करेगी.

मुलतवी कियेजाने का खरचा

मगर शर्त यह है कि जब शहादत की सुनाई एक मरतबा शुरू हो जाय, तो समाअत मुकदमा रोज बरोज बराबर जारी रहे जब तक कि कुल गवाहान हाजिर के इजहार न ले लिये जावें, तावके कि अदालत की दानिस्त में सुनाई को सिवाय दूसरे रोज के किसी और रोज मुलतवी करना जरूरी वजह से हो, जो लिखी जायगी

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १५६ से कायम किया गया है

यह कायदा उन इलतवाय से लागू नहीं है जो फरीकैन के कहने से नहीं किया गया है—(२ कलकत्ता वीक्ली नोट सफा ४९०)—

अदालत इस वजह पर इलतवा मनजूर कर सकी है कि कुल खरचा पेशी का मुद्दई के जिम्मे रहे (इ ला. रि. कलकत्ता जि० ७ सफा १७७).

२ जब उस तारीख पर जो मुलतवी किये जाने सुनाई के लिये मुकर्रर हुई हो, फरीकैन या उन में से कोई हाजिर न हो तो अदालत को अखत्यार होगा कि मुकदमे को उन तरीकों में से किसी एक के बमूजिब फैसल करे, जो आरडर न० ९ में मुकर्रर हुये हैं, या ऐसा और हुक्म सादिर करे, जो उस के नजदीक मुनासिब हो

आबता अगर फरीकैन तारीख मुकर्ररा पर हाजिर न हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १५७ से कायम हुआ है

मुकाम से पचास मील से कम फासले पर हो या (अगर ऐसे शख्स के रहने की जगह और अदालत के मुकाम के दरम्यान रेल या इस्टीमर की रस्ता या दीगर आम सवारी मुकर्ररा, कुल फासले के ⅘ हिस्से पर हो) तो जो मुकाम अदालत से दो सौ मील से कम फासले पर हो

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १७६ से कायम किया गया है

अदालत मे हुक्म होने पर अगर फरीक शहादत देने से इनकार करे तो उस का नतीजा

२० अगर कोई फरीक मुकदमा जो अदालत में हाजिर हो अदालत से हुक्म होने पर शहादत देने या किसी ऐसी दस्तावेज के पेश करने से जो उस वक्त और वहाँ उस के कब्जा या अखत्यार में हो बिला जायज वजह इनकार करे, तो अदालत अगर मुनासिब समझे उस पर डिकरी सादिर करे या मुकदमा के निसबत ऐसा हुक्म दे जो अदालत को मुनासिब मालूम हो

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १७७ से कायम किया गया है

इस कायदे के रू से खिलाफ उस मुद्दई के मुकदमा अदम पैरवी में खारिज करने का अखत्यार अदालत को दिया गया है जो शहादत देने से इन्कार करे, न कि दीगर लोगों के खिलाफ (१ वीकली रिपोर्टर सफा २५)

अदालत को बेरू मियाद दावा के डिकरी देने का अखत्यार नहीं है (७ वीकली रिपोर्ट सफा ४६)

शहादत न देने की वजह से किसी फरीक के खिलाफ फैसला मुकदमा हो जाय तो उस के दुबारा सुनाई की मनाई नहीं होगी (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २ सफा २२२)

आर्डर नम्बर ४३ के कायदा १ जिमन (ज) के रूसे इस कायदे के मुताबिक जो डिकरी सादिर की जाय उस की अपील हो सक्ती है.

गवाहान के निसबत के कायदे फरीकैन तलब शुदा से मुताल्लुक होंगे

२१ जब किसी फरीक मुकदमा को हुक्म दिया जाय कि वह शहादत दे, या दस्तावेज पेश करे, तो कायदे जो गवाहान से ताल्लुक हैं, जहा तक मुताल्लुक हो सके ऐसे फरीक से भी मुताल्लुक होंगे

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १७८ से कायम किया गया है

आर्डर—१७.

इलतवा.

१ (१) अदालत मुकदमें की किसी पेशी पर काफी वजह बतलाय जाने पर फरीकैन को या उन में से किसी को मोहलत दे और मुकदमे की समाअत को वकन फवकन मुलतवी करती रहे

अदालत मोहलत दे सकी है और समाअत मुकदमा मुलतवी कर सकी है

(२) हर ऐसी सूरत में अदालत और कोई दिन वास्ते आइन्दा सुनाई मुकदमा के मुकर्रर करेगी, और निसबत खर्चा के जो मुलतवी किये जाने के सबब से हो जो हुक्म मुनासिब समेझे सादिर करेगी.

मुलतवी कियेजाने का खरचा

मगर शर्त यह है कि जब शहादत की सुनाई एक मरतबा शुरू हो जाय, तो समाअत मुकदमा रोज बरोज बराबर जारी रहे जब तक कि कुल गवाहान हाजिर के इजहार न ले लिये जावें, तावके कि अदालत की दानिस्त में सुनाई को सिवाय दूसरे रोज के किसी और रोज मुलतवी करना जरूरी वजह से हो, जो लिखी जायगी

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १५६ से कायम किया गया है.

यह कायदा उन इलतवाय से लागू नहीं है जो फरीकैन के कहने से नहीं किया गया है—(२ कलकत्ता वीक्ली नोट सफा ४६०)—

अदालत इस वजह पर इलतवा मनजूर कर सकी है कि कुल खरचा पेशी का मुद्दई के जिम्मे रहे (६ ला रि. कलकत्ता जि० ७ सफा १७७).

२ जब उस तारीख पर जो मुलतवी किये जाने सुनाई के लिये मुकर्रर हुई हो, फरीकैन या उन में से कोई हाजिर न हो तो अदालत को अखत्यार होगा कि मुकदमें को उन तरीकों में से किसी एक के बमूजिब फैसल करे, जो आरडर न० ९ में मुकर्रर हुये हैं, या ऐसा और हुक्म सादिर करे, जो उस के नजदीक मुनासिब हो

जावता अगर फरीकैन तारीख मुकर्रा पर हाजिर न हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १५७ से कायम हुआ है -

यह कायदा उस सूरत में लागू नहीं है जिस में मुकदमें की सुनाई के लिये कोई तारीख मुकर्रर नहीं हुई है (१८ वीकली रिपोर्टर सफा ३२५).

अदालत जब किसी मुलतवी की हुई तारीख पर मुकदमें की कार्रवाई एकतरफा मुद्दायलेह की गैरहाजरी के वजह से करे, तो वह कार्रवाई इस कायदा के मुताबिक है (इं. ला. रि अलाहाबाद जि० ७ सफा ५३८).

हुक्म जिस से मुकदमा मुलतवी की हुई तारीख पर मुद्दई और उस के वकील के गैरहाजरी में खारिज किया जावे तो वह इस कायदा और आरडर ६ के कायदा ८ के रू से है—न कि कायदा ३ के रू से (इ. ला रि. बम्बई जि० २० सफा ७३६).

जब किसी मुकदमा में सिवाय सुन्ने बहस के कुछ बाकी न रहे और बहस के सुन्ने के लिये एक वक्त मुकर्रर किया गया है और उस वक्त पर न तो फरीक और न उन के वकील हाजिर आयें तो अदालत मुकदमा को आरडर ६ के कायदा ८ के रू से खारिज नहीं कर सक्ती बल्कि मुकदमें को रूयादाद पर फैसला करना चाहिये (इ ला. रि. अलाहाबाद जि० ३ सफा २६३–६४).

मुकदमा को खारिज करने के हुक्म से अपील होगी (इं ला रि. बम्बई जि० २० सफा ७३६)

डिक्री एकतरफा के मनसूख किये जाने के हुक्म से जो इस कायदा वो आरडर ६ के कायदा १३ को साथ पढ़े जाकर, दिया जावे अपील नहीं होगी (इ. ला. रि अलाहाबाद जि० १६ सफा ३५५)

जब कोई फरीक वजह सबूत पेश न करे तो अदालत मुकदमा फैसला कर सकती है

३ अगर कोई फरीक मुकदमा जिस को मोहलत मिली हो अपना सबूत पेश न करे या अपने गवाहों को हाजिर न कराय या और कोई अमर जो वास्ते जारी रखने कार्रवाई मुकदमा के जरूर हो और जिसके लिये मोहलत मिली हो न करे, तो अदालत उस अदम पैरवी के सबब से मुकदमें को उसी वक्त फैसला करेगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १५८ से कायम किया गया है. जब कि मुकदमा वास्ते तामील हुक्मनामा जरिये जबरन हाजिर कराये जाने गवाह के लिये मुलतवी किया गया तो यह कायदा लागू नहीं है(१६ वीकली

रिपोर्टर सफा ३४).

मुकदमा इस कायदे के मुताबिक खरचा न देने की हालत में खारिज नहीं किया जा सक्ता है तावक्ते कि ऐसे खरचे का न अदा करना बतौर ऐसी शर्त के कायम न किया गया हो कि जिस की तामील करना कसूरवार फरीक के तरफ से पेशी के पहिले लाजिम रखा गया है (इं ला रि. मदरास जिल्द २१ सफा ४०२)

जब बाद तहरीर किये जाने शहादत अदालत मुद्दई से जायद कोर्ट फीस मांगे और वह न दे तो अरजीदावा आरडर ७ के कायदा ११ के बमूजिब नामन्जूर किया जाना चाहिये अदालत इस कायदे के रू से मुकदमा को खारिज नहीं कर सक्ती (इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ११ सफा ६१ जलसा कामिल)

अदालत को मुद्दई का दावा सरसरी तौर पर इस वजह से खारिज करने का अखत्यार नहीं है कि उस ने उस हुक्म की तामील में जो उस को नकशा तैयार करने के लिये खरचा अन्दर एक मियाद दाखिल करने का दिया गया था कसूर किया (इ. ला. रि अलाहबाद जिल्द २३ सफा ४६२)

अगर पहिला मुकदमा किसी सारटीफिकेट विरासत के पेश न होने से खारिज कर दिया गया है तो इस कायदे के मुताबिक दूसरी नालिश की मनाई नहीं है (५ मदरास ला. जरनल रिपोर्ट सफा १८९).

जब एकतरफा डिक्री मनसूख कर दी गई और मुद्दायलेह को मोहलत वास्ते पेश करने शहादत के दी गई और मुल्तवी की हुई तारीख पर वह हाजिर न हो तो डिक्री एकतरफा बहाल नहीं की जा सक्ती है बलकि मुकदमा उस वक्त तक जैसा है उस पर फैसला किया जावेगा (१७ मदरास ला. जरनल रिपोर्ट सफा ८१)

दरखास्त इजराय डिक्री खारिज हो जाने से दूसरी दरखास्त के दायर करने की मनाई नहीं है (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २० सफा ७५८).

इस आर्डर के अहकामात कार्रवाई इजराय डिक्री से ताल्लुक न होवेंगे (इ. ला रि. मदरास जिल्द १८ सफा १३१)



आर्डर-१८.

सुनाई मुकदमा और लेने इजहार गवाहान.

१ शुरू करने का हक मुदई का है मगर उस सूरत में कि जब मुदाय-
शुरू करने का हक
लेह मुदई के बयान किये हुए वाकेआत को तसलीम करके यह बहस करता हो, कि अजरूये कानून या उन मजीद वाकेआत के बिना पर जो खुद मुदायलेह बयान करे, मुदई उस दादरसी के किसी जुज का मुस्तहक नहीं है जिस का वह दावा करता है तो ऐसी सूरत में शुरू करने का हक मुदाय-लेह को होगा.

तशरीहः—दरखास्त तजवीज सानी में जब नोटिस फरीक सानी के नाम इस मजमून का जारी किया गया कि वह वजह बतलावे कि क्यों दरखास्त मन्जूर न हो तो फरीक सानी को मुकदमा शुरू करना चाहिये (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ९ सफा ६१).

किसी इब्तदाई तनकीह के तहकीकात की पेशी पर मुदायलेह जिस के उजर पर तनकीह निकाली गई है शुरू करने का हकदार है (इं. ला रि. बम्बई जिल्द १२ सफा ४५४).

इस बात के सबूत का बोझा कि किसी दस्तावेज में लिखा हुआ मजमून गलत है उस फरीक पर डाला जायगा जो ऐसा बयान करता है (बंगाल ला. रि. जिल्द ४ सफा ९४).

जब नालिश कब्जा जमीन की बर बिनाय कब्जा साबिक मुद्दायलेहुम के दायर की जाय तो मुदई को अपने मुकदमें की कार्रवाई शुरू करना चाहिये (इ ला. रि. २ कलकत्ता सफा १२५).

अगर किसी अपील की सुनाई के वक्त रिस्पाडन्ट की तरफ से यह उजुर पेश किया जावे कि अपील काबिल दायरी के नहीं है तो ऐसी हालत में अपीलांट को न कि रिस्पाडन्ट को शुरू करना चाहिये—[इं. ला. रिपोर्ट बम्बई जिल्द ८

सफा २८७)

२. (१) मुकद्मे की सुनाई के लिये जो दिन मुकर्रर हुआ हो उस रोज या जिस रोज पर मुकद्मे की सुनाई मुल्तवी की गई हो, उस रोज वह फरीक जो शुरू करने का हक रखता है अपने मुकद्मे के हालात बयान करना शुरू करेगा और उन अमर तनकीही के सबूत में जिन का साबित करना उस के जिम्मे है अपना वजह सबूत पेश करेगा

बयान और वजह सबूत पेश करना

(२) तब फरीक सानी अपने मुकद्मे के हालात बयान कर के जो कुछ सबूत रखता हो पेश करेगा और उस वक्त उस को अख्त्यार है कि कुल मुकद्मे के निसबत और तौर पर अदालत में हाल गुजारिश करे

(३) जिस फरीक ने शुरू किया हो वह बाद को कुल मुकद्मे पर जवाबुल जवाब देने का मुस्तेहक होगा

किन गवाहों का इजहार लेना चाहिये यह तसफिया करना अदालत का काम नहीं है (१३ वीकली रिपोर्टर सफा २८५).

कुल गवाहान जिन को किसी फरीक ने तलब किया है और तहकीकात के वक्त पेश करने को वह तैयार है अदालत से उन का इजहार लिवाय जाने का मुस्तेहक है [१७ वीकली रिपोर्टर सफा १७२]

यह अमर कि किसी गवाह का नाम मुद्दई के पहले फेहरिस्त में दरज नहीं है और वह ठीक वक्त पर पेश किया जाय तो उस का इजहार लेने से इन्कार करना कोई वजह माकूल नहीं है (१२ वीकली रिपोर्टर सफा ४५५)

अगर जवाब में वकील अपीलांट ने नए नजीरों का हवाला दिया है तो वकील रिस्पाडेंट को उन नए नजीरों पर अदालत में बहस करने की इजाजत दी जाना चाहिये (इं ला रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा १४-२२)

जब किसी मुकदमा में मुद्दायलेहुम के दो गिरोह होवें और उन दोनों के हकूक एकसा होवें तो कायदा यह है कि मुद्दई की तरफ से मुकदमा खतम होने के बाद मुद्दायलेहुम के दोनों गिरोह अपना अपना मुकदमा बयान करेंगे कब्ल इस के कि उन में से कोई एक अपनी तरफ से शहादत पेश करे—(इं ला रि. कलकत्ता जिल्द २६ सफा ३२)

जब किसी मुकदमा में कई मुद्दायलेहुम होवें और उन में से चंद मुद्दई के मुकदमा की ताईद करते होवें तो आम कायदा यह होगा कि मुद्दई और वे मुद्दायलेहुम

८ अगर इजहार गवाह का जज के हाथ से न लिखा जाय, तो जज

इजहार का खुलासा अगर जज खुद इजहार न लिखे

हर इजहार का खुलासा जो गवाह दे, बतौर याददाश्त के, लिखता जाय, और जज ऐसी याददाश्त अपने हाथ से लिखे और उस पर दस्तखत करे, और वह मिसल में शामिल की जायगी.

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १८४ से कायम किया गया है.

९ जहां कि जबान अंग्रेजी अदालत की जबान नहीं है, लेकिन कुल

इजहार जबान अंग्रेजी में किस सूरत में लिखा जायगा

फरीक मुकदमा जो असालतन हाजिर हों और वकील उन के जो वकालतन हाजिर हों, उस शहादत को जो अंग्रेजी में अदा की जाय, अंग्रेजी में लिखने पर एतराज न करें, तो जज उस को अपने हाथ से अंग्रेजी में लिखेगा

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १८५ से कायम किया गया है.

१० अदालत को अख्त्यार है, कि खुद अपनी खुशी से, या किसी

कोई खास सवाल जवाब कलम बन्द हो सकता है

फरीक, या उस के वकील की दरख्वास्त पर, किसी खास सवाल और उस के जवाब को या किसी एतराज को जो किसी सवाल पर किया जाय, कलमबन्द करे, अगर इस बात की कोई वजह खास पाई जाय

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १८६ से कायम किया गया है.

११ अगर किसी सवाल पर जो किसी गवाह से किया जाय, किसी

सवालात जिस पर एतराज हो और अदालत उन का पूछना जायज रखे

फरीक या उस के वकील को एतराज हो, और अदालत उस सवाल का पूछना जायज रखे तो जज सवाल और उस का जवाब और एतराज और एतराज करने वाले का नाम और उस की बाबत अपनी तजवीज लिखे

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १८७ से कायम किया गया है.

जब अदालत मातहत में शहादत बिला उजर मन्जूर करली गई है तो अदालत अपील को उस पर लिहाज करना चाहिये (इ ला. रि बम्बई जिल्द ११ सफा २२०).

१२ अदालत को अख़्त्यार है, कि निसबत चलन किसी गवाह के जो इजहार देने के वक्त पाई जाय जो कुछ लिखना जरूर समझे लिखे

हिदायत निसबत चलन गवाहान

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १८८ से कायम किया गया है

१३ उन मुकदमात में जिन में अपील नहीं हो सकी है यह बात जरूर न होगी, कि गवाहों के इजहार तूल के साथ लिखे जाय, बलकि जज हर गवाह के बयान का खुलासा बतौर याददाश्त जैसा वह बोलता जाय, अपने हाथ से लिख कर, उस पर अपने दस्तखत करे और वह याददाश्त मिसल में शामिल की जायगी.

जो मुकदमात काबिल अपील न नहीं है उन में इजहार का खुलासा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १८९ से कायम किया गया है.

१४ (१) अगर जज उस याददास्त के लिखने से जो इस आडर के बमूजिब लिखनी चाहिये माजूर हो तो वह अपनी माजूरी की वजह लिखायगा, और याददास्त अपनी जबान से बतलाकर सरे इजलास लिखवा देगा

अगर जज खुलासा इजहार लिखने के लायक न हो तो माजूरी की वजह लिखेगा

(२) ऐसी हर याददास्त मिसल में शामिल की जायगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १९० से कायम किया गया है.

१५ (१) अगर कोई जज जिसने पिछले कायदे के बमूजिब कोई इजहार अपने हाथ से लिखा हो या कोई याददास्त लिखवाई हो बसबब मर जाने या तबदील हो जाने के या किसी और सबब से मुकदमा खतम न कर सके तो उस हाकिम को जो उस्की जगह मुकर्रर हो अख़्त्यार है कि उस इजहार या याददास्त की निसबत उसी तरह अमल करे, कि गोया खुद उसी ने उस को लिखा या लिखवाया या मुकदमे में कार्रवाई उस मुकाम से शुरू करे, कि जहां पर पहले हाकिम ने उस को छोडा हो—

अख़्त्यार निसबत कार्रवाई मुताल्लुक उस शहादत के जो किसी दूसरे जज से लिया हो

(२) जिमन (१) के अहकाम जहां तक मुताल्लूक हो सके उस यादश्त से मुताल्लूक समझे जायगे जो किसी ऐसे मुकदमे में लिया जाय जो दफा २४ की रू से मुन्तकिल हुआ हो—

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १९१ से कायम किया

गया है.

१६ (१) अगर कोई गवाह अनकरीब अदालत के इलाका अखत्यार

गवाह का इजहार फौरन लिया जा सक्ता है

से बाहर जाने वाला हो, या और किसी वजह जायज से अदालत का इतमीनान किया जाय कि उस का फौरन इजहार लेना जरूर है, तो अदालत को अखत्यार है कि किसी फरीक या खुद गवाह की दरखास्त पर दाद दायर होने मुकदमा के किसी वक्त ऐसे गवाह का इजहार उसी तरह से ले, जिस तरह इस मजमूआ में हुक्म है

(२) अगर ऐसे गवाह का इजहार फौरन रूबरू फरीकैन के ना लिया जाय तो उस का इजहार लेने के लिये जो तारीख मुकर्रर हो तो उस की ऐसी इतला जो अदालत काफी समझे फरीकैन को दी जायगी—

(३) इजाहार जो इस तौर से लिया जाय गवाह को पढ कर सुना दिया जायगा, और अगर वह उस को सही कबूल करे तो उस प. उस के दस्तखत किये जायेंगे, और अगर जरूरत समझी जाय तो जज उस को दुरुस्त करके उस पर दस्खत करेगा, और वह इजहार मुकदमे की किसी सुनाई के वक्त पढे जाने लायक होगा—

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६२ से कायम किया गया है—

जब तक कि फरीकैन शहादत्त कमीशन के जरिये से लेने की रजामन्दी न दें तो शहादत्त अदालत को लेना चाहिये (५ बंगाल ला. रि. सफा २५२)

१७ अदालत को अखत्यार है कि मुकदमे की किसी नौबत पर किसी

अदालत गवाह को फिर तलब कर सकती है और इजहार ले सकती है

गवाह को जिस का इजहार हो चुका हो फिर तलब करे और (ब रिआयत अहकाम मुनदरजे कानून शहादत मजरिया वक्त) उस से ऐसे सवालात करे जो अदालत को मुनासिब मालूम हों

तशरीह:—यह कायदा-पुराने एक्ट की दफा १६३ से कायम किया गया है.

किसी फरीक को गवाह दुबारा बुलाने का हक नहीं है.

१८ अदालत को अखत्यार है कि मुकदमा को किसी नौबत पर किसी

अदालत को अखत्यार निसबत मुलाहिजा

जायदाद या शै का मुलाहजा करे जिस के मुताल्लुक मुकदमें में कोई अमर पैदा हो

तशरीह:—यह कायदा नया है

आर्डर-१९.

तहरीरी बयान हलफी.

१ हर अदालत हर वक्त अगर वजह काफी पाई जाय तो हुक्म दे के उन शर्तों में जो अदालत के दानिस्त में माकूल हों, कोई खास अमर या अमर वाकेआती, तहरीरी बयान हलफी की रू से साबित किये जाय, या किसी गवाह का तहरीरी बयान हलफी मुकदमे की समाअत के वक्त पढा जाय

इख्तयार निसबत इस के कि कोई अमर तहरीरी बयान हलफी से साबित किया जाय

मगर शर्त यह है कि अगर अदालत को दर्याफ्त हो कि कोई फरीक नेकनियती से किसी गवाह को इस गरज से इजहार के लिये हाजिर कराया चाहता है, कि उस से जिरह के सवालात किये जाय और उस गवाह का हाजिर करना मुमकिन हो तो हुक्म इस मजमून का न दिया जायगा कि ऐसे गवाह का इजहार बजरिये तहरीरी बयान हलफी के लिया जाय

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १९४ से कायम किया गया है

२ (१) किसी दरखास्त पर शहादत बजरिये तहरीरी बयान हलफी के ली जाय, लेकिन अदालत फरीकेन में से किसी फरीक की दरखास्त पर, तहरीर करने वाले बयान हलफी को जिरह के सवालात के लिये हाजिर होने का हुक्म दे

हुक्म निसबत हाजरी तहरीर करने वाला बयान हलफी के सवालात जिरह के लिये

२ ऐसी हाजरी अदालत में होना चाहिये, तावक्ते कि तहरीर कुनन्दा बयान हलफी अदालत में असालतन हाजिर होने से माफ हो, या अदालत और तरह की हिदायत करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १९५ से कायम किया गया है

३ (१) तहरीरी बयान हलफी में सिर्फ वही वाकेआत जाहिर किये जायगे जिन को तहरीर करने वाले अपने इल्म खास से साबित कर सका हो, सिवाय उस सूरत के कि वे

तहरीरी बयानात हलफी किन अमर पर महदूद है

दरख्वास्तें दरम्यानी के निसबत हों कि उस वक्त उस के बयानात जिन पर वह यकीन रखता हो कबूल हो सके हैं

मगर शर्त यह है कि उस के यकीन की वजह जाहिर की जाय

(२) खर्चा हर तहरीरी बयान हलफी का जिस में बिला जरूरत सुनी हुई बातें या बहस दाखिल हुये हों, या जिस में दस्तावेजात की नकल या इन्तखाब दर्ज हो, उस फरीक के जिम्मे लगाया जायगा जो उस को पेश करे (तावक्ते कि अदालत और तरह का हुक्म न दे)

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १९६ से कायम किया गया है।



आर्डर—२०.

तजवीज और डिकरी.

तजवीज कब सुनाई जायगी

१ अदालत मुकदमा की सुनाई हो जाने के बाद तजवीज उसी वक्त या किसी आने वाली तारीख पर, जिस की इत्तला ज़ाब्ता के मुताबिक फरीकैन या उन के वकील को दी जायगी खुली अदालत में सुना दे

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६८ से कायम किया गया है

बमुकदमा इ ला रि बम्बई जिल्द ३० सफा ४५५ यह राय करार पाई कि कार्रवाई अदालत निसबत न सुनाने फैसला खुली अदालत में बेजा है.

आम कायदा यह है कि अदालत का फैसला सिर्फ ऐसी शहादत पर कायम रहेगा कि जो खुद हाकिम अदालत ने लिखी होवे न कि ऐसी शहादत पर जो दीगर शख्सों के रूबरू लिखी गई हो लेकिन नीचे लिखी सूरतों में दीगर शहादत पर भी लिहाज किया जा सकेगाः—

(१) जब वह हाकिम कि जिस ने शहादत लिखी हो बवजह मौत या तबदीली या दीगर सबब के मुकदमा का फैसला करने से रोका जावे (अलाहाबाद १८ कायदा १५)

(२) जब किसी गवाह की शहादत बजरिये कमीशन लिखी गई हो (आर्डर २६ कायदा न १ वो ४)

अख्त्यार ऐसी तजवीज सुनाने का जो जज्ज साबिक ने लिखा हो

२ जज्ज ऐसी तजवीज सुनाय जो जज्ज साबिक ने जिस का वह कायम मुकाम है लिखी हो मगर सुनाई न हो

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १६६ से कायम किया गया है.

जब कोई जज जिस ने मुकदमे की शहादत सुना है रुखसत पर चला जावे तो वह फैसला लिख कर अपने जानशीन के पास वास्ते सुनाने के भेज सक्ता है (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ३४ सफा २६३)

तजवीज पर दस्तखत किये जायेंगे

३, जब तजवीज सुनाई जावे उसी वक्त जज खुले अदालत में उस पर अपने दस्तखत और तारीख लिखेगा, और जब एक मरतबा दस्तखत हो गये, फिर कुछ बदला या बढ़ाया न जायगा सिवाय शरायत दफा १५२ या बजरिये तजवीजसानी के

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २०२ से कायम किया गया है.

कोई जज सिर्फ अपने तजवीज के सही होने के बारे में फैसले में जायद वजूहात शामिल कर सक्ता है मगर ऐसे करने के लिये जाब्ते में कोई हुक्म नहीं है (७ वीक्ली रिपोर्टर सफा २८६)

इस मुकदमा में डिस्ट्रीक्ट जज ने खुली अदालत में अपना फैसला सुना दिया लेकिन यह हुक्म सादिर किया कि जब तक मुद्दई सारटीफिकेट विरासत का, पेश न करे तब तक डिकरी की इजराय मुल्तवी रहे-तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि अदालत साहब डिस्ट्रीक्ट जज को एक फैसला सुनाकर उस के बरखिलाफ दूसरा फैसला कायम करने का अखत्यार नहीं था—(इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ३१ सफा १५३).

अदालत मतालबा खफीफा की तजवीज

४. (१) अदालत मतालबा खफीफा की तजवीज में सिवाय अमर तसफिया तलब और फैसला बाबत अमर मजकूर के कुछ और लिखना जरूर नहीं है

दीगर अदालतों की तजवीज

(२) बाकी कुल अदालतों की तजवीज में मुख्तसिर बयान मुकदमे का और अमर तसफिया तलब, और तसफीया हर ऐसे अमर का, और तसफीया की वजूहात लिखना जरूर है

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २०३ से कायम किया गया है

फैसला अदालत खफीफा जिस में अमर तसफिया तलब दरज नहीं है तो उन का फैसला काबिल मनसूखी है. [मदरास ला जनरल रिपोर्ट जिल्द १ सफा ५०] शिकमी कायदा १ उस अदालत से लागू है जिस को अखत्यारात अदालत खफीफा दिये गये हैं—ऐसे अदालत के फैसले में अमर तसफिया तलब और

उस के फैसले के अलावा और कुछ जियादा होने की जरूरत नहीं है—(इ ला रि बम्बई जिल्द ३१ सफा ३१४)

जब कि अदालत अपील मातहत अपने फैसले की वजूहात न लिखे तो अदालत हाई कोर्ट मुकदमें को अपील दोयम में मुलतवी रख कर जज से उस के वजूहात बयान करायगी, और अगर वह गैर हाजिर हो तो उस के जानशीन को फिर तहकीकात करने का हुक्म देगी—[इ ला रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द १० सफा ६३२].

किसी अमर वाकेअती की तहकीकात करते वक्त अदालत को अपने इल्म यो आम खबर पर अमल करना न चाहिये—(११ मूर्र इ० अपील सफा २१३) अगर किसी खास वाकेआत के निसबत वह अपने इल्म पर कार्रवाई करना चाहता है तो उस को बतौर गवाह के शहादत देना चाहिये—(३ इनडियन अपील सफा २५९)

अदालत अपना तसफिया हर अमर तनकीह के निसबत लिखेगी

५ जिन मुकदमात म अमर तनकीह तलब करार दिये गये हों, अदालत अपनी तजवीज या तसफिया हर अमर तनकीह तलब अलेहदा के निसबत मे वजूहात लिखेगी, तावक्ते कि मिनजुमला अमर तनकीह के एक या चन्द अमर तजवीज के वास्ते फैसला मुकदमा के काफी हों

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २०४ से कायम किया है

जो मुकदमा इब्तदाई अमर पर फैसला किया जावे अदालत कुल तहकीकात पर तजवीज लिख सक्ती है—(९ कलकत्ता वीकली नोट सफा ६०)

डिकरी में क्या बातें दरज होंगी

६ [१] डिकरी मुताबीक तजवीज के होगी उस में नम्बर मुकदमा और फरीकैन के नाम और वलदियत और कौम और पेशा और दावे की तफसील और बयान साफ उस दादरसी का जो मनजूर की गई हो या दीगर फैसला मुकदमें का लिखा जायगा

[२] डिकरी में तादाद खरचा की जो मुकदमा में पड़ा हो और यह कि किस कदर खरचा किस हीसाब से किस फरीक के जिम्मे और किस जायदाद पर होगा, लिखा जाय—

[३] अदालत इस बात की हिदायत कर सक्ती है कि मुकदमा का खरचा जो एक फरीक को दूसरे से पाना हो उस रकम से मुजरा दिया जाय जिस को खुद फरीक तसलीम करे या जो उस के जिम्मा हिसाब से निकले

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २०६–२१९ वो २२१ से

कायम किया गया है.

डिकरी ऐसी लिखी जाना चाहिये जिस में कुल बातें दरज हों ताकि बिला हवाला किसी दीगर कागज के वह काबिल इजरा के हो (इ. ला. री. कलकत्ता जिल्द ८ सफा १७५).

कोई डिकरी जो किसी हिन्दू बेवा पर हो तो उस में यह लिखा जाना चाहिये कि आया यह जाती डिकरी है या बतौर कायम मुकाम उस के खाविंद मुतवफ्फी के है (इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४७६)

डिकरी जिस के जरीये से खाने कपडे का हक करार दिया जाय उस में आइन्दा नाननकफा का हुक्म होना चाहिये (इ ला रि. बम्बई जिल्द १ सफा १०८)

अखत्यार समाअत न होने से मुकदमे की डिसमिसी का जिकर डिकरी में होना चाहिये (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४१६)

जब तामिल सरायत इजदिवाज की नालिश करते वक्त खाविंद जात से बाहर हो तो डिक्री तामील शरायत इजदिवाज की शरतिया मुद्दई के जात में मिल जाने पर होगी (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ८ सफा ७८).

उन तहकीकात पर तसफिया जिस पर मुकदमे का फैसला मुनहसिर नहीं है डिकरी में दरज नहीं होना चाहिये (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द २१ सफा २३४).

राहिन को जो खरचा अजरूय डिक्री मिलना है वह ऐसे रकम करजा रहन में से मुजरा करने का हकदार है कि जो उस से दिलाई गई हो (इ ला. रि. बम्बई जिल्द १७ सफा ३२)

७ डिकरी पर तारीख तजवीज सुनाने की लिखी जायेंगी, और जब जज का इतमीनान हो जाय कि डिकरी मुताबिक तजवीज के लिखी गई है, तो वह डिकरी पर दस्तखत करेगा

तारीख डिकरी

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २०५ से कायम किया गया है. इस कायदे में लिखी हुई तारीख से वह तारीख मुराद नहीं है जिस रोज डिकरी लिखी गई, और अदालत ने दस्तखत किये बलकि वह तारीख मुराद है कि

जिस रोज अदालत ने फैसला सुनाया (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १३ सफा १०४)

कारवाई उन सूरत में कि जब जज डिकरी पर दस्तखत करने से पहले अपने ओहदा से अलेहदा हो जाये

८ अगर तजवीज सुनाने के बाद, मगर डिकरी पर दस्तखत करने से पहले जज अपने ओहदे से अलेहदा हो जाये तो डिक्री जो मुताबिक ऐसी तजवीज के तैयार की जाय, उस पर दस्तखत उस का जानशीन ओहदा कर सक्ता है, या अगर अदालत कायम ही न रहे तो वह जज दस्तखत कर सक्ता है जिस के मातहत अदालत मजकूर रही हो

तशरीह:—यह कायदा नया है

डिकरी निसबत हासिल करने जायदाद गैर मनकूला के

९ जब शै मुतदाविया जायदाद गैर मनकूला हो तो डिकरी में ऐसे जायदाद की एक ऐसी तफसील लिखी जायेगी जिस से उस की शनाख्त अच्छी तरह से की जासके और अगर जायदाद मजकूर की शनाख्त हदूद या उस की आराजी के नम्बर से जो किसी कागज बन्दोबस्त या नकशा पैमायेश में दरज हो सक्ती है तो डिकरी में वह हदूद या नम्बर हाय आराजी तफसीलवार लिखे जायेंगे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २०७ से कायम किया गया है

डिकरी बाबत जमीन में साफ तौर से उस जायदाद का जिकर होना चाहिये जिस को उस से असर पहुंचता है (२१ वीकली रपोर्ट सफा ४७१).

अगर डिकरी, जिस में जमीन डिकरी शुदा की तफसील दरज नहीं है मगर उस में हुक्म है कि उस का तसफिया इजराय डिकरी में किया जायगा, कानून के रूसे दुरुस्त नहीं है (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ४ सफा ६९). ऐसी डिकरी का इजरा नहीं हो सक्ता (२९ वीकली रपोर्ट सफा ३६).

डिकरी कबजा जमीन के साथ ऐसी बही खातों और कागजात का भी कबजा शामिल है कि जो जायदाद मजकूर के इन्तजाम से ताल्लुक रखते हैं (इ. ला. रि बम्बई जिल्द ११ सफा ४८९)

डिकरी निसबत हवालगी जायदाद मनकूला

१० अगर मुकदमा बाबत माल मनकूला के हो, और डिकरी वास्ते दिलाने उस माल के हो तो उस में तादाद उस रुपया का भी जो दर सूरत न दिलाने माल मजकूर के बपरवज उस के बाजबूलअदा होगा लिखी जायगी

तशरीह:--यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २०८ से कायम किया गया है.

डिकरी के बाद किस्त से अदाई के निसबत हुक्म सादिर हो सक्ता है

११ (बाद सादिर होने ऐसी विकरी के अगर मदयून डिक्री दरखास्त करे और डिकरीदार राज़ी हो तो अदालत यह हुक्म सादिर कर सक्ती है कि बशरत अदाय सूद या कुरकी जायदाद मदयून डिक्री या लेने जमानत के मदयून डिक्री से या और तौर के जो अदालत मुनासिब समझे तादाद डिकरी शुदा की अदाई मुलतवी की जाय, या कि वह किस्तों से अदा की जाये

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २१० से कायम किया गया है

इस कायदे के मुताबिक हुक्म वही अदालत दे सक्ती है जिस ने डिक्री सादिर की (इ. ला रि अलाहाबाद जि० १२ सफा ५७१)

रहन या बार के अमल में लाये जाने की डिक्री, वास्ते अदाई रूपया के डिक्री नहीं है [इ. ला रि. बम्बई जि० ७ सफा ३३२]

अदालत पर यह हुक्म देना फरज नहीं है कि किस्तों पर बमूजिब शर्त के सूद जारी रहे [इ. ला. रि. बम्बई जि० ३ सफा २०२].

जब मियाद गुजर जाने के बाद इस कायदा के रू से दरखास्त दी जावे तो उस पर जो हुक्म सादिर हो वह नाजायज है [इ. ला रि. कलकत्ता जि० १४ सफा ३४८].

शिकमी कायदा २ के रू से हुक्म सिर्फ डिक्रीदार की रजामन्दी से दिया जा सक्ता है(इ. ला. रि. बम्बई जि. ९ सफा ६०४)

जो दरखास्त इस कायदा की रू से मुदायलेह की तरफ से पेश की जावे वह तारीख डिगरी से छे माह के अन्दर दी जावेगी (मद १७५ जमीमा १ कानून मियाद सन १९०८ ई०).

डिक्री निसबत कबजा वो जर वासलात

१२ (१) अगर मुकदमा वास्ते दिलाने कबजा जायदाद गैर मनकूला और जर लगान (या किराया) या जर वासलात के हो तो अदालत एक डिकरी सादिर कर सक्ती है

(क) वास्ते दिला पाने कवजा जायदाद

(ख) वास्ते जर लगान (या किराया) या जर वासलात के जो जायदाद मजकूर पर मुकदमा के दायर होने से पहले बाबत किसी मुद्दत के वाजबुल वसूल हो गया हो, या वास्ते होने तहकीकात बाबत जर लगान (या किराया) या जर वासलात मजकूर के

(ग) वास्ते होने तहकीकात बाबत जर लगान [या किराया] या जर वासलात के तारीख दायरी नालिश से उस तारीख तक

[१] डिकरीदार को कबजा न मिलने तक—

[२] मदयून डिकरी के कबजा छोड़ने और उसकी इत्तला जरिये अदालत डिकरीदार को देने तक या

[३] तारीख डिकरी से तीन बरस गुजरने तक इन में से जो अमर पहले वाके हो—

(२) अगर बमूजिब अहकाम फिकरा (ख) या (ग) तहकीकात का हुक्म दिया जाय तो एक कतई डिकरी बाबत जर लगान (या किराया) या जर वासलात के तहकीकात मजकूर के नतीजे के मुताबिक सादिर की जायगी—

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २११–२१२ से कायम किया गया है

अगर तहकीकात से रकम लगान वो मुनाफा अदालत के अखत्यार समाअत से जियादा पाया जाय तो भी अदालत ऐसे रकम की डिक्री सादिर कर सक्ती है (इ. ला. रि कलकत्ता जि० २१ सफा ५५०)

यह राय करार पाई है कि यह कायदा मुकदमात बटवारा से लागू नहीं होगा बल्कि मुकदमात जायदाद गैर मनकूला से, जिस में मुद्दई का खास हिस्सा है (इ. ला. रि कलकत्ता जि० १४ सफा ४६३ प्रीवी कौंसिल).

लफ्ज "तारीख डिक्री" से वह तारीख मुराद है जिस की डिक्री अपील में सादिर की जाय उन मुकदमात में जिस में डिक्री अदालत इब्तदाई के नाराजी से अपील हुई है (इ ला रि कलकत्ता जि० ३० सफा ६६४)

डिक्रीदार उस जर वासलात पर जो उस को पाना है, जब तक कि मदयून डिक्री उस को अदा न करदे, सूद पाने का मुस्तहक है (इ. ला रि.

जिस में फरीकैन के हिस्से अलेहदा २ कायम करे और ऐसी तारीख मुकर्रर करे जिस तारीख को शराकत टूट जायगी या समझी जायगी और वास्ते लेने हिसाब और अमल में लाने ऐसे कामों के जो मुनासिब मालूम हों हिदायत करे

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २१५ से कायम किया गया है.

डिकरी नालिश समझा पाने हिसाब में जो दरम्यान मालिक और एजन्ट के हो

१६ जब मुकदमा वास्ते समझा पाने हिसाब लेन देन नकदी दरम्यान मालिक और एजन्ट के हो और बाकी कुल मुकद्मात में जिन के बाबत ऊपर लिखे हुये कायदे में कुछ हुक्म जारी नहीं हुये हैं, जब वास्ते दरम्यान इस अमर के किस फरीक को किस कदर रूपया लेना या देना है, हिसाब दाखिल कराया जाय, तो अदालत डिकरी कतई सादिर करने से पहले एक इब्तदाई डिकरी निसबत लेने हिसाब के जिस तौर से मुनासिब समझे सादर करे

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २१५ (क) से कायम किया गया है.

खास हिदायत निसबत हिसाब

१७ अदालत या तो जरिये डिकरी जिस के जरिये से हिसाब समझाने का हुक्म दिया गया हो या बाद को किसी हुक्म के जरिये से खास हिदायत इस के दे सक्ता है कि किस तरीके से हिसाब लिया जाय, और खास तौर से यह हिदायत कर सक्ती है कि हिसाब लेने में किताबें जिस में हिसाब मुतनाजीया दरज हैं, हिसाब मुन्दरजे किताब मजकूर के काफी सबूत में ली जा सकती है, बइजाजत करने एतराज मुनासिब उन फरीकैन के जो उस में हक रखते हों

तशरीह:—यह कायदा नया है

डिकरी उस नालिश में जो तकसीम जायदाद या अलेहदा करने हिस्सा के बाबत हो

१८ अगर अदालत कोई डिकरी निसबत तकसीम जायदाद या निसबत अलेहदा करने हिस्सा के सादिर करे, तो—

(१) अगर और जहा तक के डिकरी ऐसी जायदाद से मुताल्लुक हो जिसके बाबत सरकारी मालगुजारी का अदा किया जाना तशखीस हो, तो डिकरी में उन कई फरीकों के हकूक करार दिये जायेंगे, जो जायदाद में हक रखते हो, लेकिन यह हुक्म होगा कि [illegible] या अलेहदगी हिस्सा बजरिये कलक्टर के या किसी [illegible] के जिस को कलक्टर ने इस बारे में मुकर्रर [illegible] और हुक्म दफा ५४ के अमल में आये

(२) अगर जहा तक कि डिगरी किसी दूसरी जायदाद गैर मनक़ूला से या किसी जायदाद मनक़ूला से ताल्लुक रखती हो तो अगर तकसीम अलेहदगी बगैर तहकीकात मजीद के सहुलियत से न हो सकी है, तो इप्तदाई डिगरी सादिर करे, जिस में हक उन कई फरीकों के जो जायदाद रखते हो करार दिये जाय, और डिगरी में ऐसी मजीद हिदायतें दर्ज करे, जो जरूरी हों.

तशरीह:—यह कायदा नया है

१९ [१] अगर मुदायलेह का कोई मतालबा मुदई के दावा में मुजरा होने के लिये मनजूर किया गया हो तो डिगरी म यह लिखा जायेगा कि किस कदर तादाद मुदई को पाना है और किस कदर मुदायलेह को पाना है और डिगरी के रूसे वह तादाद दिलाई जायगी, जो एक फरीक को दूसरे फरीक से पाना मालूम हो

डिगरी जब कि कुछ मुजरा दिलाया जाय

(२) डिगरी जो ऐसे मुकद्मे में सादिर हो जिस में मतालबा मुजरा दिये जाने का दावा किया गया हो उन में अपील के निसबत उन्हीं शरतों की पाबंदी होगी, जिन की पाबंदी दरसूरत न होने दावा मुजराई के लाजिम होती

अपील बस डिगरी की जिस में कुछ मुजरा दिलाया जाय

(३) इस कायदे के अहकाम चाहे आर्डर ८ के रू से या दीगर तौर से निसबत दिलाने मुजराई के जायज हो या न हो लागू होंगे

तशरीह:—यह कायद पुराने एक्ट की दफा २१६ से कायम किया गया है सिवाय कायदा (२) नया है

यह कायदा उन मुकदमात से लागू नहीं है जिस में मुद्दायलेह जिस में मुद्दायलेह की जिम्मेदारी बाबत अर वासलात दरखास्त करने में उस लगान से मुजराई मनजूर की गई जिस का बतौर अलाउस खर्चा कारत या वसूली पाना साबित हो—(२५ वीक्ली रिपोर्टर सफा २७५)—

२० तजवीज और डिगरी की तसदीक की हुई नकलें फरीकैन को अदालत में दरखास्त देने पर और उन्हीं के खर्चे से दी जायगी

तजवीज और डिगरी की तसदीक की हुई नकलें मिल सकेंगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २१७ क (३) से कायम किया गया है

आर्डर—२१.

इजराय डिकरी और अहकाम.

डिकरी की अदाई.

१ (१) कुल रूपया जो डिकरी के बमूजिब वाजबुलअदा हो नीचे लिखे तरीके पर अदा किया जायगा, याने —

डिकरी के रूपया के अदाई का तरीका

(क) उस अदालत में जिस का कि काम डिकरी जारी करने का है, या,

(ख) डिकरीदार की अदालत के बाहर या,

(ग) दूसरे तरह पर जैसा कि अदालत डिकरी सादिर करने वाली हिदायत करे

(२) जब कोई अदाई शिकमी कायदा [१] के फिकरा [क] के बमूजिब की जाय, तो ऐसे अदाई की इत्तला डिकरीदार को दी जायगी.

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २५७ से कायम किया गया है शिकमी कायदा [२] नया है

अगर डिकरी दो या दो से ज्यादा शख्स के हक में बतौर डिकरीदार शामलाती के है तो रूपया उन सब को देना चाहिये—चद शामलात डिकरीदार में से अगर एक को अदालत के बाहर अदाई डिकरी की की जावे तो उस के पाबंद दूसरे डिकरीदार नहीं है जब तक वह उन के तरफ से इस काम के लिये मुख्तार न मुकर्रर किये गये हों (इं. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २६ सफा ३१८).

जब किसी फरीक मुकदमा को हाई कोर्ट ने एक दिन की पेशी का खरचा देने का हुक्म दिया, और रूपया इस कायदे के मुताबिक अदालत में दे दिया गया तो यह राय करार पाई के यह कायदा लागू है क्यों कि यह हुक्म ~ नहीं है (इ

ला रि मदरास जिल्द १२ सफा १२०).

अगर जो रोज अदालत में रूपया दाखल करने के लिये मुकर्रर है उस रोज अदालत बंद है तो रूपया दूसरे रोज अदालत के खुलने पर अदा किया जा सक्ता है—(इ ला रि मदरास जिल्द २१ सफा ३८५)

दाखली अदालत बतौर जायज अदाई डिक्री समझी जायगी, गो डिक्री में यह हुक्म हो कि रूपया डिक्रीदार को अदा किया जाय—(इ ला. रिपोर्ट बम्बई जिल्द ३९ सफा ३५)

अदालत के बाहर डिकरीदार की अदाइ

२ (१) अगर कोई रूपया जो किसी किस्म की डिकरी की रू से वाजबुल अदा हो अदालत के बाहर अदा किया जाय, या डिकरी कुल या उस के कुछ हिस्से का तसफिया डिकरीदार की तसल्ली के मुआफिक और तौर पर हो जाय, तो डिकरीदार ऐसे रूपया के अदा होने या ऐसे तसफिया के होने की तसदीक उस अदालत में कर देगा जिस का कि काम डिकरी जारी करने का है, और अदालत उस के मुताबिक उस को तहरीर कर लेगी

(२) मदयून डिकरी भी ऐसे रूपया के अदा या तसफिया के होने से अदालत को इत्तला कर सक्ता है, और अदालत में दरख्वास्त वास्ते जारी होने नोटिश बनाम डिकरीदार इस मजमून की करे कि वह एक मुकर्रर की हुई तारीख पर इस बात की वजह जाहिर करे कि ऐसी अदाई या तसफिया क्यों बतौर तसदीक किये हुये के न लिखा जाय, और अगर ऐसे नोटिश क बाजाब्ता तामील होने के बाद डिकरीदार वजह इस की जाहिर न करे कि ऐसी अदाई या तसफिया क्यों बतौर तसदीक कीये हुये के लिखा न जाये तो अदालत उस को तहरीर कर लेगी

(३) जो रूपया की अदाई या तसफीया जिसकी तसदीक या तहरीर उस तरह से जैसा कि ऊपर लिखा है न हुआ हो तो अदालत डिकरी जारी करने वाली उस को तसलीम न करेगी

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २५१ से कायम हुआ है

रसीद मुरतेहन बिलकब्ज के तरफ से बाद डिकरी "रूपया डिकरी के रू से वाजबुलअदा" नहीं होगा (इ ला रि मदरास जिल्द २८ सफा ४७३)

इस कायदे के बमूजिब दरखास्त कलेक्टर को दी जा सक्ती है जिस के पास डिकरी इजरा के लिये मुन्तकिल की गई है (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १६ सफा २२८)—और उस अदालत को भी दी जा सक्ती है जिस में डिकरी इजरा

के लिये भेजी गई—(इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ५ सफा ४४८).

मदयून डिकरी को इस बात का इन्तजार कर के यह नहीं देखना चाहिये कि डिकरीदार दरखास्त देता है या नहीं, जियोंही कि अदाई या तसफिया डिकरी का हो गया वह फौरन दरखास्त दे सक्ता है (१२ मदरास ला जरनल रि सफा १४)

शिकमी कायदा २ के मुताबिक तहकीकात डिकरीदार और मदयून डिकरी के दरम्यान हो सक्ती है (इं ला रि. मदरास जिल्द ६ सफा २३०)—मरे हुये मदयून डिकरी के कायम मुकाम दरखास्त दे सक्ते हैं (देखो दफा १४६).

किसी मरे हुये हिन्दू के लड़के पर वास्ते वसूली करजा उस के बाप के नालिश में वह बयान कर सक्ता है कि करजा उस के बाप ने बाद डिकरी अदा कर दिया गो ऐसे अदाई की तसदीक नहीं हुई हो—(इ ला रि मदरास जि. २७ सफा ३४३-३५२).

कोई तसफिया जिस की तसदीक नहीं हुई है दरखास्त इजराय डिकरी के गैर काबिल समाअत होने में बयान नहीं किया जा सक्ता [इं ला. रि. मदरास जि. २१ सफा ३१२].

डिकरीदार अदाई की तसदीक होने के लिये दरखास्त किसी वक्त दे सक्ता है (इं ला. रि बम्बई जि. २१ सफा १९२) मगर मदयून डिकरी को तारीख अदाई से अन्दर ९० रोज बमूजिब मद १७३ (क) जमीमा २ एक्ट मियाद समाअत दरखास्त देना चाहिये.

कोई मदयून डिकरी जो नालिश मनसूखी नीलाम की करे वह बिला तसदीक की हुई अदाई साबित कर सक्ता है—[इ. ला रि. कलकत्ता जि. १४ सफा ३७६].

इस कायदा के मुताबिक जो दरखास्त खारिज की जाय उस की अपील हो सक्ती है—(इ. ला रिपोर्ट [illegible] १४ [illegible] १६ अलाहाबाद सफा १२६)

[illegible] न होगा, बलकि डिक्री [illegible] ३) [illegible]) वो [illegible]

(ब) के दरमियान यह ठहराव हुआ कि [अ] अपनी डिक्री की पूरी अदाई में १००० रूपया कबूल कर लेगा [ब] ने इस ठहराव के मुआफिक १०००) रूपया (अ) को अदालत के बाहर दिया, मगर ऐसी अदाई या तसफिया की तसदीक अदालत में नहीं कराई गई न (अ) की तरफ से न (ब) की तरफ से [अ] ने ऐसा तसफिया होने पर भी डिक्री पूरा रकम की यानी २०००) हजार की इजरा कराने की दरखास्त दिया—(ब) ने उजर किया कि डिक्री जारी नहीं हो सक्ती क्योंकि उस का तसफिया हो चुका है —(ब) का उजर नहीं सुना जायगा, क्योंकि वैसे तसफिया की तसदीक इजरा करने वाली अदालत में नहीं की गई—नतीजा यह होगा कि अदालत पूरे रकम की डिक्री जारी करने का हुक्म देगी और [ब] का यह भी उजर न सुना जायगा कि (अ) ने यह इकरार किया कि वह अदाई की तसदीक अदालत में कर देगा, मगर उसने धोखा वो फरेब देने की गरज से ऐसा नहीं किया—(इ ला रि मदरास जि २१ सफा ४०६)

इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि ऐसी बिला तसदीक की हुई अदाई या तसफिया को **डिकरी जारी करने वाली अदालत** तसलीम न करेगी, मगर अदालत फौजदारी या दीवानी जिस के यहा नम्बरी नालिश निस्बत वैसी गैर तसदीक अदाई या तसफिया के हो [यानी मुकदमा की तजवीज करने वाली अदालत वैसी बिला तसदीक अदाई या तसफिया को तसलीम करेगी—(देखो *नीचे लिखे नोट*—

ऊपर लिखी नजीर में जब [ब] का कोई ऊजर नहीं सुना जायगा और उस न १०००) रूपया भी (अ) को दे दिया, और (अ) ने १०००) रूपया भी (ब) को दे दिया, और [अ] ने १०००) रूपया लेकर और मुजरा न देकर पूरी २०००) हजार रूपया की डिक्री को इजरा कराया तो ऐसी सूरत में [ब] को क्या इलाज है [ब] को २ इलाज है:—

(१)—(ब), (अ) पर नालिश इस्तकरार हक इस अमर के दायर कर सक्ता है कि डिकरी मजकूर ऐसी समझी जावे कि उस का तसफिया हो चुका—और (ब) उसी नालिश में हुक्म इमतिनाई की दादरसी माग सक्ता है कि (अ) डिकरी इजरा करने से रोका जावे.

(२)—अगर [अ] की डिकरी की इजरा में तसफिया होने के बाद (ब) की कुछ जायदाद नीलाम की गई है तो (ब) वैसे नीलाम के रद कराने की, और अपनी जायदाद वापस पाने की नालिश (अ) पर कर सक्ता है

(३)—[ब] [अ] पर माहदा या इकरार तोड़ने के हरजाने की नालिश कर सक्ता है—इकरार यह था कि डिकरी २०००) रू० की हुई (अ) ने १०००) रू० में तसफिया मजूर किया, (ब) ने १०००) रू० दे दिया—वो डिकरी का तसफिया कर दिया ताकि डिकरी जारी न हो—[अ] ने ऐसा तसफिया होने पर भी डिकरी जारी कराया, [अ] ने माहदा को तोड़ा, ऐसे तोड़ने से हरजाने की नालिश चल सक्ती है

इन ऊपर लिखे ३ इलाजों में से पहिला वो दूसरा इलाज (ब) को काम न देगा—क्योंकि दफा ४७ मजमूआ जाब्ता दीवानी की रू से उसकी नम्बरी नालिश नहीं चल सकेगी—(इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ३१ सफा ४८०, वो इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द २० सफा २५४), मगर तीसरा इलाज उसको काम देगा क्योंकि दफा ४७ लागू न होगी—(इ. ला. रि बम्बई जि. २३ स. ३६४)—

(अ) की डिक्री (ब) पर निसबत दखल जायदाद गैर मनकूला हुई—बाद को (अ) ने एक इकरार नामा (ब) को लिखा जिसमें उसने यह दर्ज किया कि उसने (ब) से १५६) रूपया लेकर उस जायदाद गैर मनकूला का ||) आना हिस्सा बहक (ब) छोड़ दिया—बाद को बजरिये कबाला (अ) ने वह बचा हुआ ||) आना हिस्सा भी (ब) को बेच दिया, और इस इकरार नामा वो कबाला दोनों की रजिस्ट्री करा दिया, मगर न इकरार नामा की और न कबाला की तसदीक अदालत में की गई—(अ) ने डिक्री को इजरा कराकर उस जायदाद पर कब्जा पालिया—(ब) ने (अ) पर नालिश इस्तकरार हक की वो जायदाद वापिस प[illegible] इकरार नामा वा कबाला के रू से दायर [illegible] कि [illegible] दफा ४७ लागू होगी या नहीं, यानी, नालि[illegible] चल सकेगी और

(ब) डिक्री पाने का हक़दार होगा—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द २५ सफ़ा ७१८)—

(अ) की डिक्री (ब) पर १०००) रूपये की हुई, (ब) ने डिक्री का पूरा रुपया अदालत के बाहर दिया—मगर अदाई की तसदीक़ अदालत में नहीं कराई गई—(अ) ने डिक्री की इजरा की दरखास्त दिया, मगर दरखास्त में उसने यह नहीं लिखा, जैसा कि उसको बमूजिब क़ायदा ११ (२) (द) आर्डर नं २१ लिखना चाहिये, कि डिक्री की पूरी रकम अ , तरह भेजी जाय, नकलें (अ) झूठी शहादत देने के जुर्म का क़सूर वार बमूजिब बिला किसी सबूत के ता हि का समझा जावेगा, और अगर डिक्री जारी उन की नकलों के नत्थी लत किसी खास वजह से ता हि. के जुर्म का ना (यानी डिक्री के अदा हे से लिखना चाहिये ऐसा सबूत के साथ कराने का) क़सूरवार ठहराया जाय में थली बिला तसदीक़ अदाई की शहादत की दफ़ा २२५ से क़ायम किया जि १० स. २८८)—

सिर्फ़ इजराय डिक्री की दरखास्त देने से सकेगा—जुर्म उस वक़्त बनेगा जब कि जि २३ स ९७१)—

इजरा भेजी गई—मदयून ने वाली अदालत डिक्री की दफ़ा के रू से चल की सुनाई इजरा करने सफ़ा ११४)

डिकरी जारी

ना इस्टेट हो की हदूद मरजी से किसी एक

३. अगर जायदाद नीलाम करे

मगर जमीन एक से जियादा इलाके में हो

उ वे ला रि कलकत्ता

को अख्त्यार है कि कुल

ह डिकरी या हुक्म हो अगर वह खुद करदेगी या किसी जरा के मुन्तकिल

तशरीह —म सादिर हुई हो जिस की से दो हजार रुपया से जियादा

से क़ायम किया

जि १२ स ३०१ से लायक समाअत अदालत

४ अगर । से लायक समाअत अदालत के हो, और डिकरी सादिर

अदालत सफ़ीका में मुन्दर्ज के हो, और डिकरी सादिर

दस्तखत की

न हो और जो शै इजरा कलकत्ता या मदरास या

ो तो वह

मतालबेजात खर्च

... जब कि डिक्री

करने वाली अद

ब्रिटिश इंडिया के अदालत की सादिर की हुई होती (इं. ला. रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७०)

दीगर अदालत की डिकरी मुन्तकिल किये हुये का इजरा मारफत अदालत हाई कोर्ट के

६ अगर वह अदालत जिस में डिकरी इजरा के लिये भेजी जाय अदालत हाई कोर्ट हो, तो वह उस डिकरी का इजरा उसी तोर पर करेगी कि मानो खुद उस ने अपने मामूली अख्त्यार समायत इब्तदाई सीगा दीवानी के तामील में वह डिकरी सादिर की थी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २२७ से कायम किया गया है

तरीका इजराय डिक्री से उस जाब्ते का जिकर है जिस में इजरा हो और मियाद से कोई ताल्लुक नहीं है—(इ ला. रि कलकत्ता जिल्द २४ सफा ४७३)

दरख्वास्त इजराय डिक्री.

दरख्वास्त इजरा

१० जब डिकरीदार अपनी डिकरी जारी कराना चाहे, तो वह अदालत डिकरी सादिर करने वाली में दरख्वास्त देगा, या उस ओहदेदार के पास (अगर ओहदेदार हो) जो उस काम पर मुकर्रर हो, या अगर डिकरी बमूजिब उस हुक्म के जिस का जिकर ऊपर किया गया है, किसी और अदालत उस में भेजी गई हो, तो दरख्वास्त अदालत में या उस के ओहदेदार मजाज को दी जायगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २३० फिकरा (१) से कायम किया गया है

इस मजमुये में कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिससे हर रकम डिक्री शुदा के निसबत अलेहदा वो लगातार दरखास्त इजराय डिकरी की मुमानियत हो—(इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १८ सफा ५१५)

हर डिक्रीदार को वास्ते इजरा के दरखास्त देना चाहिये और आर्डर २१ के कायदा ११ के बमूजिब जो सूरतें पैदा हों उस में कोई मुसतसना नहीं किया गया है—(इ. ला रि बम्बई जिल्द १२ सफा ४००)

११ (१) अगर डिकरी सिर्फ बाबत दिलाने नकदी रूप्या के सादिर दरख्वास्त ज़बानी हुई हो, तो अदालत डिकरी सादिर होने के वक्त डिकरीदार के ज़बानी दरख्वास्त पर डिकरी फौरन बज़रिये गिरफतारी मदयून और अगर वह अदर हाते अदालत मौजूद है तो वारन्ट तैयार होने के पहिले जारी होने का हुक्म दे सक्ती है

(२) ख्वास सूरतें जिन का ज़िकर ज़िमन (१) में किया गया है उन दरख्वास्त तहरीरी को बचाकर, हर दरख्वास्त इजराय डिकरी तहरीरी होगी और उस पर दस्तखत और तसदीक की इबारत दरख्वास्त देने वाले के तरफ से या किसी और शख्स की तरफ से लिखी जायगी जिसकी निसबत अदालत को सबूत काफी गुज़रे कि वह हालात मुकदमा से वाकिफ है, और उस में नीचे लिखी हुई तफसील बतौर नकशा दरज होगी—याने,

(क) नम्बर मुकदमा,

(ख) नाम फरीकैन के,

(ग) तारीख डिकरी

(घ) कैफियत इस अमर की कि बनाराजगी डिकरी के अपील हुई या नहीं

(ङ) यह कि कोई अदाई या किसी दीगर तरह का तसफिया बीच मुतनाज़िया के मावैन फरीकैन के दरम्यान में बाद सादिर होने डिकरी के अमल में आया या नहीं और अगर अमल में आया तो क्या तसफिया हुआ

(च) आया उस से पहले डिकरी के इजरा के लिये कोई दरख्वास्त गुज़री या नहीं और गुज़री तो किस मज़मून की और किस तारीख पर और उन का क्या नतीजा हुआ

(छ) रूप्या की तादाद मय सूद के (अगर कुछ हो) जो डिकरी की रूसे पाना हो, या और दादरसी जो डिकरी की रू से हुई हो, मय तफसील किसी डिकरी काबिल मुजराई के जो पहले या पीछे ...रा उस डिकरी के सादिर हुई हो कि जिस को जारी करना मनज़ूर हो

(ज) तादाद ज़र खर्चा [अगर कुछ ... जो दिलाया गया हो

(झ) नाम उस शख्स का जिस के ऊपर डिकरी जारी कराना मन्ज़ूर हो, और,

(ञ) यह कि किस तरह से अदालत की मदद दरकार है, याने,

[१] बज़रिये दिलाय जाने उस खास माल के जिस की डिकरी हुई हो,

[२] बज़रिये कुरकी बो नीलाम या बज़रिये नीलाम बिना कुरकी

किसी जायदाद के,

[३] बजरिये गिरफतारी और कैद, जेहल में किसी शख्स के,

[४] बजरिये मुकर्ररी रिसीवर,

[५] और तरह पर जैसा कि दिलाय हुये दादरसी के रूसे जरूर हो.

(३) जब अदालत में दरखास्त शिकमी दफा [२] के रूसे गुजरे वह दरखास्त देने वाले को डिकरी की तसदीक की हुई नकल पेश करने का हुक्म दे सक्ती है

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २५६ वो २३९ से कायम किया गया है—और शिकमी कायदा ३ नया है.

दरखास्त इजराय डिकरी बतौर कार्रवाई मुकदमा के है (इ ला. रि. बम्बई जिल्द २० सफा १६८)

यह कायदा बमूजिब फा ८६ एक्ट इन्तकाल जायादद के रूसे दरखास्त कामिल डिकरी में लागू नहीं है (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा ८१८)'

अगर (क) ने बतौर वली (ख) जो उस वक्त नाबालिग था कोई दरखास्त इजराय डिकरी के दी तो वह दरखास्त इस कायदे के मुताबिक [ख]की दरखास्त नहीं समझी जा सक्ती [इ ला रि मदरास जिल्द २८ सफा ३१६].

कोई दरखास्त जिस पर मुखतारआम ने तसदीक की है, चाहे असल मालिक अन्दर हद अदालत रहता हो, या नहीं उस की तसदीक ठीक है (इ ला रि. अलहाबाद जिल्द २६ सफा१५४)

जब डिकरी का पाबन्द कोई नाबालिग है तो डिकरी उस पर उस के वली के मारफत जारी की जा सक्ती है—[इ. ला. रि. कलकत्ता जि. १६ सफा ४०).

इडियन ला. रिपोर्ट जिल्द १० सफा २८८ में यह राय करार पाई है कि डिक्रीदार दरखास्त इजराय डिक्री में कोई तसफिया जो दरम्यान फरीकैन बाद डिक्री हुआ हो बतलाने का पाबन्द है, चाहे उस तसफिया की तसदीक अदालत से हुई हो या नहीं.

इजराय डिकरी के नीलाम के खरीदार को यह दरयाफ्त करना जरूर नहीं है कि मदयून डिकरी की कोई डिकरी जियादा रकम की डिकरीदार [illegible] है या नहीं

इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा २५ प्रीवी कौंसिल)

अगर दरखास्त इजराय डिक्री के अखीर खाने में वह तरीका न दर्ज किया हो कि जिससे डिक्री की इजरा मजूर है तो दरखास्त खारिज की जायगी ला रि बम्बई जि० १६ सफा ३४)—

तारीख डिक्री से वह तारीख मुराद है जिस तारीख को तजवीज सुनाई गई—(इ ला. रि कलकत्ता जि० २५ सफा १०१)—

दरखास्त निसबत कुरकी माल मनकूला जो मदयून डिकरी के कब्जे में न हो

१२ जब दरख्वास्त वास्ते कुरकी किसी माल मनकूला मदयून डिकरी के दी जाय और वह उस के कब्जे में न हो, तो डिकरीदार उस के साथ एक फेहरिस्त उस माल का जो कुक कराना हो मय उस के ऐसे बयान के जो वजह माकूल से सही हो नत्थी करे

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २३६ से कायम किया गया है.

इस कायदे के रू से अदालत के रूबरू यह तहकीकात नहीं की जा सकी कि जायदाद मदयून डिक्री की है या नहीं (१२ वीक्ली रिपोर्टर सफा ३२१) किसी दूसरे शख्स के माल की नाजायज कुर्की के बाबत हरजाना का डिकरीदार जिम्मेदार है (इ ला रि, बम्बई जि० २ सफा ७४)

दरख्वास्त कुरकी माल गैर मनकूला में चंद तफसीलें दरज होंगी

१३ जब दरख्वास्तें वास्ते कुरकी माल गैर मनकूला मदयून डिकरी के गुजरे तो उस के नीचे, अमुराज जैल की तशरीह होगी—

(क) बयान जायदाद का जिस्से उस की असल पहिचान हो सके, और अगर जायदाद मजकूर की हदूद या उस के आराजी के नम्बर किसी कागज बन्दोबस्त या नकशा पैमायश में दरज हो, तो वह हदूद या नम्बर हाय आराजी तफसीलवार लिखे जायगे, और,

(ख) बयान हिस्सा या इसतहकाक मदयून डिकरी की जायदाद मजकूर में जहां तक कि सायल को ताहद यकीन मालूम हो और सायल मालूम कर सका है—

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २३७ से कायम किया गया है

दरखास्त इजराय डिक्री जिस में पहले दरखास्त के साथ पेश की हुई फेहरिस्त का हवाला दिया गया है जायज है (इ ला रि कलकत्ता जि० १२ सफा १६१)—

जब कि डिक्रीदार अपने मवाखजा की तशरीह बयान न करे तो उसे बाद में उस मवाखजा के बिना पर नालिश दायर करने की मनाई होगी (इ ल रि मदरास जि १५ सफा ४१२)—

बाज सूरतों में दफतर कलकटरी के रजिस्टर की तसदीक किये हुए इन्तखाब के पेश करने का हुक्म देने का अख्तयार

१४ अगर दरखास्त वास्ते कुरक करने किसी ऐसी आराजी के दी जाये जो दफतर कलकटरी में दर्ज रजिस्टर हो तो अदालत सायल को हुक्म दे सकती है कि दफतर मजकूर के रजिस्टर का इन्तखाब तसदीक किया हुआ, इन अमूरात के तफसीलों के साथ कि कौन २ शख्स रजिस्टर में आराजी या उस की मालगुजारी के मालिक या उस की मालगुजारी की किसी हकीयत काबिल इन्तकाल के काबिज या उस आराजी की मालगुजारी अदा करने के जिम्मेदार दर्ज हैं और हिस्सा मालिकान मुन्दरजे रजिस्टर के, पेश करे

तशरीह:—यह कायदा पुरा एक्ट की दफा २३८ से कायम किया गया है—

दरखास्त इजरा डिकरीदार शामलाती के तरफ से

१५ (१) अगर डिकरी एक से जियादा शख्सों के हक में शामलाती सादिर हुई हो तो उन में से कोई एक या जियादा अशखास सब के फायदे के लिये कुल डिकरी के इजरा की दरखास्त कर सकते हैं, मगर तावक्ते कि डिकरी में उस के खिलाफ कोई शर्त न हो, या जिस हाल में कि उन में से कोई मर गया हो तो बाकी डिकरीदार और मुतवफ्फी के कायम मुकामान जायज के फायदे के लिये दरखास्त कर सकते हैं

(२) अगर अदालत को काफी वजह मालूम हो कि इस कायदे के मुताबिक दरखास्त के गुजरने पर इजराय डिकरी मनजूर की जाय तो वह ऐसा हुक्म देगी जो वास्ते हिफाजत उन शख्सों के हक के जो उस दरखास्त में शरीक न हुए हों जरूर हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २३१ से कायम किया गया है

जब कि एक डिकरी दो हिन्दू बेवा के हक में सादिर हुई और उन में से

एक कुल डिकरी के इजरा के लिये दरखास्त करे तो ऐसे इजरा में यह कायदा लागू नहीं होगा—(इ ला रि इलाहाबाद जि० २६ सफा ३१८)

कोई डिकरी जो खरचा की तरह मुद्दायलेह के हक में सादिर हुई हो तो दो मुद्दायलह खरचा मिलाये हुये में से बकदर अपने हिस्से के जारी नहीं करा सके—(इ ला रि मदरास जि० १८ सफा ४६४)

जब कि कई शामलाती डिकरीदारों में से एक नाबालिग है तो दफा ७ एक्ट मियाद के रू से जो दरखास्त नाबालिग डिकरीदार के तरफ से इजरा के लिये पेश की जाय वह अन्दर मियाद समझी जायगी—[इ ला रि कलकत्ता जि० २८ सफा ४६५]

अपील — इस कायदा के रू से जो हुक्म एक शामलाती डिकरीदार की इजरा डिक्री नामजूर करने में दिया जाये उसकी अपील नहीं है--[इ. ला रि बम्बई जि० २३ सफा ६२३--मगर हाई कोर्ट मदरास की राय इसके खिलाफ है—उसकी राय मुकदमा लक्ष्मी अम्मा—बनाम—मुनास्वामी इ ला. रि मदरास जि० १७ सफा २६४ में करार पाई कि अपील हो सक्ती है—मगर ऐसे हुक्म की अपील नहीं है जो दरखास्त देने वाले बाकी डिक्रीदारों के हक की रक्षा की बाबत दिया जाये--(इ ला रि कलकत्ता जि० ५ सफा ५६).

मुकदमा दरमियान शामलाती डिकरीदारान दफा ४७ में नहीं आता, इस लिये अगर एक शामलाती डिक्रीदार ने इजरा करा कर डिक्री का रुपया खुद वसूल कर लिया हो—और बाकी डिक्रीदारों का हिस्सा न दिया हो तो हिस्सा न पाने वाले डिक्रीदार उस डिक्रीदार पर नालिश रुजू कर सके हैं--(इ ला. रि मदरास जि० २६ सफा १८३)

मुन्तकिल अलेह डिकरी के तरफ से दरख्वास्त इजराय डिकरी

१६ अगर इन्तकाल किसी डिकरी का, या अगर डिकरी दो याजियादा शख्स के हक में शामलाती सादिर हुई हो तो डिकरीदार के हक का इन्तकाल बजरिये इन्तकाल तहरीरी या बवजह असर कानून के अमल में आय, तो मुन्तकिल अलेह उस के इजरा की दरख्वास्त डिकरी सादिर करने वाली अदालत में करे और डिकरी का इजरा उसी तौर पर उनही रुआयत के कैद के साथ अमल में आवेगा कि मानों दरख्वास्त ऐसे डिकरीदार के तरफ से गुजरी थी

मगर शर्त यह है कि जब डिकरी या ऊपर जिकर किया हुआ हक बजरिये इन्तकाल के मुन्तकिल हुआ हो तो ऐसी दरखास्त की इत्तला इन्तकाल करने वाले

और मदयून डिकरी दोनों को दी जायगी, और जब तक कि अदालत उन के उजरात को अगर वह इजराय डिकरी के निसबत कुछ उजर रखते हों, न सुन ले, तब तक डिकरी जारी न की जायगी

और यह भी शर्त है कि अगर डिकरी वास्ते दिलाने जर नक्द के दो या जियादा शख्स के ऊपर सादिर हुई हो, और वह उस में से एक शख्स के नाम मुन्तकिल की गई हो तो वह डिकरी उन बाकी शख्सों पर जारी न की जायेगी

तशरीह — यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २३२ से कायम किया गया है

यह जरूर नहीं है कि इन्तकाल मदयून डिक्री के मरने के पहले किया गया हो, अगर उस के मरने के पहले किया गया तो मुन्तकिल अलेह उस के कायम मुकाम पर डिकरी का इजरा करा सक्ते हैं—(इ ला. रि. बम्बई जि० ११ सफा ७२७)— कोई साहूकार जो किसी डिक्री को कुरक करावे उस को इस कायदे के मुताबिक मुन्तकिल अलेह की हैसियत है—(इं ला. रि. कलकत्ता जि० १५ सफा ३७६).

कोई शख्स जो इस बात के इसतकरार हक की नालिश करे, कि वह किसी डिक्री के फायदे का मुसतहक है, और जो बहक अपने डिक्री हासिल करले तो वह इस कायदे के रू से इजराय डिक्री की दरखास्त दे सक्ता है—(इ. ला. रि मदरास जि० २१ सफा २५६)

अगर कोई शख्स किसी जायदाद के कबजे की डिक्री हासिल करे, और उस का कुछ हिस्सा दूसरों को बेंच डाले तो खरीदार डिक्री के इजरा के लिये दरखास्त नहीं कर सक्ते (४ अलाहाबाद ला जरनल सफा ७५१).

जब डिक्री कानून के अमल से मुन्तकिल हो गई, याने कार्रवाई इजराय डिक्री में एक हुक्म के नाराजी से अपील होने के बाद, बवजह मरने डिक्रीदार के तो मुन्तकिल अलेह अदालत अपील में अपना नाम दरज होने की दरखास्त कर सक्ता है—(इ. ला [illegible] जि० [illegible] १०१–१०२).

दरखास्त [illegible] में [illegible] है जिस ने डिक्री सादिर की (इ ला [illegible] जि० [illegible] २).

डिकरी इजरा

जब कि इस

करा पाने के इस्तकरार हक की नालिश दायर नहीं होगी—(इ ला रि अलाहाबाद जि० २८ सफा ६१३).

जब कि डिकरीदार मुतवफ्फी के कायम मुकाम जायज का नाम दरज करने की दरखास्त बिला तहकीकात खारिज कर दी गई और उस हुक्म से अपील नहीं की गई तो इस बात के इस्तकरार हक की नालिश नहीं होगी कि सायल कायम मुकाम जायज उस के हैं , १६ मदरास ला जरनल रपोर्ट सफा २७)

अगर मुन्तकिल करने वाला मर जावे तो मुन्तकिल अलेह को बमूजिब एक्ट ७ सन १८८९ सारटिफिकट पेश करना जरूर होगा (इ ला रि मदरास जिल्द १९ सफा ४१९) मगर ऐसा सारटिफिकट कार्रवाई के मुलतवी रहने के हालत में किसी वक्त पेश किया जा सक्ता है–[इ ला रि कलकत्ता जिल्द १९ सफा ४८२]

मुन्तकिल अलेह की दरखास्त नामनजूर किये जाने के हुक्म से अपील हो सक्ती है (१ अलाहाबाद ला जरनल सफा ६१ वो इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द २५ सफा ४४२)

मरे हुये डिकरीदार के कायम मुकाम का नाम दरज होने की दरखास्त के खारिज होने के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती (१६ मदरास ला जरनल रिपोर्ट सफा २७).

यह कायदा उस वक्त लागू होगा, जब पूरी डिक्री या कई शामलाती डिक्रीदारों में से किसी एक का पूरा हक मुन्तकिल हो—डिक्री का या हक का जुज मुन्तकिल होने से यह कायदा लागू न होगा—(इ ला रि. मदरास जि २८ स. ६४)

मुन्तकिली से मुन्तकिली डिक्री मुराद है न कि मुन्तकिली जायदाद या हर्सीयत जायदाद—

जब मुन्तकिल अलेह की दरखास्त इजराय डिक्री नामन्जूर हो तो वह मुन्तकिल करने वाले पर अपना रुपया बदल का वापस पाने की नालिश रुजू कर सक्ता है (इ. ला रि मदरास जिल्द २० सफा १५७)—

इस कायदा के बमूजिब जो हुक्म दिया जावे, उसकी नजर सानी न होगी—

और मदयून डिकरी दोनों को दी जायगी, और जब तक कि अदालत उन के उजरात को अगर वह इजराय डिकरी के निसतब कुछ उजर रखते हों, न सुन ले, तब तक डिकरी जारी न की जायगी

और यह भी शर्त है कि अगर डिकरी वास्ते दिलाने जर नक्द के दो या जियादा शख्स के ऊपर सादिर हुई हो, और वह उस में से एक शख्स के नाम मुन्तकिल की गई हो तो वह डिकरी उन बाकी शख्सों पर जारी न की जायेगी

तशरीह — यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २३२ से कायम किया गयाहै

यह जरूर नहीं है कि इन्तकाल मदयून डिक्री के मरने के पहले किया गया हो, अगर उस के मरने के पहल किया गया तो मुन्ताकिल अलेह उस के कायम मुकाम पर डिकरी का इजरा करा सके हैं—(इ. ला. रि. बम्बई जि० ११ सफा ७२७)— कोई साहूकार जो किसी डिक्री को कुरक करावे उस की इस कायदे के मुताबिक मुन्तकिल अलेहे की हैसियत है—(इं. ला. रि. कलकता जि० १५ सफा ३७६)

कोई शख्स जो इस बात के इसतकरार हक की नालिश करे, कि वह किसी डिक्री के फायदे का मुसतहक है, और जो वहक अपने डिक्री हासिल करले तो वह इस कायदे के रू से इजराय डिक्री की दरखास्त दे सक्ता है—(इं ला. रि मदरास जि० २१ सफा ३५६)

अगर कोई शख्स किसी जायदाद के कबजे की डिक्री हासिल करे, और उस का कुछ हिस्सा दूसरों को बेंच डाले तो खरीदार डिक्री के इजरा के लिये दरखास्त नहीं कर सके (४ अलाहाबाद ला जरनल सफा ७५६).

जब डिक्री कानून के अमल से मुन्तकिल हो गई, याने कार्रवाई इजराय डिक्री में एक हुक्म के नाराजी से अपील होने के बाद, बवजह माने डिक्रीदार के जो मुन्तकिल अलेह अदालत अपील में अपना नाम दरज होने की दरखास्त कर सक्ता है—(इ. ला रि, मदरास जि० २६ सफा १०१–१०२).

दरखास्त सिर्फ उस अदालत में दी जा सकती है जिस ने डिक्री सादिर की (इ ला रि अलाहाबाद जि० ३५ सफा ४४३).

जब कि इस कायदे के मुताबिक हुक्म कतई हो गया है तो डिकरी इजरा

ाने के इस्तकरार हक़ की नालिश दायर नहीं होगी—(इ ला रि. वाद जि० २८ सफा ६१३).

जब कि डिक्रीदार मुतवफ्फी के कायम मुकाम जायज़ का नाम दरज करने की त बिला तहकीकात खारिज कर दी गई और उस हुक्म से अपील नहीं की इस बात के इस्तकरार हक की नालिश नहीं होगी कि सायल कायम मुकाम उस के हैं , १६ मदरास ला जरनल रपोर्ट सफा २७)

अगर मु तकिल करने वा । मर जावे तो मुन्तकिल अलेह को बमूजिब ७ सन १८८८ सार्टिफिकट पेश करना जरूर होगा (इ ला रि मदरास १९ सफा ४१८) मगर ऐसा सार्टिफिकट कार्रवाई के मुलतवी रहने के में किसी वक्त पेश किया जा सक्ता है—[इ ला रि कलकत्ता जिल्द फा ४८२]

मुन्तकिल अलेह की दरखास्त नामनजूर किये जाने के हुक्म से अपील हो (१ अलाहाबाद ला जरनल सफा ६१ वो इ ला रि अलाहाबाद २५ सफा ४४३)

मरे हुये डिक्रीदार के कायम मुकाम का नाम दरज होने की दरखास्त के होने के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती (१६ मदरास ला जरनल रिपोर्ट १७).

यह कायदा उस वक्त लागू होगा, जब पूरी डिक्री या कई शामलाती डिक्रीदारों किसी एक का पूरा हक मुन्तकिल हो—डिक्री का या हक का जुज मुन्तकिल । यह कायदा लागू न होगा—(इ ला रि. मदरास जि २८ स. ६४)

मुन्तकिली से मुन्तकिली डिक्री मुराद है न कि मुन्तकिली जायदाद या जायदाद—

जब मुन्तकिल अलेह की दरखास्त इजराय डिक्री नामन्जूर हो तो वह मुन्तकिल वाले पर अपना रुपया बदल का वापस पाने की नालिश रुजू कर सक्ता , ला रि मदरास जिल्द २० सफा १५७)—

इस कायदा के बमूजिब जो हुक्म दिया जावे, उसकी नजर सानी न होगी—

(इं. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १५ सफा ४४६)—

अगर अपील हस्ब आर्डर न. ४७ न की गई हो तो अलेहदा नालिश न चल सकेगी—(मदरास ला. जरनल जि. १६ स. ४७)—

अगर मुन्तकिली बेनामा हुई है तो असली मुन्तकिल अलेह दरखास्त इजराय डिक्री कर सक्ता है—(इ. ला. रि. मद्रास जि. २१ सफा ३८८)—

कार्रवाई वक्त गुजरने दरखास्त इजराय डिकरी

१७ (१) कायदा ११ के जिमन (२) के रू से दरखास्त इजराय डिकरी गुजरने के वक्त अदालत को यह दरयाफ्त करना चाहिये कि कायदा ११ से १४ तक के अहकाम की तामील जो मुकद्दम से मुताल्लुक है, हुई है या नहीं और अगर उन की तामील न हुई हो तो अदालत को अख्त्यार है कि दरखास्त इजराय डिकरी नामनजूर करे, या उसी वक्त वो वहीं या अदालत से मुकर्रर की हुई किसी मियाद के अन्दर अदालत उस नुकस को दुरुस्त करने की इजाजत दे—

(२) अगर दरखास्त जिमन [१] की शुरतों के मुताबिक दुरुस्त की जाय तो उस का कानून के मुताबिक तहरीरी होकर पेश होना, उसी तारीख को समझा जायेगा जब कि पहले मरतबा पेश हुइ थी—

(३) हर तरमीम पर जो इस कायदे, के बमूजिब की जाये जज के दस्तखत या छोटे दस्तखत होंगे—

(४) जब दरखास्त मंजूर की जाय तो अदालत मुताल्लिक रजिस्टर में, एक याददास्त दरखास्त की मय उस तारीख के जब दरखास्त पेश हुई थी दर्ज करे, और नीचे लिखी हुई शर्त पर दरखास्त के मजमून के मुताबिक डिकरी के जारी होने का हुक्म दे

मगर शर्त यह है कि अगर डिकरी नक्दी रूपया के बाबत हो तो उसी कदर मालीयत की जायदाद कुर्क की जायगी, जो करीब २ उसी तादाद के बराबर हो जो डिकरी की रू से दिलाई गई हो

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २४५ से कायम किया गया है.

जब वकील को दरखास्त इजराय डिकरी के पेश करने का बाजाब्ता अख्त्यार दिया गया, तो इस अमर से कि वकालतनामा पर तारीख नहीं लिखी है, दरखास्त खिलाफ कानून नहीं होती है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २६ सफा १९७–१९८)

इस कायदे के मुताबिक मुकर्रर किया हुआ वक्त बढ़ाया जा सक्ता है और

ुरू में जो वक्त दिया गया है या मनजूर हुआ है उस के गुजर जाने पर भी ढाया जा सक्ता है (देखो दफा १४८)—अगर उस मुद्दत के अन्दर जो दी गई तरमीम न हो तो जब तक दरखास्त के नामनजूरी का हुक्म न हो वह नामनजूर हीं समझी जायगी (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ८ सफा ४७६).

अगर तरमीम न की जाय तो दरखास्त खारिज होगी—(इ ला. री कलकत्ता ि० ८ सफा ४७६)

इस कायदा के हुक्म की अपील नहीं है—(देखो आर्डर न. ४२ ायदा १)—

डिकरी काबिल मुजराई का ाजरा

१८ (१) अगर दरखास्त अदालत में वास्ते इजरा करने ऐसी डिकरीयों के दी जाय जो अलग २ मुकदमों में बाबत अदा करने दो रकमों के जो दरम्यान उनही फरीकैन के ादिर हुई हों और जिन का इजरा एक ही वक्त में अदालत मजकूर कर की हो, तो,

(क) अगर दोनों रकम बराबर हों तो डिकरीयों पर अदाई उन की दर्ज की जायगी, और,

(ख) अगर दोनो रकम बराबर न हों तो सिर्फ उस डिकरीदार के तरफ से इजरा अमल में आयगा जिस के डिकरी का रूपया जियादा हो और सिर्फ उतने रुपया के बाबत जो बाद मुजरा देने थोड़ी रकम के बाकी रहे, और जियादा रूपया की डिकरी पर थोड़े रूपया की अदाई दर्ज होगी, और थोड़े रूपया की डिकरी पर भी थोड़े रूपया की अदाई दर्ज होगी

(२) यह कायदा उस सूरत में भी लागू समझा जायगा जब कि ाई फरीक उन डिकरीयों में से एक डिकरी का मुन्तकिल अलेह हो और बत करजा डिकरी शुदा के भी जो असल मुन्तकिल करने वाले से पाना हो सी तरह मुताल्लुक होगी, जिस तरह कि खुद मुन्तकिल अलेह के जिम्मे के रजा डिकरी शुदा से मुताल्लुक है

(३) यह कायदा नीचे लिखी सूरतों के सिवाय और सूरतों में लागू हीं समझा जायगा

(क) जब डिकरीदार एक मुकदमे का उन मुकदमों में से जिन में डिकरीयां सादिर हुई हों मदयून डिकरी दूसरे मुकदमे का हो और हर फरीक एक ही हैसियत दोनो मुकदमों में रखता हो, और,

डिक्री समझी जावेगी और छोटी डिकरी की रकम बड़ी डिकरी की रकम में मुजरा दी जावेगी, यानी, (ब) की डिकरी इजराय न की जायगी, और (अ) की डिकरी की इजराय सिर्फ २००० रूपय तक होगी, अगर दोनों की डिकरी बराबर रकम की होवे, तो उनकी आपुस में मुजराई होगी और इजराय किसी डिकरी की न होगी —मुजराई सिर्फ ४ हालतों में होगा—

(१) जब कि ख़ास डिकरी नक़द रूपय की हो.

(२) जब कि डिकरी अलेहदा २ मुकदमे में हासिल की गई हो.

(३) जब कि दोनों डिकरी एकही वक्त और एकही अदालत से काबिल इजराय हों.

(४) जब कि एक मुकदमे का डिक्रीदार दूसरे मुकदमे में मदयून हो और दोनों मुकदमों में हर फरीक की वही हैसियत हो

यह सूरतें न होगी तो यह कायदा लागू न होगा

(अ) की डिकरी (ब) पर १८०० रुपया की बजरिये रहन है, और डिकरी में हुक्म है कि (ब) की जायदाद मरहूना नीलाम हो कर डिकरी की अदाई की जाय—(ब) की डिक्री (अ) पर २००० रूपय की है—यह दोनों डिकरी आपुस में काबिल मुजराई है—(इ. ला रि मदरास जि० २१ सफा ३१८)

काबिल मुजराई दावों का इजरा जो एक ही डिकरी के बमूजिब हो

१९ अगर अदालत में दरखास्त वास्ते इजरा करने ऐसी डिकरी के गुजरे जिस के बमूजिब दो फरीक में से हर एक दूसरे से नक्दी रूपया पाने का मुस्तहक हो, तो,

(क) अगर दोनों रकम बराबर हो तो डिकरी पर दोनों की अदाई दरज की जायगी और

[ख] अगर दोनों रकम बराबर न हों तो सिर्फ उस फरीक की डिकरी का इजरा अमल में आयगा जिस्की डिकरी का रूपया जियादा हो, और सिर्फ उस कदर रूपया के बाबत जो बाद मुजरा देने थोड़े रूपया की डिकरी के बाकी रहे, और डिकरी पर अदाई थोड़े रूपया की दरज होगी

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २४७ से कायम किया गया है

मुकदमा हक शफा में मुद्दई अपना खरचा जो उसे मुद्दायलेह से पाना है वजा करके रूपया जमा करने का मुस्तहक है—(इ. ला. रि अलाहाबाद जि० ६ सफा ३५१)

जब कि कोई मुद्दई डिकरी इस मजमून की हासिल करे कि मुद्दायलेह को रहन का रूपया उस की तरफ से अदा किये जाने पर, और मुद्दायलेह के तरफ से उस को खरचा नालिश का मिलने पर, रहन की हुई जायदाद मुद्दई को वापिस दिलाई जाय, तो ऐसी हालत में मुद्दायलेह हकदार इस बात का होगा कि जो रकम उस को मिलने वाली है उस में से वह रकम मुजरा करदी जाय, जो उसे मुद्दई को देना वाजिब निकलता है—(इ ला. रि जि० २३ मदरास सफा १२१).

(अ) राहिन ने (ब) मुरतेहन पर इनफिकाक की नालिश दायर किया, डिकरी इनफिकाक इस मजमून की सादिर हुई कि जब (अ) (ब) को १००० रूपया रहन का एक खास तारीख तक अदा करदे, तो (ब) जायदाद मरहूना (अ) को वापिस दे देगा-और अगर उस तारीख को रूपया की अदाई न हो तो जायदाद नीलाम की जायगी, उसी डिकरी में (अ) को खरचा नालिश १०० रूपया (ब) स दिलाया गया—इस सूरत में (अ) अपने १०० रूपया खरचा की डिकरी इजरा नहीं करा सक्ता क्योंकि उसकी रकम थोडी है, मगर (ब) अपनी डिकरी की इजरा करा सक्ता है क्योंकि उसकी रकम बड़ी है—लेकिन इजराय ६०० रूपया से ज्यादा की न होगी, मतलब यह है कि अगर (अ) ६०० रूपया देवे तो (ब) उसको जायदाद मरहूना वापिस देगा—और पूरे १००० रूपया लेने की हट न करने पावेगा—[इ ला रि मदरास जि० २३ सफा १२१; इ ला. रि अलाहाबाद जि० १६ सफा ३६५]

काबिल मुजराइ डिकरी के दावे मुकदमात रहन में

२० कायदा १८ वो १९ में दरज किये हुये अहकामात उन डिकरियों से भी लागू होंगे जो बजरिये रहन या बार [याने बोझा] नीलाम के लिये सादिर हुई हो

तशरीहः—यह कायदा नया है

डिकरी समझी जावेगी और छोटी डिक्री की रकम बड़ी डिकरी की रकम मुजरा दी जावेगी, यानी, (ब) की डिक्री इजराय न की जायगी, और (अ) की डिकरी की इजराय सिर्फ २००० रूपय तक होगी, अगर दोनों की डि बराबर रकम की होवे, तो उनकी आपुस में मुजराई होगी और इजराय कि डिकरी की न होगी—मुजराई सिर्फ ४ हालतों में होगा—

(१) जब कि खास डिकरी नक्द रूपय की हो.

(२) जब कि डिकरी अलेहदा २ मुकदमे में हासिल की गई हो.

(३) जब कि दोनों डिक्री एकही वक्त और एकही अदालत काबिल इजराय हों.

(४) जब कि एक मुकदमे का डिकरीदार दूसरे मुकदमे में मदयून और दोनों मुकदमों में हर फरीक की वही हैसियत हो

यह सूरतें न होगी तो यह कायदा लागू न होगा

(अ) की डिकी (ब) पर १८०० रुपया की बजरिये रहन है, औ डिकरी में हुक्म है कि (ब) की जायदाद मरहूना नीलाम हो कर डिकरी क अदाई की जाय—(ब) की डिक्री (अ) पर २००० रूपय की है—या दोनों डिक्री आपुस में काबिल मुजराई है—(इ ला रि मदरास जि० २ सफा ३१८).

१९ अगर अदालत में दरखास्त वास्ते इजरा करने ऐसी डिकरी के गुजरे जिस के बमूजिब दो फरीक में से हर एक दूसरे से नक्दी रूपया पाने का मुस्तहक हो, तो,

काबिल मुजराई दावी का इजरा जो एक ही डिकरी के बमूजिब हो

(क) अगर दोनों रकम बराबर हो तो डिकरी पर दोनों की अदाई दरज की जायगी और

[ख] अगर दोनों रकम बराबर न हों तो सिर्फ उस फरीक की डिकरी का इजरा अमल में आयगा जिस्की डिकरी का रूपया जियादा हो, और सिर्फ उस कदर रूपया के बाबत जो बाद मुजरा देने थोड़े रूपया की डिकरी के बाकी रहे, और डिकरी पर अदाई थोड़े रुपया की दरज होगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २४७ से कायम किया गया है

मुकदमा हक शफा में मुद्दई अपना खरचा जो उसे मुद्दायलेह से पाना है वजा करके रूपया जमा करने का मुस्तहक है—(इ. ला. रि अलाहाबाद जि० ६ सफा ३५१)

जब कि कोई मुद्दई डिकरी इस मजमून की हासिल करे कि मुद्दायलेह को रहन का रूपया उस की तरफ से अदा किये जाने पर, और मुद्दायलेह के तरफ से उस को खरचा नालिश का मिलने पर, रहन की हुई जायदाद मुद्दई को वापिस दिलाई जाय, तो ऐसी हालत में मुद्दायलेह हकदार इस बात का होगा कि जो रकम उस को मिलने वाली है उस में से वह रकम मुजरा करदी जाय, जो उसे मुद्दई को देना वाजिब निकलता है—(इ. ला. रि जि० २३ मदरास सफा १२१).

(अ) राहिन ने (ब) मुरतेहन पर इनफिकाक की नालिश दायर किया, डिकरी इनफिकाक इस मजमून की सादिर हुई कि जब (अ) (ब) को १००० रूपया रहन का एक खास तारीख तक अदा करदे, तो (ब) जायदाद मरहूना (अ) को वापिस दे देगा—और अगर उस तारीख को रूपया की अदाई न हो तो जायदाद नीलाम की जायगी, उसी डिकरी में (अ) को खरचा नालिश १०० रूपया (ब) से दिलाया गया—इस सूरत में (अ) अपने १०० रूपया खरचा की डिकरी इजरा नहीं करा सक्ता क्योंकि उसकी रकम थोडी है, मगर (ब) अपनी डिकरी की इजरा करा सक्ता है क्योंकि उसकी रकम बड़ी है—लेकिन इजराय ९०० रूपया से ज्यादा की न होगी, मतलब यह है कि अगर (अ) ९०० रूपया देवे तो (ब) उसको जायदाद मरहूना वापिस देगा—और पूरे १००० रूपया लेने की हट न करने पावेगा—[इ ला रि. मदरास जि० २३ सफा १२१; इ ला. रि. अलाहाबाद जि० १६ सफा ३२५].

काबिल मुजराइ डिकरी की दोष मुकदमात रहन में

२० कायदा १८ वो १९ में दरज किये हुये अहकामात उन डिकरियों से भी लागू होंगे जो बजरिये रहन या बार [याने बोझा] नीलाम के लिये सादिर हुई हों

तशरीह:—यह कायदा नया है

इससे यह मतलब है कि अहकाम खास डिक्री वो खास दावा डिक्रि रहन को भी लागू होंगे — (देखो दफा ३४, ७३ वो आर्डर नं. २१ कायदा ५१).

हाई कोर्ट अलाहाबाद की राय है कि नक्दी रूपया की सादी डिकरी की मुजराई डिकरी रहन या बार (बोझा) में हो सक्ती है—[इं. ला रि. अलाहाबाद जि० २३ सफा २४०].

एकही वक्त डिकरी का इजरा

२१ अदालत अगर मुनासिब समझे मदयून का जात और उस की जायदाद दोनों पर एक ही वक्त डिकरी के इजरा से इन्कार करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २३० (२) से कायम किया गया है.

इस कायदे के रू से जो हुक्म दिया जाय वह काबिल अपील होगा—(इ. ला रि. बम्बई जि० ७ सफा ३०१).

बाज सूरतों मेंइत्तलानामा बाबत दिखाने वजह निसबत इजरा

२२ (१) जब दरख्वास्त वास्ते इजरा के गुजरे —

(क) तारीख डिकरी से एक साल से जियादा अरसा गुजरने पर, या

(ख) किसी फरीक डिकरी के कायम मुकाम जायज पर.

तो डिकरी जारी करने वाली अदालत उस शख्स के नाम जिस पर इजरा कराने की दरख्वास्त हो एक इत्तलानामा जारी करेगी कि तारीख मुकर्रर पर इस बात की वजह बतलाये कि उस पर डिकरी का इजरा क्यों न किया जावे

मगर शर्त यह है कि किसी ऐसे इत्तलानामा की जरूरत, जब तारीख डिकरी और दरख्वास्त इजराय डिकरी के दरम्यान गो अरसा एक साल से जियादा गुजर गया हो, लेकिन उस हुक्म आखीर की तारीख से जो खिलाफ मनशा उस फरीक के हो जिस पर जारी कराने की दरख्वास्त हो किसी पहली दरख्वास्त ऐसी डिकरी के इजरा पर सादिर हुआ हो एक साल के अन्दर दरख्वास्त गुजरे, या जब कि दरख्वास्त अगरचे बमुकाबले उस फरीक के कायम मुकाम पर गुजरे, जिस पर डिकरी सादिर की गई हो, लेकिन उसी शख्स पर उस से पेश्तर दरख्वास्त इजरा की गुजर चुकी हो, और उस पर डिकरी के जारी होने का हुक्म अदालत ने दिया हो, न होगी

(२) ऊपर के जिमन के किसी मजमून से अदालत बगैर जारी करने इत्तलानामा जिस्का जिकर उस जिमन में किया गया है, हुक्मनामा इजराय डिकरी जारी करने से माने नहीं समझी जायगी, अगर लिखे हुये वजूहात के रू से उस के दानिस्त में ऐसा इत्तलानामा जारी करने से ना मुनासिब देरी हो या बे इनसाफी हो जाय

तशरीहः—यह कायदा कुछ पुराने एक्ट की दफा २४८ से कायम किया गया है, और कुछ नया है.

जब कि सिर्फ दूसरे अदालत में डिकरी वास्ते इजरा मुन्तकिल करने के लिये दरखास्त दी जाय तो नोटिस का जारी होना जरूरी नहीं मालूम होता है (इं ला. रि कलकत्ता जिल्द २२ सफा ९२४)

उस मकान की दीवाल में जहां मुद्दायलेह रहता है नोटिस का चस्पा कर देना काफी तामील है (५ मदरास हाई कोर्ट रि. सफा १००) इस कायदे के मुताबिक नोटिस जारी करने से नई मियाद शुमार होती है (इ. ला रि. १५ अलाहाबाद सफा ८४)

इस कायदे के मुताबिक नोटिस से दरखास्त इजराय का पेश होना वो अदालत में बैसी दरखास्त का मुलतवी रहना तसौवर किया जायगा (इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २७ सफा ५५७)

तारीख इजराय नोटिस वह तारीख है, जिस को अदालत ने नोटिस जारी होने का हुक्म दिया न कि वह तारीख कि जिस रोज नोटिस लिखा गया और उस पर दस्तखत हुये (इ. ला रि २८ बम्बई सफा ४१६)

इ ला रि २१ बम्बई सफा ४२४ जलसा कामिल में य" राय करार पाई है कि कायम मुकामान जायज को नोटिस देने के बगैर जो नीलाम हुआ वह बे असर है

जब नोटिस किसी शख्स के नाम बतौर वली जारी हुआ तो यह समझा जाना चाहिये कि वह मानवा तौर से वली अदालत से मुकर्रर किया गया (५ कलकत्ता ला जरनल सफा ४३४)

इस कायदा का मतलब यह है कि डिक्री जारी करने के पहले मदयून को नोटिस दिया जावे—अगर नोटिस जारी करने में अदालत समझे कि गैर मुनासिब

देरी होगी या कोई बेइन्साफी वाके होगी, तो अदालत का अख्तयार है कि डिक्री की इजरा बगैर जारी करने नोटिस के मन्जूर करे—अगर नोटिस जारी न किया जाये, जब कि जारी करना जरूर होवे तो कार्रवाई इजराय डिक्री काबिल रद्द होगी, और नीलाम जो इजराय डिक्री में हुआ हो काबिल रद्द होगा—चाहे वैसे नीलाम में जायदाद या माल खुद डिक्रीदार ने या तीसरे फरीक ने खरीदा हो—(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ४२ सफा ७२ प्रिवी कौंसिल)—इस से कुछ मतलब नहीं है कि जायदाद मनकूला हो या गैर मनकूला हो—(इं. ला रि. कलकत्ता जिल्द २१ सफा ११)—

अगर नोटिस गलत शख्स को दिया जाये, तो कार्रवाई इजराय डिक्री या नीलाम रद्द न समझा जावे —(इ ला रि बम्बई जिल्द २५ सफा ३३७)—

मियाद—के लिये—देखो मद न १८२, १८३ एक्ट **मियाद—तारीख इजराय नोटीस** से हाई कोर्ट कलकत्ता की राय में वह तारीख मुराद है की जिस तारीख को नोटिस दर असल जारी किया गया न कि वह तारीख जिस को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया गया—(कलकत्ता वीकली नोट जिल्द ६ सफा ६५६)—मगर हाई कोर्ट बम्बई वो अलाहाबाद की यह राय हुई कि तारीख इजराय नोटिस से वह तारीख मुराद है, जिस को अदालत ने नोटिस जारी करने का हुक्म दिया, न कि वह तारीख जिस को नोटिस दर असल जारी हुआ—(इ ला. रि. बम्बई जिल्द २८ सफा ४१६ वो इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द ३० सफा ५३६ (—

बाद जारी होने इत्तलानामा के कार्रवाई

२३ (१) जब वह शख्स जिस के नाम ऊपर लिखे हुए कायदा के मुताबिक इत्तलानामा जारी किया जाये, हाजिर न आये या अदालत के इतमानान के लायक जायज वजह वास्ते न जारी किये जाने डिकरी के पेश नहीं करे, तो अदालत हुक्म इजराय डिकरी का सादिर करेगी

[२] अगर वह इजराय डिकरी के निस्बत कुछ एतराज पेश करे, तो अदालत उस एतराज पर गौर करके ऐसा हुक्म सादिर करेगी जो उस के नजदीक मुनासिब मालूम हो

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २४८ से कायम किया गया है.

जो हुक्म इस कायदे के बमूजिब सादिर किया जाये, उस की अपील बमूजिब दफा ४७ के हो सक्ती है (इ. ला रि ११ मदरास सफा १३०).

इस कायदे के बमूजिब अगर कोई भी फरीक हाजिर न हो तो दरखास्त इजरा बिलकुल खारिज कर देना चाहिये (इ ला. रि २० बम्बई सफा ५४१).

हुक्मनामा इजराय डिकरी.

२४ (१) बाद होने कार्रवाई इब्तदाई के [अगर कुछ हो] जो ऊपर लिखे हुये कायदे के रू से जरूरी हो, अदालत हुक्मनामा वास्ते इजराय डिकरी जारी करे, तावक्ते कि उस के नजदीक कोई वजह खिलाफ उस के मालूम हो

इजराय के लिये हुक्मनामा

(२) इजराय डिकरी के हर हुक्मनामे पर हुक्मनामे के जारी होने की तारीख और व दिन दस्तखत जज या और ओहदेदार के, जिस को अदालत उस काम के लिये मुकर्रर करे, दर्ज होंगे, और अदालत की मोहर लगाकर हुक्मनामा मजकूर मुनासिब ओहदेदार को तामील के लिये हवाला किया जायगा

(३) हर ऐसे हुक्मनामा में वह खास तारीख लिखदी जायगी, जिस को या जिस के पहिले उस की तामील होना चाहिये

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २५० और २५१ (१) से कायम किया है

जब वारन्ट नाजिर के नाम जारी किया गया तो वह उसे चपरासी को तामील के लिये दे सक्ता है [इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २२ सफा ६०४]

वारन्ट में जो मुद्दत मुकर्रर है उस के गुजरजाने के बाद उस की तामील नहीं की जा सक्ती (इ ला रि कलकत्ता जिल्द १० सफा १८). बमूजिब दफा १४८ वह मुद्दत बढ़ाई जा सक्ती है

अगर अदालत का उहदेदार मदयून को गिरफ्तार करे, और गिरफ्तारी के वक्त उसके पास वारन्ट गिरफ्तारी न हो, तो गिरफ्तारी नाजायज समझी जावेगी—(इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ३१८)—

२५ (१) वह ओहदेदार जिस को हुक्मनामा तामील के लिये हवाला हुवा हो उस की पीठ पर लिखेगा कि उस की तामील

हुक्मनामों पर कैफियत लिखना

देरी होगी या कोई बेइन्साफी वाके होगी, तो अदालत का अख्त्यार है कि डिक्री की इजरा बगैर जारी करने नोटिस के मन्जूर करे—अगर नोटिस जारी न किया जाये, जब कि जारी करना जरूर होवे तो कार्रवाई इजराय डिक्री काबिल रद्द होगी, और नीलाम जो इजराय डिक्री में हुआ हो काबिल रद्द होगा—चाहे वैसे नीलाम में जायदाद या माल खुद डिक्रीदार ने या तीसरे फरीक ने खरीदा हो—(इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ४२ सफा ७२ प्रिवी कौंसिल)—इस से कुछ मतलब नहीं है कि जायदाद मनकूला हो या गैर मनकूला हो—(इं ला. रि. कलकत्ता जिल्द २१ सफा ११)—

अगर नोटिस गलत शख्स को दिया जाये, तो कार्रवाई इजराय डिक्री वा नीलाम रद्द न समझा जावे —(इ ला. रि. बम्बई जिल्द २५ सफा ३३७)—

मियाद—के लिये-देखो मद न १८२, १८३ एक्ट **मियाद—तारीख इजराय नोटीस** से हाई कोर्ट कलकत्ता की राय में वह तारीख मुराद है की जिस तारीख को नोटिस दर असल जारी किया गया न कि वह तारीख जिस को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया गया—(कलकत्ता वीकली नोट जिल्द ६ सफा ६५६)—मगर हाई कोर्ट बम्बई वो अलाहाबाद की यह राय हुई कि तारीख इजराय नोटिस से वह तारीख मुराद है, जिस को अदालत ने नोटिस जारी करने का हुक्म दिया, न कि वह तारीख जिस को नोटिस दर असल जारी हुआ—(इं ला. रि. बम्बई जिल्द २८ सफा ४१६ वो इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द ३० सफा ५३६ (—

बाद जारी होने इत्तलानामा के कार्रवाई

२३ (१) जब वह शख्स जिस के नाम ऊपर लिखे हुए कायदा के मुताबिक इत्तलानामा जारी किया जाये, हाजिर न आये या अदालत के इतमानान के लायक जायज वजह वास्ते न जारी किये जाने डिकरी के पेश नहीं करे, तो अदालत हुक्म इजराय डिकरी का सादिर करेगी

[२] अगर वह इजराय डिकरी के निस्वत कुछ एतराज पेश करे, तो अदालत उस एतराज पर गौर करके ऐसा हुक्म सादिर करेगी जो उस के नजदीक मुनासिब मालूम हो

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २४८ से कायम किया गया है.

मद्यून डिकरी से ज़मानत तलब करना या उस को शरायत का पाबन्द करना

जायदाद् या रिहा करने मद्यूम डिकरी के सादिर किये जाने के पहले अदालत मद्यून डिकरी से उस कद्र ज़मानत तलब करे या उस को ऐसी शरतों का पायन्द करे जो अदालत को मुनासिब मालुम हों

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २३६ वो २४० से कुछ तबदीलयों के साथ कायम किया गया है

इजरा की मुलतवी सिर्फ वह अदालत कर सक्ती है जिस में इजरा के लिये डिकरी भेजी गई और ऐसी मुलतवी सिर्फ चन्द रोज के लियेहो सक्ती है—(इ ला रि, अलाहाबाद जि० ७ सफा ३३०)—

मुद्दायलेह की दरख्वास्त या उजरदारी पर अदालत इस गरज से कारवाई मुलतवी कर सकती है कि वह ऐसे उजरात पेश करे कि जिन का फैसला डिकरी जारी करने वाली अदालत नहीं कर सक्ती, मसलन,

(१) डिकरी का एक तरफा वो बिला नोटिश मुद्दायलेह के सादिर किया जाना (१८ वीक्ली रिपोर्ट सफा २०२).

(२) डिकरी का बर बिना फरेब हासिल करना (इ. ला रि मदरास जि० ४ सफा ३२४)

(३) डिकरी का बिला अख्तयार अदालत सादिर किया जाना (इ. ला रि बम्बई जि० ७ सफा ४८१)

(४) डिकरी में दर्ज की हुई रकम का गलत होना (९ वीक्ली रिपोर्ट सफा ३६१).

(५) डिकरी के इजरा का हुक्म बेजा तौर पर सादिर किया गया याने कायदा २२ के बमूजिब नोटिश देने के बगैर—(इ ला रि. कलकत्ता जि० १३ सफा २५७).

इस कायदे से इस बात की मुमानियत नहीं है कि वह अदालत, जिस में डिकरी इजरा के लिये भेजी गई है, अपने वे अख्तयारात अमल में न लावे जो वह खुद अपने अदालत के सादिर की हुई डिकरी में लाती—(इ. ला रि कलकत्ता जि० २३ सफा ३९–४३)—जिस हुक्म के जरिये जमानत तलब

किस दिन और किस तरह हुई, और अगर तामील उस दिन के बाद हुई हो जो तामील का आखिर दिन मुकर्रर किया गया था, तो देरी की वजह लिखी जायगी या अगर तामील न हुई हो तो तामील न होने का सबब लिखा जायगा, और ओहदादार मजकूर ऐसी इबारत जोहरी लिख कर हुक्मनामा को अदालत में वापिस करेगा.

[२] अगर लिखी हुई कैफियत इस मजमून की हो कि ओहदेदार मजकूर ने हुक्मनामा की तामील न कर सका तो ऐसी सूरत में अदालत उस के तामील न करने के वजह के बाबत उस का इजहार लेगी, और अगर मुनासिब समझे तो उस की तामील न होने के निसबत भी गवाहों को तलब करके उन का इजहार ले, और नतीजा तहकीकात का तहरीर करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २४३ वो २५१ के आखी हिस्से से कायम किया गया है

इलतिवा याने, इजराय डिकरी का मुलतवी किया जाना

२६ [१] उस अदालत को जिस में डिकरी इजरा के लिये भेजी गई हो अगर काफी वजह बतलाई जाय तो डिकरी के इजरा को एक मुनासिब मियाद के लिये इस मतलब से मुलतवी रखे कि मदयून डिकरी उस अदालत में, जिस ने डिकरी सादिर की हो या किसी और अदालत में जो अख्त्यार सुनाई करने अपील निसबत डिकरी मजकूर या उस के इजरा का रखती हो, इस बात की दरखास्त करे कि हुक्म वास्ते मुलतवी इजराय डिकरी के सादिर हो या कोई और हुक्म मुताल्लुक डिकरी या इजराय डिकरी के सादिर हो जो ऐसी अदालत इब्तदाई या अदालत अपील उस हालत में सादिर करने की मजाज होती जब कि डिकरी उसी अदालत से जारी की जाती या जब कि दरखास्त इजरा की उसी अदालत में गुजरती—

अदालत कब इजरा को मुलतवी कर सक्ती

(२) अगर जायदाद या मदयून डिकरी की जात इजराय डिकरी में कुर्क या गिरफतार हो गई हो, तो वह अदालत जिसने हुक्मनामा इजरा का जारी किया हो यह हुक्म दे सकी है कि नतीजा उस दरख्वास्त का मालूम होने तक जो वास्ते सादिर होने हुक्म मुन्दरजा सदर के गुजरी हो जायदाद मकरूका वापिस दी जाये या मदयून रिहा किया जाय

[३] हुक्म मुलतवी किये जाने इजरा का या हुक्म वास्ते वापिस देने

मद्यून डिकरी से जमानत तलब करना या उस को शरायत का पाबन्द करना

जायदाद या रिहा करने मद्यून डिकरी के सादिर किये जाने के पहले अदालत मद्यून डिकरी से उस कद्र जमानत तलब करे या उस को ऐसी शर्तों का पाबन्द करे जो अदालत को मुनासिब मालुम हों

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २३६ वो २४० से कुछ तबदीलयों के साथ कायम किया गया है

इजरा की मुलतवी सिर्फ वह अदालत कर सक्ती है जिस में इजरा के लिये डिकरी भेजी गई और ऐसी मुलतवी सिर्फ चन्द रोज के लियेहो सक्ती है—(इ ला रि. अलाहाबाद जि० ७ सफा ३३०)—

मुद्दायलेह की दरखास्त या उजरदारी पर अदालत इस गरज से कार्रवाई मुलतवी कर सकती है कि वह ऐसे उजरात पेश करे कि जिन का फैसला डिकरी जारी करने वाली अदालत नहीं कर सक्ती, मसलन,

(१) डिकरी का एक तरफा वो बिला नोटिश मुद्दायलेह के सादिर किया जाना (१८ वीक्ली रिपोर्ट सफा २०२).

(२) डिकरी का बर बिना फरेब हासिल करना (इ. ला रि मद्रास जि० ४ सफा ३२४).

(३) डिकरी का बिला अख्त्यार अदालत सादिर किया जाना (इ. ला रि बम्बई जि० ७ सफा ४८१)

(४) डिकरी में दरज की हुई रकम का गलत होना (६ वीक्ली रिपोर्ट सफा ३६१)

(५) डिकरी के इजरा का हुक्म बेजा तौर पर सादिर किया गया याने कायदा २२ के बमूजिब नोटिश देने के बगैर—(इ ला रि. कलकत्ता जि० १३ सफा २५७).

इस कायदे से इस बात की मुमानियत नहीं है कि वह अदालत, जिस में डिकरी इजरा के लिये भेजी गई है, अपने वे अख्त्यारात अमल में न लावे जो वह खुद अपने अदालत के सादिर की हुई डिकरी में लाती—(इ. ला रि. कलकत्ता जि० २३ सफा ३६–४१)—जिस हुक्म के जरिये जमानत तलब

किस दिन और किस तरह हुई, और अगर तामील उस दिन के बाद हुई हो जो तामील का आखिर दिन मुकर्रर किया गया था, तो देरी की वजह लिखी जायगी या अगर तामील न हुई हो तो तामील न होने, का सबब लिखा जायगा, और ओहदेदार मजकूर ऐसी इबारत ओहरी लिख कर हुक्मनामा को अदालत में वापिस करेगा

[२] अगर लिखी हुई कैफियत इस मजमून की हो कि ओहदेदार मजकूर ने हुक्मनामा की तामील न कर सका तो ऐसी सूरत में अदालत उस के तामील न करने के वजह के बाबत उस का इजहार लेगी, और अगर मुनासिब समझे तो उस की तामील न होने के निसबत भी गवाहों को तलब करके उन का इजहार ले, और नतीजा तहकीकात का तहरीर करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २४३ वो २५१ के आखरी हिस्से से कायम किया गया है.

इलतिवा याने, इजराय डिकरी का मुलतवी किया जाना

२६ [१] उस अदालत को जिस में डिकरी इजरा के लिये भेजी गई हो अगर काफी वजह बतलाई जाय तो डिकरी के इजरा को एक मुनासिब मियाद के लिये इस मतलब से मुलतवी रखे कि मदयून डिकरी उस अदालत में, जिस ने डिकरी सादिर की हो या किसी और अदालत में जो अखत्यार सुनाई करने अपील निसबत डिकरी मजकूर या उस के इजरा का रखती हो, इस बात की दरखास्त करे कि हुक्म वास्ते मुलतवी इजराय डिकरी के सादिर हो या कोई और हुक्म मुताल्लुक डिकरी या इजराय डिकरी के सादिर हो जो ऐसी अदालत इब्तदाई या अदालत अपील उस हालत में सादिर करने की मजाज होती जब कि डिकरी उसी अदालत से जारी की जाती या जब कि दरखास्त इजरा की उसी अदालत में गुजरती—

अदालत कब इजरा को मुलतवी कर सकी

(२) अगर जायदाद या मदयून डिकरी की जात इजराय डिकरी में कुर्क या गिरफतार हो गई हो, तो वह अदालत जिसने हुक्मनामा इजरा का जारी किया हो यह हुक्म दे सकी है कि नतीजा उस दरखास्त का मालूम होने तक जो वास्ते सादिर होने हुक्म मुन्दरजा सदर के गुजरी हो जायदाद मकरूका वापिस दी जाये या मदयून रिहा किया जाय

[३] हुक्म मुलतवी किये जाने इजरा का या हुक्म वास्ते वापिस देने

२६ अगर किसी अदालत में कोई नालिश उस शख्स की तरफ से

नालिश दरमियान डिकरीदार और मदयून डिकरी के फैसला होने तक इजरा का मुलतवी होना

जिस पर उसी अदालत की डिकरी हो डिकरीदार के नाम दायर हो,तो अदालत,अगर मुनासिब समझे नालिश मुलतवी या उस के फैसला होने तक ऐसी डिकरी का इजरा बपाबन्दी शरायत जमानत दीगर हुक्म के मुलतवी रखे

तशरीह:— यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २४३ से कायम किया गया है

इस कायदे के मुताबिक इजरा डिकरी मुलतवी करने हुक्म से डिकरी का इजरा मुलतवी करना मुराद है मगर वैसे हुक्म से डिकरी की तबदीली नहीं होती है—ऐसा हुक्म अदालत डिकरी सादिर करने वाली या उस का इजरा करने वाली अदालत बतौर कार्रवाई इजरा डिकरी के बमूजिब दफा ४७ के दे सक्ती है—[इ ला रि. २६ मदरास सफा ७८०]

रहन के डिकरीदार को उस झगड़ से कुछ ताल्लुक नहीं है जो उस के रहिन के कायम मुकामान जायज में पैदा हों—ऐसे झगड़ों के निसबत नालशात का दायर किया जाना कोई वजह इजराय डिकरी मुलतवी करने की नहीं है (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ७ सफा ७३३).

इजरा के मुलतवी करने के ना मन्जूरी के हुक्म से अपील हो सक्ती है (इ. ला रि २० मदरास सफा ३६६) और मुलतवी किये जाने के हुक्म से भी अपील हो सक्ती है(इ ला. रि १३ कलकत्ता सफा १११).

मगर अब दफा ४७ की रू से हुक्म निसबत मुलतवी इजराय डिक्री काबिल अपील नहीं है

तरीका इजरा डिकरी.

३० हर एक डिक्री वास्ते अदाई रूपया नक्दी के बशमूल उस डिकरी

डिकरी वास्ते अदाई रुपया नक्दी के

जो वास्ते अदाई जर नक्द बतौर बदला किसी और तरह की दादरसी के हो, इस तरह जारी हो, सक्ती है कि मदयून डिकरी जहलखाना दीवानी में भेजा जाय, या उस की जायदाद कुर्क और नीलाम की जाय, या दोनों तरीकों से

की जाये उस में एक ऐसा दिन मुकर्रर करना चाहिये कि जिस को या जिस के पेश्तर जमानत दाखिल की जाये (मदरास ला जरनल जि० १२ सफा ३४)—जमानत तलब करने के हुक्म से अपील हो सक्ती है–(इ॰ ला रि कलकत्ता जि० १२ सफा ६२४)

जमानत नामा स्टाम्प कागज पर लिखा जायगा और उस पर आठ आने का कोर्ट फी स्टाम्प लगेगा—

रिहा पाये मदयून डिकरी की जिम्मेदारी।

२७ मदयून डिकरी की जात या जायदाद की रिहाई जो कायदा २६ के बमूजिब अमल में आय, याने इस बात की न होगी कि जायदाद या जात मदयून की फिर से इजरा डिकरी में जो इजरा के लिये भेजी गई हो कुर्क या गिरफतार न की जाय.

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २४१ से कायम किया गया है—

आम तौर से हुक्म कानून यह है कि जब कोई करजदार एक मरतबे किसी डिकरी के इजरा में गिरफतार हो कर रिहा कर दिया जाये तो वह करजदार दुबारा उसी डिकरी के इजरा में गिरफतारी के काबिल न होगा (इ ला. रि. कलकत्ता जि० २० सफा ८७४) मगर ऊपर लिखे कायदा न. २७ में ऐसे कायदे का मुसतसना दर्ज है जिस का मतलब यह है कि जो शख्स कायदा न २६ के फिकरा २ के बमूजिब रिहा किया जाय वह फिर से कायदा न २७ के बमूजिब काबिल गिरफतारी होगा

डिकरी सादिर करने वाला अदालत या अदालत अपील के हुक्म की पाबन्दी उस अदालत पर जिस में दरख्वास्त दी जाय

२८ उस अदालत का हर हुक्म जिस ने डिकरी सादिर की हो, या उस अदालत अपील का जिस का जिकर ऊपर किया गया है, ऐसी इजरा डिकरी के निसबत उस अदालत पर तामील करने के काबिल होगा जिस में डिकरी इजरा के लिये भेजी गई हो

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २४२ से कायम किया गया है.

जब डिकरी जारी करने वाली अदालत ने डिकरीदार को कब्जा दिला दिया है तो अदालत डिकरी सादिर करने वाली उस कार्रवाई को मसूख नहीं कर सक्ती है–[इ॰ ला॰ रि अलाहाबाद जि० ७ सफा ७२].

२९ अगर किसी अदालत में कोई नालिश उस शख्स की तरफ से जिस पर उसी अदालत की डिकरी हो डिकरीदार के नाम दायर हो, तो अदालत, अगर मुनासिब समझे नालिश मुलतवी या उस के फैसला होने तक ऐसी डिकरी का इजरा बपाबन्दी शरायत जमानत दीगर हुक्म के मुलतवी रखे

नालिश दरमियान डिकरीदार और मदयून डिकरी के फैसला होने तक इजरा का मुलतवी होना

तशरीह:— यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २४३ से कायम किया गया है

इस कायदे के मुताबिक इजरा डिकरी मुलतवी करने हुक्म से डिकरी का इजरा मुलतवी करना मुराद है मगर ऐसे हुक्म से डिकरी की तबदीली नहीं होती है—ऐसा हुक्म अदालत डिकरी सादिर करने वाली या उस का इजरा करने वाली अदालत बतौर कार्रवाई इजरा डिकरी के बमूजिब दफा ४७ के दे सक्ती है—[इ ला रि. २६ मदरास सफा ७८०].

रहन के डिकरीदार को उस झगड़ से कुछ ताल्लुक नहीं है जो उस के राहिन के कायम मुकामान जायज में पैदा हों—ऐसे झगड़ों के निसबत नालशात का दायर किया जाना कोई वजह इजराय डिकरी मुलतवी करने की नहीं है (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ७ सफा ७३३)

इजरा के मुलतवी करने के ना मन्जूरी के हुक्म से अपील हो सक्ती है (इ ला रि. २० मदरास सफा ३६६) और मुलतवी किये जाने के हुक्म से भी अपील हो सक्ती है(इ ला. रि १३ कलकत्ता सफा १११).

मगर अब दफा ४७ की रू से हुक्म निसबत मुलतवी इजराय डिक्री काबिल अपील नहीं है

तरीका इजरा डिकरी.

३० हर एक डिक्री वास्ते अदाई रूपया नक्दी के बशमूल उस डिकरी जो वास्ते अदाई जर नक्द बतौर बदला किसी और तरह की दादरसी के हो, इस तरह जारी हो, सक्ती है कि मदयून डिकरी जहलखाना दीवानी में भेजा जाय, या उस की जायदाद कुर्क और नीलाम की जाय, या दोनों तरीकों से

डिकरी वास्ते अदाइ रूपया नक्दी के

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २५४ से कायम किया गया है

३१ (१) अगर डिकरी किसी खास चीज मनकूला, या किसी खास चीज मनकूला के हिस्सा पाने के बाबत हो, तो उस की इजरा इस तौर पर होगी कि चीज मनकूला या हिस्सा मजकूर पर कब्जा किया जायगा, अगर मुमकिन हो, और उस फरीक के सुपुर्द किया जायगा, कि जिस के हक में डिकरी हुई हो, या उस शख्स को दिया जायगा जिस को डिकरीदार ने अपनी तरफ से उस के लेने के वास्ते मुकर्रर किया हो या मदयून डिकरी दीवानी जहल में भेजा जायगा, या जायदाद उस की कुर्क की जायगी, या दोनों तरीकों से,

डिकरी बाबत किसी खास चीज मनकूला के

(२) जब कोई कुरकी जो जिमन [१] के बमूजिब हुई हो छे महिने तक कायम रही हो, और अगर मदयून डिकरी ने उस डिकरी की तामील न की हो, और डिकरीदार ने वास्ते नीलाम कराने जायदाद मकरूका के दरखास्त दिया हो, तो वह जायदाद नीलाम की जायगी

और अदालत को अखत्यार है कि जर समन नीलाम से डिकरीदार को उस कदर रूपया दिलाय, जो डिकरी के रू से किसी मनकूला चीज के बदले मुकर्रर किया गया हो, और दूसरे सूरतों में उतना हरजा दिलाय जो अदालत को मुनासिब मालूम हो, और बकाया (अगर कुछ रहे) मदयून को उस की दरखास्त पर दे

(३) अगर मदयून डिकरी ने डिकरी की तामील करदी हो और इजरा का कुल खरचा अदा कर दिया हो जो उस के जिम्मे देना वाजिब था, या अगर तारीख कुरकी से छे महिना गुजरने तक कोई दरखास्त वास्ते नीलाम कराने जायदाद के न दी हो, या दी जाकर ना मंजूर हुई हो, तो कुरकी उठ जायगी

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २५६ से कायम किया गया है.

हर एक डिकरी बाबत माल मनकूला में नक्दी मालियत की तादाद बमूजिब आर्डर न २० कायदा न १० इस गरज से लिखी जाती है कि अगर मुद्दई को माल न मिले तो उतना रूप्या दिलाया जाय—याने मुद्दायलेह को यह अखत्यार दिया जाता है कि आया वह माल मुद्दई के हवाला करे या उस की कीमत दे पस रूपया उसी हालत में मुद्दई को मिलेगा कि जब उसे माल न मिल सके (मदरास ला. जरनल जिल्द १३ सफा ४४४)

यह कायदा उस सूरत में लागू न होगा, जब कि माल जिस की कुरकी

कराना मञ्जूर है—मदयून के कब्जा में न हो—(कलकत्ता वीकली नोट जिल्द १ सफा १)

३२ [१] अगर वह फरीक जिस पर डिकरी वास्ते तामील खास किसी माद्दा के, या वास्ते दिलाय जाने हक रूखसती के, या वास्ते हुक्म इम्तनाई के, सादिर हुई हो, डिकरी तामील करने का मौका पा चुका हो, और जान बूझ कर उस की तामील न करता हो, तो डिकरी की तामील ज़बरदस्ती इस तौर से कराई जाय कि वह दीवानी जहल में भेजा जाय, या, उस की जायदाद कुर्क की जाय, या दोनों तरीकों से

डिकरी वास्ते तामील खास या दिलाय जाने हुकूक रूखसती के या वास्ते हुक्म इम्तनाई के

(२) जब कि वह फरीक जिस पर से डिकरी वास्ते तामील खास या वास्ते हुक्म इम्तनाई के सादिर हुई हो, कारपोरेशन हो, तो बजरिये कुरकी जायदाद कारपोरेशन, या अदालत के इजाजत से उस के डायरेक्टर या दीगर आला अफसर को दीवानी जहल में रख कर, या बजरिये कुरकी वो कैद दोनों के तामील की जायगी

(३) जब कोई कुरकी शिकमी कायदा (१) या (२) के रू से हो और एक बरस तक कायम रही हो, और अगर मदयून डिकरी ने डिकरी की तामील न की हो, और डिकरीदार ने जायदाद मकरूका को नीलाम होने की दरख्वास्त दी हो तो वह जायदाद नीलाम की जाय और अदालत जर समन नीलाम से उस कदर हरजा जो अदालत को मुनासिब मालूम हो डिकरीदार को दिलाये और अगर बकाया (अगर कुछ रहे) तो मदयून डिकरी को उस की दरख्वास्त पर देदे

(४) अगर मदयून डिकरी ने डिकरी की तामील करदी और खरचा का कुल खरचा दे दिया हो जो उस के जिम्मे देना वाजिब था, या अगर तारीख कुरकी से एक बरस के खतम होने के वक्त कोई दरख्वास्त वास्ते नीलाम कराने जायदाद के न गुजरी हो, या गुजरी हो, या गुजर कर ना मन्जूर हुई हो, तो कुरकी कायम न रहेगी

(५) अगर डिकरी वास्ते तामील खास किसी माद्दा के या वास्ते हुक्म इम्तनाई के सादिर हुई हो, और उस की तामील न हुई हो तो अदालत को अख्तियार है कि ऊपर लिखे हुये कुल हुक्मनामा या उस में से किसी के बदले में या उन के अलावा हुक्म दे कि वह काम जिस्के किये जाने का मतलब है जहां तक मुमकिन हो डिकरीदार से या और कोई शख्स से जिसे अदालत मदयून डिकरी के खरचे से मुकर्रर करे, किया जावे और ऐसे काम किये जाने का जो खरचा हो वह उस तरीके पर दरयाफ्त किया जायगा जिस्का अदालत हुक्म दे और वह खरचा इस तरह पर वसूल किया जाय कि मानो डिकरी में दाखिल है

तमसील.

(क) ने जो एक गरीब आदमी है एक मकान बनाया जिस्के सबब से (ख) की खानदानी इमारत रहने के काबिल न रही, (क) ने बा वजूद रहने कैद और कुरकी जायदाद के उस डिकरी की तामील नहीं की जो (ख) ने उस पर उस वक्त मकान गिरा देने के निसबत हासिल की अदालत के नजदीक (क) की जायदाद की बिकरी से (ख) की इमारत की कमी मालियत का पूरा नहीं हो सक्ता पस (ख) अदालत में दरख्वास्त दे सक्ता है (क) का मकान गिरा दिया जाय और (क) से इजरा डिकरी में खरचा मकान गिराने का पा सक्ता है

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २६० से कायम किया गया है शिकमी कायदा (५) नया है

जब कि डिकरी में कोई काम किसी खास दिन पर करने का हुक्म है और उस दिन अदालत बन्द रहे तो जिस जिस कचेहरी खुले उस दिन वह काम जाना चाहिये (१० कलकत्ता वीक्ली नोट सफा ५३५)

अदालत इस कायदे के मुताबिक हुक्म बिला जारी करने नोटिस बनाम मदयून डिकरी के निसबत करने तामिल हुक्म डिकरी के दे सक्ती है, वह डिकरीदार को डिकरी बजरिये कुरकी जारी करने की इजाजत भी दे सक्ती है गो उस ने इमारत के तोड़ देने की दरखास्त की थी (इ ला. रि. कलकत्ता जि० ३३ सफा ३०६).

कोई डिकरी जिस में मदयून डिकरी को कोई काम करने का हुक्म है और उस के जरिये से डिकरीदार का हक खिलाफ उस के करार दिया गया है तो वह डिकरी काबिल इजरा के है (इ ला रि. कलकत्ता जि० २१ सफा ७८४ प्रीवी कौंसिल)

हिन्दू या मुसलमानों में डिकरी तामील शरायत अजदवाज की तामील इस कायदे के रू से हो सक्ती है—(इ. ला रि बम्बई जि० १ सफा १६४)

कोई हुक्म जिस में यह लिखा हो कि औरत अपने खाविन्द के घर वापिस चली जावे बतौर ऐसे हुक्म के नहीं है जिस की जबरन तामील इस कायदे में दर्ज

किये हुऐ तरीके के मुताबिक हो सके क्योंकि यह किसी खास काम के करने के बाबत हुक्म नहीं है–(१४ बंगाल ला रि सफा २९८).

कोई शख्स जिसे यह हुक्म दिया गया हो कि अपनी लड़की को उस के खाविन्द के घर जाने से न रोके और वह उसे अपने घर न रहने दे तो यह हरकत उस की दस्तनदाजी की हद तक नहीं पहुचती है [इ. ला रि १ अलाहाबाद सफा ५०१].

कोई डिकरी जिस में हुक्म है कि मदयून उस कदर दीवाल का हिस्सा गिरा कर अलेहदा कर देवे जितना उस ने डिकरीदार के दीवाल पर बनाया है उस की इजरा इस कायदे के रू से हो सक्ती है कोई दरखास्त जो मदयून डिकरी से दीवाल गिरा कर कब्जा दिलाये जाने के बाबत हो वह काबिल मन्जूरी नहीं है (इ ला रि कलकत्ता जि० ८ सफा १७४)

एक्ट मियाद के जमीमा २ का मद १७६ इस कायदे के रू से जो दरखास्त दी जाय उस में लागू नहीं है (इ ला. रि अलाहाबाद जि० २८ सफा ३००)—

अख्त्यार अदालत निसबत इजराय डिकरी के जो वास्ते दिलाय जाने हकूक रुखसता के हो

३३ (१) बावजूद किसी मजमून कायदा (३२) के अदालत डिकरी सादिर करने के वक्त वास्ते दिलाय जाने हक्क रुकसती के, या बाद उस के किसी वक्त, हुक्म दे सक्ती है कि डिकरी की इजरा इस तरह न हो कि औरत मदयून कैद किया जाय

(२) अगर अदालत ने जिमन (१) के बमूजिब हुक्म सादिर किया हो, और डिकरीदार औरत हो, तो अदालत हुक्म दे सक्ती है कि एक मुकर्रर की हुई मुद्दत के अन्दर जो इस के लिये मुकर्रर की जावे डिकरी की तामील न होने के सूरत में डिकरीदार को मदयुन डिकरी वक्त मुकर्रर पर एक मुनासिब रकम दिया करे, और अगर मुनासिब समझे तो यह हुक्म दे कि मदयून डिकरी अदालत के इतमीनान के लायक डिकरीदार को ऐसी रकम मुनासिब की जमानत देदे

(३) अदालत को अख्त्यार है कि वक्त अदाई को बदल कर या रकम घटा बढ़ा कर उस हुक्म को वक्तन फवक्तन बदलती या उस में तरमीम करती रहे जो जिमन [२] के बमूजिब अदाई रकम मुकर्ररा की बाबत सादिर हुआ हो या हुक्म मजकूर को जो निसबत अदाई कुल या जुज रकम मजकूर के हो कुछ

रोज के लिये मुलतवी रखे, और फिर कुल या जुज्ज उस को नया करे जैसा कि वह मुनासिब समझे

(४) जिस रकम के अदा करने का हुक्म इस कायदे के बमूजिब दिया जाय वह इस तरह वसूल की जा सकेगी कि मानो वह जर डिकरी वाज बुलमदा है

तशरीह.—यह कायदा नया है

जिस फिरके का मुद्दई है अगर उस में यह रिवाज है कि औरत बच्चा होने के बाद अपने खाविन्द से अलेहदा रहे तो जब तक वह रस्म अदा न हो जाये, तब तक अदालत का उस को अपने खाविन्द के घर जाने का हुक्म देने से इनकार करना दुरुस्त है (२३ वीकली रिपोर्टर सफा २२)

अगर किसी हिन्दू औरत के खाविन्द की आदत उस के साथ बे रहेमी का बरतावा करने की हो तो वह अपने खाविन्द के साथ रहने से इनकार कर सकी है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा ८४)

डिकरी वास्ते तहरीर दस्तावेज या तहरीर इबारत बेचने की ऊपर पुश्त दस्तावेज काबिल बै व शरा के

३४ (१) अगर वास्ते तहरीर किसी दस्तावेज या वास्ते तहरीर इबारत बिकरी ऊपर पुश्त किसी दस्तावेज काबिल बै व शरा के हो और मदयून डिकरी, डिकरी की तामील न करे या तामील करने से इनकार करे, तो डिकरीदार मजाज होगा कि डिकरी की शर्त के मुताबिक मसौदा दस्तावेज या फरोख्त की इबारत का तयार करके अदालत के हवाले करे

(२) उस वक्त अदालत ऐसे मसौदा की तामील मदयून डिकरी पर करावेगी और उस के साथ एक इत्तला तहरीरी इस अमर का जारी होगा कि अगर मदयून अपने उजरात (अगर कुछ उजर हो) उस मुद्दत में जो इतलानामा में दर्ज है पेश करे जो अदालत उस के लिये मुकर्रर करे

(३) अगर मदयून डिकरी ऐसे मसौदे पर एतिराज़ रखता हो, तो उस के उजारत तहरीरी मुकर्ररा मियाद के अन्दर पेश हो और अदालत उस मसौदा की मनजूरी या तबदीली के निसबत जो हुक्म मुनासिब समझे सादिर करेगी

(४) डिकरीदार को यह भी अख्त्यार है कि मसौदा की नकल मै उस तबदीली के जो अदालत के हुक्म से की जाय स्टाम्प वाजिब कीमत पर अगर स्टाम्प कानून मजारिया वक्त के रू से दरकार हो अदालत में पेश करे और जज या वह ओहदेदार जिस को अदालत ने इस काम पर मुकर्रर किया हो इस तरह पेश किये हुए दस्तावेज को तहरीर करेगा

(५) किसी दस्तावेज की तहरीरी या किसी दस्तावेज काबिल ये वो शरा की इबारत फरोख्त की तहरीर जो हस्ब शरायत इस कायदा के हो इस नमूने से की जाय। याने

"(ग) (घ) जज अदालत मुकाम
[या जैसी सूरत हो] तरफ से [क] [ख], के व मुकद्दमे [ङ] [च] बनाम [क] [ख]", और अदालत की तरफ से उस को तकमील किया जाना वही असर रखेगा कि गोया उसी फरीक ने जिस को दस्तावेज या इबारत फरोख्त के तहरीर का हुक्म हुआ था दस्तावेज को तकमील की या दस्तावेज काबिल ये वो शरा की पीठ पर फरोख्त की इबारत लिखी

(६) अदालत या वह उहदेदार जिस को अदालत ने इस काम पर मुकर्रर किया हो, दस्तावेज मजकूर का रजिस्टी करायगा अगर उस को रजिस्टी कानून मजारिये वक्त की रू से जरूरी हो या अगर डिकरीदार रजिस्ट्री कराना चाहे, और अदालत जो हुक्म मुनासिब समझे निसबत अदाई खर्चा रजिस्ट्री के सादिर कर सक्ती है

तशरीह'—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २६१ वो २६२ से कायम किया गया है शिकर्मा कायदा ४ वो ६ नये हैं.

अपील।—दस्तावेज या इबारत जुहरी के मसौदा के निसबत जो उजर पेश हो और उस उजर पर जो हुक्म दिया जाय, वैसे हुक्म की अपील हो सक्ती है (देखो आर्डर न ४३ कायदा १ भ)

डिकरी निसबत जायदाद गैर मनकूला

३५ (१) अगर डिकरी वास्ते दिलाने जायदाद गैर मनकूला के हो तो उस पर उस फरीक को कबजा दिलाया जायगा जिस के हक में डिकरी हुई हो, या जिस शख्स को वह अपनी तरफ से कबजा लेने के वास्ते मुकर्रर करे उस को कबजा दिया जायगा, और अगर कोई शख्स जिस पर डिकरी की पाबन्दी लाजिम है जायदाद को खाली करने से इन्कार करे तो बशर्ते जरूरत वह निकाल दिया जायगा

(२) अगर डिकरी वास्ते दिलाने शामलाती कबजा जायदाद गैर मनकूला के हो तो कबजा इस तरह दिलाया जायगा कि वारंट की एक नकल उस जायदाद के किसी आम नजर गाह पर चस्पा की जायगी, और डिकरी के मजमून का खुलासा मुनादी के जरिये से या किसी दूसरे तरीके से जो जारी हो सुना दिया जायगा

(३) अगर कबजा किसी इमारत या अहाते का दिलाना हो और जायदाद पर कबजा रखने वाला जो डिकरी के रू से कबजा देने पर मजबूर हो अन्दर जाने न देता हो, तो अदालत बाद देने इतला और माकूल सहूलियत,

किसी औरत को जो मुल्क के रिवाज के मुताबिक परदा करती हो, कि वह वहा से चली जाय मार्फत अपने अहलकार के कोई ताला या चिटकनी खोले या तोड डाले या कोई दरवाजा तोड़ डाले या कोई और ऐसा फैल करे जो डिकरी दार को कबजा दिलाने के वास्ते जरूरी हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २६३ से कायम किया गया है शिकमी कायदा २ वो ३ नये हैं.

कोई डिक्रीदार जो कबजा पाने का मुस्तहक है जमीन वो उस पर खड़ी हुई फसल के पाने का मुस्तहक होगा (इ ला. रि. २६ अलाहाबाद सफा ४३८)

कबजे की डिकरी जब एक मरतबा डिकरीदार को कबजा दिलाय जाने के बाद तकमील पा गई, तो बाद को फिर मुद्दई को बेदखल कर दिये जाने पर उस का इजरा दुबारा नहीं हो सक्ता (६ वीक्ली रिपोर्ट मुतफरकात सफा १०८) असली कबजा दिये जाने में बेजाब्तगी होने के वजह से उस का कम असर नहीं होता है (इ ला. रि ५ बम्बई सफा ३८७)

जब कि गाव के कबजा की डिकरी दी गई तो डिक्रीदार उस गाव के मुताल्लुक के किताब हिसाब वो दीगर कागज के कबजा पाने का मुस्तहक है (इ. ला. रि. ११ बम्बई सफा ४८५).

इस कायदा के फिकरा (१) वो (३) में जिस कबजा का जिकर है वो कबजा खास या दर असल कहलाता वो फिकरा (२) में जिस का जिकर है वो कबजा अलामती या जाब्ता का कहलाता है—अलामती कबजा कायदा ३५ (२) ३६ वो ९६ की रू से दिलाया जाता है वो कबजा खास कायदा ३५ (१), (३), वो ९५ की रू से दिलाया जाता है, खास कबजा उस वक्त दिलाया जायगा, जब कि जायदाद गैर मनकूला मदयून के कबजे में हो और अलामती कबजा उस वक्त दिलाया जायगा जब कि जायदाद काश्तकार या दीगर शख्स के कबजे में है—अलामती कबजा का असर मदयून के खिलाफ उसी तरह होगा जैसा कबजा खास का, मगर अलामती कबजा का असर खिलाफ तीसरे शख्सों के जो फरीक डिक्री नहीं है कुछ न होगा—[इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा ५३०]

अलामती वो खास कबजा का असर म्याद पर भी पड़ता है जैसा नीचे लिखी दो तमसीलों से मालूम होगा.

(१) (प) की डिक्री (ड) पर हुई [ड] की कुछ जायदाद इजराय डिक्री में नीलाम हुई, और उसे (अ) ने खरीदा-(अ) ने कब्जा की दरख्वास्त दिया, और उसे अलामती कब्जा दिलाया गया-उस जायदाद पर कबजा दर असल (क) का १७ वर्ष पहिले से यानी (अ) को अलामती कब्जा दिलाने के १० साल पहिले से (क) का कब्जा साबिक दस्तूर कायम रहता-तीन साल के बाद (अ) ने (क) पर असल कब्जा दिला पाने की नालिश दायर किया-(क) ने जवाब दावा में यह उजर दिया कि उस का कबजा १२ साल से ज्यादा का है-इस लिये (अ) की नालिश बेरू मियाद है बमूजिब मद न १४४ एक्ट मियाद [अ] का जवाब है कि उस के अलामती कबजा पाने से (क) के असल कबजा के चालू रहने में बाधा हो गई, और सिलसिला लगातार कबजा का टूट गया-और १२ साल की मियाद अलामती कबजा की तारीख से लगाई जायगी-तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई, कि (अ) की नालिश बेरू मियाद है, क्योंकि (अ) का अलामती कब्जा बतौर कब्जा खिलाफ (क) को कि डिक्री का फरीक नहीं था, नहीं समझा जायगा, इस लिये (क) के असल कब्जा के सिलसिला में कोई टूट नहीं समझी जायेगी-(अ) को अलामती कब्जा पाने से यह नहीं कहा जासक्ता है, कि (क) बेदखल हो गया—(इ ला रि. बम्बई जिल्द १६ सफा ६२०)—

(२) (अ) की डिक्री (ब) पर निस्बत जायदाद गैर मनकूला हुई, जायदाद (ब) के कास्तकारों के कब्जा में हैं इस लिये (अ) को अलामती कब्जा दिलाया गया-बाद को (ब) ने (अ) को बेदखल किया, और लगान वो मुनाफा खुद वसूल किया—(अ) ने (ब) पर असल कब्जा की नालिश किया, ऐसी नालिश में मियाद १२ साल की तारीख बेदखल से शुमार की जायगी—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द ५ सफा ९८४, इजलास कामिल).

इस बात का ख्याल रहे कि जब नालिश असल कब्जा पाने की मदयून पर हो, तो मियाद १२ साल की अलामती कब्जा की तारीख से हो तारीख बेदखली से लगाई जायगी, और अगर नालिश तीसरे शख्स पर हो, जो फरीक डिक्री नहीं हैं तो १२साल की मियाद उस तारीख से लगाई जायगी, जब से उस तीसरे शख्स का कब्जा था—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २४ सफा७१५).

डिकरी वास्ते दिलाने जायदाद गैर मनकूला के जो ब कब्जा असामी के हो

३६ अगर डिकरी वास्ते दिलाने किसी ऐसी जायदाद गैर मनकूला के हो जो असामी के कब्जा या दीगर हकदार शख्स के कब्जा में हो और डिकरी के रू से उस पर वाजब न हो कि वह दखल छोड़ दे, तो अदालत जायदाद मजकूर के किसी नजरगाह आम पर वारन्ट की एक नकल चस्पा करा के दखल दिलाय और सहुलियत के मुकाम पर बजरिये मुनादी या और तौर पर जैसा कि रिवाज हो मजमून डिकरी का निसबत जायदाद मजकूर के शख्स काबिज के आगाही के लिये मुश्तहर करादे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २६४ से कायम किया गया है.

बाद दिये जाने कबजा बराय नाम के मुद्दई मुद्दायलेह को बे दखल करने की नालिश करने का मुस्तहक है (इ. ला. रि. ११ कलकत्ता सफा २३).

अगर डिकरी बटवाड़ा की है और जमीन कास्तकारान के कबजा में है तो कबजा इस कायदे के रू से दिलाया जा सक्ता है (इ. ला. रि. २६ मदरास सफा ७८)

जब एक शख्स कई आदमीयों पर किसी जमीन के कबजे की नालिश करे और उन से सिर्फ कुछ पर डिकरी हासिल करे तो वह इस कायदे के मुताबिक सिर्फ उन शख्सों के हिस्से की जमीन पर कबजा पा सक्ता है जिन पर उसने डिकरी हासिल की है (१३ वीकली रि. सफा १२३)

सायल को बिला मदद अदालत कबजा हासिल कर लेने की कोई मुमानीयत नहीं है (२२ वी. रि. सफा ४०६)

इस कायदे में जिस कबजा का जिकर है वह अलामती कबजा कहलाता है—अलामती वो असल कबजा में क्या फरक है—इसके लिये देखो कायदा ३५ के नोट—

गिरफतारी वो कैद जहलखाना दीवानी में.

अख्त्यार निसबत इजाजन देने मदयून डिकरी के कि वह वजह बतलाय कि कैद क्यों न किया जाय

३७ (१) बावजूद मजमून इन कायदों के अगर दरखास्त बाबत इजराय डिकरी जर नक्द बजरिये गिरफतारी और कैद जहल दीवानी किसी मदयून डिकरी के हो जो दरखास्त मजकूर के बमूजिब गिरफतार हो सक्ता हो तो अदालत का अख्त्यार है कि वारन्ट जारी करने के बदले उस की गिरफतारी का एक इत्तलानामा इस मजमून का जारी करे कि वह इत्तलानामा में मुकर्रर की हुई तारीख पर अदालत में हाजिर होकर वजह इस बात की दिखाये कि वह दीवानी जहेल में क्यों न भेजा जाय—

(२) अगर मदयून डिकरी इत्तलानामा के बमूजिब हाजिर नहो तो अदालत वारन्ट वास्ते उस के गिरफतारी के जारी करे अगर डिकरीदार इस अमर की दरखास्त दे,

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा२४५ (ख) से कायम किया गया है—

याद रखना चाहिये इस बात को कि जो नोटिस याने इत्तलानामा इस कायदे के बमूजिब जारी किया जाय उस की तामील मदयून डिकरी पर होना चाहिये

देखो कायदा ४० वो दफा १३५ (३)—

वारंट गिरफतारी वास्ते पकड़ लाने मदयून डिकरी के

३८ हर वारन्ट में जो मदयून डिकरी के गिरफतारी के लिये हो उस ओहदेदार को जो उस की तामील के लिये मुकर्रर हो यह हिदायत होगी कि वह मदयून डिकरी को अदालत के रूबरू जिस कदर के जल्द सहूलीयत से हो सके हाजिर करे तावक्ते कि रूपया जिस के अदा करने का उस को हुक्म दिया गया था मै सूद और खर्चा के [अगर कुछ हो] उस पर आयेद हुआ हो गिरफतारी से पहले अदा हो जाय

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३३७ से कायम किया गया है

जब किसी वारंट में नाजिर को हुक्म मदयून डिकरी के गिरफतारी का दिया गया है तो वह अपने नायब को उस के पुश्त पर उस का नाम लिख कर तामील

के लिये अखत्यार दे सक्ता है (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ६ सफा३८५).

३६ (१) कोई मद्यून डिकरी उस वक्त तक गिरफतार न किया जायगा जब तक कि डिकरीदाद अदालत में ऐसी रकम जो जज अदालत वास्ते खुराक मद्यून डिकरी जो उस के गिरफतारी के तारीख से अदालत के रूबरू लाने तक के लिये काफी हो अदालत में दाखिल न करदे—

खुराक

(२) जब मद्यून डिकरी किसी डिकरी के इजरा में जहलखाना दीवानी में कैद किया जावे तो अदालत उस के खुराक के लिये ऐसी रकम माहवारी मुकर्रर करेगी जिस का वह बमूजिब नकशा मुनदरजे दफा ५७ के पाने का मुसतहक हो या जब कि ऐसा नकशा मुकर्रर न किया गया हो तो जिस दरजे का वह आदमी हो उस के लिये काफी समझे

(३) माहवारी रकम जो अदालत मुकर्रर करे वह फरीक जिस के दरखास्त पर मद्यून डिकरी गिरफतार किया गया है हर महीने के पहिले दिन के पेशतर माहवारी बतौर पेशगी के देगा,

(४) पहली किस्त महीने के उतने चालू दिन के लिये जो खतम होने के लिये बाकी हैं, मद्यून डिकरी के जहलखाना दीवानी में भेजने के पहिले अदालत मजाज में दी जायगी, और बाद की अदाई [अगर कुछ हो] दीवानी जहल के अफसर को दी जायगी

(५) रकम जो डिकरीदार वास्ते खुराक मद्यून डिकरी जहलखाना दीवानी के खर्च करेगा वह खरचा मुकदमा में शुमार होगा

मगर शर्त यह है कि ऐसे खर्च के बदले में मद्यून डिकरी गिरफतार या जहलखाना दीवानी में कैद नहीं किया जायगा

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३३६ वो ३४० मे कायम किया है

४० (१) अगर मद्यून डिकरी जो अदालत मे इत्तलानामा कायदा ३७ की रू से हाजिर हो, या इजराय डिकरी जर नगद में गिरफतार होकर अदालत के रूबरू लाया जाय और अदालत को मालूम हो कि मुफालसी की वजह से या और माकूल वजह से डिकरी का रुप्या या अगर ऐसे डिकरी का रुपया किस्त से अदा करने को हो तो उस की कोई किस्त अदा नहीं कर सक्ता है, तो अदालत को अखत्यार होगा कि मुनासिब शरतों पर (अगर कुछ हो) दरखास्त गिरफतारी और कैद को ना मन्जूर करे या उस की रिहाई का हुक्म दे जैसा कि मौका हो

कार्रवाई जब मद्यून डिकरी बमूजिब इत्तलानामा के या गिरफतार होकर हाजिर हो

(२) जिमन (१) के मुताबिक हुक्म सादिर करने के पहले अदालत को अख्त्यार है कि बयान डिकरीदार पर नीचे लिखे हुये अमर में से किसी अमर के निसबत ख्याल करे, याने —

(क) डिकरी ऐसे रूप्या की हो जिस्की जवाब देही मदयून डिकरी पर ब हैसियत अमानतदारी के वाजिब है

(ख) मदयून डिकरी का अपने किसी हिस्सा जायदाद को मुन्तकिल करना या छुपाना या हटा देना, बाद तारीख दायरी नालिस के जिसमे डिकरी सादिर हुई हो, या ऐसी तारीख के बाद मदयून डिकरी का अपनी जायदाद के निसबत बदनियती के किसी और काम का करना, इस गरज से कि डिकरीदार के इजराय डिकरी में मुजाहमत या देर हो या ऐसे इजराय को मुजाहमत या देरी का असर पहुचे

(ग) मदयुन डिकरी का अपने दीगर करज ख्वाहों में से किसी को गैर वाजिब तरजीह देना

(घ) मदयुन डिकरी के तरफ से डिकरी के रूप्या या उस के हिस्से की अदाई मे इकार या गफलत, जब उस की इस्तेदाद हो या तारीख डिकरी से रही हो

(ङ) बहतेमाल मदयुन डिकरी के इलाका अदालत से छुपजाने या भाग जाने का, इस मतलब से कि डिकरीदार के इजराय डिकरी में मुजाहमत या देरी हो या ऐसे इजराय को ऐसी मुजाहमत या देरी का असर पहुचे

(३) जब जिमन (२) के किसी अमर पर गौर हो तो अदालत हुक्म देगी कि मदयुन डिकरी दीवानी जहल में भेजा जाय या किसी अलहकार अदालत की हिरासत में रखा जाय या अदालत के मागने के मवाफिक उस की हाजरी की जमानत काफी दाखिल होने पर उस के रिहाई का हुक्म दिया जायगा

(४) मदयुन डिकरी जो इस कायदे के रू से रिहा कर दिया जाय फिर गिरफतार हो सक्ता है

(५) अगर अदालत जिमन (१) के मुताबिक हुक्म न दे, तो वह मदयुन डिकरी को गिरफतार कराय अगर गिरफतार न हुआ हो, और इस मजमूआ के दीगर अहकाम के साथ उस को दीवानी जेहल में भेजे

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३७ (क) से कायम किया गया है

इस कायदे के मुताबिक मदयून डिकरी को गिरफतार करने की दरखास्त ना मन्जूर करने के लिये उस के पागल होने की वजह माकूल है (इं.' ला रि. बम्बई जिल्द २२ सफा १६१)

कुर्की जायदाद.

४१. अगर डिकरी वास्ते अदाई नक्दी रूप्या के हो तो डिकरीदार अदालत में दरख्वास्त वास्ते सादिर होने हुक्म के दे सका है कि

मदयून डिकरी का इजहार उस की जायदाद के निसबत

[क] मदयून डिकरी का,या,

[ख] कारपोरेशन की सूरत में उस के किसी अफसर का, या,

[ग] किसी दूसरे शख्स का,

जबानी इजहार इस बात के निसबत लिया जाय, कि आया मदयून को कुछ करजा पाना है, और अगर है, तो किस कदर पाना है और आया मदयुन डिक्री के पास कोई दूसरी जायदाद या कोई और जरिया डिक्री के अदाई का है, और अगर है तो क्या, और अदालत मदयून डिक्री या अफसर या ऐसे दीगर शख्स की हाजरी और इजहार के वास्ते और वास्ते पेशी किसी किताब या दस्तावेज के हुक्म सादिर करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २६७ से कायम किया गया है.

अगर मदयून ने अपनी जायदाद रहन करदी है, तो वह भी काबिल कुर्की वो नीलाम इजराय डिक्री में बकैद बोझ रहन होगी—देखो दफा ७३ और मुर्तेहन काबिज का इजहार इस कायदा के मुआफिक लिया जा सक्ता है—(इं ला रि. बम्बई जिल्द १७ सफा ५१४)—

किस किस्म की जायदाद कुर्क नहीं हो सक्ती, इस के लिये देखो दफा ६०

४२, अगर डिक्री में निसबत जर लगान (या किराया) या जर वास लात या किसी और मामला के तहकीकात के निसबत हुक्म हो, तो जायदाद मदयून डिकरी की, वह तादाद रूप्या जो उस के जिम्मे देना हो मालूम करने के पहले

कुर्की दरसूरत डिकरी लगान या वासलात या दूसरे मामले की जिस में तादाद बाद को तै होने वाली हो

है जिस तरह कि मामूली नक़्दी रूप्या के हालत

पुराने एक्ट की दफ़ा २५५ से कायम किया

माइन्दा का नान नफ़का (खाना कपड़ा) दिलाया
इस कायदे के रू से वसूल हो सक्ता है (इ ला
१३६).

) पर वास्ते पाने कब्जा जायदाद गैर मनकूला वो
डिक्री इब्तदाई वास्ते हवालगी जायदाद वो मुनाफ़ा
(ब) ने जायदाद का कब्ज़ा (अ) को देदिया—
लेना ज़रूरी था, तो (अ) ने (ब) की कुछ
दिया—ऐसी कुर्की इस कायदा के मुआफिक हो
न हुई हो, और कतई डिक्री सादिर न हुई
सफ़ा ६ देखो आर्डर न २० कायदा १२)—अगर
दौरान तहकीकात हिसाब मुनाफ़ा में मदयून मर
जायज का नाम दर्ज मिसल न हो और डिक्रीदार
म मुकाम के हाथ में हो कुर्क करावे, तो ऐसी
री कलकत्ता जिल्द ३२ सफ़ा २६६, देखो
यदा ६)—

की जायदाद ऐसी मनकूला जायदाद हो जो
र काश्तकारी न हो, और जिस पर मदयून डिकरी
बजा हो, उस की कुरकी ऐसे जायदाद के असली
कर लेने से होगी—और कुरकी करने वाला
नी हिरासत में या अपने किसी मातहत की
असली हिफाजत का जिम्मेदार होगा.

कुर्क की हुई जायदाद उस किस्म की हो जो
ाती है, या जिस की हिफाजत का खर्च उस की
कुरकी करने वाले अहलकार को अख्त्यार
लि

पुराने एक्ट की दफ़ा २६६ से कायम किया गया

४९ [१] उस सूरतों को छोड कर जो दीगर तौर से इस कायदे में
कुरकी जायदाद शराकती हुक्म है जायदाद शराकती कुरकी और नीलाम किसी ऐसे डिकरी के इजराय में न होगी जो ऐसी डिकरी न हो जो फर्म (याने दूकान) या फर्म के शराकतदार के ऊपर बहेसियत उस शराकत के सादिर हो

[२] अदालत उस डिकरीदार के दरखास्त पर जिसकी डिकरी किसी शराकतदार के ऊपर हो हुक्म इस मजमून का सादिर करे कि शराकतदार मजकूर के हक पर जो जायदाद शराकत और उस के मुनाफे में हो जर डिकरी या सूद के मतालबे का बार है, और वह उसी हुक्म या बाद के किसी हुक्म के जरिये से शराकतदार के हिस्सा मुनाफे का [चाहे ऐसा मुनाफा हासिल हो चुका हो या हासिल होने वाला हो] और किसी और नक्दी रूपया शराकत का जो उस को मिलने वाला हो रिसिवर मुकर्रर करके हिसाब और तहकीकात का हुक्म दे, और ऐसे हक के नीलाम का हुक्म या दूसरा हुक्म जो सादिर हो सका है सादिर करे अगर ऐसा शरीकदार व हक डिकरीदार इस्तेहकाक मजकूर का किसी के मतालबे पर बार करता जैसी कि हालत हो

[३] दूसरे शरीकदार या शरीकदारान को अखत्यार होगा कि किसी वक्त हक जेरबार मतालबा का इनफिकाक करालें या नीलाम होने के हालत में उसे खरीद लें

[४] हर दरखास्त बाबत हुक्म जिमन (२) की तामील मदयून डिकरी और उस के शराकतदार या उन में से ऐसे लोगों पर की जायगी जो ब्रिटिश इन्डिया में हो

[५] हर दरखास्त की तामील जो शरीकदार मदयून डिकरी जिमन (३) के बमूजिब दे, डिकरीदार और मदयून डिकरी और दीगर शराकतदार में से ऐसे लोगों पर होगी जो दरखास्त में शामिल न हुये हों और जो ब्रिटिश इंन्डिया में मौजूद हों

[६] तामील जिमन (४) या जिमन (५) के निसबत समझा जावेगा कि कुल शराकतदार पर हुई और कुल अहकाम जो वैसी दरखास्तों पर सादिर किये जांय उन की तामील उसी तरह की जायगी

.. ीए॰ ...या है

इस कायदे कि ...की कुरकी न हो

कि या पर ...साझेदार

० ४

५० (१) जब के डिकरी किसी फर्म के खिलाफ सादिर हुई हो तो
फर्म के खिलाफ इजराय डिकरी उस का इजरा,

[क] खिलाफ किसी जायदाद शराकती,

[ख] खिलाफ उस शख्स के जो खुद अपने नाम से बमूजिब कायदा ६ या ७ आर्डर न ३० के हाजिर आया हो या जिस ने पिलीडिंग में शराकतदार होना कबूल किया हो या जो शराकतदार करार दिया गया हो,

[ग] खिलाफ उस शख्स के जिस पर अकेले बतौर शराकतदार समन तामील हुआ मगर हाजिर नहीं आया,

हो सका है

लेकिन शर्त यह है कि इस शिकमी कायदे के किसी इबारत से दफा २४७ एक्ट माहदा हिन्द सन १८७२ ई० के अहकाम महदूद न होंगे न उन में किसी तरह से असर पहुचायेंगे

(२) जब कि डिकरीदार इस बात का दावा करे कि वह डिकरी अलावा उन शख्सों के जिन का जिकर शिकमी कायदा (१) जिमन (ख) वो (ग) में किया गया है और किसी शख्स बतौर शराकतदार फर्म इजरा कराना चाहता है तो वह उस अदालत में दरखास्त वास्ते मिलने इजाजत दे सका है जिसने डिकरी सादिर की और जब कि जिम्मेदारी के निसबत कोई झगड़ा नहीं है तो अदालत मजकूर ऐसी इजाजत दे सकती है और जब ऐसी जिम्मेदारी के निसबत झगड़ा है तो यह हुक्म दे सकी है कि ऐसे शख्स के जिम्मेदारी के निसबत उन तरीके से तहकीकात की जाय जिस में किसी मुकदमा में कोई तनकीह निकल कर तसफिया पाये

(३) जब के शिकमी कायदा (२) के रू से किसी शख्स की जिम्मेदारी तहकीकात हो कर तै पाचुके तो उस हुक्म का वही असर होगा और बशर्त होने अपील या दीगर तौर पर जैसे कि वह डिकरी हो

(४) व रियाअत निसबत खिलाफ किसी जायदाद शराकती के डिकरी खिलाफ फर्म उस के किसी हिस्सदार को जब तक कि उस पर तामील समन वास्ते हाजरी वो जवाब देही न हुई हो व रियाअत जिम्मदारी ... किसी और तरह से असर नहीं पहुचायेगा

तशरीहः—यह कायदा नया है

इस कायदा के बमूजिब इजराय डिक्री उस वक्त मन्जूर होगी जब कि डिक्री

४९ [१] उस सूरतों को छोड़ कर जो दीगर तौर से इस कायदे में हुक्म है जायदाद शराकती कुरकी और नीलाम किसी ऐसे डिकरी के इजराय में न होगी जो ऐसी डिकरी न हो जो फर्म (याने दूकान) या फर्म के शराकतदार के ऊपर बहेसियत उस शराकत के सादिर हो

कुरकी जायदाद शराकती

[२] अदालत उस डिकरीदार के दरख्वास्त पर जिसकी डिकरी किसी शराकतदार के ऊपर हो हुक्म इस मजमून का सादिर करे कि शराकतदार मजकूर के हक पर जो जायदाद शराकत और उस के मुनाफे में हो जर डिकरी या सूद के मतालबे का बार है, और वह उसी हुक्म या बाद के किसी हुक्म के जरिये से शराकतदार के हिस्सा मुनाफे का [चाहे ऐसा मुनाफा हासिल हो चुका हो या हासिल होने वाला हो] और किसी और नक्दी रुपया शराकत का जो उस को मिलने वाला हो रिसिवर मुकर्रर करके हिसाब और तहकीकात का हुक्म दे, और ऐसे हक के नीलाम का हुक्म या दूसरा हुक्म जो सादिर हो सक्ता है सादिर करे अगर ऐसा शरीकदार व हक डिकरीदार इस्तेहकाक मजकूर का किसी के मतालबे पर बार रखता जैसी कि हालत हो

[३] दूसरे शरीकदार या शरीकदारान को अख्त्यार होगा कि किसी वक्त हक जेरबार मतालबा का इनफिकाक कराले या नीलाम होने के हालत में उसे खरीद ले

[४] हर दरख्वास्त बाबत हुक्म जिमन (२) की तामील मदयून डिकरी और उस के शराकतदार या उन में से ऐसे लोगों पर की जायगी जो ब्रिटिश इन्डिया में हो

[५] हर दरख्वास्त की तामील जो शरीकदार मदयून डिकरी जिमन (३) के बमूजिब दे, डिकरीदार और मदयून डिकरी और दीगर शराकतदार में से ऐसे लोगों पर होगी जो दरख्वास्त में शामिल न हुये हों और जो ब्रिटिश इंन्डिया में मौजूद हों

[६] तामील जिमन (४) या जिमन (५) के निसबत समझा जावेगा कि कुल शराकतदार पर हुई और कुल अहकाम जो वैसी दरख्वास्तों पर सादिर किये जाय उन की तामील उसी तरह की जायगी

तशरीहः—यह कायदा नया है

इस कायदे का मतलब यह है कि जायदाद शराकती की कुरकी न हो सकेगी जब तक कि डिकरी फर्म पर या फर्म के साझेदारों पर बहैसियत साझेदार न हुई हो —[इ. ला. रि. बम्बई जि० ४ सफा ३२२]

५० (१) जब के डिकरी किसी फर्म के खिलाफ सादिर हुई हो तो
फर्म के खिलाफ इजराय डिकरी उस का इजरा,

[क] खिलाफ किसी जायदाद शराकती,

[ख] खिलाफ उस शख्स के जो खुद अपने नाम से बमूजिब कायदा ६ या ७ आर्डर ३० के हाजिर आया हो या जिस ने पिलीडिंग में शराकतदार होना कबूल किया हो या जो शराकतदार करार दिया गया हो,

[ग] खिलाफ उस शख्स के जिस पर अकेले बतौर शराकतदार सम्मन तामील हुआ मगर हाजिर नहीं आया,

हो सका है

लेकिन शर्त यह है कि इस जिमनी कायदे के किसी इबारत से दफा २४७ एक्ट मुआहदा हिन्द सन १८७२ ई० के अहकाम महदूद न होंगे न उन में किसी तरह से असर पहुचायेंगे

(२) जब कि डिकरीदार इस बात का दावा करे कि वह डिकरी अलावा उन शख्सों के जिन का जिकर जिमनी कायदा (१) जिमन (ख) यो (ग) में किया गया है और किसी शख्स बतौर शराकतदार फर्म इजरा कराना चाहता है तो वह उस अदालत में दरख्वास्त वास्ते मिलने इजाजत दे सका है जिसने डिकरी सादिर की और जब कि जिम्मेदारी के निसबत कोई झगड़ा नहीं है तो अदालत मजकूर ऐसी इजाजत दे सकी है और जब ऐसी जिम्मेदारी के निस्बत झगड़ा है तो वह हुक्म दे सकी है कि ऐसे शख्स के जिम्मेदारी के निसबत उस तरीके से तहकीकात की जाय जिस में किसी मुकदमा में कोई तनकीह निफल कर तसफिया पाये

(३) जब के जिमनी कायदा (२) के रू से किसी शख्स की जिम्मेदारी तहकीकात हो कर तै पाचुके तो उस हुक्म का वही असर होगा और बशर्त होने अपील या दीगर तौर पर जैसे कि वह डिकरी हो

(४) बरियायत निस्बत खिलाफ किसी जायदाद शराकती के डिकरी खिलाफ फर्म उस के किसी हिस्सेदार को जब तक कि उस पर तामील सम्मन वास्ते हाजरी वो जवाब देही न हुई हो व रियायत जिम्मेदारी या किसी और तरह से असर नहीं पहुचायेगा

तशरीह:—यह कायदा नया है

इस कायदा के बमूजिब इजराय डिक्री उस वक्त मन्जूर होगी जब कि डिक्री

फर्म पर फर्म के नाम से सादिर हुई हो, और डिक्री फर्म पर सादिर नहीं होगी जब तक नालिश फर्म के नाम से फर्म के शरीकदारों पर दायर न हुई हो—(देखो आर्डर न ३० कायदा ६)

५१ अगर जायदाद कुरकी तलब कोई दस्तावेज काबिल बै वो शरा हो जो अदालत में दाखिल न हुई हो और न किसी अहेलकार सरकार की हिफाजत में हो तो उस की कुरकी उस पर कबजा कर लेने के जरिये से होगी और दस्तावेज मजकूर अदालत में लाया जायगा और ता हुकम सानी अदालत में रहेगा

कुरकी दस्तावेज काबिल बै वो शरा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २७१ से कायम किया गया है.

इस कायदा में दस्तावेज काबिल खरीद फरोक्त की कुरकी का जिक है.

५२ जब कुरकी किया जाने वाला माल अदालत या उहदेदार सरकार के हिफाजत में हो तो उस की कुरकी इस तरह होगी कि अदालत या उहदेदार मजकूर के पास इत्तला नामा इस दरखास्त के साथ भेजा जायगा कि ता सादिर होने हुकम सानी उस अदालत के जहां से इतलानामा जारी हुआ हो माल मजकूर और उस का सूद या हिस्सा मुनाफा जो वाजबुलअदा हो किसी को न दिया जाय

कुरकी जायदाद की जो अदालत या सरकारी अफसर के हिफाजत में हो

मगर शर्त यह है कि अगर माल मजकूर किसी अदालत की हिफाजत में हो तो झगडा इस्तेहकाक मिलकियत या उसूल मुकदमा को जो डिकरीदार और किसी ऐसे गैर शख्स के दरम्यान पैदा हो जो मदयून डिकरी न हो और जो बजरिये किसी इन्तकाल या कुरकी के या और तरीके से ऐसे माल में हक रखने का दावीदार हो अदालत मजकूर से तै किया जायगा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २७२ से कायम किया गया है

इस कायदे के रू से कुरकी की दरखास्त को नामजूर करने का अख्त्यार अदालत को नहीं है (८ कलकत्ता ला. रि सफा ७).

इस कायदे के रू से ऐसे रूपया की कुरकी की इजाजत नहीं है जो किसी सरकारी अफसर के पास आने वाला है बलकि यह कायदा उस रूपया में लागू है जो दर असल उस के पास है (इ ला. रि. बम्बई जि० २२ सफा ३९)

कोई चिट्ठी जिस के साथ कोई तीसरा शख्स मदयून डिकरी के पास करनसी नोट भेजे इस कायदे के मुताबिक जब पोष्ट आफिस में है कुर्क हो सक्ती है (इ. ला रि. मदरास जि० १३ सफा २४२)

जब कुर्क किया हुआ रूपया कलक्टर के कब्जे में है तो न तो कुरकी करने वाली अदालत और न कलक्टर उस दावा का तसफिया कर सक्ते हैं जो उस रूपया के निसबत किया जावे यह सिर्फ बजरिये नालिश नम्बरी के हो सक्ता है—(इ ला. रि कलकत्ता जि० ६ सफा १४२).

रिसिवर अदालत का अहेलकार समझा जाता है अगर कुरकी रिसिवर के पास से रूपया की बिला इजाजत या मंजूरी अदालत की जाय तो ऐसी कुरकी नाजायज होगी (इ ला रि. कलकत्ता जि० २१ सफा ८५)

५३ (१) अगर कुरकी होने वाली जायदाद ऐसी डिकरी। हो जो वास्ते नक्दी रूपया या वास्ते नीलाम बजरिये रहन या बार के हो

कुरकी डिकरी

(क) अगर डिकरी उसी अदालत की सादिर की हुई हो तो उस की कुरकी उसी अदालत के हुक्म से की जायगी—और,

(ख) अगर डिकरी कुरकी तलब किसी दूसरे अदालत की सादिर की हुई हो तो उस की कुरकी इस तरह होगी कि इतलानामा तहरीरी उस अदालत का जिस ने डिकरी इजरा तलब सादिर की हो, इस दरखास्त के साथ उस दूसरी अदालत मे भेजा जायगा कि वह अपनी डिकरी का इजरा मुल्तवी रखे इस शर्त से और उस वक्त तक कि,

(१) इजरा तलब डिकरी सादिर करने वाली अदालत उस इतलनामे को मनसूख करे—या,

(२) डिकरी इजरा तलब का डिकरीदार या उस का मदयून डिकरी उस अदालत में जहा इत्तलानामा पहुंचे दरख्वास्त दे कि वह अदालत अपनी डिकरी को जारी करे

(२) अगर अदालत जिमन (१) के फिकरा (क) के बमूजिब हुक्म सादिर करे, या बमूजिब फिकरा मातहती (२) के फिकरा (ख) जिमन मजकूर के दरखास्त ले तो डिकरी कुर्क करने वाले या उस के मदयून की दरखास्त पर डिकरी मकरूका का इजरा शुरू करके रूपया जो वसूल हो डिकरी इजरा

तलब की अदाई में लगाय

(३) जिस डिकरी का इजरा बजरिये कुरकी उस दूसरी किस्म की डिकरी के जो जिमन (१) में दर्ज है मनजूर हो तो उस के डिकरीदार के निसबत सम झा जायेगा कि वह डिकरी मकरूका के डिकरीदार का कायममुकाम है और डिकरी मकरूका मजकूर का इजरा जायज तरीके से करने का मुस्तहक है

(४) अगर इजराय डिकरी में कुर्क होने वाली चीज वैसी डिकरी हो जो जिमन (१) में जिकर किये हुए डिकरियों के किस्म से न हो तो उस की कुरकी इस तरह होगी कि अदालत सादिर कुनिन्दा डिकरी इजरा तलब इतलानामा डिकरी कुरकी तलब के डिकरीदार के नाम इस बात की मुमानियत से भेजेगी कि वह उस डिकरी को मुन्तकिल या किसी तरह से मतालबे को नुकसान न करे और जिस हालत में कि यह डिकरी किसी और अदालत की सादिर की हुई हो तो उस अदालत के पास भी इतलानामा इस मजमून से भेजेगी, कि वह डिकरी कुरकी तलब का इजरा न करे तावके कि यह इत्तलानामा बहुक्म अदालत भेजने वाले के मनसूख न किया जाय

(५) जो डिकरी इस कायदे के बमूजिब कुर्क हो उस के काबिज को अदालत इजरा करने वाले डिक्री को यह इतला और मदद दे जो बवजह माकूल तलब की जाये

(६) जिस डिकरी का इजरा बजरिये कुरकी दूसरी डिकरी के मनजूर हो, उस के काबिज की दरख्वास्त पर अदालत सादिर करने वाली डिकरी हुक्म कुरकी जो इस कायदे के रू से हो, लाजिम होगा कि उस मदयून डिकरी को जो पाबन्द डिकरी मकरूका का हो, इतला हुक्म मजकूर की दे, और कोई अदाई या तसफिया डिकरी मकरुका का जो मदयून डिकरी से बरखिलाफ हुक्म मजकूर बाद पाने उस की इतला के अदालत की मारफत या दूसरे तरीके पर अमल में आय कोई अदालत जब तक कुरकी जारी रहे तसलीम नहीं करेगी

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २७३ से कायम किया गया है शिकमीं कायदे २–३ वो ६ नये हैं.

डिकरी निसबत तोड़े जाने शराकत डिकरी नक्दी रूपया की तसव्वर हो सक्ती है और कुर्क हो सक्ती है मगर नीलाम नहीं हो सक्ती–(इ ला. रि. बम्बई जि० २७ सफा ५५९)

अगर कुरकी का हुक्म पहुचने के बाद अदालत डिकरी का इजरा करे और इजराय डिकरी में जायदाद नीलाम करे तो नीलाम नाजायज है (इ ला

रि कलकत्ता जि० ३२ सफा ११०४)

डिकरी अदालत माल की इस कायदे के रू से कुरक नहीं हो सक्ता है (इ. ला रि अलाहाबाद जि० २१ सफा ४०५)

जब के डिकरी जो कुर्क की गई है और वह डिकरी जिस के इजरा में कुरकी है दोनों एक ही अदालत की है तो कुरक कराने वाला खुद कुरक की हुई डिकरी को इजरा करा सक्ता है (इ ला रि कलकत्ता जि० १५ सफा ३७५)—

कोई डिकरी किसी दूसरे डिकरी के इजरा में नीलाम नहीं की जा सक्ती है (इ ला. रि कलकत्ता जि० २० सफा १११)

इस कायदे में डिक्रियों की कुरकी का जिक्र है—डिकरी जो कुर्क हो सक्ती है दो किस्म की है (१) डिकरी बर नक्द की या वास्ते नीलाम *बजरिये रहन या बोझा के हो—(२) दीगर किस्म की डिकरी—पहले किस्म की* डिक्रीयों की कुरकी उस तरीके से होगी जो इस कायदा के फिकरा १ (क) (ख) में बतलाया गया है वो दूसरे किस्म की डिक्रीयों की कुरकी का तरीका फिकरा ४ में बतलाया गया है—पहले किस्म की कुर्क की हुई डिकरी की इजराय और उसके रूपया की वसूली फिकरा (२) के मुवाफिक होगी और दूसरे किस्म की कुर्क की हुई डिक्रीया की इजराय और उनके रूपयों की वसूली बजरिये नीलाम होगी, मसलन डिकरी बटवाड़ा डिकरी बैबाद डिकरी तामील खास—मगर पहले किस्म की डिक्रयों का पैसा बजरिये नीलाम वसूल नहीं हो सकेगा (अ) की डिकरी (ब) पर बटवाड़ा जायदाद की है (क) की डिकरी (अ) पर ६०००) रू० की है अगर (अ) (क) की डिकरी का रूपया अदा न करे तो (क) को अखत्यार है कि वह अपनी डिकरी की इजराय में उस डिकरी बटवाड़ा को कुर्क करावे जो (अ) की (ब) पर है—और उस का नीलाम करावे ऐसी कुर्क की हुई डिकरी जारी नहीं हो सकेगी क्योंकि वह रूपया की या रहन की डिकरी नहीं है

रूपया और रहन की डिकरी जो कुर्क की जावे नीलाम न की जायगी बल्कि जारी की जावेगी जारी करने के लिये दो दरखास्तें देना होगी पहली

दरख्वास्त कुरकी के लिये और दूसरी इजरा करने के लिये कुरकी की दरखास्त उस अदालत में होगी जिसमें डिकरी सादिर हुई मगर कुर्क की हुई डिकरी का इजरा की दरखास्त उस अदालत में होगी जिसमें वह कुर्क की हुई डिकरी सादिर हुई थी.

५४ (१) अगर कुरकी की जाने वाली जायदाद गेर मनकूला जायदाद हो, तो उसकी कुरकी इस तरह होगी कि मदयून डिकरी हुक्म के जरिये मना किया जाय कि वह ऐसी जायदाद को किसी तरह से मुन्तकिल या उस जायदाद पर बोझा न करे और यह मुमानियत होगी कि कोई शख्स उस इन्तकाल या मताजने से फायदा न उठावे

जायदाद गेर मनकूला का कुरकी

(२) ह हुक्म ऐसी जायदाद के किसी जगह पर, या उस के नजदीक मुनादी के जरिये से या किसी और मामूली तरीके से मुश्तहर किया जायगा, और उस हुक्म की एक नकल जायदाद पर और फिर अदालत के किसी आम नजरगाह पर चस्पा की जायगी, और जब जायदाद आराजी मालगुजार सरकार हो तो उस हुक्म की एक नकल उस जिले के कलेक्टर की, कचेहरी में भी चिपकाई जायगी जिस में वह आराजी वाके हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २७४ से कायम किया गया है

हुक्म इन्तनाई से कुल दुनिया को नोटिस नहीं समझा जा सका है (इं. ला. रि. बम्बई जि० २९ सफा २०२)

हुक्मनामा कुरकी वास्ते हिफाजत हक डिकरीदार के है और अगर इस मजमूये के रू से कुरकी भी नहीं है तो भी नीलाम इजराय डिकरी में जायज है (इ. ला. रि. मद्रास जि० ३० सफा २६४ वो ३४ कलकत्ता सफा ७८७ वो १२ बम्बई २२२ प्रीवी कौंसिल)

जब कुरकी जो इस कायदे के बमूजिब होना चाहिये या बमूजिब कायदा ४६ हुई और जायदाद नीलाम हुई तो इस कायदे के मुताबिक कुरकी का न होना सिर्फ बे जाब्तगी है और उस से खरीदार के हक को कोई असर नहीं पहुंचता है (इ. ला. रि. मद्रास जि० १८ सफा ४३७).

इनफ़िकाक रहन की डिकरी के कुरकी में यह कायदा लागू नहीं है (इ ला रि, जिल्द १० बम्बई सफा ४४४)

जब किसी खानदान हिन्दु के मेम्बर का बिला तकसीम किया हुआ हिस्सा कुरक किया गया हो और वह बाद कुरकी मर जाय तो दूसरे मेम्बर उस के हिस्से को बमूजिब हक पसमान्दगी नहीं पाते हैं (इ. ला. रि. कलकत्ता जि० २० सफा ८९५).

हक इनफ़िकाक राहिन इस कायदा की मनशा के लिये, बतौर जायदाद गैर मनकूला है [इ ला रि. बम्बई जि० २१ सफा २२७]

५५ अगर

डिकरी की अदाई के बाद वागुज़ाश्त

(क) डिकरी पाई हुई रकम मै खरचा और कुल मतालबा और सरफा जो किसी जायदाद की कुरकी में। हुआ हो अदालत में दाखिल कर दिया जाय—या,

(ख) डिकरी की अदाई अदालत के मारफत और तरह हो जाय या उस की तसदीक अदालत में की जाय—या,

(ग) डिकरी रद या मनसूख की जाय तो कुरकी की वागुज़ाश्त समझी जायगी, और गैर मनकूला जायदाद के सूरत में मदयून डिकरी चाहे तो वैसा वागुज़श्त उस के खरचे से मुश्तहर किया जायगा और एक नकल इश्तहार की बमूजिब तरीका कायदा अखीर जिस का जिकर ऊपर किया गया है चस्पा की जायगी

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २७५ से बनाया गया है.

५६ अगर कुरकी की हुई जायदाद सिक्का चलन या करनसी नोट हो तो अदालत कुरकी के जारी रहने में किसी वक्त यह हिदायत करे कि वह सिक्का या नोट या कोई हिस्सा उस का जो डिकरी के अदाई के लिये काफी हो, उस फरीक को अदा किया जाय जो डिकरी की रू से उस के पाने का मुस्तहक हो

इस बाबत हुक्म कि सिक्का या करनसी नोट फरीक मुस्तहक डिकरी को दिया जाय

तशरीह:—यह क़ायदा पुराने एक्ट की दफा २७७ से कायम किया गया है.

५७ अगर कोई जायदाद इजराय डिकरी में कुरक हुई हो मगर

कुरकी का खतम होना — डिक्रीदार के कसूर के वजह से अदालत इजराय के दरखास्त के निसबत कोई आगे कार्रवाई न कर सके, तो अदालत दरखास्त ना मन्जूर करे, या किसी आने वाली तारीख तक माकूल वजह से कार्रवाई मुलतवी रखे—और ऐसी दरखास्त की ना मन्जूरी पर कुरकी उठ जायगी

तशरीह:—यह कायदा नया है.

लफ्ज "कसूर" से अदम हाजरी अदम पैरवी या तलबाना न पटाना, या दस्तावेज पेश न करना, या जो कार्रवाई कानून के रू से करना लाजमी है न करना, यह सब बातें मुराद हैं—(इ ला रि कलकत्ता जिल्द३८ सफा ४८२)—

दावी और उजरात की तहकीकात.

५८ (१) अगर कोई जायदाद इजराय डिकरी में कुर्क की जाय और उस जायदाद के निसबत कोई दावा या उजर इस वजह पर किया जाय, कि वह जायदाद कुरकी के लायक नहीं है और तो अदालत दावा या उजर की तहकीकात करे, और निसबत लेने इजहार दावीदार या उजरदार के और कुल दीगर अमूरात के निसबत भी वही अखत्यार अमल में लाय कि मानो वह फरीक मुकदमा था.

तहकीकात दावी वो उजरात निसबत कुरकी उस जायदाद के जो कुर्क की गई

मगर शर्त यह है कि अदालत के नजदीक ऐसे दावे या उजर के पेश करने में जानबूझकर या बिला वजह देरी हुई हो तो उस की तहकीकात न की जायगी

(२) अगर वह जायदाद जिस के निसबत दावी या उजर हो, नीलाम के वास्ते मुश्तहर हो चुकी हो, तो वह अदालत, जिस ने नीलाम का हुक्म दिया हो, तहकीकात दावा या उजर होते तक नीलाम को मुलतवी रखे

नीलाम का मुलतवी करना

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २७८ से कायम किया गया है

इस कायदा के रू से जो दावा करने का हक दिया गया है उस का फायदा उठाना उजरदार या दावीदार की मरजी पर है—इस कायदा के रू से वैसे शख्स को अखत्यार है कि अपना हक की चारा जोई बजरिये नालिश नम्बरी करे. (इ

ला रि. इलाहाबाद जिल्द १८ सफा ४१० व इ ला रि. बम्बई जिल्द २३ सफा २६६) अगर जब कोई दावा नहीं किया गया और कायदा ६० के रू से कोई फैसला नहीं हुआ तो डिकरीदार इस बात के इसतकरार हक की नालिश कर सक्ता है कि कोई जायदाद उस के मदयून डिकरी की है जो उस ने उस को जाहरा में मुन्तकिल कर दिया हो (४ इलाहाबाद ला जरनल सफा ५७४) जो जायदाद कबल फैसला कुर्क हुई उस में यह कायदा लागू नहीं है (इ ला रि बम्बई जिल्द २० सफा ४०३-७)

कोई शख्स जिस का कोई कायदे मन्द हक जायदाद में है दावा पेश कर सक्ता है (११ मदरास ला जरनल रिपोर्ट सफा ३४६)

मुरतहन साबित इस कायदे के रू से दावा नहीं कर सक्ता क्योंकि यह कायदा उन मुकदमा'त से लागू नहीं है जिन में कुरकी नहीं की गई है (इ ला रि इलाहाबाद जिल्द २७ सफा ७००)

जो दावा इस कायदा के बमूजिब पेश किया जावे उस मुकदमा में मदयून डिकरी जरूरी फरीक नहीं है (इ ला रि बम्बई जिल्द २२ सफा ८७५-८२)

डिकरी रहन के इजराय में जायदाद मरहूना के निसबत कार्रवाई करने के वास्ते कुरकी का होना लाजमी नहीं है इस लिये अगर कोई ऐसी जायदाद नीलाम के गरज से कुरक की जाये तो इस कायदे के रू से वैसी कुरकी के निसबत न उजरदारी पेश की जायगी और न उस के बाबत कोई तहकीकात की जायगी (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६२१) और अगर तहकीकात भी की गई हो ताहम किसी फरीक के तरफ से अगर कोई नालिश दायर की जाये तो उस की मनाई बमूजिब कायदा नम्बर ६३ न होगी (कलकत्ता वीकली नोट जिल्द १ सफा ७०१)

जो उजरदारी इस कायदा के बमूजिब पेश की जाये उस की गरज यह है कि सबूती पहुंचने पर कुरक किया हुआ माल कुरकी से छोड़ दिया जाये—पस ऐसी सूरत में अगर कोई दावा मनजूर होने के हालत में भी ऊपर लिखा हुआ असर नहीं रखता है तो इस कायदे के बमूजिब उस के बारे में कोई तहकीकात न की जायेगी—मसलन, अगर किसी मुकदमा में मदयून डिकरी का सिरफ वह हक हकूक

वो इस्तहकाक कुर्क किया गया हो जो उसे किसी शामलाती जिमींदारी की जायदाद में हासिल हो तो ऐसी सूरत में दूसरा हिस्सेदार जायदाद मजकूर का इस कायदे के बमूजिब अपने हिस्से की कुरकी से छुड़ाने की दरखास्त पेश नहीं कर सक्ता (८ वीकली रपोर्ट सफा ३९३).

जो उजरदारी इस कायदे के बमुजिब पेश की जाय उस के निसबत तहकीकात करना इस कायदे के बमूजिब अदालत पर लाजिम है (वीकली रिपोर्टर जिल्द १७ सफा ७४) वरना हाई कोर्ट अदालत मजकूर को ऐसी तहकीकात करने के लिये मजबूर करेगी (८ वीकली रिपोर्टर सफा २६, वो ४ कलकत्ता ला रिपोर्ट सफा ७४) सिवाय उस सूरत में कि जब अदालत के नजदीक यह मालूम पड़े कि उजरदारी जानबूझकर वो नामुनासिब देरी के साथ पेश की गई.

कायदा ५८ से ६३ में दावा वो उजरदारी की निस्बत इजराय डिक्री तहकीकात करने का जिकर है—अगर उजरदारी खुद फरीक मुकदमा की तरफ से हो तो वह दफा ४७ में दाखल होगी—और अगर उजरदारी तीसरे फरीक की तरफ से हो तो वह इस कायदा (५८) में दाखल होगी—दफा ४७ के रू से जो उजरदारी की जाय, उस में फरीक को नम्बरी नालिश करने अखत्यार नहीं है, मगर इस कायदा के रू से जो उजरदारी की जाय उस में उजरदार को अखत्यार है कि उजरदारी बजरिये दरखास्त करे, या उजरदारी करने के बदले नम्बरी नालिश करे—दफा ४७ के रू से उजरदारी मजूरी या नामजूरी का हुक्म बतौर डिक्री वो काबिल अपील समझा जावेगा, मगर कायदा ६०, ६१, ६२ के रू से जो हुक्म दिया जावे, वह काबिल अपील न समझा जावेगा—उजरदार को सिर्फ यह इलाज है कि वह कायदा ६३ क मुआफिक तारीख हुक्म से एक साल के अन्दर नम्बरी नालिश दायर करे, और नालिश न करेगा तो वैसा हुक्म कतई समझा जावेगा—(इ ला. रि. बम्बई जिल्द २८ सफा ४९८).

फर्ज करो (अ) की डिक्री (ब) पर है (अ) ने (ब) की कुछ जायदाद इजराय डिक्री में कुर्क कराई—(क) ने उजरदारी पेश किया, कि जायदाद मकरूका उस की है, यानी (क) की है (ब) की नहीं है—ऐसी उजरदारी (क) बजरिये दरखास्त कर सक्ता है या बजरिये नम्बरी नालिश अगर (क) की उजरदारी मजूर हो (कायदा ६०) तो (अ) डिक्रीदार को अखत्यार है कि वह कायदा

६३ के मुआफिक नम्बरी नालिश इस्तक़रार हक की करे, कि जायदाद ममरूका (ब) की करार दी जावे, और यह कि वह काबिल कुरकी है—अगर (क) की उजरदारी नामन्जूर हो (कायदा ६१) तो उस को भी इस बात के इस्तकरार हक़ की नालिश दायर करने का अख्त्यार होगा, कि जायदाद उस की करार दी जावे, और यह कि वह काबिल नीलाम नहीं है—मगर तारीख हुक्म बमुजिब कायदा ६०, ६१ से एक साल के अन्दर नालिश दायर हो तो हुक्म मजकूर कतई समझा जावेगा.

यह कायदा डिक्री रहन में लागू न होगा, क्योंकि डिक्री रहन, मसलन, बैयात में जायदाद मरहूना कुर्क नहीं की जाती इस में उजरदारी न होगी, बलकि नम्बरी नालिश होगी—(इ ला रि अलाहाबाद जि १९ सफा ४८०, ८१, ८२)—

कायदा ५८ से ६३ करजों को भी लागू होगा जो मदयून को और लोगों से पाना है और जिन को डिक्रीदार अपनी डिक्री की इजराय में कुर्क करावें—(इ ला. रि मद्रास जि. २७ सफा ६७)

दावीदार सबूत पेश करे

५९ दावीदार या उजरदार को इस बात का सबूत देना होगा कि कुरकी की तारीख पर वह जायदाद मकरूका में कुछ हक रखता था या उस पर काबिज था

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २७९ से कायम किया गया है.

जब कि किसी हिन्दू खानदान की शामलाती जायदाद खानदानी कुरक उस डिकरी के इजरा में की गई जो खानदान के बाप पर जाती डिकरी सादिर हुई थी तो सिरफ लड़के का हक कुरकी वो नीलाम से मुसतसना हो सका है जब कि वह लड़का यह साबित करे कि करजा जिस के निसबत डिकरी सादिर हुई है बुरे काम के लिये लिया गया या जब कि म० करजे के निसबत यह साबित करे कि करजा मजकूर की अदाई करना लड़के पर मजहब के रू से फरज नहीं है (इ ला रि अलाहाबाद जि० २७ सफा ११ जलसा कामिल)

इस कायदा के बमुजिब सबूती का बोझ उजरदार पर है और उसी को शुरू में शहादत पेश करना चाहिये (११ वीकली रिपोर्ट सफा ८) मगर अदालत

उस को किसी खास किस्म की शहादत पेश करने के लिये मजबूर नहीं कर सकी (वीकली रिपोर्ट जि० २२ सफा ३९२) और जो कुछ शहादत पेश की जाय उस का लेना और मिसल में कलमबन्द करना अदालत का काम है (२४ वीकली रिपोर्ट सफा ४२२) अगर कोई दावेदार ऐसी शहादत पेश करे जो झूठ करार दी जाय और उस का दावा नामन्जूर हो जाय तो ऐसा फैसला रूयदाद समझा जायेगा (२० वीकली रिपोर्ट सफा ३४५)—

इस मुकदमे म उजरदारी अदम पैरवी में खारिज की गई तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि दावीदार कुरकी नाजायज के हरजे की नालिश बिना दायर करने नालिश बमूजिब कायदा नम्बर ६३ के पेश कर सक्ता है (इ. ला. रि अलाहाबाद जि० ३ सफा ५०४)

इस कायदे के रू से उजरदारी पेश करने के वास्ते उजरदार को यह साबित करना चाहिये कि तारीख कुरकी के रोज उस की कुर्क की हुई जायदाद में हक मौजूद था पस अगर उस का हक तारीख मजकूर को जायल याने नष्ट हो गया हो या बाद में पैदा हुआ हो तो उस की उजरदारी नहीं चल सकेगी इस लिये अदालत को इस अमर पर गौर नहीं करना चाहिये कि आया जायदाद मकरूका में मुद्दायलेह का कोई हक था या नहीं, बल्कि इस बात पर ख्याल करके फैसला उजरदारी का करना चाहिये कि आया तारीख कुरकी के रोज उस जायदाद में उजरदार का कोई हक था या नहीं (११ वीकली रिपोर्टर सफा ८)

सिर्फ कब्जा की तहकीकात की जाय न कि हक की अगर कब्जा सबूत हो जाय तो जायदाद कुरकी से छोड दी जायगी—हक की तहकीकात नम्बरी नालिश में ली जाय—(इ. ला रि कलकत्ता जि० २६ सफा ५४३)—

६० अगर ऐसी तहकीकात से अदालत को इतमीनान हो जाय कि दावा या उजरदारी में लिखे हुए वजह के एतबार से ऐसी जायदाद कुरकी के वक्त मदयून डिकरी के कब्जा में या उस की तरफ से अमानतन किसी और शख्स के कब्जा में न थी या किसी काश्तकार या किसी और शख्स के दखल में न थी जो मदयून डिकरी को लगान देता हो, या यह कि वह जायदाद जो कुरकी के वक्त मदयून डिकरी के कब्जा में रही हो मगर वह अपने लिये या बतौर अपनी मिलकियत के उस पर काबिज न था बल्कि किसी गैर शख्स के लिये या बतौर अमानतदार दूसरे शख्स के या कुछ अपने लिये और कुछ दूसरे शख्स की तरफ से कब्जा रखता या तो

कुरकी से जायदाद का छोड़ा जाना

अदालत जायदाद मजकूर को कुल या उस के हिस्से को जो मुनासिब मालूम हो कुर्की से छोड़ देने के लिये हुक्म सादिर करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २८० से कायम किया गया है.

इस कायदे के मुताबिक तहकीकात सिर्फ इस बात की होना चाहिये कि आया कुर्क की हुई जायदाद दावेदार के कब्जे मे बतौर मिलकियत उसके थी या नहीं (इ. ला रि कलकत्ता जि० १० सफा १०५७) किस हद तक तहकीकात होना चाहिये हर मुकदमे के हालात पर मुनहसर है (इ ला रि. कलकत्ता जि० १५ सफा ५२१ प्रीवी कौंसिल) इस मजमूय की रू से कब्जे के निसबत अदालत को सरसरी तहकीकात करना चाहिये और हक के बारे में सिर्फ उसी हालत में फैसला करना जरूर होगा कि जब यह दरयाफ्त किया जाय कि आया कब्जा रखने वाला शख्स दूसरे के तरफ से बतौर अमानतदार या मुख्तार के कब्जा रखता है या नहीं (कलकत्ता वीकली नोट जि० १ सफा ६१७)

हुक्म मातुजारत का यह असर नहीं है जिस के जोर से ऐसी कुर्की जो बाजाब्ता हुई है खतम हो जावे (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ३३ सफा ११५८)

कुर्क की हुई जायदाद को अदालत में लाये जाने से रोक ने के लिये अगर दावेदार अमीन को जर डिकरी दे देवे तो वह अगर रूपया वापिस चाहे तो उस को नालिश नम्बरी करना चाहिये—अदालत वापसी का हुक्म नहीं दे सक्ती (इ. ला रि बम्बई जिल्द २९ सफा ४७३)

जब कोई दावा मजूर किया गया और दावेदार अपना खर्चा डिकरीदार से वसूल कर लेवे मगर दावा मजूर करने का हुक्म बमूजिब कायदा ६३ नालिश किये जाने पर मसूख कर दिया गया और उस नालिश में जो खर्चा दावेदार ने वसूल कर लिया उस के लिये न तो दादरसी मांगी गई न मजूर हुई तो डिकरीदार वह खर्चा जो उस ने दिया है इस कायदे के मुताबिक वापिस दिलाये जाने की दरखास्त नहीं कर सक्ती है (इ ला रि अलाहबाद जिल्द ६ सफा २१)

इस कायदे के मुताबिक जो हुक्म दिया जाय उस की अपील नहीं हो सक्ती है (इ ला रि बम्बई जिल्द २८ सफा ४५८)

६१ अगर अदालत को इतमिनान हो जाय कि मदयून डिकरी, कुरकी की हुई जायदाद पर कुरकी के वक्त बतौर मालिक के काबिज था, नाकि किसी दूसरे शख्स के तरफ से या कोई और शख्स उस पर मदयून डिकरी की तरफ से अमानत न काबिज था या वह किसी काश्तकार या और शख्स के कब्जे में थी जो मदयून डिकरी को लगान देता है, तो अदालत उस दावे को नामजूर करेगी.

कुरकी किये हुए जायदाद के दावा की नामंजूरी

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २८१ से कायम किया गया है

इस कायदा का मतलब यह है कि जब बजरिये ऐसी शहादत के जो उजरदार या दीगर फरीक के तरफ से मुकदमा उजरदारी में पेश की जाय अदालत का इतमीनान निसबत उन अमूरात के हो जाय जो कायदा मजकूर में दर्ज है तो अदालत उजरदारी नामन्जूर करेगी—अदालत को नीचे लिखी सूरतों में भी उजरदार का दावा नामन्जूर करने का अखत्यार है

(१) जब उजरदार कोई मोतबर शहादत पेश न कर सके (२० वीकली रिपोर्टर सफा ३४५).

(२) या जब वह किसी किस्म की शहादत पेश न करे २१ वीकली रिपोर्ट सफा ४०६ और इंडियन ला रि. १२ कलकत्ता सफा ५३).

(३) या जब वह अपने उजरदारी की पैरवी में हाजिर न आवे (२४ वीकली रिपोर्ट सफा ४११).

इस कायदे के रू से जो हुक्म दिया जावे उस के रू से, जब तक यह हुक्म जरिये नालिश नम्बरी मसूख न हो जावें, डिक्रीदार को हक पैदा होता है [इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा २६०]

अदालत सिर्फ शक के ऊपर यह करार नहीं दे सकी कि दावा ठीक नहीं है [इ. ला. रि. कलकत्ता जि. २० सफा ५४३]

६२ अगर अदालत को इतमीनान हो जाय कि कुरकी की हुई जायदाद किसी शख्स के पास रहन या उस पर बोझा उस का है जो उस पर कबजा नहीं रखता है और अदालत के नजदीक कुरकी का कायम रखना मुनासिब हो, तो अदालत रहन या बोझे हक बचाकर कुरकी जारी रख सकी है

मुतालबेदार के हक को बचाकर कुरकी का जारी रहना

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २८२ से कायम किया गया है.

मुर्तहिन बिलकब्ज अपना दावा इस कायदे के बमूजिब पेश कर सक्ता है (१० बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट सफा १००).

इस कायदे के रू से जब हक रहन रखकर नीलाम हो और जब कोई जायदाद उस तरह से नीलाम हो जिस के नीलाम के इश्तहार में उस रहन की इत्तला दर्ज हो तो दोनों सूरतों में फर्क यह है कि पहली सूरत में कार्रवाई इस कायदे के रू से की जायगी, और पिछले सूरत में कायदा ६६ लागू होगा (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द २८ सफा ४२०)

जब अदालत यह तसफिया करे कि रहन सच्चा है और जायदाद को रहन के बोझ के साथ नीलाम करे तो ऐसी हालत में सिर्फ हक इनफिकाक रहन नीलाम किया जावेगा (अलाहाबाद वीकली नोट जिल्द २६ सफा ६८)

जिस फरीक के बरखिलाफ इस कायदे के बमूजिब हुक्म सादिर किया जाय वह याने फरीक डिकरीदार होगा न कि मदयून डिकरी, याने ऐसे हुक्म से सिर्फ डिकरीदार को असर पहुंचेगा न कि मदयून डिकरी को [इ. ला रि. १७ बम्बई सफा ६२६].

जो हुक्म बमूजिब कायदा नंबर ६०—६१—६२ के सादिर किये जाये उस के नाराजी से अपील न होगी (इ. ला. रि बम्बई जिल्द २८ सफा ४५८) बलकि ऐसे हुक्म की तजवीजसानी हो सक्ती है (७ वीकली रिपोर्टर सफा ७६) या जब कोई उजरदारी अदम पैरवी में खारिज की जाय तो वह बजरिये दरखास्त के बाजाब्ता कायम की जा सक्ती है, या नई उजरदारी की दरखास्त अदालत में पेश हो सक्ती है—[१६ वीकली रिपोर्टर सफा ५६]

उन नालिशों का बचाव जो जायदाद मकरूका में इस्तेहकाक कायम करने के बाबत हो

६३ अगर दावा दायर हो, या उजरदारी पेश हो, तो जिस फरीक के खिलाफ हुक्म दिया जाय, वह नालिश नम्बरी वास्ते सावित कराने उस हक के, जो उसे झगड़े की जायदाद में पहुंचता है, दायर करे, मगर ब कैद पाबन्दी नतीजा वेसी नालिश के वह हुक्म कतई होगा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २८३ से कायम किया गया है जब बाद ना मन्जूरी दावा के दावेदार अपना हक जायदाद या तीसरे शख्स

को बेंच डाले तो इस कायदे से खरीदार को नालिश करने की मनाई नहीं है (इ. ला अलाहाबाद जिल्द २६ सफा ८९)

इस कायदे के रू से नालिश उस वक्त भी हो सक्ती है जब डिक्री का रुपया मदयून डिक्री के दूसरी जायदाद से वसूल हो गया हो और कुर्की इस वजह से उठा ली गई हो [इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा १०]

लेकिन अगर खुद डिक्रीदार के कार्रवाई से कुर्की हटा दी गई हो तो इस कायदे के बमूजिब नालिश दायर करने की कोई जरूरत नहीं है (इ. ला. रि. १८ बम्बई सफा २४१)

जब दावा ना मन्जूर कर दिया गया और डिक्री की अदाई हो गई और कुर्की उठा ली गई तो नालिश दायर करने की जरूरत नहीं है [इं ला. रि कलकत्ता जि० ३१ सफा २२८] इस कायदे के रू से नालिश में फरीकैन को उस हक के तै करने का मनशा है जो वर वक्त कुर्की न कि तारीख दायरी नालिश पर मौजूद रहा हो (इ ला रि. बम्बई जि० १८ सफा २६०) इस कायदे के मुताबिक जो नालिश की जाय उस की तहकीकात मामूली नालिश के मुवाफिक होना चाहिये—ऐसे नालिश में मुद्दई उस हरजाना का भी दावा कर सक्ता है जो मुद्दई को मुद्दायलेह के नाजायज कार्रवाई से हुआ हो [इ. ला. रि १२ कलकत्ता सफा ६६६–७० १-५ वों इं ला. रि १७ कलकत्ता सफा ४३६ प्रीवी कौंसिल] खास हक जो इस कायदे के रू से दावेदार को इसतकरार हक की नालिश करने के लिये दिये गये हैं उस में अहकामात दफा ४२ एक्ट दादरसी हिन्द लागू नहीं है (इं. ला. रि. मदरास जि० २१ सफा १५)

अगर कोई दावीदार मर जावे तो उस का लड़का नालिश कर सक्ता है (इ. ला रि. २६ अलाहाबाद सफा ८९)—

इस कायदे के रू से नालिश में बिनाय दावी कुर्की ही हो और जायदाद मकरूका के मुखतलिफ खरीदार उस नालिश में मुद्दायलेह शामिल किये जा सक्ते हैं (इ. ला रि मदरास जि० २७ सफा ६४) लेकिन मदयून डिक्री जरूरी फरीक नहीं है(इ ला रि अलाहाबाद जि० २८ सफा ४१).

कोई मुद्दई जिस को दावी के कार्रवाई का नोटिस जारी नहीं हुआ है वह फरीक जिस के खिलाफ हुक्म दिया गया, नहीं समझा जायगा (इ. ला. रि.

मदरास जि० २५ सफा ७२१)

जब कोई शहादत्त नहीं दी गई वो दावा नामनजूर कर दिया गया तो भी हुक्म कतई है (इ ला रि कलकत्ता जि० ३२ सफा ५२७) बिला तहकीकात जो हुक्म दिया गया वह कतई नहीं है (इ ला रि बम्बई जि० २२ सफा ८७५-८२)

बारसबूत इस अमर का कि जायदाद मदयून डिकरी की है मुद्दई पर, है और मुद्दायलेह का कोई हक है या नहीं और चाहे मुद्दायलेह का कोई हक हो या नहीं मगर मुद्दई को मदयून डिकरी का हक साबित करना लाजिम है (इ ला. रि बम्बई जि० १७ सफा ६४६) मसलन जब कोई दावा बैनामा के रूसे है इस वजह से नामनजूर कर दिया जावे कि दस्तावेज बैनामा फरजी है तो ऐसे हालत में दावीदार जो नालिश करे उस में उन का यह साबित करना काम है कि बैनामा मजकूर फरेबी वो सामग्री नहीं है–(इ. ला. रि अलाहाबाद जि० १८ सफा ३६६)—

इडियन ला. रिपोर्ट अलाहाबाद जिल्द १६ सफा ३०८ जलसा कामिल वो बम्बई जिल्द १० सफा ६१० जलसा कामिल में यह राय करार पाई है कि ऐसे मुकदमात में कोर्ट फीस यानी १०) रूपया बमूजिब मद १७ जमीमा २ एक्ट कोर्ट फीस के लगाना चाहिये,

जब कोई दादरसी मदयून डिकरी पर नहीं मांगी गई है गो वह फरीक मुकदमा है तो दावी की वह कीमत लगाना चाहिये जितने में जायदाद कुर्क की गई जब ऐसी रकम कीमत जायदाद से कम है (इ ला रि मदरास जिल्द ३० सफा ३३५ जलसा कामिल) नालिश इस कायदे के रू से उस हुक्म के तारीख से अन्दर १ साल के करना चाहिये जिस के मन्सूखी की नालिश है बमूजिब मद ११ जमीमा २ एक्ट मियाद के (इ ला रि, कलकत्ता जिल्द १५ सफा ५२१ प्रीवी कौंसिल) लेकिन यह कायदा मियाद का ऐसे नालिश में लागू न होगा जिसे ऐसा शख्स दायर करे जो उस हुक्म में फरीक न बनाया गया हो (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १५ सफा ६७४)

नाबालिग पर लाजिम नहीं है कि वह तारीख हुक्म से एक साल के अन्दर

नालिश दायर करे, बल्कि वह ऐसी नालिश बालिग होने की तारीख से अन्दर एक साल बमूजिब दफा ७ एक्ट मियाद के दायर कर सक्ता है (इ ला. री. कलकत्ता जिल्द १ सफा २२६ वो जिल्द २७ कलकत्ता सफा २४२)

आम नीलाम.

६४ हर अदालत किसी डिकरी के इजरा करने के वक्त यह हुक्म देगी कि जायदाद जो उस के हुक्म से कुर्क हुई हो और काबिल नीलाम हो, या ऐसी जायदाद का इस कदर हिस्सा जो डिकरी के अदाई के लिये जरूरी मालूम हो निलाम की जाय, और ऐसे नीलाम का रूप्या या उस का काफी हिस्सा उस फरीक को दिया जाय, जो डिकरी की रू से उस के पाने का हकदार हो

इस के निसबत हुक्म है जायदाद मकरूका निलाम की जाय और जर निलाम हकदार शख्स को दिया जाय

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २८४ से कायम किया गया है.

गो कुल जायदाद मकरूका के नीलाम के लिये डिकरी कामिल हुई हो—मगर अदालत इजरा कुनन्दा को कुल जायदाद नीलाम करना फर्ज नहीं है (इ ला री. अलाहाबाद जिल्द २७ सफा २६५).

इस कायदे के रू से जो हुक्म दिया जाय उस की अपील हो सक्ती है (४ कलकत्ता ला. रिपोर्ट सफा २७)

६५ खास सूरतों की रिआयत के साथ इजराय डिकरी हर नीलाम, किसी अहलकार अदालत या और शख्स के मारफत जिस को अदालत इस खास काम के लिये मुकर्रर करे, किया जायगा, और नीलाम जाहरा आम तौर से मुकर्रर किये हुये तरीके के मुताबिक हुआ करेगा.

नीलाम किस के जरिये से और किस तरह से हुआ करेगा

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २८६ से कायम किया गया है.

मामूली तौर से नीलाम अदालत नीलाम के हुक्म देने वाली के अख्तयार समाअत में किसी मुकाम पर हो सक्ता है (इ ला री. बम्बई जिल्द १३ सफा २२).

सबजज के गैर हाजरी में डिस्ट्रिक्ट जज को इस कायदे के मुताबिक काम करने का अखत्यार नहीं है (१२ वीकली रिपोर्ट सफा २३८)

अगर कोई नीलाम बाद पटाय जाने जर डिकरी कब्ल हुक्म नीलाम के अमल में आवे तो वह नाजायज होगा (इ ला. रि. १६ अलाहबाद सफा ५) और ऐसा नीलाम भी नाजायज होगा जो बाद सादिर किये जाने हुक्म निसबत मुलतबी नीलाम के अमल में आया हो (इ. ला. रि १२ अलाहबाद सफा १६).

खास सूरत की रिआयत को छोड़ कर इसके लिये–(देखो कायदा ७६).

६६ (१) अगर इजराय डिकरी में किसी जायदाद के नीलाम होने का हुक्म दिया जावे तो अदालत उस नीलाम का इश्तहार अदालत की जबान में मुश्तहर कराय

इश्तहार नीलाम आम

(२) ऐसा इश्तहार डिकरीदार और मदयून डिकरी को नोटिश दिये जाने के बाद तैयार किया जायगा और उस में नीलाम की तारीख और मुकाम लिखा जायगा और जहा तक मुमकिन हो नीचे लिखी बातें साफ और ठीक तौर से लिखी जायगी

(क) जायदाद जो नीलाम होने वाली हो

(ख) तादाद मालगुजारी जो महाल या हिस्सा महाल पर तशखीस हो जब कि वह हकीयत जो नीलाम होने वाली हो हक वो मुताफिक महाल मालगुजार सरकार या जुज व महाल मालगुजार सरकार के हो

(ग) कोई मुवावजा जो उस जायदाद पर हो

(घ) तादाद जिस के वसूली के लिये नीलाम का हुक्म दिया गया हो—और

(ङ) हर बात जिस से अदालत की दानिस्त में खरीदार को इस मतलब से आगाह होना जरूर हो कि वह जायदाद जर नीलाम की किस्म और मालीयत तजवीज कर सके

(३) हर ऐसी दरखास्त के साथ जो इस कायदे के मुताबिक वास्ते नीलाम के दी जाय एक दस्तखती व तसदीक किया हुआ बयान नत्थी रहना चाहिये जिस की तसदीक उस तरह होगा जैसे के प्लिडिंग की तसदीक के लिये इस मजमूआ में हुक्म है, और उस बयान में जिमन (२) में लिखी हुई बातें तादाद यकीन या जहा तक सायल को मालूम हो सके इश्तहार में लिखे जाने के वास्ते दिये जाये

और ऐसा मुक़ाम अदालत के इलाका अख़्तयार के अन्दर हो, वाक़े होना चाहिये (इ ला रि. १३ बम्बई सफा २२)

जो वक़्त और घंटा नीलाम के वास्ते मुक़र्रर किया गया है उस के पेश्तर नीलाम अमल में नहीं आना चाहिये (इ ला रि १६ कलकत्ता सफा ७१४) और न कोई नीलाम तारीख मुकर्रर के पेश्तर किया जा सक्ता है (२५ वीकली रिपोर्टर सफा ३२८).

बाज नीलाम का बचाव — ७० कायदे ६६ से ६९ तक की कोई इबारत उन सूरतों से मुताल्लुक नहीं होगा जिस में डिकरी इजरा कलेक्टर के पास मुन्त किल हो गई हो

तशरीह —यह क़ायदा पुराने एक्ट की दफा २८७ के अखीर फिकरा से कायम किया गया है.

देखो दफा ६८ से ७२ वो जमीमा (३) वास्ते इजराय डिक्री बजरिये कलेक्टर—

बाकीदार खरीदार वस नुकसान का जिम्मेदार है जो दुबारा नीलाम से हो — ७१ ओहदेदार या दीगर अफसर नीलाम को लाजिम है कि कीमत की कमी जो दुबारा नीलाम में बसबब कसूर खरीदार नीलाम के हो, मे खरचा कुल के जो ऐसे दुबारा नीलाम से मुताल्लुक हो अदालत में या कलेक्टर उस के मातहत हाकिम के रूबरू (जैसी सूरत हो) लिख कर दे-और वह कमी कीमत वो खरचा डिकरीदार या मदयून डिकरी की दरखास्त पर कसूरवार शख्स से ओहदेदार या दूसरा नीलाम करने वाला शख्स उन हुक्मों के बमूजिब वसूल करेगा, जो वास्ते इजरा डिकरी जरनक़्द के मुकर्रर है

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २९३ से कायम किया गया है.

व [illegible] वो ८६ [illegible] मुताल्लुक हैं—इस कायदे के रू से जो हुक्म दिया [illegible]सूखी [illegible] सक्ता है [illegible] ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १९

इस [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] वह नीलाम मनकूला [illegible] ७७—८४ वो [illegible] [illegible] कत्ता जिल्द

जायदाद का कोई खरीदार जो बमूजिब कायदा ८४ रूपया दाखिल न करें वह बाकीदार खरीदार है—[इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ५ सफा ५७५] खुद डिक्रीदार भी बाकीदार खरीददार हो सकता है (इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १२ सफा ४५४)

इस कायदे के मुताबिक जो हुक्म दिया जाय उस की अपील और दोयम अपील हो सक्ती हैं (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २५ सफा ११)

इस कायदे के रू से दुबारा नीलाम से वह नीलाम मुराद है जो उसी जायदाद के निसबत किया जाय कि जो पेश्तर नीलाम हो चुकी है और जायदाद की तफसील भी उसी किस्म की दर्ज की जाय और अगर उन अमूरात के निसबत कि जो बमूजिब कायदा नम्बर ६६ दर्ज होना चाहिये भारी फर्क दरमियान तफसील नीलाम अव्वल वो नीलाम दोयम के पाई जाय तो डिक्री कमी कीमत नीलाम के वसूल करने का हकदार न होगा (इ. ला. रि. १६ कलकत्ता सफा ५८)

७२ (१) वह डिकरीदार जिस की डिकरी के अदाई के लिये जायदाद नीलाम की जाय, बिला साफ इजाजत अदालत जायदाद नीलाम के लिये न तो बोली बोले न उस को खरीद करे

डिकरीदार बिला हासिल करने इजाजत नीलाम में बोली नहीं बोल सका

(२) अगर डिकरीदार ऐसी इजाजत हासिल करके जायदाद खरीद करे तो वह मतालबा जो डिकरी के रू से वाजबुलअदा हो और जर नीलाम बमुकाबले एक दूसरे के बरियाअत हुक्म दफा ७३ मुजरा हो सक्ता और अदालत डिकरी जारी करने वाली कुल या जुज अदाई डिकरी का उस के मुताबिक लिख देगी

डिकरदार की खरीदार जर डिक्री की अदाई समझी जायगी

(३) अगर डिकरीदार खुद या मारफत किसी शख्स के बिला हासिल करने ऐसी इजाजत के जायदाद खरीद करे तो अदालत अगर मुनासिब समझे दरखास्त मदयून या किसी और शख्स की दरख्वास्त पर जिसके हक पर नीलाम का असर पड़ा हो हुक्म वास्ते मनसूखी नीलाम सादिर करे और ऐस दरखास्त और हुक्म का खरचा और कमी कीमत की जो नीलाम दुबारा के सबब से हुआ हो और कुल खरचा दुबारा नीलाम का डिकरीदार से अदा कराया जायगा

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २९४ से कुछ तबदीली के साथ कायम किया गया है.

डिक्रीदार अगर जायदाद खरीद करे तो वह बशर्त महफूज नतीजा मुकद्दमा दरम्यान उस के वो मदयून डिकरी के खरीद करता है (इ. ला. रि. मद्रास जि०

२७ सफा ६८)

जब डिक्रीदार और नाबालिग मुद्दायलेह का मेनेजर, खानदानी में शामिल शरीक हे तो डिक्रीदार को इजाजत खरीद करने की नहीं देना चाहिये (इं. ला. रि कलकत्ता जि. ७ सफा ३४५ वो २३ मद्रास सफा २२७ प्रिवी कौंसिल).

नीलाम मनसूख करने के लिये मदयून डिक्री नालिश नम्बरी के जरिये से चारा जोई नहीं कर सक्ता है (इ. ला. रि बम्बई जिल्द २२ मफा २७१)

जब नीलाम में बोली बोलने की इजाजत नामनजूर कर दी गई तिस पर भी डिकरीदार जायदाद खरीद करे तो अदालत नीलाम को अमल में लाने से इनकार करेगी–(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द १० सफा ७५७). लेकिन ऐसा नीलाम बिलकुल नाजायज नहीं है, बलकि वह उस वक्त तक जायज बना रहेगा कि जब तक वह मनसूख न किया जाय (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ५/८).

गौर इस अमर का कि आया कोई नीलाम बएवज कीमत मुनासिब या गैर मुनासिब के हुआ है ऐसी दरखास्त पेश होने पर करना चाहिये कि जो नीलाम के मनसूखी के बारे में पेश की जायगी (इं. ला. रि. कलकत्ता जि, ११ सफा ७३१)

जो हुक्म इस कायदे के बमुजिब सादिर किया जावे उस की अपील अजरूय आर्डर नम्बर ४३ कायदा १ के होगी मगर अपील दोयम न होगी (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २१ सफा ७८६) जो दरखास्त इस कायदे के मुताबिक वास्ते मनसूखी नीलाम के पेश की जाय, उस की मियाद तारीख नीलाम से ३० रोज की बमुजिब मद १६६ जमीमा २ एक्ट मियाद के है

अगर डिक्रीदार को बोली बोलने की इजाजत न दी जाय, तो उस की अपील न होगी—(इ ला. रि. कलकत्ता जि. ३७ सफा ७१७).

अहदेदार न नीलाम में बोली बोल सके है न जायदाद खरीद कर सके है.

७३ कोई ओहदेदार या दूसरा शख्स जो किसी नीलाम के ताल्लुक कोई काम करता हो वाला वाला या दूसरे के मारफत जायदाद के लिये नीलाम में बतौर खरीददार के बोली न बोले, या ऐसी जायदाद में कोई हक हासिल न करे, और न हासिल करने की कोशिश करे

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २९२ से कायम किया गया है

फरीकैन के वकील इजराय डिकरी के नीलाम में जायदाद खरीद करने से महरूम

नहीं किये गये हैं (इ ला रि मद्रास जि. १० सफा १११)

देखो दफा १३६ एक्ट इन्तक़ाल जायदाद

जायदाद मनकूला का नीलाम.

७४ (१) अगर नीलाम होने वाली जायदाद पैदावर कारतकारी के किस्म में से हो तो नीलाम,

नीलाम पैदावार कारतकारी

(क) खड़ी फसल की सूरत में उस जमीन पर या उस के नजदीक किया जायगा जहां फसल लगी हो—या,

(ख) अगर फसल काट ली गई हो, या जमा कर ली गई हो, तो खलयान में, या उस के नजदीक जहां दावन वगैरा के लिये जमा की गई हो, और चारा के हालत में उस जगह, जहां उस का ढेर किया गया हो, नीलाम होगा

मगर शर्त यह है कि अदालत की राय में अगर जियादा मुनाफा की उम्मेद हो तो नीलाम ऐसी जगह करने के लिये हुक्म दे, जो आम लोगों के आने जाने की जगह हों

(२) अगर नीलाम फसल के वक्त

(क) कीमत नीलाम करने वाले शख्स के अन्दाज में पूरी न लगे—और,

(ख) फसल का मालिक या उस के तरफ से अखत्यार रखने वाला शख्स दरख्वास्त करे कि किसी आने वाले दिन तक या बाजार के दूसरे रोज तक जगह वहां बाजार लगता हो नीलाम मुलतवी किया जावे—तो नीलाम इस तरह मुलतवी कर दिया जाय और दूसरे तारीख में जो कीमत लगे उस पर नीलाम खतम किया जाय

तशरीह —यह कायदा नया कायम किया गया है

७५ (१) अगर नीलाम होने वाली जायदाद खड़ी हुई फसल हो, जो जमा की जा सकी है, मगर जमा न की गई हो, तो उस के नीलाम के वास्ते ऐसी तारीख मुकर्रर न की जायगी कि उस के पहले जमा करने के लायक हो जाय, और जब तक फसल काट या जमा न कर ली जाय या जमा करने के लायक न होले उस वक्त तक नीलाम न की जायगी

फसल खड़ी हुई के निसबत खास हुक्म

(२) अगर फसल इस किस्म की हो कि जमा नहीं की जा सकी है, तो काटने और जमा किये जाने से पहिले नीलाम हो सक्ती है, और लाजिम है

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २९९-३०० वो ३०१ से कायम किया गया है

८० अगर दस्तावेज का लिखना इबारत मुन्तकिली उस फरीक के तरफ से जिस के नाम कोई दस्तावेज काबिल बे वो शरा या किसी जमानत सनद याफ्ता का हिस्सा लिखा हुआ हो, वास्ते इन्तकाल उस दस्तावेज काबिल बे वो शरा, या हिस्सा के हो, तो जज्ज या वह उहदेदार जिस को वह इस गरज से मुकर्रर करे ऐसी दस्तावेज को तहरीर करे, या ऐसी इबारत इन्तकाली लिख दे, जो जरूरी हो और ऐसी तामील और इबारत मुन्तकिली का वही असर होगा, जैसा कि तकमील या इबारत मुन्तकली फरीक के तरफ से हो—

इतकाल दस्तावेज काबिल बे वो शरा और हिस्सा

[२] इबारत मुन्तकली या तहरीर का नमूना नीचे लिखे मुताबिक होगा—याने

[क], [ख] के तरफ से (ग) (घ) जज अदालत (या जैसी सूरत हो) बमुकदमे में (ङ) वो (च) बनाम (क), [ख]

[३] जब तक कि दस्तावेज या हिस्सा मजकूर का इन्तकाल न हो अदालत को अख्त्यार है कि किसी शख्स को वास्ते वसूली सूद, या हिस्सा मुनाफा के जो उस के बाबत पाना हो, और उस की रसीद पर दस्तखत कर देने के लिये बजरिये हुक्म के मुकर्रर करे—और इस तरह की रसीद दस्तखती कुल बातों की निसबत मिसल दस्तखती खुद उसी फरीक के जायजऔर मुकम्मील होगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३०२ से कायम किया गया है

८१ किसी जायदाद मनकुला जिस का जिकर ऊपर नहीं किया गया है अदालत खरीदार को या जिसे वह बतलाय, उस जायदाद के मिलने का हुक्म दे, और उसी के मुताबिक वह जायदाद मिलेगी

दीगर जायदाद के सूरत में हुक्म हवालगी

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३०३ से कायम किया गया है

मनकूला.

८२ ... नीलाम ... से ... अदालत के हो

तशरीह'—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३०४ के कायम किया गया है

जायदाद गैर मनकूला का नीलाम अगर अदालत मताजबे खफीफा से हो तो उस से खरीदार को कोई हक हासिल नहीं होता है (१७ वीकली रिपोर्टर सफा ३०९)

जब अदालत खफीफा डिकरी का इजरा बजरिये कुरकी और नीलाम जायदाद गैर मनकूला मुद्दायलेह की करना चाहे तो उसे चाहिये कि दफा ३९ मे लिखा हुआ जाब्ता कार्रवाई का अमल में लावे (इ ला. रि मदरास जिल्द ७ सफा ५९२)

जायदाद गैर मनकूला के नीलाम का मुलतवी किया जाना ताकि मदयून डिकरी जर डिकरी का इन्तजाम करे

८३ (१) जब हुक्म वास्ते नीलाम जायदाद गैर मनकूला के हुआ हो और अगर मदयून डिकरी अदालत का इतमीनान कर सके, कि इस बात के यकीन की वजह है, कि डिकरी का रूपया बजरिये रहन या ठेका, या बै ऐसे जायदाद के, या उस के किसी हिस्सा के, या मदयून डिकरी की किसी और जायदाद गैर मनकूला के, वसूल हो सका है, तो मदयून डिकरी के तरफ से इस बात की दरख्वास्त गुजरने पर कि जायदाद के नीलाम को जो नीलाम के हुक्म में दरज हो ऐसी शर्त पर और उस अरसे तक जो अदालत को मुनासिब मालूम हो मुलतवी रखे, ता कि मदयून डिकरी, रूपया की तजवीज कर सके

(२) ऐसी हालत में मदयून डिकरी को एक सारटीफिकट अदालत से दिया जायगा, जिस में उस को अखत्यार दिया जायगा कि वह बावजूद होने किसी हुक्म दफा ६४ के एक मियाद मुकर्रर की हुई के अन्दर जो सारटीफिकट में लिखी होगी रहन या ठेका, या अपने दरख्वास्त के मुताबिक करे

मगर शर्त यह है कि जो रूपया ऐसे रहन या ठेका या बै के बाबत वाजबुलअदा हो, वह मदयून डिकरी को न मिलेगा बलकि अदालत में जमा किया जायगा, उस रकम को छोड कर के जिस के मुजराई का डिकरीदार कायदा ७२ के रू से मुस्तहक हो

और यह भी शर्त है कि कोई रहन या ठेका या बै जो इस कायदा के रू से किया जाय, उस वक्त तक पक्का न समझा जायगा, जब तक कि अदालत से उस की मनजूरी न दी जाय

(३) इस कायदे का कोई मजमून उस जायदाद के नीलाम से मताल्लुक न होगा जिसे ऐसी डिकरी के इजरा में नीलाम करने का हुक्म दिया जाय कि जो जायदाद मजकूर के रहन या मवाखजा के जरिये से नीलाम के लिये हो

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा २९९-३०० वो ३०१ से कायम किया गया है

८० अगर दस्तावेज का लिखना इवारत मुन्ताकिली उस फरीक के तरफ से जिस के नाम कोई दस्तावेज काबिल वे वो शरा या किसी जमानत सनद याफ्ता का हिस्सा लिखा हुआ हो, वास्ते इन्तकाल उस दस्तावेज काबिल वे वो शरा, या हिस्सा के हो, तो जज्ज या वह उहदेदार जिस को वह इस गरज से मुकर्रर करे ऐसी दस्तावेज को तहरीर करे, या ऐसी इवारत इन्तकाली लिख दे, जो जरूरी हो और ऐसी तामील और इवारत मुन्ताकिली का वही असर होगा, जैसा कि तकमील या इवारत मुन्तकली फरीक के तरफ से हो—

इतकाल दस्तावेज काबिल बे वो शरा और हिस्सा

[२] इवारत मुन्तकली या तहरीर का नमूना नीचे लिखे मुताबिक होगा-याने

[क], [ख] के तरफ से (ग) (घ) जज अदालत (या जैसी सूरत हो) बमुकदमे में (ङ) वो (च) बनाम (क), [ख].

[३] जब तक कि दस्तावेज या हिस्सा मजकूर का इन्तकाल न हो अदालत को अखत्यार है कि किसी शख्स को वास्ते वसूली सूद, या हिस्सा मुनाफा के जो उस के बाबत पाना हो, और उस की रसीद पर दस्तखत कर देने के लिये बजरिये हुक्म के मुकर्रर करे-और इस तरह की रसीद दस्तखती कुल बातों की निसबत मिसल दस्तखती खुद उसी फरीक के जायजऔर मुकम्मील होगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३०२ से कायम किया गया है

८१ किसी जायदाद मनकूला जिस का जिकर ऊपर नहीं किया गया है अदालत खरीदार को या जिस वह बतलाय, उस जायदाद के मिलने का हुक्म दे, और उसी के मुताबिक वह जायदाद मिलेगी

दीगर जायदाद के सूरत में हुक्म हवालगी

तशरीह —यह कायदा पुराने एकट की दफा ३०३ से कायम किया गया है.

नीलाम जायदाद गैर मनकूला.

८२ गैर मनकूला जायदाद का इजराय डिकरी में नीलाम हर अ के हुक्म से सिवाय अदालत मताल्ये खफीफा सक्ता है

कौन अदालत नीलाम का हुक्म दे सक्ती है

इश्तहार के जो उसी तरीके और बाद मुकर्ररी उसी मियाद के हो, जो पिछली दफाओं में नीलाम के लिये मुकर्रर है, अमल में आय

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३०९ से कायम किया गया है—इस कायदे के रू से जर समन न दाखिल करने की हालत में दुबारा नीलाम के लिये सानी इश्तहार जारी होना चाहिये—लेकिन जब जायदाद फौरन बमुजिब कायदा न० ८४ के नीलाम की जावे तो नया इश्तहार जारी करना जरूर नहीं है—(इ ला रि मद्रास जि० १९ सफा ४५४०)

हिस्सेदार की बोली पहली समझी जावेगी

८८ अगर वह जायदाद जो नीलाम की जाय हिस्सा किसी जायदाद गैर मनकूला बिला तकसीम किये हुये का हो, और दो या जियादा शख्स जिन में से एक हिस्सेदार उस जायदाद का हो, ऐसे जायदाद या उस के किसी जुज के लिये एक ही तादाद की बोली बोले तो वह बोली बतौर बोली हिस्सेदार की समझी जायगी

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३१० से कायम किया गया है

मामूली कानून हक शफा का इजराय डिकरी के नीलाम से लागू है इसलिये इस कायदे के रू से चारा जोई मिलती है (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १३ सफा २२४-२८)

किसी हिन्दू खानदान शामलाती और बगैर तकसीम किये हुये का शरीकदार अलावा उस साझेदार के जो कलक्टर के रजिस्टर में बतौर हिस्सेदार महाल के दर्ज है हिस्सेदार समझा जावेगा (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा १८४)

शफायत हकशफा बमुजिब शरह मोहम्मदी इस कायदे के रू से जो दावा किया जाय उस में लागू नहीं है [१ एन डबलीयू पी. हाई कोर्ट रिपोर्ट सफा २८९]

इस कायदे के रू से वह शख्स जो दावा करता है उस की तरफ से नालिश कबजा काबिल समायत नहीं है—दावीदार को चाहिये कि उस हुक्म के मनसूखी की नालिश करे जिस के जारिये से अदालत ने नीलाम को खरीदार के नाम मनजूर किया है—और उसमें दादरसी वास्ते कायम कराने अपने हक के मांगी जावे [७ एन—डबलीयू—पी हाई कोर्ट रिपोर्ट सफा ९७]

जिस दिन कचहरी खुले उस दिन रूप्या दिया जाना चाहिये (१३ मदरास ला जरनल रि. सफा २७१)

खरीदार को मनिआर्डर बजरिये डाकघर भेज देने से कायदे की तामील नहीं होती है—उस को देखना चाहिये कि रूप्या अदालत में वक्त पर पहुच जाय (इ ला रि बम्बई जिल्द २२ सफा ४१५)

जब अदालत खजाना में चालान भेज दे और खजाना उस रोज बन्द हो गया है और रूप्या दूसरे रोज अदालत में दाखिल हो जाय तो रूप्या का दाखिल करना अन्दर मियाद के समझा जावेगा (इ. ला. रि मदरास जिल्द ७ सफा २११).

जर समन अदा न करने के हालत में कार्रवाई

८६ अगर जरनीलाम उस मियाद के अन्दर जिस का जिकर पिछले कायदा में किया गया है, दाखिल न किया जाय तो रूपया अमानती बाद अदा करने खर्चा नीलाम के सरकार में जब्त हो जावेगा, अगर अदालत ऐसा मुनासिब समझे, और वह जायदाद दुबारा नीलाम की जायगी, और कसूरवार खरीदार का हक निसबत जायदाद या उस के किसी हिस्सा जर समन नीलाम में जो बाद को हो, कुछ बाकी नहीं रहेगी

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३०८ से कायम किया गया है.

सिर्फ अमानत जब्त हो सक्ती है न कि वह हक जो डिक्रीदार को डिक्री की रू से हासिल हैं (७ वीकली रिपोर्टर सफा ११०).

मदरास हाई कोर्ट की यह राय है कि जब किसी मुकदमा में खुद डिक्रीदार अदालत की इजाजत लेकर खरीदार नीलाम करार दिया गया है और अदालत में रूप्या न पटाने की हालत में दुबारा नीलाम का हुक्म सादिर किया गया हो तो वह याने डिक्रीदार खरीदार बमूजिब दफा ४७ के अपील कर सक्ता है (इ. ला रि. मद्रास जिल्द १६ सफा २०).

अमानती रूप्या जब्त करना लाजमी नहीं है वलकि अदालत के मरजी पर है (इ ला रि मद्रास जिल्द ३५ सफा ५३५)

इत्तहार दर सूरत नीलाम सानी जायदाद गैर मनकूला

८७ जब जर समन उस मियाद के अनदर जो उस के अदा करने के लिये मुकर्रर है, अदा न हो, तो हर नीलाम सानी जायदाद गैर मनकूला का, बाद जारी होने नये

सफा ४५०).

अगर मदयून अपनी जायदाद गैर मनकूला दौरान कुरकी बेंच दे तो वह इस कायदा के रू से मनसूखी नीलाम की दरख्वास्त न दे सकेगा, गो पुरानी दफा की रू से दे सक्ता था—(इं ला रि बम्बई जिल्द २५ सफा ६३१) —

इसी तरह अगर मदयून अपनी जायदाद को नीलाम के बाद तीसरे शख्स को बेंच दे तो वह दरख्वास्त न दे सकेगा (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द ३४ सफा १८६)—

मगर खरीदार जिसने मदयून से खरीदा है ऐसी दरखास्त मनसूखी नीलाम की दे सक्ता है या नहीं—इसके बारे में हाई कोर्ट मद्रास की राय है कि हो वह दे सक्ता है लेकिन हाई कोर्ट अलाहाबाद की राय है कि वह नहीं दे सक्ता—(इं ला. रि मद्रास जिल्द ३८ सफा ७७५ ७७—७९, इं ला रि. जिल्द ३४ सफा १८६)—

नीलाम के मनसूखी की दरख्वास्त बे जाब्तगी या फरेब की वजह पर

९० अगर कोई जायदाद गैर मनकूला किसी डिकरी के इजरा में नीलाम की गई हो, तो डिकरीदार या वह शख्स जो वसूल हुये रूपया की तकसीम रसदी में हिस्सा पाने का मुस्तहक हो, या जिस के हक में ऐसे नीलाम से असर पहुंचे अदालत में दरख्वास्त वास्ते मनसूखी नीलाम किसी भारी बेजाब्तगी या फरेब की बिना पर जो उस नीलाम के इश्तहार करने में या अमल में लाने में हुई हो, दे

मगर शर्त यह है कि कोई नीलाम बेजाब्तगी या फरेब की वजह से उस वक्त तक मनसूख न होगा जब तक कि उन वाकेआत से जो साबित हुये हैं, अदालत का इतमीनान न हो जाय कि सायल को दर असल नुकसान ब वजह बेजाब्तगी या फरेब पहुंचे है

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३११ से कायम किया गया है

इस कायदे के रूसे नीचे लिखे हुए शख्स दरखास्त दे सके हैं

(१) डिक्रीदार,

(२) कोई शख्स जो रूपया में हिस्सा रसदी पाने का मुस्तहक हो,

(३) कोई शख्स जिस के हक पर नीलाम से असर पहुचा है,

(४) बमूजिब दफा १४६ कोई शख्स जो ऊपर लिखे हुए शख्सों के

१८ सफा ४७७ वो २२ कलकत्ता सफा ७६७).

जब नीलाम उस डिकरीदार को रुपया देने के बाद मनसूख किया गया जिस ने नीलाम कराया था तो दूसरे डिकरीदार की दरखास्त पर जो कुरक हुई है वह मनसूख नहीं होती है (१३ मदरास ला. जरनल रि. सफा २२१) जब दरखास्त बमूजिब दफा ७३ के है तो नीलाम मनसूख होना चाहिये (इ. ला रि बम्बई जिल्द ३१ सफा २०७) सिर्फ जरनीलाम के अदालत में दाखिल कर देने से इस कायदे की तामिल नहीं होती है (इ ला. रि बम्बई जिल्द २३ सफा ७२३).

रुपया ३० दिन में दाखिल करना चाहिये और यह अमर के दरखास्त ३० रोज में दी गई, गैर जरूरी है (७ बम्बई ला रि. सफा २६३).

अगर डिक्रीदार खरीदार हो तो वह जरसमन पर ५) रुपया सैकड़ा पाने का मुस्तहक है (इ. ला. रि. २६ कलकत्ता सफा ४११ जलसा कामिल)

इस कायदे के रू से जो दरखास्त दी जाय उस के जरूरी फरीक खरीदार वो डिक्रीदार हैं (इ. ला री १५ अलाहाबाद सफा ४०७).

दरखास्त गुजरने का नोटिस उन हर शख्सों को देना चाहिये जिन को उस से असर पहुचना है (देखो कायदा ९२).

नीलाम मनसूख करने के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती (इ. ला रि. २७ अलाहाबाद सफा २६३)

तारीख नीलाम से न कि तारीख मनजूरी नीलाम से तीस दिन के अन्दर दरखास्त बमूजिब इस कायदा के पेश की जानी चाहिये [इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २९ सफा ६२६]

(अ) ने अपनी कुछ जायदाद गैर मनकूला (ब) को बजरिये बखशीश या बै मुन्तकिल किया—बाद को वह जायदाद बतौर जायदाद (अ) के (क) की डिक्री की इजराय में जो (अ) पर थी कुर्क की गई—(ब) बतौर मालिक जायदाद इस कायदा के मुआफिक मनसूखी नीलाम की दरखास्त दे सक्ता है—पुराने दफा की रू से वह दरखास्त नहीं दे सक्ता था, क्यों कि कुर्की वो नीलाम बाद मुन्तकली वाके हुआ—और अगर मुन्तकली दौरान कुर्की में हुई हो, तो पुरानी दफा के मुआफिक दरखास्त मन्सूखी नलिाम की जा सक्ती थी—(इ. ला. रि बम्बई जिल्द २८

जब मरे हुये मदयून डिक्री के कायम मुक़ाम जायज का नाम मिसल में दर्ज किये बगैर कोई जायदाद नीलाम की जाय तो इस से नीलाम नाजायज नहीं होता है बलके यह अमर बतौर बे जाब्तगी के कहा जा सक्ता है और इसी तरह पर वैसी ही बे जाब्तगी उस वक्त भी कही जायगी कि जब किसी नाबालिग मुद्दायलेह का वली न कायम करके उस की जायदाद नीलाम पर चढ़ाई जाय (इ. ला रि. २३ कलकत्ता सफा १८६)

खरीदार इस वजह पर नीलाम मनसूख कराने का मुस्तहक नहीं है कि उस को नीलाम की हुई जायदाद की मिकदार के समझने में धोका हुआ (इ. ला रि २० कलकत्ता ८ प्रिवी कौंसिल)

जब के नीलाम बाद मुश्तहर किये जाने इश्तहार तीसरे रोज हो और मदयून डिक्री नीलाम के वक्त हाजिर है और जायदाद खरीद करता है तो वह नीलाम मन्सूख नहीं करा सक्ता (इ. ला रि ८ कलकत्ता सफा ६३२)

यह कायदा रहन की डिक्री में जायदाद मरहूना के नीलाम से लागू है (इ. ला मद्रास जिल्द २५ सफा २४४ जलसा कामिल).

कोई नीलाम इस वजह पर मनसूख नहीं किया जा सक्ता और न वह नाजायज तसव्वर हो सक्ता है, कि डिक्री के हासिल करने में बे जाब्तगी हुई है.

मगर अदालत उन शख्सों की जायदाद को नीलाम नहीं कर सक्ती जो फरीक ऐसे नीलाम के कार्रवाई में नहीं थे या जो मिसल में मुनासिब तौर से फरीक नहीं बनाये गये ऐसा नीलाम नाजायज होगा अदालत से नीलाम इस वजह पर मनसूख नहीं होगा कि चंद नाबालिग जो खानदान के शरीकदार थे कार्रवाई में फरीक नहीं किये गये, बशर्ते कि वाकेआत से यह मालूम हो कि करजा शामलाती था, और मुतवफ्फी के तरफ वाजिब निकलता था और इस से गैर हाजिर नाबालिग का कोई नुकसान नहीं पाया जाता.—(इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ३२ सफा २६६-३१४ प्रिवी कौंसिल).

इस कायदे के रू से दरखास्त खारिज हो जाने से मनसूखी डिकरी की नालिश इस वजह पर कि वह फरेब से हासिल की गई गैर काबिल समाअत नहीं होती है (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २४ सफा ५४६).

तरफ से दावीदार हों दरखास्त दे सकते हैं.

एक्ट न० १४ सन १८८२ के रूसे जो शख्स दरख'स्त कर सक्ते थे, वह यह है'—(१) डिक्रीदार (२) कोई शख्स जिस की जायदाद गैर मनकूला नीलाम हुई हो और यह राय करार दी गई है, के नीचे लिखे हुए शख्स दरखास्त नहीं कर सक्ते. [१] खरीदार नीलाम (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ५५४-५५६) कोई शख्स जिस ने जायदाद इजराय डिक्री साबित में खरीद किया है और ऐसा नीलाम साबित मनजूर नहीं हुआ है [इ ला. रि. ८ कलकत्ता सफा ३६७] वह खरीदार जिस ने कब्ल कुरकी मदयून डिक्री म जायदाद खरीद किया है [इ ला रि कलकत्ता जिल्द १९ सफा ४८८] कोई शख्स जो जायदाद बिला तकसीम किये हुऐ में हिस्सेदार होने का दावा करता है (इ ला रि ५ अलाहाबाद सफा ४२)

नीचे लिखे हुये शख्स दरखास्त देने के मुस्तहक करार दिये गये हैं-कोई मुरतहन जिस के पास जायदाद नीलाम की हुई रहन (इं. ला रि. १३ कलकत्ता सफा ३४६).

कोई शख्स जो उस जायदाद से फायदा उठाने वाले मालिक होने का दावा करते हैं जो बतौर जायदाद जाहरा मालिक के नीलाम की गई है—(इ ला. रि. २० कलकत्ता सफा ४१८) कोई शख्स जो कबल कुरकी हक के खरीदार होने का दावा करे (इं ला रि २२ कलकत्ता सफा ८०२/

इस कायदे के मुताबिक दरखास्त की कारवाई में डिक्रीदार जरूरी फरीक है (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द १५ सफा ४०७ `

किसी डिक्री के इजराय में जायदाद गैर मनकूला के नीलाम के पेश्तर कुरकी का न होना बड़ी बेजाब्तगी है—(इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द २१ सफा ३११).

अगर कुरकी गलत दफा के रू से की गई है तो नीलाम नाजायज नहीं है (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १८ सफा ४६६).

तातील के रोज नीलाम का होना बेजाब्तगी नहीं है (इ. ला रि. ३ अलाहाबाद सफा ३३३)

ला. रि कलकत्ता जिल्द १८ सफा ४२२).

(४) डोंडी या ढोल नहीं पीटना—देखो कायदा ६७ या ५४—(इ. ला. रि. बम्बई जि० १० सफा ५०४).

(५) ३० रोज की मियाद के पेश्तर यानी जब इश्तहार की नकल कचहरी में चिपकाई गई है उससे ३० रोज गुजर ने के पहिले नीलाम कर दिया गया हो—देखो कायदा ६८ [इ ला रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा ६६]—

(६) वक्त या घंटा नहीं लिखना जब कि नीलाम मुलतवी किया जाय—देखो कायदा ६९ [इ ला. रि कलकत्ता जि० २४ सफा २११]

(७) जब नीलाम ७ रोज से जियादा के लिये मुलतवी हो तो नया इश्तहार जारी न करना [इ ला रि कलकत्ता जि० ३ सफा ६४२] तावक्ते कि वैसा इश्तहार दर गुजर न किया गया हो—[इ ला रि कल जि० ३७ सफा ८९७] देखो कायदा ६९—

(८) २५ रुपया फी सैकड़ा जर समन का जमा न करना—देखो कायदा ८४—(इ ला रि इलाहाबाद जि० २८ सफा २३८)

(९) जब मुद्दायलेह की अदालत में डिक्री होने के बाद, मगर नीलाम होने के पहिले, फितूर आगया हो यानी वह पागल हो गया हो, और मुद्दई ने उस पागल की तरफ से कोई वली मुकर्रर न कराया हो—देखो आर्डर न ३२ कायदा १५ (इ. ला रि. मद्रास जि० १९ सफा २१९)

(१०) एक मदयून की जायदाद कुर्क की गई, मदयून डिक्री दौरान कुर्की में एक बेवा और एक नाबालिग लड़का छोड़ कर मर गया—कुर्की के बाद की कार्रवाई का नोटिस नाबालिग लड़के या उस के कायम मुकाम को नहीं दिया गया—उस की जायदाद १०९ गाव की थी, और नीलाम का इश्तहार सिर्फ एक गाव में ढोंडी पीठ कर किया गया—और उस गाव के एक दरख्त में चिपका दिया गया—और इश्तहार में यह दर्ज नहीं किया गया, कि उस जायदाद पर कितना बोझा है सिर्फ सालाना आमदनी वो मुनाफा वो कीमत

दरखास्त तारीख नीलाम से ३० दिन के अन्दर गुजरना चाहिये–मियाद बमूजिब दफा १८ एक्ट मियाद फरेब के वजह पर अगर दरखास्त मनजूरी नीलाम के पहले दी गई, तो बढ़ाई जा सक्ती है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६७६ वो (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ३० सफा १५३)

इस कायदे के मुताबिक दरखास्त खारिज किये जाने के हुक्म से जो अपील हुई हो उस की अपील दोयम नहीं हो सक्ती (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द १८ सफा ४२२).

अगर इस कायदे के मुताबिक दरखास्त अदम पैरवी में खारिज कर दी जावे और उस को नम्बर पर कायम करने की दरखास्त नामनजूर हुई हो तो उस हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती (इ. ला री. कलकत्ता जिल्द २७ सफा ४१४).

मनसूखी नीलामः—नीलाम सिर्फ निचे लिखी हुई चार सूरतों में मनसूख होगा —

(१) जब कि भारी बेजाब्तगी या फरेब हुआ हो—

(२) ऐसी भारी बेजाब्तगी या फेरब निलाम के मुश्तहर करने या अमल में लाने में किया गया हो—

(३) सायल को भारी नुकसान पहुचा हो—

(४) ऐसा भारी नुकसान वैसे भारी बेजाब्तगी या फरेब की वजह से हुआ हो—

भारी बेजाब्तगी या फरेबः—नीचे लिखी १० किस्म की गलतियां भारी बेजाब्तगी या फरेब में दाखल होगी—

(१) नीलाम के इश्तहार में जायदाद की तफसील या उस की जमा, या उस की आमदनी या उस पर कितना बोझा है दर्ज न करना (इ ला रि. मदरास जिल्द २३ सफा १२८) देखो कायदा ६६.

(२) इश्तहार नीलाम में सरकारी जमा गलत लिखना जिससे बोली बोलने वाले बहक जावें–(इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द २० सफा ४१२) देखो कायदा ६६.

(३) इश्तहार नीलाम की नकल नहीं लगाना–देखो कायदा ६७ (इ.

जाय वह काबिल अपील होगा—देखो आर्डर न० ४३ कायदा १ जा

९२ (१) अगर कायदा ८९-९० या ९१ के रू से कोई दरख्वास्त न हो जाय, या अगर ऐसी दरख्वास्त पेश होकर के नामनजूर हो जाय, तो अदालत नीलाम के मनजूरी का हुक्म देगी और बाद को नीलाम मुकम्मिल हो जायगा

कब नीलाम मुकम्मिल या मनसूख होगा

[२] अगर ऐसी दरख्वास्त दी गई हो और वह मनजूर हो, जाय और कोई दरख्वास्त बमूजिब कायदा ८९ की सूरत में अगर वह रकम जो उस कायदा के रू से अदालत में दाखिल करना चाहिये, तारीख नीलाम से तीस दिन के अन्दर दाखिल कर दी जाय, तो अदालत हुक्म मनसूखी नीलाम का सादिर करेगी

मगर शर्त यह है कि जब तक कि दरख्वास्त की इत्तला कुल ऐसे शख्स को न दी जाय कि जिन के हक पर उस दरख्वास्त का असर पड़े कोई हुक्म सादिर नहीं किया जायगा

(३) कोई नालिश वास्ते मनसूखी किसी हुक्म के जो इस कायदा के बमूजिब सादिर हुआ हो उस शख्स की तरफ से दायर न हो सकेगी जिस के खिलाफ वह हुक्म सादिर हुआ हो

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३१२ वो ३१४ से कायम किया गया है—शिकमी कायदा ३ नया है.

जब नीलाम मुकम्मिल हो जाय तो वह कार्रवाई सिर्फ नालिश से मनसूख हो सक्ती है न कि बजरिये कार्रवाई बमूजिब कायदा ९० के (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द २१ सफा ४३४).

जब किसी अपील के मुलतवी रहते तक इजराय डिकरी में नीलाम हो और बाद को डिकरी मनसूख हो जाने तो डिकरी जारी करने वाली अदालत ऐसे मनसूखी डिकरी के बाद नीलाम मनजूर नहीं कर सक्ती (इ. ला० रि. अलाहाबाद जिल्द १० सफा ८३)

जब के नीलाम कलक्टरी से हो जहां कि डिकरी इजरा के लिये मुन्तकिल की गई है और इस कायदा के रू से वह नीलाम मनसूख कर दिया गया तो अदालत दीवानी में वास्ते बहाल वो मनजूर किये जाने नीलाम के नालिश हो सक्ती है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २० सफा ३७९)

जब खरीदार ने किसी फरेब या गलत बयानी से धोखा खाया हो तो नालिश

जायदाद दर्ज थी—वह जायदाद बहुत कम कीमत में नीलाम हुई और प्रीवी कौंसिल की राय में यह सब भारी बेजाब्तगी समझी गई नीलाम मनसूख किया गया—(इ. ला. रि कलकत्ता जि० ४० सफा ६३५)

मगर यह ख्याल रहे कि निलाम उस सूरत में मनसूव होगा जब कि यह साबित कर दिया जाय कि भारी बेजाब्तगी, या फरेब की वजह से सायल को दर असल भारी नुकसान पहुचा यानी यह साबित करना चाहिये कि अगर नीलाम मुश्तहर करने या अमल में लाने में वैसी भारी बेजाब्तगी या फरेब न होता तो नीलाम में जायदाद की जियादा कीमत चढ़ती —(इ. ला. रि कलकत्ता जि० २१ सफा ६३)

९१ इजराय डिकरी के नीलाम में खरीदार अदालत में दरख्वास्त मनसूखी नीलाम की इस वजह पर दे सक्ता है कि मदयून जायदाद नीलाम की हुई में कोई हक काबिल नीलाम नहीं रखता है.

दरख्वास्त खरीदार निसबत मनसूखी नीलाम जायदाद इस बिना पर कि मदयून का कोइ हक काबिल नीलाम नहीं है

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३१३ से कायम किया गया है. यह कायदा खरीदार से लागू है उन की मनशा में ऐसी सूरत दाखिल है कि जब कोई शख्स जिस की जायदाद नलिाम होती हो कोई हक काबिल नीलाम जायदाद मजकूर में न रखता हो—(इ ला. रि. जि० २० कलकत्ता सफा ८ प्रीवी कौंसिल)

वह याने कायदा मजकूर उस मुकदमात में लागू है जिन में मदयून डिक्री का जायदाद में कोई हक काबिल नीलाम नहीं है और उन मुकदमात में लागू नहीं है जिस में जायदाद के सिर्फ एक हिस्से में उस का हक काबिल नीलाम न हो (इ. ला रि. अलाहाबाद जि० २७ सफा ५३७)

जब डिक्री कलेकटर के यहा वास्ते इजरा मुन्तकिल कर दी गई तो कलेकटरी से जो नीलाम हो उस का खरीदार दरखास्त कर सक्ता है [इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० ६ सफा ४३]

इस कायदे के रू से दरखास्त देने की मियाद बमूजिब मद न. १६६ जमीमा २ एक्ट मियाद के तारीख नीलाम से ३० दिन की है.

इस कायदा के रू से जो हुक्म निसबत मनसूखी या गैर मनसूखी नीलाम किया

जब मदयून डिक्री के अलावा दूसरा शख्स खरीदार के कबजा मिलने में मजाहिमत करे तो फिर वह इस कायदा के रूसे दरखास्त नहीं कर सक्ता है—वह सिर्फ कायदा ६७ की रूसे दरखास्त कर सक्ता है या नालिश नम्बरी दायर कर सक्ता है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २६ सफा ३६५) और जब उस की दरखास्त इस वजह पर नामनजूर कर दी गई है कि वह बेरूं मियाद है तो भी वह नालिश कर सक्ता है [इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २८ सफा ४६३)

जब कि खरीदार नीलाम को कबजा बराय नाम दिया गया और असली कबजा मदयून डिक्री के पास रहा तो ऐसे बराय नाम कबजा दिये जाने की तारीख से खिलाफ मदयून डिकरी निसबत नालिश कबजा जायदाद नीलाम शुदा के नई बिनाये मुखासमत पैदा होती है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १६ सफा ४६६)

जब कि डिकरीदार जायदाद नीलाम कराये और खुद खरीद करे तो उस को इस कायदा के मुताबिक कबजा की दरखास्त करना चाहिये न कि बमूजिब दफा ४७ के (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १८ सफा ३६).

किसी हिंदू शामलात खानदान के गैर तकसीम किये हुये मेम्बर के हिस्से का खरीदार नीलाम अदालत बटवारा वो ऐसे मेम्बर को हिस्सा दिलाये जाने की नालिस करने का हक हासिल करता है मगर-वह इस कायदा के रू से दरखास्त देकर हुक्म हासिल नहीं कर सक्ता है और इस कायदा के मुताबिक दरखास्त खारिज हो जाने से नालिश बटवारा गैर काबिल समाअत नहीं होगी (इ. ला. रि. मद्रास जिल्द २६ सफा २६४)

खरीदार नीलाम की दरखास्त मनजूर किये जाने के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २६ सफा २०७)

अदालत पर लाजिम नहीं है कि वह कबजा खरीदार को बगैर हासिल करने सार्टिफिकट नीलाम के दिलावे (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ५ सफा २०६)

कबजा के निसबत दरखास्त पेश करने का हक खरीदार का उस वक्त पैदा होता है कि जब सारटिफिकट दिया जाये याने उस वक्त कि जब सारटिफिकट जारी किया गया हो (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १७ सफा २२८)

६६ अगर नीलाम की हुई जायदाद आसामी या किसी और शख्स

अगर तहरीरी है तो उस पर स्टाम्प जरूर नहीं है [इ. ला. रि. १३ बम्बई सफा ६७०]

जब कोई सार्टिफिकट अदालत के तरफ से दिया जाय तो उस की तरमीम बजरिये दरखास्त तजवीज सानी बमूजिब दफा ११४ के हो सक्ती है [इ. ला. रि २६ कलकत्ता सफा ५३०], लेकिन ऐसी तरमीम बतौर कार्रवाई इकतरफा याने फरीक सानी के गैर हाजरी में न की जायगी [वीकली रिपोर्ट जिल्द २२ सफा ३०१].

सार्टिफिकट नीलाम की रजिस्ट्री लाजमी है [इ. ला. रि ४ बम्बई सफा १५५ वो देखो दफा १७ एक्ट रजिस्ट्री) लेकिन अगर किसी वजह से सार्टिफिकट नीलाम की, जो दे दिया गया है रजिस्ट्री न हो सकी हो तो अदालत नया सार्टीफिकट खरीदार को दे सक्ती है (इ. ला. रि ९ बम्बई सफा ४७२) लेकिन अदालत पर ऐसा नया सार्टिफिकट देना लाजिम नहीं है (इ. ला रि. ९ बम्बई सफा ५२६)

सार्टीफिकट नीलाम मिलने की दरखास्त बगैर कैद मियाद किसी वक्त भी की जा सक्ती है—[इ ला. रि बम्बई जिल्द ६ सफा ५८९]—

जायदाद जो मदयून डिकरी के कबजा में हो उस की हवालगी

९५ अगर नीलाम की हुई जायदाद गैर मनकूला मदयून डिकरी या उस के तरफ से किसी और शख्स के कबजे में हो जो ऐसे इस्तहकाक के जरिये से उस जायदाद के निसबत दावीदार हो कि ऐसे जायदाद के कुरकी के बाद मदयून डिकरी से हासिल हुआ हो और कायदा ९४ के बमूजिब उस जायदाद के बाबत सार्टिफिकट दिया गया हो, तो अदालत खरीदार की दरखास्त पर यह हुक्म देगी कि खरीदार मजकूर को या और शख्स को जिस को कि उस ने अपनी तरफ से कबजा लेने के लिये मुकर्रर किया हो, जायदाद मजकूर पर कबजा दिलाया जाय, और अगर जरूरत हो तो जो शख्स खाली करने से इन्कार करे वह निकाल दिया जाय

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३१८ से कायम किया गया है

इस कायदे के रूसे दरखास्त देने के लिये मियाद तारीख मुकम्मिल होने नीलाम से ३ साल की है [देखो मद १८१ नया एक्ट मियाद].

मुद्दायलेह दिवाला निकाले तो उसके लिये देखो दफा १६ (२) एक्ट दिवालिया सन १९०७ और अगर दिवालिया प्रेसीडेन्सी शहर में रहता हो, तो दफा १८ एक्ट दिवालिया शहर प्रेसीडेन्सी सन १९०९ लागू होगा—देखो कायदा १० इस आर्डर का

मुकद्दमे के साकित या डिसमिस किये जाने का असर

९ (१) जब कोई मुकदमा इस आर्डर के बमूजिब साकित हो जाय या डिसमिस किया जाय तो कोई नई नालिश उसी बिनाय दावा पर दायर न हो सकेगा

(२) मुद्दई या जो शख्स मरे हुये मुद्दई के कायम मुकाम जायज होने का दावा करता हो असाईनी या रिसीवर मुदायलेह दीवालिया की सूरत में वास्ते सादिर होने हुक्म मनसूखी वो हुक्म साकित या डिसमिसी मुकदमा के दरखास्त दे और अगर साबित हो जाय कि वह किसी काफी वजह के सबब से मुकदमे में पैरवी नहीं कर सका तो अदालत हुक्म साकित किये जाने मुकदमे या हुक्म डिसमिसी को मन्सूख करे ऐसी शर्त पर जो उस को खर्चा के दिलाने या न दिलाने के निसबत मुनासिब मालूम हो

(३) अहकाम दफा ५ एक्ट मियाद नम्बर १५ सन १८७७ ई० दरखास्त हाय बमूजिब शिकमी कायदा २ में लागू होंगे

तशरीह:— यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३७१—३७२ (क) से कायम किया गया है शिकमी कायदा ३ नया है

यह कायदा उन सूरतों में लागू नहीं है जिस में मुद्दालेह या रिस्पाडन्ट मर जावे (इ ला रि मद्रास जिल्द ७ सफा १९५) यह कायदा उन हुक्मों से लागू है जो बमूजीब कायदा ४ वो ८ सादीर किये जावें (इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा १६३)

मुकदमा के खतम किये जाने का हुक्म या खारजी मुकदमा के हुक्म को मन सूख करने से इनकार करने के हुक्म से अपील हो सकी है (देखो आर्डर ४३ । त भ)

देखो मद १७१ जमीमा २ एक्ट मियाद यानी ६० दिन या खारिज होने से—यह मियाद बढ़ भी सकी है अगर न करदे कि वह अन्दर मियाद मुकर्रर के किसी माकूल —देखो दफा ५ एक्ट मियाद वो फिकरा ३ इस

रहेगा-और जब कि डिक्री औरत मुदायलेह के ऊपर हो तो उस का इजराय सिर्फ उसी के ऊपर किया जायगा

(२) अगर मुक़दमा ऐसा हो जिस में कानून की रू से खाविन्द अपने औरत के कर्जे का जिम्मेदार हो, तो अदालत की इजाजत से डिकरी खाविन्द पर भी जारी हो सक्ती है-और अगर फैसला औरत के हक में सादिर हो तो बशर्ते कि खाविन्द कानून के बमुजिब डिकरी शुदा चीज के पाने का मुस्तहक हो वह डिकरी बइजाजत अदालत खाविन्द की दरखास्त गुजरने पर जारी हो सक्ती है

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३६६ से कायम किया गया है

जब दौरान मुकदमा में कोई शख्स मर जावे और उस के औरत का नाम मिसल में दरज हो और खिलाफ उसके फैसला सादिर किया जावे जो अपील से बहाल रहे तो वह डिकरी उस के दूसरे खाविन्द पर अगर वह इब्तदाई फैसला और कतई के दरम्यान में दूसरी शादी कर लेवे इजरा नहीं हो सक्ती है-(६ वीकली रिपोर्टर सफा ४४२).

किस सूरत में मुदई का दिवाला निकलना मुकदमे में हारिज होगा

९ (१) जिस मुदई के मुकदमे को उस का असाईनी (याने मुन्तकिल अलेह) या रिसीवर (याने मोहतमिम) वास्ते फायदा उस के साहूकारों के कायम रख सका हो उस का दिवाला निकालना माने उस मुकद्दमे के न होगा तावक्ते कि ऐसा मुन्तकिल अलेह या मोहतमिम मुकदमा की पैरवी करने या जमानत खरचा अन्दर उस मियाद के जिस का अदालत हुक्म दे दाखिल करने से इन्कार करे तावक्ते कि अदालत किसी खास वजह से इस के खिलाफ हुक्म दे

कार्रवाई जब कि मुन्तकिल अलेह पैरवी मुकदमा न करे या जमानत खरचा न दे

(२) जब कि मुन्तकिल अलेह या रिसीवर उस मुकदमे की पैरवी न करे और जिस मियाद के अंदर जमानत दाखिल करने का हुक्म है दाखिल करने से गलती या इन्कार करे तो मुदायलेह वास्ते डिसमिस होने मुकदमा के मुदई के दिवाला निकालने के बिना पर दरखास्त दे सक्ता है और अदालत मुकदा को डिसमिस करके मुदायलेह को उतना खरचा दिलाये जो मुकद्दमा की जवाब देही में उस पर पड़ा हो और ऐसे खरचा को बतौर करजा जिम्मेगी जायदाद मुदई साबित करना होगा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३७० से कायम किया गया है—और बमूजिब कायदा १२ कार्रवाई इजराय डिकरी में मुतल्लुक नहीं है.

यह कायदा उस वक्त लागू होगा, जब मुदई दिवाला निकाले—अगर

अलेहदा कर दिया जावे तो वह दूसरा शख्स इस कायदे में आ सक्ता है और मुकदमा जारी रख सक्ता है [इ ला रि बम्बई जिल्द ३० सफा २५०]

यह कायदा दिवालिया मुद्दायलेह को लागू होगा–अगर नालिश मुद्दायलेह पर निसबत दिलापाने कब्जा जायदाद गैर मनकूला दायर की गई हो—और मुद्दायलेह दौरान नालिश में डिकरी सादिर होने के पेश्तर दिवालिया करार दिया जाय और उसकी जायदाद आफिसियल असायनी के सिपुर्द की जाय तो आफिशियल असायनी मुद्दालेह करार दिया जा सक्ता है —(इ ला. रि बाम्बई जिल्द ३९ सफा ५६८).— लेकिन अगर नालिश मुद्दायलह की जात पर [न कि उस की जायदाद पर] नकदी रूपया की दायर की गई हो, और मुद्दायलेह दौरान नालिश में डिक्री सादिर होने के पेश्तर दिवालिया करार दिया जाय और इसकी जायदाद आफिशियल असायनी के सिपुर्द की जाय तो आफिशियल असायनी मुद्दायलेह करार न दिया जायगा—(इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द २२ सफा २५९)—

इस आर्डर का ताल्लुक अपील से

११ जहा इस आर्डर का ताल्लुक अपील से हो तो लफ्ज "मुद्दई" में अपीलान्ट और "मुद्दायलेह" में रिस्पान्डन्ट और "नालिश" में अपील दाखिल समझ जायेंगे

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५८२ (१) से कायम किया गया है—

इस आर्डर का ताल्लुक कार्रवाई इजराय डिकरी में

१२ कायदा ३ वो ४ वो ८ कार्रवाई इजराय डिकरी या हुक्म से मुताल्लुक न होंगे

तशरीह: – यह कायदा नया है

मुद्दई, वो मुतवफ्फी मुद्दई का कायम मुकाम जायज, या दिवालिया मुद्दई का रिसीवर या आसाईनी इस कायदा के मुआफिक दरखास्त दे सके हैं—

जाब्ता जब कि किसी हक का इन्तकाल कब्ल सुनाने हुक्म कतई के किया जाये

१० (१) और सूरतों में जो मुकदमे के तअकीकात में किसी हक के मुन्तकिल या पैदा या विरासतन हासिल होने की हो अदालत की इजाजत से मुकदमा मजकूर उस शख्स की तरफ से या उस के मुकाबले में जिन को हक मजकूर पहुंचा हो या विरासतन हासिल हुआ हो, जारी रखा जाये.

(२) किसी डिकरी का ता फैसला अपील कुरक किया जाना एक हक समझा जायगा जिस की रू से वह शख्स जो डिकरी मजकूर कुरक कराय जिमन (१) से फायदा उठाने का मुसतहक हो सक्ता है

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३७२ मे कायम किया गया है

दस्तावेज, राजीनामा जो अदालत में मुकदमा के मुलतवी रहने के हालत में पेश किया गया बतौर इन्तकालनामा तसव्वर नहीं हो सक्ता है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ५ सफा १२)

इस कायदे में जिकर किया हुआ हक वह हक होना चाहिये जो जायदाद मुतनाजिया मुकदमा में हो (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ३० सफा ६६१)

जब एक फरीक का नाम मिसल में इस कायदे के रू से दरज किया गया तो उस के निसबत मुकदमा नया नहीं है वह दायर किये हुये मुकदमा में शामिल किया गया है, और मुकदमा उस के खिलाफ या उस के तरफ से जारी रहता है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २३ सफा ३३५)

इन्तकाल बाद डिकरी में यह कायदा लागू नहीं है (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १० सफा ६७)

कोई शख्स इस कायदे के रू से खुद अपनी दरख्वास्त पर या फरीकैन मौजूदा मिसल के किसी की दरखास्त पर फरीक किया जा सक्ता है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १८ सफा २८५)

जब किसी मुकदमा में कोई रीसीवर मुकर्रर हो और वह दूसरे शख्स के साथ मिल कर नालिश बेदखली की करे, और उस मुकदमा के मुलतवी रहने के हालत में वह मुकदमा जिस में रिसीवर मुकर्रर हुआ है फैसल। हो जाये और रिसीवर

बम्बई जि० ३३ सफा ७२२, ७२६)

मुक़दमा उठाने की इजाजत न दी जायगी जब कि मुकदमा मुद्दई वो मुद्दायलेह का खतम हो गया हो और बाद खतम होने मुक़दमा के अदालत मुद्दई को ऐसा दस्तावेजात पेश करने का हुक्म दे जिस से मुद्दायलेह के दस्तावेज का असर रद्द होता हो और मुद्दई तारीख मुक़र्रर पर वैसा दस्तावेज पेश न करे–(इ ला रि बम्बई जि० ३७ सफा १८२).

मुक़दमा उठाने की कार्रवाई में हुक्म इस तरह का न लिखा जाय, कि मुकदमा खारिज किया जाय और दूसरी नालिश दायर करने का अख्त्यार दिया जाय बल्कि हुक्म इस तरह लिखा जाय, कि मुद्दई को मुकदमा उठाने की इजाजत दुबारा नालिश दायर करने के अख्त्यार के साथ दी जाती है—(इ ला रि अलाहाबाद जि० १ सफा ६६०)—अगर इजाजत न दी जाय तो दरखास्त खारिज करना चाहिये–दुबारा नालिश, अगर उसी झगड़े की चीज के निस्बत हो न चल सकेगी, लेकिन अगर दूसरी नालिश म झगड़े की चीज दूसरे किस्म की हो जो पहिली नालिश में न थी, तो दूसरी नालिश की दायरी में कोई रुकावट न होगी—या अगर फरीक दूसरे हों तो भी कोई रुकावट न होगी। (इ ला रि. कलकत्ता जि. २१ सफा २६५) वो (इ. ला. रि कलकत्ता जि० ८ सफा ८७१).

अगर दोनों फरीक मिल कर मुक़दमा खारिज होने की दरखास्त शामलाती देवे–तो यह समझा जावेगा कि मुद्दई ने बिला इजाजत मुकदमा उठाया और वह दूसरी नालिश दायर नहीं कर सकेगा—(इ ला. रि अलाहाबाद जि० २३ सफा २१६)

इस कायदे के रू से जो हुक्म दिया जाय वह काबिल अपील न होगा—मगर काबिल नजर सानी होगा—(इ ला रि अलाहाबाद जि० १५ सफा ११६)

लेकिन हाई कोर्ट कलकत्ता की राय है कि वैसा हुक्म काबिल नजरसानी नहीं है–क्योंकि हस्ब मनशा दफा ११५ हुक्म बतौर फैसला हुआ मुकदमा के नहीं समझा जा सक्ता है—(इ ला. रि. कलकत्ता जि० ४१ सफा ६३२)

अलाहाबाद जिल्द ६ सफा १६८).

इस कायदे के बमुजिब हुक्म सादिर करने के पहले फरीक सानी पर नोटिस याने इत्तलानामा तामील करना चाहिये (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा २११).

इस कायदे का मतलब यह है कि अगर फरीक अपने मुकदमा को इस अख्त्यार के साथ उठाना चाहता है कि वह फिर दूसरी नालिश दायर करे तो उसको अदालत से इजाजत लेना चाहिये, लेकिन अगर वह अपने दिल से मुकदमा उठाना चाहता है और यह अख्त्यार नहीं चाहता है कि दुबारा नालिश दायर करे तो अदालत की इजाजत लेने की जरूरत न होगी—[इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ३२ सफा ३४५, ३४७].

मुकदमा में नुक्स दो किस्म के होते हैं—(१) नुक्स जाब्ता (२) रूईदाद नुक्स जाब्ता के सबब से अगर मुकदमा में खामी (कच्चाई) हो तो मुकदमा उठाने की इजाजत इस अख्त्यार के साथ कि दूसरी नालिश दायर की जाय, दी जा सक्ती है—लेकिन अगर नुक्स रूईदाद हो तो वैसी इजाजत न दी जायगी, जब तक कि काफी वजूहात न हो—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० ३ सफा ५१८) मसलन, गलत शमूलीयत फरीकैन या बिनाय दावा या गैर वाजिब मालियत शै मुतनाजिया यह नुक्स जाब्ता के है के इन सूरतों में इजाजत मुद्दई को मुकदमा उठाने की वो दूसरी नालिश दायर करने की मिल सक्ती है (इ. ला. रि अलाहाबाद जि० १६ सफा २७१) इसी तरह जब किसी दस्तावेज में पूरा स्टाम्प न लगा हो या उसकी रजिस्ट्री न हुई हो तो इजाजत दी जा सक्ती है—(अलाहाबाद हाई कोर्ट जि० ५ सफा ११६) लेकिन जब किसी मुकदमा में तनकीह कायम हो गई हो और मुद्दई उन तनकीहों की शबूती में शहादत्त न दे सके तो मुकदमा उठाने की इजाजत वैसे अख्त्यार के साथ कि दुबारा नालिश दायर की जाय न दी जायगी क्योंकि यह नुक्स रूईदाद का है और काफी वजह में नहीं दाखल होगा—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० ११ सफा १८७)

मुकदमा उठाने की इजाजत न दी जावेगी जब कि फरीकैन तजवीज के लिये तैयार हो और वैसे उठाने से मुद्दायलेह को नुकसान पहुचता है—(इ. ला. रि.

बम्बई जि० ३२ सफा ७२२, ७२६)

मुकदमा उठाने की इजाजत न दी जायगी जब कि मुकदमा मुद्दई वो मुद्दायलेह का खतम हो गया हो और बाद खतम होने मुकदमा के अदालत मुद्दई को ऐसा दस्तावेजात पेश करने का हुक्म दे जिस से मुद्दायलेह के दस्तावेज का असर रद्द होता हो और मुद्दई तारीख मुकर्रर पर वैसा दस्तावेज पेश न करे—(इ ला रि बम्बई जि० ३७ सफा १८२).

मुकदमा उठाने की कार्रवाई में हुक्म इस तरह का न लिखा जाय, कि मुकदमा खारिज किया जाय और दूसरी नालिश दायर करने का अखत्यार दिया जाय बल्कि हुक्म इस तरह लिखा जाय, कि मुद्दई को मुकदमा उठाने की इजाजत दुबारा नालिश दायर करने के अखत्यार के साथ दी जाती है—(इ ला रि अलाहाबाद जि० १ सफा ६९०)—अगर इजाजत न दी जाय तो दरखास्त खारिज करना चाहिये—दुबारा नालिश, अगर उसी झगड़े की चीज के निस्बत हो न चल सकेगी, लेकिन अगर दूसरी नालिश में झगड़े की चीज दूसरे किस्म की हो जो पहिली नालिश में न थी, तो दूसरी नालिश की दायरी में कोई रूकावट न होगी—या अगर फरीक दूसरे हों तो भी कोई रूकावट न होगी (इ ला. रि. कलकत्ता जि. २१ सफा २६५) वो (इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ८ सफा ८७१).

अगर दोनों फरीक मिल कर मुकदमा खारिज होने की दरखास्त शामलाती देवे—तो यह समझा जावेगा कि मुद्दई ने बिला इजाजत मुकदमा उठाया और वह दूसरी नालिश दायर नहीं कर सकेगा—(इ. ला. रि अलाहाबाद जि० २३ सफा २१९)

इस कायदे के रू से जो हुक्म दिया जाय वह काबिल अपील न होगा—मगर काबिल नजर सानी होगा—(इ ला रि अलाहाबाद जि० १५ सफा १९९)

लेकिन हाई कोर्ट कलकत्ता की राय है कि वैसा हुक्म काबिल नजरसानी नहीं है—क्योंकि हस्ब मनशा दफा ११५ हुक्म बतौर फैसला हुआ मुकदमा के नहीं समझा जा सका है—(इ ला. रि. कलकत्ता जि० ४१ सफा ६३२)

२ हर नई नालिश में जो ऊपर लिखे हुये कायदे के इजाजत से दायर हो मुद्दई पाबन्द कानून मियाद का उसी तरह होगा कि मानो पहले नालिश दायर नहीं हुई

पहले नालिश में कानून मियाद में असर नहीं पहुंचेगा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३७४ से कायम किया गया है—

इस कायदे का यह असर है कि मियाद दूसर नालिश में वैसे ही लागू होगी जैसे कि यह पहली नालिश में लागू होती और जो वक्त पहली नालिश के दायर करने में लगा वह बमूजिब दफा १४ कानून मियाद मुजरा न किया जावेगा गो नालिश ब वजह नुक्स रामूल बिनाय दावियों के वापिस ली गई (इं. ला. रि. बम्बई जि० २६ सफा २१९)—लेकिन अगर नालिश अदालत गैर मजाज में दायर की गई है, और वैसी अदालत ने इजाजत मुकदमा उठाने की दी है तो जो अरसा उस मुकदमा की पैरवी में गुजरा है वह मुजरा मिलेगा (इं. ला. रि कलकत्ता जि० ३५ सफा ९२४).

३ अगर अदालत के इतमीनान के लायक यह साबित हो जाय कि तसफिया किसी मुकदमा का किसी तौर के जायज इकरारनामे या तसफिया आपसी से पूरा या उस के हिस्सा का हो गया है, या मुदायलेह ने मुद्दई को निसबत कुल या जुज़ो मुतनाजिया मुकदमा के राजी कर दिया है, तो अदालत इस तरह के इकरारनामे या तसफिया आपसी या राजीनामा के शामिल मिसल करने का हुक्म दे और उस के मुताबिक जहां तक कि उस मुकदमे से ताल्लुक हो डिकरी सादिर करेगी

तसफिया नालिश

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३७५ से कायम किया गया है.

अदालत ... मीनान करे ... के इकरारनामा या राजीनामा ... रि. ... १०१). वास्ते त... मीना- ... है या नहीं ... चाहिये और ... अमानतदार ... की बर खिला... ... मल सफा

जब फरीकैन ने किसी राजीनामा पर अमल कर लिया है तो वे उस के जायज होने में ऐतराज करने से रोके जायगे (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ११ सफा २२९–३२).

जब राजीनामा अदालत में पेश कर दिया गया और उस के शर्त के मुवाफिक डिकरी सादिर नहीं की गई और अदालत मुकदमे की कार्रवाई जारी रखना मन्जुर करे तो उस राजीनामा के निसबत समझना चाहिये के वह खतम हो गया और अदालत बाद में किसी पेशी पर राजीनामा मजकूर को सही तसव्वर कर के उसकी बिना पर डिकरी सादिर नहीं कर सक्ती (इ ला रि मद्रास जिल्द २१ सफा १०४)

तसफिया बाहमी फरेब की बिना पर नालिश नम्बरी में मन्सूख हो सक्ता है (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ५ सफा २७) गो वह उस फरीक ने किसी अमर के निसबत गलत यकीन करके कार्रवाई की हो और उस ने साथ होशयारी वो ऐहत्यात के बरताव न किया हो (१७ मद्रास ला. जरनल सफा ८२).

तसफिया बाहमी के मन्सुखी की नालिश अलावा फरेब के और वजूहात पर भी हो सक्ती है याने इस जगह पर कि नाबालिग के वली ने जो वकील मुकर्रर किया था उसने वली के मनशा के खिलाफ मुकदमा का तसफिया कर दिया (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ३४ सफा ८३).

दरखास्त जिसमें तसफिया बाहमी की शरतें दरज हों और जिसमें यह इस्तदोआ की जाय के मुकदमा खारिज कर दिया जावे अगर वह उस जायदाद गैर मनकूला से ताल्लुक रखता है जिसकी कीमत १००) रू० से ज्यादा है तो उस की रजिस्ट्री होना चाहिये (इ ला रि. २५ मद्रास सफा ५५३).

बनाराजगी डिकरी या तसफिया बाहमी इस वजह पर अपील हो सक्ती है कि उस में वह बातें दरज है जो मुकदमे से मुताल्लुक नहीं हैं (५ मद्रास ला. जरनल रिपोर्ट सफा १४५)

किसी राजीनामा की बिना पर इजरा की कार्रवाई नहीं हो सक्ती तावके कि उस की शरतें अदालत की डिकरी में दर्ज न की जांय (मद्रास हाई कोर्ट जिल्द २ सफा ३०५).

राजीनामा या तसफिया बाहमी तीन बातों के निसबत होगा—(१) कुल

मुकदमा का—, २) जुज मुकदमा का—(३) ऐसी बातों का जो मुकदमा के ताल्लुक न हों—पहिली सूरत में डिक्री हस्ब शरायत राजीनामा सादिर होगा और मुकदमा खतम समझा जायगा—दूसरी सूरत में डिक्री हस्ब शरायत राजीनामा मुकदमा के सिर्फ उस हिस्सा के ताल्लुक सादिर होगी जिसका तसफिया हुआ—और बाकी हिस्सा की नालिश जिसका तसफिया नहीं हुआ चलू रहेगी—तीसरी सूरत में जब कि नालिश के झगड़े की चीज के सिवय दूसरी बातों का भी तसफिया फरीकैन ने किया हो जो मुताल्लुक नालिश नहीं है, तो डिक्री सिर्फ उन अमूरात की निसबत सादिर की जायगी, जो मुताल्लुक मुकदमा है, और जिनका तसफिया हुआ,— -दीगर अमूरात गैर मुताल्लुक मुकदमा डिक्री में दर्ज न किये जा यगे—

अगर बाहमी तसफिया या राजीनामा दरमियान फरीकैन हो गया है—और फरीक दरखास्त देवे कि डिक्री बमूजिब वैसे राजीनामा के सादिर की जाय, और फरीक सानी इन्कार करे कि वैसा राजीनामा हुआ, या फरीक सानी पीछे से बदल जाय और कहे कि अब हम राजीनामा नहीं चाहते, तो अदालत इस बात का तसफिया करेगी कि आया वैसा राजीनामा दरमियान फरीकैन दरअसल हुआ था या नहीं, और अगर अदालत को इतमिनान हो जावे कि वैसा राजीनामा हुआ था तो अदालत वैसे राजीनामा के मुआफिक डिक्री सादिर करेगी, तो फरीकसानी वैसा राजीनामा करने को राजी हो ,—ऐसी राय हाई कोर्ट बम्बई, मद्रास वो कलकत्ता की है—(इ ला रि बम्बई जिल्द २० सफा ३०४, इ. ला रि मद्रास जिल्द १६ सफा ४१६, इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २४ सफा ६०८)—

मगर हाई कोर्ट अलाहाबाद की राय इसके खिलाफ है इस हाई कोर्ट की यह राय है कि जब तक दोनों फरीक राजीनामा वो दरखास्त पेश करने के वक्त राजी न हो जब तक वैसे राजीनामा के मुताबिक डिक्री सादिर नहीं की जा सक्ती है-(इ. ला रि. अलाहाबाद जि० १४ सफा ३५०).

इस कायदे के मुआफिक जो हुक्म सादिर हो वह काबिल अपील होगा—देखो आर्डर न० ४३ [१] [ड]

४ इस आर्डर की किसी इबारत का ताल्लुक इजराय डिकरी या हुक्म

आर्डर—२४.

अदालत में रूपया दाखिल करना.

१ जिन नालिश में जिस में दावा करजा या नुकसानी का हो मुदायलेह मुकदमे की किसी पेशी पर अदालत में उतना रूपया अमानत दाखिल करे जो पूरे दावे के अदाई के लिये उस के समझ में काफी हो

मुदायलेह का दावा के अदाई में रूपया दाखिल करना

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३७६ से कायम किया गया है

खजाना सरकारी में रूपया का दाखिल किया जाना बराबर दाखिल किये जाने अदालत के है (इ. ला. रि. मदरास जिल्द ७ सफा २११) रूपया बिला किसी शर्त के दाखिल किया जाना चाहिये (इ. ला. रि मदरास जिल्द १४ सफा ४१).

यह कायदा सिर्फ नालशात बाबत दिला पाने कर्जा या हर्जा में लागू होगा और वह नालशात बाबत हुक्म इम्तनाई वो नुकसानी से ताल्लुक न रखेगा (इ. ला. रि बम्बई जिल्द २१ सफा ५०२).

रूपया दाखल करने से दो फायदे होते हैं एक सूद का—और एक खर्चे का—देखो कायदा ३ वो ४—

२ मुदायलेह उस अमानत की इत्तला तहरीरी अदालत के मारफत मुद्दई को देगा और अमानत का रूपया मुद्दई की दरखास्त पर मुद्दई को दिया जाय (तावक्ते कि अदालत और तरह का हुक्म न दे)

अमानत की इतला

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३७७ से कायम किया गया है.

अदालत को रूपया दिये जाने से इनकार करने का अखत्यार है मगर वह

अखत्यार मुनासिब तौर से अमल में लाया जाना चाहिये (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ७३६—६६)

३ जो रूपया के मुदायलेह ने अमानत रखा हो उस का सूद मुद्दई को इत्तला मजकूर के पहुंचने की तारीख से न दिलाया जायगा चाहे जर अमानत कुल दावे के बराबर हो या उस से कम

सूद जर अमानत पर मुद्दई को बाद इतला के न दिलाया जायगा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३७८ से कायम किया गया है—

४ (१) अगर मुद्दई उस जर अमानत को सिर्फ जुज दावी की अदाई में कबूल करले तो वह बाकी के बाबत नालिश में पैरवी करे—और अगर अदालत यह तजवीज करे कि मुदायलेह का दाखिल किया हुआ रूपया कुल दावी मुदई के बराबर है तो मुद्दई को उतना खर्चा नालिश का जो बाद दाखिल होने रूपया के पड़ा हो और रूपया दाखिल होने के पहले का उतना खर्चा जो मुद्दई के जियादा दावी करने के वजह से हुआ हो अदा करना होगा

कार्रवाई जब कि मुद्दई जर अमानत को जुज दावी के अदाइ में कबूल करे

(२) अगर मुद्दई दाखिल किये हुये रूपया को अपने कुल दावा के अदाई में मनजूर करले तो वह बयान इस मजमून का अदालत में दे और ऐसा बयान शामिल मिसल किया जायगा और अदालत उस के मुताबिक फैसला सादिर करेगी, और इस अमर की तजवीज में कि खर्चा हर फरीक का किस के जिम्मे रखा जाना चाहिये, अदालत इस बात पर गौर करेगी, कि किस फरीक पर झगड़ा अदालत का इलजाम जियादा आता है

कार्रवाइ जब कि मुद्दई जर अमानत को कुल दावी के अदाई में कबूल करे

तमसीलें

(क) (क), पर (ख) के सौ रुपया आते हैं (ख) ने (क) पर उस रूपया की नालिश की और पहले कुछ तकाजा नहीं किया और कोई वजह इस बात के यकीन करने की भी नहीं थी कि तकाजे से जो देर होगी वह किसी तरह उस के हक में नुकसान करेगी—और अर्जीदावा पेश होने पर (क) ने अदालत में रुपया दाखिल किया और (ख) ने अपने कुल दावे के अदाई में उस को मनजूर कर लिया तो अदालत उस को खरचा न दिलायगी इस वास्ते कि नालिश अदालत क्यास से मिन जानिब उस के बे बुनियाद थी

(ख) (ख) ने (क) पर तमसील १ में दर्ज किये हुये हालात पर नालिश की और जब अरजीदावा पेश हुआ (क) ने दाव की जवाबदेही की बाद को (क) ने अदालत में रूपया दाखिल किया और (ख) ने अपने कुल दावे की अदाई में उस को मनजूर कर लिया तो इस सूरत में अदालत (ख) को खरचा मुकदमा का भी दिलायगी क्योंकि (क) के हरकत से साबित है कि झगड़ा अदालत जरूरी था

(ग) (क) पर (ख) के सौ रुपया आते हैं और चाहता है कि बगैर दायर होने नालिश रूपया अदा करदे (ख) १५० रू० का दावा करता है और उस रूपया की नालिश उस ने (क) पर की जब अरजीदावा पेश हो गया तो उस ने १०० रू० अदालत में दाखिल करके बाकी ५० रू० के निसबत जवाब देही की बाद को (ख) ने १०० रू० अपने कुल दावे के अदाई में मन्जूर कर लिया, अदालत उसे (क) का खरचा अदा करने का हुक्म दे

तशरीह'—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३७९ मे कायम किया गया है.

उन मुकदमात में जो वास्ते वसूली करजा या नुकसानी के नहीं है जब रूपया अदालत में दाखिल कर दिया जावे तो इस कायदे के उसूल के मुताबिक खरचा दिलाये जाने के बाबत अदालत को अपने अखत्यारात अमल में लाना चाहिये (इं. ला. रि. बम्बई जि० २१ सफा ५०२)

आर्डर--२५.

खरचे की जमानत,

१ (१) अगर मुकदमे की किसी नौबत पर अदालत को मालूम हो कि एक मुद्दई या कुल मुद्दईयान जिस हालत में एक से जियादा मुद्दई हों ब्रिटिस इनडिया के बाहर रहता है और ऐसे मुद्दई या मुद्दईयान से कोई ब्रिटिश इनडिया के अनदर अलावा जायदाद मुतनाजिया के काफी जायदाद गैर मनकूला न रखता हो तो अदालत अपनी मरजी से या किसी मुदायलेह की दरखास्त पर मुद्दई या मुद्दईयों को हुक्म दे कि उस मियाद के अन्दर जो उस हुकम की रू से मुकर्रर की जाय जमानत निसबत देने कुल खरचा के जो किसी मुदायलेह का हुआ हो और कयास से होने वाला हो दाखिल करे

किस सूरत में मुद्दई से खरचे की जमानत तलब की जा सकती है

[२] जो शख्स ब्रिटिश इनडिया से ऐसे हालत में बाहर जाय जिस से इस बात का गुमान माकूल तौर पर हो कि जब उस से खरचा तलब किया जायगा वह ब्रिटिश इनडिया में मौजूद न रहेगा तो वह जिमन (१) के मतलब में ब्रिटिश इनडिया से बाहर का रहने वाला तसौवर किया जायगा

ब्रिटिश इनडिया के बाहर सकूनत

(३) अगर नालिश वास्ते वसूली नकदी रूपया के हो और उस में मुद्दई कोई औरत हो तो किसी मुदायलेह के तरफ से दरखास्त गुजरने पर अदालत को अख्त्यार है कि उसी तरह का कोई हुक्म मुकदमे की किसी नौबत पर सादिर करे बशर्ते कि अदालत को इतमीनान हो जाय कि मुद्दई ब्रिटिश इनडिया में कोई काफी जायदाद गैर मनकूला नहीं रखता है

तशरीह: —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३८० व ३८२ से कायम किया गया है

जमानतनामा पर स्टाम्प दो तरह से लग सका है (क) पूरा स्टाम्प बमूजिब एक्ट स्टाम्प के (ख) कोर्टफीस आठ आने का बमूजिब मद ६ जमीमा २ एक्ट कोर्टफीस के

सिर्फ मुफलिसी की वजह मुद्दई से जमानत खरचा लेने की काफी वजह नहीं है (इ ला रि मदरास जिल्द १४ सफा ५३३)

इस कायदा की गरज यह है कि जिस में मुद्दायलेह की हिफाजत हो कि अगर मुद्दई अपना मुकदमा न जीते तो मुद्दायलेह का खर्चा मारा न जाय—

खर्चा की जमानत नीचे लिखी सूरतों में ली जासकी हैं:—

(१) आर्डर २२ कायदा ८ (मुद्दई का दिवालिया होना)—

(२) आर्डर ३७ कायदा ४ (मुकदमा सरसरी दस्तावेज काबिल खरीद फरोख्त की रू से)—

(३) आर्डर ४१ कायदा ५—(इजराय डिक्री मुलतवी करने के लिये)—

(४) आर्डर ४१ कायदा ६ (इजराय डिक्री जब अपील हुई है)—

(५) आर्डर ४१ कायदा १० (अपीलांट से जमानत)

(६) आर्डर ४५ कायदा ७ (प्रिवी कौंसिल में अपील दायर करने की इजाजत मिलने पर)—

जमानत न दाखिल करने का असर

२ (१) अगर ऐसी जमानत मुकर्रर किये हुये मियाद के अन्दर दाखिल न हो तो अदालत मुकदमे को खारिज करेगी, तावक्ते कि, मुद्दई या मुद्दईयों को दस्तबरदार होने की इजाजत न दी जाय.

(२) अगर मुकदमा इस कायदे के रू से खारिज किया जाय तो मुद्दई वास्ते सादिर होने मनसूखी हुक्म डिसमिसी के दरखास्त दे सका है—और अगर अदालत के इतमीनान के लायक यह साबित कर दिया जाय कि मुद्दई किसी काफी वजह से मियाद मुकर्ररा के अन्दर जमानत दाखिल न कर सका, तो अदालत जमानत या खर्चा वगैरा की ऐसी शर्तों के साथ जो उस को मुनासिब मालुम हो हुक्म डिसमिसी मनसूख कर देगी और पेशी मुकदमा के वास्ते एक दिन मुकर्रर करेगी

(३) हुक्म डिसमिसी मनसूख नहीं किया जायगा, तावक्ते कि ऐसी दरखास्त की एक तहरीरी इत्तला मुद्दायलेह को न पहुंचाई जाय

अख्त्यार है, गो मुकद्दमा पनचों के सुपुर्द कर दिया गया है (बम्बई ला. रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ५६०).

जिस गवाह का इजहार बजरिये कमीशन लिया जाए उस पर सवालात जिरह करने का अख्त्यार फरीक सानी का हासिल है (१४ वीकली रपोर्टर सफा १७ वों देखो इन्डीयन ला. रिपोर्ट ३० कलकत्ता सफा ६२५)

हर एक परदा नशीन औरत को इसतहकाक हासिल है कि वह अपना इजहार बजरिये कमीशन लिवाय गो वह पेशतर आम लोगों के सामने हाजिर हुई हो या उस के बरखिलाफ बद चलनी का इलजाम लगाया गया हो (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २६ सफा ६५०)

हुकम निसबत इजराय कमीशन

२ अदालत ऐसा हुकम अपनी मरजी से, या बर वक्त गुजरने दरख्वास्त मै तहरीरी बयान हलफी या दिगर तौर से किसी फरीक मुकद्मा की तरफ से, या उस गवाह के तरफ से जिस की शहादत लेना हो सादिर करे

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३८४ से कायम किया गया है

अगर गवाह अदालत के इलाके में रहता है

३ अगर कमीशन वास्ते इजहार ऐसे शख्स के हो जो अन्दर हद अदालत जारी करने वाली कमीशन के रहता हो वो कमीशन किसी किसी ऐसे शख्स के नाम जारी किया जाय जिसे अदालत उस के तामील के लिये लायक समझे

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३८५ से कायम किया गया है

किन लोगों के वास्ते कमीशन जारी हो सक्ता है

४ (१) हर अदालत हर नालिश में कमीशन वास्ते लेने इजहार नीचे लिखे हुऐ शख्सों के जारी कर सकी है

(क) कोई शख्स जो अदालत के हदूद अरजी से बाहर रहता हो
(ख) कोई शख्स जो उस तारीख से पहले ऐसे हदूद से बाहर जाने वाला हो जो अदालत में उस के इजहार लेने के वास्ते मुकर्रर हो—और,
(ग) कोई सरकारी ओहदेदार मुलकी या फौजी जिस का अदालत में हाजिर होना जज के समझ में बायस हरज काम सरकार

आर्डर २६.

कमीशन.

कमीशन वास्ते लेने इजहार गवाहों के.

किन सूरतों में अदालत कमीशन वास्ते लेने इजहार गवाह जारी कर सक्ती है

१ हर अदालत को हर नालिश में अखत्यार है कि वास्ते लेने इजहार उन शख्सों के जो अदालत के इलाका अखत्यार की हदूद अरजी के अन्दर रहते हों—मगर इस मजमूआ के हुक्मों के बमूजिब अदालत में हाजिर होने से माफ हों, या जो किसी बीमारी या जईफी की वजह से हाजिर न हो सके हों कमीशन जारी करे, कि बमूजिब चन्द सवालात के या और तरह पर उन का इजहार लिया जाये

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३८३ से कायम किया गया है

अगर किसी परदा नशीन औरत का इजहार पालकी पर अदालत में लिया जा सक्ता है तो कमीशन जारी करने की जरूरत नहीं है (१८ वीकली रपोर्टर सफा २३०)

जब गवाह उस फरीक का नौकर है जो दरखास्त करता है तो कमीशन जारी करना मुनासिब नहीं है (२० वीकली रपोर्टर सफा २५३).

किसी मठ के मुखिया के इजहार के लिये जो साधु है, कमीशन जारी होना चाहिये (इ ला रि. बम्बई जिल्द २८ सफा २८)-

कमीशन जारी करने से इन्कार करने के हुक्म से नजरसानी नहीं हो सक्ती है (इ ला रि मदरास जिल्द ९ सफा २५६).

अदालत को गवाहों के इजहार लेने के वास्ते कमीशन जारी करने का

के बाहर बजरिये कमीशन लिया जाय तो उसका वैसा इजहार काबिल मजूरी शहादत होगा—(कलकत्ता वीकली नोट जि० ७ सफा ८०६).

लेटर आफ रिक्वेस्ट चिट्ठी के जरिये दरख्वास्त.

६ हर अदालत जिस मे कमीशन वास्ते लेने इजहार किसी शख्स के पहुंचे वह कमीशन के मुताबिक उस का इजहार ले या किसी और से लिवाए

अदालत कमीशन के मुताबिक गवाह का इजहार ले

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३८८ से कायम किया गया है

कोई फरीक जो कमीशन में शामिल नहीं हुआ है उस कमीशन के जरिये से जिस गवाह का इजहार लिया जावे उस के इजहार जिरह लेने का मुस्तहक है (वीकली रिपोर्टर दीवानी जि० १४ सफा १७)

जब जिरह का मौका न दिया गया हो तो शहादत काबिल मजूरी न होगी—(कलकत्ता वीकली नोट जि० ५ सफा २७०).

७ जब कमीशन की तामील आब्ता के मुताबिक हो जाय तो वह मै उस शहादत के जो उस के बमूजिब ली गई हो अदालत कमीशन जारी करने वाले में वापिस किया जायगा मगर जब कि हुक्म इजराय कमीशन में और तरह का हुक्म हो तो मुताबिक उस के कमीशन वापिस किया जायगा और कमीशन और कैफियत उस के तामील की और शहादत जो कमीशन के बमूजिब ली गई हो नीचे लिखे हुये कायदों के हुक्मों की रिआयत से शामिल मिसल होगा

वापसी कमीशन मे बयान गवाह

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३८६ से कायम किया गया है

८. वह शहादत जो कमीशन के जरिये से ली गई हो वह उस मुकद्दमे में बतौर शहादत बिला रजामन्दी उस फरीक के जिस के खिलाफ वह दी गई हो पढ़ी न जायगी तावक्ते कि,

जब गवाह का बयान सबूत में लिया जा सकता

(क) जब कि वह शख्स जिस ने शहादत दी हो अदालत के इलाके से बाहर रहता हो या मर गया हो, या बसबब बीमारी या जईफी के असालतन इजहार देने के वास्ते हाजिर नहीं हो सकता हो, या अदालत में असालतन हाजिर होने से माफ हो या कोई सरकारी उहदेदार मुल्की या फौजी हो जिस के अदालत

के हो

(२) ऐसा कमीशन किसी ऐसी अदालत में भेजी जाये जो अदालत हाई कोर्ट न हो जिस के हुकूमत के इलाके की हदूद अरजी के अनदर वह शख्स रहता हो, या किसी वकील या दूसरे शख्स के नाम भेजा जावे जिस को कमीशन जारी करने वाली अदालत मुकर्रर करना मुनासिब समझे

(३) जब अदालत इस कायदे के बमूजिब कोई कमीशन जारी करे तो यह हिदायत की जायगी कि आया कमीशन उस अदालत में वापिस किया जायगा या किसी मातहत में

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३८६ से कायम किया गया है

जब अदालत को यह इतमीनान हो जावे कि किसी गवाह का जिरह का इजहार बिला वजह बढ़ाया जा रहा है तो अदालत हुक्म दे सकी है कि ऐसा इजहार किसी खास वक्त के अनदर खतम किया जावे (इ ला ारे कलकत्ता जिल्द ३० सफा ६२५)

अगर मुद्दई दिल्ली में रहता है और वह अपनी नालिश बम्बई में दायर करे, और अदालत बम्बई से दरखास्त करे कि उसके इजहार दिल्ली में लिये जाने के लिये कमिशन जारी हो तो अदालत दरखास्त को नामजूर करेगी जब तक कि कोई भारी वो जोर दार सबब न बतलाया जाय मगर यह उसूल मुद्दायलेह के लिये लागु न होगा—क्योंकि वह अदालत के इलाका अखत्यार के बाहर रहता है उसके इजहार के लिये कमिशन जारी हो सक्ता है—

अगर गवाह ब्रिटिश इंडिया के बाहर रहता हो तो उस के इजहार के लिये कमीशन या चिट्ठी

५ जब किसी अदालत में दरखास्त वास्ते जारी करने कमीशन निसबत लेने इजहार किसी ऐसे शख्स के दी जाय जो ब्रिटिश इंडिया से बाहर किसी जगह का रहने वाला हो और उस अदालत को इतमीनान हो कि उस की शहादत्त जरूरी है तो वह एक ऐसा कमीशन या लेटर आफ रिक्वेस्ट जारी करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३८४ से कायम किया गया है

अगर किसी गवाह का इजहार, जो ब्रिटिश इंडिया में न रहता हो ब्रिटिश इंडिया

तहकीकात मौका का हुक्म दिये जाने के हुक्म मे अपील नहीं हो सक्ती (७ वीकली रिपोर्ट सफा ४२५).

कमीशन वास्ते जाच हिसाब.

११ हर मुकदमा में जिस में जाच या तसफिया हिसाब जरूर हो अदालत जिस शख्स को मुनासिब समझे उस के नाम कमीशन इस हिदायत से जारी करे कि वह जाच या तसफिया हिसाब का करदे

कमीशन वास्ते जाच या तसफिया हिसाब

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३९४ से कायम किया गया है

अहल कमीशन जो वास्ते जाच हिसाब के मुकर्रर किया जावे उस का महनताना एक मुकर्रर रकम होना चाहिये न के माहवारी तनख्वाह के तौर से (इ. ला. रि. मदरास जिल्द ३ सफा २५९).

१२ (१) अदालत अहल कमीशन के पास उस कदर कागजात मिसल और हिदायत जो जरूरी हों भेज दे और हुक्म में साफ लिखदे कि अहल कमीशन सिर्फ अपनी कार्रवाई जो बाबत तहकीकात के तहरीर हो अदालत में भेज दे या अपनी राय भी निसबत उस अमर के जिस की जाच का उस को हुक्म है लिखे

अदालत बनाम कमिश्नर हिदायत जरूरी सादिर करेगी

२ अहल कमीशन की कार्रवाई और कैफियत (अगर कोई हो) बतौर शहादत के मुकदमा में ले ली जायगी, मगर जब अदालत के नजदीक कोई वजह उस पर इतमीनान न लाने की पाई जाये तो ऐसी सूरत में अदालत उस तहकीकात मजीद का हुक्म देगी जो मुनासिब मालूम हो

कार्रवाई और रिपोर्ट शहादत होगी—अदालत जायद तहकीकात का हुक्म दे सक्ती है

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३९५ से कायम किया गया है.

गो अहल कमीशन की रपोर्ट पर बहुत जोर होना चाहिय मगर उस की पाबन्दी कतई तौर पर नहीं है (६ मदरास हाई कोर्ट रपोर्ट सफा ३६)

रहेगी—लेकिन अदालत या फरीकैन मुकदमा में से कोई फरीक अदालत की इजाजत से खुद अहल कमीशन से निसबत किसी बात के जिन की तहकीकात के वास्ते वह मुकर्रर हुआ हो या जिस का जिकर उस की कैफियत में हो या निसबत तरीका तहकीकात के खुले इजलास में इजहार ले.

खुद अहल कमीशन का इजहार हो सका है

(३) अगर अहल कमीशन की कारवाई किसी वजह से अदालत के पसन्द न हो तो अदालत जो जियादा कारवाई मुनासिब समझे उस के निसबत हुक्म दे.

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३९३ मे कायम किया गया ह. सिकर्मा कायदा ३ नया है.

कमीशन जो अमीन के नाम वास्ते तहकीकात मौका के जारी किया गया वह दफा २० जिमन (१) एक्ट कोर्टफीस के मनशा में हुक्मनामा नहीं है (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १७ सफा २८१)

जब कि किसी मौके का नकशा तैयार करने के लिये अहल कमीशन मुकर्रर किया गया तो जो बयानात गावों के अफसरों ने उस के रूबरू निसबत हक मुकदमा बयान किया है वह काबिल मन्जूरी शहादत है (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द २४ सफा ४३).

जब एक कमीशन जारी हो गया है तो अदालत के मुकदमा की सुनाई वो तसफिया करने के पहले उस कमीशन की वापसी रूबरू अदालत हो जाना चाहिये (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १६ सफा ३४२)

अहल कमीशन को चाहिये कि फरीकैन को इत्तला उस वक्त की देवे कि जब वह तहकीकात मौका करेगा (इ. ला. रि मदरास जिल्द १२ सफा १३९.)

जब अहल कमीशन का महनताना नहीं दिया गया है तो रिपोर्ट नामनजूर नहीं की जा सकी [इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १७ सफा २८१].

रिपोर्ट के पहुचने पर एक दिन वास्ते समाअत उजरदारी के मुकर्रर होना और उस की इत्तला फरीकैन को होना चाहिये (२१ वीकली रिपोटर सफा २).

कमीशन की रिपोर्ट आने की जो मियाद मुकर्रर की जावे वह बढ़ाई जा सकती है (इ. ला. रि. ९ बम्बई सफा २५०).

तहकीकात मौका का हुक्म दिये जाने के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती (७ वीकली रिपोर्ट सफा ४२५).

कमीशन वास्ते जाच हिसाब.

११ हर मुकदमा में जिस में जाच या तसफिया हिसाब जरूर हो अदालत जिस शख्स को मुनासिब समझे उस के नाम कमीशन इस हिदायत से जारी करे कि वह जांच या तसफिया हिसाब का करदे

कमीशन वास्ते जांच या तसफिया हिसाब

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३९४ से कायम किया गया है

अहल कमीशन जो वास्ते जाच हिसाब के मुकर्रर किया जावे उस का महनताना एक मुकर्रर रकम होना चाहिये न के माहवारी तनख्वाह के तौर से (इ ला. रि मदरास जिल्द ३ सफा २५९).

१२ (१) अदालत अहल कमीशन के पास उस कदर कागजात मिसल और हिदायत जो जरूरी हों भेज दे और हुक्म में साफ लिखने कि अहल कमीशन सिर्फ अपनी कार्रवाई जो बाबत तहकीकात के तहरीर हो अदालत में भेज दे या अपनी राय भी निसबत उस अमर के जिस की जाच का उस को हुक्म है लिखे

अदालत बनाम कमिश्नर हिदायत जरूरी सादिर करेगी

२ अहल कमीशन की कार्रवाई और कैफियत (अगर कोई हो) बतौर शहादत के मुकदमा में ले ली जायगी, मगर जब अदालत के नजदीक कोई वजह उस पर इतमीनान न लाने की पाई जाये तो ऐसी सूरत में अदालत उस तहकीकात मजीद का हुक्म देगी जो मुनासिब मालूम हो

कार्रवाई और रिपोर्ट शहादत होगी—अदालत जायद तहकीकात का हुक्म दे सकी है

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३९५ से कायम किया गया है.

गो अहल कमीशन की रपोर्ट पर बहुत जोर होना चाहिय मगर उस की पाबन्दी कतई तौर पर नहीं है (६ मदरास हाई कोर्ट रपोर्ट सफा ३६)

रहेगी—लेकिन अदालत या फरीकैन मुकदमा में से कोई फरीक अदालत की इजाजत से खुद अहल कमीशन से निसबत किसी बात के जिन की तहकीकात के वास्ते वह मुकर्रर हुआ हो या जिस का जिकर उस की कैफियत में हो या निसबत तरीका तहकीकात के खुले इजलास में इजहार ले

खुद अहल कमीशन का इजहार हो सक्ता है

(३) अगर अहल कमीशन की कार्रवाई किसी वजह से अदालत के पसन्द न हो तो अदालत जो जियादा कार्रवाई मुनासिब समझे उस के निसबत हुक्म दे.

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३९३ मे कायम किया गया है, सिवाय कायदा ३ नया है.

कमीशन जो अमीन के नाम वास्ते तहकीकात मौका के जारी किया गया वह दफा २० जिमन (१) एक्ट कोर्टफीस के मनशा में हुक्मनामा नहीं है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १७ सफा २८१)

जब कि किसी मौके का नकशा तैयार करने के लिये अहल कमीशन मुकर्रर किया गया तो जो बयानात गावों के अफसरों ने उस के रूबरू निसबत हक मुकदमा बयान किया है वह काबिल मन्जूरी शहादत है (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द २४ सफा ४३).

जब एक कमीशन जारी हो गया है तो अदालत के मुकदमा की सुनाई वो तसफिया करने के पहले उस कमीशन की वापसी रूबरू अदालत हो जाना चाहिये (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १६ सफा ३४२)

अहल कमीशन को चाहिये कि फरीकैन को इत्तला उस वक्त की देवें कि जब वह तहकीकात मौका करेगा (इ. ला. रि मदरास जिल्द १२ सफा १३६)

जब अहल कमीशन का महनताना नहीं दिया गया है तो रिपोर्ट नामनजूर नहीं की जा सकी [इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १७ सफा २८१]

रिपोर्ट के पहुचने पर एक दिन वास्ते समाअत उजरदारी के मुकर्रर होना और उस की इत्तला फरीकैन को होना चाहिये (२१ वीक्ली रिपोटर सफा २).

कमीशन की रिपोर्ट आने की जो मियाद मुकर्रर की जावे वह बढ़ाई जा सकती है (इ. ला. रि. ६ बम्बई सफा २५०).

तो हिस्सा की मालियत के बराबर करने के लिये जो रुपया देना वाजिब हो उस की तजवीज भी कर दे

(२) बाद को अहेल कमीशन एक कैफियत लिख कर उस पर दस्तखत करे या (जब कमीशन एक से ज्यादा शख्स के नाम से जारी किया गया हो और उन की इत्तफाक राय न हो सके) अलग १ कैफियत लिखे और उस कैफियत में हर शख्स का हिस्सा मुकर्रर कर दे और (अगर उस हुक्म में हिदायत हो तो) हर हिस्से की पहचान पैमायश और हदूद बन्दी से कायम कर दे ऐसी कैफियत या कैफियतें कमीशन के साथ नत्थी कर के अदालत में भेज दी जायगी और अदालत उन उजरात को जो फरीकैन कैफियत या कैफियतों के निसबत करें सुन कर के ऐसी कैफियत या कैफियतें बहाल रखे या बदल दे या रद कर दे

(३) अगर अदालत ऐसी कैफियत या कैफियतों को बहाल रखे या उन में से कुछ तबदील करे तो उसे बहाल रखी हुई या तबदील की हुई कैफियत के मुताबिक डिकरी सादिर करे लेकिन जब अदालत ऐसी कैफियत या कैफियतों को रद करे तो वह चाहे एक नया कमीशन जारी करे या जो हुक्म मुनासिब समझे सादिर करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३९६ फिकरा १ (२) से कायम किया गया है शिकमी कायदा (३) नया है

इस कायदे का उसूल यह है कि अगर जायदाद बिला नुकसान करने कीमत कुल जायदाद या हिस्से के तकसीम हो सक्ती है तो ऐसी तकसीम होना चाहिये मगर जब ऐसा नहीं हो सक्ता है तो मावजा का रुपया दिया जाना चाहिये (इ. ला रि. कलकत्ता जि० १० सफा ६७५)

डिकरी बटवाड़ा जो बमूजिब रिपोर्ट अहेल कमीशन के सादिर की जाय वह हुक्म कतई निसबत बटवाड़ा सादिर किये हुऐ अदालत दीवानी के है और उस पर बतौर दस्तावेज बटवाड़ा बमूजिब दफा २ (१५) एक्ट स्टाम्प, स्टाम्प लगाया जाना चाहिये (इ. ला रि बम्बई जि० २९ सफा ३६६)

इस कायदे के रू से दरखास्त वास्ते मुकर्री अहेल कमीशन एक ऐसा अमर नहीं है जो दफा ४७ में आवे और उस पर जो हुक्म दिया जावे उस की अपील नहीं हो सकती है (१७ मदरास ला जरनल रिपोर्ट सफा १४४)

जब अहल कमीशन कोई रपोर्ट करे तो अदालत इब्तदाई या अदालत अपील को उस के मुताबिक डिकरी सादिर करने के पहले उस पर लिहाज करना चाहिये (५ कलकत्ता वीकली नोट सफा ६९२).

कमीशन करने बटवाड़ा.

१३ अगर कोई इब्तदाई डिकरी बटवाड़ा के निसबत सादिर हुई हो, तो किसी सूरत में जिस का जिकर दफा ५४ में नहीं है, अदालत कमीशन बनाम ऐसे शख्स के जिस को वह मुनासिब समझे उन हकूक के मुवाफिक तकसीम या अलेहदा कर देने के लिये जो ऐसी डिकरी की रूसे करार दिये गये हो जारी करे

कमीशन करने बटवाड़ा जायदाद गैर मनकूला

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३९६ के फिकरा १ से कायम किया गया है।

इस कायदा का यह मनशा है कि पहली पेशी पर अदालत यह तसफिया करेगी कि आया मुद्दई मुस्तहक बटवाड़ा है,या नहीं और यह दरयाफ्त करेगी कि वे कौन से चंद शख्स हैं जो जायदाद में हक रखते हैं और हुक्म के जरीये से यह हिदायत करेगी कि अलेह कमीशन वास्ते करने बटवाड़ा के मुकर्रर किया जावे (इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ७ सफा ३१८)

अदालत को इस कायदे के रूसे अमीन को यह हुक्म देने का अखत्यार नहीं है कि उस जायदाद के हिस्से अलेहदा करने के लिये, जिस के बटवाड़ा की डिकरी हुई है, दीवाल उठवा देवे (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १९ सफा १९४) ।

अलेह कमीशन मुकर्रर किये जाने के हुक्म के नाराजी से अपील नहीं हो सक्ता है (१६ मदरास ला. जनरल रिपोर्ट सफा २१)

१४ (१) अहेल कमीशन कमीशन बाद तहकीकात जरूरी के जायदाद को उतने हिस्सों में जिन की हिदायत उस हुक्म में हो, जिस के बमूजिब कमीशन जारी किया गया हो तकसीम करदे और उन हिस्सों को उन शख्सों के वास्ते मुकर्रर करे और अगर उस हुक्म में ऐसी इजाजत हो

जाब्ता अहेल कमीशन

(ख) दस्तावेजात या दीगर चीजें जो अमर तहकीकात से मुताल्लुक हों उन को तलब करके मुलाहजा करे

(ग) किसी मुनासिब वक्त में उस आराजी या इमारत के अन्दर जिस्का जिकर उस हुक्म में हो, दाखिल हो—

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३६८ से कायम किया गया है

अमीन जो वास्ते तहकीकात मौका के मुकर्रर किया गया उस को अखत्यार है कि उन मामलात के निसबत जिस के बाबत उस को तहकीकात करना है गवाहान का इजहार ले (१ बंगाल ला रिपोर्ट एम एन २)

अहल कमीशन मुकदमे की कार्रवाई बतौर जज या पंच के नहीं कर सक्ता है अगर रिपोर्ट से यह जाहिर नहीं होता है कि हिसाब किताब की क्या हालत है तो वह रद्दी कागज है (६ कलकत्ता ला. जरनल सफा १०५).

हुक्म निसबत हाजरी और इजहार गवाहान रूबरू अहल कमीशन

१७ (१) इस मजमुऐ के अहकाम निसबत तलब करने और हाजिर होने और लेने इजहार गवाहान और निसबत खरचा गवाहान और उन जुरमानों के जो गवाहों पर हो सके हैं उन शख्सों से भी मुताल्लुक होंगे जिन को इस आर्डर के बमूजिब शहादत देने या दस्तावेज पेश करने का हुक्म दिया गया हो आया वह कमीशन जिस में ऐसा हुक्म हो ऐसी अदालत से सादिर हुआ हो जो ब्रिटिश इंडिया के हदूद के अन्दर वाके है या किसी और अदालत से जो ऐसे हद के बाहर हो—और इस कायदा के मतलब के लिये अहल कमीशन बतौर अदालत दीवानी समझा जायगा

(२) अहल कामिश्नर को अखत्यार है कि किसी अदालत में (जो हाई कोर्ट न हो) जिस के इलाके में कोई गवाह रहता हो इस मजमून की दरख्वास्त दे कि हुक्मनामा जो कामिश्नर की राय में जरूरी हो ऐसे गवाह के नाम जारी किया जाय और वह अदालत जो हुक्मनामा माकूल वो मुनासिब समझे अपने अखत्यार से जारी करे.

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३६६ से कायम किया गया है शिकर्मी कायदा (२) नया है

जब कोई गवाह अहल कमीशन के ऐसे नोटिस की तामिल न करे जो उस ने बनाम गवाह वास्ते हाजरी वो देने शहादत के जारी किया हो तो अहल कमीशन,

मुद्दई या मुद्दई के मुख्तार का अहेल कमीशन की मुजाहमत करना खारजी मुकदमा के लिये काफी वजह न होगा—(इ. ला. रि अलाहाबाद जि० ३२ सफा ३१९)

आम अहकाम.

१५ जब कोई कमीशन इस आर्डर के बमूजिब जारी किया जावे तो अदालत उस कदर रूपया जो वास्ते खरचा कमीशन के मुनासिब समझे एक मियाद मुकर्रर करके उस फरीक को जिस के दरखास्त पर या जिस के फायदा के लिये कमीशन जारी हुआ हो दाखिल करने का हुक्म दे

कमीशन का खरचा अदालत में दाखिल होना चाहिये

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ३९७ से कायम किया गया है—

अहेल कमीशन अपने महनताना के वसूली की नालिश कर सक्ता है (इ० ला रि. ४ मदरास सफा ३११) मगर इजराय डिकरी के जरिये से वसूली की कार्रवाई नहीं कर सकता है (१० मदरास ला. जरनल रिपोर्ट सफा २४१).

जब बाद इजराय कमीशन यह मालूम हो कि जो रकम खरचा के लिये दी गई है उस के काम बहुत जियादा हुआ और वह फरीक जिस के दरखास्त पर कमीशन जारी हुआ था जियादा खरचा देने को रजामन्द नहीं है तो तरीका जिस से वह जायदा खरचा वसुल किया जा सकता है यह है कि उस रकम को खरचा मुकदमा समझ कर डिकरी में शामिल कर दिया जावे (१० कलकत्ता वीकली नोट सफा २३४).

१६ हर अहेल कमीशन जो इस आर्डर के बमूजिब मुकर्रर हुआ हो अगर उस के मुकर्ररी वो हुक्म में और तरह का हुक्म न हो तो

अख्त्यारात अहेल कमीशन

(क) इजहार खुद फरीकैन और किसी गवाह का जिस को वह या उन में से कोई पेश करे और किसी दूसरे शख्स का ले जिसे अहल कमिशन उस मामले में जो उस के सुपुर्द हुआ हो शहादत देने के लिये तलब करना मुनासिब समझे

आर्डर—२७.

नालिशें अज़ तरफ या बनाम सरकार या ओहदेदारान सरकार बहैसियत ओहदेदारी के.

नालिशें अज तरफ या बनाम सरकार

१ किसी नालिश में जो सेक्रेटरी आफ स्टेट बहादुर बइजलास कौंसिल के तरफ से या बनाम उन के हों, अरजीदावा या बयान तहरीरी पर उस शख्स के दस्तखत होंगे जिस को गवर्नमेंट इस बारे में खास या आम हुक्म के जरिये से मुकर्रर करदे—और तस्दीक वह शख्स करेगा, जिस को गवर्नमेंट इस तरह मुकर्रर करे और जो मुकदमा के वाकिआत से वाकिफ हो

तशरीह —यह कायदा नया है.

इसके ताल्लुक देखो दफा ७९, ८० मजमूआ आइना दीवानी—

अशखास जो गवर्नमेंट के तरफ से पैरवी करने के अख्त्यार रखेंगे

२ जो शख्स कि एक्स-आफिसियों या और तरह से गवर्नमेंट के तरफ से निसबत किसी कार्रवाई अदालत के पैरवी करने के मजाज हों—वह ऐसे मुख्तार मकबूला तसौवर किये जायँगे, जो इस मजमूआ के अहकाम के मुताबिक सरकार की तरफ से हाजिर होकर पैरवी कर सके हैं, और दरखास्त दे सकते हैं

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४१७ मे कायम किया गया है.

एक्स आफिसियों—बएतबार उहदा—

अरजी दावा नालिश मिनजानिब या बनाम सरकार में

३ जो नालिश मिनजानिब या बनाम सेक्रेटरी आफ स्टेट बहादुर हिन्द बइजलास कौंसिल के हों—उन में अरजी दावा के अन्दर बयवज लिखने नाम और पता और मुकाम सकूनत मुद्दई या मुदायलेह के सिर्फ यह लिखना काफी होगा—" जनाब सेक्रेटरी आफ स्टेट बहादुर हिन्द बइजलास कौंसिल

कमीशन को अदालत में वापिस करेगा—फिर अदालत कमीशन उस अदालत दीवानी के पास भेजगी जिस के हद अख्त्यार के अन्दर वह गवाह जिस का इजहार लिया जाता है रहता हो (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २३ सफा ४०४)—यह कार्रवाई करने की अब जरूरत नहीं है—क्योंकि अहल कमीशन को अब यह अख्त्यार दिया गया है,कि अगर कोई गवाह किसी अदालत के इलाके अख्त्यार के बाहर रहता होतो वह उस अदालत में वैसे गवाह के नाम समन जारी करने के लिये दरखास्त कर सक्ता जिसके इलाके अख्त्यार में वह रहता हो.

देखो फिकरा (२) ऊपर का—वो कायदा १८ इस आर्डर का—

फरीकैन को अहल कमीशन के सामने हाजिर होना चाहिये

१८ (१) जब इस आर्डर के मुताबिक कमीशन जारी किया, जाय तो अदालत यह हिदायत करेगी कि मुकद्दमा के फरीकैन अहल कमीशन के रूबरू असालतन या बजरिये एजन्ट या वकील के हाजिर हों

(२) अगर कुल या कोई फरीक अहल कमीशन के रूबरू हाजिर न हो तो वह उन के गैर हाजरी में कार्रवाई करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४०० से कायम किया गया है—

कोई फरीक जो अमीन के रूबरू हाजिर होने से इन्कार ,करे तो वह बाद को उस की रिपोर्ट पर इतराज नहीं कर सक्ता है (६ वीकली रिपोर्टर सफा १३०).

सफा २०

२ जिस शख्स को कोई अफसर या सिपाही वास्ते करने पैरवी या जवाबदेही मुकद्दमा के मुख्त्यार करे, वह उसी तरह मुकद्दमे में असालतन पैरवी या जवाबदेही करे, जैसा कि अफसर या सिपाही खुद हाजिर होने के हालत में करता—या वास्ते पैरवी या जवाबदेही मुकद्दमे के उस अफसर या सिपाही के तरफ से किसी वकील को मुकर्रर करे

ऐसा अख्त्यार पाया हुआ शख्स काम असालतन कर सकता है या वकील कर सकता है

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४६६ से कायम किया गया है

३ हुक्मनामे जिन की तामिली किसी शख्स पर, जिस को अफसर या सिपाही की तरफ से कायदा १ के बमूजिब मुख्त्यार-नामा हासिल हो, या किसी वकील पर जिसे अफसर या सिपाही के मुख्त्यार ने मुकर्रर किया हो, की जाय, निसबत मुकदमा के उसी तरह असर रखेगी कि मानों वह इत्तलानामा वगैरा फरीक मुकदमा की जात खास पर तामील किये गये थे

जो तामिल अख्त्यार पाये हुए शख्स पर या उस के वकील पर हो वह असर रखगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४६७ से कायम किया गया है.



आर्डर २८.

नालिश मिनजानिब और बनाम मुलाजिम फौज

१ (१) अगर अफसर या सिपाही जो दर असल मोहकमा फौज में मुलाजिम सरकार हो, और अगर किसी मुकदमे का फरीक हो, और मुकदमे की पैरवी या जवाबदेही असालतन करने के लिये छुट्टी न पा सक्ता हो, तो वह किसी शख्स को मुकदमे की पैरवी या जवाबदेही करने के लिये अपने तरफ से मुखत्यार मुकर्रर करे

अफसर या सिपाही जो रुखसत न पा सक्ता हो किसी शख्स को मुकदमे की पैरवी या जवाब देही करने के लिये मुखत्यार मुकर्रर कर सकता है

(२) ऐसे शख्स की मुकर्ररी तहरीरी होगी, और अफसर या सिपाही मजकूर उस पर अपने दस्तखत करेगा (क) रूबरू अपने कमान अफसर के या अगर दस्तखत करने वाला खुद कमान अफसर हो तो रूबरू उस अफसर के जो ठीक उस का मातहत हो—या (ख) अगर अफसर या सिपाही मजकूर फौज के सीगा स्टाफ का मुलाजिम हो तो रूबरू अफसर दफ्तर या किसी अफसर वाला उस दफतर के जिस में वह मुलाजिम हो, पस ऐसा कमान अफसर या और अफसर उस मुखत्यारनामे पर अपने दस्तखत करेगा, और वह मुखत्यार नामा अदालत में दाखिल किया जायगा

(३) जब वह मुखत्यारनामा अदालत में दाखिल हो जाय तो कमान अफसर वगेरा के दस्तखत होने से यह बात साबित होगी कि मुखत्यारनामा जाब्ता के मुवाफिक लिखा गया है—और यह कि वह अफसर या सिपाही जिस की तरफ से वह मुखत्यारनामा लिखा गया मुकदमे की पैरवी या जवाबदेही असालतन करने के लिये रूखसत हासिल नहीं कर सका था

(समझावना) इस आर्डर में लफ्ज "कमान अफसर" से वह अफसर मुराद है जो किसी वक्त पर किसी देसी रेजिमन्ट या पलटन या हिस्सा पलटन या टोपू का कमानियर हो जिस से ऐसे अफसर या सिपाही का ताल्लुक हो।

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४६५ से कायम किया गया है.

अखत्यार तहरीरी मिसल में शामिल होना चाहिये (१ बम्बई हाई कोर्ट रि

दिया जाय या अगर कोई दफतर रजिस्ट्री शुदा न हो तो ऐसे जमायत सनदयाफ्ता के मुकाम, या कारबार पर

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४३६ फिकरा (१) से कायम किया गया है

अदालत मुरफमा की जाती तलबी अफसर जमायत सनदयाफ्ता के

२ अदालत मुकदमा की किसी नौबत पर उस जामयत सनदयाफ्ता के किसी सेक्रेटरी या किसी डायरेक्टर या और बड़े ओहदेदार को जो जरूरी अमूरात मुकदमा का जवाब दे सका हो असालतन हाजिर होने का हुक्म दे

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४३६ के फिकरा (२) से कायम किया गया है



आर्डर-२६.

नालिशें तरफ से और वनाम कारपोरेशन याने जमायत सनदयाफ्ता.

१ नालशें तरफ से या वनाम जमायत सनदयाफ्ता में कोई सेक्रेटरी या डाइरेक्टर या और कोई बड़ा अफसर जमायत मजकूर का जो निसबत वाकियात मुकदमा के शहादत दे सके जमायत मजकूर के तरफ से पिलीडिंग पर दस्तखत और तसदीक करे

दस्तखत और तसदीक प्लीडिंग

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४३५ से कायम किया गया है

कारपोरशने के बड़े अफसर को अरजीदावा वो बयान तहरीरी पर तसदीक करने के लिये इजाजत की जरूरत नहीं है. (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २२ सफा २६८)

इस कायदे के रू से बड़े अफसर को अपने जाती इल्म से तसदीक करने की जरूरत नहीं है, वह अपने इत्तला वो यकीन से तसदीक कर सक्ता है (९ कलकत्ता वीकली नोट सफा ६०८)

यह कायदा वैसी कम्पनीयों को भी लागू होगा, जो मुल्क गैर में कायम की गई हैं—अर्जीदावा में यह दर्ज करना चाहिये, कि मुदई डायरेक्टर या सेक्रेटरी या बड़ा अफसर कम्पनी का है और वह मुकदमा के वाकिआत की निसबत इजहार दे सक्ता है, अगर ऐसा बयान अर्जीदावा में दर्ज न हो तो अर्जीदावा मंजूर न होगा—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २२ सफा २६८)

२ तामील हुक्मनामा के हुक्मों की कैद के साथ, अगर मुकदमा वनाम किसी जमायत सनदयाफ्ता के हो उस में समन की तामील इस तरह हो सक्ती है कि,

तामील जमायत सनदयाफ्ता पर

(क) जमायत सनदयाफ्ता के सेक्रेटरी या किसी डाइरेक्टर या और किसी बड़े ओहदेदार पर,—या

(ख) जमायत सनदयाफ्ता के दफतर रजिस्ट्री शुदा में बशरते कि कोई ऐसा दफतर हो, जरीये डाक पहुंचा दिया जाये या छोड़

तौर से दूकान याने फर्म के नाम से कहे जायगे, और हर एक शख्स शराकतदार कहा जायगा

२ (१) अगर कोई नालिश शराकतदार फर्म के तरफ से उन के फर्म
शराकतदार के नाम जाहिर करना — के नाम से दायर की जाय तो मुद्दईयान या उन के वकील को लाजिम है कि अगर कोई मुद्दायलेह दरख्वास्त तहरीरी दे, या उस की तरफ से दरख्वास्त दी जाय, तो कुल शराकतदारान फर्म के नाम और पते कि जिन की तरफ से नालिश दायर हुई हो, फौरन तहरीर के जरिये से बतला दे

२ अगर मुद्दईयान या उन का वकील जिमन (१) में जिकर किये हुये मजमून दरख्वास्त की तामील न करे तो दरख्वास्त गुजरने पर मुकदमे में कुल कार्रवाई मुताबिक उन शर्तों के जो अदालत के तरफ से मुकर्रर हो, मुलतवी हो सकी है

(३) जब शरीकदारान के नाम बमूजिब फिकरा (१) के जाहिर कर दिया जाय, तो नालिश उसी तरह चालू रहेगी और हर हाल में वही नतीजा निकलेगा जैसा कि उस सूरत में जब कि उन शरीकदारों का नाम अर्जीदावा में बतौर मुद्दई दर्ज रहता—

मगर शर्त यह है कि ऐसा होने पर भी कुल कार्रवाई, फर्म के नाम से जारी रहेगी—

तशरीह —यह कायदा नया है—

देखो कायदा ६ इस आर्डर का

३ अगर लोगों पर बतौर शराकतदार फर्म उन के फर्म के नाम से
तामील — इस कायदे के रूसे नालिश दायर की जाय, तो समन की तामील इस तरह होगी-याने,

[क] चाहे एक या जियादा शराकतदार पर-या,

[ख] उस सदर मुकाम वाके ब्रिटिश इन्डीया में कि जहा कारोबार किया जाता हो किसी शख्स पर जो तामील समन के वक्त फर्म का अख्तयार रखता हो या उस का मुन्तजिम हो

जैसा कि अदालत हुक्म दे-और ऐसी तामील कारखाने पर तामील समझी जायगी कि जिस के नाम नालिश की जाय चाहे कुल या कोई शराकतदार ब्रिटिश इन्डीया के बाहर रहते हों या न रहते हों

मगर शर्त यह है कि उस फर्म के हालत में जो मुद्दई के इल्म में दायरी नालिश के पहले टूट चुका हो, समन हर शख्स पर तामील कराना

आर्डर ३०.

नालिश अजतरफ या बनाम फर्म के और उन शख्सों के जो अपने नाम के सिवाय किसी और नाम से कारबार करते हों.

१, (१) कोई दो या जियादा शख्स जो बहैसियत शराकतदार, दावेदार या जिम्मेदार हों, और ब्रिटिश इंडिया में कारोबार करते हों, उस फर्म कि नाम से (अगर कोई फर्म हो) कि जिस के वह विनाय मुखासमत पैदा होने के वक्त शराकतदार थे, नालिश दायर कर सके हैं, या उन पर नालिश की जा सकी है-और ऐसी सूरत में मुकदमा का कोई फरीक अदालत में दरख्वास्त दे सक्ता है कि नाम और पता उन लोगों का जो विनाय दावे के पैदा होने के वक्त उस फर्म के शरीक थे, अदालत से मुकर्रर किये हुवे तरीके से तसदीक हो कर उस को दिया जाय

शराकतदार फर्म के नाम से नालिश कर सक्ता हैं

२ अगर वह शख्स बहैसियत शराकतदार अपने फर्म के नाम से जिमन (१) की रूसे नालिश करे, या उसी हैसियत से उन पर नालिश की जाय, तो जब पिलीडिंग या दीगर कागज कि जिस पर इस मजमूआ की रूसे दस्तखत या इबारत तसदीक का लिखा जाना मुद्दई या मुदायलेह के तरफ से जरूर है, इतना काफी होगा कि उस पिलिडिंग या दूसरे कागज पर उन शख्सों में से किसी एक के दस्तखत या इबारत तसदीक हो

तशरीह:—यह कायदा नया है

इस कायदे के बमूजिब उस सूरत में कार्रवाई की जायगी कि जब नालिश किसी दुकान याने फर्म के बरखिलाफ या उस के तरफ से दायर की जाय कि जिस के साझेदार याने शराकतदार कई शख्स हों—कानून माहदा की दफा २३९ में लफ्ज "शराकत" की तारीफ के मुताबिक वह रिश्ता मुराद है जो दरम्यान उन शख्सों के मौजूद हो जिन्हों ने किसी कारोबार में अपनी मालियत महनत वो अकल शामिल करने का, वो अपने आपस में मुनाफा तकसीम करने का, इकरार किया हो—जो लोग इस तौर पर एक दूसरे के साथ शरीकदार हों, वे सब इकठ

दफ़ा ४५ एक्ट माहदा सन १८७२ ई० का यह मतलब है कि फर्ज़ करो कि (अ) ने बज़रिये दस्ती चिट्ठी ५०००) रु० किसी फर्म से कर्ज़ लिया–जिसके शरीकदार (ब) वो (क) थे अगर (ब) मर जाय तो (क) अकेला उस रूपया की नालिश (अ) पर दायर न कर सकेगा, तावक्ते कि वह (ब) के क़ायम मुक़ाम जायज़ को अपने साथ बतौर मुद्दई शामिल न करे, मगर इस क़ायदा ४ के रू से (क) नालिश फ़र्म के नाम से बग़ैर शामिल करने (ब) के क़ायम मुक़ाम जायज़ को (अ) पर दायर कर सक्ता है मगर (ब) का क़ायम मुक़ाम बतौर मुद्दई बनाये जाने की दरख़ास्त दे सक्ता है या उस डिकरी से फ़ायदा उठाने की दरख़ास्त दे सक्ता है जो (अ) पर सादिर हुई है—

तामील नोटिस किस हैसियत से हो

५ अगर कोई समन किसी फ़र्म के नाम जारी हो और क़ायदा ३ में मुक़र्रर किये हुये क़ायदे से तामील पाय, तो हर शख़्स को जिस पर समन की तामील हुई हो एक इत्तला तहरीरी समन के तामील के वक्त दी जायगी, इस मज़मून से कि समन की तामील उस पर किस हैसियत से हुई, याने बहैसियत शरीकदार के या बहैसियत ऐसे शख़्स के अख़त्यार या इन्तज़ाम में वह फ़र्म हो, या दोनों हैसियत से और अगर ऐसी कोई इत्तला न दी जाय तो समझा जायगा कि समन की तामील उस पर बहैसियत शरीकदार के हुई

तशरीह—यह क़ायदा नया है

शरीकदार की हाज़री

६ अगर लोगों के नाम बहैसियत शरीकदार फ़र्म के नाम से नालिश की जाय तो हर शख़्स अपने अपने नाम से हाज़िर होगा, मगर उस के बाद के कुल कार्रवाई फ़र्म के नाम से जारी रहेगी

तशरीह:—यह क़ायदा नया है

शरीकदार फ़र्म के सिवाय किसी और शख़्स की हाज़री अदालत में ज़रूर नहीं होगी

७ अगर समन उस तरीके से जो क़ायदा ३ के रू से मुक़र्रर किये गये हैं किसी ऐसे शख़्स पर तामील किया जाय जिस के अख़्त्यार या इन्तज़ाम में फ़र्म हो तो उस की हाज़री की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वह ख़ुद शरीकदार फ़र्म न हो

तशरीह:—यह क़ायदा नया है

८ कोई शख़्स जिस पर कोई हुक्मनामा बतौर शरीकदार के क़ायदा

चाहिये कि जो ब्रिटिश इन्डीया में रहता हो, और उस को जिम्मेदार बनाना मन्जूर हो

तशरीह:—यह कायदा नया है.

देखो आर्डर न० २१ कायदा ५०—

फर्ज करो एक फर्म में दो शरीकदार हैं, और फर्म पर नालिश की गई—

अगर समन की तामील उन में से एक या दोनों शरीकदार पर की जाय, तो तामील जायज समझी जायगी और एक या दोनों पर तामील न हो बल्कि फर्म के मुन्तजिम पर हो तो इस किस्म की तामील भी जायज तामील समझी जायगी अगर तामील इन दोनों किस्मों में से न हो तो वह नाजायज समझी जायगी—

अगर फर्म पर डिक्री सादिर हो तो उसकी इजराय फर्म की जायदाद पर होगी, और शरीकदार की जायदाद पर इजराय डिक्री जो फर्म पर हुई, सिर्फ उस हालत में होगी, जब कि समन की तामील उस पर बतौर शरीकदार हुई हो— अगर ऐसी तामील नहीं हुई है तो डिक्री की इजरा उसकी निजी जायदाद पर न हो सकेगी—(कलकत्ता वि नेाट जि० ११ सफा १०१२)—

हक मुकदमा बाद मर जाने शराकतदार के

४ (१) बावजूद अहकाम दफा ४५ एक्ट माहदा हिन्द सन १८७२ ई० के अगर दो या जियादा शख्स किसी फर्म के नाम से पिछले हुक्मों की रू से नालिश करें या उन पर नालिश की जाय और उन में से कोई शख्स नालिश दायर होने के पहले या दौरान मुकदमा में मर जाय तो यह जरूरी नहीं है कि मुतवफ्फी का कायम मुकाम कानूनन फरीक मुकदमा बनाय जाय

(२) जिमन (१) का कोई मजमून किसी नीचे लिखे हुये हक को जो मुतवफ्फी के कायम मुकाम कानूनी को हासिल है, महदूद नहीं करता और न उस पर और तरह से असर पहुचता है

(क) हक देने दरख्वास्त का कि ऐसे कायम मुकाम फरीक मुकदमा बनाय जाय या,

(ख) निस्बत दायर करने किसी दावे के बनाम शख्स या अशखास पस मादा मजकूर के

तशरीह:—यह कायदा नया है—और एक्ट १२ सन १८८६ ई० से कायम किया गया है

आर्डर—३१.

नालिशें बनाम या मिन जानिब अमीन, वसी और मोहतमिम तरका—

कायममुकामी मसलन मुतअल्लिक मुकदमा जायदाद में जो अमीन वगैरा के सुपुर्दगी में हो

१ कुल मुकदमात में जो ऐसी जायदाद से मुताल्लुक रखते हों जो किसी अमीन या वसी या मोहतमिम तरका की सुपुर्दगी में हो जब झगड़ा उस जायदाद का दरम्यान उन शख्सों के जो जायदाद मजकूर में हक फायदा उठाने का रखते हों, बतौर फरीक अव्वल और किसी शख्स गैर फरीक सानी के हो तो ऐसे अमीन वसी या मोहतमिम तरका ऐसे शख्स गरजदार का कायम मुकाम समझा जायगा और मामूली तौर से उन शख्सों को फरीक मुकदमा करना जरूर नहीं होगा—लेकिन अगर अदालत मुनासिब समझे तो हुक्म दे सकी है कि वे सब या उन में से कोई फरीक मुकदमा बनाया जावे

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४३७ से कायम किया गया है.

अगर अमीन वसी या मोहतमिम का हक खिलाफ हक फायदा उठाने वालों के हो तो फायदा उठाने वाले शख्स बतौर फरीक बनाये जा सक्ते हैं--(इला ी मदरास जि० १३ सफा १९७)

अमीन और वसी और मोहतमिम तरका का शामिल करना

२ जिस हालत में कई लोग अमीन या वसी या मोहतमिम करार दिये गये हो और कोई नालिश उन में से एक या कई के नाम दायर की जाय तो वे सब फरीक मुकदमा किये जायेंगे

मगर शर्त यह है कि जिन वसीयों ने अपने (वसीयत करने वाले) के वसीयतनामे को अदालत से साबित न किया हो और जो अमीन और वसी और मोहतमिम तरका ब्रिटिश इन्डीया के बाहर हो उन को फरीक करना जरूर नहीं है

हाजरी अदालत रोकाव के साथ

३ में मुकर्रर किये हुये तरीके से तामील किया जाय अदालत में हाजिर होकर शराकत फर्म से इनकार कर सक्ता है-मगर यह हाजरी इस बात के माने न होगी कि मुद्दई और तरह पर फर्म पर हुक्मनामे की तामील न कराये, और अगर कोई शरीकदार हाजिर न हो तो अदम हाजरी में फर्म के नाम से डिकरी हासिल न करे

तशरीह —यह कायदा नया है.

नालिश दरम्यान शराकतदारान के

९ यह आर्डर उन नालशात से भी मुताल्लुक होगा जो दरम्यान किसी फर्म और उस के एक या जियादा शराकतदार के हों वो उन नालशों से भी जो दरम्यान ऐसे फर्म के हो जिन के एक या जियादा शराकतदार दोनों फर्म में शरीक हों-मगर ऐसी नालिश में कोई कार्रवाई इजराय डिकरी न हो सकेगी, सिवाय इस के कि अदालत से इजराय की जाय और जब दरख्वास्त वास्ते हासिल करने इजाजत निस्बत इजरा डिकरी के दी जाय, तो कुल हिसाब होगा, और तहकीकात की जायगी, और हिदायतें सादिर होंगी, जैसा कि इनसाफ के लिये जरूर हो

तशरीहः—यह कायदा नया है

नालिश बनाम ऐसे शख्स के जो अपने नाम के सिवा किसी और नाम से कारोबार करता हो

१० जो शख्स अपने नाम के सिवा किसी और नाम से कारोबार करता हो उस पर उसी नाम से नालिश हो सकेगी मानो कि वह एक फर्म का नाम है और जहां तक हालत मुकदमा मालूम हो कुल कायदे इस आर्डर के ऐसी नालिश से मुताल्लुक होंगे

तशरीह:—यह कायदा नया है.

आर्डर--३२.

नालशात मिनजानिब या बनाम नाबालिग और फातिरुल-अक्ल (याने पागल) के.

नाबालिग की तरफ से नालिश मारफत उस के रफीक के होगी

१ जो नालिश किसी नाबालिग के तरफ से हो वह नाबालिग के नाम से किसी शख्स की मारफत जो उस नालिश में रफीक नाबालिग का कहा जायगा दायर होगी

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४४० से कायम किया गया है.

रफीक याने दोस्त की तरफ से नालिश किये जाने में नाबालिग की रजामन्दी गैर जरूरी है (इ. ला. रि. मदरास जि० ३ सफा ३४)

यह अमर के आया कोई नाबालिग है या नहीं साफ शहादत से तसफिया पाना चाहिये और न कि उस के देखने से (वीकली रिपोर्ट सन १८६४ सफा २०४).

सारटिफिकेट वली होने का नाबालगी की शहादत नहीं है और न जनमपत्री इस बात का काफी सबूत समझा जाता है (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १७ सफा ८४६)

आम कायदा यह है कि गो नाबालिग बजरिये अटरनी या वकील हाजिर हो सक्ता है, मगर वह पैरवी या जवाब देही मुकदमा सिर्फ बजरिये अपने वली के कर सक्ता है (इ. ला. रि. मदरास जिल्द १६ सफा ३४४)

यह कायदा उन मुकदमात में लागू नहीं है जिन में हुक्म बमुजिब आर्डर नम्बर ३३ कायदा ११ सादिर किया जावे (इ. ला. रि. मदरास जिल्द २३ सफा ७३)

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४३८ से कायम किया गया है—

खाविन्द औरत मनकूहा फरीक मुकदमा न किया जायगा

३ अगर अदालत और तरह का हुक्म न दे तो किसी मनकूला औरत का अमीन मोहतमिम तरका या वसी का खाविन्द फरीक बतौर खाविन्द उस मुकदमे का न किया जायगा जो उस औरत की तरफ से या उस पर दायर हो

तशरीह:—यह कायद पुराने एक्ट की दफा ४३९ से कायम किया गया है

(२) नालिश पेश करने वाले को ऐसी दरख्वास्त की इत्तला दी जायगी और अदालत उस के उजरों को सुन कर अगर उसकी तरफ से कुछ उजर हो जो हुक्म उस मामले में मुनासिब समझे, दे

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४४२ से कायम किया गया है

जब कोई नालिश नाबालिग के तरफ से बतौर बालिग दायर की गई और यह मालूम हो कि मुद्दई नाबालिग है तो अदालत रफीक को कार्रवाई मुकदमा करने की इजाजत दे सक्ती है [१६ मदरास ला जरनल रिपोर्ट सफा १३]

जब कि कोई अरजीदावा रजिस्टर से खारिज कर दिया जावे तो इस बात की मुमानियत नहीं है कि उसी बिनायदावी के निसबत दूसरी नालिश दायर न की जाय

अगर कोई नाबालिग बगैर रफीक के नालिश दायर करे और मुदायलेह अपना कोई उजर पेश न करे, तो समझा जायगा, कि मुदायलेह ने अपना उजर दर गुजर किया—ऐसी सूरत में डिक्री सादिर होने के बाद मुदायलेह इजराय डिक्री के वक्त यह उजर न कर सकेगा कि नालिश नाबालिग ने बगैर रफीक के दायर किया था—(इ ला रि मदरास जि० १६ सफा १२७)

नाबालिग मुदायलेह के लिये वली वास्ते मुकदमा अदालत की तरफ से मुकर्रर होगा

३ (१) जब कि मुदायलेह नाबालिग हो, तो अदालत को अगर उस के नाबालिगी का यकीन पूरा हो जावे किसी शख्स मुनासिब को उस नाबालिग के वास्ते वली निसबत मुकदमा मुकर्रर करे

(२) हुक्म वास्ते मुकर्ररी वली दौरान मुकदमा के उस दरख्वास्त पर जो नाबालिग के नाम या उस की तरफ से या मुद्दई की तरफ से गुजरे, हो सक्ता है

(३) उस दरख्वास्त की ताईद में बजरिये बयान हलफी के इस बात की तसदीक की जायगी कि वली जो तजवीज किया है उस को नालिश के झगड़ों के मामले में कुछ हक नाबालिग के हक के खिलाफ नहीं है और वह शख्स वली मुकर्रर होने के लायक है

(४) दरख्वास्त जो इस कायदे के बमूजिब दी जावे उस पर कोई हुक्म न दिया जायगा जब तक कि इत्तला नाबालिग को और उस के किसी

इंडियन ला रिपोर्ट १० कलकत्ता सफा १०२—६ में यह राय करार पा है कि जब कोई नालिश खुद नाबालिग या उस के तरफ से कोई शख्स बिल रफीक के दायर करे तो अदालत के लिये ठीक कार्रवाई यह होगी कि अरजीदा वापिस करे ता कि गलती दुरूस्त करदी जावे

जब कि कोई मुद्दई जो नाबालिग है अपने नाम से नालिश क और अदालत अपील से मुकदमा तसफिया होते तक मुद्दायलेह कोई एतराज न करे तो वे बाद बालिग हो जाने मुद्दई के अपील दोयम में एतराज नहीं कर सक्ते हैं (इ. ला. रि. मदरास जिल्द १६ सफा १२७).

इस कायदे में कोई हुक्म नहीं है कि जब किसी बालिग के नाम से नालिश दायर की जाय जो गलती से नाबालिग तसव्वर किया जावे तो उस में क्या कार्रवाई होगी इंडियन ला रिपोट अलाहाबाद जिल्द २० सफा ६० में अलाहाबाद हाई कोर्ट की यह राय करार पाई है कि जब अपील में यह मालूम होवे कि ऐसा मुद्दई बर वक्त दायरी नालिश नाबालिग नहीं था तो नालिश खारिज होना चाहिये.

नाबालिगी के निसबत एतराज अगर अदालत अपील में नहीं किया गया तो अपील से मुकदमा तजवीज सानी के लिये वापिस आने पर एतराज नहीं किया जा सक्ता है (इ. ला. रि. १३ कलकत्ता सफा १८६)

जिसकी उमर १८ साल की न हो वह नाबालिग कहलायगा यानी १६ वा साल शुरू होने पर वह बालिग कहलायगा मगर जिस नाबालिग की जायदाद जेर इन्तजाम कोर्ट आफ वार्डस हो या जिसका वली अदालत इन्साफ से मुकर्रर किया गया हो वह २१ साल की उमर खतम होने पर वो २२ वा साल लगने पर बालिग कहलायगा

अगर नालिश बगैर मारफत रफीक के की जाय तो अरजीदावी रजिस्टर से खारज किया जायगा

४ (१) अगर कोई नालिश बगैर मारफत रफीक के कोई नाबालिग खुद या मारफत किसी और के दायर करे तो मुद्दायलेह इस बात की दरखास्त कर सक्ता है कि अरजीदावा रजिस्टर से खारिज किया जाय और उस का खर्चा वकील या गैर शख्स जिसने के नालिश को पेश किया हो उससे दिलाया जाय

(२) नालिश पेश करने वाले को ऐसी दरख्वास्त की इत्तला दी जायगी और अदालत उस के उजरों को सुन कर अगर उसकी तरफ से कुछ उजर हो जो हुक्म उस मामले में मुनासिब समझे, दे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४४२ से कायम किया गया है

जब कोई नालिश नाबालिग के तरफ से बतौर बालिग दायर की गई और यह मालूम हो कि मुद्दई नाबालिग है तो अदालत रफीक को कार्रवाई मुकदमा करने की इजाजत दे सक्ती है [१६ मदरास ला जरनल रिपोर्ट सफा १३]

जब कि कोई अरजीदावा रजिस्टर से खारिज कर दिया जावे तो इस बात की मुमानियत नहीं है कि उसी बिनायदावी के निसबत दूसरी नालिश दायर न की जाय

अगर कोई नाबालिग बगैर रफीक के नालिश दायर करे और मुद्दायलेह अपना कोई उजर पेश न करे, तो समझा जायगा, कि मुद्दायलेह ने अपना उजर दर गुजर किया—ऐसी सूरत में डिक्री सादिर होने के बाद मुद्दायलेह इजराय डिक्री के वक्त यह उजर न कर सकेगा कि नालिश नाबालिग ने बगैर रफीक के दायर किया था—(इ ला रि मदरास जि० १६ सफा १२७)

नाबालिग मुद्दायलेह के लिये वली वास्ते मुकदमा अदालत की तरफ से मुकर्रर होगा

३ (१) जब कि मुद्दायलेह नाबालिग हो, तो अदालत को अगर उस के नाबालिगी का यकीन पूरा हो जावे किसी शख्स मुनासिब को उस नाबालिग के वास्ते वली निसबत मुकदमा मुकर्रर करे

(२) हुक्म वास्ते मुकर्ररी वली दौरान मुकदमा के उस दरख्वास्त पर जो नाबालिग के नाम या उस की तरफ से या मुद्दई की तरफ से गुजरे, हो सक्ता है

(३) उस दरख्वास्त की ताईद में बजरिये बयान हलफी के इस बात की तसदीक की जायगी कि वली जो तजवीज किया है उस को नालिश के झगड़ों के मामले में कुछ हक नाबालिग के हक के खिलाफ नहीं है और वह शख्स वली मुकर्रर होने के लायक है

(४) दरख्वास्त जो इस कायदे के बमूजिब दी जावे उस पर कोई हुक्म न दिया जायगा जब तक कि इत्तला नाबालिग को और उस के किसी

वली को जिस को हाकिम मजाज ने मुकर्रर किया या करार दिया हो न दी जाय या अगर कोई ऐसा वली न हो तो इत्तला नाबालिग के बाप या दीगर वली हक़ीक़ी को न दी जाय या अगर बाप या कोई और वली हक़ीक़ी भी न हो तो इत्तला उस शख्स को न दी जाय कि जिस की खबरगीरी और हिफ़ाजत में नाबालिग हो और उन उजरात के सुने जाने के बाद जो किसी ऐसे शख्स की तरफ से पेश किये जां ४ जिन को इस जिमन की रू से इत्तला दी गई हो

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४४३ वो ४५६ से कायम किया गया है वो शिकमी कायदा ४ नया है.

जब किसी नालिश के जवाब में उजर नाबालिग का किया जावे तो मुदयलेह के तरफ से वली मुकर्रर होना चाहिये वो एक सरसरी तनकीह इस बात की निकाली जाकर तसफिया होना चाहिये कि आया मुद्दायलेह नाबालिग है या नहीं (इ ला. रि १६ मद्रास सफा ३४४).

कोई शख्स उस की मरजी के खिलाफ वली मुकर्रर नहीं किया जा सकता है (इ. ला रि. बम्बई जिल्द ५ सफा २०६).

अलफाज "वली जिस को हाकिम मजाज ने मुकर्रर किया या करार दिया हो" ऐसे वली से लागू है जो हिन्दू बाप ने जरिये वसीयतनामा मुकर्रर किया हो (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द २१ सफा ४१३).

जब कोई मुद्दायलेह जो बालिग है नाबालिग बयान किया जावे और उस का वली मुकर्रर हो जावे और उस के बालिग होने का कोई बयान न किया जावे और उस को नाबालिग तसव्वर करके डिकरी सादिर हो जाव और उस डिकरी की अपील न हो तो उस डिकरी को [illegible] देने की नालिश नहीं हो सक्ती (इ ला. [illegible] जिल्द [illegible])

अगर बमूजिब [illegible] हो [illegible] है तो भी अदालत से वली मु[illegible] जिल्द [illegible] ५).

[illegible]

नहीं है

किसी वली के मुकर्रर होने के पहिले कोई शख्स बतौर रफीक नाबालिग मुन्तकिल होने मुकदमा की दरखास्त कर सकता है (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा ७७१)

मियाद तारीख अरजादावा से शुमार होती है और न कि वली के मुकर्ररी की तारीख से (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ४ सफा ३७)

नाबालिग मुद्दई का वली " रफीक " कहलाता है मुद्दायलेह नाबालिक का वली " वली " कहलाता है

४ (१) जो शख्स सही अक्ल का और बालिग हो वह बतौर रफीक या वली वास्ते मुकदमा किसी नाबालिग के कार्रवाई कर सकता है

कौन शख्स बतौर रफीक कारवाई करेगा या वली वास्ते मुकदमा मुकर्रर होगा

मगर शर्त यह है कि उस का हक मुखालिफ उस नाबालिग के न हो और यह कि रफीक होने की सूरत में वह उस मुकद्दमे में मुद्दायलेह न हो और वली वास्ते मुकदमा होने के हालत में मुद्दई न हो

(२) अगर किसी नाबालिग का कोई ऐसा वली मौजूद हो जिसे किसी हाकिम ने मुकर्रर किया या करार दिया हो तो ऐसे वली के सिवाय कोई और शख्स बतौर रफीक नाबालिग कार्रवाई न कर सकेगा और न उस का वली वास्ते मुकदमा मुकर्रर होगा तावक्ते कि अदालत तहरीरी वजूहात से यह मुनासिब न समझे कि किसी दूसरे शख्स को बतौर रफीक कार्रवाई करने की इजाजत देना या उस का वली वास्ते मुकदमा मुकर्रर करना (याने जैसा मौका हो) नाबालिग के हक में फायदा पहुचाने वाला होगा

(३) कोई शख्स अपनी मरजी के खिलाफ वली दौरान मुकदमा मुकर्रर न किया जायगा

(४) जब कोई और शख्स बतौर वली वास्ते मुकदमा कार्रवाई करने के लायक वली होने पर राजी न हो, तो अदालत को अखत्यार है कि अपने किसी ओहदेदार को वली मुकर्रर करे और यह हिदायत करे कि जिस कदर रूपया उस ओहदेदार को अपना काम बहैसियत वली के करने में खरच हुआ हो या आइन्दा हो उस की अदाई कैसे होगी याने आया कुल फरीकैन मुकदमा उस की अदाई के जिम्मेदार होंगे या फरीकैन में से कोई या उस की अदाई किसी (रूपया) से होगी कि जो अदालत में दाखिल हो और जिसमें नाबालिग गरज रखता हो और हिदायत मुताल्लुक अदाई ऐसे खरच के भी होगी कि जो वास्ते होने इन्साफ और हालात मुकदमा के हो सादिर कर

सक्ती है—

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४४५-४४० (२) ४४३ (२) ४५६ (२) से कायम किया गया है वो शिक्रमी कायदा (३) नया है

सन १८८२ ई० के एक्ट की दफा ४५७ के रू से कोई औरत जिसकी शादी हो चुकी वली मुकर्रर नहीं हो सक्ती और अगर ऐसी औरत वली मुकर्रर हुई तो वह नाजायज करार दी गई (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द २६ सफा ७२८)

जो कुछ मजमून कायदा ९ में बयान किया गया है उस से यह मालूम होता हो के रफीक ब्रिटिश इंडिया का रहने वाला होना चाहिये—कोई वली जिस पर तामील समन की नहीं हो सक्ती वह बेकायदा है और जब वली ने मुल्क छोड़ दिया है तो नया वली मुकर्रर होना चाहिये (१७ मद्रास ला जरनल रिपोर्ट सफा १७६)

जब कि कोई नाबालिग लड़का अपने बाप पर नालिश करे तो उस की मा उस की रफीक नहीं हो सक्ती (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ११ सफा ७३३)

किसी हिन्दू बेवा के दूसरी बार शादी कर लेने पर खाविन्द मुतवफ्फी का रिश्तेदार नहीना मामूली तौर से बमुकाबले दूसरी शादी कर लेने वाली मा के, वली मुकर्रर होना चाहिये (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ४ सफा १६५)

लफ्ज "वली" जब पागल से लागू है तो उस से उस की जायदाद का मेनेजर मुराद है अलावा वली जायदाद के कोई दूसरा शख्स भी अदालत की इजाजत से नालिश कर सक्ता है (इ ला. रि. बम्बई जिल्द २३ सफा ४०१)

जब कोर्ट आफवार्डस ने कोई मेनेजर मुकर्रर किया है तो मेनेजर के नाबालिग की तरफ से नालिश दायर करने के अख्त्यार में एतराज सिर्फ इस्तलाही है और वह नामन्जूर होना चाहिये (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा १२७ प्रिवी कौंसिल)

जब कि अदालत का कोई अफसर वली मुकर्रर किया गया है तो अदालत उस पर बतौर वली नाबालिग डिकरी सादिर नहीं कर सक्ती (इ. ला रि बम्बई जिल्द ४ सफा ६३८).

जब अदालत का कोई अफसर वली मुकर्रर किया गया और उस के पास रूपया नहीं दिया गया तो वह अलेहदा किया जा सकता है (इं ला. रि. बम्बई जिल्द २८ सफा ६३६)

५ (१) हर दरख्वास्त सिवाय दरख्वास्त जिस का जिकर जिमन (२) कायदा १० में किया गया है जो अदालत में किसी नाबालिग के तरफ से दी जावे वह उस के रफीक या उस के वली वास्ते मुकदमा की तरफ से हो

रफीक या वली वास्ते मुकदमा नाबालिग का कायम मुकाम होगा

(२) जो हुक्म किसी नालिश में या किसी दरख्वास्त पर जो अदालत में गुजरी हो दिया जाय और उस में किसी नाबालिग को किसी तरह का सरोकार हो, या किसी तौर पर उस को उस से असर पहुंचता हो और उस में उस नाबालिग की तरफ से कोई उस का रफीक या वली वास्ते मुकदमा याने जैसी सूरत हो कायम मुकाम उस का न हो तो वह हुक्म मन्सूख कर दिया जाय और अगर वकील उस फरीक का जिस ने हुक्म हासिल किया हो नाबालिगी का हाल जानता था या अकल मन्दी से जान सकता था तो खर्चा उसी वकील के जिम्मे रखा जायगा

तशरीह:—*यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४४१ से ता ४४४ के कायम किया गया है*

इजराय डिकरी का हुक्म जो नाबालिग के खिलाफ बगैर वली के सादिर किया जावे वह नाजायज है और जब अदालत को बतलाया जावे कि ऐसा हुक्म सादिर हुआ है तो अदालत को ऐसा हुक्म फौरन मन्सूख कर देना चाहिये (६ मदरास ला जरनल रिपोर्ट सफा १४४)

इस मजमूआ के लफ्जों से मालूम होता है कि नाबालिग की दी हुई दरख्वास्त कि जो बिला रफीक हाजिर अदालत आवे, मनसूख कर देने का अख्त्यार अदालत की मर्जी पर है (इं. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २२ सफा २७०-७४).

अदालत इब्तदाई से जो वली मुकर्रर हो वह अपील के लिये भी है और वह शख्स जिसे अदालत इब्तदाई ने वली मुकर्रर नहीं किया है नाबालिग के तरफ से अपील नहीं पेश कर सकता (इं. ला. रि. मदरास जिल्द २२ सफा १८७)

अदालत को अख्त्यार नहीं है कि नाबालिग की जायदाद को जिम्मेदार खर्चा करार दे (इं. ला. रि. बम्बई जिल्द १३ सफा २३४).

नालिश के खर्चे के बाबत जमानत सिवाय चंद खास खास सूरतों में

सक्ती है—

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४४५-४४० (२) ४४३ (२) ४५६ (२) से कायम किया गया है वो शिकमी कायदा (३) नया है

सन १८८२ ई० के एक्ट की दफा ४५७ के रू से कोई औरत जिसकी शादी हो चुकी वली मुकर्रर नहीं हो सक्ती और अगर ऐसी औरत वली मुकर्रर हुई तो वह नाजायज करार दी गई (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द २६ सफा ७२८)

जो कुछ मजमून कायदा ९ में बयान किया गया है उस से यह मालूम होता हो के रफीक ब्रिटिश इंडिया का रहने वाला होना चाहिय—कोई वली जिस पर तामील सम्मन की नहीं हो सक्ती वह बेकायदा है और जब वली ने मुल्क छोड़ दिया है तो नया वली मुकर्रर होना चाहिये (१७ मदरास ला जरनल रिपोर्ट सफा १७६)

जब कि कोई नाबालिग लड़का अपने बाप पर नालिश करे तो उस की मा उस की रफीक नहीं हो सक्ती (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ११ सफा ७३३)

किसी हिन्दू बेवा के दूसरी बार शादी कर लेने पर खाविन्द मुतवफ्फी का रिश्तेदार नरीना मामूली तौर से बमुकाबले दूसरी शादी कर लेन वाली मा के, वली मुकर्रर होना चाहिये (इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ४ सफा १९५)

लफ्ज "वली" जब पागल से लागू है तो उस से उस की जायदाद का मेनेजर मुराद है अलावा वली जायदाद के कोई दूसरा शख्स भी अदालत की इजाजत से नालिश कर सक्ता है (इ ला. रि. बम्बई जिल्द २३ सफा ४०२)

जब कोर्ट आफवार्डस ने कोई मेनेजर मुकर्रर किया है तो मेनेजर के नाबालिग की तरफ से नालिश दायर करने के अख्त्यार में एतराज सिर्फ इस्तलाही है और वह नामन्जूर होना चाहिये (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा १२७ प्रिवी कौंसिल)

जब कि अदालत का कोई अफसर वली मुकर्रर किया गया है तो अदालत उस पर बतौर वली नाबालिग डिकरी सादिर नहीं कर सक्ती (इ. ला रि बम्बई जिल्द ४ सफा ६३८).

गया है

सिर्फ आपसी तसफिया पर किसी डिकरी का सादिर करना बराबर देने मजूरी के नहीं है (इ ला रि २१ मदरास सफा ९३)

मजूरी के हुक्म में यह बात दरज होना चाहिये कि दरखास्त दी गई और तजवीज किया हुआ इकरारनामा या राजीनामा की शरतों पर अदालत ने लेहाज किया है और नाबालिग के हक के लेहाज से मजूरी दी गई है (इ ला. रि अलाहाबाद जि० १७ सफा ५३२)

हुक्म से या दरखास्त से या किसी और तरह से बगैर शक यह साबित होना चाहिये कि अदालत की मजूरी हासिल की गई थी (इ. ला. रि २८ अलाहाबाद सफा ५८५ प्रिवी कौंसिल)

इकरारनामा या राजीनामा मुताबिक कानून के जायज होना चाहिये [देखो आर्डर २३ कायदा ३] किसी तनकीह को छोड़ देना राजीनामा नहीं है (इ ला. रि. मदरास जिल्द २२ सफा ५३८) अगर वली उस दरखास्त पर दस्तखत कर दे जिस में राजीनामा की शरतें दरज हैं, तो वह उस से किसी वक्त अदालत की मजूरी हासिल करने के पहले दस्तबरदार हो सक्ता है (इ ला रि २२ मदरास सफा ३७८)

उन इकरारनामों से जो मुकदमा पनचों के सुपुर्द करने के बाबत हो वो इकरारनामा वास्ते पाबदी हल्फ में भी यह कायदा लागू है (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २७ सफा २२९ वो २४ मदरास सफा ३२६–३०)

इजराय डिक्री के राजीनामा से भी यह लागू है (इ. ला रि बम्बई जिल्द २६ सफा १०९).

यह कायदा राजीनामा बाद डिक्री में भी लागू है, कोई तसफिया बजरिये राजीनामा, डिक्री मिनजानिब वली नाबालिग की तसदीक बमूजिब आर्डर २१ कायदा २ जब वली ने इस कायदे के मुताबिक राजीनामा में इजाजत नहीं ली है, हो सक्ती है (इ ला रि मदरास जिल्द २९ सफा ३०९)

कोई राजीनामा जो ठीक तौर से मनजूर नहीं हुआ है नाबालिग के बालिग होने के पहले नाजायज करार दिया जा सक्ता है—(इ ला रिपोर्ट २६ बम्बई सफा १०९)

नाबालिग या उस के रफ़ीक से तलब करना मुनासिब नहीं है (इं० ला० रि० बम्बई जिल्द २२ सफ़ा १००).

६ (१) कोई रफ़ीक या वली वास्ते बिला इजाजत अदालत कोई रूपया या दीगर जायदाद मनक़ूला किसी नाबालिग की तरफ़ से वसूल न करेगा

डिकरी पाई हुई जायदाद की वसूली मिनजानिब रफ़ीक या वली दौरान मुकदमा

(क) बजरिये राजीनामा, डिकरी या हुक्म के सादिर होने के पहले, या,

(ख) किसी डिकरी या हुक्म के रूसे जो बहक़ नाबालिग के सादिर हुआ हो

(२) अगर हाकिम मजाज़ ने रफ़ीक या वली वास्ते मुकदमा का नाबालिग मजकूर की जायदाद का वली मुक़र्रर न किया, या करार दिया हो या कि वह इस तरफ से मुक़र्रर हुआ या करार दिया गया हो, मगर किसी नालायकी के वजह से जो अदालत को मालूम हो वह रूपया या दीगर जायदाद मनक़ूला वसूल न कर सका हो, तो अदालत अगर उस को ऐसा जायदाद वसूल करने की इजाजत दे, तो उस से ऐसी जमानत ले और उस को ऐसी हिदायत करे जो अदालत को ऐसी जायदाद के मुनासिब इस्तेमाल वो हिफाजत के लिये जरूरी मालूम हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफ़ा ४६१ से कायम किया गया है

यह कायदा वैसे रफ़ीक को लागू न होगा, जो शामिल शराकती हिन्दू खानदान का मैनेजर हो वह रूपया या जायदाद मनक़ूला नाबालिग की तरफ़ से कर सका है—(इं० ला० रि० कलकत्ता जि० ३५ सफ़ा ५६१).

७ कोई रफ़ीक या वली वास्ते मुकदमा को अख्तयार न होगा कि बिला इजाजत अदालत के, जो साफ तौर पर कारवाई में लिखी जायगी, नाबालिग की तरफ से कोई इकरारनामा या राजीनामा निसबत उस नालिश के करे, जिस में कि वह ब हैसियत रफ़ीक या वली के काम करता हो

इकरारनामा या आपसी तसफ़िया अज तरफ रफ़ीक या वली वास्ते मुकदमा

(२) जो करारनामा या राजीनामा बगैर ऐसी इजाजत अदालत के किया गया हो, जो हस्ब मजकूर कारवाई में लिखी जाय वह नाबालिग के सिवाय और जितने फरीक हों सब के मुकाबले में मनसूखी के काबिल होगा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफ़ा ४६२ से कायम किया

गया है

सिर्फ आपसी तसफिया पर किसी डिकरी का सादिर करना बराबर देने मजूरी के नहीं है (इ ला रि २१ मदरास सफा ६३)

मजूरी के हुक्म में यह बात दरज होना चाहिये कि दरखास्त दी गई और तजवीज किया हुआ इकरारनामा या राजीनामा की शरतों पर अदालत ने लेहाज किया है और नाबालिग के हक के लेहाज से मजूरी दी गई है (इ ला रि अलाहाबाद जि० १७ सफा ५३२)

हुक्म से या दरखास्त से या किसी और तरह से बगैर शक यह साबित होना चाहिये कि अदालत की मजूरी हासिल की गई थी (इ. ला. रि २८ अलाहाबाद सफा ५८५ प्रिवी कौंसिल)

इकरारनामा या राजीनामा मुताबिक कानून के जायज होना चाहिये [देखो आर्डर २३ कायदा ३] किसी तनकीह को छोड देना राजीनामा नहीं है (इ ला, रि. मदरास जिल्द २२ सफा ५३८) अगर वली उस दरखास्त पर दस्तखत कर दे जिस में राजीनामा की शरतें दरज हैं, तो वह उस से किसी वक्त अदालत की मजूरी हासिल करने के पहले दस्तबरदार हो सक्ता है (इ ला रि २२ मदरास सफा ३७८)

उन इकरारनामों से जो मुकद्दमा पनचों के सुपुर्द करने के बाबत हो यो इकरारनामा वास्ते पाबदी हलफ में भी यह कायदा लागू है (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २७ सफा २२६ वो २४ मदरास सफा २२६–३०).

इजराय डिक्री के राजीनामा से भी यह लागू है (इ. ला रि बम्बई जिल्द २६ सफा १०६).

यह कायदा राजीनामा बाद डिकरी में भा लागू है, कोई तसफिया बजरिये राजीनामा, डिकरी मिनजानिब वली नाबालिग की तसदीक बमूजिब आर्डर २१ कायदा २ जब वली ने इस कायदे क मुताबिक राजीनामा में इजाजत नहीं ली है, हो सक्ती है (इ ला रि मदरास जिल्द २६ सफा ३०६)

कोई राजीनामा जो ठीक तौर से मनजूर नहीं हुआ है नाबालिग के बालिग होने के पहले नाजायज करार दिया जा सक्ता है—(इ ला. रिपोर्ट २६ बम्बई सफा १०६)

नाबालिग या उस के रफीक से तजब करना मुनासिब नहीं है (इ ला रि. बम्बई जिल्द २३ सफा १००).

६ (१) कोई रफीक या वली वास्ते बिला इजाजत अदालत कोई रूपया या दीगर जायदाद मनकूला किसी नाबालिग की तरफ से वसूल न करेगा

डिकरी पाई हुई जायदाद की वसूली मिनजानिब रफीक या वली दौरान मुकदमा

(क) बजरिये राजीनामा, डिकरी या हुक्म के सादिर होने के पहले, या,

(ख) किसी डिकरी या हुक्म के रूसे जो बहक नाबालिग के सादिर हुआ हो

(२) अगर हाकिम मजाज ने रफीक या वली वास्ते मुकदमा का नाबालिग मजकूर की जायदाद का वली मुकर्रर न किया, या करार दिया हो या कि वह इस तरह से मुकर्रर हुआ या करार दिया गया हो, मगर किसी नालायकी के वजह से जो अदालत को मालूम हो वह रूपया या दीगर जायदाद मनकूला वसूल न कर सक्ता हो, तो अदालत अगर उस को ऐसा जायदाद वसूल करने की इजाजत दे, तो उस से ऐसी जमानत ले और उस को ऐसी हिदायत करे जो अदालत को ऐसी जायदाद के मुनासिब इस्तेमाल वो हिफाजत के लिये जरूरी मालूम हो

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४६१ से कायम किया गया है

यह कायदा वैसे रफीक को लागू न होगा, जो शामिल शराकती हिन्दु खानदान का मैनेजर हो वह रूपया या जायदाद मनकूला नाबालिग की तरफ से कर सक्ता है–(इ ला रि. कलकत्ता जि० ३५ सफा ५६१).

७ कोई रफीक या वली वास्ते मुकदमा को अख्त्यार न होगा कि बिला इजाजत अदालत के, जो साफ तौर पर कार्रवाई में लिखी जायगी, नाबालिग की तरफ से कोई इकरारनामा या राजीनामा निसबत उन नालिश के करे, जिस में कि वह ब हैसियत रफीक या वली के काम करता हो

इकरारनामा या आपसी तसफिया अज तरफ रफीक या वली वास्ते मुकदमा

(२) जो करारनामा या राजीनामा बगैर ऐसी इजाजत अदालत के किया गया हो, जो हस्ब मजकूर कार्रवाई में लिखी जाय वह नाबालिग के सिवाय और जितने फरीक हों सब के मुकाबले में मनसूखी के काबिल होगा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४६२ से कायम किया

के मौकूफ किये जाने का हुक्म दे, और खर्चा के निसबत कोई और हुक्म सादिर करे जो उस के नजदीक मुनासिब हो

(२) अगर रफीक ऐसा वली न हो जिस को किसी हाकिम ने मुकर्रर किया या करार दिया हो और दरख्वास्त वली मजकूर की तरफ से गुजरे, और उस की यह ख्वाहिश हो कि वह खुद रफीक बनाया जाये, तो अदालत पहले रफीक को मौकूफ करेगी तावक्ते कि अदालत लिखे हुये वजूहात से मुनासिब न समझे कि उस वली को उस नाबालिग का रफीक न बनाना चाहिये, और अदालत को लाजिम होगा कि बाद को दरख्वास्त देने वाले के पहले रफीक के बदले मुकर्रर करे ऐसी शरायत पर जो निसबत खर्चा दिलाये हुये मुकदमा के उस के नजदीक मुनासिब हो

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४४६ से कायम किया गया है

जब कि रफीक ने नेकनियती से कार्रवाई की है तो वह अपना खर्चा नाबालिग की जायदाद से पाने का मुसतहक है (इ ला रि कलकत्ता जि० ११ सफा २१३)

जब अदालत को मालूम हो कि रफीक अपना काम बराबर नहीं करता है या नाबालिग के हक को नुकसान पहुचाता है तो अदालत मुकदमा को मुलतवी रखेगी ता कि नाबालिग की तरफ से दूसरा वकील किया जायगा—(इ ला. रि. अलाहाबाद जि० ३० सफा १०५)

मुलतवी किया जाना कारवाई का अगर रफीक मौकूफ किया जाय

१० (१) जब कि रफीक नाबालिग का दस्तबरदार हो जाय, या मौकूफ किया जाय, या मर जाय, तो कार्वाई आगे मुलतवी रहेगी तावक्ते कि उस के बदले दूसरा रफीक मुकर्रर न हो

(२) अगर नाबालिग का वकील एक मियाद मुनासिब के अन्दर रफीक नये के मुकर्रर कराने की तदबीर न करे, तो हर शख्स जिस को नाबालिग से मतलब हो या जो शै मुतनाजिया से वास्ता रखता हो अदालत से दरख्वास्त कर सक्ता है कि कोई रफीक मुकर्रर कर दिया जाये और अदालत जिस को मुनासिब तसव्वर करे मुकर्रर करदे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४४८ वो ४४६ से कायम किया गया है—-

जब मुद्दई नाबालिग का रफीक मुकदमें मे दस्तबरदार हो जावे तो नाबालिग बजरिये दूसरे रफीक के मुकदमें में फिर शुरू से कार्रवाई कर सक्ता है, या तजवीज सानी करा सक्ता है (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २९ सफा ७३५).

कोई रफीक जो मुकदमें से बमूजिब इकरारनामा या राजीनामा जो मुद्दायलेह से हुआ हो, बिला इजाजत अदालत दस्तबरदार हो जावे तो वह नाबालिग की दरखास्त पर रद्द किये जाने के काबिल होगा (इ. ला. रिपोर्ट मदरास जिल्द २७ सफा ३७७)

कोई नालिश वास्ते मनसूखी डिकरी जो राजीनामा की बिना पर सादिर हुई हो इस वजह से वली का हक बरखिलाफ इस्तेहकाक नाबालिग के था, नहीं हो सक्ती ऐसी डिकरी सिर्फ इस वजह पर मनसूख हो सक्ती है कि वली के तरफ से फरेब या साजिश थी, और राजीनामा नाबालिग को नुकसान पहुचाने वाला था (१ अलाहाबाद ला. जरनल सफा १३०)

रफीक की दस्तबरदारी

८ (१) अगर अदालत और तरह का हुक्म न दे तो रफीक, बगैर इस के कि पेश्तर से अपनी कायम मुकामी के वास्ते किसी लायक शख्स को पैदा करे, और जो खर्चा कि हो चुका हो उस की जमानत दाखिल कर दे, खुद अपनी मरजी से दस्तबरदार नहीं हो सक्ता है

(२) जो दरखास्त वास्ते मुकर्रर किये जाने नये रफीक के दी जाय उस के साथ तहरीरी बयान हलफी इस मजमून का, कि शख्स तजवीज शुदा लायक है, और यह भी कि वह मुखालिफ हक नाबालिग के नहीं रखता है लगा हुआ हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४४७ से कायम किया गया है

रफीक की मौकूफी

९ [१] अगर हक नाबालिग के रफीक का मुखालिफ हक नाबालिग के हो, या वह किसी ऐसे मुदायलेह से जिस का हक नाबालिग के हो, ऐसा ताल्लुक रखता हो, जिसे गुमान हो कि वह बतौर हिफाजत मुनासिब हकीयत उस नाबालिग की न करेगा या वह अपने लाजमी काम को अदा न करे या दौरान मुकदमा में बिराटिश इन्डीया की सकूनत छोड़ दे, या कोई वजह काफी हो, तो उस नाबालिग या मुदायलेह के जानिब से दरखास्त उस की मौकूफी की, की जाये—और अदालत मजाज है कि अगर वजह पेश की हुई को काफी समझे तो उस दरखास्त के मुताबिक उस रफीक

उस को लाजिम है कि अगर खुद दूसरा मुद्दई या सायल बजात खुद सायल हो तो जो खर्चा मुद्दालेह या फरीक मुखालिफ का जो हुआ हो या कुछ कि उस के रफीक ने अदा किया हो दाखिल करके उस नालिश दरख्वास्त के खारिज किये जाने के लिये हुक्म हासिल करे

(५) हर दरख्वास्त इस कायदे के मुताबिक एकतरफा गुजर सकी लेकिन अगर इत्तला देने रफीक के कोई ऐसा हुक्म सादिर नहीं होगा, जि के रूसे रफीक मौकूफ कर दिया जावे और नाबालिग मुद्दई को, अपने नाम पेरवी करने की इजाजत दी जावे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४५० वो ४५३ से काय किया गया है

इजाजत मामूली तौर से हर हालत में दी जानी चाहिये सिवाय उस सूरत कि जब किसी कानून के रूसे उस की मनाई साफ तौर से हो (इ ला ! कलकत्ता जि० २२ सफा २७०)

१३ [१] अगर नाबालिग शराकती मुद्दई बालिग होकर नालिश दस्तबरदार होना चाहे तो वह मुद्दईयान में से अप ना नाम खारिज कराने की दरख्वास्त करे और अदा लत अगर उस को फरीक मुकदमा करना जरूरी समझे तो उस को मुकदमे में से ऐसी शर्त पर निस्बत दिलाने या न दिलाने खर्चा के जो अदालत मुनासिब समझे निकाल दे

अगर कोई शरीक मुद्दई बाद बालिग होने के मुकदमा से दस्त बरदार होना चाहे

(२) दरख्वास्त गुजरने की इत्तलानामे की तामील रफीक और किसी शराकती मुद्दई पर और मुदायलेह पर की जायगी

(३) ऐसे दरख्वास्त के फरीकैन का कुल खर्चा और कुल कार्रवाईयों का या किसी कार्रवाईयों का जो इस के पहले उस नालिश में हुआ हो उन शख्सों को अदा करना होगा जिन को अदालत हुक्म दे

(४) अगर सायल का शरीक होना जरूरी हो तो अदालत हिदायत कर सकी है कि वह मुदायलेह बनाया जावे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४५४ से कायम किया गया है

१४ (१) अगर कोई नाबालिग बालिग होकर, अगर वह खुद अकेला मुद्दई हो, तो दरख्वास्त दे सका है कि नालिश जो उस के नाम मे उस के रफीक ने दायर की थी, खारिज कर दी जावे, इस बिना पर कि वह माकूल वजह पर न थी या ना मुनासिब थी

गैर मुनासिब और गैरवाजबी नालिशें

११ (१) अगर वली दौरान मुकदमा में दस्तबरदार होना चाहे, या अपने जिम्मे के काम को न करे, या कोई और वजह काफी नजर आये तो अदालत उसे दस्तबरदार होने की इजाजत दे, या उसे मौकूफ कर दे, और निसबत खरचा के जो हुक्म मुनासिब समझे सादिर करे

वली वास्ते मुकदमा की दस्तबरदारी या माकूफी या वफात

(२) अगर वली वास्ते मुकदमा दौरान मुकदमा में दस्तबरदार हो, या मर जाये या अदालत के हुक्म से मौकूफ किया जाये तो अदालत नया वली उस की जगह मुकर्रर करे

तशरीह – यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४४८ वो ४४९ से कायम किया गया है

जब मुदई अदालत के उस ओहदेदार के पास जो अदालत से वली मुकर्रर किया गया है, रूपया न दे या देने से इन्कार करे, तो अदालत उस अफसर को इस कायदे के रू से अलेहदा कर सक्ती है (इ. ला. रि. बम्बई जि० १२ सफा ५५३)

खरचे की डिकरी मुदायलेह के वली के खिलाफ बजुज सूरत मुनदरजा इस कायदा के नहीं हो सक्ती (इ. ला. रि. मदरास जि० ३ सफा २६३) खरचे की डिकरी उस वली पर नहीं हो सक्ती जो उस की रजामन्दी हासिल करने के बगैर मुकर्रर हुआ है (इ. ला. रि. बम्बई जि० ५ सफा ३०९).

१२ (१) जब मुदई नाबालिग या वह नाबालिग जो कि फरीक मुकदमा न हो और जिस के तरफ से कोई दरखास्त दायर हो बालिग हो जाये तो उस को चाहिये कि अपनी राय इस बाबत कायम करे कि वह मुकदमा या दरखास्त की पैरवी में खुद लगा रहेगा या नहीं

मुदई या दरखास्त करने वाला बालिग होने पर क्या तरीका अख्त्यार करेगा

(२) अगर वह पैरवी में लगा रहना पसंद करे तो वह हुक्म मौकूफी उस रफीक का और इजाजत अपने नाम से पैरवी करने की हासिल करे

(३) बाद को उस नालिश या दरखास्त फरीकैन के नामों में दुरुस्तगी इस तौर पर की जायगी "(क ख) साबिक नाबालिग मारफत (ग घ) अपने रफीक के बालिग हाल"

(४) अगर वह नालिश या दरखास्त से दस्तबरदार होना पसंद करे

गया है—

नालिश मुफ़लिसी दायर करने की इजाजत का हक बतौर जाती हक है और उसके मरने के बाद उसके कायम मुकाम जायज को नहीं पहुंचता मगर कायम मुकाम को अखत्यार है कि वह अपनी तरफ से नई इजाजत मांगने की दरखास्त दे—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ३३ सफा ११९३).

३ जो इन कायदों में कुछ हुक्म हो ऐसी दरखास्त को सायल असालतन अदालत में पेश करेगा तावक्ते कि वह हाजरी अदालत से माफ हो, उस सूरत में दरख्वास्त ऐसे ऐजन्ट के मारफत पेश हो सक्ती है जिन को जाब्ते के मुताबिक मजाज हो और जवाब हर जरूरी सवाल का जो दरखास्त से मुताल्लुक हो दे सक्ता हो और वह उसी तरह इजहार लिये जाने के लायक होगा जिस तरह वह शख्स जिसका वह मुखत्यार हो अदालत में असालतन हाजिर होने की सूरत में इजहार देने के लायक होता

पेशी दरख्वास्त

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४०४ से कायम किया गया है.

सिर्फ इस वजह से कि कई शख्सों ने शामलात में दरख्वास्त वास्ते मिलने इजाजत करने नालिश मुफलिसी के पेश की है, अदालत को उन सायलों के तरफ से दरख्वास्त के कायम रखने का अखत्यार नहीं है, जो हाजिर नहीं हुए हैं (इ. ला. रि. मदरास जि० १० सफा १९३)—

परदानशीन औरत के तरफ से अपील मुफलिसी उस के मुखत्यार के मारफत पेश हो सक्ती है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० २४ सफा १७२)—

अखत्यार पाया हुआ मुखत्यार का मुफलिस होना जरूर नहीं है (३ वीकली रिपोर्टर सफा २०) ऐसा शख्स वकील हो सकता है (१५ वीकली रिपोर्टर सफा १९८) और जरिये खास मुखत्यारनामा के वह मुकर्रर किया गया हो (२१ वीकली रिपोर्टर सफा ३०८)—

४ (१) अगर दरखास्त ठीक नमूने पर है और जाब्ते के मुताबिक पेश की जाय, तो अदालत इजहार सायल या उस के एजन्ट का जब उस को मुखत्यार के जरिये से हाजिर होने की इजाजत हो, सायल के इस्तहकाक दावा और जायदाद की निस्बत अगर मुनासिब समझे तहरीर करेगी

सायल का इजहार

(२) अगर सायल की दरख्वास्त मुखत्यार के मारफत पेश हो तो

दरख्वास्त दे और दरख्वास्त के सुनाई के दिन मुद्दायलेह कुछ माल कीमती १००) रूपया अदालत में पेश करे और कबूल करे कि यह माल सायल का है, और सायल भी जायदाद अपनी होना तसलीम करले तो वह, मुफ़लिस तसव्वर नहीं किया जा सकता और अदालत में पेश किया हुआ माल शै मुतनाज़िया मुकदमा का जुज नहीं समझा जावेगा (इं ला रि. बम्बई जि० १० सफा २०७).

जब किसी नालिश मुफ़लिसी का मुद्दई दौरान मुकदमा में मर जावे और अदालत उस की मौत का हाल न जानकर डिकरी सादिर करदे और मुद्दायलेह के तरफ से अपील में जिस में उस ने किसी शख्स को मुद्दई के कायम मुकाम जायज के बतौर रिस्पाडन्ट बनाया है दोनों की रजामन्दी से मुकदमा अदालत मातहत में वास्ते तजवीजसानी रूयदाद भेजने का हुक्म हो जावे, और मुकदमे की सानी तहकीकात के बाद डिकरी बहक मुद्दई सादिर हो, तो बाद को मुद्दायलेह यह उजर नहीं कर सकता कि असली मुद्दई के कायम मुकाम जायज का हक निस्बत करने नालिश मुफ़लिसी की तहकीकात नहीं हुई (इ. ला रि , २५ अलाहाबाद सफा १३७)—

मुफ़लिस कोर्ट फीस देने से माफ है न कि तलबाना देखो कायदा ८ इस आर्डर का अगर मुफ़लिस मुकदमा जीत जाय तो उससे कोर्ट फी ली जायगी और कोर्ट फी उस जायदाद से वसूल होगी जिसकी निस्बत नालिश की गई (कायदा १०) और अगर वह मुकदमा हार जाय तो भी कोर्ट फी उससे वसूल होगी देखो कायदा ११.

अपील मुफ़लिसी के लिये—(देखो आर्डर न. ४४).

मजमून दरख्वास्त

२ हर दरख्वास्त वास्ते मिलने इजाजत करने नालिश बतौर मुफ़लिसी तहरीरी होगी और उस में वह बातें लिखनी होंगी जो अर्जीदावा में दर्ज होना चाहिये और एक फेहरिस्त ऐसी जायदाद मनकूला या गैर मनकूला की जो दरख्वास्त देने वाले के पास हो उन की तफसील और अन्दाजी कीमत लिख कर दरख्वास्त के साथ नत्थी करना होगा—और दस्तखत में नीचे दरख्वास्त और तसदीक की इबारत उस तरह से लिखी जायगी जिस तरह पिलीडिंग के नीचे दस्तखत और तसदीक की इबारत लिखने का हुक्म है

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४०३ से कायम किया

नहीं की जा सक्ती कि मुफलिस ने सारटेफिकट विरासत पेश नहीं किया (इ. ला. रि. मदरास जिल्द १६ सफा ४५४) इस कायदे के रू से हुक्म नोटिस जारी होने के पहले और सायल के मुफलिस होने की तहकीकात शुरू होने के पहले होना चाहिये (इ ला. रि बम्बई जिल्द २० सफा ६४)

अगर सायल के बयान ऐसे हैं कि अगर सही हों तो उन से अच्छी बिनाय दावी मालूम होगी तो भी अदालत पर इजाजत देना फर्ज नहीं है (इ ला. रि. २७ मदरास सफा १२०)

दरखास्त मिलने इजाजत करने नालिश मुफलसी अगर ना मंजूर करदी जाय तो उस हुक्म के नाराजगी से अपील नहीं हो सक्ती है (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १ सफा ७४५ वो २१ अलाहाबाद सफा १३३ जलसा कामिल).

इस कायदे के रू से जो हुक्म दिया जावे उस के नाराजगी से बमूजिब दफा ११५ दरखास्त नजरसानी हो सक्ती है (इ ला रि १० अलाहाबाद सफा ४६७)

हुक्म ना मंजूरी दरखास्त की तजवीजसानी बमूजिब दफा ११४ हो सक्ती है (इ ला रि. ४ बम्बई सफा ४१४)

इत्तला तारीख की जो वास्ते लेने शहादत निस्बत मुफलसी सायल के मुकरर की जाय

६ अगर अदालत के नजदीक कोई वजह ना मंजूरी दरखास्त की कायदा ५ में लिखे हुए वजूहातों में से न पाई जाय, तो उस को लाजिम है कि एक तारीख (जिस की इत्तला कम से कम दस रोज पहले फरीकसानी और वकील सरकार को देना होगी) वास्ते लेने शहादत के जो सायल अपने मुफलसी के सबूत में पेश करे और वास्ते समाअत शहादत के जो सायल के मुफलसी की तरदीद में पेश की जाय मुकर्रर करे

तशरीह:— यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४०८ से कायम किया गया है

दरखास्त के सुनाई के वक्त की कार्रवाई

७ (१) उस तारीख पर जो इस तरह से मुकर्रर की जाय या उस के बाद जिस ने जल्दी सहुलीयत से मुमकिन हो सके अदालत गवाहान फरीकैन का इजहार ले, (अगर कोई हो) और अगर चाहे सायल या उस के एजन्ट का इजहार ले, और उन की शहादत का खुलासा बतौर याददास्त के लिखना होगा

(२) इस अमर के बाबत कि आया सिर्फ दरखास्त और उस

अगर दरख्वास्त मारफत मुख्तार के पेश हो तो अदालत सायल का इजहार बजरिये कमीशन के ले सकती है

अदालत अगर मुनासिब समझे हुक्म दे कि सायल का इजहार बजरिये कमशिन के उस तौर पर लिया जाय, जैसा कि गैर हाजिर गवाह का इजहार इस जाब्ते के रू से लिया जा सक्ता है

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४०६ से कायम किया गया है. इस मौके पर सिर्फ सायल या उस के मुख्तार का इजहार लिया जा सक्ता है और गवाह का नहीं लिया जा सक्ता (२५ वीकली रिपोर्टर सफा ७४).

सायल को यह साबित करना चाहिये कि उस का दावा इस तौर पर वाजिब है जिस की तामील अदालत के मारफत हो सक्ती है और जिस के निस्बत मुद्दायलेह से जवाब तलब किया जा सक्ता है और वह ऐसा दावा नहीं है कि जो कानून मियाद या किसी दूसरे कानून की रू से सुने जाने के नाकाबिल हो गया (इ. ला रि. ७ अलाहाबाद सफा ६६१ इजलास कामिल).

दरख्वास्त की ना मंजूरी

५ दरख्वास्त वास्ते मिलने इजाजत करने नालिश मुफलसी को अदालत ना मंजूर करे

[क] अगर वह उस तरीके पर लिखी या पेश की जाय जो कायदा २ वो ३ में मुकर्रर किया गया है—या,

(ख) अगर सायल मुफलिस न हो—या,

(ग) अगर सायल ने दरख्वास्त देने के पहले दो महिना के अन्दर फरेब से या इस नियत से कि वह इस लायक हो जाय कि दरख्वास्त वास्ते इजाजत नालिश मुफलसी दे सके, कोई जायदाद मुन्तकिल करदी हो—या,

(घ) अगर उस के बयान से विनाय मुखासमत पाई न जाती हो—या,

(ङ) अगर उस ने निस्बत शै मुतनाजिया उस नालिश के जिस की इजाजत चाहता है कोई ऐसा इकरार किया हो जिस की रू से किसी और शख्स को शै मजकूर में हकियत हासिल हो जाती हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४०७ वो ४०५ से कायम किया गया है.

दरख्वास्त वास्ते मिलने इजाजत करने नालिश मुफलसी इस वजह पर ना मंजूर

नहीं की जा सक्ती कि मुफलिस ने सारटिफिकट विरासत पेश नहीं किया (इ ला. रि. मदरास जिल्द १६ सफा ४५४) इस कायदे के रू से हुक्म नोटिस जारी होने के पहले और सायल के मुफलिस होने की तहकीकात शुरू होने के पहले होना चाहिये (इ ला. रि बम्बई जिल्द २० सफा ६४)

अगर सायल के बयान ऐसे हैं कि अगर सही हों तो उस मे अच्छी बिनाय दावी मालूम होगी तो भी अदालत पर इजाजत देना फरज नहीं है (इ ला. रि. २७ मदरास सफा १२०)

दरखास्त मिलने इजाजत करने नालिश मुफलसी अगर ना मजूर करदी जाय तो उस हुक्म के नाराजगी से अपील नहीं हो सक्ती है (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १ सफा ७४५ वो २१ अलाहाबाद सफा १३३ जलसा कामिल).

इस कायदे के रू से जो हुक्म दिया जावे उस के नाराजगी से बमूजिब दफा ११५ दरखास्त नजरसानी हो सक्ती है (इ ला रि १० अलाहाबाद सफा ४६७)

हुक्म ना मजूरी दरखास्त की तजवीजसानी बमूजिब दफा ११४ हो सक्ती है (इ ला रि. ४ बम्बई सफा ४१४)

इत्तला तारीख की जो वास्ते लेने शहादत निस्बत मुफलसी सायल के मुकरर की जाय

६ अगर अदालत के नजदीक कोई वजह ना मजूरी दरखास्त की कायदा ५ में लिखे हुए वजूहातों में से न पाई जाय, तो उस को लाजिम है कि एक तारीख (जिस की इत्तला कम से कम दस रोज पहले फरीकसानी ...नार को देना होगी) वास्ते लेने शहादत के जो सायल अपने ... में पेश करे और वास्ते समाअत शहादत के जो सायल के ... में पेश की जाय मुकर्रर करे

कायदा पुराने एक्ट की दफा ४०८ से कायम किया

...जो इस तरह से मुकर्रर की जाय या उस के ...ने जलदी सहुलीयत से मुमकिन हो सके ... फरीकैन का इजहार ले, ... या उस के एजन्ट का इजहार ...और याददाश्त के लिखना होगा

...या सिर्फ दरखास्त और उस

अगर दरख्वास्त मारफत मुखत्यार के पेश हो तो अदालत सायल का इजहार बजरिये कमीशन ले सक्ती है

अदालत अगर मुनासिब समझे हुक्म दे कि सायल का इजहार बजरिये कमीशन के उस तौर पर लिया जाय, जैसा कि गैर हाजिर गवाह का इजहार इस जाब्ते के रू से लिया जा सक्ता है

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४०६ से कायम किया गया है.

इस मौके पर सिर्फ सायल या उस के मुखत्यार का इजहार लिया जा सक्ता है और गवाह का नहीं लिया जा सक्ता (२५ वीकली रिपोर्टर सफा ७४)

सायल को यह साबित करना चाहिये कि उस का दावा इस तौर पर वाजिब है जिस की तामील अदालत के मारफत हो सक्ती है और जिस के निस्बत मुद्दायलेह से जवाब तलब किया जा सक्ता है और वह ऐसा दावा नहीं है कि जो कानून मियाद या किसी दूसरे कानून की रू से सुने जाने के नाकाबिल हो गया (इ ला रि. ७ अलाहाबाद सफा ६६१ इजलास कामिल).

दरख्वस्त की ना मंजूरी

५ दरख्वास्त वास्ते मिलने इजाजत करने नालिश मुफलसी को अदालत ना मंजूर करे

[क] अगर वह उस तरीके पर लिखी या पेश की जाय जो कायदा २ वो ३ में मुकर्रर किया गया है—या,

(ख) अगर सायल मुफलिस न हो—या,

(ग) अगर सायल ने दरख्वास्त देने के पहले दो महिना के अन्दर फरेब से या इस नियत से कि वह इस लायक हो जाय कि दरख्वास्त वास्ते इजाजत नालिश मुफलसी दे सके, कोई जायदाद मुन्तकिल करदी हो—या,

(घ) अगर उस के बयान से विनाय मुखासमत पाई न जाती हो—या,

(ङ) अगर उस ने निस्बत शै मुतनाजिया उस नालिश के जिस की इजाजत चाहता है कोई ऐसा इकरार किया हो जिस की रू से किसी और शख्स को शै मजकूर म हकियत हासिल हो जाती हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४०७ वो ४०५ से कायम किया गया है.

दरख्वास्त वास्ते मिलने इजाजत करने नालिश मुफलसी इस वजह पर ना मन्जूर

कार्रवाई अगर दरख्वास्त मन्ज़ूर का जाय

और वह दरज रजिस्टर की जायगी और बतौर अरज़ीदावा मुकदमा के समझी जायेगी और मुकदमें की कार्रवाई पूरे तौर से मानिन्द उस मुकदमा के जो मामूली दायर हुआ की जायगी। सिर्फ इस बात को छोड़ कर कि मुद्दई बाबत किसी दरख्वास्त या वकालतनामा या दीगर कार्रवाई मुताल्लुके मुकदमा के और किसी रसूम अदालत का देनेदार न होगा सिवाय उन रसूम के जो वास्ते इजरा हुक्मनामों के वाजबुलअदा हो

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४१० से कायम किया गया है

दरख्वास्त वास्ते मिलने इजाजत करने नालिश मुफलसी अदालत से दरख्वास्त मनज़ूर हो जाने पर अरज़ीदावा समझा जा सकता है (इ ला. रि बम्बई जि० ७ सफा ३७६).

मन्सूखी मुफलसी

९ अदालत मुदायलेह, वकील सरकार की दरख्वास्त पर जिस की तहरीरी इत्तला एक हफ्ता पहले मुद्दई को दी हो, मुद्दई को मुफलसी मनसूख होने का हुक्म दे सक्ती है

(क) अगर वह दौरान मुकदमा में तकलीफ पहुचाने या मुनासिब तरीके का कसूरवार हो,

(ख) अगर यह जाहिर हो कि उस की हैसियत ऐसी है कि उस की नालिश मुफलसी का कायम रखना मुनासिब नहीं है—या,

(ग) अगर उस ने शै मुतनाजिया मुकदमा के निसबत कोई ऐसा माहदा किया हो जिस के एतबार से किसी और शख्स ने उस शै मुतनाजिया में कोई हक हासिल किया हो

तशरीह — यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४१४ से कायम किया गया है—

कोई मुद्दई जिस की मुफलसी मनसूख कर दी गई है कोर्ट फी दाखिल करने पर मुकदमे को बतौर मामूली मुद्दई के चला सकता है –[इ ला. रि अलाहाबाद जि० १७ सफा ५२६–२८]–

खरचा अगर मुफलिस मुकदमा में कामयाब हो

१० अगर मुद्दई मुकदमा में कामयाब हो, तो अदालत तादाद रसूम भी अदालत की जो ब हालत न मिलने इजाजत दायरी नालिश मुफलिसी मुद्दई के जिम्मे वाजबुलअदा

शहादत के जरिये से (अगर कुछ हो) जो के अदालत में इस कायदे के रू से ली गई हो, सायल को पाबन्द होना किसी मुमानियत का जो कायदा ४ में मना किये गये हैं, पाया जाता है या नहीं? जो बहस फरीकैन पेश करे उसे भी अदालत को सुन लेना चाहिये

(३) बाद को अदालत सायल को मुफलसी में नालिश करने की इजाजत देगी या न देगी

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४०६ से कायम किया गया है.

इस कायदे से अदालत को कायदा ५ में लिखे हुये कैदों पर लेहाज करने की मुमानियत नहीं है, अगर फरीकैन के तरफ से कोई बहस पेश की जाय (इ. ला रि मदरास जि० २७ सफा ३७).

जब कायदा ६ के बमूजिब कोई तारीख सुनाई के वास्ते मुकर्रर की गई तो इस कायदे के रू से तहकीकात सिर्फ सायल के मुफलसी के बारे में होना चाहिये— रूयदाद मुकदमा के बाबत शहादत नहीं ली जा सक्ती और अगर ऐसी शहादत ली भी गई हो तो अदालत हाई कोर्ट दफा ११५ के रू से दस्तनदाजी कर सक्ती है (१३ मदरास ला. जरनल रिपोर्ट सफा २६१ इजलास कामिल).

जब अदालत इब्तदाई ने किसी शख्स को मुफलसी में नालिश करने की इजाजत दी तो उस हुक्म के दुरूस्तगी के निसबत उस अपील में जो डिकरी के नाराजी से हुई, ऐतराज नहीं किया जा सक्ता (इ ला. रि अलाहाबाद जि० २३ सफा ३६४)

मुफलसी में नालिश करने की दरखास्त अगर नामन्जूर कर दी गई तो उस के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती (इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० २१ सफा १३३ जलसा कामिल)

इन्डीयन ला. रिपोर्ट १३ अलाहाबाद सफा ३२६ में यह राय करार पाई है कि सरकार के तरफ से उस वक्त अपील हो सकती है जब की अदालत सरकार के खर्चा के बाबत कोई हुक्म न दे

८ अगर दरखास्त मनजूर की जाय तो उस पर नंबर डाला जायेगा

कार्रवाई अगर दरख्वास्त मन्जूर का जाय

और वह दरज रजिस्टर की जायगी और बतौर अरजीदावा मुकदमा के समझी जायेगी और मुकदमें की कार्रवाई पूरे तौर से मानिन्द उस मुकदमा के जो मामूली दायर हुआ की जायगी सिर्फ इस बात को छोड कर कि मुद्दई बाबत किसी दरख्वास्त या वकालतनामा या दीगर कार्रवाई मुताल्लुके मुकदमा के और किसी रसूम अदालत का देनेदार न होगा सिवाय उन रसूम के जो वास्ते इजरा हुक्मनामों के वाजबुलअदा हो

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४१० से कायम किया गया है

दरख्वास्त वास्ते मिलने इजाजत करने नालिश मुफलसी अदालत से दरख्वास्त मनजूर हो जाने पर अरजीदावा समझा जा सकता है (इ ला. रि बम्बई जि० ७ सफा ३७६).

९ अदालत मुदायलेह, वकील सरकार की दरख्वास्त पर जिस की तहरीरी इत्तला एक हफ्ता पहले मुद्दई को दी हो, मुद्दई को मुफलसी मनसूख होने का हुक्म दे सक्ती है

मनसूखी मुफलसी

(क) अगर वह दौरान मुकदमा में तकलीफ पहुंचाने या नामुनासिब तरीके का कसूरवार हो,

(ख) अगर यह जाहिर हो कि उस की हैसियत ऐसी है कि उस की नालिश मुफलसी का कायम रखना मुनासिब नहीं है—या,

(ग) अगर उस ने शै मुतनाजिया मुकदमा के निसबत कोई ऐसा माहदा किया हो जिस के एतबार से किसी और शख्स ने उस शै मुतनाजिया में कोई हक हासिल किया हो

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४१४ से कायम किया गया है—

कोई मुद्दई जिस की मुफलसी मनसूख कर दी गई है कोर्ट फी दाखिल करने पर मुकदमे को बतौर मामूली मुद्दई के चला सकता है—[इ ला. रि. अलाहाबाद जि० १७ सफा ५२६—२८]—

१० अगर मुद्दई मुकदमा में कामयाब हो, तो अदालत तादाद रसूम भी अदालत की जो ब हालत न मिलने इजाजत दायरी नालिश मुफालिसी मुद्दई के जिम्मे वाजबुलअदा

खरचा अगर मुफलिस मुकदमा में कामयाब हो

होता, हिसाब करे, और बाबत उस तादाद के शै मुतदाविया मुकदमा पर मतालबा पहले होगा, और सरकार को अखत्यार होगा, कि ऐसी तादाद उस शख्स से जिस को डिकरी के रूसे अदा करने का हुक्म दिया गया हो वसूल करले

तशरीह.— यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४११ से कायम किया गया है

इस कायदे के जरिये से वह डिकरी कुर्क होकर नीलाम नहीं हो सक्ती जो मुद्दई मुफलिस ने हासिल की है (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २० सफा १११)

मुद्दालेह ऐसी रकम पर कोर्ट फीस के देने का जिम्मदार नहीं करार दिया जा सक्ता, जो उस रकम से जियादा हो कि जिसके निसबत उस पर डिकरी सादिर हुई (इ. ला. रि. मदरास जिल्द १४ सफा १६३)

रसूम अदालत जो सरकार को वाजबुल वसूल हो उस फरीक के मुरतहन साबित की जायदाद से जिस को हुक्म अदाई का दिया गया है वसूल नहीं हो सक्ता है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २१ सफा ५३७).

मुफलिस की जायदाद के नीलाम पर जो मुद्दालेह ने कुर्क कराया हो सरकार का बार पहला है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १ सफा ५६६)

कार्रवाई अगर मुफलिस मुकदमे म कामयाब न हो

११ अगर मुद्दई मुकदमे में कामयाब न हो या उस की मुफलसी मनसूख हो जावे, या अगर मुकदमा उठा लिया जावे या मुकदमा डिसमिस हो जावे

(क) इस वजह से कि समन वास्ते हाजरी और जवाब देही मुद्दालेह के तामील इस वज[illegible] न हुआ हो कि मुद्दई ने उस के [illegible] का [illegible] महसूल डाक वाजबुलअदा, अगर [illegible] डा[illegible] किया हो,

([illegible] से कि [illegible] हाजिर [illegible]

तो [illegible] को [illegible] में मुद्दई के [illegible] कि [illegible] जो नालिश [illegible] को अदा पड़ता

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४१२ स कायम किया गया है

अगर मुकदमा बगैर तहकीकात खारिज हो जावे तो भी मुफलिस मुद्दई को रसूम अदालत देना चाहिये (इ ला रि २१ मदरास सफा ११३)

जब नालिश मुफलिसी में अरजीदावा वास्ते पेश करने अदालत मजाज के वापिस किया जाये तो अदालत को यह अखत्यार नहीं है कि मुद्दई को रसूम अदालत देने का हुक्म दे (इ ला, रि बम्बई जिल्द ६ सफा ५६०)

गवनमेंट वास्ते अदाय रसूम अदालत के दरखास्त कर सक्ती है

१२ गवर्नमेंट को हक हासिल है कि अदालत से किसी वक्त दरख्वास्त करे कि वास्ते अदाई रसूम अदालत के कायदा १० या ११ की रूसे हुक्म दिया जाय

तशरीह —यह कायदा नया है—

गवनमेंट फरीक मुकदमा सम झी जा सक्ती है

१३ कुल बातें जो बमूजिब कायदा १० या ११ या १२ गवर्नमेंट यो किसी फरीक मुकद्दमा के दरमियान पैदा हों वह दफा ४७ के मनशा के मुताबिक अमर दरमियान फरीकैन मुकदमा समझे जायेंगे

तशरीह:—यह कायदा नया है

नकल डिकरी का कलेक्टर के पास भेजा जाना

१४ अगर कोई हुक्म जो कायदा १० या ११ या १२ के बमूजिब सादिर किया जाय तो अदालत फौरन एक नकल डिकरी की कलेक्टर के पास भिजवायगी

तशरीह:—यह कायदा नया है

अगर दरखास्त वास्ते मिलने इजाजत नीलाम मुफलिसी ना मनजूर का जाय तो उस किस्म की हर दरखास्त बाद का नामनजूर होगी

१५ अगर सायल की दरखास्त वास्ते मिलने इजाजत करने नालिश मुफलिसी पर हुक्म ना मनजूरी का हो जाय, तो उस की बाद की हर दरख्वास्त जो उसी किस्म की हो, निसबत उसी हक नालिश के बाद को समाअत न होगी-मगर सायल को अखत्यार होगा कि मामूली तरीके से पेसे हक के निसबत नालिश दायर करे-मगर शर्त यह है कि अगर कुछ खर्चा उस की दरखास्त इजाजत नालिश मुफलसी के नामनजूर करने में सरकार या फरीकसानी को लगा हो, तो वह पहले अदा कर दे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४१३ से कायम किया

गया है

अगर बाद की दरखास्त इस कायदे के खिलाफ मनजूर कर ली जाय और दरखास्त बतौर मुकदमा नम्बरी दर्ज हो जावे और यह बात अदालत को मालूम हो तो अदालत मुद्दई से सरकार का वह खर्चा तलब कर सकी है जो पहले दरखास्त पर हुआ हो और अगर वह खारिज न करे तो मुकदमे को खारिज करेगी (इ. ला रि. बम्बई जिल्द २० सफा ८६)

१६ खर्चा उस दरखास्त का जिस में नालिश मुफलिसी दायर करने की इजाजत मांगी जाय, और तहकीकात निसबत मुफलिसी सायल का खर्चा, मुकदमे में दाखिल है

खर्चा

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४१५ से कायम किया गया है



आर्डर-३४.

नालिश बाबत रहन जायदाद गैर मनकूला.

नालिश बैयात वो नीलाम वो इनफिकाक रहन में फरीक मुकदमा

१ इस मजमूआ में लिखे हुए हुक्मों की पाबन्दी के साथ, कुल शख्स जिन को किफालत रहन या इनफिकाक रहन से ताल्लुक हो हर नालिश में फरीक किये जाय जो रहन के बाबत दायर की जायगी

(समझावना) दरम्यानी मुरतहन को अख्तयार होगा, कि मुरतहन अव्वल को बगैर करने फरीक नालिश बैयात या नीलाम की दायर करे—और जरूरी नहीं है कि मुरतहन अव्वल पिछले रहन के इनफीकाक की नालिश में फरीक किया जाय

तशरीह —यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ८५ से इस मजमूआ में कायम किया गया है

रहन के मुकदमे में वे शख्स जो राहिन, वो मुर्तहन, दोनों के हक के खिलाफ दावीदार हैं, ठीक फरीक नहीं हैं—राहिन मुर्तहन और वे शख्स जिन्हों ने बाद रहन उस में हक हासिल किया है, ठीक फरीक मुकदमा है—मबाखजेदार अव्वल जिस का रहन दरमयानी में किसी तरह से हक नहीं है, और जिस के खिलाफ कोई दादरसी का दावा नहीं किया गया है जरूरी फरीक मुकदमा नहीं है (इं ला रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफा ४२५-३२).

जायदाद मरहूना के कुछ हिस्से के मालिक जिन्हों ने रहननामा तहरीर नहीं किया है और जिन्हों ने रुप्या रहन में से कुछ नहीं पाया है और जो इनफिकाक रहन के मुस्तहक नहीं हैं जरूरी फरीक नहीं हैं (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफा ७४६).

मुकदमात इनफिकाक में रहन मुर्तहन दरमयानी बतौर फरीक मुकदमा शामिल किया जाना चाहिये (इ ला रि बम्बई जिल्द २८ सफा १६२).

शिकमी मुर्तहन के तरफ से जो नालिश दायर की जावे, उस में मुद्दायलेह का

गया है

अगर बाद की दरखास्त इस कायदे के खिलाफ मनजूर कर ली जाय और दरखास्त बतौर मुकदमा नम्बरी दर्ज हो जावे और यह बात अदालत को मालूम हो तो अदालत मुद्दई से सरकार का वह खर्चा तलब कर सक्ती है जो पहले दरखास्त पर हुआ हो और अगर वह खारिज न करे तो मुकदमे को खारिज करेगी (इ. ला रि. बम्बई जिल्द २० सफा ८६)

खर्चा १६ खरचा उस दरखास्त का जिस में नालिश मुफलिसी दायर करने की इजाजत मांगी जाय, और तहकीकात निसबत मुफलिसी सायल का खर्चा, मुकदमे में दाखिल है

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४१५ से कायम किया गया है



जायदाद उस की याने (क) की है और कहता है कि (अ) को वह जायदाद रहन करने का हक न था—तो (क) नालिश नीलाम में जरूरी फरीक नहीं बन सक्ता (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ३१ सफा ११)

(अ) ने अपनी जायदाद पहिले [ब] के यहा रहन रखा फिर [क] के यहा–(क) जायदाद मरहूना नीलाम की नालिश बगैर (ब) को फरीक बनाये दायर कर सक्ता है—अगर डिकरी नीलाम सादिर हो तो जायदाद (ब) का हक रहन छोड़कर नीलाम होगी (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २२ सफा ३३)

मगर यह कायदा (क) को नहीं रोकता कि वह अपनी नालिश में (ब) को फरीक न बनाये, अगर वह चाहे फरीक गरदान सक्ता है, अगर (ब) को फरीक बनवायेगा, तो नीलाम [ब] का हक रहन छोड़कर न होगा और [क] [ब] का रूप्या देने के लिये तैयार रहना चाहिये, और डिकरी में यह भी बात दर्ज होगी (इ ला रि मदरास जिल्द ३२ सफा ४२५)

नालिश बैबात में डिकरी इब्तदाई

२ नालिश बैबात में अगर मुदई कामयाब हो जाये, तो अदालत डिकरी इस हुक्म से सादिर करेगी

(क) कि उस तारीख तक जो नीचे दरज है मुदई को रहन की रूसे बाबत असल वो सूद और खरचा मुकदमा के (अगर कुछ खरचा हो) जो उस को दिलाया गया हो जितना पाना है उस का हिसाब लिया जावे या,

(ख) जो कुछ रकम कि तारीख डिकरी तक मुदई को इस तरह पाना हो, डिकरी में डिकरी सादिर करने के दिन जाहिर कर दी जावे,

और यह हुक्म देगी

(ग) कि अगर मुदालेह उस तारीख से जिस तारीख को अदालत मुदई के पाने का कुल रूपया जाहिर करे, छे महीना के अन्दर उस दिन पर जो अदालत से मुकर्रर हो ऐसी रकम जिस का पाना वाजिब करार दिया गया है, अदालत में जमा करदे, तो मुदई कुल दस्तावेजात मुताल्लुके जायदाद मरहूना जो उस के कब्जा या अख्त्यार में हो मुदायलेह को या उस शख्स को जो उस की तरफ से मुकर्रर हो हवाला करे और जायदाद मरहूना को साफ और बरी उस रहन और तमाम उन मवाखजे

राहिन जरूरी फरीक मुकदमा नहीं है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २७ सफा ५११)

हर एक शामलाती हिन्दू खानदान का नाबालिग लड़का फरीक मुकदमा बनाया जाना चाहिये (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २८ सफा ५१७).

अदालत को मुकदमे की कार्रवाई के किसी पेशी पर फरीक मुकदमा शामिल करने का अखत्यार है, चाहे मुकदमे की कार्रवाई कितनी भी हो गई हो [अलाहाबाद वीकली नोट जिल्द २५ सफा ३५]—या चाहे मुकदमे में अदालत ने शहादत भी कलमबन्द करली हो (अलाहाबाद वीकली नोट जिल्द २० सफा २०) अपील दोयम में भी अदालत को फरीक मुकदमा बनाने का अखत्यार है (इ. ला. रि मदरास जिल्द १५ सफा ४८७)

यह कायदा कुल शख्सों से ताल्लुक रखता है चाहे वे मुद्दई हों या मुद्दायलेह—ठीक २ शख्सों का बतौर मुद्दई फरीक मुकदमा न बनाना एक ऐसा भारी नुक्स है कि जिस से नालिश नाजायज करार दिये जाने के बाबत उजर किया जा सक्ता है (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा ८१५ वो २६ कलकत्ता सफा ३४६) सिवाये उस सूरत में कि जब ऐसे नुक्स की दुरुस्तगी उस मुद्दत के अन्दर कि जो नालिश के वास्ते मुकर्रर हो, किसी शख्स को मुद्दई कायम करने से हो सक्ती है.

जब कई शख्सों में से, कि जिन को जाहरा में बतौर मुद्दई नालिश दायर करने का हक हासिल हो सिर्फ चन्द मुद्दई बनकर नालिश करें, और बाकी लोग मुद्दायलेह बनाये जाय तो ऐसी सूरत में सिर्फ इस बिनापर नालिश खारिज नहीं कर देना चाहिये, कि मुद्दईयान ने यह साबित नहीं किया कि वे शख्स जो मुद्दायलेह बनाये गये मुद्दई बनाने से इन्कार करते थे (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द २४ सफा २२६)

यह कायदा सिर्फ नालशात बैबात, नीलाम वो इनफिकाक में शिकमी रहन को लागू न होगा- क्योंकि शिकमी मुर्तहन नीलाम की डिकरी पाने का हकदार नहीं है (देखो इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द २७ सफा ५११).

(अ) ने अपनी जायदाद (ब) को रहन किया (ब) ने (अ) पर नीलाम जायदाद मरहूना की नालिश दायर किया—(क) दावा करता है कि

कुछ एतराज न किया जायगा (इ. ला. रि. ३१ कलकत्ता सफा ३७०)

३ (१) अगर ऊपर लिखा हुआ जर याफतनी, जो करार दिया गया
डिकरी कतई व मुकदमे बैबात मै याद के खर्चे के जिसका जिकर कायदा १०
हुआ है मुदायलेह अदालत में तारीख मुकर्ररा पर या उस के पहले द दे,
अदालत नीचे लिखे हुए मजमून की डिकरी सादिर करेगी

(क) मुद्दई को हुक्म दिया जायगा कि जो दस्तावेजात जो डिग इब्तदाई के शरतों के मुताबिक मुद्दई को वापिस करना फर्ज वापिस करदे.

और अगर इस तौर पर हुक्म दिया जाय,

(ख) तो जायदाद मरहूना जैसा कि डिकरी मजकूर में हिदायत गई है फिर से मुन्तकिल करदे

और भी अगर जरूरत जान पड़े तो,

(ग) उस को हुक्म दिया जाय कि मुदायलेह को जायदाद कब्जा दे देवे

(२) अगर ऐसी अदाई ऊपर लिखे मुताबिक न की जावे, तो मुद्द
की तरफ से इस बारे में दरखास्त गुजरने पर अदालत इस मजमून
डिकरी सादिर करेगी कि मुदायलेह का कुल हक और उन तमाम लोगों
हक जो मुदायलेह के मारफत या उस के जरिये से दावीदार हैं बाब
इनफिकाक रहन जायदाद मरहूना साकित हो गया—और अदालत
अख्त्यार है कि अगर जरूरत देखे तो मुदायलेह को हुक्म दे कि जायदाद
कब्जा मुद्दई को दिलादे—मगर शर्त यह है कि अच्छी वजह बतलाय जाने प
मियाद के बढ़ाने का अख्त्यार और उन शरतों की पाबन्दी के साथ (अगर कु
शरतें हों) जो अदालत से मुकर्रर हों अदालत वक्तन फवक्तन जर मजकूर
अदाई की मुकर्रर की हुई तारीख को मुलतवी करती रहे

(३) जब डिकरी जिमन (२) के मुताबिक सादिर हो तो यह नतीज
करजा की बेबाकी समझा जायगा कि वह करजा जिस के लिये जायदाद रह
हुई थी बेबाक हो गया

तशरीह —यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ८७ से कायम किया गया है

जब तक कि अदालत हुक्म कामिल बैबात का ठीक नमूना के मुताबिक सादिर न करे तब तक राहिन दरखास्त के जरिये से इनफिकाक रहन का करा सक्ता

जात से जो मुदई ने या किसी और शख्स ने जो उस की तरफ से दावीदार हों उस पर कायम किये हों या अगर मुदई और लोगों के जरिये से दावीदार हों तो साफ और वरी उन मतालेबजात से जो उन लोगों ने उस पर कायम किये हों, मुदायलेह के नाम मुन्तकिल करदे, और अगर जरूरत हो तो मुदायलेह को जायदाद पर काबिज करादे, लेकिन,

(घ) अगर मुवाजिग मजकूर अदालत से मुकर्रर किये हुए दिन तक या उस के पहले अदा न किया जाये तो मुदायलेह जायदाद मजकूर के रहन को इनाफिकाक कराने से रोका जायगा

तशरीह:—यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ८६ से कायम किया गया है.

फरीकैन के दरम्यान ठहरी हुई शरह के मुताबिक अदाई तक सूद दिलाया जा सक्ता है (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ३० सफा ९५३).

मामूली तौर से मुर्तहन दस्तावेज में लिखी हुई शर्त के मुवाफिक सूद उस तारीख तक पाने का मुस्तहक है जो रहन की डिकरी में वास्ते अदाई मुकर्रर की गई और उस तारीख से वो अदाई के तारीख तक वह मुनासिब सूद पाने का हकदार है (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ३१ सफा १३८).

दस्तावेज में लिखी हुई शरह के मुवाफिक सूद दिलाना जरूर नहीं है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २१ सफा ३२२) .

खरचे पर भी सूद दिलाया जा सक्ता है लेकिन अगर सूद डिकरी में न दिलाया जाय तो उस को वसूली बजरिये इजराय न हो सकेगी (५ कलकत्ता वीकली नोट सफा ४२३).

डिकरी रहन में जर डिकरी की अदाई बजरिये किस्तों के नहीं हो सक्ती सिवाय उस सूरत में कि जब किस्तों के निस्बत मुर्तहन की रजामन्दी हो क्योंकि कायदा २ के रू से अदालत को वास्ते अदाई जर असल वो सूद के एक तारीख मुकर्रर करना पड़ती है (देखो इ. ला रि २ अलाहाबाद सफा ३२०)

इस कायदे के बमूजिब जो शरतिया डिकरी सादिर की जाय उस की अपील हो सक्ती है—लेकिन अगर उस की नाराजगी से अपील न की जाय तो जो अपील कतई डिकरी के बरखिलाफ दायर की जाय उस में ऐसी शरतिया डिकरी के बारे में

कुछ एतराज न किया जायगा (इ. ला. रि ३१ कलकत्ता सफा ३७०).

३ (१) अगर ऊपर लिखा हुआ जर याफतनी, जो करार दिया गया है,
डिकरी कतई व मुकदमे बेबात मै याद के खरचे के जिसका जिकर कायदा १० में
हुआ है मुदायलेह अदालत में तारीख मुकर्ररा पर या उस के पहले द दे, तो
अदालत नीचे लिखे हुए मजमून की डिकरी सादिर करेगी

(क) मुदई को हुक्म दिया जायगा कि जो दस्तावेजात जो डिगरी इब्तदाई के शरतों के मुताबिक मुदई को वापिस करना फर्ज है वापिस करदे.

और अगर इस तौर पर हुक्म दिया जाय,

(ख) तो जायदाद मरहूना जैसा कि डिकरी मजकूर में हिदायत की गई है फिर से मुन्ताकिल करदे

और भी अगर जरूरत जान पड़े तो,

(ग) उस को हुक्म दिया जाय कि मुदायलेह को जायदाद का कब्जा दे देवे

(२) अगर ऐसी अदाई ऊपर लिखे मुताबिक न की जावे, तो मुदई की तरफ से इस बारे मे दरखास्त गुजरने पर अदालत इस मजमून की डिकरी सादिर करेगी कि मुदायलेह का कुल हक और उन तमाम लोगों का हक जो मुदायलेह के मारफत या उस के जरिये से दावीदार हैं बाबत इनफिकाक रहन जायदाद मरहूना साकित हो गया—और अदालत को *अखत्यार है कि अगर जरूरत देखे तो मुदायलेह को हुक्म दे कि जायदाद का* कब्जा मुदई को दिलादे—मगर शर्त यह है कि अच्छी वजह बतलाय जाने पर
मियाद के बढाने का अखत्यार और उन शरतों की पाबन्दी के साथ (अगर कुछ
शरतें हों) जो अदालत से मुकर्रर हों अदालत वक्तन फवक्तन जर मजकूर के
अदाई की मुकर्रर की हुई तारीख को मुलतवी करती रहे

(३) जब डिकरी जिमन (२) के मुताबिक सादिर हो तो यह नतीजा
करजा की बे बाकी समझा जायगा कि वह करजा जिस के लिये जायदाद रहन
हुई थी बेबाक हो गया

तशरीह —यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ८७ से कायम किया गया है

जब तक कि *अदालत हुक्म कामिल बेबात* का ठीक नमूना के मुताबिक सादिर न करे तब तक राहिन दरखास्त के जरिये से इनफिकाक रहन का करा सक्ता

है (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २७ सफा ७०५). और सिर्फ इस अमर से कि मुर्तहन काबिज जायदाद करा दिया गया है ऊपर लिखी कार्रवाई में कोई हर्ज नहीं पड़ता है (इ. ला रि. २५ अलाहाबाद सफा २३१ वो २३ मदरास सफा १३३)

बैबात का कामिल हुक्म देने के पहले मद्‌यून डिकरी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ६४४ वो २७ मदरास सफा ४०) हुक्म एकतरफा मन्सूख हो सक्ता है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफा २५३ जलसा कामिल).

इसदा में जो मुद्दत दी गई है उस के गुजर जाने पर अदालत को उस के बढ़ाने का अख्त्यार है (देखो दफा १४८) मुद्दत बढ़ाने से इन्कार किये जाने के हुक्म से अपील हो सक्ती है (देखो आर्डर ४३ कायदा १ जिमन (ढ)

बैबात की कतई डिकरी नमूना नम्बर १० तितम्मा (व) के फारम पर लिखी जाये, अगर राहन उस तारीख को रूपया अदा न करे, जो तारीख अदाई के लिये इब्तदाई डिक्री में मुकर्रर की गई है तो मुरतहन कतई डिक्री के लिये दरखास्त दे सक्ता है–डिक्री कतई होने पर राहिन को फिर रूपया देकर रहन छुड़ाने का अख्त्यार नहीं रहता मगर जब तक डिक्री कतई सादिर न हो उसको वैसा अख्त्यार रहता है–चाहे रूपया के अदाई की मुकरर तारीख गुजर गई हो और राहिन और भी मोहलत मांग सक्ता है–(इ ला रि कलकत्ता जि० २७ सफा ७०५).

नीलाम के मुकदमात में डिक्री इब्तदाई

४ (१) अगर नालिश वास्ते नीलाम के दायर हो और मुद्दई कामयाब हो जाय, तो अदालत डिकरी मुताबिक उस हुक्म के सादिर करे जो कायदा (२) के फिकरा (क) (ख) वो (ग) में दर्ज है और उस में यह भी हुक्म शामिल करे कि मुदायलेह के तरफ से [illegible] फायदे [illegible] अदा न होने के सूरत में जायदाद [illegible] एक [illegible] नीलाम किया जायगा, और जर नीलाम (बाद [illegible] मजकूर से) अदालत में जमा हो कर [illegible] पाया हो मै सूद माइन्दा वो [illegible] (अगर कुछ हो) यह [illegible] उस के पाने हों

(२) अगर नालिश वास्ते बैबात के हो और मुदई कामयाब हो और रहन बेबुलवफा के किस्म से न हो, तो अदालत को अखत्यार है कि बरवक्त दरखास्त मुदई या किसी और शख्स के जिस को जर रहन या हक इनफीकाक रहन से ताल्लुक हो उसी किस्म की डिकरी (बजाय डिक्री बैबात के) उन शर्तों को दर्ज करने के साथ जो मुनासिब मालूम हो सादिर करे, जिस में यह भी शर्त शामिल हो सक्ती है कि वह शख्स एक तादाद माकूल जो अदालत मुकर्रर करदे और जो वास्ते अदाई खर्चा नीलाम और सरफा तामील शरायत डिकरी के काफी हो दाखिल करे

नीलाम बैबात में डिकरी नीलाम सादिर करने के निसबत अखत्यार

तशरीह—यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ८८ से कायम किया गया है

इस कायदे के रूसे जो डिकरी सादिर की जाय वह शरतीया है और कतइ डिकरी नहीं है और वह मुकदमा जिस में डिकरी सादिर की गई है जब तक कि कायदा ५ के रूसे हुक्म कामिल का न दे दिया जावे खतम नहीं होता है (इ ला रि. अलाहाबाद सफा १११).

इस कायदे के रूसे जो डिकरी सादिर की जावे उस में मुद्दायलेह को खर्चा अपने जात से अदा करने का हुक्म न दिया जाना चाहिये (इ. ला रि मदरास जि० ३० सफा ४६४)

डिकरी नीलाम की सिर्फ उस हालत में सादिर की जायगी कि जब कोई मुरतहन जायदाद मरहूना के नीलाम कराने का हकदार अजरूए शरायत रहननामा या कानून के हो, जैसे कि रहन सादा वो रहन इंगलिशया में हुआ करता है—मामूली तौर पर मुरतहन बिलकुल नीलाम की नालिश नहीं कर सक्ता लेकिन अगर जर रहन के अदाई के बारे में राहिन के तरफ से कोई जाती माहदा हुआ हो और जायदाद मरहूना मकफूल हो तो वह नीलाम की डिक्री मांग सक्ता है—तसफिया इस अमर का कि आया दर अमल ऐसा माहदा वो किफालत रहन की मौजूद है या नहीं? रहन नामे की इबारत वा उस के मजमून से अच्छी तरह पर हो सकेगा—देखो नजीर बमुकदमे अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १ सफा २० जिस में मुरतहन को उस हालत में नालिश नीलाम की दायर करने का अखत्यार हासिल था कि जब वह बेदखल कर दिया जाय—पस ऐसी हालत में मुरतहन

है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द २७ सफा ७०५). और सिर्फ इस अमर से कि मुर्तहन काबिज जायदाद करा दिया गया है ऊपर लिखी कार्रवाई में कोई हर्ज नहीं पड़ता है (इ. ला रि. २५ अलाहाबाद सफा २३१ वो २३ मदरास सफा १३३)

बैबात का कामिल हुक्म देने के पहले मद्यून डिकरी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ६४४ वो २७ मदरास सफा ४०) हुक्म एकतरफा मंसूख हो सक्ता है (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफा २५३ जलसा कामिल).

इबतदा में जो मुद्दत दी गई है उस के गुजर जाने पर अदालत को उस के बढ़ाने का अखत्यार है (देखो दफा १४८) मुद्दत बढाने से इन्कार किये जाने के हुक्म से अपील हो सकी है (देखो आर्डर ४३ कायदा १ जिमन (ढ)

बैबात की कतई डिकरी नमूना नंबर १० तितम्मा (व) के फारम पर लिखी जाये, अगर राहन उस तारीख को रूपया अदा न करे, जो तारीख अदाई के लिये इब्तदाई डिक्री में मुकर्रर की गई है तो मुरतहन कतई डिक्री के लिये दरखास्त दे सक्ता है–डिक्री कतई होने पर राहिन को फिर रूपया देकर रहन छुड़ाने का अखत्यार नहीं रहता मगर जब तक डिक्री कतई सादिर न हो उसको वैसा अखत्यार रहता है–चाहे रूपया के अदाई की मुकरर तारीख गुजर गई हो और राहिन और भी मोहलत माग सक्ता है–(इ. ला रि कलकत्ता जि० २७ सफा ७०५).

नीलाम के मुकदमात में डिक्री इब्तदाई

४ (१) अगर नालिश वास्ते नीलाम के दायर हो और मुद्दई कामयाब हो जाय, तो अदालत डिकरी मुताबिक उस हुक्म के सादिर करे जो कायदा (२) के फिकरा (क) (ख) वो (ग) में दर्ज है और उस में यह भी हुक्म शामिल करे कि मुदायलेह के तरफ से जरयाफ्तनी उस कायदे की मुताबिक अदा न होने के सूरत में जायदाद मरहूना या उस का एक काफी हिस्सा नीलाम किया जायगा, और जर नीलाम (बाद वजा करने खर्चा नीलाम के जर नीलाम मजकूर से) अदालत में जमा हो कर उस में से वह रूपया जो याफ्तनी मुद्दई करार पाया हो मै सूद आईन्दा वो खर्चा बाद का अदा किया जाय, और जो बाकी रहे (अगर कुछ बाकी हो) वह मुदायलेह को या और लोगों को दिया जाय जो उस के पाने के मुस्तहक हों

(२) अगर नालिश वास्ते बैयात के हो और मुद्दई कामयाब हो और रहन बैउलवफा के किस्म से न हो, तो अदालत को अख्त्यार है कि बवक्त दरख्वास्त मुद्दई या किसी और शख्स के जिस को जर रहन या हक इनफीकाक रहन से ताल्लुक हो उसी किस्म की डिकरी (बजाय डिकरी बैयात के) उन शर्तों को दर्ज करने के साथ जो मुनासिब मालूम हो सादिर करे, जिस में यह भी शर्त शामिल हो सक्ती है कि वह शख्स एक तादाद माकूल जो अदालत मुकर्रर करदे और जो वास्ते अदाई खर्चा नीलाम और सरफा तामील शरायत डिकरी के काफी हो दाखिल करे

नीलाम बैयात में डिकरी नीलाम सादिर करने के निसबत अख्त्यार

तशरीहः—यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ८८ से कायम किया गया है

इस कायदे के रूसे जो डिकरी सादिर की जाय वह शरतीया है और कतई डिकरी नहीं है और वह मुकदमा जिस में डिकरी सादिर की गई है जब तक कि कायदा ५ के रूसे हुक्म कामिल का न दे दिया जावे खतम नहीं होता है (इ ला रि. अलाहाबाद सफा १११).

इस कायदे के रूसे जो डिकरी सादिर की जावे उस में मुद्दायलेह को खर्चा अपने जात से अदा करने का हुक्म न दिया जाना चाहिये (इ ला रि मदरास जि० ३० सफा ४६४)

डिकरी नीलाम की सिर्फ उस हालत में सादिर की जायगी कि जब कोई मुरतहन जायदाद मरहूना के नीलाम कराने का हकदार अजरूए शरायत रहननामा या कानून के हो, जैसे कि रहन सादा वो रहन इंगलिशया में हुआ करता है—मामूली तौर पर मुरतहन बिलकुल नीलाम की नालिश नहीं कर सक्ता लेकिन अगर जर रहन के अदाई के बारे में राहिन के तरफ से कोई जाती माहदा हुआ हो और जायदाद मरहूना मकफूल हो तो वह नीलाम की डिकरी माग सक्ता है—तसफिया इस अमर का कि आया दर अमल ऐसा माहदा वो किफालत रहन की मौजूद है या नहीं? रहन नामे की इबारत वा उस के मजमून से अच्छी तरह पर हो सकेगा—देखो नजीर बमुकदमे अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १ सफा २० जिस में मुरतहन को उस हालत में नालिश नीलाम की दायर करने का अख्त्यार हासिल था कि जब वह बेदखल कर दिया जाय—पस ऐसी हालत में मुरतहन

है (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २७ सफा ७०५). और सिर्फ इस अमर से कि मुर्तहन काबिज जायदाद करा दिया गया है ऊपर लिखी कार्रवाई में कोई हर्ज नहीं पड़ता है (इ. ला रि. २५ अलाहाबाद सफा २३१ वो २३ मदरास सफा १३३)

बैबात का कामिल हुक्म देने के पहले मद्यून डिकरी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २६ सफा ६४४ वो २७ मदरास सफा ४०) हुक्म एकतरफा मन्सूख हो सक्ता है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफा २५३ जलसा कामिल).

इब्तदा में जो मुद्दत दी गई है उस के गुजर जाने पर अदालत को उस के बढ़ाने का अख्त्यार है (देखो दफा १४८) मुद्दत बढ़ाने से इन्कार किये जाने के हुक्म से अपील हो सकी है (देखो आर्डर ४३ कायदा १ जिमन (ढ)

बैबात की कतई डिकरी नमूना नंबर १० तितम्मा (व) के फारम पर लिखी जाये, अगर राहन उस तारीख को रूपया अदा न करे, जो तारीख अदाई के लिये इब्तदाई डिक्री में मुकर्रर की गई है तो मुरतहन कतई डिक्री के लिये दरखास्त दे सक्ता है—डिक्री कतई होने पर राहिन को फिर रूपया देकर रहन छुड़ाने का अख्त्यार नहीं रहता मगर जब तक डिक्री कतई सादिर न हो उसको वैसा अख्त्यार रहता है—चाहे रूपया के अदाई की मुकरर तारीख गुजर गई हो और राहिन और भी मोहलत मांग सक्ता है—(इ. ला रि कलकत्ता जि० २७ सफा ७०५).

नीलाम के मुकदमात में डिक्री इब्तदाई

४ (१) अगर नालिश वास्ते नीलाम के दायर हो और मुद्दई कामयाब हो जाय, तो अदालत डिकरी मुताबिक उस हुक्म के सादिर करे जो कायदा (२) के फिकरा (क) (ख) वो (ग) में दर्ज है और उस में यह भी हुक्म शामिल करे कि मुदायलेह के तरफ से जरयाफ्तनी उस कायदे की मुताबिक अदा न होने के सूरत में जायदाद मरहूना या उस का एक काफी हिस्सा नीलाम किया जायगा, और जर नीलाम (बाद वजा करने खर्चा नीलाम के जर नीलाम मजकूर से) अदालत में जमा हो कर उस में से वह रूपया जो याफ्तनी मुद्दई करार पाया हो मैं सूद आईन्दा वो खर्चा बाद का अदा किया जाय, और जो बाकी रहे (अगर कुछ बाकी हो) वह मुदायलेह को या और लोगों को दिया जाय जो उस के पाने के मुस्तहक हों

कामिल नीलाम निसबत उस जायदाद के जो रहन अव्वल में है पाने का मुस्तहक है (इ. ला. रि. २६ अलाहाबाद सफा ५०४)

याद रखना इस बात का जरूर है कि जैन डिकरी बैबात की सूरत में जर डिकरी के अदाई के वास्ते अदालत को मोहलत देने का ख्याल हासिल है उसी तरह नीलाम की डिकरी में मोहलत बढ़ाने के बारे में इस कायदे में कोई हुक्म दर्ज नहीं है—इस से मतलब यह निकलता है कि अदालत दरसूरत डिकरी नीलाम मोहलत नहीं बढ़ा सकती (देखो इ. ला रि १९ अलाहाबाद सफा २०९ और २४ बम्बई सफा ३००) लेकिन इस कार्रवाई से मुद्दायलेह पर किसी किस्म की सख्ती होने का अन्देशा नहीं है इस वजह से कि मुद्दायलेह को नीलाम होने के पेश्तर किसी वक्त डिकरी का रूपया दाखिल करने के लिये अख्त्यार है (देखो आरडर २४ कायदा ६१) या माकूल वजूहात पर अदालत नीलाम को मुल्तवी कर सक्ती है

जो हुक्म डिकरी कतई के निस्बत सादिर किया जावे वह काबिल अपील है (इ ला रि. कलकत्ता जि० २८ सफा ६५१)

६ जब ऐसे नीलाम का खालिस जर नीलाम उस रकम की अदाई के बाकी जर रहन की वसूली लिये काफी न हो जो मुद्दई का पाना वाजिब निकले, तो जिस कदर बाकी रहे अगर वह बाकी मुदायलेह से और तरह पर सिवाय जायदाद नीलाम किये हुए में से कानून के मुताबिक वसूल हो सकती हो, तो अदालत उस जर बाकी के बाबत डिकरी सादर कर सकती है

तशरीह—यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ९० से कायम किया गया है

इस कायदे के रू से जो अदालत डिकरी दे सकती है वह वही अदालत होगी जिस ने कायदा ४ के रू से डिकरी सादिर की (इ ला रि कलकत्ता जि० २७ सफा २७२)—

जाती जिम्मेदारी का उजर बर वक्त तसफिया मुकद्दमा फैसला पा सक्ता है—और जब उस का तसफिया इस तरह से हो गया हो, तो उस का फिर से फैसला उस वक्त न होगा, जब इस कायदे के बमूजिब दरखास्त पेश की जाय (इ. ला रि. अलाहाबाद जि० २८ सफा ३६५)—

नीलाम की डिकरी का मुस्तहक समझा गया

५ (१) जब मुकर्रर की हुई तारीख पर या उस के पहले मुदायलेह
डिकरी कतई बमुकदमा नीलाम अदालत में वह रकम जो बमूजिब ऊपर लिखे के
वाजिब करार दी गई है मे वाद के खरचे के जैसा कि कायदा १० में जिकर
है अदा कर दे तो अदालत नीचे लिखे मजमून की डिकरी सादिर करेगी,

(क) मुदई को हुक्म होगा कि कुल दस्तावेजात जो बमूजिब शर्त अगर डिकरी इब्तदाई के मुदई को देना फरज है दे दे,

और हुक्म हो तो,

(ख) उसी डिकरी के हुक्म के मुताबिक जायदाद मरहूना फिरसे मुन्तकिल कर दे,

और भी अगर जरूरत हो तो,

(ग) उस को हुक्म दे कि मुदायलेह को कब्जा जायदाद का दिला दे

(२) अगर अदाई इस तरह न की जाय तो अदालत मुदई को इस किस्म की दरखास्त पर इस मजमून की डिकरी सादिर करेगी कि जायदाद मरहूना या उस का काफी हिस्सा नीलाम किया जावे और जर नीलाम के निसबत वैसा अमल किया जायगा जैसा कायदा ४ में दर्ज है

तशरीह:—यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ८६ से कायम किया गया है.

अगर तारीख डिकरी से अन्दर एक साल के दरखास्त दी जावे तो मुदायलेह को इत्तला देना जरूर नहीं है (इ. ला रि मदरास जि० २५ सफा ५०६) हुक्म एकतरफा मनसूख हो सक्ता है (इ. ला. रि. कलकता जि० ३१ सफा २५३ जलसा कामिल).

अदालत यह हुक्म दे सक्ती है कि कुल जायदाद मरहूना या उस का एक काफी हिस्सा नीलाम किया जाय हर एक मुर्तहन जायदाद मरहूना का कोई हिस्सा करने की जिम्मेदारी से छोड़ सक्ता है, मगर वह ऐसी कार्रवाई करने से राहिन को बजात खास जिम्मेदार करार नहीं दे सक्ता, जिस का कि वह दीगर तौर से जिम्मेदार न होता (इ ला रि कलकत्ता जि० ३३ सफा ८१०)

जब मुर्तहिन अव्वल की डिकरी का कोई हिस्सा अदा कर दिया जाय और मुर्तहिन अदना जो फरीक मुकदमा है बकाया जर डिकरी दे देवे तो यह हुक्म

कामिल नीलाम निसबत उस जायदाद के जो रहन अव्वल में है पाने का मुस्तहक है (इ ला. रि २६ अलाहाबाद सफा ५०४)

याद रखना इस बात का जरूर है कि जैन डिक्री बेबात की सूरत में जर डिकरी के अदाई के वास्ते अदालत को मोहलत देने का ख्याल हासिल है उसी तरह नीलाम की डिकरी में मोहलत बढ़ाने के बारे में इस कायदे में कोई हुक्म दर्ज नहीं है—इस से मतलब यह निकलता है कि अदालत दरसूरत डिकरी नीलाम मोहलत नहीं बढ़ा सकती (देखो इ ला रि १९ अलाहाबाद सफा २०९ और २४ बम्बई सफा ३००) लेकिन इस कार्रवाई से मुद्दायलेह पर किसी क़िस्म की सख्ती होने का अन्देशा नहीं है इस वजह से कि मुद्दायलेह को नीलाम होने के पेश्तर किसी वक्त डिकरी का रूपया दाखिल करने के लिये अख्त्यार है (देखो आरडर २४ कायदा ६१) या माक़ूल वजूहात पर अदालत नीलाम को मुल्तवी कर सकी है

जो हुक्म डिकरी कतई के निस्बत सादिर किया जावे वह काबिल अपील है (इ ला रि. कलकत्ता जि० २८ सफा ६५१)

६ जब ऐसे नीलाम का खालिस जर नीलाम उस रकम की अदाई के लिये काफी न हो जो मुद्दई का पाना वाजिब निकले, तो जिस क़दर बाकी रहे अगर वह बाकी मुद्दायलेह से और तरह पर सिवाय जायदाद नीलाम किये हुए में से कानून के मुताबिक वसूल हो सकती हो, तो अदालत उस जर बाकी के बाबत डिकरी सादर कर सकती है

बाकी जर रहन की वसूली

तशरीह —यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ९० में कायम किया गया है

इस कायदे के रू से जो अदालत डिकरी दे सकती है वह वही अदालत होगी जिस ने कायदा ४ के रू से डिकरी सादिर की (इ ला रि कलकत्ता जि० २७ सफा २७२)—

जाती जिम्मेदारी का उजर बर वक्त तसफिया मुकदमा फैसला पा सक्ता है—और जब उस का तसफिया इस तरह से हो गया हो, तो उस का फिर से फैसला उस वक्त न होगा, जब इस कायदे के बमूजिब दरखास्त पेश की जाय (इ. ला रि. अलाहाबाद जि० २८ सफा ३६५)—

हुक्म डिकरी मजकूर मुन्तकिल कर देवे

और भी अगर जरूरत हो तो,

(ग) उस को हुक्म देवे कि मुद्दई को जायदाद पर काबिज करा देवे

(२) अगर जर याफ्तनी मजकूर नक्क पर अदा न किया जावे, तो मुद्दालेह को अखत्यार होगा कि अगर रहन सादा या रहन बिलकब्ज के किस्म से न हो तो अदालत में इस बात की दरख्वास्त दे कि अदालत से एक डिकरी आखीर इस मजमून से सादिर हो, कि मुद्दई और कुल शख्स जो उस के जरीये से या उस के तरफ दावादार हों, अखत्यार इनफोकाक रहन से महरूम किये जावें, और भी अगर जरूरत हो मुद्दई को हुक्म दिया जावे कि मुद्दालेह की जायदाद पर काबिज करा देवे

(३) शिकमी कायदा (२) के बमूजिब डिकरी सादिर होने पर यह समझा जायगा कि वह करजा जो रहन के जरीये से था बेबाक हो गया

(४) अगर अदाई इस तरह न हुई, और रहन बशर्ते बैबुलवफा नहीं है, तो मुद्दालेह की दरखास्त पर अदालत डिकरी सादिर करेगा, कि जायदाद मरहूना या उस का काफी हिस्सा नीलाम कर दिया जाये, और जर नीलाम (बाद वजा करने खरचा नीलाम के) अदालत में दाखिल होकर उस रकम की अदाई में लगाया जाये जो मुद्दालेह को पाना वाजिब निकले, और जो रूपया बाकी रहे वह मुद्दई को या दीगर शख्स को जो उस के पाने के मुसतहक हों दे दिया जाये

अखत्यार मियाद बढाने का — मगर शर्त यह है कि अदालत माकूल वजह बतलाये जाने पर और उन शरतों की पाबंदी के साथ [अगर कुछ शरतें हों] जो मुनासिब मालूम हो, वक्तन फवक्तन उस तारीख को मुलतवी करती रहे जो अदाई के लिये मुकर्रर हुई हो

तशरीह—यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ९३ से कायम किया गया है

शिकमी कायदा ४ के रूसे दरखास्त अदालत इब्तदाई में दी जाना चाहिये गो डिकरी बमूजिब कायदा ७ अदालत अपील से सादिर हुई हो [इ० ला० रि० अलाहाबाद जिल्द २३ सफा ८८ वो मदरास जिल्द २३ सफा ५२१]

अदाई के लिये जो वक्त दिया गया है वह बढाया जा सक्ता है और यह उस वक्त भी हो सक्ता है जब कि शुरू में दी हुई मियाद गुजर जाये (देखो दफा

१४८ वो इ. ला रि बम्बई जिल्द २८ सफा १०२ वो २६ बम्बई सफा १२६) वक्त बढ़ाये जाने के लिये अलेहदा दरख्वास्त की जरूरत नहीं है (इ ला रि बम्बई जिल्द २६ सफा १२६) जब वक्त बढ़ाये जाने से इनकार किया गया तो अपील हो सक्ती है (देखो आर्डर नंबर ४३ कायदा १ जिमन (७)

डिकरी अगर कुछ वाकतनी न निकले या मुद्दायलेह को जियादा रकम दी गई हो

९ बावजूद किसी मजमून ऊपर लिखे हुये कायदा के अगर कायदा ७ में जिक्र किया हुआ हिसाब लिया जावे और मालूम हो कि मुद्दायलेह को कुछ पाना नहीं है, या उस को जायद रकम दी गई है, तो अदालत को लाजिम है कि डिकरी इस हुक्म के साथ सादिर करे, कि अगर जरूरत हो मुद्दायलेह जायदाद को मुन्तकिल करदे, और मुद्दई को वह रुपया अदा करदे जो उस को पाना वाजिब निकले-और अगर जरूरत हो तो मुद्दई जायदाद मरहूना पर काबिज करा दिया जायगा

तशरीह:—यह कायदा नया है

अगर जायदाद पर कब्जा मुरतहन का हो और उसने अपना असल वो सूद जायदाद के मुनाफा से वसूल कर लिया हो, बल्कि और भी ज्यादा रुपया वसूल कर लिया हो, तो इस सूरत में यह कायदा लागू होगा—और जितना जियादा रुपया उस के तरफ निकलता हो, मुद्दई को दिलाया जायगा-(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द २६ सफा ६६१).

खर्चा मुरतहन बाद डिकरी

१० आखीर तसफिया उस तादाद का करते वक्त जो दर सूरत अमल में आने बैबात या नीलाम इनफिकाक रहन मुरतहन को अदा होनी चाहिये, अदालत को लाजिम है कि अगर मुरतहन से कोई ऐसा काम न हुआ हो, जिस के सबब से उस को खर्चे से महरूम रखना लाजिम आय, जर रहन के साथ उस कदर खर्चा मुकदमा शामिल करे जो वाजिब तरीके से तारीख डिकरी बैबात या नीलाम या इनफिकाक रहन से दर असल अदाई की तारीख तक मुरतहन के जिम्मे हुआ हो

तशरीह:—यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा २४ से कायम किया गया है

इस कायदे के रूसे वह खरचा शामिल किया जा सक्ता है जो मुरतहन को बाद सादिर होने डिकरी बैबात या नीलाम के उठाना पड़ा हो—मसलन, वह खरचा

कि जो डिकरी के इजरा में हुआ हो या वह खरचा जो डिकरी बैबात या नीलाम या इनफिकाक के कतई का हुक्म हासिल करने में डिकरीदार को उठाना पड़ा

११ अगर जायदाद मुतवातिर मुरतहनों के हाथ मुतवातिर करजे की बाबत रहन की जाय तो किसी दरम्यानी मुरतहन को अख्त्यार होगा कि नालिश बाबत इनफिकाक याने हक मुरतहन अव्वल और बैबात हकूक उन शख्सों के दायर करे, जिन के हक खुद उस के और राहिन के हकूक के बाद के हों

इस्तहकाक मुरतहन दरम्यानी निसबत इनफिकाक रहन और बैबात

तशरीह:—यह कायदा नया है.

और मुकदमा—इ ला. रि. अलाहाबाद जि० २७ सफा ३२५ पर कायम किया गया है

१२ अगर कोई जायदाद जिस के नीलाम के लिये इस आर्डर के मुताबिक हुक्म दिया जाय, और उस पर मवाखजा रहन अव्वल का हो, तो अदालत को अख्त्यार है कि मुरतहन अव्वल की मंजूरी से, जायदाद के बिला मवाखजा रहन, नीलाम होने का हुक्म दे, और मुरतहन अव्वल को जर नीलाम में वही हक दिलाय जो उस को जायदाद नीलाम की हुई में हासिल था

नीलाम जायदाद रहन पहले का हक बचा कर

तशरीह:—यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ९६ से कायम किया गया है

इस कायदे के अहकामात रहन बिल-कब्ज से लागू होंगे [इ ला. रि. ३० मदरास सफा ४०८].

पिछले मुरतहन का हक रख कर नीलाम नहीं किया जा सकता, चाहे वह नीलाम बहक डिकरीदार के हो या तीसरे शख्स के (इ ला. रि. २५ मदरास सफा ११४)

१३—(१) जर नीलाम अदालत में जमा होकर नीचे लिखे मुताबिक खर्च किया जायगा

खर्च किया जाना जर नीलाम का

पहले—उन तमाम खर्चों के अदा करने में जो नीलाम के ताल्लुक हुवा हो या किसी नीलाम की कार्रवाई में जिस की कोशिश की गई, बतौर आयज

दूसरे—उस रुपया के ... के बाबत मुरत-हन ... के जो उस के

मुताल्लुक जायज तरीका से पड़ा हो

तीसरे—उस जर रहन के कुल सूद के अदा करने में जिस के वसूली के लिये नीलाम का हुक्म हुआ हो, और उस मुकद्दमे के खर्चे के बेबाकी में जिस में डिकरी निसबत नीलाम सादिर हुई थी

चौथे—रहन मजकूर के बाबत जिस कदर असल रूपया वाजबुल वसूल हो उस के अदा करने में—और

अखीर—बाकी रही हुई रकम (अगर कुछ हो) उस शख्स को दिया जायगा जो जायदाद नीलाम का हुई में अपना इस्तेहकाक रखना साबित करे—या अगर ऐसे एक से जियादा कई शख्स हों तो वह बाकी उन लोगों में उन के मुख्तालिफ हकूक के लिहाज से या बाद लेने उन की एकजाई रसीद के तकसीम की जायगी

[२] कोई इबारत इस कायदे की या कायदा १२ की खिलाफ उन अख्तयारात के न समझी जायगी जो दफा ५७ एक्ट इन्तकाल जायदाद सन १८८२ के रूसे अता हुये हैं

तशरीह:—यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ९७ से कायम किया गया है

इस कायदे के अहकामात रहन बिलकब्ज में लागू हो सके हैं (इं ला. रि मदरास जि० ३० सफा ४०८)

जब मुरतहन के पास कई सादे रहन जायदाद (क), और (ख) पर हैं और जायदाद (ख) पर पहले का रहन बिलकब्ज है तो मुरतहन अपने रहन बिलकब्ज का हक रख कर वह जायदाद जो सादे रहन में रहन है नीलाम नहीं करा सक्ता है और न वह कुल जायदाद अपने कुल रहन के एक जाई रूपया में नीलाम करा सक्ता है (इं ला रि. अलाहाबाद जि० २६ सफा १४)—मगर हाई कोर्ट मदरास की राय इस के खिलाफ है— इं ला रि मदरास जि० ३० सफा ४०८)

१४ (१) जब कि मुर्तहन ने डिकरी वास्ते अदाई रूपया उस दावे के भरपाई के लिये हासिल कर ली हो, जो जरिये रहन निकलता है तो वह जायदाद मरहूना को नीलाम कराने का मुस्तहक न होगा, सिवाय बजरिये दायर करने नालिश वास्ते नीलाम बतामिल रहन के—और वह ऐसी नालिश बावजूद अहकाम मुन्दरजा आर्डर नम्बर २ कायदा २ के दायर कर सक्ता है

जायदाद मरहूना का नीलाम कराने के लिये मुकदमा वास्ते नीलाम दायर करना जरूरी है

(२) शिकमी कायदा [१] की कोई इबारत उन मुलकों में लागू नहीं समझी जायगी जहां कि एक्ट इन्तकाल जायदाद जारी नहीं है.

तशरीह:—यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ९९ से कायम किया गया है

१५ तमाम शर्तें जो इस आर्डर में निसबत नीलाम या इनफीकाक रहन जायदाद मरहूना के दर्ज हैं जहां तक मुमकिन हो उस जायदाद से लागू हो जायेंगे, जिस पर बमुजिब दफा १०० एक्ट इन्तकाल जायदाद के बोझा हो

मवाजेआत

तशरीह:—यह कायदा एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा १०० से कायम किया गया है.

आर्डर-३५.

इनटर प्लीडर याने नालिश वास्ते तसफिया ऐसे अमर के जिस में दो शख्स मुख्तलिफ तौर से एक चीज के लिये एक ही आदमी से दावीदार हों.

नालिश इनटर प्लीडर में अरजीदावा

१ हर इनटर प्लीडर नालिश के अरजीदावा में अलावा दीगर बयानात के जो अरजीदावा के लिये दरकार है, यह बातें भी लिखे जायंगी

(क) यह कि मुद्दई को कुछ हक शै मुतदाविया में, सिवाय मतालबा या खरचा के नहीं है

(ख) दावी मुद्दायलेहुम जुदागाना है—और

(ग) यह कि दरमियान मुद्दई और किसी मुद्दायलेह के साजिश नहीं है

तशरीह—इनटर प्लीडर नालिश से वह नालिश मुराद है कि जिस में कोई शख्स मुद्दई बनकर इस मजमून की डिकरी मांगे कि जो माल या नक्द रूपया उस के कब्जे में हो, उस में किस मुद्दायलेह का हक है, मतलब एक शख्स के पास पांच हजार रूपया मौजूद है जिस में वह अपना कुछ हक बयान नहीं करता, और ऐसी रकम में मुद्दायलेहुम एक दूसरे के बरखिलाफ अपना इस्तहकाक जमाना चाहते हैं, पस ऐसी हालत में वह शख्स कि जिस के पास रूपया रखा है, नालिश इस मजमून की दायर कर सक्ता है, कि अदालत से इस अमर का फैसला किया जाय, कि उस रूपया के पाने का हकदार कौन है—(देखो दफा ८८)

शै मुतदाविया का अदालत में दाखिल होना

२ जब कि शै मुतदाविया अदालत में अदा किये जाने या अदालत की तहवील में रखे जाने के लायक हो, तो मुद्दई इस के पहिले, कि उस का इस्तहकाक नालिश में किसी

हुक्म के मिलने का हासिल हो, शै मजकूर को अदालत में अदा करदे या तहवील में रख दे

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७२ से कायम किया गया है

३ अगर किसी नालिश इन्टर पिलिडर मुदायलेहुम में से किसी ने

कार्वाई अगर मुदायलेह मुदई पर नालिश करे

व वत शै मुतनाजिया मुकदमा के दर असल कोई नालिश मुदई पर की हो, तो जिस अदालत में कि वह नालिश बनाम मुदई दायर हो, तो वह अदालत जब उस को इस बात की इत्तला मिनजानिब उस अदालत के दी जाय जिस में नालिश तसफिया इन्टर पिलिडर दायर हो, कार्रवाई मुकदमे को बमुकाबला मुदई मजकूर मौकूफ रखे-और उस मौकूफ किये हुये में, जो खरचा उस मुदई का हुआ हो, उस के वसूल होने के वास्ते उसी मुकदमा मौकूफ शुदा में तदबीर करदे-लेकिन जब कि उस मुकदमे में खरचे की तदबीर न की गई हो तो वह खरचा नालिश तसफिया इन्टर पिलिडर के खरचा जानिब मुदई मजकूर में बढा लिया जाय

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७६ से कायम किया गया है

४ (१) अदालत समायत अव्वल के वक्त

जाब्ता पहली पेशी पर

(क) यह करार दे कि मुदई मुदायलेह के कुल मवाखजा से निसबत शै मुतदाविया से बरी है, और उस को खरचा दिलवाये और मुकदमे में से उस को खारिज करे—या,

(ख) अगर वह मुनासिब समझे कि वास्ते इनसाफ या सहूलियत के यह जरूर हो तो कुल फरीकों को मुकदमा के अखीर फैसला तक कायम रखे.

(२) अगर अदालत यह तजवीज करे, कि फरीकैन का इकबाल, या और शहादत से ऐसा करना मुमकिन हो, तो शै मुतदाविया के इस्तहकाक का तसफिया करदे

(३) अगर इकबाल फरीकैन से अदालत इस तरह से [illegible] न कर सके तो वह यह हिदायत करे

(क) कि अमर या अमूर तनकीह तलब दरमियान फरीकैन निकाली जावे, और [illegible] किये जायें- और,

(ख) यह [illegible] या बजामुल असल मुदई के

और अदालत मामूली तरीके पर मुकदमे की तजवीज करेगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७४ से कायम किया गया है

५ इस आर्डर की किसी इबारत से यह तसव्वर नहीं होगा कि एजन्ट अपने मालकों पर, या असामी अपने जमींदारों पर, इस अमर पर मजबूर करने की नालिश करे, कि वह किसी अशखास के मुकाबले में, सिवाये उन के जो उन मालकों या जमींदारों के जरिये से दावा करते हों, जवाब देही इन्टर पिलीडर नालिश के किस्मों की करें

एजन्ट और असामी नालिश इन्टर पिलीडर दायर नहीं कर सके

तमसीलें

(क) (क) ने एक सन्दूक जेवरात की अपने एजन्ट (ख) के पास रखा, (ग) ने बयान किया कि जेवराते नाजायज तौर से (क) ने उस से ले लिया है, और (ख) से उन के दिला पाने का दावा किया-(ख) बमुकाबले (क) और (ग) के नालिश इन्टर पिलीडर दायर नहीं कर सका है

(ख) (क) ने एक सन्दूक जेवरात की अपने एजन्ट [ख] के पास रखा, बाद को उस ने [ग] को लिखा कि जो करजा उस से [ग] को पाना था उस की जमानत में जेवरात मजकूर मकफूल रहें, [क] ने बाद को बयान किया कि [ग] का करजा अदा हो गया और [ग] का बयान इस के खिलाफ है, अब दोनों (ख) से जेवरात लेने का दावा करते हैं (ख) इन्टर पिलीडर नालिश (क) और (ग) पर दायर कर सका है

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७३ से कायम कीया गया है

६ अगर नालिश ठीक तौर से दायर की जाये तो अदालत वास्ते खरचा मुद्दई के यह तदबीर करेगी कि उस का शै मुतदाविया पर मवाखजा कायम करेगी या और कोई तदबीर मुयस्सर कर देगी

मुद्दई के खरचे का मवाखजा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७५ से कायम किया गया है.



हुक्म के मिलने का हासिल हो, शै मजकूर को अदालत में अदा करदे या तहवील में रख दे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७२ से कायम किया गया है

३ अगर किसी नालिश इन्टर पिलिडर मुदायलेहुम में से किसी ने
कार्रवाई अगर मुदायलेह मुद्दई पर नालिश करे
व बत शै मुतनाजिया मुकदमा के दर असल कोई नालिश मुद्दई पर की हो, तो जिस अदालत में कि वह नालिश बनाम मुद्दई दायर हो, तो वह अदालत जब उस को इस बात की इत्तला मिनजानिब उस अदालत के दी जाय जिस में नालिश तसफिया इन्टर पिलिडर दायर हो, कार्रवाई मुकदमे को बमुकाबला मुद्दई मजकूर मौकूफ रखे-और उस मौकूफ किये हुये में, जो खरचा उस मुद्दई का हुआ हो, उस के वसूल होने के वास्ते उसी मुकदमा मौकूफ शुदा में तदबीर करदे-लेकिन जब कि उस मुकदमे में खरचे की तदबीर न की गई हो तो वह खरचा नालिश तसफिया इन्टर पिलिडर के खरचा जानिब मुद्दई मजकूर में बढा लिया जाय

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७६ से कायम किया गया है

४ (१) अदालत समायत अव्वल के वक्त
जाब्ता पहली पेशी पर

(क) यह करार दे कि मुद्दई मुदायलेह के कुल मवाखजा से निसबत शै मुतदाविया से बरी है, और उस को खरचा दिलवाये और मुकदमे में से उस को खारिज करे—या,

(ख) अगर वह मुनासिब समझे कि वास्ते इनसाफ या सहूलियत के यह जरूर हो तो कुल फरीकों को मुकदमा के अखीर फैसला तक कायम रखे

(२) अगर अदालत यह तजवीज करे, कि फरीकैन का इकबाल, या और शहादत से ऐसा करना मुमकिन हो, तो शै मुतदाविया के इस्तहकाक का तसफिया करदे

(३) अगर इकबाल फरीकैन से अदालत इस तरह से फैसला न कर सके तो वह यह हिदायत करे

(क) कि अमर या अमूर तनकीह तलब दरमियान फरीकैन निकाली जावे, और फैसला किये जायें- और,

(ख) यह कि कोई शख्स दावीदार बऐवज या बशमूल असल मुद्दई के बनाया जाये

और अदालत मामूली तरीके पर मुकदमे की तजवीज करेगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७४ से कायम किया गया है

५ इस आर्डर की किसी इबारत से यह तसव्वर नहीं होगा कि एजन्ट अपने मालकों पर, या असामी अपने जमींदारों पर, इस अमर पर मजबूर करने की नालिश करे, कि वह किसी अशखास के मुकाबले में, सिवाये उन के जो उन मालकों या जमींदारों के जरिये से दावा करते हों, जवाब देही इन्टर पिलीडर नालिश के किस्में की करें

एजन्ट और असामी नालिश इन्टर पिलीडर दायर नहीं कर सके

तमसीलें

(क) (क) ने एक सन्दूक जेवरात की अपने एजन्ट (ख) के पास रखा, (ग) ने बयान किया कि जेवरात नाजायज तौर से (क) ने उस से ले लिया है, और (ख) से उन के दिला पाने का दावा किया-(ख) बमुकाबले (क) और (ग) के नालिश इन्टर पिलीडर दायर नहीं कर सका है

(ख) (क) ने एक सन्दूक जेवरात की अपने एजन्ट [ख] के पास रखा, बाद को उस ने [ग] को लिखा कि जो करजा उस से [ग] को पाना था उस की जमानत में जेवरात मजकूर मकफूल रहें, [क] ने बाद को बयान किया कि [ग] का करजा अदा हो गया और [ग] का बयान इस के खिलाफ है, अब दोनों (ख) से जेवरात लेने का दावा करते हैं (ख) इन्टर पिलीडर नालिश (क) और (ग) पर दायर कर सका है

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७३ से कायम कीया गया है.

६ अगर नालिश ठीक तौर से दायर की जाये तो अदालत वास्ते खरचा मुद्दई के यह तदबीर करेगी कि उस का शै मुतदाविआ पर मवावजा कायम करेगी या और कोई तदबीर मुनस्सर कर देगी

मुद्दई के खरचे का मवावजा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७५ से कायम किया गया है.



हुक्म के मिलने का हासिल हो, शै मजकूर को अदालत में अदा करदे या तहवील में रख दे

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७२ से कायम किया गया है

३ अगर किसी नालिश इन्टर पिलिडर मुदायलेहुम में से किसी ने ब वक्त शै मुतनाजिया मुकदमा के दर असल कोई नालिश मुदई पर की हो, तो जिस अदालत में कि वह नालिश बनाम मुदई दायर हो, तो वह अदालत जब उस को इस बात की इत्तला मिनजानिब उस अदालत के दी जाय जिस में नालिश तसफिया इन्टर पिलिडर दायर हो, कार्रवाई मुकदमे को बमुकाबला मुदई मजकूर मौकूफ रखे-और उस मौकूफ किये हुये में, जो खरचा उस मुदई का हुआ हो, उस के वसूल होने के वास्ते उसी मुकदमा मौकूफ शुदा में तदबीर करदे-लेकिन जब कि उस मुकदमे में खरचे की तदबीर न की गई हो तो वह खरचा नालिश तसफिया इन्टर पिलिडर के खरचा जानिब मुदई मजकूर में बढा लिया जाय

कार्रवाई अगर मुदायलेह मुदई पर नालिश करे

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७६ से कायम किया गया है

४ (१) अदालत समायत अव्वल के वक्त

जाब्ता पहली पेशी पर

(क) यह करार दे कि मुदई मुदायलेह के कुल मवाखजा से निसबत शै मुतदाविया से बरी है, और उस को खरचा दिलवाये और मुकदमे में से उस को खारिज करे-या,

(ख) अगर वह मुनासिब समझे कि वास्ते इनसाफ या सहूलियत के यह जरूर हो तो कुल फरीकों को मुकदमा के अखीर फैसला तक कायम रखे

(२) अगर अदालत यह तजवीज करे, कि फरीकैन का इकबाल, या और शहादत से ऐसा करना मुमकिन हो, तो शै मुतदाविया के इस्तहकाक का तसफिया करदे

(३) अगर इकबाल फरीकैन से अदालत इस तरह से फैसला न कर सके तो वह यह हिदायत करे

(क) कि अमर या अमूर तनकीह तलब दरमियान फरीकैन निकाली जावे, और फैसला किये जायें- और,

(ख) यह कि कोई शख्स दावीदार बएवज या बअसूल असल मुदई के बनाया जाये

और अदालत मामूली तरीके पर मुकद्मे की तजवीज करेगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७४ से कायम किया गया है

५ इस आर्डर की किसी इबारत से यह तसव्वर नहीं होगा कि एजन्ट अपने मालकों पर, या असामी अपने जमींदारों पर, इस अमर पर मजबूर करने की नालिश करे, कि वह किसी अशखास के मुकाबले में, सिवाये उन के जो उन मालकों या जमींदारों के जरिये से दावा करते हों जवाब देही इन्टर पिलीडर नालिश के किस्में की करें

एजन्ट और असामी नालिश इन्टर पिलीडर दायर नहीं कर सके

तमसीलें.

(क) (क) ने एक सन्दूक जेवरात की अपने एजन्ट (ख) के पास रखा, (ग) ने बयान किया कि जेवरातें नाजायज तौर से (क) ने उस से ले लिया है, और (ख) से उन के दिला पाने का दावा किया—(ख) बमुकाबले (क) और (ग) के नालिश इन्टर पिलीडर दायर नहीं कर सक्ता है

(ख) (क) ने एक सन्दूक जेवरात की अपने एजन्ट [ख] के पास रखा, बाद को उस ने [ग] को लिखा कि जो करजा उस से [ग] को पाना था उस की जमानत में जेवरात मजकूर मकफूल रहें, [क] ने बाद को बयान किया कि [ग] का करजा अदा हो गया और [ग] का बयान इस के खिलाफ है, अब दोनों (ख) से जेवरात लेने का दावा करते हैं (ख) इन्टर पिलीडर नालिश (क) और (ग) पर दायर कर सक्ता है

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७३ से कायम कीया गया है

६ अगर नालिश ठीक तौर से दायर की जाये तो अदालत वास्ते खर्चा मुद्दई के यह तदबीर करेगी कि उस का शै मुतदाविया पर मवाखजा कायम करेगी या और कोई तदबीर मुवस्सर कर देगी

मुद्दई के खर्चे का मवाखजा

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७५ से कायम किया गया है.



आर्डर—३६.

खास केस, (याने) मुकदमा.

१ (१) जिन शख्सों को किसी अमर वाकेआ या वहस कानूनी के फैसला में गरज रखने का दावा हो वह मजाज होंगे कि आपस में इकरारनामा तहरीर करके उस में अमर मजकूर को बतौर एक मुकदमा के वास्ते राय अदालत के लिखें, और यह शर्त करें कि जब अदालत की तजवीज निसबत उस अमर के सादिर हो तो

इख्तयार निसबत पेश करने कोई मुकदमा वास्ते राय अदालत के

(क) वह तादाद रुपया जो आपस में फरीकैन मुकर्रर करें, या जिसे अदालत तजवीज करदे उन में से एक फरीक दूसरे फरीक को अदा करेगा, या,

(ख) एक फरीक दूसरे फरीक को कुछ जायदाद मनकूला या गैर मनकूला मुन्दरजे इकरारनामा हवाला करेगा या,

(ग) फरीकैन में से एक या कई शख्स किसी खास अमर जिस की तफसील इकरारनामा में है उस की तामील करेंगे, या उस के करने से बाज रहेंगे

२ हर मुकदमा जो इस कायदा के बमूजिब बयान किया जाये, कई फिकरों में तकसीम होगा, जिन पर नम्बर सिलसिलेवार दिया जायगा, और उस में मुख्तसिर कैफियत ऐसे वाकेआत और तशरीह पेशी दस्तावेज की लिखी जायगी, जो वास्ते इस अमर के जरूरी हो, कि अदालत उस वहस को जो उन से पैदा होती है तै कर सके,

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५२७ से कायम किया गया है

२ अगर इकरारनामा बाबत देने किसी जायदाद के हो, या बाबत करने या बाज रखने के किसी काम खास से हो, तो उस इकरारनामे में तखमीनी कीमत, उस जायदाद की जिस के देने का इकरार है, या जिस से वह काम मुन्दरजा इकरारनामा मुतालुक हो, दरज की जायगी

अगर मालियत शै मुतनाजिया की दरज की जाय

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५२८ से कायम किया गया है

३ (१) इकरारनामा व शर्तें कि वह मुताबिक कायदा मुन्दरजा सद्र के तरतीब हुवा हो, किसी ऐसी अदालत में दाखिल हो सक्ता है, जिस को अख्त्यार समाअत उसी तादाद या मालियत की शै मुतदाविया के मुकद्दमे का हासिल हो, जो तादाद या मालियत शै मुन्दरजा इकरारनामे के हो

इकरारनामा दाखिल होगा और वह बतौर मुकदमा के दरज रजिस्टर किया जायगा

(२) बाद दाखिल होने, उस इकरारनामा पर नम्बर रजिस्टर होकर एक मुकदमा, जिस में एक या कई शख्स मिनजुमला दावीदारान के मुद्दई या मुद्दईयान होंगे, और दूसरे मिनजुमला उन के मुदायलेह या मुदायलेहुम होंगे, कायम होगा- और इत्तलानामा बनाम कुल फरीक इकरारनामा के जो दाखिल करने इकरारनामे में शामिल नहीं हुये हों जारी होगा

तशरीह इस कायदा पुराने एक्ट की दफा ५२९ से कायम किया गया है.

४ बाद दाखिल होने इकरारनामा के उस के फरीकैन अदालत के अख्त्यार के तहत में होंगे और उन पर पाबन्दी बयानात मुन्दरजा इकरारनामा की लाजिम होगी

फरीकैन अदालत के अख्त्यार के तहत होंगे

तशरीह — यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५३० से कायम किया गया है

५ (१) ऐसा मुकदमा समाअत के वास्ते मिसल मुकदमा मामूली दाखिल होगा, और इस मजमूये के अहकाम जहा तक मुमकिन हो, मुकदमा मजकूर से मुताल्लुक होंगे

मुकदमा की समाअत और फैसला

[२] अगर बाद लेने फरीकैन के बयान के या बाद लेने शहादत मुनासिब के अदालत का इतमीनान हो कि

(क) इकरारनामा मजकूर की तहरीर उन्हों ने हस्ब जाब्ता की है

(ख) यह कि उस में लिखे हुये झगड़ा में उन का हक नेकनियती से है—और,

(ग) वह काबिल तसफिया के है तो अदालत ऐसे अमर में उसी तरह फैसला करेगी जैसे के मामूली मुकदमा में करती है, और उस फैसले के मुताबिक डिकरी सादिर होगी

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५३१ से कायम किया गया है

बाज़ बात बयान हलफी से साबित हो सक्ते हैं (इ० ला रि कलकत्ता जि० १७ सफा ७८९)

आर्डर—३६.

खास केस, (याने) मुक़दमा.

इक़रारनामा निसबत पेश करने कोइ मुक़दमा वास्ते राय अदालत के

१ (१) जिन शख्सों को किसी अमर वाक़िआ या बहस कानूनी के फैसला में गरज रखने का दावा हो वह मजाज होंगे कि आपस में इकरारनामा तहरीर करके उस में अमर मजकूर को बतौर एक मुकदमा के वास्ते राय अदालत के लिखे, और यह शर्त करें कि जब अदालत की तजवीज निसबत उस अमर के सादिर हो तो

(क) वह तादाद रुपया जो आपस में फरीकैन मुकर्रर करें, या जिसे अदालत तजवीज करदे उन में से एक फरीक दूसरे फरीक को अदा करेगा, या,

(ख) एक फरीक दूसरे फरीक को कुछ जायदाद मनकूला या गैर मनकूला मुन्दर्जे इकरारनामा हवाला करेगा-या,

(ग) फरीकैन में से एक या कई शख्स किसी खास अमर जिस की तफसील इकरारनामा में है उस की तामील करेंगे, या उस के करने से वाज रहेंगे

२ हर मुकद्दमा जो इस कायदा के बमूजिब बयान किया जाये, कई फिकरों में तकसीम होगा, जिन पर नंबर सिलसिलेवार दिया जायगा, और उस में मुख्तसिर कैफियत ऐसे वाकेआत और तशरीह पेशी दस्तावेज की लिखी जायगी, जो वास्ते इस अमर के जरूरी हो, कि अदालत उन बहस को जो उन से पैदा होती है तै कर सके,

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५२७ से कायम किया गया है.

अगर मालियत शै मुतनाजिया की दरज की जाय

२ अगर इकरारनामा बाबत देने किसी जायदाद के हो, या बाबत करने या बाज रखने के किसी काम खास से हो, तो उस इकरारनामे में तखमीनी कीमत, उस जायदाद की जिस के देने का इकरार है, या जिस से वह काम मुन्दर्जा इकरारनामा मुतालुक हो, दरज की जायगी

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५५८ से कायम किया गया है.

का तसलिम कर लिया, और मुद्दई इस बात का मुस्तेहक होगा कि बाबत उतने रूपया के जो समन में लिखे हुये तादाद से जियादा न हों मै सूद लिये हुये के (अगर कुछ हो) तारीख डिकरी तक और उतना खर्चा जो मुकर्रर कर दिया जाय, ता-कि कि मुद्दई उस तादाद मुकर्रा से जियादा का दावेदार हो, इस सूरत में खर्चे का रूपया मामूली तौर से मुकर्रर किया जायगा-डिकरी हासिल करे और ऐसी डिकरी की फौरन तामील कराई जाय

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५३२ से कायम किया गया है

इस कायदे के रू से नालशात उस तारीख से छै माह के अन्दर होना चाहिये जिस तारीख को वह दस्तावेज जिस पर से नालिश की गई है वाजबुलअदा हो जावे (देखो मद ५ एक्ट मियाद)

कबूल करने वाला वो तहरीर करने वाला वो उस के पीठ पर इबारत लिखने वाले पर एक ही मुकदमे में दावा हो सक्ता है (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ११ सफा ८०४)

सूद उस वक्त तक वसूल नहीं हो सक्ता जब तक कि उस में तशरीह न हो और अदाई के निसबत किसी इकरार की शहादत नहीं दी जा सक्ती (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द २० सफा ४४६)

अगर मुदायलेह मुकदमे की कयदाद के निसबत जवाब देही कर सके तो उस को हाजिर होने की इजाजत मिलेगी

३ (१) अदालत मुदायलेह की दरखास्त पर मुदायलेह को हाजिर होने और जवाब देही करने की इजाजत इस बात पर दे कि ऐसा तहरीरी बयान हलफी पेश करे जिन से ऐसे वाकेआत जाहिर हों, कि जिस से उस शख्स पर मावजा का रूपया अदा कर देने पर सबूत देना लाजिम हो, या ऐसे और वाकेआत कि जो अदालत की दानिस्त में वास्ते ताईद दरखास्त के काफी हों

(२) और इजाजत ऐसे हुक्म निसबत दाखिल करने रूपया, जमानत, और तरतीब, वो तहरीरी वाकेआत तनकीह तलब के जो अदालत को मुनासिब मालूम हो दे, या बिना किसी ऐसे हुक्म के

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५३३ से कायम किया गया है

अदालत हाई कोर्ट को अख्तयार है कि वह वक्त बढ़ा देवे जिस के अन्दर

आर्डर ३७.

जाब्ता सरसरी निसबत दस्तावेजात काबिल खरीद वो फरोखत के.

१ यह आर्डर सिर्फ नीचे लिखे हुए अदालतों से ताल्लुक है

इस आर्डर का ताल्लुक

(क) अदालत हाय हाई कोर्ट मुकाम फोर्ट-विलयम और मद्रास और बम्बई

(ख) अदालत चीफ कोर्ट लुअर बरम्हा

(ग) अदालत जुडीशल कमिश्नर सिन्ध-और

(घ) दीगर अदालतों से जिन से दफायें ५३२ से ५३७ तक मजमुआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० मुताल्लुक है

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५३८ से कायम किया गया है

बिल आफ इक्सचेंज वगैरा की बिनाय पर सरसरी नालशों की दायरी

२. (१) कुल नालशें जो बिल आफ इक्सचेंज, हुंडी, या प्रामेसरी नोट के जरिये से जिन में मुद्दई इस आर्डर के बमूजिब कार्रवाई होना चाहता है, इस तरह दायर की जा सकी है कि अर्जीदावा उस नमूने के मुताबिक जो उस मजमुआ में मुकर्रर है दाखिल किया जाय, मगर समन उस नमूने के मुताबिक होना चाहिये जो आपनडिक्स (क) के नम्बर ४ में दरज है, या किसी और नमूने में, जो वक्तन फवक्तन तजवीज किया जाय

(२) जिस मुकदमे में अर्जीदावा और समन, मुताबिक ऐसे नमूनों के हों मुद्दायलेह को हाजिर होने या जवाब देने का हक उस वक्त तक न होगा जब तक कि वह इजाजत हाजरी और जवाब देही की उस तरह से जैसा कि पहले जिकर किया गया है किसी जज से हासिल न करे—और अगर मुद्दायलेह ऐसी इजाजत हासिल न करे या इजाजत लेकर उस के बमूजिब हाजिर न हो और जवाब देही न करे तो यह समझा जायगा कि उस ने अर्जीदावा के बयान

का तसलिम कर लिया, और मुद्दई इस वात का मुस्तेहक होगा कि वास्ते उतने रूपया के जो समन में लिखे हुये तादाद से जियादा न हों मै सूद लिखे हुये के (अगर कुछ हो) तारीख डिकरी तक और उतना खर्चा जो मुकर्रर कर दिया जाय, तावक्ते कि मुद्दई उस तादाद मुकर्ररा से जियादा का दावेदार हो, इस सूरत में खर्चे का रूपया मामूली तौर से मुकर्रर किया जायगा–डिकरी हासिल करे और ऐसी डिकरी की फौरन तामील कराई जाय

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५३२ से कायम किया गया है

इस कायदे के रू से नालशात उस तारीख से छे माह के अन्दर होना चाहिये जिस तारीख को यह दस्तावेज जिस पर से नालिश की गई है वाजबुलअदा हो जावे (देखो मद ५ एक्ट मियाद)

कबूल करने वाला वो तहरीर करने वाला वो उस के पीठ पर इबारत लिख ने वाले पर एक ही मुकदमे में दावा हो सक्ता है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ११ सफा ८०४)

सूद उस वक्त तक वसूल नहीं हो सक्ता जब तक कि उस में तशरीह न हो और अदाई के निसबत किसी इकरार की शहादत नहीं दी जा सक्ती (इ, ला, रि, कलकत्ता जिल्द ३० सफा ४४६)

अगर मुद्दायलेह मुकदमे की रूयदाद के निसबत जवाब देही कर सके तो उस को हाजिर होने की इजाजत मिलेगी

३ (१) अदालत मुद्दायलेह की दरख्वास्त पर मुद्दायलेह को हाजिर होने और जवाब देही करने की इजाजत इस बात पर दे कि ऐसा तहरीरी बयान हलफी पेश करे जिन से ऐसे वाकेआत जाहिर हों, कि जिस से उस शख्स पर मावजा का रूपया अदा कर देने पर सबूत देना लाजिम हो, या ऐसे और वाकेआत कि जो अदालत की दानिस्त में वास्ते ताईद दरख्वास्त के काफी हों

(२) और इजाजत ऐसे हुक्म निसबत दाखिल करने रूपया, जमानत, और तलबीय, यो तहरीरी वाकेआत तनकीह तलब के जो अदालत को मुनासिब मालूम हों दे, या बिना किसी ऐसे हुक्म के

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५३३ से कायम किया गया है

अदालत हाई कोर्ट को अखत्यार है कि वह वक्त बढ़ा देवे-जिस

मुद्दायलेह आकर वास्ते जवाब देही इजाजत हासिल कर सक्ता है [इ ला रि कलकत्ता जिल्द २३ सफा ५७३]

जब कि मुद्दायलेह जाहिरा में सच्चा जवाब दवा पश करता है तो उसे हाज़िर होकर जवाब देही करने की इजाजत दी जावेगी (६बम्बई ला रिपोर्ट अपिन्डीक्स ६४).

४ अदालत बाद सादिर करने डिकरी के, डिकरी को खास सूरतों में रद्द करदे, और अगर जरूरत हो उस के इजरा को मुलतवी रखे, या खारिज करे—और अगर अदालत की दानिस्त में ऐसा करना माकूल हो, तो मुद्दालेह को इजाजत वास्ते हाजिर होने बमूजिब समन, और करने जवाब देही मुकदमा के, ऐसी शरतों के साथ दे, कि जो अदालत को मुनासिब मालूम हो

डिकरी मनसूख करने के निसबत अख्त्यार

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५३४ से कायम किया गया है.

एकतरफा डिगरी का मनसूख करने से इनकार करने का जो हुक्म दिया जावे, उस की अपील हो सक्ती है (इ ला रि बम्बई जिल्द २ सफा ६४४)

५ इस आर्डर के बमूजिब की हर कारवाई में अदालत ऐसा हुक्म दे सक्ती है कि बिल हुन्डी या नोट, जिस के रू से मुकदमा हो फौरन अदालत के किसी अहलकार के पास रखा जाय, औरयह भी हुक्म दे सक्ती है कि जब तक मुद्दई मुकदमे के खरचे की बाबत जमानत दाखिल न करे, मुकदमे की कुल कारवाई मुलतवी रखी जायगी

बिल वगैरा का अदालत के किसी अहलकार के पास रखाये जाने का अख्त्यार

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५३५ से कायम किया गया है

५ काबिज हर बिल आफ इक्सचेंज, या प्रामेसरी नोट का, जिस के सिकारने या अदा करने से इनकार हुआ हो वास्ते दिलाने उस खरचे के जो उस के न सिकारे जाने या न अदा किये जाने, को लिखा देने में या और तरह पर न सिकारे जाने, या न अदा किये जाने के वजह से हुआ हो, उसी तरह से वसूल कर सकेगा, जिस तरह से कि रकम बिल, या नोट, मजकूर की, इस आर्डर के मुताबिक वह वसूल कर सक्ता है

वसूली उस खरचे की जो किसी बिल या नोट के मुताल्लुक जो इस बात की तहरीर में हुआ हो और वह सिकारा नहीं गया या अदा नहीं किया गया

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५३६ से कायम किया

गया है.

७ उन शरतों को छोड़ कर वो इस आर्डर में दरज है उन नालशात में
नालशों में कार्रवाई
कार्रवाई वही होगी जो कि मामूली तरीके पर दायर की हुई नालशों में होती है

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५३७ से कायम किया गया है



आर्डर-३८.

गिरफतारी वो कुर्की फैसला के पहिले.

फैसला के पहिले गिरफतारी.

कब मुदायलेह को जमानत हाजरी दाखिल करने के लिये कहा जा सक्ता है

१ अगर मुकदमे की किसी नौबत पर-बशरते कि वह मुकदमा उस किस्म का न हो जिस का जिकर फिकरा (क) से (घ) तक दफा १६ में किया गया है, तो अदालत को तहरीरी बयान हलफी के जरिये से या दीगर तौर से इस बात का इतमीनान हो जाय कि,

[क] मुदायलेह मुदई को देर लगाने, या किसी हुक्मनामा अदालत की तामील न होने देने के लिये या वास्ते होने मुजाहिमत या देरी वास्ते किसी डिकरी के इजरा में जो उस पर आयन्दा सादिर हो

[१] छुप गया है या अदालत के इलाके से चला गया है—या

[२] छुप जाने को या अदालत के इलाके से चले जाने को है—या

[३] उस ने अपने माल को या उस के किसी हिस्से को मुनतकिल कर दिया है या अदालत के इलाका से निकाल दिया है—या

[ख] यह कि मुदालेह ब्रिटिश इन्डीया से ऐसे हालत में चले जाने को है जिन की माकूल वजह से यह गुमान पूरा होता है, कि मुदई को उस डिकरी के इजरा में जो कि मुदालेह पर उस मुकदमे मे सादिर की जाये मुजाहमत होगी या उस में देरी होगी

तो अदालत मजाज होगी कि एक वारट इस मजमून से जारी करे, कि मुदयालेह गिरफत[illegible] अदाल[illegible] हाजिर लाया जाये, ताकि वह इस बात की वजह बतल[illegible] हा[illegible] क्यों न ली जाये

मगर शर्त यह है कि मुद्दालेह गिरफतार न किया जायेगा, अगर वह और वारंट को तामील करने वाले ओहदेदार को कोई रकम मुन्दरजा वारंट या मुद्दई के दावो की बेबाकी के लिये काफी हो, अदा करदे-और रकम मजकूर अदालत में अमानतन जमा रहेगी, जब तक कि नालिश फैसला न हो जाये या अदालत कोई हुक्म मजीद सादिर न करे

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७७-४७८ से कुछ रद्द वो बदल के साथ कायम किया गया है

अगर गैर काफी वजह पर गिरफतारी की गई है तो मावजा बमूजिब दफा ६५ के दिलाया जा सक्ता है.

कोई औरत गिरफतार नहीं की जा सक्ती है, (देखो दफा ५६) और अफसर सरकारी भी गिरफतार नहीं किया जा सक्ता, जब कि उस पर नालिश उस फैल के निसबत की गई है जो उस ने अपने सरकारी ओहदे के हैसियत से किया है (देखो दफा ८१ वो आरडर २७ कायदा ८)

२ (१) अगर मुदायलेह वजह काफी पेश न कर सके, तो अदालत उसे इस बात का हुक्म दे कि वह अदालत में जर नक्द या और जायदाद उस दावे की अदाई के लायक जो उस पर किया गया है, दाखिल करे, या जमानत इस बात की दे कि वह किसी वक्त दौरान मुकदमा में अदाई डिकरी तक कि जो उस पर उस मुकदमे में सादिर हो, जब बुलाया जावे हाजिर होगा, या उस रकम के निसबत जो मुदायलेह ने पिछले कायदे के मजमून की रू से अदा की हो ऐसा हुक्म सादिर करे जो उस के नजदीक मुनासिब मालूम हो

जमानत

(२) मुदायलेह का हर हाजिर जामिनदार जिम्मेदार इस बात का होगा, कि हाजिर न होने के सूरत में उस कदर रुपया दाखिल करे, जिस कदर मुकदमे में मुदायलेह को अदा करने का हुक्म हो

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४७६ से कायम किया गया है

३ (१) मुदायलेह के हाजिर जामिनदार को अखत्यार होगा कि जिस वक्त चाहे उस अदालत में जिस का जमानत-नामा दाखिल हुआ हो, अपने जिम्मेदारी से बरी होने की दरखास्त दे

कार्रवाइ जब हाजिर जामिनदार अपनी जिम्मेदारी से बरी होने के लिये दरख्वास्त दे

(२) जब ऐसी दरख़ास्त गुजरे अदालत मुद्दायलेह के हाजिर होने के लिये समन या अगर मुनासिब समझे पहले ही से वारन्ट गिरफतारी जारी करे—

(३) जब मुद्दायलेह समन या वारन्ट के बमूजिब या खुद हाजिर हो, अदालत यह हुक्म सादिर करेगी कि जामिनदार जमानत के जिम्मेदारी से बरी किया जाय, और मुद्दायलेह से जमानत नई तलब करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४८० से कायम किया गया है--

कार्रवाई जब मुद्दायलेह हाजिर जामनी या जमानत नई न दे सके

४ जो हुक्म बमूजिब कायदा २ या ३ के सादिर हो अगर उस की तामिल मुद्दायलेह न करे, तो अदालत मुद्दायलेह को ता फैसला मुकदमा, या अगर डिकरी खिलाफ मुद्दायलेह सादिर हो, तो इजराय डिकरी तक, जहलखाना दीवानी में भेज दे

मगर शर्त यह है कि इस कायदे के बमूजिब कोई शख्स किसी हालत में, छ महीना से जियादा दिन के लिये कैद न किया जायगा, और न छै हफ्ते से जियादा अरसे के लिये, उस हाल में कि तादाद या मालियत शै मुतदाविया की पचास रूपया से जियादा न हो

यह भी शर्त है कि कोई शख्स इस कायदे के बमूजिब बाद इस के कि वह हुक्म की तामील करदे, कैद में न रखा जायगा

तशरीह --यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४८१ से कायम किया गया है

इस कायदे के रू से जो कैद हो, वह कैद बाद डिकरी इजराय डिकरी की कैद हो जाती है (इ. ला रि. ७ बम्बई सफा ४११).

फैसले के पहिले-डिक्री.

मुद्दायलेह से कब जमानत वास्ते पेश करने जायदाद तलब की जा सकी है

५ (१) अगर मुकद्दमे की किसी नौबत पर, अदालत को बयान हलफी से या दीगर तौर से इस बात का इतमीनान हो जावे, कि मुद्दायलेह हरकत डालने या देरी करने की नीयत से किसी डिकरी के इजरा में जो उस पर सादिर

(क) अपनी कुल जायदाद या उस के किसी हिस्से को अलेहदा करने को है-या,

(ख) अपनी कुल जायदाद या उस के किसी हिस्सा को उस अदालत के इलाका अख्त्यार से बाहर हटा देने का है

तो अदालत मुद्दायलेह को यह हुक्म दे सकी है कि उस मियाद के अन्दर जो अदालत को मुकर्रर कर देना चाहिये जमानत उतने रुपया की, जिस की तशरीह उस हुक्म में कर दी जाय इस मतलब से कि वह जायदाद मजकूर या उस की मालियत या उस का उतना हिस्सा जो कि वास्ते अदाय डिकरी के काफी हो, हस्य तलब अदालत में हाजिर करे, और अदालत के तहत वो तसर्रुफ में रखदे, दाखिल करे, या अदालत में हाजिर होकर इस बात की वजह बतलावे कि उस को जमानत क्यों न दाखिल करना चाहिये

(२) दरख्वास्त में मुद्दई कुर्क की जाने वाली जायदाद की तफसील और अन्दाजी कीमत जायदाद मजकूर की दर्ज करेगा, तावक्ते कि अदालत उस के खिलाफ हिदायत न करे

(३) और अदालत उस हुक्म में शरतिया कुर्की दरख्वास्त में लिखी हुई कुल जायदाद या उस के हिस्से के बाबत हिदायत कर सकी है

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ८६ वो ४८४ से कायम किया गया है

कुरकी गैर काफी वजह पर हासिल की गई तो मावजा बमूजिब दफा ९५ दिलाया जा सक्ता है

कुरकी की कारवाई करने के पहले अदालत को पूरी तौर से इतमिनान कर लना चाहिय, कि मुद्दायलेह दर असल में अपनी जायदाद, उस डिकरी के इजरा में हरज डालने या देरी करने के वजह से अलेहदा कर रहा है (१३ कलकत्ता ला रिपोर्ट सफा ३५६)

अदालत को अपने अखत्यार समाअत के बाहर की जायदाद कुर्क करने का अखत्यार नहीं है (इ ला रि मदरास जि० ८ सफा २०).

इस कायदे के रू से ऐसा हुक्म नहीं दिया जा सकता जिससे किसी मुसदी को कम्पनी की वह जायदाद बेचने की मुमानियत नहीं है जो जायदाद कि उस ने मुकदमा दायर होने क पहले बेचने का मोहदा कर दिया हे (इ. ला. रि बम्बई जि० २१ सफा २७१)

६ (१) अगर मुकर्रर की हुई मियाद के अन्दर मुद्दायलेह अदालत में जमानत न दाखिल करने की वजह न बतला सके या तलब की हुई जमानत न दे, तो अदालत यह हुक्म सादिर कर सकती है, कि दरख्वास्त में लिखी हुई जायदाद या उस में से कुछ जो वास्ते अदाई उस डिकरी के काफी हो, जो मुकदमा में सादिर की जाय, कुर्क करली जावे

अगर वजह न बतलाई जाय या जमानत न दी जाय तो कुरकी

(२) अगर मुदायलेह ऐसी वजह बयान करे, या तलब की हुई जमानत दाखिल करे, और दरख्वास्त में दरज की हुई जायदाद या उस में से कुछ कुर्क हुई हो तो अदालत कुरकी उठाने की या और कोई हुक्म जो उस के नजदीक मुनासिब मालूम हो, सादिर करे

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४८५ से कायम किया गया है

७ खास सूरतों को, छोड़कर कुरकी उस तरह होगी जिस तरह इजराय डिकरी में कुरकी के लिये हुक्म है

कुरकी का तरीका

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४८६ से कायम किया गया है

८ अगर कोई दावा निसबत किसी जायदाद के जो फैसला के पहले कुर्क हुई हो किया जाय तो ऐसे दावी की तहकीकात उस तरह से होगी जो इस मजमूआ में पहले बाबत तहकीकात दावी मुताल्लके जायदाद मकरूका इजराय डिकरी जरनकर के बयान किया गया है

उस दावे की तहकीकात जो फैसला के पहले कुर्क हुई हो

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४८७ से कायम किया गया है

आर्डर २१ का कायदा ६० उस सूरत में लागू नहीं है, जिस में ऐसी जायदाद का दावा किया जाय जो फैसले के पहले कुर्क की गई (इं ला० रि. २० बम्बई सफा ४०७).

दावे की तहकीकात किस तरह से होना चाहिये, उस का तरीका आर्डर २१ के कायदा ५८ से ६० तक में दिया है.

९ जब हुक्म कुरकी का फैसला सादिर होने के पहले सादिर हुआ हो, तो अदालत जब जमानत मतलूबा मै जमानत खरचा कुरकी मुदायलेह के तरफ से दाखिल हो, या मुकदमा किया जाय, कुरकी के उठाने का हुक्म दे

हटाया जाना कुरकी का जब जमानत दाखिल की जाय या मुकदमा खारिज हो

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४८८ से कायम किया गया है

१० कुरकी कब्ल फैसला उन हकूक पर असर न डालेगी जो कुरकी से पहले उन शख्सों के हों, जो फरीक मुकदमा नहीं हैं, और न इस बात के माने होंगी कि कोई शख्स जिस को डिकरी बनाम मुद्दायलेह हासेल हुई हो, उस डिकरी के इजराय में उस जायदाद मकरूका को नीलाम कराने की दरख्वास्त करे

कुरकी कब्ल फैसला उन शख्सों के हक में असर नहीं पहुंचायगी जो फरीक मुकदमा नहीं हैं न डिकरीदार को दरख्वास्त नीलाम देने से बाज रखेगी

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४८९ से कायम किया गया है

जब बिला तकसीम किये हुये खानदान हिन्दू के एक शरीकादार पर नालिश की जाय, जो कुल खानदान के तरफ से कायम मुकाम नहीं है, और खानदान की जायदाद कुरक की गई, और मुद्दायलेह डिक्री सादिर होने के पहले मर जाने तो कुरकी के इजराय डिकरी के गरजों के लिये अमलदार होने के पहले हक पर मादगी का वजूद में आता है (इ ला रि १७ मदरास सफा १४४)

फैसले के पहले या बाद की कुरकी का एक ही अ र है—मगर शर्त यह है कि फैसले के पहले की कुरकी में मुद्दई जिसने कुरकी कराई है डिकरी हासिल कर लेवे (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द २६ सफा ५३१)

जब कोई शख्स जायदाद कुरक कराता है तो वह उस का मुनाफा भी कुरक करा सक्ता है (१२ वीकली रिपोर्ट सफा ३९१)

११ जब इस आर्डर के हुक्मों के बमूजिब जायदाद कुरकी में हो, और बाद को डिकरी मुद्दई के हक में सादिर की जाय, तो दरख्वास्त इजराय डिकरी मजकूर में उस जायदाद को दुबारा कुर्क करने की दरख्वास्त करना जरूर नहीं होगा

जो जायदाद कब्ल फैसला कुर्क हुई हो फिर इजराय डिकरी में कुरक न हो सकेगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४९० से कायम किया गया है

अगर डिकरी के बाद दुबारा कुरकी की गई तो उस से यह मतलब नहीं निकलता कि डिकरी के पहले जो कुरकी की गई थी वह छोड़ दी गई (इ. ला

रि ६ कलकत्ता सफा १२६ प्रीवी कौंसिल)

पैदावार काश्तकारी फैसला के पहले कुर्क न हो सकेगी

१२ इस आर्डर के किसी मजमून से यह नहीं समझना चाहिये, कि मुद्दई उस पैदावार काश्तकारी की कुरकी के लिये दरखास्त दे सक्ता है, कि जो किसी काश्तकार के कब्जे में हो, या अदालत को यह अख्त्यार है कि ऐसी पैदावार की कुरकी या उस को हाजिर करने का हुक्म दे

तशरीह —यह कायदा नया है.



आर्डर—३९.

हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा और हुक्म दरमियानी

हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा.

१ अगर किसी मुकद्दमा में तहरीरी बयान हलफी से, या और तरह पर यह साबित किया जाय कि —

किन मुकद्दमों में हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा जारी किया जा सक्ता है

(क) कोई जायदाद मुतनाजिया मुकद्दमा इस खतरे में है, कि कोई फरीक मुकद्दमा उस को नुकसान कर डालेगा, या उसे नुकसान पहुचायगा, या मुन्तकिल कर देगा, या कि यह किसी डिकरी के इजरा में नाजायज तोर से नीलाम हो जायगी—या,

(ख) मुद्दायलेह अपने साहूकारों का रुपया फरेब से डुबाने के लिये अपनी जायदाद हटा देने या इन्तकाल करने की धमकी देता है, या नियत रखता है—

तो अदालत हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा वास्ते बाज रखने मुद्दायलेह को उस फेल से सादिर करे, या जायदाद के बरबादी, या नुकसान, या इन्तकाल, या बै, या हटा देने, अलहदा करने, के रोकने में और मौकूफ करने के लिये, जब तक कि मुकद्दमा फैसला न हो जाय, या कोई दूसरा हुक्म सादिर न हो, जो हुक्म मुनासिब समझे सादिर करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४९२ से कायम किया गया है

जब हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा गैर काफी वजह पर हासिल किया गया तो मावजा दिलाया जा सक्ता है (देखो दफा ९५).

सिर्फ यह अमर कि मुद्दायलेह करजा जरिये नालिश अदालत वसूल करना चाहता है, बगैर सबूत इस बात के कि मनशा उस की जायदाद को बरबाद, नुकसान, या मुन्तकिल कर देने का है, हुक्म इम्तनाई जारी करने की काफी वजह

नहीं है (१४ वीकली रिपोर्टर सफा ४०६) शहादत इस अमर की होना चाहिये कि जायदाद मुतनाजिया मुकदमा को फरीक मुकदमा में से किसी के तरफ से बरबाद, नुकसान, या मुन्तकिल कर देने का खौफ है (२ बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट १ सफा १०३).

जब कि जायदाद खानदानी इजराय डिकरी में कुर्क की गई और मदयून डिकरी का लड़का जायदाद में अपना हक कायम करने के लिये नालिश दायर करे, और इस बात के हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा की दरखास्त करे कि ता फैसला मुकदमा नीलाम मुल्तवी किया जावे, तो हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा मनजूर नहीं होना चाहिये, क्योंकि जिस के नीलाम का इश्तहार जारी किया गया है वह हक मुद्दई के बाप का है और यह नहीं कहा जा सकता कि जायदाद इजराय डिकरी में नाजायज तौर से नीलाम हो रही है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जि॰ ७ सफा ५५०).

हुक्म इम्तनाई फरीक के नाम जारी होना चाहिये, न कि अदालत के नाम (२ अलाहाबाद ला जरनल सफा ६०१)

इस दफा के कायम करने से सरकार की यह मनशा है कि जहां तक हो सके बहुतसी नालिशों की दायरी बन्द की जाय (इ. ला. रि. १० अलाहाबाद सफा ८०).

हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा का, जो इस कायदे के रू से जारी किया जाय यह मतलब नहीं है कि झगड़े की जायदाद का जो रहन पीछे से किया जावे उसे नाजायज वो रद्द समझना चाहिये (इ. ला. रि. अलाहाबाद जि॰ ६ सफा ४६७).

दूसरे फरीक को नोटिस जारी करने के बगैर हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा जारी करने से इनकार करने के हुक्म से अपील नहीं हो सकती (इं. ला. रि. मदरास जि॰ १२ सफा १८६).

जिस अदालत में नालिश दायर की गई सिर्फ वही अदालत हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है न कि वह अदालत जिस में डिकरी इजरा के लिये मुन्तकिल की गई (इ. ला. रि. १२ कलकत्ता सफा ५१५).

हुक्म इम्तनाई दो किस्म के होते हैं (१) चन्दरोजा (२) दवामी (हमेशा के लिये):—

हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा की निस्बत इस आर्डर के कायदा १ व २ में जिकर है— दवामी इम्तनाई के लिये—देखो दफा ५५, ५६, ५७ एक्ट दादरसी न १ सन १८७७ दवामी हुक्म इम्तनाई होने से फिर वह शख्स जिसे हुक्म दिया गया वैसा काम करने से हमेशा के लिये रोका जाता है, जिस काम के करने की उसको मनाई की गई–मगर ऐसा हुक्म इम्तनाई दवामी सिर्फ उस हालत में दिया जायगा, जब कि डिक्री कतई सादिर हो और मुकदमा की पूरी रूईदाद व कैफियत अदालत ने सुन ली है–मगर चन्दरोजा या दरमियानी हुक्म इम्तनाई मुकदमा की किस नौबत पर दिया जा सक्ता है—ऐसा हुक्म देना अदालत की मरजी पर है अगर माकूल वजह न हो तो हुक्म इम्तनाई नहीं दिया जा सकता— अदालत को लिहाज करना चाहिये कि कुल इम्तनाई सादिर न होने की सूरत में किस फरीक को नुकसान ज्यादा होगा (इ. ला. रि. मदरास जि० २६ सफा ११८, १७५)

२ (१) किसी मुकदमे में जो मुदायलेह को खिलाफ वरजी माहदा या किसी तरह से नुकसान पहुचाने से बाज रखने का हो, आया उस में दावा किसी हरजे का हो, या न हो, उस में मुद्दई किसी वक्त बाद शुरू होने नालिश के फैसले के बाद या पहले दरख्वास्त दे, कि अदालत से हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा निसबत इस मजमून के सादिर हो, कि मुद्दायलेह खिलाफ वरजी न करे, या उस नुकसान से जिस की शिकायत है, या इर्तकाब किसी खिलाफ वरजी या नुकसान उसी किस्म से, जो उस माहदे से पैदा हो या उसी जायदाद या हकियत से, मुताल्लुक हो बाज रखा जाय

हुक्म इम्तनाई निसबत रोक रखने खिलाफ या जारा रखने हट

(२) अदालत हुक्म इम्तनाई मजकूर ऐसी कैद के साथ सादिर करे जो उसको इस बात में कि हुक्म इम्तनाई कितनी मियाद तक होना चाहिये और रखने हिसाब, या दाखिल करने जमानत, या दीगर तौर के, मुनासिब समझे

(३) दर सूरत न करने तामील या इर्तकाब खिलाफ वर्जी ऐसी शर्तों के हुक्म इम्तनाई जारी करने वाली अदालत, यह हुक्म दे सकी है, कि तामील न करने वाले या खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स की जायदाद कुर्क की जाय, और ऐसा शख्स दीवानी जहल में भी उस मियाद तक कैद रखा जाय जो छै महीने से जियादा न हो, तावक्ते कि अदालत उस मुद्दत में उस के रिहाई का हुक्म न दे

नहीं है (१४ वीकली रिपोर्टर सफा ४०६) शहादत इस अमर की होना चाहिये कि जायदाद मुतनाजिया मुकदमा को फरीक मुकदमा में से किसी के तरफ से बरबाद, नुकसान, या मुन्तकिल कर देने का खौफ है (२ बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट १ सफा १०३).

जब कि जायदाद खानदानी इजराय डिकरी में कुर्क की गई और मदयून डिकरी का लड़का जायदाद में अपना हक कायम करने के लिये नालिश दायर करे, और इस बात के हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा की दरखास्त करे कि ता फैसला मुकदमा नीलाम मुल्तवी किया जावे, तो हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा मनजूर नहीं होना चाहिये, क्योंकि जिस के नीलाम का इश्तहार जारी किया गया है वह हक मुद्दई के बाप का है और यह नहीं कहा जा सकता कि जायदाद इजराय डिकरी में नाजायज तौर से नीलाम हो रही है (इ ला. रि. अलाहाबाद जि० ७ सफा ५५०)

हुक्म इम्तनाई फरीक के नाम जारी होना चाहिये, न कि अदालत के नाम (२ अलाहाबाद ला जरनल सफा ६०१)

इस दफा के कायम करने से सरकार की यह मनशा है कि जहा तक हो सके बहुतसी नालिशों की दायरी बन्द की जाय (इ. ला. रि. १० अलाहाबाद सफा ८०).

हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा का, जो इस कायदे के रू से जारी किया जाय यह मतलब नहीं है कि झगड़े की जायदाद का जो रहन पीछे से किया जाये उसे नाजायज वो रद्द समझना चाहिये (इ ला रि. अलाहाबाद जि० ६ सफा ४९७).

दूसरे फरीक को नोटिस जारी करने के बगैर हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा जारी करने से इनकार करने के हुक्म से अपील नहीं हो सकती (इ ला रि. मदरास जि० १२ सफा १८९).

जिस अदालत में नालिश दायर की गई सिर्फ वही अदालत हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है न कि वह अदालत जिस में डिकरी इजरा के लिये मुन्तकिल की गई (इ ला. रि १२ कलकत्ता सफा ५१५).

दरम्यानी नीलाम के हुक्म देने का अख्त्यार

करने किसी जायदाद मनकूला के जो उस मुकदमा में झगड़ा तलब हो या उस मुकदमा में फैसले के पहले कुर्क हो गई हो, और जिस के जल्दी और खुद खराब हो जाने का अन्देशा हो, या जिसको किसी और मुनासिब और काफी वजह से जल्द नीलाम कराना मुनासिब मालूम हो—उस तरीके के बमूजिब और उन शरतों की पाबन्दी के साथ जो मुनासिब मालूम हो किसी शख्स के नाम जिसका नाम उस हुक्म में दर्ज हो, हुक्म सादिर करे

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४९८ से कायम किया गया है.

७ (१) अदालत किसी फरीक मुकदमा की दरख्वास्त गुजरने पर, और उन शरतों की पाबन्दी के साथ जो मुनासिब मालूम हो

रोक हिफाजत और मुलाहजा वगैरा शै मुतदाविया का

(क) वास्ते रोके जाने, या कायम रखे जाने, या मुलाहजा होने, किसी जायदाद के जो मुकद्मे के झगड़े में हो, या जिस के निसबत उस में कोई सवाल पैदा हो, हुक्म सादिर करे

(ख) कुल मतलब जिस का जिकर ऊपर किया गया है, या उन में से किसी गरज के लिये, किसी शख्स को अख्त्यार दे, कि किसी आराजी या मकान मकबूजा फरीक सानी मुकदमा मजकूर पर, या उस के अन्दर दाखिल हो—और,

(ग) कुल मतलब जिस का जिकर ऊपर किया गया है या उन में से किसी मतलब के, नमूना हासिल करने का अख्त्यार दे, या यह अख्त्यार दे कि हालात या सबूत कामिल के हासिल करने के लिये ऐसा मुलाहजा, या तजुरबा, किया जाय जो जरूरी या मुनासिब मालूम हो

(२) अहकामात निसबत तामील हुक्मनामा उन शख्सों के जिन्हें इस कायदे के रूसे दाखिल होने का अख्त्यार दिया गया है उसी हैसियत से लागू होंगे

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४९९ से कायम किया गया है.

इस कायदे के मुताबिक जो दरख्वास्त दी जाय वह बाद इत्तला फरीक सानी के होना चाहिये [देखो कायदा ८]

उस मुकदमा में जिस में इस बात के हरजाना का दावा किया जाय जो

(४) कोई कुर्की जो इस कायदे के बमूजिब की जाय, एक साल से जियादा कायम न रहेगी, अगर एक साल गुजरने के बाद उदूल हुक्मी और खिलाफ वर्जी जारी रहे, तो जायदाद मकरूका नीलाम की जाय, और जर नीलाम में से किसी कदर हरजा जो अदालत को मुनासिब मालूम हो मुद्दई को दिलाय, और अगर जर नीलाम में से कुछ बाकी रहे, वह फरीक मुस्तहक को दिया जाय

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४९३ से कायम किया गया है.

दरखास्त वास्ते रोक रखने मुकदमा किसी दूसरे अदालत के इस कायदे में नहीं आती है (इं ला रि. बम्बई जिल्द २७ सफा ३९७).

हुक्म इम्तनाई सादिर होने के पहले अदालत तरफ सानी को इत्तला देगी

३ अदालत कुल सूरतों में सिवाय उस के जिस में अदालत के नजदीक हुक्म इम्तनाई जारी करने का मनशा देरी के वजह से टूट जायगा, हुक्म इम्तनाई जारी करने से पहले तरफ सानी को दरखास्त के गुजरने की इतला देने का हुक्म सादिर करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४९४ से कायम किया गया है

हुक्म इम्तनाई मनसूख या तबदील या फिसख हो सक्ता है

४ हर हुक्म इम्तनाई अदालत से मनसूख या तबदील या फिस्ख हर शख्स की दरखास्त पर हो सक्ता है जो कि उस हुक्म से नाराज हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४९६ से कायम किया गया है.

हुक्म इम्तनाई बनाम जमायत सनद याफ्ता उस के उहदेदारों पर तामील के लायक होगा

५ जो हुक्म इम्तनाई कि बनाम किसी जमायत सनद याफ्ता के हो वह सिर्फ उसी जमायत पर तामील के काबिल न होगा, बलकि उस के कुल शराकतदारों और उहदेदारों पर होगा, जिन के जाती कार्रवाई की मुमानियत उस से हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४९५ से कायम किया गया है.

अहकामात दरम्यानी.

६ अदालत मुकदमे के किसी फरीक की दरख्वास्त पर, वास्ते नीलाम

दरम्यानी नीलाम के हुक्म देने का अख्तयार

करने किसी जायदाद मनकूला के जो उस मुकदमा में झगड़ा तलब हो या उस मुकदमा में फैसले के पहले कुर्क हो गई हो, और जिस के जल्दी और खुद खराब हो जाने का अन्देशा हो, या जिसको किसी और मुनासिब और काफी वजह से जल्द नीलाम कराना मुनासिब मालूम हो—उस तरीके के बमूजिब और उन शरतों की पाबन्दी के साथ जो मुनासिब मालूम हो किसी शख्स के नाम जिसका नाम उस हुक्म में दर्ज हो, हुक्म सादिर करे

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४९८ से कायम किया गया है.

रोक हिफाजत और मुलाहजा वगैरा की मुतनाज़िया का

७ (१) अदालत किसी फरीक मुकदमा की दरख्वास्त गुजरने पर, और उन शरतों की पाबन्दी के साथ जो मुनासिब मालूम हों

(क) वास्ते रोके जाने, या कायम रखे जाने, या मुलाहजा होने, किसी जायदाद के जो मुकदमे के झगड़े में हो, या जिस के निसबत उस में कोई सवाल पैदा हो, हुक्म सादिर करे

(ख) कुल मतलब जिस का जिकर ऊपर किया गया है, या उन में से किसी गरज के लिये, किसी शख्स को अख्तयार दे, कि किसी आराजी या मकान मकबूजा फरीक सानी मुकदमा मजकूर पर, या उस के अन्दर दाखिल हो—और,

(ग) कुल मतलब जिस का जिकर ऊपर किया गया है या उन में से किसी मतलब के, नमूना हासिल करने का अख्तयार दे, या यह अख्तयार दे कि हालात या सबूत कामिल के हासिल करने के लिये ऐसा मुलाहजा, या तजुरबा, किया जाय जो जरूरी या मुनासिब मालूम हो

(२) अहकामात निसबत तामील हुक्मनामा उन शख्सों के जिन्हे इस कायदे के रूसे दाखिल होने का अख्तयार दिया गया है उसी हैसियत से लागू होंगे

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४९९ से कायम किया गया है.

इस कायदे के मुताबिक जो दरख्वास्त दी जाय वह बाद इत्तला फरीक सानी के होना चाहिये [देखो कायदा ८]

उस मुकदमा में जिस में इस बात के हरजाना का दावा किया जाय जो

(४) कोई कुर्की जो इस कायदे के बमूजिब की जाय, एक साल से जियादा कायम न रहेगी, अगर एक साल गुजरने के बाद उदूल हुक्मी और खिलाफ वर्जी जारी रहे, तो जायदाद मकरूका नीलाम की जाय, और जर नीलाम में से किसी कदर हरजा जो अदालत को मुनासिब मालूम हो मुद्दई को दिलाय, और अगर जर नीलाम में से कुछ बाकी रहे, वह फरीक मुस्तहक को दिया जाय

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४९३ से कायम किया गया है.

दरखास्त वास्ते रोक रखने मुकदमा किसी दूसरे अदालत के इस कायदे में नहीं आती है (इ ला रि, बम्बई जिल्द २७ सफा ३९७)

हुक्म इम्तनाई सादिर होने के पहले अदालत तरफ सानी को इत्तला देगी

३ अदालत कुल सूरतों में सिवाय उस के जिस में अदालत के नजदीक हुक्म इम्तनाई जारी करने का मनशा देरी के वजह से टूट जायगा, हुक्म इम्तनाई जारी करने से पहले तरफ सानी को दरखास्त के गुजरने की इतला देने का हुक्म सादिर करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४९४ से कायम किया गया है.

हुक्म इम्तनाई मनसूख या तबदील या फिसख हो सक्ता है

४ हर हुक्म इम्तनाई अदालत से मनसूख या तबदील या फिस्ख हर शख्स की दरखास्त पर हो सक्ता है जो कि उस हुक्म से नाराज हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४९६ से कायम किया गया है.

हुक्म इम्तनाई बनाम जमायत सनद याफ्ता उस के उहदेदारों पर तामील के लायक होगा

५ जो हुक्म इम्तनाई कि बनाम किसी जमायत सनद याफ्ता के हो वह सिर्फ उसी जमायत पर तामील के काबिल न होगा, बलकि उस के कुल शराकतदारों और उहदेदारों पर होगा, जिन के जाती कार्रवाई की मुमानियत उस से हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ४९५ से कायम किया गया है.

अहकामात दरम्यानी.

---

६ अदालत मुकदमे के किसी फरीक की दरखास्त पर, वास्ते नीलाम

जिस के हुक्म से जायदाद कुर्क हुई (इ. ला. रि. २३ कलकत्ता सफा ५१७-१६ वो २४ बम्बई सफा ३८-४२).

डिकरी के सादिर किये जाने के बाद भी रिसीवर मुकर्रर हो सक्ता है (इ. ला. रि ८ मदरास सफा २२९-३३)

रिसीवर निसबत जायदाद गैर मनकूला बावजूद इस अमर के मुकर्रर हो सक्ता है कि मजिस्ट्रेट ने बमूजिब दफा १४५ जाब्ता फौजदारी हुक्म सादिर कर दिया है (इ. ला रि २२ अलाहाबाद सफा २१४).

मुद्दायलेह की तरफ से जायदाद का जियादा हिस्सा हटा दिया जाना और ऐसी सूरत में जिस में दौरान उस मुकदमा में जिस में जायदाद के हक का तसफिया होना है यह शक पैदा हो माकूल वजह रिसीवर मुकर्रर करने की है (इ. ला रि २७ कलकत्ता सफा २७६)

जब कोई करजा कुर्क किया गया तो उस के वसूली के लिये रिसीवर मुकर्रर हो सक्ता है (इ ला रि ११ बम्बई सफा ४४८)

अदालत को अखत्यार है कि कुल जायदाद शामलाती जिस के तकसीम करा पाने का मुद्दई दावा करता है रिसीवर के सुपुर्दगी में रखे (इ ला. रि १७ कलकत्ता सफा ११४).

जब एक बड़ी अदालत ने रिसीवर मुकर्रर किया है तो छोटी अदालत रिसीवर के कबजे की जायदाद बिला मनजूरी बड़ी अदालत के कुर्क नहीं कर सक्ती (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द २१ सफा १२७-२६)

अदालत रिसीवर को अपने नाम से नालिश करने का अखत्यार दे सक्ती है (इ ला. रि. २५ कलकत्ता सफा १४२).

रिसीवर को मालिक के अखत्यारात उस तरह से है जैसे के अदालत के हुक्म से जायदाद के लिये जाने के वक्त थे—मगर शर्त यह है कि यह अखत्यारात कानून के असर से जायल न हो गये हों (इ. ला. रि ८ मदरास सफा ४१८-२०) हाई कोर्ट का रिसीवर नालिश अपने नाम से या उस के नाम पर नालिश बिला इजाजत अदालत नहीं कर सक्ता है न हो सक्ती है (इ. ला रि १० कलकत्ता सफा १०१४). और बगैर इजाजत उस अदालत के जिसने रिसीवर मुकर्रर किया है यह

आर्डर-४०.

मुकर्ररी रिसीवर (याने मोहतमिम).

१ जब कोई अदालत इनसाफ वो सहूलियत के लिये जरूरी समझे तो उसे अखत्यार होगा कि —

रिसीवर की मुकर्री।

(क) कोई रिसीवर किसी जायदाद के लिये डिकरी के पहले या बाद मुकर्रर करे,

(ख) किसी शख्स को जायदाद के कबजा या हिफाजत से निकाले,

(ग) और उस को याने जायदाद को बकबजा या हिरासत या इन्तजाम रिसीवर मजकूर के सिपुर्द करे—और,

(घ) अदालत उस रिसीवर को वह कुल अखत्यारात निसबत दायरी और जवाब देही नालशात और वास्ते पाने और इन्तजाम और हिरासत और हिफाजत और तरक्की जायदाद और वसूली जर किराया या लगान और मुनाफा जायदाद और ऐसे किराया या लगान और मुनाफे के खरचा करने और किसी काम में लगाने के और निसबत तहरीर दस्तावेजात के जो खुद मालिक को हासिल हो, या उन में से वह अखत्यारात जो अदालत के नजदीक मुनासिब मालूम हो, दे

[२] इस कायदे की किसी इबारत से अदालत को यह इजाजत नहीं है, कि जिस शख्स को कोई फरीक मुकद्मा जो फिलहाल जायदाद से अलेहदा करने का हक नहीं रखता है उसे जायदाद के कबजा या हिरासत से अलेहदा करदे

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५०३ से कायम किया गया है—इस मजमूये के रू से अगर अदालत जिला की कोई मातहत अदालत रिसीवर मुकर्रर करे तो अदालत जिला की मन्जुरी जरूर नहीं है

इस कायदा की साफ मनशा यह है कि रिसीवर मुकर्रर करने का अखत्यार सिर्फ उस अदालत को है जिस में मुकदमा दायर किया गया या उस अदालत को

जिस के हुक्म से जायदाद कुर्क हुई (इ. ला रि. २३ कलकत्ता सफा ५१७-१६ वो २४ बम्बई सफा ३८-४२)

डिक्री के सादिर किये जाने के बाद भी रिसीवर मुकर्रर हो सक्ता है (इ. ला. रि ८ मदरास सफा २२९-३३)

रिसीवर निसबत जायदाद गैर मनकूला बावजूद इस अमर के मुकर्रर हो सक्ता है कि मजिस्ट्रेट ने बमूजिब दफा १४५ जाब्ता फौजदारी हुक्म सादिर कर दिया है (इ. ला रि २२ अलाहाबाद सफा २१४).

मुदायलेह की तरफ से जायदाद का जियादा हिस्सा हटा दिया जाना और ऐसी सूरत में जिस में दौरान उस मुकदमा में जिस में जायदाद के हक का तसफिया होना है यह शक पैदा हो माकूल वजह रिसीवर मुकर्रर करने की है (इ ला रि २७ कलकत्ता सफा २७९).

जब कोई करजा कुरक किया गया तो उस के वसूली के लिये रिसीवर मुकर्रर हो सक्ता है (इ ला रि ११ बम्बई सफा ४४८)

अदालत को अखत्यार है कि कुल जायदाद शामलाती जिस के तकसीम करा पाने का मुदई दावा करता है रिसीवर के सुपुर्दगी में रखे (इ. ला रि १७ कलकत्ता सफा ६१४)

जब एक बड़ी अदालत ने रिसीवर मुकर्रर किया है तो छोटी अदालत रिसीवर के कब्जे की जायदाद बिला मनजूरी बड़ी अदालत के कुर्की नही कर सक्ती (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा १२७-२६)

अदालत रिसीवर को अपने नाम से नालिश करने का अखत्यार दे सक्ती है (इ ला रि. २५ कलकत्ता सफा १४२).

रिसीवर को मालिक के अखत्यारात उस तरह से है जैसे के अदालत के हुक्म से जायदाद के लिये जाने के वक्त थे—मगर शर्त यह है कि वह अखत्यारात कानून के असर से जायल न हो गये हों (इ. ला. रि ८ मदरास सफा ४१८-२०) हाई कोर्ट का रिसीवर नालिश अपने नाम से या उस के नाम पर नालिश बिला इजाजत अदालत नहीं कर सक्ता है न हो सक्ती है (इ. ला. रि १० कलकत्ता सफा १०१४). और बगैर इजाजत उस अदालत के जिसने रिसीवर मुकर्रर किया है वह

आर्डर-४०.

मुकर्ररी रिसीवर (याने मोहतामिम).

१ जब कोई अदालत इनसाफ वो सहुलियत के लिये जरूरी समझे तो
रिसीवर की मुकर्ररी। उसे अख्त्यार होगा कि —

(क) कोई रिसीवर किसी जायदाद के लिये डिकरी के पहले या बाद मुकर्रर करे,

(ख) किसी शख्स को जायदाद के कबजा या हिफाजत से निकाले,

(ग) और उस को याने जायदाद को बकबजा या हिरासत या इन्तजाम रिसीवर मजकूर के सिपुर्द करे—और,

(घ) अदालत उस रिसीवर को वह कुल अख्त्यारात निसबत दायरी और जवाब देही नालशात और वास्ते पाने और इन्तजाम और हिरासत और हिफाजत और तरक्की जायदाद और वसूली जर किराया या लगान और मुनाफा जायदाद और ऐसे किराया या लगान और मुनाफे के खरचा करने और किसी काम में लगाने के और निसबत तहरीर दस्तावेजात के जो खुद मालिक को हासिल हो, या उन में से वह अख्त्यारात जो अदालत के नजदीक मुनासिब मालूम हो, दे

[२] इस कायदे की किसी इबारत से अदालत को यह इजाजत नहीं है, कि जिस शख्स को कोई फरीक मुकद्दमा जो फिलहाल जायदाद से अलेहदा करने का हक नहीं रखता है उसे जायदाद के कबजा या हिरासत से अलेहदा करदे

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५०३ से कायम किया गया है—इस मजमूये के रू से अगर अदालत जिला की कोई मात त अदालत रिसीवर मुकर्रर करे तो अदालत जिला की मन्जूरी जरूर नहीं है

इस कायदा की साफ मनशा यह है कि रिसीवर मुकर्रर करने का अख्त्यार सिर्फ उस अदालत को है जिस में मुकदमा दायर किया गया या उस अदालत को

किसी मुकदमा या कार्रवाई में फरीक भी नहीं बनाया जा सक्ता है (इ ला. रि ३० कलकत्ता सफा ५९३ वो ७२४) रिसीवर का जायदाद में जाती कोई हक नहीं है और उस के निसबत बिला मन्जूरी अदालत कोई कार्रवाई नहीं कर सक्ता है (६ बगाल ला रिपोर्ट सफा ४८६)

जब वह मुकदमा जिस में रिसीवर मुकर्रर किया गया है खारिज कर दिया जावे तो अदालत को कोई अख्त्यार इस बात का नहीं है कि रिसीवर को नये अख्त्यारात याने अख्त्यार बेचने का देवे (इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ३४ सफा ३३६)

जब रिसिवर ने अदालत के उस हुक्म के रू से रहननामा तहरीर किया जिस में यह हिदायत थी कि ऐसे रहन का बोझा अव्वल होगा तो वह रहन पहले की तारीख के दूसरे रहनामों पर सबकत (प्रधानता) ले जाता है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ३४ सफा ४२७) रिसीवर पर, बगैर इजाजत अदालत नालिश नहीं हो सक्ती (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ३२ सफा २७०) और इजाजत नालिश के पहले दी जाना चाहिये

जब इस कायदे से मुकर्रर किये हुये रिसीवर की जगह पर दूसरा रिसीवर मुकर्रर किये जावे तो नये रिसीवर को कार्रवाई में फरीक बनाना चाहिये (इ. ला रि. मदरास जिल्द २८ सफा १५७)

रिसीवर ने अपने काम के करने में जो खर्चा या बोझा किया है वह पाने का मुस्तहक है (इ ला. रि बम्बई जिल्द १९ सफा ६६०).

अगर रिसीवर बगैर इल्म अदालत के किसी फरीक से कोई इकरार करे तो वह तौहीन अदालत के जुर्म का मुजरिम होगा (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २२ सफा ६४८ वो ३० कलकत्ता सफा ६९६)

कोई फरीक जो रिसीवर की कार्रवाई से नाराज हो वह उस के ऊपर उस कार्रवाई में जिस में वह रिसीवर मुकर्रर किया गया है जाराजोई कर सक्ता है—उस के ऊपर अलेहदा कार्रवाई अदालत की इजाजत से होना चाहिये (इ ला रि मद्रास जिल्द २९ सफा ४९२)

रिसीवर अपना काम किसी दूसरे को नहीं दे सक्ता है न उस के सुपुर्द कर सक्ता है अगर वह इस तौर पर सुपुर्द करे और उस से स्टेट को नुकसान पहुचे तो

आर्डर-४१.

अपील बनाराजगी डिकरी इब्तदाई.

१ (१) हर दरख्वास्त अपील बतौर याददाश्त के जिस पर दस्तख़त
नमूना अपील
अपीलांट या उस के वकील के होंगे अदालत में या अदालत से मुकर्रर किये हुए ओहदेदार के पास पेश की जाय

याददाश्त के साथ नकल डिकरी जिस की नाराजी से अपील हो, और
याददाश्त अपील के साथ क्या दाखिल किया जायगा
(अगर अदालत अपील उस से दरगुजर न करे तो) नकल फैसला की जिस पर से वह कायम हो दाखिल की जायगी

(२) उस याददाश्त में वजूहात नाराजी उस डिकरी की जिस के
मजमून याददाश्त
निसबत अपील हो, इबारत मुख्तसिर और दफावार बिला लिखने किसी बहस या हिकायत के लिखी जायगी-और ऐसे वजूहात पर नम्बर सिलसिलेवार दिये जायगे

तशरीहः—*यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५४१ से कायम किया गया है*

जब दो वकील ने शामलाती वकालतनामा लिया और उन में से एक याददाश्त अपील पेश करे तो उस का पेश करना जायज है (इं ला रि मद्रास जिल्द १६ सफा २८५)

जब तक कि याददाश्त अपील के साथ नकल डिकरी न हो तब तक याददाश्त अपील दुरुस्त नहीं समझी जायगी (इं ला. रि १६ अलाहाबाद सफा ७७) यह कायदा अपील दोयम से लागू है (इं. ला रि. १५ अलाहाबाद सफा १२३-२७).

२ अपीलांट अदालत की इजाजत के सिवाय कोई ऐसी वजह नाराजी
वजूहात जो अपील में पेश की जा सकी
की बयान न करे और न किसी ऐसी वजह की ताईद में उस का बयान सुना जायगा, जो याददाश्त अपील

तशरीह — यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५०३ से कायम किया गया है

कोई रिसीवर अपना काम दूसरे को नहीं दे सक्ता (इ. ला. रि बम्बई जिल्द १९ सफा ६६०)

४ अगर रिसीवर

तामील जिम्मेदारी रिसीवर

(क) अपना हिसाब ऐसे वक्त पर और ऐसे नमूने में जैसा अदालत हुक्म दे न भेजे—या

(ख) वह रूपया जो उस के जिम्मे हो बमूजिब हुक्म अदालत जमा न करे—या

(ग) जानबूझकर कसूर करके या भारी गफलत से जायदाद को नुकसान पहुचाय

तो अदालत उस का जायदाद की कुर्की और नीलाम का हुक्म दे सक्ती है, और जर नीलाम से वह तादाद जो उसके जिम्मे निकले, या कोई और नुकसान जो उस के सबब से हुआ हो, पूरा करने में खर्च करे और बाकी [अगर कुछ बचे] रिसीवर को दे दे

तशरीह —यह कायदा नया है

इस कायदे के रू से जो हुक्म दिया जावे उस की अपील हो सक्ती है (देखो आर्डर ४३ कायदा १ जिमन (ध).

५. अगर जायदाद मजकूर आराजी मालगुजार सरकार या देसी आराजी हो, जिस की मालगुजारी मुन्तकिल की गई हो, या मावजा के बदले छोड़ दी गई हो, और अदालत के नजदीक साहब कलेक्टर के अहतमाम में रहने से उन शख्सों का फायदा होगा जिन को उस से तायल्लुक है, तो अदालत कलेक्टर की रजामन्दी से उस को जायदाद का रिसीवर मुकर्रर करे

कब कलेक्टर रिसीवर मुकरर हो सक्ता है

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५०४ से कायम किया गया है.

ओहदेदार जिस को जज इस काम के लिये मुकर्रर करे इबारत तरमीमी पर अपने दस्तखत या छोटे दस्तखत करेगा

तशरीह:--यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५४३ से कायम किया गया है.

मुकर्रर किया हुआ वक्त बमूजिब कायदा १४८ बढ़ाया जा सक्ता है

कोई ऐसी मियाद नहीं है जिस क अन्दर याददास्त नामन्जूर होना चाहिये (इ ला रि. ७ अलाहाबाद सफा ८५).

अगर याददास्त अपील का मजमून, तोहमत मिला हुआ, या गैर मुताल्लुक मुकदमा है तो वह नामजूर हो सकती है (इ ला. रि १५ बम्बई सफा ४८८) लकिन नामन्जूरी के वजूहात लिखा जाना चाहिये (इ ला रि १५ अलाहाबाद सफा ३६७)

कई मुद्दई या मुद्दायलेहुम म से एक कुल डिकरी मन्सूख करा सकता है

४ अगर कि ी मुकदमा म कई मुद्दई, या मुद्दायलेह हो, और डिकरी जिस की कि अपील हो वैसी वजह पर हो जो कुल मुद्दई या कुल मुद्दायलेहुम पर एकसा असर रखती है तो कोई शख्स मिनजुमला मुद्दईआन या मुद्दायलेहुम के कुल डिकरी के निस्बत अपील कर सकता है और उस पर अदालत अपील मजाज होगी कि डिकरी को कुल मुद्दयान या मुद्दायलेहुम के हक में याने जैसी कि सूरत हो, मन्सूख या तरमीम करे

तशरीह:--यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५४४ से कायम किया गया है.

इस कायदे के रू से यह जरूरत नहीं है कि डिकरी जिस की नाराजी से अपील हुई, खाली उन वजूहात पर कायम रहना चाहिये, जो कुल मुद्दायलहूम पर एकसा असर रखती हो—मगर ताहम किसी एसे उजर पर कायम रह सकती है जो कुल मुद्दायलहूम पर एकसा असर रखे (इ. ला रि. कलकत्ता जि० ३० सफा ४२९–३२) अगर कोई एक उजर, जिस पर वह डिकरी जिस के नाराजी से अपील हुई है, कुल मुद्दायलेहूम पर एकसा असर रखता है तो काफी है (इ ला. रि. ३० मदरास सफा ४७० जलसा कामिल)

एक नालिश चदा में जिस में मुद्दई ने कई मुद्दायलेहहुम पर अलेहदा २ दादरसी का दावा किया था, अदालत इब्तदाई ने सिर्फ मुद्दायले नम्बर १ पर

में बयान न की गई हो- मगर अदालत अपील, अपील के फैसला करने में उन ही वजूहात नाराजी की पावन्द न होगी जो याददास्त अपील में बयान की जाय या जो इस कायदे की रूसे अदालत की इजाजत से पेश की जांय

मगर शर्त यह है कि अदालत अपील अपनी तजवीज किसी दूसरी वजह पर न कायम करेगी तावक्ते कि उस फरीक को जिस के खिलाफ में फैसला हो, मौका काफी मुकदमे के निसबत उस वजह पर जवाब देने का नमिल चुका हो

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५४२ से कायम किया गया है

जब अपील दोयम में अपीलांट अपने याददाश्त अपील में यह उजर न करे कि रिस्पांडेंट की अपील अदालत मातहत में जब पेश की गई बेरू मियाद थी तो वह उस की ताईद में बहस नहीं कर सक्ता, और खुद अदालत भी उस उजर पर लिहाज नहीं सक्ती (इ ला रि १९ अलाहाबाद सफा १२३).

जब अदालत अपील के सामने कोई ऐसी डिकरी आवे जो नाजायज अदालत खुद इस पर लिहाज कर सक्ती है, और गलती दुरुस्त कर सक्ती ला. रि ३ कलकत्ता सफा ६१२)

हाई कोर्ट खुद अपील दोयम में इस बात पर लिहाज कर सक्ती है कि मुद्दई को कोई बिनाय दावी पैदा हुई है या नहीं (इ ला रि २ अल सफा ८८४)

अपीलांट अपील में वह उजर नहीं कर सक्ता है जो उस उजर के हो जिस पर उस ने अदालत मातहत में भरोसा किया था (इ ला. रि मद० जि० १० सफा ५०२ प्रीवी कौंसिल).

याददास्त अपील की ना मन्जूरी या तरमीम

३ (१) अगर याददास्त अपील उस तरह पर ... बयान किया गया है न लिखी जा... जाय, या अपीलांट को इस... उस की तरमीम अदालत में मुकर्रर की हुई ... जगह और उसी वक्त उस की तरमीम की जाय

(२) जब अदालत किसी याददास्त को नामन्जूर करे नामन्जूर करने के वजूहात लिखना होंगे

(३) जब कोई याददास्त अपील तरमीम की जाय तो ...

९ वो इजरा का मुल्तवी किया जाना.

५ (१) कार्रवाई डिक्री या हुक्म कि जिस के नाराजी से अपील अदालत अपील से दायर हुई हो, अपील की वजह से मुल्तवी नहीं आयगी, और न डिकरी का इजरा सिर्फ इस वजह से कि उस की नाराजी से अपील हुई है, मुल्तवी नहीं की जायगी—मगर अदालत अपील काफी वजह मालूम होने पर ऐसी डिकरी का इजरा मुल्तवी करने का हुक्म सादिर करे

(२) जब ऐसे डिकरी के मुल्तवी करने के लिये दरख्वास्त दी जावे, डिकरी सादिर करने वाली अदालत से इलतवा जो काबिल अपील के है, और दरख्वास्त उस मियाद के गुजरने के पेश्तर की गई हो जो अपील के लिये मुकर्रर है, तो वह अदालत जिस ने डिकरी सादिर की है वजह माकूल बतलाय जाने पर इजरा के मुल्तवी होने का हुक्म दे सकी है

(३) मगर शर्त यह है कि कोई हुक्म वास्ते इलतवा बमूजिब शिकमी कायदा (१) वो (२) नहीं दिया जायगा, तावके कि अदालत को इतमीनान न हो कि—

(क) जो फरीक इलतवाय इजराय डिकरी की दरख्वास्त करे उस को इलतवा का हुक्म न होने के हालत में असली नुकसान पहुंचेगा—

(ख) दरख्वास्त ना मुनासिब देरी के बाद गुजरी है—और

(ग) सायल ने उस डिकरी या हुक्म की असली तामील करने के वास्ते जो आखिर को उस के जिम्मे तामील के लिये होगी जमानत दाखिल कर दी है

(४) बावजूद मजमून शिकमी कायदा [२] अदालत दौरान समाअत दरख्वास्त में, हुक्म यकतरफा वास्ते मुल्तवी किये जाने इजरा के सादिर करे

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५४५ से कायम किया है.

शिकमी कायदा (१) जब कार्रवाई इजराय डिकरी खतम हो चुकी तो यह कायदा लागू नहीं होगा (१२ कलकत्ता ला रिपोर्ट सफा ५३२)

आम कायदा यह है कि किसी अपील के दायर होने के वजह से खास डिकरी

डिकरी सादिर की और मुद्दायलेह नम्बर २ के निसबत दावा को खारिज किया तो यह राय करार पाई कि मुद्दायले नम्बर १ के तरफ से अपील होने पर जिस में मुद्दायलेह नम्बर २ फरीक नहीं था, यह अदालत अपील को अख्त्यार था, कि डिकरी को इस तरह से तबदील कर देवे जिस से मुद्दायलेह नम्बर २ जिम्मेदार हो जावे, क्योंकि असली झगड़ा दरम्यान मुद्दायलेहुम के था (इ ला. रि. ३१ कलकत्ता सफा ६४३ जलसा कामिल).

जब कि कई मुद्दई या मुद्दायलेहुम ने मिल कर उस डिकरी के नाराजी से अपील की जिस में यह कायदा लागू है, तो ऐसे अपीलाट में से एक अपीलाट के मर जाने से, अगर उस के कायम मुकाम जायज का नाम मियाद के अन्दर दरज मिसल नहीं कराय जाने के वजह से अपील जहा तक मरे हुये अपीलाट से ताल्लुक रखती है, साकित होगी (इ. ला. रि अलाहाबाद जि० २९ सफा २७).

यह कायदा डिकरी एक तरफा से लागू है (१३ वीकली रिपोर्टर सफा ११४).

यह कायदा उन डिकरियों से भी लागू है जो आरडर ६ के कायदा ११ के रू से सादिर की जावे (१२ वीकली रिपोर्टर सफा ३७६).

जब कोई मुकदमा जो कई मुद्दायलेहुम पर है, मै खरचा खारिज कर दिया जावे, और अपील से वास्ते तजवीजसानी के वापिस किया जावे, और तजवीजसानी को भेजे जाने का हुक्म सिर्फ एक मुद्दायलेह की अपील पर हाई कोर्ट से मनसूख हो जावे तो मुद्दायलेहुम जिन्हों ने अपील नहीं किये हैं, डिकरी इजरा कराने के हकदार है (इ- ला. रि. २० अलाहाबाद सफा ४९३).



कार्रवाई वो इजरा का मुल्तवी किया जाना.

५ (१) कार्रवाई डिकरी या हुक्म कि जिस के नाराजी से अपील दायर हुई हो, अपील की वजह से मुल्तवी नहीं की जायगी, और न डिकरी का इजरा सिर्फ इस वजह से कि उस की नाराजी से अपील हुई है, मुल्तवी नहीं की जायगी—मगर अदालत अपील काफी वजहें मालूम होने पर ऐसी डिकरी का इजरा मुल्तवी करने का हुक्म सादिर करे

इलतवा अदालत अपील से

(२) जब ऐसे डिकरी के मुलतवी करने के लिये दरख्वास्त दी जावे, जो काबिल अपील के है, और दरख्वास्त उस मियाद के गुजरने के पेश्तर की गई हो जो अपील के लिये मुकर्रर है, तो वह अदालत जिस ने डिकरी सादिर की है वजह माकूल बतलाय जाने पर इजरा के मुल्तवी होने का हुक्म दे सकी है

डिकरी सादिर करने वाली अदालत से इलतवा

(३) मगर शर्त यह है कि कोई हुक्म वास्ते लतवा बमूजिब शिकमी कायदा (१) वो (२) नहीं दिया जायगा, तावके कि अदालत को इतमीनान न हो कि—

(क) जो फरीक इलतवाय इजराय डिकरी की दरख्वास्त करे उस को इलतवा का हुक्म न होने के हालत में असली नुकसान पहुंचेगा—

(ख) दरख्वास्त ना मुनासिब देरी के बाद गुजरी है—और

(ग) सायल ने उस डिकरी या हुक्म की असली तामील करने के वास्ते जो आखिर को उस के जिम्मे तामील के लिये होगी जमानत दाखिल कर दी है

(४) बावजूद मजमून शिकमी कायदा [२] अदालत दौरान समाअत दरख्वास्त में, हुक्म एकतरफा वास्ते मुल्तवी किये जाने इजरा के सादिर करे

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५४५ से कायम किया गया है.

शिकमी कायदा (१) जब कार्रवाई इजराय डिकरी खतम हो चुकी है तो यह कायदा लागू नहीं होगा (१२ कलकत्ता ला रिपोर्ट सफा ५१२)

आम कायदा यह है कि किसी अपील के दायर होने के वजह से खास डिकरी

या हुक्म के इजरा में कोई हरज नहीं पड़ता है, जिस के नाराजी मे अपील हुई है—मगर यह कायदा डिकरी बेबात में लागू नहीं किया जा सकता (इ. ला. रि. २७ अलाहाबाद सफा ५०१ जलसा कामिल)

जब अपील दायर नहीं की गई है तो यह कायदा लागू नहीं है, और इजरा सिर्फ इस सबब से मुलतवी नहीं किया जा सक्ता कि उस हुक्म के नाराजी से अपील की गई है, जिस के जरिये से डिकरी एकतरफा मनसूख करने से इन्कार किया गया (इं ला. रि. ३१ कलकत्ता सफा १०८१).

जब इजराय डिकरी के कार्रवाई के किसी हुक्म से अपील मुल्तवी है तो आदालत अपील को इजरा मुलतवी करने का अख्त्यार है (इ ला. रि कलकत्ता जि० २८ सफा ७३४)

जब किसी इब्तदाई हुक्म के नाराजी से अपील दायर है तो अदालत ता तसफिया अपील उस हुक्म की तामील की जाना मुल्तवी कर सक्ता है (इ ला रि. ३१ कलकत्ता सफा ७२२ जलसा कामिल)

शिकमी कायदा (२) बाद सादिर करने डिकरी कतई गैर काबिल अपील यो दरखास्त तजवीज सानी मन्जूर करने के पहले, अदालत को इजराय डिकरी मुलतवी करने का अखत्यार नहीं है (इ ला रि अलाहाबाद जि० ९ सफा ३६)--

अदालत मा'तहत सिर्फ इस वजह पर इजरा मुल्तवी नहीं कर सकती है कि उस के फैसले का अदालत अपील से मन्सूख होना मुमकिन है (इ ला रि. कलकत्ता जि० ११ सफा १४६) और जब मियाद अपील गुजर गई है तब भी मुलतवी नहीं कर सकती (इं. ला रि. कलकत्ता जि० १० सफा ८१७)

सायल को चाहिय कि अदालत को इतमिनान इस बात का कराय कि अगर इजरा मुलतवी नहीं होगा तो उस को भारी नुकसान पहुंचेगा (इ. ला रि २५ बम्बई सफा २४३)—

इस कायदा के रू से जो दरखास्त दी जाय उस का खर्चा दरखास्त देने वाले के जिम्मे होना चाहिये (इ. ला रि २५ कलकत्ता सफा ८९३)

इजरा को मुलतवी न करने के हुक्म से अपील हो सक्ती है (इ ला रि बम्बई जि० १२ सफा २७६) —

जमानत मांगने के हुक्म से अपील हो सक्ती है (इ ला रि १२ कलकत्ता सफा ६२४)

जमानत वास्ते इजराय उस डिक्री के जिस की अपील हुई हो

६ (१) अगर कोई हुक्म वास्ते इजरा ऐसी डिकरी के सादिर हो, जिस की नाराजी से अपील दायर हो, और अपीलांट काफी वजह बयान करे, तो डिकरी सादिर करने वाली अदालत उस जायदाद के वापसी के इतमीनान के गरज से जो इजराय डिकरी में ले ली जाय या ले ली गई हो या ऐसे जायदाद की मालीयत के अदाई के इतमीनान से और वास्ते तामील असली डिकरी या हुक्म अदालत अपील के लिये जमानत ले, या अदालत अपील वैसे ही वजह से डिकरी सादिर करने वाली अदालत को जमानत लेलेने की हिदायत करे

(२) उस हालत में कि जब इजराय डिकरी में जायदाद गैर मनकूला के नीलाम का हुक्म हो चुका हो, और उस डिकरी के नाराजी से अपील दायर हो, तो अपील का फैसला होते तक मदयून डिकरी की दरख्वास्त अदालत हुक्म सादिर करने वाली में गुजरने पर, नीलाम उन शर्तों पर मुलतवी रहेगा, जो वास्ते देने या न देने जमानत अदालत सादिर कुनन्दा डिकरी की दानिस्त में मुनासिब हो

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५४६ से कायम किया गया है

यह कायदा उस वक्त लागू नहीं है जब कि हुक्म इजराय डिकरी की तामील हो चुकी है मगर अदालत अपील, उस शख्स को जिस के हक में इजरा जारी हुआ है जमानत वास्ते तामील ऐसी डिकरी के देने के लिये, जो सादिर हो हुक्म दे सक्ती है—बाद सादिर होने हुक्म अदालत अपील निसबत मुलतवी किये जाने इजरा बिला शर्तीया मगर अदालत मातहत को इत्तला दिये जाने के पहले, अदालत मातहत की तरफ से कब्जा का दिया जाना नाजायज है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ३३ सफा ६२७).

शिकमी कायदा [२] के रूसे दरख्वास्त उस अदालत को दी जाना चाहिये जिस ने डिकरी सादिर की है—अदालत अपील को अखत्यार समाअत नहीं है (८ कलकत्ता वीकली नोट सफा ३८१)

७ ऐसी कोई जमानत जिस का जिकर कायदा ५ वो ६ में किया गया है, जनाब सेक्रेटरी आफ स्टेट बहादुर हिन्द वइजलास कौंसिल से, या जब गवर्नमेन्ट ने जवाबदेही मुकद्मे की अपने जिम्मे ली हो किसी उहदेदार सरकार से जिस पर नालिश किसी काम के बुनियाद पर दायर हो जो उस के उहदे के काम करने में वाके होना जाहिर किया गया हो, तलब न की जायगी

बाज सूरतों में जमानत सरकार या उहदेदार सरकार से तलब न की जायगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५४७ से कायम किया गया है

८ अगर अपील बनाराजगी डिकरी के न हो, मगर बनाराजगी उस के दायर हो चुकी हो, जो डिकरी मजकूर के इजरा में सादिर किया गया हो, तो कायदा ५ वो ६ में लिखे हुये अखत्यारात अमल में लाये जाने के लायक है

इजराय डिकरी की कार्रवाई के हुकम के अपील में अखत्यारात का अमल में लाया जाना

तशरीह:—यह कायदा नया है.

कार्रवाई अपील की मनजूरी पर.

९ [१] अगर याद्दास्त अपील मनजूर हो जाय तो अदालत अपील या उहदेदार मजाज उस अदालत का उस पर उस के पेश होने की तारीख लिखेगा और उस अपील को किताब रजिस्टर में जो इस बात के वास्ते रखी जायगी दर्ज करेगी

याद्दास्त अपील का दर्ज रजिस्टर होना

[२] ऐसी किताब रजिस्टर अपील कहलायगी

रजिस्टर अपील

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५४८ से कायम किया गया है.

१०. [१] अदालत अपील को इस बात का अखत्यार होगा, कि अपनी राय के मुवाफिक रिस्पांडेंट के तलबी के पहले वास्ते हाजरी और जवाबदेही के, या बाद को रिस्पांडेंट की दरखास्त पर अपीलांट से जमानत वास्ते अदाई खर्चा अपील या खर्चा मुकदमा इब्तदाई या दोनों के तलब करे

अदालत अपील अपीलांट से जमानत वास्ते अदाई खरचा के तलब कर सक्ती है

मगर शर्त यह है कि अदालत मजकूर उन कुल मुकदमात में जमानत तलब

अगर अपीलांट ब्रिटिश इंडिया के बाहर रहता हो

करेगी जिन में अपीलांट ब्रिटिश इंडिया के बाहर रहता हो और काफी जायदाद गैरमनकूला ब्रिटिश इंडिया के अन्दर सिवाय उस जायदाद (अगर कुछ हो) के जिस से वह अपील मुताल्लुक है न रखता हो,

(२) और दर सूरत न दाखिल होने जमानत मजकूर अन्दर मियाद मुकर्रर की हुई अदालत के, अपील को अदालत मजकूर नामनजूर करेगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५४९ से कायम किया गया है

सिर्फ अपीलांट की गरीबी अपीलांट से जमानत तलब करने के लिये काफी वजह नहीं है (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ३ सफा २१४).

जमानत दाखिल करने की मुद्दत बमूजिब दफा १४८ बढ़ाई जा सकी है (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १७ सफा ५१२ प्रीवी कौंसिल)

अदालत अपील को फिर से उस अपील के कायम करने का अख्त्यार नहीं है जो इस कायदे के मुताबिक खारिज कर दी गई है (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ८ सफा ३१५ प्रीवी कौंसिल)

उस अपील में जमानत तलब की जा सकी है जो बनाराजगी हुक्म बमूजिब दफा ४७ के हो (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द २४ सफा ३४१).

इस कायदे के रू से जो दरखास्त नामंजूर कर दी जाय उस की अपील नहीं हो सकी (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १८ सफा १०१ जलसा कामिल).

अख्त्यार अपील खारिज करने का बगैर भेजने इत्तला अदालत मातहत के

११ (१) अदालत अपील को अख्त्यार है कि अगर मुनासिब समझे तो बाद तलब करने मिसल और मुकर्रर करने एक तारीख वास्ते सुनाई उजरात अपीलांट या उस के वकील के, और अगर वह उस तारीख पर हाजिर हो तो उस के उजरात सुनकर बगैर भेजने इत्तला अपील उस अदालत में जिस की नाराजी से अपील पेश हुई है और बगैर जारी करने इत्तलानामा बनाम रिस्पांडेंट या उस के वकील के अपील खारिज कर दे

(२) अगर तारीख मुकर्ररा पर या किसी और तारीख पर जिस पर सुनाई मुलतवी की गई हो, अपीलांट वास्ते सुनाई अपील के पुकारा होने के वक्त हाजिर न हो, तो अदालत हुक्म देगी कि अपील खारिज हो

(३) इस कायदे के बमूजिब अपील खारिज किये जाने की इत्तला

उस अदालत को भेजी जायगी जिस की डिकरी के नाराज़ी से अपील हुई हो

तशरीह'—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५५१ से कायम किया गया है

यह कायदा उन अपीलों से लागू है जो मनज़ूर की गई (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १५ सफा ३६७).

जो अपील इस कायदे के रू से खारिज की गई और वह अपील जो पूरी सुनाई के बाद खारिज की गई, उन में कुछ फर्क नहीं है (इ. ला रि. २४ कलकत्ता सफा ७५९—६२)

जब अपील इस कायदे के रू से खारिज की जाय तो नामनज़ूरी की वजह तहरीर की जाना चाहिये (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १५ सफा ३६७)

अपील जो इस कायदे के रू से खारिज कर दी जावे वह फिर बमूजिब कायदा १९ कायम की जा सक्ती है

अदम पैरवी में अपील खारिज करने का हुक्म डिकरी है और ऐसे हुक्म के नाराज़गी से अपील हो सक्ती है (इ. ला रि बम्बई जिल्द १६ सफा २३).

१२. [१] अदालत अपील, उस सूरत को छोड़कर कि जिस में बमू- तारीख वास्ते समाअत अपील के जिब कायदा ११ अपील खारिज की जाय, अपील की सुनाई के लिये एक तारीख मुकर्रर करेगी

[२] वह तारीख बलिहाज रोजमर्रा के काम और रिस्पाडन्ट की सकूनत और उस मुद्दत के जो वास्ते जारी होने इत्तलानामा अपील के जरूर हो मुकर्रर ... तारीख मुकर्ररा पर हाजिर होने और अपील की ... के ... काफी मिले

... की दफा ५५२ से कायम किया गया है

तो इस बेजाब्तगी पर दोयम में एतराज नहीं

१३ (१) अगर कायदा ११ के रूसे अपील खारिज न हो तो अदालत अपील उस अदालत को अपील की इत्तला करे, जिस की डिकरी के नाराजी से अपील हुई हो

अदालत उस अदालत को इत्तला देगा जिस की डिकरी से अपील हुई हो

(२) अगर अपील किसी ऐसी अदालत की डिकरी के नाराजी से हो, जिसकी मिसल अदालत अपील में न दाखिल हुई हो, तो वह अदालत जिस में ऐसी इत्तला भेजी गई हो, इत्तला पहुंचने पर जहा तक जल्दी हो सके मुकद्दमे के कुल जरूरी कागजात या ऐसे कागजात जिन के निसबत अदालत अपील से खास कर तलबी हुई हो अदालत अपील में भेज दे

कागजात का अदालत अपील में भेजना

(३) फरीकैन में से कोई फरीक तहरीरी दरख्वास्त उस अदालत में जिस की डिकरी के नाराजी से अपील हुई हो, बाद दरज तफसील उन कागजात के जो उस अदालत में मौजूद हो, जिन की वह नकल कराना चाहता है, पेश कर सक्ता है, और नकल उन कागजात की सायल के खर्चे से तय्यार होकर उस को दी जायगी

नकल वजह सबूत की जो उस अदालत में हो जिस की डिकरी से अपील हुई हो

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५५२ से कायम किया गया है

१४ (१) कायदा १२ के रू से मुकर्रर की हुई तारीख का इत्तला मोहकमा अपील के अदालत के मकान पर चस्पा किया जायगा, और उसी मजमून का इत्तलानामा अदालत अपील से उस अदालत में भेजा जायगा जिसकी डिकरी के नाराजी से अपील हुई हो, और इत्तलानामा मजकूर रिस्पाडेंट या उस के वकील मुताल्लुके अदालत अपील पर उस तरीके से जो इस मजमूए में निसबत तामील समन ऊपर मुद्दायलेह वास्ते हाजिर और जवाब देही उस के दरज है, जारी होगा, और कुल कायदे जो समन मजकूर और कार्रवाई मुताल्लुके तामील समन से मुताल्लुक है इत्तलानामा मजकूर की तामील से मुताल्लुक होंगे

तारीख सुनाई अपील की इत्तला की तामील और इश्तहार

(२) व एवज इस के कि इत्तलानामा उस अदालत में भेजा जाय जिसकी डिकरी की नाराजी से अपील हुई है अदालत अपील इत्तलानामा खुद रिस्पाडेंट या उस के वकील पर, उस कायदे के मुताबिक जिसका जिकर ऊपर किया गया है, तामील कराय

अदालत अपील खुद इत्तलानामा तामील करा सक्ती है

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५५२ से कायम किया

गया है.

१५ इत्तलानामा बनाम रिस्पांडेंट वास्ते इस बात के होगा कि अगर वह अपील की सुनाई के लिये मुकर्रर की हुई तारीख पर अदालत अपील में हाजिर न होगा, तो अपील एकतरफा सुनी जायगी

इत्तलानामा मजमून

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५५४ से कायम किया गया है.

कार्रवाई बवक्त सुनाई.

१६ (१) तारीख मुकर्रर पर या किसी और तारीख पर जिस को समायत मुलतवी की गई हो, अपील की ताईद में अपीलांट के उजरात सुने जावेंगे

शुरू करने का हक

(२) उस पर अदालत अगर उसी वक्त अपील डिसमिस करना मुनासिब न समझे, तो रिस्पांडेंट के उजरात उस के तरदीद में सुनेगी, और इस सूरत में अपीलांट तरदीद का जवाब देने का मुस्तहक होगा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५५५ से कायम किया गया है.

१७ अगर मुकर्रर की हुई तारीख पर, या किसी दूसरी तारीख पर, जिस को समाअत मुलतवी रखी गई हो, अपीलांट जब कि अपील समाअत के लिये पेश हो, हाजिर नहो तो अदालत हुक्म देगी कि अपील खारिज की जाय

अदम पैरवी अपीलांट से अपील का खारिज किया जाना

(२) अगर अपीलांट हाजिर हो, और रिस्पाडन्ट हाजिर नहो तो अपील की समाअत एकतरफा होगी

अपील की एकतरफा समाअत

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५५६ से कायम किया गया है

नहीं है, जब वकील अपीलांट सिर्फ अदालत को

कि उस को हिदायत नहीं है, बल्कि मुलतवी

जो नामन्जूर की गई और उस पर अपील

खारिज करदी गई (इ. ला. रि २७ कलकत्ता सफा ५२१)

जब अपील की सुनाई के पुकारे के वक्त अपीलांट का वकील हाजिर होकर मोहलत इस वजह पर मांगे कि उस का बड़ा वकील गैर हाजिर है, और उस के नामन्जूर होने पर वह मुकदमे से दस्तबरदार न होवे तो अपील अदम पैरवी में खारिज नहीं की जासक्ती (इ. ला. रि. २६ मदरास सफा २६७).

जब अपील की सुनाई होते वक्त अपीलांट और उस के दो वकील हाजिर अदालत हैं और दौरान बहस में वह वकील जो बहस कर रहा है, बुला लिया जाय और दूसरा वकील या अपीलांट बहस को जारी न रख सकें तो अदालत ऐसी अपील को इस कायदे के रूसे खारिज नहीं कर सक्ती (इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १८ सफा १११).

अपील जो इस कायदे के रूसे खारिज करदी जावे, वह कायदा १६ के मुताबिक फिर कायम की जासक्ती है.

अदम पैरवी में अपील खारिज करदी जाने उस की अपील नहीं हो सक्ती है (इ ला रि. २३ कलकत्ता सफा ८२७)

खारिज किया जाना अपील का अगर इत्तलानामा इस वजह से जारी न हुआ हो कि अपीलांट ने खरचा दाखिल न किया

१८ अगर तारीख मुकर्ररा पर, या किसी दूसरी तारीख पर, जिस को समाअत मुलतवी रखी गई हो, यह मालूम हो कि रिस्पांडन्ट के नाम इत्तलानामा इस वजह से नहीं जारी किया गया, कि अपीलांट ने अदालत से मुकर्रर की हुई मियाद के अन्दर इत्तलानामा जारी होने का खरचा दाखिल नहीं किया तो अदालत यह हुक्म देगी कि अपील खारिज हो

मगर शर्त यह है कि बावजूद इस के कि इत्तलानामा रिस्पांडन्ट पर तामील न हुआ हो, ऐसा हुक्म उस सूरत में न दिया जायगा, कि समाअत अपील के लिये मुकर्रर किये हुए दिन पर रिस्पांडन्ट समाअत के वक्त हाजिर हो

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५५७ से कायम किया गया है

इस कायदे के रूसे अपील खारिज करने के पहिले अदालत को एक मियाद वास्ते अदाई फीस हुक्मनामा मुकर्रर करना चाहिये (३ बंगाल ला. रि. अपेनडिक्स २५).

उस अपील का जो अदम पैरवी में खारिज हुई हो फिर से कबूल होना

१९ अगर कायदा ११ के शिकमी कायदा (२) या कायदा १७ या १८ के बमूजिब अपील डिसमिस हो, तो अपीलांट फिर से अपील के कबूल होने के लिये अदालत अपील में दरखास्त दे—और अगर साबित हो, कि जब अपील वास्ते समाअत के पेश हुई थी, उस वक्त वह हाजिर होने, या जो खर्चा ऊपर लिखे मुताबिक तलब था उस के दाखिल करने से जायज वजह से मजबूर था, तो अदालत मजकूर फिर से अपील को खर्चा या दीगर शर्तों के साथ जो वह मुनासिब समझे कबूल करने का हुक्म दे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५५८ से कायम किया गया है.

तारीख खारजी से एक महीना के अन्दर दरखास्त दी जाना चाहिये (देखो मद १६८ जमीमा २ एक्ट मियाद सन १८७७ ई०)

वकील जो फिर से अपील मन्जूर होने के लिये दरखास्त पेश करे उस को दूसरा वकालतनामा पेश करने की जरूरत नहीं है (इ. ला रि. अलाहाबाद जि० १५ सफा ५४).

जब अपील एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल करदी गई और वकील ने मुन्तकिल होने की इत्तला अपीलांट को न दी तो यह वजह काफी है (८ कलकत्ता ला. रि. सफा ३५०).

फिर से अपील कबूल कर लेने के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती (इ. ला. रि. २४ अलाहाबाद सफा ४६४).

अख्तयार मुलतवी करने समाअत का और यह हुक्म देने का कि जो शख्स अपील के नतीजे से गरज रखता हो रिस्पाडन्ट बनाया जावे

२० अगर अपील की समाअत के वक्त अदालत को यह मालूम हो कि कोई शख्स जो उस अदालत में फरीक मुकदमा था, जिस की डिकरी की नाराजी से अपील हुई है, लेकिन उस अपील में फरीक नहीं किया गया है और वह अपील के नतीजे में कुछ गरज रखता है तो अदालत अपील की समाअत एक आने वाली तारीख पर, मुलतवी रखे, जो अदालत की राय में मुकर्रर होगी, और शख्स मजकूर के रिस्पाडन्ट किये जाने का हुक्म दे

तशरीह:—यह कायदा [illegible] ने एक्ट [illegible] दफा ५५९ में कायम किया गया है

इस कायदे के रू से जो अखत्यारात अदालत को दिये गये हैं उन में एक्ट मियाद के अहकामात के रू से किसी किस्म की रुकावट नहीं होती है (इ. ला रि. ३३ कलकत्ता सफा ३२६).

कोई फरीक जब उसके ऊपर अपील नहीं की गई रिस्पाडन्ट किया जा सकता है (इ ला रि २६ कलकत्ता सफा ११२).

दुबारा सुनाई अपील की ऊपर दरख्वास्त रिस्पाडन्ट के जिस के खिलाफ अपील एकतरफा सुनी गई हो

२१ जब अपील एकतरफा सुनी जाय और फैसला रिस्पाडन्ट के खिलाफ सादिर किया जाय तो वह अदालत अपील में फिर से अपील की सुनाई किये जाने की दरख्वास्त कर सकता है, और अगर वह अदालत को इतमीनान न करदे कि इत्तलानामा उस पर जाब्ता के मुवाफिक तामील नहीं हुआ था या कि वह काफी वजह से अपील को सुनाई के वक्त अदालत में हाजिर होने से मजबूर था, तो अदालत अपील की अजसरे नौ समाअत ऐसी शर्त पर करे जो निसबत दिलाने या न दिलाने खरचा के रिस्पाडन्ट पर आयद करनी उस के दानिस्त में मुनासिब मालूम हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५६० से कायम किया गया है.

यह कायदा हर वक्त अमल रखेगा चाहे रिस्पाडन्ट के तर्फ से कोई शख्स हाजिर आया हो, या नहीं (११ कलकत्ता ला. रि सफा १६४)

दरख्वास्त देते वक्त सायल को चाहिये कि अदालत को इस बात का इतमीनान कराने के लिये तैयार रहे कि नोटिस उस पर बाजाब्ता तामील नहीं हुआ था यह कि वह किसी काफी वजह से हाजिर आने से रोका गया (इ. ला. रि कलकत्ता जि० ६ सफा ५४८).

वकील के मोहर्रिर का रिस्पाडन्ट को तारीख पेशी की इत्तला न देना काफी वजह है (२ कलकत्ता वीकली नोट सफा ४१४)

यह अमर कि किसी फरीक के वकील ने जब उस पर तामील नोटिस की की गई उस को लेने से इनकार किया काफी वजह नहीं है (इलाहाबाद वीकली नोट सन १९०५ सफा ४४).

कोई रिस्पाडन्ट जिस ने दुबारा सुनाई अपील के हुक्म नामनजूरी से अपील

१९ अगर कायदा ११ के शिक़मी कायदा (२) या कायदा १७ या १८ के बमूजिब अपील डिसमिस हो, तो अपीलांट फिर से अपील के कबूल होने के लिये अदालत अपील में दरखास्त दे—और अगर साबित हो, कि जब अपील वास्ते समाअत के पेश हुई थी, उस वक्त वह हाजिर होने, या जो खर्चा ऊपर लिखे मुताबिक तलब था उस के दाखिल करने से जायज वजह से मजबूर था, तो अदालत मजकूर फिर से अपील को खर्चा या दीगर शरतों के साथ जो वह मुनासिब समझे कबूल करने का हुक्म दे

उस अपील का जो अदम पैरवी में खारिज हुई हो फिर से कबूल होना

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५५८ से कायम किया गया है.

तारीख खारजी से एक महीना के अन्दर दरखास्त दी जाना चाहिये (देखो मद १६८ जमीमा २ एक्ट मियाद सन १८७७ ई०)

वकील जो फिर से अपील मन्जूर होने के लिये दरखास्त पेश करे उस को दूसरा वकालतनामा पेश करने की जरूरत नहीं है (इ ला रि. अलाहाबाद जि० १५ सफा ५४).

जब अपील एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल करदी गई और वकील ने मुन्तकिल होने की इत्तला अपीलांट को न दी तो यह वजह काफी है (८ कलकत्ता ला रि. सफा ३५०).

फिर से अपील कबूल कर लेने के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती (इ. ला. रि. २४ अलाहाबाद सफा ४६४).

२० अगर अपील की समाअत के वक्त अदालत को यह मालूम हो कि कोई शख्स जो उस अदालत में फरीक मुकदमा था, जिस की डिकरी की नाराजी से अपील हुई है, लेकिन उस अपील में फरीक नहीं किया गया है और वह अपील के नतीजे में कुछ गरज रखता है तो अदालत अपील की समाअत एक आने वाली तारीख पर, मुल्तवी रखे, जो अदालत की राय में मुकर्रर होगी, और शख्स मजकूर के रिस्पांडन्ट किये जाने का हुक्म दे

अख्त्यार मुल्तवी करने समाअत का और यह हुक्म देने का कि जो शख्स अपील के नतीजे से गरज रखता हो रिस्पांडन्ट बनाया जावे

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५५९ से कायम किया गया है

अपील के उजरात की सुनाई करना लाजिम है (इ. ला. रि. मदरास जिल्द २१ सफा ३९२).

अदालत अपील को यह मजाज है, कि रिस्पाडन्टों में से किसी एक के तरफ से पेश किये हुये उजरात पर गार कर चाहे वे खिलाफ अपीलान्ट हों या दूसरे रिस्पाडन्ट के खिलाफ हो, और अदालत उनके मुकाबेले की डिकरी को तरमीम कर सक्ता है [इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २८ सफा ९५].

रिस्पाडन्ट उस अमर पर उजरात कर सक्ता है जो उस के और अपीलाट के दरमियान झगड़ा तलब नहीं है बल्कि जो उस के और दूसरे रिस्पाडन्ट के दरमियान है (इ. ला. रि. मदरास जिल्द ७ सफा २१५)

अदालत अपील के तरफ से मुकदमा का दुबारा तजवीज के लिये वापिस भेजा जाना

२३ अगर उस अदालत ने जिस की डिकरी के नाराजी से अपील दायर हुई हो नालिश को किसी सरसरी अमर पर फैसला किया हो, और डिकरी अपील में मनसूख हो तो अदालत अपील अगर मुनासिब समझे मुकदमे की वापसी का हुक्म सादिर करे, और यह भी हुक्म दे कि कौन कौन अमर तनकीह तलब की तजवीज, मुकदमा वापिस किये हुये में, तजवीज की जायगी, और एक नकल अपनी तजवीज और हुक्म की उस अदालत में कि जिस की डिकरी की नाराजी से अपील हुई हो, इस हिदायत के साथ भेजे कि वह मुकदमे को नम्बर साबिक रजिस्टर नालशात दीवानी में कायम करे, और उस के तसफीया की कार्रवाई में मसरूफ हो—और अगर कोई शहादत मुकदमा की पहली तजवीज में लिखी गई हो तो वह शहादत कुल जायज मुसतसनात की रियाअत से बाद वापसी जो तजवीज की जायगी उस में समझी जायगी

तशरीह॰- यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५६२ से कायम किया गया है

अदालत अपील को मजाज है कि किसी मुकदमा को तजवीज सानी के वास्ते भेजे जब अदालत इब्तदाई ने कुल तनकीहात पर शहादत लिखी हो और मुकदमे का फैसला गलती से या सिर्फ किसी खास अमर पर कर दिया हो [इ. ला. रि. १६ मदरास सफा २०७]

जब अदालत इब्तदाई ने नकल किसी दस्तावेज की जिसका असल गुम हो गया है शहादत में बिला सबूत मन्जूर करली तो अदालत अपील फैसले को मन्सूख

नहीं की है अदालत अपील की डिकरी के नाराजी से अपील दोयम कर सकता है (इ. ला रि. अलाहाबाद जि० २ सफा ५६७).

अपील की समाअत के वक्त रिस्पाडन्ट डिकरी के निसबत उसी तरह उजर कर सकता है कि गोया उस ने एक अलेहदा अपील दायर किया

२२ (१) कोई रिस्पाडन्ट ने गो डिकरी के किसी हिस्से की नाराजी से अपील न किया हो, ताहम वह जब अपील की समाअत हो तो वह सिर्फ डिकरी के किसी उजर पर मिनजुमला उन उजरात के जिन की निसबत अदालत मातहत ने तजवीज उस के खिलाफ की हो ताईद ही न करे, बलाके डिकरी के निसबत वह उजर जो कि बतौर अपील कर सकता था, पेश करे मगर शर्त यह है कि उस ने उजरदारी अदालत अपील में उस तारीख से एक महीना के अन्दर जब उस पर या उस के वकील पर इतलानामा पेशी अपील के दिन की तामील हुई हो या किसी मजीद मियाद के अन्दर जैसा कि अदालत अपील मुनासिब खियाल करे, पेश कर दी हो

उजरदारी किस नमूने पर होंगी और उस से कौन अहकाम मुतालुक होंगे

(२) वह उजरदारी मुताबिक नमूना याददास्त अपील के होगी और कायदा १ के अहकाम जहा तक कि वह याददास्त अपील के नमूने और मजमून से मुताल्लुक हैं उस उजर से भी मुताल्लुक होंगे

(३) अगर रिस्पाडन्ट उजरदारी के साथ एक तहरीरी इकरार अपीलांट या उस के वकील को निसबत इस के कि उजरदारी मजकूर की एक नकल उस को पहुंच गई न दाखिल करे तो अदालत अपील एक नकल बाद दाखिल होने उजरदारी के जिस कदर जल्द मुमकिन हो अपीलांट या उस के वकील पर रिस्पाडन्ट के खर्चे से तामील करवायगी

(४) अगर किसी सूरत में जिस मे किसी रिस्पाडन्ट ने इस कायदे के बमूजिब एक इतला उजरदारी की दाखिल की हो मगर असल अपील उठा ली गई हो तो उजरदारी मजकूर फरीक सानी के वह इतला देने के बाद जो अदालत के नजदीक मुनासिब हो सुनी जा सकी है और फैसला पा सकी है—

(५) इस मजमूआ के अहकाम जो अपील मुफलसी से मुताल्लुक हैं जहां तक कि मुताल्लुक हो सके इस कायदे के बमूजिब की उजरदारी से भी मुताल्लुक होंगे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५६१ से कायम किया गया है सिकमी कायदा (४) नया है

गो अपील किसी इब्तदाई अमर पर फैसला की जाय ताहम अदालत को

अपील अगर जरूरत हो, अमर तनकीह तलब वास्ते तजवीज के कायम करके उन को उस अदालत में तजवीज के लिये भेजे जिस की डिकरी की नाराजी से अपील हुई हो, और ऐसी सूरत में उस अदालत को जियादा शहादत लेने की हिदायत करे

और अदालत मजकूर अमर तनकीह तलब की तजवीज करेगी, और उन के निसबत अपनी तजवीज में वजूहात और शहादत मजकूर के अदालत अपील में भेज देगी

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५६६ से कायम किया गया है.

कोई अमर जो अरजीदावा और पिलिडिंग से मालूम नहीं होता है या जिस के निसबत किसी और तरह पर अदालत मातहत में उजर नहीं किया गया तो उस के बाबत तनकीह नहीं निकाली जाना चाहिये (२१ बीकली रिपोर्ट सफा १६८)

अदालत अपील उस अमर पर तनकीह निकाल सक्ती है, जिस के निसबत मुद्दायलेह के बयान में जिकर नहीं किया गया (इं ला. रि अलाहाबाद जिल्द १४ सफा ३६६ प्रीवी कौंसिल)

जब किसी मुकदमा में जुज दावी की डिकरी हुई और मुद्दई अपील न करे, न याददाश्त उजर पेश करे तो वह कार्रवाई तजवीज सानी में उस से जियादा नहीं पा सक्ता है जो कि पहले अदालत से पाया था (इं. ला रि कलकत्ता जिल्द २४ सफा १९६).

तनकीहात तजवीज के लिये भेजे जाने के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती (इं ला. रि. कलकत्ता जिल्द ८ सफा १४७)

हुक्म की तजवीज सानी हो सक्ती है (१३ कलकत्ता ला रिपोर्ट सफा २५४).

२६ (१) ऐसी तजवीज और शहादत मिसल मुकदमा में शामिल की जायगी, और फरीकैन में से हरएक अन्दर उस मियाद के जो कि अदालत अपील ने मुकर्रर की हो निसबत ऐसी किसी तजवीज के एक याददाश्त उजरात की पेश करे

तजवीज और शहादत शामिल मिसल होगी—उजरात निसबत तजवीज

(२) उस मियाद के गुजरने के बाद जो ऐसी याददाश्त के दाखिल करने के लिये मुकर्रर हो, अदालत अपील तजवीज

फैसला अपील

कर के मुकदमा तजवीज सानी को वापिस नहीं कर सक्ती (५ मद्रास ला, जरनल रिपोर्ट सफा ८२).

जब मुकदमा अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया तो हुक्म खारजी से अपील नहीं हो सक्ती—और अपील की गई तो अदालत अपील मुकदमे को तजवीज सानी के लिये उस को वापिस नहीं कर सक्ती (इ ला रि कलकत्ता जिल्द २९ सफा ६०)

अदालत अपील दूसरे बार मुकदमा को तजवीज सानी के लिये नहीं भेज सक्ती (३ मदरास हाई कोर्ट रिपोर्ट सफा ३१३)

तजवीज सानी को मुकदमा आने के बाद अदालत को एक मुनासिब तारीख वास्ते हाजरी फरीकैन वो चलाने मुकदमा के मुकर्रर करना चाहिये (१४ वीकली रिपोर्ट सफा ४०१). और अगर फरीकैन हाजिर न हो तो मुकदमा खारिज किया जा सक्ता है (१७ वीकली रिपोर्ट सफा ७०).

अगर शहादत मौजूदा मिसल काफी हो तो अदालत अपील मुकदमे के निसबत तजवीज कतई सादिर कर सक्ती है

२४ जब कि शहादत मौजूद मिसल इस बात के वास्ते काफी हो कि अदालत अपील फैसला सादिर कर सके, तो अदालत अपील बाद फिर से करार देने अगर तनकीह के, अगर जरूरी हो मुकद्मे के निसबत तजवीज कतई सादिर कर सक्ती है, बावजूद कि फैसला उस अदालत का जिस की नाराजी से अपील हुई है, बिलकुल किसी और बिना पर, सिवाय उस के जिस पर के अदालत अपील ने फैसला किया हो, कायम हो

तशरीह:— यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५६४ से कायम किया गया है.

इस कायदे के रू से अदालत अपील को कोई ऐसा इस्तेहकाक एक फरीक के हक में करार देने का अख्त्यार नहीं है, जिस के बाबत कोई तनकीह नहीं कायम की गई और वह हक अदालत मातहत में नहीं बयान किया गया है. (इ. ला रि १२ कलकत्ता सफा २३९ प्रीवी कौंसिल).

अदालत अपील अमर तनकीह तलब कब करार दे सक्ती है और उन को तजवीज के वास्ते उस अदालत में भेज सक्ती जिस की डिकरी के नाराजी से अपील हुई हो

२५ अगर उस अदालत ने जिस की डिकरी के नाराजी से अपील हुई हो, किसी ऐसे अमर की तनकीह तलब करार न दिया हो, या उसका तसफिया न किया हो या किसी ऐसे अमर वाकेआ की तजवीज न की हो, जो अदालत अपील के नजदीक वास्ते सादिर करने फैसला मुनासिब निसबत रूयदाद मुकद्मा के जरूरी हो, तो अदालत

गया. (इं ला रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ३३६).

२८ जब जायद शहादत लेने की इजाजत हो तो अदालत अपील खुद ऐसी शहादत ले, या उस अदालत को जिस की डिकरी से अपील हुई हो, या किसी और अदालत मातहत को हुक्म दे, कि वह उस शहादत को ले, और जब ली जाय तो अदालत अपील में भेजदे

शहादत मजीद लेने का तरीका

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५६९ से कायम किया गया है

२९ अगर हुक्म या इजाजत वास्ते लेने जदीद शहादत के दी जाय तो अदालत अपील अमर शहादत तलब की तशरीह करेगी और उन अमूरात की तशरीह को अदालत अपनी कार्रवाई में लिखेगी

अमूरात की तारीफ और उस का तहरीर किया जाना

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५७० से कायम किया गया है

तजवीज अपील.

३० अदालत अपील बाद सुनने उजरात फरीकैन या उन के वकील के, और मुलाहिजा किसी हिस्सा कार्रवाई के, जो कि अपील की अदालत में या उस अदालत में हुई हो, जिस की डिकरी की अपील की गई है और जिस का मुलाहिजा जरूरी हो अपनी तजवीज खुले अदालत में उसी वक्त या किसी तारीख को जिस की इत्तला फरीकैन या उन के वकील को दी जायगी, सुनाये

तजवीज किस वक्त और किस मुकाम पर सुनाई जायगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५७१ से कायम किया गया है

इस कायदे से अदालत को अखत्यार है कि फैसला बाद सुनने फरीकैन के सादिर करे, और फैसला जो बगैर सुनने फरीकैन के सुनाया जाये तो वह खिलाफ अहकामात इस मजमूआ के है—जब सुनाई के वक्त अपीलान्ट मर जाये तो उन के कायम मुकाम जायज सुने जाने की दरख्वास्त कर सके हैं (इं ला रि २६ बम्बई सफा ३१७)

अपील के लिये कार्रवाई करे

तशरीह:--यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५६७ से कायम किया गया है.

अदालत अपील पर यह फर्ज नहीं है कि जब तजवीज पर कोई एतराज नहीं किया गया तो उस को मनजूर कर लेवें (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द २ सफा ६०८).

उजर जो अदालत अपील में होना चाहिये था मगर जो नहीं किया गया, तो उस के बारे में अव्वल मरतबा अपील दोयम में कुछ सुनाई नहीं होगी (इ ला. रि. १० अलाहाबाद सफा २८).

अदालत अपील में मजीद शहादत पेश करना

२७ (१) अपील के फरीकैन अपील में शहादत चाहे वह जबानी हो या दस्तावेज पेश करने के मुस्तहक नहीं है लेकिन अगर,—

(क) उस अदालत ने जिस की डिकरी की नाराजी से अपील हुई है, ऐसी शहादत लेने से इनकार किया हो, जो लेनी चाहिये थी—या

(ख) अगर अदालत अपील वास्ते सादिर करने फैसला या किसी और जरूरी वजह से किसी दस्तावेज का पेश होना, या किसी गवाह का इजहार लिया जाना जरूरी समझे

तो अदालत अपील ऐसी शहादत पेश करने या दस्तावेज लिये जाने या गवाह के इजहार लिये जाने की इजाजत दे

(२) जब शहादत मजीद को अदालत अपील मनजूर करले, तो अदालत उस के मनजूरी की वजह लिखेगी

तशरीह·—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५६८ से कायम किया गया है

इस कायदे के रूसे जो अख्तयारात दिये गये हैं वह बहुत होशियारी वो एहतयात के साथ अमल में लाया जाना चाहिये. (११ मुर्स इनडियन अपील सफा २६ वो ३४५)

जब अदालत इब्तदाई में किसी सफाई के गवाह का इजहार लेना गैर जरूरी समझा गया तो यह समझना चाहिये कि उस का इजहार लेने से इनकार किया

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५८० से कायम किया गया है

डिकरी अपील की तसदीक की हुई नकलें उस अदालत में भेजी जायगी जिस का डिकरी की नाराजी से अपील हुई हो

३७ नकल तजवीज और डिकरी की बाद तसदीक अदालत अपील या ऐसे ओहदेदार के जिस को अदालत अपील इस काम के लिये मुकर्रर करे उस अदालत में भेजी जायगी जहां से पहले डिकरी निसबत उस मुकदमे के सादिर हुई हो, जिसकी अपील हुई है, और कागजात असल मुकदमा के साथ शामिल किये जायगें, और फैसला अदालत अपील का मुकदमात दीवानी के रजिस्टर में दरज किया जायगा

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५८१ से कायम किया गया है

३४ जब अपील की समाअत एक से जियादा जजों के जलसे म हो तो

इख्तलाफ राय तहरीर की जायगी

वह जज जो अदालत की तजवीज पर इत्तफाक न करे, तो तजवीज या हुक्म जो उस के राय में अपील म सादिर होना चाहिये लिखगा, और मजाज होगा कि उस की वजूहात लिखे

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५७६ से कायम किया गया है,

डिकरी अपील:—

३५ (१) अदालत अपील की डिकरी में तारीख सुनाय जाने तजवीज की लिखी जायगी

तारीख और मजमून डिकरी

(२) डिकरी में अपील का नम्बर और नाम निशान वगैरा अपीलांट और रिस्पाडन्ट का दर्ज होगा, और उस में जिक्र दादरसी या दीगर तजवीज का जो अपील से हुई हो, साफ तौर से लिखा जायगा.

(३) और डिकरी में जिक्र तादाद खर्चा अपील और यह कि किसी फरीक के जिम्मे और किस जायदाद से और किस हिसाब से खर्चा अपील और खर्चा नालिश का आयद होना चाहिये, दर्ज होगा

(४) डिकरी पर जज या साहेबान जज डिकरी सादिर करने वाले के दस्तखत होंगे, और तारीख दर्ज होगी

मगर शर्त यह है की अगर कई जज हों और उन में राय की इख्तलाफी हो तो उस जज को जो तजवीज अदालत से इख्तलाफ करे डिकरी पर दस्तखत करना जरूर नहीं है

जज जो तजवीज से इख्तलाफ करे उस के दस्तखत डिकरी पर जरूर नहीं है

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५७९ से कायम किया गया है

जिस तारीख को फैसला सुनाया गया वही तारीख डिकरी की है (इ ला. रि. १२ अलाहाबाद सफा ७९)

३६ तजवीज और डिकरी अपील की तसदीक की हुई नकलें फरीकैन की तरफ से अदालत अपील में दरख्वास्त गुजरने पर उन के खर्च से उन को दी जायगी

फरीकन को तजवीज और डिकरी की नकल मिल सकगी

आर्डर—४३.

अपील बनाराजगी अहकाम.

अपील बनाराजगी अहकाम

१ दफा १०४ में लिखे हुये हुक्मों के बमूजिब नीचे लिखे हुये हुक्मों के नाराजी से अपील हुआ करेगी

(क) अहकाम बमूजिब कायदा १० आर्डर ७ निसबत वापसी अरजी दावा वास्ते पेश किये जाने अदालत मजाज के

(ख) अहकाम बमूजिब कायदा १० आर्डर ८ निसबत सुनाने फसला खिलाफ किसी फरीक के

(ग) अहकाम बमूजिब कायदा ९ आर्डर ९ निसबत ना मन्जूरी दरखास्त [मुकद्दमात काबिल अपील में] वास्ते हुक्म मनसूखी खारजी मुकदमा

(घ) अहकाम बमूजिब कायदा १३ आर्डर नम्बर ९ ना मनजूरी दरखास्त [मुकद्दमात काबिल अपील में] वास्ते हुक्म मनसूखी डिकरी जो एकतरफा सादिर हुई हो

(ङ) अहकाम बमूजिब कायदा ४ आर्डर १० निसबत सुनाने फैसला खिलाफ किसी फरीक के

(च) अहकाम बमूजिब कायदा २१ आर्डर ११

(छ) अहकाम बमूजिब कायदा १० आर्डर १६ निसबत कुरकी जायदाद

(ज) अहकाम बमूजिब कायदा २० आर्डर १६ निसबत सुनाने फैसला खिलाफ किसी फरीक के

(झ) अहकाम बमूजिब कायदा ३४ आर्डर २१ मुताल्लुके एतराज निसबत लिखने मसौदा दस्तावेज या इबारत जोहरी के

(ञ) अहकाम बमूजिब कायदा ७२ या कायदा ९२ आर्डर २१ निसबत मनसूखी या इन्कार मनसूखी नीलाम

(ट) अहकाम बमूजिब कायदा ९ आर्डर २२ निसबत इन्कार मनसूखी

आर्डर-४२.

अपील बनाराजगी डिकरी अपील.

१ आर्डर ४१ के कायदे अपील बनाराजगी डिकरी अपील से
जाब्ता मुताल्लुक होंगे

तशरीह:—यह कायदा नया है—(देखो दफा १०८)—

यह दूसरी अपीलें कहलाती हैं

जिमन (क)—जब अदालत अपील से अरजीदावा वापिस किये जाने का हुक्म हो तो ऐसे हुक्म की अपील होसक्ती है. (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द २५ सफा १७४).

जिमन—(ख)—डिकरी एकतरफा के मनसूख करने के हुक्म से अपील नहीं होसक्ती है (इ ला. रि १६ कलकत्ता सफा ४२६)

जिमन—(ग)—इस जिमन में लिखे हुऐ हुक्म के नाराजी से अपील अव्वल होगी, मगर अपील दोयम नहीं हो सक्ती. (इ. ला रि. ११ मदरास सफा २६)

जिमन (घ)—उस हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती जिस से रिसीवर, जो दौरान मुकदमा में मुकर्रर किया जावे, और बाद को मुकदमा के राजीनामा हो जाने की वजह से वह अलेहदा कर दिया गया हो (अलाहाबाद वीकली नोट्स सन १९०३ सफा ६७).

जिमन (प)—यह जिमन दफा १०४ के आखरी फिकरे के साथ पढना चाहिये, और उस दफा के रूसे अपील में जो हुक्म वाहते वापिस भेजे जाने मुकद्दमा के है, उस से जिमन मजकूर लागू नहीं है (इ ला रि. मदरास जिल्द १९ सफा १९७–१९८)

मुकदमा वापिस किये जाने के हुक्म से अपील हो सक्ती है, गो उस अदालत ने जिस के पास मुकदमा वापिस भेजा गया है, कार्रवाई शुरू कर के आखीर डिकरी सादिर कर दी हो, अगर मुकदमा के वापसी का हुक्म बेजा तौर से सादिर किया गया हो तो डिकरी वो कुल कार्रवाई जो मुकद्दमा वापिस भेजे जाने के हुक्म के रूसे हुई, वह कुल नाजायज समझी जायगी [इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द १२ सफा ४५].

देखो दफा १०४.

ऊपर लिखे हुये अहकाम की नाराजगी से अपील की जाय, और अपील में जो हुक्म हो उसकी दूसरी अपील न होगी—[इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द २३ सफा ४७६].

साकित होने या डिसमिस होने किसी नालिश के

(ठ) अहकाम बमूजिब कायदा १० आर्डर २२ निसबत मन्जूरी या ना मन्जूरी देने इजाजत.

(ड) अहकाम बमूजिब कायदा ३ आर्डर २३ निसबत तहरीर या इन्कार तहरीर इकरारनामा, राजीनामा या अदाई

(ढ) अहकाम बमूजिब कायदा २ आर्डर २५ निसबत ना मन्जूरी दरखास्त (मुकदमात काबिल अपील में) निसबत सादिर होने हुक्म मनसूखी डिसमिसी मुकदमा

(ण) अहकाम बमूजिब कायदा ३ या कायदा ८ आर्डर ३४ निसबत इन्कार बढ़ाने मुद्दत अदाई जर रहन

) अहकामात बमुकदमे इन्टरपिलीडर बमूजिब कायदा ३ कायदा ४ या कायदा ६ आर्डर ३५

(थ) अहकाम बमूजिब कायदा २-३ या कायदा ६ आर्डर ३८

(द) अहकाम बमूजिब कायदा १ या कायदा २ या कायदा ४ या कायदा १० आर्डर ३९

(ध) अहकाम बमूजिब कायदा १ या कायदा ४ आर्डर ४०

( ) अहकाम निसबत इन्कार बमूजिब कायदा १९ आर्डर ४१ निसबत दुबारा मन्जूर होने या बमूजिब कायदा २१ आर्डर ४१ निसबत फिरसे सुनाई करने किसी अपील के

(प) अहकाम बमूजिब कायदा २३ आर्डर ४१ निसबत भेजने मुकदमा वास्ते तजवीज सानी के, अगर अपील डिकरी अदालत अपील की नाराजी से हो

(फ) अहकाम सादिर किया हुआ किसी अदालत का जो हाई कोर्ट नहीं है निसबत इन्कार देने सारटिफिकट बमूजिब कायदा ६ आर्डर ४५

(ब) अहकाम बमूजिब कायदा ४ आर्डर ४७ निसबत मन्जूरी दरखास्त तजवीज सानी

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५८८ से कायम किया गया है, जिनमें (ब) (ठ) (च) (ज) (ड) (ढ) (ण) (फ) वो (ब) नये हैं

जिमन (क)—जब अदालत अपील से अरजीदावा वापिस किये जाने का हुक्म हो तो ऐसे हुक्म की अपील होसक्ती है॰ (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द २५ सफा १७४)॰

जिमन—(घ)—डिकरी एकतरफा के मनसूख करने के हुक्म से अपील नहीं होसक्ती है (इ ला. रि १६ कलकत्ता सफा ४२६)

जिमन—(ञ)—इस जिमन में लिखे हुऐ हुक्म के नाराजी से अपील अव्वल होगी, मगर अपील दोयम नहीं हो सक्ती. (इ. ला रि. १६ मदरास सफा २६)

जिमन (ध)—उस हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती जिस से रिसीवर, जो दौरान मुकदमा में मुकर्रर किया जावे, और बाद को मुकदमा के राजीनामा हो जाने की वजह से वह अलेहदा कर दिया गया हो (अलाहाबाद वीकली नोट सन १९०३ सफा ६७).

जिमन (प)—यह जिमन दफा १०४ के आखरी फिकरे के साथ पढ़ना चाहिये, और उस दफा के रूसे अपील में जो हुक्म बाहे वापिस भेजे जाने मुकदमा के हो, उस से जिमन मजकूर लागू नहीं है (इ ला. रि. मदरास जिल्द १९ सफा १६७–१६८)

मुकदमा वापिस किये जाने के हुक्म से अपील हो सक्ती है, गो उस अदालत ने जिस के पास मुकदमा वापिस भेजा गया है, कार्रवाई शुरू कर के आखीर डिकरी सादिर कर दी हो, अगर मुकदमा के वापसी का हुक्म बेजा तौर से सादिर किया गया हो तो डिकरी वो कुल कार्रवाई जो मुकदमा वापिस भेजे जाने के हुक्म के रूसे हुई, वह कुल नाजायज समझी जायगी [इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द १२ सफा ४५].

देखो दफा १०४॰
ऊपर लिखे हुये अहकाम की नाराजगी से अपील की जाय, और अपील में जो हुक्म हो उसकी दूसरी अपील न होगी–[इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द २३ सफा ४७६]॰

२ आर्डर ४१ के कायदे जहांतक मुमकिन हो उन अपीलों से मुताल्लुक
जाब्ता होंगे जो हुक्मों की नाराजी से हों

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५९० से कायम किया गया है.

(देखो दफा १०८).

आर्डर-४४.

मुफलसी मे अपील.

१ जो शख्स अपील दायर करने का मुस्तहक हो, और याददाश्त अपील पर मुकर्रर किया हुआ रसूम न दे सका हो तो वह दरखास्त मै याददाश्त अपील पेश करे, और उस को अपील मुफलसी में करने की इजाजत, कुल अमर में वशमूल दरखास्त मजकूर के उन हुक्मों की पाबन्दी के साथ जो नालिश मुफलसी से ताल्लुक रखते हैं, जहा तक वह अहकाम उस से मुताल्लुक हो, दी जाय

कौन अपील मुफलसी मे दायर कर सका है

मगर शर्त यह है कि दरखास्त मुफलसी और तजवीज और डिकरी जिस के नाराजी से अपील हुई है, उस के मुलाहजे के वक्त अगर अदालत को किसी वजह से यकीन इस बात का न हो कि डिकरी खिलाफ कानून सादिर हुई है या किसी ऐसे रिवाज के खिलाफ है जो कानून का हुक्म रखता है, या और तरह पर गलत या खिलाफ इनसाफ है तो अदालत दरखास्त को नामनजूर करे

कार्रवाइ जब दरख्वास्त वास्ते दाखिल होने अपील के गुजरे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५९२ से कायम किया गया है—

दरखास्त सायल को असालतन पेश करना चाहिये (इ. ला रि. मदरास जिल्द ८ सफा ५०४) ऐसी दरखास्त दफा ५ एक्ट मियाद में इस्तेमाल किये हुये लफ्ज के मुताबिक अपील न समझी जायगी (इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ३० सफा ७६०)

अदालत को अखत्यार है कि मुफलिस अपीलांट से जमानत खर्चा की तलब करे मगर ऐसा हुक्म सिवाय खास सूरतों के नहीं दिया जायगा (१७ मदरास ला जरनल रिपोर्ट सफा ५८३)

२ सायल के मुफलसी की तहकीकात अदालत अपील खुद करे, या अदालत अपील के हुक्म से वह अदालत करे, जिस की तजवीज की नाराजी से अपील हुई हो

तहकीकात मुफलसी

२ आर्डर ४१ के कायदे जहातक मुमकिन हो उन अपीलों से मुताल्लुक
जाब्ता होंगे जो हुक्मों की नाराजी से हों

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५९० से कायम किया गया है.

(देखो दफा १०८).

आर्डर-४५.

अपील बहजूर आला-हजरत मलिक-मोअज्जम बइजलास कौंसिल.

तारीफ डिकरी

१ इस आर्डर में लफ्ज "डिकरी" में हुक्म कतई भी दाखिल है ताव़क्ते कि उस के किसी मजमून या इबारत से उस के खिलाफ पाया न जाय

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५९४ से कायम किया गया है.

दरख्वास्त उसी अदालत में दी जाय जिसकी डिकरी के नाराजी से अपील करना है

२ जो शख्स बहजूर-आला-हजरत-मलिक-मोअज्जम बइजलास कौंसिल के अपील करना चाहे, तो वह जिस अदालत की डिकरी की अपील करे, उस में दरख्वास्त पेश करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५९८ से कायम किया गया है

(देखो दफा १०९)

सार्टिफिकट निसबत कीमत वो होने लायक अपील के

३ (१) हर दरख्वास्त में वजहात अपील, और यह दरख्वास्त दरज होनी चाहिये, कि सार्टिफिकट इस मजमून का दिया जाय, कि मुकद्दमा तादाद मालियत, और किस्म के लिहाज से दफा ११० में दरज किये हुये शरतों के साथ, या और तरह से लायक इस के है, कि उस की अपील बहजूर-आला-हजरत-मलिक मोअज्जम बइजलास कौंसिल में हो

(२) जब ऐसी दरख्वास्त पहुचे तो अदालत फरीक सानी पर, इत्तलानामे की तामील होने का हुक्म इस मतलब से दे कि वह फरीक सार्टिफिकट के न दिये जाने की अगर कोई वजह रखता है, तो पेश करे

मगर शर्त यह है कि अगर सायल को उस अदालत में जिस की डिकरी की नाराजी से अपील हो, नालिश या अपील मुफलसी की इजाजत हुई थी, तो उस की मुफलसी की बाबत फिर तहकीकात करने की जरूरत न होगी, तावक्ते कि अदालत अपील को कोई वजह खास तहकीकात की हिदायत करने की नजर न आय

तशरीह:—यह कायदा पुरान एक्ट की दफा ५६३ से कायम किया गया है

इस कायदे के रूसे जो खरचा दिलाया जाने वह इजराय डिकरी में वसूल हो सक्ता है (११ कलकत्ता वीक्ली नोट सफा ८५६)

सारटीफिकट मिलने पर जमानत और रुपया दाखिल करना

७ [१] सारटीफिकट मिलने की सूरत में सायल उस डिकरी की तारीख से जिस की अपील हो, छे महीने के अन्दर या सारटीफिकट मिलने की तारीख से छे हफ्ता के अन्दर याने इन दोनों मियादों में से जो पीछे गुजरे उस के अन्दर

(क) रिस्पाडन्ट के खरचे की जमानत दाखिल करे—और

(ख) उस कदर रुपया दाखिल करे जो कि सिवाय नीचे लिखे कागजात के मुकद्में की कुल मिसल के तरजुमा और नकल और तरतीब फेहरिस्त और बहुजूर आला हजरत मलिक मोअज्जम बइजलास कौंसिल एक सही नकल के भेजने के खरचे के वास्ते, जरूरी हो, सिवाय,

(१) जाब्ते के कागजात जिन के खारिज करने की हिदायत किसी हुक्म के जरिये से जो उस वक्त जारी हो और आला हजरत-मलिक मोअज्जम बइजलास कौंसिल के सादिर की गई हो

(२) कागजात जिन के खारिज करने के लिये फरीकेन राजी हों

(३) हिसाब या हिसाबों के हिस्से जिन को वह ओहदेदार जिसे अदालत ने इस के बाबत अख्त्यार दिया हो गैर जरूरी तसव्वर करे और जिन के शामिल करने के लिये फरीक मुकदमा ने खास कर दरख्वास्त न की हो—और

(४) वह दूसरे कागजात जिन के खारिज करने का अदालत हाई कोर्ट हुक्म दे—

[२] अगर सायल मिसल की नकल सिवाय उन कागजात के जिन का जिकर ऊपर किया गया है हिन्दुस्तान में छपवाना पसन्द करे तो उसी मियाद के अन्दर जो इस कायदे के जिमन (१) में दर्ज है ऐसे नकल छापने के खरचे के लिये जितना रूपया दरकार हो दाखिल करे

तशरीह--यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६०२ में कायम किया गया है.

जमानत दाखिले करने की मोहलत बढ़ाई जा सकती है (इं ला रि

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६०० से कायम किया गया है.

दरखास्त में साफ लिखना चाहिये कि कौनसा कानूनी अमर है (१२ बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट सफा १६)

अगर इजाजत एकतरफा दी गई है तो रिस्पांडेंट अपील के खारिज होने की दरखास्त कर सक्ता है (६ मुर्स इंडियन अपील सफा २०७) या उस हुक्म की तजवीज सानी हो सक्ती है (इं ला रि. १६ कलकत्ता सफा २९२).

४ वह नालिशात जिन में अगर तसफिया तलब दरअसल एक ही हो, और उन का फैसला एक ही तजवीज से हुआ हो वास्ते मुकर्ररी मालियत शामिल किये जा सक्ते हैं, लेकिन वह नालिशात जिन के निसबत अलहदा २ फैसले सादिर हुये हों, वह नहीं शामिल किये जा सक्ते हैं, गो उन में अगर तसफीया तलब एक ही रहे हों

मुकद्दमात का शामिल किया जाना

तशरीह—यह कायदा नया है

५ अगर झगड़ा दरमियान फरीकैन निसबत तादाद या मालियत शै मुतदाविया नालिश अदालत इब्तदाई में रहा हो, या निसबत तादाद या मालियत शै मुतदाविया बाबत अपील बहुजूर आला हजरत मलिक मोअज्जम बइजलास कौंसिल उस अदालत में हो, जहां दरखास्त कायदा २ के बमूजिब वास्ते मिलने सार्टिफिकट के दी जाये, तो अदालत अगर मुनासिब समझे तो ऐसा झगड़ा वास्ते तहकीकात के अदालत इब्तदाई में भेजे—अदालत इब्तदाई तादाद या मालीयत का तसफिया करके, अपनी रपोर्ट में इजहार गवाहान उस अदालत में वापिस भेजेगी, जहां से इसतसवाब हुआ हो

झगडे का अदालत इब्तदाई में भेजा जाना

तशरीह — यह कायदा नया है

६ अगर ऐसे सार्टिफिकट के देने से इनकार किया जाय तो वह दरख्वास्त खारिज होगी

सार्टीफिकट न मिलने का असर

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६०१ से कायम कीया गया है.

वजूहात नामनजूरी के बयान किये जाना चाहिये (इं ला. री. मदरास जिल्द २९ सफा १९४)

गया है

११ अगर अपीलांट उस हुक्म की तामील में कुसूर करे, तो कार्रवाई
हुक्म की तामील न करने का असर वन्द कर दी जायगी

और बगैर इस के कि इस बाबत में हुक्म आला हजरत मलिक मोअज्जम व इजलास कौंसिल का सादिर हो, अपील की कार्रवाई आगे न चलेगी

और इस मुद्दत में इजरा उस डिकरी का जिस की अपील की गई है मुलतवी नहीं रहेगी

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६०६ से कायम किया गया है

जब अदम पैरवी में दरखास्त खारिज कर दी गई तो खर्चे का हुक्म दिया जा सक्ता है (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द २७ सफा १२४).

१२ अगर मिसल की नकल, सिवाय ऊपर लिखे कागजात के व हुजूर
फाजिल रुपया की वापसी आला हजरत-मलिक मोअज्जम व इजलास कौंसिल भेजी जा चुकी हो, और उस रुपया में से जोकि अपीलांट ने कायदा ७ के रूस दाखिल किया हो, (अगर कुछ रुपया फाजिल रहे) तो वह उस को वापिस पा सक्ता है

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६०७ से कायम किया गया है.

१३ (१) बावजूद इस के कि किसी अपील के मन्जूरी का सार्टिफिकट
अपील के दौरान में अदालत के अख्तयारात दिया गया हो, इजरा उस डिकरी का जिस की अपील हो बगैर किसी शर्त के अमल में आयगा, तावक्ते कि अदालत और तरह का हुक्म न दे

(२) अदालत अगर मुनासिब समझे, तो किसी खास वजह से जो किसी ऐसे फरीक की तरफ से जाहिर की जाय जो मुकदमा से तअल्लुक रखता हो, या जो और तरह से अदालत को मालूम हो उसे जायज है कि

[क] किसी जायदाद मुतनाजिया मनकूला या उस के हिस्से को जब्त रखे या,

[ख] रिस्पांडेंट से ऐसी जमानत लेकर जो कि अदालत के नजदीक वास्ते पूरी तामील उस हुक्म के मुनासिब हो जो कि आला हजरत मलिक-मोअज्जम व इजलास कौंसिल के हजूर से वसीगा अपील सादिर हो, उस डिकरी के इजरा की इजाजत दे, जिस

१४ मदरास सफा ३९१).

मोहलत बढ़ाने से इनकार किये जाने के हुक्म से अपील नहीं हो सकती (इ ला. रि. कलकत्ता जि० १८ सफा १८२).

८ अगर ऐसी जमानत या रूपया का दाखिल होना अदालत के इतमिनान के लायक हो चुके तो अदालत

अपील का मन्जूर होना और उस के मुताल्लुक कार्रवाई

[क] अपील को मन्जूर होना जाहिर करे—

[ख] उस की इत्तला रिस्पांडेंट को दे—

[ग] बहजूर आला हजरत मलिक-मोअज्जम बइजलास कौंसिल एक सही नकल मिसल मजकूर की, सिवाय ऊपर लिखे कागजात के अदालत मोहर से भेजे, और,

(घ) मुकद्दमे के किसी कागज की एक या कई तसदीक की हुई नकलें किसी फरीक को जो उस के लिये दरखास्त करे और मुनासिब खरचा जो उस के तैयारी में पड़े, देने पर दे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६०३ से कायम किया गया है.

९ अपील की मनजूरी से पहले किसी वक्त, अदालत को जायज है कि अगर वजह बतलाई जाय, तो ऐसे जमानत की मन्जूरी मनसूख करदे, और इस बात में मजीद हिदायत सादिर करे

जमानत के मनजूरी की मनसूखी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६०४ से कायम किया गया है.

१० अगर अपील की मनजूरी के बाद किसी वक्त, लेकिन मिसल की नकल सिवाय कागजात मजकूर के, बहजूर आला हजरत-मलिक-मोअज्जम बइजलास कौंसिल भेजने के पहिले, जमानत काफी न मालूम हो

अख्त्यार निसबत हुक्म बाबत मजीद जमानत या मजीद रूपया दाखिल करने का

या मिसल को सिवाय कागजात ऊपर लिखे हुये के, तरजुमा करने या नकल करने या छापने या उस की फेहरिस्त तरतीब करने, या उस की नकल भेजने के लिये जियादा रूपया दरकार हो,

तो अदालत अपीलांट के नाम यह हुक्म सादिर करेगी कि वह उस मियाद के अनदर जो कि अदालत मुकर्रर करे, दूसरी काफी जमानत दे, या उसी कदर मियाद के अनदर जर मतलूबा, दाखिल करे

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६०५ से कायम किया

गया है

११ अगर अपीलाट उस हुक्म की तामील में कुसूर करे, तो कार्रवाई
हुक्म की तामील न करने का असर बन्द कर दी जायगी

और बगैर इस के कि इस बाबत में हुक्म आला हजरत मलिक मोअज्जम व इजलास कौंसिल का सादिर हो, अपील की कार्रवाई आगे न चलेगी

और इस मुद्दत में इजरा उस डिकरी का जिस की अपील की गई है मुलतवी नहीं रहेगी

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६०६ में कायम किया गया है

जब अदम पैरवी में दरखास्त खारिज कर दी गई तो खर्चे का हुक्म दिया जा सक्ता है (इ ला रि बम्बई जिल्द २७ सफा १२४).

१२ अगर मिसल की नकल, सिवाय ऊपर लिखे कागजात के न हुजूर
फाजिल रुपया की वापसी आला हजरत-मलिक मोअज्जम व इजलास कौंसिल भेजी जा चुकी हो, और उस रुपया में से जोकि अपीलाट ने कायदा ७ के रूसे दाखिल किया हो, (अगर कुछ रुपया फाजिल रहे) तो वह उस को वापिस पा सक्ता है

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६०७ से कायम किया गया है.

१३ (१) बावजूद इस के कि किसी अपील के मन्जूरी का सार्टीफिकट
अपील के दौरान में अदालत के अख्तियारात दिया गया हो, इजरा उस डिकरी का जिस की अपील हो बगैर किसी शर्त के अमल में आयगा, तावक्ते कि अदालत और तरह का हुक्म न दे

(२) अदालत अगर मुनासिब समझे, तो किसी खास वजह से जो किसी ऐसे फरीक की तरफ से जाहिर की जाय जो मुकद्दमा से ताल्लुक रखता हो, या जो और तरह से अदालत को मालूम हो उसे जायज है कि

[क] किसी जायदाद मुतनाजिया मनकूला या उस के हिस्से को जब्त रखे या,

[ख] रिस्पांडेंट से ऐसी जमानत लेकर जो कि अदालत के नजदीक वास्ते पूरी तामील उस हुक्म के मुनासिब हो जो कि आला हजरत मलिक-मोअज्जम व इजलास कौंसिल के हजूर से बसीगा अपील सादिर हो, उस डिकरी के इजरा की इजाजत दे, जिस

की अपील हो--या,

[ग] अपीलांट से ऐसी जमानत लेकर जो कि अदालत के नजदीक वास्ते तामील दरअसल उस डिकरी के मुनासिब हो जिस की अपील हो, या वास्ते तामील उस हुक्म के जो कि आला हजरत मलिक-मोअज्जम बइजलास कौंसिल बसीगा अपील सादिर करें, उस डिकरी का इजरा मुलतवी रखे जिस की अपील हो–या,

[घ] जो फरीक के अदालत की मदद चाहे उस को शै मुतनाजिया अपील के निसबत ऐसी शरतों का पाबन्द करे, या निसबत शै मजकूर के ऐसी और हिदायत निसबत मुकर्रर रिसीवर या दीगर तरह का सादिर करे जो उस के नजदीक मुनासिब मालूम हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६०८ से कायम किया गया है

जब हाई कोर्ट अपील करने की इजाजत देने से इकार करे तो उस को इजराय डिकरी मुलतवी करने का अखत्यार नहीं है–और जब सायल प्रीवी कौंसिल में खास इजाजत अपील के लिये दरखास्त करे तो हाई कोर्ट डिकरी के इजरा को मुलतवी नहीं कर सक्ती–ऐसे मुकदमात में प्रीवी कौंसिल कार्रवाई मुलतवी करने का हुक्म दे सक्ती है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द २७ सफा १ प्रीवी कौंसिल).

प्रीवी कौंसिल इजराय डिकरी को मुलतवी करने का हुक्म नहीं दे सक्ती मगर अदालत मातहत को इजराय डिकरी के पहिले जमानत काफी लेने की हिदायत कर सक्ती है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा २६०–६५ प्रीवी कौंसिल).

जमानत अगर काफी न हो तो बढ़ाई जा सक्ती है

१४ (१) अगर दौरान अपील में किसी वक्त वह जमानत जो किसी फरीक ने दाखिल की हो गैर काफी मालूम हो तो अदालत दूसरे फरीक की दरखास्त पर, जमानत मजीद तलब करे

(२) जमानत मजीद जो अदालत तलब करे उस के न दाखिल होने की सूरत में

(क) अगर असल जमानत अपीलांट ने दाखिल की हो तो अदालत

को अखत्यार है, कि रिस्पाडन्ट की दरख्वास्त पर अपील की हुई डिकरी के इजरा का हुक्म उसी तरह सादिर करे की मानो अपीलान्ट ने कोई जमानत दाखिल नहीं की थी,

(ख) अगर असल जमानत रिस्पाडन्ट ने दाखिल की हो, तो अदालत जहा तक मुमकिन हो, डिकरी का कुल इजरा मजीद मुलतवी रखे, और फरीकैन को फिर उसी हालत पर छोड दे जो उस जमानत गेर काफी के देने के वक्त उन दोनों की थी, या निसबत है मुतनाजिया अपील के ऐसी हिदायत सादिर करे जो उस के दानिस्त में मुनासिब हो

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६०६ से कायम किया गया है

कार्रवाई मुताल्लुके इजराय उस अहकाम के जो आला हजरत मलिक-मोअज्जम बइजलास कौंसिल ने सादिर की हो

१५ (१) जो शख्स किसी हुक्म सादिर किया हुआ आला हजरत मलिक-मोअज्जम बइजलास कौंसिल का इजरा कराना चाहे, तो दरख्वास्त में नकल तसदीक की हुई उस डिकरी या हुक्म के जो कि अपील में सादिर हुआ हो और जिस का इजरा कराना मतलूब हो, उस अदालत में दे, जिस के हुक्म की नाराजी से अपील बहुजूर आला हजरत मलिक मोअज्जम पेश की गई हो

(२) वह अदालत हुक्म सादिर किया हुआ जनाब आला हजरत मलिक मोअज्जम बइजलास कौंसिल उस अदालत में भेज दे जिस ने पहले अपलि की हुई डिकरी सादिर की हो, या और किसी अदालत में भेजे जिसकी हिदायत आला हजरत मलिक मोअज्जम से बजरिये उसी हुक्म के हुई हो, और [फरीकेन में से किसी की दरख्वास्त पर] ऐसी हिदायत जो कि उस के इजरा के वास्ते जरूरी हो दे, और जिस अदालत में कि वह हुक्म इस तौर पर भेजा जाय वह उस का इजरा उसी के मुताबिक उस तरीके और उन शरतों के बमूजिब करे, जो कि उस की इब्तदाई डिकरियों के इजरा से मुताल्लुक है—

(३) जब किसी ऐसे हुक्म की रू से कोई नक्दी रूपया जिस के दिलाने के लिये उसे वह सिक्का जो इंगलिस्तान म जारी हो लिखा गया हो हिन्दुस्तान में वाजबुलअदा हो तो ऐसा नक्दी रूपया का हिसाब बमूजिब उस निरख के जो उस वक्त के लिये मुकर्रर है किया जायगा जो सेक्रेटरी आजम हिन्द बइजलास कौंसिल ने बइतफाक राय साहेबान लार्ड कामश्नर खजाना शाही वास्ते तसफिया मामलात खजाना दरम्यान गवर्नमेंट हिन्दुस्थान के ऐसे हुक्म सादिर होने के रोज मुकर्रर रखा हो—

की अपील हो--या,

[ग] अपीलांट से ऐसी जमानत लेकर जो कि अदालत के नजदीक वास्ते तामील दरअसल उस डिकरी के मुनासिब हो जिस की अपील हो, या वास्ते तामील उस हुक्म के जो कि आला हजरत मलिक-मोअज्जम बइजलास कौंसिल बसीगा अपील सादिर करें, उस डिकरी का इजरा मुलतवी रखे जिस की अपील हो--या,

[घ] जो फरीक के अदालत की मदद चाहे उस को शै मुतनाजिया अपील के निसबत ऐसी शर्तों का पाबन्द करे, या निसबत शै मजकूर के ऐसी और हिदायत निसबत मुकर्रर रिसीवर या दीगर तरह का सादिर करे जो उस के नजदीक मुनासिब मालूम हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६०८ से कायम किया गया है

जब हाई कोर्ट अपील करने की इजाजत देने से इंकार करे तो उस को इजराय डिकरी मुलतवी करने का अख्त्यार नहीं है--और जब सायल प्रीवी कौंसिल में खास इजाजत अपील के लिये दरखास्त करे तो हाई कोर्ट डिकरी के इजरा को मुलतवी नहीं कर सक्ती--ऐसे मुकदमात में प्रीवी कौंसिल कार्रवाई मुलतवी करने का हुक्म दे सक्ती है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द २७ सफा १ प्रीवी कौंसिल).

प्रीवी कौंसिल इजराय डिकरी को मुलतवी करने का हुक्म नहीं दे सक्ती मगर अदालत मातहत को इजराय डिकरी के पहिले जमानत काफी लेने की हिदायत कर सक्ती है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा २६०--६५ प्रीवी कौंसिल).

जमानत अगर काफी न हो तो बढ़ाई जा सक्ती है

१४. (१) अगर दौरान अपील में किसी वक्त वह जमानत जो किसी फरीक ने दाखिल की हो गैर काफी मालूम हो तो अदालत दूसरे फरीक की दरखास्त पर, जमानत मजीद तलब करे

(२) जमानत मजीद जो अदालत तलब करे उस के न दाखिल होने की सूरत में

(क) अगर असल जमानत अपीलांट ने दाखिल की हो तो अदालत

आर्डर—४६.

इसतसवाब

१ अगर किसी ऐसे मुकदमा या अपील के सुनाई के वक्त या पहिले इसतसवाब अमर हाई कोर्ट से जिस में डिकरी की अपील न हो सके या किसी डिकरी के कार्रवाई इजरा में कोई वहस कानूनी या ऐसे रिवाज की जो कानून का हुक्म रखती हो पैदा हो और मुकदमा या अपील की तहकीकात या डिकरी के इजरा करने वाली अदालत को माकूल शक मालूम हो, तो अदालत खुद अपनी मरजी से या किसी फरीक की दरखास्त पर वाकेआत मुकदमा की कैफियत और वह अमर जिस के वावत शक हो, तहरीर करके मे अपनी राय के, जो उस अमर की वावत हो फैसला के लिये अदालत हाई कोर्ट में इसतसवाव न भेजे

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६१७ से कायम किया गया है।

कोई जज जिस को अपील सुनने का अखत्यार नहीं है इसतसवाब नहीं कर सकता (इ. ला. रि ४ मदरास सफा २१७–१८)

को सवाल जो इजराय डिकरी में पैदा हो, सिवाय उस के कि जब डिक्री कतई है उस का इसतसवाब नहीं किया जा सकता (इ ला रि १७ बम्बई सफा ७३५)

प्रोबेट की दरखास्त पर जो हुक्म डिस्ट्रीक्ट जज सादिर करे, हुक्म कतई न होने के वजह से, उस का इसतसवाब नहीं किया जा सक्ता (इ ला रि कलकत्ता जि० ५ सफा ७५६)

फैसले के तजवीजसानी की दरखास्त पर कोई अमर पैदा हो, उस का इसतसवाब नहीं किया जा सकता है [१७ वीक्ली रिपोर्टर सफा ८४].

२ बावजूद ऐसे इसतसवाब के अदालत को अखत्यार होगा कि

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६१० से कायम किया गया है.

डिकरीदार का अदालत जिला में उस इजराय डिकरी का हुक्म हासिल करने के पहले जो प्रीवी कौंसिल से सादिर हुई है उस को इजराय डिकरी की दरखास्त के साथ तसदीक की हुई नकल हुक्म आला हजरत मलिक मोअज्जम बइजलास कौंसिल को पेश करना चाहिये [इ ला रि कलकत्ता जि० ५ सफा ३२६]

जब प्रीवी कौंसिल के हुक्म में खरचे पर सूद नहीं दिलाया सक्ता है [इ ला. रि. कलकत्ता जि० २३ सफा ३९७].

प्रीवी कौंसिल के डिकरी के इजरा के ताल्लुक में कोई हुक्म दिया जावे उस की अपील बमूजिब कायदा १६ हो सकती है

हुक्म इजरा की अपील

१६ जो अदालत के आला हजरत मलिक मोअज्जम बइजलास कौंसिल के सादिर किये हुए हुक्म का इजरा करे उस का हुक्म निस्बत उस इजरा के काबिल अपील उसी तौर पर और पाबन्दी उन्हीं कायदों के होगा जैसे के उसी अदालत की डिकरियों के इजरा की बाबत उस अदालत के अहकाम हैं

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६११ से कायम किया गया है.

अदालत इसतसवाव करने वाली ने उस मुकदमे में सादिर किया हो, जिस में इसतसवाव की जरुरत पाई गई, और जो कुछ हुक्म मुनासिव समझे सादिर करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६२१ से कायम किया गया है

६ (१) अगर किसी वक्त तजवीज के पहले उस अदालत को जिस में कोई नालिश दायर की गई हो, यह शक हो कि आया ऐसी नालिश लायक समाअत अदालत खफीफा के है या नहीं, तो अदालत हाई कोर्ट में मिसल म्य कैफियत वजह शक निसवत किस्म नालिश मजकूर के भेजे

मखत्यार इसतसवाव हाई कोर्ट निसबत मखत्यार अदालत खफीफा के

(२) मिसल और कैफियत पहुचने पर अदालत हाई कोर्ट हुक्म दे सक्ती है कि या तो नालिश की कार्रवाई की जाय या अर्जीदावा को वापिस करे कि वह किसी दूसरी अदालत में पेश किया जाय जो हाई कोर्ट के हुक्म के जरिये से उस नालिश की समाअत करने की मजाज ठहराई जाय

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६४६ (क) से कायम किया गया है.

७ (१) अगर अदालत जिला को मालूम हो कि उस के मातहत की अदालत ने, इस अमर के गलत समझने की वजह से कि फलां नालिश लायक समाअत अदालत मतालबेजात खफीफा है, या नहीं, उस अखत्यार को अमल में नहीं लाई है जो कानून के रूसे उस को हासिल है, या उस अखत्यार को अमल में लाई है, जो उस को हासिल नहीं है, तो अदालत जिला खुद और अगर कोई फरीक दरख्वास्त दे तो अदालत हाई कोर्ट में मिसल मजकूर में इस बात के समझने की कैफियत के कि अदालत मातहत की राय नालिश के किस्म के निसबत गलत है, भेजे

मखत्यार अदालत जिला निसबत भेजने वास्ते नजरसानी उन कार्रवाई के जिस में गलती निसबत मखत्यार समाअत अदालत खफीफा के हुई हो

(२) मिसल और कैफियत पहुचने पर अदालत हाई कोर्ट जो हुक्म मुनासिव समझे सादिर करे

(३) इस कायदे के रू से जो मुकदमा हाई कोर्ट में भेजा जाय, उसमें डिकरी के बाद की कार्रवाई के निसबत अदालत हाई कोर्ट हालत मुकदमा के रू से जो हुक्म इनसाफन और मुनासिव समझे सादिर करे

(४) अदालत मातहत, अदालत जिला को, लाजिम होगा कि उस हुक्म की तामील करे, जो अदालत जिला बावत किसी मिसल या इत्तला इस कायदे के गरज के लिये सादिर करे

अदालत हाइ कोर्ट के फैसले की पाबन्दी पर डिकरी सादिर कर सक्ती है

मुकदमा की कार्रवाई को मुलतवी करे, या जारी रखे, और जो कुछ फैसला हाई कोर्ट का निसबत उस अमर के जिस के बाबत इसतसवाब किया गया हो, करार पाय उस की पाबन्दी के शर्त पर, डिकरी या हुक्म दे-लेकिन जब कि ऐसा इसतसवाब हुआ हो तो इसतसवाब पर जो हाई कोर्ट की तजवीज हुई है, उस की नकल आने तक कोई डिकरी या हुक्म उस मुकदमे में जारी नहीं किया जायगा

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६१८ से कायम किया गया है.

हाई कोर्ट की तजवीज भेजी जायगी और उसी के मुताबिक मुकदमा का फैसला होगा

३ हाई कोर्ट उन उजरात को सुनकर कि जो फरीकैन हाजिर होकर पेश करना चाहे उस अमर की तजवीज करे जिस के निसबत इसतसवाब किया गया हो, और अपनी तजवीज की नकल साहब रजिस्ट्रार के दस्तखत से उस अदालत में भेजे जिस ने इसतसवाब किया हो-और वह अदालत बाद आने ऐसी नकल के हाई कोर्ट की तजवीज के मुताबिक मुकदमे को फैसला करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६१९ से कायम किया गया है.

हाई कोर्ट ने जो फैसला इसतसवाब पर किया है उस की अदालत मजकूर तजवीज सानी नहीं कर सक्ती (इ. ला रि १० बम्बई सफा ६८)

इसतसवाब हाई कोर्ट के वजह से खरचा

४ खरचा [अगर कुछ हो] जो इसतसवाब अदालत हाई कोर्ट के वजह से पड़ा हो वह मुकदमे का खरचा समझा जायगा

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६२० से कायम किया गया है

इसतसवाब के खरचा के निसबत अलेहदा हुक्म नहीं हो सक्ता, मुकदमे के खर्चे के साथ उस पर हुक्म होना चाहिये ताहम वह अदालत के अखत्यार में है, और बमूजिब नतीजा मुकदमा उस के दिलाने की जरूरत नहीं है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द १५ सफा ५०७).

अख्त्यारात बाबत तबदीली वगैरा डिकरी सादिर का हुद अदालत इसतसवाब करने वाली को

५ जब कोई मुकदमा कायदा १ के बमूजिब हाइ कोर्ट म इसतसवाब के लिये भेजा जाय, तो हाई कोर्ट मुकदमे को तरमीम के लिये वापिस कर सक्ती है और डिकरी या हुक्म को तबदील या मनसूख या तरमीम करे, जो

आर्डर-४७.

तजवीजसानी.

१ (१) जो शख्स अपनी हक तलफी समझे

दरखास्त तजवीजसानी।

(क) किसी डिकरी या हुक्म से जिस की अपील हो सकी है, मगर उस की अपील न हुई हो,

(ख) किसी डिकरी या हुक्म से जिस की अपील नहीं हो सकी है—या

(ग) किसी फैसले से जो अदालत खफीफा के इस्तसवाब पर सादिर हुआ हो—

और जो शख्स बवजह दरयाफ्त होने किसी नए और भारी अमर के या शहादत के जो बावजूद दरअसल कोशिश के उस डिकरी या हुक्म के सादिर होने के वक्त, उस को मालूम न थी, या कि वह उस को पेश नहीं कर सकता था, या बवजह किसी गलती या सहो के जो मिसल से जाहिर होता हो, या किसी और काफी वजह से तजवीजसानी उस डिकरी या हुक्म की चाहता हो, जो उस के खिलाफ सादिर हुई हो, तो उस को अख्तयार है कि उस अदालत में जिस ने डिकरी या हुक्म सादिर किया हो, तजवीजसानी की दरखास्त करे

(२) कोई फरीक किसी डिकरी या हुक्म की नाराजी से अपील न करे वह बावजूद दायर होने अपील मिनजानिब किसी और फरीक के तजवीजसानी की दरखास्त कर सकी है, सिवाय उस सूरत के कि अपील में लिखा हुआ उजर सायल और अपीलान्ट दोनों से एकसा मुताल्लुक हो, या रिस्पान्डेंट होने की सूरत में, वह अदालत अपील में उस मुकद्दमे को जिस में कि दरखास्त तजवीज सानी की करता है, पेश कर सक्ता हो

तशरीह:—यह क़ायदा पुराने एक्ट की दफा ६२३ से कायम किया गया है

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६४६ [ख] से कायम किया गया है.

जब फरीकैन में से एक फरीक डिसट्रिक्ट जज को दरख्वास्त करे तो डिसट्रिक्ट जज को इसतसवाब करना फरज है. (इ. ला रि. १३ मदरास सफा ३४४)

जो अदालत के इसतसवाब करे उस को वह वजूहात लिखना चाहिये, जिस से वह अदालत मातहत की राय को गलत समझती है. (इ. ला. रि. २८ अलाहाबाद सफा २९३).

अगर दरख्वास्त तजवीजसानी ९० दिन के अन्दर पेश की जावे तो उस पर कोर्ट फीस आधा वो अगर ९० दिन के बाद पेश की जावे तो पूरा उस कोर्ट फीस का लगेगा जो अरजीदावा, या याददास्त अपील पर लगाया गया है मियाद शुमार करने में वह दिन जिस को अदालत बंद थी मुजरा होना चाहिये (इ. ला. रि मदरास जि० ९ सफा १३४)

जब दरख्वास्त मुफलिसी में पेश की जावे तो उस पर कोर्ट फीस की जरूरत नहीं है (इ. ला रि २० अलाहाबाद सफा ४१०)

दरख्वास्त तजवीजसानी किस के पास की जायगी

२ दरख्वास्त तजवीजसानी किसी ऐसी डिकरी या हुक्म की जो किसी अदालत से जो अदालत हाई कोर्ट नहीं है, सादिर हुई हो, किसी बिना पर अलावा उस के जो वजह दरयाफ्त होने ऐसे नये और भारी अमर या शहादत के हो, जो कायदा १ में दरज है, या किसी गलती अलफाज या हिंदसा के बिना पर जो डिकरी के देखने से वाजे हो, सिर्फ उस जज के पास की जायगी कि जिसने वह डिकरी या हुक्म सादिर किया हो कि जिस की तजवीजसानी की दरख्वास्त की गई लेकिन अगर उस जज ने कि जिस ने डिकरी या हुक्म सादिर किया हो फिकरा (क) जिमन (२) कायदा ४ के रूसे इत्तलानामा जारी होने का हुक्म दिया हो, तो ऐसी दरख्वास्त का तसफिया उस का जानशीन कर सकेगा

तशरीह.—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६२४ से कायम किया गया है

नमूना दरख्वास्त तजवीजसानी

३ अपील करने के बाबत जो कायदे हैं वह तबदील तबब लफ्जों के तबदीली से दरख्वास्तें तजवीजसानी से भी मुताल्लुक होंगे—

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६२५ से कायम किया गया है

कब दरख्वास्त नामंजूर होगी

४ (१) अगर अदालत को मालूम हो कि तजवीजसानी की कोई वजह काफी नहीं है, तो वह दरख्वास्त को नामंजूर करेगी

दरख्वास्त कब मन्जूर होगी

(२) मगर अदालत की राय में तजवीजसानी की दरख्वास्त मनजूरी के लायक हो, तो वह तजवीजसानी मनजूर करेगी

मगर शर्त यह है कि—

(क) ऐसी दरख्वास्त मन्जूर न होगी बगैर इस के कि पेशतर फरीक

कोई अपीलांट जिस ने अपील दोयम पेश की और उस को उठा लेवे, तो वह अदालत मातहत में उस के फैसले की तजवीज सानी के लिये, नई शहादत मालूम होने पर दरखास्त पेश कर सक्ता है (इ. ला. रि ७ बम्बई सफा २८७).

अलफाज "दरयाफ्त होने नय और भारी अमर के" उस नजीर के न पेश करने में लागू नहीं हैं जो डिकरी सादिर होने के वक्त कायम थी (इ. ला. रि. २१ अलाहाबाद सफा १५२–५३).

यह अमर के फैसला हाई कोर्ट के उस नजीर के जोर पर है जो बाद को मनसूख हो गई है, तजवीजसानी के लिये कोई वजह नहीं है (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा २६२). गो नई नजीर के दरयाफ्त होने से फरीक को फैसले की तजवीजसानी कराने का हक्क हासिल नहीं होता है, तो भी जब अदालत को इतमीनान हो जावे कि उस का फैसला कानून की गलत समझ पर हुआ है तो इस कायदे के हुक्म से तजवीजसानी मन्जूर हो सक्ती है (इ. ला. रि. ७ मदरास सफा ३०७ वो १४ कलकत्ता सफा ६२७– ३०)

यह अमर के अरजी दावा पर पहले रसुम अदालत गैर काफी करार दिया गया और बाद को काफी तसव्वर किया गया, काफी वजह तजवीजसानी की है (इ. ला. रि. २७ अलाहाबाद सफा ६६५).

तजवीजसानी के लिये ऐसी वजूहात होना चाहिये जो तारीख डिकरी को मौजूद थे–इस क़ायदे से उन डिक्रीयों के तजवीजसानी का अखत्यार, जो उस के सादिर होने के वक्त सही थी, उस वजह पर जो बाद को पैदा हो नहीं दिया गया है (२४ मूर्स इंडियन अपील सफा १० प्रीवी कौंसिल).

दरखास्त तजवीजसानी सिर्फ कानून की गलती पर कायम रखी जा सक्ती है (१२ मदरास ला. जरनल रिपोर्ट सफा १६४).

उस डिकरी की तजवीजसानी हो सक्ती है जो अदालत के बाहर के आपसी तसफिया पर सादिर की जावे (इ. ला रि. १० कलकत्ता सफा ६१२)

बमूजिब दफा ५ एक्ट मियाद के बाद मियाद मुकर्ररा अपील को मन्जूर किये जाने का हुक्म एकतरफा मनसूख हो सक्ता है (इं. ला. रि ६ मदरास सफा ४५०).

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६२८ से कायम किया गया है

७ (१) हुक्म अदालत का निसबत नामनजूरी दरखास्त के काबिल अपील नहीं होगी-लेकिन जब कि ऐसी दरख्वास्त मनजूर हो तो मनजूरी पर उजर नीचे लिखे वजुहातों पर हो सका है

हुक्म नामनजूरी की अपील नहीं हो सकेगी उजरात निसबत मनजूरी दरखास्त

(क) यह खिलाफ हुक्म कायदा २ के है

(ख) यह खिलाफ अहकाम कायदा ४ के है-या

(ग) यह कि बाद गुजरने मियाद के जो ऐसी दरख्वास्त के लिये मुकर्रर है दाखिल की गई है और कोई वजह काफी उस की नहीं है

ऐसी उजर फौरन दरख्वास्त मनजूर होते ही जरिये अपील किया जा सका है या उस अपील में किया जाय जो किसी कतई डिकरी या हुक्म से जो मुकदमे में सादिर किया गया है

(२) अगर दरख्वास्त तजवीज सानी बवजह गैरहाजरी सायल के नामनजूर हुई हो, तो सायल को अख्त्यार है कि इस मजमून की दरख्वास्त दे, कि दरखास्त नामनजूर शुदा का नम्बर साबिक पर कायम करने का हुक्म हो-और अगर अदालत के इतमीनान के लायक साबित हो जाय कि जिस वक्त ऐसी दरख्वास्त वास्ते सुनाई पेश हुई थी, सायल किसी जायज वजह से हाजिर न हो सका, तो अदालत यह हुक्म सादिर कर सकेगी कि दरख्वास्त मजकूर ऐसे कायदे की पाबन्दी के साथ जो निसबत दिलाने खर्चा या न दिलाये खर्चा के जो मुनासिब मालूम हो, नम्बर साबिक पर कायम की जाय, और अदालत उस की सुनाई के लिये एक तारीख मुकर्रर होगी

(३) कोई हुक्म शिकमी कायदा २ के बमूजिब सादिर नहीं किया जायगा, जबतक के ऐसी दरख्वास्त की इत्तला तहरीरी फरीक सानी पर तामील न हुई हो

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६२९ से कायम किया गया है.

जब हुक्म मनजूरी तजवीज सानी का अदालत अपील से उस मुकदमा में दिया जावे जो काबिल समाअत अदालत खफीफा के है और दावे की कीमत ५००) रू० से कम है तो हुक्म मनजूरी काबिल अपील के है (इ ला. रि

सानी को इत्तला दी जाय ताकि वह हाजिर होकर उस डिकरी या हुक्म के ताईद में जिस को तजवीजसानी की दरखास्त गुजरी हो उजरात पेश करे—और,

(ख) ऐसी दरखास्त ऊपर विनाय दरयाफ्त होने अमर या शहादत जदीद के जिस की निसबत सायल बयान करे कि सायल को वरवक्त सादिर होने ऐसी डिकरी या हुक्म के उस का इल्म न था या जिस को वह पेश नहीं कर सका था बगैर इस के मन्जूर न की जायगी कि बयान मजकूर का सबूत पूरा हो

तशरीह—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६२६ से कायम किया गया है.

जज जो तजवीजसानी मन्जूर करे उस के लिये अब वजूहात लिखने की जरूरत नहीं है (इ. ला. रि. मदरास जि० २३ सफा ४९८ वा २७ कलकत्ता सफा ३३५ प्रीवी कौंसिल).

इन अहकमात के खिलाफ जो हुक्म दिया जावे वह कायम नहीं रह सका है (इ. ला. रि. २२ कलकत्ता सफा ७३४--३७)

दरखास्त तजवीजसानी उस अदालत में जिस में दो या जियादा जज हो

५ अगर वह जज या कई जज उन में से कोई एक जज जिसने के वह डिकरी या हुक्म सादिर किया हो जिस की तजवीजसानी की दरखास्त की जाय, तजवीजसानी की दरखास्त गुजरने के वक्त अदालत में काम करते हों, और बसबब गैर हाजरी या और किसी वजह से दरखास्त के गुजरने से छे महीना तक इस बात से माने नहीं हो कि डिकरी या हुक्म पर जिस की निसबत दरखास्त हो गौर करे, तो उस जज या उन जजों को या उन में से किसी को अखत्यार होगा कि दरख्वास्त की सुनाई करे, और अदालत के किसी दूसरे जज या जजों को अखत्यार न होगा कि उस की समायत करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६२७ से कायम किया गया है.

कब दरख्वास्त नामनजूर होगी

६ (१) अगर दरख्वास्त तजवीज सानी की समाअत एक से जियादा जज करें और दोनों तरफ से राय बराबर हो तो वह दरख्वास्त नामनजूर की जायगी

(२) अगर किसी तरफ कसरत राय हो तो तजवीज मुताबिक उसी कसरत राय के होगी

आर्डर-४८.

मुतफरकात.

हुक्मनामे की तामील उस फरीक के खरचा से जिस ने जारी कराया

१ (१) हर हुक्म नामा जो इस मजमूआ के रू से जारी किया जावे उस की तामील उस फरीक के खरचे से की जायेगी जिस की दरखास्त पर वह जारी हुआ था, तावक्ते कि अदालत और तरह का हुक्म नदे—

तामील का खरचा

(२) रसूम अदालत बाबत ऐसी तामील, हुक्मनामा के जारी होने के पहले अनदर मियाद मुकर्रर अदालत वसूल कर लिया जायगा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ९३ से कायम किया गयाहै.

इत्तलानामा और हुक्म तहरीरी की तामील क्योंकी होगी

२ कुल अहकाम, इत्तलानामे, और दीगर दस्तावेजात जो इस मजमूआ के मुताबिक किसी शख्स को देना या उस पर तामील करना, मनजूर हो उसी तरह तामील किये जायेंगे जिस तरह समन की तामील होना चाहिये

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ९४ से कायम किया गया है

अपेनडिक्स दरज किये हुवे नमूनों का काम में लाया जाना

३ वह नमूने जो अपिनडिक्स में दरज हैं मै उस कदर रद वो बदल के जो हर मुकदमा के हालत के मुताबिक मुनासिब हो उस गरज के लिये काम में लाये जायेंगे जो उन में बयान किये गये हैं

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६४४ से कायम किया गया है

कलकत्ता जिल्द २२ सफा ७३४).

तजवीज सानी मनजूर करने के हुक्म से अपील नहीं हो सक्ती सिवाय उन सूरतों के जिन का जिक्र इस कायदा में किया गया है–यह अमर कि जिस अदालत ने तजवीज सानी मनजूर की है, उस ने बिला वजह काफी के ऐसा किया है, जायज वजह अपील की नहीं है (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २४ सफा ८७६)

जब तजवीज सानी मनजूर किये जाने का हुक्म अपील से मनसूख हो गया तो हुक्म अपील कतई है (६ कलकत्ता ला जरनल सफा २२५).

मनजूर की हुई दरखास्त रजिस्टर में दर्ज होगी और सुनाई के लिये हुक्म होगा

८ जब दरखास्त तजवीज सानी की मनजूर की जाय, तो उस की याददाश्त किताब रजिस्टर में लिखी जाय, और अदालत फौरन मुकदमे की समाअत मुकर्रर में लग जावेगी, या निसबत समाअत मुकर्रर के जो हुक्म मुनासिब समझे सादिर करे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६३० से कायम किया गया है.

बाज दरखास्तों के निसबत मुमानअत

९, कोई दरखास्त वास्ते तजवीज सानी ऐसे हुक्म के जो किसी दरखास्त तजवीज सानी पर हुआ हो या वास्ते तजवीज सानी ऐसी डिकरी या हुक्म के जो बाद तजवीज सानी के सादिर हुआ हो मनजूर न होगा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६२९ के आखीर फिकरा से कायम किया गया है

आर्डर-४८.

मुतफरकात.

१ (१) हर हुक्म नामा जो इस मजमूआ के रू से जारी किया जावे उस की तामील उस फरीक के खरचे से की जायेगी जिस की दरखास्त पर वह जारी हुआ था, तावक्ते कि अदालत और तरह का हुक्म नदे—

हुक्मनाम की तामील उस फरीक के खरचा से जिस ने जारी कराया

(२) रसूम अदालत बाबत ऐसी तामील, हुक्मनामा के जारी होने के पहले अनदर मियाद मुकर्रर अदालत वसूल कर लिया जायगा

तामील का खरचा

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ९३ से कायम किया गयाहै.

२ कुल अहकाम, इत्तलानामे, और दीगर दस्तावेजात जो इस मजमूआ के मुताबिक किसी शख्स को देना या उस पर तामील करना, मनजूर हो उसी तरह तामील किये जायेंगे जिस तरह समन की तामील होना चाहिये

इत्तलानामा और हुक्म तहरीरी की तामील क्योंकी होगी

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा १४ से कायम किया गया है

३ यह नमूने जो अपिनाडिक्स में दरज हैं मै उस कदर रद्द वो बदल के जो हर मुकदमा के हालत के मुताबिक मुनासिब हों उस गरज के लिये काम में लाये जायेंगे जो उन[illegible] बयान किये गये हैं

अपेनडिक्स दरज किये हुये नमूनों का काम में लाया जाना

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६४४ से [illegible] किया गया है

आर्डर-४९.

अदालत हाई कोर्ट जो सनद शाही के रू से मुकर्रर की गई हैं.

कौन शख्स हुक्म नामा अदालत हाई कोर्ट की तामील कर सक्ता है

१ जो इत्तलानामे वास्ते पेश करने दस्तावेज, समन बनाम गवाहान और दीगर अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जो अदालत हाई कोर्ट के अख्त्यार समायत इप्तदाई सीगा दीवानी, और उन अख्त्यारात से जो निसबत मामलात इजदवाज, और वसीयत और तरका गैर वसीयती के हाई कोर्ट को हासिल है सादिर किया जाये वह बइसततसनाये समन बनाम मुदायलेह और हुक्मनामा इजराय डिकरी और इत्तलानामे बनाम रिस्पांडेंट मारफत अटरनी पैरोकार मुकदमा या मारफत उन शख्सों के जिन को वह अटरनी नौकर रखे या मारफत किसी और शख्स के जारी किये जा सके हैं जिन को हाई कोर्ट किसी कायदे या हुक्म के जरिये से हिदायत करे

तशरीहः—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६३६ से कायम कीया गया है.

मुसतसना निसबत अदालत हाई कोर्ट मुकर्ररा सनद शाही के

२ इस जमीमा के किसी मजमून से यह समझा जायगा कि उस से वह कायदे महदुद होंगे या उस असर का उन कायदों पर पड़ेगा जो दरवक्त शुरू होने इस मजमूआ के निसबत तहरीर करने शहादत या तजवीज या अहकाम अदालत हाई कोर्ट मुकर्रर सनद शाही के जारी हों

तशरीह.—यह कायदा नया है.

कायदों का ताल्लुक

३ नीचे लिखे हुए कायदे किसी अदालत हाई कोर्ट मुकर्ररा हस्ब सनद शाही से जब, कि वह अपने अख्त्यारात मामूली या गैर मामूली समाअत इप्तदाई सीगा दीवानी अमल में लाती हो, मुताल्लुक न होंगे—याने

(१) कायदा १० और कायदा ११ जिमन (ख) और (ग) आरडर नम्बर ७

(२) कायदा ३

(३) कायदा २ आरडर १६
(४) कायदा ५, ६, ८, ९, १०, ११, १३, १४, १५, और १६ (जहा तक शहादात लेने से ताल्लुक रखते है) आरडर १८ के
(५) कायदा १ से ८ तक आरडर २०, और

और कायदा ३५ आर्डर ४१ ऐसे हाई कोर्ट से ताल्लुक नहीं रखेगा, जो अपने अख्त्यार सीगा अपील अमल में लाती हो

तशरीह —यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ६३८ से कायम किया गया है

आर्डर-५०.

अदालत मतालबेजात खफीफा मुफसासिल.

१ नीचे लिखे हुये हुक्म उन अदालतों से मुताल्लुक न होंगे जो कानून मतालबेजात खफीफा सन १८८७ ई० के रूसे कायम की गई हों—या उन अदालतों से भी मुताल्लुक नहीं होंगे जो कि अख्त्यारात अदालत मतालबेजात खफीफा कानून मजकूर के रूसे अमल में लाय—यानी,

अदालत मतालबेजात खफीफा मुफसलि

(क) यह जमीमा उस कदर जो मुताल्लुक हों

(१) ऐसे मुकदमात से जो काबिल समाअत अदालत खफीफा न हो या ऐसे मुकदमा की डिकरीयों के इजरा से—

(२) इजराय डिकरी निसबत जायदाद गैर मनकूला या निसबत हक शरीकदार जायदाद शराकत से

(३) करार दिये जाने अमर तनकीह तलब से—और,

(ख) नीचे लिखे हुये कायदे वो आर्डर

आर्डर २ कायदा १ [तरतीब मुकदमा]

आर्डर १० कायदा ३ [तहरीर इजहार फरीकैन]

आर्डर १५ सिवाय उस कदर हिस्सा, कायदा ४ के जो निसबत फौरन सुनाने फैसला के है

आर्डर १८ कायदा ५ से १२ तक [शहादत]

आर्डर ४१ से ४५ तक [अपील]

आर्डर ४७ कायदा २, ३, ५, ६, ७, [तजवीजसानी]

तशरीह — यह कायदा नया है

शामलात हिन्दू खानदान का बाप बतौर मेम्बर मुन्तजिमकार के, खानदान के जायदाद शामलाती का बटवाड़ा करना सुपुर्द पनचायत कर सक्ता है (इं ला. रि १६ अलाहाबाद सफा २३१)

जब किसी फरीक ने किसी मुख्तार को पैरवी मुकदमा का अख्त्यार दे दिया और मुख्त्यार ब रजामन्दी बो इल्म फरीक के मुकदमा सुपुर्द पनचायत किये जाने में रजामन्दी दे तो वह मनसूखी फैसला पनचायती की दरखास्त नहीं कर सक्ता (इ ला रि मदरास जि० १ सफा ४५१)

कोई फैसला पनचायती जो उस हुक्म सुपुर्दगी पर सादिर किया गया जिस में कुल गरज्मन्द फरीक की रजामन्दी नहीं थी तो वह कानून के रूसे नाजायज है (१ कलकत्ता वीकली नोट सफा ८७३)

कोई अदालत जिस के पास कुछ तनकहियात, तहकीकात के लिये भेजी गई है हुक्म सुपुर्दगी पनचायत का नहीं दे सक्ती (इ ला रि अलाहाबाद जि० ७ सफा ५२३) मगर अदालत अपील किसी मुकदमा को सुपुर्द पनचायत कर सक्ती है (इ. ला रि. अलाहाबाद सफा २४३)

पनचायत तीन सूरतों में होगी —

(१) जब नालिश दायर हुई हो और गरज मन्द फरीकैन पनचायत झगड़े वाली चीज कराना चाहे—

(२) जब फरीकैन ने नालिश दायर न की हो, और दायर करने के पेश्तर वे चाहे कि उनका झगड़ा पन्चायत से तोड़ा जावे—और यह इकरार करे कि अदालत से पंच मुकर्रर कर दिये जावे तो इस सूरत में फरीकैन दफा १७ के बमूजिब दरखास्त पनचायत पेश कर सक्ते हैं—

(३) जब फरीकैन पनचायत घर में करालें और पंच के लोग पनचायत करदें, और यह सब काम बगैर मदद अदालत के हों, मगर फरीकैन यह चाहें, कि पनचायती फैसला की तामील अदालत से की जाय, तो ऐसी सूरत में दफा २० की मुताबिक कार्रवाई करना चाहिये—

जमीमा दूसरा.

सालसी.

मुकदमा की सालसी याने पनचायत.

फरीकैन हुक्म सालसी के लिये दरखास्त दे सके हैं

१ (१) अगर किसी मुकदमा में कुल गरज़मन्द फरीकैन को यह मन्ज़ूर हो कि कोई अमर जो मुकद्मे में उन के दरम्यान झगड़ा तलब हो, फैसले के वास्ते सुपुर्द पनचायत किया जाय तो वे किसी वक्त फैसला सुनाय जाने के पहले इस बात की दरखास्त अदालत में दें, कि सुपुर्दगी पंचायत का हुक्म दिया जाय.

(२) ऐसी हर दरख्वास्त तहरीरी होगी-और वह अमर जिस को पनचों के सुपुर्द करना मन्ज़ूर हो उस में लिखा जायगा

तशरीहः—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५०६ से कायम की गई है यह दफा उस वक्त लागू है जब कि फरीकैन मुलतवी मुकदमा के दौरान में अपने झगड़े का सुपुद पनचायत करने का इकरार करे दफा १७ उस वक्त लागू है जब कि कोई मामला मुल्तवी नहीं है (इ. ला रि ३० कलकत्ता सफा २१८-२८).

जब कि फरीकैन के दरम्यान में कोई अमर झगड़ा तलब नहीं है, तो कोई सुपुरदगी पनचायत नहीं हो सक्ती (इ. ला रि ६० कलकत्ता सफा ८३१)

एक मरतबा जो सुपुर्द पनचायत कर दिया गया, वह बेजा तौर पर मनसूख नहीं किया जा सक्ता (इ ला. रि २६ अलाहाबाद ४६).

मुकदमा सुपुर्द पनचायत करने के बाद मुकद्मा उठाया नहीं जा सक्ता (इं. ला रि. अलाहाबाद जि० ९ सफा १६८).

अलफाज़ " कुल गरजमन्द फरीकैन " वह फरीकैन में शामिल नहीं है जो कभी हाजिर अदालत नहीं हुये, और जिन के और फरीकैन के दरम्यान जो सुपुर्दगी पनचायत के फरीक हैं, दर असल कोई अमर मुकदमा झगड़ा तलब नहीं है (इ ला. रि २४ अलाहाबाद सफा २२९)

शामलात हिन्दू खानदान का बाप बतौर मेम्बर मुन्तजिमकार के, खानदान के जायदाद शामलाती का बटवारा करना सुपुर्द पनचायत कर सक्ता है (इ ला. रि १६ इलाहाबाद सफा २३१)

जब किसी फरीक न किसी मुखत्यार को पैरवी मुकदमा का अखत्यार दे दिया और मुखत्यार ब रजामन्दी वो इल्म फरीक के मुकदमा सुपुर्द पनचायत किये जाने में रजामन्दी दे तो वह मनमूखी फैसला पनचायती की दरखास्त नहीं कर सक्ता (इ ला रि मदरास जि० ६ सफा ४५१)

कोई फैसला पनचायती जो उस हुक्म सुपुर्दगी पर सादिर किया गया जिस में कुल गरजमन्द फरीक की रजामन्दी नहीं थी तो वह कानून के रूसे नाजायज है (१ कलकत्ता वीकली नोट सफा ८७३)

कोई अदालत जिस के पास कुछ तनकीहात, तहकीकात के लिये भेजी गई है हुक्म सुपुर्दगी पनचायत का नहीं दे सक्ती (इ ला रि अलाहाबाद जि० ७ सफा ५२३). मगर अदालत अपील किसी मुकदमा को सुपुर्द पनचायत कर सक्ती है (इ. ला रि. अलाहाबाद सफा २४३)

पनचायत तीन सूरतों में होगी —

(१) जब नालिश दायर हुई हो और गरजमन्द फरीकैन पनचायत झगड़े वाली चीज कराना चाहे—

(२) जब फरीकैन ने नालिश दायर न की हो, और दायर करने के पेश्तर वे चाहे कि उनका झगड़ा पनचायत से तोड़ा जावे—और यह इकरार करे कि अदालत से पंच मुकर्रर कर दिये जावें तो इस सूरत में फरीकैन दफा १७ के बमूजिब दरखास्त पनचायत पेश कर सके हैं—

(३) जब फरीकैन पनचायत घर में करालें और पंच के लोग पनचायत करदें, और यह सब काम बगैर मदद अदालत के हों, मगर फरीकैन यह चाहें, कि पनचायती फैसला की तामील अदालत से की जाय, तो ऐसी सूरत में दफा २० की मुताबिक कार्रवाई करना चाहिये—

हुक्म यह है कि कुल गरजमन्द फरीकैन मुकदमा को दरख्वास्त पनचायत की देना चाहिये—अगर कुल फरीकैन दरख्वास्त न दें तो पनचायत कराने का हुक्म और पनचायत का फैसला दोनों नाजायज समझें जायेंगे मसलन, (अ) ने साझेदारी हिसाब समझने की नालिश (ब) वो (क) पर की (अ) और (ब) ने पनचायत कराने की दरख्वास्त दिया—(क) ने दरख्वास्त नहीं दिया—और न दरख्वास्त में उसके दस्तखत थे, तो इस सूरत में हुक्म पनचायत वो फैसला पनचायत दोनों नाजायज करार दिये गये (इं. ला रि. मदरास जि० २६ सफा ४७).

फर्ज करो (अ) ने (ब) वो (क) पर नालिश दायर किया और यह दादरसी चाहा कि झगड़े वाली जायदाद पर उसका हक्क बमुकाबले हक (ब) के करार दिया जावे, और (क) से कब्जा जायदाद दिलाया जावे—(अ) वो (ब) ने दरख्वास्त पनचायत दी इस बात के तसफिया होने के लिये कि जायदाद का मालिक कौन है (अ) या (ब) व उस जायदाद पर किस का हक है—इस दरख्वास्त पनचायत में (क) शामिल नहीं हुआ तो इस सूरत में हुक्म पनचायत वो फैसला पनचायत इस सबब नाजायज नहीं होगा कि (क) शामिल नहीं हुआ—क्योंकि (क) गरजमन्द फरीक नहीं था—मगर वह फैसला पनचायत का पाबन्द न होगा (इं ला. रि. अलाहाबाद जि० २४ सफा २२९).

पच की मुकर्ररी

२ पच की मुकर्ररी फरीकैन के तरफ से वमूजिब उस तरीके के होगी जो फरीकैन के दरम्यान करार पाय.

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५०७ के फिकरा (१) से कायम की गई है

जज फरीक की रजमन्दी से बतौर पंच कार्रवाई कर सक्ता है (इं. ला. रि २६ मदरास सफा ७६ वो २३ बम्बई सफा ७५२). जब कि जज इस तरह से कार्रवाई करे तो उस के डिकरी की नाराजगी से अपील नहीं हो सक्ती (१० कलकत्ता वीकली नोट सफा ८३५).

गो पच्छिम उत्तर देश में हुक्म सरकार का यह है कि कोई सरकारी मुलाजिम बतौर पच कार्रवाई न करे, मगर कार्रवाई पचायती इस हुक्म के वजह से नाजायज

नहीं हो जाती (४ अलाहाबाद ला, जरनल सफा ८९)

३ (१) अदालत बजरिये हुक्म के वह अमर मुतनाजीया मुकदमा पंच के हवाला करेगी जिस का तसफिया उस को करना है—और वास्ते सादिर करने फैसला पचायती के एक मियाद मुकर्रर करेगी जो उस के नजदीक मुनासिब हो—और ऐसी मियाद हुक्म मजकूर में लिखी जायगी

हुक्म हवालगी

(२) अगर कोई मामला पंचों के सुपुर्द किया जाय, तो अदालत उस मामले के निसबत मुकदमा में कार्रवाई न करे—सिवाए उस तरीका के, और उस हद तक जो इस जमीमा में दर्ज हैं

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५०८ से कायम की गई है

पंचों का फैसला उस अमर पर जो दरम्यान फरीकैन झगड़ा तलब नहीं है न उन के सुपुरद किया गया है रद्दी और नाजायज है (१५ वीकली रपोर्ट सफा १७२).

पंचों को मानवी अखत्यार खरचा के अमर का हुक्म देने के निसबत नहीं है (इ ला रि बम्बई जिल्द ७ सफा ८२)

मुद्दत जो मुकर्रर की गई वह बमूजिब दफा ८ बढ़ाई जा सकी है—जब कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई है तो जो फैसला पचायती सादिर किया जावे, वह नाजायज है (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द १३ सफा २००).

फैसला पचायती सादिर किया गया, मगर अनदर मियाद मुकर्रर दाखिल अदालत नहीं हुआ तो वह नाजायज नहीं है (इ ला रि. बम्बई जिल्द १३ सफा ११९)

४ (१) अगर मुकदमा दो या कई पंचों के सुपुरद हो तो हुक्म सुपुरदगी में पंच के इख्तलाफ राय की सूरत के लिये नीचे लिखा हुआ हुक्म दिया जायगा —

जब दो या जियादा पंच हों तो इख्तलाफ राय के बाबत हुक्म साफ दिया जायगा

(क) बजरिये मुकर्ररी सरपंच—या

(ख) यह करार दिया जायगा कि जब पंचों की जियादा तादाद इत्तफाक करे, तो फैसला कसरत राय पर होगा—या

(ग) पचों को अखत्यार दिया जायगा कि वह अपनी तजवीज से, एक

सरपच मुकर्रर करें—या

(घ) और जिस तरह से कि फरीकैन के दरम्यान करार पाये—या अगर फरीकैन राजी न हों तो जिस तरह अदालत तजवीज करें

(२) अगर कोई सरपच मुकर्रर किया जावे तो अदालत उस कदर मियाद जो मुनासिब मालूम हो उस का फैसला सादिर होने के लिये मुकर्रर करेगी—बशर्तेकि उस से काम लिया जाय

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५०६ से कायम की गई है.

जब फरीकैन ने दो पच और एक सरपच मुकर्रर करने, और मुकदमा उन के सुपुर्द करने की दरख्वास्त की, और उन के फैसले पर चाहे वह उन के इत्तफाक राय से हो या कसरत राय से अपनी पाबन्दी जाहिर की तो राय यह करार पाई कि सरपच का फैसला उस हालत में कि जब पच लोग मुकदमे का फैसला नहीं कर सके, जायज समझा जायगा (इ. ला. रि. मदरास जिल्द ४ सफा ३११).

फरीकैन के उस इकरारनामा से जो निसबत इस के है कि वह पच जिन का नाम उन्होंने दरम्यान फरीकैन पचायत करने का बतलाया है सिरफ फैसला करें तो उस में यह अख्त्यार मानवी नहीं निकल सक्ता है कि वे सरपच मुकर्रर करें (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ८ सफा ६४)

जब पचों को अख्त्यार सरपच मुकर्रर करने का दिया गया है तो वे यह काम किसी दुसरे के सुपुर्द नहीं कर सक्ते हैं (इ ला रि. बम्बई जिल्द १७ सफा १२६)

जब कि पचों को उन सात शख्सों में से जिन का नाम हुक्म सुपुर्दगी में दर्ज है, सरपच मुकर्रर करने का अख्त्यार दिया गया तो वे उस शख्स को सरपच मुकर्रर नहीं कर सके जिस का नाम उन में नहीं है (७ मदरास हाई कोर्ट रिपोर्ट सफा ७२).

पच अपना काम गैर शख्स का जो पच न हो सिपुर्द नहीं कर सक्ता—मगर लिखने [illegible] दूसरे शख्स से करा सक्ता है—एक पच ने पैमाय[illegible] [illegible]या इससे यह नहीं समझा जायगा कि उसने [illegible] ला रि. कलकत्ता जि० २६ [illegible]

५ (१) नीचे लिखे हुए सूरतों में से किसी सूरत में याने

बाज सूरतों में अदालत पंच मुकर्रर कर सकती है

(क) अगर फरीकैन एक मियाद मुनासिब के अन्दर कोई पंच मुकर्रर करने के निसबत इतफाक न करे या वह शख्स जो पंच मुकर्रर हुआ हो, पनचायत करने से इनकार करे—या

(ख) अगर पंच या सरपंच

(१) मर जावे—या

(२) पंचायत करने से इनकार करे या पनचायत करने में गफलत करे, या पंचायत करने के लायक न रहे—या

(३) ऐसे हालत में ब्रिटिश इनडिया के बाहर जाय, जिन से मालूम हो कि वह शायद जल्द वापिस नहीं आयगा—या

(ग) अगर हुक्म सालसी के बमूजिब पंचों को अखत्यार मुकर्रर करने सरपंच का दिया गया हो, और वह मुकर्रर न करे

तो कोई फरीक, दूसरे फरीक को या पंचों के पास याने जैसी सूरत हो- इतलानामा तहरीरी वास्ते मुकर्ररी पंच, या सरपंच के पहुंचा सकता है

(२) अगर पूरे सात रोज के अन्दर बाद पहुंचने ऐसे इतलानामे के या उस जियादा मियाद के अन्दर जिस की अदालत हर सूरत में इजाजत दे, कोई पंच या सरपंच याने जैसी सूरत हो, मुकर्रर न हो तो अदालत बरवक्त गुजरने दरख्वास्त उस फरीक के जिस ने इतलानामा पहुंचाया हो और बाद इस के कि फरीक सानी को सुनाई का मौका दिया गया हो, एक पंच या सरपंच मुकर्रर कर सकती है, या हुक्म निसबत मनसूखी पनचायत सादिर करे और ऐसे सूरत में मुकदमे की कार्रवाई शुरू करे

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५१० वो ५०७ (२) वो ५११ से कायम किया गया है

यह दफा उन मुकदमात में लागू है जिस में पहले पंचों ने कबूल कर लिया और बाद को इंकार किया (इ. ला रि. मदरास जि० ६ सफा ४१४)

जब कि कुछ पंचों ने पनचायत करने से इनकार कर दिया और बाकी पंचो ने फैसला किया तो अदालत उन फैसले पर डिकरी सादिर नहीं कर सकती — अदालत या तो दूसरा पंच मुकर्रर करे या कार्रवाई मुकदमा की चालू करे (इ

ला रि. अलाहाबाद जि० ७ सफा ५२३).

कोई पच बाद पूरी करने तहकीकात के बीमार पड़ जावे और मिसल अदालत में वापिस कर देवे—बाद को उस मियाद के अन्दर जो वास्ते सादिर करने फैसला पनचायती मुकर्रर की जावे वह फैसला पनचायत पर दस्तखत करके वापिस अदालत कर देवे—तो यह करार नहीं दिया जा सकता कि उसने कार्रवाई करने में गफलत की या उस ने इनकार किया बल्कि ऐसी सूरत में फैसला पनचायती जायज रहेगा (१ अलाहाबाद ला. जरनल सफा ५८३).

जब किसी मामले के तसफिया के लिये सिर्फ एक पच मुकर्रर किया गया तो सरपच मुकर्रर नहीं हो सकता (२५ वकिली रपोर्ट सफा ११)

इस दफा वो दफा ८ में लिखे हुये वजूहात पर हुक्म हवालगी पनचायत मनसूख हो सक्ता है (११ मदरास ला जरनल रिपोर्ट सफा १२८).

हवालगी पनचायत का हुक्म मनसूख करने के बाद अदालत को मुकदमा के समायत के लिये एक तारीख मुकर्रर करके फरीकैन को इत्तला देना चाहिये (२३ वकिली रपोर्टर सफा २१).

जब कि पनचायत में मुकदमा सुपुर्द करने के इकरारनामे से अदालत को सरपच मुकर्रर करने का अख्त्यार नहीं दिया गया है तो अदालत सरपंच मुकर्रर नहीं कर सक्ती (इ. ला. रि अलाहाबाद जि० ८ सफा ६४).

अदालत सिर्फ इस दफा के रू से पच मुकर्रर कर सक्ती है—जब कोई फरीक कोई पच चुन लेवे तो वह इस वजह पर अदालत से दूसरा पच चुनने के लिये नहीं कह सक्ता है कि वह पच जिस को उस ने चुना था फरीकसानी का दोस्त निकला (३ अलाहाबाद ला जरनल सफा १८५).

अगर कोई पञ्च फरीक का कर्जदार हो और यह बात दूसरे फरीक को मालूम न हो तो मालूम होने पर वह दूसरा फरीक वैसे पच के मुकर्रर होने के लिये उजर कर सकता है—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि० २६ सफा २७८).

जो पंच या सरपच बमूजिब फिकरा ४ या ५ मुकर्रर कियाजाय उस के अख्त्यारात

६ हर पंच या सरपच जो फिकरा ४ या ५ के बमूजिब मुकर्रर हो उसे मुकदमा में कारबंद होने का उसी तरह अख्त्यार होगा कि मानो उस का नाम हुक्म सुपुर्दगी मुकदमा पंचायत में दर्ज था

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५१२ से कायम की गई है

७ (१) अदालत को लाजिम है कि बनाम उन फरीकैन और गवाहों के जिन का इजहार पंच या सरपंच लेना चाहते हों वैसे हुक्मनामे जारी करे जैसे कि अदालत अपने इजलास के मुकद्मात में सादिर करती है

गवाहों की तलबी और उन की गैरहाजरी

(२) जो शख्स के मुताबिक हुक्मनामा मजकूर हाजिर न हो या उन से और किसी तरह का कुसूर हो, या शहादत देने से इनकार करे, या तहकीकात मुकद्मा में पंच या सरपंच के निसबत गुसताखी करे, तो वह मुस्तौजिब इस अमर के होंगे कि ऐसा तावान और तदारूक और सजा अदालत के हुक्म से दरख्वास्त पंच या सरपंच के गुजरने पर आयद हो जैसे बहालत फैसला होने मुकद्मात के अदालत में बवजह उनहीं कसूरों के आयद होती

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५१३ से कायम की गई है

८ अगर पंचान या सरपंच मियाद मुन्दर्जा हुक्म के अन्दर अपने फैसले को पूरा न कर सकें, तो अदालत वास्ते दाखिल होने फैसले के अगर मुनासिब समझे जियादा मियाद दे और चाहे पहले या बाद गुजरने उस मियाद के जो वास्ते सादिर होने फैसला पंचायती के मुकर्रर हुई हो वकतन फवकतन उस को बढ़ाती रहे या हुक्म निसबत मनसूखी पंचायत के सादिर करे और ऐसी सूरत में मुकद्मे की कार्रवाई शुरू करेगी

बढ़ाया जाना मियाद का वास्ते सादिर होने फैसला पंचायती के

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५१४ से कायम की गई है

मोहलत बढ़ाने की दरख्वास्त तहरीरी होना चाहिये (इं ला रि मदरास ३ सफा ५६)

अदालत इस दफा की रूसे फैसला पंचायती सादिर होने के पहले किसी वक्त कार्रवाई कर सक्ती है (इं ला. रि अलाहाबाद जिल्द १४ सफा ३४३)

९ जब सरपंच मुकर्रर हो चुका तो उसे अख्तयार होगा कि बजाय पंचों के नीचे लिखे सूरतों में मुकद्मे की खुद तजवीज करे

किस सूरत में सरपंच बजाय पंचों के कारवाई कर सकेगा

[क] अगर उन्हों ने मियाद मुकर्ररा को बिला सादिर करने फैसला के गुजरने दिया हो—या

[ख] जब उन्हों न अदालत या सरपच को इत्तला तहरीरी इस अमर की दी हो, कि उन लोगों में इत्तफाक राय की नहीं हो सक्ती है

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५१५ से कायम की गई है.

१० जब मुकद्दमे में फैसला सालसी सादिर हो तो वह शख्स जिन्हों ने उस को सादिर किया है उस पर दस्तखत करके उस को अदालत में मैं किसी इजहारात और दस्तावज के जो उन के रूबरू ली गई हो और साबित हुई हो भेज दें—और इत्तला दाखिल करने फैसला पचायती की फरीकैन को दी जाय

फैसला सालसी दरखास्त होकर अदालत में दाखिल होना

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५१६ से कायम की गई है.

अदालत पर यह फर्ज है कि फैसला पचायती दाखिल होने की इत्तला फरीकैन को दे (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द २० सफा ४७४)

मसौदा फैसला पचायती का जिस पर पच के दस्तखत हैं वह फैसला पचायती है (२ मदरास हाई कोर्ट रिपोर्ट सफा १७८)

उस सूरत में कि जब फरीकैन को फैसला पचायती दाखिल होने के बगैर डिकरी सादिर कर दी जाय तो वह डिकरी नाजायज है (इ ला. रि. मदरास जिल्द ११ सफा १४४)

पचों को एक ही वक्त और दूसरे के रूबरू फैसला पचायती पर दस्तखत करना जरूर नहीं है (इ ला. रि मदरास जिल्द १८ सफा २२)

जब तीन पच में से दो पच सिर्फ फैसला पचायती पर दस्तखत करके अदालत में दाखिल कर दें और तीसरा पच बाद दाखिल होने फैसला पचायती के अदालत में दस्तखत करे तो वह फैसला पचायती नाजायज है (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ३३ सफा ४६८)

जब कि फैसला पचायती सादिर कर दिया गया ` " को उस के तजवीज

सानी करने का अखत्यार नहीं है (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ९ सफा ५७५).

हर पच की हाजरी पचायती की हर बैठक में और खास कर अखीर बैठक में जब कि फैसला किया गया, फैसला को जायज बनाने के लिये जरूर है—(इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ५ सफा ५३२).

११ अगर कोई मुकद्दमा अदालत के हुक्म से पचों के सुपुर्द किया गया हो तो पनचान या सरपच को अख्त्यार होगा, कि अदालत की इजाजत से अपनी पचायती तजवीज को निसबत कुल या जुज उस अमर के जो सुपुर्द सालसी हुआ हो,बतौर मुकद्दमा खास अदालत की राय के वास्ते तहरीर करे-और अदालत उस की निसबत अपनी राय लिखेगी-और यह राय फैसले में शामिल होकर फैसले का एक जुज करार पायेगी

तहरीर बतौर मुकदमा खास मिन जानीब पच या सरपंच

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५१७ से कायम किया गया है.

१२ अदालत बजरिये हुक्म के फैसला पचायती की तरमीम या उस की दुरूस्तगी कर सकती है

फैसला सालसी मे तरमाम या उस का दुरूस्तगी करने क अख्त्यार

(क) जब यह मालुम हो कि फैसला सालसी का कोई हिस्सा एक ऐसे अमर की बाबत है जो सुपुर्द सालसी नहीं किया गया था और जुज मजकूर बकीया हिस्सा से अलेहदा हो सक्ता हो, और तजवीज सालसी पर जो सुपुर्द किये हुये अमर के निसबत है असर नही पहुचता है—या,

[ख] जब कि फैसला सालसी का ठीक नमूना में न हो, या उस में कोई ऐसी गलती सरीह पाई जाती हो जिस की दुरुस्तगी तजवीज सालसी मजकूर मे असर पहुचाने के बगैर हो सकी है—या

[ग] जब फैसला सालसी में कोई लफ्जी गलती हो, या कोई ऐसी गलती हो जो इतफाकन हो या भूल से हुई हो

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५१८ से कायम की गई है जिमन (ग) नया है

जब कि फसला पनचायती का एक हिस्सा निसबत उस अमर के है जो उन

के हवाला वास्ते फैसला के किया गया और दूसरा हिस्सा उस अमर के बाहर है मगर दोनों हिस्से अलेहद होने के लायक हैं तो कुल फैसला पनचायती नाजायज नहीं है (इ. ला. रि. २६ कलकत्ता सफा ८५४ प्रीवी कौंसिल)

लेकिन अगर अलेहदा होने के लायक न हो तो मामला फिर पचों के पास दफा १४ के रू से वापिस करना चाहिये—देखो इसी आर्डर की १४ (क) फैसला पचायत निसबत उन अमूरात के जो सिपुर्द नहीं किये गये नाजायज समझा जायगा (इ ला रि. अलाहाबाद जि० २३ सफा ३६४ व इ ला रि. मदरास जि० २१ सफा ३०३).

हुक्म निसबत खरचा पनचायत के

१३ अदालत को अख्त्यार है कि हुक्म मुनासिब निसबत खरचा पनचायत के सादिर करे—ब शरते कि कोई सवाल निसबत खरचा मजकूर के पैदा हुआ हो और फैसला मजकूर में खरचा के निसबत तजवीज काफी दरज न हुई हो

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५१६ से कायम की गई है

कब फैसला सालसी या वह अमर जो पचों के सुपुर्द किया गया हो वापिस किया जा सक्ता है

१४ अदालत फैसला सालसी को या किसी अमर को जो पचों के सुपुर्द किया गया हो वास्ते नजरसानी के उन्ही पचों या सरपच के पास ऐसी शरायत के साथ जो उस के नजदीक मुनासिब मालूम हो वापिस कर सक्ती है—याने,

(क) उस हाल में कि हवाला किये हुये अमूरात में से कोई अमर बिला तजवीज रह गया हो—या जो अमर के सालसों के सुपुर्द नही किया गया था उस की तजवीज हुई हो तावक्ते कि अमर मजकूर हवाला किये हूये अमर की तजवीज में असर पहुचाने के बगैर अलेहदा न किया जा सक्ता हो

(ख) जिस हाल में कि फैसला पचायती ऐसा मोहमील हो कि तामील उस की ना मुमकिन हो

(ग) जिस हाल में कि फैसला पचायती के देखने से कोई एतराज निसबत जायज होने फैसला मजकूर के पाया जाता हो

तशरीह [illegible] दफा पुराने एक्ट की दफा ५२० से कायम की गई है.

एक्ट [illegible] के रू से जो पचायती हो उस में यह

दफा लागू [illegible] २६ सफा ७६३)

जब कि पचों का फैसला पंचायती वास्ते तसफ़िया मुकदमा के काफी है तो अगर उस फैसले से वह कुल अमूरात जो सुपुर्द किये गए थे तसफ़िया नहीं पाए हैं तो वह वापिस नहीं होना चाहिये (इ. ला रि १६ कलकत्ता सफा ८०६).

अगर फैसला पचायती मे फरीकैन को किसी अमर के बाबत बज़रिये नालिश नबरी चाराजोई करने का अख़्त्यार दिया गया है तो वह फैसला नाजायज नहीं है (इ. ला. रि १५ मद्रास सफा ३४८).

१५ (१) जो फैसला के कायदा १४ के रू से वापिस किया गया हो अगर पच या सरपंच उस पर नजरसानी न कर सकें तो वह नाजायज हो जायगा—लेकिन कोई फैसला सालसी काबिल मनसूखी न होगा सिवाय नीचे लिखे हुये वजह में से किसी वजह पर याने —

वजह मनसूखी फैसला पचायती

(क) पच या सरपच के रिशवत लेने या बद चलनी के,

(ख) किसी फरीक का इस तरह पर कुसूवार होना कि जिस अमर को उसे जाहिर कर देना चाहिये था वह उस ने फरेब से छिपा रखा, या जान बूझ कर पच या सरपच को मुगालता या धोका दिया हो

(ग) फैसला सालसी बाद उस हुक्म के किया गया हो जो कि अदालत ने निसबत मनसूखी सालसी और जारी करने कार्रवाई मुकदमा के सादिर किया हो या बाद गुजरने उस मियाद के किया गया हो जो अदालत की तरफ से मुकर्रर की गई थी या फैसला सालसी किसी और तरह नाजायज हो

(२) अगर कोई फैसला सालसी जिमन [१] के बमूजिब नाजायज हो जाय या मनसूख कर दिया जाय तो अदालत हुक्म मनसूखी सालसी के सादिर करेगा और ऐसी सूरत में मुकदमे की कार्रवाई जारी रखेगी

तशरीह — यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५२१ से कायम की गई है शिक़मी दफा २ नई है.

इस दफा के वो दफा १६ के अहकामात अदालत अपील से मुताल्लुक़ हैं (इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द १० सफा ८)

कोई फैसला पचायती इस दफा के रू से इस वजह पर मनसूख नहीं किया जा सकता कि हुक्म हवालगी बमूजिब दफा १ में बेजाब्तगी है (११ कलकत्ता

जिस फैसला पचायती के रू से डिकरी सादिर की गई तो उस पर से अपील बवजह बदचलनी पच नहीं हो सक्ती (८ कलकत्ता वीकली नोट सफा ६१६).

फैसला पचायत सिर्फ निस्बत अमूरात वाकेआती ही कतई श्री गैर काबिल अपील न होगा, बल्कि निस्बत अमर कानूनी भी कतई वो गैर काबिल अपील होगा, गो पचों ने वैसे कानून को समझने में गलती की हो—(इ. ला रि. कलकत्ता जि० २६ सफा १६७ प्रीवी कौंसिल).

अपील सिर्फ दो सूरतों में होगी :—

(१) जब कि डिकरी फैसला से जियादा हो या (२) फैसला के मुताबिक न हो—

हुक्म पंचायत बमूजिब इकरारनामा.

१७ (१) अगर कोई शख्स बजरिये इकरारनामा तहरीरी के यह बात कबूल करें कि कोई झगडा जो उन के दरम्यान में हो बास्ते पचायत के सुपुर्द किया जाय तो फरीकैन इकरार नामा या उन में से कोई उस अदालत में जिस को झगड़ा मुन्दरजे इकरारनामा के निसबत अख्त्यार समाअत का हासिल हो दरख्वास्त इस की दे सका है, कि इकरारनामा मजकूर अदालत में दाखिल किया जाय,

दरखास्त वास्ते दाखिल करने इकरारनामा खालसी अदालत में

(२) दरखास्त तहरीरी होना चाहिये और उस पर नम्बर डाला जायगा और जब कि दरखास्त फरीकैन में से सब की तरफ से हो तो मुकदमा दरम्यान एक या कई फरीक के जो गरज रखते हैं या गरज मन्द होने के दावीदारों के बतौर मुद्दई, या मुद्दईयान और दूसरे एक या कई फरीक बतौर मुद्दायलेह या मुद्दायलेहुम के रजिस्टर में दर्ज किया जायगा और अगर दरख्वास्त कुल फरीक की तरफ से न हो तो दरम्यान सायल बतौर मुद्दई और दीगर शख्स बतौर मुद्दायलेहुम के कायम होगा

(३) अदालत यह हुक्म देगी कि इत्तला-
नामा बनाम के जो शरीक दरखास्त न हुये हों
इस अन्दर मियाद मुकर्ररा इत्तला

नामा के वजह काफी निसबत न दाखिल होने इकरारनामा के पेश करें

(४) अगर कोई वजह काफी पेश न की जाय तो अदालत इकरारनामा दाखिल करने का हुक्म देगी और उस पंच को जो इकरारनामा की शर्तों से मुकर्रर हुआ हो कार्रवाई पंचायती करने का हुक्म देगी या अगर इकरारनामे में कोइ पंच मुकर्रर न हो और फरीकैन में इत्तफाक न हो सके तो एक पंच मुकर्रर कर देगी

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५२३ से कायम की गई है

यह दफा उस सूरत में लागू नहीं है जब कि एक मुकदमा मुलतवी है जिस से उस अमर पर असर पहुंचता है जो कि सुपुर्द पंचायत किया गया है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ३० सफा २१८-२१).

इस दफा के रूसे जो फैसला किया जावे वह डिकरी है और उस के नाराजी से अपील हो सकी है (इ ला रि मदरास जिल्द २२ सफा २९९)

इकरारनामे को दाखिल करने से इनकार करने का हुक्म काबिल अपील नहीं है (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ५ सफा ३३३)

याददाश्त अपील पर पूरा रसूम अदालत बमूजिब कीमत जायदाद मुतनाजिया के लगाया जायगा (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ५ सफा ३३३).

यह दफा उस वक्त लागू होगी जब मुकदमा दायर न हुआ हो, और लोग अपना झगड़ा पंचायत की मारफत तोड़ना चाहें—और अगर नालिश हो गई है और फिर पंचायत कराना चाहते हैं तो दफा १ के मुआफिक कार्रवाई की जावे—

मुलतवी किया जाना मुकदमा का दरसूरत इकरार नामासालसी के

१८ अगर कोई फरीक इकरारनामा सालसी या कोई ऐसा शख्स जो बजरिये उस के दावीदार हो किसी दूसरे फरीक इकरारनामा के नाम या उस शख्स के नाम जो बजरिये उस के दावीदार हो, किसी ऐसे अमर की निसबत नालिश दायर करे जिस के सालसी के बाबत फरीकैन में इकरार हुआ हो, तो किसी फरीक नालिश मजकूर को अख्तियार है कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो, और हर हालत में अमर तनकीह तलब निकाले जाने के वक्त या उस के पहले, मुकद्दमा के मुलतवी किये जाने की दरखास्त अदालत में दे—और अगर अदालत का इतमीनान हो

जाये कि कोई काफी वजह नहीं है कि वह मामला हस्ब शरायत इकरारनामा सुपुर्द पनचायत क्यों न किया जाय और यह कि दरख्वास्त देने वाला वर वक्त दायरी नालिश कुल अमर जरूरी मुतालके कार्रवाई सालसी के करने पर आमादा और राजी था, और अब तक है तो अदालत हुक्म मुलतवी किये जाने मुकदमा का सादिर कर सक्ती है

तशरीह:—यह कायदा नया है

यह दफा उस वक्त लागू होगी, जब मुकदमा पञ्चायत के इकरार होने के बाद दायर किया जाय—

अहकाम मुताल्लिक कार्रवाई कायदा १७

१९ ऊपर लिखे हुये अहकाम जहां तक वह किसी इकरारनामा दाखिल शुदा बमूजिब कायदा १७ के खिलाफ न हो कुल कार्रवाई से जो बमूजिब हुक्म सादिर किया हुआ अदालत, निसबत सुपुर्दगी सालसी, हस्ब कायदा मजकूर अमल में आया हो और फैसला सालसी से और उस डिकरी से जो उस के बमूजिब सादिर हुई हो मुताल्लुक होंगे

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५२४ से कायम किया गया है

इस दफा से फैसला पचायत बवजह बद चलनी पच मनसूख करने की मुमानियत नहीं है गो इकरारनामे में यह जिकर हो कि फैसला मजकूर बतौर फैसला कतई मनजूर किया जायगा—(इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ६ सफा ३९८)•

पनचायत जो बिला तवस्सुत अदालत के हो.

दाखिल किया जाना फैसला पचायती का जो बिला तवस्सुत अदालत के हुआ हो

२० (१) जब कोई अमर बिला तवस्सुत किसी अदालत के सालसी में सुपुरद किया गया हो और उस के बाबत फैसला पनचायती सादिर हो—तो हर शख्स जो फैसला से ताल्लुक रखता हो किसी ऐसी अदालत में जिसे शै मुतनाजीया फैसला पनचायती की समायत का अखत्यार हासिल हो इस अमर की दरख्वास्त दे सक्ता है कि फैसला पनचायती दाखिल अदालत किया जावे

(२) दरख्वास्त तहरीरी होना चाहिये और उस पर नम्बर डाला जायगा और दरज रजिस्टर होकर बतौर एक मुकदमा के तसव्वर की जायगी

जिस में सायल बतौर मुद्दई और दीगर अशखास बतौर मुद्दालेहुम होंगे

(३) अदालत हुक्म सादिर करेगी, कि इत्तलानामा बनाम उन शख्सों के जिन्होंने पंचायत कराई हो और शरीक दरखास्त न हुये हों इस बात का जारी हो कि अशखास मजकूर अन्दर मियाद मुकर्रर के वजह काफी वास्ते न दाखिल होने फैसला पनचायती के पेश करें

तशरीह:—यह कायदा पुराने एक्ट की दफा ५२५ से कायम किया गया है

इस दफा के रूसे जो दरखास्त दी जावे वह उठा ली जा सक्ती है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ३१ सफा ५१६)

निसबत इस अमर के आया फरीकैन ने अमर मुतनाजीया सुपुरद पनचायत किया है या नहीं अदालत को तहकीकात करने का अखत्यार समाअत हासिल है और उस पर तहकीकात इस अमर की करना लाजिम है (इ ला. रि २८ अलाहाबाद सफा ६२१)

अदालत उस फैसला पचायती को दाखिल किये जाने से इनकार कर सक्ती है, जो निसबत उस मामले के हो जो सुपुर्द पचायत नहीं किया गया. (इ ला. रि २९ मद्रास सफा १०३).

जब कि कोई फैसला पचायती गुम हो गया है, तो अदालत उस के निसबत शहादत मानकूली लेकर डिकरी सादिर कर सक्ती है. (इ ला रि १५ मद्रास सफा ९९).

नालिश निसबत इसतकरार हक इस अमर के कि फैसला पचायती फरेबन सादिर किया दायर नही हो सक्ती (इ. ला रि. मदरास जिल्द २० सफा ८९).

इस दफा के रू से जो दरखास्त दी जावे उस पर कोर्टफीस मिसल दीगर दरखास्तों के चाहिये (इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १० सफा ११)

इस कायदे के रू सेजो दरखास्त दी जावे उस की मियाद बमुजिब मद १७८ एक्ट मियाद के ६ माह तारीख फैसला पचायती से है—तारीख फैसला पचायती वह तारीख है जब कि वह फरीकैन को सुनाया गया (इ ला रि कलकत्ता जिल्द ९ सफा ५७५).

जब फरीक सानी के उजरों को नामनजूर करने के बाद डिकरी सादिर की गई तो अपील नहीं हो सक्ती (११ कलकत्ता वीकली नोट सफा २२०).

यह दफा उस सूरत में लागू होगी जब नालिश नहीं हुई है और लोगों ने अपने झगड़े का तसफिया बजरिये पचायत करा लिया है और पचों ने और पंचों ने फैसला कर दिया है—वैसा फैसला इस दफा के रू से अदालत में पेश करके बतौर मुकदमा वो डिक्री दर्ज रजिस्टर कराया जा सक्ता है दफा १७ उस वक्त लागू होगी जब नालिश होने के पेश्तर पचायत कराने का सिर्फ इकरार है, मगर पचों ने फैसला न किया हो—

दाखिल होना और अमल में आना फसला पचायत का

२१ (१) अगर अदालत को इस बात का इतमीनान हो जाय, कि अगर मुतनाजिया सुपुर्द पचायत किया गया और उस के निसबत फैसला सादिर हुआ और अगर कोई ऐसा वजह जिस का जिकर कायदा १४ या कायदा १५ में है साबित न की जाय, तो अदालत फैसला मजकूर दाखिल करने का हुक्म देगी, और फैसला सालसी के मुताबिक अपना फैसला सादिर करेगी

(२) इस तरह से सुनाये हुये फैसला के मुताबिक डिकरी सादिर होगी और ऐसी डिकरी की नाराजी से अपील न हो सकेगी सिवाय उस कदर के जो उस फैसले में लिखे हुए से जियादा की डिकरी हो, या उस के मुताबिक न हो

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ५२६ से कायम की गई है, शिकमी दफा २ नई है.

अदालत फैसला पंचायत के जायज वो सच्चे होने के निसबत तसफिया कर सक्ती है (इ. ला. रि. २० मदरास सफा ८६).

इस दफा के मुआफिक जो हुक्म दिया जाय, वह काबिल अपील है—देखो दफा १०४—मगर डिक्री काबिल नहीं है—देखो फिकरा (२) इस दफा का— अगर हुक्म अपील होने पर मनसूख हो, तो डिक्री भी मनसूख समझी जावेगी— (कलकत्ता वी नो. जि० ११ सफा ६४८).

एक्ट दादरसी खास की कुछ इबारत का खारिज किया ॰

२२ एक्ट ... सन ... ७ ई० की दफा २१ के आखीर के ... इकरारनामों पचायती या फैसला ... होंगे, कि जिस, से अहकामात

जमीमा ताजा

तशरीह —यह दफा नई है

२७ लफ्ज यह हैं "लेकिन अगर कोई शख्स जिसने ऐसा माहदा किया है (यानी माहदा पंचायत में सिपुर्द करने का) और माहदा पूरा नहीं किया है उस झगड़े की निसबत नालिश दायर करे, जिसको पंचायत में सिपुर्द करने का माहदा किया गया—तो वैसा माहदा दायरी नालिश में रूकावट करेगा"—यह लफ्ज बमूजिब अहकाम दफा १८ जमीमा साबिसी से निकाल दिये गये हैं--

नमूनेजात — २३ नमूनेजात मुन्दरजे अपेनाडिक्स वास्ते मतलब मुकर्रा के काम में लाये जायेंगे, और उन में हस्ब जरूरत रद्द बदल किया जावे—

तशरीह —यह दफा नई है

(इस जमीमा के नमूनेजात ५ है और वे जमीमा नमूनेजात में शामिल किये गये हैं).

देखो अखीर हिस्सा किताब का — जमीमा ४ के पास —



जमीमा-तीसरा.

इजराय डिकरी मारफत कलेक्टर.

१ जब किसी डिकरी का इजरा हस्ब दफा ६८ साहब कलेक्टर के पास मुन्ताकिल किया जावे तो वह

कलेक्टर के अख्त्यारात

(क) उसी तरह अमल करे, जिस तरह अदालत अमल करती अगर जायदाद गैर मनकूला का नीलाम मुलतवी किया जाय, ताकि मदयुन डिकरी जर डिकरी का इन्तजाम कर सके—या,

(ख) कुल या जुज जायदाद जिस के नीलाम का हुक्म है, उस को बाद अदाई नजराना दवामी मियादी पट्टा पर देकर या उन को रहन करके रुपया डिकरी का जमा करे—या,

(ग) उस जायदाद को जिस के नीलाम का हुक्म है या उस के हिस्सा को जितना जरूर हो बेचे

तशरीह:— यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२१ से कायम की गई है, जो तीन सूरतें इस दफा में बतलाई गई हैं उन्ही में साहब कलेक्टर के अखत्यारात महदूद हैं वह यह हुक्म नहीं दे सक्ता कि जर डिकरी बजरीये किस्तबंदी अदा किया जावें -(इ ला. रि बम्बई जिल्द ७ सफा३३२).

२ जब इजरा किसी ऐसी डिकरी का मुन्ताकिल किया जाय, जिस में हुक्म नीलाम जायदाद गैर मनकूला का मुवाफिक एक माहदे के जिस का असर खास उसी जायदाद पर पहुंचता हो न दिया गया हो बलाकि वह डिकरी जर नक्द की हो जिस के अदाई के लिये अदालत न हुक्म नीलाम जायदाद गैर मनकूला का दिया हो तो साहेब कलकटर को अख्त्यार है कि अगर बाद उतनी तहकीकात के जो जरूरी मालूम हो उस को वजह इस बात की पाई जाय, कि कुल करजा मदयून डिकरी बिला नीलाम उस के कुल हासिल होने वाली जायदाद गैर मनकूला के अदा हो सक्ता है तो उस तरीका से जो इस में बाद को बयान किया गया है अमल करें

कलक्टर की कार्रवाई खास सूरतों में

तशरीह:—यह दफा पुराने ... ३२२ से कायम की गई है

३ (१) हर ऐसी सूरत में जिस का जिकर फिकरा २ मे किया गया है, साहेब कलक्टर को चाहिये कि एक नोटिस कि जिस की तामील के लिये अरसा साट रोज का तारीख मुशतहरी से दिया जायगा इस हुक्म के साथ मुशतहर करे

नोटिस बनाम डिकरीदार और दीगर शख्सों के जो जायदाद पर कुछ दावा रखते है।

(क) कि हर शख्स जो मदयून डिकरी के नाम ऐसी डिकरी जर नकद की रखता हो, जो उस की जायदाद गैर मनकूला के नीलाम से अदा हो सकी है, और जिस को डिकरीदार खुद उस तौर पर अदा कराना चाहता हो, और नीज हर शख्स जिस के पास ऐसी डिकरी जर नकद की हो जिस के वसूली के लिये कारवाई नीलाम जायदाद मजकूर की दायर है, एक नकल डिकरी की और सारटीफिकट उस अदालत का जिस ने डिकरी सादिर की हो, या जो उस की इजरा करता हो, साहेब कलक्टर के रूबरू पेश करे, जिस में यह लिखा हो कि डिकरी की रूसे किस कदर रूपया वाजबुल अदा है

(ख) और यह कि हर शख्स जो जायदाद मजकूर पर कुछ दावा रखता हो, अपने दावे का हाल लिख कर साहेब कलक्टर के पास दाखिल करे, और उस के सबूत के दस्तावेजात (अगर कुछ हो) पेश करे

(२) ऐसा इश्तहार उस अदालत के मकान के किसी नजर गाह आम पर चस्पा किया जायगा जिस ने असल हुक्म नीलाम का सादिर किया हो, और ऐसे दीगर मुकामात पर (अगर कोई हो,) चस्पा किया जायगा जो साहेब कलक्टर को मुनासिब मालूम हो, और जब पता किसी ऐसे डिकरीदार या दावीदार का मालूम हो तो इश्तहार की एक नकल उस के पास जरीये डाक या और तौर पर भेजी जायगी

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२२ (क) से कायम की गई है

जब कि डिकरी नकदी रूपया की वास्ते इजरा साहेब कलक्टर के पास मुन्तकील की जावे, तो कलक्टर को इस दफा के रूसे अखत्यार नहीं है कि किसी उजरदारी की समायत करे जो उन फरीकैन के तरफ से हो जो जायदाद मुश्तहर नीलाम में गरज रखते है, और न उस का यह तसफिया करने का काम है कि आया जायदाद ठीक तौर से कुरक हुई है या नहीं (इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द

२० सफा ४२८)

४ (१) वाद गुजरने मियाद मजकूर के साहेब कलक्टर एक तारीख मुकर्रर करेगा वास्ते सुनने उजरात के जो मदयून डिकरी और ऐसे डिकरीदार या दावीदार लोग (अगर कोई हों) पेश करना चाहे, और नीज वास्ते अमल में लाने ऐसी तहकीकात के जो वास्ते दरयाफ्त किस्म और तादाद ऐसी डिकरीयों और दावीया और जायदाद गैर मनकूला मदयून डिकरी के साहेब मोसूफ को जरूरी मालूम हो, और यह मजाज होगा कि ऐसा समायत और तहकीकात का वक्तन फ़वक्तन मुलतवी करती रहे

जर डिकरी और उस के अदाई के लिये जायदाद गैर मनकूला मौजूदा दरयास्त की

(२) अगर असलीयत या मिकदार जिम्मेदारी कि जो उन डिकरीयों और मतालबेजात के रू से मदयून डिकरी पर हैं, जिन की इत्तला साहेब कलक्टर को हो गई हो, या निसबत तकर्दम वो ताखीर उन डिकरीयों वो मतालबों के, या निसबत जिम्मेदारी जायदाद मजकूर, बाबत अदाये डिकरीयों या मतालबे जात मजकूर किसी तरह का झगड़ा न हो तो साहेब कलक्टर एक कैफीयत तयार करेगा इस तफसील के साथ कि ऐसी डिकरीयों के अदाई के लिये कितना रुपया वसूल किया जायगा और हर एक डिकरी और मतालबा किस तरतीब से अदा किया जायगा, और इस मतलब के लिये कितनी जायदाद गैर मनकूला काबिल हासिल होने के है

(३) अगर कोई ऐसा झगड़ा पैदा हो तो साहब कलेक्टर झगड़ा मजकूर को मै उस के हालात के और अपनी राय के उस अदालत में भेजेगी जिस ने असल हुक्म नीलाम का सादिर किया हो, और झगड़ा के अमर के बाबत जो कार्रवाई होती रही हो उस को ता आने जवाब के मुलतवी रखेगी-अगर अमर झगड़ा उस अदालत के समायत के लायक हो तो वह अमर मजकूर को ते कर देगी, या मुकद्मे को किसी अदालत मजाज समायत में भेजेगी, और जो फेसला आखीर उस के निसबत करार पाय उस की इत्तला साहब कलेक्टर को दी जायगी, उस पर साहब कलेक्टर वह कैफियत जो ऊपर दरज हो चूकी है उस फैसले के मुताबिक तयार करेगी

तशरीहः—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२२ (ख) से कायम की गई है.

दरखास्त वास्ते दरज होने नाम उस कैफियत में जो इस दफा के रूसे तेयार की जावे, [illegible] कैफियत करजा में जो इस तरह से तेयार की जावे [illegible] जिन का जिकर दफा ३ में किया गया है ([illegible] ३१९)

निसबत अमर हक कलेक्टर तसफिया नहीं कर सक्ता (इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द ११ सफा २४)

उस तसफिया की नाराजगी से जिस के जरिये से इस दफा के रूसे किसी दावों का तसफिया किया गया है अपील बतौर अपील मुतफरकात हो सक्ती है (इ. ला रि ४ मदरास सफा ४२०).

कब अदालत जिला नोटिस जारी और तहकीकात कर सक्ती है

५ साहब कलेक्टर को अख्तयार है कि इश्तहारात और तहकीकात जिसका जिकर कायदा ३ वो ४ में किया गया है खुद अपनी जात से मुश्तहर करने और अमल में लाने के बदले एक बयान तहरीर करे जिस में हाल मदयून डिकरी और उस की जायदाद गैर मनकूला का जहा तक साहब कलेक्टर को उस का इल्म हो या जिस कदर कागजात मिस्ले से जाहिर हो सराहत के साथ लिखा जायगा और बयान मजकूर को अदालत जिला में भेज देगा—और उस पर अदालत जिला वह इश्तहार जारी करगी, और वह तहकीकात अमल में लायगी, और वह कैफियत लिखेगी जो कायदा ३ वो ४ में दर्ज है और कैफियत मजकूर को साहब कलेक्टर के पास भेज देगी

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२२ (ग) से कायम की गई है.

अमर तनाजा अदालत निसबत झगडा

[illegible] फैसला अदालत का निसबत उस झगडा के जो हस्ब कायदा ४ या ५ के हो जहा तक उस को फरीकन मुकदमा से ताल्लुक हो वही असर रखेगा और उसी तरह काबिल अपील होगी जिस तरह डिकरी होती है

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२२ (घ) से कायम की गई है.

तदबीर वास्ते अदाई डिकरी जर नक्द

७ (१) जब तादाद रूपया जिस का वसूल करना जरूर है और मिकदार जायदाद हासिल होने वाली हस्ब कायदा ४ या ५ के हो जाय तो साहब कलेक्टर को अख्तयार होगा कि.

(क) अगर यह मालूम हो कि रूपया बिला नीलाम कुल जायदाद काबिल हसूल के वसूल नहीं हो सक्ता है तो जायदाद मजकूर को नीलाम करने का कार्रवाई करे—या

(क) अगर यह मालूम हो कि रूपया मे सूद (अगर सूद हो) बमूजिब डिकरी, और जब सूद की डिकरी न हुई हो, मै सूद (अगर कुछ हो) उस निरख के मुताबिक जो मुनासिब मालूम हो बिला नीलाम के वसूल करना मुमकिन है तो ऐसी तादाद और सूद (बावजूद हुक्म असल नीलाम के) इकट्ठा इस तौर पर करे—याने

(१) बजरिये देने पट्टा कुल या जुज जायदाद मजकूर के वास्ते हमेशा या किसी मियाद के लिये बाद देने नजराना, या

(२) बजरिये रहन कुल या जुज जायदाद मजकूर, या

(३) बजरिये नीलाम जुज जायदाद मजकूर के, या

(४) बजरिये देने ठेका या खुद अपने इन्तजाम या दूसरे के सरबराहकारी में रखने कुल या जुज जायदाद मजकूर किसी मियाद के लिये जो तारीख हुक्म नीलाम से बीस बरस से जियादा अरसे के लिये न हो, या,

(५) जुज के लिये एक तरीका और जुज के लिये दूसरे तरीकों को अमल में लाने से,

(२) इन्तजाम के वास्ते कुल या जुज जायदाद मजकूर के साहब कलेक्टर को अखत्यार होगा कि कुल अखत्यार उस के मालिक के अमल में लावे

(३) बगरज चढ़ाने कीमत उस जायदाद के जो हासिल होने वाली है या उस के किसी हिस्से के, या इस मतलब से कि यह जायदाद जियादा तर काबिल ठेके पर देने या इन्तजाम खास में रखने के क़ाबिल हो जाय, या उस को किसी मवाखजे की अदाई के लिये नीलाम से बचाने के लिये, साहब कलेक्टर को अखत्यार रहेगा कि किसी मवाखजेदार के दावे को जो वाजबुलअदा हो गया हो अदा करदे, या किसी मवाखजेदार के मतालबा का तसफिया करे, चाहे वह वाजबुलअदा हो गया हो या नहीं, और वास्ते जमा करने ऐसे सरमाया के जिस की मदद से ऐसी अदाई या तसफिया होसके उस कदर जुज जायदाद जो उस के नजदीक मिकदार में काफी हो, रहन करे, या ठेके पर दे, या बै करे, अगर कोई झगड़ा निसबत तादाद उस मवाखज़े के पैदा हो जिस का तै करना साहब कलेक्टर को इस फ़िकरे के बमूजिब मनजूर हो, तो साहब मौसूफ को अखत्यार है कि खुद अपने या मदयून डिकरी के नाम से नालिश वास्ते लिये जाने हिसाब मतालबा के अदालत मुनासिब में दायर करे, या इस बात पर राजी हो कि अमर झगड़ा दो पंचों को जिन मे से एक पंच एक फरीक की ओर

दूसरा पंच दूसरे फरीक की तजवीज से मुकर्रर होगा या ऐसे सरपंच को जिस का दोनो पंच नाम बतलावें, फैसले के लिये सुपुर्द किया जाय

(४) इस कायदे के मुताबिक कार्रवाई करने में साहेब कलेक्टर को लाजिम है कि उन कायदों की पाबन्दी करे जो इस एक्ट की रू से वक्तन फवक्तन लोकल गवर्नमेंट की तजवीज से बनाए जाय

तशरीह —*यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२३ से कायम की गई है.*

वसूली जर बाकी बाद पट्टा या सरबराहकारी

८ अगर पट्टा या सरबराहकारी जिस का जिकर कायदा ७ में किया गया है उस के खतम होने पर तादाद वसूली तलब वसूल न हो जाय तो साहब कलक्टर उस अमर की इतला मुदयून डिकरी या उस के कायम मुकाम को तहरीरी देगा, और उस में यह जाहिर करेगा कि अगर बाकी रूपया जो वास्ते अदाई मतालबेजात मजकूर के दरकार हो इतलानामे की तारीख से छे हफ्ते के अन्दर कलक्टर के पास अदा न किया जाय, तो साहब कलक्टर जायदाद मजकूर को पूरे तौर से या उस के काफी हिस्से को नीलाम करेगा, और अगर छे हफ्ता मजकूर के गुजरने पर वह जर बाकी अदा न किया जाय तो साहब कलक्टर जायदाद मजकूर या उस के हिस्से को नीलाम करेगा

तशरीह —*यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२४ से कायम की गई है.*

कलक्टर अदालत में हिसाब पेश करेगा

९ (१) साहेब कलक्टर वक्तन फवक्तन उस अदालत में जहां से असल हुक्म नीलाम सादिर हुआ हो, हिसाब कुल रूपयों का जो उस के कब्जे में आये हों, और कुल खर्च का जो उन अखत्यारात और खिदमत की तामील में उस के जिम्मे आइद हुये हों, जो इस जमीमे के हदायत के मुताबिक उस को हासिल हैं, दाखिल करे, और जो रूपया बाकी रहे उस को ता सादिर होने हुक्म अदालत अपने पास रखे

(२) खर्चा मजकूर में तमाम कर्जा और देने जो बाबत, जायदाद मजकूर या उस के किसी हिस्सा के सरकार को वक्तन फवक्तन वाजबुलअदा हों, और जर लगान (अगर कुछ हो) जो ऐसी जायदाद या हिस्सा की बाबत वक्तन फवक्तन किसी काबिज आला को देना हो, और खर्चा तलबी गवाहान का भी अगर साहब कलक्टर ऐसी हिदायत करे, शामिल होगा

(३) बकाया अदालत के मारफत नीचे लिखे हुये अमूरात में खर्च किया जायगा

(क) मदयून डिकरी के खानदान में उन लोगों को (अगर कोई हो) खाना कपड़ा देने में जो जायदाद की आमदनी से परवा-

(क) अगर यह मालूम हो कि रूपया मैं सूद (अगर सूद हो) बमूजिब डिकरी, और जब सूद की डिकरी न हुई हो, मैं सूद (अगर कुछ हो) उस निरख के मुताबिक जो मुनासिब मालूम हो बिला नीलाम के वसूल करना मुमकिन है तो ऐसी तादाद और सूद (बावजूद हुक्म असल नीलाम के) इकट्ठा इस तौर पर करे—याने

(१) बजरिये देने पट्टा कुल या जुज जायदाद मजकूर के वास्ते हमेशा या किसी मियाद के लिये बाद देने नजराना, या.

(२) बजरिये रहन कुल या जुज जायदाद मजकूर, या

(३) बजरिये नीलाम जुज जायदाद मजकुर के, या.

(४) बजरिये देने ठेका या खुद अपने इन्तजाम या दूसरे के सरबराहकारी में रखने कुल या जुज जायदाद मजकुर किसी मियाद के लिये जो तारिख हुक्म नीलाम से बीस बरस से जियादा अरसे के लिये न हो, या,

(५) जुज के लिये एक तरीका और जुज के लिये दूसरे तरीकों को अमल में लाने से,

(२) इन्तजाम के वास्ते कुल या जुज जायदाद मजकूर के साहब कलेक्टर को अख्त्यार होगा कि कुल अख्त्यार उस के मालिक के अमल में लावे

(३) बगरज बढाने कीमत उस जायदाद के जो हासिल होने, वाली है या उस के किसी हिस्से के, या इस मतलब से कि वह जायदाद जियादा तर काबिल ठेके पर देने या इन्तजाम खास में रखने के काबिल हो जाय, या उस को किसी मवाखजे की अदाई के लिये नीलाम से बचाने के लिये, साहब कलेक्टर को अख्त्यार रहेगा कि किसी मवाखजेदार के दावे को जो वाजबुलअदा हो गया हो अदा करदे, या किसी मवाखजेदार के मतालबा का तसफिया करे, चाहे वह वाजबुलअदा हो गया हो या नहीं, और वास्ते जमा करने ऐसे सरमाया के जिस की मदद से ऐसी अदाई या तसफिया होसके उस कदर जुज जायदाद जो उस के नजदीक मिकदार में काफी हो, रहन करे, या ठेके पर दे, या बै करे, अगर कोई झगड़ा निसबत तादाद उस मवाखजे के पैदा हो जिस का तै करना साहब कलेक्टर को इस फिकरे के बमूजिब मनजूर हो, तो साहब मौसूफ को अख्त्यार है कि खुद अपने या मदयून डिकरी के नाम से नालिश वास्ते लिये जाने हिसाब मतालबा के अदालत मुनासिब में दायर करे, या इस बात पर राजी हो कि अमर झगड़ा दो पंचों को जिन में से एक पंच एक फरीक की ओर

दूसरा पंच दूसरे फरीक की तजवीज से मुकर्रर होगा या ऐसे सरपंच को जिस का दोनों पंच नाम बतलावें, फैसले के लिये सुपुर्द किया जाय

(४) इस कायदे के मुताबिक कार्रवाई करने में साहेब कलेक्टर को लाजिम है कि उन कायदों की पाबन्दी करे जो इस एक्ट की रू से वक्तन फवक्तन लोकल गवर्नमेंट की तजवीज से बनाय जाय

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२३ से कायम की गई है.

८ अगर पट्टा या सरबराहकारी जिस का जिकर कायदा ७ में किया गया है उस के खतम होने पर तादाद वसूली तलब वसूल न हो जाय तो साहब कलक्टर उस अमर की इत्तला मुदयून डिकरी या उस के कायम मुकाम को तहरीरी देगा, और उस में यह जाहिर करेगा कि अगर बाकी रूपया जो वास्ते अदाई मतालबेजात मजकूर के दरकार हो इत्तलानामे की तारीख से छे हफ्ते के अन्दर कलक्टर के पास अदा न किया जाय, तो साहब कलक्टर जायदाद मजकूर को पूरे तौर से या उस के काफी हिस्से को नीलाम करेगा, और अगर छे हफ्ता मजकूर के गुजरने पर वह जर बाकी अदा न किया जाय तो साहब कलक्टर जायदाद मजकूर या उस के हिस्से को नीलाम करेगा

वसूली जर बाकी बाद पट्टा या सरबराहकारी

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२४ से कायम की गई है.

६ (१) साहेब कलक्टर वक्तन फवक्तन उस अदालत में जहा से असल हुक्म नीलाम सादिर हुआ हो, हिसाब कुल रुपयों का जो उस के कब्जे में आय हो, और कुल खर्च का जो उन अख्त्यारात और खिदमत की तामील में उस के जिम्मे आइद हुये हों, जो इस जमीमे के शरायत के मुताबिक उस को हासिल हैं, दाखिल करे, और जो रूपया बाकी रहे उस को ता सादिर होने हुकम अदालत अपने पास रखे

कलक्टर अदालत में हिसाब पेश करेगा

(२) खर्चा मजकूर में तमाम कर्जा और देने जो बाबत, जायदाद मजकूर या उस के किसी हिस्सा के सरकार को वक्तन फवक्तन वाजबुलअदा हों, और जर लगान (अगर कुछ हो) जो ऐसी जायदाद या हिस्सा की बाबत वक्तन फवक्तन किसी काबिज आला को देना हो, और खर्चा, तलबी गवाहान का भी अगर साहब कलक्टर ऐसी हिदायत करे, शामिल होगा

(३) बकाया अदालत के मारफत नीचे लिखे हुये अमूरात में खर्च किया जायगा

(क) मदयून डिक्री के खानदान में उन लोगों को (अगर कोई हो) खाना कपडा देने में जो जायदाद की आमदनी से परवा-

(क) अगर यह मालूम हो
वमूजिब डिकरी, और उ
(अगर कुछ हो) उ
मालूम हो बिला नीलाम
तादाद और सूद (बा
इस तौर पर करे—

के
लिये

दफा

(१) बजरिये देने
हमेशा या किसी

हुई हो

(२) बजरिये र

आयदाद

(३) बजरिये नी

(४) बजरिये दे
सरबराहक
किसी मिय
बरस से

जरिया बाकी
अदार तक खानी

(५) जुज के
को अम

(२) इन्तजाम के
कलेक्टर को अख्त्यार है
में लावे

(३) बगरज
या उस के किसी हिस्से
काबिल ठेके पर देने या
किसी मवाखजे की
अख्त्यार रहेगा कि
अदा करदे, या किसी
बाजबुलअदा हो
की मदद से ऐसी
उस के नजदीक
अगर कोई झगड़ा
साहब कलेक्टर
अख्त्यार है कि
जाने हिसाब म
हो कि अमर

कलेक्टर गो हिसाब देने का पाबन्द है खाता बही अदालत में भेजने के लिये मजबूर नहीं किया जायगा, और न वह अदालत में फाजल रूपया दाखील करने के लिये मजबूर किया जासक्ता है—(बम्बई ला. रि. जिल्द ६ सफा ८२९),—

१० जब साहब कलक्टर कोई जायदाद इस जमीमा के बमूजिब नीलाम करे उस को चाहिये, कि जायदाद को एक या कई लाट करके जैसा मुनासिब समझे नीलाम आम पर चढ़ाय और अख्त्यार है कि

नीलाम किस तरह होगा

(क) हर लाट के लिये एक नासिब तादाद कीमत की मुकर्रर करदे

(ख) एक मियाद मुनासिब के लिये नीलाम को ऐसी हरसुरत में मुल्तवी करदे जब उस का मुल्तवी करना इस गरज से जरूर मालूम हो कि जायदाद की कीमत मुनासिब हासिल हो, और उस को लाजिम है कि मुल्तवी किये जाने को वजूहात तहरीर करदे

(ग) जायदाद को जब नीलाम पर चढ़े, खुद खरीद करले और उस को बजरिये नीलाम आम या माहदा खानगी के जैसा मुनासिब समझे, फिर फरोख्त करे

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२५ से कायम की गई है

११ (१) जब तक कि साहेब कलक्टर को निसबत जायदाद गैर मन कूल, मदयून डिकरी या किसी हिस्सा जायदाद के उन अख्त्यारात या उन खिदमत के अमल में लाने या करने के जो कायदा १ से १० तक की रूसे उस को दिये गये हैं हासिल रहे तब तक मदयून डिकरी या उस के हक के कायम मुकाम को किसी तरह अख्त्यार न होगा कि जायदाद मजकूर या कोई हिस्सा उस का रहन या किसी देने में माखूज करे, या पट्टे पर दे, या मुन्तकिल करे सिवाय इजाजत तहरीरी साहब कलेक्टर के और न किसी अदालत दीवानी को किसी डिकरी जरनक्द के इजरा में ऐसी जायदाद या उस के हिस्से पर कोई हुक्मनामा जारी करने का अख्त्यार होगा

कैद निसबत इन्तकाल मिनजानिब मदयून डिकरी या उस के कायम मुकाम के और डिकरादार की चारा जोई

(२) मुद्दत मजकूर में कोई अदालत दीवानी किसी डिकरी के इजरा में जिस की अदाई के लिये साहब कलेक्टर ने कायदा ७ के बमूजिब बन्दोबस्त किया हो मदयून डिकरी की जात या उस की जायदाद पर कोई हुक्मनामा जारी न करेगी

रिश पाने के मुस्तहक हैं, और हर अहल खानदान के लिये उस मिकदार तक जो अदालत को मुनासिब मालूम हो- और

(ख) जब साहब कलेक्टर की कार्रवाई मुताबिक फिकरा १ के हुई हो, उस डिकरी की अदाई में जिस के इजरा के लिये अदालत ने हुक्म नीलाम जायदाद गैर मनकुला का सादिर किया हो, या और तरह पर खर्च की जाय जैसा अदालत दफा ७३ के रू से हिदायत करे.

(ग) जब कलक्टर की कार्रवाई फिकरा २ के मुताबिक हुई हो

(१) उन मवाखजों के सुद की तादाद घटाने में जो जायदाद पर हो

(२) जब मदयून डिकरी के पास कोई और जरिया वाकी परवारिश का न हो, तो उस को उस तादाद तक खाना कपडा देने में जो अदालत को मुनासिब मालूम हो -और

(३) उस असल डिकरीदार और दूसरे डिकरीदारों के दरम्यान बतौर हिस्सा रसदी बांटने में जिन्होंने नोटिश याने इत्तलानामा मज़कुर को तामील की हो और जिन के दावी उस तादाद में शामिल हुये हों जिस के वसुल करने के लिये हुक्म हुआ था

(४) कोई और शख्स काबिज डिकरी जर नक्द का उस वक्त तक ऐसी जायदाद की आमदनी या उस की वाकी से रूपया पाने का मुस्तहक न होगा तावक्ते कि उन डिकरीदारों का रूपया, जिनहोंने हुक्म मजकुर हासिल किया हो, अदा न हो जाय, और जर फाजिल (अगर कुछ हो) मदयून डिकरी या किसी और शख्स को जिस की वावत अदालत हिदायत करे, दिया जायगा

तशरीह—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२४ (क) से कायम की गई है.

कलेक्टर कोई रूपया जो इजराय डिकरी में वसूल हो, ता सादिर होने हुक्म उस अदालत दीवानी के रखता है, जिस ने डिकरी उस के पास इजरा के लिये भेजा है—ऐसी रकम के निसवत दफा ७३ के मुताबिक कार्रवाई की जायगी (इ ला रि १६ अलाहाबाद सफा १).

कलेक्टर गो हिसाब देने का पाबन्द है खाता बही अदालत में भेजने के लिये मजबूर नहीं किया जायगा, और न वह अदालत में फाजल रूपया दाखील करने के लिये मजबूर किया जासक्ता है—(बम्बई ला, रि. जिल्द ६ सफा ८२९).—

१० जब साहब कलेक्टर कोई जायदाद इस जमीमा के बमूजिब नीलाम किस तरह होगा नीलाम करे उस को चाहिये, कि जायदाद को एक या कई लाट करके जैसा मुनासिब समझे नीलाम आम पर चढ़ाय और अख्त्यार है कि

(क) हर लाट के लिये एक नासिब तादाद कीमत की मुकर्रर करदे

(ख) एक मियाद मुनासिब के लिये नीलाम को ऐसी हरसुरत में मुल्तवी करदे जब उस का मुल्तवी करना इस गरज से जरूर मालूम हो कि जायदाद की कीमत मुनासिब हासिल हो, और उस को लाजिम है कि मुल्तवी किये, जाने को वजूहात तहरीर करदे.

(ग) जायदाद को जब नीलाम पर चढ़े, खुद खरीद करले और उस को बजरिये नीलाम आम या माहदा खानगी के जैसा मुनासिब समझे, फिरफरोख्त करे

तशरीह —यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२५ से कायम की गई है

११ (१) जब तक कि साहेब कलक्टर को निसबत जायदाद गैर मनकूल. मदयून डिकरी या किसी हिस्सा जायदाद के उन अख्त्यारात या उन खिदमत के अमल में लाने या करने के जो कायदा १ से १० तक की रूसे उस को दिये गये हैं हासिल रहे तब तक मदयून डिकरी या उस के हक के कायम मुकाम को किसी तरह अख्त्यार न होगा कि जायदाद मजकूर या कोई हिस्सा उस का रहन या किसी देने में मास्तूज करे, या पट्टे पर दे, या मुन्तकिल करे सिवाय इजाजत तहरीरी साहब कलेक्टर के और न किसी अदालत दीवानी को किसी डिकरी जरनम्द के इजरा में ऐसी जायदाद या उस के हिस्से पर कोई हुक्मनामा जारी करने का अख्त्यार होगा

कोई निसबत इन्तकाल मिनजानिब मदयून डिकरी या उस के कायम मुकाम के और डिकरीदार की चारा जोई

(२) मुद्दत मजकूर में कोई अदालत दीवानी किसी डिकरी के इजरा में जिस की अदाई के लिये साहब कलेक्टर ने कायदा ७ के बमूजिब बन्दोबस्त किया हो मदयून डिकरी की जात या उस की जायदाद पर कोई हुक्मनामा जारी न करेगी

(३) किसी ऐसी डिकरी के इजरा में जिस पर इस कायदे के हुक्मों का कुछ असर पहुंचे निसवत किसी चाराजोई के जिस से डिकरीदार बवजह असर मजकूर चन्दरोजा महरूम रखा गया हो, मियाद समाअत शुमार करने में मुद्दत मजकूर हिसाब में महसूब न किया जायगा

तशरीहः—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२५ (क) से कायम की गई है.

मदयून की जायदाद जेर अहतमाम कलेक्टर है दौरान अहतमाम मदयून ने उसका रहन नामा लिखा, किसी दूसरे शख्स को तहरीर कर दिया तो वैसा रहननामा वैसे ठेकेदार के खिलाफ बेअसर होगा जिसको कलेक्टर ने जायदाद मजकूर ठेका में दिया था (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २९ सफा ४१५)—मगर रहननामा रद्द न समझा जावेगा मुरतेहन उससे फायदा उठा सकेगा जब जायदाद कलेक्टर के अहतमाम से छूटे—(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ३६ सफा ५१०)—

लफ्ज "मुन्तकिली" में मुन्तकिली बजरिये वासियत शामिल नहीं है—(इं. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३३ सफा २३१).

हुक्म अगर जायदाद कई जिलों में हो

१२ जब वह जायदाद जिस के नीलाम होने का हुक्म हुआ हो एक जिला से जियादा जिलों में वाके हो तो वह अखत्यारात और खिदमात जो बमूजिब हुक्म कायदा १ से १० तक साहब कलेक्टर को हासिल हैं और उन के जिम्मे रखे गये हैं वक्तन फवक्तन ऐसे जिलों के कलेक्टरों में से उस कलेक्टर की मारफत अमल में आयेंगी और तामील पायगें जिस को लोकल गवर्नमेंट बजरिये किसी कायदा आम या हुक्म खास के मुकर्रर करे

तशरीहः—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२५ (ख) से कायम की गई है

अखत्यारात कलेक्टर निसवत हाजरी फरीकैन और गवाहन और पेशी दस्तावेजात

१३ व तामील उन अखत्यारात के कायदा १ से १० तक की रूसे कलेक्टर को दिये गये हैं कुलेक्टर मौसूफ को वास्ते जबरन हाजिर कराने फरीकैन मुकदमा और गवाहों के और पेश कराने दस्तावेजात के वही अखत्यारात हासिल होंगे जो अदालत दीवानी को हासिल हैं

तशरीहः—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२५ (ग) से कायम की गई है.

"समाप्त"

जमीमा चौथा.

(देखो दफा १५५)

एक्ट हाय तरमीम शुदा.

१	२	३	४
सन	नं.	मुख्तासिर नाम	तरमीम
१८७०	७	एक्ट रसूम अदालत सन १८७० ई०	जमीमा अव्वल के मद नं० १ में बाद लफ्ज "अर्जीदावा,, के अलफाज "बयान तहरीरी जिस में कि मुजरा या दावा मुकाबिल,, औरबादा लफ्ज "एक्ट'' लफ्ज "या क्रास आबजेकशन (उजरदारी)" दर्ज किया जायगा. जमीमा २ के मद ११ में से अलफाज " बनाराजी किसी हुक्म ना मनजूरी अर्जीदावा या" निकाल दिये जायेंगे वजाय इबारत मुन्दर्जा खाना अव्वल जमीमा २ मद नं० १६ के इबारत जैल पढना चाहिये " इकरारनामा तहरीरी जिस में कोई अमर वास्ते लेने राय अदालत के बमूजिब मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १९०८ बयान किया जाय"

(३) किसी ऐसी डिकरी के इजरा म जिस पर इस कायदे के ... का कुछ असर पहुंचे निसबत किसी चाराजोई के जिस से डिकरीदार ... असर मजकूर चन्दरोजा महरूम रखा गया हो, मियाद समाअत शुमा... में मुद्दत मजकूर हिसाब में महसूब न किया जायगा

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२५ (क) ... की गई है,

मदयून की जायदाद जेर अहतमाम कलेक्टर है दौरान अहतमा... उसका रहन नामा लिखा, किसी दूसरे शख्स को तहरीर कर दिया तो ... मा वैसे ठेकेदार के खिलाफ बेअसर होगा जिसको कलेक्टर ने जायदा... में दिया था (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २६ सफा ४१५) रद्द न समझा जावेगा मुरतेहन उससे फायदा उठा सकेगा जब ... के अहतमाम से छूटे—(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ३६ सफा ५-...

लफ्ज " मुन्तकिली " में मुन्तकिली बजरिये वसीयत श... ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३३ सफा २३१).

१२ जब वह जायदाद जिस के नीलाम होने ... जिला से जियादा जिलों में ... रात और खिदमात जो वमू... १० तक साहब कलेक्टर को हासिल है और उन के ... फवक्तन ऐसे जिलों के कलेक्टरों में से उस कलेक्टर... आयेंगी और तामील पायेंगे जिस को लोकल गवर्नमें... आम या हुक्म खास के मुकर्रर करे

हुक्म अगर जायदाद कई जिलों में हो

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२... गई है.

१३ व तामील उन अख्तयारात के कायदा ... कलेक्टर को दिये गये हैं ... जबरन हाजिर कराने ... के और पेश कराने दस्ताबे... हासिल होंगे जो अदालत दीवानी को हासिल हैं

अख्तयारात कलेक्टर निसबत हाजरी फरीकैन और गवाहन और पेशी दस्तावेजात

तशरीह:—यह दफा पुराने एक्ट की दफा ३२... गई है.

" तमाम ".

१	२	३	४
सन	नंबर	मजमुन या मुख्तसर नाम.	मिकदार मनसूकी
१८८८	१०	एक्ट तरमीम करने वाला एक्ट मुतालबेजात खफीफा शहर प्रसीडिन्सी सन १८८८ ई०	उस कदर हिस्सा जो मनसूख नहीं हुआ था—
१८९०	८	एक्ट वली व नाबालिगान सन १८९० ई	दफा ५३
१८९१	१२	एक्ट मनसूख व तर्मीम करनेवाला सन १८९१ ई	उस कदर हिस्सा जो एक्ट १४ सन १८८२ ई और एक्ट ७ सन १८८८ ई, से मुताल्लुक है.
१८९२	६	एक्ट मियाद समाअत वो एक्ट तर्मीम करनेवाला मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८९२ ई	किस्म और दीवानी में अलफाज " और मजमूआ जाब्ता दीवानी,, और दफा २ व ३ व ४.
१८९४	५	एक्ट तर्मीम करनेवाला मजमूअ जाब्ता दीवानी सन १८९४ ई	कुल एक्ट
१८९५	७	एक्ट तर्मीम करनेवाला एक्ट कवानीन पंजाब सन १८९५ ई	दफा १ व २.
१८९५	१३	एक्ट तर्मीम करनेवाला मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८९५ ई	कुल एक्ट.
१९००	६	एक्ट अदालत हाय लुअर ब्रम्हा सन १९०० ई	उस कदर हिस्सा जमीमों का जो एक्ट १४ सन १८८२ ई से मुताल्लुक है

जमीमा पांचवा.

(देखो दफा १५६)

एक्ट हाय मनसूख शुदा.

नोटः— यह जमीमा बमुजिब दूसरा मनसूख वो तरमीम करने वाले एक्ट नं० १७ सन १९१४ दफा ३ के मन्सूख हुआ है—

१	२	३	४
नम्बर	सन	मजमून या मुख्तसर नाम	मिकदार मनसुखी
		एक्ट हाय सादिर किये हुय नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल.	
१८७०	७	एक्ट रसूम अदालत सन १८७०	दफा १९ वो मद १५ जमीमा २
१८८२	४	एक्ट इन्तकाल जायदाद सन १८८२ ई०	दफात ८५ लगायत ९० व ९२ लगायत, ९४ व ९६ व ९७ व ९९ और दफा १०० में इबारत "और तमाम शरायत मर्कूमा सदर जो उस मुर्तहिन से मुताल्लुक कीगई हैं, जोजायदाद मर्हूनाके नीलाम कराने की नालिशकरें"
१८८२	१४	मजमूआ जाब्ता.	कुल एक्ट
१८८२	१५	एक्टअदालतहायमतालबेजात खफीफा शहर प्रेसीडिन्सी सन १८८२ ई	फिकरा अखीर दफा ३ का
१८८८	६	एक्ट करजदारान सन १८८२ ई०	दफात २ से ८ तक
१८८८	७	एक्ट तरमीम करने वाला मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८८ ई.	उस कदर हिस्सा जो मनसूख नहीं हुआ या बजुज दफा १ व ६५ व जिमन हाय १ व ३ व ४ दफा ६८

तितम्मा अपेनडिक्स.

अपेनडिक्स—(क).

प्लिडिंग

सरि नामा मुकदमा.

ब अदालत——————

(क ख) (यहा वल्दीयत कौम पेशा बगैरा और जाय सकूनत लिखना चाहिये)

मुदई.

बनाम

(ग घ (यहा वल्दीयत कौम व पेशा बगैरा और जाय सकूनत लिखना चाहिये)

मुद्दायलेह.

(२) कैफियत फरीकैन व मुकद्मात खास

सेक्रेटरी आफ स्टेट बहादुर हिन्द बइजलास कौंसिल.

एडवोकेट जनरल बहादुर मुकाम

कलेक्टर जिला

स्टेट.

जमीनी.



नमूनेजात.

(३) अर्जीदावा,

नम्बर—१

बाबत रुपयों के जो कर्ज दिया गया

(सार नामा)

(क ख.) मुद्दई हस्ब जैल अर्ज करता है.

१ बतारीख माह सन मुद्दई ने मुद्दायलेह को मुबलिग कर्ज दिये जो बतारीख फला वाजिबुल अदा थ

२ मुद्दायलेह ने जर मजकूर नहीं अदा किया बजुज मुबलिग के जो बतारीख माह सन दिये

अगर मुद्दई किसी कानून मियाद से मुकदमे के मुस्तसना होने का मुस्तदई हो तो बयान करे

३. मुद्दई तारीख माह सन से ता तारीख माह सन नाबालिग (या फातिरूलअकल) था

४ यहां लिखना चाहिये कि बिनाय मुखासमत कब पैदा हुई और यह कि अदालत को मुकदमा में अख्त्यार हासिल है

५ मालियत शै मुतदाविया नालिश की बगरज अख्त्यार अदालत रुपया है और बगरज कोर्ट फीस रुपया है

६ यह कि मुद्दई दावेदार मुबलिग का मै सूद फी सदी के तारीख माह सन से है.

नम्बर—२

बाबत रुप्ये के जो जायद दिया गया

(क. ख) कम्पनी लिमिटेड जिस का रजिस्ट्री शुदा दफ्तर बमुकाम   है.

(क ख.) पबलिक अफसर (ग. घ) कम्पनी का

(क ख) (मै वल्दीयत कौम व पेशा व सकूनत) अज जानिब अपने और जुमला दीगर साहूकारान [ग. घ] मुतवफ्फी (मै वल्दीयत कौम व पेशा व सकूनत) के

(क. ख) (मै वल्दीयत कौम व पेशा व सकूनत) अज जानिब अपने और दीगर काबिजान डिबेंनचर के जिन को   कम्पनी लिमिटड ने जारी किया

अफीसल रिसीवर.

(क. ख) नाबालिग (मै वल्दीयत व सकूनत वगैरा) बजरिये (ग घ.) या कोर्ट आफ वार्डस अपने रफीक के

(क. ख) (मै वल्दीयत व सकूनत वगैरा) फातिरूलअकल या पागल बजरिये (ग. घ.) अपने रफीक के.

(क. ख.) कोठी जो शराकती कारबार बमुकाम   करती है.

(क. ख) (मै वल्दीयत व सकूनत वगैरा) बजरिये (ग. घ.) (मै वल्दीयत व सकूनत वगैरा) अपने अटरनी बाजाब्ता के.

(क ख) (मै वल्दीयत सकूनत वगैरा) शबेत ठाकुर

(क. ख) (मै वल्दीयत व सकुनत वगैरा) वसी (ग घ.) मुतवफ्फी का.

(क. ख.) (मै वल्दीयत व सकुनत वगैरा) वारिस (ग. घ.) मुतवफ्फी का.

---

३ जर मजकूर उस ने नहीं अदा किया है.

४. बतारीख माह सन (ड. च) फौत हो गया और अपने अखीरी वसीयतनामा के जरिये से अपने भाई याने मुद्दई को अपना वसी मुकर्रर किया.

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नंबर १ लिखना चाहिये)

७. मुद्दई बतौर वसी करता है.

(दादरसी मुतदाविया)

नम्बर—४.

बाबत माल के जो कीमत मुनासिब पर फरोख्त और हवाला किया गया

(किस्म)

(क ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है:—

१ बतारीख माह सन मुद्दई ने मुतफर्रकात असबाब खानादारी) मुद्दायलेह के हाथ फरोख्त और हवाला किया लेकिन उस की कीमत के बाब में कुछ साफ करार व मदार नहीं हुआ था.

२. असबाब मजकूर की कीमत मुनासिब मुबलिग थी.

३ मुद्दायलेह ने जर मजकूर नहीं अदा किया

(मजमून फिकरा ४-५ नमूना न० १ वो दादरसी मुतदाविया)

नम्बर—५

बाबत अशया के जो कि मुद्दायलेह की दरख्वास्त से बनाई गई और उस ने नहीं लीं

(किस्म)

(क ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है:—

१ यह कि बतारीख माह सन बमुकाम

(किस्म)

(क ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है.

१, बतारीख माह सन मुद्दई सलाख चादी की व हिसाब आना फी तोला चादी खालिस के खरीदने पर और मुद्दायलेह उस के बेचने पर राजी हुआ था

२ मुद्दई ने सलाख मजकूर मुसम्मी (ड. च.) से जचवाई और उस की उजरत मुद्दायलेह ने अदा की और (ड, च) मजकूर ने जाहिर किया कि उन सलाखों में से हर एक १५०० तोला खालिश चादी की है--चुनाचे मुद्दई ने मुद्दायलेह को मुबलिग उस के बाबत अदा किया.

३ हर एक उन सलाखों में से सिर्फ १२०० तोला खालिस चादी की निकली और जब मुद्दई ने रूप्या दिया तो वह यह बात नहीं जानता था.

४—मुद्दायलेह ने वह रूपया जो कि उस को जायद दिया गया नहीं वापस किया है.

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना १ वो दादरसी मुतदाविया)

नम्बर—३,

बाबत माल के जो मत मुकर्रा पर बेचा गया और हवाला किया गया

(किस्म)

(क ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है:—

१ बतारीख माह सन (ड च.) ने मुद्दायलेह के हाथ एक सौ बोरे आटे के (या माल मुन्दर्जा फेहरिस्त मुनसलका या मुतफरकात माल) बेचा और हवाला किया

२. मुद्दायलेह ने मुबलिग बाबत माल मजकूर बतारीख हवालगी (या बतारीख माह सन किसी दिन कब्ज गुजरने अर्जीदावे के) अदा करने का इकरार किया था.

५ ब तारीख माह सन मुद्दई ने (बरतनों की टोकरी मजकूर) मुद्दायलेह की तरफ़ से मुबलिग पर दुबारा नीलाम की

६ खर्च नीलामसानी का ब तादाद हुआ

७. मुद्दायलेह ने वह कमी जो इस तरह पर हुई याने मुबलिग नहीं अदा किया

(मजमून फिकरा [redacted] व ५ नमूना नम्बर १ वो दादरसी मुतदाविया)

नंबर—७

बाबत अदाय खिदमत व उजरात मुनासिब

(किस्म)

(क, ख,) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है:—

१ माबैन तारीख माह सन व तारीख माह सन मुद्दई ने (चन्द तसवीरात और नकशेजात और अशकाल) मुद्दायलेह के वास्ते उस की दरखास्त से बनाई—लेकिन कोई इकरार सरीह इस बाब में नहीं हुआ कि उस काम के बास्ते कितना रुप्या दिया जायगा.

२. वह काम ब वाजिब मालीयती मुबलिग का था.

३. मुद्दायलेह ने जर मजकूर नहीं अदा किया है.

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ और दादरसी मुतदाविया).

नंबर—८.

बाबत उजरात खिदमत और मसाला व कीमत वाजबी

(किस्म)

(क ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है

१ ब तारीख माह सन बमुकाम मुद्दई ने एक मकान (जो नम्बर से मुकाम में मशहूर है) मुद्दायलेह के वास्ते और उस की दरख्वास्त पर तामील किया—और उस का मसाला भी अपने पास से लगाया—लेकिन कोई सरीह माददा इस बाब में नहीं हुआ था कि उस काम

(ङ. च.) ने मुद्दई से यह करार किया कि मुद्दई उस के वास्ते (६ मेज और पचास कुर्सियां) बना दे और बवक्त हवाला करने इन चीजों के (ट. च.) मजकूर उन की कीमत मुबलिग अदा करे.

२. यह कि मुद्दई ने वह चीजें बनाकर बतारीख माह सन (ट. च.) मजकूर से बयान किया कि वह चीजें तैयार हैं ले लो और उस वक्त से हवाला करने पर आमादा और राजी है.

३. यह कि (ट च.) मजकूर ने उन अशया को नहीं लिया और उन की कीमत नहीं अदा की.

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ यो दादरसी मुतदाविया)

नम्बर—६.

बाबत कमी नीलामसानी (उस माल के जो कि नीलाम में फरोख्त किया गया था)

(किस्म)

(क ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है

१. बतारीख माह सन मुद्दई ने कुछ (माल सौदागरी) इस शर्त से नीलाम पर चढाया था कि तमाम माल जिस को खरीदार नीलाम के बाद (दस रोज के अन्दर) कीमत अदा करके न उठा ले जाय तो वह उस की तरफ से फिर नीलाम किया जाय—और इस शर्त से मुदायलेह मुत्तिला था.

२. मुदायलेह ने (चीनी के बरतनों की एक टोकरी) नीलाम में ब कीमत मुबलिक खरीद की

३. मुद्दई मुदायलेह को टोकरी मजकूर ब रोज नीलाम और उस के बाद दस दिन तक हवाले करने पर आमादा और राजी था.

४ मुदायलेह (दस दिन के अन्दर) बाद नीलाम के या बाद उस के उस खरीद किये हुये माल को नहीं ले गया न उस की कीमत अदा की

(किस्म)

(क. ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है

१. ब तारीख माह सन ब मुकाम रियासत (या अमलदारी) में माहकमा रियासत (या अमलदारी) मजकूर ने ब मुकदमा मुद्दई और मुद्दायलह जो मोहकमा मजकूर में हस्ब जाब्ता दायर था, यह फैसला बा जाब्ता सादिर किया कि मुद्दायलेह मुबलिग मुद्दई को दे सूद तारीख मजकूर से अदा करे

२ मुद्दायलेह ने जर मजकूर से अदा किया है.

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ वो दादरसी मुतदाविया)

नम्बर—१२.

नालिश बनाम जामिनान अदाय किराया

(किस्म)

(क ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है

१ ब तारीख माह सन [छ च] ने मुद्दई से बाबत मुद्दत साल के (मकान नम्बर वाके सड़क) मुबलिग सालाना पर जो कि (माहवार) वाजिबुलअदा था, किराया पर लिया

२. मुद्दायलेह ने बाबत किराया मकान मजकूर के जो कि [छ च] को दिया गया उस किराय के, माह ब माह अदा करने के लिये अपनी जमानत की.

३ किराया मजकूर बाबत माह सन तादादी मुबलिग अदा नहीं किया गया

(अगर अजरूय शरायत इकरारनामा जमानत के जामीन को इत्तला देही की जरूरत हो तो यह इबारत जियादा करनी चाहिये:—)

४. ब तारीख माह सन मुद्दई ने मुद्दायलेह को किराया न अदा होने की इत्तला दी–और उस के अदा करने का तकाजा किया

५ मुद्दायलेह ने जर मजकूर नहीं अदा किया है.

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ वो दादरसी मुतदाविया)

और उस मसाला की क्या कीमत अदा की जायगी

२. वह काम और मसाला अजरूय मालियत वाजिब मुबलिग का था.

३ मुद्दायलेह ने जर मजकूर नहीं अदा किया

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ और दादरसी मुतदाविया).

नंबर—९.

बाबत इस्तेमाल और दखल के

(किस्म)

(क. ख.) मुद्दई मजकूर सदर, वसी [ग. घ.] मुतवफ्फी का हस्ब जैल अर्ज करता है:—

नम्बर—१०.

बर बिनाय फैसला सालिसी

(किस्म)

(क ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है.

१. ब तारीख माह सन मुद्दई और मुद्दायलेह में झगड़ा दर बाब (मतालबा मुद्दई बाबत कीमत दस कुप्पे तेल के जिस के अदा करने से मुद्दायलेह ने इन्कार किया) वाके हुआ—और तरफैन उस निजा को ब गरज होने फैसला सालिसी मारफत [ङ. च] और [छ. ज] के उन के सिपुर्द करने के लिये बजरिये तहरीर राजी हुये, और असल दस्तावेज इस के साथ नत्थी है

२. ब तारीख माह सन सालिसान मजकूर ने यह फैसला किया कि मुद्दायलेह (मुद्दई के मुताबिक) अदा करे)

३. मुद्दायलेह ने जर मजकूर नहीं अदा किया है

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ वो दादरसी मुतदाविया).

नम्बर—११.

बर बिनाय फैसला मुल्क गैर

से कहा था.

३. मुदायलेह ने माल मजकूर नहीं हवाला किया–जिस के सबब से मुदई उस मुनाफे से महरूम रहा जो कि माल मजकूर की हवालगी से उस को होता

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ वो दादरसी मुतदाविया.

नम्बर—१५.

नालिश बाबत बेजा मौकूफी के

(किस्म)

(क. ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है.

१ ब तारीख माह सन दरमियान मुद्दई और मुद्दायलेह बाहम यह इकरार हुआ कि मुद्दई बतौर (मुनासिब या पेशदस्त के या ... हो) मुदायलेह की मुलाजिमत करे–और मुदायलेह खिदमत मजकूर पर मुद्दई को वास्ते मुद्दत (एक साल) के मुलाजिम रखे–और उस को मुबलिग तनखाह (महीना) दिया करे

२. बतारीख माह सन मुद्दई मुदायलेह का नौकर रहा, और जब से नौकर है और ता खतम होने साल मजकूर के उसी खिदमत पर रहने के लिये आमादा और राजी है और इस अमर की मुदायलेह को हमेशा इत्तला रही है

३ ब तारीख माह सन मुदायलेह ने बेजा तौर पर मुद्दई को मौकूफ कर दिया और खिदमत मजकूर के अदा करने से मना किया और नौकरी की तनखाह देने से भी इनकार किया

(मजमून फिकरा ४ व नमूना नम्बर १ वो दादरसी मुतदाविया)

नम्बर—१६.

खिलाफवरजी मायदा मुलाजिम

(किस्म)

(क ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है

नम्बर—१३

बावत खिलाफवर्जी माहदा खरीद आराजी.

(किस्म)

(क ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है.

१ बतारीख माह सन दरमियान मुद्दई और मुद्दायलेह के एक इकरारनामा हुआ जो इस के साथ नत्थी है.

१. बतारीख माह सन मुद्दई और मुद्दायलेह ने आपस में यह इकरार किया कि मुद्दई मुद्दायलेह के हाथ ४० बीघा आराजी वाके मौजा बएवज मुबलिग बेचे—और मुद्दायलेह उस को मुद्दई से खरीद करे.

२ यह कि बतारीख माह सन मुद्दई ने जो उस वक्त मालिक बिला शिरकत जायदाद मजकूर का था (और जायदाद मजकूर का तमाम जिम्मेदारियों से बरी थी जैसा कि मुद्दायलेह पर जाहिर कर दिया गया) मुद्दायलेह के रूबरू एक दस्तावेज कामिल इनतिकाल जायदाद मजकूर का इस शर्त पर देने के लिये पेश किया कि मुद्दायलेह मुबलिग मजकूर अदा करे (या मुद्दायलेह के नाम बजरिये दस्तावेज कामिल के उस का इनतिकाल करने के लिये मुस्तअद और राजी था—और अब तक मुस्तअद और राजी है और इस अमर के वास्ते उस से कहा था.

३. यह कि मुद्दायलेह ने वह रूपया नहीं अदा किया.

[मजमून फिकरा ४-५ नमूना नम्बर १ वो दादरसी मुतदाविया)

नम्बर—१४.

बावत न हवाला करने वेचे हुये माल के

(किस्म)

(क. ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है

१. ब तारीख माह सन मुद्दई और मुदायलेह ने आपुस में यह इकरार किया कि मुदायलेह ब तारीख माह सन मुद्दई को (एक सौ बोरे आटे के) हवाल करे—और मुद्दई बरवक्त हवालगी माल के उस के बावत मुबलिग अदा करे.

२. बतारीख (मजकुर) मुद्दई बरवक्त हवालगी माल मजकूर जर मजकूर मुदायलेह को अदा करने पर आमादा और राजी था और उस के लेलेने को उस

(किस्म)

(क. ख) मुद्दई मज्कूर हस्ब जैल अर्ज करता है

१. बतारीख माह सन मुद्दई ने (ग. घ.) को बतौर क्लार्क के नौकर रखा

२ बतारीख माह सन मुद्दायलेह ने मुद्दई से इकरार किया कि अगर (ग घ) मजकूर अपना काम उहदा क्लार्क का दियानत व अमानत से न करे और तमाम रूपयों के बाबत या करने की दस्तावेजात या और माल जो कि मुद्दई के इस्तेमाल के वास्ते उस को मिले उस का हिसाब न दे सके तो जो कुछ कि मुद्दई को उस की वजह से नुकसान हो उस के बाबत मुद्दायलेह उस कदर रूपया जो मुबलिग से जियादा नहो अदा करे

(या २ मुद्दायलेह ने बजरिये इकरारनामा मवरखे तारीख मजकूर मुद्दई से ब करारदाद जुरमाना मुबलिग के इकरार किया था कि अगर (ग. घ.) अपनी खिदमत उहदा क्लार्क और खजानचीगरी मुद्दई को बदियानत अनजाम दे और तमाम रूपया और दस्तावेजात करजा या और जायदाद जो किसी वक्त उस के कब्जे में मुद्दई के वास्ते अमानतन आय उस सब का हिसाब वाजिबी मुद्दई को दे तो इकरारनामा मजकूर फिस्ख हो जायगा

नम्बर—१९

नालिश किरायादार की बनाम मालिक मकान बाबत खास हर्जा के

(किस्म)

(क ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है.

१. बतारीख माह सन मुद्दायलेह ने बजरिये एक रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज के मुद्दई को (मकान नम्बर वाके मडक) वास्ते साल की मियाद के किराये पर दिया और मुद्दई से यह इकरार किया कि मुद्दई और उस के कायम मुकाम जायज बिला रोक टोक के मियाद मजकूर तक उस पर काबिज रहें

२. तमाम शरायत की तामील की गई—और तमाम अमर वक्त में

१. बतारीख माह सन दरमियान मुद्दई और मुद्दायलेह के यह इकरार हुआ कि मुद्दई (सालाना) मुबलिग पर मुद्दायलेह को मुलाजिम रखे—और मुद्दायलेह बतौर (नक्काश के) वास्ते मुद्दत (एक साल) के मुद्दई का मुलाजिम रहे.

२. मुद्दई हमेशा इकरार मजकूर की तामील अपनी तरफ से करने पर आमादा और राजी है (और बतारीख माह सन इस बात का इजहार किया.

३ मुद्दायलेह मुद्दई की मुलाजिमत में बतारीख मजकूर (दाखिल हुआ) लेकिन बाद बतारीख माह सन उस ने मुद्दई की हस्ब मजकूरे बाला खिदमत करने से इंकार किया.

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ वो दादरसी मुतदाविया).

नम्बर—१७.

नालिश बनाम कारीगरों के खराब काम बनाने के बाबत

(किस्म)

(क. ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है.

१. बतारीख माह सन मुद्दई और मुद्दायलेह के दरमियान बाहम एक इकरारनामा लिखा गया, जो इस के साथ नत्थी है

[या इकरारनामे का मजमून लिखा जाय]

२. (मुद्दई ने अपनी तरफ से इकरारनामा की तमाम शरायत करार वाकई पूरी की).

३. मुद्दायलेह ने (मकान मुतअल्लके इकरारनामा मजकूर बुरे तौर पर और कारीगरी के खिलाफ बनाया)

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना न. १ वो दादरसी मुतदाविया)

नम्बर—१८.

नालिश बाबत इकरारनामा दियानतदारी क्लार्क याने मुहर्रिर के

किया— और बतारीख माह सन) मुदई ने मुबलिग (बाबत मतलूबा मजकूर) अदा किया.

४ यह कि मुबलिग मजकूर मुद्दायलेह ने मुदई को नहीं अदा किया.

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ वो दादरसी मुतदाविया).

नंबर—२१.

फरेब से माल का लेना

[क़िस्म]

(क. ख) मुदई मज़कूर हस्ब जैल कर्ज करता है:—

१. बतारीख माह सन मुदायलेह ने मुदई को कुछ मुदायलेह के हाथ बेचने पर रागिब करने के लिये मुदई से यह जाहिर किया कि (मुदायलेह मालदार है) और अपने तमाम जिम्मेदारी से जियादा मुबलिग हैसियत रखता है

२. मुदई इस वजह से [सूखा माल] मालियत मुबलिग मुदायलेह के हाथ बेचने (और हवाला करने पर) रागिब हुआ.

३. उस के बयान मजकूर गलत थे (या झूट बयानी की कैफियत बयान करनी चाहिये) और उस वक्त मुदायलेह खुद जानता था कि उस का बयान गलत है

४. यह कि मुदायलेह ने माल मजकूर की बाबत रुपया नहीं अदा किया है [या अगर माल हवाला न किया गया हो तो यह कि मुदई पर माल मजकूर की तैयारी और उस को जहाज पर लादने और उस को फिर वापस लेने में खर्च ब कदर मुबलिग हुआ]

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ वो दादरसी मुतदाविया)

आये जो वास्ते इस्तेहकाक नालिश मुद्दई के जरूरी थे.

३. बतारीख माह अन्दर मियाद मजकूर के (ग. घ.) मालिक जायज मकान मजकूर ने मुद्दई को जायज तौर से उस मकान से खारिज किया— और अब तक उस का कब्जा मुद्दई को नहीं देता है.

४ इस सबब से मुद्दई बमकान मजकूर पेशा दरजी का कारबार करने से रोका गया—और वहा से निकल जाने में बतादाद मुबलिग खर्चा पड़ा— और (ङ. च) और (छ. ज.) का काम वहा से निकल जाने के सबब उस के हाथ से जाता रहा.

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ वो दादरसी मुतदाविया)

नंबर—२०.

नालिश बरबिना इकरारनामा बरीयत

(किस्म)

(क. ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है—

१. बतारीख माह सन मुद्दई और मुद्दायलेह कोठी (क ख.) और (ग. घ.) के नाम से बशराकत ब्योपार करते थे कि उन्होंने शराकत तोड़ कर के बाहम यह इकरार किया कि मुद्दायलेह तमाम माल शराकती लेकर अपने पास रखे और कोठी का तमाम कर्जा अदा करे और जो दावी कि मुद्दई पर उस कोठी के गवरूज होने की बाबत कायम किये जायें उन सब से मुद्दई को बरी करदे

२. यह कि मुद्दई ने तमाम शरायत जो बमूजिब इकरारनामा मजकूर उस की तरफ स पूरी होनी चाहिये थीं बरार वाकई पूरी की

३ यह कि बतारीख माह सन (एक फैसला बनाम मुद्दई और मुद्दायलेह (ङ च) ने अदालत हाई कोर्ट मुकाम से बाबत कर्जे के जो कि (ङ. च.) मजकूर को कोठी मजकूर से, याफतनी था हासिल

उस पानी पर जो उस कुए में है काबिज है—और हमेशा उस मुद्दत तक जिसका जिक्र जेल में किया जायगा काबिज रहा है—और उस कुए और उस के पानी को इस्तेमाल में लाने और उससे फायदा उठाने का मुस्तहक है और नीज इस बात का इस्तेहकाक रखता है कि चद सोते और चश्मे पानी के जो इस कुए में बह कर आते हैं और गिरते हैं वह इस तौर से बह कर आय और गिरे कि पानी गन्दा या खराब न हो

२ ब तारीख माह सन मुद्दायलेह ने बेजा उस कुए और उस के पानी को और उन चश्मों और सोतों को जो उस कुए में गिरते हैं गन्दा और नजिस किया।

३, ऊपर लिखे वजूहात से पानी कुए मजकूर का नापाक होकर घर खर्च और दीगर मतलब के लायक नहीं रहा—और मुद्दई और उस का खन्दान उस कुए और उस के पानी के इस्तेमाल और फायदे से महरूम हैं

मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नबर १ बो दादरसी मुतदाविया

नंबर—२४

बाबत जारी रखने कारखाना तकलीफ देने वाले के

[किस्म]

(क, ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जेल अर्ज करता है,

१ मुद्दई आराजी मौसूमा वाके पर काबिज है और उस तमाम अरसे से जो इस अरजी नालिश में बाद को दरज है, काबिज रहा.

२, ब तारीख माह सन से मुद्दायलेह के कारखाना धात को गला कर निकालने से धूआं और दीगर बुखारात बदबूदार और मुजिर ब कसरत निकलता है और आराजी मजकूर पर फैलता है और वहां की हवा में मिल कर उन को बिगाड़ता है और आराजी की मिट्टी और सतह पर बैठ कर जम जाता है

३, उस वजह से दरख्त और झाड़ी और नबातात और फसल जराअत को जो उस जमीन पर होती है नुकसान पहुंचता है—और मालियत का नुकसान होता है और मवेशी और जानवर मुद्दई के जो उस जमीन पर रहते हैं वह उससे जईफ और बीमार हो जाते हैं और चन्द उन में से मसमूम होकर मर गये

नंबर—२२.

फरेबन दूसरे शख्स को माल कर्ज दिलाना

(किस्म)

[क. ख] मुदई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है

१. बतारीख माह सन मुदायलेह ने मुदई से बयान किया कि [ग. घ.] मालदार और खूब मोतबर शख्स है और अपने तमाम जिम्मेदारी से जियादा मालियत व कदर मुबलिग के रखता है—(या यह कि [ग घ.] इस वक्त एक उहदा जिम्मेदारी का और अच्छी हैसियत रखता है—और उस को कर्ज माल देने में कुछ अन्देशा नहीं है

२ इस वजह से मुदई (ग. घ.) मजकूर के हाथ (चावल) मालीयत मुबालिग का (महीनें के वादे पर), बेचने पर राजी हुआ.

३ बयानात मजकूर झूट थे और मुद्दायलेह खुद उस झूट से उस वक्त वाकिफ था और वह बयानात धोका और फरेब देने मुदई के किये गये थे (या मुदई धोका देने का और जरर पहुचाने के वास्ते).

४ (ग. घ.) मजकूर ने (बाबत माल मजकूर के बाद गुजरने वादा ऊपर लिखे हुये के रूपया नहीं अदा किया या) बाबत उस चावल के रूपया नहीं दिया और मुदई उस माल को बिलकुल हाथ से खो बैठा.

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ बो दादरसी मुतदाविया)

नबर—२३.

मुदई की जमीन के नीचे पानी खराब करने के बाबत

[किस्म]

(क ख.) मुदई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है.

१. मुदई जमीन मौसुमा वाके पर और एक कुयें पर जो उस में है और

आम पर जो से तक है इस तौर पर जमा कर रखा है कि रास्ता बन्द हो गया.

२. इस वजह से मुद्दई उस वक्त कि जायज तौर पर उस रास्ते से गुजरता था, उस मिट्टी और पत्थर के ढेर पर (या उस खाई में) गिर पड़ा—और मुद्दई का हाथ टूट गया और बड़ी तकलीफ उठाई—और मुद्दत तक अपना काम न कर सका और इलाज करने का सर्फा भी आयद हाल हुआ.

(मजमून फिकरा ४-५ नमूना नम्बर १ बो दादरसी मुतदाबिया).

नंबर—२७

बाबत फेरने पानी की नाली के

[किस्म]

(क. ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है —

१. मुद्दई काबिज एक पनचक्की वाके पानी मारूफ व वाके मौजा जिला का है और उस वक्त जो बाद को दर्ज है काबिज था

२ बवजह उस कब्जे के मुद्दई मुस्तेहक इस का है कि नाली मजकूर उस पनचक्की के चलाने के लिये बहती रहे

३. ब तारीख माह सन मुद्दाअलेह ने उस नाली का किनारा काटकर उस के पानी को ब करीब नाजायज इस तरह फेर दिया है कि मुद्दई की पनचक्की के तरफ पानी कम आता है

४ इस वजह से मुद्दई की यौम बोरे गल्ला से जियादा नहीं पीस सका है—हाला कि उस पानी के फेर देने से पहिले मुद्दई की यौम बोरे गल्ला पीस सका था.

(मजमून फिकरा ४-५ नमूना नम्बर १ बो दादरसी मुतदाबिया)

नंबर—२८

बाबत मुजाहिमत इस्तेहकाक माल लेने पानी के आबपाशी के लिये

[किस्म]

(क ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है.

मुद्दई आराजी वाके का काबिज है और उस वक्त जिस का जिक्र बाद

४. ब वजह मर्कूमे बाला मुद्दई आराजी मजकूर में अपनी मवेशी और भेड़ों को नहीं चरा सक्ता है—और अगर ऐसा न होता तो चरा सक्ता—अब मुद्दई को अपने मवेशी और भेड़िया और पेशा जराअत के जानवर वहा से ले जाने पड़े—और आरजी मजकूर के उस फायदा वक्त और सिहतआवर इस्तेमाल और दखल से जो कि दर-सूरत न होने वजह मजकूर के हासिल होता महरूम है

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नंबर १वो दादरसी मुतदाविया)

नंबर—२५.

बाबत मुजाहिमत राह

[किस्म]

(क ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है:—

१ मुद्दई काबिज [एक मकान वाके मौजा] का है, और उस वक्त जिस का जिक्र बाद को दर्ज है, काबिज था.

२. मुद्दई मुस्तहक था कि साल के हर मौसम में खुद और व हमराही अपने नौकरों के [मै सवारी के या पैदल अपने मकान मजकूर से फला खेत के ऊपर होकर एक शारे आम तक जाय करे—और फिर शारे आम से उसी खेत पर होकर अपने मकान को लौट आय.

३ व तारीख माह सन मुद्दायलेह ने उस राह को ब तरीक नाजायज रोक दिया—इस वजह से मुद्दई [सवारी पर या पैदल या किसी तरह] आमद रफ्त नहीं करसक्ता (और उस वक्त से उस राह को ब तरीक नाजायज रोक रखता है.

४. (अगर कोई खास नुकसान हुआ हो तो वह बयान किया जाय)

(मजमून फिकरा ४—५ नमूना नबर १ वो दादरसी मुतदाविया).

नम्बर—२६.

बाबत मुजाहिमत शारे आम

[किस्म]

१ मुद्दालेह ने बेजा तौर पर एक खाई खोद कर मिट्टी और पत्थर शारे

आम पर जो से तक है इस तौर पर जमा कर रखा है कि रास्ता बन्द हो गया

२. इस वजह से मुद्दई उस वक्त कि जायज तौर पर उस रास्ते से गुजरता था, उस मिट्टी और पत्थर के ढेर पर (या उस खाई में) गिर पड़ा—और मुद्दई का हाथ टूट गया और बड़ी तकलीफ उठाई—और मुद्दत तक अपना काम न कर सक्ता और इलाज करने का सर्फा भी आयद हाल हुआ.

(मजमून फिकरा ४-५ नमूना नम्बर १ वो दादरसी मुतदाविया).

नंबर—२७

बाबत फेरने पानी की नाली के

[किस्म]

(क. ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है —

१. मुद्दई काबिज एक पनचक्की वाके पानी मारूफ व वाके मौजा जिला का है और उस वक्त जो बाद को दर्ज है काबिज था

२. बवजह उस कब्जे के मुद्दई मुस्तेहक इस का है कि नाली मजकूर उस पनचक्की के चलाने के लिये बहती रहे

३. ब तारीख माह सन मुद्दाअलेह ने उस नाली का किनारा काटकर उस के पानी को ब करीब नाजायज इस तरह फेर दिया है कि मुद्दई की पनचक्की के तरफ पानी कम आता है

४ इस वजह से मुद्दई की यौम बोरे गल्ला से जियादा नहीं पीस सक्ता है—हाला कि उस पानी के फेर देने से पहिले मुद्दई की यौम बोरे गल्ला पीस सक्ता था.

(मजमून फिकरा ४-५ नमूना नम्बर १ वो दादरसी मुतदाविया).

नबर—२८.

बाबत मुजाहिमत इस्तेहकाक माल लेने पानी के आबपाशी के लिये

[किस्म]

(क ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है.

मुद्दई आराजी वाके का काबिज है और उस वक्त जिस का जिक्र बाद

में दर्ज है काबिज था—और इस्तेहकाक रखता था कि फलां नहर या नदी या नाला के पानी का हिस्सा आराजी मजकूर आबपाशी के लिये इस्तेमाल करे.

२. ब तारीख माह सन मुद्दायलेह ने उस पानी के हिस्सा मजकूर को हस्ब मरकूम डाला लेने और उस का इस्तेमाल करने से मुद्दई को इस तरह बाज रखा कि पानी के धारे को बतौर नाजायज रोक कर दूसरी तरफ फेर दिया

[मजमून फिकरा ४-५ नमूना नम्बर १ वो दादरसी मुतदाबिया]

नंबर—२९.

बाबत जरर के जो रेल की सड़क पर गफलत से हुआ.

[किस्म]

(क, ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है.

१ ब तारीख माह सन मुद्दायलेहुम मामूलन मुसाफिरों को जरिये रेल दरम्यान मुकाम और मुकाम के पहुंचाया करते थे.

२. बतारीख मजकूर मुद्दई मुद्दायलेहुम की गाड़ियों में से जो सड़क मजकूर पर थी एक गाड़ी पर सवार था.

३. दर सफर मजकूर में (या करीब स्टेशन के या दरम्यान स्टेशन और स्टेशन) रेलवे मजकूर पर इंजन लड़गया और यह हादिसा बवजह गफलत और नावाकफी मुलाजिमान मुद्दायलेहुम के वाके हुआ—जिस के सबब से मुद्दई को बहुत जरर पहुंचा [मुद्दई की टांग टूट गई सिर में जखम लगा या और जो कुछ कि खास नुकसान पहुंचा हो बयान किया जाय] और मालजे में सर्फा पड़ा—और हमेशा के वास्ते अपने रोजगार साबिक याने (फरोख्त के लिये फेरी करने) से माजूर हो गया.

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नबर १ वो दादरसी मुतदाविया)

(या इस तौर पर—२—बतारीख मजकूर मुद्दायलेहुम के नौकरों ने ऐसी गफलत और बेतमीजी से इंजन और गाडियों को जो उस से लगी हुई थी मुद्दायलेहुम की रेलवे पर जिस से मुद्दई उस वक्त बतौर जायज गुजरता था हांका और चलाया कि वह इंजन और गाड़ी मुद्दई की तरफ आई और मुद्दई को टक्कर

लगी जिस से वगैरा २ बमूजिब फिकरा तीन में है)

नम्बर—३०.

नालिश बाबत उस नुकसान के जो बेहतियाती के साथ हाकने से पैदा हो,

---

(किस्स)

(क, ख,) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है

१. मुद्दई मोची है—और अपना कारखाना मुकाम में चलाता है—और मुदायलेह मुकाम का सौदागर है

२. तारीख माह सन मुद्दई शहर कलकत्ता में दोपहर पर तीन बजने के अमल पर चौरंगी की सडक पर जानिब दक्खन पैदल जा रहा था नागुजीर मुद्दई को सड़क मौसूमा मिडिलटन स्ट्रीट के इस पार से उस पार जाना पडा जो सड़क चौरंगी की सडक का समकोन है जब मुद्दई सडक के इस पार से उस पार जाता था और कबल इस के कि वह उस पार के रास्ते से गुजर कर मुसाफिरान पैदल तक पहुचने पाय एक गाड़ी मुदायलेह की जिस में दो घोड़े जुते थे और जो ब सिपुर्दगी और इहतिमाम मुलाजिमान मुदायलेह के चलती थी दफअतन और बराह गफलत और बिला होशियार करने, राहगीरों के तुर्दी और तेजी खतरनाक के साथ मिडिलटन स्ट्रीट से निकलकर सड़क चौरंगी में दाखिल हो गई—गाड़ी मजकूर के बम से मुद्दई को चोट लगी और उस के सदमे स मुद्दई गिर पड़ा और घोडों के पाव के तले बहुत रौंदा गया

३ उस सदमा और गिर पड़ने और रौंद जाने से मुद्दई का बाया हाथ टूट गया—और उस के पहलू और पीट में और जिस्म के अन्दर भी सदमा पहुचा और उस के सबब से मुद्दई चार महीने तक बीमार और बहुत तकलीफ उठाता रहा—और अपना कारबार न कर सका—और डाक्टरों के खिदमत और दीगर खर्चे में मुद्दई का बहुत रूपया सर्फ हुआ और उस के कारबार और मुनाफे में बहुत कमी हुई

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नबर १ की दादरसी मुतदाजिया)

जाहिर किया कि (मुद्दायलेह मालदार और अपने तमाम जिम्मेदारी से जियादा मुबलिग का मक्दूर रखता है) ।

२. मुद्दई इस वजह से (ग. घ) के हाथ (एक सौ सन्दूक़ चाह के) जिन की तखमीना मालीयत बतादाद मुबलिग है बेचने और हवाला कर देने पर रागिब हुआ.

३. बयानात मजकूर झूट थे और उस वक्त (ग. घ.) उन को झूट जानता था (या बयानात मजकूर के वक्त (ग. घ.)मजकूर दिवालिया था और अपना दिवालिया होना जानता था.)

४. (ग. घ.) ने बाद को वह माल बिला कीमत (ङ च.) मुद्दायलेह के हाथ (या जिस को उस बयान के झूट होने का इल्म था मुन्तकिल किया).

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)

७. मुद्दई दादख्वाह है कि

(१) माल मजकूर दिलाया जाय या जिस हाल में कि यह मुमकिन न हो मुबलिग दिलाया जाय.

(२) माल मजकूर को रोक रखने की बाबत हर्जा मुबलिग दिलाया जाय

नम्बर—३४.

वास्ते मनसूखी माहदे के जो गलती की बिना पर हुआ हो

(नक्शा)

(क. ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है.—

१. बतारीख माह सन मुद्दायलेह ने मुद्दई से बयान किया कि एक किता आराजी मुद्दायलेह की वाके मुक़ाम (दस बीघा है)

२. मुद्दई को उस बात से उस आराजी को ब कीमत मुबलिग खरीदने के लिये ब एतबार रगबत दिलाई गई कि वह बयान सच था और मुद्दई ने एक इकरारनामा खरीदारी पर दस्तखत कर दिये जो इस के साथ नत्थी है लेकिन उस आराजी का किबाला मुद्दई के नाम नहीं लिखा गया.

३ ब तारीख माह सन मुद्दई ने मुद्दायलेह को मुब्लिग मिनजुमला जर समन के अदा कर दिया

४ कि आराजी मजकूर फिल हकीकत सिर्फ (पाच बीघा) है.

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)

५ मुद्दई दादख्वाह है कि

(१) मुब्लिग मै सूद तारीख माह सन से दिला दिये जायें.

(२) इकरारनामा मजकूर वापस होकर मनसूख किया जाय.

नम्बर—३५.

हुक्म इमतनाई निसबत नुकसानी

(किस्म)

(क ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है

१ मुद्दई मालिक कामिल (यहा जायदाद का बयान करना चाहिये) का है.

२. मुद्दायलेह उस पर बमुजिब पट्टे के काबिज है जिस को मुद्दई ने दिया है

३ मुद्दायलेह ने बिला रजामन्दी मुद्दई (चन्द कीमती दरख्त काट डाले है) और चन्द और दरख्त बेचने के लिये काट डालने को कहता है

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)

४. मुद्दई दादख्वाह होकर मुस्तदई है कि मुद्दायलेह उस आराजी में कोई और नुकसान करने या नुकसान करने की इजाजत देने से बजरिये हुक्म इम्तनाई के बाज रखा जाय

(जायज है कि मावजा जर नक्द दिलाने की दरखास्त भी की जाय)

नंबर—३६

नालिश अमर तकलीफ देही के मौकूफ करने के लिये

(किस्म)

(क. ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है.

१. मुद्दई [मकान नम्बर वाके सड़क शहर कलकत्ता] का मालिक व मिलकियत कामिल है और हमेशा उस तमाम वक्त में जिसका जिक्र जैल में है मालिक रहा.

२ मुद्दायलेह मालिक व मिलकियत कामिल एक आराजी वाके सड़क मजकूर का है और तमाम वक्त मजकूर सदर में मालिक रहा.

३ ब तारीख माह सन मुद्दायलेह ने आराजी मजकूर पर एक जिबहखाना मुकर्रर किया और वह जिबहखाना हिनोज वहां कायम है और उस रोज से इस वक्त तक जानवरों को हमेशा वहां मगा कर जबह करता रहा है और खून और फुजला वगैरह सड़क मजकूर पर मुद्दई के मकान मजकूर के सामने फिकवाता रहता है.

४ ब वजूद मर्कूमा बाला मुद्दई को मकान मजकूर छोड़ देना पड़ा और उस को किराया पर भी नहीं चला सक्ता है

[मजमून फिकरा ४ व ५ नामूना नम्बर १ लिखना चाहिये].

मुद्दई दादख्वाह होकर मुस्तदई है कि मुद्दायलेह को हुक्म दिया जाय कि फ़लां अमर तकलीफ देही से बाज रहे.

नम्बर—३७

बाबत बायस अमर तकलीफ आम

(किस्म)

१. मुद्दायलेह ने शारे आम पर जो स्ट्रीट के नाम से मशहूर है मिट्टी और पत्थर इस तौर पर जमा कर रखे हैं कि रास्ता आम का बन्द हो गया है वो धमकी देता है वो इरादा करता [illegible] तक ऐसा कर[illegible] [illegible] न जाय ऐसी नाजायज कार्रवाई जारी रखेगा [illegible] [illegible]

२ [illegible] ने के व [illegible] एडवोकेट जनरल या

[illegible] दीगर [illegible] तह [illegible]

[illegible] मजमून नमूना

मुद्दईयान दादख्वाह हैं.

(१) कि हुक्म बनाम मुद्दायलेह सादिर हो कि मुद्दायलह को कोई हक शारे आम मज्कूर पर रास्ता रोकने का नहीं है.

(२) और एक हुक्म इम्तनाई बनाम मुद्दायलेह सादिर हो कि मुद्दायलेह मुजाहिमत राह मजकूर से बाज रखा जाय और उस को हुक्म हो कि जो मिट्टी और पत्थर उस ने जमा किये हैं उन को उठा ले जाय

नंबर—३८

पानी का बहावो फेर देने की मुमानियत का हुक्म हासिल करने के लिये

[किस्म]

(क, ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है

(मिसल नमूना नम्बर २७)

मुद्दई दादख्वाह होकर मुस्तदई है कि मुद्दायलेह बजरिये हुक्म इम्तनाई के उस पानी को फेर देने से बाज रखा जाय.

नम्बर—३६.

व मुराद दिला पाने माल मनकूला के जिस के तलफ कर डालने की मुद्दायलेह धमकी देता है और व गरज उदूर हुक्म इम्तनाई के

(किस्म)

(क ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है —

१ मुद्दई (अपने दादा की एक तस्वीर का जिसे एक नामी मुसौविर ने तैयार किया था) मालिक है और उन तमाम औकात पर जिन का जैल में (जिक्र है) मालिक था और उस तसवीर की कोई नकल मौजूद नहीं (या कोई ऐसा अमर बयान किया जाय जिस्से जाहिर हो कि माल इस किस्म का है कि रूपया खर्च करने पर फिर नहीं मिल सक्ता है).

२ बतारीख माह सन मुद्दई ने उस की हिफाजत रखने के लिये

मुद्दायलेह के पास रखवाया था,

३. बतारीख माह सन मुद्दई ने वह तसवीर मुद्दायलेह से मांगी और जो खर्च वाजिबी उस को बाहिफाजत रखने का हुआ हो उस के अदा कर देने को कहा

४. मुद्दई को उस के हवाला कर देने से मुद्दायलेह ने इनकार किया, और धमकी देता है कि अगर उस के हवाला करने को कहा जायगा तो वह उसे छुपा डालेगा या बेंच डालेगा या काट डालेगा या उस को जरर पहुंचायगा

५. अगर किसी कदर मावजा जर नक्द दिया जाय तो वह मावजा काफी वास्ते मुद्दई के (तसवीर) मजकूर के तल्फ हो जाने का न होगा

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये).

मुद्दई दादख्वाह है कि

(१) बजरिये हुक्म इम्तनाई के मुद्दायलेह (तसवीर) मजकूर के बेचने या छुपा डालने या उस को जरर पहुंचाने से बाज रखा जाय

२. मुद्दायलेह से तसवीर मजकूर मुद्दई को वापस दिला दी जाय.

नम्बर—४०.

इनटर प्लीडर

(किस्म)

(क ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है:—

१. कबल उन दावों के जिन का जिक्र जैल में किया जाता है (छ. ज.) ने मुद्दई के पास (यहा तसरीह माल की करनी चाहिये) (व हिफाजत रखने के लिये) अमानत रखा था

२. मुद्दायलेह (ग घ) उसी माल का दावा करता है (इस बयान से कि [छ ज.] ने वह माल उस के नाम मुन्तकिल किया है, दावेदार है).

३ मुद्दायलेह [ङ. च] उसी माल का (बजरिये तहरीर इस मजमून के कि [छ. च.] ने वह माल उस के नाम मुन्तकिल किया है) दावेदार है

४ मुद्दई इस दोनों मुद्दायलेहों के हुकूक के हाल से नावाकिफ है.

५. मुद्दई को उस माल पर सिवाय खर्चे के कुछ दावा नहीं है और उस माल को उन अशखास के हाथ जिन को अदालत हिदायत करे हवाला कर देने पर आमादा और राजी है.

६. मुद्दायलेहुम में से किसी के साथ साजिश कर के यह नालिश रुजू नही की गई है

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)

८ मुद्दई दादख्वाह है कि

(१) बजरिये हुक्म इमतिनाई के मुद्दायलेहुम को मुमानियत हो कि उस माल के निसबत मुद्दई पर कोई मुकदमा कायम न करें

(२) उन को हुक्म हो कि उस माल की निसबत आपने अपने दावे का तसफिया अदालत से कराले.

(३) किसी शख्स को दर असना निजा अदालत उस माल के हासिल करने की इजाजत दी जाय.

(४) जब उस (शख्स) को माल मजकूर हवाला किया जाय तो मुद्दई बरी कर दिया जाय कि उस माल की निसबत मुद्दाय-लेहुम में से किसी का मुतालबा मुद्दई से न रहे.

नंबर—४१

नालिश ब मुराद यहतिमाम मारफत साहूकार अज जानिब खुद वो दीगर साहूकारान के

(किस्म)

[क ख] मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है

१. (ङ च) मुतवफ्फी साकिन बवक्त अपनी वफात के करजदार मुद्दई का ब कदर मुबलिग (यहा किस्म कर्ज और हाल उस की जमानत या किफालत का अगर कुछ हो बयान करना चाहिये) के था और उस की जायदाद अबतक मकरुज है

२. (ङ. च) मजकूर ब तारीख या करीब तारीख के फौत हुआ और

अपने आखरी वसीयतनामा मवरखे की रू से (ग घ) को अपना वसी मुकर्रर किया (या अपनी जायदाद अमानत वगैरा में रखी या बिला वसीयत मरगया याने जैसी कि सूरत हो)

३. वसियत मजकूर को (ग. घ) ने साबित किया (या चिठ्ठीयात मोहतमिम तरका उस को अता हुए हैं जैसी कि सूरत हो.

४ मुद्दायलेह ने (ङ. च) मुतवफ्फी की जायदाद मनकूला (और गैर मनकूला या आमदनी जायदाद गैर मनकूला) पर कबजा कर लिया है और मुद्दई को कर्जा मजकूर नहीं अदा किया

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना न १ लिखना चाहिये.)

७. यह कि मुद्दई मुस्तदई है कि (ङ च) मुतवफ्फी के माल मनकूला और (गैर मनकूला) का हिसाब लिया जाय और उस का एहतेमाम मुताबिक डिकरी अदालत के जो सादिर हो किया जाय.

नम्बर—४२.

बमुराद एहतेमाम जायदाद मुतवफ्फी मारफत खास मुसालम के.

(किस्म)

(नमूना ४१ को इस तौर पर बदल दो —)

(फिकरा अव्वल को मतरूक करो फिकरा २ से शुरू करो इस तरह पर के (ङ. च.) मुतवफ्फी साकिन साबिक ने बतारीख या करीब तारीख के फौत किया और अपने आखीरी वसीयतनामा मवरखे की रू से (ग. घ.) को अपना वसी मुकर्रर किया और उस वसीयतनामे की रू से मुद्दई के हक में (यहा खास शै मौहुबा लिखना चाहिये) हिबा किया.

बजाये फिकरा ४ से यह इबारत कायम करो

मुद्दायलेह (ङ च) की जायदाद मनकूला पर काबिज है और मिनजुमला दीगर अशया के (यहा नाम खास शै मौहुबा का लिखना चाहिये) शै मौहुबा पर भी काबिज है

बजाये शुरू फिकरा ७ के यह इबारत कायम करो.

मुद्दई मुस्तदई है कि मुद्दायलेह को हुक्म हो कि (यहा नाम खास शै वसीयती का लिखा जायगा) मजकूर मुद्दई के हवाला करे या यह कि वगैरा

नंबर—४३.

वास्ते एहतेमाम जायदाद मुतवफ्फी के वजरिये मूसालहु नक्द पाने वाले के

(किस्म)

(नमूना ४१ में इस तौर पर तबदील करनी चाहिये —)

फिकरा अव्वल मतरूक किया जाय—और बजाय फिकरा २ के यह इबारत कायम की जाय (ड च.) मुतवफ्फी साकिन साबित ने बतारीख या करीब तारीख के फौत किया और अपने आखीरी वसीयतनामा मवर्खे की रूसे (ग घ) को वसी मुकर्रर किया और बजरिये उसी वसीयतनामे के मुद्दई के नाम माल वसीयती मुबलिग छोड़ा.

फिकरा ४ में बजाय लफ्ज " कर्ज " के " शै मौहुब " लिखना चाहिये

नमूना दूसरा

(किस्म)

(क. ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है.

१. (क. ख) साकिन वाके ने व तारीख या करीब तारीख के फौत किया और अपना आखरी वसीयतनामा मवर्खे पहली मार्च सन १८७३ ई० हस्ब जाब्ता इस मजमून से लिखवाया कि मुद्दायलेह हाल और (म न) जो मूसी की हयात में मरगया वसायाने तरका मुकर्रर किये जावे और अपनी जायदाद मनकूला और गैर मनकूला अमानतन अपने आसियों को इस गरज से तजवीज की कि यह लोग जर हाय किराया या लगान, और आमदनी जायदाद मजकूर मुद्दई को उस की हयात तक देते रहें और मुद्दई की वफात के बाद और दरसूरत न होने किसी ऐसे लड़के मुद्दई के जो २१ बरस की उमर को पहुचे या न होने किसी लड़की के जो २१ बरस की उमर को पहुचे या जिस की शादी हो जाय जायदाद गैर मनकूला अमानतन उस शख्स के लिये रहे जो मूसी का वारिस जायज हो, और जायदाद मनकूला अमानतन उन अशखास के लिये रहे जो मूसी के रिश्तेदार करीबी हों उस

सूरत में कि मुद्दई के वफात के वक्त मूसी बिला वसीयत मरगया हो, और कोई औलाद मुद्दई की हस्ब मजकूरे वाला बाकी न रही हो ,

२. मुद्दायेलेह ने वसीयतनामा तारीख , माह सन ई० को साबित किया मुद्दई की शादी नहीं हुई

३ मूसी अपनी वफात के वक्त जायदाद मनकूला, और गैर मनकूला का मुस्तहक था मुद्दालेह ने जायदाद गैर मनकूला के जरे किराया या लगान का तहसील करना शुरू किया और जायदाद मनकूला को भी हासिल कर लिया—और मुद्दायलेह ने जायदाद गैर मनकूला में से कुछ जायदाद बै की है

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)

६. लिहाजा मुद्दई अमर जैल का दावेदार है

(१) यह कि (क ख.) की जायदाद मनकूला और गैर मनकूला का इहतमाम इसी अदालत में हो और उस मुराद से हिदायत मुनासिब जारी हो और हिसाब लिया जाय,

(२) ऐसी दादरसी मजीद की जाय जो बलिहाज हालात मुकदमा जरूरी हो,

नंबर—४४.

बगरज तामील अमानत

[किस्म]

(क ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है.

१ मुद्दई मिनजुमला उमना के एक अमीन बमूजिब एक तमलीक नामे के है जो बतारीख या उस के करीब किसी तारीख पर बरवक्त इजदिवाज (ङ, च) और (छ ज) याने वालिद और वालिदा मुद्दायलेह के लिखा गया (या बमूजिब दस्तावेज इन्तकाल जायदाद और अमवाल (ङ, च.) के जो (ग. घ.) मुद्दायलेह और दीगर कर्जख्वाहान (ङ च) की फायदे के वास्ते लिखी गई.

२. (क. ख.) ने अपने जिम्मे कार अमानत मजकूर का लिया और माल मनकूला और गैर मनकूला पर जो बजरिये दस्तावेज मजकूर बाला के मुन्तकिल किया गया (या माल मजकूर की आमदनी पर) काबिज है.

३ (ग. घ) मजकूर दस्तावेज मजकूरे बाला के बमूजिब दावा इस्तहकाक इन्तफा का रहता है

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)

६ मुद्दई चाहता है कि हिसाब तमाम लगान या किराया और मनफित्रत जायदाद गैर मनकूला मजकूर का (और जर समन जायदाद गैर मनकूला या मनकूला मजकूर का या उस के हिस्से का या जर समन जायदाद मनकूला मजकूर या उस के हिस्से का या मुनाफा का जो कि मुद्दई को बमन्सब इन्सिराम कार अमानत मजकूर के हुआ) समझा दे पास मुद्दई मुस्तदई है कि अदालत रूबरू (ग घ) मजकूर और ऐसे दीगर अशखास के जिन को गरज हो और जिन को अदालत हिदायत करे अमानत मजकूर का हिसाब ले ले और कुल जायदाद अमानती मजकूर का इहतेमाम वास्ते मुनाफा (ग घ.) मुद्दायलेह और तमाम दीगर अशखास के जिन को एहतेमाम मजकूर में गरज हो अमल में लाय या (ग घ) इस अमर के अमल में न आने की वजह माकूल बयान करे

(तम्बीह—जब कि नालिश मिनजानिब शख्स मोतमिनलहु के हो तो अर्जी नालिश बतबदील अलफाज तबदील तलब मिसल अर्जी दावा मुतालहू के हो).

नंबर—४५

बैनात या नीलाम

[किस्म]

(क ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है:—

१. यह कि मुद्दई अराजीयात ममलूका मुद्दायलेह का मुर्तहिन है.

२ तफसील रहन मजकूर की यह है

(क) तारीख.

(ख) नाम राहिन और मुर्तहिन के

(ग) तादाद जर राहिन.

(घ) शरह सूद

(ङ) जायदाद मरहूना.

(च) रकम जो अब देना वाजिब है.

(छ) अगर मुद्दई ने हक किसी और से हासिल किया हो तो मुख्तसिर लिखना चाहिये कि हक उस को क्योंकर पहुंचा (अगर मुद्दई मुरतहन बाकब्जा हो तो यह इबारत इजाफा होना चाहिये)

३ ब तारीख माह सन मुद्दई ने जायदाद मर्हूना का कब्जा हासिल किया और तारीख मजकूर से मुरतहिन बाकब्जा है.

(यहां मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये).

६ मुद्दई दादख्वाह है,

१. कि जर याफतनी दिलाया जाय वर्ना जायदाद मर्हूना नीलाम की जाय या मुद्दई के हक में उस का बै कामिल कर दिया जाय (और उस पर कब्जा दिलाया जाय).

(अगर कायदा ६ आर्डर ३४ मुताल्लुक हो तो इबारत जैल इजाफा होगी).

२ अगर नीलाम से उस कदर कुल रूपया जो मुद्दई को याफतनी है वसूल नहो तो मुद्दई को अख्त्यार है कि जर बाकी के निसबत डिकरी कराने की दरख्वास्त देसके.

नम्बर—४९.

इनफिकाक राहिन

(किस्म)

(क, ख) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है:—

यह कि मुद्दई राहिन उस जायदाद का है जिस का मुद्दायलेह मुरतहिन है

२ तफसील रहन मजकूर की यह है

(क) तारीख,

(ख) नाम राहिन और मुरतहिन के.

(ग) किस कदर रुपया रहन पर लिया गया

(घ) शरह सूद.

(ङ) जायदाद मर्हूना,

(च) अगर मुद्दई ने हक किसी और से हासिल किया हो तो मुख्तसिर लिखना चाहिये कि हक उस को क्योंकर पहुंचा (अगर मुद्दायलेह मुरतहिन बाकबजा हों) तो यह इबारत इजाफा होना चाहिये

(३) मुद्दायलेह जायदाद मर्हूना पर काबिज है (या उस का जर लगान या किराया वसूल करता है),

(यहा मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नबर १ लिखना चाहिये),

६. मुद्दई दादख्वाह है कि जायदाद मजकूर इनफिकाक कराले और बजरिये तहरीर उसे वापस ले (और उस पर कबजा हासिल करे),

नम्बर—४७

तामील खास (नम्बर १)

(किस्म)

(क, ख,) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है

१ बजरिये एक इकरारनामा मवर्खे तारीख माह सन दस्तखती मुद्दायलेह के उस ने मुद्दई से एक जायदाद गैर मनकूला जिस का बयान और जिक्र इकरार नामा मजकूर में है बएवज मुबलिग खरीद करने (या फरोख्त करने) का इकरार किया

२. मुद्दई ने मुद्दायलेह मजकूर से दरखास्त की कि वह अपनी तरफ से उस इकरारनामे की तकमील खास करे, लेकिन उस ने नहीं की.

३ मुद्दई अपनी तरफ से खास तकमील इकरारनामा की करने पर मुस्तैद और राजी है और इस अमर की इत्तला मुद्दायलेह को दे.

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये).

६. मुद्दई दादख्वाह बदी मुराद है कि अदालत मुद्दायलेह मजकूर को इ करारनामा की तामील खास करने और उन तमाम अफआल के अमल में लाने का हुक्म दे जो कि जायदाद मजकूर पर मुद्दई को कबजा कामिल देने के लिये जरूरी है (या जायदाद मजकूर का इन्तकाल और कबजा हासिल करने के लिये जरूरी हों) और नीज यह कि खरचा उस नालिश का अदा करे.

नंबर—४८.

तामील खास (नम्बर २)

(किस्म)

(क. ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है

१. बतारीख माह सन दरमियान मुद्दई और मुद्दायलेह के एक इकरारनामा लिखा गया जो इस के साथ नत्थी है

यह कि मुद्दायलेह कतअम मुस्तहक जायदाद गैर मनकूला मुतजक्करा इकरारनामे का था

२. बतारीख माह सन मुद्दई ने मुबलिग मुद्दायलेह को देने के लिये कहा और बएवज उस के किबाला मोतबर जायदाद मजकूर का चाहा.

३. बतारीख माह सन मुद्दई ने फिर तकाजा उस इन्तकाल का किया (या मुद्दायलेह ने मुद्दई के नाम उस का इन्तकाल करने से इकार किया).

४. मुद्दायलेह ने कोई किबाला नहीं लिखा

५. मुद्दई हिनोज जरे समन जायदाद मजकूर मुद्दायलेह को अदा करने पर आमादा और राजी है

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर१ लिखना चाहिये)

मुद्दई बमुराद अमर मफ़स्सिल जैल दादख्वाह है

(१) यह कि मुद्दायलेह बनाम मुद्दई क़िबाला मौतबर जायदाद मजकूर का (मुताबिक शरायत मुन्दर्जा इक़रारनामा मजकूर) लिख दे

(२) मुबलिग बाबत हर्जा हिनोज न लिखने क़िबाला मजकूर के दिलाये जायें,

नम्बर—४९

शराकत

[फ़िस्ख]

(क ख,) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है —

१, मुद्दई और मुद्दायलेह (ग घ,) अरसा साल से [या म०ोने से] बाहम बमूजिब शरायत तहरीरी दरबाब शराकत (या बमूजिब दस्तावेज या इकरार जबानी) कारोबार करते हैं,

२, दरबाब शराकत कई झगड़े और इख़तिलाफ़ात माबैन मुद्दई व मुद्दायलेह पैदा हुये जिन के सबब से उस कारोबार को इस तौर पर कि तरफ़ैन को फ़ायदा हो जारी रखना मुमकिन नहीं है(या मुद्दायलेह ने हस्ब जैल शरायत शराकत की खिलाफ़ वरजी की—याने,

(१)

(२)

(३)

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)

५, मुद्दई दादख्वाह है —

(१) यह कि शराकत फ़िस्ख करदी जाय,

(२) हिसाब कारोबार शराकत का लिया जाय,

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये).

६. मुद्दई दादख्वाह बदी मुराद है कि अदालत मुद्दायलेह मजकूर को इ करारनामा की तामील खास करने और उन तमाम अफआल के अमल में लाने का हुक्म दे जो कि जायदाद मजकूर पर मुद्दई को कबजा कामिल देने के लिये जरूरी है (या जायदाद मजकूर का इन्तकाल और कबजा हासिल करने के लिये जरूरी हों) और नीज यह कि खरचा उस नालिश का अदा करे.

नंबर—४८.

तामील खास (नम्बर २)

(किस्म)

(क. ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है

१. बतारीख माह सन दरमियान मुद्दई और मुद्दायलेह के एक इकरारनामा लिखा गया जो इस के साथ नत्थी है

यह कि मुद्दायलेह कतअम मुस्तहक जायदाद गैर मनकूला मुतजक्करा इकरारनामे का था

२ बतारीख माह सन मुद्दई ने मुबलिग मुद्दायलेह को देने के लिये कहा और बएवज उस के किबाला मोतबर जायदाद मजकूर का चाहा

३. बतारीख माह सन मुद्दई ने फिर तकाजा उस इन्तकाल का किया (या मुद्दायलेह ने मुद्दई के नाम उस का इन्तकाल करने से इंकार किया).

४. मुद्दायलेह ने कोई किबाला नहीं लिखा

५ मुद्दई हिनोज जेर समन जायदाद मजकूर मुद्दायलेह को अदा करने पर आमादा और राजी है.

(मजमून फिकरा ४ व ५ नमूना नम्बर१ लिखना चाहिये)

मुद्दई बमुराद अमर मफ़रिमल जैल दादख्वाह है.

(१) यह कि मुद्दायलेह बनाम मुद्दई क़िबाला मोतबर जायदाद मजकूर का (मुताबिक़ शरायत मुन्दर्जा इक़रारनामा मजकूर) लिख दे

(२) मुबलिग बाबत हर्जा हिनोज न लिखने क़िबाला मजकूर के दिलाये जायें.

नम्बर—४६

शराकत

[क़िस्म]

(क ख.) मुद्दई मजकूर हस्ब जैल अर्ज करता है —

१. मुद्दई और मुद्दायलेह (ग घ.) अरसा साल से [या म०मे से] बाहम बमूजिब शरायत तहरीरी दरबाब शराकत (या बमूजिब दस्तावेज या इकरार जबानी) कारोबार करते हैं.

२. दरबाब शराकत कई झगड़े और इख्तिलाफ़ात माबैन मुद्दई व मुद्दायलेह पैदा हुये जिन के सबब से उस कारोबार को इस तौर पर कि तरफ़ैन को फ़ायदा हो जारी रखना मुमकिन नहीं है (या मुद्दायलेह ने हस्ब जैल शरायत शराकत की खिलाफ़ वरजी की—याने,

(१)

(२)

(३)

(मजमून फ़िकरा ४ व ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये)

५. मुद्दई दादख्वाह है —

(१) यह कि शराकत फ़िस्ख क़रार दी जाय.

(२) हिसाब कारोबार शराकत का लिया जाय.

(३) एक रिसिवर मुकर्रर किया जाय.

(तमबीह—उन नालिशात में जो वास्ते तै करने हिसाब व किताब शराकत के हों इसतिदा मौकूफी शराकत की न लिखी जाय लेकिन बजाय उस के एक फिकरा इस बयान में दाखिल किया जाय कि शराकत मौकूफ हो गई है.

(४)—बयान तहरीरी.

जवाब दावा

[किस्म]

इनकार. मुद्दायलेह (फलां अमर से) इन्कार करता है.

मुद्दायलेह (फलां अमर को) तसलीम नहीं करता.

मुद्दायलह (फलां अमर) तसलीम करता है मगर यह कहता है

एतराज मुद्दायलेह इन्कार करता है कि वह मुद्दायलह के साथ फर्म—शराकतदार है मुद्दायलेह इस से इन्कार करता है कि उस ने मुद्दई के साथ माहदा मजकूर या किसी किस्म का कोई माहदा किया.

मुद्दायलेह इस से इन्कार करता है कि उस ने मुद्दई के साथ बयान किया हुआ माहदा या कोई माहदा किया

मुद्दायलेह जायदाद से इकबाल करता है मगर मुद्दई के दावा से नहीं

मुद्दायलेह इस से इन्कार करता है कि मुद्दई ने माल मतजिकरे अरजी दावा या उस में से कोई माल उस के हाथ बेचा

मियाद समाअत मियाद समाअत अजरूय मद या दात जमीमा २ एक्ट मियाद समाअत सन १९०८ ई० बैरुं मियाद है

अख्त्यार समाअत मुक़दमा	अदालत को मुक़दमा सुनने का अख्त्यार नहीं है इस वजह से कि [यहां वजह लिखना चाहिये]
	बतारीख मुद्दायलेह ने एक हीरों की अंगूठी मुद्दई को दी और मुद्दई ने अपने दावे की बेबाकी में उसे कबूल कर लिया
दीवाला	मुद्दायलेह को अदालत ने दीवालिया करार दिया है. कबल रूजू नालिश हाजा अदालत ने मुद्दई को दीवालिया करार दिया था लिहाजा नालिश दायर करने का हक रिसीवर को था
नाबालिगी	मुद्दायलेह माहदा करते वक़्त नाबालिगी था
अदालत में रूप्या दाखिल करना	मुद्दायलेह ने कुल दावे की बाबत [या मुबलिग की बाबत याने जैसी सूरत हो] अदालत में मुबलिग दाखिल किया और अर्ज करता है कि मुबलिग मजकूर से मुद्दई का कुल दावा [या जुज मजकूर] बेबाक हो गया
दस्तबरदारी	बतारीख तामील माहदे से दस्तबरदारी की गई.
फिसख मुआहिदा	माहदा अजरूय इकरारनामा माबैन मुद्दई और मुद्दायलेह के फिसख हो गया था.
रेसजूडी केटा	मुद्दई का दावा बसबब डिकरी फला मुकदमे के दायर नहीं हो सक्ता [हवाले की तफ़सील दो]
इस्टापल,	मुद्दई फला अमर हक [यहां तफ़सील लिखना चाहिये] इनकार करने से ममनू है क्योंकि (यहां वह वाकेआत बयान करना चाहिये जिन की बिना पर इस्टापल का उज्र किया जाय).
बिनाय जवाबदावा बाद दायर होने मुकदमे के	बाद दायर होने मुकदमे के याने बतारीख [ऐसा ऐसा हुआ]

नंबर—१.

जवाबदावा बमुकद्दमा बेचे वो हवाला किये हुये माल के

१. मुद्दायलेह ने माल के लिये हुक्म नहीं दिया.

२. माल मुद्दायलेह के हवाला नहीं किया गया.

३. कीमत रू. न थी.

या

४.
५. } सिवाये रू० , वैसे ही जैसे { १ २. ३
६.

७. मुद्दायलेह (या क ख. एजन्ट मुद्दायलेह) मुकद्दमा के पहले रूपया तारीख माह सन १९ को मुद्दई (या म. घ) मुख्त्यार मुद्दई को दे कर बेबाकी दावा की कर दी.

८. मुद्दायलेह ने दावा की बेबा की मुद्दई को बाद नालिश तारीख माह सन १९ को देकर कर दी

नम्बर—२.

जवाबदावा मुकद्दमात बरबिना तमस्सुक में

१ तमस्सुक मुद्दायलेह का तमस्सुक नहीं है

२ मुद्दायलेह ने मुद्दई को तमस्सुक में लिखे हुऐ शरतों के मुताबिक जो दिन मुकर्रर था उस दिन वसूल दे दिया

३. मुद्दायलेह ने मुद्दई को वसूल बाद तारीख मुकर्रा और कबल नालिश बाबत असल वो सूद मु दरजे तमस्सुक दें दिया.

नम्बर—३.

जवाबदावा बमुकद्दमात बरबिनाय जमानतनामा

१. असल मकरूज ने कबल नालिश अदाई के जरिये से दावे की

बेचा औ कर दी

२. मुदई ने असल मकरूज को बजरिये इकरारनामा पाबन्दी मोहलत देकर मुद्दायलेह को बरी कर दिया

नम्बर—४

जवाबदावा किसी मुकदमा करजा में

१. निस्बत २०० रू० मुतदाविया के, मुद्दायलेह उस माल की कीमत मुजरा पाने का मुस्तहक है जो मुद्दायलेह ने मुदई को बेचा वो हवाला किया, तफसील नीचे लिखी हुई है

		रूपया
१९०७ जनवरी २५		१५०
,,	फरवरी १	५०
	मिजान	२००) रू०

२. निसबत कुल (या निसबत रू० जुज रूपया मुतदाविया) मुद्दायलेह कबल नालिश रू० देता था और वह अदालत में दाखिल कर दिया है.

नंबर—५.

जवाबदावा बमुकद्मे उस नुकसान के जो बेएहतयाती से हाकने से पैदा हो—

१ मुद्दायलेह इकरार करता है कि गाड़ी जिस का जिकर अरजीदावा में है मुद्दायलेह की गाड़ी थी और वह मुद्दायलह के नौकर के जिम्मे वो एहतमाम में था—गाड़ी फलां साकिन स्ट्रीट कलकत्ता सईस जिस को मुद्दायलेह ने वास्ते देने उस को गाड़ी घोड़े के मुकर्रर किया है थी—और वह शख्स जिस के जिम्मे वो एहतेमाम में गाड़ी मजकूर थी मजकूर का नौकर था

२ मुद्दायलेह यह कबूल नहीं करता है कि गाड़ी मजकूर मिडलटन स्ट्रीट से गफलत वो बेखबरी से या बिला होशयार करने जल्दी और तेजी खतरनाक से निकल गई.

नंबर—१.

जवाबदावा बमुकद्दमा बेचे वो हवाला किये हुये माल के

१. मुद्दायलेह ने माल के लिये हुक्म नहीं दिया.

२. माल मुद्दायलेह के हवाला नहीं किया गया.

३. कीमत रू. न थी.

या

४.
५. } सिवाये रू० , वैसे ही जैसे { १ २ ३.
६.

७ मुद्दायलेह (या क ख एजन्ट मुद्दायलेह) मुकदमा के पहले रूपया तारीख माह सन १९ को मुद्दई (या ग घ) मुख्त्यार मुद्दई को दे कर बेबाकी दावा की कर दी.

८. मुद्दायलेह ने दावा की बेबा की मुद्दई को बाद नालिश तारीख माह सन १९ को देकर कर दी

नम्बर—२.

जवाबदावा मुकद्दमात बरबिना तमस्सुक में

१ तमस्सुक मुद्दायलेह का तमस्सुक नहीं है.

२ मुद्दायलेह ने मुद्दई को तमस्सुक में लिखे हुऐ शरतों के मुताबिक जो दिन मुकर्रर था उस दिन वसूल दे दिया

३. मुद्दायलेह ने मुद्दई को वसूल बाद तारीख मुकर्रा और कबल नालिश बाबत असल वो सूद मुन्दरजे तमस्सुक दें दिया

नम्बर—३.

जवाबदावा बमुकद्दमात बरबिनाय जमानतनामा

१. असल मकरूज ने कबल नालिश अदाई के जरिये से दावे की

जर रहन और मुताल्लुक जायदाद मरहूना (क, ख) के नाम मुन्तकिल कर दिया.

४. मुद्दायलेह ने जायदाद मरहूना पर किसी वक्त कब्ना हासिल नहीं किया और न उसका जरलगान (या किराया) पाया.

(अगर मुद्दई सिर्फ कब्जा चन्द रोज का इकरार करे तो उस को चाहिये कि वह मुद्दत लिखे और मुद्दत माबाद के कब्जे से इनकार करे.

नंबर—१३.

जवाब दावा बमुकदमात तामील खास

१ मुद्दायलेह ने इकरारनामा नहीं लिखा.

२. (क) (ख) मुद्दायलेह का एजन्ट नहीं था (मगर मुद्दई उस एजन्ट होना बयान करे).

३. मुद्दई ने शरायत जैल की तामील नहीं की.

४. मुद्दायलेह ने नहीं किया (बयान किये हुये फैल निसबत शुम तामील के)

५. यह कि मुद्दई का हक निस्बत उस जायदाद के जिसकी फरोख्त का इकरार किया गया बवजह मुन्दरजा जैल ऐसा नहीं है कि मुद्दायलेह को उसे कबूल करना लाजिम है (यहा वजह लिखना चाहिये)

६. इकरारनामा अमर मुन्दरजे जैल के निसबत साफ नहीं है

(यहा वह अमर लिखना चाहिये)

७ (या) मुद्दई देरी का कसूर वार है

८ (या) मुद्दई फरेब या खिलाफ बयानी का कसूर वार है.

९ (या) इकरारनामा ना मुनासिब है.

१० (या) इकरारनामा गलती से लिखा गया

११ तफसीलें फिकरा ७ ८-९ वो १० की (या जैसी के सूरत हो यह है)

१२ इकरारनामा जरूय शरायत नीलाम नम्बर ११ या (इकरार बाहमी मनसूख हो गया.

नंबर—११.

जवाबदावा बमुकदमात रेहनात

१ यह कि मुदायलेह ने रहन की तकमील नहीं की.

२. यह कि मुदई के हक में रहन मुन्तकिल नहीं हुआ (अगर एक से जियादा इन्तकाल बयान किये जायें तो यह लिखना चाहिये कि किस इन्तकाल से इनकार है)

३. नालिश बमूजिब मद जमीमा २ एक्ट मियाद समाअत हिन्द १८७७ ई० दायर नहीं हो सकी

४. रकम मजकूर अदा की गई--याने

(तारीख लिखो) . .. . १००० रुपया
(तारीख लिखो) .... ५०० रुपया

५. बतारीख मुद्दई ने जायदाद पर कब्जा हासिल किया और तारीख मजकूर से उस का जरलगान (या किराया) पाता रहा

६ बतारीख मुद्दई ने जर करजा अदा कर दिया.

७ अजरूय दस्तावज मवरखे मुद्दायलेह न अपना कुल हक (क. ख के नाम मुन्तकिल कर दिया.

नंबर—१२

जवाबदावा बमुकदमात इनफिकाक रहन

१. मुदई का हक इनफिकाक अजरूय आरटिकल जमीमा २ एक्ट मियाद समाअत हिन्द सन १८७७ ई० साकित हो गया.

२. मुदई ने अपना कुल हक मुताल्लुक जायदाद (क. ख) के नाम मुन्तकिल कर दिया

३ मुद्दायलेह ने अजरूय दस्तावेज मवरखे अपना कुल हक मुताल्लुक

१८७०) के पूरे तौर से तहरीरी नहीं पाय थे,

२ जिस वक्त के वसीयतनामा और जुज वसीयतनामा तरमीम शुदा का लिखा जाना बतलाया जाता है मुतवफ्फी की अकल याद वो समझ दुरुस्त नहीं थी.

३ तहरीर वसीयतनामा और जुज वसीयतनामा तरमीम शुदा मजकूर मुद्दई (और दीगर लोग जो उस के साथ कार्रवाई करते थे और जिन का नाम इस वक्त मुदायलेह को मालुम नहीं है) के दबाव नाजायज से हासिल किया गया था

४. तहरीर वसीयतनामा और जुज वसीयतनामा तरमीम शुदा मजकूर मुद्दई के फरेब से हासिल किया गया था—ऐसा फरेब मुदायलेह के इलम हाल में यह है.

(किस्म फरव की बयान करो)

---

५ बवक्त तहरीर वसीयतनामा और जुज वसीयतनामा तरमीम शुदा मजकूर मुतवफ्फी उस के मजमून को जानता न था और नामनजूर किया (या) निसबत मजमून वसीयत नामा जो बाबत हक बकाया मतरूका बाद तकसीम के लिखा गया है.

(जैसी के सूरत हो)

६. मुतवफ्फी ने अपनी सही आखरी वसीयतनामा ऐकुम जनवरी सन १८७३ ई० को लिखा और उस के जरिये से मुदायलेह को उस का कामिल मूसी मुकर्रर किया

मुदायलेह दावीदार है कि

(१) यह के अदालत वसीयतनामा और जुज वसीयतनामा तरमीम शुदा मजकूर जिस को मुद्दई ने गौर किये जाने के लिये पेश किया है उस के खिलाफ करार दे.

(२) यह कि अदालत मुतवफ्फी के वसीयतनामा मोरखे १ जनवरी सन १८७३ ई० के प्रोबेट की डिक्री कानून से मुकर्रर किये हुये नमूने में देगी

(उस सूरत में जिस में हरजाना का दावा किया है और मुद्दायलेह हरजाना के निस्बत अपनी जिम्मेदारी में झगड़ा करता है तो उस को इकरारनामे से या बयान किये हुये खिलाफवर्जी से इनकार करना चाहिये या दीगर वजूहात जवाब दावे की जिस पर वह भरोसा करने की मनशा रखता है बतलाना चाहिये याने एक्ट मियाद समाअत हिन्द–देहना, वो बेबाकी–रिहाई, फरेब वगैरा).

नम्बर—१४.

जवाब दावा बमुकद्दमात अहतमाम जायदाद मुतवफ्फी बजरिये मुसालह नकदी पाने वाले के

१ (क) (ख) के वसीयत नामा में बार कर्जा दर्ज था वह दीवालिया मरा–वह अपने मरने के वक्त कुछ जायदाद गैर मनकूला का मुसतहक था जो मुद्दायलेह ने बेच डाला और जिस से खारिज रू० आये और मूसी के पास कुछ जायदाद मनकूला थी जो मुद्दायलेह ने पाया और जिस से खारिज रकम रू० आये.

२ मुद्दायलेह ने कुछ जर मजकूर और मुबालिग रू० जो मुद्दायलेह ने किराया जायदाद गैर मनकूला का पाया, तजहीज–तकफीन वो खरचा वसीयती और कुछ करजा मूसी में खरचा किया.

३. मुद्दायलेह ने उस का हिसाब करके एक नकल उस की मुद्दई के पास ता० माह सन १६ को भेज दिया, और मुद्दई को उस के वौचर के मुलाहिजा करने और ऐसे हिसाब की तसदीक कर लेने को कहा–मगर उस ने मुद्दायलेह की अरज पर अपने तई ऐसा करने से इनकार किया

४ मुद्दायलेह अरज करता है कि मुद्दई को खरचा मुकदमा देना चाहिये.

नम्बर—१५.

वसीयतनामा का प्रोबेट सालम फार्म में

१. मुतवफ्फीका वसीयतनामा या जुज वसीयतनामा तरमीम शुदा बमूजिब अहकाम एक्ट विरासतन हिंद सन १८६५ (या एक्ट वसीयतनामा हिंद सन

जमीमा १.

अपेनडिक्स (ख)

(प्रोसेस हुक्मनामे)

नंबर—१.

समन वास्ते फैसला मुकदमा
(आर्डर ५ कायदा १—५)

(किस्म)

बनाम,

(नाम तफसील वो जगह सकूनत)

जो कि ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत के दायर की है—लिहाजा तुम को हुक्म होता है कि तुम तारीख माह सन वक्त पर असालतन या मारफत वकील अदालत मजाज हस्ब जाब्ता के जो मुकदमा के हाल से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल जरूरी अमर मुताल्लुक मुकदमा का जवाब दे सके या जिस के साथ कोई और शख्स हो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हो—और जवाबदेही दावा मुद्दई मजकूर की करो और वही तारीख जो तुम्हारे हाजरी के लिये मुकर्रर है वास्ते कतई फैसला मुकदमा के तजवीज हुई, पस तुम को चाहिये कि उसी रोज अपने कुल गवाहों को जिन की शहादत पर और कुल दस्तावेजों को जिन को तुम अपने जवाब के ताईद में भरोसा करना चाहते हो पेश करने के लिये तैयार रहो—और तुम को इत्तला दी जाती है कि अगर उस तारीख को तुम हाजिर न होगे तो मुकदमा बगैर तुम्हारी हाजरी के सुना जायगा और फैसला होगा

नंबर—१६.

तफसीलें (आर्डर ६ कायदा ५)

(किस्म मुकदमा)

तफसीलें यह तफसीलें (यहां वह अमर लिखे जायेंगे जिन की तफसीलें दाखिल करने का हुक्म हुआ हो) मुताबिक हुक्म दाखिल की जाती हैं

(यहां अलग २ फिकरों में अगर जरूरत हो तफसीलें लिखी जायेंगी जिन के निसबत हुक्म हुआ हो).

दी जाती है कि अगर उस तारीख पर तुम हाजिर न होगे तो अमरतनकीह तलब तुम्हारे गैर हाजरी में करार दी जायगी

बदस्तखत मेरे मुहर अदालत से आज तारीख माह सन को जारी किया गया

जज

इत्तला १ अगर तुम को यह अन्देशा हो कि तुम्हारे गवाह अपनी मरजी से हाजिर न होंगे—तो तुम अदालत हाजा से समन बई मुराद जारी करा सक्ते हो कि जो गवाह न हाजिर हो वह जबरन हाजिर कराया जाय और जिस दस्तावेज को किसी गवाह से पेश कराने का इस्तेहकाक रखते हो वह उस से पेश कराई जाय, बशरते कि तुम उस के वास्ते जरे खुराक जो जरूरी हो अदालत में दाखिल करके इस अमर की दरखास्त गुजरानी जाय.

२ अगर तुम मुतालबा मुदई को तसलीम करते हो तो तुम को लाजिम है रूपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करो- ताकि इजरा डिकरी का जो तुम्हारी जात या माल या दरसूरत जरूरत दोनों पर हो करना न पड़े

नम्बर—३

समन असालतन हाजिर होने के लिये
(आर्डर नम्बर ५ कायदा ३)

(किस्म)

बनाम

(नाम तफसील वो जगह सकूनत).

जो कि ने तुम्हारे ऊपर एक नालिश बाबत के दायर की है—लेहाजा तुम को हुक्म होता है कि तुम तारीख माह सन वक्त ब असालतन इस

इत्तला १. अगर तुम को यह अन्देशा हो कि तुम्हारे गवाह अपनी खुशी से हाजिर न होंगे तो तुम इस अदालत से समन बई मुराद जारी करा सक्ते हो कि जो गवाह न हाजिर हो वह जबरन हाजिर कराया जाय—और जिस दस्तावेज को किसी गवाह से पेश कराने का तुम इस्तेहकाक रखते हो उस से पेश करांये जाय बशरते कि उस के वास्ते जर खुराक जो जरूरी हो अदालत में दाखिल करके इस बात की दरख्वास्त गुजरानी जाय.

२. अगर तुम मतालबा मुद्दई को तसलीम करते हो तो तुम को लाजिम है कि रूपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करो, ताकि इजरा डिकरी का जो तुम्हारी जात या माल पर या दरसूरत जरूरत दोनों पर हो करना न पड़े

नंबर—२.

समन वास्ते करारदाद अमरतनकीह तलब के.

(आर्डर ५ कायदा १—५)

(किस्म)

बनाम.

(बनाम तशरीह वो जगह सकूनत)

जो कि ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत के दायर की है—लेहाजा तुम को हुक्म होता है कि तुम बतारीख माह सन वक्त पर असालतन या मारफत वकील अदालत मजाज हस्ब जाप्ता के जो मुकदमा के हाल से कर्रार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल अमूरात जरूरी मुताल्लुके मुकदमा का जवाब दे सके—या जिस के साथ कोई और शख्स हो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके—हाजिर हो और जवाब देही दावा मुद्दई मजकूर की करो—और तुम को हुक्म दिया जाता है कि कुल दस्तावेजात जिस पर तुम अपने जवाब देही के ताईद में भरोसा करना चाहते हो पेश करो—और तुम को इत्तला

है कि तुम को मुकदमे में हाजिर होने की इजाजत दी जाय

ब दस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १६ को जारी किया गया

जज

नम्बर—५

नोटिस उस शख्स के नाम जिसे अदालत मुद्दई में शामिल करना मुनासिब समझती है

(आर्डर १ कायदा १०)

[किस्म]

बनाम

(नाम तफसील वो जगह सकूनत)

जोकि ने मुकदमा सदर पर बाबत के दायर किया है और चुकी यह जरूरी मालूम होता है कि तुम मुकदमा मजकूर में मुद्दई में शामिल किये जाव ताकि अदालत कुल अमूरात मुताल्लुके मुकदमा करार वाकई वो पूरे तौर से तसफीया करने के लायक हो-इसलिये तुम को इत्तला दी जाती है कि तुम तारीख माह सन१६ को या उस के पहले हाजिर होकर इस अदालत में जाहिर करो कि आया तुम ऐसे शामिल किये जाने में राजी हो.

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १६ को जारी किया गया

जज.

नम्बर—६

समन बनाम कायम मुकामान जायज मुद्दालेह मुतवफ्फी के

(आर्डर २२ कायदा४.)

(किस्म)

चुकि मुद्दई ने इस अदालत में तारीख माह सन१६

अदालत में दावी की जवाब देही करने के लिये हाजिर हो—और तुम को हुक्म दिया जाता है कि उस तारीख को कुल दस्तावेज जिस पर तुम अपने जवाब के ताईद में भरोसा करना चाहते हो पेश करो और तुम को यह भी इत्तला दी जाती है कि अगर तुम ऊपर लिखी हुई तारीख पर हाजिर न होगे तो मुकदमा तुम्हारे गैर हाजरी में सुना जायगा वो तसफिया पायगा,

ब दरखास्त मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया

जज

नम्बर—४.

समन व मुकदमा लर्सरी बर बियान दस्तावेज काबिल बै व शरा

(आर्डर नम्बर ३७ कायदा २)

(किस्म)

बनाम

(नाम और वलदियत और पेशा वगैरा और सकूनत).

हरगाह ने एक नालिश इस अदालत में तुम्हारे नाम बमूजिब आर्डर ३७ मजमूआ जाब्ता दीवानी बाबत मुबलिग असल व सूद जो उस को इस मनसब से कि याफतनी है—और जिसकी नकल मुनसलक की जाती है रूजू की है— लिहाज तुम्हारे नाम समन बई मुराद भेजा जाता है कि तुम इस हुक्म की तामील की तारीख से दस दिन के अन्दर वास्ते हाजिर होने और करने जवाब देही मुकदमा के इजाजत हासिल करो—और अर्सा मजकूर के अन्दर अपने हाजिर होने का दाखिला कराव— दरसूरत अदम तामील इस हुक्म के मुद्दई बाद मुनकजी होने मियाद दस यौम मजकूर के मुस्तहक होगा कि डिकरी उस कदर रूपया की जो मुबलिक से जियादा न हो और मुबलिग बाबत खर्चा के—हासिल करे

हाजिर होने की इजाजत अदालत से बजरिये एक दरखास्त के हासिल हो सक्ती है जिस के साथ तहरीरी बयान हलफी या इनकार बई मजमून होना चाहिये कि कायदा अजरूय रूयदाद काबिल जवाब देही है—या कोई वजह माकूल इस बात की

नम्बर—८

हुक्म इर्साल समन कैदी पर तामील होने के लिये

(आर्डर ५ कायदा २४.)

[फ़िस्म]

बनाम सुपरिनटेन डेन्ट जहल वाके—

बमूजिब कायदा २४ आर्डर ५ मजमूआ जाब्ता दीवानी एक समन मै मुसन्ना के इस हुक्म के साथ मुदायलेह पर तामील होन के लिये जो जहल में है भेजा जाता है और तुम से दरखास्त की जाती है कि समन मजकूर की नकल मुदायलेह मजकूर पर तामील कराओ और असल पर मुदायलेह मज्कूर के दस्तखत कराकर और तामील का बयान और अपन दस्तखत करके इस अदालत में वापिस करो

तारीख १९

जज.

नम्बर—९.

हुक्म इर्साल समन बनाम मुलाजिम सरकारी या फौजी सिपाही पर तामील होने के लिये

(आर्डर ५ कायदा २७ वो २८).

(क़िस्म)

बनाम

बमुजिब आर्डर ५ कायदा २७ या २८ (जेसा मौका हो) मजमूआ जाब्ता दीवानी एक समन मै मुसन्ना के इस हुक्म के साथ मुदायलेह पर तामील होने के लिये जो तुम्हारी मातहती में काम करता है भेजा जाता है और तुम से दरखास्त की जाती है कि समन मजकूर की नकल मुदायलेह मजकूर पर तामील कराओ और

को एक नालिश बनाम मुद्दालेह दायर की जो बाद दायरी नालिश मर गया और चूंकि मुद्दई मजकूर ने इस अदालत में दरखास्त इस बयान के साथ दी है कि तुम मुतवफ्फी के कायम मुकाम जायज हो और बजाय उस के तुम मुद्दालेह किये जावो—इस लिये तुम को इत्तला दी जाती है कि तुम इस अदालत में तारीख माह सन१९ को वक्त बजे हाजिर होकर नालिश मजकूर की जवाब देही करो—और तारीख मुकर्रा पर तुम्हरे हाजिर न होने के वजह से मुकदमा तुम्हारे गैर हाजरी में सूना जाकर तसफीया पायगा,

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन१९ को जारी किया गया

जज,

नम्बर—७,

हुक्म इर्साल समन दूसरी अदालत के इलाके में जारी होने के लिये·
(आर्डर ५ कायदा २१)

(किस्म)

जो कि बयान किया गया है कि (मुद्दालेह या गवाह) मुकदमा मजकूरे बाला में फिल हाल बमुकाम सकूनत रखता है—लिहाजा हुक्म हुआ कि समन जो बतारीख माह सन१९ वापिस होना चाहिये बनाम (मुद्दालेह या गवाह) मजकूर वास्ते तामिल के अदालत में मै मुसन्ना इस हुक्म के भेजा जाय,

रसूम अदालत मुबलिग के स्टाप निसबत समन मजकूर इस अदालत में वसूल हो गया है

तारीख १९

जज

नम्बर—८

हुक्म इर्साल समन कैदी पर तामील होने के लिये

(आर्डर ५ कायदा २४.)

[किस्म]

बनाम सुपरिनटेन्डेन्ट जहल वाकै—

बमुजिब कायदा २४ आर्डर ५ मजमूआ जाब्ता दीवानी एक समन मै मुसन्ना के इस हुक्म के साथ मुदायलेह पर तामील होन के लिये जो जहल में है भेजा जाता है और तुम से दरखास्त की जाती है कि समन मजकूर की नकल मुदायलेह मजकूर पर तामील कराओ और असल पर मुदायलेह मज्कूर के दस्तखत कराओ और तामील का बयान और अपन दस्तखत करके इस अदालत में वापिस करो

तारीख   १९

जज

नम्बर—९.

हुक्म इर्साल समन बनाम मुलाजिम सरकारी या फौजी सिपाही पर तामील होने के लिये

(आर्डर ५ कायदा २७ वो २८).

(किस्म)

बनाम

बमुजिब आर्डर ५ कायदा २७ या २८ (जैसा मौका हो) मजमूआ जाब्ता दीवानी एक समन मै मुसन्ना के इस हुक्म के साथ मुदायलेह पर तामील होन के लिये जो तुम्हारे मातहती में काम करता है भेजा जाता है और तुम से दरखास्त की जाती है कि समन मजकूर की नकल मुदायलेह मजकूर पर तामील कराओ और

असल को मुद्दायलेह् मजकूर से दस्तखत कराके और तामील का बयान और अपने दस्तखत करके इस अदालत में वापिस करो.

तारीख १९

जज.

नम्बर—१०.

रूबकार जो दूसरी अदालत के समन के जवाब के साथ मुर्सल हो
(आर्डर ५ कायदा २३)

(किस्म)

रूबकार मुर्सला मुशिर इरसाल बगरज तामील ऊपर बमुकदमा दीवानी नम्बर अदालत मजकूर मुलाहिजा हुआ.

अफसर तामील कुनिन्दा की तहरीर जुहरी मई बयान के मुलाहिजा हुई और उस का सुबूत हस्ब जाब्ता हमारे रूबरू बहलफ और के लिये गया लिहाजा हुक्म हुआ कि बअदालत मय नकल रूबकार हाजा वापिस भेजा जाय.

जज.

नोटः—यह नमूना सिवाय समन के हर हुक्मनामें से मुताल्लुक होगा जिस की तामील उसी तौर पर करानी मन्जूर हो

नम्बर—११.

बयान हलफी तामील करने वाले का जो समन या इत्तलानामा के वापिस होने पर उस के शामिल रहेगा
(आर्डर ५ कायदा १८).

(किस्म)

बयान हलफी वल्द का.

मैं बहलफ (बइकरार सालेह) करता हू कि--

(१) मैं इस अदालत के हुक्मनामों की तामील करता हू.

(२) ब तारीख माह सन मैं ने एक समन (इत्तलानामा

जिस को अदालत ने बमुकदमा दीवानी नम्बर सन अदालत मजकूर तारीख माह सन फला शख्स पर तामील होने के लिये जारी किया था पाया।

(२) ( ) मजकूर को मैं उस वक्त खुद जानता था और मैंने समन (इत्तलानामा) की तामील उस पर बतारीख माह सन करीब बजे दिन के बमुकाम इस तरह की कि समन (इत्तलानामा) की एक नकल उस के हवाले करदी और असल समन (इत्तलानामा) पर उस के दस्तखत करा लिये.

(क) इस जगह बयान करना चाहिये कि जिस शख्स पर तामील हुई उस ने आया दस्तखत किये या दस्तखत करने मे इनकार किया और अगर किये ता किस के सामने

(ख) यहा तामील करने वाले के दस्तखत होना चाहिये.

(या)

(२) चूंकि मैं खुद मजकूरी को नहीं जानता था इस लिये एक शख्स मुसम्मी मेरे साथ तक गया और यहा मुझ को एक शख्स को दिखलाया जिस का नाम उस ने मजकूरी बयान किया और मैं ने (समन या इत्तलानामा) की तामील उस पर बतारीख माह सन करीब बजे दिन के बमुकाम इस तरह की कि (समन या इत्तलानामा) की एक नकल उस के हवाला कर दी और असल (समन या इत्तलानामा) पर उस के दस्तखत करा लिये

(क) इस जगह बयान करना चाहिये जिस शख्स पर तामील हुई उस से आया दस्तखत किये या दस्तखत करने से इनकार किया और अगर किये तो किस के सामने

(ख) तामील करने वाले के दस्तखत

या

(२) चूंकि मजकूरी और उस मकान को जिस वह मामूलन रहता

असल को मुद्दायलेह् मजकूर से दस्तखत कराके और तामील का बयान और अपने दस्तखत करके इस अदालत में वापिस करो.

तारीख १९

जज.

नम्बर—१०.

रूबकार जो दूसरी अदालत के समन के जवाब के साथ मुर्सल हो
(आर्डर ५ कायदा २३)

(किस्म)

रूबकार मुर्सला मुशिर इरसाल बगरज तामील ऊपर बमुकदमा दीवानी नम्बर अदालत मजकूर मुलाहिजा हुआ.

अफसर तामील कुनिन्दा की तहरीर जुहरी नई बयान के मुलाहिजा हुई और उस का सुबूत हस्ब जाब्ता हमारे रूबरू बहलफ और के लिये गया लिहाजा हुक्म हुआ कि बअदालत मय नकल रूबकार हाजा वापिस भेजा जाय.

जज.

नोट—यह नमूना सिवाय समन के हर हुक्मनामे से मुताल्लुक होगा जिस की तामील उसी तौर पर करानी मन्जूर हो

नम्बर—११.

बयान हलफी तामील करने वाले का जो समन या इत्तलानामा के वापिस होने पर उस के शामिल रहेगा
(आर्डर ५, कायदा १८).

(किस्म)

बयान हलफी वल्द का.

मैं बहलफ (बइकरार सालेह) करता हू कि—

(१) मैं इस अदालत के हुक्मनामों की तामील करता हू

(२) ब तारीख माह सन मैं ने एक समन (इत्तलानामा

नम्बर—१२.

नोटिस बनाम मुद्दायलेह

(आर्डर ९ कायदा ६)

(किस्म)

बनाम.

जो कि आज की तारीख वास्ते सुनाई मुकदमा मजकूर के मुकर्रर थी और तुम्हारे नाम समन जारी हुआ था और मुद्दई इस अदालत में हाजिर हुआ और तुम हाजिर नहीं हुये मगर नाजिर की रिपोर्ट से इस अदालत के इत्मीनान के लायक साबित हुआ है कि समन मजकूर की तामील तुम पर हुई थी, मगर इतने काफी वक्त के अन्दर नहीं हुई जिस से तुम समन में मुकर्रर की हुई तारीख पर हाजिर होते

तुम को इत्तला दी जाती है कि तारीख समाअत मुकदमा आज मुलतवी कर दी गई और जब तारीख माह सन उस के समाअत के लिये मुकर्रर की गई है आखीर में जिकर की हुई तारीख पर तुम हाजिर न होंगे तो मुकदमा तुम्हारे गैर हाजरी में समाअत पाकर तसफीया पायगा

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया

जज

नम्बर—१३.

समन बनाम गवाह

(आर्डर १६ कायदा १-५).

(किस्म)

हरगाह तुम्हारा हाजिर होना वास्ते के मिनजानिब मुकदमा मजकूरे बाला में जरूरी है लिहाजा तुम को हुक्म दिया जाता है कि (असालतन) इस अदालत में तारीख माह सन बर वक्त बजे दिन के कबल दो पहर हाजिर हो, और अपने साथ को लेते आव या (इस अदालत में भेजे दो)

मुबलिग बाबत तुम्हारे सफर खर्चे वगैरह और खूराक एक योम के इस समन

है मैं खुद जानता था, लेहाजा मैं मकान मजकूरी पर व मुकाम बतारीख माह सन करीब बजे दिन के गया मगर मजकूरी को वहा न पाया.

(क) इस जगह पूरी तरह और ठीक लिखना चाहिये कि समन या इतलानामे की तामील व हवाला खास आरडर ५ कायदा १५ व १७ के क्यों कर हुई

(ख) यहा तामील करने वाले के दस्तखत होना चाहिये.

या

(३) एक शख्स मुसम्मी मेरे साथ तक गया और वहा एक मकान मुझको दिखलाया और कहा कि इसी मकान में मजकूरी मामूलन रहता है---मगर मैं ने मजकूरी को वहा न पाया

(क)

(ख)

(क) इस जगह पूरी तरह और ठीक लिखना चाहिये कि समन या इतलानामें की तामील व हवाला खास आरडर ५ कायदा १५ व १७ क्योंकर हुई

(ख) तामील करने वाले के दस्तखत.

या

अगर तामील सिवाय तरीकामामूली के किसी और तरह की जाने को हो तो पूरी तरह और ठीक ठीक बयान किया जाय कि समन व हवाला खास मजमून हुक्म तामील खास के समन की तामील किस तरीके पर हुई

आज बतारीख माह सन फलां मजकूरी ने मेरे रूबरू हलफ किया / या इकरार सालेह किया

दस्तखत उस शख्स के जो दफा १३७ मजमूआ जाब्ता दीवानी की रू से बयानात हलफी करने वालों से हलफ लेने के लिये मुकर्रर किया जाय.

बदस्तखत मेरे और अदालत की मोहर से आज तारीख माह सन को जारी किया गया

जज.

नंबर—१५.

इश्तहार वास्ते हाजरी गवाह

(आर्डर १६ कायदा १०).

(किस्म)

बनाम

जो कि अहलकार तामील कुनन्दा के इजहार हलफी से मालुम हुआ कि समन की तामील गवाह पर बा जाब्ता हो गई और हरगाह मालुम होता है कि गवाह मजकूर का इजहार जरूरी है और वह ऐसे समन की तामील में हाजिर नहीं हुआ—लेहाजा यह इश्तहार बमजब आर्डर १६ कायदा १० मजमूआ जाब्ता दीवानी जारी किया जाता है कि गवाह मजकूर इस अदालत में ब तारीख माह सन बवक्त हाजिर हो और रोज रोज हाजिर हुआ करे जब तक कि उस को इजाजत न मिले और अगर गवाह मजकूर तारीख और वक्त मजकूरा पर हाजिर न होगा तो उस के निसबत कानून के मुताबिक कार्रवाई की जावेगी.

ब दस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया

जज.

नम्बर—१६

वारन्ट कुरकी जायदाद गवाह

(आर्डर १६ कायदा १०)

(किस्म)

बनाम बेलिफ अदालत

क साथ भेजा जाता है—अगर तुम इस हुक्म की तामील में बग़ैर उज़र जायज़ के कसूर करोगे तो तुम पर न हाज़िर होने का वह नतीजा जो मजमूआ ज़ाब्ता दीवनी के आर्डर १६ कायदा १२ में दर्ज है आइद होगा

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन को जारी कि ा गया.

इत्तला—१. अगर तुम सिर्फ दस्तावेज पेश करने के लिये तलब किये गये हो और शहादत देने के वास्ते नहीं तलब किये गये—तो तुम्हारी तरफ से तामील समन की इसी में मुतसव्वर होगा कि तुम दस्तावेज मजकूर को इस अदालत में बतारीख और बरवक्त मर्कूमाबाला पेश करा दो.

इत्तला—२ अगर तारीख मजकूरे बाला से जियादा तुम को ठहरना पड़े तो मुबलिग तुम को सिवाय तारीख मजकूरे बाला के हर तारीख हाजिरी अदालत के बाबत दिया जायगा.

नम्बर—१४.

इश्तहार बहुक्म हाजरी गवाह

(आर्डर १६ कायदा १०).

[किस्म]

बनाम

हरगाह अहलकार तामील कुनिन्दा के इजहार हलफी से मालूम हुआ कि समन की तामील गवाह मजकूर पर हस्ब तरीका मुकर्रा कानून न हो सकी और हरगाह मालूम होता है कि गवाह मजकूर का इजहार जरूरी है और तामील समन से बचने के लिये वह फरार है और रूपोश रहता है लिहाज यह इश्तहार अजरूए आर्डर १६ कायदा १० मजमूआ जाब्ता दीवानी के जारी किया जाता है कि गवाह मजकूर इस अदालत में बतारीख माह सन बवक्त हाजिर हो और रोज़ रोज़ हाजिर हुआ कर जब तक कि उस को जाने की इजाजत न मिले—और अगर गवाह मजकूर तारीख और वक्त मजकूर पर हाजिर न होगा तो उस के निसबत कानून के मुताबिक कार्रवाई की जायगी.

नंबर—१८

वारन्ट हिरासत में रखने का

(आर्डर १६ कायदा १६)

[किस्म]

बनाम अफसर मुहतामिम जहल वाके

हरगाह मुद्दई (या मुद्दायलेह) ने मुकदमा मजकूर बाला में इस अदालत में दरखास्त गुजरानी है कि से ब तारीख माह सन वास्ते अदाय शहादत (या पेश करने दस्तावेज) हाजिर होने की जमानत ली जाय और हरगाह अदालत ने मजकूर से जमानत मजकूर तलब की मगर वह न दे सका— लिहाजा तुम को हुक्म होता है कि मजकूर को दीवानी जहल में रखो और ब तारीख वक्त और ऐसी और तारीख या तारीखों पर जिसकी निसबत आइन्दा हुक्म हो उस को इस अदालत में हाजिर करो

मेरे दस्तखत और अदालत की मोहर से आज तारीख माह सन को जारी किया गया.

जज.

नंबर—१९.

वारन्ट हिरासत में रखने का

(आर्डर १६ कायदा १८).

(किस्म)

बनाम अफसर मुहतामिम जहल वाके

हरगाह जिस की हाजरी इस अदालत में बमुकदमा मजकूरे बाला वास्ते अदाय शहादत (या पेश करने दस्तावेज के) मतलूब है गिरफतार होकर इस अदालत के रूबरू जेर हिरासत हाजिर किया गया—और चूंकि मुद्दई (या मुद्दायलेह) के गैरहाजर होने के सबब से मजकूर शहादत नहीं दे सक्ता (या

चूंकि गवाह जो की तरफ से तलब किया गया था बाद गुजर जाने मुद्दत मुकर्ररा इश्तहार के भी अदालत में हाजिर नहीं हुआ—लेहाजा तुम को हुक्म होता है कि जायदाद गवाह मजकूर की मालयती कुर्क करलो और एक कैफियत मे कुर्क की हुई जायदाद की एक फेहरिस्त के दिन के अन्दर पेश करो.

ब दस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

जज.

नम्बर—१७.

वारन्ट गिरफतारी गवाह

(आर्डर १६ कायदा १०).

(किस्म)

बनाम बेलिफ अदालत.

हरगाह पर समन ब जाब्ता तामील हुआ मगर वह हाजिर नहीं हुआ (या तामील समन से बचने के लिये वह फरार है और रूपोस रहता है) लिहाजा तुम को यह हुक्म दिया जाता है कि मजकूर को गिरफतार करके अदालत के रूबरू हाजिर करो

तुम को यह भी हुक्म होता है कि इस वारन्ट को तारीख माह सन तक या उस के पहले उस के पीठ पर यह तसदीक कर के कि उस की तामील किस दिन और किस तरह हुई, या उस की तामील किस वजह से नहीं हुई, वापिस करो.

ब दस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन को जारी किया गया

जज

जमीमा अव्वल.

अपेनडिक्स [ग].

दरयाफ्त मुलाहजा वो इकबाल

नंबर—१.

हुक्म निसबत हवालगी चन्द सवाल
(आर्डर ११ कायदा १).

बअदालत.

मुकदमा दीवानी नम्बर सन १९.

क, ख मुदई.

बनाम

क ख, ङ. च., वो छ ज. मुद्दायलैह

बाद समाअत और बाद पढ़े जाने बयान हलफी का जो तारीख माह सन को पेश किया गया—यह हुक्म दिया जाता है कि को अखत्यार है कि चन्द सवालात तहरीरी के हवाले करे और मजकूर च द सवालात का जवाब हस्ब मुकर्रा आर्डर ११ कायदा ८ के देवे और खर्चा इस दरखास्त का हो

नंबर—२

चन्द सवालात

(आर्डर ११ कायदा ४)

(किस्म बमूजिब नमूना नम्बर १ के)

च द सवालात (अज तरफ मुदई या मुद्दायलेह ग घ) मजकूर बगरज

दस्तावेज नहीं पेश कर सका) और चूंकि अदालत ने से बवक्त तारीख माह सन हाजिर होने की जमानत तलब की और वह जमानत न दाखिल कर सका—लिहाजा तुम को हुक्म होता है कि मजकूर को दीवानी जहल में हिरासत में रखो और बवक्त तारीख माह सन उस को इस अदालत में हाजिर करो,

मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से आज तारीख माह सन को जारी किया गया

जज

जमीमा अव्वल.

अपेनडिक्स [ग].

दरयाफ्त मुलाहजा वो इकबाल

नम्बर—१.

हुक्म निसबत हवालगी बन्द सवाल
(आर्डर ११ कायदा १).

बअदालत,

मुकदमा दीवानी नम्बर सन १९.

क, ख ... मुद्दई.

बनाम

क ख, छ च., वो छ ज, मुद्दायलेह.

बाद समाअत और बाद पढ़े जाने बयान हलफी का जो तारीख माह सन को पेश किया गया—यह हुक्म दिया जाता है कि को अखत्यार है कि बन्द सवालात तहरीरी के हवाले करे और मजकूर बन्द सवालात का जवाब हस्ब मुकर्रा आर्डर ११ कायदा ८ के देवे और खर्चा इस दरखास्त का हो.

नम्बर—२

बन्द सवालात

(आर्डर ११ कायदा ४)

(किस्म बमुजिब नमूना नम्बर १ के)

बन्द सवालात (अज तरफ मुद्दई या मुद्दायलेह ग घ) मजकूर बगरज

कलम बन्दी जवाब (मुद्दायलेहुम ङ च. वो छ ज. या मुद्दई) मजकूर के.

१. आया ने बगैरा

२. आया ने बगैरा.

बगैरा बगैरा. बगैरा

(ङ च.) मुद्दायलेह को चाहिये कि सवालात नम्बर फला वो फला का जवाब दे

(छ ज.) मुद्दायलेह को चाहिये कि सवालात नम्बर फला वो फला का जवाब दे.

नंबर—३.

बन्द सवाल का जवाब

(आर्डर ११ कायदा ९).

(किस्म बमूजिब नमूना नम्बर १)

जवाब ङ च मुद्दायलेह मजकूर का बाबत बन्द सवाल निसबत इजहार उस के मिनजानिब मुद्दई मजकूर

बन्द सवाल मजकूर के जवाब में मैं ङ. च. मजकूर हलफ से हस्ब जैल बयान करता हू

१ } बन्द सवाल का जवाब फिकरों में सिलसिलेवार नम्बर देकर लिखना
२ } चाहिये.

३ में बन्द सवाल के फिकरा नंबर का जवाब देने से इस वजह (एतराज की वजह लिखना चाहिये) से एतराज करता हू.

नंबर—४

हुक्म निसबत बयान हलफी बाबत दस्तावेजात

(आर्डर ११ कायदा १२.)

[किस्म बमूजिब नमूना नंबर १]

बाद समाअत. यह हुक्म दिया जाता है कि

इस हुक्म की तारीख से अनदर दिन कुल दस्तावेजात मुताल्लुके अमर मुतनाजिया मुकदमा हाजा जो उस के कब्जा या अखत्यार में हो या रही हो बजरिये तहरीरी बयान हलफी जवाब दे और खर्चा इस दरखास्त का हो.

नम्बर—५

बयान हलफी निस्बत दस्तावेजात

(आर्डर ११ कायदा १३)

(किस्म बमूजिब नमूना नम्बर १)

मै ग घ. मुद्दायलेह मजकूर हलफन हस्ब जैल बयान करता है.

१. मेरे कब्जा वो अखत्यार में दस्तावेजात मुतालके अमर मुतनाजिया मुकदमा हाजा जमीमा मुनसलका के हिस्सा एक वो दो में दरज किये हुऐ हैं

२. मैं दस्तावेजात मजकूर मुनदरजा हिस्सा दो जमीमा अव्वल मुनसलका को पेश करने में एतराज करता हू.

(वजह ऐतराज बयान करो)

३. मेरे कब्जा वो अखत्यार में दस्तावेजात मुतालके अमर मुतनाजिया मुकदमा हाजा मुनदरजे जमीमा दो मुनसलका थे, मगर अब नहीं है

४ आखीर में जिकर किये हुये दस्तावेजात मेरे कब्जा में अखीर मरतबा तारीख को थे (बयान करो कि क्या और उन का हुआ, और अब वे किस के कब्जा में हैं

५ ता हद इलम वो यकीन मेरे कोई हिसाब हिसाब वही वोचर, रसीद चिट्ठी, याददास्त, कागज या तहरीर, या कोई नकल या इन्तखाब कोई ऐसे दस्तावेज की या किसी दस्तावेजात मुतालके अमर मुतनाजिया मुकदमा की, या उन में से कोई, या जिस में मुताल्के ऐसे मामले की कोई तहरीर हो, अलावा वो सिवाय दस्तावेज मुनदरजा जमीमा अव्वल वो दोयम मुनसलका के मेरे कब्जा हिरासत वो अखत्यार में या मेरे किसी वकील या मुख्तार के कब्जा हिरासत में वो अखत्यार में या मेरे तरफ से किसी दीगर शख्स के कब्जा अखत्यार वो हिरासत में, अब नहीं हैं, और न कभी थी

नंबर—६.

हुक्म निसबत पेश करने दस्तावेजात वास्ते मुलाहज़ा.

(आर्डर ११ कायदा १४.)

(किस्म बमूजिब नमूना नंबर १)

बाद समायत और बाद मुलाहज़ा बयान हलफी के जो तारीख माह सन १९ को पेश किया गया यह हुक्म दिया जाता है कि वक्त मुनासिब और इत्तला मुनासिब पर वाके हस्ब जैल दस्तावेजात पेश करे, याने और को ऐसे पेश किये हुये दस्तावेजात के मुलाहज़ा वो मुताला करने का और उस के मजमून की याददास्त (नोट) लिखने का अखत्यार होगा दरम्यान में यह हुक्म दिया जाता है कि कुल कार्रवाई आगे की मुलतवी हो, और खरचा इस दरखास्त का हो—

नंबर—७.

नोटिश पेश करने दस्तावेजात के

(आर्डर ११ कायदा १६)

(किस्म बमूजिब नमूना नंबर १)

तुम को इत्तला दी जाती है कि (मुद्दई या मुद्दालेह) चाहता है कि हस्ब जैल दस्तावेजात जिन का जिकर तुम्हारे (अरजीदावा या बयान तहरीरी या बयान हलफी, मोरखे माह सन) में है उस के मुलाहज़ा के लिये पेश करो.

(तफसील दस्तावेजात मतलूबा)

अ- अ-वकील मिनजानिब

बनाम—य—वकील मिनजानिब.

नंबर—८

इत्तलानामा वास्ते करने मुलाहज़ा दस्तावेज

(आर्डर ११ कायदा १७)

(किस्म बमूजिब नमूना नम्बर १)

तुम को इत्तला दी जाती है कि तुम दस्तावेजात मुनदरजे इत्तलानामा तुम्हारे मौरखे माह सन १९ (सिवाय दस्तावेजात जिस पर इत्तलानामा मजकूर में नजर दिया है) बमुकाम (जगह मुलाहजा की लिखना चाहिये) बरोज वृहसपत आईन्दा तारीख माह हाल को दरम्यान घटा बारा वो ४ बज मुलाहजा कर सके हो।

या यह कि (मुद्दई या मुद्दालेह) तुम को दस्तावेजात मुनदरजे तुम्हारे इत्तलानामा मौरखे माह सन १९ मुलाहजा कराने से इस वजह से ऐतराज करता है

(वजह ऐतराज लिखना चाहिये)

नंबर—९

नोटिस कबूल करने दस्तावेजात

(आर्डर १२ कायदा ३)

[किस्म बमूजिब नमूना नंबर १]

तुम को इत्तला दी जाती है कि मुद्दई (या मुद्दालेह) मुकदमा हाजा शहादत में चंद दस्तावेजात जिस की तफसील नीचे दर्ज है, पेश करना चाहतो है— और य दस्तावेजात मुद्दालेह (या मुद्दई) उस का वकील या मुख्तार बवक्त बतारीख दरम्याम घटा मुलाहजा कर सके हैं—और मुद्दई (या मुद्दालेह) को इस तहरीर के रू से दरयाफ्त किया जाता है कि आखरूल—जिकर घंटा से अन्दर अड़तालीस घंटे यह कबूल करे कि दस्तवेजात मजकूर में से, जो तशरीह में असल दस्तावेज बतलाये गये हैं, फला दस्तावेज तहरीर पाये थे उन पर दस्तखत

सिबत हुये थे या तकमील पाये थे, जिस तरह से कि उन का मतलब हो—और फर्दा जो नकल बयान किये गये हैं, और फर्दा दस्तावेजात जिन का तामील पाना बयान किया गया है, भेजे, या हवाला किये गये, कुल मुसतसनात निसबत कबूली ऐसे जुमला दस्तावेजात बतौर शहादत्त मुकदमा हाजा को बचाकर.

(छ. ज.) वकील (या मुखतार) मिनजानिब मुद्दई या मुद्दालेह
बनाम (ङ. च) वकील (या मुखतार) मिनजानिब मुद्दायलेह या (मुद्दई .

(यहा दस्तावेजात की तफसील लिखना चाहिये और यह हर दस्तावेज के निसबत तफसीलवार बयान करना चाहिये कि वह असल है, या नकल)

नंबर—१०.

नोटिस निसबत कबूली वाकेआत

(आर्डर १२ कायदा ५)

(किस्म बमूजिब नमूना नंबर १)

तुम को इत्तला दी जाती है कि मुद्दई (या मुद्दायलेह) मुकदमा मजकूर मुद्दायलेह (या मुद्दई) से सिर्फ इस मुकदमा के गरज के लिये चन्द वाकेआत जिन की तफसील जैल में दरज है कबूल कराना चाहता है—और मुद्दायलेह [या मुद्दई] से इस तहरीर के रू से दरयाफ्त किया जाता है कि इस नोटिस की तामील से अन्दर छै रोज चन्द वाकेआत मजकूर कबूल करे, कुल मुसतसनात निसबत कबूली ऐसे वाकेआत जो बतौर शहादत्त इस मुकदमा के हों, उन को बचा कर.

[छ. ज] वकील [या मुखतार] मिनजानिब मुद्दायलेह (या मुद्दई)
बनाम (ङ. च.) वकील (या मुखतार) मिनजानिब मुद्दायलेह [या मुद्दई]
वाकेआत जिन के निसबत इकबाल दरकार है, यह है

१. कि [ट] येकुम जनवरी सन १८९० को मरा.
२ कि वह बे वसियत मरा
३ कि [ट] उस का सिर्फ जायज
४. कि (ढ) येकुम अप्रेल सन

५ कि (ढ) की शादी नहीं हुई थी.

नंबर—११.

इकवाल वाकेआत बमूजिब नोटिस

(आर्डर १२ कायदा ५).

(क़िस्म बमजीब नमूना नंबर १)

मुदायलेह या (मुद्दई) मुकदमा मजकूर इस मुकदमा के गरजों के लिये इस तहरीर के जरिये से चन्द वाकेआत जिन की तफसील नीचे दरज है बशर्त महफूज कैद या औसाफ (अगर कोई हों जो नीचे दरज है और कुल मुम्तसनात निसबत कबूली ऐसे वाकेआत या उन में से किसी के जो शहादत्त मुकदमा हो, बचा कर कबूल करता है.

मगर शर्त यह है कि यह इकबाल सिर्फ इस मुकदमा के गरज से किया जाता है और किसी दूसरे मौके पर खिलाफ मुदायलेह (या मुद्दई) या अलावा मुद्दई या मुदायलेह या जिस के लिये इकबाल किया गया है) के किसी दूसरे के इस्तेमाल करने के लायक, नहीं है.

(ङ च) वकील (या मुखतार) मिनजानिब मुदायलेह (या मुद्दई).

बनाम (छ ज) वकील (या मुखतार) मिनजानिब मुद्दई (या मुदायलेह)

वाकेआत कबूल शुदा	औसाफ और कैद; अगर कोई हों जिन को बचा कर कबूल किये गये हों
१. (ट) पहिली जनवरी सन ९० को मरा	१
२ यह कि वह बिला वसियत मरा	२
३ (ट) उस का जायज लड़का था.	३ मगर यह नहीं कि सिर्फ यही जायज लड़का था.
४. (ढ) मरा.	४ मगर यह नहीं कि वह पहिली अप्रेल सन १९११ को मरा
५ (ढ) की शादी कभी नहीं हुई	५.

खरचा मुकदमा.

मुदई	तादाद			मुदायलेह	तादाद		
	रू.	आ.	पा.		रू.	आ.	पा.
१. स्टाम्प अरजीदावा				स्टाम्प अख्तयारनामा ..			
२ ,, अख्त्यारनामा ..				,, दरखास्त			
३. ,, वजह सबूत				फीस वकील . .			
४. फीस वकील रू पर.				खूराक गवाहान			
५ खूराक गवाहान				तामील हुक्मनामा ...			
६ फीस अहेल कमीशन				फीस अहेल कमीशन .			
७. तामील हुक्मनामा .							
मीजान रू० .				मीजान रू०			

नम्बर—२.

सादी डिकरी जर नक्द की

(दफा ३४)

(किस्म)

दावा बाबत.

यह मुकदमा आज तारीख को आखीर फैसला के लिये रूबरू व हाजरी मिनजानिब मुदई वो मिनजानिब मुदायलेह के पेश हुआ यह हुक्म दिया जाता है कि , मुबालिग रू० मै सूद उस पर बहिसाब फी सदी सालाना तारीख से जर मजकूर की अदाई तक को देवे, और मुबालिग रूपया इस मुकदमे का खरचा भी मै सूद उस पर ब हिसाब फी सदी सालियाना आज की तारीख से तारीख वसूली तक देवे ब दस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को सादिर की गई.

जज.

खर्चा मुकदमा.

मुद्दई	तादाद			मुद्दालेह	तादाद		
	रू	आ	पा		रू	आ	पा.
१. स्टाम्प अरजीदावा				स्टाम्प अख्त्यारनामा			
२. ,, अख्त्यारनामा .				" अरजी			
३. ,, वजह सबूत				" वजह सबूत			
४ फीस वकील रू पर				फीस वकील			
५ खुराक गवाहान				खूराक गवाहान			
६ फीस अहेल कमीशन				तामील हुक्मनामा			
७. तामील हुक्मनामा				फीस अहल कमीशन			
मीजान रू				मीजान रू.			

नम्बर—३

डिकरी इब्तदाई निसबत बैयात

(आर्डर ३४ कायदा २)

(किस्म)

यह मुकदमा आज, वगैरा २, पेश हुआ—यह जाहिर किया जाता है कि जर याफ़्तनी जो मुद्दई को, बाबत असल वो सूद वो खर्चा जो तारीख माह सन१६ तक महसूब किया गया है, पाना है मुबालिग रू० है और नीचे लिखे मुताबिक डिकरी दी जाती है

(१) अगर मुदायलेह अदालत में इस तरह से जाहिर की हुई रकम तारीख माह सन १६ मजकूर तक या उस के पहले देदेवे, तो मुद्दई मुदायलेह को, या किसी ऐसे शख्स को जिसे वह मुकर्रर करे, कुल दस्तावेजात मुताल्लुके

जायदाद मरहूना जो उस के कब्जा या अख्तयार में हो देदेवे और अगर जरूरत हो जायदाद मुद्दायलेह को बरीअत रहन या दीगर कुल मवाख्वजात के जो मुद्दई या किसी ऐसे शख्स ने जो उस की तरफ से दावीदार हो कायम किया हो, मुन्तकिल कर देवे (जब मुद्दई और लोगों के जरिये से दावीदार हो तो यह बढ़ाया जायगा " या उन से जिस की तरफ से वह दावीदार है. ")

(जब मुद्दई काबिज है तो यह बढ़ाया जायगा " और मुद्दायलेह को जायदाद का कब्जा देदेवे. ")

(२) अगर ऐसी अदाई तारीख माह सन १९ , मजकूर को या उस के पहले नहीं हुई तो मुद्दायलेह जायदाद मरहुना के इनफीकाक कराने के कुल हकूक से महरूम रहेगा.

फेहरिस्त.

तफसील जायदाद मरहूना.

नम्बर—४

डिकरी इब्तदाई बमुकदमे नीलाम

(आर्डर ३४ कायदा ४).

(किस्म)

यह मुकदमा आज, वगैरा २, को पेश हुआ यह जाहिर किया जाता है कि जर वाफ नी जो मुद्दई को, बाबत असल वो सूद वो खर्चा जो तारीख माह सन १९ तक महसूब किया गया है बबलिग रूपया है और ऐसी रकम पर सूद बहीसाब फी सदी सालयाना ता वसूली जारी रहेगा—और नीचे लिखे मुताबिक डिकरी दी जाती है—

(१) यह कि अगर मुद्दायलेह अदालत में इस तरह से जाहिर की हुई रकम तारीख माह सन १९ मजकूर तय या उस के पहले देदेवे, तो मुद्दई मुद्दायलेह को, या किसी ऐसे शख्स को जिसे वह मुकर्रर करे, कुल

दस्तावेजात मुताल्लुके जायदाद मरहूना जो उस के कबजा या अखत्यार में हो देदेवे,—और अगर जरूरत हो जायदाद मुदायलेह को बरीआत रहन या दीगर कुछ मवाखजात के जो मुद्दई या किसी ऐसे शख्स ने जो उस की तरफ से दावेदार हों, कायम किया हो मुन्तकिल करदेवे—(जब मुद्दई और लोगों के जरिये से दावीदार हो तो यह बढाया जायेगा "या उन से जिस की तरफ से वह दावीदार है") (जब मुद्दई काबिज है तो यह बढाया जायेगा "और मुद्दायलेह का जायदाद का कबजा देदेवे")

(२) अगर ऐसी अदाई तारीख माह सन १९ तक या उस के पहले नहीं की गई तो जायदाद मरहूना या उस का एक काफी हिस्सा नीलाम किया जायेगा—और जर नीलाम (उस में से खरचा नीलाम बजा करने के बाद) अदालत में दाखिल किया जायेगा—और जो ऊपर जिकर किये मुताबिक मुद्दई को याफ्तनी जाहिर किया गया है वे सूद बादजा और खरचा बादजा की अदाई में खर्च होगा और अगर कुछ बाकी रहे मुद्दायलेह को दिया जायेगा.

(३) अगर खालिस जर नीलाम, ऐसी रकम और बादजा का ऐसा सूद या खरचा के पुरे अदाई के लिये काफी न हो तो मुद्दई को अखत्यार होगा कि रकम बकीया के वास्ते जाती डिक्री के लिये दरखास्त करे.

फहरिस्त.

तफसील जायदाद मरहूना

नंबर—५.

डिकरी इब्तदाई यमुकदमे इनफिकाक

(आर्डर ३४ कायदा ७).

(किस्म)

यह मुकदमा आज तारीख—वगैरा—को पेश हुआ—यह जाहिर किया जाता है कि मुदायलेह को बाबत असल वो सूद वो खरचा के जो तारीख माह सन १९ तक महसूब किया गया है मुबलिग रूपया याफ्तनी है.

और डिकरी नीचे लिखे मुताबिक सादिर की जाती है

(१) अगर मुद्दई अदालत में इस तरह से जाहिर किया हुआ जर याफतनी तारीख माह सन१९ तक या उस के पहले दे देवे तो मुद्दायलेह मुद्दई को या किसी ऐसे शख्स को जिसे वह मुकर्रर करे कुल दस्तावेजात जो उस के कबजा या अख्त्यार में निसबत जायदाद मरहूना के हों दे देवे और अगर जरूरत हो जायदाद मुद्दई को बरी अज जुमले मवाखजात जो मुद्दायलेह या किसी और शख्स ने जो उस की तरफ से दावीदार हो, कायम किया हो, फिर मुन्तकिल कर देवे (अगर मुद्दायलेह किसी दूसरे शख्स के तरफ से दावीदार हो तो यह बढ़ाया जायगा " या उन से जिसकी तरफ से वह दावीदार हो ").

(और जब मुद्दायलेह काबिज है तो यह बढ़ाया जायगा " और मुद्दई को जायदाद पर कबजा दे देगा ").

(२) अगर ऐसी अदाई तारीख माह सन१९ मजकूर को या उस के पहले न हुई तो मुद्दई जायदाद को इनफिकाक कराने के कुल हकूक से महरूम रहेगा–(अगर रहन सादा या रहन बिलकब्ज है तो बजाय उस के यह लिखो " कि जायदाद नीलाम की जायगी.

फेहरिस्त.

तफसील जायदाद मरहूना

नंबर—–६

डिकरी बैबात–मुरतहन अव्वल बनाम मुरतहन दोयम वो राहिन —मुतवातिर.

मियाद इनफिकाक

(किस्म)

यह करार दिया जाता है कि जर याफतनी मुद्दई बाबत असल वो सूद वो खर्चा जो तारीख माह सन १९ तक महसूब किया गया (क) रू० है और तारीख माह सन १९ को (ख) मुबलिग रूपया बाबत सूद मर्जाद, कुल (य) रू० होंगे और यह भी करार दिया जाता है कि तारीख माह सन १९ को (ख) मुद्दायलेह अव्वल को बाबत असल,

सूद वो खर्चा (ज) रू० याफतनी होगा

और नीचे लिखे मुताबिक डिकरी दी जाती है

(१) यह कि अगर अव्वल मुद्दायलेह अदालत में रू० (झ) मजकूर तारीख माह सन १९ मजकूर को या उस के पेश्तर दे देवे तो, (क) मुद्दई दे देवे वगैरा (जैसा नमूना नम्बर ३ में लिखा है)

(२) अगर अव्वल मुद्दायलेह जर मजकूर तारीख मजकूर को या उस के पहले न दे तो वह जायदाद के इनफिकाक कराने के कुल हकूक से महरूम रहेगा

(३) यह के दर सूरत ऐसे बेबात के और अगर मुद्दायलेह दोयम अदालत में जर मजकूर (य) रू० तारीख माह सन १९ को या उस के पहले दे देवे, (ख) मुद्दई दे देवे वगैरा (जैसा नमूना नम्बर ३ में लिखा है).

(४) यह कि अगर मुद्दायलेह दोयम जर मजकूर तारीख मजकूर को या उसके पहले न देवे तो वह जायदाद मरहुना के इनफिकाक कराने के कुल हकूक से महरूम रहेगा

(५) उस सूरत में कि जब मुद्दायलेह अव्वल जायदाद मरहुना का इनफिकाक करावे अगर मुद्दायलेह दोयम अदालत में (य) रू० और (ज) रू० तारीख माह सन १९ को या उस के पहले दे देवे तो मुद्दायलेह अव्वल दे देवे वगैरा, [जैसा नमूना नम्बर ३ में लिखा है].

(६) अगर मुद्दायलेह दोयम जर मजकूर तारीख मजकूर को या उस के पहले न देवे तो वह जायदाद मरहुना के इनफिकाक कराने के कुल हकूक से महरूम रहेगा [अगर जब मुद्दायलेह नम्बर २ काबिज है तो यह बढ़ाया जायगा " और मुद्दायलेह अव्वल को जायदाद पर कबजा दे देवे ")

नम्बर—७.

डिकरी नीलाम मुर्तहिन अव्वल बनाम-मुर्तहिन दोयम वो राहिन

एक मियाद वास्ते इनफिकाक

(फ़िस्म

यह जाहिर किया जाता है कि मुद्दई को बाबत असल वो सूद वो खरचा जो तारीख माह सन तक हिसाब किया गया मुब्लिग (स) रू० पाना है और तारीख मजकूर को मुदायलेह एक को बाबत असल वो सूद वो खरचा के मुब्लिग (■) रू० वाजिबुलअदा होगा.

और बमूजिब नीचे लिखे क डिकरी दी जाती है:—

(१) यह कि अगर मुद्दायलेहुम या उन में से कोई अदालत में जर मजकूर (स) रू० तारीख माह सन को या उस के पहिले दे देवे तो मुद्दई वगैरा दे देवे, (जैसा नमूना नंबर ४ में है).

(२) यह कि अगर अदाई जर मजकूर की तारीख माह सन १९ को या उस के पहले न हुई तो जायदाद मरहूना या उस का एक काफी हिस्सा नीलाम किया जावेगा और जर नीलाम (उस में खरचा नीलाम वजा करने के बाद) इस मुकदमा के अदाई में अदालत में दाखिल होगा और पहिले मुद्दई के (स) रू० मजकूर और बाद के उस कदरे सूद और खरचा के अदाई में खर्च होगा, जो अदालत मनजूर करे और दूसर मुद्दायलेह के (प) रू० मजकूर और बाद के ऐसे सूद वो खरचा के जिस का जिकर ऊपर किया गया है उस के अदाई में खर्च होगा, और बकाया अगर कुछ रहे मुद्दायलेह नंबर दो को दिया जायगा.

(३) यह कि अगर मुद्दायलेहुम या उन में से कोई बमूजिब लिखे ऊपर के (स) रू० मजकूर दे देवे तो उस को या उन को अखत्यार होगा कि अदालत में दरखास्त दे कि मुद्दई का रहन उन शख्सों के फायदे के वास्ते जिन्होंने अदाई मजकूर की है या दीगर तौर से जैसा उस . को सलाह दी जावे कायम रखा जावे.

(४) यह कि अगर ज़ाम (स बाद का ऐसा सूद वो चा मजकूर के काफ़ी मुद्दई को

चा की रकम के करे

नंबर—८.

डिकरी वास्ते नीलाम मुर्तहिन दोयम बनाम मुर्तहिन अव्वल यो राहिन एक मियाद वास्ते इनाफिकाक

(किस्म)

[रूपया [य] मुद्दई को जो [च] रू० मुद्दायलेह को पाना जिस तरह नमूना नंबर ७ में जाहिर किया गया है लिखो].

और नीचे लिखे मुताबिक डिकरी दी जाती है.

[१] यह कि अगर मुद्दई या मुद्दायलेह नंबर दो अदालत में [च] रूपया मजकूर तारीख माह सन १९ को या उस के पहले दे देवे, तो मुद्दायलेह नंबर एक [जैसा नमूना नंबर ८ में है] वगैरा वगैरा दे दे

[२] यह कि अगर अदाई जर मजकूर की तारीख माह सन १९ को या उस के पहले न होगी, तो मुद्दायलेह नंबर एक को अख्तयार होगा कि मुकदमा के खारजी के लिये या वास्ते नीलाम जायदाद मरहूना के दरखास्त करे और उस के नीलाम के लिये दरखास्त करने की सूरत में जायदाद मरहूना या उस का एक काफी हिस्सा मुद्दई और मुद्दायलेह नंबर १ के मवाखजे से बरी नीलाम किया जायेगा, और जर नीलाम [उस में से खरचा नीलाम वजा करने के बाद] अदालत में दाखिल होगा, और और पहले मुद्दायलेह नंबर १ के [च] रूपया मजकूर और बाद के ऐसे सूद वो खरचा के अदाइ में खर्च होगा जो अदालत से मनजूर किया जावे दूसरे मुद्दई के (य) रूपया मजकूर और बाद के ऐसे सूद वो खरचा के अदाई में खर्च किया जायगा जिस का जिकर ऊपर किया गया है और बकाया (अगर कुछ रहे) मुद्दायलेह नंबर २ को दिया जावेगा.

(३) यह कि अगर मुद्दई (च) रू० मजकूर तारीख माह सन १९ को या उस के पहले दे देवे तो मुद्दायलेह नंबर २ को अख्तयार होगा कि अदालत में जर मजकूर और मुतालिग (य) रू० तारीख माह सन तक या उस के पहले दे देवे और उस के रू० देने पर मुद्दई (जैसा नमूना नंबर ४ में दर्ज है) वगैरा वगैरा दे देवे

(४) यह कि अगर मुद्दई जर मजकूर बमूजिब ऊपर लिखे के दे देवे और ऊपर लिखे मुताबिक मुद्दायलेह नम्बर २ रुपया न देवे, तो जायदाद मरहून या उस का एक काफी हिस्सा नीलाम होगा और जर नीलाम [उस में से खर्च नीलाम वजा करने के बाद] मुद्दई को बाबत [त] रु० और [थ] रु० और बाद के ऐसे सूद वो खर्चा के अदाई में दिया जायगा जो अदालत मनजूर करे, और अगर कुछ बकाया रहे तो मुद्दायलेह नम्बर २ को दिया जायगा।

(५) यह कि अगर खालिस जर नीलाम जर मजकूर वो सूद वो खर्च के पूरी अदाई के लिये काफी नहीं है तो मुद्दई को अखत्यार होगा कि बकाया रकम के लिये जाती डिकरी हासिल करने के लिये दरखास्त करे.

नम्बर——६.

डिगरी नीलाम-शिकमी मुरतहन-बनाम-मुरतहन वो राहिन, इन्तदाई जर रहन शिकमी रहन के रुपया से बढ़ गया.

(किस्म)

(नमूना नम्बर ७ में मुद्दई को (त) रु० और मुद्दायलेह नम्बर एक को (थ) रु० जिस तरह पाना बतलाया गया है लिखो)

१. यह कि अगर खालिश जर नीलाम ऊपर लिखी हुई रकम मै जायज सूद वो खर्चा के अदाई के लिये काफी नही है, तो मुद्दई या मुद्दायलेह नम्बर १ को जैसी के सुरत हो, बकाया रकम के लिये जाती डिकरी के वास्ते दरखास्त करे,

को

सादिर की हुई डिकरी, और दरख्वास्त मुद्दई मौरखे माह सन १९ , और बाद सुन ने वकील मिनजानिब मुद्दई और वकील मिनजानिब मुद्दायलेह, और यह मालूम होने पर कि डिकरी में हुक्म दी हुई अदाई नहीं की गई है

नीचे लिखे मुताबिक डिकरी सादिर की जाती है

कि मुद्दायलेह और कुल शख्स जो उस की तरफ से या उस के जरिये से दावीदार है, उस जायदाद मरहूना के इनफिकाक कराने से महरूम हों जो फेहरिस्ते मुनसलका में दर्ज है (जब मुद्दायलेह काबिज है, तो यह इबारत बढ़ाई जायगी " और जायदाद मजकूर पर मुद्दई को कबजा दे देवे"

फेहरिस्त.

तफसिल जायदाद मरहूना

नम्बर—११.

राहिन पर डिकरी जाती

(आर्डर ३४ कायदा ६)

[फिक्स]

चूंकि इस मुकदमा में जो कतई डिकरी वास्ते नीलाम तारीख माह सन १९

और निचे लिखे मुताबिक डिकरी दी जाती है

(१) मुद्दायलेह नम्बर एक (ह) रू० मजकूर यो मुद्दायलेह नम्बर दो को अख्त्यार होगा कि (य) रू० मजकूर अदालत में तारीख माह सन १९ को या उस के पहले दे देवे, और अदाई मजकूर में से किसी के हो पर मुद्दई (जैसा नमुना नम्बर ४ में बतलाया गया है) वगैरा देदेवे और उस पर (ह) रू० मुद्दई को दिया जायगा

(२) ऊपर लिखे मुताबिक मुद्दायलेह नम्बर दो के अदाई करने पर मुद्दायलेह नम्बर १ भी (जैसा नमूना नंबर ४ में बतलाया गया है) वगैरा वगैरा दे देवे, और उस पर बकाया (ऊपर लिखे मुताबिक मुद्दई को अदाई करने के बाद) मुद्दायलेह नंबर एक को दिया जायगा.

(३) मुद्दायलेह नंबर एक वो दो के ऊपर लिखे मुताबिक अदाई न करने पर जायदाद मरहूना या उस का हक काफी हिस्सा नीलाम किया जायगा, और जर नीलाम (उस में से खर्चा नीलाम वजा करने के बाद) अदालत में दाखिल होगा और पहले मुद्दई के (द) रू० और बाद के सुद वो खर्चा के अदाई में जो अदालत मनजूर करें खर्च होगा (लेकिन इस तरह से कि असल वो सुद कुल मिला कर उस से जियादा न बढ़गा जो मुद्दायलेह नम्बर एक को बाबात असल वो सुद के पाना है.

दूसरे (य) रू० से जो फाजिल रहे वह (द) रू० वो बाद के सुद वो खर्चा में जिस का जिकर ऊपर किया गया है मुद्दायलेह नम्बर एक को दिया जावेगा. और बकाया अगर कुछ रहे, मुद्दायलेह नम्बर २ को दिया जावे

(४) मुद्दायलेह नंबर एक के अदाई कर देने पर, और मुद्दायलेह नंबर दो के अदाई न करने पर, जैसा ऊपर जिकर किया गया है, मुद्दायलेह नंबर एक को अख्तियार होगा कि जायदाद मरहूना के नीलाम के लिये दरखास्त करे, और उस पर वह या उस का एक काफी हिस्सा नीलाम किया जायगा, और खालिस जर नीलाम मुद्दायलेह नंबर एक के (य) रू० मजकूर और ऐसे जायद सूद वो खर्चा के अदाई में खर्च होगा, जो अदालत मनजूर करे, और बकाया अगर कुछ रहे मुद्दायलेह नंबर २ को दिया जायगा जो सादिर हुई थी, उस के बमूजिब नीलाम होने पर उस का खालिस जर नीलाम जो अब इस मुकदमा में अदालत में जमा है मुबलिग (य) रू० है—और अब मुद्दई को, (द) रू० जिस का जिकर डिकरी मजकूर में है, मै मुबलिग रू० बाबत सूद जर मजकूर व हिसाब ६) रू० सैकड़ा सालियाना तारीख माह सन१९ से आज तक और मुबलिग रू० बाबत खरचा मुकदमा हाजा बाद डिकरी भी पाना है, और (ज) रू० [illegible] पाना [illegible] निकलता है—और चूंकी अदालत को यह मालूम होता [illegible] मजकूर के देने का

जिम्मेदार है

इस लिये नीचे लिखे मुताबिक डिकरी दी जाती है.

(१) यह कि (य) रू० मजकूर अदालत से मुद्दई को दिया जावे.

(२) मुद्दायलेह मुद्दई को (ज) रू० मजकूर मै सूद व हिसाव ६) रू० सैकड़ा सालियाना जर मजकूर पर आज की तारीख से उस रूपया की अदाई तक देवे.

नंबर—१२

डिकरी वास्ते दुरस्तगी दस्तावेजात

(किस्म)

यह करार दिया जाता है कि मौरखे माह सन १६ से फरीकैन की सही मनसा इस तरह जाहिर नहीं होती है.

और यह डिकरी दी जाती है कि मजकूर की इसलाह से की जावे.

नंबर—१३

डिकरी वास्ते मनसूखी इन्तकाल साहूकारान

(किस्म)

यह करार दिया जाता है कि मौरखे माह सन १६ जो दरम्यान और के हुआ है खिलाफ मुद्दई, और मुद्दायलेह के दीगर साहूकारान, अगर कोई हों, वे असर है

नंबर—१४.

हुक्म इस्तनाई खिलाफ खानगी अमर वायस तकलीफ आम

(किस्म)

मुद्दायलेह उस के मुख्त्यारान, मुलाजमान मजदूरान मुद्दायलेह की जमीन पर जिस पर निशान (ख) नकसा मुनसलका में लगा है, ईंट जलाने या जलवाने से जिस से मुद्दई को बतौर मालिक वो काबिज मकान कसूनती वो बागीचा, मुन्दरजे अरजीदावा जो मुद्दई की मिलकियत है, और मुद्दई के कब्जा में है, अमर वायस तकलीफ आम, पैदा होता है, हमेशा के लिये बाज रहें.

नंबर—१५.

हुक्म इम्तनाई पुराने उचाई से जियादा उंची इमारत बनाने के निसबत

[किस्म]

मुद्दायलेह उस के ठेकेदारान, मुखत्यारान, वो मजदूरान, अपने अहाता में कोई मकान या इमारत उस इमारत से जियादा उंची जो पहले से उस अहाता में कायम थी, और हाल में गिरा दिया गई है, ऐसी या इस तरह से जिस से अहाता मजकूर में जो मुद्दई की खिड़की है और जो रोशनी कदीमी है उस में अधेरा नुकसान या मुजाहमत न हो, बनाने का काम जारी रखने से हमेशा के लिये रोके जावे.

नम्बर—१६.

हुक्म इम्तनाई निसबत बाज रखने इस्तेमाल सडक खानगी

[किस्म]

मुद्दायलेह उस के मुखत्यारान, मुलाजमान, वो मजदूरान, उस गली के किसी हिस्से को जो वाके है जिस की जमीन मुद्दई की बतौर रास्ता गाड़ी वास्ते आमद रफ्त गाड़ी या दीगर सवारी या किसी और मतलब के है जो उस जमीन से या उस को जाती है, जिस पर नकशा मुनसलक में निशान (ख) का लगा है, इस्तेमाल करने या इस्तेमाल करने की इजाजत देने से, हमेशा के लिये बाज रखे जावे.

नंबर—१७.

डिकरी इब्तदाई मुकद्दमा इहतिमाम तर्का

(किस्म)

हुक्म हुआ कि तर्तीब हिसाब व तहकीकात हस्ब मुफस्सला जैल अमल में आय—याने.

बमुकदमा साहूकारान.

१ जो रकम कि वाजिबनी मुद्दई, और तमाम दीगर साहूकारान मुतवफ्फी की हों, उन का हिसाब लिया जाय.

बमुकद्दमा मुसालहुम.

२ हिसाब माल वसीयती का जो कि मूसी की वसीयत की रूसे दिया गया हो लिया जाय

बमुकदमा रिश्तेदार नजदीकी.

३ तहकीकात की जाय और हिसाब लिया जाय कि मुद्दई माल वसीयती में से बतौर हिस्सेदार नजदीकी या (मिनजुमला रिश्तेदार करीब के एक) शख्स बली वसीयत किस कदर का, या किस हिस्से का, अगर कुछ है मुस्तहक है

(बाद फिकरा अव्वल के डिकरी में जब कि जरूरी हो बमुकदमा साहूकार हुक्म तहकीकात और तर्तीब हिसाब का बहक मुसालहुम और वारिस जायज और रिश्तेदार नजदीकी के दिया जायगा और बमुकदमा दीगर दावेदारान बजुज साहूकारान के तमाम सूरतो में बाद फिकरा अव्वल के हुक्म होगा कि साहूकारान के बाबत तहकीकात की जाय, और उन का हिसाब लिया जाय—और बाद को यह हुक्म लिखा जायगा कि दीगर शख्सों के बाबत जिन की जरूरत हो, तहकीकात हो और हिसाब लिया जाय और शुरू की इबारत मामूली छोड दी जाय और उस के बाद यह नमूना मुताबिक उसी नमूने के हो जो साहूकारान के मुकदमे के वास्ते है)

४ हिसाब इखराजात तजबीज व तहकीकात और मुताल्लुक वसीयत मुरत्तब किया जाय.

५. हिसाब माल मनकूला मकरूका मुतवफ्फी का जो बकब्जा मुद्दायलेह या किसी और शख्स के, मुद्दायलेह के हुक्म से या उस के इस्तेमाल के लिये आया हो, मुरत्तब किया जाय

६ तहकीकात इस अमर की अमल में आय कि किस कदर जायदाद मनकूला, मकरूका मुतवफ्फी, अगर कुछ हो गैरों के कब्जे में है, जिस के निसबत कुछ अमल नहीं किया गया

७ और नीज हुक्म दिया जाता है कि मुद्दायलेह तारीख माह सन को या उस के पहिले अदालत में कुल रुपया जो दरयाफ्त हो कि उस के कब्जे में आया है, या उस के हुक्म से या उस के इस्तेमाल के लिये किसी और के कब्जे में आया है, अदालत में दाखिल करे

८. और यह कि अगर (*) की दानिस्त में वास्ते हुसूल अगराज मुकदमा के नीलाम करना किसी जुज जायदाद मनकूला मकरूका मुतवफ्फी का जरूरी हो तो उस को नीलाम करके जरे नीलाम अदालत में दाखिल कर दे

९. यह कि (ङ• च) इस मुकदमा (या कार्रवाई) में रिसीवर याने मोहतामिम मुकर्रर हो और मुतवफ्फी के कुल करजे, और जायदाद मनकूला को हासिल करके अपने इहतेमाम में लाय, और (*) के हवाला करे, (और वास्ते तामील करार वाकई अपनी खिदमत के ब तादाद मुबलिग जमानत नामा दाखिल करे)

१० नीज हुक्म दिया जाता है कि अगर जायदाद मनकूला मकरूका मुतवफ्फी वास्ते अगराज मुकदमा के गैर काफी पाई जाय तो नीचे लिखी हुई तहकीकात मजीद अमल में आय, और हिसाबात लिया जाय, याने.

(क) तहकीकात इस अमर की कि किस जायदाद गैर मनकूला पर मुतवफ्फी बरवक्त वफात अपने काबिज था या उस का मुस्तहक था

(ख) तहकीकात इस अमर की मुतवफ्फी की जायदाद, गैर मनकूला या उस के किसी जुज पर क्या मवाखजा है [अगर कुछ मवाखजे हों].

(ग) हिसाब जहां तक मुमकिन हो उन रकमों का जो कि जुमला मवाखजा के बाबत वाजिब हो—और उस में तफसील पुराने मवाखजेदारों का दर्ज की जाय जो उस नीलाम पर जिस का बाद को बयान किया जायगा राजी हों

११. यह कि जायदाद गैर मनकूला मकरूका मुतवफ्फी या उस में से जिस कदर वास्ते हुसूल गरज मुकदमा वास्ते पूरा करने उस रुपया के जो अदालत में दाखिल है जरूरी हो बमनजूरी हाकिम अदालत बरी उन मवाखजाजात से उन दावेदारों के जो कि नीलाम पर राजी हों और बकैद मवाखजाजात उन दावेदारों

नोट:—यहा पर नाम अफसर मुनासिब का लिखा जाना चाहिये.

के जो कि नीलाम पर राजी न हों, और बक़ैद मवाखजा जात उन दावेदारों के जो कि नीलाम पर राजी नहीं, नीलाम की जाय.

१२ और हुक्म दिया जाता है कि (छ ज) जायदाद गैर मनकूला का नीलाम करे और जिन शरायत और माहदों पर नीलाम हो, उन को वास्ते मनजूरी (*) के तैयार करे और दरसूरत वाके होने किसी शक, या मुशकिली के, कागजात जज के रूबरू वास्ते तसफ़िया के पेश किये जावें

१३ और यह भी हुक्म दिया जाता है कि वास्ते ऊपर लिखी हुई तहकीकात के (*) अखबारात में मुताबिक जाब्ता अदालत के इश्तहार छपवादे—या तहकीकात मजकूर को किसी और ऐसे तौर पर अमल में लाय, जो कि (*) की दानिस्त में तहकीकात को मुश्तहर करने के लिये निहायत मुफीद हो

१४ और हुक्म दिया जाता है कि तहकीकात और हिसाब मजकूर की तरतीब और तमाम दीगर अमूर जिन के अमल में आने का हुक्म दिया गया है कबल तारीख माह सन१९ तकमील पाय—और (*) कैफियत नतीजा तहकीकात और हिसाबात की और इस अमर की गुजरान कि तमाम दीगर अमूर की तकमील हो गई, जिन के अमल में आने का हुक्म दिया गया था—और अपनी कैफियत इस बाब में वास्ते मुलाहिजा फरीकैन के ब तारीख माह सन१९ मुरत्तब रखे.

१५ और अखीर में यह हुक्म दिया जाता है कि मुकदमा (या कार्रवाई) वास्ते सुदूर डिकरी अखीर के तारीख माह तक मुल्तवी रहे

(इस डिकरी का सिर्फ वह हिस्सा लिखा जाय जो कि खास सूरत से लागू हो).

---

* (यहां नाम ठीक अफसर का लिखा जाइये) *

८ और यह कि अगर (*) की दानिस्त में वास्ते हुसूल अगराज मुकदमा के नीलाम करना किसी जुज जायदाद मनकूला मकरूका मुतवफ्फी का जरूरी हो तो उस को नीलाम करके जरे नीलाम अदालत में दाखिल कर दे

९. यह कि (ङ- च) इस मुकदमा (या कार्रवाई) में रिसीवर याने मोहतामिम मुकर्रर हो और मुतवफ्फी के कुल करजे, और जायदाद मनकूला को हासिल करके अपने इहतेमाम में लाय, और (*) के हवाला करे, (और वास्ते तामील करार वाकई अपनी खिदमत के ब तादाद मुबलिग अमानत नामा दाखिल करे)

१० नीज हुक्म दिया जाता है कि अगर जायदाद मनकूला मकरूका मुतवफ्फी वास्ते अगराज मुकद्दमा के गैर काफी पाई जाय तो नीचे लिखी हुई तहकीकात मजीद अमल में आय, और हिसाबात लिया जाय, याने,

(क) तहकीकात इस अमर की कि किस जायदाद गैर मनकूला पर मुतवफ्फी बवक्त वफात अपने काबिज था या उस का मुस्तहक था

(ख) तहकीकात इस अमर की मुतवफ्फी की जायदाद, गैर मनकूला या उस के किसी जुज पर क्या मवाखजा है [अगर कुछ मवाखजे हों]

(ग) हिसाब जहां तक मुमकिन हो उन रकमों का जो कि जुमला मवाखजा के बाबत वाजिब हो—और उस में तफसील पुराने मवाखजेदारों का दर्ज की जाय जो उस नीलाम पर जिस का बाद को बयान किया जायगा राजी हों

११. यह कि जायदाद गैर मनकूला मकरूका मुतवफ्फी या उस में से जिस कदर वास्ते हुसूल गरज मुकदमा वास्ते पूरा करने उस रुपया के जो अदालत में दाखिल है जरूरी हो बमनजूरी हाकिम अदालत बरी उन मवाखजाजात से उन दावेदारों के जो कि नीलाम पर राजी हों और बकैद मवाखजाजात उन दावेदारों

नोटः—यहां पर नाम अफसर मुनासिब का लिखा जाना चाहिये.

(*) वाजिब पाया जाय, मय सूद बाद के, बाबत उन करजों के जो सूदी हैं, अदा किया जाय—और बाद अदाय रकम मजकूर जिस कदर रुपया के जुमला मुसाल्हुम मुन्दरजे फेहरिस्त को मय सूद बाद के (जिस की तसदीक हस्ब मजकूरे बाला की जायगी) वाजबुलअदा हो, अदा किया जाय,

३ और अगर बाद को कुछ और रुपया बाकी रहे, तो वह जायदाद बाकी रहे हुऐ के मुसालह को, अदा किया जाय

नम्बर—१९.

डिकरी इब्तदाई बमुकदमा नालेश मुसालह निसबत पहतमाम तर्का जब कि वसी बजात खुद जिम्मेदार अदाय शै वसीयती का हो

(किस्म)

१. यह करार दिया जाता है कि मुदायलेह बजात खुद जिम्मेदार इस का है,

कि शै वसीयती मुबालिग मुद्दई को अदा करे

२. और यह हुक्म दिया जाता है कि हिसाब जर असल व सुद बाबत शै वसीयती मजकूर जो कि याफ्तनी हो, लिया जाय

३. और भी यह हुक्म दिया जाता है कि (*) की तसदीक की तारीख से हफ्ते के अनदर मुदायलेह, मुद्दई को उस कदर जर, जो कि (*) बाबत असल व सूद याफ्तनी तजबीज करे अदा करे

४ और यह हुक्म दिया जाता है कि मुदायलेह मुद्दई को उस का खरचा अदा करे और अगर तादाद खरचे के निस्बत फरीकैन में इत्तफाक न हो तो अदालत से तशखीस किया जाय

नंबर—१८.

डिकरी अखीर बमुकदमा नालिश मुसालह्‌ निसबत इतहमाम तर्का मुतवफ्फी

(किस्म)

१. हुक्म हुआ कि मुद्दायलेह ब तारीख माह सन १९ या उस के पहले अदालत में मुबलिग यानी जर बाकी जो अजरूय सार्टिफिकट मजकूर मुद्दायलेह मजकूर से बाबत जायदाद मतरूका मूर्सी यापतनी पाया गया और

नीज मुबलिग बाबत सूद बहिसाब फी सदी सालाना मुबलिग तारीख माह से ता तारीख माह जो मुबलिग रू० होता है अदा करे

२. (*) अदालत मजकूर इस मुकदमे में खर्चा जानिब मुद्दई व मुद्दायलेह करार दे—और इस तौर पर तजवीज किये जाने के बाद जर खर्चा मजकूर मिनजुमला मुबलिग मजकूर के जिस के वास्ते हस्ब मजकूर बाला अदालत में दाखिल किये जाने का हुक्म हुआ है, हस्ब तफसील जैल अदा किया जाय,

(क) खर्चा जानिब मुद्दई मिस्टर उस के अटरनी (या प्लीडर को) या खर्चा जानिब मुद्दायलेह मिस्टर उस के (अटरनी या प्लीडर को),

(ख) और [अगर कोई करजा यापतनी हो] तो मुबलिग रू० मजकूर के जर बाकी में से बाद अदाय खर्चा मुद्दई व मुद्दायलेह हस्ब मरकूमे बाला के जिस कदर रूपया की जुमला कर्जख्वाहों का हस्ब मुन्दरजे फेहरिस्त बमूजिब तसदीक

---

* नोट —यहा पर नाम अफसर मुनासिब का लिखना चाहिये

(*) वाजिब पाया जाय, मय सूद बाद के, बाबत उन करजों के जो सूदी हैं, अदा किया जाय—और बाद अदाय रकम मजकूर जिस कदर रुपया कि जुमला मुसाल्हुम मुन्दरजे फेहरिस्त को मय सूद बाद के (जिस की तसदीक हस्ब मजकूरे बाला की जायगी) वाजबुलअदा हो, अदा किया जाय.

३ और अगर बा॰ की कुछ और रुपया बाकी रहे, तो वह जायदाद बाकी रहे हुऐ के मुसालह को, अदा किया जाय

नम्बर—१९.

डिकरी इब्तदाई यमुकदमा नालिश मुसालह निसबत एहतमाम तर्का जब कि वसी बजात खुद जिम्मेदार अदाय शै वसीयती का हो

(फ़िकरा)

१. यह करार दिया जाता है कि मुदायलेह बजात खुद जिम्मेदार इस का है.

कि शै वसीयती मुबलिग मुद्दई को अदा करे

२. और यह हुक्म दिया जाता है कि हिसाब जर असल व सुद बाबत शै यसीयती मजकूर जो कि याफ्तनी हो, किया जाय.

३. और भी यह हुक्म दिया जाता है कि (*) की तसदीक की तारीख से हफ्ते के अनदर मुदायलेह, मुद्दई को उस कदर जर, जो कि (*) बाबत असल व सूद याफ्तनी तजबीज करे अदा करे

४ और यह हुक्म दिया जाता है कि मुदायलेह मुद्दई को उस का खरचा अदा करे और अगर तादाद खरचे के निस्बत फरीकैन में इत्तफाक न हो तो अदालत से तशखीस किया जाय

नंबर—२०.

डिकरी अखीर बमुकदमा नालिश रिश्तेदार नजदीकी निसबत एहतिमाम तरका

(किस्म)

१ (*) अदालत मजकूर खर्चा जानिब मुद्दई व मुद्दायलेहा मुकदमा हाजा के करार दे और जर खर्चा जानिब मुद्दई मजकूर इस तौर पर करार दिये जाने के बाद मुबलिग यानें उस जर बाकी में से जो हस्ब तसदीक मजकूर मुद्दायलेहा से बाबत जायदाद मनकूला (ङ. च.) मुतवफ्फी बिला वसीयत के याफ्तनी पाया जाय, अन्दर एक हफ्ते के उस तारीख से कि खर्चा मजकुर को (*) मौसूफ करार दे, अदा किया जाय और मुद्दायलेहा मिनजुमला उसी मुबलिग के अपना खर्चा जब कि वह महसूब हो अपने वास्ते रखले,

२ और यह हुक्म दिया जाता है कि जो रूपया मुबलिग मजकूर में से बाद अदाय खर्चा मुद्दई व मुद्दायलेहा मजकूरा के बाकी रहे, वह मुद्दायलेहा नीचे लिखे मुताबिक अदा, और खर्च करे,

(क) मुद्दायलेहा उस तारीख से कि तशखीस खर्चे का (*) हस्ब मजकूर बाला करदे, एक हफ्ते के अन्दर जर बकीया मजकूर का एक तीसरा हिस्सा मुद्दईयान (क ख) और (ग. घ) उस की औरत को बाबत उस जौजा के हक के इस वजह से कि वह (ङ च.) मुतवफ्फी बिला वसीयती की बहन, और मिनजुमला रिश्तेदारों के एक रिश्तेदार नजदीकी है, अदा करे

(ख) मुद्दायलेहा मिनजुमला बकीया जर मजकूर बाबत अपने हिस्से के एक तिहाई ले इस वजह से कि वह (ङ. च) मुतवफ्फी बिला वसीयती मजकूर की मा और मिनजुमला

* नोट —यहा पर अफसर का नाम मुनासिब लिखना चाहिये.

दीगर रिश्तेदार के, एक रिश्तेदार करीबी है.

[ग] मुद्दायलेहा उस तारीख से कि (*) हस्ब मर्कूमे बाला तशखीस खर्चे का करे, एक हफ्ते के अन्दर मिनजुमला जर बकिया मजकूर क एक तिहाई बाकी रहा हुआ (छ, ज) को बाबत उस के हिस्से के दे, इस वजह से कि वह (ट च.) मुतवफ्फी बिला वसीयती मजकूर का भाई और उस का दूसरा हिस्सेदार करीबी है

नंबर—२१.

डिकरी इप्तदाई बमुकद्दमें फिस्ख शराकत ओर लेने हिसाब शराकती

(किस्म)

यह करार दिया जाता है कि शराकत में फरीकैन का हिस्सा बमूजिब हिस्सा रसदी हस्ब जैल है

यह करार दिया जाता है कि यह शराकत तारीख माह सन में फिस्ख होगी (या फिस्ख होना, समझी जायगी).

और यह हुक्म दिया जाता है कि उस शराकत का फिस्ख होना उस तारीख से गजट वगैरा में मुश्तहर हो

और हुक्म दिया जाता है कि (*) रिसीवर याने मोहतमिम जायदाद शराकती और माल मुतनाजिया नालिश हाजा का मुकर्रर हो और जो कर्जा मुन्दरजा यहाँ और दआवी कारखाना शराकती के लोगों के जिम्में है वह सब वसूल करे

और हुक्म दिया जाता है कि हिसाबात नीचे लिखे हुये लिये जाय

१ हिसाब करजा व पतनी व जायदाद व माल फिलहाल मुताल्लुके कारखाना शराकती मजकूर

२ हिसाब करजा और मतालबेजात जो जिम्मे शराकत मजकूर के हो

३. हिसाब तमाम देन लेन और मुआमिलात का दरम्यान मुद्दई यो

नोटः यहा पर अफसर का नाम मुनासिब लिखना चाहिये.

मुद्दायलेह जो बाद हिसाब तसफ़िया पाया हुआ मुन्दरजा नालिश हाजा और जिस पर निशान (क) लगा है और जिस से बाद के तसफ़िया पाये हुए किसी हिसाबात से इलाका न हो.

और हुक्म दिया जाता है कि गुडविल याने नेकनामी तिजारती उस कारबार की जो पहले मुद्दई व मुद्दायलेह हस्ब मुन्दरजा अर्जीदावा करते थे और माल मौजूदा मुताल्लुके कारबार उसी मुकाम पर नीलाम किया जाय और (*) को अख्त्यार है कि फरीकैन में से किसी की दरखास्त पर उस नीलाम में तमाम या किसी लाट के वास्ते अपनी तजवीज से बोली करार दे और फरीकैन में से हर एक को अख्त्यार है कि बवक्त नीलाम बोली बोले.

और हुक्म दिया जाता है कि तारीख माह सन के पहले हिसाबात मजकूरे बाला लिये जाय—और तमाम दीगर अमूर जिन का अमल में आना जरूरी हो तकमील को पहुंचाय जाय और (*) बाबत नतीजा हिसाबात के और इस अमर के कि तमाम दीगर अमूर की तकमील हो गई तसदीक करे—और बतारीख माह अपना सार्टिफिकेट उस बाब में वास्ते मुलाहजा फरीकैन के तैयार रखे.

और आखीर में यह हुक्म दिया जाता कि है वास्ते सादिर करने डिकरी आखीर के यह मुकदमा ता तारीख माह मुलतवी रहे

नम्बर—२२

डिकरी आखीर बमुकदमा फिस्ख शराकत और लेने हिसाब शराकती

(क़िस्म)

हुक्म हुआ कि मुबालिग तादादी जो बिलफेल अदालत में जमा है हस्ब जैल सर्फ किये जाय.

नोट.—यहा पर अफ़सर मुनासिब का नाम लिखना चाहिये

१ करजा जिम्मेगी कारखाना शराकती रूब मुन्दरजा सार्टिफिकट (*) तादादी मुबलिग के अदा करने में.

२ खर्चा तमाम फरीकैन मुकदमा हाजा का तादादी मुबलिग अदा करने में

(यह इखराजात डिकरी के लिये जाने से पहले तहकीक होने चाहियें)

३. मुबलिग बाबत हिस्सा माल शराकती मौजूदा मुबलिग के मुद्दई को अदा किये जाय और मुबलिग जो कुल मुबलिग मजकूर में से कि बिल फेल अदालत में जमा है बाकी रहे बाबत हिस्सा माल शराकती मौजूदा के मुद्दायलेह को दिये जाय.

(या यह कि मिनजुमला जरे मजकूर के बाकी रुपया मुद्दई (या मुद्दायलेह) मजकूर को मिनजुमला मुबलिग के जो हिसाब शराकती की बाबत उस का यापतनी सार्टिफिकट मजकूर में लिखा है दिया जाय)

४. और मुद्दायलेह (या मुद्दई) व तारीख माह या कब्ल उस के मुद्दई (या मुद्दायलेह) को मुबलिग जो उस वक्त उस का बाकी व जिब होगा मिनजुमला कुल मुबलिग जो फिलहाल उस को यापतनी है अदा करे.

नंबर—२३

डिकरी वास्ते दिला पाने जमीन वो जर वासलात

[किस्म]

नीचे लिखे मुताबिक डिकरी दी जाती है

१ मुद्दायलेह मुद्दई को कबजा जायदाद जिस की तफसील फेहरिस्त मुनसलका में दरज है दे देवे

२ मुद्दायलेह मुद्दई को मुबलिग) रु० मै सूद जर मजकूर व हिसाब

नोट —यहां पर अफसर मुनासिब का नाम लिखना चाहिये.

फी सदी सालियाना तारीख वसूली तक बाबत वासलात जो दायरी नालिश के पहले पैदा हो गया है देवे

या

२ तारीख दायरी नालिश के पहले जो जर वासलात पैदा हुआ है उस के तादाद के निस्बत तहकीकात की जावे

३ तहकीकात निसबत जर वासलात तारीख दायरी नालिश से ता (डिकरीदार को कबजा दिये जाने तक) (मदयून डिकरी के डिकरीदार को अदालत के मारफत नोटिस देकर कबजा छोड़ने तक) (तारीख डिकरी से तीन साल गुजर जाने तक) की जावे.

फेहरिस्त

अपेनडिक्स (ङ).

इजराय डिकरी

नंबर—१.

नोटिस यह वजह बतलाने के निसबत कि क्यों अदाई या तसफिया बतौर तसदीक किये हुये कि दर्ज न किया जाय.

(आर्डर २१ कायदा २)

[किस्म].

बनाम

जो कि ऊपर लिखे हुये मुकदमा की इजराय डिकरी में ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि मुबलिग रुपया जो बमूजिब डिकरी वसूली के लायक थे दे दिये गये हैं (या तसफिया पा चुका है) और बतौर तसदीक किये हुए कि दरज किया जावे, इस लिये तुम को इत्तला दी जाती है कि रूबरू इस अदालत के तारीख माह सन १९ को हाजिर हो, और वजह बतलावो कि क्यों अदाई (या तसफिया मजकूर बतौर तसदीक) किये हुये के

दरज न किया जाय.

व दस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया

जज

नम्बर—२

प्रीसिपट (याने हुक्म)

(दफा ४६)

[किस्म]

बाद समायत डिकरीदार यह हुक्म दिया जाता है कि यह प्रिसिपट अदालत में बमूजिब दफा ४६ मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १९०८ के इस हुक्म से भेजा जावे कि जायदाद मुन्दरजे फेहरिस्त मुनसलका कुर्क करके उस को डिकरीदार के तरफ से डिकरी जारी होने की दरख्वास्त गुजरने तक रखें.

फेहरिस्त

तारीख माह सन १९

जज

नंबर—३

हुक्म निसबत भेजने डिकरी वास्ते इजरा अदालत गैर में

(आर्डर २१ कायदा ६)

(किस्म)

चूंकि ऊपर लिखे मुकदमा में डिकरीदार ने इस अदालत में दरख्वास्त वास्ते भेजे

जाने सारटिफिकट अदालत वाके निसबत इजराय डिकरी मुकदमा मजकूर जरिये उस अदालत के यह बयान करके की है कि मदयून डिकरी अदालत मजकूर के हद अखत्यार समाअत के अन्दर रहता है, या जायदाद रखता है, और अदालत मजकूर में सारटिफिकट बमूजिब आर्डर २१ कायदा ६ मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १९०८ के भेजा जाना जरूरी वो मुनासिब मालूम होता है इस लिये

हुक्म हुआ कि: —

एक नकल इस हुक्म की मे नकल डिकरी और किसी हुक्म के जो उस के इजरा के लिये सादिर हुआ हो और सारटिफिकट तामील डिकरी न होने के बाबत अदालत में भेजी जावे.

मवरखे माह सन १९.

जज,

नम्बर—४.

सारटिफिकट डिकरी की तामील न होने का

(आर्डर २१ कायदा ६)
(किस्म)

यह तसदीक की जाती है कि तकमील डिकरी व मुकदमा नम्बर सन १९ इस अदालत में, जिस की नकल इस के साथ मुनसलिक है, इस अदालत के अखत्यार समाअत के अन्दर बजरिये इजरा (१) नहीं हुई.

मवरखे माह सन १९

जज.

(१ तो लफ्ज "नहीं" निकाल कर जितनी

तकमी

नम्बर—५

सार्टिफिकट इजराय डिकरी जो दूसरे अदालत में मुन्तकिल की गई

[आरडर २१ कायदा ६]

(किस्म)

नंबर मुकदमा वो नाम अदलत जिस ने डिक्री सादिर की	नाम फरीकैन	तारीख दरख्वास्त इजराय डिक्री.	नंबर मुकदमा इजराय डिक्री	हुक्मनामे जो जारी हुए और उन के तामील की तारीख	खरचा इजरा			रकम जो वसूल हुई.			मुकदमा किस तरह फैसल हुआ	कैफियत.
१	२	३	४	५	६			७			८	६
					रू०	आ	पा	रू०	आ	पा		

दस्तखत मोहर्रिर इनचार्ज

दस्तखत जज

नम्बर—६

दरखास्त वास्ते इजराय डिकरी (आर्डर २१ कायदा ११)

न अदालत मैं

डिकरीदार नीचे लिखे हुए डिकरी के इजराय के लिये दरखास्त करता है

नम्बर मुकद्दमा	नाम फरीकैन	तारीख डिकरी	आया डिकरी के नाराजी मे कोई अपील हुई या नहीं	कोई अदाइगी या दीगर तरह का तस्फिया अगर हुआ	पहले अगर कोई दरखास्त गुजरी तो उस की ता० और नतीजा	तादाद मै सूद जो डिकरी के रूसे पाना हो या और दादरसी जो डिकरी के रूसे हुई हो मै तफसील किसी डिकरी काबिल मुजराई के	तादाद खरचा अगर कुछ दिलाया गया हो	किस के ऊपर जारी कराना है	किस तरह से अदालत की मदद मतलूब है
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३८६ सन १८९७ ई०	(क) (ख) मुद्दई (ग) (घ) मुद्दालेह	११ अक्टूबर सन १८९७	नहीं	नहीं	७१ रू० दर दरखास्त मवरखे ४ मार्च सन १८९९	३२४॥) २ असल (सूद ६ रू० सैकड़ा सालाना तारीख डिकरी से अदाई तक)	बमूजिब डिकरी जो दिलाया गया ४७॥=४ बाद को पैदा हुआ ८= ५५॥।४	ऊपर मुद्दालेह (ग) (घ)	(जब कुरकी व नीलाम जायदाद मनकूला की दरखास्त की जाय) मै दरखास्त करता हू कि कुल रकम रू० [मै सूद असल रकम पर अदाइ तक] और खरचा इस इजराय डिकरी का, मुद्दालेह की जायदाद मनकूला मुनदर्ज फेहरिस्त मुनसलका की कुरकी व नीलाम से वसूल हो, और मुझको अदा किया जावे [जब कुरकी व नीलाम जायदाद गैर मनकूला की दरखास्त की जाय] मै दरख्वास्त करता हू कि कुल रकम मुबलिग) रू० [मै सूद असल रकम पर अदाइ तक] और खरचा इस इजराय डिकरी का, मुद्दालेह की जायदाद गैर मनकूला, का कुरकी व नीलाम से जिस की तफसील दरखास्त के नीचे के हिस्से में दरज है वसूल हो और मुझ को अदा किया जाय

मै इकरार करता हू कि जो बयान इस दरखास्त में किया गया है वह ता हद इल्म व यकीन मेरे सही है तारीख माह सन १९

दस्तखत डिकरीदार

(जब कुर्की व नीलाम जायदाद गैर मनकूला की दरखास्त की जाय).

जायदाद की हुलिया वो तफ़सीलवार बयान

एक किता मकान वाके मौजा क़ीमती)रू० में मदयुन डिक्री का बगैर तक़सीम किया हुआ तीसरा हिस्सा जिस की हुलिया नीचे दर्ज है.

पूर्व (छ) का मकान पश्चिम (ज) का मकान, दखन सड़क आम, उत्तर खानगी गली वो (ज) का मकान.

मै इकरार करता हूं कि ऊपर लिखी हुई हुलिया में जो बयान किया गया है ता इल्म वो यकीन मेरे वो जहा तक मै तहक़ीक कर सका हू जायदाद बयान किये हुये में हक मुद्दायलेह का सही है.

दस्तखत,

डिकरीदार.

नम्बर—७.

नोटिस वजह बतलाने के वास्ते कि क्यों डिकरी जारी न हो.

(आर्डर २१ कायदा ३०).

(किस्म)

बनाम.

चूंकि ने इस अदालत में दरखास्त वास्ते इजराय डिकरी बमुकदमा नम्बर सन १९ इस बयान पर की है कि डिक्री मजकूर उस को बजरिये इन्तकालनामा मुन्तकिल कर दी गई है, इस लिये तुम को इत्तला दी जाती है कि तुम इस अदालत के रूबरू तारीख माह सन १९ तुम हाजिर हो कर वजह बतलावो कि डिकरी का इजरा क्यों न मन्जूर किया जावे.

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

जज.

नम्बर—६

दरखास्त वास्ते इजराय डिकरी (आर्डर २१ कायदा ११)

ब अदालत   मैं

डिकरीदार नीचे लिखे हुए डिकरी के इजराय के लिये दरखास्त करता हूं

नम्बर मुकदमा	नाम फरीकैन	तारीख डिकरी	आया डिकरी के नाराजगी से कोई अपील हुई या नहीं	कोई अदाइगी या दीगर तरह का तसफिया अगर हुआ	पेश्तर अगर कोई दरखास्त गुजरी हो उसकी ता० और नतीजा।	तादाद मे सूद जो डिकरी के रूसे पावना हो या और दादरसी जो डिकरी के रूसे हुई हो मे तफसील किसी डिकरी काबिल मुजराई के	तादाद खर्चा अगर कुछ दिलाया गया हो	किस के ऊपर जारी कराना है	किस तरह से अदालत की मदद मतलूब है
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
७२८ सन १८९७।	(क) (ख) मुद्दई, (ग) (घ) मुद्दालेह	११ अक्टूबर सन १८९७	नहीं	नहीं	७२। रू० इज दरखास्त मवरखे ४ मार्च सन १८९९	३१४।।) २ असल (सूद ६ रू० सैकड़ा सालाना तारीख डिकरी से अदाइ तक)	खर्चा डिकरी जो दिलाया गया ४॥=४ बाद को खर्च हुआ =८ ५।।।४	ऊपर मुद्दालेह (ग) (घ)	(जब कुरकी व नीलाम जायदाद मनकूला की दरख्वास्त की जाय) मैं दरख्वास्त करता हूं कि कुल रकम रू० [मै सूद असल रकम पर अदाई तक] और खरचा इस इजराय डिकरी का, मुद्दालेह की जायदाद मनकूला मुनदर्जे फहरिस्त मुलहका की कुरकी व नीलाम मे बसूल हो, और मुझको अदा किया जावे [जब कुरकी व नीलाम जायदाद गैर मनकूला की दरख्वास्त की जाय] मैं दरख्वास्त करता हूं कि कुल रकम मुबलिग) रू० [मै सूद असल रकम पर अदाई तक] और खरचा इस इजराय डिकरी का, मुद्दालेह की जायदाद गैर मनकूला, का कुरकी व नीलाम मे जिसकी तफसील दरख्वास्त के नीचे के हिस्से में दरज है वसूल हो और मुझ को अदा किया जाय

मैं इकरार करता हूं कि जो बयान इस दरख्वास्त में किया गया है वह मेरे इल्म व यकीन मे सही है   तारीख   माह   सन १९

दस्तखतडिकरीदार

(जब कुरकी व नीलाम जायदाद गैर मनकूला की दरखास्त की जाय).

जायदाद की हुलिया वो तफसीलवार बयान

एक किता मकान वाके मौजा कीमती)रू० में मदयून डिकरी का बगैर तकसीम किया हुआ तीसरा हिस्सा जिस की हुलिया नीचे दर्ज है.

पूर्व (छ) का मकान पश्चिम (ज) का मकान, दखन सड़क आम, उत्तर खानगी गली वो (ल) का मकान.

मै इकरार करता हू कि ऊपर लिखी हुई हुलिया में जो बयान किया गया है ता इल्म वो यकीन मेरे वो जहा तक मै तहकीक कर सका हू जायदाद बयान किये हुये में हक मुद्दायलेह का सही है.

दस्तखत.

डिकरीदार

नम्बर—७

नोटिस वजह बतलाने के वास्ते कि क्यों डिकरी जारी न हो.

(आर्डर २१ कायदा २०).

(फ़िलम)

बनाम.

चूंकि ने इस अदालत में दरखास्त वास्ते इजराय डिकरी बमुकदमा नम्बर सन १९ इस बयान पर की है कि डिकरी मजकूर उस को बजरिये इन्तकालनामा मुन्तकिल कर दी गई है, इस लिये तुम को इत्तला दी जाती है कि तुम इस अदालत के रूबरू तारीख माह सन १९ तुम हाजिर हो कर वजह बतलावों कि डिकरी का इजरा क्यों न मन्जूर किया जावे.

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

जज.

नम्बर—६

दरखास्त वास्ते इजराय डिकरी (आर्डर २१ कायदा ११)

म अदालत

मैं डिकरीदार नीचे लिखे हुए डिकरी के इजराय के लिये दरख्वास्त करता हूं

नम्बर मुकद्दमा	नाम फरीकैन	तारीख डिकरी	आया डिकरी के नाराजगी से कोई अपील हुई या नहीं	कोई अदाई या दीगर तरह का तसफिया अगर हुआ	पहिले अगर कोई दरख्वास्त गुजरी तो उस की ता० और नतीजा	तादाद में सूद जो डिकरी के रूसे पाना हो या और दादरसी जो डिकरी के रूसे हुई हो मै तफसील किसी डिकरी काबिल मुजराई के	तादाद खर्चा अगर कुछ दिलाया गया हो	किस के ऊपर आमदकराना है	किस तरह से अदालत की मदद मतलूब है
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
७८६ सन १८८७।	(क)(ख) मुद्दई (ग)(घ) मुद्दालेह	११ अक्टूबर सन १८८७	नहीं	नहीं	७२। रु० हुज दरख्वास्त मवरखे ८ मार्च सन १८८८	३१॥) ३ असल (सूद ६ रु० सैकड़ा माहवारी तारीख डिकरी से अदाई तक)	बमूजिब डिकरी जो दिलाया गया ४१॥८ बाद को खर्च हुआ ८= ५४॥८	ऊपर मुद्दालेह (ग)(घ)	(नव कुर्की व नीलाम जायदाद मनकूला की दरख्वास्त की जाय) मै दरख्वास्त करता हूं कि कुल रकम रू० [मै सूद असल रकम पर अदाई तक] और खर्चा इस इजराय डिकरी का, मुद्दालेह की जायदाद मनकूला मुन्दर्जे फहरिस्त मुनसलका की कुर्की व नीलाम से वसूल हो, और मुझको अदा किया जावे [जब कुर्की व नीलाम जायदाद गैर मनकूला की दरख्वास्त की जाय] मैं दरख्वास्त करता हूं कि कुल रकम मुबलिग) रू० [मै सूद असल रकम पर अदाई तक] और खर्चा इस इजराय डिकरी का, मुद्दालेह की जायदाद गैर मनकूला, का कुर्की व नीलाम से जिस की तफसील दरख्वास्त के नीचे के हिस्से में दर्ज है वसूल हो और मुझ को अदा किया जाय

मैं इकरार करता हूं कि जो बेयान इस दरख्वास्त में किया गया है वह ता हद इल्म व यकीन मेरे सही है तारीख माह सन १९

दस्तखत डिकरीदार

नंबर—६

'वारन्ट वास्ते जब्ती खास जायदाद मनकूला जिसके लिये
डिकरी के रू से तसफिया हुआ है
(आर्डर २१ कायदा ३१.)

(किस्म)

बनाम.

बेलिफ अदालत.

चूंकि को इस अदालत की डिकरी से, जो तारीख माह सन १६ को बमुकदमा नंबर सन १६ सादिर हुई, हुक्म दिया गया था कि मुद्दई को जायदाद मनकूला (या एक हिस्सा जायदाद मनकूला का) ब तफसील मुंदर्जे फेहरिस्त मुनसलका हवाले कर देवे, और जो कि जायदाद मजकूर (या हिस्सा) हवाला नहीं की गई है—लिहाजा तुम को इस तहरीर के रू से हुक्म होता है कि जायदाद मनकूला मजकूर (या एक हिस्सा जायदाद मनकूला मजकूर का) जब्त करके मुद्दई के या किसी ऐसे शख्स के जिसे वह अपने तरफ से मुकर्रर करे हवाला करो.

ब दस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १६ को जारी किया गया.

फेहरिस्त.

जज.

नंबर—१०.

इत्तलानामा निसबत बयान करने एतराज मसौदा दस्तावेज के
(आर्डर २१ कायदा ३४).

(किस्म)

बनाम.

तुम को इत्तला दी जाती है कि तारीख माह सन १६ को डिकरीदार मुकदमा मजकूर ने एक दरखास्त इस अदालत में इस मजमून की पेश

नंबर — ८.

वारन्ट कुर्की जायदाद मनकूला बमुकदमात इजराय डिकरी बर

(आर्डर २१ कायदा ३०),

(किस्म)

बनाम.

बेलिफ अदालत.

चूंकि बमुकदमा दीवानी नम्बर सन १९ अदालते

डिकरी.	रू	आ	पा
असल			
सूद			
खर्चे .... . . :			
खर्चा इजराय डिकरी.			
सूद जायद....			
मीजान ..			

हाजा मौरखे माह सन १९ कि, हुक्म हुआ था कि मुद्दई को बमूजिब तफसील मुन्दरजे और चुंकि मुबलिग मजकूर गया लिहाजा बजरिये इस हुक्म होता है कि मजकूर मनकूला मुन्दरजे फेहरिस्त तुम को मजकूर बतलावे कुर्क तक कि मजकूर तुम को मजकूर में)रू खर्चा का न देदे उस माल को ता इस अदालत के अपने अख्त्यार तुम को यह भी हुक्म दिया जाता वारन्ट को बतारीख माह सन १९ या उस के पहले मैं तहरीर तसदीक इस अमर के किस तारीख को और किस तरह पर उसकी या यह कि किस वजह से उस की तामील न हो सकी वापिस करो.

व दस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह १९ को जारी किया गया.

फेहरिस्त.

जज.

चूंकि ने इस अदालत में दरख्वास्त वास्ते इजराय डिगरी व मुकदमा नम्बर सन १९ बजरिये गिरफतारी व कैद तुम्हारे जात खास के दी है, इसलिये तुम रूबरू इस अदालत के तारीख माह सन १९ को हाजिर होकर वजह बतलावो कि डिकरी मजकूर के इजरा में दीवानी जहलखाना में क्यों न कैद किये जावो.

दस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को हवाला किया गया.

जज.

नम्बर—१६.

वारन्ट गिरफतारी बाबत इजराय डिकरी.

(आर्डर २१ कायदा ३८).

(किस्म).

बनाम

बेलिफ अदालत.

जे कि मुकदमा दीवानी नम्बर सन अजरूय डिकरी अदालत मवरखे

	रू	आ	पा.
असल			
सूद .			
खर्चा			
खर्चा इजराय डिक्री			
मीजान.			

माह सन १९ के मुसम्मी को हुक्म हुआ था कि मुद्दई को मुबलिग हस्ब तफ़सील मुन्दरजा हाशिया अदा करे—और जो कि मुबलिग मजकूर उस डिकरी के अदाई में डिकरीदार मजकूर को नहीं अदा किया गया है—लिहाजा बजरिये इस तहरीर के तुम को हुक्म होता है कि मदयून डिकरी मजकूर को गिरफतार करो—और अगर वह मुबलिग मजकूर मय मुबलिग खर्चा इजराय हुक्म नामा हाजा तुम को न अदा करे तो मुदायलेह मजकूर को अदालत के रूबरू जिस कदर जल्द मसतूनियत हो सके हाजिर करो—नीज तुम को हुक्म दिया है कि इस वारन्ट की बतारीख माह सन

की है कि अदालत तुम्हारे तर्फ से एक दस्तावेज , जिसका मसौदा इस के साथ नत्थी है, निसवत जायदाद गैर मनकूला बतफसील मुदर्जे जैल तहरीर करदे, और उस दरखास्त की सुनाई के लिये तारीख , माह सन १९ मुकर्रर की गई है. और तुम को अखत्यार है कि तारीख मजकूर पर हाजिर होकर मसौदा मजकूर में कोई एतराज तहरीरी बयान करो.

तफसील जायदाद.

ब दस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

जज.

नंबर—११.

वारंट बनाम वेलिफ वास्ते दिलाने कबजा वगैरा

(आर्डर २१ कायदा ३५).

(किस्म)

बनाम.

बेलिफ अदालत.

चूंकि जायदाद मुदर्जा जैल जिस पर का दखल है, नालिश हाजा में बजरिये डिकरी मुद्दई को दिलाई गई है—लिहाजा तुम को हिदायत की जाती है कि मजकूर को उस पर कबजा दिला दो, और तुम को यह अखत्यार दिया जाता है कि वह शख्स, जो डिकरी की रू से पाबन्द है, और उस पर दखल देने से इन्कार करे, उस को निकाल दो.

ब दस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को इजरा किया गया.

फेहरिस्त.

जज.

नंबर—१२.

नोटिस बद यजह बतलाने के निसबत कि क्यों वारंट गिरफतारी जारी न हो.

बनाम.

चूंकि ने इस अदालत में दस्तखत वास्ते इजराय डिगरी व मुकदमा नम्बर सन १६ बजरिये गिरफतारी व कैद तुम्हारे जात खास के दी है, इसलिये तुम रूबरू इस अदालत के तारीख माह सन १६ को हाजिर होकर वजह बतलावो कि डिकरी मजकूर के इजरा में दीवानी जहलखाना में क्यों न कैद किये जायो.

दस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १६ को हवाला किया गया.

जज.

नम्बर—१३.

वारन्ट गिरफतारी बाबत इजराय डिकरी.

(आर्डर २१ कायदा ३८).

(किस्म).

बनाम

बेलिफ अदालत.

जे कि बमुकदमा दीवानी नम्बर सन अजरूय डिकरी अदालत मवरखे

	रू	आ	पा.
असल ...			
सूद			
खर्चा.			
खर्चा इजराय डिक्री			
मीजान,			

माह सन १६ के मुसम्मी को हुक्म हुआ था कि मुद्दई को मुबलिग हस्ब तफसील मुन्दरजा हाशिया अदा करे—और जो कि मुबलिग मजकूर उस डिकरी के अदाई में डिकरीदार मजकूर को नहीं अदा किया गया है—लिहाजा बजरिये इस तहरीर के तुम को हुक्म होता है कि मदयून डिकरी मजकूर को गिरफतार करो—और अगर वह मुबलिग मजकूर मय मुबलिग खर्चा इजराय हुक्म नामा हाजा तुम को न अदा करे तो मुदायलेह मजकूर को अदालत के रूबरू जिस कदर जल्द बसहूलियत हो सके हाजिर करो—नीज तुम को हुक्म दिया है कि इस वारन्ट की बतारीख माह सन

या नक्ल उस के मै तहरीर जुहरी व तसदीक़ इन अमर के किस तारीख और किस तौर पर उस की तामील हुई, या यह कि किस वजह से तामील न हो सकी–वापिस करो

आज बतारीख माह सन , मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से हवाला किया गया।

जज।

नंबर—१४.

वारन्ट मदयून डिकरी को दीवानी जहल में हिरासत में रखने का।

(आर्डर २१ कायदा ४०).

(किस्म)

बनाम।

अफसर मोहतमिम जहल वाके।

चूंके आज माह सन १९ इस अदालत के रूबरू, बज रिये वारन्ट बमुकदमा इजराय डिकरी जो इस अदालत से तारीख माह सन १९ को सादिर हुई थी और सुनाई गई थी, गिरफतार करके लाया गया है, और उस डिकरी की रूसे यह हुकम दिया गया था कि , मजकूर देवे।

और चूंकि मजकूर ने तामील डिकरी की नहीं की और न अदालत का इस बात का इतमीनान किया कि वह हिरासत से रिहाई पाने का मुस्तेहक है–इस लिये तुम को बइस्म मालिक–मौज्जम–हिन्द इस के जरिये से हुकम दिया जाता है कि , मजकूर को दीवानी जहल में अपने हिरासत में लो, और इस को वहां इतने मुद्दत तक कैद रखो जो से जियादा न हो, या जब तक डिकरी मजकूर की पूरी तकमील न हो या मजकूर दीगर तौर से बमुजिब शरायत यो अहकाम दफा ५८ मजमूआ जाब्ता दीवानी के रिहा पाने का मुस्तेहक न हो, और अदालत इस के जरिये आना फी योम मजकूर की शरह माहवारी खूराक उस के इस वारन्ट के जरिये से कैद रहने के अईयाम की मुकर्रर करती है।

व दस्तखत मेरे वो मुहर अदालत से आज तारीख , माह सन १६ को हवाला किया गया।

जज।

नम्बर—१५.

हुक्म रिहाई उस शख्स का जो इजराय डिकरी में कैद किया गया

(दफा ५८, ५९).

(क़िस्म)

बनाम.

अफसर मोहतमिम वाके,

बमूजिब हुक्म जो आज सादिर किया गया तुम को इस के जरिये से हुक्म दिया जाता है कि मदयून डिकरी जो अब तुम्हारे हिरासत में है उस को रिहा कर दो

मोरख,

जज,

नम्बर—१६.

कुरकी बसीगे इजराय डिकरी

हुक्म इमतिनाई जब कि जायदाद कुरकी तलब ऐसी जायदाद मनकूला है जिस का मुद्दालेह मुस्तेहक बशर्त महफ़ूज हक या बार किसी दूसरे शख्स के फौरन कब्जा पाने का है।

(आर्डर २१ कायदा ४६).

(क़िस्म)

बनाम.

चूंकि ने जर डिकरी जो बनाम बतारीख माह सन १९ बमुकद्दमा नम्बर सन १९ बहक बाबत मुबालिग के सादिर हुई थी नहीं अदा किया है—लेहाजा हुक्म दिया जाता है कि मुद्दालेह बजरिये इस हुक्म के उस वक्त तक कि इस अदालत से दूसरा हुक्म सादिर हो से दस्त

जैल जायदाद जो मजकूर के कब्जा में है, लेने से बाज रखा जाए और रखा गया है, याने जिस का मुद्दायलेह मजकूर के किसी दावा का हक रख कर मुस्तहक है, और मजकूर को इस के जरिये से मुमानियत की जाती है और बाज रखा जाता है कि इस अदालत से दूसरा हुक्म होते तक किसी शख्स को गो वह कोई शख्स हो जायदाद मजकूर हवाला न करे.

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को हवाला किया गया.

जज्ज.

नंबर—१७

कुरकी वसीगा इजराय डिकरी

हुक्म इमतिनाई उस हालत में जब कि जायदाद ऐसे करजे के किस्म से हो जिस के हिफाजत के लिये दस्तावेज काबिल बे के अदा न लिखी गई हो

(आर्डर २ कायदा. ४६)

(किस्म.)

बनाम

जो कि ने जर डिकरी-जो बनाम बतारीख माह सन १९ बमुकमा नम्बर सन १९ वहक बाबत मुबलिग के सादिर हुई थी नहीं अदा किया है, लेहाजा हुक्म दिया जाता है कि मुदायलेह बजरिये इस हुक्म के उस वक्त तक कि अदालत से दूसरा हुक्म सादिर हो तुमसे वह करजा जो कि बिलफेल तुमसे वाजिबतनी मुदालेह मजकूर बयान किया गया है वसूल करने से मना और बाज रखा जाय और रखा गया है, याने और तुम मजकूर को बजरिये इस हुक्म के इत्तला दी जाती है कि जब तक इस अदालत से और हुक्म सादिर न हो करजा मजकूर या उसका कोई हिस्सा किसी शख्स को वह कोई हो अदा करने से मना और बाज रखे गये हों.

मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से आज तारीख माह सन. १९ को हवाला किया गया.

जज्ज.

नंबर—१८.

कुरकी बसीगा इजराय डिकरी
हुक्म इम्तनाई उस हालत में कि जब जायदाद हिस्सा किसी
सरमाया कारपोरेशन का हो.

(आर्डर २१ कायदा ४६).

(फ़िस्म)

बनाम मुद्दायलेह और बनाम,

सेक्रेटरी कारपोरेशन

चूंकि ने जर डिक्री जो बनाम बतारीख माह सन १९ बमुकदमा नम्बर सन १९ बहक बाबत मुबालिग सादिर की गई थी अदा नहीं किया है लिहाजा हुक्म होता है कि तुम मुद्दायलेह अजरूये इस हुक्म के ता वक्ते कि इस अदालत से दूसरा हुक्म सादिर न हो हिस्सा कारपोरेशन मजकूर याने कि इन्तकाल करने से या उस के बाबत किसी मुनाफा का हिस्सा वसूल करने से मना किये जाते हो और बाज रखे जाते हो और तुम सेक्रेटरी कारपोरेशन मजकूर अजरूय इस हुक्म के इन्तकाल मजकूर की इजाजत देने वो हिस्सा मुनाफा मजकूर के अदा करने से मना और बाज रखे गये हो।

मेरे दस्तखत वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को हवाला किया गया.

जज

नंबर—१९.

हुक्म अफसर सरकारी या मुलाजिम रेलवे, या मुलाजिम
हाकिम मुकामी की तनख्वाह कुर्क करने का

(आर्डर २१ कायदा ४८).

(फ़िस्म)

बनाम

हरगाह जो मुकदमा मुन्दरजा मदयून डिक्री है है (यहां मदयून

डिकरी का ओहदा लिखना चाहिये) और अपनी तनख्वाह (या अलाउन्स) तुम्हारे जरिये से पाता है और हरगाह ने जो मुकदमा मजकूर में डिकरीदार है इस अदालत में एक दरखास्त गुजरानी है कि की तनख्वाह (या अलाउन्स) का हिस्सा जो उस को अजरूय डिकरी वाजिबी है कुर्क कराया जाय लिहाजा तुम को हुक्म होता है कि रकम मजकूर बकदर फलां शख्स की तनख्वाह में से रकम माह माह बमाह वजा कर लिया करो और रकम मजकूर (या माहवारी किस्त) इस अदालत में इरसाल करो,

आज बतारीख माह सन १६ मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से जारी किया गया.

जज्ज,

नंबर—२०.

हुक्म कुर्की दस्तावेज काबिल बे वो शुरा के

(आर्डर २१ कायदा ५१)

(किस्म)

बनाम.

वेलिफ अदालत

चूंकि इस अदालत से हुक्म तारीख माह सन १९ को वास्ते कुर्की के ... गया है लिहाजा इस के जरिये से हुक्म दिया जाता है ... को जब्त ... में लाओ.

बदस्तखत मेरे ... से आज ... माह सन १६ ... या गया.

...जज.

मुहायलेह.

चूँकि तुमने अदाई उस डिकरी की जो तुम पर ब तारीख माह
मुक़दमा नम्बर सन १९ बहक बाबत मुबलिग
ादिर की गई थी, नहीं किया लिहाजा हुक्म दिया जाता है कि
मजकूर ता सादिर होने हुक्म सानी इस अदालत के जायदाद मुन्दरजे
मुनसलका को बजरिये बै, बखीस या दीगर तौर से मुन्तकिल या जेरबार
मना किये गये और बाज रखे गये, और कुल शख्स उस को जरिये बै,
दीगर तौर से लेने से मना हों और इस के जरिये से मना किये

स्तखत मेरे व मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को
गया.

फ़ेहरिस्त.

जज.

नंबर—२५.

म मुद्दई को रुपया वगैरा दिये जाने के निसबत जो
तीसरे फरीक के कबजा में हो.

(आर्डर २१ कायदा ५६).

(किस्म)

ब इजराय डिकरी मुकदमा नंबर सन १९
सन १९ बहक बाबत मुबलिग
ता है कि माल जो इस तरह से कुर्क
रु० करन्सी नोट में है, या उस का एक
वह बजरिये तुम मजकूर को

अदालत की डिकरी के इजरा की कार्रवाई उस वक्त तक मुलतवी रखिये जब तक आप के पास इस अदालत से एक इत्तिला इस मजमून की न पहुंचे कि यह इत्तिलानामा मसूख हो गया या जब तक डिकरीदार इस अदालत का डिकरी मजकूर के इजरा की दरखास्त दे.

मौरखे माह सन १९

जज्ज.

नंबर—२३.

इत्तलानामा डिकरी की कुरकी का बनाम डिकरीदार के.

———

(आर्डर २१ कायदा ५३).

(किस्म)

बनाम.

चूंकि मुकदमा मुंदरजा किस्म के डिकरीदार ने एक दरखास्त इस अदालत में गुजरानी है इस मजमून की कि वह डिकरी जो तुमने ब तारीख माह सन १९ बअदालत ब मुकदमा नंबर सन १९ जिस में कि तुम ये और थे हासिल की कुर्क करली जाय लिहाजा हुक्म होता है कि तुम मजकूर ता सदूर अहकाम अदालत हाजा उस को मुतकिल या जेरबार करने से मना किये गये और बाज रखे गये.

आज ब तारीख माह सन १९ मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से जारी किया गया.

जज्ज.

नंबर—२४.

कुरकी यसीगा इजराय डिकरी.

———

हुक्म इम्तनाई ब हालत जायदाद गैर मनकूला.

(आर्डर २१ कायदा ५४).

(किस्म).

बनाम.

बेलिफ अदालत.

बजरिये इस तहरीर के तुमको हुक्म दिया जाता है कि पेशतर इत्तला यौम की इस तौर पर देकर याने नीलाम का इत्तलानामा इस कचेहरी में चस्पां और इश्तहार हस्बे जाब्ता करा कर जायदाद को जो हस्ब वारन्ट अदालत हाजा तारीख माह सन १६ बइजराय डिकरी के बमुकदमा नम्बरी सन १६ के कुर्क की गई थी, या जायदाद मजकूर में से उस कदर कि वास्ते वसूल करने मुबालिग के जो डिकरी और खर्चा मजकूर में से हनोज बिला अदा रहा है काफी हो नीलाम करो.

तुमको यह भी हुक्म होता है कि वारंट हाजा की पुश्त पर तसदीक इस अमर की लिख कर कि उस की तामील किस तौर पर की गई, या उस की तामील के न किये जाने की वजह तहरीर करके इस वारंट को बतारीख माह सन १६ या उस के पहले वापस करो.

आज बतारीख माह सन मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से हवाला किया गया

जज.

नंबर—२८.

नोटिस उस दिन का जो वास्ते तरतीब देने इश्तहार नीलाम के मुकर्रर हो

(आर्डर २१ कायदा ६६).

(किस्म)

बनाम

मदयून डिकरी.

चूंकि ऊपर लिखे हुए मुकदमा में डिकरीदार ने वास्ते नीलाम तुमको इसके जरिये से इत्तला दी कि तारीख माह सन वास्ते इश्तहार नीलाम के मुकर्रर की गई है.

बदस्तखत मेरे और मोहर अदालत से आज तारीख , माह, सन १९ को जारी किया गया।

फेहरिस्त

जज्ज,

नंबर—२६.

इत्तला नामा कुर्क कराने वाले साहूकार को।

(आर्डर २१ कायदा ५४).

(किस्म)

बनाम,

चूंकि मुसम्मी ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि कुरकी की जो तुम्हारी तरफ से बसीगा इजराय डिकरी व मुकदमा नंबर सन १९ की गई है; उठा ली जाय, लेहाजा तुम को इत्तला दी जाती है कि ब तारीख माह सन इस अदालत में असालतन या बजरिये वकील अदालत के जो हाल मुकदमा से करार वाकई वाकिफ किया गया हो वास्ते ताईद अपने दावे के बतौर कुर्क कराने वाले साहूकारों के हाजिर हो।

आज ब तारीख माह सन मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से हवाला किया गया।

जज्ज

नंबर—२७.

वारन्ट याने हुक्म नामा नीलाम बाबत इजराय डिकरी जर नक्द में

(आर्डर २१ कायदा ६६.)

(किस्म.

बनाम.

नीलाम में आम लोग बे जात खास या मारफत अपने मुखत्यार जो अख्त्यार के बोली बोल सके हैं ताहम डिकरीदारान या उस के तरफ से कोई बोली मन्जूर न की जावेगी न बहक़ उन के कोई नीलाम जो अदालत की मन्जूरी पहले हासिल करने के बगैर हो, जायज होगा जायद.

शरतें नीलाम.

नंबर—३०.

हुक्म बनाम नाजिर वास्ते तामील इस्तहार नीलाम.

(आर्डर २१ कायदा ६६).

(फ़िस्म)

बनाम.

नाजिर अदालत.

चूंकि मदयून डिकरी की जायदाद मुन्दरजा फेहरिस्त जैल के नीलाम का हुक्म हुआ है और जो कि तारीख माह सन १९ जायदाद मजकूर के नीलाम के लिये मुकर्रर की गई है, नक़लें इश्तहार नीलाम की इस वारंट के जरिये से तुम्हारे हवाला की जाती है और तुम को इस के जरिये से हुक्म दिया जाता है कि इश्तहार को बजरिये मुनादी हर एक जायदाद मजकूर में, मुश्तहर करादो, और इश्तहार मजकूर की एक नक़ल जायदाद मजकूर के किसी नजरगाह आम पर और बाद को मकान अदालत में चस्पा की जावे, और फिर इस अदालत में रिपोर्ट करो कि किस तारीख को और किस तरीके से इश्तहार मुश्तहर किया गया.

तारीख माह सन १९.

फेहरिस्त.

जज.

नंबर—३१.

सारटिफिकट अफसर नीलाम करने वाले का बाबत कमी कीमत दुबारा नीलाम जायदाद ब वजह कसूर खरीदार

(आर्डर २१ कायदा ७१).

(फ़िस्म)

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह, सन १९ को जारी किया गया.

जज.

नंबर—२६.

इस्तहार नीलाम.

(आर्डर २१ कायदा ६६).

[फ़िरम]

इसके जरिये से इत्तला दी जाती है कि बमूजिब कायदा ६४ आर्डर २१ मजमूआ जाब्ता दीवानी एक हुक्म इस अदालत से वास्ते नीलाम जायदाद मकरूका मुंदरजे फेहरिस्त मुनसलका सादिर किया गया है, वास्ते अदाई दावी डिकरीदार बमुकदमा (१) मुंदरजे हाशिया तादादी मय खर्चा वो सूद तारीख नीलाम तक मुबलिग.

(१) मुकदमा नंबर सन १९ मुनफैसला मुकाम जिस में मुद्दई था और मुद्दायलेह था.

नीलाम बजरिये नीलाम आम के होगा और जायदाद लाटबन्दी से बमूजिब तशरीह मुंदरजे फेहरिस्त नीलाम की जायगी नीलाम जायदाद मदयून डिक्री मजकूर मुंदरजे फेहरिस्त जेल के होगी और दावी वो जिम्मेदारी जो जायदाद मजकूर पर है वह जहां तक दरयाफ्त हो सकी है वह है जो हर लाट के मुकाबले में दर्ज फेहरिस्त है.

व अदम मौजूदगी किसी हुक्म मुलतवी के नीलाम मारफत के नीलाम महीना में तारीख बमुकाम बवक्त बजे शुरू होगा लाकिन किसी लाट की बोली शुरू होने के पहले अगर ऊपर लिखा हुआ करजा और खर्चा नीलाम दाखिल किये जाने या दे दिये जाने पर नीलाम बंद कर दिया जावेगा.

नीलाम में आम लोग ब जात खास या मारफत अपने मुख्तार जो अख्तयार के बोली बोल सक्ते हैं ताहम डिगरीदारान या उस के तरफ से कोई बोली मन्जूर न की जावेगी न बहक उन के कोई नीलाम जो अदालत की मंजूरी पहले हासिल करने के बगैर हो, जायज होगा जायद.

शर्तें नीलाम.

नंबर—३०.

हुक्म बनाम नाजिर वास्ते तामील इश्तहार नीलाम.

(आर्डर २१ कायदा ६६).

(फिस्म)

बनाम.

नाजिर अदालत.

चूंकि मदयून डिकरी की जायदाद मुन्दरजा फेहरिस्त जैल के नीलाम का हुक्म हुआ है और जो कि तारीख माह सन १९ जायदाद मजकूर के नीलाम के लिये मुकर्रर की गई है, नकलें इश्तहार नीलाम की इस वारंट के जरिये से तुम्हारे हवाला की जाती है और तुम को इस के जरिये से हुक्म दिया जाता है कि इश्तहार को बजरिये मुनादी हर एक जायदाद मजकूर में, मुश्तहर करादो, और इश्तहार मजकूर की एक नकल जायदाद मजकूर के किसी नजरगाह आम पर और बाद को मकान अदालत में चस्पा की जावे, और फिर इस अदालत में रिपोर्ट करो कि किस तारीख को और किस तरीके से इश्तहार मुश्तहर किया गया.

मैारख माह सन १९

फेहरिस्त.

जज.

नंबर—३१

सारटिफिकट अफसर नीलाम करने वाले का बाबत कमी कीमत दुबारा नीलाम जायदाद ब वजह कसूर खरीदार

(आर्डर २१ कायदा ७१).

(किस्म)

तसदीक की जाती है कि ऊपर लिखे हुए मुक़दमा के इजराय डिकरी के दुबारा नीलाम में जो खरीदार के कसूर से हुआ, जायदाद मजकूर के कीमत में मुबलिग रू० कम आया और ऐसे दुबारा नीलाम का खरचा मुबलिग रू० जुमला रू० होता है जो रकम के कसूर करने वाले से काबिल वसूली है.

तारीख माह सन १९.

अफसर नीलाम करने वाला.

नंबर—३२.

इत्तलानामा बनाम काबिज जायदाद मनकूला जो इजराय डिकरी में नीलाम हुई

(आर्डर २१ कायदा ७९).

(किस्म)

बनाम.

चूंकि,

ऊपर लिखे हुए मुकदमा की इजराय डिकरी में मुसम्मी खरीदार का हुआ है जो तुम्हारे कबजे में है लिहाजा तुम को बजरिये इस हुक्म के मुमानियत की जाती है कि मजकूर पर कबजा किसी शख्स को बजुज मजकूर के न दो—

बदस्तखत मेरे और मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को हवाला किया गया.

नंबर—३३.

हुक्म इम्तनाई निस्बत इसके कि करजा जो बाबत इजराय डिकरी नीलाम किया गया है बजुज खरीदार के किसी और को न अदा किया जाय.

(आर्डर २१ कायदा ७९).

(किस्म)

बनाम और बनाम.

हरगाह ने बर वक्त नीलाम बाबत इजराय डिकरी मुकदमा मर्कूमा बाला के बाबत यह जर कर्ज जो तुम से को याफतनी है खरीद कर लिया है—लिहाजा हुक्म दिया जाता है कि तुम कर्जा मजकूर को बजुज मजकूर के किसी और शख्स को अदा करने से और तुम कर्ज मजकूर के वसूल करने से मना किये गये हो

आज बतारीख माह सन १९ को मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से हवाला किया गया

नंबर – ३४

हुक्म इम्तनाई इन्तकाल हिस्सों के जो इजराय डिकरी में नीलाम किये गये हैं

———

(आर्डर २१ कायदा ७९).

(किस्म)

बनाम व सेक्रेटरी कारपोरेशन.

चूंकि ने नीलाम आम में ब इल्लत इजराय डिकरी मुकदमा मजकूरे बाला कारपोरेशन मजकूर के चन्द हिस्से यानें—जो तुम्हारे नाम के हैं खरीद किये—लिहाजा हुक्म दिया जाता है कि तुम हिस्सा मजकूर को ब जुज खरीदार मजकूर के किसी और शख्स के हाथ किसी तौर पर मुन्तकिल करने और उन के मुनाफा का हिस्सा लेने से बजरिये तहरीर हाजा के ममनू किये जाते हो—और तुम सेक्रेटरी कारपोरेशन मजकूर को ताकीद की जाती है कि बजुज खरीदार मजकूर के किसी और शख्स के हाथ ऐसा इन्तकाल न होने दो या जर मुनाफा मजकूर किसी और शख्स को अदा न करो.

ब दस्तखत मेरे व मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

जज.

नंबर—३५.

सार्टीफिकेट बनाम मदयून डिकरी, उस को जायदाद रहन रखने, ठेका देने, या बै करने, का अख्त्यार देने के निसबत

नीचे लिखे मुताबिक है.

१. नीचे लिखी हुई फेहरिस्त में दर्ज की हुई बातें अदालत को, जहां तक अच्छी तरह से इत्तला मिली है दर्ज की गई है, मगर अदालत किसी गलती, गलत बयानी, या भूल जो इस इश्तहार में हो उस की जवाबदार न होगी.

२. रकम जिस से बोली बढ़ाई जायगी नीलाम करने वाला अफसर मुकर्रर करेगा --रकम बोली या बोली बोलने वालों के निसबत कोई झगड़ा पैदा हो तो फौरन दुबारा नीलाम लाट का किया जायगा.

३. सब से जियादा बोली बोलने वाला लाट का खरीदार करार दिया जावेगा मगर हमेशा इस बात की शर्त रहेगी कि वह जायज तौर से बोली बोलने के लायक है और यह भी शर्त है कि अदालत या नीलाम करने वाले अफसर के अखत्यार में यह बात है कि जियादा बोली मन्जूर करने से इन्कार करे, जब कि वह कीमत जो आती है साफ तौर से इतनी गैर काफी है जिस से उस का मन्जूर करना मसलहत नहीं है.

४. नीलाम करने वाले अफसर को, नीलाम का, तहरीरी वजूहात से बशर्त पाबन्दी अहकामात कायदा ६९ आर्डर २१ के मुल्तवी करने का अखत्यार है.

५. जायदाद मनकूला की सूरत में कीमत हर लाट की बरवक्त नीलाम या बाद ज्योंही नीलाम करने वाला अफसर हिदायत करे दी जायगी--और कीमत के अदा न होने के हालत में जायदाद फौरन दुबारा नीलाम की जायगी.

६. जायदाद गैर मनकूला के सूरत में वह शख्स जो खरीदार करार दिया गया है ऐसे करार दिये जाने के बाद फौरन जर खरीद पर नीलाम करने वाले अफसर के पास पच्चीस रूपया सैकड़ा दाखिल करेगा, और इस तरह से न दाखिल करने की हालत में जायदाद फौरन दुबारा नीलाम की जायगी.

७. कुल जर खरीद जायदाद नीलाम होने के बाद नीलाम होने के दिन को छोड़ कर पंद्रहवे दिन अदालत बंद होने के पेश्तर या अगर पंद्रहवे दिन इतवार या दीगर तातील हो तो पंद्रहवे दिन के बाद जिस रोज पहले अदालत खुले खरीदार देगा.

८. मुद्दत मुकर्ररा के अन्दर बकाया जर नीलाम न दिये जाने के हालत में जायदाद बाद जारी होने दुबारा इश्तहार नीलाम के नीलाम की जावेगी-जर अमानत बाद वजा करने खर्चा नीलाम अगर अदालत मुनासिब समझे जब्त सरकार होग— और खरीदार कुसूरवार का कुल दावा निसबत जायदाद या बाद के नीलाम किये हुये जर नीलाम के, जायल हो जायगा

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

जज्ज.

फेहरिस्त जायदाद.

लाट का नंबर	तफसील जायदाद जो नीलाम होना है, मैं नाम हर एक मालिक के जब कि एक से ज्यादा मदयून डिक्री है	अगर नीलाम होने वाली जायदाद इस्टेट या हिस्सा इस्टेट का ऐसा हक है जिस की जमा मालगुजारी सरकार को अदा की जाती है तो वह जमा जो मालगुजारी इस्टेट या उसके हिस्सा पर तशखीस है	तफसील किसी मवाजा की जिस की जायदाद जिम्मेदार है	दवी अमर कोई हो जो जायदाद के निसबत पेश हुए हैं और दीगर बातें जो मालूम हुई है और उस की किस्म वो कीमत.

नंबर—४२.

इजाजत बनाम कलक्टर निसबत मुलतवी रखने नीलाम आराजी (दफा ७२)

(किस्म)

बनाम,

कलेक्टर मुकाम,

बजवाब आम की तहरीरी नक्शी मवरखे मुशहर इस अमर के कि बसीगा इजराय डिकरी इस मुकदमे के नीलाम आराजी का जो आप के जिले में वाके है अमल में आना मुनासिब नहीं—लिहाजा मै आप को मुत्तला करता हूं कि और को अखत्यार दिया जाता है, कि जिस तौर पर कि आपने डिकरी के अदाई की तदबीर लिखी है वह अमल में लाई जाय



ब दस्तखत मेरे व मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

जज

तफसील जायदाद.

नंबर—३८.

सार्टिफिकट नीलाम आराजी

(आर्डर २१ कायदा ९४).

(फ़िस्म)

इस तहरीर की रू से तसदीक की जाती है कि मुसम्मी बतारीख माह सन १९ बजरिये नीलाम आम के जो बइल्लत इजराय डिकरी इस मुकदमा के हुई थी खरीदार करार दिया गया और नीलाम मजकूर इस अदालत से कतई हो गया.

आज तारीख माह सन १९ को मेरे बदस्तखत और मोहर अदालत से हवाला किया गया

जज

नंबर—३९

हुक्म देने कब्जा आराजी का मुश्तरी सारटीफिकट याफ्ता नीलाम इजराय डिकरी को

(आर्डर २१ कायदा ९५).

(फ़िस्म)

बनाम

बैलिफ अदालत.

हरगाह बर वक्त नीलाम बाबत इजराय डिकरी अदालत दीवानी मुकदमा नम्बर सन १९ के मुसम्मी जायदाद का सारटीफिकट याफ्ता खरीदार हुआ है लिहाजा तुम को हुक्म दिया जाता है कि मुसम्मी मजकूर खरीदार सारटी-

फिक्ट याफ्ता मजकूर को उस का कब्जा दिला दो.

आज ब तारीख माह सन १९ को मेरे बदस्तखत और मोहर अदालत से हवाला किया जाय.

नंबर—४०.

समन वास्ते हाजरी वो जवाबदेही इलजामे मुजाहमत इजराय डिकरी

(आर्डर २१ कायदा ९७).

(किस्म)

बनाम.

जो कि डिकरीदार मुकदमा मजकूर ने इस अदालत में इस्तगासा किया है कि तुम ने उस अफसर को जो तामील वारन्ट दखल की करता था ताऊँज की है (या मुजाहमत की है).

इस लिये तुम को समन दिया जाता है कि इस अदालत में तारीख माह सन १९ को वक्त बजे हाज़िर होकर जवाबदेही इस्तगासा मजकूर की करो.

व दस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

जज्ज.

नंबर—४१.

वारन्ट हिरासत में रखने का.
(आर्डर २१ कायदा ९).

बनाम.

आ

जो . मुद्दई को इस अदालत से

अ. बगैर वजह जायज

जायदाद के के कब्जा हासिल करने में तार्रुज (या मुजाहमत) किया है और अभी तक करता है और चूंकि ने इस अदालत में दरखास्त की है कि दीवानी जहल में रखा जावे.

लिहाजा तुम को हुक्म दिया जाता है कि मजकूर को ता मुद्दत योम जहलखाना दीवानी में कैद रखो.

ब दस्तखत मेरे मो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को हवाला किया गया.

जज्ज.

नंबर—४२.

इजाजत बनाम कलेक्टर निसबत मुलतवी रखने

नीलाम आराजी (दफा ७२)

(फिस्म)

बनाम.

कलेक्टर मुकाम

बजवाब आप की तहरीरी नम्बरी मवरखे मुशहर इस अमर के कि बसीगा इजराय डिकरी इस मुकदमे के नीलाम आराजी का जो आप के जिले में वाके है अमल में आना मुनासिब नहीं—लिहाजा मैं आप को मुत्तला करता हूं कि और को अखत्यार दिया जाता है कि जिस तौर पर कि आप ने डिकरी के अदाई की तदबीर लिखी है वह अमल में लाई जाय.



फिक्ट याफ्ता मजकूर को उस का कब्जा दिला दो.

आज ब तारीख माह सन १९ को मेरे बदस्तखत और मोहर अदालत से हवाला किया जाय.

नंबर—४०.

समन वास्ते हाजरी वो जवाबदेही इलजामें मुजाहमत इजराय डिकरी

(आर्डर २१ कायदा ९७).

(किस्म)

बनाम.

जो कि डिकरीदार मुकदमा मजकूर ने इस अदालत में इस्तगासा किया है कि तुम ने उस अफसर को जो तामील वारन्ट दखल की करता था तार्रुज की है (या मुजाहमत की है).

इस लिये तुम को समन दिया जाता है कि इस अदालत में तारीख माह सन १९ को वक्त बजे हाजिर होकर जवाबदेही इस्तगासा मजकूर की करो.

ब दस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

जज्ज

नंबर—४१.

वारन्ट हिरासत में रखने का.

(आर्डर २१ कायदा ९).

बनाम.

आफिसर इनचार्ज जहल वाके.

जो कि नीचे लिखी हुई जायदाद की डिकरी मुद्दई को इस अदालत से दी गई और जो कि अदालत को इतमीनान हो गया है कि बगैर वजह जायज

आज तारीख माह सन १९ मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से हवाला किया गया.

जज्ज

नंबर—२.

जमानत वास्ते हाजरी मुद्दायलेह के जो कबल फैसला गिरफ्तार हुआ

(आर्डर ३८ कायदा २).

(फ़ार्म)

चूंकि बदरख्वास्त मुद्दई मुकदमा सदर के मुद्दायलेह गिरफ्तार होकर रूबरू अदालत लाया गया है.

और जो कि मुद्दायलेह मजकूर के यह वजह बतलाने पर कि क्यों उस से जमानत उस के हाजरी की न ली जावे अदालत ने उस को इस तरह की जमानत दाखिल करने का हुक्म दिया है

इस लिये मैं अपनी खुशी से जामिनदार होकर इस के जरिये के अपने तईं; अपने वारसान वो वसी को, पाबन्द अदालत इस बात का करता हूं कि मुद्दायलेह मजकूर किसी वक्त दौरान मुकदमा में और तामदाई डिकरी जो मुकदमा मजकूर में उस पर सादिर हो, जिस वक्त बुलाया जावे हाजिर अदालत होगा— और उस के इस तरह से हाजिर न होने की सूरत में, मैं अपने तईं अपने वारसान वो अपने वसी को अदालत मजकूर में उस अदालत के हुक्म के मुताबिक उस कदर रूपया देने का जिम्मेदार करार देता हूं, जो मुकदमा मजकूर से दिलाये जाने का हुक्म दिया जावे.

तारीख माह सन १९ दस्तखत.

गवाहान.—

१. ... .

२. ... ...

जमीमा—१.

अपेनडिक्स (च).

तितम्मा कारवाई.

नंबर—१.

वारन्ट गिरफतारी क़ब्ल फैसला

(आर्डर ३८ कायदा १).

(क़िस्म)

बनाम बेलिफ़ अदालत,

हरगाह मुद्दई बमुकदमा मजकूरे बाला ने हस्ब तफसील मुन्दर्जा हासिया मुबलिग

	रू.	आ	पा
जर असल.... ...			
जर सूद.... ...			
खर्चा मुकदमा, ...			
मीजान....			

का दावा किया है और हस्ब इतमीनान अदालत ने यह साबित कर दिया है कि इस अमर के बावर करने की वजह माकूल है कि मुद्दायलेह करीब है कि लिहाजा तुम को हुक्म दिया जाता है कि मजकूर से मुबलिग जो मुद्दई का दावा पूरा करने के लिये काफी हो, वसूल करो, और अगर मजकूर मुबलिग मजकूर फौरन तुम्हारे हवाला न करे या उस की तरफ से अदा न किया जाय तो मजकूर को हिरासत में करो और रूबरू अदालत के हाजिर करो ताकि वह वजह इस की बयान करे कि उससे जमानत बतादाद मुबलिग अदालत के रूबरू तावक्ते कि मुकदमा मजकूर पूरे और कतई तौर पर फैसला के हो जाय और तावक्ते कि डिकरी, जो बनाम उस के बमुकदमा मजकूर सादिर हो जारी होकर उस की अदाई की जाय, असालतन हाजिर रहने के लिये क्यो न दाखिल कराई जाय.

आज बतारीख माह सन १९ मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से हवाला किया गया.

जज

नंबर—२.

जमानत वास्ते हाजरी मुद्दायलेह के जो कबल फैसला गिरफ्तार हुआ

(आर्डर ३८ कायदा २).

(किस्म)

चूंकि बदरखास्त मुद्दई मुकदमा सदर के मुद्दायलेह गिरफतार होकर रूबरू अदालत लाया गया है.

और जो कि मुद्दायलेह मजकूर के यह वजह बतलाने पर कि क्यों उस से जमानत उस के हाजरी की न ली जावे अदालत ने उस को इस तरह की जमानत दाखिल करने का हुक्म दिया है.

इस लिये मैं अपनी खुशी से जामिनदार होकर इस के जरिये के अपने तई, अपने वारसान वो वसी को, पाबन्द अदालत इस बात का करता हूं कि मुद्दायलेह मजकूर किसी वक्त दौरान मुकदमा में और तामदाई डिकरी जो मुकदमा मजकूर में उस पर सादिर हो, जिस वक्त बुलाया जावे हाजिर अदालत होगा— और उस के इस तरह से हाजिर न होने की सूरत में, मैं अपने तई अपने वारसान वो अपने वसी को अदालत मजकूर में उस अदालत के हुक्म के मुताबिक उस कदर रूपया देने का जिम्मेदार करार देता हूं, जो मुकदमा मजकूर से दिलाये जाने का हुक्म दिया जावे.

तारीख माह सन १९ दस्तख़त.

गवाहान.

१. ... .

२. ... .

नंबर—३.

समन बनाम मुद्दायलेह जब जमानतदार दरख्वास्त अपने
जिम्मेदारी से बरी होने के लिये दे.

(आर्डर-३८ कायदा ३).

(किस्म)

बनाम,

चूंकि जो तारीख माह सन १९ को मुकदमा सदर में तुम्हारे हाजरी का जामिनदार हुआ था, इस अदालत में अपने जिम्मेदारी से बरी होने के लिये दरख्वास्त की है.

तुम को इस के जरिये से इत्तला दी जाती है कि इस अदालत में बजात खुद तारीख , माह सन १९ को वक्त , बजे जब कि दरख्वास्त मजकूर की सुनाई वो तसफिया होगा, हाजिर हो.

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

जज.

नंबर—४.

हुक्म हिरासत में रखने का.

(आर्डर ३८ कायदा ४).

(किस्म)

बनाम,

हरगाह मुद्दई ने इस मुकदमे में अदालत के हुजूर यह दरख्वास्त गुजरानी है कि मुद्दायलेह फैसले के जो कि पर इस मुकदमे में सादिर जाय, और अदालत ने

मुद्दायलेह को हुक्म दिया कि जमानत मजकूर दाखिल करे— या बजाय जमानत के जर काफी अमानतन दाखिल करे—जो उस ने नहीं किय—लिहाजा हुक्म दिया जाता है कि मुद्दायलेह मजकूर ता फैसला मुकदमा या जिस हाल में कि फैसला खिलाफ मुद्दई सादिर हो, तो तावक्ते इजराय डिकरी दीवानी जहल में हिरासत में रखा जाय.

आज ब तारीख माह सन १९ को मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से हवाला किया गया.

जज्ज

नंबर—५

कुरकी कब्ल फैसला में हुक्म दाखिल करने जमानत वास्ते तामील डिकरी के

———

(फिस्म)

बनाम

बेलिफ अदालत.

हरगाह ने हस्ब इतमीनान अदालत साबित किया है कि मुद्दायलेह ने ब मुकदमा मर्कूमा बाला लिहाजा तुम को हुक्म दिया जाता है कि मुद्दायलेह को हुक्म दो कि तारीख माह सन१९ या उस से पहिले बाबत मुबलिग जमानत इस अमर की दाखिल करे कि जब हुक्म हो तो इस अदालत में पेश कर के अमानत दाखिल करे या उस की कीमत दाखिल करे, या कीमत में से उस कदर जो वास्ते अदाई उस डिकरी के काफी हो कि अदालतहाजा पर सादिर करे या यह कि अदालत में हाजिर होकर यह जाहिर करे कि उसे किस वजह से जमानत दाखिल करनी न चाहिये—और तुम को यह हुक्म भी दिया जाता है कि मजकूर को कुर्क करके ता सदूर हुक्म सानी इस अदालत के उस को हिफाजत में रखो, और तुम को यह भी हुक्म दिया जाता है कि इस वारन्ट को तारीख माह सन १९ को या उसके पहले इस इबारत जोहरी के साथ वापिस करो कि किस तारीख

को और किस तरीके से उस की तामील हुई या किस वजह से उस की तामील नहीं हुई.

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख- माह सन १९ को जारी किया गया.

जज.

नंबर—६.

जमानत वास्ते पेश करने माल के.

(आर्डर ३८ कायदा ५).

(किस्म).

चूंकि मुद्दई मुकदमा मजकूर की दरखास्त पर मुद्दायलेह को जमानत मुबलिग रुपया, वास्ते पेश करने जायदाद मुन्दर्जे फेहरिस्त मुनसलका,: वो उस को राय अदालत पर छोड़ देने की दाखिल करने का हुक्म दिया गया है.

इस लिये मैं अपने खुशी से जामिनदार होकर अपने तई वो अपने वारसान वो वसी को अदालत मजकूर का पाबन्द इस अमर का करता हूं कि मुद्दायलेह मजकूर अदालत में जायदाद मुन्दर्जे फेहरिस्त मजकूर या उस कीमत या उस का ऐसा काफी हिस्सा जो वास्ते अदाई डिकरी काफी हो जब अदालत तलब करेगी दाखिल करके उस को राय अदालत पर छोड़ देगा—और उस के ऐसा करने मे कसूर करने पर, मैं, मेरे वारसान वो वसी, अदालत मजकूर में उस अदालत के हुक्म के मुताबिक मुबलि ऐसी रकम से जियादा न हो, जिस के लिये अदा ने का

माह

गवाहान

१. ... .

२. ... ..

नंबर—७.

कुरकी कबल फैसला दर सूरत सुबूत न दाखिल करने जमानत
(आर्डर ३८ कायदा ६).

(किस्म)

बनाम

बेलिफ अदालत.

हरगाह मुसम्मी मुद्दई ने इस मुकदमे में अदालत को यह दरखास्त दी है कि मुद्दायलेह से जमानत वास्ते अदाई डिक्री के जो बनाम इस मुकदमे में सादिर हो तलब की जाय—और जो कि अदालत ने मजकूर को उस जमानत के दाखिल करने का हुक्म दिया है—मगर ने दाखिल नहीं किया—लिहाजा तुम को हुक्म दिया जाता है कि माल मजकूर का कुर्क करो—और उस को तावक्ते कि हुक्म सानी अदालत का सादिर हो ब हिफाजत जेर हिरासत रखो—और तुम को यह भी हुक्म दिया जाता है कि इस वारन्ट को तारीख माह सन १९ को या उस के पहले इस बात की तसदीक करके वापिस करो कि किस तारीख को और किस तरीके से तामील उस की हुई, या किस वजह से तामील नहीं हुई.

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

जज

नंबर—८

हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा
(आर्डर ३९ कायदा १).

(किस्म)

बरतबक दरखास्त मुसम्मी वकील (या कौंसिल) (क, ख) मुद्दई के

और बमुलाहजा दरखास्त मुद्दई के जो (आज) इस मामले में गुजरी है. (या बमुलाहजा अर्जीदावे के जो इस मुकदमे में ब तारीख माह गुजरा है या बमुलाहजा बयानतहरीरी मुद्दई के जो बतारीख माह दाखिल हुआ है) और बाद समाअत शहादत मुसम्मियान और जो ब ताईद दरखास्त के पेश हुई है (अगर मुद्दायलेह को इत्तला दी गई हो, और वह हाजिर न हो तो यह लिखा जायगा, और बाद समाअत शहादत मुसम्मी बसूबत पहुंचाने इत्तला दाखिल होने दरखास्त मजकूर बदस्त (ग, घ) मुद्दायलेह के) अदालत से हुक्म होता है कि हुक्म इम्तनाई बमुराद बाज रखने (ग, घ.) मुद्दायलेह और उस के नौकरों और मजदूरों और एजन्टों के उस मकान के गिरा देने, या गिराने देने से जो मुद्दई मजकूर के अरजीदावे में मजकूर है, या जो मुद्दई के बयान तहरीरी या दरखास्त में या उस शहादत में बयान हुआ है, जो बवक्त दाखिल होने इस दरखास्त के ली गई थी) याने मकान न. ९ सड़क मौसूमे आइल मनगर स्ट्रीट वाके मौजा हिन्दू पूर ताल्लुके और नीज वास्ते बाज रखने मकान मजकूर के मलमा और मसाला के फरोख्त करने से उस वक्त तक कि इस मुकदमा की समाअत हो, या ता सदूर हुक्म सानी अदालत हाजा के जारी किया जाय,

तारीख माह सन १९.

जज्ज.

(जब कि हुक्म इम्तनाई बाबत बाज रखने मुद्दायलेह के फरोख्त करने से किसी बिल या नोट के मतलूब हो तो अदालत के हुक्म से जहां हुक्म इम्तनाई का बयान है, यह लिखा जायगा) कि मुद्दायलेहुम और तावक्ते कि इस मुकदमा की समाअत न हो या ता सदूर हुक्म सानी अदालत हाजा के उस प्रामिसरी नोट या (बिल आफ इक्सचेंज) मवरखे को जो मुद्दई के अरजीदावे (या दरखास्त में बयान हुआ है. और जिस का जिक्र उस शहादत में भी है बवक्त दाखिल होने दरखास्त के ली गई थी, अपने या उनमें से किसी के कबजे से अलग न करे—और उस की पुश्त पर इबारत फरोख्त, या इन्तकाल की न लिखें— और न उस को फरोख्त करें.

(जब मुकदमा वास्ते हिफज हक छापने किताब के हो) कि हुक्म बाज रखने (ग, घ.) मुद्दायलेह और उस के मुलाजिमों, और कारीगरों और

एजन्टों, के किताब मौसूमा , या के उस किसी जुज को छापने, या मुरतहर या फरोख्त करने से तावक्ते कि वगैरा वगैरा.

(जब सिर्फ एक जुज किताब से बाज रखना मंजूर हो) कि वास्ते बाज, रखने (ग, घ.) मुद्दायलेह, और उस के मुलजिमों, और कारीगरों और कारपरदाजों के छापने,या मुश्तहर,या फरोख्त, या किसी तरह पर मुन्तकिल करने से उस कदर हिस्सा किताब के जो मुद्दई के अर्जीदावा (या दरखास्त और शहादत वगैरा)में मुफस्सिल मजकूर है, और जिन का मुद्दायलेह की तरफ से मुश्तहर होना जाहिर किया गया है हस्ब तफसिल जैल याने किताब मजकूर का उस कदर जुज जो कहलाता है और नीज वह जुज जो के नाम से मौसूम है (या जो किताब में सफा से सफा तक मुन्दर्ज है)तावक्ते कि वगैरा वगैरा.

(मुकदमात हिफज पेटेन्ट याने हक ईजाद में) कि बसदूर हुक्म अदालत (ग, घ.) मुद्दायलेह और उस के कारीगार और मुलाजिम और कारपरदाज लोग अमर मुफसिले जैल से बाज रखे जाय याने इटे सुराखदार (या जैसी सूरत हो) मिसल शै ईजाद मुद्दई के जो अरजीदावें में (या दरख्वास्त या बयान तहरीरी वगैर में) मुफसिले मजकूर है —और जिस के ईजाद का हक मुद्दईयों या उन में से एक को हासिल है—उस मुद्दत की बाकी मियाद तक जो मुद्दई की सनदें पेटेन्ट में अता हुई हैं और जिसका जिक्र अरजी दावे में (या जैसी सूरत हो मुन्दर्ज है—अपनी तरफ से तैयार या फरोख्त न करे और न उस की नकल और तलबीस करे - और न उसी नकल और वजा की बनाये- और न तो ईजाद में कुछ कमी और बेशी करे--) तावक्ते कि वगैरा वगैरा.

(माल तिजारत के निशानात के मुकदमे में) कि मुस्समी (ग, घ) मुद्दायलेह और उस के मुलाजिम, और कारीगर, और कारपरदाज लोग अफआल मुफस्सिल जैल से बाज रखे जाय याने किसी किस्म की मुरक्कब चीज या सियाही (जो कुछ कि हो)जो सियाही मुरक्कबा (क, ख) मुद्दई की बयान या जाहिर की हुई हो, ऐसी बोतलों में भर कर फरोख्त न करे, न फरोख्त के लिये दिखायें न औरों से फरोख्त करावें, जिन पर ऐसा लेबिल याने चिठ, कागज चस्पा हो जिस की सराहत मुद्दई के अरजीदावे में (या दरखास्त वगैर.)में मुन्दर्ज है- या कोई और लेबिल ऐसी किस्म या किता, और रंग, और इबारत का लगा हो कि बवजह

मुशाबिहत लेबिल असली के यह गुमान पैदा करे कि वह मुरक्कब चीज या सियाही तैयार की हुई मुदायलेह मजकूर वही है जो मुद्दई (क, ख.)आप तैयार करके बेचता है—और वह लोग फरोख्त के इश्तहारनामे ऐसे बनाकर, और लिखाकर इस्तेमाल न करें कि आम को गुमान हो कि वह मुरक्कब चीज या सियाही जो मुदायलेह, बनाकर फरोख्त करता है या फरोख्त करना चाहता है, वही है जो (क, ख) मुद्दई तैयार, और फरोख्त करता है—तावक्ते कि वगैरा-वगैरा.

(अगर किसी शरीक को कारबार शराकती में दस्तअन्दाज होने से बाज रखना मनजूर हो) कि (ग, घ)मुदायलेह और उस के मुलाजिम और कारपरदाज लोग अफआल मुफस्सल जैल से बाज रखे जायें—याने वह लोग (ख, घ.)की कोठी शराकती के नाम से किसी तरह का माहादा न करें—और कोई बिल आफ इक्सचेंज या हुन्डि या नोट या किफालतनामा तहरीरी न लिखें और न सकारें और न पुश्त पर इन्तकाल की इबारत लिखें - न उन को फरोख्त करें और (ख, घ.) की कोठी सराकती के नाम से या उस के एतिबार की तकवीयत से कभी कर्जा न लें और माल खरीद व फरोख्त न करें-और न किसी तरह का वादा या इकरार या माहदा जबानी या तहरीरी अमल में लायें-और न कोई ऐसा फैल कोठी शराकती मजकूर के नाम से करें, या दूसरे से करायें, जिस के सबब से कोठी शराकती मजकूर किसी मुबलिग के अदा करने की जिम्मेदार होजाय या तामील किसी वादा, या इकरार, या माहदा, की कोठी मजकूर पर लाजिम आय-तावक्ते कि वगैरा-वगैरा.

नंबर—९.

मुकर्ररी रिसीवर याने मोहतमिम.

(आर्डर ४० कायदा १).

बाबत.

हरगाह जायदाद बइल्लत इजराय डिकरी जो बमुकदमा मजकूर बतारीख माह सन १९ बहक सादिर हुई थी, कुर्क की गई है—

लेहाजा तुम रिसीवर जायदाद मजकूर के हस्ब आर्डर ४० मजमूआ जाब्ता दीवानी मुकर्रर हुऐ (बशर्ते देने जमानत हस्ब इतमीनान अदालत के) और तुम को हस्ब दफा मजकूर अख्त्यारात कुल हासिल है.

तुम को लाजिम है कि तारीख पर हिसाब सही और वाजबी आमद व खर्च जायदाद मजकूर का दाखिल करो, और बमूजिब इस हुक्म तकर्रुरी के तुम उन रूपये पर जो कि वसूल हो बशरह फी सदी के महनताना पाने के मुस्तहक होंगे.

आज बतारीख माह सन १६ मेरे दस्तखत और मोहर अदालत से हवाला किया गया.

जज्ज

नंबर—१०.

इकरारनामा जो रिसविर याने मुहतमिम को दाखिल करना होगा

(आर्डर ४० कायदा ३).

(किस्म)

वाजिह हो कि हम मुसम्मीयान और शामलात में और अलेहदा अलेहदा अदालत की खिदमत में इकरार करते हैं कि मुबलिग मौसूफ या उस के जानशीन वक्त को अदा कर देंगे-और अजरूय इस इकरारनामे के हम और हम में से हर एक और हमारे वरसा और ओसिया और मुहतामिमाने तरका एकजाई और अलेहदा २ उस कुल रूपये के अदा करने के जिम्मेदार रहेंगे.

मर्कूमा तारीख माह सन १६.

हरगाह एक अरजीदावा इस अदालत में ने बनाम के बमूरात (यहां गरज नालिश की लिखनी होगी) पेश की है.

और हरगाह मजकूर बहुक्म अदालत मजकूरेआला मुतजयरा अरजीदावा की जायदाद गैर मनकूला के लगान या किराया और मुनाफे के वसूल करने

अब मुद्दई डिकरीदार ने अपने डिकरी के इजरा करने की दरखास्त की है और मुद्दायलेह ने दरखास्त वास्ते मुलतवी किये जाने इजराय डिकरी के दी है और उस से जमानत तलब हुई है—इस लिये मैं अपने खुशी से मुबलिग रू० का जामिनदार होकर जायदाद मुन्दर्जा फेहरिस्त मुनसलका रहन करता हूं—और इकरार करता हूं कि अगर डिकरी अदालत इब्तदाई की बहाल या तबदील अदालत अपील से हुई तो मुद्दायलेह मजकूर डिकरी अदालत अपील के बमूजिब पूरे तौर से अमल करेगा और उस डिकरी के रूसे उस पर जितना देना फर्ज होगा देगा और अगर वह उस में कसूर करे तो कोई रकम जो इस तरह से वाजबुलअदा हो, उस जायदाद से वसूल की जावे जो इस के जरिये से रहन की गई है और अगर जायदाद मजकूर का जर नीलाम रकम वाजबुलअदा के अदाई के लिये काफी न हो तो मैं वो मेरे कायम मुकामान जायज बकाया रकम के देने के बजात खास जिम्मेदार होंगे—इसलिये मैंने यह जमानतनामा आज तारीख माह सन १९ को तहरीर कर दिया.

फेहरिस्त

गवाहान

दस्तखत,

१.

२.

नंबर—३.

जमानतनामा जो दौरान अपील में दिया जायगा

(आर्डर ४१ कायदा ६)

(किस्म)

बनाम.

डिकरी का इजरा मुलतवी करने पर जमानतनामा तहरीर करदा यह है:—

यह कि मुद्दई बमुकदमा नम्बर सन १९ ने मुद्दायलेह

पर इस अदालत में नालिश की और तारीख माह सन१९ को डिकरी बहक मुद्दई सादिर हुई—और मुद्दायलेह ने डिकरी मजकूर के नाराजी से अदालत में अपील पेश की है और अपील मजकूर हिनोज मुल्तवी है

अब मुद्दई डिकरीदार ने डिकरी मजकूर के इजरा के लिये दरखास्त की है और उस से जमानत तलब की गई है इसलिये मैं अपनी खुशी से मुबलिग रू० का जामिनदार होकर जायदाद मुदर्जे फेहरिस्त मुनसलका रहन करता हू और इकरार करता हूं कि अगर डिकरी अदालत इब्तदाई की मनसूख या तबदील अदालत अपील से हुई तो मुद्दई कोई जायदाद जो डिकरी मजकूर के रू से वह ले, या लेती है वापिस कर देगा और डिकरी अदालत अपील के बमूजिब पूरे तौर से अमल करेगा और उस डिकरी के रू से जो उस को अदा करना फर्ज होगा अदा करेगा और अगर वह उस में कसूर करेगा तो कोई रकम जो इस तरह से वाजबुलअदा हो उस जायदाद से जो इसके रू से रहन की गई है वसूल होगी और अगर जायदाद मजकूर का जर नीलाम रकम वाजबुलअदा के अदाई के लिये काफी न हो तो मैं और मेरे कायम मुकामान जायज बकाया रकम के अदाई के लिये बजात खास जिम्मेदार होंगे—इस लिये मैं ने यह जमानतनामा आज तारीख माह सन १९ को तहरीर कर दिया.

फेहरिस्त.

गवाहान.

दस्तखत.

१.

२.

नंबर—४.

जमानत वास्ते खरचा अपील

(आर्डर ४१ कायदा १०).

बनाम.

जमानतनामा वास्ते खर्चा अपील तहरीर करदा यह है.

इस अपीलांट ने अपील बनाराजगी डिकरी मुकदमा - नंबर - सन १९.

ऊपर रिस्पाडन्ट दायर की है और उस से जमानत तलब है—इस लिये मैं अपनी खुशी से खर्चा अपील का जामिनदार होकर जायदाद मुदर्जे फेहरिस्त मुनसलका रहन करता हू—मैं जायदाद मजकूर, या उस के किसी हिस्से को मुंतकिल नहीं करूंगा, और अपीलांट के तरफ से कसूर होने में मेरे खिलाफ जो हुक्म निसबत अदाई खर्चा अपील सादिर होगा उस की मैं पूरी तौर से तामील करूंगा—कोई रकम जो वाजबुलअदा इस तरह से हो वह उस जायदाद से वसूल की जाय जो इस के जरिये से रहन की गई है, और अगर जायदाद मजकूर का जर नीलाम रकम वाजबुलअदा के अदाई के लिये गैर काफी हो तो मैं वो मेरे कायम मुकामान जायज बकाया रकम बजात खास अदा करने के जिम्मेदार होंगे—इस लिये मैं ने यह जमानतनामा आज तारीख माह सन १९ को तहरीर कर दिया.

फेहरिस्त.

दस्तखत.

गवाहान.

१.

२.

नंबर—५.

इत्तलानामा अदालत मातहत के नाम मंजूरी अपील का.

(आर्डर ४१ कायदा १३).

(किस्म)

बनाम.

तुम को इत्तला दी जाती है कि मुकदमा मजकूर में ने इस अदालत में उस डिकरी के नाराजी से अपील की है जो तुमने उस मुकदमा में तारीख माह सन १९ - को सादि

तुम से दरख़्वास्त की जाती है कि मुक़दमा मज़कूर के कुल ज़रूरी काग़ज़ात जितने जल्द हो सके भेज दो.

मवरखे माह सन १९

जज

नंबर—६.

नोटिस बनाम रिस्पांडेंट निस्बत मुक़र्ररी तारीख़ समाअत अपील

(आर्डर ४१ क़ायदा १४).

(क़िस्म)

अपील बनाराज़गी अदालत मुक़ाम.

मवरखे माह सन १९.

बनाम.

रिस्पाडेन्ट,

मुत्तला हो कि अपील बनाराज़ी डिक्री इस मुक़दमे में मुसम्मी ने पेश किया—और वह इस अदालत में दर्ज हुई— और इस अदालत ने तारीख़ माह सन १९ वास्ते समाअत इस अपील के मुक़र्रर किया है.

अगर ख़ुद तुम या तुम्हारा लिडर या कोई और शख़्स जो क़ानूनन तुम्हारी तरफ़ से अपील हाज़ा में जवाब सवाल करने का मजाज़ हो हाज़िर न आयगा तो उस की समाअत और तजवीज़ तुम्हारी ग़ैर हाज़री में एक तरफ़ा की जायगी

आज तारीख़ माह सन १९ मेरे दस्तख़त और मोहर अदालत से हवाला किया गया-

जज.

नोटः—अगर इजराय डिक्री के मुलतवी होने का हुक्म हुआ हो तो उस की इत्तला इस इत्तलानामे में लिखनी चाहिये.

नंबर—७.

इत्तलानामा उस फरीक मुकदमा के नाम जो फरीक अपील नहीं किया गया लेकिन अदालत से बतौर रिस्पाडेंट शामिल किया गया

(आर्डर २१ कायदा २०)

(किस्म)

बनाम,

चूंकि तुम बमुकदमा नम्बर सन १९ बअदालत फरीक थे और चूंकि ने इस अदालत में उस डिकरी के नाराजी से अपील की है जो खिलाफ उस के सादिर हुई थी और इस अदालत को यह मालुम होता है कि तुम अपील मजकूर के नतीजे में गरज रखते हो.

इसलिये तुम को इत्तला दी जाती है कि इस अदालत ने हुकम दिया है कि तुम अपील मजकूर में रिस्पाडेंट बनाय जाओ और अपील मजकूर की समाअत तारीख माह सन १९ वक्त बजे तक मुल्तवी की गई है.

अगर तारीख वो वक्त मजकूर पर तुम हाजिर नहीं हुए तो अपील तुम्हारे गैर हाजरी में सुनी जायगी वो फैसला होगी.

बदस्तखत मेरे मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

नंबर—८.

याददास्त उजरदारी (क्रास आबजेकशन)

(आर्डर ४१ कायदा २२)

(किस्म)

चूंकि, ने बअदालत मुकाम बनाराजगी डिक्री मुकदमा नंबर सन १९ मवरखे माह सन १९ अपील की

है और जो कि तारीख पेशी अपील का इत्तलानामा पर तारीख माह सन १९ को तामील हुआ है यह याददाश्त उजरदारी (क्रास आबजेकशन) बमूजिब कायदा २२ आर्डर ४१ जाब्ता दीवानी के पेश करता है और उस डिकरी के नाराजी से जिस की अपील हुई है, हस्ब जैल उजरात उजरदारी पेश करता है याने—

नंबर—६.

डिकरी अपील

(आर्डर ४१ कायदा ३५).

(किस्म)

अपील नम्बर सन १९ बनाराजगी डिकरी अदालत तारीख माह सन १९

याददाश्त अपील.

मुद्दई

मुद्दायलेह

मजकूर बनाराजगी डिकरी बमुकदमा सदर मवरखे माह सन १९ बअदालत मुकाम हस्ब जैल वजूहात पर अपील करता है—

यह अपील बतारीख माह सन १९ रूबरू के ब हाजरी मिनजानिब अपीलांट और ब हाजरी मिनजानिब रिस्पांडेन्ट समाअत के लिये पेश हुई, यह हुक्म दिया जाता है कि—

खर्चा इस अपील का बमूजिब तफसील जैल तादादी मुबलिग अदा करें—खर्चा अदालत इब्तदाई का अदा करे.

ब दस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को सादिर की गई.

जज.

मुकर्रर की गई है कि क्यों अदालत सारटीफिकेट मतलूबा अता न करे,

बदस्तखत मेरे और मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को हवाला किया गया.

रजिस्ट्रार.

नंबर—१३.

नोटिस बनाम रिस्पाडेन्ट निसबत मनजूरी अपील ब हजूर मलिक मोअज्ज़म ब इजलास कौंसिल.

(आर्डर ४५ कायदा ८)

(फ़ार्म)

बनाम.

जो कि ने मुकद्दमा मज़र में जमानत दाखिल की है, और रूपया अमानत में हस्ब मनशाय आर्डर ४५ कायदा ७ ज़ाब्ता दीवानी के जमा किया है.

इसलिये तुम को इत्तला दी जाती है कि मज़कूर की अपील ब हजूर मलिक मोअज़्ज़म ब इजलास कौंसिल बतारीख माह सन मंनजूर हुई है.

बदस्तखत मेरे व मोहर अदालत से आज तारीख माह सन को हवाला किया गया.

रजिस्ट्रार.

नंबर—१४.

इत्तलानामा वह वजह बतलाने के निसबत कि क्यों तजवीज सानी मन्जूर न हो.

(आर्डर ४७ कायदा ४)

(फ़ार्म)

तुम को इत्तला दी जाती है कि ने इस अदालत में तजवीज सानी डिकरी मुसदरे तारीख माह सन १६ व मुकद्दमा मरकूमे बाला के दरखास्त दी है।

तारीख माह सन १६ इस लिये मुकर्रर हुई है कि तुम अपने उजरात पेश करो कि इस मुकद्दमा में अदालत अपनी डिकरी की तजवीज सानी क्यों न मनजूर करे।

बदस्तखत मेरे व मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १६ को हवाला किया गया।

जज्ज।



नंबर—३.

इत्तलानामा अदालत में रूपया दाखिल किये जाने का.

(आर्डर २४ कायदा २).

(किस्म)

मुत्तला रहो कि मुद्दायलेह ने अदालत में मुबलिग रू० दाखिल किया है और कहता है कि वह रकम दावा मुद्दई के कुल अदाई के लिये काफी है.

(ल) (य). वकील मुद्दायलेह.

बनाम.

(ज) वकील मुद्दई.

नंबर—४.

नोटिस वजह बतलाने (नमूना आम).

(किस्म)

बनाम

जो कि मजकूर ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि:—

तुम को इस के जरिये से ताकीद की जाती है कि इस अदालत में, बजात खुद या मारफत वकील जो पूरे तौर से आगाह किया गया हो बतारीख माह सन १९ बवक्त बजे दिन हाजिर दरखास्त के निसबत जो उजर रखते हो पेश करो और न पेश करने के हालत में दरखास्त मजकूर की समाअत वो तसफिया एकतरफा होगी.

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से तारीख सन को जारी किया गया.

नंबर—५.

मुद्दई

फेहरिस्त दस्तावेज पेश करदा————

मुद्दायलेह

(आर्डर १३ कायदा १).

[किस्म]

नम्बर.	तशरीह दस्तावेज.	तारीख अगर कोई, जो दस्तावेज पर हो.	दस्तखत फरीक या वकील.
१.	२.	३.	४.

नंबर—६.

इत्तलानामा बनाम फरीकेन निसबत मुकर्ररी तारीख वास्ते लेने इजहार उस गवाह के जो अदालत के अख्तयार समाअत से जाने वाला हो.

(आर्डर ४१ कायदा १).

(किस्म)

बनाम,

मुद्दई (या मुद्दायलेह)

चूंकि बमुकदमा मजकूर अदालत में दरखास्त ने दी है कि इजहार गवाह का जिस की शहादत के तरफ से मुकदमा मजकूर में दरकार है फौरन ले ली जावे—और हस्ब इतमीनान अदालत यह बतलाया गया है कि गवाह मजकूर अदालत के हद के बाहर जाने वाला है (या कोई दीगर अच्छी काफी वजह बतलाना चाहिये).

मुत्तला रहो कि इजहार गवाह मजकूर का इस अदालत में बतारीख माह सन १६ लिया जावेगा।

मवरखे माह सन १९.

जज.

नंबर—७.

कमीशन वास्ते लेने इजहार गवाहान गैर हाजिर के.

(आर्डर २६ कायदा ४—१८).

(किस्म).

बनाम.

जो कि शहादत की मिनजानिब बमुकदमा मजकूरे वाला जरूर है—और हरगाह लिहाजा तुम को हुक्म दिया जाता है कि गवाह मजकूर का इजहार बन्द सवाल पर लो (या उस का इजहार जबानी लो), पस इस गरज के लिये तुम बजरिये इस हुक्म के कमिश्नर मुकर्रर किये गये-शहादत फरीकैन या उन के मुख्त्यारान के रूबरू अगर वे हाजिर हों ली जायगी, और उन को अख्त्यार होगा कि गवाह से उस अमर मुतनिजा पर सवालात करें, और तुम ज्योंही कि इजहार ले लिया जावे उस को इस अदालत में वापिस करो.

हुक्मनामा वास्ते मजबूर करने हाजरी गवाह के उस अदालत से कि जिस को अख्त्यारात समाअत हासिल हैं बवक्त तुम्हारी दरखास्त के जारी किया जायगा.

मुबलिग रू० बाबत फीस मुकदमा मजकूर उजसदर भेजा जाता है.

बदरख स्त मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १६ को जारी किया गया।

जज्ज।

नंबर—८.

चिट्ठी दरख्वास्त इजहार गवाहान

पेशानी—बनाम साहब प्रेसिडेन्ट और साहिबान जज्ज अदालत वगैरा वगैरा (या जैसी सूरत हो).

हरगाह एक मुकदमा अदालत में बिलफेल दायर है जिस में [क, ख] मुद्दई और (ग, घ,)मुद्दायलेह है—और उस मुकदमे में मुद्दई यह दावा करता है.

(*तशरीह इस दावे की होना चाहिये*)

और हरगाह अदालत मज्कूर से जाहिर किया गया है कि वास्ते अगराज इनसाफ के और वास्ते तसफिया वाजबी मामलात झगड़ा दरमियान फरीकैन के जरूर है कि अशखास जैल याने—

(ङ, च,) साकिन

(ग, ज,) साकिन.

और (झ, ञ) साकिन

की शहादत मामलात झगड़ा मजकूर के निसबत बतौर गवाह के ले ली जाय—और चूंकि यह सब अशखास आप की अदालत के इलाका में रहते हैं

लिहाजा मैं कि अदालत मजकूर का हूं आप की खिदमत में अर्ज करता हूं कि बवजह मजकूर बाला और बनजर इनायत इस अदालत के आप साहबान प्रेसिडेन्ट और साहबान जज्ज अदालत या आप साहबान में से एक या जियादा आप बराय मह्रबानी गवाहान मजकूर को (और नीज उन गवाहों को जिन के तलब करने के निसबत मुद्दई और मुद्दायलेह मजकूर के एजन्ट आप से तहरीरी दरखास्त करे) जिस वक्त और मुकाम पर कि आप मुकर्रर फरमायें वास्ते अदाय शहादत के आप साहबान में से एक या जियादा के रूबरू या

किसी और शख्स के रूबरू कि जो आप की अदालत के जाब्ता के मुताबिक गवाहों का इजहार ले सकता हो तलब फरमायें और उन का इजहार बर बिनाय बन्द सवालात कि जो इस चिठ्ठी के साथ भेजे जाते है (या इजहार जबानी) निसबत अमर मजकूर के बमौजूदगी एजन्टान मुद्दई और मुदायलेह के या जो उन में से इत्तला पाने पर इजहार के वक्त हाजिर हो लें.

मैं यह भी दरखास्त करता हूं कि आप बराय महरबानी गवाहान मजकूर के जवाबात तहरीर में लायें, और तमाम किताबों, और खतूत, और कागजात और दस्तावेजात पर कि जो इजहार में पेश हों सनाख्त के वास्ते कुछ निशान करदे, नीज इजहार मजकूर पर अपनी अदालत की मोहर तसदीक लगायें, या जो तरीका तसदीक का कि आप के यहां राइज हो,उस के मुताबिक तसदीक करें, और इजहार मजकूर को मय उस दरखास्त तहरीरी के (अगर कोई हुई हो) कि जो दीगर गवाहान इजहार के निसबत की गई हो अदालत मजकूर में इरसाल फरमायें.

नोटः—अगर यह चिठ्ठी किसी अदालत वाके मुल्क गैर में भेजी जाने की हो जो बाद अलफाज "दीगर" गवाहान इस नमूने के अखीर सतर में, अलफाज " मारफत आला हजरत मलिका—मौज्जम के सेक्रेटरी आफ इस्टेट वास्ते कार मुल्क गैर वास्ते इरसाल के " इजाफा होना चाहिये.

नंबर—९.

कमीशन वास्ते तहकीकात मौका या जांच हिसाब के

(आर्डर २६ कायदा ९–११)

(किस्म)

बनाम.

चूंकि इस मुकदमा में यह मुनासिब मालूम होता है कि कमीशन वास्ते के जारी किया जाय—लिहाजा तुम बगरज कमीशनर मुकर्रर किये गये.

हुक्मनामा वास्ते जबरन जाहिर कराने गवाहों को या पेश करने किसी कागजात के तुम्हारे रूबरू जिन का तुम इजहार लेना या मुलाहजा करना चाहो उस अदालत से कि जिस को अखत्यारात ममाअ्सत हासिल है, तुम्हारी

दरखास्त पर जारी किया जायगा,

मुबलिग रू० जो बमुकदमा मजकूर तुम्हारी फीस है, इस कमीशन के साथ भेजा जाता है.

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

जज्ज.

नम्बर—१०.

कमीशन वास्ते करने बटवारा.

(आर्डर २६ कायदा १३).

(किस्म).

बनाम

चूंकि इस मुकदमा में यह मुनासिब मालूम होता है कि कमीशन वास्ते करने बटवारा या अलेहदा करने जायदाद मुन्दरजा डिकरी मौरखे माह सन १९ बमूजिब उन हकूक के जो डिकरी मजकूर में करार दिये गये हैं, जारी किया जावे—लिहाजा तुम बगरज मजकूर कमिश्नर मुकर्रर किये गये, और तुम को हिदायत की जाती है कि जो ताकीद वास्ते ठीक तकसीम करने जायदाद मजकूर हस्ब हिस्सा डिकरी मजकूर के जरूर हो करो, और ऐसे हिस्से हर फरीक को अलेहदा २ दो

और तुम को इस के जरिये से यह भी अखत्यार दिया जाता है कि हिस्से की कीमत बराबर करने के लिये जो रकम एक फरीक से दुसरे फरीक को दिलाना जरूर हो दिला दो.

हुक्मनामा वास्ते जबरन हाजिर कराने गवाहों के या पेश करने किसी कागजात के तादादे स्बरू जिन का तुम इजहार लेना या मुलाहजा करना चाहो उस अदालत से कि जिस को अखत्यारात समाअत हासिल है तुम्हारी दरखास्त पर जारी किया जायगा.

मुवलिग रू० जो बमुकदमा मजकूर तुम्हारी फीस है इस कमीशन के साथ भेजा जाता है बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को हवाला किया गया.

जज.

नम्बर—११.

इत्तलानामा बनाम मुद्दायलेह नाबालिग वो वली.

(आर्डर ३२ कायदा ३).

(किस्म)

बनाम.

नाबालिग मुद्दायलेह.

वली.

चूंकि एक दरखास्त मुकदमा मजकूर में मुद्दई के तरफ से निसबत मुकर्ररी वली नाबालिग मुद्दायलेह दौरान मुकदमा के गुजरी है, लिहाजा तुम नाबालिग मजकूर, और तुम (१) को इत्तला दी जाती है कि तुम पर यह नोटिश तामील होने के तारीख से अन्दर योम अगर तुम्हारे तरफ से इस अदालत में वास्ते मुकर्ररी तुम्हारे (१) या तुम नाबालिग के किसी के तरफ से वली दौरान मुकदमा मुकर्रर करने की दरखास्त न गुजरी तो अदालत किसी दूसरे शख्स को नाबालिग के तरफ से वली दौरान मुकदमा मजकूर मुकर्रर करने की कार्रवाई करेगी.

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

(१) यहां नाम वली का लिखना चाहिये.

नम्बर—१२.

नोटिश बनाम फरीकसानी निसबत मुकर्ररी तारीख समाअत शहादत मुफलिसी.

(आर्डर ३३ कायदा ६).

बनाम.

हरगाह ने इस अदालत में वास्ते मिलने इजाजत करने नालिश मुफलिसी बनाम के बमूजिब आर्डर ३३ जाब्ता दीवानी के दरखास्त की है, और अदालत को कोई वजह दरखास्त के नामनजूर करने की नहीं मालुम होती है--और जो कि तारीख माह सन १९ ऐसी शहादत के लिये जाने के लिये जो सायल अपने दरखास्त मुफलिसी के ताईद में पेश करे, और ऐसी शहादत के सुने जाने के लिये जो उसके मुफलिस न होने के बाबत हो, मुकर्रर की गई है.

इस लिये तुम को बमूजिब कायदा ६ आर्डर ३३ इसके जरिये से इत्तला दी जाती है कि अगर तुम सायल के मुफलिस न होने के बाबत कोई शहादत पेश करना चाहते हो तो इस अदालत में तारीख माह सन १९ को हाजिर होकर पेश करो

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

जज,

नम्बर—१३.

इत्तलानामा बनाम जामिनदार निसबत उसकी जिम्मेदारी बाजरुये डिकरी के-

[दफा १४५]

(जिला)

बनाम.

चूंकि तुम तारीख को बतौर जामिनदार जिम्मेदार इस अमर के हुये कि जो डिकरी मुद्दायलेह मजकूर पर मुकदमा मुंदरजे सदर में सादिर हो उस की तामील की जायगी, और जो कि एक डिकरी बतारीख माह सन १९ को मुद्दायलेह मजकूर पर वास्ते अदाई के सादिर हुई, और जो कि दरखास्त डिकरी मजकूर का इजरा तुम पर करने के लिये गुजरी है-इसलिये तुम को इस के जरिये से इत्तला दी जाती है कि तारीख माह सन १९ को या उस

के पहले हाजिर होकर वजह बतलाओ कि क्यों डिकरी मजकूर तुम पर इजरा न की जावे और अगर मुद्दत मुकर्रर के अन्दर वजह काफी हस्ब इतमीनान अदालत नहीं बतलाई गई तो हुक्म उस के इजरा का फौरन बमुजिब शर्त दरखास्त मजकूर सादिर किया जावेगा.

बदस्तखत मेरे वो मोहर अदालत से आज तारीख माह सन १९ को जारी किया गया.

जज.

नम्बर—१४.

रजिस्टर मुकदमात दीवानी

(आर्डर ४ कायदा २)

अदालत जिला मुकाम

रजिस्टर मुकदमात दीवानी बाबत सन १९ ई०

		मुद्दई			मुद्दायलेह			दावा			हाजरी			फैसला.			अपील		इजराय डिकरी.						कैफियत तामील इजराय डिकरी	
तारीख	नम्बर	नाम	तफसील वल्दियत कौमियत पेशा वगैरा.	मुकाम सकूनत	नाम	तफसील वल्दियत कौमियत पेशा वगैरा.	मुकाम सकूनत	कैफियत मुतालबा दावा	मिकदार दावा या तादाद मालियत	किस तारीख दावा का पैदा हुआ	तारीख मुकर्ररा वास्ते हाजरी फरीकैन	मुद्दई.	मुद्दायलेह	तारीख	किस के हक में सादिर हुआ	बाबत किस शै या किस कदर रुपया के	तारीख फैसला अपील.	फैसला अपील.	तारीख दरख्वास्त	तारीख हुक्म	किस शख्स पर	किस शै की बाबत या जर नकद हो तो किस कदर रुपया के बाबत	तादाद खर्चा	रुपया जो अदालत में दाखिल हुआ.	गिरफ्तारी	जिस दीगर कैफियत का बाजाब्ता इजराय जर या गिरफ्तारी और तारीख हर कैफियत की.

नोट.—जब जियादा मुद्दई या जियादा मुद्दायलेह हो तो नाम सिर्फ अव्वल मुद्दई या सिर्फ अव्वल मुद्दायलेह का जैसी कि सूरत हो, दर्ज रजिस्टर किया जायगा।

नम्बर—१५.

रजिस्टर अपील

(आर्डर ४१ कायदा ६).

अदालत या (हाई कोर्ट) मुकाम

ील ब नाराजगी डिकरीयात बाबत सन १९ ई०

डिन्ट,		जिक्र डिक्री जिसकी नाराजगी से अपील हुई.				हाजरी			फैसला		
वाले व वल्दियत और कौम और पेशा वगैरा	मुकाम सकूनत	किस अदालत की डिक्री	नम्बर मुकद्दमा इब्तदाई	कैफियत	तादाद या मालियत	तारीख मुकर्ररा वास्ते हाजरी फरीकैन.	अपीलांट.	रिस्पांडेन्ट.	तारीख फैसला.	बहाल रखा या मनसूख हुआ या उस की तरमीम हुई	किस कदर डिग्री हो या रुपया की बाबत.